

# सम्पूर्ण गांधी

# वाङ्मय

खण्ड पन्द्रह



प्रकाशन विभाग



12 JAN 1967









5063

REFERENCE BOOK  
NOT TO BE ISSUED

લાઈથર

5063

816169A

5063

REFERENCE BOOK  
NOT TO BE ISSUED

ગાંધી સ્મારક સંગ્રહાલય

ક્ર. સં. ૨૦-૧૬

પરિ. સં. 5063 વાંચવા માટે મુક્ત કર્યા તારીખ 11 JAN 1967

આ પુસ્તક છેલ્લે દર્શાવેલી તારીખ પહેલાં અથવા તે જ દિવસે પાછું આપી દેવું નહીં એ. તે તારીખ પછી નો પુસ્તક પાછું આપવામાં આવશે તો દરરોજના ૦૦.૦૩ ન. પૈ. લેખે અતિદેય આપવું પડશે.







सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय


१५

63

( अगस्त १९१८ - जुलाई १९१९ )

5063

REFERENCE BOOK  
NOT TO BE ISSUED







REFERENCE BOOK  
NOT TO BE ISSUED





## PEACEFUL HARTAL.

### Bombay's Worthy Example.

BROTHERS AND SISTERS,

Bombay covered itself with glory by preserving perfect calm, and the citizens have shown by their peaceful *hartal* they have understood a portion of *Satyagrah*. They have done true honour to Mr. Horniman and demonstrated to Government that they disapprove of his deportation. Bombay has set a worthy example to the whole of India. It is a matter of pride for Bombay, from the *Satyagraha* standpoint, that some shops were open. This fact proved the voluntary character of the *hartal*. Many causes contributed to the success of this remarkable demonstration, but the chief among them was the performance of their duty by volunteers under Mr. Vithaldas Jerajani. They had commenced operations from the commencement of the talk of *hartal*, and we had the results of their efforts yesterday. Our thanks are due also to the police. If aggressive military dispositions had been made, the people would have become excited and the task of preserving peace would have been much more difficult.

A nation enjoying or desiring to enjoy *Swaraj* must possess the following four attributes:—

- (1) The police should be the least needed for self-protection and there should be concord between them and the people;
- (2) Jails should be the least patronised;
- (3) The Hospitals should have few cases; and
- (4) The law courts should have the least work.

Where people do violence, commit crimes, and not exercising control over their senses and committing a breach of nature's laws become diseased and engage in perpetual quarrels resulting in law-suits, they are not free but in bondage. We shall learn the first chapter of *Swaraj* and *Liberty* when India adopt the example of Bombay as a permanent way of life.

12th May, 1919.

M. K. GANDHI.

Printed by Rustom N. Vatchaghandy, at the Sunj Vartaman Press, Fort, Bombay.




# सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

१५

( अगस्त १९१८ - जुलाई १९१९ )

REFERENCE BOOK  
NOT TO BE ISSUED

120 JAN 1966



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

भारत सरकार

सितम्बर १९६५ ( आश्विन १८८७ )

© नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९६५

- x 152  
GAN.

5063

साढ़े सात रुपये

कापीराइट

नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे



11 DEC 1982

निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली - ६ द्वारा प्रकाशित  
और जीवणजी डाह्याभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद - १४ द्वारा मुद्रित



## भूमिका

इस खण्डमें अगस्त १९१८ से जुलाई १९१९ तककी सामग्रीका समावेश हुआ है : बीमारीके कारण इनमें से पहले छः माह तो गांधीजीको बरबस बिस्तरमें बिताने पड़े; किन्तु परवर्ती छः महीनोंकी राजनीतिक उथल-पुथल उन्हें राष्ट्रीय संघर्षके बीच खींच लाई। राष्ट्रीय नेतृत्वकी बागडोर इस प्रकार अप्रत्याशित रूपसे गांधीजीके हाथोंमें आ गई। मार्च १९१९ में पारित रौलट कानून और इसके करीब एक ही माह बाद १३ अप्रैलकी शामको अमृतसरके जलियाँवाला बागमें निःशस्त्र स्त्री-पुरुषों और बालकोंकी एक सभापर नृशंस गोलीबारी की गई। जलियाँवाला बागके इस हत्याकांड और इसके बाद जो अत्याचार हुए उनसे राष्ट्रके आत्मसम्मानको गहरी ठेस पहुँची और जो आन्दोलन विधानकी सीमाके भीतर रहकर सामान्य राजनीतिक अधिकारोंके लिए किया जा रहा था उसने एक विशाल राष्ट्रीय संग्रामका रूप ले लिया और अब सरकारकी सदाशयताके बजाय लोकशक्ति उसकी उद्देश्यकी सिद्धिका आधार बन गई। गांधीजी राष्ट्रकी आहत भावनाओं और आत्मसम्मानकी प्रतिष्ठापनाके संकल्पके प्रतीक ही बन गये और उन्होंने सत्याग्रहके सिद्धान्तोंकी शिक्षाका लोगोंमें प्रचार करके इस राष्ट्रीय जागरणको एक विधायक रूप देनेकी कोशिश की। यह खण्ड उनके इस महान् प्रयत्नके आरम्भिक कालकी झाँकियाँ और भारतीय इतिहासमें गांधी-युगके आगमनकी तसवीर पेश करता है।

खण्डका आरम्भ सूरतमें ८ अगस्त १९१८ के एक भाषणसे होता है। विषय-वस्तुकी दृष्टिसे इसका स्थान खण्ड १४ में समाविष्ट उन पिछले दो महीनोंकी सामग्रीमें माना जाना चाहिए जब गांधीजी रंगरूटोंकी भरतीके प्रयत्नमें गुजरात और खासकर खेड़ा जिलेका दौरा कर रहे थे। इस दौरेमें उन्होंने जो कठोर परिश्रम किया उसके फल-स्वरूप उन्हें अपने जीवनकी पहली लम्बी और कठिन बीमारी भोगनी पड़ी। अगस्त १९१८ से लगाकर जनवरी १९१९ तक उन्हें दुःसह शारीरिक पीड़ा और कष्ट भोगने पड़े। महादेव देसाईने अपनी डायरीमें कहा है, १ अक्टूबर, १९१९ को तो वे गोया 'मृत्युके द्वार' पर जा पहुँचे थे। सारे आश्रमवासी उस दिन सारी रात उनकी शय्याको घेरे गीताके द्वितीय अध्यायके उनके प्रिय श्लोकोंका पाठ करते रहे। शल्य-क्रियाके बाद जनवरी १९१९में उनके स्वास्थ्यमें सुधार होने लगा।

राजनीतिक दृष्टिसे छः महीनोंका यह समय घटना-विहीन है; किन्तु गांधीजीके हृदय-पक्षकी सौम्य और मृदु झाँकियोंकी दृष्टिसे वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। सत्यनिष्ठके सरल भावसे उन्होंने इस बीमारीकी अपनी भूलोंका अनिवार्य परिणाम माना और उसे शान्तिके साथ सहा। अपने शारीरिक कष्टके प्रति उनका भाव एक तटस्थ दर्शकका-सा था; कष्ट शरीरतक ही सीमित रहा; उसकी छाया उनकी आन्तरिक शान्ति और स्वस्थताको नहीं छू सकी। शारीरिक दुर्बलताकी इस परिस्थितिमें उनका मन कुछ अधिक चिन्तन-प्रवण हो गया, जिसका एक परिणाम यह हुआ कि उनके आग्रहोंमें पहले जैसी



कठोरता नहीं रही। मगनलाल गांधीके नाम अपने एक पत्र (१४-८-१९१८)में वे अपने सत्याग्रह सिद्धान्तकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि “सत्याग्रह सर्वव्यापक है”, यह कोई कोरी बौद्धिक स्वीकृति नहीं है; बल्कि यह इस सत्यकी जीवन्त उपलब्धि है कि मनुष्यका शरीर भी अपनी स्वतन्त्र हस्ती रखता है, उसके अपने नियम हैं और उसके साथ भी हमें सत्य और अहिंसाका वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम दूसरे व्यक्तियोंके साथ करते हैं। इस अनुमतिसे फलित गहरी विनम्रता गांधीजीके इस कालके सारे पत्रोंमें अन्तःसलिलाकी भाँति प्रवाहित है और उन्हें एक ऐसी प्रसन्न प्रौढ़ता प्रदान करती है जो कर्मशीलके बजाय चिन्तनशील व्यक्तिके ज्यादा अनुरूप है। ऐसा मालूम होता है कि आत्माभिव्यक्तिके लिए कर्मका क्षेत्र रुद्ध हो जानेपर गांधीजीने किसी कलाकारकी तरह अपनी नवोपलब्ध अनुभूतिके प्रकाशनके लिए शब्दोंका सहारा लिया है।

शल्य-क्रिया जनवरी १९१९ में हुई और डॉक्टरों तथा मित्रों, दोनोंने ही उनसे दूध फिरसे लेनेका अनुरोध किया। दूधका सेवन उन्होंने अनेक वर्ष पूर्व अपने धर्म-बोधके अनुसार जीवनका शोधन करते हुए दक्षिण आफ्रिकामें छोड़ा था। मित्रोंके इस आग्रहने उनके लिए एक कठिन प्रसंग उपस्थित कर दिया। एक ओर तो वे अपने इस व्रतका शब्दशः और अर्थशः पूरा-पूरा पालन करना चाहते थे और दूसरी ओर उन्हें कस्तूरबाकी व्यथा और भारत तथा मानव-जातिकी सेवा करनेकी अपनी दुर्दम आकांक्षा बेचैन कर रही थी। अन्तमें ‘अपनी प्रबल जिजीविषा’की आवश्यकता स्वीकार करते हुए उन्होंने दूध फिरसे लेनेका ही निर्णय किया और अपने तथा मित्रोंके सन्तोषके लिए इस निर्णयके औचित्यका प्रतिपादन भी किया (देखिए ‘पत्र : मगनलालको’, १०-१-१९१९ और ‘पत्र : नरहरि परीखको’, २१-१-१९१९ और २७-१-१९१९)। साथ ही उन्हें इस निर्णयमें अपनी कमजोरीका भी शायद अहसास होता रहा। ‘आत्मकथा’ में (देखिए भाग ५, प्रकरण ३९) इस प्रसंगका उन्होंने जिस स्वरमें स्मरण किया है उससे भी ऐसा ही आभास होता है।

चिन्तनकी इस मनःस्थितिसे पूरी मुक्ति और कर्मके लिए आवश्यक पूरी शक्ति संचित कर पानेके पहले ही रौलट विधेयक सामने आ गये। लोगोंने उन्हें अपने राष्ट्रीय सम्मानपर आक्रमण माना। गांधीजीने जनतामें व्याप्त रोषकी भावनाको संगठित अभिव्यक्ति देनेकी कोशिश की। उन्होंने अपने सहकारियोंके साथ प्रस्तावित कानूनका, यदि जरूरी हो कानूनोंकी सविनय अवज्ञा करके भी, डटकर विरोध करनेकी प्रतिज्ञा की। अपनी शारीरिक दुर्बलताके बावजूद उन्होंने देशका लम्बा दौरा किया और इन विधेयकोंके खिलाफ लोक-भावनाकी प्रबलता स्पष्ट करनेके लिए राष्ट्रके नाम एक सन्देश जारी किया जिसमें लोगोंसे ६ अप्रैलका दिन प्रार्थना और उपवास करके तथा सविनय अवज्ञाकी प्रतिज्ञा लेकर ‘सत्याग्रह दिवस’ के रूपमें मनानेको कहा गया। बम्बईमें तो यह दिन शान्तिपूर्वक बीत गया। किन्तु पंजाबसे जो खबरें आ रही थीं उनसे वहाँ उपद्रव होनेकी आशंका होती थी। गांधीजी शान्ति-रक्षामें सहायता करनेके उद्देश्यसे ८ तारीख को बम्बईसे पंजाबके लिए रवाना हुए। किन्तु उन्हें रास्तेमें ही रोककर हिरासतमें ले लिया गया। इस खबरके फैलते ही देशमें जहाँ-तहाँ हिंसापूर्ण उत्पात हुए।



वातावरण हिंसा और भयसे भर उठा; बात बढ़ती गई और उसकी चरम परिणति हुई अमृतसरके हत्याकांडमें। हत्याकाण्ड १३ अप्रैलको हुआ था; पंजाबमें फौजी कानून थोप दिया गया और फौजी शासनके तहत प्रान्तकी जनतापर निर्दय अत्याचार किये गये। इन सारी घटनाओंने राष्ट्रीय आन्दोलनके परवर्ती इतिहासको नया मोड़ देकर सदाके लिए सत्याग्रह और असहयोगके रास्तेपर चलनेको मजबूर कर दिया।

जनता द्वारा हिंसक उपद्रवोंके विस्फोटके प्रति गांधीजीकी प्रतिक्रिया हमें उनकी इस इतिहास-प्रसिद्ध स्वीकारोक्तिमें मिलती है कि मुझसे हिमालय-जैसी बड़ी भूल हो गई है। इस तथ्यपर उन्होंने पूरा वजन दिया कि लोगोंके नाराज होनेके बहुत कारण थे किन्तु आत्मसंयम खो देनेके लिए उन्होंने लोगोंकी भरपूर टीका भी की; इतना ही नहीं, इस भूलके मार्जनके लिए उन्होंने तीन दिनका उपवास भी घोषित किया।

वाइसरायके निजी सचिवके नाम अपने १४-४-१९१९ के पत्रमें इस बातको मुक्त-भावसे स्वीकार करके गांधीजीने १८ अप्रैलको सत्याग्रहके सविनय अवज्ञावाले अंशको अस्थायी तौरपर स्थगित करते हुए एक अखबारी बयान जारी किया। निजी सचिवके नाम लिखित उस पत्रमें उन्होंने अपने कार्यके लिए सत्याग्रहका आधार सदा लेते रहनेकी बात जोर देकर साफ-साफ कही और आशा प्रकट की कि कालान्तरमें सत्याग्रहकी नीति जनता और सरकार, दोनों द्वारा स्वीकार कर ली जायेगी। इसलिए सत्याग्रहको स्थगित करनेका अर्थ सत्याग्रहका त्याग नहीं बल्कि बदली हुई परिस्थितिमें उसका रूपान्तर मात्र था।

अब वे 'सत्याग्रह-पत्रिकाओं', भाषणों और वक्तव्यों आदिके द्वारा सत्याग्रहका रहस्य समझानेमें जुट गये। उन्होंने बताया कानूनकी सविनय अवज्ञा सत्याग्रहके आचरणका एक अंश-मात्र है, अनुकूल अवसर उपस्थित होनेपर उसका प्रयोग किया जा सकता है लेकिन वस्तुतः वह निरन्तर चलनेवाली आत्म-शुद्धिकी प्रक्रिया है और अपने उपासकसे उसकी पहली बड़ी मांग यह है कि वह अपने पड़ोसियोंके कल्याणकी चिन्ता करे और उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्तिके रूपमें स्वदेशीके नियमका पालन करे। स्वदेशीके महत्त्वका प्रचार उन्होंने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था किन्तु अप्रैलकी घटनाओंके बाद, स्वस्थ और रचनात्मक स्वदेश-प्रेमकी सर्वाधिक प्रभावकारी अभिव्यक्तिके लिए उसकी उपयुक्तताके कारण, उन्होंने और भी जोरसे उसका प्रचार करना शुरू किया।

२६ अप्रैल, १९१९ को 'बॉम्बे क्रॉनिकल', के सम्पादक और भारतकी राष्ट्रीय आकांक्षाओंके निर्भीक पुरस्कर्ता बी० जी० हॉर्निमैनको बम्बई सरकारने निर्वासित कर दिया। गांधीजीने लोगोंसे अपनी भावनाओंका संयम करने और ११ मईको शान्तिपूर्ण हड़ताल रखनेके लिए कहा। दूसरी ओर शासकवर्गसे वे न्याय और औचित्यका रास्ता अपनानेका अनुरोध करते रहे। सी० एफ० एन्ड्र्यूजको अपने ४-५-१९१९ के पत्रमें उन्होंने लिखा: "यह रक्तपात, यह जोर-जुल्म, यह फौजी कानून, ये सैनिक ढंगकी सजाएँ — इन सबके बीच प्रेमका कानून पूरी तरह काम कर रहा है। उसके अपार प्रमाण मिलते रहते हैं।" (पृ० २८०) उन्होंने मांग की कि "पंजाबके दंगोंके कारणों, पंजाबमें मार्शल



लॉके कार्यान्वित करनेके तरीकों और फौजी अदालत (मार्शल लॉ ट्राइब्यूनल) द्वारा दी गई सजाओंके सम्बन्धमें तथ्य हासिल करनेके लिए एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष जाँच-समिति नियुक्त की जाये।” (देखिए ‘पत्र : एस० आर० हिगनेलको’, ३०-५-१९१९)। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इन मामलोंमें न्याय न मिलनेपर वे कानूनकी अवज्ञा पुनः आरम्भ करेंगे और वाइसरायको अपने इस इरादेकी सूचना भी दे दी। जूनमें हम उन्हें इसकी तैयारी करते हुए और साथ ही स्वदेशीका प्रबल प्रचार करते हुए देखते हैं। लेकिन जुलाईमें उनका विचार फिर बदल गया, उन्होंने फिर उसे अनिश्चित कालके लिए स्थगित करनेका निर्णय किया और एक अखबारी बयानमें, जो कि सरकार और सत्याग्रहियों—दोनोंके लिए एक चुनौती ही था, उसके कारणोंको समझाते हुए कहा : “यदि मेरे द्वारा प्रसंगानुसार छोड़ा गया सविनय कानून-भंग ही सुलगाई हुई आग है तो रौलट कानून और उसे विधि-संहितामें बनाये रखनेका सरकारका हठ सारे हिन्दु-स्तानमें हजारों जगह आग लगानेके बराबर है। सविनय कानून-भंगको बन्द करानेका एक ही मार्ग है कि सरकार रौलट कानून रद्द कर दे। . . . इसलिए मैंने कानूनको जल्दी रद्द करानेके लिए ही सविनय-कानून-भंग मुलतवी रखा है। किन्तु यदि ये कानून साधारण उपायोंसे रद्द न कराये जा सकें तो उन्हें रद्द करानेके लिए सत्याग्रही अपने प्राणोंकी बाजी लगायेंगे।” (पृ० ४८५)

दूसरे खण्डोंकी भाँति इस खण्डमें भी निजी पत्र काफी संख्यामें हैं और उनसे उसकी श्री-वृद्धि हुई है। इस खण्डके अपने पहले ही पत्रमें वे कहते हैं, “मेरी समझमें तो मैंने किसी अन्य बातका नहीं, उसीकी इच्छाका अनुसरण किया था। वही मुझे घिरते हुए अन्धकारमें से रास्ता दिखाकर पार ले जायेगा।” (पृ० ४) जिस समय वे कठिन शारीरिक यन्त्रणासे गुजर रहे थे उस समय आनन्दशंकर बापूभाई ध्रुवके नाम रोगशय्यासे लिखे हुए उनके पत्रमें उनका सहर्ष समर्पणका भाव हमें मुग्ध कर देता है : “मैं बारीकीसे देख सकता हूँ कि प्रकृति-जैसा कोई दयालु नहीं है। प्रकृति ही ईश्वर है। ईश्वर ही प्रेम है और भूलके लिए प्रेमपूर्ण दण्ड दिये ही जाया करते हैं। मैं इस बीमारीमें बहुत सीख रहा हूँ।” (पृ० २५) पुस्तककी समाप्ति कर्ममय प्रार्थनाके सन्देशसे हुई है : “शुद्ध हृदयसे प्रार्थना तो वही कर सकता है जो अपनी प्रार्थनाके अनुरूप कार्य करनेवाला हो।” (पृ० ५०२)



## आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक ट्रस्ट और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, नई दिल्ली; भारत सेवक समाज (सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी), पूना; स्वतंत्रता-आन्दोलनके इतिहासका कार्यालय, बम्बई; श्री छगनलाल गांधी, अहमदाबाद; श्री नारायण देसाई, बारडोली; श्री एच० एस० एल० पोलक; श्री ए० एच० वेस्ट; 'इंडियन होमरूल', 'पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद', 'पंजाब अनरेस्ट : बिफोर ऐंड आफ्टर', 'माई डियर चाइल्ड', 'महादेवभाईनी डायरी', 'महादेवभाईकी डायरी', 'महात्मा गांधी: हिज लाइफ, राइटिंग्ज ऐंड स्पीचेज', 'स्पीचेज ऐंड राइटिंग्ज ऑफ महात्मा गांधी', 'सोर्स मटीरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया' पुस्तकोंके प्रकाशकों तथा निम्नलिखित समाचारपत्रों और पत्रिकाओंके आभारी हैं: 'अमृतबाजार पत्रिका', 'इंडियन ओपिनियन', 'इंडियन रिव्यू', 'इंडियन सोशल रिफॉर्मर', 'खेड़ा वर्तमान', 'गुजराती', 'गुजरातमित्र अने गुजरात दर्पण', 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'प्रजाबन्धु', 'प्रताप', 'बंगाली', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'न्यू इंडिया', 'नवजीवन अने सत्य', 'यंग इंडिया', 'लीडर', 'सर्वेंट ऑफ इंडिया' और 'हिन्दू'।

अनुसन्धान और संदर्भ-संबंधी सुविधाओंके लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया), अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, गांधी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फरमेशन ऐंड ब्रॉडकास्टिंग) के अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग (रिसर्च ऐंड रेफरेंस डिवीजन), नई दिल्ली; साबरमती संग्रहालय तथा गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; सार्वजनिक पुस्तकालय, इलाहाबाद; श्री प्यारेलाल नय्यर, नई दिल्ली और कागजातकी फोटो-नकल बनानेके लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभागके आभारी हैं।



## पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरोंके द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जे आदिकी स्पष्ट भूलोंको सुधारकर दिया गया है।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद प्राप्त हो सके हैं, हमने उनको मूलसे मिलाने और संशोधन करनेके बाद उपयोग किया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारनेके बाद अनुवाद किया गया है और मूलमें प्रयुक्त शब्दोंके संक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। यह ध्यान रखा गया है कि नामोंको सामान्यतः जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाये। जिन नामोंके उच्चारणोंमें संशय था उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धृत किया है वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे हुए नहीं हैं बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं।

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है वहाँ दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है, जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमें की गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। शीर्षकके अन्तमें सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है।

साधन-सूत्रोंमें एस० एन० संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, जी० एन० गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका और सी० डब्ल्यू० क्लेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय) द्वारा संग्रहीत पत्रोंका सूचक है।

‘सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा’ के अनेक संस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ संख्याएँ विभिन्न हैं; इसलिए हवाला देनेमें केवल उसके भाग और अध्यायका ही उल्लेख किया गया है।

कुछ सामग्री समयपर उपलब्ध न हो सकी इसलिए उसे यथाक्रम नहीं दिया जा सका। उसे पाठ्य-सामग्रीके अन्तमें और परिशिष्टोंके पूर्व “अवशिष्ट सामग्री” के रूपमें दिया गया है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये हैं। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।



## विषय-सूची

भूमिका	५
आभार	९
पाठकोंको सूचना	१०
चित्र-सूची	२३
१. भाषण : सूरतमें (१-८-१९१८)	१
२. पत्र : सी० एफ० एण्ड्र्यूजको (६-८-१९१८)	३
३. पत्र : ओ० एस० घाटेको (६-८-१९१८)	५
४. पत्र : देवको (६-८-१९१८)	६
५. पत्र : सन्तोक गांधीको (६-८-१९१८)	६
६. पत्र : डॉ० प्राणजीवन मेहताको (६-८-१९१८)	७
७. पत्र : रामनन्दनको (६-८-१९१८)	८
८. पत्र : हनुमन्तरावको (७-८-१९१८)	८
९. पत्र : शंकरलाल बैंकरको (७-८-१९१८)	९
१०. पत्र : जी० ए० नटेशनको (९-८-१९१८)	१०
११. पत्र : जी० के० देवधरको (९-८-१९१८)	१०
१२. पत्र : फूलचन्द शाहको (९-८-१९१८)	११
१३. पत्र : एक मित्रको (९-८-१९१८)	१२
१४. पत्र : 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को (१०-८-१९१८)	१४
१५. पत्र : सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको (१०-८-१९१८)	१५
१६. पत्र : प्रोफेसर जेवन्सको (११-८-१९१८)	१६
१७. पत्र : बी० जी० हॉर्निमैनको (१२-८-१९१८)	१८
१८. पत्र : रसिकमणिको (१२-८-१९१८)	१८
१९. पत्र : फलचन्द शाहको (१२-८-१९१८)	१९
२०. पत्र : मगनलाल गांधीको (१४-८-१९१८ या उसके आसपास)	२०
२१. साम्राज्यीय सम्मेलनके प्रस्ताव (१५-८-१९१८)	२०
२२. पत्र : रॉबर्ट हैंडरसनको (१७-८-१९१८)	२२
२३. पत्र : देवदास गांधीको (१७-८-१९१८)	२३
२४. पत्र : जमनादास द्वारकादासको (१७-८-१९१८)	२४
२५. पत्र : आनन्दशंकर ध्रुवको (१७-८-१९१८)	२४
२६. पत्र : गोकुलदास पारेखको (१७-८-१९१८)	२६
२७. पत्र : मनसुखलाल रावजीभाई मेहताको (१७-८-१९१८)	२६
२८. पत्र : शंकरलाल बैंकरको (१७-८-१९१८)	२८
२९. पत्र : देवदास गांधीको (१७-८-१९१८)	२९



बारह

३०. पत्र: एन० एम० समर्थको (२०-८-१९१८)	३०
३१. पत्र: बी० चक्रवर्तीको (२५-८-१९१८)	३१
३२. पत्र: बाल गंगाधर तिलकको (२५-८-१९१८)	३२
३३. पत्र: डॉ० पी० सी० रायको (२७-८-१९१८)	३३
३४. पत्र: जमनालाल बजाजको (२८-८-१९१८)	३४
३५. भारतीय और ट्रान्सवाल (२९-८-१९१८)	३४
३६. पत्र: सी० एफ० एण्ड्रूजको (२९-८-१९१८)	३५
३७. डॉ० प्राणजीवन मेहताको लिखे पत्रका अंश (२९-८-१९१८)	३५
३८. पत्र: देवदास गांधीको (२९-८-१९१८)	३६
३९. पत्र: हरिलाल गांधीको (२९-८-१९१८)	३७
४०. पत्र: पुण्डलीकको (२९-८-१९१८)	३७
४१. पत्र: सी० एफ० एण्ड्रूजको (३०-८-१९१८)	३८
४२. पत्र: पुण्डलीकको (३०-८-१९१८)	३९
४३. पत्र: मिली ग्राहम पोलकको (३१-८-१९१८)	३९
४४. पत्र: सी० एफ० एण्ड्रूजको (३१-८-१९१८)	४०
४५. पत्र: देवदास गांधीको (३१-८-१९१८)	४१
४६. पत्र: करसनदास चितलियाको (३१-८-१९१८)	४२
४७. प्रस्ताव: गुजरात सभा, अहमदाबाद द्वारा (सितम्बर १९१८)	४३
४८. पत्र: सी० एफ० एण्ड्रूजको (३-९-१९१८)	४३
४९. पत्र: शंकरलाल बैंकरको (७-९-१९१८)	४४
५०. पत्र: डॉ० पी० सी० रायको (९-९-१९१८)	४५
५१. पत्र: रणछोड़लाल पटवारीको (९-९-१९१८)	४६
५२. देवदास गांधीको लिखे पत्रका अंश (९-९-१९१८)	४७
५३. पत्र: हरिलाल गांधीको (९-९-१९१८)	४८
५४. पत्र: सरोजिनी नायडूको (२०-९-१९१८)	४९
५५. पत्र: पुण्डलीकको (२०-९-१९१८)	५०
५६. तार: डॉ० प्राणजीवन मेहताको (२१-९-१९१८)	५०
५७. पत्र: डॉ० प्राणजीवन मेहताको (२१-९-१९१८)	५१
५८. भाषण: 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' पर (२१-९-१९१८)	५२
५९. पत्र: शुएब कुरैशीको (२४-९-१९१८)	५३
६०. पत्र: नानूभाईको (२४-९-१९१८)	५४
६१. पत्र: कल्याणजी मेहताको (२४-९-१९१८)	५५
६२. आश्रममें अपने जन्म-दिवसकी बधाईका उत्तर (१-१०-१९१८)	५५
६३. पत्र: गंगाबेन मजमूदारको (११-१०-१९१८)	५७
६४. पत्र: अखबारोंको काछलियाके निधनपर (२०-१०-१९१८)	५८
६५. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (२०-१०-१९१८)	५९
६६. तार: वाइसरायको (२९-१०-१९१८)	६१



तेरह

६७. पत्र : पुण्डलीकको (२९-१०-१९१८)	६१
६८. पत्र : हरिलाल गांधीको (३१-१०-१९१८)	६२
६९. पत्र : रवीन्द्रनाथ ठाकुरको (५-११-१९१८)	६३
७०. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (५-११-१९१८)	६३
७१. सन्देश : स्वदेशी-स्टोरके खुलनेपर (१४-११-१९१८)	६४
७२. सन्देश : प्रथम रेलवे सम्मेलनको (१६-११-१९१८ से पूर्व)	६४
७३. पत्र : पुण्डलीकको (१७-११-१९१८)	६५
७४. पत्र : मुहम्मद अलीको (१८-११-१९१८)	६५
७५. पत्र : सरोजिनी नायडूको (१८-११-१९१८)	६७
७६. पत्र : हरिलाल गांधीको (२६-११-१९१८)	६७
७७. मॉण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड योजना सम्बन्धी प्रश्नोंके उत्तर (दिसम्बर १९१८)	६८
७८. तार : मद्रासके मिल-मजदूरोंको (२-१२-१९१८)	६९
७९. पत्र : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको (२६-१२-१९१८)	७०
८०. पत्र : चम्पारनके कलक्टरको (१९१८)	७०
८१. पत्र : मगनलाल गांधीको (१९१८)	७१
८२. पत्र : एस्थर फौरिंगको (१९१८)	७१
८३. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (६-१-१९१९)	७२
८४. पत्र : डॉ० प्राणजीवन मेहताको (९-१-१९१९)	७३
८५. पत्र : मगनलाल गांधीको (१०-१-१९१९)	७३
८६. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (१०-१-१९१९)	७५
८७. रामदास गांधीको लिखे पत्रका अंश (१६-१-१९१९)	७५
८८. पत्र : नरहरि परीखको (२१-१-१९१९)	७६
८९. पत्र : बलीको (२१-१-१९१९)	७८
९०. पत्र : एस्थर फौरिंगको (२५-१-१९१९)	७९
९१. पत्र : नरहरि परीखको (२७-१-१९१९)	८१
९२. पत्र : रेवाशंकर सोढाको (२७-१-१९१९)	८२
९३. विठ्ठलभाई पटेलको लिखे पत्रका अंश (२८-१-१९१९)	८३
९४. पत्र : सैयद हुसैनको (३०-१-१९१९)	८३
९५. पत्र : ओ० एस० घाटेको (३०-१-१९१९)	८४
९६. पत्र : मगनलाल गांधीको (जनवरी १९१९के अन्तिम सप्ताहमें)	८५
९७. शंकरलाल बैंकरको लिखे पत्रका सारांश (२-२-१९१९के पूर्व)	८६
९८. पत्र : देवदास गांधीको (२-२-१९१९)	८६
९९. पत्र : मगनलाल गांधीको (५-२-१९१९)	८७
१००. पत्र : स्वामी सत्यदेवको (६-२-१९१९)	८८
१०१. पत्र : मदनमोहन मालवीयको (८-२-१९१९)	८९
१०२. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (९-२-१९१९)	९०
१०३. प्रागजी देसाईको लिखे पत्रका अंश (९-२-१९१९)	९१



चौदह

१०४. पत्र : सर विलियम विन्सेंटको (१२-२-१९१९)	९२
१०५. पत्र : नरहरि परीखको (१३-२-१९१९)	९२
१०६. पत्र : ओ० एस० घाटेको (१६-२-१९१९)	९३
१०७. सन्देश : आश्रमवासियोंको (१७-२-१९१९)	९४
१०८. सन्देश : गोखले जयन्तीपर (१९-२-१९१९)	९६
१०९. पत्र : जे० एल० मैफीको (२०-२-१९१९)	९६
११०. पत्र : सी० विजयराघवाचारियरको (२३-२-१९१९)	९८
१११. पत्र : सौजा श्लेसिनको (२३-२-१९१९)	९९
११२. पत्र : देवदास गांधीको (२३-२-१९१९)	१०१
११३. पत्र : हरिलाल गांधीको (२३-२-१९१९)	१०३
११४. सत्याग्रह प्रतिज्ञा (२४-२-१९१९)	१०४
११५. तार : वाइसरायके निजी सचिवको (२४-२-१९१९)	१०५
११६. सत्याग्रह (२५-२-१९१९)	१०६
११७. तार : मदनमोहन मालवीयको (२५-२-१९१९)	१०६
११८. तार : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (२५-२-१९१९)	१०७
११९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (२५-२-१९१९)	१०७
१२०. पत्र : के० नटराजनको (२५-२-१९१९)	१०९
१२१. पत्र : सर स्टैनली रीडको (२५-२-१९१९)	११०
१२२. पत्र : सर दिनशा वाछाको (२५-२-१९१९)	११०
१२३. पत्र : अखबारोंको (२५-२-१९१९)	१११
१२४. रौलट विधेयकोंका सार (२६-२-१९१९से पूर्व)	११३
१२५. स्वयंसेवकोंके लिए हिदायतें (२६-२-१९१९)	१२२
१२६. पत्र : अखबारोंको (२६-२-१९१९)	१२४
१२७. पत्र : 'इंडियन सोशल रिफॉर्मर'को (२६-२-१९१९)	१२६
१२८. पत्र : अखबारोंको (२६-२-१९१९)	१२७
१२९. तार : सैयद हुसैनको (२-३-१९१९)	१२९
१३०. पत्र : देवदास गांधीको (५-३-१९१९ या उसके आसपास)	१२९
१३१. भाषण : रौलट विधेयकोंके सम्बन्धमें (७-३-१९१९)	१३०
१३२. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (८-३-१९१९)	१३१
१३३. भाषण : लखनऊमें सत्याग्रहपर (११-३-१९१९)	१३२
१३४. तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (११-३-१९१९)	१३३
१३५. तार : वाइसरायके निजी सचिवको (११-३-१९१९)	१३३
१३६. पत्र : जे० एल० मैफीको (११-३-१९१९)	१३४
१३७. भाषण : सत्याग्रहपर (११-३-१९१९)	१३५
१३८. सत्याग्रह सभाकी नियमावली (१२-३-१९१९)	१३६
१३९. पत्र : सर जेम्स डुबाउलेको (१२-३-१९१९)	१३८
१४०. तार : एच० एस० एल० पोलकको (१२-३-१९१९)	१३९



पन्द्रह

१४१. भाषण : रौलट विधेयकोंपर (१४-३-१९१९)	१४०
१४२. पत्र : मगनलाल गांधीको (१६-३-१९१९)	१४१
१४३. भाषण : मद्रासमें सत्याग्रहपर (१८-३-१९१९)	१४२
१४४. भाषण : मद्रास मजदूर-संघमें (१९-३-१९१९)	१४५
१४५. भाषण : मद्रासमें सत्याग्रहपर (२०-३-१९१९)	१४६
१४६. भाषण : मद्रासमें द्रामवे कर्मचारियोंकी सभामें (२१-३-१९१९)	१४८
१४७. पत्र : अखबारोंको (२३-३-१९१९)	१५०
१४८. पत्र : एनी बेसेंटको (२३-३-१९१९)	१५१
१४९. पत्र : सर एस० सुब्रह्मण्यम् अय्यरको (२३-३-१९१९)	१५२
१५०. महादेव देसाईके लिए हुए नोट (२३-३-१९१९)	१५२
१५१. भाषण : सत्याग्रह आन्दोलनपर (२४-३-१९१९)	१५३
१५२. तार : सत्याग्रह सभा, बम्बईको (२५-३-१९१९)	१५५
१५३. एक तार (२५-३-१९१९)	१५६
१५४. पत्र : ओ० एस० घाटेको (२५-३-१९१९)	१५६
१५५. भाषण : सत्याग्रह आन्दोलनपर (२५-३-१९१९)	१५७
१५६. भाषण : सत्याग्रह आन्दोलनपर (२६-३-१९१९)	१६१
१५७. भाषण : सत्याग्रह आन्दोलनपर तूतीकोरिनमें (२८-३-१९१९)	१६४
१५८. भाषण : नागापट्टनममें (२९-३-१९१९)	१६७
१५९. सन्देश : मद्रासकी सभाके लिए (३०-३-१९१९)	१७१
१६०. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (१-४-१९१९)	१७४
१६१. पत्र : एस्थर फैरिंगको (१-४-१९१९)	१७६
१६२. तार : एस० कस्तूरी रंगा आयंगरको (३-४-१९१९)	१७७
१६३. तार : स्वामी श्रद्धानन्दको (३-४-१९१९)	१७८
१६४. तार : बी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (३-४-१९१९)	१७८
१६५. तार : डॉक्टर एम० ए० अंसारीको (३-४-१९१९)	१७९
१६६. तार : राजेन्द्रप्रसादको (३-४-१९१९)	१७९
१६७. तार : मदनमोहन मालवीयको (३-४-१९१९ या उसके पश्चात्)	१७९
१६८. पत्र : अखबारोंको (३-४-१९१९)	१८०
१६९. पत्र : डॉक्टर एम० बी० वेलकरको (३-४-१९१९)	१८२
१७०. खूनी रविवार (४-४-१९१९)	१८२
१७१. प्रदर्शनकर्त्ताओंको हिदायतें (५-४-१९१९)	१८३
१७२. तार : राजेन्द्रप्रसादको (५-४-१९१९)	१८४
१७३. तार : स्वामी श्रद्धानन्दको (५-४-१९१९)	१८४
१७४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (५-४-१९१९)	१८५
१७५. पत्र : रवीन्द्रनाथ ठाकुरको (५-४-१९१९)	१८५
१७६. सन्देश : मद्रास-निवासियोंको (६-४-१९१९)	१८७
१७७. तार : स्वामी श्रद्धानन्दको (६-४-१९१९)	१८७



सोलह

१७८. पत्र : बी० जी० हॉर्निमैनको (६-४-१९१९)	१८८
१७९. भाषण : चौपाटी, बम्बईकी सभामें (६-४-१९१९)	१८९
१८०. भाषण : हिन्दू-मुस्लिम मैत्रीपर (६-४-१९१९)	१९४
१८१. भाषण : महिलाओंकी विरोध-सभामें (६-४-१९१९)	१९५
१८२. 'सत्याग्रही' - १ (७-४-१९१९)	१९६
१८३. सत्याग्रहियोंको हिदायतें (७-४-१९१९)	१९७
१८४. वक्तव्य : सत्याग्रह सभाकी ओरसे (७-४-१९१९)	१९८
१८५. तार : डॉ० सत्यपालको (७-४-१९१९)	२००
१८६. तार : एस० के० रुद्रको (७-४-१९१९)	२०१
१८७. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको (७-४-१९१९)	२०१
१८८. स्वदेशी-व्रत - १ (८-४-१९१९)	२०२
१८९. स्वदेशी-व्रत - २ (८-४-१९१९)	२०५
१९०. हिन्दू-मुस्लिम एकताका व्रत (८-४-१९१९)	२०८
१९१. तार : सी० आर० दासको (८-४-१९१९)	२१०
१९२. तार : स्वामी श्रद्धानन्दको (८-४-१९१९)	२११
१९३. तार : राजेन्द्रप्रसादको (८-४-१९१९)	२११
१९४. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको (८-४-१९१९)	२१२
१९५. पत्र : सर इब्राहीम रहीमतुल्लाको (८-४-१९१९)	२१३
१९६. तार : ओ० एस० घाटेको (९-४-१९१९)	२१३
१९७. सन्देश : देशभाइयोंके नाम (९-४-१९१९)	२१४
१९८. पंजाब सरकारकी पाबन्दीका उत्तर (१०-४-१९१९)	२१६
१९९. पत्र : एस्थर फौरिंगको (१०-४-१९१९)	२१६
२००. तार : स्वामी श्रद्धानन्दको (११-४-१९१९)	२१७
२०१. सत्याग्रह-माला - ३ (११-४-१९१९)	२१८
२०२. बम्बईके मुसलमानोंसे बातचीत (११-४-१९१९)	२२०
२०३. सत्याग्रहके सम्बन्धमें हिदायतें (१२-४-१९१९)	२२०
२०४. भेंट : समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे (१२-४-१९१९)	२२१
२०५. भाषण : वस्त्र-विक्रेताओंकी सभामें (१२-४-१९१९)	२२२
२०६. सन्देश : अहमदाबादकी जनताको (१३-४-१९१९)	२२३
२०७. 'सत्याग्रही' - २ (१४-४-१९१९)	२२४
२०८. पत्र : जी० ई० चैटफील्डको (१४-४-१९१९)	२२६
२०९. पत्र : जे० एल० मैफीको (१४-४-१९१९)	२२६
२१०. भाषण : अहमदाबादकी सार्वजनिक सभामें (१४-४-१९१९)	२२८
२११. पत्र : जी० ई० चैटफील्डको (१५-४-१९१९)	२३२
२१२. पत्र : जे० एल० मैफीको (१५-४-१९१९)	२३२
२१३. पत्र : सर इब्राहीम रहीमतुल्लाको (१५-४-१९१९)	२३३
२१४. पत्र : सर स्टैनली रीडको (१५-४-१९१९)	२३५



सत्रह

२१५. सत्याग्रह माला - ४ (१६-४-१९१९)	२३९
२१६. पत्र : जी० ई० चैटफील्डको (१६-४-१९१९)	२४२
२१७. पत्र : जी० ई० चैटफील्डको (१६-४-१९१९)	२४३
२१८. पत्र : एफ० जी० प्रैटको (१६-४-१९१९)	२४३
२१९. सत्याग्रह माला - ५ (१७-४-१९१९)	२४४
२२०. पत्र : स्वामी श्रद्धानन्दको (१७-४-१९१९)	२४५
२२१. भाषण : हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी बैठकमें (१८-४-१९१९ से पूर्व)	२४८
२२२. तार : जी० ए० नटसनको (१८-४-१९१९)	२५०
२२३. वक्तव्य : अखबारोंको (१८-४-१९१९)	२५१
२२४. प्रस्ताव : हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें (१९-४-१९१९)	२५३
२२५. अपील : हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें चन्देके लिए (२०-४-१९१९)	२५३
२२६. तार : वाइसरायके निजी-सचिवको (२१-४-१९१९)	२५४
२२७. पत्र : जी० ई० चैटफील्डको (२१-४-१९१९)	२५४
२२८. पत्र : गिलिस्पीको (२२-४-१९१९)	२५५
२२९. पत्र : जी० ई० चैटफील्डको (२४-४-१९१९)	२५५
२३०. पत्र : एफ० जी० प्रैटको (२४-४-१९१९)	२५६
२३१. सत्याग्रह माला - ६ (२५-४-१९१९)	२५६
२३२. भाषण : बम्बईमें (२५-४-१९१९)	२५८
२३३. पत्र : चन्द्रशंकर पंड्याको (२६-४-१९१९ के आसपास)	२५८
२३४. सत्याग्रह माला - ७ (२६-४-१९१९)	२५९
२३५. भाषण : मारवाड़ियोंकी सभामें (२७-४-१९१९)	२६१
२३६. सत्याग्रह माला - ८ (२८-४-१९१९)	२६३
२३७. सत्याग्रह माला - ९ (२८-४-१९१९)	२६५
२३८. तार : पुण्डलीकको (२८-४-१९१९)	२६६
२३९. पत्र : 'टाइम्स ऑफ इंडिया'को (२८-४-१९१९)	२६६
२४०. पत्र : जे० क्रिररको (२९-४-१९१९)	२६७
२४१. सत्याग्रह माला - १० (३०-४-१९१९)	२६८
२४२. पत्र : सर स्टैनली रीडको (३०-४-१९१९)	२७०
२४३. पत्र : एन० पी० कॉवीको (३०-४-१९१९)	२७०
२४४. पत्र : सिन्धके सत्याग्रहियोंके नाम (३०-४-१९१९)	२७१
२४५. पत्र : केरको (अप्रैल, १९१९)	२७२
२४६. सत्याग्रह माला - ११ (१-५-१९१९)	२७२
२४७. सत्याग्रह माला - १२ (२-५-१९१९)	२७४
२४८. सत्याग्रह माला - १३ (३-५-१९१९)	२७५
२४९. पत्र : जे० एम० विल्सनको (३-५-१९१९)	२७७
२५०. सत्याग्रह माला - १४ (४-५-१९१९)	२७८
२५१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (४-५-१९१९)	२७९

5063



DEC 1981



अठारह

२५२. पत्र : मौलाना अब्दुल बारीको (४-५-१९१९)	२८१
२५३. सत्याग्रह माला - १५ (५-५-१९१९)	२८१
२५४. पत्र : जे० एल० मैफीको (५-५-१९१९)	२८३
२५५. पत्र : जे० ए० गाइडरको (५-५-१९१९)	२८४
२५६. पत्र : मगनलाल गांधीको (५-५-१९१९)	२८५
२५७. पत्र : हरिलाल गांधीको (५-५-१९१९)	२८६
२५८. सत्याग्रह माला - १६ (६-५-१९१९)	२८७
२५९. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको (६-५-१९१९)	२८९
२६०. पत्र : निर्मलाको (६-५-१९१९)	२८९
२६१. भाषण : बम्बईकी सभामें (६-५-१९१९)	२९०
२६२. सत्याग्रह माला - १७ (७-५-१९१९)	२९४
२६३. अपील : बम्बईके नागरिकोंसे (७-५-१९१९)	२९५
२६४. पत्र : रावको (७-५-१९१९)	२९६
२६५. सत्याग्रह माला - १८ (८-५-१९१९)	२९६
२६६. पत्र : ओ० एस० घाटेको (८-५-१९१९)	२९८
२६७. भाषण : बम्बईकी महिला-सभामें (८-५-१९१९)	२९९
२६८. सत्याग्रह माला - १९ (९-५-१९१९)	३०१
२६९. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको (९-५-१९१९)	३०२
२७०. पत्र : डॉ० पॉवेलको (९-५-१९१९)	३०३
२७१. भाषण : खिलाफतके सम्बन्धमें (९-५-१९१९)	३०३
२७२. सत्याग्रह माला - २० (१०-५-१९१९)	३०७
२७३. तार : एस० के० रुद्रको (१०-५-१९१९)	३०८
२७४. पत्र : एनी बेसेंटको (१०-५-१९१९)	३०८
२७५. तार : जे० ए० गाइडरको (११-५-१९१९)	३१०
२७६. तार : सत्याग्रह आश्रम साबरमतीको (११-५-१९१९)	३१०
२७७. पत्र : जे० एल० मैफीको (११-५-१९१९)	३११
२७८. सत्याग्रह माला - २१ (१२-५-१९१९)	३१२
२७९. पत्र : रेवरेंड एम० वेल्स ब्रांचको (१२-५-१९१९)	३१३
२८०. स्वदेशी-व्रत (१३-५-१९१९)	३१४
२८१. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको (१४-५-१९१९)	३१७
२८२. पत्र : डॉक्टर एस० सुब्रह्मण्यम् अय्यरको (१४-५-१९१९)	३१८
२८३. सत्याग्रहपर टिप्पणी (१५-५-१९१९)	३१९
२८४. तार : वाइसरायके निजी सचिवको (१५-५-१९१९)	३१९
२८५. पत्र : जे० एल० मैफीको (१६-५-१९१९)	३२०
२८६. पत्र : साकरलाल दवेको (१९-५-१९१९)	३२१
२८७. पत्र : मणिबेन परीखको (१९-५-१९१९)	३२२
२८८. पत्र : सुरतके सत्याग्रहियोंको (२०-५-१९१९)	३२३



उत्तीस

२८९. सत्याग्रहियोंके सम्मेलनके बारेमें परिपत्र (२१-५-१९१९)	३२४
२९०. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको (२३-५-१९१९)	३२५
२९१. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको (२३-५-१९१९)	३२५
२९२. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको (२३-५-१९१९)	३२६
२९३. पत्र : अली भाइयोंको (२३-५-१९१९)	३२६
२९४. पत्र : एन० पी० काँवीको (२५-५-१९१९)	३२८
२९५. पत्र : कर्नल ट्यूकको (२५-५-१९१९)	३२९
२९६. पत्र : मगनलाल गांधीको (२६-५-१९१९)	३३०
२९७. भाषण : महिलाओंकी सभामें (२६-५-१९१९)	३३१
२९८. भाषण : सुरतकी सार्वजनिक सभामें (२६-५-१९१९)	३३५
२९९. प्राक्कथन : 'हिन्द स्वराज्य' के लिए (२८-५-१९१९)	३३९
३००. पत्र : एस्थर फौरिंगको (२८-५-१९१९)	३३९
३०१. पत्र : वालजी देसाईको (२८-५-१९१९)	३४०
३०२. अनौपचारिक सत्याग्रह सम्मेलनपर टिप्पणी (३०-५-१९१९)	३४१
३०३. पत्र : एस० आर० हिगनेलको (३०-५-१९१९)	३४२
३०४. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (३०-५-१९१९)	३४४
३०५. बाल गंगाधर तिलकका अभिनन्दन (३१-५-१९१९)	३४५
३०६. पत्र : रामदास गांधीको (१-६-१९१९)	३४६
३०७. पत्र : मगनलाल गांधीको (१-६-१९१९)	३४८
३०८. पत्र : मगनलाल गांधीको (१-६-१९१९ के बाद)	३४९
३०९. पत्र : सोंजा श्लेसिनको (२-६-१९१९)	३५०
३१०. भाषण : स्वदेशी-व्रतके सम्बन्धमें (४-६-१९१९)	३५१
३११. पत्र : अली बन्धुओंको (५-६-१९१९)	३५१
३१२. पत्र : एन० पी० काँवीको (५-६-१९१९)	३५३
३१३. पत्र : बी० जी० हॉर्निमैनको (६-६-१९१९)	३५३
३१४. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (६-६-१९१९)	३५४
३१५. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (६-६-१९१९)	३५५
३१६. पत्र : मगनलाल गांधीको (६-६-१९१९)	३५६
३१७. श्री एन्ड्र्यूजकी अपील (७-६-१९१९)	३५७
३१८. श्री हॉर्निमैन (७-६-१९१९)	३५८
३१९. पत्र : एक युवा पत्रकारको (७-६-१९१९)	३५९
३२०. पत्र : छगनलाल गांधीको (७-६-१९१९)	३६०
३२१. पत्र : मगनलाल गांधीको (७-६-१९१९)	३६१
३२२. पत्र : छगनलाल गांधीको (७-६-१९१९ के बाद)	३६३
३२३. पत्र : एस० आर० हिगनेलको (९-६-१९१९)	३६४
३२४. पत्र : एन० पी० काँवीको (९-६-१९१९ को या उसके बाद)	३६५
३२५. पत्र : एन० पी० काँवीको (९-६-१९१९ के बाद)	३६६



३२६. बाबू कालीनाथ राय (११-६-१९१९)	३६६
३२७. ज्ञापन : वाइसरायको (११-६-१९१९)	३७०
३२८. ज्ञापन : लॉर्ड चैम्सफोर्डको (११-६-१९१९)	३७२
३२९. कालीनाथ रायके मामलेके सम्बन्धमें परिपत्र (११-६-१९१९)	३७३
३३०. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (११-६-१९१९)	३७४
३३१. पत्र : एन० पी० कॉवीको (११-६-१९१९ के बाद)	३७४
३३२. पत्र : गिलिस्पीको (११-६-१९१९ के बाद)	३७५
३३३. पत्र : सत्याग्रह-समितिके मन्त्रियोंको (१२-६-१९१९)	३७५
३३४. पत्र : एस० टी० शैपर्डको (१२-६-१९१९)	३७६
३३५. पत्र : मगनलाल गांधीको (१२-६-१९१९)	३७७
३३६. पत्र : ई० डब्ल्यू० फ्रिचलीको (१३-६-१९१९)	३७८
३३७. पत्र : ई० एस० मॉण्टेग्युको (१४-६-१९१९)	३७८
३३८. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (१४-६-१९१९)	३८०
३३९. पत्र : मगनलाल गांधीको (१५-६-१९१९)	३८१
३४०. पत्र : गंगाबेनको (१५-६-१९१९)	३८२
३४१. पत्र : जफरुलमुल्क अलवीको (१५-६-१९१९के बाद)	३८३
३४२. स्वदेशी-व्रत (१६-६-१९१९)	३८३
३४३. डॉक्टर किचलूके मुकदमेके सम्बन्धमें गवाही (१६-६-१९१९)	३८६
३४४. भाषण : बम्बईमें स्वदेशीके सम्बन्धमें (१७-६-१९१९)	३८७
३४५. पत्र : एस० आर० हिगनेलको (१८-६-१९१९)	३८९
३४६. भाषण : बम्बईमें (१८-६-१९१९)	३९०
३४७. पत्र : दक्षिण आफ्रिकाकी एक महिला मित्रको (१८-६-१९१९ के बाद)	३९३
३४८. बी० जी० हॉर्निमैनका अभिनन्दन (१९-६-१९१९)	३९६
३४९. पत्र : ई० एल० सेलको (१९-६-१९१९)	३९७
३५०. भाषण : स्वदेशी-सभामें (१९-६-१९१९)	३९७
३५१. पत्र : सादिक अली खाँको (२३-६-१९१९)	३९८
३५२. तार : ई० एस० मॉण्टेग्युको (२४-६-१९१९)	३९९
३५३. भाषण : सत्याग्रह-सभामें (२४-६-१९१९)	४००
३५४. पत्र : जी० ए० नटेसनको (२५-६-१९१९)	४०१
३५५. पत्र : वाइसरायके निजी सचिवको (२६-६-१९१९)	४०२
३५६. पत्र : एस० आर० हिगनेलको (२६-६-१९१९)	४०३
३५७. पत्र : सर एन० जी० चन्दावरकरको (२६-६-१९१९)	४०४
३५८. तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (२७-६-१९१९)	४०५
३५९. तार : मदनमोहन मालवीयको (२७-६-१९१९)	४०५
३६०. पत्र : एस० आर० हिगनेलको (२७-६-१९१९)	४०६
३६१. पत्र : एस्थर फेरिंगको (२७-६-१९१९)	४०६
३६२. पत्र : गिलिस्पीको (२७-६-१९१९)	४०७



इक्कीस

३६३. पत्र : मुकजीको (२७-६-१९१९)	४०८
३६४. पत्र : एस० टी० शैपर्डको (२७-६-१९१९)	४०८
३६५. भाषण : सत्याग्रह-सभामें (२७-६-१९१९)	४०९
३६६. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (२७-६-१९१९)	४०९
३६७. पत्र : एस० आर० हिगनेलको (२८-६-१९१९)	४१०
३६८. पत्र : एम० ए० जिन्नाको (२८-६-१९१९)	४११
३६९. भाषण : बम्बईमें स्वदेशीपर (२८-६-१९१९)	४१३
३७०. भाषण : बम्बईकी सभामें स्वदेशीपर (२८-६-१९१९)	४१४
३७१. कपास-उद्योगपर प्रश्न (२९-६-१९१९ से पूर्व)	४१५
३७२. पत्र : मुहम्मद अलीको (२९-६-१९१९)	४१७
३७३. भाषण : अहमदाबादमें स्वदेशीपर (२९-६-१९१९)	४१८
३७४. भाषण : अहमदाबादमें (२९-६-१९१९)	४२२
३७५. सत्याग्रहियोंको हिदायतें (३०-६-१९१९)	४२४
३७६. सन्देश (३०-६-१९१९के लगभग)	४३०
३७७. पत्र : डी० हीलीको (३०-६-१९१९)	४३१
३७८. तार (जून १९१९)	४३२
३७९. पत्र : ई० डब्ल्यू० फ्रिचलीको (जून १९१९)	४३२
३८०. 'नवजीवन' साप्ताहिक (जुलाई १९१९)	४३३
३८१. स्वदेशी सभाके नियम (१-७-१९१९ के पूर्व)	४३४
३८२. भावी योजनाओंके सम्बन्धमें लिखित वक्तव्य (१-७-१९१९)	४३७
३८३. पत्र : एस० टी० शैपर्डको (२-७-१९१९)	४३९
३८४. पत्र : सर जहाँगीर पेटिटको (२-७-१९१९)	४३९
३८५. पत्र : अखबारोंको दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नपर (३-७-१९१९)	४४०
३८६. पत्र : सर जॉर्ज बार्न्सको (३-७-१९१९)	४४१
३८७. पत्र : आर० बी० यूबैंकको (३-७-१९१९)	४४२
३८८. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (३-७-१९१९)	४४३
३८९. पत्र : छगनलाल गांधीको (३-७-१९१९)	४४४
३९०. भाषण : बम्बईमें स्वदेशीपर (४-७-१९१९)	४४५
३९१. स्मट्स-गांधी समझौता (५-७-१९१९)	४४६
३९२. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको (५-७-१९१९)	४४८
३९३. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (५-७-१९१९)	४४९
३९४. सत्याग्रहियोंका कर्तव्य (६-७-१९१९)	४५०
३९५. भाषण : नडियादकी महिला-सभामें स्वदेशीपर (६-७-१९१९)	४५४
३९६. पत्र : बम्बईके गवर्नरके निजी सचिवको (८-७-१९१९ या उसके बाद)	४५९
३९७. लाला राधाकृष्णका मुकदमा (१२-७-१९१९)	४५९
३९८. पत्र : पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नरके निजी सचिवको (१२-७-१९१९)	४६३



बाईस

३९९. पत्र : सुन्दरलालको (१२-७-१९१९)	४६४
४००. भाषण : स्वदेशीपर (१२-७-१९१९)	४६४
४०१. भाषण : पूनाकी सभामें स्वदेशीपर (१२-७-१९१९)	४६७
४०२. पत्र : छगनलाल गांधीको (१३-७-१९१९)	४६९
४०३. भाषण : बम्बईमें दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंपर (१३-७-१९१९)	४७०
४०४. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको (१४-७-१९१९)	४७३
४०५. पत्र : आर० पी० परांजपेको (१४-७-१९१९)	४७४
४०६. पत्र : डी० एन० नगरकट्टीको (१४-७-१९१९)	४७५
४०७. पत्र : छगनलाल गांधीको (१४-७-१९१९)	४७६
४०८. पत्र : मामा फडकेको (१५-७-१९१९)	४७६
४०९. आचार्य परांजपेकी आलोचनापर टिप्पणी (१६-७-१९१९)	४७७
४१०. पत्र : मगनलाल गांधीको (१६-७-१९१९)	४७८
४११. पत्र : ए० एच० वेस्टको (१७-७-१९१९)	४७८
४१२. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको (१८-७-१९१९)	४८१
४१३. पत्र : छगनलाल गांधीको (१८-७-१९१९)	४८२
४१४. भाषण : गांधी-स्मट्स समझौतेपर (१८-७-१९१९)	४८२
४१५. पत्र : अखबारोंको (२१-७-१९१९)	४८३
४१६. पत्र : छोटालाल तेजपालको (२२-७-१९१९)	४८७
४१७. लाहौरका फैसला (२३-७-१९१९)	४८७
४१८. प्रमाणपत्र : ए० वेंकटरमणको (२४-७-१९१९)	४९२
४१९. पत्र : सर जॉर्ज ब्रान्जको (२६-७-१९१९)	४९३
४२०. पत्र : कल्याणजी मेहताको (२६-७-१९१९)	४९६
४२१. सत्याग्रह राजद्रोह नहीं है (२७-७-१९१९)	४९७
४२२. तार : पोलक आदिको (२८-७-१९१९)	५००
४२३. भाषण : सूरतमें (२८-७-१९१९)	५०१
४२४. भाषण : स्वदेशी भंडारके उद्घाटन समारोहमें (२८-७-१९१९)	५०१
४२५. भाषण : सूरतमें स्वदेशीपर (२८-७-१९१९)	५०३
४२६. जगन्नाथका मामला (३०-७-१९१९)	५०८
४२७. पत्र : लेफ्टिनेंट गवर्नरके निजी सचिवको (३०-७-१९१९ को या उसके बाद)	५११
<b>अवशिष्ट सामग्री</b>	
४२८. गोखलेका सेवा-मंत्र (२७-१-१९१९)	५१२
४२९. पत्र : एन० पी० काँवीको (२२-६-१९१९)	५१४
४३०. पत्र : एन० पी० काँवीको (२९-६-१९१९)	५१५
४३१. पत्र : आर० बी० यूबैंकको (१२-७-१९१९ के बाद)	५१५
४३२. पत्र : एस० आर० हिगनेलको (२१-७-१९१९)	५१६
४३३. पत्र : एस० आर० हिगनेलको (२७-७-१९१९)	५१६



## तेईस

### परिशिष्ट

१. गांधीजीके नाम रवीन्द्रनाथ ठाकुरका पत्र	५१८
२. सत्याग्रह पुस्तिका संख्या - १	५२०
३. सत्याग्रहपर प्रश्न	५२७
४. गांधीजीके नाम स्वदेशीके सम्बन्धमें सर स्टैनली रीडका पत्र	५२९
५. गांधीजीके साथ हुई भेंटपर अहमदाबादके जिलाधीशका नोट	५३०
६. गांधीजीके नाम रेवरेंड वेल्स ब्रांचका पत्र	५३२
सामग्रीके साधन-सूत्र	५३३
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त	५३५
शीर्षक सांकेतिका	५४९
सांकेतिका	५५३

### चित्र-सूची

शान्तिपूर्ण हड़ताल : बम्बईका आदर्श

मुखचित्र







## १. भाषण : सूरतमें

अगस्त १, १९१८

मैं आज सूरतमें भाषण देने नहीं, बल्कि अडाजन आया था। जैसा कि आपने समाचारपत्रोंमें पढ़ा होगा मेरे एक खास मित्र श्री सोराबजी शापुरजी [अडाजानिया] का, जो दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रह-संघर्षमें मेरे साथ थे, देहावसान हो गया है। मैं [अडाजन] में उनकी पत्नीसे मिलने और शोक प्रकट करनेके लिए आया था। इस बीच [लोगोंने] मुझसे भाषण देनेका अनुरोध किया और फलस्वरूप आज यह अवसर मिला है। आप जानते हैं कि समस्त हिन्दुस्तानमें 'स्वराज्य' शब्दकी ध्वनि गूँज रही है। श्री मॉण्टेग्युकी राजनीतिक सुधारोंसे सम्बन्धित योजना प्रकाशित हो गई है और उसके विषयमें लोगोंमें मतभेद जारी है। समाचारपत्र भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। यह योजना अंशतः अच्छी है और अंशतः विचित्र है और इस सम्बन्धमें मैं अपनी राय जाहिर कर चुका हूँ। इसमें हम जो सुधार करवाना चाहते हैं, उसके लिए आग्रह करनेकी आवश्यकता है। अगर हमने अनेक वस्तुओंकी माँग की हो और उनमें से जो मिल जाये उसीसे सन्तुष्ट होकर बैठ रहें तो कहा जायेगा कि हम अपनी माँगोंके प्रति अधिक उत्सुक नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि स्वराज्यके सिलसिलेमें हमें जो भी माँगना हो, वह हमें अपना अधिकार समझकर माँगना चाहिए और उसके लिए मृत्युपर्यन्त संघर्ष करना चाहिए, और साथ ही सरकारके पक्षमें रहते हुए उसकी मदद करनी चाहिए। मतलब यह कि वर्तमान महायुद्धमें, फ्रांस और मैसोपोटेमिया आदिमें हमें अपने आदमी भेजने चाहिए। जबतक हम [युद्धके लिए की जानेवाली] भरतीमें शामिल नहीं होते तबतक हम स्वराज्यकी माँग नहीं कर सकते। कर्तव्यका पालन किये बिना फलकी आशा रखना व्यर्थ है। गुजरातमें और खासकर सूरतमें इस विषयपर भाषण देना बहुत मुश्किल है; कारण [मालूम होता है,] सूरतकी जनताको न तो इसके सम्बन्धमें कुछ विचार करना है और न किसी निष्कर्षपर पहुँचना है। आजकी उपस्थितिसे ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस विषयपर अपनी राय पहलेसे ही कायम कर ली है। जो जनता स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए आतुर है उसका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह इन भाषणोंको एकाग्र मनसे और विनयपूर्वक सुने और इनमें से जो उचित लगे उसे ग्रहण करे तथा जो अनुचित लगे उसे छोड़ दे। जबतक लोगोंमें यह गुण नहीं आ जाता तबतक वे स्वराज्य भोगनेके तो क्या माँगनेके भी योग्य नहीं हैं। ३० करोड़की पूरी आबादी भाषण सुननेके लिए नहीं जा सकती। लेकिन उन सबको समाचारपत्र पढ़ने चाहिए और उनमें से जो उचित लगे, वह ग्रहण करना चाहिए।

१. देखिए खण्ड १४, "तार : मिली ग्राहम पोलकको", २९-७-१९१८।

२. यह जुलाई ८, १९१८ को प्रकाशित हुई थी।



स्वराज्य प्राप्त करनेके विषयमें मैं पिछड़े विचारोंका व्यक्ति नहीं हूँ बल्कि एक प्रचण्ड योद्धा हूँ। यदि हम साम्राज्यमें समान अधिकारोंकी माँग करते हैं तो हमें उसको वर्तमान संकटसे उबारना चाहिए और तभी हम समान हिस्सा लेने योग्य माने जायेंगे। एक पक्ष यह कहता है कि पहले हमें स्वराज्यका अधिकार, सेनामें तथा अन्यत्र समान अधिकार दिये जायें तभी हम ब्रिटिश सरकारकी मदद करेंगे। यह पक्ष एकदम उपेक्षाके योग्य नहीं है। लेकिन उनकी माँगमें त्रुटि यह है कि साम्राज्य [आपकी] मददके लिए बैठा नहीं रहा है। फिलहाल हमारे साथ उसका सम्बन्ध, स्वामी और दास तथा राजा और प्रजाका है। उस सम्बन्धको बदलकर वे हमें अपना हिस्सेदार बनायें यह उनकी अपनी इच्छा-पर निर्भर करता है। तब, कल्पना करो, साम्राज्य हमें साझीदार नहीं बनाना चाहता; तो हम उसके सम्मुख क्या शर्तें रखेंगे? कुछ लोगोंका अनुमान है कि जब साम्राज्य-पर और विपत्ति आयेगी तब वह हमारी समस्त शर्तोंको स्वीकार कर लेगा और उसके बाद हम मदद करेंगे। लेकिन वैसा करनेमें हम भारी जोखिम उठाते हैं। हमें तो यह कामना करनी चाहिए कि उसपर कभी ऐसी विपत्ति न आये। हम साम्राज्यको सहायता देनेके अवसरकी तलाशमें थे, वह हमें मिल गया है। इसलिए हमें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस समय मैं सारे भारतवर्षका दौरा कर रहा हूँ। और मैंने जो अपनी आँखोंसे देखा है उसके आधारपर कहता हूँ कि हिन्दुस्तानकी लड़नेकी शक्ति बिलकुल नष्ट हो गई है। उसमें रत्ती-भर भी बल नहीं है। यदि किसी गाँवमें एक बाघ आ जाये, तो गाँववालोंमें उसे मारनेकी भी शक्ति नहीं है, जिससे बाघको मार देनेके लिए वे कलक्टरसे प्रार्थना करते हैं। डाकू आदि आयें तो उनको भी मार भगानेकी शक्ति गाँववालोंमें नहीं है। जो लोग अपना बचाव करनेमें समर्थ नहीं हैं क्या वे स्वराज्य भोग सकेंगे? स्वराज्य वकीलों और डॉक्टरोंके लिए नहीं बल्कि उन लोगोंके लिए है जिनके पास बाहुबल है। जो लोग अपने शरीर और स्त्री-बच्चोंकी, पशुओं और जमीनोंकी रक्षा नहीं कर सकते, वे स्वराज्य कैसे भोग सकते हैं? हमारे देशके लोगोंकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई और इसके लिए कौन उत्तरदायी है, फिलहाल उसपर विचार करनेकी नहीं अपितु उसका हल ढूँढ़ निकालनेकी आवश्यकता है। जब लोग तन्दुरुस्त और शमशेर-बहादुर बनेंगे तब हमें स्वराज्य स्वयमेव मिल जायेगा। जो प्रजा अपना बल खो बैठी है वह अपने धर्मकी रक्षा कैसे कर सकती है? पिछले तीन महीनोंके अनुभवसे मैं जान पाया हूँ कि एक तो हम लोग बहुत डरपोक हैं। जो प्रजा एक गिलहरी तक से डरती है उसे स्वराज्य प्राप्त करनेकी कल्पना न करके अपनी स्थिति सुधारनेके सम्बन्धमें विचार करना चाहिए। हमने लड़नेकी जो शक्ति खो दी है उसे [पुनः] प्राप्त करनेके लिए हमें अमूल्य अवसर मिला है। उसे हमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जिस प्रजाको किलेकी दिशाका भान नहीं है, तोप कैसे चलानी चाहिए इसका ज्ञान नहीं है, बचावके लिए सरहदपर नाकाबन्दी करनेके सम्बन्धमें कुछ पता नहीं है, — वह प्रजा यदि यह सब-कुछ जानना चाहती है तो हमें पाँच लाख व्यक्तियोंको सेनामें भरती करनेका जो अत्युत्तम अवसर मिला है उसे कदापि नहीं खोना चाहिए। यह माननेकी जरूरत नहीं कि हम सरकारकी मदद कर रहे हैं; हमें यह मानना चाहिए कि हम इस अवसरका उपयोग सैनिक बल प्राप्त करने और उसका प्रशिक्षण लेनेके लिए



ही कर रहे हैं। यदि आप इस अमूल्य अवसरको गँवा देंगे तो पछतायेंगे। श्री तिलक<sup>१</sup> कहते हैं कि बिना शर्तके युद्धमें शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन श्री तिलक आपके लिए जितने पूज्य हैं उससे कहीं अधिक मैं उनको पूज्य मानता हूँ। उनको जितना आदर-सम्मान दिया जाये उतना कम है। यदि [एकबार] ५ लाख व्यक्ति लड़ाईपर चले गये और बादमें उन्हें सेनामें ऊँचे ओहदोंपर नियुक्त नहीं किया गया तो देश-भरमें विद्रोह हो जायेगा और खूनकी नदियाँ बह निकलेंगी। अभी श्री तिलकके कथन-पर विचार करनेका समय नहीं है। हम [युद्धमें] जो सेवाएँ अर्पित करेंगे उनमें ही उनकी शंकाका समाधान छिपा हुआ है। जिन पाँच लाख व्यक्तियोंकी सेनाको हम तैयार करके युद्धमें भेजेंगे वे स्वराज्यकी भावनासे ही जायेंगे। वे वापस आयेंगे तो उन्हें तो स्वराज्य अवश्य मिलेगा। इन पाँच लाख व्यक्तियोंने सैनिक-अनुशासनका प्रशिक्षण लिया होगा तो अन्य पाँच लाख लोगोंको प्रेरणा मिलेगी। और इसलिए रंगरूटोंकी भरतीमें माता-पिताओंको देश-प्रेमकी बात समझानी चाहिए। मैं उन्हें यही समझाता हूँ। अमेरिका प्रति-मास तीन लाख [व्यक्तियों] की मदद देता है और यदि हम न देंगे तो हम अपने हक खो बैठेंगे। इसलिए मैं आपसे बार-बार प्रार्थना करता हूँ कि यदि यह वस्तु एक बार हमारे हाथमें आकर जाती रही तो बादमें दूसरी वस्तु [स्वराज्य] प्राप्त करनेका अवसर नहीं मिलेगा। मैं जो आपसे कह रहा हूँ उसपर मनन करें और यदि उचित लगे तो बलिदानके लिए आगे आयें। किन्तु यदि आप श्री तिलककी तरह शर्तें पेश करेंगे तो मुझे बिलकुल बुरा नहीं लगेगा। इतना कहकर मैं बैठनेकी इजाजत चाहता हूँ।

[ गुजरातीसे ]

गुजरात मित्र अने गुजरात दर्पण, ४-८-१९१८

## २. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

अगस्त ६, १९१८

प्रिय चार्ली,<sup>२</sup>

इस बार मैं भलमनसाहतसे काम लूँगा अर्थात् तन्दुरुस्तीके मामलेमें ईश्वर और मनुष्यके नियम तोड़नेका आरोप तुमपर नहीं लगाऊँगा। किन्तु इसमें शक नहीं कि तुम्हारे लिए एक अभिभावक, जिसे आम तौरपर नर्स कहते हैं, की जरूरत है। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि वह पद मैं ले लूँ। मेरे जैसी नर्स, जो तुमपर प्रेम रखे और साथ ही डॉक्टरोंकी आज्ञाओंका सख्तीसे पालन कराये, तुम्हें कोई न मिल सके तो तुम्हें ऐसी पत्नीकी जरूरत है, जो इस बातका ध्यान रखे कि तुमको भोजन अच्छी

१. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (१८५६-१९२०); देशभक्त, राजनीतिज्ञ और विद्वान्; देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१८।

२. (१८७१-१९४०); ब्रिटिश मिशनरी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गांधीजीके सहयोगी, "दीनबन्धु"के नामसे प्रसिद्ध।



तरह मिलता रहे, तुम पेड़पर पट्टी बाँधे जिना कभी बाहर न निकलो और सगे-सम्बन्धियोंकी बीमारीके समाचारोंसे भी बहुत अधिक चिन्तित न रह पाओ। लेकिन चूँकि तुम्हारी विवाहकी उम्र शायद निकल चुकी है और मैं खुद तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लिए नाराज होना ही बाकी रह जाता है। किन्तु नाराज होनेसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करना अच्छा है, और यही मैं करूँगा। अगर ईश्वरकी इच्छा हुई तो वह तुम्हें भला-चंगा रखेगा, ताकि तुम सशक्त रहकर उसके गुणगान कर सको।

मेरे कामका ढर्रा ठीक बैठता जा रहा है और अब ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई नया काम हाथमें लिया है। सम्बन्धित फुटकर प्रश्नोंसे परेशानी तो जरूर होती है, परन्तु मैं अब उनकी चिन्ता करना छोड़ दूँगा। फिलहाल उनसे तत्काल निपटनेकी जरूरत भी सामने नहीं है। मेरे जीवनका ढंग, यह कभी रहा ही नहीं। किस कामका क्या परिणाम हो सकता है इसकी तमाम तफसीलको ठोक-बजाकर देखना मैं पसन्द नहीं करता। मैं तो प्राप्त कर्मको हाथमें ले लेता हूँ और सो भी डरते-डरते। मैंने चम्पारन, खेड़ा या अहमदाबादमें सम्भावनाओंका हिसाब नहीं बैठाया था, और न १९१४ में युद्धके लिए अपनी सेवाएँ बिना शर्त अर्पित करते समय ही। मेरी समझमें तो मैंने किसी अन्य बातका नहीं, उसीकी इच्छाका अनुसरण किया था। वही मुझे घिरते हुए अन्धकारमें से रास्ता दिखाकर पार ले जायेगा।

यह जानकर कि गुरुदेवने<sup>१</sup> खुद बच्चोंको पढ़ानेका काम हाथमें ले लिया है, मेरा हृदय आनन्दसे उमड़ रहा है। मेरे खयालसे यह काम उनके अमेरिका जानेसे कहीं अधिक महत्त्वका है। तुम भी उनके इस काममें हिस्सा लो, इससे भी मुझे उतना ही आनन्द होता है। ईश्वर तुम दोनोंको भला-चंगा रखे।

बड़ोदादासे<sup>२</sup> मेरे प्रणाम कहना।

सस्नेह,

तुम्हारा,  
मोहन

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर।

२. द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर; रवीन्द्रनाथ ठाकुरके सबसे बड़े भाई।



### ३. पत्र : ओ० एस० घाटेको

अगस्त ६, १९१८

प्रिय श्री घाटे,<sup>१</sup>

माताजी<sup>२</sup> और अपने मित्रोंको विश्वास दिला दीजिए कि जल्द ही रिहाई कराने-के लिए मैं एक भी उपाय बाकी नहीं रखूंगा; किन्तु रिहाई हर तरह सम्मानपूर्ण होनी चाहिए। मौलाना मुहम्मद अलीकी<sup>३</sup> बीमारीका सारा हाल मुझे मालूम है। इसी कारण मैं चाहता हूँ कि रिहाई जल्दी हो जाये, चाहे इसी बिनापर हो। परन्तु इस हद तक अर्जियाँ देते रहना, जिससे हमारा सम्मान न रहे, मुझे पसन्द नहीं।

मैं मानकर चला हूँ कि सर विलियम विन्सेंटके<sup>४</sup> साथ मेरे पत्र-व्यवहारकी नकलें शुएबकी<sup>५</sup> मारफत उनको यथासमय मिल जायेंगी। सर विलियम उनकी जाँचके लिए न्यायाधिकरण नियुक्त करनेकी बात करते हैं। उसका बहिष्कार करनेका मेरा विचार नहीं है। सारे देशमें एक बड़ा आन्दोलन खड़ा कर देनेसे पहले मैं सरकारको उचित और शोभास्पद तरीकेसे अपना कदम वापस लेनेका पूरा अवसर देना चाहता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि अगर अली भाइयोंको बुलाया गया, तो वे समितिके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन अगर आन्दोलन चलाना आवश्यक ही हो जायेगा, तो उसे शुरू करनेसे पहले मैं माताजीसे जरूर मिल लूँगा। मेरा खयाल है कि वे यही चाहती हैं। . . .<sup>६</sup>

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. अलो बन्धुओंके वकील।
२. मुहम्मद अली और शौकत अलीकी माताजी।
३. शौकत अलीके छोटे भाई और साप्ताहिक कामरेडके सम्पादक। सरकारने प्रथम विश्वयुद्ध शुरू होनेके तुरन्त बाद दोनों भाइयोंको नजरबन्द कर लिया था।
४. भारत सरकारके गृह-मन्त्री।
५. शुएब कुरैशी; न्यू एराके सम्पादक।
६. यहाँ महादेव देसाईने कुछ शब्द छोड़ दिये हैं।



## ४. पत्र : देवको

अगस्त ६, १९१८

प्रिय श्री देव,<sup>१</sup>

आपसी फूटके खतरेसे सम्बन्धित आपका प्रस्ताव<sup>२</sup> मुझे मिल गया है। मेरा यह निश्चित विचार है कि हम अस्वाभाविक और यान्त्रिक एकताको जरूरतसे ज्यादा महत्त्व दे रहे हैं। अगर हममें दो अलग-अलग निश्चित दल हों और राजनैतिक मामलोंमें वे साफ तौरपर अलग-अलग राय रखते हों, तो उनके दो बिलकुल अलग-अलग मंच भी क्यों न हों? हर एक दल अपनी-अपनी नीति देशके सामने पेश कर सकता है। लोगोंको उससे लाभ ही होगा। एकसे दूसरा अधिक बलवान् हो जाये तो उससे स्वराज्यके आनेमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी। यदि एक भी दल कमजोर हो और अपने उद्देश्यकी दिशामें पूरी तरह उन्मुख न हुआ हो तो हमें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा और वह उचित ही होगा। इसका उपाय यही है कि दोनों पक्ष बलवान् और दृढ़ बनें। आजकल हम लोगोंमें बहुत पाखण्ड फैला हुआ है। इससे लोग भ्रष्ट बन जाते हैं। दलोंमें दिखावटी सुलहसे कोई धोखेमें नहीं आ सकता।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## ५. पत्र : सन्तोक गांधीको

[ सूरत ]

अगस्त ६, १९१८

चि० सन्तोक,<sup>३</sup>

रुखी<sup>४</sup> बार-बार क्यों बीमार पड़ती रहती है? मैं जानता हूँ, वह जन्मसे ही दुर्बल है। किन्तु इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी सार-सँभाल ज्यादा रखनी चाहिए। बच्चोंका पालन-पोषण करना एक बड़ी कला है। इसमें माता-पिताको कठिन व्रतोंका पालन करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि यह-सब करके भी तुम बच्चोंको अच्छा बनाओ। मैं कह

१. भारत सेवक समाज [ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ] के मन्त्री डॉ० एच० एस० देवके भाई।

२. धुलियामें स्वीकृत कांग्रेसकी फूटकी भर्त्सनाका प्रस्ताव।

३. मगनलाल गांधीकी पत्नी।

४. मगनलाल गांधीकी पुत्री।



चुका हूँ कि यदि तुम्हें हल्दीके अभावके कारण दोष दिखाई देता हो, तो तुम खुराकमें हल्दीका उपयोग कर सकती हो। चाहो तो अकेली रुखीके लिए हल्दी डालकर भोजन बनाओ। ऐसा करके भी यदि उसका स्वास्थ्य सुधार सको, तो हम दूसरोंको भी हल्दी देंगे। मेरी इच्छा है कि अगर तुम भोजनमें हल्दीके सिवा कुछ-और भी शुरू करके बच्चोंके स्वास्थ्यको सुधार सको, तो सुधारो। मेरा अपना यह खयाल है कि रुखी जबतक बीमार नहीं पड़ जाती तबतक गरिष्ठ चीजें खाती रहती है। इससे उसके पेटपर अधिक बोझ पड़ता है और वह बीमार हो जाती है। वह अच्छी हो जाये, तब उसे मुख्यतः दूध, चावल और शाकपर रखना, इससे सम्भवतः वह पूरी तरह ठीक हो जायेगी। मेरी मान्यता तो यह है कि अभी कुछ समय तक वह रोटी नहीं पचा सकेगी, फिर तुम्हें जो अनुभव हुआ हो, सो ठीक है। मेरी तो यह आकांक्षा है कि तुम किसी भी उपायसे उसके शरीरको वज्रके समान सुदृढ़ बना दो।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

## ६. पत्र : डॉ० प्राणजीवन मेहताको

अगस्त ६, १९१८

भाईश्री प्राणजीवन,<sup>१</sup>

आपका चेचकके बारेमें लिखा लेख आज पढ़ना शुरू किया। अभी कुछ पढ़ना बाकी है। लेख बहुत लम्बा है। उसमें एक ही बात बार-बार आती है। सच पूछा जाये, तो यह लेख संदर्भसे बाहर भी समझा जा सकता है। इतना होनेपर भी आपने लेखपर खूब मेहनत की है और वह महत्त्वपूर्ण है। चेचकके टीकेके सम्बन्धमें अन्धविश्वासपूर्ण आग्रहके कारण कितने बच्चोंकी बलि दी जाती होगी, इसका आपने एक अच्छा नमूना पेश किया है। किन्तु आप इससे भी अधिक अच्छा उदाहरण दे सकते थे। शीतलाकी एक देवी मर गई है और उसकी जगह दूसरी परन्तु भयंकर देवीने ले ली है। आपके लेखको पुस्तकाकार छपवाने और प्रत्येक नगरपालिकामें बाँटनेकी जरूरत है। यदि आप इस लेखको अधिक लोकोपयोगी बनानेके खयालसे संक्षिप्त कर दें या इसके साथ संक्षेपमें एक दूसरा लेख लिख दें और मुझे उसको छपवानेकी इजाजत दे दें तो मेरी इच्छा उसका प्रचार करनेकी है। यदि आप एक छोटा स्वतन्त्र गुजराती लेख लिखें, तो हम

१. डॉ० प्राणजीवन मेहता; एम० डी०, बार-एट-ला और जौहरी; उनका और गांधीजीका साथ उसी समयसे शुरू हुआ जब विद्यार्थिके रूपमें गांधीजीके लन्दन पहुँचनेपर उन्होंने उनका स्वागत किया था। फीनिक्सकी स्थापनाके समयसे लेकर अपनी मृत्यु-पर्यन्त (सन् १९३३) वे गांधीजीके कार्योंमें आर्थिक सहायता देते रहे।



उसे भी छपवाकर उसका प्रचार कर सकते हैं। मैं इसे आज या कल पूरा पढ़ लूँगा। लेकिन मेरा खयाल है, यह सुझाव तुरन्त देना चाहिए, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ।

मुझे अभी एकदम थोड़ी प्रतियाँ भेज दें। मैं उन्हें कुछ डॉक्टरोंको भेजकर उसके सम्बन्धमें उनकी राय जानना चाहता हूँ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

### ७. पत्र : रामनन्दनको

अगस्त ६, १९१८<sup>१</sup>

चि० रामनन्दन,<sup>२</sup>

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे खाते रखकर तुमको मैं जानेका खर्च दे सकता हूँ। भरतीमें जानेके समय मैं अधिकारियोंके पाससे ले सकूँगा, तो आनेका पैसा भेजूँगा। जबतक भरतीमें जानेका नहीं होगा, तबतक तुमको मैं वापस नहीं बुला सकूँगा। भाई श्यामजीके बारेमें क्या बात हुई, वह तुमने सुनी थी। तुम्हारी मुसाफिरीका बोझा आश्रम-पर डालना अनुचित है। तुम्हारी आकांक्षा मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है कि जो गृहस्थका सम्बन्ध रखना चाहते हैं, उनको आश्रममें लेना ही नहीं चाहिए। तुमको मना करना योग्य नहीं लगता, तुमको खर्च देना भी योग्य नहीं लगता—ऐसा धर्म-संकट मेरे ऊपर है। तुम ही मुझे छोड़ा सकते हो। यदि उपर्युक्त तरहसे जाना चाहो तो इस पत्रको फूलचन्दभाईको<sup>३</sup> बतलाओ। वे तुमको जानेका खर्च देंगे।

महादेवभाईकी डायरी, खण्ड १

### ८. पत्र : हनुमन्तरावको

अगस्त ७, १९१८

प्रिय हनुमन्तराव,<sup>४</sup>

तुम्हारी तबीयतका हाल जानकर अफसोस हुआ। मेरी समझमें सबसे बड़ी कसर तो व्यायामकी है। जब श्रम काफी न हो तब खुराक हल्की लेनी चाहिए और उसमें नाइट्रोजन और चिकने पदार्थ बिलकुल नहीं होने चाहिए। निश्चय ही गेहूँ, फल, चावल, और साग-भाजी खानेसे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनसे काफी शक्ति न मिले तो जरूरत

१. महादेवभाईनी डायरीमें दी गई तिथि।

२. सावरमती आश्रमके एक सदस्य।

३. फूलचन्द कस्तूरचंद शाह (१८८४-१९३४); गुजरातके एक राजनीतिज्ञ और रचनात्मक कार्यकर्ता।

४. भारत सेवक समाज [सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी]के सदस्य।



पढ़नेपर बादमें इनके साथ दालें भी मिला ली जायें; मूंगफली भी। क्या तुम बंगलौर या नीलगिरी नहीं जा सकते? अगर जा सको, तो वहाँकी स्फूर्तिदायक जलवायुसे तुम जल्दी ही सँभल जाओगे। स्नानके उपचारों और मानसिक विश्रामसे तुम्हें कुछ फायदा तो होगा, किन्तु केवल इसीसे तुम अपना पहलेवाला शरीर नहीं पा सकोगे। तुम्हें तो पहले भी अच्छा होना चाहिए।

देवदास कहता है कि तुम उसपर बहुत प्रेम रखते हो। तुम चले जाओगे, तो उसे सूना-सूना लगेगा। दूसरी कोई पढ़नेकी सामग्रीके बजाय तुम साथमें एकाध हिन्दी पुस्तक ले जाना।

तुम जहाँ भी जाओ, वहाँ पहुँचनेपर मुझे लिखना।

हृदयसे तुम्हारा,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## ९. पत्र : शंकरलाल बैंकरको<sup>१</sup>

अगस्त ७, १९१८

पूज्य बहनके<sup>२</sup> नाम भजा हुआ आपका तार पढ़ा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इतनी चिन्ता न करें। मेरे प्रति आपके प्रेमके कारण ही ऐसे उद्गार निकलते हैं। मैं [ कांग्रेसमें ] चाहे आऊँ, चाहे न आऊँ दोनों बातोंका कारण केवल देशहित ही होगा। यह तो हो ही नहीं सकता कि मैं रोषके कारण न आऊँ। यदि मुझे ऐसा जान पड़े कि मेरे न आनेसे अधिक देश-सेवा होगी, तो भी क्या आप यही कहेंगे कि मुझे आना ही चाहिए?

मोहनदासके वन्देमातरम

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

१. यंग इंडियाके प्रकाशक; अहमदाबादकी कपड़ा-मिलोंकी हड़तालके दौरान गांधीजीके निकट सम्पर्कमें आये; १९२२में गांधीजीके साथ जेल गये।

२. अनसूयाबेन।



## १०. पत्र : जी० ए० नटेसनको

अगस्त ९, १९१८

प्रिय श्री नटेसन,<sup>१</sup>

देवदासकी बीमारीके दौरान उसकी देखभाल करनेके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिये। देवदासका इतना अधिक ध्यान रखनेके लिए कृपया डॉ० कृष्णस्वामीको भी मेरी ओरसे धन्यवाद दें।

आप जब भी महसूस करें, मेरे लेखों और मेरे कार्यकी आलोचना करनेमें आगा-पीछा न करें।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २२३१) की फोटो-नकलसे।

## ११. पत्र : जी० के० देवधरको<sup>२</sup>

अगस्त ९, १९१८

कुमारी विंटरबॉटम<sup>३</sup> बड़ी सुसंस्कृत वृद्ध महिला हैं। वे अनेक नैतिक आन्दोलनोंमें प्रमुख भाग लेती रहती हैं। किन्तु पोलक<sup>४</sup> आपके पथप्रदर्शक, मित्र और सलाहकार रहेंगे। राजनैतिक आन्दोलनोंके सिलसिलेमें जिन अंग्रेजोंको मैं जानता हूँ, उन सबके पास वे आपको ले जायेंगे। यदि वे भूल जायें तो आप उन्हें 'बर्नाडो' नामकी विविध उद्योग सिखानेवाली पाठशाला और ऐसी ही दूसरी संस्थाएँ दिखानेकी याद अवश्य दिला दीजिये। सम्भव है बारीकीसे देखनेपर इनमें से कुछ आपको पसन्द न आयें क्योंकि आप तो उन्हें समीक्षात्मक दृष्टिसे देखेंगे। सभी चमकनेवाली चीजें सोनेकी नहीं होतीं। कामना करता हूँ आपकी यात्रा सुखमय हो और आप सकुशल लौट आयें।

१. सम्पादक, इंडियन रिव्यू, मद्रास।

२. भारत सेवक समाज, पूनाके सदस्य; वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकी मृत्युके बाद उसके अध्यक्ष।

३. फ्लारेंस विंटरबॉटम, लन्दनके नैतिकता समिति संघ [यूनिथन ऑफ एथिकल सोसाइटीज] की मन्त्री।

४. एच० एस० एल० पोलक; गांधीजीके मित्र और सहयोगी; इंडियन ओपिनियनके सम्पादक; देखिए खण्ड ८, पृ० ४७।

५. टामस जॉन बर्नाडो (१८४५-१९०५) द्वारा संस्थापित निराश्रित बालकोंका प्रतिष्ठान, जिसका प्रधान कार्यालय लन्दनमें था।



आशा है कि श्रीमती देवधरका स्वास्थ्य पहलेसे अच्छा होगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## १२. पत्र : फूलचन्द शाहको

[ नडियाद ]

अगस्त ९, १९१८

तुमने जो राय दी है उसकी मुझे सचमुच जरूरत थी। उसमें तुमने इतना समय लिया, यह भी ठीक नहीं हुआ। अधिकांशतया तुम्हारा कहना ठीक है। यदि मैं ऐसे इस आश्रमकी स्थापना न करता तो कुछ भी न होता। उसमें अच्छे लोग शामिल हों, इस बातका मुझे लोभ रहा है। किन्तु अच्छे लोग भी दोष रहित नहीं हैं, यह आश्रममें हुई भूलोंसे सिद्ध हो जाता है। और ये भूलें आश्रमकी अपूर्णताकी साक्षी हैं। अगर मगनलाल न होता, तो आश्रमकी स्थापना न होती। मगनलालके दोष तो मुझमें विद्यमान दोषोंके परिचायक हैं। मैं स्वयं नौसिखुआ हूँ, यह बात मैंने सोच-समझकर ही कही थी। आश्रमकी प्रवृत्तियोंसे मेरा मन बहलता है और वे मेरे लिए प्रयोग रूप हैं। प्रयोगमें टूट-फूट तो होती ही है। उनमें से मूल वस्तु कभी-न-कभी अवश्य प्राप्त होगी; किन्तु वह मिलेगी ढूँढ़नेवालेको ही। यदि तुम्हारे-जैसे लोग निरन्तर प्राणप्रद वायु [ऑक्सिजन] का काम करते रहेंगे, तभी अपान वायु [कार्बोनिक एसिड गैस] को दूर किया जा सकेगा। अपान वायु तो हमेशा बनती ही रहेगी; लेकिन प्राणप्रद वायु उसे सदा शुद्ध करेगी। जैसा पिण्डमें है, वैसा ही ब्रह्मांडमें है। तुमने जो विचार मेरे सम्मुख रखे हैं, यदि उन्हें तुम मगनलाल और शिक्षकोंके सामने प्रकट करोगे तो बात बन जायेगी। मेरी यह इच्छा है कि तुम कायर न बनो। अपनी टीकासे यदि तुम सशक्त बनो और अशुद्धि दूर करनेके लिए कटिबद्ध हो जाओ, तो वह टीका बहुत फलदायक सिद्ध हो सकती है। अपनी इस टीकासे तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए।

अब हमें पुस्तकालय नहीं बनवाना है। पाठशालाके भवन-निर्माणमें [अभी] देर है। मेरी इच्छा छात्रालय बनवाकर रुक जानेकी है। हम अपने रहनेकी गुंजाइशके विचारसे बुनाई घरमें ही और जगह बनवा लेंगे।

मैं देखता हूँ कि शिक्षकोंपर खर्च किये बिना बिलकुल [काम] नहीं चल सकता। नये शिक्षक तो इकट्ठे नहीं करने हैं। ऐसा जान पड़ता है कि एक-दो और चाहिए।

१. मगनलाल गांधी (१८८३-१९२८); गांधीजीके चचेरे भाई खुशालचन्द गांधीके द्वितीय पुत्र, एक समय फीनिक्स आश्रम और वादमें सावरमती आश्रमके व्यवस्थापक रहे।



बुनाई और खेतीका काम इसलिए आरम्भ किया गया है क्योंकि हमें रचनात्मक कार्य करना था। जमीन ज्यादा ले ली गई, इसको मुझे कोई चिन्ता नहीं, मुझे तो, हमारा बुनाईका कार्यक्रम जिस ढंगसे चल रहा है, वह अखरता है। उसका हिसाब रोशनीकी तरह स्पष्ट होना चाहिए। उसकी देखरेख पूरी तरह होनी ही चाहिए और इसी कारण मगनलालको [ निरीक्षणके लिए ] बाहर भेजा गया है।

हमें धोतियाँ और साड़ियाँ भी जरूर बुनवानी पड़ेंगी। इनकी जरूरत है। जो वर्ग इन्हें खरीदता है, उसमें गरीब लोग भी हैं। दूसरोंसे सौन्दर्य-दृष्टिका सर्वथा त्याग कराना सम्भव नहीं है। खादीको हमें भूलना नहीं है। हमारी आकांक्षा तो यह है कि हम खादीके प्रत्येक बुनकरको अपने हाथमें ले लें। इस प्रयासमें कुछ रुपया भी जरूर खर्च होगा।

मैंने तुम्हें यह बिखरा-बिखरासा पत्र लिखा है। तुमने एक पक्ष दिया है, और मैंने जैसा होना चाहिए, वैसा, दूसरा पक्ष दिया है। ठीक दोनों ही हैं। गुणोंके पलड़ेको एक ही चरित्रवान् पुरुष भारी बना सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम चरित्रबलका वैसा विकास करो और उसके अनुसार चलो। जहाँ हमें भूल नजर आये, वहाँ हमें उसे सुधारना चाहिए। जो काम हमसे न हो सके, उसे जरूर समेट लेना चाहिए। ऐसा मैंने दक्षिण आफ्रिकामें किया, चम्पारनमें किया और यहाँ भी यदि हमें यह कार्य ठीक जान पड़ा, तो हम करेंगे। इतना लिख डाला; फिर भी करनेके लिए तो अभी बहुत बातें रह गई हैं।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

### १३. पत्र : एक मित्रको<sup>१</sup>

अगस्त ९, १९१८<sup>२</sup>

आप मेरी पुस्तक<sup>३</sup> फिर पढ़ लेंगे, तो बहुतसे प्रश्नोंका उत्तर उसमें से ही मिल जायेगा, जैसा कि कौनसे फल खाना।

तेल आदिका प्रयोग मुश्किल बात है। मेरा अनुभव ऐसा है कि आधा औंससे ज्यादा नहिं खाना चाहिए। औलिव आइल [ जैतूनका तेल ] इस मुल्कमें नहीं पा सकते। इसके एवजमें तिलका तेल ठीक है, परन्तु औलिवके जैसा केवल निर्दोष नहिं है। खजूर और मूंगफली कर्कश है ही, परन्तु उन चीजोंको ही खुराक बनानेसे उनकी ठीक बरदास

१. यह पत्र आहारके सम्बन्धमें पूछे गये प्रश्नोंके उत्तरमें भेजा गया था। पत्र हिन्दीमें था।

२. 'डायरी' में दी गई तारीखसे।

३. "आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान" शीर्षकसे यह लेखमाला इंडियन ओपिनियनके गुजराती विभागमें प्रकाशित हुई थी और बादमें पुस्तक-रूपमें छपी गई थी; देखिए खण्ड ११ व १२।



हो सकती है। बादाम बहोत कमती खाना चाहिए। दूधकी बनी हुई बहुत चीजें खानेमें ठीक नहीं है, अमरूद इत्यादिके साथ मूंगफली खानेसे ठीक निर्वाह हो सकता है। बादामकी गर्ज मूंगफली नहीं दे सकती है। गेहूँ एक प्रकारसे फल है; परन्तु मेरे पुस्तकमें फलका पारिभाषिक प्रयोग किया है और उसकी खसूस व्याख्या दी गई है। मेरे पुस्तकमें फलोंकी अपेक्षा तरकारीके लिए कुछ लिखा होगा, लेकिन मैं देखता हूँ हिन्दुस्तानमें तरकारी आवश्यक है। द्विदल [ दाल ] पचनेमें कठिन हैं। ज्यादा अनुभव लेनेसे हिन्दुस्तानके लिए मेरी यह राय है कि हिन्दुस्तानमें सबसे अच्छा आहार गेहूँ और तरकारी है। जिसको ज्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, वह भले द्विदलका भी प्रयोग करे। धार्मिक दृष्टिसे दूधके लिए मैंने बताया हुआ अभिप्राय कायम है। लेकिन शारीरिक दृष्टिसे और हिन्दुस्तानकी परिस्थितिमें दूधका त्याग अशक्य लगता है। मैंने कई बरसोंसे दूधका त्याग किया है और आजन्म नहीं खानेकी प्रतिज्ञा है। परन्तु दूसरोंको मैं दूध छोड़नेकी सलाह तबतक नहीं दे सकता, जबतक दूध जैसी गुणवान् वस्तु मेरे हाथमें नहीं आई है। मेरी उम्मीद थी कि तिलसे और मूंगफलीसे निर्वाह हो सकेगा। एक प्रकार निर्वाह हो सकता है; परन्तु दूधके मुकाबलेमें उसमें थोड़ी त्रुटि है।

आपको मेरी यह सलाह है कि यदि आपका शरीर आरोग्यवान हो, तो गेहूँ, दूध, चावल आदि वस्तुका सामान्य उपयोग करना, एकादशीके दिनोंमें बिना कष्ट मिल सकें — ऐसे फलोंपर निर्वाह कर लेना, शारीरिक प्रकृति अस्वस्थ होनेके समय उपवास करना और हमेशा बड़ी फजरमें कम-से-कम दस मिल चलनेका व्यायाम करना। एक प्रश्नका उत्तर रह गया। तेलके एवजमें तिलादिका ही चबा लेना एकदम ठीक है। चीकट पदार्थसे भरी हुई वस्तु दो-तीन रुपये भारसे ज्यादा खानेमें हानिका सम्भव रहता है। निमकका सर्वथा त्याग करनेकी अपेक्षा बरसमें दो-तीन मास तक करना उचित लगता है। तीन दिनसे मैं निमक खानेकी असर मेरे शरीरपर देख रहा हूँ। महिने दो महिनेके बाद आप खत लिखोगे, तो मैं मेरा अनुभव दे दूंगा।

आपका,  
मोहनदास

महादेवभाईकी डायरी, खण्ड १



## १४. पत्र : 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को

नडियाद

अगस्त १०, १९१८

सेवामें  
सम्पादक  
'टाइम्स ऑफ इंडिया'  
महोदय,

सूरतकी एक सभामें रंगरूटोंकी भरतीके सिलसिलेमें दिये गये मेरे भाषणकी आपने जो रिपोर्ट दी है उससे मालूम पड़ता है कि एक सार्वजनिक व्यक्तिके लिए लिखित भाषण पढ़नेके अलावा कुछ कहना कितना खतरनाक है। जब मैं अपने भाषणोंके प्रकाशित विवरणोंकी बात सोचता हूँ तो मुझे श्री तिलकसे सहानुभूति होती है। मेरा निश्चित विचार है कि जबतक रिपोर्ट करनेका ऐसा ढंग रहेगा, जैसा कि भारतमें है, तबतक उन्हें चुनौती देना और जो बातें वक्ताकी कही गई बताई गई हैं, उनका खण्डन वक्ता करे तो उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे अधिक सुरक्षित तरीका है। बहुत सम्भव है कि श्री तिलकपर भाषण न देनेका जो प्रतिबन्ध लगाया गया है वह अन्यायपूर्ण हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके बोलनेपर प्रतिबन्ध लगानेसे महाराष्ट्रमें रंगरूटोंकी भरती बढ़ जायेगी; किन्तु मैं निश्चित रूपसे जानता हूँ कि उससे यहाँ गुजरातमें मेरी स्थिति कठिन हो जायेगी। बहुतसे लोग केवल श्री तिलकके बोलनेपर प्रतिबन्ध लगानेके विरोधस्वरूप अलग रहने लगेंगे। यह उनकी ओरसे सफाई देना नहीं है; इस मामलेमें मेरा उनसे मतभेद है और मैंने उनसे कहा है कि वे जो-कुछ चाहते हैं, अगर उन जैसे व्यक्ति रंगरूट भरती करनेका काम हाथमें ले लें तो यह निश्चय ही प्राप्त हो जायेगा। इससे उत्तरदायी शासन अपेक्षाकृत जल्दी मिल जायेगा; क्योंकि उनके मनमें हमारे इस सहयोगसे हमारे प्रति विश्वास पैदा होगा और हम भी आजकी अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिसम्पन्न हो जायेंगे। मैं तो केवल यह आशा ही कर सकता हूँ कि सरकार अपने निर्णयपर पुनर्विचार करेगी और [श्री तिलकके] बोलनेपर लगाये प्रतिबन्धको हटाकर भरती करनेवालोंके मार्गसे एक बहुत बड़ी रुकावटको दूर कर देगी।

किन्तु मैं अपने मुख्य विषयसे दूर चला गया हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैंने [अपने उक्त भाषणमें] कभी ऐसा नहीं कहा कि जो लोग कुछ शर्तोंपर ही सहायता दे सकनेकी बात करते हैं उन्हें उनके अपने-अपने दलोंसे बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। मैंने उसमें साम्राज्यको सहायता देनेपर भी जोर नहीं दिया था; बल्कि भरतीके प्रश्नपर श्री तिलकके और अपने विचारोंमें भेद बतानेके बाद मैंने श्रोताओंकी उलझन भरी परिस्थितिके प्रति हमदर्दी जाहिर की थी क्योंकि उनके लिए श्री तिलक जैसे महान्, सुप्रसिद्ध तथा आत्मत्यागी देशभक्तकी और मेरी सलाहोंमें से एकको चुनना आसान नहीं था। किन्तु मैंने उनसे कहा कि अगर उत्तरदायी शासन प्राप्त करनेकी दिशामें



प्रगति करना है तो अब नेताओंके फरमानोंपर ही अवलम्बित नहीं रहा जा सकता, फिर वे नेता कितने ही बड़े क्यों न हों। उन्हें स्वयं विरोधी विचारोंको निरन्तर तोलते रहकर अपना चुनाव करना होगा, और फिर भी उन्हें जिन नेताओंके विचार अस्वीकार करनेके लिए मजबूर होना पड़ा है, उनके प्रति अपने आदर भावमें किसी प्रकारकी कमी नहीं आने देनी चाहिए। इसके बाद मैंने उन्हें बताया कि उन्हें सेनामें भरती हो जाना चाहिए और यह भी बताया कि क्योंकि ऐसा करना सब प्रकारसे उनके हितमें है। अन्तमें मैंने अपने मनोनीत विचार श्रोताओंके सामने रखे कि यदि वे ब्रिटिश सरकारके साथ साझीदार बनना चाहते हैं तो उनके उद्देश्यको प्रभावित करनेका सबसे सुन्दर ढंग यह है कि वे युद्धके समय उनकी सहायता करें। किन्तु आपके संवाददाताने साम्राज्यको सहायता देनेकी बातको मेरे भाषणकी मुख्य बात कह दिया। खैर मैं इसकी परवाह नहीं करता। किन्तु मैं निश्चित रूपसे इस तथ्यपर जोर देना चाहता हूँ कि यदि सार्वजनिक व्यक्तियोंको उनके भाषणोंकी अखबारोंमें छपी रिपोर्टके आधारपर परखा जाये तो ज्यादातर भाषणकर्त्ता घटिया लगेंगे। आपका पत्र प्रभावशाली है इसलिए क्या आप अपने स्तम्भोंमें सार्वजनिक भाषणोंकी सही रिपोर्ट ही प्रकाशित करनेका आश्वासन नहीं दे सकते ?

5063

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

टाइम्स ऑफ इंडिया, १३-८-१९१८

## १५. पत्र : सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको

अगस्त १०, १९१८

प्रिय श्री बनर्जी,<sup>१</sup>

मैं अभी यहाँ सैनिक-भरतीके काममें लगा हुआ हूँ। अहमदाबादसे पुनः प्रेषित आपका तार मुझे मिल गया। मैं कलकत्ते आऊँ, तो जाने-आनेमें ही मुझे कमसे-कम एक सप्ताह लग जायेगा। मुझे अपना काम अच्छी तरह करना हो, तो मैं इतने लम्बे असें तक गैरहाजिर नहीं रह सकता। फिर, अभी तो मैं दूसरी जगह जा ही नहीं सकता; क्योंकि अभी-अभी मुझे सरकारसे खबर मिली है कि गुजरातमें सैनिक शिक्षण-केन्द्र खोलने और गुजरातका एक सैनिक-दल बनानेका मेरा प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया है। आप सहमत होंगे कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता।

मेरा आना सम्भव होता, तो भी शायद मैं इसमें कोई बड़ी मदद न दे पाता। इस मामलेमें मेरे विचार बहुत सख्त और अजीब-से लगनेवाले हैं। अधिकांश नेता उनसे सहमत नहीं हैं। मैं सच्चे दिलसे मानता हूँ कि अन्य काम छोड़कर यदि हम

१. सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (१८४८-१९२५); भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके एक संस्थापक और पूना-अधिवेशन (१८९५)के अध्यक्ष; केन्द्रीय परिषद्के एक सदस्य।





सैनिक भरतीके काममें जुट जायें तो हमें अधिकसे-अधिक एक वर्षमें पूर्ण उत्तरदायी शासन मिल सकता है। निरे अज्ञानी अपने देशबन्धुओंको अनिच्छासे फौजमें भरती होने देनेके बजाय, हमें 'होमरूल' के समर्थकोंकी एक सेना खड़ी कर देनी चाहिए, जो यह समझकर राजीखुशीसे सिपाही बनें कि हम लड़ाईमें देशके लिए जा रहे हैं। साथ ही, मैं मानता हूँ कि हमें माँण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड योजनाके बारेमें अपनी राय असन्दिग्ध भाषामें प्रकट कर देनी चाहिए। हमें अपनी कमसे-कम माँगें तय करके किसी भी कीमतपर उनपर अमल करानेका प्रयत्न करना चाहिए। मेरी राय है कि योजना मूलतः अच्छी है, फिर भी उसमें काफी फेरफार कराना जरूरी है। इस मामलेमें हमारे लिए सर्वसम्मत निर्णयपर पहुँचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देशमें एक दल ऐसा हो, जो केवल इन दो बातोंको ही जीवनका ध्येय बनाये : अर्थात् एक तरफ तो युद्ध चलानेमें सरकारकी मदद करे और दूसरी तरफ राष्ट्रीय माँगोंपर अमल कराये।

मैं नहीं मानता कि आज जैसे नाजुक समयमें हम कथित गर्म और नर्म दलके बीच एक-दूसरेके हकमें थोड़ी-बहुत रियायतें ले-देकर ऊपरी सुलह कराके सन्तुष्ट हो जायें; मैं चाहता हूँ कि हरएक संस्था या दल अपनी-अपनी नीतिकी स्पष्ट व्याख्या करे। फिर जो दल स्वाभाविक तौरपर अपने पक्षके आन्तरिक गुणों और निरन्तर प्रचारके कारण देशमें बलवान बन जायेगा, वह 'हाउस ऑफ कामन्स' से अपनी बात मनवा सकेगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## १६. पत्र : प्रोफेसर जेवन्सको<sup>१</sup>

अगस्त ११, १९१८

प्रिय प्रोफेसर जेवन्स,

मैं आपकी टिप्पणी पढ़ गया हूँ। कुल मिलाकर वह मुझे पसन्द है। सरकारको जितने आदमियोंकी जरूरत हो, उतने हमें जुटा देने चाहिए, पर सरकारी अफसरोंके द्वारा नहीं, बल्कि 'होमरूल' की संस्थाओं द्वारा हम यह कर सकें, तो 'होमरूल' हमारे हाथमें समझिये।

१. हर्वर्ट स्टेनली जेवन्स (१८७५-१९५५); अर्थ-शास्त्री। यह पत्र प्रोफेसर जेवन्सकी "इंडियाज शेयर इन द वॉर" नामक उस टिप्पणीके उत्तरमें लिखा गया था, जिसमें उन्होंने करोंमें वृद्धि करनेका सुझाव दिया था।



5063

पत्र : प्रोफेसर जेवन्सको

१७

आर्थिक पहलूपर आपकी बातसे मैं सहमत नहीं हूँ। इंग्लैंड और हिन्दुस्तानकी तुलनामें कोई तुक नहीं है। इंग्लैंड साधन-सम्पन्न है और हिन्दुस्तान दरिद्र। इस लड़ाईके दरमियान थोड़े-से लोगोंने रुपया कमाया होगा, किन्तु आम जनताका क्या हाल है? मेरा खेड़ा और चम्पारनमें उनसे घनिष्ठ सम्पर्क हुआ। उनके पास कुछ नहीं है। जो कभी खुशहाल और ताकतवर थे, खेड़ामें सरकारकी हदसे ज्यादा माँगोंने उन लोगोंको कंगाल बना डाला; और चम्पारनमें तो बागान-मालिकोंने खून ही चूस लिया है। आप जब नमक-करमें वृद्धिकी बात करते हैं तो मैं कांप उठता हूँ। अगर आप यह जान लें कि इस करके कारण लोगोंकी क्या दशा हो रही है, तो खुद आप ही कहेंगे कि 'और कुछ भी क्यों न करें यह कर तो तत्काल हटा लिया जाना चाहिए।' करके अधिक होनेका कष्ट उतना नहीं है जितना इस बातका है कि नमकके एकाधिकारने कृत्रिम ढंगसे नमककी कीमत बढ़ा रखी है और गरीब लोगोंको वाजिब कीमतपर नमक मिलना मुहाल हो गया है। नमक उनके लिए पानी और हवाके बराबर ही जरूरी चीज है।

इस टिप्पणीको प्रकाशित करनेके सम्बन्धमें मेरी यह राय है कि इसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। सुधारकोंको सरकारपर विश्वास नहीं है। उनका खयाल है कि आज भी वह लोगोंके साथ ईमानदारीका व्यवहार नहीं कर रही है। यह एक विचित्र परिस्थिति है। हमारा आपपर विश्वास नहीं है और फिर भी हमें आपकी जरूरत है। इससे यह जाहिर होता है कि लोगोंको अपने साथ किये गये अन्यायका भान है, किन्तु वे उसका इलाज करनेमें बिलकुल असमर्थ हैं। राष्ट्र गुलामीकी जंजीरमें पूरी तरह जकड़ा हुआ है। अंग्रेजोंने जान-बूझकर ऐसा करना न भी सोचा हो, लेकिन वे इरादतन भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। मैं इंग्लैंडसे चिपका हुआ हूँ, इसका कारण इतना ही है कि मैं मानता हूँ कि वह दिलका बुरा नहीं है और मैं यह भी मानता हूँ कि हिन्दुस्तान दुनियाको अपना सन्देश इंग्लैंडके द्वारा अधिक अच्छी तरह दे सकेगा। दूसरी तरफ हिन्दुस्तानको निःशस्त्र बनानेका इंग्लैंडका कृत्य, उसकी दम्भपूर्ण और हमको बिलकुल अलग रखनेकी सैनिक-नीति और हिन्दुस्तानके धन और उसकी कलाका अंग्रेजोंके व्यापारिक लोभकी वेदीपर बलिदान, — इस सबको मैं इतना बुरा मानता हूँ कि यदि मुझमें उपर्युक्त श्रद्धा न होती, तो मैं कभीका विद्रोही बन गया होता।

मेरी इच्छा आपको लम्बा पत्र लिखनेकी नहीं थी, परन्तु मेरी कलम रोके नहीं रुकी।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१५-२

5063

11 DEC 1982



## १७. पत्र : बी० जी० हॉर्निमैनको<sup>१</sup>

[ नडियाद ]

अगस्त १२, १९१८

आपका आज्ञा-पत्र मिला। वह आठ तारीखका लिखा हुआ है, फिर भी मिला कल। मेरे खयालसे कामके अत्यधिक दबावके इस समयमें डाक-विभागकी ऐसी अनियमितताएँ हमें सह लेनी पड़ेंगी। सचमुच ही मुझपर तो सैनिक-भरतीका भूत सवार हो गया है। मैं दूसरा न कुछ करता हूँ, न सोचता हूँ, और न कभी दूसरी चीजकी बात करता हूँ। और इसलिए फौजी-भरतीके सिवा किसी अन्य समारोहमें अध्यक्ष-पद लेनेके योग्य नहीं हूँ। क्या इस विचारसे आप मुझे क्षमा नहीं कर देंगे।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## १८. पत्र : रसिकमणिको<sup>२</sup>

[ नडियाद ]

अगस्त १२, १९१८

[ प्रिय बहन, ]

आपने मेरी धर्मपत्नीके नाम जो पत्र भेजा है उसे मैं कल ही पढ़ सका हूँ। इसलिए आपको जवाब देनेमें थोड़ी देर हो गई है, क्षमा करना। यद्यपि हम दोनों स्वतन्त्र हैं और समान अधिकारोंका उपभोग करनेवाले हैं, फिर भी सुभीतेके लिए हमने अपने क्षेत्र बाँट लिये हैं। और फिर, जब हमारा विवाह हुआ, तब तो मेरी धर्मपत्नीको कुछ भी लिखना-पढ़ना नहीं आता था। मैंने उसे बड़ी मेहनतसे थोड़ा-सा पढ़ाया; फिर भी कई कारणोंसे तसल्लीबख्श नहीं पढ़ा सका। इसलिए आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं

१. गांधीजीने यह पत्र हॉर्निमैनके उस पत्रके उत्तरमें लिखा था, जिसमें उनसे मानव-दया सम्मेलन (ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस) का सभापति बननेका अनुरोध किया गया था। हॉर्निमैन डॉम्बे क्रॉनिकलके सम्पादक थे।

२. हिन्दू स्त्री-मण्डलकी मंत्री। उन्होंने कस्तूरबाको मण्डलके वार्षिक उत्सव और दादाभाई नौरोजीकी वर्षगाँठ-समारोहकी अध्यक्षता करनेके लिए निमंत्रण दिया था। यह पत्र उसीके उत्तरमें लिखा गया था।



किया जा सकता। ऐसा नहीं लगता, मेरी धर्मपत्नी कुर्सीपर बैठकर भाषण पढ़ दे। वह अपना भाषण खुद तैयार कर ही नहीं सकती। उसे आपकी प्रवृत्तियोंके बारेमें कोई ज्ञान नहीं है जिससे वह जबानी भी कुछ समझा सके। इसलिए लाचार होकर हम दोनों आप सब बहनोंसे क्षमा चाहते हैं।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

### १९. पत्र : फूलचन्द शाहको

[ नडियाद ]

अगस्त १२, १९१८

भाईश्री फूलचन्द,

कल हमने बड़ी महत्त्वपूर्ण बातें कीं, और यदि एक भी मनुष्य आग्रहपूर्वक मेरे सुझावोंपर अमल करे, तो आप आश्रमके सम्बन्धमें जिस स्थितिकी कामना करते हैं तथा जो बिलकुल ठीक भी है, वैसी स्थितिमें हम तुरन्त ही पहुँच जायें। इस समय ऐसे मनुष्य आप ही हैं। [ कृपया ] तुरन्त सभायें आयोजित करके निर्णय कर लें।

मैंने कल पौने छः बजे तक समझदारीसे काम लिया और स्वास्थ्यकी पूंजी इकट्ठी की; किन्तु पौने छः बजे काँपते-काँपते उपवास तोड़ दिया और यह महादुःख मोल ले लिया। खानेमें भी संयमका पालन नहीं किया इसलिए चावलकी लपसी खा ली। अगर सिर्फ शाकका रसा ही पिया होता, तो जो दुस्सह परिणाम निकला, वह तो हरगिज न निकलता। आज मुझमें उठने या चलनेकी भी शक्ति नहीं है। लगभग घिसटते-घिसटते पाखाने जाना पड़ता है और वहाँ ऐसा तीखा दर्द उठता है कि चीखनेको जी चाहता है। इतना कष्ट सहते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे [ अपनी भूलका ] बहुत जल्दी और उचित दण्ड मिला है; यह अनुभव कैसा होता है उसका भी पूरा चित्र मेरे सामने है। मुझे विश्वास है कि पौने छः बजे मेरा दर्द शान्त हो जायेगा। मैंने भूलसे खाना खाया, इसलिए जिस वक्त खाना खाया, उससे चौबीस घंटे तक की सजा कोई भारी सजा नहीं मानी जा सकती। और फिर इतनी कम सजा भी इसलिए है क्योंकि मैंने आज उपवास किया है। मेरी चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि मैं कल कष्टसे तो बिलकुल मुक्त हो जाऊँगा और अगर मैंने खानेमें असावधानी न बरती तो मैं तीन-चार दिनोंमें पहले जैसा स्वस्थ हो जाऊँगा।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४



## २०. पत्र : मगनलाल गांधीको

[ नडियाद

अगस्त १४, १९१८ को या उसके आसपास ]<sup>१</sup>

चि० मगनलाल,

सत्याग्रह सर्वव्यापक<sup>२</sup> है, मुझे इस सिद्धान्तका अनुभव मिल रहा है। बा के पत्रमें मेरी तबीयतका समाचार है। देवदासने भूल की है इससे तुम सब चिन्तामें पड़ गये होंगे। मैं सख्त इलाज कर रहा हूँ और प्रभुकी कृपा हुई तो जल्द ही अच्छा हो जाऊँगा। आज लगभग उपवास करते हुए तीसरा दिन है और उससे दर्द कम होता जा रहा है।

मैं जानता हूँ, तुम्हें पल-भरके लिए भी फुरसत नहीं है। स्वास्थ्यका ध्यान रखते हुए सब कार्य करना। घी और दूधका प्रयोग करनेमें संकोच न करना। किसीसे भी हाल-चाल लिखने और अन्य समाचार भेजते रहनेके लिए कह देना। यदि अन्य लोग मजदूरीमें व्यस्त हों तो सन्तोकसे कहना। राधा, केशु, कृष्णा भी लिख सकते हैं। यदि गिरधारीको लिखनेकी छूट मिले, तो वह लिखे।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७६७) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

## २१. साम्राज्यीय सम्मेलनके प्रस्ताव

अगस्त १५, १९१८

‘इंडियन रिव्यू’ के वर्तमान अंकमें देनेके लिए श्री जी० ए० नटेशनको भेजा गया महात्मा गांधीका निम्नलिखित लेख हमें भी प्रकाशनके लिए मिला है :

उपनिवेशोंमें हमारे प्रवासी भाइयोंकी हैसियतपर साम्राज्यीय सम्मेलनका प्रस्ताव<sup>३</sup> ऊपरसे पढ़नेमें तो अच्छा लगता है किन्तु यह अत्यन्त धोखेमें डालनेवाला है। हम इस

१. पत्र उपवासके तीसरे दिन लिखा गया था। यह उपवास गांधीजीने सम्भवतः अगस्त १२, १९१८ को पेचिशके रोगसे ग्रसित हो जानेपर आरम्भ किया था।

२. अर्थात् सार्वदेशिक और सार्वकालिक।

३. सम्मेलनकी कार्यवाहीका निम्नलिखित सार भारत-मन्त्रीने वाइसरायको तार द्वारा भेजा था :

“सम्मेलनकी १५वीं बैठक २५ जुलाईको हुई। सबसे पहले भारत तथा उपनिवेशोंके बीच व्यवहारकी पारस्परिक नीतिपर विचार किया गया। गत वर्ष सम्मेलनने पारस्परिकताका सिद्धांत स्वीकार करते हुए जो प्रस्ताव पास किया था उसके संदर्भमें बहसके बाद इस सम्बन्धमें दूसरा प्रस्ताव पास किया गया . . .



बातको महान् उपलब्धि न समझ लें कि उपनिवेश जैसे कानून हमारे खिलाफ पास कर सकते हैं, वैसे ही हम उनके खिलाफ कर सकते हैं। यह तो वैसा ही है कि कोई दैत्य किसी बौनेसे कहे कि वह मुक्केके बदले मुक्का मारनेके लिए स्वतन्त्र है। भारतमें प्रवेश चाहनेवाले उपनिवेशियोंको अनुमति तथा पारपत्र देनेसे कौन इनकार करेगा? किन्तु भारतीयोंको, वे चाहे जितने योग्य क्यों न हों, उपनिवेशोंमें अल्पकालिक प्रवेशकी अनुमति देनेसे भी निरन्तर इनकार किया जाता है। दक्षिण आफ्रिकाके प्रवास सम्बन्धी विधानको सत्याग्रह आन्दोलनने प्रजातीय कलंकसे मुक्त किया। किन्तु उनके प्रशासनमें भेद अब भी चल रहा है और वह तबतक चलता रहेगा जबतक भारत, कहनेको और वास्तवमें, हर दृष्टिसे पराधीन है।

उन लोगोंके बारेमें जो वहाँ पहलेसे रहते हैं, किया गया समझौता १९१४ के समझौतेकी शर्तोंको ही दुहराता है। यदि इसका विस्तार कॅनेडा तथा आस्ट्रेलिया तक होता है तो यह निश्चित रूपसे लाभ है, क्योंकि कॅनेडामें अभी हालमें ही एक बड़ा आन्दोलन चला था, इसका कारण यह था कि सरकारने अपने सिक्ख अधिवासियोंके पुत्रोंकी पत्नियोंको प्रवेशकी अनुमति देनेसे इनकार कर दिया था। मैं इतना और कहूँ कि दक्षिण आफ्रिकाका समझौता शायद उन लोगोंको भी संरक्षण देता है जिनकी समझौतेसे पहले एकसे अधिक पत्नियाँ रही हैं, विशेषरूपसे यदि वे पत्नियाँ कभी दक्षिण आफ्रिकामें प्रवासी रह चुकी हैं। सम्भवतः ईसाई धर्म-प्रधान देशमें केवल एक पत्नीको वैधता देना उचित हो। किन्तु ऐसे देशके लिए भी यह आवश्यक है कि मानवताके हित तथा उस

जिसके अनुसार सम्मेलनने निम्नलिखित बातें स्वीकार कीं: (१) ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके विभिन्न राष्ट्रोंकी सरकारोंका, जिसमें भारत भी शामिल है, यह सहज कर्तव्य है कि वे किसी अन्य जातिके प्रवासको प्रतिबन्धित करके अपनी जनसंख्यापर पूर्ण नियंत्रण रख सकें। (२) ऐसे ब्रिटिश नागरिकोंको जो ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके किसी भी देशमें, जिसमें भारत भी शामिल है, बस गये हों, किसी अन्य ऐसे ही ब्रिटिश देशमें आमोद-प्रमोद या व्यापारके उद्देश्यसे जानेकी अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें शिक्षाके लिए अस्थायी निवास भी आ जाता है। इस प्रकारकी यात्राओंकी शर्तोंका विनियमन पारस्परिकताके सिद्धांतपर निम्न ढंगसे होना चाहिए; (क) भारत सरकारको ऐसा कानून बनानेका अधिकार मान्य है जो किसी अन्य ब्रिटिश देशके ऐसे अधिवासी नागरिकोंपर, जो भारतमें आना चाहते हों, उन्हीं शर्तोंपर नियंत्रण करनेका अधिकार देगा जो कि ऐसे देशमें जानेके इच्छुक भारतीयोंपर लगाई जाती हैं। (ख) यात्रा या अस्थायी निवासका इस प्रकारका अधिकार प्रत्येक मामलेमें अधिवासके देश द्वारा जारी किये गये पारपत्र या लिखित अनुमतिपत्रपर अंकित होगा और जिस देशमें जाना है उस देश द्वारा नियुक्त और उसकी ओरसे कार्य करनेवाले अधिकारीको उसे निरीक्षणका अधिकार होगा। यदि ऐसा देश चाहे तो मजदूरीके उद्देश्यसे की जानेवाली इस यात्राको अस्थायी या स्थायी निवासके अधिकारके रूपमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (३) जो भारतीय पहलेसे ही किसी ब्रिटिश उपनिवेशके स्थायी अधिवासी बन गये हैं, उन्हें इस शर्तपर अपनी पत्नियों, नाबालिग बच्चे लानेकी अनुमति दी जानी चाहिए कि (क) ऐसे प्रत्येक भारतीयको एक ही पत्नी तथा उसके बच्चोंको प्रवेश दिया जायेगा, अन्य पत्नियोंको नहीं तथा (ख) इस प्रकार प्रवेश पानेवाले प्रत्येक व्यक्तिको भारत सरकारका यह प्रमाणपत्र पेश करना होगा कि वह ऐसे भारतीयकी वैध पत्नी या वैध सन्तान है। सम्मेलन उन दूसरे प्रश्नोंकी भी सिफारिश करता है जो भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत स्मृतिपत्रोंमें दिये गये हैं।”



एक ही साम्राज्यीय संघके सदस्योंके प्रति मैत्रीके लिहाजसे जिससे वह प्रशासनिक रूपसे सम्बद्ध है, वह एकसे अधिक पत्तियों और उनकी सन्तानको प्रवेशकी अनुमति दे।

उक्त समझौता दूसरे मामलोंमें हैसियतकी असमानताके प्रश्नको भी टालता है। इस प्रकार सारे दक्षिण आफ्रिकामें परवाने प्राप्त करनेमें कठिनाई, ट्रान्सवाल तथा फ्री स्टेटमें भू-सम्पत्ति रखनेपर प्रतिबन्ध और खुद संघके अन्दर फ्री स्टेटमें भारतीयोंके प्रवेशका लगभग निषेध, आम सरकारी स्कूलोंमें भारतीय बच्चोंका प्रतिषेध, ट्रान्सवाल और फ्री स्टेटमें नगरपालिका-मताधिकारका अपहरण, और दक्षिण आफ्रिका-भरमें, शायद केवल केपको छोड़कर, व्यावहारिक रूपमें संघीय मताधिकारका अपहरण जैसी असमानताएँ अब भी मौजूद हैं। इसलिए साम्राज्यीय सम्मेलनका प्रस्ताव निश्चित रूपसे धोखा है। उपनिवेशोंमें जरा भी हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ है तथा भारतके सम्बन्धमें साम्राज्यीय कर्तव्यको भी स्वीकार नहीं किया गया। फीजीके वे अत्याचार जिनकी ओर श्री एन्ड्र्यूजने जोर देते हुए ध्यान आकर्षित किया है, बताते हैं कि उन शाही उपनिवेशोंमें भी जो सीधे शाही नियन्त्रणमें हैं क्या-क्या घटित हो सकता है।

[ अंग्रेजीसे ]

न्यू इंडिया, १५-८-१९१८

## २२. पत्र : राँबर्ट हैंडरसनको<sup>१</sup>

अगस्त १७, १९१८

प्रिय श्री हैंडरसन,

इस समय मैं बिस्तरपर पड़ा हूँ। मैं अपने जीवनकी सबसे बड़ी बीमारीसे गुजर रहा हूँ। और इसलिए आपके पत्रका जवाब जल्दी देनेमें असमर्थ रहा। आपके सीधे-सादे और शुद्ध दिलसे लिखे पत्रपर मैं मुग्ध हो गया। उसके लिए आपका आभार मानता हूँ। अपने भाषणोंके प्रकाशित होनेवाले विवरणोंकी भूलोंपर मैं शायद ही कभी ध्यान देता हूँ। उन्हें पढ़ने तकका मौका भी मुझे बहुत कम मिल पाता है। किन्तु चूँकि 'टाइम्स' में छपे इस विवरणसे बहुत हानि होनेकी सम्भावना थी, मैंने उसमें की त्रुटियोंको सुधार देना ठीक समझा। मैंने उन्हें सुधार दिया, तो अच्छा ही हुआ<sup>२</sup>

१. महादेव देसाईने इस पत्रके बारेमें अपनी डायरीमें लिखा है :

“गांधीजीने महीनेके शुरूमें रंगरूटोंकी भरतीके बारेमें सूरतमें एक भाषण दिया था। किसीने उसका विवरण 'टाइम्स' में भेज दिया था। उसमें कुछ ऐसे वाक्य थे जो तिलक महाराजकी आलोचना-जैसे लगते थे। विवरण बड़ा त्रुटिपूर्ण था। गांधीजीने इसके बारेमें 'टाइम्स'को एक कड़ा पत्र लिखा था। सूरतके एक अधिकारी श्री हैंडरसनने 'भारी भूल'के लिए क्षमा-याचना करते हुए गांधीजीको पत्र लिखा था।”

२. देखिए “पत्र : टाइम्स ऑफ इंडियाको”, १०-८-१९१८



क्योंकि इससे दुष्ट लोगोंकी जबान बन्द हो गई है और इससे आपके साथ परिचय करनेका भी अवसर मिल गया है।

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

### २३. पत्र : देवदास गांधीको

[ नडियाद ]

अगस्त १७, १९१८

चि० देवदास,

आज तबीयत बहुत अच्छी मानी जा सकती है। अभी खटियापर तो रहना ही होगा। कष्ट बहुत भोगा है, कसूर सिर्फ मेरा ही था। इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। सजा अपराधके अनुसार मिली है। तुम मेरी जरा भी चिन्ता न करना। मेरी सेवामें कोई कमी नहीं रहती। एक कामको करनेके लिए दस मनुष्य उत्सुक रहते हैं और सब [मेरे ऊपर] अपना असीम प्रेम उँडेल रहे हैं। इसलिए तुम मुझे सहज ही याद आते हो। लेकिन तुम्हारी अनुपस्थितिके कारण मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई। तुम वहाँके काममें जुटे रहो, इसीमें तुम्हारी पूरी सेवा आ जाती है। और इसके अलावा हमारा नियम ऐसा कठिन है कि कोई भी व्यक्ति बीमारीके कारण भी अपने स्थानसे नहीं हट सकता। हमें इस कठिन नियमका ज्ञानपूर्वक पालन करना है। इतने घोर कष्टमें भी मैंने अपनी आत्माकी शान्ति क्षण-भरके लिए भी खोई हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। बा यहाँ पहुँच गई है। उम्मीद तो है कि मैं थोड़े दिनोंमें पहलेसे भी अधिक स्वस्थ हो जाऊँगा और स्वादरहित भोजन करनेके व्रतका अच्छी तरह पालन करने लगूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४



## २४. पत्र : जमनादास द्वारकादासको

[ नडियाद ]

अगस्त १७, १९१८

भाईश्री जमनादास,<sup>१</sup>

मैं तीव्र इच्छा होते हुए भी बहुत बीमार होनेके कारण आपको जल्दी पत्र नहीं लिख सका और आज भी [ दूसरे से ही ] लिखवाना पड़ रहा है। अब भी मैं विस्तरमें पड़ा हुआ हूँ; परन्तु पत्र लिखवाने लायक स्थिति हो गई है। मेरे स्वास्थ्यमें निस्सन्देह सुधार हो रहा है। इसलिए चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है।

तुम्हारा मामला सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ। हेतुके शुद्ध होने-भरसे असत्य सत्य नहीं बन सकता। जैसे शाहकी एक और चोरकी चार आँखें कही जाती हैं, वैसे ही सत्यका एक और असत्यके अनेक मार्ग होते हैं। और इन मार्गोंके फेरमें पड़ा हुआ मनुष्य नष्ट हो जाता है। तिसपर अगर वह न्यासी [ ट्रस्टी ] हो, तो वह जिस न्यासकी रक्षाके लिए नियुक्त किया जाता है, उसको भी ले डूबता है। यह बात तुम स्वयं अपने और अन्य लोगोंके सैकड़ों अनुभवोंसे देख सकोगे। सत्यसे किसीका भी नुकसान हुआ हो, ऐसा अबतक न तो कभी हुआ है और न आगे कभी होगा। इस राजमार्गको तुम कैसे छोड़ सकते हो; छोड़ा कैसे ?

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

## २५. पत्र : आनन्दशंकर ध्रुवको

[ नडियाद ]

अगस्त १७, १९१८

श्री आनन्दशंकरभाई,<sup>१</sup>

मेरे बारेमें आपकी चिन्ता आपके प्रेमकी सूचक है। मेरी स्थितिका सही चित्रण इस प्रकार है : मैंने सोमवार और मंगलवार तक असह्य, अथवा इससे भी उग्र विशेषण काममें लाया जा सके तो वैसा दुःख उठाया। इन दो दिनोंमें मैं लगभग बेहोशीकी हालतमें रहा और इस बीच हर समय चीखनेकी बड़ी इच्छा होती थी, मैं बड़ी मुश्किलसे अपनी

१. जमनादास द्वारकादास; होमरूल लीगके एक प्रमुख सदस्य।

२. ( १८६९-१९४२ ); संस्कृतके विद्वान् और गुजराती साहित्यकार; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके सह-उपकुलपति [ प्रो-वाइस-चांसलर ], १९२०-३७।



इस इच्छाको दबा सका। बुधवारको अपेक्षाकृत कुछ शान्ति मिली और उसके बाद उत्तरोत्तर हालत ठीक होती चली गई। कमजोरी बहुत ज्यादा है, इसलिए हिल-डुल तो कैसे सकता हूँ? अभी कुछ दिन तो बिस्तरपर लेटे रहना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अन्तमें सब ठीक ही होगा। इस स्थितिमें आपने जो दवाका प्रश्न उठाया है वह एक तरफ रह जाता है। दवाके बारेमें मेरे विचार जानना ही चाहते हों, तो किसी दिन जरूर बताऊंगा। चाहे कोई भी डाक्टर हो, वह इतना तो स्वीकार करेगा कि जैसा रोग मुझे था उसका इलाज इतने कम समयमें किसी और उपचारसे करना लगभग असम्भव था। आपको निश्चिन्त करनेके लिए पूरा हाल लिखा है।

आपके निर्णयको मैं पढ़ गया हूँ। मजदूर वर्षाकी नाई उसकी बाट जोह रहे थे; अब उन्हें शान्ति मिलेगी। और मैं स्वयं भी निस्सन्देह इसकी राह देख रहा था। यद्यपि उन्हें पैंतीस प्रतिशत वृद्धि मिलनी शुरू हो गई थी, फिर भी मैं यह मानता था कि आपके निर्णयसे उनकी स्थितिको अच्छा समर्थन मिलेगा।

मेरी बीमारीका कारण क्या था, इस बारेमें मुझे आपको लिखना चाहिए। हम आश्रममें अक्सर एक भजन गाते हैं। शय्यापर पड़े-पड़े उसकी एक पंक्तिपर मैंने बहुत बार विचार किया है। श्रीकृष्ण उद्धवसे कहते हैं:

“ ऊधो कर्मनकी गति न्यारी ”

सच है कि हम तो यही गा सकते हैं, क्योंकि बहुत-सी बातोंके बारेमें हमारा अज्ञान असीम है। परन्तु वास्तवमें कर्मोंकी गति न्यारी नहीं है। वह तो सर्वथा सीधी और सरल है। हम जैसा बोते हैं, वैसा ही काटते हैं। जैसा करते हैं, वैसा भरते हैं। इस बीमारीके दौरान कदम-कदमपर अपनी भूल देख सका हूँ। मुझे स्वीकार करना ही चाहिए कि कुदरतने मुझे बहुत बार चेतावनी दी थी। मैंने उसपर ध्यान नहीं दिया और भूलपर-भूल करता गया। पहली भूलकी सजा मिली; दूसरी भूलकी सजा बढ़ी। इस प्रकार सजाओंमें न्यायपूर्वक उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। मैं बारीकीसे देख सकता हूँ कि प्रकृति-जैसा कोई दयालु नहीं है। प्रकृति ही ईश्वर है। ईश्वर ही प्रेम है और भूलके लिए प्रेमपूर्ण दण्ड दिये ही जाया करते हैं। मैं इस बीमारीमें बहुत सीख रहा हूँ।

आपका,  
मोहनदास

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४



## २६. पत्र : गोकुलदास पारेखको<sup>१</sup>

[ नडियाद ]

अगस्त १७, १९१८

सुज्ञ भाईश्री,

आपके जून मासके लिखे हुए पत्रपर युद्ध-सम्मेलनका<sup>२</sup> पता होनेके कारण वह मुझे दो दिन पहले ही मिला है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेरी तरफसे आपको उसकी पहुँच तक क्यों नहीं दी गई है। यद्यपि आपका पत्र मेरे हाथोंमें इतनी देरसे आया है, फिर भी मेरे लिए उसका मूल्य कुछ कम नहीं हो गया है, उतना ही है। मैं, स्वभावतः आपको हमेशा प्रसन्नचित्त ही देखना चाहूँगा। आप प्रसन्न हुए हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैंने यह अनुभव किया है कि खेड़ा जिलेके किसान बहुतसे काम करनेमें समर्थ हैं। इन स्त्री-पुरुषोंके सार्वजनिक सम्पर्कमें आकर मैंने बहुत-कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ। आशा है, आप सकुशल होंगे।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

## २७. पत्र : मनसुखलाल रावजीभाई मेहताको

[ नडियाद ]

अगस्त १७, १९१८

भाईश्री मनसुखलाल,

तुम्हारा पत्र आज मिला। मैं तो इस समय भारी बीमारीसे घिरा हूँ, और बिस्तरमें पड़ा हुआ हूँ। सम्भवतः इससे छुटकारा पा जाऊँगा। मेरे अपने उपचार जारी ही हैं। मन पूर्ण रूपसे शान्त है। इस बातकी प्रतीति होनेपर कि रोग मेरी मूर्खताके परिणाम-स्वरूप ही हुआ है, मैं कम कष्ट अनुभव करता हूँ।

मेरा खयाल है कि इस समय हमारे शिक्षित युवक-वर्गकी दशा दयनीय है। यदि मैं इन्हें सुमार्गपर लानेका कोई उपाय कर सकता हूँ तो इन्हीं दिनों। किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए यह उपयुक्त समय नहीं है। यह वर्ग स्वयंजनित मोहसागरमें गोते लगा रहा है। मेरा यह दृढ़ मत है कि वह इस [अपने पैदा किये]

१. बम्बई विधान परिषद्के एक सदस्य। देखिए “गोकुलदासका पत्र”, महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४।

२. १० जून, १९१८ को बम्बईमें हुआ था।



मोहमें (?)<sup>१</sup> केवल तिलक और बेसेंटकी<sup>२</sup> नीतिके कारण ही कभी ग्रस्त नहीं हो सकता था। इन दोनों व्यक्तियोंने राजनैतिक मामलोंमें नैतिकताको त्याग दिया है, इतना ही नहीं, बल्कि कभी-कभी वे उसके त्यागको इष्ट भी मानते हैं। “शठं प्रति शाठ्यम्” यह उनका नीतिसूत्र है जिसे उन्होंने ज्ञानपूर्वक प्रकटतः स्वीकार किया है। उनकी नीतिपर आरूढ़ वर्गके लोगोंको फिलहाल मैं किसी भी तरह कुछ दे सकता हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। वे मेरे कार्यसे, मेरे लेखों या मेरे भाषणोंसे अप्रत्यक्ष रूपमें जो-कुछ ले सकें, ले लें और वे लेंगे ही। किन्तु यदि मैं उन्हें उसे देनेका प्रयत्न करूँगा तो वे इनकार करेंगे और वह ठीक होगा। श्रीमती बेसेंट और तिलक महाराजकी नीति अत्यन्त दोषपूर्ण है, किन्तु उन्होंने जो कार्य किया है वह तो महान् ही है। उनकी सेवाओंका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। देश-प्रेमका मन्त्र युवकोंने उन्हींसे सीख लिया है। अपने इन गुरुओंको वे एकाएक कैसे त्याग दें? त्याग करनेके लिए मैं उनसे कभी कहूँगा भी नहीं। इसके बावजूद उन्हें पूज्य मानते हुए भी, कभी ऐसा समय जरूर आयेगा, जब यह वर्ग उपर्युक्त नीतिका त्याग कर देगा। भारतके प्राचीन गौरवमें मुझे इतना गहरा विश्वास है। यहाँ कौरवोंकी जीत नहीं हुई, बल्कि पाण्डवोंकी हुई है। और ये पाँच मनुष्य ऐसे थे, जो लाखों व्यक्तियोंका सामना करनेके लिए पर्याप्त थे, ऐसा माना गया है। यह बात मेरी कल्पनाके बाहर है कि इस देशका युवक-वर्ग ‘शठं प्रति शाठ्यं’ जैसी कुत्सित नीतिको अपनाये। मैं धीरज रखकर बैठा रहूँगा। मैं तो इन दोनों व्यक्तियोंसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ, परन्तु इन सब कामोंमें मुझे तो अपनी ही पद्धतिका प्रयोग ही करना है। इसमें कभी-कभी तो बहुत ढील होती दिखाई देती है; किन्तु वह अनिवार्य है। कुछ कार्य पर्देके पीछे किये जाते हैं और होने ही चाहिए। मैंने इस बार कांग्रेसमें न जानेका निश्चय किया है और वह [भी] उक्त कारणोंसे ही। मैं नरम [मॉडरेट] दलके सम्मेलनमें भी नहीं जाना चाहता। मेरे न जानेसे ही जनपक्षको चोट पहुँचेगी। जब सब लोग प्रश्न करने लगेंगे, तब यदि जरूरत मालूम भी हुई तो मैं अपना मत प्रकट करूँगा।

अब तुम्हें बहुत लिख दिया। यह पत्र छापनेके लिए नहीं है; तुम्हारे ही विचार करनेके लिए है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

१. उपर्युक्त स्थल स्पष्ट नहीं है, जैसा कि मूलमें दिये गये प्रश्न-चिह्नसे प्रकट है।

२. एनी बेसेंट (१८४७-१९३३); यियोसॉफिकल सोसाइटीकी अध्यक्ष; बनारसके केन्द्रीय हिन्दू कॉलेजकी संस्थापिका और १९१७के कांग्रेस अधिवेशनकी अध्यक्ष।



## २८. पत्र : शंकरलाल बैंकरको

[ नडियाद ]

अगस्त १७, १९१८

भाईश्री शंकरलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरी तबीयत अभी भी बिलकुल ठीक नहीं हुई है। डर है कि समय लेगी। मैंने स्थितिको जितनी गम्भीर समझा था, उससे कहीं अधिक गम्भीर हो गई है। तुम चिन्ता न करना। भाई जमनादासके बारेमें मेरे लिए अब कुछ सोचना बाकी नहीं रहा है। श्री विठ्ठलभाईने<sup>१</sup> अपने स्वभावके अनुसार ठीक समझकर त्यागपत्र वापस लेनेकी सलाह दी है। मेरी सलाह तो यही है कि चाहे जितना क्षोभ पैदा हो उन्हें उसका सामना करना चाहिए और त्यागपत्र [ देनेके अपने निश्चय ] पर कायम रहना चाहिए। हममें जो बात हुई थी वह आपको याद होगी। मेरी राय यह नहीं है कि भाई जमनादास काम छोड़ दें। किन्तु भाई जमनादासको बड़ी जिम्मेदारीका पद जरूर छोड़ देना चाहिए। इसमें स्व-कल्याण और लोक-कल्याण दोनों ही हैं। इससे कांग्रेसको कोई हानि न पहुँचेगी। आज तक हमारी अपनी ही भूलोंसे कांग्रेसको एकके-बाद-एक जो हानियाँ पहुँचती रही हैं, उनका विचार हम क्यों न करें? अब एक सीधे कार्यसे क्या विशेष हानि पहुँचेगी? भाई जमनादास अपने निश्चयपर कायम रहेंगे, तो उनकी सेवाशक्ति बहुत बढ़ जायेगी। तुम दृढ़ रहना और जमनादासको दृढ़ बनाना। माजीको मेरा प्रणाम कहना।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

१. विठ्ठलभाई ज० पटेल ( १८७३-१९३३ ); सरदार वल्लभभाई पटेलके बड़े भाई; १९०८ में वकालत पास की; बम्बई विधान परिषद् तथा शाही परिषद्के सदस्य; भारतीय विधान सभाके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष ( १९२५-३० ) ।



## २९. पत्र : देवदास गांधीको

[ नडियाद ]

अगस्त १७, १९१८

चि० देवदास,

तुम्हारी हिन्दी-कक्षाका दो महीनेका कार्य-विवरण पढ़ लिया और उससे सन्तोष हुआ। तुम्हें यह कार्य इतना भा गया है, मानो तुम इसीके लिए पैदा हुए हो और इसके लिए तुम इतने योग्य प्रमाणित हुए हो कि तुम्हारी जगह दूसरा आदमी रखना मुश्किल हो गया है। दूसरा कोई [तुमसे कुछ] अधिक कर सकेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ईश्वर तुम्हारा निश्चय दृढ़ रखे। तुम अपना स्वास्थ्य बनाये रखो और दीर्घ-जीवी बनो, ताकि मद्रास प्रदेश भारतीय एकताके सुरोंसे गूँज उठे, एवं इस समय दक्षिण और उत्तरके बीच जो चौड़ी खाई पैदा हो गई है, वह पट जाये और दोनों स्थानोंके लोग परस्पर घुल-मिल जायें। इस कामको जो आदमी करेगा, वह इतने-से ही अमरत्व प्राप्त कर लेगा। ईश्वर करे, तुम इस पदको प्राप्त करो। तुम योग्य हो। किसी भी कारणसे काम न छोड़ना। दिन-प्रतिदिन अपना हिन्दीका ज्ञान बढ़ाते जाना और अपने चरित्रको दृढ़ बनाना। जो व्यक्ति सत्यवान्, ब्रह्मचारी, अपरिग्रही, दयावान् और शूरवीर होगा, उसका प्रभाव सारी पृथ्वीपर पड़ेगा। तुम उस प्रभावसे लोगोंको इकट्ठा कर सकोगे और फिर उन्हें आसानीसे हिन्दीका ज्ञान दे सकोगे। जब मेरे विचार ऐसे हैं, तब मेरे लिए तुम्हें लड़ाईमें भेजनेका विचार करना कैसे सम्भव है? तुम वहाँ अपना काम कर रहे हो यह लड़ाईमें जानेके बराबर ही है। तुम धीरज न छोड़ना। तुमसे लड़ाईमें शामिल न हुआ जा सके तो इसकी कोई चिन्ता नहीं। मैं तुम्हारे दूसरे भाइयोंको भी कैसे भेजूँ? हरिलाल तो तुम्हारा भाई रहा ही नहीं, मणिलाल आ नहीं सकता, रामदास आये तो मैंने उसे पत्र लिखकर बुलाया है। यदि तुम प्रातःस्मरण और संध्याके नियमका पालन नहीं करते हो तो उसे अब आरम्भ कर देना। वह तुम्हारा बहुत-बड़ा अवलम्ब है, यह निश्चित जानो। जो व्यक्ति या राष्ट्र लाखों वर्ष पुरानी प्रथाको बिना कारण छोड़ देता है, वह बहुत बड़ी चीजको खो बैठता है। आधुनिक कालमें विशाल समुद्रकी लहरें हम सबको प्लावित कर रही हैं। उनमें डूबनेसे बचनेका एकमात्र उपाय सुबह-शामकी प्रार्थना है, बशर्ते कि यह बात समझमें आ जाये, और उसपर ज्ञानपूर्वक आचरण किया जाये।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४



## ३०. पत्र : एन० एम० समर्थको

अगस्त २०, १९१८

प्रिय श्री समर्थ,<sup>१</sup>

आपके पत्रके लिए बहुत आभारी हूँ। निश्चय ही धार्मिक उपचारमें मेरा विश्वास है। ज्यादातर मैंने इसीका आश्रय लिया है। किन्तु उसीके साथ मेरा प्राकृतिक-चिकित्सा और उपवासमें भी विश्वास है। प्राकृतिक-चिकित्सा जल और एनिमाकी चिकित्सा है। भोजनके रूपमें केवल फलोंका रस — खास तौरपर सन्तरेका रस लेता हूँ। मुझे यह स्वीकार करनेमें संकोच नहीं कि जिस हृदयक प्राकृतिक-चिकित्साका सहारा लेता हूँ, उस हृदयक शुद्ध धार्मिक उपचारमें विश्वासकी कमी मानी जानी चाहिए। जब मैं यह समझ जाता हूँ कि प्रकृतिका नियम भंग करनेसे मैं इस रोगमें फँसा हूँ, तब केवल धार्मिक उपचारसे चिपटे रहनेकी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती।

मुझे खेद है कि मैं कल न तो आपके साथ रह सकूँगा और न अपना नाम ही उस आन्दोलनके साथ सम्बद्ध रख सकूँगा। मैं दोनों आन्दोलनोंसे अलग रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो विचार रखता हूँ वे दोनोंमें से किसी भी दलको मंजूर नहीं हो सकते। मेरा तो यह खयाल है कि इस अवसरपर सभी नेताओंको अपनी लगभग सारी अन्य प्रवृत्तियाँ बन्द करके पूरी शक्ति सैनिक-भरतीके काममें लगानी चाहिए। मैं जानता हूँ कि गरम दलवाले मुझसे सहमत नहीं हैं। और मैं नहीं मानता कि नरम दलवाले मैं जिस हृदयक जाना चाहता हूँ, उस हृदयक जानेके लिए तैयार हैं। मैं मोटे तौरपर मॉण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड योजनाको स्वीकार तो करता हूँ, किन्तु उसे स्वीकार्य बनानेके लिए उसमें कुछ हेर-फेर करानेका आग्रह नहीं छोड़ूँगा। जितना मुमकिन हो सकता है उतना सब कर चुकनेके बाद भी अगर उसमें हेर-फेर न किया जाये, तो मैं इस योजनाको विफल बनानेकी कोशिश करूँगा। मुझे अपने संशोधन मंजूर करानेके लिए, जिसे आमतौर पर 'पैसिव रेजिस्टेंस' कहा जाता है, उसका आश्रय लेनेमें भी हिचकिचाहट नहीं होगी। नरम दलवाले यह शर्त स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मुझे धीरजके साथ इन्तजार करते हुए अकेले ही अपना अलग रास्ता तय करना पड़ेगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. १९१४ में इंग्लैंड भेजे गये कांग्रेस शिष्टमंडलके एक सदस्य।



## ३१. पत्र : बी० चक्रवर्तीको<sup>१</sup>

अगस्त २५, १९१८

प्रिय श्री चक्रवर्ती,<sup>२</sup>

आपका पत्र मिला। धन्यवाद। मैं कांग्रेससे अलग रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे विचार उसके मुख्य-मुख्य नेताओंको मान्य नहीं हैं। मैंने अपनी स्थितिकी चर्चा श्रीमती बेसेंटके साथ की थी। वे मुझसे सहमत हो गई थीं कि मुझे अलग रहना चाहिए। मैं नरम दलवालोंके सम्मेलनमें भी मौजूद नहीं रहूँगा। मैं मानता हूँ कि यदि हम केवल सैनिक-भरतीका काम हाथमें ले लें, तो यही देशकी सबसे बड़ी सेवा होगी। मैं जिस हद तक जाता हूँ, वहाँ तक जानेके लिए कोई भी दल तैयार नहीं होगा। फिर मॉण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड योजनाके सिद्धान्त तो मैं स्वीकार करता हूँ, परन्तु उसमें कुछ कमसे-कम सुधार साफ तौरपर सुझाऊँगा। और उनपर अमल करानेके लिए मरते दम तक लड़ूँगा। नरम दलवाले अवश्य ही इसके लिए तैयार नहीं हैं। गरम दलवाले एक हद तक तैयार तो हो सकते हैं, किन्तु मैं जिस अर्थमें चाहूँ, उस अर्थमें नहीं। इसलिए मेरा खयाल है कि दोनों दलोंको इकट्ठा करनेके मामलेमें मुझे इस समय कुछ नहीं करना चाहिए। मैं हिंसासे कुछ नहीं करना चाहता और इसलिए [सिद्धान्तके मामलेमें] समझौतेकी नीति पसन्द नहीं करता। देशमें इस वक्त साफ तौरपर ये ही दो दल हैं। दोनोंको अपने-अपने कार्यक्रम हिम्मतके साथ सरकार और जनता दोनोंके सामने रखने चाहिए और उनकी स्वीकृतिके लिए आन्दोलन करना चाहिए। मेरी रायमें ऐसा करनेसे ही हम वास्तविक प्रगति कर सकेंगे। अभी तो हम कोल्हूके बैलकी तरह जहाँके-तहाँ चक्कर लगाते रहते हैं।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. गांधीजीने यह पत्र श्री चक्रवर्तीके उस पत्रके उत्तरमें लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके नाम लिखे गांधीजीके पत्रको गलत समझा जा रहा है और गांधीजीको एक वक्तव्य निकालना चाहिए कि वे कांग्रेसके खिलाफ नहीं हैं।

२. १९२० में कलकत्ता कांग्रेसकी स्वागत समितिके अध्यक्ष।



## ३२. पत्र : बाल गंगाधर तिलकको

[ अगस्त २५, १९१८ ]

आपका खत मिला है। आपकी दिलसोजीसे मैं अनुगृहीत हुआ हूँ। मेरे स्वास्थ्यके लिए आप क्यों चिंतित न होंगे? ईश्वरकृपासे मेरी तबियत अब ठीक है। बिछाना तो मैं थोड़े रोज तक नहीं छोड़ सकूंगा। बड़ा दर्द हो रहा था। वह अभी शांत हुआ।

कांग्रेसमें आनेका मेरा इरादा है नहीं। नरम दलके सम्मेलनमें भी जानेका इरादा है नहीं। मैं देखता हूँ मेरा अभिप्राय दोनोंसे विचित्र है। वह आपको मैंने बतला दिया है। मेरा मंतव्य है कि इस समय युद्धकी भरतीमें हम सब लग जानेसे और लाखोंको ले जानेसे हिन्दुस्तानकी बड़ी भारी सेवा कर सकते हैं। मेरी इस रायमें आप और मि० बेसैंट संमिलित नहीं है। मैं जानता हूँ नरम दलवाले भी इस कार्यमें तीव्रतासे शामिल नहीं होंगे। यह तो एक बात हुई। मेरी दूसरी राय यह है : मॉन्टेग्यु-चैम्सफर्ड योजनाका तत्व ग्रहण करना और उसमें जो कुछ सुधार हम चाहते हैं वह सुधार साफ-साफ बता देना। और जो सुधार हम बतायेंगे उसका स्वीकार करानेके लिये मरण पर्यंत लड़ना। इस सूत्रका नरम दल स्वीकार नहीं करेंगे यह तो स्पष्ट है। यदि आप और मि० बेसैंट स्वीकार करेंगे तो भी जिस तरहसे मैं लड़ना चाहता हूँ वैसा तो आप नहीं लड़ेंगे। मि० बेसैंटने कह दिया है कि वह सत्याग्रही नहीं है। आपने दुर्बलोंका एक हथियार मानकर सत्याग्रह स्वीकार किया है। इस भ्रमणामें मैं पड़ना नहीं चाहता। और आप दोनोंसे विमुख होकर कांग्रेसमें आंदोलन करना नहीं चाहता। मेरे सूत्रपर मेरा अचल विश्वास है। और मेरा यह भी मंतव्य है कि यदि मेरी तपश्चर्या संपूर्ण होगी तो आप और मिसस बेसैंट मेरे सूत्रका स्वीकार करेंगे। मैं धैर्य रख सकता हूँ।

नरम और गरम दल अपनी थोड़ी थोड़ी बातोंको छोड़कर संमिलित हो जानेकी चेष्टा करें, यह मुझे बिलकुल पसंद नहीं। देशमें दो पक्ष हैं। दोनों पक्षोंकी राय साफ साफ राजाको और प्रजाको बतानेमें कुछ भी हानि होगी ऐसा मैं नहीं मानता। गरम दल और नरम दलको मिलानेकी चेष्टा करना मुझे बिलकुल पसन्द नहीं है। दोनों पक्ष दृढ़तासे उनकी राय राजाप्रजाकी समक्ष रखेंगे तो बड़ा फायदा पहुँचेगा। आपके कार्यमें प्रभु आपको सहाय हो।

आपका  
मोहनदास

महादेवभाईकी डायरी, खण्ड १

१. महादेवभाईनी डायरीमें दी गई तिथि।



### ३३. पत्र : डॉ० पी० सी० रायको

अगस्त २७, १९१८

प्रिय डॉक्टर राय,<sup>१</sup>

आपने मेरी बीमारीका हाल सुना होगा। मुझे पेचिशकी बहुत सख्त शिकायत हो गई थी। बीमारीसे तो मैं अच्छा हो गया लगता हूँ; परन्तु कमजोरीके कारण लस्त हो गया हूँ। मैं मुश्किलसे बिस्तरमें उठकर बैठ पाता हूँ और बिस्तरमें भी बहुत देर तक नहीं बैठा रह पाता। मेरे सामने इस टूटे हुए शरीरको दुबारा बनानेका सवाल है। दूध और उससे बननेवाले पदार्थ मैं कितने ही वर्षोंसे नहीं ले रहा हूँ। उन्हें जीवनपर्यंत न लेनेका मेरा व्रत है। इसलिए दूध और मक्खनका काम देनेवाली चीजोंकी मुझे जरूरत है। जबतक मुझमें शक्ति थी, तबतक मूंगफली, अखरोट और दूसरी तरहकी गिरीसे मेरा यह काम चल जाता था। किन्तु अब मेरा आमाशय बहुत नाजुक हो गया है और इस गिरीसे निकलनेवाली चिकनाई बहुत भारी पड़ती है। दूध और घीका स्थान लेनेवाली चीजें निश्चित रूपसे मुझे वनस्पतिजन्य पदार्थोंमें से चाहिए। पहले मैंने खोपरे और बादामका दूध इस्तेमाल किया है। इनका शरीरपर जो असर होता है, वह गायके दूधसे बिल्कुल ही भिन्न है। क्या आपके ध्यानमें घी या मक्खन और दूधका स्थान लेनेवाला कोई वनस्पतिजन्य पदार्थ है? हो, तो कृपा करके बताइये। अधिक अच्छा तो यह होगा कि कोई ऐसा पदार्थ मिल सके, तो मुझे भेज दीजिए। मैंने सुना है कि उत्तरमें महुएके कोमल बीजोंसे घी बनाया जाता है। वह साधारण घी जैसा नहीं होता, परन्तु जैतूनके तेल जैसा ही होता है। इस मामलेमें हो सके, तो मुझे जानकारी दीजिए। मुझे दुःख हो रहा है कि इतने दिनोंमें मुझे आपको एक ही पत्र लिखनेका अवसर मिला और वह भी केवल अपने स्वार्थके लिए आपको तकलीफ देनेके लिए। बने तो इसके लिए मुझे क्षमा करें।

हृदयसे आपका,

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. डॉ० प्रफुल्लचन्द्र राय (१८६१-१९४४); सुप्रसिद्ध रसायन-शास्त्री और देशभक्त ।



### ३४. पत्र : जमनालाल बजाजको

अहमदाबाद

श्रावण कृष्ण ७ [अगस्त २८, १९१८]

भाई जमनालालजी,<sup>१</sup>

आपका पत्र और ५,००० रुपयेकी हुंडी मिले हैं। देरी होनेसे कुछ हानि नहि हुइ, मेरी तबीअतके लिये निश्चित रहेना। दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाती है। और थोडा रोज तक बिछानेमें रहना पडेगा। अशक्ति बहुत आगइ है।

आपका

मोहनदास गांधी

पांचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद

### ३५. भारतीय और ट्रान्सवाल

अगस्त २९, १९१८

श्री गांधी २९ अगस्तको समाचारपत्रोंको लिखते हैं :

ब्रिटिश भारतीय संघ, ट्रान्सवालके अध्यक्ष, श्री अहमद मुहम्मद काछलियाने अपने एक तारमें मुझसे ट्रान्सवाल जानेके इच्छुक शिक्षित भारतीयोंका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करनेको कहा है कि ट्रान्सवालकी स्थानीय जनताकी आवश्यकताओंके खयालसे उस उपनिवेशमें छः व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। यदि प्रेसीडेंसीमें इसके लिए इच्छुक लोग हों तो उनको अपनी शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ, अपनी अवस्था और निवासके स्थानका व्यौरा देते हुए अपने प्रार्थनापत्र अध्यक्ष, ब्रिटिश भारतीय संघ, ट्रान्सवाल, पो० बॉक्स संख्या ६५२२, जोहानिसबर्गके पतेपर ३० अक्टूबर, १९१८ या उसके पहले अध्यक्ष तक पहुँचा देने चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन रिव्यू, सितम्बर, १९१८

१. जमनालाल बजाज ( १८८९-१९४२ ); प्रसिद्ध गांधीवादी उद्योगपति जिन्होंने गांधीजीकी रचनात्मक योजनाओंमें भरपूर सहयोग दिया; गांधीजीके निकटतम साथियों और सलाहकारोंमें से एक।



## ३६. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

अगस्त २९, १९१८

प्रिय चार्ली,

मुझे तकलीफ तो जरूर हुई, परन्तु जितनी चाहिए थी, उतनी नहीं। मुझे अपनी इस बीमारीके कारण बिलकुल साफ समझमें आ गये हैं और वे मेरे पक्षमें नहीं जाते। उनसे यह जाहिर होता है कि अपनी कमजोरियाँ दूर करनेकी अपनी तमाम कोशिशोंके बावजूद मैं अभीतक कितना कमजोर हूँ। इस बीमारीसे यह बात और भी स्पष्ट हो गई कि हम किस तरह लगातार प्रकृतिके जाने-माने नियम तोड़ते रहते हैं। दूसरे किसी लालचको जीतना इतना मुश्किल नहीं है, जितना जीभके स्वादको; और इसी कठिनताके कारण हम उसपर बहुत विचार ही नहीं करते। मेरी रायमें जीभको जीत लेना सब-कुछ जीत लेना है। परन्तु इस बारेमें अधिक फिर कभी लिखूंगा। मेरी तबीयत धीरे-धीरे सुधरती जा रही है। इस बीमारीमें मैंने शान्ति कभी नहीं खोई। मेरी कोई चिन्ता न करना। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी कारणसे शान्तिनिकेतन छोड़ो। मेरा तो खयाल है कि तुम और गुरुदेव अपने जीवनका सर्वोत्तम कार्य कर रहे हो। असली काव्य तुम इसी समय लिख रहे हो। यह जीवन्त काव्य है। काश! गुरुदेवके, और तुम्हारे भी, प्रवचन सुननेका जो लाभ वहाँके सौभाग्यशाली विद्यार्थियोंको मिल रहा है, वह लाभ लेने में शान्तिनिकेतन आ सकता और उन विद्यार्थियोंकी पंक्तिमें बैठ सकता।

तुम्हारा,  
मोहन

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## ३७. डॉ० प्राणजीवन मेहताको लिखे पत्रका अंश

[ अहमदाबाद ]

अगस्त २९, १९१८

आपने मालवीयजीके<sup>१</sup> [ कांग्रेसमें ] एकता करानेके अन्तिम प्रयत्नके बारेमें जो समाचार दिया है, यह अखबारोंमें भी है। यह तो आशा भी थी कि पण्डितजी ऐसा कोई प्रयत्न करेंगे। परन्तु मुझे भय है कि अब सारे प्रस्ताव कमजोर होंगे। सहज विचारसे ही यह निश्चय हो जाना चाहिए कि भले ही कम माँगा जाये, परन्तु उसके पीछे

१. मदनमोहन मालवीय (१८६१-१९४६); बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके संस्थापक; शाही परिषद्के सदस्य; दो बार कांग्रेसके अध्यक्ष निर्वाचित।



संकल्प होना जरूरी है। जनताको ज्यों-ज्यों और जिस हद तक यह भान होता जायेगा कि वह अपनी मांग पूरी करानेमें समर्थ है, त्यों-त्यों और उस हद तक वह ऊँची उठती जायेगी। यह आकाश-कुसुम माँगने जैसी बात नहीं है, बल्कि अत्यन्त व्यावहारिक है।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

### ३८. पत्र : देवदास गांधीको

[ अहमदाबाद ]

अगस्त २९, १९१८

चि० देवदास,

लम्बी प्रतीक्षा करनेके बाद तुम्हारे दो पत्रोंके दर्शन आज एक साथ हुए। मेरा स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है। चिन्ताका तो बिलकुल कोई कारण नहीं है। आज तबीयत बहुत अच्छी है। मैंने शुरूसे आखिर तक स्वास्थ्यपर अपने नियन्त्रणको नहीं खोया है। और परिणामके बारेमें तनिक भी चिन्ता नहीं की। बीमारीमें पीड़ा होनेका भय लगता था, परन्तु मौतसे तो सपनेमें भी भय नहीं लगा। जब अधिक पीड़ा होती थी, तब जी चाहता था अब इससे छूट जाऊँ तो कितना अच्छा हो। जबतक जीवित हूँ तबतक कर्म करता रहूँ, यह दूसरी बात है। परन्तु कर्म करनेके लिए जीवित रहनेकी आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा मोक्षकी हो सकती है, परन्तु मोक्ष माँगनेसे नहीं मिलता। उसके लिए योग्यता चाहिए।

मैं तुम्हारे कार्यको इतना महत्त्वपूर्ण मानता हूँ कि तुम उसे मेरी तबीयत देखने [आने] के लिए भी नहीं छोड़ सकते। मेरी सेवा-शुश्रूषा भली-भाँति की जाती होगी यह तो तुम्हें मान ही लेना चाहिए। अब मुझे बिलकुल नहीं लगता कि मैं फ्रांस जाऊँगा। अब तो ऐसा महसूस होता है कि लड़ाईमें बिलकुल जाना ही नहीं होगा। फ्रांसके रणक्षेत्रमें दिन-प्रतिदिन मित्र राष्ट्रोंकी जीत होती दिखाई देती है। इस स्थितिमें ऐसा नहीं लगता कि हम वहाँ ले जाये जायेंगे। हमें इसका पता महीने बीस दिनमें लग जायेगा। सम्भव है, जाना हो, फिर भी अब फ्रांस जानेकी आशा तो छोड़ ही देनी चाहिए। हो सकता है, मैसोपोटेमिया जाना पड़े।

आनन्दशंकर भाईने 'हिन्दू-धर्मकी बाल-पोथी' लिखी है। परन्तु वह ऐसी है, जिसे वृद्ध भी दिलचस्पीसे पढ़ सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मुझे तो यह ग्रन्थ अलौकिक मालूम होता है। भाई महादेव<sup>१</sup> इसे मुझे रोज सुबह पढ़कर सुनाते हैं। मैं तो उसमें रसपान कर रहा हूँ। दूसरी भाषाओंमें ऐसी छोटी पुस्तकें कम होंगी। इसमें आनन्दशंकर भाईके व्यापक अध्ययन और मननका सार आ गया है। तुम इसे बार-बार

१. महादेव हरिभाई देसाई (१८९२-१९४२); गांधीजीके निजी सचिव। देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ५२१।



पढ़ना। उससे सम्बन्धित प्रसंग समझमें न आयें, तो उनके बारेमें पूछ लेना। तुम्हें यह पुस्तक भिजवानेका प्रबन्ध कर रहा हूँ। तुम्हारे अक्षर सुधर नहीं रहे हैं।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

### ३९. पत्र : हरिलाल गांधीको

अगस्त २९, १९१८

चि० हरिलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है। चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है। अभी कुछ दिन बिछौनेपर पड़े रहना होगा। मेरी सेवा-शुश्रूषामें कोई कमी नहीं होती। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इससे अधिक सेवा किसी चक्रवर्ती राजाकी भी होती होगी। तुम अपना भोजन स्वयं बनाते हो और इसमें तुम्हें रस आता है, यह बात मुझे बहुत प्रिय लगती है। शायद इससे तुम बनोगे, शायद इससे तुम जीवनके तत्त्वको समझ लोगे और अपनी पिछली भूलोंको सुधारकर अपना जीवन उज्ज्वल बना लोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जीवन उज्ज्वल बनाओ। नियमित रूपसे पत्र लिखते रहो तो अच्छा।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

### ४०. पत्र : पुण्डलीकको

अहमदाबाद

श्रावण जन्माष्टमी [ अगस्त २९, १९१८ ]

भाई पुण्डलीक,<sup>१</sup>

काकाजीपर और मेरेपर जो तुम्हारे खत आए हैं वह पढ़कर मैं बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ। मेरी सलाह या तो परवानगी बिना भीतीहरवा नहीं छोड़नेका निश्चय बड़ा अच्छा है। मैं देखता हूँ सुपरिन्टेन्डेन्ट दुख देना चाहता है। आपने धैर्यसे उत्तर दिया वह ठीक है। कोईसे ज्यादा बात करना नहीं। गांवमें अवश्य जाना और रास्ता, घर इत्यादि साफ रखनेके लिए लोगोंको शिक्षण देना। मुझको बारंबार पत्र लिखते रहना; मैं भी पत्रोत्तर भेजूंगा।

१. नारायण तमाजी कातगडे उर्फ पुण्डलीक; महाराष्ट्रके एक स्वयंसेवक, जो कुछ समय तक चम्पारनमें भीतीहरवा। पाठशालाके प्रबन्धक थे।



इस समय तो मैं बीमार हूँ, अशक्ति बहुत है। अच्छा होनेसे थोड़े समयके लिए भी चम्पारनमें आजानेका मेरा इरादा है।

इश्वर तुम्हारी रक्षा करे।

आपका

मोहनदास गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित मूल पत्र (जी० एन० ५२१६) की फोटो-नकलसे।

### ४१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

अगस्त ३०, १९१८

तुम्हारे सारे प्रेम-सन्देश मेरे सामने रखे हैं। वे ठण्डक पहुँचानेवाले मरहमकी तरह हैं। इस बीमारीपर ज्यों-ज्यों विचार करता हूँ, इस बातका अधिकाधिक साक्षात्कार होता है कि मनुष्यका मनुष्यके प्रति और इसलिए ईश्वरका मनुष्यके प्रति प्रेम क्या होता है। इसमें प्रकृतिके कल्याणकारी हाथके सिवा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा खयाल है कि ऊपरसे जो हमें प्रकृतिका प्रचण्ड कोप मालूम देता है, वह दरअसल प्रेमके आविर्भावके सिवा और कुछ नहीं है।

मैं सचमुच चाहता हूँ कि तुम मेरी चिन्ता न करो। शान्तिनिकेतनके तुम्हारे श्रेष्ठ कार्यमें किसी भी तरह बाधा पड़ी तो वह बड़े कष्टकी बात होगी। शान्तिनिकेतनमें तुम्हारे और गुरुदेवके कामका हाल सुनकर मुझे कितना आनन्द हुआ है, यह मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे कहना चाहिए कि तुम्हारे हर पत्रको मैं काँपते हुए हाथोंसे खोलता हूँ कि कहीं किसी बातसे गुरुदेवके महान् कार्यमें कोई खलल तो नहीं पड़ा। यह जानकर बड़ी राहत मिलेगी कि दोनों किसी भी बाधाके बिना सत्र-भर बच्चोंको पढ़ाते रह सके हैं और दोनों पूरी तरह स्वस्थ भी बने रहे हैं।

बड़ोदादाके आशीर्वादके लिए आभारी हूँ। उनके आशीर्वादको मैं बहुत मूल्यवान समझता हूँ। गुरुदेवकी शुभेच्छाओंके लिए उनका भी कृतज्ञ हूँ। श्री रुद्रको मेरी याद कराना।

हम सबकी तरफसे तुम सबको प्यार।

तुम्हारा,  
मोहन

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. एस० के० रुद्र, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्लीके प्रिंसिपल।



## ४२. पत्र : पुण्डलीकको

अहमदाबाद,  
[अगस्त ३०, १९१८]

प्रिय श्री पुण्डलीक,

आपसे पूछा गया है कि आप किस हैसियतसे काम कर रहे हैं। यह पत्र आप इस बातके प्रमाणके रूपमें पेश कर सकते हैं कि भीतीहरवाका स्कूल चलाने और आसपासके गाँवोंकी जनताके बीच सफाई तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य करने या चम्पारनके अन्य जिस स्कूलमें भी आपको मैं रखूँ उसे चलानेके लिए मैंने ही आपको चम्पारन भेजा है।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

जी० एन० ५२१५ की फोटो-नकलसे।

## ४३. पत्र : मिली ग्राहम पोलकको<sup>१</sup>

अगस्त ३१, १९१८

इस समय मेरे सामने महिमामयी वर्षा झड़ी बाँधकर बरस रही है। इससे करोड़ों स्त्री-पुरुषोंके हृदय आनन्दित हो उठेंगे। पश्चिमी हिन्दुस्तानपर भारी अकालका खतरा मँडरा रहा था। पलक झपकते ही वह सारा भय जाता रहा और उसके स्थानपर असीम आनन्द छा गया। यह वर्षा करोड़ों मवेशियोंके लिए तो जीवनदायिनी ही समझो। हिन्दुस्तानके सिवा शायद ही दूसरा कोई देश पृथ्वीपर होगा जो वर्षापर इतना अधिक निर्भर रहता हो। इससे तुम समझ सकोगी कि मुझे आरोग्यदान करनेमें इस वर्षाका कितना हाथ रहा होगा। मैंने बहुत कष्ट भोगा; और सब अपनी मूर्खताके कारण। मैंने शरीरपर जो ज्यादाती की थी, यह सजा उसके योग्य ही थी। एक सदोष प्रयोगके कारण मुझे पेचिश हो गई थी। जब उससे मैं अच्छा होने जा रहा था, तभी मैंने खाना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी मामूली खुराक लेनी शुरू नहीं करनी चाहिए थी। इसी गलतीके अवश्यम्भावी परिणामस्वरूप यह परेशानी सिरपर आई। मेरा शरीर बहुत ही अधिक क्षीण हो गया है। मुझे [बड़ी सावधानीसे] खोया हुआ स्वास्थ्य वापस पाना होगा परन्तु कोई चिन्ताकी बात नहीं। मैं आजकल बीमारीसे

१. मिली ग्राहम पोलक, एच० एस० एल० पोलककी पत्नी; महात्मा गांधी : द मैन (१९३०) की लेखिका।



पूरी तरह मुक्त होनेके बाद आराम कर रहा हूँ और नियमित रूपसे पथ्य-पोषण ले रहा हूँ। उसमें हररोज थोड़ी-थोड़ी वृद्धि भी कर रहा हूँ और आशा है कि दस-एक दिनमें चलने-फिरने लायक शक्ति आ जायेगी। तुमने तीमारदारीके बारेमें पूछा है। मानव-प्रेमके द्वारा जितना-कुछ सम्भव है, वह सब लोगोंने मेरे लिए किया। बीमारीने मुझे आनन्द और दुःख दोनों दिये। इतने अधिक लोग मेरी सेवा करते थे, यह देख आनन्द होता था। और अपनी कमजोरी तथा मूर्खताके कारण मुझे सेवाकी जरूरत पड़ी, इसका दुःख होता था। प्रेमका यह बहुमूल्य अनुभव मुझे अपनी शक्ति-भर लोगोंकी सेवा करनेकी अतिरिक्त प्रेरणा देता है। किन्तु दूसरोंकी सेवा भी अन्तमें अपनी ही सेवा है और अपनी सेवाका अर्थ है आत्मशुद्धि। मैं किस तरह अधिक आत्मशुद्धि कर सकता हूँ, यह सवाल मेरी बीमारीके दिनों मेरे मनमें घूमता रहता था। मेरे लिए ईश्वरसे दुआ माँगना।

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

#### ४४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको<sup>१</sup>

अगस्त ३१, १९१८

[ प्रिय चार्ली, ]

तुम्हारी बातसे बड़ा आश्चर्य और सुख हुआ। मुझे तो पता ही नहीं था कि शान्तिनिकेतनमें इतने गुजराती-मारवाड़ी हैं। ये सभी विद्यार्थी वहाँ रहकर अपना पाठ्यक्रम पूरा करें, पूरे समय रहें, तो वे गुजरात और बंगालके बीचकी कौसी अच्छी कड़ी सिद्ध हों। निःसन्देह यदि कविने इसी तरह स्वयं पढ़ाना जारी रखा तो सभी गुजराती पाठ्यक्रमके पूरा होने तक वहाँ बने रहेंगे। इतना ही नहीं, और भी बहुतसे विद्यार्थी वहाँ पहुँचेंगे। मैं यह जाननेको उत्सुक हूँ कि वहाँकी सफाईपर क्या कोई खास आदमी ध्यान देता है? क्या पानीकी व्यवस्था भी ठीक हो गई है?

जहाँतक मेरा सवाल है तबीयत धीरे-धीरे सुधरती जा रही है। प्रगति इतनी धीमी है कि तंग आ जाता हूँ। शरीर लगभग नये सिरसे बनाना है। स्वाभाविक है कि इसमें समय लगेगा। खास तौरपर जब मुझे यह काम रोज-ब-रोज दूध और उससे बननेवाले पदार्थोंके अतिरिक्त अन्य चीजोंसे ही लेना है। परन्तु मेरा खयाल है कि मैं शरीरको सँभाल लूँगा। तुम इतमीनान रखो कि मैं फौजी भरतीके कामकी या कांग्रेसके काम-काजकी जरा भी चिन्ता नहीं करता। तुम्हारी तरह मैं यह तो नहीं कह सकता

१. एन्ड्र्यूजके उस पत्रके उतरमें, जिसमें कहा गया था कि शान्तिनिकेतनमें ७० गुजराती और मारवाड़ी विद्यार्थी हैं और रवीन्द्रनाथ ठाकुर बड़े प्रेमसे उनकी देखभाल करते हैं और उनके माता-पिता आदिके आनेपर स्वयं उनकी अभ्यर्थना करते हैं।



कि इस सबके बारेमें जाननेके लिए अखबार तक नहीं देखता। उलटे, कांग्रेसकी प्रतिदिनकी कार्रवाईको तो उत्सुकतापूर्वक देख लेता हूँ। परन्तु इसकी अपने मनमें चिन्ता नहीं होने देता।

मैं जानता हूँ कि रुद्र मेरी बहुत चिन्ता करते हैं। मेरी तबीयतके सारे समाचार उन्हें देना और उन्हें यकीन दिलाना कि आप सबकी प्रार्थना मुझे आरोग्य और सुख दिये बिना नहीं रहेगी।

सस्नेह,

तुम्हारा,  
मोहन

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

### ४५. पत्र : देवदास गांधीको

[ अहमदाबाद ]

अगस्त ३१, १९१८

[ चि० देवदास, ]

मैं कांग्रेसमें नहीं गया; क्योंकि श्रीमती बेसेंट और तिलक महाराजसे बात करनेके बाद मुझे वातावरणमें बहुत कृत्रिमताका आभास मिला। मुझे ऐसे महत्वपूर्ण अवसरपर योजनाके सम्बन्धमें व्यर्थ वादविवाद करनेकी अपेक्षा यह अधिक आवश्यक प्रतीत हुआ है कि हम अपनी माँगोंको स्वीकार करानेके उपाय ढूँढ़ें और उनको कार्यान्वित करें। मैंने इस विषयमें अपने विचार उनके सम्मुख प्रस्तुत किये और यह कहा कि हमारे पास दो बड़े हथियार हैं। एक तो है लड़ाईमें अपनी सम्पूर्ण आहुति और दूसरा है अपनी योग्यताके बारेमें अपनी आत्माकी साक्षी प्राप्त करना। आत्माकी साक्षी मिल जानेसे ऐसा आन्तरिक बल प्राप्त होता है, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। दूसरा उपाय यह है कि हम अपनी माँगके सम्बन्धमें दृढ़ निश्चय करके उसपर भूतकी तरह अड़े रहें और उसको स्वीकार करानेके लिए मृत्युपर्यंत लड़ें। दोनों नेताओंने इन दोनों विचारसूत्रोंको ठुकरा दिया, इसलिए मुझे खयाल हुआ कि कांग्रेसमें मेरा जाना व्यर्थ है और न जानेपर भी मैं अपने विचार अप्रत्यक्ष रूपसे ठीक-ठीक प्रकट तो कर ही सकता हूँ। इसी खयालसे मैंने कांग्रेसमें जानेका विचार छोड़ दिया।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४



## ४६. पत्र : करसनदास चितलियाको

[ अहमदाबाद ]

अगस्त ३१, १९१८

[ भाईश्री करसनदास, ]<sup>१</sup>

भाई केसरीप्रसादके त्यागपत्रकी बात सुनकर मुझे दुःख हुआ। उनकी कांग्रेसमें जानेकी तीव्र इच्छा थी। मेरे साथ उनकी बातचीत भी हुई थी। परन्तु मैंने उनसे कहा था कि अगर छुट्टी न मिले, तो वे अपनी इच्छाको दबायें और जैसा निर्देश दिया जाये वैसा करें। परन्तु वे अपनी इच्छाको नहीं दबा सके। मुझे भय है कि भाई केसरीप्रसादको असन्तोष तो रहता ही था। समाजमें<sup>२</sup> उनकी प्रवृत्तियोंके लिए अवकाश न था। कांग्रेसमें जानेकी मनाहीसे उनके असन्तोषकी सीमा न रही। गुजरातियोंके बिना या अन्य व्यक्तियोंके बिना समाज निर्मूल हो जाये, सो बात नहीं। समाज तो अविचल [ चलता ] रहेगा। शास्त्रियर<sup>३</sup>-जैसे उच्च चरित्रके नेता अपने-जैसे अन्य लोगोंको खींचे बिना नहीं रह सकते। अगर ईश्वर शास्त्रियरको दीर्घायु देगा, तो भारतमें उनकी कीमत भविष्यमें आंकी जायेगी। अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं जिनमें लोग अपनी इच्छाके अनुसार आकर्षित होते हैं। इससे एक प्रकारका झूठा असन्तोष पैदा हो गया है। अन्तमें निराशा तो होगी ही। तब शास्त्रियर-जैसे पुरुषोंका स्मरण किया जायेगा और पीड़ित लोग उनका सहारा ढूँढ़ेंगे एवं उनसे सान्त्वना प्राप्त करेंगे।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

१. बम्बईके भगिनी-समाज तथा भारत सेवक समाज, पूनासे सम्बन्धित।

२. भारत सेवक समाज [ सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ]।

३. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री ( १८६९-१९४६ ); विद्वान्, राजनीतिज्ञ, भारत सेवक समाजके अध्यक्ष ( १९१५-२७ )।



## ४७. प्रस्ताव : गुजरात सभा, अहमदाबाद द्वारा<sup>१</sup>

[सितम्बर, १९१८]

गुजरात सभाने, जिसके अध्यक्ष श्री गांधी हैं, अहमदाबादमें हुई अपनी सामान्य बैठकमें सर्वसम्मतिसे पास एक प्रस्तावका निम्नलिखित अनुवाद कुछ दिन पहले जारी किया था :

सभाकी रायमें स्वराज्य हासिल करनेका सबसे आसान और सीधा तरीका यही है कि इस खतरेकी घड़ीमें युद्ध और युद्ध प्रयोजनोंके लिए जितने भी हो सकें उतने व्यक्ति जुटाकर साम्राज्यकी सहायता की जाये, इसलिए यह सभा प्रस्ताव करती है कि रंगरूटोंकी भरतीके लिए जो बने सो करना चाहिए और उसके लिए आवश्यक मंजूरी भी हासिल करनी चाहिए। सभा अपनी तरहकी अन्य संस्थाओंको भी ऐसा ही करनेकी सलाह देती है। सभा अध्यक्ष और मन्त्रियोंको उपर्युक्त प्रस्तावपर अमल करनेके उद्देश्यसे सभी आवश्यक कदम उठानेके लिए अधिकृत करती है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन रिव्यू, सितम्बर, १९१८

## ४८. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

सितम्बर ३, १९१८

प्रिय चार्ली,

मेरी तबीयत रोज-रोज सुधर रही है। तुम मेरी जरा भी चिन्ता न करना। यद्यपि हम सशरीर नहीं मिलते, फिर भी आत्माका मिलन तो हो ही जाता है। अब मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ने लगा हूँ। आजकल धर्मपर गुजरात कॉलेजके प्रोफेसर आनन्दशंकर ध्रुवके सुन्दर निबंधोंका संग्रह पढ़ रहा हूँ। तुम इनसे मिल चुके हो। ये निबन्ध शुद्ध कांचन हैं। श्री ध्रुव इस प्रान्तके संस्कृतके एक बड़े विद्वान् हैं। इन निबन्धोंसे मुझे बहुत बड़ा सुख मिला है। आत्माके मिलनका अर्थ अधिक अच्छी तरह समझ लेनेमें उन्होंने मुझे मदद दी है। मैं आत्माके मिलनकी बात उसी गहरे और पूर्ण अर्थमें कह रहा हूँ।

मैं कह चुका हूँ कि मैं किसी भी कारण तुम्हारा बोलपुर छोड़वाना नहीं चाहता। इस समय तुम्हारा काम वहीं है, और कहीं नहीं।

औपनिवेशिक प्रवासपर लिखी उस रही हिन्दी पुस्तकके लिए तुमने प्रस्तावना क्यों लिख दी? मैंने अभी-अभी उस पुस्तकपर नजर डाली है। मेरा खयाल है कि

१. इसका मसविदा शायद गांधीजीने तैयार किया था।



तुमने उसे वह प्रमाणपत्र दे दिया, जिसकी वह पात्र नहीं। बेशुमार भूलें, बेहद खुशामद और विज्ञापन, इन सब बातोंका तो तुम प्रचार नहीं करना चाहते न? मैं इस पुस्तकको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहता हूँ। उसकी बड़ी-बड़ी भूलें तुम्हारे लिए नोट करके रखूंगा। लेखकने अपना नाम नहीं दिया, इसमें भी मुझे उसका कोई गुण दिखाई नहीं देता। जिनके निकट वह जाहिर होना चाहता है उनसे तो वह अज्ञात नहीं रहता। यह प्रस्तावना तुम्हारी भलमनसाहत जाहिर करती है। तुम हिन्दुस्तानी बन गये हो और जैसा लॉर्ड विलिंगडनने<sup>१</sup> हाल ही में कहा है, इस तरह इनकार करनेकी तुममें हिम्मत नहीं है। मैं तो खूब चाहता हूँ कि इस मामलेमें तुम अपना अंग्रेज-स्वभाव ही रहने दो और जहाँ इनकार करने जैसी बात हो, वहाँ इनकार ही करो। मैं तो मानता हूँ कि कभी-कभी प्रेमका यह अधिकार होता है कि वह कड़ाईके साथ 'न' कह सके। मैं उपदेश नहीं देना चाहता पर ऐसे मामलोंमें तुम्हें सुधरना चाहिए। नहीं तो जितने बदमाश मुझे मिलेंगे उन सबको मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा; फिर उनके और गुरुदेवके साथ तुम अपना हिसाब निपटा लेना।

तुम सबको प्यार,

तुम्हारा,  
मोहन

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

### ४९. पत्र : शंकरलाल बैकरको

[ अहमदाबाद ]

सितम्बर ७, १९१८

[ भाईश्री शंकरलाल, ]

मैं अनसूयाबेनको<sup>२</sup> लिखे गये पत्रसे देखता हूँ कि तुमने मुझे लिखते समय अपने स्वास्थ्यके बारेमें बहुत छिपाया है। ऐसा करनेकी जरूरत नहीं थी। मैं यह चाहता हूँ कि तुम डॉक्टरोंकी दवाओंपर निर्भर रहकर शरीरके प्रति अपने बरतावमें अनुचित छूट न लो। यह बात मेरे जीवनके अनुभवसे मेरे मनमें अधिकसे-अधिक घर कर गई है। मैंने जीभके वश होकर शरीरके प्रति बरतावमें अनुचित छूट ली और उसका उचित दण्ड भोग रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि ९९ फीसदी बीमारियोंका यही इतिहास है। मैं स्वीकार

१. बम्बई (१९१३-१८) और मद्रास (१९१९-२४) के गवर्नर और वाइसराय (१९३१-३६)।

२. अनसूयाबेन साराभाई, अहमदाबादके एक प्रमुख मिल-मालिक सेठ अम्बालाल साराभाईकी बहन; इन्होंने मिल-मालिकों और मजदूरोंके झगड़ेके दौरान मजदूरोंका पक्ष लिया था।



करता हूँ कि यह शारीरिक संयम बहुत कठिन है, फिर भी पुरुषार्थ इसीमें निहित है। सारी दुनियाको हराना हमारे शरीरमें रहनेवाले शत्रुओंको हरानेकी अपेक्षा अधिक आसान है। इसलिए जो मनुष्य इन्हें पराजित कर देगा, उसके लिए पहला काम तो बहुत सरल है। जो स्वराज्य मुझे, तुम्हें और सबको लेना है, वह सच पूछा जाये तो यही है। अधिक क्या लिखूँ? सब-कुछ लिखनेका अभिप्राय तो इतना ही है कि तुम्हें देशकी जो सेवा करनी है, वह इसी शरीरसे करनी है। तुम्हारी भावनाएँ ऊँची हैं, किन्तु उचित आत्मिक बलके अभावमें ऊँचीसे-ऊँची भावना भी व्यर्थ है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

### ५०. पत्र : डॉ० पी० सी० रायको'

सितम्बर ९, १९१८

दूधका प्रश्न मेरे लिए इतना सीधा नहीं है, जितना आपने बताया है। यह बात नहीं कि बछड़ोंके प्रति मेरा सद्भाव मुझे बीमारीमें दूध लेनेसे रोकता है। बल्कि मैंने बीमारीमें भी दूध और उससे बनी हुई चीजें न लेनेका व्रत ले लिया है और मेरे खयालसे जान-बूझकर, निश्चयपूर्वक लिया हुआ व्रत तोड़नेसे तो मर जाना अधिक अच्छा होगा। इस समय जो परिणाम मैं भुगत रहा हूँ, वे व्रत लेते समय भी मेरे सामने थे। उस समय भी मैं जानता था कि दूधका स्थान लेनेवाला कोई और पदार्थ जुटाना अत्यन्त कठिन है। क्या आप अपने बताये हुए तेलोंमें से किसीको इतना विशुद्ध बना सकते हैं कि वह सुपाच्य बन जाये? आप जानते हैं कि अमेरिकाके रसायन-शास्त्रियोंने बिनौलेके तेलको इसी तरह साफ किया है। बिनौलेका तेल विशुद्ध बनाये बिना खाया नहीं जा सकता, परन्तु अब लोग उसे बेधड़क खाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि जितना मैं चाहता हूँ, इस हद तक वे उसे विशुद्ध कर सके हैं, परन्तु यह तो अनुपातका सवाल हुआ।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. डॉ० रायके उस पत्रके उत्तरमें जिसमें उन्होंने कहा था कि दूधके कुछ तत्त्व तो अन्य पदार्थोंमें मिल जाते हैं, पर दूधकी कमी किसी दूसरे पदार्थसे पूरी तरह पूरी नहीं की जा सकती। डॉ० रायने एक पुराने मित्रके नाते गांधीजीसे दूध शुरू करनेका आग्रह किया था।



## ५१. पत्र : रणछोड़लाल पटवारीको

सत्याग्रह आश्रम

सोमवार, गणेश चतुर्थी [ सितम्बर ९, १९१८ ]

आदरणीय श्री रणछोड़भाई<sup>१</sup>,

आपका पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है, लेकिन कमजोरी बहुत है। इसलिए बिस्तरपर पड़े रहना पड़ता है। चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है। तबीयत बिलकुल ठीक हो रही थी कि इस बीच बुखार चढ़ आया, इससे कमजोरी बढ़ गई। अब बुखार बिलकुल [ भी ] नहीं है। मैं अपने इस रोगके कारण लज्जाका अनुभव करता हूँ। मेरी ऐसी मान्यता थी कि मुझे पेचिश-जैसा रोग हो ही नहीं सकता। इस रोगका कारण मैं स्वयं ही हूँ। हालाँकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता था, फिर भी मेरी त्वचा बहुत कोमल हो गई थी। इतना समय हुआ, इसके [ नमकके ] बिना मेरा चल तो जाता था किन्तु पैरोंमें जितनी ताकत आनी चाहिए थी वह नहीं आ रही थी। मेरे डाक्टर मित्र तो हमेशासे [ यही ] कहते रहे हैं कि मुझे नमक लेना चाहिए। कदाचित् मुझे फ्रांस और मैसोपोटेमिया जाना पड़ा तो [ उसके लिए ] त्वचा जरा कड़ी होनी चाहिये, इस विचारसे मैंने नमकका प्रयोग करना शुरू किया जिसके बिना इतने वर्षों तक मैं निर्वाह करता रहा। उससे दस्त आने शुरू हो गये। इससे मुझे चेत जाना चाहिए था कि मुझे नमक नहीं लेना चाहिए लेकिन मैंने केवल आंशिक उपवास किया। उसके परिणामस्वरूप भयंकर पेचिश हो गई। पेचिशमें भोजन करना यह तो विषके समान है; [ इतना जानते हुए भी ] मैंने भोजन किया। इस प्रकार मुझे संयम-भंग करनेकी सजा भोगनी पड़ी है।

वर्षाकी कमीके कारण निस्सन्देह लोगोंको भारी दुःख भोगना पड़ेगा। यहाँपर तो फिर भी कुछ बारिश हुई है। आते-जाते लोगोंसे काठियावाड़के समाचार पूछता रहता हूँ और समाचारपत्रोंमें भी पढ़ता हूँ। उनसे [ भी ] यही पता चलता है कि वहाँकी स्थिति यहाँसे भी बदतर है।

वहाँका काम छोड़कर नहीं आया जा सकता, यह मैं अच्छी तरहसे समझ सकता हूँ। अछूतोंसे सम्बन्धित लेख 'पताका' ढूँढ़कर पढ़ लूँगा। मैं विरुद्ध पक्षको पूरी तरह समझना चाहता हूँ, और अगर उसमें मुझे धर्म दिखाई दे, तो अपनी राय छोड़नेमें एक क्षण भी देर न करूँगा। आजतक मैंने जितनी दलीलें देखी हैं, उन सबका आधार रूढ़ि-धर्म है। शुद्ध धर्मपर आधारित एक भी दलील मैंने अभीतक नहीं सुनी। अछूतोंका सवाल मैंने तो केवल धार्मिक वृत्तिसे उठाया है। राजनीतिके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके राजनीतिक परिणाम जरूर आते हैं, परन्तु उनपर मैंने दृष्टि रखी ही नहीं। मैं इतना और कह देना चाहता हूँ कि मेरे कहनेका यह आशय नहीं

१. गांधीजीके मित्र, पश्चिम भारतकी देशी रियासतोंमें दीवान थे।



है कि रूढ़ि-धर्मका जरा भी आदर नहीं किया जाना चाहिए। शुद्ध धर्म अचल है, रूढ़ि-धर्म समयानुसार बदला जा सकता है। 'मनुस्मृति' में कहे हुए कुछ वचनोंके अनुसार यदि आज हम चलें, तो उससे केवल अनीति ही फलित होगी। ऐसे वचनोंका हमने चुपकेसे त्याग ही कर दिया है।

मोहनदासके प्रणाम

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २७९३) से।

सौजन्य : पटवारी

## ५२. देवदास गांधीको लिखे पत्रका अंश

[ अहमदाबाद ]

सितम्बर ९, १९१८

तुम तो जानते ही हो कि मैं हमेशासे कमजोर लोगोंके लिए दालके उपयोगके विरुद्ध हूँ। तुम तेलके सम्बन्धमें मेरे अपने डरको भी जानते हो। सभी डॉक्टरोंने मूँग और मूँगका पानी लेनेके लिए और तेलका उपयोग करनेके लिए भी कहा था। दूध न लेनेकी प्रतिज्ञाके कारण क्षीण शरीरको किसी भी चिकनाईके बिना और उस तत्त्वके बिना जिसे 'प्रोटीन' कहते हैं, [ स्वस्थ ] बनाना कठिन है। दूधकी 'प्रोटीन' और चिकनाई रक्तमें तुरन्त घुल सकती है। किन्तु तेलकी चिकनाईमें यह गुण नहीं है। हर दालमें प्रोटीन रहती है। परन्तु दालोंकी प्रोटीन तो पचती ही नहीं है। फिर भी ऊपर लिखे अनुसार दोनों चीजें ली गईं। मुझे लगता है, यह मुझसे भूल हुई; और दूधकी जगह ले सकनेवाली ऐसी किसी भी चीजके ढूँढ़नेमें इस तरहकी भूलें होती ही रहेंगी। किसी प्रकारके तेलके बिना हरगिज काम नहीं चलनेवाला है, किन्तु इसके परिमाण [ का निश्चय ] किया ही जाना चाहिए। उसे ढूँढ़नेमें भूलें अवश्य होंगी और कभी-कभी पीछे भी हटना पड़ेगा।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४



## ५३. पत्र : हरिलाल गांधीको

सितम्बर ९, १९१८

[चि० हरिलाल,]

यह बात सच है कि खाना पकानेमें समय लगता है, परन्तु मैं मानता हूँ कि यह समय व्यर्थ नहीं जाता। और उस समयमें कोई बड़ा काम किया जा सकता है यह बात भी आम तौरपर सही नहीं है। खाना पकानेमें जितना समय लगता है, उससे अधिक समय पंचानवे प्रतिशत लोग रोज व्यर्थ गँवा देते हैं। पंचानवे प्रतिशत कहनेमें तो मैं उदारतासे काम ले रहा हूँ। फिर, खुद खाना पकानेवाले मनुष्यको जब स्वयं बहुत काम होता है, तब वह इतनी जल्दी खाना पका लेता है कि तुम्हें तो आश्चर्य होगा। मैं अपनी ही मिसाल दूँ तो मैं, विलायतमें जब मेरे बहुत पढ़ाईके दिन थे, उन दिनों खाना पकानेमें सुबह-शाम आध घंटेसे ज्यादा समय नहीं लगाता था। सबेरे दलिया पकाता था, उसमें ठीक बीस मिनिट लगते थे और यदि शामको पकाता था तो सब्जियोंका रसा बनाता था। इसे तो हिलाना भी नहीं पड़ता, इसलिए जो वक्त रसेका सामान तैयार करनेमें लगता है, वही लगता था। रसा चूल्हेपर चढ़ा देनेके बाद मैं उसके पास बैठ जाता और पढ़ता रहता। मेरे पास कभी-कभी काशीसे विद्यार्थी आते हैं। इन सबसे मैं पूछता हूँ कि वे क्या करते हैं। ब्राह्मण बहुत करके स्वयं ही भोजन बनाते हैं। एकने मुझसे यह कहा : मैं खिचड़ी पकाता हूँ और उसे दूध और अचारसे खा लेता हूँ। जबतक मैं खिचड़ी खाता हूँ, तबतक मोटी रोटी सिक जाती है। मैं शामको वह मोटी रोटी खा लेता हूँ और दूध पी लेता हूँ। इसमें मुझे कुल पौन घंटा लगता है। यह तो मैंने आत्यन्तिक उदाहरण दिया है। मैं यह नहीं चाहता कि तुम इतनी तंगी सहो, परन्तु दृष्टान्त देता हूँ कि स्वयं भोजन बनानेमें बहुत कम समयमें भी काम चल सकता है। उस विद्यार्थीका शरीर नीरोग और हृष्ट-पुष्ट था, क्योंकि खिचड़ी, दूध या दही और अचारमें शरीरके लिए आवश्यक पूरा पोषण-तत्त्व आ जाता है। जिसे बढ़िया दूध या दही मिल जाये, उसे दूसरे पदार्थोंकी बहुत कम जरूरत रह जाती है। तुम मेरे लिखनेका अर्थ यह न समझ लेना कि तुम सदा ही अपना खाना आप पकाओ। बल्कि उपर्युक्त बातें मैंने इसीलिए लिखी हैं कि मौका पड़नेपर तुम खाना पकानेमें जरा भी न हिचकिचाओ और यह मानकर दुःख न करो कि इतना समय बेकार गया। वैसे यदि तुम अपनी स्थिति सुधरनेपर चंचीको<sup>१</sup> बुला लो और मर्यादामें रहकर स्वाद लो एवं भोग भोगो, तो इसमें मेरे लिए कहने योग्य कोई बात नहीं हो सकती। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो भूल हो चुकी है, वह फिर कभी न हो। मैं चाहता हूँ कि तुम एकदम धनी बन जानेका लोभ न करो।

१. चंचलबेन गांधी; हरिलाल गांधीकी पत्नी।



सोराबजीकी<sup>१</sup> मृत्युकी याद करो, डाक्टर जीवराज मृत्युशय्यापर पड़े हैं इसका ध्यान करो और यह सोचो कि सर रतन ताता<sup>२</sup> भी गुजर गये हैं। जब यह शरीर इतना क्षणभंगुर है, तब यहाँ उत्पात किसलिए किया जाये? रुपयेके पीछे भाग-दौड़ क्यों की जाये? साधारण, परन्तु सतत प्रयत्नसे जितना धनोपार्जन किया जा सके, उतना करो। परन्तु अपने मनमें इतना निश्चय कर लो कि तुम धन कमानेके लिए सत्यका मार्ग कभी नहीं छोड़ोगे। तुम जो निश्चय कर सको, वैसा करके प्रसन्नतापूर्वक धनोपार्जन करो।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

### ५४. पत्र : सरोजिनी नायडूको<sup>३</sup>

सितम्बर २०, १९१८

प्रिय बहन,

आपने जो सवाल पूछे हैं, उनसे जान पड़ता है कि मेरी शर्मनाक हालत यानी बीमारीकी बात आपको मालूम है। मेरी तबीयत अब सुधरती जा रही है, परन्तु बरामदेमें कुछ मिनट टहल सकनेके सिवा ज्यादा चलनेकी शक्ति मुझमें अभी नहीं आई है। आपके साथ पूर्णिया जानेकी मुझे बहुत ही इच्छा होती है, क्योंकि वहाँके लोग मेरी उपस्थिति चाहते हैं, परन्तु यह मेरे लिए असम्भव है। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक ढंगसे काम करेंगी और अपना भाषण<sup>४</sup> हिन्दी या उर्दू — जिसे भी आप राष्ट्रभाषा कहें — में देंगी। आपके उदाहरणसे वहाँके युवक अपनी मातृ-भाषाके विकासका महत्त्व समझेंगे, क्योंकि उनके लिए हिन्दी या उर्दू केवल राष्ट्रभाषा ही नहीं, उनकी मातृभाषा भी है। चाहे एक पंक्ति ही हो, मुझे लिखिए जरूर।

आपका,

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. देखिए खण्ड १४।
२. (१८७१-१९१८); प्रसिद्ध पारसी दानवीर।
३. श्रीमती सरोजिनी नायडू (१८७९-१९४९); प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और कवयित्री। १९२५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके कानपुर अधिवेशनकी अध्यक्षता; स्वतंत्रता प्राप्तिके बाद उत्तर प्रदेशकी राज्यपाल।
४. बिहार छात्र-सम्मेलनके अध्यक्षकी हैसियतसे।



## ५५. पत्र : पुण्डलीकको

सत्याग्रहाश्रम

साबरमती

भाद्रपद शु० पूर्णिमा, २०-९-१९१८

भाई श्री पुण्डलीक,

आपके सब खत में बड़े ध्यानसे पढ़ता हूँ। आपके सब जवाब बड़े अच्छे हैं। सत्यका प्रभाव हि ऐसा है। सुपरिन्टेन्डेन्टका अपमानकी बरदाश्त करनेमें जो शौर्य रहता है, वह अपमानके सामने अपमान करनेमें नहि है। आपकी तितिक्षासे सुपरिन्टेन्डेन्टको जितना सहन करना पड़ेगा उनका शतांश भी आपके अपमानसे उसको नहीं सहना पड़ता। वह तो चाहता है कि आप आवेशमें आकर कुछ भी अयुक्त वाक्य बोल दें। अब आपके प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ।

यदि पाठशाला या तो भीतीहरवा छोड़नेकी सरकारी लिखित नोटिस मिले, तो पाठशाला या तो भीतीहरवा छोड़कर मुझे तार दिया जाये।

२. सुपरिन्टेन्डेन्ट जो कुछ प्रश्न पूछे, उसका उत्तर जैसे देते हो, वैसे ही देते रहना। पूरा सत्य कहना। मैं जो कुछ लिखता हूँ, वह सब उसको कहनेमें कुछ भी हर्ज नहीं है।

आपकी सत्यताकी उपर मेरा पूर्ण विश्वास है।

आपका

मोहनदास गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित मूल पत्र (जी० एन० ५२१७) की फोटो-नकलसे।

## ५६. तार : डॉ० प्राणजीवन मेहताको

सितम्बर २१, १९१८

मेरे विचारमें लेख' प्रकाशित नहीं करना चाहिए। प्रकाशित हो गया हो तो गुजरातकी विशेष उपयुक्तता सम्बन्धी भाग निकालना नितान्त आवश्यक है। पत्रमें विस्तारसे लिख रहा हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. देखिए अगला शीर्षक।



## ५७. पत्र : डॉ० प्राणजीवन मेहताको

[ अहमदाबाद ]

सितम्बर २१, १९१८

[ भाईश्री प्राणजीवन, ]

आपका लेख ध्यानसे पढ़ गया। कल एक तार दिया था; दूसरा आज दिया है। आपका विचार<sup>१</sup> उत्तम है; परन्तु मौजूदा वातावरणमें उसपर अमल किया जाना जरा भी सम्भव नहीं है। कोई भी दूसरा प्रान्त इस बातका समर्थन करे, सो बात नहीं। आपको पता होगा कि बंगाल इस विषयमें बहुत प्रयत्न कर रहा है। उसका तो यह गुप्त प्रयत्न भी जारी है कि पूर्ण स्वराज्य सबसे पहले उसीको मिले। गुजरातमें ऐसा कौन होगा जो यह प्रयत्न करनेके लिए तैयार न हो कि गुजरातको ही सबसे पहले स्वराज्य मिले? शर्माने यही सुझाव जो आपने दिया है कुछ दूसरे रूपमें केन्द्रीय परिषद्में<sup>२</sup> रखा था। और मैं यह स्वीकार करता हूँ कि उसे सब सदस्योंने बड़े ही अनुचित ढंगसे हँसीमें उड़ा दिया। उसे मॉण्टेग्युने<sup>३</sup> महत्त्व दिया है; परन्तु यह कहा है कि इस समय ऐसा महत्त्वपूर्ण हेरफेर करना ब्रिटिश अधिकारियोंका काम नहीं है; परन्तु उसपर भविष्यमें जो नई परिषदें बनेंगी वे विचार कर सकेंगी। यह तो हुआ आपके प्रस्तावके सम्बन्धमें।

गुजरातकी श्रेष्ठताके बारेमें आपने जो तर्क दिये हैं, उनसे तो क्लेश ही खड़ा हो सकता है। इस समय यह बात झगड़ेकी जड़ बन जायेगी। महाराष्ट्रके लोग स्वराज्यके लिए अपनी योग्यताके सम्बन्धमें हमारी अपेक्षा अधिक प्रमाण पेश कर सकेंगे। मद्रासी कहेंगे, हम तो पाश्चात्य तरीकोंके रंगमें पूर्णतया रँग गये हैं, इसलिए हमारे बराबर योग्य तो कोई ही नहीं सकता। आम तौरपर माना जाता है कि गुजरात बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है; और अपने पक्षके समर्थनमें आप जो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, वे ही हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किये जायेंगे। इन सब विरोधी बातोंसे हमें हतोत्साहित नहीं होना है; इसका कोई कारण भी नहीं है। किन्तु स्वराज्यके इस आन्दोलनको ऐसे वातावरणमें आरम्भ करना उचित होगा या नहीं, इस प्रश्नपर विचार करना आवश्यक है। इन

१. डॉ० मेहताने मॉण्टेग्युके एक भाषणको प्रेरणापर गुजरातको स्वराज्य देनेकी कल्पनाको विशद करते हुए एक लेख लिखा था।

२. फरवरी ६, १९१८ को रायबहादुर बो० एन० शर्माने शाही परिषद्में एक प्रस्ताव रखा था जिसमें उन्होंने भाषाके आधारपर प्रान्तोंके पुनर्निर्माणकी सिफारिश की थी। प्रस्ताव भारी बहुमतसे अस्वीकृत कर दिया गया था; देखिए इंडिया इन १९१७-१८, पृष्ठ १६३।

३. ई० एस० मॉण्टेग्यु (१८७९-१९२४); भारत-मन्त्री (१९१७-२२); और मॉण्टेग्यु चैम्सफोर्ड सुधारोंके सह-प्रणेता।



बातोंपर विचार करके जो-कुछ लिखना उचित समझें सो लिखें। मैं उसपर अमल करनेके लिए तैयार हूँ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

## ५८. भाषण : ' पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ' पर

सितम्बर २१, १९१८

' पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 'का पाठ आरम्भ करते हुए गांधीजीने कहा :

देखो भाई, इसका लेखक कौन है? जॉन बनियन। तुम्हें मालूम है, वह कौन था? वह हमारे प्रह्लादजी-जैसा सत्यव्रती था। जैसे प्रह्लादजीने सत्यकी खातिर कष्ट सहे, वैसे ही वह भी सत्यकी खातिर जेलमें रहा था; और जैसे हमारे तिलक महाराजने जेलमें रहकर 'गीता-रहस्य' लिखा था, वैसे ही उसने भी जेलमें यह तीर्थयात्रीकी यात्रा लिखी थी। इसे यात्रा कहो, उत्थान कहो या प्रगति कहो।

जैसे 'गीता' पर भाष्य है, वैसे 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' 'बाइबिल' का एक भाष्य है। इसे 'बाइबिल' पर लिखा गया भाष्य भी नहीं कहा जा सकता; बल्कि कहना चाहिए कि यह 'बाइबिल'के सबसे सुन्दर भागका विवेचन है। अंग्रेजीमें तो यह बहुत ही ऊँची चीज मानी जाती है; इसे लगभग 'बाइबिल'के समान स्तरपर ही प्रतिष्ठित किया जाता है। बनियनने बच्चोंके लिए वह इतनी सरल और सुन्दर भाषामें लिखी है कि जहाँ-जहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, वहाँ-वहाँ वह बच्चोंके लिए अद्भुत पुस्तक मानी जाती है। इससे भी अधिक, पुस्तकके उपोद्घातमें, जैसे तुलसीदासजीने 'रामायण'के बारेमें कहा है, वैसे ही इस पुस्तकके बारेमें भी कहा गया है कि इसे भविष्यमें सब लोग पढ़ेंगे। और यह है भी 'रामायण' जैसी। जैसे तुलसीकृत 'रामायण' में बच्चोंको भी रस आता है और बहुत-से बड़े-बड़े लोग भी गोते खाते हैं, उसी तरह इस पुस्तकमें भी बच्चोंको बहुत रस आ सकता है। परन्तु अब तो हम यह पुस्तक पढ़ेंगे। देखो, उसने यह कहा है :

“संसाररूपी वनमें भटकते-भटकते . . .।” हमारे यहाँ भी संसारको घोर वन बताया गया है। इसी तरह उसने भी संसारको वन कहा है। वह कहता है, मैं ऐसे संसाररूपी वनमें थका-माँदा एक घोर गुफामें आ पड़ा। शरीर श्रमसे ही थका-माँदा नहीं था, बल्कि आत्मिक श्रमसे भी श्रान्त था। अनेक विचार किये, अनेक स्थानोंमें अनेक बातें जानीं और सुनीं, परन्तु कोई तत्त्वकी बात नहीं मिली। बेचारेकी आत्मा थककर चूर हो गई थी; इसलिए वह थकानसे सो गया। सो गया और सपना देखा। सपनेमें उसने क्या देखा? किसे देखा रुखी,<sup>१</sup> मालूम है, फटे-पुराने कपड़े पहने एक

१. मगनलाल गांधीकी पुत्री।



आदमीको। अच्छा बच्चो, भला बताओ तो जब सुदामा श्रीकृष्णके यहाँ गया, तब वह कैसे कपड़े पहने था? क्या वह रेशमी किनारीकी धोती, जरीका कोट, खासी कीमती दक्षिणी पगड़ी और कसीदेदार दुपट्टा पहने था? नहीं, वह फटे-पुराने कपड़े पहने था। इसी तरह यह आदमी भी चिथड़े पहने था। क्यों रुखी, मालूम है, सुदामा क्या पहने था? तुझे तो मालूम नहीं होगा, लेकिन मुझे तो मालूम है। क्योंकि मैं तो सुदामाके गाँव पोरबन्दरमें पैदा हुआ हूँ। खैर, सुदामाका मुँह किस तरफ था? क्या अपने घरकी तरफ था? भाई, वह तो अपना घर छोड़कर भगवान्के घर जा रहा था। इसी तरह हमारा यात्री भी अपने घरकी तरफसे मुँह मोड़कर किसी दूसरी ही ओर पग बढ़ा रहा था। और फिर, उसकी पीठपर क्या लदा था? जैसी बोरी उसकी पीठपर लदी थी वैसी ही, रुखी, जब हम कोचरबमें थे, तब कभी मजदूर पाँच मनकी बोरी लेकर आता था, वह पसीनेसे लथपथ होता था और इतना झुक जाता था कि मैं उसे कैसे कह सकता था कि तू सीधा खड़ा रह। इस आदमीके हाथमें एक पुस्तक थी। वह पुस्तक और कोई नहीं, 'बाइबिल' ही थी। उसे पढ़कर उसकी आँखोंसे आँसू झर रहे थे। गोपीचन्दकी कथा याद है तुम्हें? जब वह नहाने बैठा था, तब उसकी माता उसे ऊपरसे देख रही थी; उसकी आँखोंसे आँसू झर रहे थे और गोपीचन्दके ऊपर गिर रहे थे। बादल तो कोई थे नहीं, फिर भी वर्षा कहाँसे हो रही थी? गोपीचन्दने देखा कि वर्षा तो उसकी माताकी आँखोंसे हो रही थी। लेकिन वह क्यों रो रही थी, यह तो फिर कभी समझाऊँगा। परन्तु इस यात्रीकी आँखोंसे भी आँसू झर रहे थे। वह भगवान्के घर जानेके लिए निकला था। वह तो भक्तप्रवर था इसलिए उसकी आँखोंसे आँसू झर रहे थे।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

## ५९. पत्र : शुएब कुरैशीको

सितम्बर २४, १९१८

मैं चाहता हूँ कि मेरी कलाई और उँगलियोंमें इतनी ताकत आ जाये कि आपको खास भगवानकी सँवारी अपनी लिखावटमें पत्र लिख सकूँ। किन्तु अभी तो मुझे मित्रोंकी कलाई और उँगलियोंकी मददपर ही सन्तोष करना पड़ेगा। अली भाइयोंके मामलेकी जाँच-कमेटीके बारेमें आप सब-कुछ जानते ही हैं। हम चींटीकी चालसे चल रहे हैं; आगेको या पीछेको, सो मैं नहीं जानता। सत्याग्रहीके लिए तो गतिमात्र आगे ले जाने-वाली होती है। सरकारका इरादा अच्छा होगा, तब तो हम सबके लिए अच्छा है ही। अगर उसकी नीयत खराब होगी तो कार्य-कारणके अचूक नियमके अनुसार उसपर इसकी प्रतिक्रिया होगी ही। इससे उसे ही नुकसान होगा, हमें नहीं; शर्त एक ही है कि हम भी उसीके जैसे न बन जायें। हम ज्यादातर बुरेके साथ बुरे बन जाते हैं, इसलिए बुराई



घास-फूसकी तरह बढ़ती रहती है। हमारे अस्तित्वका असल कानून तो 'बुराईका मुकाबला बुराईसे न करो' है। इस दुनियामें हम दो वृत्तियाँ लेकर आते हैं— एक पाशविक और दूसरी मानवीय; मानवीय वृत्तिको पाशविक वृत्तिपर निरन्तर विजय प्राप्त करनी है। किन्तु इस पत्रमें यह विषयान्तर-सा है। यद्यपि मेरे लिए तो वह प्रिय है, परन्तु अभी मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता। अभी तो यही बताना था कि मैं श्री घाटेकी मार्फत अली भाइयोंके साथ बड़ा घनिष्ट सम्पर्क बनाये हुए हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## ६०. पत्र : नानूभाईको

[ अहमदाबाद ]

सितम्बर २४, १९१८

[ भाईश्री नानूभाई, ]

लड़ाईमें जाना बिलकुल ही बन्द हो गया है, ऐसा मान बैठनेका कोई कारण नहीं है। किन्तु मुझे आसार बन्द रहनेके ही दिखाई देते हैं। यह मानना भी जरूरी नहीं कि लड़ाईमें जानेसे ही वीरता आती है। लड़ाईसे अलग रहकर भी हम अपने भीतर वह शक्ति पैदा कर सकते हैं। लड़ाई बहुत-से साधनोंमें से एक सशक्त साधन है। परन्तु वह जितना सशक्त है, उतना ही दोष-युक्त भी है। हम दोषरहित ढंगसे वीरत्व प्राप्त कर सकते हैं। हमारा शरीरके साथ जो संघर्ष चल रहा है; इस संघर्षसे यदि हम ऐसी शक्ति प्राप्त कर लें जिससे यह आत्मा अनात्मासे युद्ध कर सके, तो उससे हममें वीरता आ जायेगी।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४



## ६१. पत्र : कल्याणजी मेहताको

आश्रम

भाद्रपद, कृष्णपक्ष ४ [सितम्बर] २४, [१९१८]

भाईश्री कल्याणजी,<sup>१</sup>

मैंने तो अपने स्वभावके अनुसार कह दिया था कि आप अपनी पत्नीको निश्चिन्त होकर भेज दीजिएगा, बरामदेमें पड़ी रहेगी। लेकिन मैं देखता हूँ कि यह बात आश्रममें किसी और व्यक्तिको पसन्द नहीं आयेगी। [आश्रमकी] स्त्रियोंको यह असह्य लगता है। वे सब यह मानती हैं कि उनके लिए कोई-न-कोई एकान्त स्थान अवश्य होना चाहिए और आपकी पत्नीके लिए जबतक ऐसी कोई व्यवस्था न हो जाये तबतक उनका यहाँ आना अन्य स्त्रियोंको बहुत बुरा मालूम होगा। अब मैं [इस बातपर] विचार कर रहा हूँ कि उनको एकान्त स्थान देनेकी क्या व्यवस्था की जाये। [जबतक] ऐसी कुछ व्यवस्था न हो जाये तबतक आप प्रतीक्षा करें, यही ठीक लगता है।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २६६७) की फोटो-नकलसे।

## ६२. आश्रममें अपने जन्म-दिवसकी बधाईका उत्तर

[अक्टूबर १, १९१८]<sup>२</sup>

तुम सबने आज सबेरे यहाँ आकर मुझपर जो प्रेम बरसाया है, क्या मैं उसके योग्य हूँ? मेरे खयालसे मैं उसके योग्य नहीं हूँ। आम तौरपर मैं [आश्रमसे] बाहर भी शिष्टाचारकी बात नहीं कहता और आश्रममें तो अवश्य ही नहीं कहूँगा। इसलिए मैं यह बात भी शिष्टाचारवश नहीं कहता। परन्तु मुझे अपने अन्तरमें यही महसूस होता है कि तुम सब मेरे प्रति जो अगाध प्रेम दिखा रहे हो, उसका मैं पात्र नहीं हूँ। जिसने सेवा-धर्म स्वीकार किया है, उससे तो बहुत उम्मीदें की जा सकती हैं। मैंने जो-कुछ किया है, वह तो उसकी तुलनामें कुछ नहीं है। तुम सबने भी सेवा-धर्म स्वीकार किया है। मैं तुम सबसे कहता हूँ कि तुम अपनी भक्ति संचित कर रखो। किसी मनुष्यके मरनेसे पहले उसके प्रति भक्ति प्रकट करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी मौतसे पहले उसका काम पूरी तरह देखे बिना हम उसके कामका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं?

१. कल्याणजी विठ्ठलभाई मेहता; सूरत जिलेके एक कांग्रेसी नेता।

२. भारतीय पंचांगके अनुसार जन्म-दिन इसी दिन पड़ता था।



फिर, मरनेके बाद भी मूल्यांकन करनेमें देर लगती है। इसलिए मनुष्यकी मृत्युसे पूर्व उसकी जयन्ती मनाना व्यर्थ है।

तुम लोगोंसे मैं और तो क्या कहूँ? आज प्रातः चार बजेसे पहले मैं विचार कर रहा था। सुरेन्द्रने<sup>१</sup> मुझसे एक सवाल पूछा था, आप मुझसे अधिकसे-अधिक क्या आशा रखते हैं? देवदाससे क्या उम्मीद करते हैं? छोटालालसे<sup>२</sup> क्या रखते हैं? मैं तुममें से हरएकसे क्या आशा रखता हूँ, यह कहनेके बजाय तुम सबसे जो एक आशा रखता हूँ उसे बता दूँ। वह यह है कि तुम सत्यका, जो हमारा पहला और अन्तिम व्रत है, समुचित पालन करो। जिसमें हमने मोक्ष माना है, उसी व्रतका पालन हमें समुचित रूपसे करते रहना चाहिए। इस प्रकार काम करके तुम लोगोंने आश्रमके जो उद्देश्य समझे हैं, उन्हें यथाशक्ति पूरे करके तुम आश्रमकी प्रतिष्ठाको बढ़ाओ। तुम लोगोंके काम और चरित्रसे आश्रमकी कीमत आँकी जायेगी। आश्रम भारतकी सेवा करनेके लिए स्थापित किया गया है। हमें भारतकी सेवा द्वारा आत्माकी सेवा करनी है। हमारे आलोचक भी बहुत हैं। आलोचक तो होते ही हैं, परन्तु यदि हम अपने पहले और अन्तिम व्रत — सत्यका पालन करते होंगे, तो हमें उनकी आलोचनाओंसे डरनेकी जरूरत नहीं है। हम दम्भ करते होंगे, पाखण्ड करते होंगे, तो दूसरी बात है। परन्तु हमारा ध्येय तो यही है, इसमें कोई शक नहीं। आश्रम हम सबके चरित्रका जोड़ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक आश्रमवासीका चरित्र इतना उन्नत हो जाये कि यह कुल जोड़ बड़ा हो जाये। मैं इस व्रतका कहाँतक पालन करता हूँ या कर सकता हूँ, यह मैं बार-बार जाँचता रहता हूँ और मुझे अपने भीतर बहुत-सी त्रुटियाँ मालूम होती हैं। मुझे पता नहीं कि मैं इन त्रुटियोंको इस जन्ममें दूर कर सकूँगा या नहीं। तुममें या आश्रममें जो त्रुटियाँ हैं, वे मेरे कारण ही आई हैं। इसलिए मैं तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम भगवानसे मेरी और अपनी त्रुटियोंको दूर करने और मेरे शुरू किये हुए कामोंमें मुझे सफलता देनेकी प्रार्थना करो। तुम मुझपर जो प्रेम बरसाते हो, जो भक्ति दिखाते हो, मैं उसके योग्य बननेका प्रयत्न करूँगा। मैं भगवान्से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे बल दे। भगवान् करे, तुम्हें भी अपने कर्त्तव्यका पालन करनेमें सफलता मिले। मेरी कामना है कि मैं और तुम एक-दूसरेको मदद देनेमें समर्थ हों। और क्या कहूँ? तुम्हारी भक्तिका फल मिले बिना नहीं रहेगा। इसलिए जाओ, सब अपने-अपने कर्त्तव्यमें रत रहो।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

१. सुरेन्द्रलाल शर्मा, सत्याग्रह आश्रम, सावरमतीके एक सदस्य; वे बरहरवा, चम्पारनमें गांधीजीके खोले हुए एक स्कूलमें अध्यापक थे।

२. सत्याग्रह आश्रम, सावरमतीके एक सदस्य; वे बरहरवा स्कूलमें बुनाई सिखाते थे और हिन्दी पढ़ाते थे।



## ६३. पत्र : गंगाबेन मजमूदारको<sup>१</sup>

[ अहमदाबाद ]

अक्तूबर ११, १९१८

[ प्यारी बहन, ]

तुम, कीकी<sup>२</sup> और दूसरे व्यक्ति बीमार हैं इसके बारेमें लिखा गया कार्ड आज ही पढ़ा। परन्तु यह पढ़कर प्रसन्न भी हुआ कि ईश्वरकी कृपासे तुम सबकी तबीयत सुधर रही है। जिन्होंने सेवा-धर्म स्वीकार किया है, उनके शरीर तो वज्र-जैसे कठोर होने चाहिए। किसी समय हमारे पुरखे अपने शरीर ऐसे बना सकते थे। परन्तु आज हम दीन बन गये हैं और वातावरणमें विद्यमान अनेक विषाक्त कीटाणुओंके शिकार हो जाते हैं। इस गिरी हुई हालतमें भी हम इस स्थितिसे निकल सकते हैं और उसका एकमात्र सच्चा मार्ग है [ संयम या मर्यादाका पालन करना - ] संयम कहें, मर्यादा कहें एक ही बात है। इस बीमारीमें दो बातोंकी सावधानी रखनेसे शरीरको कमसे-कम खतरा रहता है, यह डॉक्टरोंकी राय है और वह सही है। तबीयत ठीक हो गई है ऐसा महसूस होनेपर भी तरल और सुपच सादा भोजन करते रहना चाहिए और बिस्तरमें लेटे रहना चाहिए। कई रोगी दूसरे-तीसरे दिन एकाएक बुखार उतर जानेसे धोखा खाकर कामकाज करना और सामान्य भोजन करना आरम्भ कर देते हैं। इससे बीमारी फिर जोर पकड़ती है और ज्यादातर प्राण ही ले लेती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम सब बिस्तरमें ही आराम करो। मुझे स्वास्थ्य-समाचार रोज देते रहना। मैं अभी बिस्तरमें ही पड़ा हूँ और बहुत दिन पड़े रहना पड़ेगा। फिर भी यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सुधर रहा है। डाक्टरोंने पत्र लिखनेकी भी मनाही की है, परन्तु तुम्हें लिखे बिना कैसे रहा जाये? वहाँ रहनेमें असुविधा हो और यहाँ आना हो, तो जरूर आ जाना। अभी आश्रममें दस बीमार हैं, परन्तु उन सबमें भयंकर स्थिति तो भाई शंकरलाल पारेखकी ही जान पड़ती है। आज उनकी बीमारीका जोर भी कम होता लग रहा है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

१. एक उस्ताही महिला जिन्होंने गांधीजीके अनुरोधपर बीजापुरमें खादी उत्पादन केन्द्रकी स्थापना की। देखिए आत्मकथा, भाग ५, अध्याय ३९ व ४०।

२. गंगाबेनकी पुत्री।



## ६४. पत्र : अखबारोंको काछलियाके निधनपर<sup>१</sup>

अक्तूबर २०, १९१८<sup>२</sup>

सम्पादक

‘बॉम्बे क्रॉनिकल’

महोदय,

मुझे अभी-अभी एक और दक्षिण आफ्रिकी भारतीयके निधनका तार मिला है; उनकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित करना मेरा दुःखद कर्तव्य है। उनका शुभ नाम अहमद मुहम्मद काछलिया था। वे कई वर्षोंतक ब्रिटिश भारतीय संघ, ट्रान्सवालके अध्यक्ष रहे थे। श्री काछलियाकी ख्याति एकाएक सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान फैली थी। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंमें उनके जैसी प्रतिष्ठा किसी दूसरे भारतीयकी नहीं थी। श्री काछलियाने ३१ जुलाई, १९०७ के दिन प्रिटोरियाकी पाक मस्जिदके एक पेड़की छायामें खड़े होकर जनरल बोथा और उनकी सरकारकी शक्तकी खुली अवज्ञा की थी। मस्जिदके उस अहातेमें होनेवाली विशाल जन-सभाके नाम जनरलका एक सन्देश श्री हॉस्केन<sup>३</sup> लाये थे। सन्देश था कि भारतीय लोग ट्रान्सवाल सरकारका मुकाबिला करके दीवारसे अपना सिर मार रहे हैं। श्री काछलिया भी उस सभामें एक वक्ता थे। उनके प्रति अपनी इस विनम्र श्रद्धांजलिके शब्द बोलकर लिखाते समय, अब भी उनकी आवाज मेरे कानोंमें गूँज रही है। उन्होंने कहा था : “ मैं अल्लाहको हाजिर-नाजिर मानकर कहना चाहता हूँ कि मैं एशियाई पंजीयन अधिनियमका पालन नहीं करूँगा, चाहे मेरा सिर धड़से अलग कर दिया जाये। एक ऐसे कानूनका पालन करना मैं नामर्दी और अपमानजनक मानता हूँ जो मुझे एक तरहसे गुलाम बना देता है। ” और वह उन मुट्ठी-भर लोगोंमें से थे जो आठ वर्षोंकी लम्बी अवधि तक अकथनीय कष्ट भोगनेपर भी कभी विचलित नहीं हुए थे। श्री काछलियाने किसी भी तरह, किसीसे कम कष्ट सहन नहीं किया था। वे सोचते थे कि एक नेताके नाते उनका त्याग काफी बड़ा होना चाहिए और यदि इस देशके सम्मानको बचानेका सवाल हो तो उनको कोई भी त्याग करनेमें हिचकना नहीं चाहिये। उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति फूँक दी थी। उन्होंने जिन्दगीके वे सभी आराम छोड़ दिये थे जिनके वे आदी थे; और दिन-रात अपने पवित्र ध्येयके लिए काममें जुटे रहते थे। इसीलिए समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजपर उनका प्रभाव आश्चर्यजनक रूपसे बढ़ गया था और भारतीय प्रतिनिधिके रूपमें उनका नाम लिया जाने लगा था। स्पष्ट ही है कि हिन्दुओं और मुसलमानों और समाजके अन्य तबकोंके बीच बहुधा विवाद खड़े होते रहते थे। श्री काछलिया परस्पर-विरोधी हितोंके बीच संतुलन

१. प्रजाबन्धु, २७-१०-१९१८ और इंडियन रिव्यू, अक्तूबर, १९१८ में भी प्रकाशित हुआ था।

२. अ० मु० काछलियाका निधन २० अक्तूबर, १९१८ को हुआ था।

३. विलियम हॉस्केन, ट्रान्सवाल विधान सभाके सदस्य; देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १३९-१४१।



बनाये रखते थे और सभी मानते थे कि उनका हर निर्णय सर्वथा न्यायोचित और त्रुटि रहित होगा। श्री काछलिया एक प्रकारसे निरक्षर ही थे। उन्होंने अपना रास्ता स्वयं ही बनाया था। परन्तु उनकी जैसी व्यवहार-बुद्धि बिरलोंकी ही होती है। वह सदा ही उनके काम आई और वे अपने सम्पर्कमें आनेवाले अनेक यूरोपीयोंके विश्वास और सम्मानके पात्र बन गये थे।

इस हानिकी पूर्ति नहीं की जा सकती और चूँकि उनका निधन श्री सोराबजीकी<sup>१</sup> मृत्युके तत्काल बाद ही हुआ है, इसलिए भारतीय समाज इस हानिको दूना महसूस करेगा। ईश्वर उनकी आत्माको शान्ति दे; मुझे पूरा भरोसा है कि वे पूरी तरह इसके योग्य थे।

आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २१-१०-१९१८

## ६५. पत्र : बी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

साबरमती  
अहमदाबाद  
अक्तूबर २०, १९१८

प्रिय श्री शास्त्रियर,<sup>२</sup>

हालाँकि मैं बीमार पड़ा हूँ, लेकिन डॉ० देवकी<sup>३</sup> स्मृतिमें अर्पित आपकी और अन्य मित्रोंकी श्रद्धांजलियोंमें अपनी भी एक विनम्र श्रद्धांजलि जोड़नेसे अपनेको रोक नहीं पाता। 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' और देश दोनों ही ने एक सच्चा सेवक खो दिया है। 'सोसाइटी' के जिन-जिन सदस्योंके सम्पर्कमें आया हूँ, उनमें सबसे अधिक सामीप्य मैंने डॉ० देवसे ही पाया, और मैं उनके जितने निकट पहुँचता गया; उनसे उतना ही अधिक प्रेम बढ़ता गया। मैं शायद कह सकता हूँ कि डॉ० देवको चम्पारनमें ही अपनी आत्माभिव्यक्तिकी पूरी-पूरी गुंजाइश मिली थी। वहाँ वे ऐसी परिस्थितियोंमें थे कि उनको अपने सभी महान् गुण यहाँतक कि चिकित्सा-सम्बन्धी अपनी योग्यता, परखनेका अवसर भी मिल गया था। वे न तो कभी विचलित हुए और न असफल। हालाँकि शुरूमें उनके सम्पर्कमें आनेपर अधिकारियों और बागान-मालिकोंने उनको

१. देखिए "भाषण : सूरतमें", १-८-१९१८ ।

२. ( १८६९-१९४६ ) विद्वान्, राजनीतिज्ञ और १९१५ से १९२७ तक भारत सेवक समाज ( सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ) के अध्यक्ष ।

३. डॉ० हरि श्रीकृष्ण देव ( निधन ८ अक्तूबर, १९१८ ) सांगलीके राज-चिकित्सक । वे १९१४ में भारत सेवक समाजमें शामिल हुए और उन्होंने चम्पारनमें गांधीजीके साथ काम किया था ।



संदेहकी दृष्टिसे देखा था, लेकिन बादमें काम देखकर उनका संदेह दूर हो गया था। बेतियाके सब-डिवीजनल अफसरके साथ बहुधा उनका सम्पर्क रहता था। वे अफसर मुझसे बहुधा कहते रहते थे कि आत्मत्यागपूर्ण व्यवहार और कामके प्रति उनकी निष्ठाके कारण डॉ० देव उन्हें बहुत पसन्द थे। कोई उन्हें पसंद किये बिना रह भी कैसे सकता था? इसलिए कि वे असहाय ग्रामीणोंको चिकित्सीय परामर्श ही नहीं देते थे बल्कि स्वयं दवाइयाँ तैयार करके भी देते थे; उनके घर जाकर दवायें बाँटते थे। वे उनके गाँवकी सफाईका भी ध्यान रखते थे। वे स्वयं अपने हाथोंसे गाँवोंके कुएँ साफ करते और सड़कें बनानेमें मदद करते थे। उन्होंने सर्वश्री सोमण और रणदिवेके साथ मिलकर भीतीहरवामें स्कूलकी फूसकी झोंपड़ी जल जानेपर कुछ ही दिनोंमें स्कूलके लिए एक पक्की इमारत खड़ी करके सभीको आश्चर्यचकित कर दिया था। शरीरसे कृश होते हुए भी वे स्वस्थ ग्रामीणोंके साथ जुटकर काम करते थे। उनसे प्रेरणा पाकर गाँवके लोग स्कूलके निर्माणमें हाथ बँटानेके लिए आगे आये थे। डॉ० देवके सम्बन्धमें मुझे सबसे सुखद अनुभव तब हुआ जब मैंने बेलगाँवके एक बी० ए०, एल एल०, बी० वकील, श्री सोमण द्वारा डॉ० देवको अर्पित की गई श्रद्धांजलि मेरे नाम उनके एक पत्रमें पढ़ी। डॉ० सोमण 'नेशनलिस्ट' विचारधाराके हैं। उन्होंने चम्पारनमें एक स्वयंसेवककी तरह काम किया है। वे स्वयं भी एक बड़े दृढ़ और सच्चे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपने पत्रमें कहा है कि पहले जब मैं डॉ० देवसे मिला तो 'नेशनलिस्ट' के बारेमें उनके दृष्टिकोणके कारण मुझे उनपर काफी संदेह और अविश्वास था, लेकिन संदेह और अविश्वासके स्थानपर पूर्ण विश्वास और सम्मान पैदा होनेमें चन्द दिन ही लगे। उनके अपने-अपने विचार तो दृढ़ ही रहे, पर मतभेदके होते हुए भी दोनों प्रगाढ़ मित्र बन गये। डॉ० देवमें कठमुल्लापन नहीं था। हृदय बड़ा दयालु और उदार था और इसीलिए उनमें अपने विरोधीके तर्कका अच्छा पहलू देख सकनेका दुर्लभ गुण विद्यमान था। उनकी मृत्युसे 'सोसाइटी' एक बड़े ही कुशल चन्दा उगाहनेवाले और प्रचारकसे वंचित हो गई है। वे सचमुच इन्सान थे।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

सर्वेंट ऑफ इंडिया, ३१-१०-१९१८



## ६६. तार : वाइसरायको

अक्तूबर २९, १९१८

हालाँकि सभा इस बातके लिए सर्वाधिक इच्छुक है कि युद्ध सम्बन्धी कार्योंमें हर प्रकारसे सहायता पहुँचाई जाये। सभा इसे साम्राज्यीय संघमें ब्रिटेनकी बराबरीका भागीदार बननेके इच्छुक भारतका एक कर्तव्य ही मानती है, लेकिन सभाकी यह भी बिलकुल पक्की और सोचविचारके बाद बनाई गई राय है कि भारत आर्थिक सहायताकी दिशामें और अधिक जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। सभाकी यह बिलकुल पक्की राय है कि अधिकारीगण भारतकी दिन-दिन बढ़ती गरीबीको पूरी तरह नहीं समझते। इसीलिए सभाने सर्वसम्मतिसे प्रस्ताव पास किया है कि यदि १० सितम्बरको शाही परिषद्की बैठकमें वित्तीय प्रस्ताव पास हो जायेगा तो, भारतपर निश्चय ही खर्चका बोझ अत्यधिक हो जायेगा। सभाकी रायमें भारतसे और अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करनेका सबसे अच्छा तरीका यही है कि केवल गैर-सरकारी, स्वैच्छिक अंशदानोंपर निर्भर किया जाये। इसलिये सभाको आशा है कि कथित प्रस्तावको लागू न करनेकी उसकी अपीलको सरकार मान लेगी।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-१०-१९१८

## ६७. पत्र : पुण्डलीकको

आश्रम, साबरमती

अक्तूबर २९, [१९१८]

भाई पुण्डलीक,

आपका पत्र बापूजीको बताया था। उससे उनको असंतोष हुआ है। उन्होंने आपको नीचे प्रमाणें संदेश भेजा है:

जगत्में मनुष्यको बहुत-सी अन्यान्य वस्तुओंके संबंधमें आना पड़ता है, लेकिन हरेकमें पड़ना उसको आवश्यक नहीं है। सिर्फ कर्तव्यकी बाबतोंमें पड़ना उसे मंजूर है, बिना कर्तव्य जो कोई आदमी इन बाबतोंमें पड़े तो वह न्यायमार्गी नहीं है। वह अभिमानी है। आपका कर्तव्य सिर्फ लड़कोंको सिखानेका और आरोग्य संरक्षण और

१. यह तार गुजरात सभाके अध्यक्षकी हैसियतसे गांधीजीने भेजा था।



स्वच्छता रक्षणका है। इस क्षेत्रका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने जो पुलिसको रोका और मवेशियोंको छुपाया वह ठीक नहीं किया है। मानो पुलिसको रोकनेके लिए आपकी ऊपर कुछ भी नालिश नहीं की जाये। लेकिन नालिश न करना यह आपको और भी अत्याचारोंमें फंसाना ही है—ऐसी रीतिसे लिखते रहिएगा, लेकिन शालाका कार्यक्षेत्र छोड़के कभी किसी भी कार्यमें हाथ मत डालिएगा। इसके सिवाय दूसरा आपका कर्तव्य नहीं है। साहेबकी ऊपर रोष करना वह भी आपका कर्तव्य नहीं है। भविष्यमें आप बहुत सावधानीसे बर्ताव चलावेंगे ऐसी आशा है।

यही महात्माजीका आदेश है। आप इसको शिरोधार्य करेंगे। वे आपको स्वयं लिखते लेकिन उनके हाथ और उंगलीमें उतनी ताकत नहीं है।

काकासाहेब<sup>१</sup> आज बीमार हैं। इन्फ्लुएन्जा ही होगा।

आपका,  
महादेव देसाई

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें मूल पत्र (जी० एन० ५२२१) की फोटो-नकलसे।

## ६८. पत्र : हरिलाल गांधीको

[अहमदाबाद]

अक्टूबर ३१, १९१८

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। आज लिखनेकी कोई खास बात नहीं सूझती। यही सोचा करता हूँ कि तुम कैसे स्वस्थ होओ और बने रहो। अगर मैं अपने किसी भी वाक्यसे तुम्हें स्वस्थ बना सकूँ और वह वाक्य मुझे मालूम हो जाये, तो तुरन्त लिख डालूँ। मैं नहीं जानता, तुम यह समझे हो या नहीं कि यह संसार कैसा है। परन्तु मुझे तो उसका क्षण-प्रतिक्षण सूक्ष्म दर्शन होता रहता है। और ऋषि-मुनियोंने उसका जैसा वर्णन किया है मैं उसे ठीक वैसा ही देखता हूँ, और यह मैं इतनी सूक्ष्मतासे देख सकता हूँ कि मुझे उसमें जरा भी रस नहीं आता। जबतक शरीर है, तबतक प्रवृत्ति तो रहेगी ही। [इसलिए] जहाँतक हो सके अधिकसे-अधिक शुद्ध प्रवृत्तियोंमें ही लगे रहें, यही मुझे पसन्द है। यह कहनेमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसी प्रवृत्तियोंमें लगे रहनेके लिए आवश्यक संयम-पालन करनेमें मुझे बड़ा आनन्द आता है। यह बात जिस हद तक समझी जा सके और उसपर अमल हो सके, उसी हद तक मनुष्य सच्चा सुख पा सकता है। अगर इस संकटसे<sup>२</sup> तुम्हारी मनःस्थिति ऐसी हो जाये कि तुम उस सुखके भोक्ता बन सको, तो इस संकटको भी लगभग स्वागत

१. कालेलकर।

२. इस समयके आसपास हरिलाल गांधीकी पत्नीकी मृत्यु हो गई थी; गांधीजीका इशारा सम्भवतः उसी ओर है।



करने योग्य मान सकते हैं। यदि तुम्हारा मन थोड़े समयके लिए भी चिन्तामुक्त हो सकता हो, तो इन सब बातोंपर विचार करना। सबकी तबीयत अच्छी है। बीमार सब अच्छे होते जा रहे हैं। मेरा हाल भी अच्छा है। बा को तुम सारे पत्र पढ़वाते होगे, यह मानकर मैं उसे अलग पत्र नहीं लिखता।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनो डायरी, खण्ड ४

## ६९. पत्र : रवीन्द्रनाथ ठाकुरको

साबरमती आश्रम  
नवम्बर ५, [ १९१८ ]<sup>१</sup>

प्रिय गुरुदेव,

चाली कल आश्रमसे चले गये — यहाँ हमें सब कुछ फीका लग रहा है। मुझे उनका मुस्कराता हुआ चेहरा बहुत याद आता है। आप इसीसे समझ सकते हैं कि जब मैं कहता हूँ, उन्हें चन्द दिन आश्रममें बितानेकी अनुमति देनेके लिए आपका कितना अधिक कृतज्ञ हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है।

आशा है, शान्तिनिकेतनमें स्कूलके काम-काजके कारण आपपर जो भारी दबाव रहता है, उसके बीच भी आपका स्वास्थ्य ठीक होगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी पत्रकी माइक्रोफिल्म-प्रतिसे।

सौजन्य : नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया

## ७०. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

नवम्बर ५, १९१८

प्रिय श्री शास्त्रियर,

आपके पत्रके लिए आभारी हूँ। मैं उसकी भावनाको समझता हूँ और उसकी पूरी कद्र करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने स्वास्थ्यकी मैं यथासम्भव अधिकसे-अधिक चिन्ता कर रहा हूँ। जो आदमी कभी बिस्तरपर न पड़ा हो, उसे तीन महीने तक ऐसा अनुभव होना कोई हँसी-खेल नहीं। मेरी बीमारी यदि और भी लम्बी चली, तो उसका कारण होगा मेरा अपना अज्ञान या मूर्खता; या दोनों ही।

१. सन् १९१८ से लेकर १९२१ तककी अवधिमें गांधीजी ५ नवम्बरको सिर्फ १९१८ में ही आश्रममें रहे थे।



अपनी बीमारीके लौटकर आनेके लिए मैं डॉक्टर मित्रोंके अज्ञानको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। वे तो उनके शब्दोंमें मेरे 'सनकीपन' के कारण विवश हैं। फिर भी वे मेरे अंग-जैसे बन गये हैं और जब मैं अपार वेदना अनुभव करता हूँ, तब मुझे भरसक आराम देते हैं। मोतीहारीके पादरी हॉजके लिखे हुए पत्रमें स्व० डॉ० देवके बारेमें जो उल्लेख है, वह उद्धृत करके भेजता हूँ। वे बड़े ही स्वतंत्र प्रकृति और उदार विचारोंके पादरी हैं। आशा है कि आपकी तबीयत अच्छी होगी, या सार्वजनिक कार्योंका भारी बोझ सँभालते हुए जितनी अच्छी रह सकती है, उतनी अच्छी होगी।

आपका,

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

### ७१. सन्देश : स्वदेशी-स्टोरके खुलनेपर<sup>१</sup>

नवम्बर १४, १९१८

मैं विस्तरेपर पड़ा हुआ हूँ और आ नहीं सकता, फिर भी मेरी आत्मा वहीं है। यदि आप स्वदेशी वस्तुओंपर श्रद्धा रखेंगे तो वह अवश्य फलीभूत होगी। यदि स्वदेशीके प्रति हमारा प्रेम सच्चा हो तो हम विदेशी वस्तुओंका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। दूसरे, मेरी यह इच्छा है कि अभी स्टोरका और अधिक विस्तार किया जाये। जब लोग धार्मिक दृष्टिसे स्वदेशीका पालन करेंगे तभी देश समृद्ध होगा।

[ गुजरातीसे ]

प्रजाबन्धु, १७-११-१९१८

### ७२. सन्देश : प्रथम रेलवे सम्मेलनको<sup>२</sup>

[ नवम्बर १६, १९१८ से पूर्व ]

तबीयत ठीक न होनेके कारण उपस्थित न हो सका, इसका मुझे दुःख है। रेलवे सम्बन्धी सुधारके दो विभाग किये जा सकते हैं : एक तो सरकारसे न्याय प्राप्त करना और दूसरा यात्रियोंके अज्ञानको दूर करना। स्वराज्यकी कुंजी स्वावलम्बनमें है।

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, २४-११-१९१८

१. अहमदाबादका गुजरात स्वदेशी-स्टोर।

२. गुजरात राजनीतिक सम्मेलनके साथ-साथ नडियादमें हुआ था।



### ७३. पत्र : पुण्डलीकको

सत्याग्रहाश्रम  
साबरमती  
नवम्बर, १७ [ १९१८ ]

प्रिय भाई पुण्डलीक,

आपका पत्र पू० गांधीजीको मिला। आपके काकासाहबको भेजे सब पत्र भी उन्होंने पढ़े हैं। उनका विचार ऐसा है कि आप शान्त भावसे देखते रहें और अविक्षिप्त चित्तसे कार्य करते रहें। आपके बारेमें जो कुछ करना है सो बाबू ब्रजकिशोर<sup>१</sup> और बाबू राजेन्द्रप्रसाद<sup>२</sup> करेंगे। उनको यहाँसे पत्र लिखे गये हैं। आप भी गोरख बाबूसे<sup>३</sup> मिलकर दोनोंको खबर देते रहियेगा। आपका अच्छी तरहसे बचाव करनेका निश्चय हुआ है। अभी आपके बारेमें सरकारको लिखना अच्छा नहीं है।

आपका,  
महादेव देसाई  
(गांधीजीकी आज्ञासे)

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें मूल पत्र (जी० एन० ५२१९) की फोटो-नकलसे।

### ७४. पत्र : मुहम्मद अलीको

आश्रम  
नवम्बर १८, १९१८

प्रिय मित्र,

मानो युगों बाद आपका पत्र मिला। उसे पाकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। आपके पत्रोंसे मेरे प्रति आपका जबरदस्त प्रेम टपकता है। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। आपके प्रेमके प्रतिदानमें यदि मैं अपनी प्रतिज्ञाके शब्दार्थकी, जैसा आप बताते हैं, वैसी कुछ तोड़-मरोड़कर भी कर सकूँ, तो उसके लिए मैं खुशीसे तैयार हो जाऊँगा। किन्तु अपने-आप लगाये हुए व्रतके अंकुशसे बचनेका कोई रास्ता नहीं है। जो व्रत मैंने खूब विचारपूर्वक और उसके सम्भावित परिणाम ध्यानमें लानेके बाद लिया है,

१. बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद; दरभंगाके एक प्रमुख वकील। बिहार और उड़ीसा विधान परिषद्के सदस्य; १९१७ में चम्पारन सत्याग्रहमें गांधीजीके साथ काम किया था।

२. भारतके भूतपूर्व राष्ट्रपति।

३. गोरखप्रसाद (१८६९-१९६२); मोतीहारीके एक वकील, गांधीजी मोतीहारीमें कुछ दिन उनके मेहमान रहे थे।



उस व्रतकी उपेक्षा करूँ, तो मैं ईश्वरके प्रति, मानव-जातिके प्रति और स्वयं अपने प्रति झूठा साबित होऊँगा। अगर मित्रोंके आग्रहवश मैं अपने व्रतोंमें हेर-फेर कर डालूँ तो मेरी जो-कुछ उपयोगिता है, वह समूल नष्ट हो जायेगी। इस बीमारीको मैं अपने लिए एक परीक्षा और प्रलोभनका प्रसंग मानता हूँ। इस समय तो मुझे मित्रोंके प्रार्थनामय समर्थन और प्रोत्साहनकी जरूरत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि व्रतोंके बन्धनोंकी मर्यादामें रहते हुए इस शरीरको बनाये रखनेके लिए जितनी भी सावधानी रखी जा सकती है, उतनी सब मैं रख रहा हूँ। अब मुझे एक डॉक्टर मित्र मिल गये हैं, जो मालिशसे, बरफसे और गहरे श्वासोच्छ्वाससे मेरी शक्ति वापस ला देनेकी जिम्मेदारी लेते हैं। उनका खयाल है कि दो महीनेके भीतर मेरे शरीरमें इतना खून भर जायेगा और मेरा वजन इतना बढ़ जायेगा कि मैं चल-फिर सकूँगा और साधारण मानसिक श्रम बरदाश्त कर सकूँगा। उनकी चिकित्सा मुझे बुद्धि युक्त और स्वाभाविक मालूम होती है। और बड़ी बात यह कि उसमें मेरा विश्वास जम गया है। भोजनके उचित हेरफेरसे मैं आशा रखता हूँ कि इन मित्रकी भविष्यवाणी सही साबित होगी। आपपर लगाये गये अभियोग मैंने पढ़वाकर सुन लिये हैं। इससे ज्यादा लचर और छिछला अभियोगपत्र मैंने पढ़ा ही नहीं। मेरा खयाल है कि आपका जवाब स्पष्ट, सीधा और गरिमापूर्ण होगा। मुझे तो साफ दीखता है कि कमेटी इसलिए नियुक्त की गई है कि सरकारको इस मुश्किलसे निकल जानेका बहाना मिल जाये। जो भी हो, हम तो अब कमेटीके निष्कर्षोंके बारेमें पूरी तरह उदासीन रह सकते हैं। आपकी सफाई इतनी जोरदार है कि कमेटीका निष्कर्ष हमारे विरुद्ध हो तो एक ऐसा आन्दोलन खड़ा किया जा सकता है जो सारे देशको उस घोर अन्यायके प्रति क्रोधसे भर देगा जिसे आप इतने असेंसे धीरजके साथ सहते रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका जवाब तैयार करनेमें आपकी मददके लिए मैं आपके पास छिन्दवाड़में होता तो अच्छा रहता, लेकिन वैसा बदा नहीं था।

अम्मी साहिबाको मेरा आदाब कहिए। आप सबसे, बच्चोंसे मिलने और आपके निकट सम्पर्कमें आनेके लिए मैं लालायित हूँ। जैसा मैंने लखनऊकी सभामें कहा था, आपकी मुक्तिमें मेरा हेतु बिलकुल स्वार्थपूर्ण है। हमारा ध्येय एक ही है और उस ध्येय तक पहुँचनेके लिए मैं आपकी सेवाओंका पूरा उपयोग करना चाहता हूँ। हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नके उचित हलमें ही स्वराज्यकी प्राप्ति है। परन्तु इस बारेमें जब हम मिलेंगे तभी; आशा है कि हम जल्दी मिलेंगे।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

तथा नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल : डिपाजिट : दिसम्बर, १९१८ : संख्या ३ से भी।



## ७५. पत्र : सरोजिनी नायडूको

नवम्बर १८, १९१८

प्यारी बहन,

मुझे आपका संक्षिप्त पत्र पाकर अच्छा लगा। आप आपरेशनसे सही-सलामत निकल आईं। आशा करता हूँ कि वह पूरी तरह सफल साबित होगा, ताकि हिन्दुस्तानको बहुत वर्षों तक आपके गीत सुननेको मिलते रहें। पता नहीं चलता कि मैं अपनी रोग-शय्या कब छोड़ पाऊँगा। किसी भी तरह मेरा शरीर भरता ही नहीं और जितनी शक्ति है, उससे ज्यादा आती ही नहीं। मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने-आपपर जो बन्धन लगा लिये हैं, उनके कारण डॉक्टरोंको निराशा हाथ लगती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस लम्बी बीमारीमें व्रतोंके ये बन्धन ही मुझे सबसे अधिक तसल्ली देते हैं। संयमके इन बलदायक बन्धनोंको तोड़नेकी शर्तपर मुझे जीनेकी जरा भी इच्छा नहीं। मेरे लिए वे शरीरको कुछ बाँधनेवाले होनेपर भी आत्माको मुक्त करनेवाले हैं। उनसे मुझे एक ऐसी चेतना मिली है, जो अन्यथा मेरे लिए दुर्लभ होती। 'ब्रह्म और मायाको एक साथ हरगिज नहीं भजा जा सकता,' इस वचनका अर्थ इन व्रतोंके बाद अधिक स्पष्टता और गहराईसे मेरी समझमें आया है। मैं यह नहीं कहता कि ये सबके लिए आवश्यक हैं, परन्तु मेरे लिए तो हैं। अगर मैं इन व्रतोंको तोड़ दूँ, तो मेरा खयाल है कि मैं बिलकुल निकम्मा हो जाऊँगा।

समय-समयपर दो शब्द लिखती रहिए।

आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।  
सौजन्य : नारायण देसाई

## ७६. पत्र : हरिलाल गांधीको

[ अहमदाबाद ]  
नवम्बर २६, १९१८

चि० हरिलाल,

मैंने तुम्हें कल अपने बारेमें कुछ समाचार भेजे हैं। आज इस विषयमें और लिखता हूँ। मेरी तबीयत अच्छी भी है और खराब भी। ऐसा महसूस होता रहता है कि जो सुधार होना चाहिए, वह नहीं होता। अब खुराकके बारेमें कोई शिकायत नहीं की जा सकती। सभी कहते हैं और मुझे भी ठीक मालूम होता है कि कुछ समय बाहर रहूँ, तो



अच्छा। इसलिए बाहर जानेकी सोच रहा हूँ और बन्दोबस्त कर रहा हूँ। मेरे जानेसे पहले यदि तुम आ जाओ तो अच्छा हो। तुम्हारे जीमें जो-कुछ भरा हो, वह निस्संकोच मेरे सामने निकाल दो। अगर तुम मेरे सामने अपना हृदय नहीं खोल सकते, तो किसके सामने खोलोगे? मैं तुम्हारा सच्चा मित्र बनूँगा। फिर तुम्हारी किसी भी योजनाके बारेमें हमारा मतभेद हुआ भी तो क्या हर्ज है? हम बातचीत करेंगे। अन्तिम निर्णय तो तुम्हारे हाथमें ही रहेगा। तुम्हारी दशा इस समय स्वप्नवश मनुष्यकी-सी है, यह मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, तुम्हारी कसौटियाँ भी बढ़ गई हैं और [इसी प्रकार] तुम्हारे प्रलोभन भी बढ़ जायेंगे। गृहस्थाश्रमी मनुष्यके लिए उसका गृहस्थ होना यानी सपत्नीक होना बड़े अंकुशका काम करता है। यह अंकुश तुम परसे उठ गया। अब तुम जहाँ खड़े हो, वहाँसे दो रास्ते जाते हैं। तुम्हें कौन-सा रास्ता अपनाना है, इसका निर्णय करना बाकी है। आश्रममें एक भजन अक्सर गाया जाता है, जिसकी पहली कड़ी यह है: 'निर्बलके बल राम'।

इन्सान घमण्डी बनकर ईश्वरकी सहायता नहीं माँग सकता, अपनी दीनता स्वीकार करके ही माँग सकता है। हम कितने तुच्छ हैं, कैसे रागद्वेषसे भरे हुए हैं, कितने विकार हमें विचलित करते रहते हैं, इस सत्यका साक्षात्कार मैं बिछौनेपर पड़ा-पड़ा नित्य करता रहता हूँ। कई बार मुझे अपने मनकी तुच्छतापर शर्म आती है। कई बार अपने शरीरको खुश करनेके लिए जो करना पड़ता है उससे निराश होकर केवल इसकी समाप्ति चाहता हूँ और अपनी दशासे मैं औरोंकी हालतका अन्दाज अच्छी तरह कर सकता हूँ। तुम्हें अपने अनुभवोंका लाभ पूरी तरह दूँगा। तुमसे जितना लिया जा सके, उतना लेना; और यह जब तुम आओगे, तभी हो जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

### ७७. माँटेग्यु-चैम्सफोर्ड योजना सम्बन्धी प्रश्नोंके उत्तर

[ दिसम्बर, १९१८ ]

बम्बईके एक गुजराती दैनिक समाचारपत्र -- 'हिन्दुस्तान' -- के एक लेखकने महात्मा गांधीसे खुले रूपमें निम्नलिखित प्रश्न पूछे हैं:

(१) आपने गुजरातकी ओरसे भारतके लिए कुछ अधिकारोंकी माँग करते हुए श्री माँटेग्युके पास एक बृहदाकार प्रार्थनापत्र<sup>१</sup> भेजा था। माँटेग्यु-चैम्सफोर्ड योजनामें उन अधिकारोंको समुचित स्थान दिया गया है या नहीं?

१. कुछ समय पूर्व ही हरिलाल गांधीकी पत्नीका देहान्त हो गया था।

२. देखिए खण्ड १३, "वाचिका: श्री माँटेग्युको", १३-९-१९१७ के पूर्व, पृष्ठ ५३७।



(२) यदि उन्हें उसमें समुचित स्थान नहीं दिया गया है, तो फिर आप इन अधिकारोंकी मंजूरीकी मांग करनेवाली विशेष-कांग्रेसमें<sup>१</sup> शामिल क्यों नहीं हुए ?

(३) यदि आपका विश्वास है कि माँटेग्यु-चैम्सफोर्ड योजना भारतीय जनताके लिए सन्तोषप्रद है, तो फिर आपने माँडरेटों [ नरम दलीय लोगों ] के सम्मेलनमें<sup>२</sup> भाग क्यों नहीं लिया ?

श्री गांधीने इन प्रश्नोंके निम्नलिखित उत्तर भेजे हैं :

(१) कांग्रेस-लीग योजना<sup>३</sup> द्वारा माँगे गये सभी अधिकारोंको माँटेग्यु-चैम्सफोर्ड योजनामें मान्यता नहीं दी गई है।

(२) मैं विशेष-कांग्रेसमें इसलिए सम्मिलित नहीं हुआ कि सिद्धान्तके कुछ प्रश्नों-पर उसके नेताओंके साथ मेरा मतभेद था और ऐसी परिस्थितिमें मैंने कांग्रेसके मंचसे अपने विचार पेश करना अनुचित समझा। और चूँकि विवाद-ग्रस्त मसलोंके बारेमें मैं अपनी मौन स्वीकृति भी नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उसमें अनुपस्थित रहना ही अच्छा समझा।

(३) सिद्धान्तके कुछ प्रश्नोंपर जिस प्रकार मेरा मतभेद गरमदलीय नेताओंके साथ है उसी प्रकार नरमदलीय नेताओंके साथ भी है।

(४) सैद्धान्तिक मतभेद क्या हैं—यह एक पेचीदा विषय है, इसलिए यहाँ उसपर चर्चा नहीं की जा सकती। और मैं आजकल बीमार हूँ, अपनी व्यक्तिगत रायके बारेमें चर्चा न करनेका यही अपने-आपमें एक पर्याप्त कारण है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन रिव्यू, दिसम्बर १९१८ के अंकमें न्यू टाइम्स से उद्धृत।

## ७८. तार : मद्रासके मिल-मजदूरोंको\*

[ दिसम्बर २, ] १९१८

हालाँकि चंगा होता जा रहा हूँ, अभी बिस्तर नहीं छूट पाया है, इसलिए मद्रास आने या मजदूरोंको अन्य कोई सहायता करनेमें असमर्थ हूँ।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

बंगाली, ४-१२-१९१८

१. सैयद इमामकी अध्यक्षतामें अगस्त-सितम्बर, १९१८ में बम्बईमें हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका विशेष अधिवेशन।

२. नवम्बर, १९१८ का।

३. कांग्रेस-लीग योजना, १९१६।

४. यह तार 'मद्रास मजदूर संघके कामदिलाऊ दफ्तर [लेबर यूनियन एम्प्लायमेण्ट ब्यूरो] के तत्वावधानमें २ दिसम्बरकी शामको हुई मिल-मजदूरोंकी बैठकमें पढ़कर सुनाया गया था।



## ७९. पत्र : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको<sup>१</sup>

दिसम्बर २६, १९१८

मुझे क्लेश है कि मैं इस बार कांग्रेसमें हाजिर न हो सका। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आशा है कि दोनों तरफके प्रतिनिधि कांग्रेसमें हाजिर होंगे। मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है कि कांग्रेसका काम सफल हो।

मोहनदास करमचन्द गांधी

प्रताप, ३०-१२-१९१८

## ८०. पत्र : चम्पारनके कलक्टरको<sup>२</sup>

साबरमती,

[ १९१८ ]

भीतीहरवा स्कूलका काम सँभालनेवाले श्री पुण्डलीकने मुझसे कहा है कि उनसे अक्सर पूछा जाता है कि वे किसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे काम करते हैं और उनका काम क्या है। यह पत्र मैं यही बतलानेके लिये लिख रहा हूँ। श्री पुण्डलीक मेरे प्रतिनिधिकी हैसियतसे काम कर रहे हैं और जो काम वे कर रहे हैं, उसके लिये उनको भारत सेवक समाज ( सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ) के डॉ० देवकी सिफारिशपर मैंने ही चुना है। वे स्वैच्छिक अवैतनिक कार्यकर्त्ता हैं।

हृदयसे आपका,

[ अंग्रेजीसे ]

जी० एन० ५२२० की फोटो-नकलसे।

१. कांग्रेसके दिल्ली अधिवेशनमें यह पत्र संक्षेपमें पण्डित मदनमोहन मालवीयने पढ़कर सुनाया था।
२. यह पत्र महादेव देसाईने श्री पुण्डलीकको हिन्दीमें लिखे अपने एक पत्र ( जी० एन० ५२२० ) में उद्धृत किया था। पत्रका प्रारम्भिक अंश इस प्रकार था : “ आपकी चिट्ठियाँ मिलती हैं। आप दृढ़तासे काम करते रहोगे। आपके बारेमें आज कलक्टरको महात्माजीने नीचे लिखी हुई चिट्ठी लिखी है। ”



## ८१. पत्र : मगनलाल गांधीको

मारवाड़ जंक्शन  
मंगलवार [ १९१८ ]

चि० मगनलाल,

करघोंवाले कमरेसे चीजें चुरानेके लिए कुछ चोरोंके आनेकी खबर मैंने सुनी। बरामदेमें किसीको सुलानेकी आवश्यकता है। मैंने कल रातको लल्लूभाईको भेजा था। उनको और अन्य लोगोंको भी भेजा जाये तो ठीक हो। निश्चिन्त रहकर, श्रद्धा रखते हुए हिम्मतसे काम करना।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७१४) से।  
सौजन्य : राधाबेन चौधरी

## ८२. पत्र : एस्थर फेरिंगको

बम्बई  
१९१८

प्रिय एस्थर,<sup>१</sup>

दुबारा बीमार पड़नेके बाद, पहली बार लिखनेका प्रयास कर रहा हूँ।

हालाँकि मैं निश्चयके साथ यह तो नहीं बतला सकता कि तुम्हारा कर्तव्य क्या होना चाहिये, लेकिन मेरा खयाल है कि श्री एण्ड्र्यूजकी अपीलके<sup>२</sup> मुताबिक चलना तुम्हारे लिए ठीक ही होगा। मुझे स्वयं तुम्हारे वहाँ जानेकी उपयोगिता समझमें नहीं आई। तुम्हारे इसके बादके पत्रोंसे इस सम्बन्धमें कुछ प्रकाश पड़ेगा। मुझे सचमुच बहुत, बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि इन छुट्टियोंके दौरान तुम आश्रममें नहीं हो। लेकिन आश्रमसे तुम्हारा यह विवशताजन्य वियोग तुम्हें आश्रमके और पास ले आता है।

तुमको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं तुम्हारी बनाई हुई बनियान रोज पहिनता हूँ। वह सदा ही तुम्हारी सेवाकी याद दिलाती रहती है।

१. दक्षिण भारतमें ' डेनिश मिशनरी सोसाइटी ' की एक कर्मचारी। वे अपने शिक्षण सम्बन्धो कार्यकी तैयारीके लिए साबरमती आश्रम गई थीं।

२. शान्तिनिकेतनमें काम करनेके लिए



पिछले दो दिनोंसे तबीयत कुछ ठीक मालूम पड़ रही है, लेकिन इस प्रकारके सुधारका तबतक कोई भरोसा नहीं जबतक वह एक-दो पखवारे तक टिका न रहे। शेष महादेव लिखेंगे।

सस्नेह,

तुम्हारा,  
बापू

[अंग्रेजीसे]

माई डियर चाइल्ड

### ८३. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रूजको

जनवरी ६, १९१९

मेरा खयाल है कि मुझे तन्दुरुस्तीके उतार-चढ़ावोंका आदी हो जाना चाहिए, उनसे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगता है कि इस लम्बी बीमारीसे उठनेसे पहले मुझे शायद कई उतार-चढ़ाव देखने पड़ेंगे। इस वक्त तो मैं बिलकुल अच्छा दिखाई देता हूँ। मुझे कुछ इंजेक्शन लेनेके लिए सहमत होना पड़ा है और उनका जैसा सोचा था वैसा ही असर हो रहा है। ये इंजेक्शन भूखको जाग्रत करनेके लिए थे। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इस समयका मेरा भोजन गुण और मात्रा दोनोंमें ऐसा है, जिससे खाऊ आदमीको भी ईर्ष्या हो सकती है। किन्तु नहीं कहा जा सकता कि मेरी बीमारी कब पलटा खा जायेगी। मेरा खयाल है कि कोई बहुत सावधानीसे निरीक्षण करनेवाला आदमी हो, तो वह समय-पत्रक बना सकता है और यह भविष्यवाणी कर सकता है कि आगे बीमारीमें कब पलटा आयेगा और उसके बाद दूसरे कब-कब आयेंगे। आजकल मैं एक बहुत बड़े डॉक्टरकी देखरेखमें हूँ। ये मुझे पन्द्रह इंजेक्शन देना चाहते हैं, जिनमें से अबतक चार दिये जा चुके हैं। इसलिए मेरे लिए आगामी दिनोंकी अपनी दशाकी कल्पना जरा भी आनन्ददायक नहीं है और सुइयाँ लगवानेमें तो निश्चय ही आनन्दका अनुभव नहीं होता। फिर भी जीनेके लिए हम क्या-क्या बरदाश्त करनेको तैयार नहीं होते ?

मैंने अखबारमें पढ़ा कि कलकत्तेके बिशप गुजर गये। इससे तुम्हें बहुत दुःख पहुँचा होगा। परन्तु मैं सोचता हूँ कि वे दुःखसे मुक्ति पा गये यह अच्छा ही हुआ। मेरी सुविधाके विचारसे तो तुमने कुमारी फैरिंगको बोलपुर भेजकर अच्छा ही किया। परन्तु मेरा खयाल है कि तुमने यह भावनावश ही किया है। चूँकि तुम मुझे विश्वास दिलाते हो कि उसने तुम्हारे स्थानकी पूर्ति अच्छी तरहसे की है, अतः मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता कुमारी फैरिंगके पत्रसे मुझे यह महसूस हुआ कि शान्तिनिकेतनमें ऊपरकी कक्षाओंको या यों भी कह सकते हैं कि नीचेकी कक्षाओंको भी अंग्रेजी पढ़ाना उन्हें अनुकूल नहीं पड़ता। फिर भी कुमारी फैरिंगमें इतनी श्रद्धा है कि उसके लिए इस दुनियामें कुछ भी असम्भव नहीं। जहाँ हजारों असफल हो जाते वहाँ वह सफल हुई है। क्या डेनिश-मिशनसे उसे छुट्टी मिल गई है? क्योंकि तुम कहते हो कि बोलपुरका काम पूरा हो जानेके बाद वह मेरे पास आनेवाली है। कोई कटुता उत्पन्न किये बिना



यदि उसने वहाँसे पूरी तौरपर छुट्टी पा ली हो तो बहुत बड़ी बात मानी जायेगी। मैं पन्द्रह तारीख तक तो बम्बईमें हूँ ही। बादमें मेरे कोलम्बो जानेकी बात है। यह कहाँ तक उचित होगा, सो मुझे सोचना होगा। कांग्रेसके प्रतिनिधिके रूपमें मेरे चुनावके बारेमें तुम कोई चिन्ता न करना। मैं अभी किसी अन्तिम निर्णयपर नहीं पहुँचा हूँ। जानता हूँ कि जब वस्तु-स्थिति मेरे सामने आकर खड़ी होगी, तब मुझे अपना मार्ग दीपककी तरह साफ दीख जायेगा। अभी मैं किसी बातकी चिन्ता नहीं करता। प्रतिनिधि बनकर जानेके लिए मैं उत्सुक नहीं हूँ। परन्तु यदि वह मेरे लिए कर्त्तव्य ही बन जायेगा, तो मैं उसे टालूँगा नहीं। आशा है कि तुम सकुशल होगे।

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

#### ८४. पत्र : डॉ० प्राणजीवन मेहताको

[ बम्बई ]

जनवरी ९, १९१९

मेरी तबीयत चन्द्रमाकी कलाओं-जैसी है। बढ़ती और घटती है। सिर्फ अमावस्या-से बची रहती है। बवासीरसे होनेवाला दर्द बिलकुल मिट गया है। परन्तु खानेकी रुचि नहीं होती और शरीरमें शक्ति नहीं आती, उस हद तक रोग अभी बाकी है।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

#### ८५. पत्र : मगनलाल गांधीको

[ बम्बई ]

जनवरी १०, १९१९

[ चि० मगनलाल, ]

मैं आजकल प्रत्येक विषयपर इतने गहरे विचारोंमें डूब जाता हूँ कि अक्सर उसमें से कुछ भाग तुम सबको देनेकी बड़ी इच्छा हो जाती है। परन्तु मनके अनुत्साह और शरीरकी दुर्बलताके कारण न कुछ लिख सकता हूँ और न लिखवा सकता हूँ। आज लिखाये बिना नहीं रह सकता। मेरी आत्मा इसकी साक्षी है कि आजकल मैं जो-जो परिवर्तन कर रहा हूँ, उनका कारण मेरी [मनकी] दुर्बलता नहीं है। ये परिवर्तन मैं तटस्थतापूर्वक कर रहा हूँ; उनके मूलमें मेरी सबलता ही है और उसका मुख्य कारण तुम सबको और मित्रोंको संतोष देना है। बा का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता।



बहुत बार उसका चेहरा गरीब गाय-जैसा लगता है और कभी-कभी जैसे गाय हमें कुछ कहती-सी मालूम होती है, वैसे ही बा भी मुझे कुछ कहती-सी दीखती है। मैं यह भी समझता हूँ कि उसकी इस दीनतामें स्वार्थ छिपा है। इतना होते हुए भी उसकी नम्रता मुझे पराजित करती है। इसलिए जहाँ-जहाँ छूट ली जा सकती है, वहाँ-वहाँ छूट लेनेकी इच्छा हो जाती है। अभी चार दिन पहले ही बा दूधकी बातको लेकर विलाप कर रही थी कि अकस्मात् बोल उठी : 'गायका दूध भले न लें, परन्तु बकरीका दूध क्यों नहीं लिया जा सकता ?' मैं चौंका। जब मैंने व्रत लिया था, तब बकरी तो मेरे ध्यानमें ही न थी। बकरीके दूधके उपयोगके बारेमें मैं उस समय बिलकुल अनभिज्ञ था और बकरीकी पीड़ा मेरी आँखोंके सामने नाचती नहीं थी। मेरा व्रत तो सिर्फ गायके दूधके लिए था। भैंसका भी मैंने विचार नहीं किया था। परन्तु भैंसका दूध लेना मेरे [व्रत लेनेके] मुख्य उद्देश्यको हानि पहुँचाता। बकरीके दूधके लिए ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि अब मैं बहुत हद तक मित्रोंके मानसिक क्लेशको दूर कर सकूँगा। इससे मैंने बकरीका दूध लेनेका निश्चय किया। यद्यपि एक तरहसे देखा जाये, तो बकरीके दूधके विषयमें ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद मेरे व्रतकी बहुत कीमत नहीं रह जाती लेकिन वह बिलकुल नष्ट भी नहीं हो जाती। कुछ भी हो, यह छूट लेनेसे मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मित्रोंकी पीड़ा दिन-दिन बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर मेहताके तारपर-तार आ रहे थे। अगर बकरीको अच्छी तरह पाला-पोसा जाये, तो उसके और गायके दूधमें कोई फर्क नहीं है। इंग्लैंडकी बकरीका दूध तो गायसे ज्यादा ताकतवर होता है, ऐसा पुस्तकोंमें भी लिखा है। हमारी बकरियोंका दूध हल्का माना जाता है। किन्तु वह हानिकारक होनेके बजाय लाभदायक माना जाता है। चाहे जो हो। मैंने तो जितने मुझसे उठाये जा सकते थे, उतने कदम उठा लिये हैं। मैं डॉक्टरको अपने शरीरमें संखियाकी, कुचलेकी और लोहेकी सुई भी लगाने देता हूँ। इतना होनेपर भी तबीयत न सुधरे तो हम यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि पाँच चीजोंका व्रत छोड़नेसे तबीयत ठीक हो जायेगी। इसलिए अब किसीके लिए कुछ कहनेको नहीं रह जाता। इन सब परिवर्तनोंका क्या असर होता है, यह हमें धीरज रखकर देखना होगा। इस तरह छूट तो ले ली, लेकिन अन्तरात्मा एक क्षण भी पूछे बिना नहीं रहती, 'आखिर इतना परिश्रम किसलिए ?' 'जीकर क्या करोगे ?' 'किस सुधारके लिए इतनी झंझट मोल ली जाये ?' जब मैं जर्मनीके कैसरकी स्थितिका विचार करता हूँ, तब ऐसा लगता है कि जैसे हम कौड़ियोंसे खेलते हैं वैसे कोई महान् व्यक्ति हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक गोलेपर चलनेवाली चींटी जितनी छोटी होती है, इस पृथ्वीके गोलेपर हम उससे भी कहीं ज्यादा छोटे हैं और चींटियोंकी तरह अज्ञानमें आगे बढ़ते रहते हैं, कुचले जाते हैं। ऐसे विचार आनेपर भी हमारे कर्तव्यके बारेमें मुझे एक क्षणके लिए भी शंका नहीं होती। हम प्रवृत्ति-रहित होकर नहीं रह सकते, इसलिए हमारा कर्तव्य पारमार्थिक वृत्तिके लिये ही हो सकता है। ऐसी प्रवृत्ति करनेवाला मनुष्य परम शान्तिका अनुभव कर सकता है। हम आश्रममें भी यही प्रवृत्ति आरम्भ करें। तुम्हारे पास ज्वार बोलने और बुनाईके कामके बारेमें जो सूचना आई है, उसके सम्बन्धमें जो ठीक मालूम हो,



करना। जो करो, सो मुझे लिखना और यह याद रखना कि रसोईके लिए नौकरकी जरूरत जान पड़े, तो तुम रख सकते हो।

बापूके आशोर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

## ८६. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

जनवरी १०, १९१९

प्रिय चार्ली,

तो तुम इन्फ्लुएन्जाके शिकार हो गये। मुझे तो यही आश्चर्य है कि लगातार घूमने-फिरनेके बावजूद तुम अपनी तन्दुरुस्ती इतनी सँभालकर कैसे रख रहे हो। मैं समझता हूँ कि ईश्वर जिसे अपना साधन बनाना चाहता है, खास तौरपर जो किसी विरोधके बिना उसे अपना पथ-प्रदर्शन करने देता है, उसकी वह रक्षा भी करता ही है। इसलिए तुम्हारे बारेमें मैं जरा भी चिन्ता नहीं करता। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे कामके लिए आवश्यक बल तुम्हें मिल ही जायेगा। मेरे स्वास्थ्यमें तो अभी भी उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं। स्वास्थ्यके लिए या वहाँ जाकर कुछ सार्वजनिक काम कर सकनेके लिए मेरा इंग्लैंड जाना जरूरी है, यह बात तुम्हारी जितनी स्पष्टतासे मेरी समझमें नहीं आ रही है। मैं धीरे-धीरे अपना मार्ग देखता जा रहा हूँ और एक-एक कदम आगे रख रहा हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## ८७. रामदास गांधीको लिखे पत्रका अंश

[ बम्बई ]

जनवरी १६, १९१९

मणिलाल खूब मेहनत कर रहा है, इसमें शक नहीं। तुम्हें अभी तो उसकी सहायता करनेके लिए वहाँ रहना ही चाहिए, इस बारेमें मेरे मनमें कोई सन्देह नहीं है। धीरे-धीरे मणिलाल 'इंडियन ओपिनियन' की उन्नति कर सकेगा। तुम भी अपनी शक्तिपर भरोसा रखकर स्वतन्त्र लेख लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें एक ही चीजके ज्ञानकी जरूरत है। वह है तथ्योंकी। तुम्हें खेतीका ज्ञान हो, तो तुम उस विषयपर अच्छे लेख जरूर लिखो। बहुत-से लेखक अपने विषयको नहीं जानते, फिर भी मानो



बहुत समझते हों, इस तरह लिखने बैठ जाते हैं और असफल सिद्ध होते हैं। तुम किसी सरल विषयपर अधिकार प्राप्त करके लिखना शुरू करो, तो जरूर सफल होंगे। तुम काछलिया सेठके अवसानका वर्णन अच्छी तरह कर सकते थे। इस प्रकार प्रारम्भ करके आदत हो जानेपर अच्छे लेख लिखे जा सकते हैं। श्री पोलक जब मेरे पास आये, तब उनके लेख लम्बे और नीरस होते थे। चार महीनेके अभ्यासके बाद वे ठीक लिखने लगे और एक वर्ष बाद तो उन्होंने खूब उन्नति कर ली। बड़ी मुश्किल तो यह है कि तुम्हें अपनी शक्तके बारेमें श्रद्धा नहीं। तुम जड़ हो, यह माननेका कोई कारण नहीं है। तुम्हें लिखने-पढ़नेका शौक हो, तो तुममें बहुत शक्ति है। . . .<sup>१</sup>

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ४

## ८८. पत्र : नरहरि परीखको

[ बम्बई ]

जनवरी २१, १९१९

भाईश्री नरहरि,

इस समय रातके साढ़े बारह बजे हैं। कल रातको बवासीरके मस्से कटवाये थे। खूब वेदना भोगनेके बाद मारफियाका इन्जेक्शन लिया। उसका नशा चढ़ आया और नींद आ गई। दोपहरके दो बजे सोया, रातके बारह बजे जगा हूँ, इससे दिमाग शान्त है और अब जल्दी ही नींद नहीं आयेगी। और फिर इस समय भाई महादेवके जागनेकी बारी है, इसलिए आपको पत्र लिखनेका इरादा हो जानेसे पत्र लिखवा रहा हूँ।

सब आशा करते हैं कि आपरेशन हो जानेसे मैं बवासीरके रोगसे सदाके लिए मुक्त हो जाऊँगा। यदि ऐसा हो तो मेरे शरीरके जल्द ही सँभल जानेकी सम्भावना है। मुझे यहाँ कमसे-कम एक महीना तो रहना ही होगा। और उसके बाद दूसरी जगह जानेसे पहले मैं आश्रममें आनेवाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्वास्थ्यके बारेमें कोई चिन्ता न करे।

दूधके बारेमें मैंने जो रिआयत ली है, उसपर आपकी आलोचना पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई है। जब किसी मित्रको ऐसा लगे कि उसका कोई मित्र बीमारीके कारण या अन्य किसी कारणसे कमजोरी दिखा रहा है तो देखनेवाले मित्रका फर्ज है कि वह उस कमजोरीकी तरफ अपने मित्रका ध्यान आकर्षित करे। मनुष्यको गिरनेका लालच इतना अधिक होता है और प्रकृतिने ही उसे अपनेको धोखा देनेकी इतनी ज्यादा सुविधा दे रखी है कि सावधान रहनेवाला आदमी भी कमजोर हो या उसके सारे त्याग वैराग्यहीन हों, तो वह अवश्य गिरेगा। इसलिए जैसा मैंने ऊपर बताया, मित्रोंको एक-दूसरेकी निगरानी रखनेकी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप सब पूरी तरहसे ऐसी निगरानी रखें। इसमें

१. पत्रका बाकी हिस्सा उपलब्ध नहीं है।



आपकी और मेरी उन्नति है। कुछ भी बड़ा परिवर्तन करनेसे पहले मैं भाई महादेवके साथ तो परामर्श कर ही लेता हूँ, परन्तु मुझे हमेशा यह भय बना रहता है कि महादेव अपने अगाध प्रेमके कारण मेरी कमजोरियोंको पहचान नहीं सकते और यदि पहचान लेते हैं, तो उन्हें दरगुजर कर देते हैं। इसलिए मैं उनके सलाह-मशविरेसे पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकता। आपने अपनी आलोचना मेरे ही पत्रमें लिखी होती, तो मैं ज्यादा खुश होता। मुझे इतना तो निश्चय ही है कि मित्र लोग मेरे सामने विरुद्ध पक्षकी दलील रखें, तो मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं तटस्थ हूँ। इसलिए जहाँ-जहाँ हमारे विचारोंमें मतैक्य न हो, वहाँ-वहाँ मुझे लगता है कि आप सबको अपने मतभेद तुरन्त बता देने चाहिए। इससे मैं बहुत सोचमें पड़ जाऊँगा, ऐसा नहीं है और अपने कार्योंके सम्बन्धमें मुझे स्वयं ही जो काजीका काम करना पड़ता है, उस दुर्दशासे मैं मुक्त हो जाऊँगा। मुझे स्वयं तो यह निश्चय है कि मैं अपने व्रतोंका पालन बड़ी सावधानी और पूरी सफलताके साथ कर सका हूँ। मैंने बकरीका दूध लेना शुरू किया उससे पहले मैंने २४ घंटे तक विचार किया और मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि मैंने जहाँ भी रियायत ली है, वहाँ सबल कारणोंसे ही ली है। मुझे जीनेका बिलकुल आग्रह नहीं है और बीमार हुए पाँच माससे भी अधिक हो गये हैं, तो भी मेरी लापरवाहीकी स्थिति कायम है। मैंने दूध न पीनेका व्रत लिया उस वक्त गाय और भैंसके दूधके सिवा मेरे मनमें दूसरे दूधका खयाल आ ही नहीं सकता था और न था। जिस समय मैंने यह व्रत लिया था उस समय मैंने इसपर खूब सोच-विचार किया था। गायों और भैंसोंपर होनेवाले अत्याचारोंका मुझे बहुत खयाल था, इसीलिए मैंने [दूध] न पीनेका व्रत लिया था।<sup>१</sup> इस समय मेरा क्या कर्त्तव्य है? इससे जो स्वाभाविक अर्थ निकलता है, उस अर्थको ग्रहण करूँ अथवा जिस अर्थको अत्यन्त सूक्ष्मतासे विचार करनेपर निकाला जाये, उसे लूँ? मुझे लगता है कि मुझे अपने व्रतोंका उदार अर्थ करना चाहिए और उसकी सीमामें जितनी छूट ली जा सके उतनी लेनी चाहिए। यह छूट लेनेसे, सूक्ष्म रूपमें भी, मेरा व्रत भंग होता है; यह मैं स्वीकार नहीं करता। वैद्यक-शास्त्रके जिन प्रयोगोंको मैं कर रहा था उन्हें अब निस्सन्देह बड़ा आघात पहुँचेगा, परन्तु वैद्यक-शास्त्रका प्रयोग अध्यात्मका विषय नहीं है। दूधके त्यागमें जो संयम और आध्यात्मिकता थी, उनका तो पूरी तरह निर्वाह हुआ है। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये, त्यों-त्यों मित्रोंका आग्रह भी बढ़ता गया। डॉ० मेहता तार देते ही रहते हैं। अन्य सहस्रों हिन्दुस्तानी मेरी बीमारीसे अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं। मेरी बीमारीके कारण बा यद्यपि सदा रुदन और शोक नहीं करती, परन्तु उसकी आत्माको अत्यन्त वेदना तो होती ही है। ऐसे समय में क्या करूँ? इस प्रश्नका एक ही उत्तर मिल सकता है। व्रतको रंचमात्र भी हानि पहुँचाये बिना जहाँ-जहाँ उदारतासे काम लिया जा सकता है, वहाँ-वहाँ उदारतासे काम लेकर मुझे रियायत लेनी चाहिए। आज तो इतना कहकर ही इस विषयको समाप्त करूँगा। दूसरी दलीलें तो बहुत हैं। परन्तु जो मुख्य दलील है, वही मैंने आपको दी है। मेरी यह दलील यदि आपको सन्तोषजनक स्पष्टीकरण देती हुई न जान पड़े और आपको अभी भी मेरे

१. देखिए आत्मकथा, भाग ४, अध्याय ३०।



काममें कमजोरी ही दिखाई दे तो आप मुझे अपनी आलोचना अवश्य भेजें। और लोगोंके साथ सलाह करके भी आप मुझे आलोचना भेजेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपकी आलोचना मुझे ठीक प्रतीत होगी, तो भी फिलहाल मैं दूध जारी ही रखूंगा। इसलिए इस डरसे कि कहीं मैं दूध न छोड़ दूँ, आप संकोच न करना।

मणिबहनको<sup>१</sup> आप पढ़ाया करते हैं, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर हम अपनी सब स्त्रियोंको आगे ला सकें, तो इससे हम बहुत बड़े परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

[ मोहनदासके वन्देमातरम् ]

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## ८९. पत्र : बलीको

[ बम्बई ]

जनवरी २१, १९१९

चि० बली<sup>२</sup>,

तुम्हारा पत्र मुझे मिला। मेरा स्वास्थ्य भला-बुरा रहा करता है। कोई चार दिन हुए, मैं बवासीरसे बहुत पीड़ित रहा। कल डॉक्टरने चीरा लगाया है, इसलिए अब पता लगेगा कि दर्दसे मुक्त होऊँगा या नहीं। बच्चे आनन्दमें हैं। परसों कुमीके<sup>३</sup> साथ भेज दिये थे। हम रातको सोनेके लिए बच्चोंको कुमीके साथ नहीं जाने देते। हरिलालका पत्र आया है, जिसमें वह लिखता है कि बच्चोंके सोनेके स्थानमें परिवर्तन न किया जाये। मैं तुम दोनोंकी इच्छानुसार बच्चोंकी व्यवस्था नहीं कर सकता, इससे तुम दोनोंको बड़ा दुःख होता है। फिर भी मुझे, निर्दयतापूर्वक ही क्यों न हो, बच्चोंको तुम्हारे पास भेजनेसे इनकार करना पड़ रहा है। बच्चे बार-बार स्थान-परिवर्तन न करें, यह अत्यन्त आवश्यक है। कलसे बच्चोंको पढ़ानेके लिए मास्टरका भी बन्दोबस्त किया है। मनुका<sup>४</sup> जो इलाज हो रहा है, उससे मनु दिन-दिन बढ़ती जा रही है। रामीका<sup>५</sup> भी यही हाल है। ऐसी स्थितिमें अगर तुम केवल बच्चोंका ही स्वार्थ देखोगी, तो बच्चोंको वहाँ भेजनेका आग्रह नहीं करोगी। परन्तु तुम हर महीने या दो महीनेमें या अधिकसे-अधिक तीन महीनेमें साबरमती आओ, आश्रममें रह जाओ और बच्चोंके साथ हँसो-खेलो, यह मैं चाहता हूँ। यहाँ आ जाओ तो साथ रहनेको भी मिलेगा, सो अलग। छबलभाभी<sup>६</sup> और चंचल, दोनोंका देहावसान हो जानेसे तुम्हें भारी आघात पहुँचा है। अगर तुम्हारा दुःख किसी

१. नरहरि परोखकी पत्नी।

२ व ३. हरिलाल गांधीकी पत्नी चंचलकी बहनें।

४ व ५. हरिलाल गांधीकी लड़कियाँ।

६. हरिलालको सास।



भी तरह ओढ़ा जा सकता हो, तो मैं ओढ़ लूँ और तुम्हें जीवन-भरके लिए आये हुए दुःखसे मुक्ति दिला दूँ। तुम मेरे लिए पुत्रीके समान ही हो, तुम मुझे जैसे चाहो, वैसे पत्र लिख सकती हो। समय-समयपर लिखती ही रहना। बा तुम्हें आशीर्वाद कहलाती है।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## १०. पत्र : एस्थर फेरिंगको'

बम्बई

जनवरी २५, १९१९

प्रिय एस्थर,

तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उचित है और मैं यथाशक्ति विस्तारसे उसका उत्तर देनेकी कोशिश करूँगा। किसी बातको करने या न करनेका पक्का निश्चय करनेका ही नाम 'व्रत' है। मुक्ति-सेनाके सदस्यगण आत्मसंयमके सप्ताहमें मुरब्बा या अन्य कोई खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक न खानेका व्रत लेते हैं। लेंटके दिनोंमें रोमन कैथॉलिक ईसाई कुछ परहेज रखते हैं। यह भी व्रत ही है। इन सब बातोंमें एकसे ही परिणामोंकी अपेक्षा की जाती है, यानी आत्माकी शुद्धि और अभिव्यक्ति। ऐसे संकल्प करके हम शरीरको वशमें करते हैं। देह पार्थिव है, जड़ है, आत्मा चेतनामय है। जड़ और चेतनके बीच आन्तरिक संघर्ष हो रहा है। जड़की चेतनपर विजय हो जाये तो आत्माका विनाश हुआ समझना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि जिस हदतक हम शरीर सुखका भोग करेंगे और आत्माकी उपेक्षा करेंगे उसी हदतक यह विनाश होगा। शरीर अथवा जड़ तत्त्वका भी उपयोग तो है ही। वही आत्माकी अभिव्यक्तिका साधन है। किन्तु यह परिणाम तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब शरीरका उपयोग आत्मो-

१. यह पत्र गांधीजीने एस्थर फेरिंगके निम्न पत्रके उत्तरमें लिखा था : " क्या हम अपने चरित्रको बलवान् बनानेके लिए व्रत लेते हैं? क्या ईश्वर हमसे कुछ व्रत करनेकी आशा रखता है? क्या कोई व्रत घातक नहीं हो सकता? बापू, मैं आपसे पूरी श्रद्धापूर्वक पूछती हूँ, क्योंकि मैं इस प्रश्नको और अच्छी तरह समझना चाहती हूँ। मेरा विश्वास है कि आप इस समय जो कष्ट सहन कर रहे हैं उससे ईश्वर भी दुःखी है, हालाँकि आप सुखपूर्वक कष्ट सहन कर रहे हैं। किन्तु यदि ईश्वर पिता है, और यदि ईश्वर शुद्ध प्रेम है, तब उसके बच्चे अपने ऊपर ऐसे बोझ लाद लें जिन्हें वहन करनेकी उनसे अपेक्षा नहीं की जाती तो क्या उसे दुःख नहीं पहुँचता? यदि आप मुझे व्रतके और गूढ़ अर्थ समझा सकें तो उससे मुझे अपने जीवनमें सहायता मिलेगी। "

२. साल्वेशन आर्मी या मुक्ति-सेनाकी स्थापना १८८० में विलियम बूथने की थी। यह संगठन धार्मिक कोटिके सहायता-कार्य करता है।



त्रतिके साधनके रूपमें किया जाये। मानव-कुलका बहुत बड़ा भाग अपने शरीरका यह उपयोग नहीं करता। परिणामस्वरूप शरीर अथवा जड़ तत्त्वकी आत्मा अथवा चेतन तत्त्व-पर विजय होती दिखाई देती है। लेकिन हम, जो यह जानते हैं कि यह शरीर सदा परिवर्तनशील है और नश्वर है और उसमें रहनेवाली आत्मा ही अविनाशी है, उन्हें तो दृढ़ संकल्प करके अपने शरीरपर इतना काबू पा लेना चाहिए कि आत्माकी सेवाके लिए वे उसका पूरा उपयोग कर सकें। 'बाइबिल' के नये करार [न्यू टेस्टामेंट] में यह विचार काफी स्पष्ट कर दिया गया है। परन्तु हिन्दू-शास्त्रोंमें वह जितनी परिपूर्णताके साथ और विशद रूपमें समझाया गया है, उतना मैंने और कहीं नहीं देखा। 'रामायण' और 'महाभारत' के पन्ने-पन्नेपर तुम आत्मसंयमका यह नियम लिखा पाओगी। क्या ये दो ग्रन्थ तुमने पढ़े हैं? न पढ़े हों, तो जितनी जल्दी हो सके, ध्यानपूर्वक और श्रद्धासे पढ़ लेने चाहिए। इन दोनों ग्रन्थोंमें परियोंकी कहानियों जैसी-बहुत-सी चीजें भी आती हैं। परन्तु ये ग्रन्थ साधारण जनताके लिए लिखे गये हैं, इसलिए इनके रचयिताओंने जानबूझकर ऐसी शैलीमें लिखना पसन्द किया कि आम जनताके लिए वे रोचक बन जायें। करोड़ों लोगोंको सत्य समझानेका उन्होंने सरलसे-सरल ढंग अपनाया है, और हजारों वर्षका अनुभव सिद्ध करता है कि उन्हें इसमें अद्भुत सफलता मिली है। मेरी बात अच्छी तरह समझमें न आये अथवा शंका हो, तो मुझे लिखो, मैं दुबारा समझानेकी कोशिश करूँगा।

मैंने एक चीरा लगवाया है। आज छठा दिन है। आपरेशन सफल हुआ या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता। परन्तु डॉक्टर बहुत मशहूर है।<sup>१</sup> वह बहुत सावधान आदमी है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। आपरेशन करा लेनेपर भी मेरी तकलीफ जारी रहे, तो उसमें डॉक्टरका कोई दोष नहीं होगा।

सस्नेह,

सदैव तुम्हारा,  
बापू

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई



## ९१. पत्र : नरहरि परीखको

[ बम्बई ]

जनवरी २७, १९१९

आपका पत्र मैंने सुना।<sup>१</sup> आपने खुले दिलसे लिखा है, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी और भी अधिक लिखें, इस आशासे मैं यह जवाब दे रहा हूँ। मेरे व्रतका विशाल अर्थ तो वही हो सकता है, जो आपने किया है। इसलिए जिस दिन मैंने बकरीका दूध लेनेका निश्चय किया, उसी दिन मैंने उसकी टीका करते हुए कहा था कि अब इसमें से रस तो निकल जायेगा। अब मैं दूध-रहित खुराकके प्रयोग नहीं कर सकता। अब मैं यह घमण्ड नहीं रख सकता कि मैं प्राणिज खुराक नहीं लेता। इतनेपर भी आपका पत्र सुननेके बावजूद मेरा खयाल है कि इससे व्रत नहीं टूटता। मेरा खयाल है कि मेरे व्रतका संकुचित अर्थ तो वही है, जो मैंने किया है। व्रत लेते समय बकरीके दूधका प्रश्न ही मेरे सामने नहीं था। और मैं यहाँतक कहना चाहता हूँ कि मेरे दोनों व्रतोंके भीतर बड़ी खिड़कियाँ रह गईं, यह मेरे व्रतोंकी अत्यन्त पवित्रता सूचित करता है। पाँच वस्तुओंके व्रतमें हिन्दुस्तानसे बाहरके मुल्क मुझे छूट देनेवाले रह गये और दूधके व्रतमें बकरी मेरे लिए सहज ही माताके समान हो गई। संकुचित अर्थ करके भी व्रत-पालनके हमारे शास्त्रोंमें अनेक उदाहरण हैं। उन सबका रहस्य अब मैं ज्यादा समझ सकता हूँ। मेरे जैसे आदमीने व्रत-भंग किया यह कहनेके बजाय यह कहना ज्यादा अच्छा है कि व्रतके शब्दार्थका तो अन्त तक पालन किया। मैं मानता हूँ कि बकरीके दूधसे मेरा गुजारा हो जायेगा। परन्तु यह कहनेवाले तो निकल ही आते हैं और अब भी निकल आयेंगे कि गायका दूध लिए बिना पूरी ताकत नहीं आ सकती। उस समय मैं गायका दूध तो हरगिज नहीं लूँगा। और फिर यह भी नहीं है कि सभी जगह बकरीका दूध मिल ही जायेगा। इसलिए व्रतके शब्दार्थका पालन करनेमें भी कुछ-न-कुछ असुविधा तो रहेगी ही। लेकिन इस समय मैं आपके सामने सुविधा-असुविधाका प्रश्न नहीं रखता मैं अपने व्रतका जो संकुचित अर्थ करता हूँ, वह संभव है या नहीं, हमें इसी बातपर विचार करना है। अगर यह अर्थ सम्भव हो, तो यह अर्थ करके मित्रोंके दुःखको मिटाना और शरीरको बचा लेना मेरा आपद्-धर्म है। मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है कि जबतक [ किसी व्यक्तिको ] अपना व्रत भूलभरा प्रतीत न हो या पापयुक्त न लगे, तबतक किसीकी भी खातिर [ उसे ] उस व्रतको छोड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अगर एक बार भी व्रत तोड़नेकी छूट दे दी जाये, तो व्रत पाले ही नहीं जा सकते और उनकी महिमा जाती रहेगी। परन्तु व्रतके जो भी अर्थ हो सकते हों, वे अर्थ करके उनसे लाभ उठानेमें मुझे कोई हानि दिखाई नहीं देती।

१. श्ते महादेव देसाईने अपनी डायरीमें इस तरह उद्धृत किया है: “ इस छूटछाटमें सम्पूर्ण उदारता [ बरती गई ] है लेकिन इससे तो मात्र व्रतके शब्दार्थका पालन किया ही कहा जायेगा। दूधको यदि मांसकी भौंति मानें तो गायके दूधके समान ही बकरीका दूध माना जायेगा। ”



एकादशीके दिन मामूली नमक न लेकर सेंधा नमक लेकर मनको समझाया जाता है कि एकादशीका पालन किया है। यह धोखाबाजी नहीं है। साधारण नमक तो नहीं ही लिया जा सकता, परन्तु नमक का स्वाद भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए उसके एवजमें दूसरा नमक लेकर भी एकादशीका व्रत रखनेवाला कुछ-न-कुछ संयमका पालन तो करता ही है। वह किसी दिन सेंधा नमक भी छोड़ सकता है।

मैं अपना उत्तर लम्बा नहीं कर रहा हूँ। जो-कुछ लिखा है, उसपर विचार करना और फुरसत मिलनेपर लिखने लायक बात हो, तो लिखना।

इस पत्र-व्यवहारसे हम सभी कुछ-न-कुछ सीखेंगे और मुझसे भूल हो रही होगी, तो मुझे उसका भान हो जायेगा।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## ९२. पत्र : रेवाशंकर सोढाको<sup>१</sup>

जनवरी २७, १९१९

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी विद्या-सम्पादन करनेकी अभिलाषा मुझे पसन्द आई है। मैं उसका आदर भी करना चाहता हूँ। परन्तु इस समय मुझे उसे रोकना पड़ेगा। कभी-कभी विद्याका राग त्यागने योग्य होता है। मुझे खुदको संस्कृतकी बड़ी कमी महसूस होती है। मराठी, बँगला और तमिल सीखनेके अपने शौकका मैं बयान नहीं कर सकता। फिर भी मेरे हाथमें आये हुए एकके बाद एक कामके कारण मुझे अपना लोभ संवरण करना पड़ा। कई बार ऐसी इच्छा होती है कि चि० देवदासको बहुत ज्ञान दूँ। ज्ञान प्राप्त करनेकी उसकी शक्ति बहुत अच्छी है। मेरा यह विश्वास है कि वह ऐसा [व्यक्ति] है, जो उसका सदुपयोग करेगा। इतना होनेपर भी मद्रासी भाइयोंको हिन्दी सिखानेका उसका काम ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने उसकी पढ़ाई रोक दी है। स्वयं चि० मगनलालका उदाहरण लो। उसकी पढ़ाईमें जो त्रुटि रह गई है उसका तो कोई पार ही नहीं। यह तो हम सब स्वीकार करेंगे कि यदि वह अपनी पढ़ाईको आगे बढ़ा सके, तो उसका वह बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है। उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी, यह खामी मुझे बारम्बार खटकती है। फिर भी जबसे वह मेरे पास आया है, तबसे मुझे उसे दूसरे कामोंमें लगाना पड़ा है, इसलिए मैं उसे अधिक पढ़ा नहीं सका। ऐसे तो मैं और बहुतसे उदाहरण दे सकता हूँ। परन्तु मैंने जो दिये हैं, वे तुम्हें सन्तोष देनेके लिए काफी हैं। फिलहाल तो हमें आश्रमसे ऐसे-ऐसे काम लेने हैं कि उनमें जितने आदमियोंको लगाया जा सके, उतने आदमियोंको लगा देने की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी तो तुम्हें

१. रतनसी मूलजी सोढाके पुत्र, एक उग्र सत्याग्रही जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें संघर्षके दौरान कैद भोगी थी।



जो काम सौंपा जाये, उसीको एकनिष्ठा से करते रहो और उसमें पूरा संतोष दो। तुम्हारी पढ़ाई मेरे ध्यानमें रहेगी ही और जब मुझे अवसर आ गया जान पड़ेगा, उस समय मैं मौका नहीं चूकूंगा। मेरे इस उत्तरसे तुम्हें संतोष न मिले, तो तुम्हें जो-कुछ लिखना हो, सो लिखना। मैं तुम्हें सन्तुष्ट करके तुमसे काम लेना चाहता हूँ।

अपने स्वास्थ्यका खूब ध्यान रखना। मुझे लगता है कि मेरी तबीयत अच्छी होती जा रही है। यहाँ डॉक्टर जो उपचार कर रहा है, उसके पूरा होनेपर मेरा विचार और कहीं जानेसे पहले आश्रम आ जानेका है। मगर इसमें तो महीना-बीस दिन लग जायेंगे। इसलिए तुम्हें जो लिखना हो, उसे लिखकर बता देना। मिलेंगे तब बात करेंगे, यह समझकर आलस्य न करना। तुम्हें पूरी आजादीके साथ लिखना चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

### ९३. विठ्ठलभाई पटेलको लिखे पत्रका अंश

[ बम्बई ]

जनवरी २८, १९१९

... हिन्दू समाज इतना तिलमिला उठा है, यह देखते हुए भी क्या आप यह मानते हैं कि आपका विधेयक<sup>१</sup> समाजके लिए जरूरी है? इस सवालपर बातचीत करनेका अवसर मिल जाये, तो अच्छा हो।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

### ९४. पत्र : सैयद हुसैनको<sup>२</sup>

जनवरी ३०, १९१९

आपके नये प्रयासकी सफलताकी कामना करते हुए मैं अपनी यह हार्दिक आशा व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने अपने पत्रका जो नाम चुना है, उसके अनुरूप ही आपके लेख भी होंगे। मैं यह उम्मीद भी रखता हूँ कि आप अपने लेखोंमें निर्भीक स्वतन्त्र विचारोंके साथ-साथ उसी मात्रामें आत्म-संयम और सत्यनिष्ठाका भी परिचय देंगे। अक्सर हमारे पत्रोंमें, और दूसरोंमें भी, तथ्योंके स्थानपर कल्पना और गम्भीर तर्कोंके बजाय

१. अन्तर्जातीय विवाह विधेयक; देखिए “पत्र: इंडियन सोशल रिफॉर्मरको”, २६-२-१९१९।

२. यह पत्र सैयद हुसैनके २९-१-१९१९ के निम्न तारके उत्तरमें था: “इंडियेन्डेन्ट ५ फरवरी-को निकल रहा है। कृपया पहले अंकमें प्रकाशनार्थ हस्ताक्षरित संदेश भेजें।”



जोश पाया जाता है। मैंने जिन त्रुटियोंकी तरफ आपका ध्यान दिलाया है, उनसे बचते हुए अपने 'इंडिपेंडेंट',<sup>१</sup> पत्रको देशमें शक्ति और लोक-शिक्षाका एक साधन बनाइये।

हृदयसे आपका,

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## ९५. पत्र : ओ० एस० घाटेको

जनवरी ३०, १९१९

आपका पत्र उदासीसे भरा हुआ है, फिर भी उसके मिलनेसे मुझे आनन्द हुआ। मैं हैरतमें था कि आपका पत्र क्यों नहीं आ रहा है? मेरा ध्यान अली बन्धुओंपर ही लगा हुआ है और सरकारी जाँचके परिणामकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जबतक समितिकी रिपोर्ट सरकारको न दे दी जाये तबतक कुछ नहीं करना चाहिए। क्या जाँच पूरी हो गई? जाँचके परिणाम-स्वरूप यदि अली भाइयोंको छोड़ा नहीं गया, तो यह माना जायेगा कि अब कदम उठानेका समय आ पहुँचा है। मैं जानता हूँ कि आवश्यक कार्रवाई करनेकी जिम्मेदारी मुझपर है। मेरा स्वास्थ्य जरा भी अच्छा हो जाये, मैं कार्रवाई करनेमें क्षण-भरका भी विलम्ब नहीं करूँगा। अपने मौजूदा स्वास्थ्यको देखते हुए मेरा पक्का खयाल है कि अगर जरूरत पड़ी, तो इस कामको हाथमें लेने लायक शक्ति मुझमें महीने-भरमें आ जायेगी। मेरे डॉक्टरकी यह सलाह है कि जब वे मुझे मुक्त कर दें, उसके बाद पूरे तीन महीने तक मुझे हिन्दुस्तानसे बाहर आराम करना चाहिए। मगर इस कामकी खातिर मैं तीन महीनेका आराम छोड़ देनेको तैयार हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ कि देशमें शान्ति बनाये रखनेके बहाने इस विधेयकका<sup>२</sup> लाया जाना निन्दनीय है। इस विधेयकको पास होनेसे रोकनेका हमें कोई भी उपाय उठा नहीं रखना चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह कानून अपनी कठोरताके कारण ही पास नहीं हो सकेगा। मेरा खयाल है कि शाही परिषद्के सभी भारतीय सदस्य तो विधेयकका सख्त विरोध करेंगे ही। फिर भी कोई कारण नहीं है कि देश एक जबरदस्त आन्दोलन न करे। मैं ऐसे आन्दोलनमें अपना तुच्छ योग देने की तयारी कर रहा हूँ। मैं यह देख रहा हूँ कि विधेयकका क्या होता है। इस विधेयकके तुरन्त ही कानून बन जानेका तो कोई डर नहीं है, इसलिए हमें यथाशक्ति जबरदस्त आन्दोलन शुरू करने और उसे फैलानेका समय मिल जायेगा। विधेयकका जो-कुछ होगा, सो होगा। मैं हर हालतमें चाहता हूँ कि जबतक अली बन्धुओंको पूरी स्वतन्त्रता न मिल जाये,

१. श्लाहाबादसे प्रकाशित होनेवाला अंग्रेजी दैनिक।

२. रौलट विधेयक।



तबतक वे इस आन्दोलनमें जरा भी शरीक न हों। मैं आशा रखता हूँ कि मुझसे सलाह किये बिना वे कोई कदम नहीं उठायेंगे।

हृदयसे आपका,

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## ९६. पत्र : मगनलाल गांधीको

बम्बई

[ जनवरी १९१९ के अन्तिम सप्ताहमें ]

चि० मगनलाल,

तुम्हारे सब पत्रोंको मैं हमेशा सुनता हूँ। मेरी तबीयतमें उतार-चढ़ाव होता रहता है। यहाँ बहुत ज्यादा सुविधाएँ हैं, इसीलिए मैं यहाँसे नहीं निकलता। मेरी चिन्ता न करना। जिस समय खेतीका काम, मजदूरों अथवा आश्रमवासियों द्वारा अच्छी तरहसे होने लगेगा और बुनाईका काम उन्नतिपर होगा, आश्रमकी सारी त्रुटियाँ दूर हो जायेंगी। यदि गुलबदन और कमला अच्छा काम न करती हों, तो उनके साथ बातचीत करने तथा उन्हें साफ-साफ कह देनेकी जरूरत है। यदि हमें आटेकी तंगी होती हो तो गेहूँ साफ करवाकर मशीनपर पिसनेके लिए भेजना चाहिए। अब ऐसी स्थिति है कि हम कपड़ेके सम्बन्धमें स्वदेशी-व्रतका पालन कर सकते हैं। गेहूँ साफ करनेके लिए मजदूरी देनी पड़े तो देना।

रुखी प्रायः बीमार रहती है, यह आश्चर्यकी बात है। तुम्हें इसके कारणकी खोज करके उसके स्वास्थ्यको ठीक बनाना चाहिए। पार्वतीको खूब पानी पीने और गहरे श्वास लेनेकी आवश्यकता है। प्रभुदासका स्वास्थ्य कैसा रहता है? व्यायाम-शिक्षक क्या करता है? निर्माण-कार्य फिरसे शुरू किया है? पाठशाला कैसी चलती है? आश्रममें कौन-कौन आते हैं? मामा क्या काम करते हैं? छोटालाल क्या करते हैं?

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७६९) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी



## ९७. शंकरलाल बंकरको लिखे पत्रका सारांश

[ फरवरी २, १९१९ के पूर्व ]

होमरूल लीगकी बम्बई शाखाओंके संयुक्त तत्त्वावधानमें २ फरवरी, १९१९ को शान्तारामकी चाल, बम्बईमें फौजदारी कानून संशोधन विधेयक [ क्रिमिनल लाँ अमेंडमेंट बिल ] तथा फौजदारी कानून संकटकालीन अधिकार विधेयक [ क्रिमिनल लाँ एमर्जेंसी पावर्स बिल ] पेश किये जानेके विरोधमें एक सार्वजनिक सभा हुई। पं० मदनमोहन मालवीयने अध्यक्षता की। श्री जमनादास द्वारकादासने होमरूल लीगके मन्त्री श्री शंकरलाल बंकरको लिखे गांधीजीके निम्नलिखित पत्रको सभामें पढ़कर सुनाया।

मेरे मतमें रौलट समितिकी रिपोर्टमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे प्रस्तावित विधेयकोंकी आवश्यकता प्रतीत होती हो। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि इन विधेयकोंका धैर्य और दृढ़ संकल्पके साथ विरोध करनेके लिए जनमत तैयार करें। यदि रौलट विधेयक कानूनके रूपमें पास हो जाते हैं, तो सुधार, चाहे जितने मूल्यवान क्यो न हों, बिलकुल व्यर्थ हो जायेंगे। एक तरफ जनताके अधिकारोंको बढ़ाना और दूसरी ओर उसके अधिकारोंपर असहनीय प्रतिबन्ध लगाना नितान्त हास्यास्पद है। यदि मैं बीमार न होता तो विधेयकोंके खिलाफ आन्दोलनमें निश्चित रूपसे अपना भाग अदा करता।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ४-२-१९१९

## ९८. पत्र : देवदास गांधीको

[ बम्बई ]

फरवरी २, १९१९

चि० देवदास,

तुम्हारे पत्रकी आज आशा रखी थी, परन्तु नहीं आया। तुमसे जुदा होनेपर मुझे कम दुःख नहीं हुआ। परन्तु जुदा होनेमें मैंने तुम्हारा हित और तुम्हारा कर्तव्य देखा। इसलिए मोहसे उत्पन्न होनेवाले दुःखका मैंने त्याग किया और तुमसे जानेका ही आग्रह

१. भारत-सरकारने भारतमें राजद्रोहात्मक आन्दोलनोंके बारेमें जाँच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करनेके लिये १९१७ में एक समिति नियुक्त की थी। इंग्लैंडके न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालयके न्यायाधीश रौलट इसके अध्यक्ष थे। मॉण्ट-फोर्ड सुधारोंके प्रकाशित होनेके तुरन्त बाद १९१८ में इस समितिकी सिफारिशें प्रकाशित की गईं जिसमें एक सिफारिश यह थी कि भारत-प्रतिरक्षा अधिनियम [ डिफेंस ऑफ इंडिया ऐक्ट ] की प्रभाव-अवधि समाप्त हो जानेपर विशेष कानून बनाये जाने चाहिए।



किया। मद्रासमें तुम्हारा काम पूरा हो जानेपर तुम्हारे पढ़ाईके शौकको मैं पूरा करूँगा। परन्तु इतना तुम अवश्य मानना कि तुम जो अनुभव प्राप्त कर सके हो, वह थोड़े लोगोंको ही मिला होगा। हमारा सारा जीवन विद्यार्थीका होना चाहिए। अगर तुम अपना जीवन इस सूत्रके आधारपर गढ़ोगे तो तुम पढ़ाईके लिए बहुत बड़े हो गये नहीं माने जाओगे।<sup>१</sup> . . . पत्र नियमित रूपसे लिखना और संध्या [प्रार्थना] नियम-पूर्वक करना।

[बापूके आशीर्वाद]

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

### ९९. पत्र : मगनलाल गांधीको

बम्बई

वसन्त पंचमी [फरवरी ५, १९१९]

चि० मगनलाल,

भाई महादेव कल रात रवाना हो गये। उनकी अनुपस्थितिमें मैं लिखनेका काम चि० मथुरादाससे<sup>२</sup> लेता हूँ। ऐसी उम्मीद है कि मैं सोमवार सवेरे वहाँ पहुँच जाऊँगा। सात सेर [पाँड] दूधका प्रयोग जरा कठिन साबित हुआ। उसे दवाकी तरह पी गया। शरीरको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इसलिए आज लगभग छः सेर पीऊँगा। बम्बई आनेके बाद आज पहली बार एक-साथ सवा घंटे सैर की। मालाबार हिलपर गया था। कुछ परेशानी नहीं हुई। भाई मावजीसे मुझे आश्रमके सम्बन्धमें कुछ बातोंका पता चला है। लेकिन शीघ्र ही मैं सब-कुछ अपनी आँखोंसे देख लूँगा, इसलिए अधिक नहीं पूछता और इसी कारण कुछ अधिक लिखता भी नहीं हूँ। भाई महादेव भी बुधवारको पहुँचेंगे। दुर्गाबेनको<sup>३</sup> साथ लायेंगे। उन्होंने मुझे पूर्णतः पराधीन बना छोड़ा है। वे ही मेरे हाथ-पाँव और मस्तिष्क बने हुए हैं इसलिए [उनके अभावमें] मैं अपनेको लूला, लँगड़ा और गूंगा महसूस करता हूँ। मैं जैसे-जैसे महादेवके सम्पर्कमें आता जाता हूँ वैसे-वैसे उनके गुणोंका विशेष अनुभव करता हूँ। वे जितने गुण-सम्पन्न हैं उतने ही विद्वान् भी हैं। इसलिए मेरे संतोषकी सीमा नहीं है।

मोहनदास करमचन्द गांधीके आशीर्वाद<sup>४</sup>

हस्तलिखित मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७२३) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

१. डायरीमें यहाँ कुछ शब्द छोड़ दिये गये हैं।
२. गांधीजीके भानजे।
३. महादेव देसाईकी पत्नी।
४. पत्रपर हस्ताक्षर भी मथुरादास त्रिकमजीने किये थे।



## १००. पत्र : स्वामी सत्यदेवको

मुंबई

गुरुवार माघ शुद्धि ६ [ फरवरी ६, १९१९ ]

स्वामिजी<sup>१</sup>,

आपका पत्र मिला । आप सच कहते हो देविदासकी साथ भेजा हुआ पेंगामसे आप सन्तुष्ट न हो सकते । पत्र नहि लिखनेका सबब शीर्ष मेरा आलस्य ही है । मुझे क्षमा कीजियेगा । देविदासको मैंने कहा था कि आप सन्तुष्ट न होंगे तो मैं अवश्य लेखित उत्तर भेज दऊंगा । हिंदी शिक्षाके लिये मद्रास प्रांतमें आप सब योग्य प्रबंध कर सकते हो । सारा इलाकामें गुम सकते हो । जग जग हिंदी पाठशाला निश्चित कर सकते हो । पाठशालाओंके लिये आपने चूने हूये शिक्षको आप निर्मित कर सकते हो । आप पढ़ानेका कार्य न करे परंतु सब पाठशालाओका निरीक्षण योग्य समय पर करते रहे । जब सारे इलाकेमें आपको संतोष मिले ऐसी पाठशाला खूल जाये और आपके सिवाय इन पाठशाला चल सके ऐसा आप निश्चिततासे कह सके उस बखत आप मद्रास इलाका छोड सकते हो । इस प्रवृत्तिमें आप दश हजार रुपैया तक खर्च कर सकते हो । आपको पैसा भेजनेकी जवाबदारी मेरे शीर पर है । आपको प्रयागजीकी साहित्य कमिटीसे<sup>२</sup> कुच्छबी संबंध नहि रहेगा । परन्तु मैं सब पैसा प्रयागजीसे मांगना चाहता हूं । उसमे कुछ आपत्ति आजायेगी तो मे दूसरा प्रबंध कर लौंगा । अब मुझे लगता है आपका सब प्रश्नका उत्तर मैंने दे गया । यदि कुच्छ त्रुटि हो तो आप कहेंगे । सुरेन्द्रके लिये मैं कल देविदासकु लंबा पत्र लिखा है । इस समय सुरेन्द्र मानसिक व्याधिसे ग्रस्त है । उसको इंग्रेजी पाठशालाका प्रबंध पर मोह उत्पन्न हुआ है । इस मोहमें उसकु छोड़ाना आवश्यक मालुम पड़ता है । आप उसको शांति दे सकेंगे । यदि आप उसका विचारको पसंद करते होंगे तो आप मुझे समजायेगा ।

हस्तलिखित दफ्तरी प्रति (एस० एन० ६४३८) की फोटो-नकलसे ।

१. स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ।

२. हिंदी साहित्य सम्मेलनकी ।



## १०१. पत्र : सदनमोहन मालवीयको

मुंबई

शनिवार माघ शुद्ध ८ [फरवरी ८, १९१९]

भाई साहेब,

आज रोव्लेट बीलकी बारेमें सब व्याख्यान पड लिया। मुझे बहोत रंज पेदा हुआ। वाईसरोयका व्याख्यान निराशाजनक है। ऐसी हालतमे तो इह उमेद रखता हूं के सब हिंदी मेम्बर सिलेकट कमेटीमें से निकल जायगे और यदि जरू हो तो कौन्सिलमें से बी निकल जाये और देशमें आंदोलन करे। आपने और दूसरे मेम्बरोंने कहा है यदि रोव्लेट बील पसार होंगे तो हिंदुस्थानमें कोई रोज नहि हुआ है ऐसा भारे आन्दोलन हो जायेगा। जे आंदोलन चल रहा है इसकी भीति सरकारको नही है ऐसा लाउंस<sup>१</sup> साहेबने सूनाया है और उनकी बात बी सची है। हिंदुस्थानमें एक लाख सभा कर सके तो भी क्या हुआ। मेने निश्चय नहि किया है परंतु मुझको ऐसा लगता है सरकार जब जेरी कायदा दाखल कर देगी तब उनके दूसरे कायदेका निरादर करनेका प्रजाको अधिकार प्राप्त होता है। परि हम इस समय प्रजाका जोर नहि बतायेंगे तो जो-कुछ रिफोर्म मिलनेके है व निकंबे होंगे। मेरा राइ यह है के आप सब सरकार कु जाहेर कर दो के उने टेकस जब तक रोव्लाट बील कायम रहेंगे तब तक नहि भरेंगे और सजाको नहि देनेकी सलाह देंगे। मैं जानता हूं ऐसी सलाह देना बडी जिमेदारीका काम है। परन्तु हम कुछ बड़ा काम नहि करेंगे जब तक उन लोगोंको हमारे लिये कुछ भी मान पेदा नहि होगा। जीसके पास हमारा मान नहि है उसके पास से कुछ भी मिलनेकी हम आशा कर सकते। सिविल सर्विस और अंग्रेजोका व्यापारके लिये वाइसरोयने जो कुछ कहा है व भी मुझको तो ठीक नहि लगता है। सिविल सर्विसकी सत्ता बौत ही कमती करनी चाहे और इंग्रेज लोक उने व्यापरको सुरक्षित कर रहे हैं ऐसी रक्षा स्वराज्यकी पीछे उन्को हरगीज नहि मिलेगी। आज तो वे लोक हमसे बौत ही अधिक हक रखते हैं। मैं कल आश्रम पर जाता हूं। प्रत्युत्तर वहीं भेजनेकी कृपा किजियेगा।

हस्तलिखित दफ्तरी प्रति (एस० एन० ६४३९) की फोटो-नकलसे।

१. सर जॉर्ज लाउण्डेज; भारत-सरकारके कानून-सदस्य [ लॉ-मेम्बर ] ।



## १०२. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

बम्बई

फरवरी ९, १९१९

प्रिय श्री शास्त्रियर,

मैंने रौलट विधेयकोंपर आपका जोरदार भाषण अभी-अभी पढ़ा। लेकिन यह भी जितना चाहिए उतना सख्त तो नहीं ही है। इन विधेयकों और वाइसराय, सर विलियम विन्सेंट तथा सर जॉर्ज लाउण्डेज़के भाषणोंने मेरे अन्तर तकको झकझोर दिया है; और यद्यपि अभी मेरा विस्तर नहीं छूटा है, फिर भी मुझे लगता है कि अब विस्तरपर लेटे-लेटे इन विधेयकोंकी प्रगति देखते रहना मेरे लिए असम्भव है। मेरे लिए ये विधेयक किसी मूलबद्ध रोगके उभड़ उठनेके निशान हैं। ये विधेयक प्रशासनिक सेवा [ सिविल सर्विस ] के हमारी गर्दनोपर सवार रहनेके दृढ़ निश्चयके द्योतक हैं। वे अपने अधिकारोंमें से रत्तीभर भी छोड़नेकी इच्छा नहीं करते। यदि हमारे ऊपर प्रशासनिक सेवाका लौह-शासन ज्योंका त्यों कायम रहा और यदि व्यापारके क्षेत्रमें ब्रिटेनको वर्तमान अमंगलकारी विशेष सुविधाएँ प्राप्त रहीं तो मुझे लगता है कि किसी सुधारका कोई अर्थ नहीं होगा। मैं इन विधेयकोंको एक खुली चुनौती मानता हूँ। यदि हम झुक गये तो नष्ट हो जायेंगे। यदि हमने अपने इन शब्दोंको सच कर दिखाया कि अबकी बार सरकारको ऐसे आन्दोलनका मुकाबला करना पड़ेगा जैसा उसने पहले कभी देखा नहीं था, तो हम सिद्ध कर दिखायेंगे कि हममें निरंकुश या अत्याचारी शासनका प्रतिरोध करनेकी सामर्थ्य है। जब याचिकाएँ [ और ] विराट सार्वजनिक सभाओंके प्रस्ताव असफल हो जायें तब केवल दो मार्ग बच रहते हैं — पहला तो है सशस्त्र विद्रोहका साधारण और मामूली मार्ग और दूसरा मार्ग है देशके सभी कानून या उनमें से कुछ चुने हुए कानूनोंकी सविनय अवज्ञाका तरीका। यदि ये विधेयक केवल ईमानदारी और न्यायसे च्युत होनेके इक्के-दुक्के उदाहरण कहे जा सकते तो फिर मैं परवाह न करता; किन्तु जब स्पष्ट है कि वे दमनकी एक निश्चित नीतिके प्रमाण हैं उस समय सविनय अवज्ञा करना वैयक्तिक तथा सार्वजनिक स्वतन्त्रताके प्रत्येक प्रेमीका कर्तव्य प्रतीत होता है। मैंने कल पंडितजीको<sup>१</sup> पत्र लिखकर यह सुझाव दिया है कि प्रवर समितिके सारे भारतीय सदस्य, या उनमें से जितने सदस्य ऐसा करना चाहें वे अपने पदोंसे त्यागपत्र दे दें। यदि वे चाहें तो विधान सभाकी सदस्यतासे भी त्यागपत्र दे दें। मेरे विचारमें उनके त्यागपत्रसे सरकारका यह विश्वास तो हिल ही जायेगा कि उसमें जन-भावनाकी उपेक्षा कर सकनेकी सामर्थ्य है; साथ ही इससे जनताको एक बहुमूल्य शिक्षा भी प्राप्त होगी। मैं स्वयं यह अनुभव करता हूँ कि यदि विधेयक पास होते हैं तो मैं इसके बाद चुप रहकर ऐसी सरकारके कानूनोंका पालन नहीं कर सकता

१. भारत-सरकारके कानून-सदस्य [ लॉ मॅबर ] ।

२. पंडित मदनमोहन मालवीय ।



जो इन दो विधेयकों जैसे पैशाचिक कानून बनानेमें समर्थ है। और जो लोग मुझे सहमत हैं उन्हें मैं इस संघर्षमें अपने साथ शामिल होनेके लिए आमन्त्रित करनेमें संकोच नहीं करूँगा। सम्भव है कि जिस स्थितिको मैं अपनाना चाहता हूँ उसमें आप मुझे सहमत न हों। किन्तु मैं जानता हूँ कि आप यह पसन्द नहीं करेंगे कि मैं अपने अन्तःकरणकी आवाजको घोट दूँ। स्वभावतः मैं अपने उन थोड़ेसे मित्रोंका समर्थन प्राप्त करना चाहूँगा जिनकी सलाह मेरे लिए मूल्यवान है। इसलिए यदि आपके पास समय हो तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक पंक्ति लिखकर भेज दें; और बतायें कि मेरे सोचे हुए कदमके बारेमें आपका क्या विचार है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं कोई चीज जल्दीमें नहीं करूँगा और मैं पहले [सरकार] को यथाशक्ति नम्र भाषामें निजी तौरपर चेतावनी भी दूँगा।

मुझे आशा है आगे जो संकटकाल आनेवाला है, उसमें आप बराबर स्वस्थ रहेंगे।

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६४३३) की फोटो-नकलसे।

### १०३. प्रागजी देसाईको लिखे पत्रका अंश<sup>१</sup>

[बम्बई

फरवरी ९, १९१९]

... यदि कोई अपनी बात दृढ़तापूर्वक कहता है तो ऊपरसे देखनेपर लोग कभी-कभी उसे कठोरता मान लेते हैं। लेकिन अच्छी तरहसे देखा जाये तो ऐसी दृढ़तामें ही शुद्ध कोमलता रहती है। काँपते हाथोंसे नशतर लगानेवाला डॉक्टर अन्ततोगत्वा रोगीको अधिक दुःख देनेवाला साबित होता है; [दृढ़ हाथोंसे] कसकर नशतर लगानेवाला डाक्टर आरम्भमें भले ही दुःख देनेवाला जान पड़े लेकिन अन्तमें उसकी क्रियासे सुख ही मिलता है।

रौलट विधेयकका मेरे ऊपर गहरा असर हुआ है। ऐसा लगता है कि मुझे जीवनकी बड़ीसे-बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं सलाह-मशविरा कर रहा हूँ। दो-तीन दिनोंमें निश्चय पर पहुँच सकूँगा। तुम जिस प्रवृत्तिमें लगे हुए हो वह भी जैसा तुम कहते हो, एक प्रकारकी लड़ाई है। शुद्ध व्यापारमें भारी पुरुषार्थ है, इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं। उसमें सत्य, धीरज, दृढ़ता, सहनशीलता, क्षमा, दया और सन्तोषकी बहुत जरूरत पड़ती है। इन समस्त गुणोंको प्रगट करनेवाला व्यापारी अन्तमें अवश्य ऊँची चोटी तक चढ़ सकता है।

गुजराती पत्र (एस० एन० ६४२७) की नकलसे।

१. प्रागजी खण्डुभाई देसाई, दक्षिण आफ्रिकी संघर्षमें भाग लेनेवाले एक सत्याग्रही। वे बहुधा इंडियन ओपिनियनके गुजराती विभागमें लिखा करते थे।



## १०४. पत्र : सर विलियम विन्सेंटको

आश्रम

सावरमती

फरवरी १२, १९१९

सर्वश्री मुहम्मद अली और शौकत अलीके मामलेकी जाँचके लिए जो समिति बिठाई गई थी उसने अपना कार्य तो समाप्त कर दिया है। किन्तु सरकार अब इस मामलेके सम्बन्धमें किसी निर्णयपर पहुँच गई है अथवा नहीं, इसका पता नहीं चला।

[ अंग्रेजीसे ]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल-ए : जुलाई १९१९ : संख्या १ व के० डब्ल्यू० ।

## १०५. पत्र : नरहरि परीखको

[ बम्बई ]

बृहस्पतिवार [ फरवरी १३, १९१९ ]<sup>१</sup>

भाईश्री नरहरि,

मैंने आज आपको कविश्रीका<sup>२</sup> एक लेख भेजा है। वह खूब विचार करने योग्य है। मुझे लगता है, [ कविश्रीने ] उसमें जो आदर्श प्रस्तुत किया है, हमारी कोशिश उस उद्देश्य तक पहुँचनेकी है। भारतकी भावी शिक्षा-प्रणाली हमारे अगले दस वर्षोंमें किये जानेवाले प्रयत्नोंपर आधारित होगी। आप सब उस लेखपर मनन करना। मेरी ऐसी मान्यता है कि कविश्री स्वयं अपने आदर्शोंको बहुत कम व्यवहारमें लाते हैं।

मैं रविवारको वहाँ आ जाऊँगा। उसी दिन वापस चला जाऊँगा।

समस्त विद्यार्थियोंके सुलेखपर बहुत ध्यान देना।

मुझे उम्मीद है, तुम प्रयत्नपूर्वक जल्दी उठनेकी कोशिश करते होगे।

द० सा०<sup>३</sup> का दूसरा भाग उसकी विषयवस्तुके कारण मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें वर्णित कला सारी-की-सारी लुप्त हो जायेगी।

१. पत्रमें गांधीजीने महादेव देसाईकी विजौलिया-यात्रा और आश्रमके लिए संगीत-अध्यापकके सम्पर्कमें आनेकी जिन घटनाओंका जिक्र किया है वे फरवरी महीनेके दूसरे सप्ताहमें घटित हुई थीं।

२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर। संकेत संभवतः उनके लेख ' भारतीय संस्कृतिका केन्द्र ' [ द सेन्टर ऑफ इंडियन कलचर ] को ओर है।

३. यहाँ सम्भवतः दलपत-सारकी ओर संकेत किया गया है। इसमें दलपत कविकी मुख्य-मुख्य कविताएँ संकलित की गई हैं। इसका संपादन नरहरि परीखने किया था।



यहाँ मैं एक प्रौढ़ संगीत-शास्त्रीके<sup>१</sup> सम्पर्कमें आ रहा हूँ।

बापूके वन्देमातरम्

[पुनश्च :]

महादेव अभी बिजौलिया<sup>२</sup> से वापस नहीं आये हैं।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ६४१६) की फोटो-नकलसे।

## १०६. पत्र : ओ० एस० घाटेको

फरवरी १६, १९१९

आपका मूल्यवान पत्र मिला। मैंने आपको तार<sup>३</sup> दिया था कि गृह-मंत्रीको पत्र लिखकर मैंने सरकारके निर्णयके बारेमें जानकारी मांगी है। श्री शुएबको मैंने कुछ दिन हुए इसकी सूचना<sup>४</sup> दे दी थी और यह मान लिया था कि आपको और हमारे अन्य मित्रोंको उनसे खबर मिल गई होगी। उस समय श्री देसाई मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैं यथा-सम्भव कमसे-कम पत्र लिखता था। मैंने अपने पत्रमें शुएब साहबको यह भी बता दिया था कि प्रतिकूल उत्तर आयेगा, तो लड़ाई शुरू हो जायेगी। उस समय मेरा खयाल था कि मेरी तन्दुरुस्ती यह हलचल शुरू कर सकने लायक रहेगी। दुर्भाग्यवश मेरी तन्दुरुस्ती घड़ीके लटकन जैसी इधरसे उधर आ-जा रही है। अभी उसने फिर पलटा खाया है और डॉक्टर कहते हैं कि तीन महीने तक मुझे परिश्रमका खतरा नहीं उठाना चाहिए। मैं तो जल्दी से अच्छा हो जानेका प्रयत्न कर रहा हूँ और अभी तक आशा रखे हूँ कि जबतक दिल्लीसे जवाब आयेगा, तबतक मैं काम करने लायक हो जाऊँगा।

आपके पत्रसे मुझे रौलट विधेयकोंकी और गहरी जानकारी हुई है। मैं इन विधेयकोंको बिलकुल नापसन्द करता हूँ। अगर ये पास हो गये तो प्रस्तावित सुधार मेरे लिए तो व्यर्थ ही होंगे। देशमें होनेवाली घटनाओंको मैं बड़े ध्यानसे देख रहा हूँ। मेरा पक्का खयाल है कि अली बन्धुओंको अभी कुछ करनेकी जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने परिवारके तीन प्रियजनोंको खोकर जो दुःख पाया है वह हृदयविदारक है। इस समय तो भारतमें शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने अपने प्रियजन न खोये हों। चारों तरफसे

१. गान्धर्व महाविद्यालयके पण्डित नारायण मोरेश्वर खरे जो आश्रममें संगीतके अध्यापकके रूपमें सम्मिलित हुए थे; १९३०में गांधीजीकी दांडी-यात्रामें भाग लेनेवाले ८० व्यक्तियोंमें से एक।

२. मेवाड़ राज्यकी एक छोटी-सी रियासत, जो अब राजस्थानका एक भाग है। गांधीजीने बिजौलियाके लोगोंकी शिकायतोंका अध्ययन करनेके लिए महादेव देसाईको विशेष रूपसे वहाँ भेजा था। एक समय तो गांधीजीने बिजौलियाकी जनताकी शिकायतोंको दूर करवानेके लिए स्वयं सत्याग्रह-आन्दोलन करना स्वीकार कर लिया था।

३. उपलब्ध नहीं है।

४. देखिए “पत्र : शुएब कुरैशीको”, २४-९-१९१८।



लगातार ऐसे ही शोकजनक समाचार आ रहे हैं और भावनाएँ लगभग कुण्ठित हो गई हैं।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

### १०७. सन्देश : आश्रमवासियोंको

फरवरी १७, १९१९

आश्रममें किसी भी प्रकारका सन्तोष नहीं है। कारण ? मगनलालके आचार-विचार और उनकी बोल-चालके प्रति असन्तोष, व्यवहारमें एक प्रकारका पक्षपात। आश्रमके बारेमें दूसरोंकी अर्थात् पाठशालाके लोगोंकी अश्रद्धा। ऐसी दशामें मेरी क्या स्थिति ?

मुझे आपके सामने कड़े सिद्धान्त रखने हैं। बहनोंको नहीं बुलाया। परन्तु उन्हें भी अरुचि हो गई है। उनका जानेका विचार हो गया है। मैंने उन्हें कह दिया है कि आपने यहाँ जो-कुछ प्राप्त किया है, वह और कहीं नहीं मिल सकता। यदि आश्रमका जीवन आपको रास आ सके, तो आप रह सकती हैं। इसलिए विचार करके रहिये या जाइये। असन्तुष्ट होनेके बावजूद आप यहाँ क्यों पड़ी हुई हैं। आप सब कमजोर तो नहीं हैं। तब फिर इसका कारण मेरे प्रति प्रेम और मोह ही है।

तब पहला सूत्र यह निकलता है कि किसी भी मनुष्यके कार्यसे बाहर उसके प्रति मोह रखना अन्धा मोह है। दक्षिण आफ्रिकामें मुझे ऐसे अन्धे मोहवाले मनुष्य मिले हैं। उनसे मैंने कहा था कि फीनिक्स<sup>१</sup>, जो मेरी कृति है, यदि आपको निकम्मा मालूम हो, तो मैं भी निकम्मा हूँ। मेरी कृतिके प्रति अश्रद्धा हो, तो मेरे प्रति अश्रद्धा होनी ही चाहिए। मुझे आदमीकी पहचान है। परन्तु अभी मैं यह सिद्ध नहीं कर सकता। फिर भी, अगर आपको आश्रमके प्रति अश्रद्धा हो, असन्तोष हो तो छोड़कर चले जाइये। जो केवल देनेके लिए ही आये हों, वे रह सकते हैं। अथवा जो लोग गांधीकी बेवकूफी और भूलें बताने आये हों, वे रह सकते हैं। परन्तु ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। सब लेन-देनके आधारपर आये हैं। आश्रमके मूल्यांकनका आधार तो हम सब ही होंगे। मनुष्यकी कीमत हम उसकी कृतिसे बाहर नहीं आँक सकते।

१. गांधीजीने अपने सहयोगियों और यूरोपीय मित्रोंकी सहायतासे सन् १९०४ में डर्बनके समीप फीनिक्स आश्रमकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य रस्किन और टॉल्स्टॉयकी मुख्य-मुख्य शिक्षाओंको व्यावहारिक रूप देना और दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी शिकायतें दूर करनेमें सहायता देना था। इंडियन ओपिनियनका प्रकाशन भी फीनिक्ससे ही होता था।



दक्षिण आफ्रिकामें मेरी बड़ीसे-बड़ी कृति फीनिक्स है। यह न होती तो दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रह न होता। यह आश्रम न हो, तो हिन्दुस्तानमें सत्याग्रह नहीं हो सकता। इसमें मेरी भूल हो सकती है। परन्तु भूल हो, तो मैं त्याज्य हूँ। मैं तो देशसे कहनेवाला हूँ कि मेरा मूल्यांकन चम्पारन या खेड़ासे न करके आश्रमसे ही किया जाये। आपको यहाँ कुव्यवस्था, मोह वगैरह लगे तो मेरे सभी कामोंमें आप यही चीज पायेंगे। आश्रममें मैं पहला आश्रमवासी हूँ और जबतक मैं आश्रमके आदर्शोंका पालन कर रहा हूँ, तबतक आश्रम चल रहा है। मैं किसीको नहीं रख सकूंगा, तो अपनी आत्माका शुद्ध निरीक्षण करूंगा, शुद्ध बलिदान देनेका प्रयत्न करूंगा। मुझे आप दूसरी कृतिके आधार पर महत्त्व न दीजिए। मुझे आश्रमसे ही नापिये। आश्रममें मेरी एक कृति मगनलाल है। अपने अनुभवसे मैंने मगनलालमें [यदि] पचास लाख अवगुण पाये हैं, तो सौ लाख गुण पाये हैं। पोलक मगनलालके सामने बालक है। मगनलालने जो घाव झेले हैं, वे पोलकने नहीं झेले। मगनलालने अपने कार्यकी आहुति दी है, मेरे लिए नहीं, परन्तु आदर्शके लिए। मगनलाल मेरी गुलामी करता है, सो बात नहीं। वह आदर्शके अधीन है। मगनलाल एक बार मुझे सलाम करके जानेको तैयार हो गया था।

तो, मगनलालको निकालकर मैं आश्रम नहीं चला सकता। ऐसा करूँ, तो मैं अकेला ही आश्रममें रहूँ। जो काम करने हैं, उनमें मगनलालकी पूरी तरहसे आवश्यकता है। उससे बढ़कर मैंने कोई नहीं देखा। उसमें क्रोध, अपूर्णता है, फिर भी वह कुल मिलाकर बढ़िया आदमी है। उसकी ईमानदारीके बारेमें मुझे शंका नहीं। जिस हदतक मगनलाल खराब है, उस हदतक मैं खराब हूँ, यह बात तो आपको एक सिद्ध सत्य-जैसी मान लेनी है।

जिस तरह मेरा अपने भाई या माँ-बापसे झगड़ा हो गया हो तो मैं दूसरोंसे कहने नहीं जाऊँगा, उसी तरह जिस संस्थामें हम रहते हों, उस संस्थाके भीतरके किसी आदमीके खिलाफ हमें दूसरी जगह शिकायत नहीं ले जानी चाहिए। किसीके मनमें दूसरे व्यक्तिके प्रति तिरस्कारकी भावना अथवा शंका पैदा हो जाये, तो उसे उसी समय उस व्यक्तिका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करते हुए जब वह संसारको छोड़ देगा तब वह बिलकुल अकेला हो जायेगा और उस स्थितिमें या तो वह आत्मघात करेगा अथवा अपनी अपूर्णताओंसे भली-भाँति परिचित होकर तिरस्कारकी भावनासे मुक्त हो जायेगा। हम जिस संस्थामें रहते हों उसके प्रति दूसरोंके सामने तो क्या, अपने मनमें भी बुरी भावना नहीं लानी चाहिए। मनमें ऐसा विचार आये भी तो तुरन्त उसका त्याग कर देना चाहिए। आश्रममें सच्चा आनन्द तो मैं बाहर होऊँ, तभी होना चाहिए। मैं अगर बुजुर्ग हूँ, तो आपको मेरे कथनको ध्यानमें रखकर सद्व्यवहार करना चाहिए। इस समय आजादीके साथ आप चाहें जैसा बरताव करें, परन्तु मेरे जानेके बाद तो ऐसा हो ही नहीं सकता।

मेरे अनुपस्थितिमें एकता न हो, तो मुझमें खामी है और आपको मुझे छोड़ देना चाहिए।

मैं यदि आश्रमसे असन्तोषकी दशाको दूर कर सकूँ, तो वह मगनलालकी शान्तिके लिए ही होगा; परन्तु मगनलालकी शान्तिके लिए नहीं बल्कि देशके लिए, क्योंकि मगनलालका मैंने देशके लिए बलिदान कर दिया है।



आपको मुझसे या तो आश्रमका त्याग करनेके लिए कहना चाहिए या मगनलालका त्याग। जबतक मुझे ऐसा नहीं लगता कि मगनलाल राग-द्वेष फैलाता है, तबतक उसे नहीं निकालूंगा। दुनियाके पास किसी मनुष्यको समझनेके लिए उसके कार्यके सिवा कोई दूसरा प्रामाणिक साधन नहीं है। दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। वैसा ही मनुष्य होता है जैसी उसकी कृति होती है, [मेरे ऊपर] यही आरोप मेरे घनिष्ठ मित्र श्री किचिनने<sup>१</sup> लगाया था। परन्तु मगनलालने जो सुन्दर, सुव्यवस्थित कार्य किया है, वैसा किसीने नहीं किया है।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

### १०८. सन्देश : गोखले जयन्तीपर

फरवरी १९, १९१९

मेरे मनमें आजकी सभामें उपस्थित होनेकी उमंग थी; लेकिन अस्वस्थ होने के कारण मैं आ नहीं सकता। फिर भी मेरी आत्मा वहीं है। आजकी सभामें यदि हम जनताकी सेवामें एक कदम आगे बढ़ पायेंगे तभी हम इसको सफल कर पायेंगे। आज जो पुस्तक<sup>२</sup> प्रकाशित की गई है, लोगोंसे उसकी प्रतियाँ खरीदनेका और जो न खरीद सकें उनसे उसे दूसरे लोगोंसे लेकर पढ़नेका आग्रह करना है।

[ गुजरातीसे ]

प्रजाबन्धु २३-२-१९१९

### १०९. पत्र : जे० एल० मैफीको<sup>३</sup>

साबरमती

फरवरी २०, १९१९

अभी स्वास्थ्यकी दृष्टिसे मैं खतरेसे बिलकुल बाहर नहीं हो पाया हूँ; मुझे अपने डॉक्टरोंके आदेशोंके अनुसार चलना है, इसलिए जरूरी है कि मैं ऐसा कोई काम न करूँ जिसमें अधिक श्रम हो। अतः मैंने सोचा था कि जबतक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता, तबतक

१. हर्बर्ट किचिन, एक थियोसॉफिस्ट, जिन्होंने मनसुखलाल नाजरकी मृत्युके बाद इंडियन ओपिनियनका सम्पादन किया था। वे कुछ समयके लिए गांधीजीके साथ रहे थे और उन्होंने बोअर युद्धके समय गांधीजीके साथ काम भी किया था। देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३५२।

२. सम्भवतः गोखलेके भाषणोंका संग्रह। महादेवभाईनी डायरीमें २७-१-१९१७ की टीपके अन्तर्गत कहा गया है कि श्री गोखले द्वारा उपनिवेशोंकी, विशेष रूपसे दक्षिण आफ्रिकाकी, समस्याओंपर दिये गये भाषणोंके सम्बन्धमें श्री नरहरि परीखने जो पुस्तक तैयार की थी, गांधीजीने उसकी प्रस्तावना बोलकर लिखवाई थी। प्रस्तावना उपलब्ध नहीं है।

३. वाशरायके निजी सचिव।



इस तरहकी गतिविधियोंसे दूर रहूँगा। किन्तु जो घटनाएँ हालमें घटी हैं, वे मुझे बाध्य करती हैं कि मैं निम्नलिखित बातें महाविभवकी सेवामें विचारार्थ प्रस्तुत करूँ।

वैसे तो रौलट विधेयकोंपर लिखनेकी मेरी बड़ी इच्छा है, किन्तु इस समय मैं उसका संवरण कर रहा हूँ। और विधेयकोंके पारित होनेकी तथा उनके खिलाफ देशमें चलनेवाले आन्दोलनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मैं अपनेको उसी मामले तक सीमित रखना चाहता हूँ जिसमें मेरी विशेष दिलचस्पी है — और यह मामला अली भाइयोंका है।

आपको याद होगा कि मैंने १९१७ के नववर्ष-दिवसपर इनके बारेमें एक निवेदन किया था।<sup>१</sup> वाइसराय इस मामलेमें हस्तक्षेप भले न करना चाहते हों, फिर भी उन्हें वर्तमान स्थिति सम्बन्धी सार्वजनिक दृष्टिकोण जान लेना चाहिए।

हम दोनोंके बीच अन्तिम पत्रोंके आदान-प्रदानके बाद मैंने सर विलियम विन्सेंट-से पत्र-व्यवहार प्रारम्भ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अली भाइयोंके बारेमें सरकारको सलाह देनेके लिए एक समिति नियुक्त की गई। इस समितिने अपनी रिपोर्ट सरकारको दे दी है, किन्तु जहाँतक मुझे मालूम है, समितिकी रिपोर्टको दिये हुए दो मास हो जानेपर भी सरकारका निर्णय घोषित नहीं किया गया है। मैंने इस मासकी १२ तारीखको सर विलियम विन्सेंटको इस बारेमें लिखा था। अली भाइयोंकी ओरसे मुझे सूचित किया गया है कि जरूरी कामकाजके लिए तथा अन्य परिस्थितियोंके कारण कुछ-एक स्थानोंमें जानेकी अनुमति प्राप्त करनेके लिए उन्होंने प्रार्थनापत्र दिया था, और उस सिलसिलेमें उनके साथ होनेवाले व्यवहारसे वे अनुमान लगाते हैं कि निर्णय सम्भवतः उनके खिलाफ होगा। मैंने अली भाइयों और समितिके बीच हुए पत्र-व्यवहारको पढ़ा है। मैंने वह पत्र भी पढ़ा है जिसमें उनपर लगाये गये आरोप लिखे हैं। मैंने उनका उत्तर भी पढ़ा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आरोप-पत्र अली भाइयोंको दिया गया था वह सब प्रकारसे सम्पूर्ण था। उससे मेरे मनपर यह छाप पड़ी है कि अली भाइयोंको नजरबन्द करना और उन्हें मुसीबतोंमें डालना जरा भी न्यायसंगत नहीं है। मेरी नज़र रायमें उनपर जो आरोप लगाये गये हैं, वे ऐसे नहीं हैं कि अली भाइयोंपर भारत प्रति-रक्षा अधिनियमके अन्तर्गत कार्रवाई की जाती। मेरा निवेदन है कि किसी स्वतन्त्र सरकारके अन्तर्गत वे शासनके लिए खतरनाक न समझे जाते, बल्कि उन्हें महत्त्वपूर्ण दर्जा मिलता। वे बहादुर हैं, निष्कपट हैं, स्पष्टवादी हैं, ईश्वरसे डरते हैं और योग्य व्यक्ति हैं। मुसलमान और हिन्दू उनका समान रूपसे आदर करते हैं। सम्पूर्ण भारतमें हिन्दू और मुसलमानोंकी संयुक्त संस्कृतिका उनसे उत्तम प्रतीक ढूँढ़ना कठिन होगा। उत्तेजित करने योग्य परिस्थितिमें उन्होंने अद्भुत आत्मसंयम तथा धैर्य दिखलाया है। उनके इन्हीं गुणों को, मालूम पड़ता है, अपराध समझ लिया गया है। वे इससे कहीं बेहतर व्यवहारके योग्य हैं।

मुझे एक तथ्य लॉर्ड चैम्सफोर्डको बताना ही होगा, यद्यपि ऐसा करनेसे मेरी शालीनताकी भावनाको आघात पहुँचता है। दिसम्बर, १९१७ में मुस्लिम लीगकी कलकत्तेमें जो बैठक हुई थी उसके बाद से अबतक वे बिना आगा-पीछा किये मेरी सलाह मानते रहे हैं। प्रमुख मुसलमानोंने भी इसी प्रकार मेरी सलाह मानी है, अन्यथा उन्होंने बड़ी आसानीसे

१. यह स्पष्ट रूपसे भूल है। “१९१८” होना चाहिए; देखिए खण्ड १४।



सरकारको संकटमें डालनेवाला एक प्रबल आन्दोलन आजसे बहुत पहले ही प्रारम्भ कर दिया होता। मैंने उन्हें सलाह दी थी कि यदि राहत स्वीकार नहीं की जाती तो सत्याग्रहका सहारा लेना चाहिए। मैंने 'पैसिव रेजिस्टेंस' [अनाक्रामक प्रतिरोध] नहीं; 'सत्याग्रह' लिखा। मुझे पसन्द नहीं है क्योंकि इससे उस महान् सत्यका ठीक-ठीक बोध नहीं होता जिसका संस्कृतके 'सत्याग्रह' शब्दसे सहज-बोध हो जाता है। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं अली भाइयोंकी रिहाईके बारेमें सरकारसे पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। एक सत्याग्रही होनेके नाते मैंने उन्हें बताया कि सार्वजनिक आन्दोलन प्रारम्भ करनेसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इस प्रश्नके बारेमें सरकारका क्या कहना है, और सत्याग्रह प्रारम्भ करनेसे पहले सभी नरम उपायोंका उपयोग कर लेना चाहिए। इसके बाद निष्पक्ष आलोचकोंके सामने सरकारके दृष्टिकोणका अनौचित्य सिद्ध करना चाहिए ताकि वे पूरी तरह सन्तुष्ट हो जायें। सत्याग्रह एक बार प्रारम्भ कर देनेके बाद हम फिर पीछे कदम नहीं हटा सकते। मैं अली-भाइयों तथा उन सज्जनोंका आभारी हूँ जिनके साथ सम्पर्कमें आना मेरे लिए सौभाग्यकी बात रही है, और जिन्होंने मेरी सलाह मानी है; लेकिन अब जो विलम्ब हो रहा है वह खतरनाक सीमा तक पहुँच चुका है। मैं सच्चे मनसे आशा करता हूँ कि सरकार अली भाइयोंको रिहा करके देशमें किसी प्रबल आन्दोलनको उत्पन्न होनेका अवसर न देगी।

मैं अत्यन्त उत्सुकताके साथ आपके उत्तरकी प्रतीक्षा करूँगा।

मैं आशा करता हूँ, आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मुझे आपसे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जबरदस्त कार्यभारके बावजूद लॉर्ड चैम्सफोर्ड स्वस्थ हैं।

सादर,

[ अंग्रेजीसे ]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल — ए : जुलाई १९१९ : संख्या १ व के० डब्ल्यू० ।

### ११०. पत्र : सी० विजयराघवाचारियरको<sup>१</sup>

फरवरी २३, १९१९

आपका पत्र<sup>२</sup> बड़ा सुन्दर है। उसे पढ़कर मेरे जीमें आता है कि अभी मद्रास दौड़ जाऊँ। बहुत समयसे वहाँ जानेका विचार तो कर ही रहा हूँ। परन्तु मेरा कमजोर स्वास्थ्य आड़े आता रहता है। अब भी वही बाधक हो रहा है। फिर भी लड़ाई जल्दी न छिड़ी या अली बन्धुओंके लिए मुझे लखनऊ न जाना पड़ा, तो अवसर मिलते ही मैं मद्रासका दौरा जरूर करूँगा। मेरा पक्का खयाल है कि यदि प्रवर समिति [सिलैक्ट कमेटी]

१. (१८५२-१९४३) तमिलनाडुके कांग्रेसी नेता। सन् १९२० की नागपुर कांग्रेसके अध्यक्ष।

२. इस पत्रपर १९ फरवरीकी तारीख पड़ी है और इसमें गांधीजीसे अनुरोध किया गया है कि वे दक्षिण भारतके कुछ महत्त्वपूर्ण स्थानोंका दौरा करें।



में इन विधेयकोंमें आमूल परिवर्तन न किये गये, तो हमें उनका अत्यन्त कड़ा विरोध करना पड़ेगा। ये विधेयक बहुत भयंकर हैं, इसलिए मैं उन्हें नापसन्द करता हूँ; लेकिन उससे भी ज्यादा नापसन्द इसलिए करता हूँ कि ये विधेयक भारत-सरकारकी रगोंमें गहरे पैठे हुए रोगकी अचूक निशानी हैं। इस रोगसे सरकार मुक्त हो, तभी हम सुधारोंके भीतर कुछ-न-कुछ सच्ची स्वतन्त्रताका उपभोग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको जल्दी ही फिर पत्र लिख सकूंगा। सत्याग्रहके प्रश्नपर विचार करनेके लिए कल ही गुजरातियोंकी एक सभा रखी है। 'सत्याग्रह' शब्दमें जो अर्थ निहित है, वह 'पैसिव रेजिस्टेन्स' शब्दसे बिलकुल व्यक्त नहीं होता।

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखत डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## १११. पत्र : सोंजा श्लेसिनको'

फरवरी २३, १९१९

यह तुम्हारी उदारता है कि तुमने कमसे-कम एक बार तो मुझे व्यवहार-कुशल होनेका श्रेय दिया। अपने बारेमें मेरी खुदकी राय यही है कि मैं दुनियामें सबसे अधिक व्यवहार-कुशल मनुष्य हूँ; और जबतक कोई मेरा यह भ्रम दूर न कर दे, तबतक मैं अपने इस विश्वाससे सुख पाता रहूँगा। तुम्हारे प्रमाणपत्रसे मेरे इस सुखमें वृद्धि ही हुई है। मैं तुम्हें अपनी व्यावहारिकताका एक और दृष्टान्त दे रहा हूँ। रुपया उधार देने जैसे मामूलीसे कामके लिए बैंकके बजाय मित्रको अपना माध्यम बनाकर मैं तुम्हारी अहं-मन्यता, आत्म-गौरव, भव्य नारीत्वको या जो भी चाहो कह लो, उसे आघात पहुँचाऊँगा, यह मैं जानता था। मैंने तुम्हारी अव्यावहारिक सलाह मानी होती तो तुम्हारे पास रुपया पहुँचानेमें मुझे बड़ी देर लगती, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस समय मैं हिन्दुस्तानमें रहता हूँ, जहाँ हम अपना सारा काम यहाँकी जलवायु और चारों ओरके वातावरणके अनुरूप बहुत इतमीनानके साथ धीरे-धीरे करते हैं। यहाँपर बैंक अपने ग्राहकोंके सेवक नहीं, वरन् स्वामी होते हैं। हाँ, यदि ग्राहक शासक-वर्गका हो तो बात अलग है। और फिर तुम्हें डेढ़ सौ पाँड भेजनेमें शायद पन्द्रह पाँड खर्च पड़ जाता। तुम्हें अपने कवि-स्वभावके अनुसार रुपयेकी कोई परवाह भले ही न हो, किन्तु मैं तो सीधा-सादा अरसिक और दुनियादार आदमी हूँ। इसलिए समझता हूँ कि १५० पाँडमें कोई मनुष्य अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है। उसमें से मैं अगर पन्द्रह पाँड इस तरह खर्च कर डालता, तो मूल रकमका दसवाँ भाग, जिसे मैं आसानीसे बचा सकता था, व्यर्थमें फुँक गया होता। इति सिद्धम्।

१. गांधीजीकी स्टेनो-टाइपिस्ट; दक्षिण आफ्रिकी सत्याग्रहमें गांधीजीकी साथी और सहायक।



तुम्हें मिले हुए रुपयेको तुम अवश्य कर्ज समझना। मैं मानता हूँ कि मैंने रुस्तमजीसे<sup>१</sup> ऐसा ही कह भी दिया है। परन्तु यह मैं सौगन्ध खाकर नहीं कह सकता; क्योंकि आम तौरपर मैं लिखे हुए पत्रोंकी नकल नहीं रखता। जब तुम्हें रुपया लौटानेकी इच्छा हो, तब तुम चाहो तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस लेनेमें मुझे आपत्ति नहीं है। एक ही शर्त है कि मुझे देनेके लिए तुम किसीसे कर्ज न लेना।

ऊपर मैंने जो-कुछ लिखा है, उससे तुम्हें पता लग जायेगा कि मेरी तबीयत पहले-से अच्छी है। हाँ, अभी मैं विस्तर नहीं छोड़ पाता। कहते हैं मेरा दिल कमजोर है और मुझे कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। परन्तु मैं अपनेको स्वस्थ और प्रसन्न अनुभव करता हूँ।

देवीबहन<sup>२</sup> मुझे नियमित रूपसे लिखती रहती हैं। वे कहती हैं कि तुम उन्हें बहुत ही कम पत्र लिखती हो। लोग अपनी देवियोंके साथ इस तरहका बरताव नहीं करते। या स्त्रियोंको दूसरी तरहका बरताव करनेका विशेष अधिकार है?

हाँ, हरिलालको बहुत बड़ी क्षति पहुँची है। चंची मुझसे कहीं श्रेष्ठ थी। मैंने तुम्हें खास तौरपर नहीं लिखा, यह सोचकर कि रामदासको भेजे गये मेरे तारसे तुम सबको खबर मिल ही गई होगी। साथ ही, उस समय मैं इतना बीमार था कि किसीको लिख नहीं सकता था। हरिलालके सब बच्चे यहीं हैं और यह पत्र लिखवाते समय मेरे पास खेल रहे हैं।

भारत-सरकार विधान-मंडलमें कुछ कानून पास कराना चाहती है। उनके विरुद्ध सत्याग्रहकी बातें हो रही हैं। कल आश्रममें युद्ध-परिषद् होनेवाली है। तुम इतना समझ लो कि जैसी परिषदें वहाँ होती थीं और जिनमें तुम एक पात्र (या अभिनेत्री) और काफी समझदार दर्शक हुआ करती थीं, यह परिषद् उनसे कुछ बहुत-कम नहीं ठहरेगी। अतएव तुम्हारे लिए इस बैठकका वर्णन करना मेरे लिए जरूरी नहीं रहता।

तुम्हारा यह कहना कि यहाँके आश्रममें स्त्रियोंको भरती करनेकी मनाही है, मुझे आश्चर्यमें डालता है। इससे तो यह जान पड़ता है कि तुम आश्रममें कोई दिलचस्पी ही नहीं लेती। यहाँ हमारे आश्रममें तो बहुत-सी स्त्रियाँ हैं। हम इन सबको शिक्षा दे रहे हैं। इनमें तीन कन्याएँ हैं। निःसन्देह ये कन्याएँ घरकी ही हैं। परन्तु इसमें दोष हमारा नहीं है। दूसरी कन्याएँ नहीं आतीं, इसका कारण तो यह है कि हमारी शर्तोंपर लोग अपनी कन्याओंको भेजनेको तैयार नहीं हैं। यहाँके थोड़े ही दिनके निवासके बाद स्त्रियोंमें कितना भारी परिवर्तन हो जाता है, यह देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जायेगा। पर्दा और दूसरे अप्राकृतिक बन्धन मानो जादूकी तरह टूट जाते हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ आनेपर तुम उनमें से बहुतोंको हृदयसे अपना लोगी। इतना ही है कि तुम्हें अपना गुजरातीका ज्ञान ताजा कर लेना पड़ेगा।

१. पारसी रुस्तमजी; नेटालके एक भारतीय व्यापारी जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीके सत्याग्रह आन्दोलनमें प्रमुख भाग लिया था।

२. कुमारी एडा वेस्ट; गांधीजीके मित्र और सहयोगी ए० एच० वेस्टकी बहन।



इमाम साहब आज यहाँ हैं और उनकी पत्नी तथा पुत्री भी ।

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे ।

सौजन्य : नारायण देसाई

## ११२. पत्र : देवदास गांधीको

[ अहमदाबाद ]

फरवरी २३, १९१९

[ चि० देवदास, ]

तुम्हारे पत्र आये हैं । बिना विचारे किसीको भरोसा देना ही नहीं चाहिए, जिससे वचन-भंगका दोषी बनना पड़े । हरिलालकी लिखावट बहुत खराब थी; उसने सुधार ली । तीन भाइयोंकी लिखावट तो अच्छी हो गई । तुम्हारी लिखावट तो दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है । स्वामीजीकी ओरसे जो हिन्दी पत्र तुमने लिखा है, उसे बहुत ही मुश्किलसे भाई महादेव पढ़ सके हैं । मुझसे तो पढ़ा ही नहीं गया । खराब लिखावट होना कोई छोटा-मोटा दोष नहीं है । अच्छी लिखावट एक भूषण है । खराब लिखावटसे हम अपने मित्रों और बुजुर्गोंपर बहुत बड़ा बोझ डाल देते हैं और खराब अक्षर लिखकर हम अपने कामको भी नुकसान पहुँचाते हैं । तुम जानते हो कि गिचपिच अक्षरोंवाले पत्र में तुरन्त नहीं पढ़ सकता । इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम अपनी लिखावट सुधारो ।

मेरी तबीयत अच्छी रहती है । मैं दिनमें चार बार कच्चा<sup>१</sup> चार सेर दूध पीता हूँ । दो बकरियाँ बाँध रखी हैं । सात दिन तक तो दूधके सिवा कुछ और लिया ही नहीं । आज डॉ० आइस<sup>२</sup> ने [ दूधके साथ ] हर बार सात-सात मुनक्का लेनेकी सलाह दी है । अभी तक चल-फिर नहीं सकता । ऐसा होनेपर भी बरफ साहब मानते हैं कि थोड़े दिनमें चलने-फिरने लगूंगा । इनका तीसरा नाम दूधाभाई रखनेका विचार किया है, क्योंकि वे इस समय दूधके पीछे पागल हो रहे हैं । वे यह मानते हैं कि दूध सबसे अच्छी खुराक है । इसलिए मैंने कहा कि आपको तो जन्मभर दूध ही लेना चाहिए । फिलहाल तो ले रहे हैं । आगे देखेंगे, क्या होता है ।

मुझे आशा है कि मैं वहाँ मार्चके अन्त तक पहुँच जाऊँगा ।

सत्याग्रही योद्धाओंकी सभा सोमवारको सत्याग्रहाश्रममें होनेवाली है । हरएकके पास क्या-क्या शस्त्र हैं, कितना गोला-बारूद है, इन सबपर विचार करनेके बाद अन्तिम निश्चय होगा । लड़ाईके समय रावणने सभा की थी, उसका शामिलभट्टने<sup>३</sup> जो

१. उत्तर भारतके आध सेरके बराबर ।

२. डॉ० केलकर; बरफके इलाजके बड़े हिमायती होनेके कारण उन्हें इस नामसे पुकारा जाता था ।

३. १८ वीं शताब्दीके प्रसिद्ध गुजराती कवि ।



वर्णन किया है, यदि तुमने उसे पढ़ा हो तो महादेवभाईको सोमवारका इतिहास दोहराना नहीं पड़ेगा।

मनु<sup>१</sup> मेरे सिवा सबसे चरबी चुरा रही है, इसलिए आश्रममें सबसे बड़े खरबूजे-जैसी लगती है। गणपतिकी स्थापना करनी हो, तो कहींसे एक सूँड़ लाकर लगा देनेसे मनु सचमुच ही जँचने लगे। उसकी कान्ति बढ़ती जाती है। इसलिए वह सबका खिलौना बन गई है। रसिक<sup>२</sup> अपनी रसिकता कई बार तो लाठीका इस्तेमाल करके बताता है। कान्ति<sup>३</sup> शान्त होता जा रहा है, रामीकी तबीयत सामान्य चल रही है। इन सबका काम-काज करनेमें बा का वक्त चला जाता है। मैं देखता हूँ कि यह उसे अरुचिकर भी प्रतीत होता है। इससे उसका स्वभाव कभी-कभी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। और जैसे कुम्हार खीझनेपर गधेके कान ऐंठता है, वैसे ही मेरा खयाल है कि कुम्हारिन गधेके मालिकके साथ करती होगी। यह तो हुई हँसी-विनोदकी बात, अब इसके सन्तुलनके लिए कुछ गम्भीर बात कहता हूँ। “मेरा दृढ़ विश्वास है कि हरएक भारतीयको मातृभाषा और हिन्दी-उर्दू अच्छी तरह सीख लेनी चाहिए। अलग-अलग प्रान्तोंके लाखों हिन्दुस्तानियोंके पास व्यवहारके लिए सामान्य भाषा हिन्दी-उर्दू ही है, इसके बारेमें कोई सन्देह नहीं है। इस आवश्यक तैयारीके बिना हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकेंगे।”

तुमने यह जो भेजा है, मुझे इसका अनुवाद चाहिए। ध्यानमन्त्रके लिए तमिलमें यह देना : ‘कर्क कशडर कर्पवै।’ इसके नीचे ‘टीपे टीपे सरोवर भराय’<sup>४</sup> की हिन्दी स्वामीजी देंगे और उसके नीचे अंग्रेजी कहावत ‘कॉन्सटेन्ट ड्रॉपिंग वीयर्स अवे स्टोन्स’ (रसरी आवत जातते सिलपर होत निसान) देना। तमिल कहावत पोप<sup>५</sup> की पुस्तकके पहले पन्नेपर दी गई है। उसका तेलगु पर्याय ढूँढ़ना और वह भी देना।

तुम अपनी प्रवेशिका छपवानेसे पहले आलोचनाके लिए यहाँ भेजोगे, तो काका वगैरह देख जायेंगे और जब छपवाओगे, उसके प्रूफ भेजोगे तो कलाकी दृष्टिसे भी ध्यानमन्त्र आदिका रूपांकन देखा जा सकेगा। यदि तुम बहुत जल्दीकी जरूरत समझो तो न भेजना।

सुरेन्द्रके जो विचार यहाँकी पाठशालाके बारेमें हैं, वे यहाँके बारेमें भी थे। अकसर [किसी चीजका] पहला दृश्य सरल मनुष्यके मनपर अपनी एक छाप डालता

१. हरिलालकी पुत्री।

२ और ३. हरिलालके लड़के।

४. ये पंक्तियाँ अंग्रेजीमें हैं।

५. अर्थात्, तुम जो भी सीखो, अच्छी तरहसे सीखो [और फिर उसपर अमल करो]।

६. एक गुजराती कहावत; हिन्दीमें “बूँद-बूँदसे सरोवर भरता है।”

७. जी० यू० पोप (१८२०-१९०८); दक्षिण भारतमें मिशनरी; १८८४-९६ में ऑक्सफोर्डमें तमिल और तेलगुके प्राध्यापक, तमिल भाषा सम्बन्धी कुछ पुस्तकोंके लेखक।



है और यह स्वाभाविक है। कुमारी मॉल्टिनोने<sup>१</sup> फीनिक्सको पृथ्वीपर स्वर्गकी उपमा दी है। अगर वे फीनिक्समें कुछ समय तक रही होतीं, तो मुझे विश्वास है कि [उनकी इस मान्यतामें] कुछ-न-कुछ परिवर्तन जरूर होता। प्रथम दृष्टिमें बीनको<sup>२</sup> फीनिक्स सर्वोत्कृष्ट लगा लेकिन थोड़े महीने रहनेके बाद वे फीनिक्स-जैसी किसी अन्य खराब संस्थाकी कल्पना भी नहीं कर सके।

आजके लिए तो अब इतना काफी है<sup>३</sup>।

यह भी शायद कहावतका काम दे सके :

“रसिकलाल हरिलाल मोहनदास करमचन्द गांधी  
ने बकरी बांधी  
बकरी दे न दो'ने  
गांधी लगे रोने !”

कविवर रसिक

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## ११३. पत्र : हरिलाल गांधीको

[ अहमदाबाद ]

फरवरी २३, १९१९

शुभोपमा योग्य सत्याग्रहियोंकी पेढी<sup>४</sup>

यह पत्र शुरू कर रहा था कि इतनेमें मुझे अदालत लगानी पड़ी। अभियुक्त रसिक था। मुद्दई एक निर्दोष कुत्ता था। मुद्दईने रोते हुए बताया कि किसीने उसे मारा। मैंने जाँच की तो रसिक अभियुक्त मालूम हुआ। अभियुक्तने अपना अपराध स्वीकार किया। अपने पिछले अपराध भी स्वीकार किये। मुझे भगवान् कृष्ण और शिशुपाल याद आ गये। शिशुपालके सौ कसूर<sup>५</sup> श्रीकृष्णचन्द्रने माफ किये थे। अतः अदालतने दया करके मुलजिम रसिकके पाँच कसूर माफ किये और चेतावनी दी कि आइन्दा कसूर करेगा तो माफ

१. दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीकी एक यूरोपियन सहयोगी।

२. ए० जे० बीन; फीनिक्स आश्रमके एक सदस्य।

३. यहाँतक पत्र बोलकर लिखाया गया था, इसके बादका अंश गांधीजीने, विनोदमें हरिलालके बच्चे रसिककी ओरसे लिखा है।

४. हरिलाल तथा दक्षिण आफ्रिकामें उनके साथ जेल गये हुए अपने कुछ मित्रोंको गांधीजी विनोदमें सत्याग्रहियोंकी पेढी कहा करते थे।

५. महाभारतके अनुसार ९९।



नहीं किया जायेगा बल्कि पत्थर मारनेसे कुत्तेको जो दुःख होता है, उसका निजी अनुभव अभियुक्तको कराया जायेगा।

मैं लिख रहा हूँ और कान्तिलाल दवात लिये हुए हैं। मैं जैसे पत्र लिख रहा हूँ, वैसे-वैसे रामीबेन और कान्तिलाल उसे पढ़ते जाते हैं और सुधार सुझा रहे हैं। अभियुक्त भी पलंगके पास दुबका हुआ है। बीच-बीचमें मनुबाईकी हँसी भी सुनाई पड़ती है। अब तो फिर पलंगपर आनेके लिए रो रही है। यह दृश्य मुझे तुम्हारे और जड़ी बहन आदिके बचपनकी याद दिलाता है।

यह तो तुम ऊपरसे देख ही सकोगे कि यद्यपि मुझे बिस्तरपर पड़े रहना पड़ता है, फिर भी मेरी तबीयत अच्छी मानी जा सकती है।

यहाँ सत्याग्रहकी बातें चलती रहती हैं। ये सब बातें तुम्हें महादेवभाई लिखेंगे या मुझसे लिखा जायेगा, तो मैं लिखूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## ११४. सत्याग्रह प्रतिज्ञा<sup>१</sup>

अहमदाबाद

फरवरी २४, १९१९

हमारा अन्तःकरणपूर्वक विश्वास है कि १९१९ के भारतीय दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक संख्या १<sup>१</sup> और दण्ड विधि (आपातिक अधिकार) विधेयक संख्या २<sup>१</sup> नामक विधेयक अन्यायपूर्ण, स्वातन्त्र्य तथा न्यायके सिद्धान्त और व्यक्तियोंके बुनियादी अधिकारोंके लिए जिनपर सम्पूर्ण समाज तथा स्वयं राज्यकी सुरक्षाके आधार हैं, घातक तथा विध्वंसकारी हैं। अतः हम संकल्प करते हैं कि यदि इन विधेयकोंको कानूनका रूप दिया गया तो जबतक इनको वापस नहीं ले लिया जायेगा तबतक हम इन और, इसके बाद नियुक्त होनेवाली समिति<sup>१</sup> जिन्हें इस योग्य समझेगी, ऐसे अन्य कानूनोंकी सविनय अवज्ञा करते रहेंगे और साथ ही हम संकल्प करते हैं कि इस संघर्षमें हम पूरी निष्ठाके साथ सत्यका पालन करेंगे

१. इस प्रतिज्ञाका मसविदा २४-२-१९१९ को तैयार किया गया था और साबरमती आश्रममें हुई सभामें उपस्थित व्यक्तियोंने इसपर हस्ताक्षर किए थे।

२. इंडियन क्रिमिनल लॉ (अमेण्डमेंट) बिल सं० १।

३. क्रिमिनल लॉ (इमर्जेन्सी पावर्स) बिल सं० २।

४. इस समिति द्वारा अवज्ञाके लिए चुने गये कानूनोंके लिए देखिए “सविनय अवज्ञाके लिए कानून”, ७-४-१९१९।



और हिंसा नहीं करेंगे — किसीकी भी जान-मालको किसी प्रकारका नुकसान नहीं पहुँचायेंगे ।

मोहनदास करमचंद गांधी  
सत्याग्रह आश्रम, साबरमती  
वल्लभभाई जे० पटेल  
बार-एट-लॉ, अहमदाबाद  
चन्दूलाल मणिलाल देसाई  
एल० डी० एस०, अहमदाबाद  
केसरीप्रसाद मणिलाल ठाकुर  
अहमदाबाद

(बेन) अनसूयाबाई साराभाई  
मन्त्री, 'होमरूल लीग' — महिला शाखा,  
अहमदाबाद और अन्य

[ अंग्रेजीसे ]

न्यू इंडिया, ३-३-१९१९

## ११५. तार : वाइसरायके निजी सचिवको

अहमदाबाद

फरवरी २४, १९१९

जबसे रौलट विधेयक प्रकाशित हुए हैं, मैं बराबर विचार कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मित्रोंसे भी परामर्श करता रहा हूँ। मेरे विचारमें विधेयक स्वयं तो बुरे हैं ही, किन्तु वे उस बीमारीके भी लक्षण हैं, जिसकी जड़ें शासक वर्गमें गहरी पैठी हैं। ऐन सुधारोंके पूर्व इन विधेयकोंका आना सुधारोंकी सफलताके लिए अशुभका संकेत है। मेरे साथ सार्वजनिक कार्य करनेवाले सहयोगियों तथा अन्य मित्रोंकी आज बैठक हुई और लम्बी बहसके बाद सत्याग्रह तथा उन कानूनोंकी सविनय अवज्ञा करनेका निर्णय किया गया जिनके बारेमें हमारी भावी समिति निर्णय करेगी। सर जॉर्ज लाउण्डेजके भाषणके बाद सरकारको यह बता देना आवश्यक हो गया है कि कैसी ही निरंकुश सरकार हो वह भी अपनी शक्तके लिए अन्तिम रूपसे शासितोंकी इच्छापर ही निर्भर करती है। यदि इस सिद्धान्तको स्वीकार नहीं किया जाता और फलस्वरूप विधेयक वापस नहीं लिये जाते तो हममें से बहुत-से लोगोंकी दृष्टिसे सुधार निरर्थक हैं। मैं महाविभवसे विनयपूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे विधेयकोंको पास करनेके बारेमें सरकारके निर्णयपर पुनः विचार



करें। बड़ी अनिच्छासे यह भी कह रहा हूँ कि प्रतिकूल उत्तर मिलनेपर प्रतिज्ञा जरूर प्रकाशित की जायेगी और उसपर ज्यादासे-ज्यादा हस्ताक्षर कराये जायेंगे। मैं इस प्रस्तावित कदमकी गम्भीरतासे अवगत हूँ। किन्तु यह अधिक अच्छा है कि लोग जो अपने मनमें सोचते हैं उसे वे खुले आम कहें और परिणामोंके प्रति निर्भय होकर अपने अन्तःकरणके आदेशका पालन करें। क्या मैं शीघ्र उत्तरकी आशा कर सकता हूँ?

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल - ए : मार्च १९१९ : सं० २५० तथा टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६४३४) की फोटो-नकलसे।

### ११६. सत्याग्रह

[ फरवरी २५, १९१९ ]

प्रत्येक मनुष्यके सम्मुख संकट निवारणके लिये दो बल हैं, एक शस्त्र-बल और दूसरा आत्म-बल किंवा सत्याग्रह। भारतवर्षकी सभ्यताका रक्षण केवल सत्याग्रह ही से हो सकता है।

मोहनदास गांधी<sup>२</sup>

महादेव देसाईके अक्षरोंमें प्राप्त मूल पत्र (एस० एन० ६४३६) की फोटो-नकलसे।

### ११७. तार : मदनमोहन मालवीयको<sup>३</sup>

[ फरवरी २५, १९१९ ]<sup>३</sup>

शिष्टमण्डलके प्रति उत्साह और विश्वास नहीं। रौलट विधेयक सारी प्रगति रोके खड़े हैं।

गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

लीडर, २७-२-१९१९

१. उसी पन्नेपर लिखा हुआ मिला है जिसपर पिछला शीर्षक; अतः इसकी तारीख वही मान ली गयी है।

२. यह भी महादेव देसाईके अक्षरोंमें है।

३. इस पूछताछके उत्तरमें कि गांधीजी कांग्रेस शिष्टमण्डलके सदस्यके रूपमें कब इंग्लैंड जायेंगे, यह तार भेजा गया था। २६-२-१९१९ के न्यू इंडियामें प्रकाशित यह तार “मुझे विश्वास नहीं. . .” इन शब्दोंके साथ प्रारम्भ होता है। न्यू इंडिया और लीडर दोनोंने यह समाचार दिल्लीसे प्राप्त किया था, जिसपर २५-२-१९१९ की तारीख पड़ी थी।



## ११८. तार : सी० एफ० एण्ड्रूजको

फरवरी २५, १९१९

हमें रौलट विधेयकोंके खिलाफ सत्याग्रहपर विवश कर दिया गया है। पचास स्त्री पुरुषों द्वारा प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर। इसे प्रकाशित करनेसे पहले वाइसरायको तार दिया। निर्णयपर ईश्वरको साक्षी रखकर विचार किया गया। चाहता था कि कल आप यहाँ होते। पढ़नेके बाद कागजात भेज रहा हूँ। अपनी राय तथा संभव हो तो गुरुदेवका आशीर्वाद तार द्वारा भेजें।

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे ( एस० एन० ६४३६ ) की फोटो-नकलसे।

## ११९. पत्र : सी० एफ० एण्ड्रूजको

फरवरी २५, १९१९

प्रिय चार्ली,

आज मैंने तुम्हें तार भेजा है। जब पहला तार दिया था, तब मैंने पत्र लिखनेकी बात सोची थी, परन्तु लिख न सका। मैं जबरदस्त मानसिक कष्टमें से गुजर रहा हूँ। क्योंकि एक ओर डॉक्टर कहते हैं कि मुझे किसी भी किस्मका श्रम नहीं करना चाहिए और दूसरी ओर मेरे अन्तरकी आवाज कहती है कि रौलट विधेयकों और वाइसरायकी घोषणाके मामलेमें मुझे अपनी आवाज उठानी चाहिए। मेरे मनमें परस्पर विरोधी विचार काम कर रहे थे और यह नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूँ। बहुत-से मित्र मार्ग-दर्शनके लिए मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता था? कल हम लोग आश्रममें एकत्र हुए। अच्छी सभा हुई। सबकी इच्छा यह थी कि हम थोड़े हों, तो भी लड़ाईमें कूद पड़ना चाहिए। अन्तिम निर्णय मेरे ऊपर था। मुझे लगा कि उद्देश्य सच्चा है। क्या मैं उनको अकेला छोड़ दूँ? इस तरह तो मैं अपने प्रति सच्चा नहीं रह सकता था। परिणाम तुम्हें मालूम ही है। संलग्न कागजोंसे तुम्हें पूरी जानकारी मिल जायेगी। जब आत्मा अन्तर्द्वन्द्वकी पीड़ा भोग रही थी, उस समय ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारी उपस्थितिकी कितनी जरूरत अनुभव कर रहा था। इस समय मेरा मन पूरी तरह शान्त है। वाइसरायको तार दे देनेके बाद मेरा चित्त खूब स्वस्थ हो गया है। उन्हें चेतावनी मिल चुकी है। जबरदस्त दावानल भड़क उठने जैसी स्थिति है। इसे रोकना उनके हाथमें है। अगर दावानल भड़का और यदि सत्याग्रहियोंने अपनी प्रतिज्ञाका सचाईसे पालन किया तो इससे वातावरण विशुद्ध होगा और उसीसे सच्चा स्वराज्य आयेगा।



राष्ट्र-संघ [ लीग ऑफ नेशन्स ] के समझौतेको समझाते हुए श्री विल्सनने<sup>१</sup> जो भाषण किया,<sup>२</sup> उसमें आधुनिक सभ्यताका वास्तविक रूप उन्होंने अनजाने प्रकट कर दिया है, यह तुमने देखा? तुम्हें याद होगा उन्होंने कहा था कि यदि किसी टेढ़े जानेवाले पक्षपर नैतिक दबावका प्रयोग असफल रहेगा, तो वे राष्ट्र-संघके सदस्य अन्तिम उपाय, अर्थात् सैनिकबलका प्रयोग करनेमें पशोपेश नहीं करेंगे।

हमारी प्रतिज्ञा पशुबलके सिद्धान्तका पर्याप्त उत्तर है। परन्तु इसीसे प्रकरण पूरा नहीं हो जाता। मि० अस्वातकी तरफसे मुझे लम्बा तार<sup>३</sup> मिला है। दक्षिण आफ्रिकामें हिन्दुस्तानियोंकी स्थिति सचमुच बड़ी गम्भीर है। पिछली लड़ाईसे मिली हुई सारी शिक्षा मानो वे भूल ही गये हैं। वहाँके भारतीयोंको यदि हम यहाँसे कोई मदद नहीं पहुँचा सके, तो उनकी दशा बिलकुल निःसहाय हो जायेगी। वे लोग अपनी कमजोरीके कारण सत्याग्रह न कर सकें, तो उनके दुःख दूर करानेके लिए हम सबको भारत-सरकारसे कहना चाहिए और अगर सरकार अपनी मजबूरी जाहिर करे, तो हमें सत्याग्रह करना चाहिए। एक ही साम्राज्यकी हिस्सेदारीमें परस्पर विरोधी हितोंका अस्तित्व बना रहे, यह सम्भव नहीं हो पायेगा। मैंने सरकारको लिखा है और आज एक पत्र अखबारोंको भेज रहा हूँ।<sup>४</sup>

एक तीसरा प्रकरण भी है। अली बन्धुओंके मामलेमें सरकारको सलाह देनेके लिए बनाई गई कमेटी दो महीने हुए, अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। वे सब कागजात मैंने पढ़े हैं, उनपर लगाये गये आरोपोंमें ऐसी कोई बात नहीं, जिससे उनकी नजरबन्दी सकारण मानी जा सके। अगर अब भी उनका छुटकारा न हो सके, तो मेरे लिए यह सत्याग्रह करनेका तीसरा कारण होगा।

यह सब बोझा मैं आसानीसे वहन कर रहा हूँ। पिछले दो विषयोंके बारेमें तो मुझे कोई हृदय-मंथन नहीं करना पड़ा। अगर मुख्य लड़ाई शुरू हो जाये, तो ये दोनों मैं उसके साथ ही मिला दूँ और इस तरह त्रिपुटी पूरी हो जाये।

तारसे तुम्हारे उत्तरकी मैं आतुरतासे बाट देखूँगा। और साथ ही पत्रके जरिये अपनी राय सविस्तार भेजो। लिखित मत बादमें देना। यह सुनकर तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आश्रममें सब बहनोंने प्रतिज्ञापर स्वेच्छापूर्वक हस्ताक्षर कर दिये हैं। . . .

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. टॉमस वूड्रो विल्सन ( १८५६-१९२४ ); संयुक्त राज्य अमेरिकामें २८वें राष्ट्रपति।

२. पेरिस शान्ति सम्मेलनमें दिया गया भाषण; देखिए “ भाषण : मद्रासमें सत्याग्रहपर ”, २०-३-१९१९।

३. देखिए “ पत्र : अखबारोंको ”, २५-२-१९१९ की पार्दाटप्पणी २।

४. देखिए “ पत्र अखबारोंको ”, २५-२-१९१९।



## १२०. पत्र : के० नटराजनको<sup>१</sup>

फरवरी २५, १९१९

मैं इस पत्रके साथ आपको सत्याग्रहके प्रतिज्ञापत्रकी प्रतियाँ और वाइसरायको अपने तारकी नकल भेज रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भी इन विधेयकोंको मेरी ही तरह भयंकर मानते हैं। उनके विरुद्ध अपनाये जानेवाले उपायोंके बारेमें आप मुझसे सहमत न भी हों, फिर भी मैं आशा रखता हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा मनमें से बिलकुल निकाल नहीं देंगे। सरकारके अत्याचारोंके विरुद्ध आप नवोदित पीढ़ीको कोई कारगर उपाय नहीं बतायेंगे तो आप ईर्ष्या-द्वेषका दावानल जगा देंगे और बंगालके हिंसा मार्गवाले विचार इतने अधिक फैल जायेंगे कि फिर हम सबको पछताना पड़ेगा। दमन-नीति तभीतक कारगर साबित होती है, जबतक लोग उससे डरते हैं। परन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं जब असाधारण दबाव पड़नेपर कायर लोगों तक ने असाधारण हिम्मत दिखाई है। स्वयं कष्ट-सहन करना सत्याग्रहका एक अर्थ है। इसमें मैं हमारी संस्कृतिकी वास्तविक भावनाका ही अनुसरण कर रहा हूँ। और जवान देशभक्तोंके सामने ऐसा अमोघ साधन रखता हूँ, जिसे अपनानेपर उन्हें कभी निराशा नहीं हो सकती।

मेरे भेजे हुए कागजात आप गोपनीय समझें। वाइसरायका जवाब आ जानेके बाद मैं उन्हें प्रकाशित करनेकी अनुमति दे सकता हूँ। वाइसरायको भेजा गया तार तो बिलकुल छापना ही नहीं है। उसकी नकल मैंने आपको इसीलिए भेजी है कि आपकी रायके लिए मेरे दिलमें बड़ी इज्जत है। कृपा करके यह पत्र सर नारायणको<sup>२</sup> भी पढ़ा दें।

दक्षिण आफ्रिकाकी परिस्थितिपर मेरा अखबारोंमें भेजा गया पत्र आप जल्दी ही देखेंगे। शायद इस मामलेमें आप मुझसे सहमत होंगे कि अगर सरकार अपनी मजबूरी जाहिर कर दे, तो हम सत्याग्रह कर दें और दक्षिण आफ्रिकाके अपने देशवासियोंको उस आसन्न विनाशसे बचायें।”

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. इंडियन सोशल रिफॉर्मरके सम्पादक।

२. सर एन० जी० चन्दावरकर; समाज-सुधारक और न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, बम्बई; सन् १९०० की लाहौर कांग्रेसके अध्यक्ष।



## १२१. पत्र : सर स्टैनली रीडको<sup>१</sup>

फरवरी २५, १९१९

आपको साथके कागजात भेजते हुए कुछ-कुछ सकुचा रहा हूँ। परन्तु मेरा खयाल है कि मेरे लिए सही रास्ता यही है कि मैं इन्हें आपकी जानकारीमें ले आऊँ। सम्भव है कि विधेयकों-सम्बन्धी मेरी रायके बारेमें और इसी तरह उनके विरुद्ध न्यायप्राप्तिके लिए सोचे गये उपायोंके विषयमें आप मेरे साथ बिलकुल सहमत न हों। इस मामलेमें मैं कोई बहस नहीं करूँगा, क्योंकि वाइसरायके नाम अपने तारमें मैंने जो दलीलें दी हैं, उनसे अधिक दलीलें मैं नहीं दे सकता।

सारे कागजात गोपनीय हैं।

इस मामलेपर आपकी साफ रायको मैं कीमती मानूँगा।

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## १२२. पत्र : सर दिनशा वाछाको<sup>२</sup>

[ अहमदाबाद ]

फरवरी २५, १९१९

मैंने भाई शंकरलाल बैंकरसे कल कहा था कि वे सत्याग्रह-प्रतिज्ञा आपको दिखा दें और वाइसराय महोदयको दिया गया तार भी दिखा दें। वे आपने देखे होंगे। यह माँग तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि आप इस लड़ाईमें शरीक हों। परन्तु आपका आशीर्वाद तो अवश्य चाहता हूँ। मैं कोई भी काम जल्दबाजीमें करनेवाला नहीं हूँ। जब वाइसरायका जवाब आयेगा, तभी प्रतिज्ञा प्रकाशित की जायेगी। मुझे लगता है कि आजके वातावरणमें बड़े हो रहे नौजवानोंके लिए अर्जियाँ आदि देनेका उपाय काफी नहीं, उन्हें हमें कोई-न-कोई कारगर उपाय देना चाहिए। मेरा तो खयाल यह है कि बम आन्दोलनको रोकनेका उपाय केवल सत्याग्रह है। इस दृष्टिसे मैं आपकी सहायता माँग सकता हूँ।

मेरे स्वास्थ्यके लिए आपने सदा चिन्ता रखी है, इसके लिए मैं किस तरह आभार प्रकट करूँ। अब [सब कुछ] ठीक है, अभी हृदय कमजोर है। शायद इस लड़ाई-रूपी टॉनिकसे तबीयत अपने-आप ठिकाने आ जायेगी।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

१. टाइम्स ऑफ इंडियाके सम्पादक।

२. दिनशा इंदुलजी वाछा (१८८४-१९३६); प्रमुख पारसी नेता; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष, १९०१; वाइसरायकी विधान परिषद्के सदस्य।



## १२३. पत्र : अखबारोंको'

[ अहमदाबाद  
फरवरी २५, १९१९ ]

सेवामें

सम्पादक

'बॉम्बे क्रॉनिकल'

बम्बई

महोदय,

मुझे ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष श्री अस्वातसे प्राप्त निम्नलिखित तारसे<sup>३</sup> मालूम होता है कि यदि भारत सरकारकी अविलम्ब और प्रभावशाली कार्रवाई और आवश्यकता पड़नेपर सार्वजनिक कार्रवाई तक का सहारा लेकर उस खतरेको, जो ट्रान्सवालके भारतीयोंको अभिभूत किये हुए है, टाला न गया तो दक्षिण आफ्रिकामें

१. "दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके साथ दुर्व्यवहार", शीर्षकसे बॉम्बे क्रॉनिकलमें छपा था। २८-२-१९१९ को अमृतवाजार पत्रिका तथा २७-२-१९१९ को न्यू इंडिया ने भी इसे प्रकाशित किया था।

२. "महार्घ तथा अल्पार्घ धातु अधिनियम [प्रेसस बेस मेटल्स ऐक्ट] के अन्तर्गत की गई कानूनी कार्रवाश्योंका परिणाम भारतीय व्यापारियोंके खिलाफ निकला। चिर प्रतीक्षित निर्णयसे क्रूगर्सडार्प क्षेत्र प्रभावित; सम्पूर्ण विटवाटर्सरेण्डमें व्यापारी-समाजका वास्तविक विनाश। १९१० का ट्रान्सवाल अध्यादेश ९ (ट्रान्सवाल ऑर्डिनेन्स ९, १९१२), राहत अधिनियम (रिलीफ ऐक्ट) तथा भारतीय समाजको प्रभावित करनेवाले दूसरे कानूनोंपर कड़ाईके साथ अमल, उद्देश्य यूरोपीय प्रतिस्पर्धियोंके लाभके लिए भारतीय व्यापारका उन्मूलन। ब्रिटिश समाज द्वारा क्रूर तथा प्रतिक्रियावादी नीतिका जोरदार विरोध। कार्रवाईका प्रायः युद्ध-विरामके साथ-साथ किया जाना उद्देश्यपूर्ण। समाजको इस प्रकारकी नीतिका लक्ष्य बनाकर युद्धके समय भारतीयों द्वारा साम्राज्यके लिए की गई कुर्बानियोंका अत्यल्प मूल्यांकन किया गया है। समाज सुरक्षाके लिए अपील करता है। इस बीच केपटाउनकी वकील सभामें इसका पर्दाफाश करनेका प्रयत्न किया जा रहा है। कृपया जिस तरह बन सके सहायता करें। कर्नल शोंका कहना है कि वे उस समय मौजूद थे जब माननीय गोखले और आपने श्री स्मट्सके सामने स्वेच्छया वक्तव्य दिया था कि यदि संघमें रहनेवालोंके साथ अच्छा व्यवहार किया गया तो संघसे बाहरके व्यक्तियोंको यहाँ तक कि आवश्यक मामलोंमें भी अस्थायी अथवा यात्री अनुमतिपत्रोंपर प्रवेशकी अनुमति देनेकी कोई आवश्यकता नहीं। मुहम्मद इसाक अपने सम्बन्धियोंके लिए डर्बनमें ४० हजारकी सम्पत्ति छोड़कर मरे। मॉरिशसका गृह-विभाग प्रशासनिक उद्देश्यसे जमानतके बावजूद अस्थायी अनुमतिपत्र देनेसे इनकार करता है। स्वर्गीय माननीय गोखलेके वक्तव्यके आधारपर सरकारने नीति आरम्भ की है। कृपया यह मुद्दा स्पष्ट करें। सरकारका उद्देश्य हर सम्भव तरीकेसे भारतीयोंको तंग करना है। समाज अत्यन्त कष्टमें है। जबतक मामला सुधरता नहीं, आत्मसम्मान, मातृभूमिके सम्मानको कायम रखनेके लिए अनिच्छासे प्रतिरोध करते हैं। सलाह दें।"



सत्याग्रहका अपने आनुषंगिक कष्टोंके साथ पुनः प्रारम्भ होना अवश्यम्भावी है। स्थितिकी माँग है कि लॉर्ड हार्डिंगकी कार्रवाईकी 'पुनरावृत्ति' की जाये और दक्षिण आफ्रिकाको तुरन्त एक शिष्टमण्डल भेजा जाये जिसमें एक प्रसिद्ध नागरिक हो और दूसरा उसीके समान प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार।

स्थिति क्या है? तारमें उल्लिखित महार्घ तथा अल्पार्घ धातु अधिनियम [प्रेसस एंड बेस मेटल्स ऐक्ट] का ट्रान्सवालके स्वर्ण-क्षेत्रपर जहाँ भारतीय जनसंख्याका सबसे बड़ा भाग बसता है, असर पड़ता है। क्रूगर्सडार्प जोहानिसबर्गके पास एक महत्त्वपूर्ण शहर है, जिसमें बहुतसे भारतीय व्यापारी रहते हैं। उनमें से कुछके पास ३ लाख रुपये तक का माल है। यदि कोई राहत नहीं पहुँचाई गई तो इसका मतलब होगा समूचे स्वर्ण-क्षेत्रमें रहनेवाले लोगों तथा व्यापारियोंका सर्वनाश। मालूम पड़ता है, संघ सरकारका उद्देश्य यह है कि वह संघके भारतीय अधिवासियोंको लकड़हारों तथा भिश्तियोंकी हालतमें पहुँचा दे। संघके बहुत-से राजनीतिज्ञोंने भी खुले आम यह बात कही है। यह सम्भव है कि न्यायालयकी व्याख्या सही हो। यदि ऐसा है, तो स्वयं अधिनियमको परिवर्तित करना होगा और न केवल इसलिए कि भारतीय समाज ब्रिटिश प्रजा है, बल्कि १९१४ के सत्याग्रह समझौतेके<sup>१</sup> कारण भी उसकी रक्षा करनी होगी। यह समझौता निहित या वर्तमान अधिकारोंकी रक्षा करता है।

जिस नीतिका मैंने उल्लेख किया है उसके अनुरूप किया गया यह निर्णय भारतीयोंकी आजादीपर सीधा आघात है। अपनी वर्तमान भारतीय आबादीको संघ-भरमें संरक्षणकी सुविधाएँ देनेसे इनकार करके सरकार उसे और भी अधिक तंग करना चाहती है। यदि समय-समयपर भारतीयोंके पास कोई न आये, यदि अचल सम्पत्तिवाले व्यक्तिके मरनेपर उसके विश्वस्त सम्बन्धी उसके कारोबारकी व्यवस्था करनेके लिए संघमें न आये तो फिर वे वहाँ नहीं रह सकते। मैं यह समझ सकता हूँ कि दक्षिण आफ्रिकाका प्रमुख समुदाय अपनेसे भिन्न सभ्यतावाले लोगोंकी असीमित बाढ़को क्यों नहीं चाहता; किन्तु सम्मिलित साम्राज्यके प्रति आस्था-प्रकाशनके साथ-साथ क्रूर मूलोच्छेदनकी नीतिका अनुसरण, यह मेरी समझमें नहीं आ सकता। इसके अतिरिक्त अस्थायी अनुमतिपत्र जारी करनेसे इनकार करना समझौतेको भंग करना है। हमेशा यह समझा जाता रहा है कि आवश्यकता पड़नेपर अस्थायी अनुमतिपत्र स्वीकृत कर दिये जायेंगे। कमसे-कम स्वर्गीय श्री मुहम्मद इसाकके मामलेमें, जिसका उल्लेख श्री अस्वातने अपने तारमें किया है, अस्वीकृतिका कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। इस सम्बन्धमें स्वर्गीय श्री गोखलेके नामका उल्लेख करना एक पवित्र नामपर कलंक लगाना है। भेंटके समाप्त होनेपर श्री गोखले सीधे होटलमें आये, जहाँ हम ठहरे हुए थे। मुझे उनके सचिवके रूपमें काम करनेका सम्मान मिला था। मन्त्रियों और उनके मध्य जो कुछ भी वार्तालाप हुआ उन्होंने

१. १९१४ के गांधी-स्मट्स समझौतेसे पूर्व दक्षिण आफ्रिकी सरकारके साथ भारतीयोंके प्रश्नपर बातचीत करनेमें भारत-सरकारका प्रतिनिधित्व करनेके लिए वाइसरायने सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनको नियुक्त किया था।

२. देखिए खण्ड १२।



वह सारा कुछ बताया था। उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिससे मालूम पड़ता कि उन्होंने किसी भी परिस्थितिके अन्तर्गत अस्थायी अनुमतिपत्र देना बन्द करनेकी बात मान ली हो। ऐसा करार करनेका उन्हें अधिकार ही नहीं था। वे केवल स्थिति जानने और हमारी सिफारिश करनेके लिए गये थे। आपके पाठकोंको याद होगा कि उन्होंने दक्षिण आफ्रिकासे लौटनेके बाद बम्बईमें हुई ऐतिहासिक सभामें सार्वजनिक घोषणा की थी कि उन्हें समझौतेके लिए बातचीत करनेका कोई अधिकार नहीं था और उन्होंने किसी भी बातपर अपनी सहमति नहीं दी। भारतीय समाजके प्रतिनिधिके रूपमें मैंने १९१४ के समझौतेमें भाग लिया था। यदि इस प्रकारका कोई समझौता होता तो यह निश्चित था कि जनरल स्मट्स और मेरे बीच जो बहुत-सी बातें हुई उनका यह भी एक भाग होता। यह ध्यान देने योग्य है कि जनरल स्मट्स इस समय दक्षिण आफ्रिकामें नहीं हैं। यदि उनसे पूछा गया तो मुझे इसमें जरा भी शक नहीं कि वे कर्नल शाँ द्वारा लगाये गये आरोपका निराकरण कर देंगे।

तारमें आगे कहा गया है कि सारे संघमें और भी बहुतसे उत्पीड़न हो रहे हैं। खयाल किया जाता है कि हम उन सुधारोंके सन्निकट हैं जो निकट भविष्यमें पूर्ण उत्तरदायी सरकारके रूपमें परिवर्तित हो जायेंगे। श्री अस्वात की कृष्ण अपीलका भारतके पास क्या जवाब है? संघके सैकड़ों-हजारों लोगोंको अपने प्राथमिक अधिकारोंकी रक्षाके लिए भारत-सरकार तथा भारतके लोगोंसे सहायताकी अपेक्षा करनेका अधिकार है।

आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २७-२-१९१९

## १२४. रौलट विधेयकोंका सार

[ फरवरी २६, १९१९ से पूर्व ]<sup>१</sup>

इन विधेयकोंको काले विधेयकोंका नाम दिया गया है। इनके सम्बन्धमें समस्त हिन्दुस्तानमें भारी हलचल हो रही है और ये विधेयक इतने कठोर माने गये हैं कि उनके विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ किया गया है। अनेक स्त्री-पुरुषोंने सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा ली है। सत्याग्रह सभाकी स्थापना की गई है और लोगोंको यह प्रतिज्ञा लेनेकी सलाह भी दी गई है। इस प्रतिज्ञाको लेनेका अर्थ यह है कि सत्याग्रही अपनी टेकका पालन करनेकी खातिर अपना सर्वस्व भी होम देनेको तैयार है। ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा लेनेवाले तथा इसकी सलाह देनेवाले लोगोंके पास ऐसा करनेके ठोस कारण होने चाहिए। सत्याग्रहियोंने यह प्रतिज्ञा की है कि ये विधेयक “अन्यायपूर्ण हैं”, “जनताकी स्वतन्त्रताके सिद्धान्त

१. देखिए अगला शीर्षक।



भंग करते हैं ” और “ मानवके स्वाभाविक हकोंका नाश करनेवाले हैं । ” जनताके सम्मुख इन विशेषणोंके औचित्यको सिद्ध करनेकी जरूरत है और इसका सबूत भी इन विधेयकोंमें ही होना चाहिए [ ताकि वह देख सके कि ] जिन विधेयकोंपर उपर्युक्त विशेषण लागू किये जा सकते हैं उनके अधीन होना अपने मनुष्यत्वको खोकर गुलामी स्वीकार करनेके समान है। और निम्नलिखित सारांश पढ़नेपर जिसके मनपर ऐसी छाप पड़े उसका यह फर्ज है कि वह सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा ले। इन विधेयकोंका सार नीचे दिया गया है। इनमें जो खण्ड दोष बतानेकी दृष्टिसे अनावश्यक हैं और जिनका उल्लेख न करनेसे सरकारी पक्षके प्रति किसी प्रकारका भी अन्याय नहीं होता, उनको यहाँ छोड़ दिया गया है। और जो खण्ड हमें बहुत कठोर जान पड़े हैं उन्हें हमने मोटे अक्षरोंमें छापा है। दोनों विधेयक धारासभाके सम्मुख रखे गये हैं और सरकारी ‘गजट’ में १९१९ के विधेयक सं० १ और विधेयक सं० २ के नामसे प्रकाशित हुए हैं। विधेयक सं० २ साधारण फौजदारी कानूनसे भी आगे बढ़ गया है, ऐसा उसकी भूमिकासे पता चलता है। यह विधेयक अधिक भयंकर लगनेके कारण हम इसका सारांश पहले प्रस्तुत करते हैं।

### १९१९ के विधेयक संख्या २ का सारांश

इस विधेयकका प्रयोजन यह है कि यदि कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाये तो सरकारको आम फौजदारी कानूनके अन्तर्गत जितनी सत्ता प्राप्त है, उससे अधिक सत्ता दी जा सके और सरकार उस संकटकी स्थितिमें उस सत्ताका उपयोग कर सके।

इस विधेयकके सम्बन्धमें सरकारने इंग्लैंडसे सपरिषद् भारत-मन्त्रीकी स्वीकृति पहलेसे ही प्राप्त कर ली है।

खण्ड १: इस कानूनका नाम है दण्ड विधि आपातिक अधिकार विधेयक [ क्रिमिनल लॉ एमर्जेन्सी पावर्स बिल ]।

यह कानून सारे हिन्दुस्तानपर लागू होता है।

### जानने योग्य खण्ड

[ खण्ड ३ : ] गवर्नर-जनरलकी परिषद्को जब इस बातका निश्चय हो जाये कि सारे हिन्दुस्तानमें अथवा उसके किसी भागमें अमुक अपराध हो रहे हैं और समाजकी सुरक्षाके लिए तुरन्त कार्रवाई करनेकी आवश्यकता है, तो वह [ भारत-सरकारके ] ‘गजट’ में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह सूचित कर सकती है कि उस विज्ञप्तिमें उल्लिखित हिस्सेमें यह कानून लागू किया जायेगा।

खण्ड ४ : जब स्थानीय सरकारको ऐसा जान पड़े कि अमुक व्यक्तिपर इस कानूनकी रू से मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तब वह किसी भी सरकारी अधिकारीको आदेश दे सकती है कि वह अधिकारी ऐसे व्यक्तिके विरुद्ध मुख्य न्यायाधीशके सम्मुख फरियाद करे।

ऐसी फरियाद उन अपराधोंके विरुद्ध भी की जा सकती है ‘जो ‘गजट’ में इस आशयकी विज्ञप्ति प्रकाशित होनेके पूर्व हुए हों’ कि अमुक क्षेत्रोंमें यह कानून लागू होना चाहिए।



फरियादमें अपराध, अपराधीका नाम-धाम, अपराधका समय, उसका स्थान और ऐसा अन्य विवरण जिसे फरियाद करनेवाला सरकारी अधिकारी जानता हो, दर्ज करना चाहिए जिससे कि अपराधीको अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपोंकी जानकारी प्राप्त हो जाये।

इस फरियादमें यदि मुख्य न्यायाधीश को उचित जान पड़े तो वह अतिरिक्त जानकारी दर्ज करनेका आदेश दे सकता है और ऐसी फरियाद की एक प्रति अभियुक्तको दी जायेगी।

५वें खण्डमें कहा गया है कि अभियुक्तको नोटिस जारी करनेके बाद मुख्य न्यायाधीश मुकदमा चलानेके लिए उच्च न्यायालयके तीन न्यायाधीशोंको नियुक्त करेगा।

खण्ड ६ : पूर्वोक्त अदालत ऐसा मुकदमा, उक्त प्रान्तमें ऐसी किसी भी जगह चला सकती है जो उसे [अदालतको] ठीक जान पड़े। लेकिन गवर्नर जनरलकी परिषद्को यदि न्यायकी खातिर उचित जान पड़े तो नोटिस जारी करके पूर्वोक्त मुकदमेको दूसरी किसी भी जगहपर चलानेका आदेश देनेका अधिकार है।

खण्ड ९ : [सरकारी अधिकारीकी ओरसे] फरियाद होनेके बाद अभियुक्त अधिकसे अधिक दस दिनकी मोहलत माँग सकता है।

१०वें खण्डमें व्यवस्था की गई है कि जिन गवाहोंकी गवाहियाँ ली जायें, अदालत उनकी गवाहियोंके सार-मात्रको ही दर्ज करनेके लिए बँधी है।

टिप्पणी : जो वकील नहीं है वह भी इस बातको सहज ही समझ सकेगा कि इस प्रकार गवाहोंकी गवाहियोंका सार-मात्र ही दर्ज करनेसे भारी अन्याय हो सकता है। समस्त गवाहोंकी तफतीश करनेसे पहले गवाहियोंके किस भागपर कितना बल दिया जाना चाहिए, यह कोई भी न्यायाधीश निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता।

खण्ड ११ : सार्वजनिक लाभके अथवा किसी गवाहकी रक्षाके विचारसे यदि अदालतको ऐसा महसूस हो कि अदालतमें चल रहे मुकदमेकी समस्त कार्रवाईको अथवा उसके किसी भी हिस्सेको प्रकाशित करना उचित नहीं है तो, अदालत उसको प्रकाशित न करनेका आदेश दे सकती है।

खण्ड १२ : जबतक फरियादीकी ओरसे पेश की जानेवाली गवाहियाँ पूरी नहीं हो जातीं तबतक अदालत अभियुक्तसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकती। लेकिन उसके बाद, और अभियुक्त अपने बचावमें प्रमाण पेश करे उससे पहले अदालत उससे पूछेगी कि वह शपथ लेकर अपना बयान देना चाहता है अथवा नहीं, और उसे सूचित करेगी कि यदि वह इस तरह बयान देगा तो वह जिरहका पात्र होगा।

यदि अभियुक्त शपथ लेकर अपना बयान देनेको तैयार हो जाये तो अदालत अभियुक्तसे ऐसा कोई भी प्रश्न पूछ सकती है कि जिसके उत्तरसे उसपर लगाया गया आरोप सही साबित हो सके।

१४वें खण्डमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि अदालतके न्यायाधीशोंमें परस्पर मतभेद हो तो जिस निर्णयके पक्षमें अधिक मत होंगे वह निर्णय बहाल रहेगा।



खण्ड १५ : मुकदमेके दौरान [ यदि ] यह देखनेमें आये कि जो आरोप अभियुक्त पर लगाये गये हैं उन आरोपोंके अतिरिक्त उसने कोई और भी अपराध किया है, तो उसके लिए भी अदालत उसको सजा दे सकती है।

खण्ड १७ : इस अदालतका फैसला अन्तिम और निर्णयात्मक माना जायेगा तथा कोई भी उच्च-न्यायालय इस अदालत द्वारा जारी किये गये आदेश अथवा सजाके विरुद्ध फिरसे मुकदमा चलाये जानेकी याचिकाको स्वीकार नहीं कर सकता।

## भाग २

खण्ड २० : यदि गवर्नर-जनरलकी परिषद्को इस बातकी तसल्ली हो जाये कि ऐसी कोई भी हलचल, जिससे राज्यके विरुद्ध अपराध करनेमें उत्तेजना मिलनेकी सम्भावना हो, हिन्दुस्तानमें अथवा हिन्दुस्तानके किसी भी प्रदेशमें चल रही है तो वह विज्ञप्ति जारी करके इस कानूनका उल्लिखित भाग उक्त प्रदेशमें लागू कर सकती है।

खण्ड २१ : यदि स्थानीय सरकारको यह लगे कि उस प्रदेशमें कोई व्यक्ति ऊपर लिखित हलचलसे सम्बन्धित कार्य कर रहा है, तो वह उसके सम्बन्धमें निम्न-लिखित आदेश जारी कर सकती है :

- (क) आदेशमें सूचित की गई तारीखके भीतर-भीतर ऐसे व्यक्तिको जमानतके साथ अथवा जमानतके बिना अधिकसे-अधिक एक वर्षकी अवधिके लिए अपने अच्छे चाल-चलनका मुचलका लिखकर देना पड़ेगा।
- (ख) आदेशानुसार उसे अपने रहनेके स्थानकी अथवा उसमें परिवर्तनकी सूचना देनी होगी।
- (ग) आदेशानुसार उसे निर्धारित स्थानपर रहना पड़ेगा।
- (घ) स्थानीय सरकारकी रायमें जिस कामसे शान्ति भंग होती है अथवा जनताकी सुरक्षाको हानि पहुँचती है तो वह उस कामको नहीं करेगा।
- (ङ) उस व्यक्तिको आदेशमें उल्लिखित समयपर पुलिसके पास जाकर हाजिरी देनी होगी।

टिप्पणी : इस खण्डके अधीन किसी भी व्यक्तिपर केवल सन्देहके आधारपर बिना कोई जाँच किये ऊपर लिखित आशयका आदेश जारी किया जा सकता है।

खण्ड २३ : प्रत्येक अधिकारी उपर्युक्त आदेशको अमलमें लानेके लिए जो भी कदम उठानेकी आवश्यकता जान पड़े उठा सकता है।

खण्ड २४ : २१वें खण्डके अधीन जारी किया गया आदेश एक महीने तक चालू रहेगा।

खण्ड २५ : स्थानीय सरकार जब-जब उपर्युक्त आदेश जारी करेगी, तब-तब उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस कानूनकी रूसे नियुक्त होनेवाले जाँच अधिकारीके पास संक्षेपमें उपर्युक्त आदेशके सम्बन्धमें पूरी जानकारी भेजनी पड़ेगी और उसमें ऐसा आदेश दिये जानेके कारण भी बताने होंगे।

उसके बाद जाँच-अधिकारी जारी किये गये आदेशके सम्बन्धमें गुप्त जाँच करेगा और इस जाँचके दौरान जिस समय उचित जान पड़े, उस व्यक्तिको जिसके विरुद्ध आदेश



जारी किया गया होगा, बुलायेगा और अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपके सम्बन्धमें अभियुक्त यदि कुछ कहना चाहे तो वह उसे सुनेगा। लेकिन ऐसा करते हुए जाँच-अधिकारी उस व्यक्तिसे एक भी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक शान्ति अथवा किसी व्यक्तिकी सुरक्षापर आँच आती हो। और फिर, 'ऐसी जाँचके दौरान स्थानीय सरकार की ओरसे अथवा पूर्वोक्त व्यक्तिकी ओरसे, कोई वकील उपस्थित नहीं रह सकता'।<sup>१</sup>

मुकदमेके तथ्योंको ढूँढ़ निकालनेके लिए पूर्वोक्त सत्ताधिकारीको जिस रीतिसे जाँच करना अच्छा लगे वह उस रीतिसे जाँच करनेके लिए स्वतन्त्र है और 'जाँच करते समय वह गवाहियोंके सम्बन्धमें बनाये गये कानूनके खण्डोंका अमल करनेके लिए बँधा हुआ नहीं है।'<sup>२</sup>

जाँच पूरी करनेके बाद वह अपने निर्णयसे स्थानीय सरकारको अवगत करायेगा। उक्त व्यक्तिपर जितने अर्सेके लिए प्रतिबन्ध लगाया गया हो वह अवधि बीत जाये और तबतक यदि सत्ताधिकारीने अपनी जाँच पूरी न की हो तो स्थानीय सरकार अधिकारीकी सलाहपर प्रतिबन्धकी उस अवधिको बढ़ा सकती है।

खण्ड २६ : जाँच-अधिकारीकी रिपोर्टके मिलनेके बाद स्थानीय सरकार स्वयं अपने द्वारा जारी किये गये प्रतिबन्धके आदेशको रद्द कर सकती है। अथवा उसे प्राप्त अधिकारकी रूसे यदि कोई दूसरा आदेश जारी करना चाहे तो कर सकती है। इस तरहके नये आदेशमें [सरकारको] उक्त सत्ताधिकारीके निर्णयको बताना पड़ेगा और नये आदेशकी एक प्रति सम्बद्ध व्यक्तिको देनी पड़ेगी।

स्थानीय सरकार द्वारा जारी किया गया कोई आदेश एक वर्षकी अवधिसे अधिक नहीं चल सकता, लेकिन यदि जनताकी सुरक्षाके लिए आवश्यक जान पड़े तो आदेशकी अवधि बीत जानेपर वह दूसरा आदेश जारी कर सकती है।

इस तरह जारी किया गया आदेश जारी करनेकी तारीखसे एक वर्षसे ज्यादा समय तक नहीं चल सकता, लेकिन उसके पूरा होनेके बाद स्थानीय सरकार उसे फिर एक वर्षके लिए और जारी कर सकती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय सरकार इस तरह जारी किये गये आदेशको जब चाहे रद्द कर सकती है, उसमें संशोधन-परिवर्धन कर सकती है, अथवा उसके स्थानपर दूसरा आदेश जारी कर सकती है और ऐसा करने में ऊपर बताये गये सत्ताधिकारीके पास फिरसे जाँच करानेकी आवश्यकता नहीं होगी।

टिप्पणी : इसका अर्थ यह हुआ, स्थानीय सरकार स्वेच्छासे जैसा भी चाहे वैसा आदेश जारी कर सकती है और नाम-मात्रका सत्ताधिकारी भी किसी कामका नहीं है।

खण्ड २७ : ऊपर बताये गये आदेशोंका जो व्यक्ति उल्लंघन करेगा उसे अधिक-से-अधिक छः महीनेकी कैद होगी, अथवा उसे एक हजार रुपये तक जुर्माना होगा अथवा दोनों सजाएँ [एक] साथ दी जा सकेंगी।

खण्ड २९ : जाँच करनेवाले सत्ताधारी मण्डलमें तीन अधिकारियोंकी नियुक्ति होनी चाहिए। उनमें से एक जिला अथवा सेशनस जजसे कम ओहदेका व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और एक व्यक्ति गैर-सरकारी होना चाहिए।

१. उद्धरणमें दिये गये शब्द मूलमें रेखांकित हैं।

२. उद्धरणमें दिये गये शब्द मूलमें रेखांकित हैं।





खण्ड ३० : जिन व्यक्तियोंपर प्रतिबन्ध लगाया गया होगा उन व्यक्तियोंसे निर्धारित समयपर मुलाकात करनेके लिए स्थानीय सरकार मुलाकात समिति नियुक्त करेगी और उस समितिकी सत्ता आदिके सम्बन्धमें विशेष धाराएँ बनायेगी।

### भाग ३

खण्ड ३२ : यदि गवर्नर-जनरलकी परिषद्को ऐसा लगे कि हिन्दुस्तानमें अथवा उसके किसी क्षेत्रमें अमुक अपराध इस हदतक बढ़ गये हैं कि उससे सामाजिक सुरक्षा खतरेमें पड़ गई है तो वह उस क्षेत्रमें सरकारी 'गजट' में पहलेसे सूचना निकालकर इस भागको लागू कर सकती है।

खण्ड ३३ : जब स्थानीय सरकारको ऐसा प्रतीत हो कि कोई व्यक्ति, किसी क्षेत्रमें, अमुक अपराध में भाग लेता है तो उसके सम्बन्धमें वह भाग दो में उल्लिखित आदेश जारी कर सकती है और उसके अलावा (क) ऐसे किसी भी व्यक्तिको बिना वारंटके गिरफ्तार करनेका आदेश दे सकती है; (ख) ऐसे व्यक्तिको निर्दिष्ट स्थानपर, निर्दिष्ट शर्तोंके साथ तथा निर्दिष्ट प्रतिबन्धोंके अन्तर्गत रोकनेका आदेश जारी कर सकती है; (ग) यदि स्थानीय सरकारको लगे कि ऐसे व्यक्ति द्वारा अमुक स्थानका उपयोग इस तरह किया गया है, हो रहा है अथवा होनेवाला है जिससे सामाजिक सुरक्षापर आंच आती है तो वह उस जगहकी तलाशी लेनेका आदेश निकाल सकती है। उक्त मनुष्यको जहाँ भी वह देखनेमें आये वहाँ कोई पुलिस अधिकारी अथवा ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे [ गिरफ्तार करनेका ] आदेश मिला हो, गिरफ्तार कर सकता है।

किसी व्यक्तिको गिरफ्तार करनेका अथवा किसी घरकी तलाशी लेनेका आदेश ऐसा कोई भी अधिकारी अमलमें ला सकता है जिसे वह आदेश दिया गया हो, और उस आदेश को अमलमें लानेके लिए वह जो कार्रवाई उचित जान पड़े, सो कर सकता है। ऊपर लिखे अनुसार जिस व्यक्तिको गिरफ्तार किया जायेगा उस व्यक्तिको, दूसरा आदेश जारी होने तक अधिकसे-अधिक १५ दिनतक गिरफ्तार करनेवाला अधिकारी हिरासतमें रख सकता है।

किसी भी स्थानकी तलाशी लेनेके आदेशकी रूसे जाँच-अधिकारीको उसके अपने मतानुसार जो वस्तु सामाजिक सुरक्षाके लिए खतरनाक प्रतीत हो अथवा जिसके खतरनाक होनेकी सम्भावना हो उस वस्तुको वह अपने अधिकारमें ले सकता है। और उसकी व्यवस्था कर सकता है।

खण्ड ३६ : खण्ड ३३ के अन्तर्गत जारी किये गये किसी भी आदेशपर खण्ड २२ से २६ तककी व्यवस्थाएँ उसी प्रकार लागू होंगी मानो वह आदेश खण्ड २१ के अन्तर्गत जारी किया गया हो।

टिप्पणी : खण्ड २२ से २६ तककी टिप्पणी देखिए।

खण्ड ३७ : जो व्यक्ति भाग ३ के अनुसार जारी किये गये आदेशका अनादर करेगा उसको एक वर्ष तककी कैद मिलेगी अथवा उसपर जुर्माना किया जायेगा अथवा दोनों सजाएँ मिलेंगी।



भाग ४ और ५

भारत रक्षा अधिनियमके रद्द होनेपर जिन व्यक्तियोंको खण्ड ३७ की रूसे कैदमें रखा गया होगा और जो व्यक्ति स्थानीय सरकारके मतानुसार अमुक अपराधोंसे सम्बन्धित जान पड़ेंगे अथवा जो बंगालके १८१८ के 'स्टेट प्रिजनर्स रेग्युलेशन' की रूसे कैदमें होंगे, वैसे व्यक्ति ऊपर लिखित भाग ३ की व्यवस्थाओंके अनुसार कैदमें हैं, ऐसा माना जायेगा।

इस कानूनकी रूसे जो आदेश जारी किया जायेगा उसमें कोई अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती और जिस व्यक्तिने शुद्ध उद्देश्यसे इस कानूनकी रूसे कुछ भी कार्रवाई की होगी अथवा वैसा करनेका विचार किया होगा, उस व्यक्तिके विरुद्ध किसी भी प्रकारका दावा अथवा फौजदारी या कोई दूसरी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस कानूनके अनुसार प्राप्त सारी सत्ता दूसरे कानूनोंके अन्तर्गत प्राप्त सत्ताके सिवा दी गई समझी जानी चाहिए।

सन् १९१९का विधेयक संख्या १

इस विधेयकका मंशा भारतीय दंड संहिता और जाब्ता फौजदारी कानूनमें सुधार करना है। और ये सुधार राज्यके लिए खतरनाक माने जानेवाले कुछ-एक कार्योंपर अधिक प्रभावशाली ढंगसे अंकुश रखनेके उद्देश्यसे किये गये हैं। इसमें निम्नलिखित नया अपराध भी दाखिल किया है :

कोई व्यक्ति, जिसके कब्जेमें राजद्रोहात्मक कागज-पत्र होगा अथवा जिसका इरादा उस कागजको प्रकाशित करने अथवा उसका प्रचार करनेका होगा, यदि वह यह सिद्ध न कर सके कि वह दस्तावेज उसके पास किसी विधि-सम्मत कार्यके लिए था तो उसे दो वर्ष तककी कैद होगी या उसपर जुर्माना किया जायेगा या दोनों सजायें साथ मिलेंगी।

उपर्युक्त खण्डके अनुसार राजद्रोहात्मक कागज-पत्रका अर्थ है वह कागज जिसमें ऐसे वाक्य हों अथवा ऐसी ध्वनि हो जिसके द्वारा सम्राट् अथवा सम्राट् द्वारा स्थापित सत्ता अथवा उस सत्ताके अधीन काम करनेवाले नौकरों अथवा उन नौकरोंमें से किसी वर्ग या उसमें से किसी एक व्यक्तिके विरुद्ध [ लोगोंको ] बल-प्रयोग करनेके लिए उकसाया गया हो अथवा सम्राट्के विरुद्ध लड़ाई करनेके लिए भड़काया गया हो, अथवा ऐसे उद्देश्य-से शस्त्र आदि इकट्ठे करनेके लिए उत्तेजित किया गया हो।

टिप्पणी : इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी निरपराध युवककी जेबमें अज्ञान-वश कोई ऐसी पुस्तक अथवा कागजात हों जिन्हें राजद्रोहात्मक माना गया हो, तो जबतक वह यह साबित न कर सके कि उसके हाथमें ये कागजात किसी विधि-सम्मत कार्यके लिए थे तबतक वह अपराधी माना जायेगा। इस नये अपराधसे ब्रिटिश न्याय-पद्धतिका एक सिद्धान्त परिवर्तित हो जाता है, वादी अभियुक्तपर अपराध प्रमाणित करे, इसके बदले अब अभियुक्तको अपनेको निर्दोष साबित करना पड़ेगा। [ यदि ] मेरे ऊपर आरोप लगाया जाये तो मैं यह कैसे सिद्ध कर सकता हूँ कि मैंने अपराध नहीं किया ? इसका तो यही अर्थ हुआ कि मुझे जेल जाना पड़ेगा।

भारतीय दंड-संहितामें बताये गये राज्य-विरोधी अपराधोंके लिए सजा देते समय यदि अदालतको उचित लगे तो वह ऐसा हुक्म जारी कर सकती है कि प्रस्तुत व्यक्ति



उसे मिली सजाको भोगनेके बाद भी ऐसे अपराधोंके सम्बन्धमें दो वर्षकी अवधिके लिए अच्छे चालचलनका मुचलका दे। यदि किसी व्यक्तिके ऊपर, उसके रिहा होनेके बाद, इस विधेयकके अनुसार पुलिसको अपने निवास-स्थान अथवा उसमें परिवर्तनकी सूचना देनेका [प्रतिबन्ध] आदेश जारी किया गया हो तो वैसे व्यक्तिके विरुद्ध स्थानीय सरकार लिखित आदेश जारी करके निम्नलिखित किसी भी शर्तके अनुसार आचरण करनेका निर्देश दे सकती है।

- (क) उल्लिखित व्यक्तिको अमुक प्रदेशमें दाखिल होना, रहना अथवा रुकना नहीं चाहिए;
- (ख) उसे ब्रिटिश भारतके अमुक हिस्सेमें ही रहना चाहिए;
- (ग) जिससे शांति भंग होती हो अथवा जनतामें उत्तेजना फैलती हो, ऐसे किसी विषयकी चर्चा करनेके लिए अथवा इन विषयोंसे सम्बन्धित कोई भी लिखित अथवा प्रकाशित खबरको फैलानेके लिए अथवा किसी भी तरहके राज-नैतिक विषयके समर्थनके लिए आयोजित सार्वजनिक सभामें उसे भाषण नहीं करना चाहिए।

टिप्पणी : इसका अर्थ यह हुआ कि कथित अपराधके लिए पर्याप्त सजा भुगत चुकनेके बाद भी, व्यक्तिको, सरकारकी ओरसे किये जानेवाले अत्याचारसे मुक्त होनेकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

#### प्रवर समिति द्वारा किये गये परिवर्तन<sup>१</sup>

यह रिपोर्ट १ मार्चको प्रकाशित हुई। उसका जो भाग सर्वसम्मतिसे पास हुआ है, उससे होनेवाले आवश्यक परिवर्तन हम नीचे प्रस्तुत करते हैं। इस रिपोर्टपर माननीय पंडित मालवीयजी, विट्ठलभाई पटेल और खापडेंने हस्ताक्षर नहीं किये। माननीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, शास्त्री, [तथा] एम० शफीने अपना विशिष्ट मत जाहिर करनेवाली एक अलग टिप्पणी लिखी है। इसमें उन्होंने कुछ-एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाये हैं।

समितिका कहना है कि हालाँकि उसने विधेयक संख्या २ में थोड़े-बहुत परिवर्तन किये हैं; फिर भी विधेयकके मूल सिद्धान्तोंमें परिवर्तन करनेमें समितिने आगापीछा किया है। यदि ऐसे सुधार किये जा सकते हैं तो वे केवल शाही परिषद्में ही किये जा सकते हैं।

विधेयक मूलतः हमेशाके लिए था; समितिने उसे तीन वर्ष तकके लिए [सीमित करनेकी] सिफारिश की है।

मूल विधेयक चाहे किसी भी प्रकारके अनुसूचित अपराधपर लागू होता था। प्रवर समितिकी सलाह है कि वह राज्यके विरुद्ध आक्रमण करनेवाले अथवा दंगा-फसादको उत्तेजना देनेवाले अपराधोंपर ही लागू किया जाना चाहिए।

मूल विधेयकके ९वें खण्डके अन्तर्गत अभियुक्त दस दिनकी मोहलत माँग सकता है, उसके बदले अब चौदह दिन हो गये हैं।

१. इसके बादका अंश स्पष्टतया मार्च १, १९१९के बाद जोड़ा गया था।



१०वें खण्डके अनुसार गवाहियोंका सारांश न्यायाधीशको रखना था, अब न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा नियुक्त मुह्रिरको पूरी-पूरी गवाही रखनी होगी।

१२वें खण्डमें यह सुधार होगा कि यदि अभियुक्त अपना बयान न दे तो इस्त-गासेकी ओरसे नियुक्त वकील उसपर कोई टीका नहीं कर सकता।

२१वें खण्डके अनुसार कोई विशेष कारण बताये बिना सरकार [अभियुक्तसे] मुचलकेकी मांग कर सकती है। अब उसे विशेष कारण बताना पड़ेगा और अपने कार्यका औचित्य सिद्ध करना होगा।

खण्ड २३में अधिकारी चाहे जैसे साधनको प्रयोगमें ला सकता है। अब अनावश्यक बलका प्रयोग नहीं कर सकता।

खण्ड २५में बताया गया है कि अभियुक्तके विरुद्ध [जारी किये गये आदेशके सम्बन्धमें] क्या-क्या जानकारी दी जा सकती है। मूल विधेयकमें ऐसा मालूम होता था कि अभियुक्तके विरुद्ध आदेश जारी करते समय सरकारको, वह जो-कुछ भी चाहे, बतानेकी छूट है। अब ऐसा सुधार होगा जिससे सरकार उस आदेशमें सम्बन्धित बातें ही पेश कर सकेगी।

खण्ड २६ के अनुसार [सरकारको] अभियुक्तको तीन वर्षतक नजरबन्द रखनेकी सत्ता प्राप्त थी। अब दो वर्षतक [नजरबन्द रखनेका] अधिकार होगा और सत्ताधारीके पास हर बार मामला पेश करना होगा।

खण्ड ३३में अभियुक्तको साधारण कैदियोंके साथ भी रखा जा सकता है, ऐसी ध्वनि निकलती थी। अब यह स्पष्ट किया गया है कि वैसे कैदीको अलग रखा जायेगा।

खण्ड ३४ में सरकारी आदेशके बिना अभियुक्तको [हिरासतमें] रखनेकी अवधि सात दिनों तककी कर दी गई है।

खण्ड ४० में एक महीनेकी अवधिको घटाकर २१ दिनोंके लिए कर दिया गया है।

टिप्पणी : ऊपर लिखे अनुसार प्रवर समितिने जो परिवर्तन सुझाये हैं उनसे इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा कि मूल विधेयकमें कुछ सुधार किये गये हैं लेकिन इन सुधारोंके होनेके बावजूद विधेयकके [मूलभूत] सिद्धान्त वैसे ही रहेंगे। और इस विधेयकके द्वारा प्रजापर इतना अधिक अत्याचार किया जा सकता है कि माननीय श्री शास्त्रियरके कथनानुसार नई विधान-परिषदोंको प्राप्त होनेवाले वृहत्तर अधिकारोंके बावजूद उनके सदस्य कुछ भी टीका-टिप्पणी करते हुए घबरायेंगे और अपनी नाममात्रकी स्वतन्त्रताका उपभोग वे चापलूसी करके ही कर पायेंगे। और यदि यह बात विधान परिषदोंके सदस्योंके विषयमें सही हो सकती है तो असहाय और अज्ञान प्रजाका क्या हाल होगा? प्रत्येक समझदार भारतीयका यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसे भयसे प्रजाको बचाये और यह कर्त्तव्य सत्याग्रह करके ही अदा किया जा सकता है।

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, ९-३-१९१९



## १२५. स्वयंसेवकोंके लिए हिदायतें

फरवरी २६, १९१९<sup>१</sup>

सभाकी समितिने सत्याग्रहके सिलसिलेमें हस्ताक्षर लेनेवाले स्वयंसेवकोंके लिए नीचे लिखी हिदायतें जारी की हैं और उन्हें उनका पूरा-पूरा पालन करनेकी ताकीद की है।

### विशेष हिदायतें

किसी भी व्यक्तिसे सत्याग्रहकी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करानेके पहले स्वयंसेवकको चाहिए कि वह उसे सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा पढ़कर सुना दे और समझा दे। इस प्रतिज्ञाके तीन भाग हैं: पहले भागमें प्रतिज्ञाके उद्देश्य बताये गये हैं। इसमें कहा गया है कि प्रतिज्ञा करनेवाले लोग मानते हैं कि “रौलट-विधेयक अन्यायपूर्ण तथा स्वतन्त्रता और न्यायके सिद्धान्तोंके विरुद्ध हैं; उनसे व्यक्तिके बुनियादी अधिकारोंका हनन होता है।” ऐसा कहनेवाले व्यक्तिको रौलट-विधेयकका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए प्रतिज्ञा लेनेवाले व्यक्तिको उन विधेयकोंके बारेमें अच्छी तरह समझा देना स्वयंसेवकोंका कर्तव्य है।

दूसरा भाग प्रतिज्ञाका है। इसमें हस्ताक्षरकर्ता शपथपूर्वक कहता है कि वह कुछ कानूनोंकी सविनय अवज्ञा करेगा। “सविनय” का अर्थ हस्ताक्षरकर्ताको अच्छी तरह समझाया जाये; जैसे, जिन कानूनोंके पीछे नैतिकताका बल है उन्हें भंग करना सविनय अवज्ञा नहीं है। उसी प्रकार कानून भंग करते समय जिन अधिकारियोंसे हमारा वास्ता पड़े उनके साथ अशिष्ट व्यवहार करना भी सविनय अवज्ञा नहीं है। परन्तु दूसरी ओर, यदि सरकारने कोई साहित्य जब्त कर लिया हो और हम उसे शुद्ध मनसे निर्दोष समझते हों, तो उसे अपने पास रखना और लोगोंमें बाँटना सविनय अवज्ञा है। स्वयंसेवकोंको चाहिए कि भावी हस्ताक्षरकर्ताओंको ऐसे उदाहरणोंकी सहायतासे सत्याग्रहका पूरा महत्त्व समझा दें।

हस्ताक्षर करनेके इच्छुक प्रत्येक व्यक्तिको यह समझा देना भी स्वयंसेवकोंका फर्ज है कि उसे हर प्रकार कष्ट सहने और आवश्यकता हो तो अपने प्राण और धन-सम्पदा सब कुछ उत्सर्ग कर देनेको तैयार रहना चाहिए। उन्हें उसे यह भी समझा देना चाहिए कि यदि सब पीछे हट जायें तो उसे अकेले ही इस संघर्षको जारी रखनेके लिए तैयार रहना है। स्वयंसेवकको किसीसे हस्ताक्षर तभी लेने चाहिए जब उसे यह विश्वास हो जाये कि हस्ताक्षरकर्ता सभी जोखिम उठानेको तैयार है।

प्रतिज्ञाके तीसरे हिस्सेमें यह कहा गया है कि सत्याग्रहके दौरान सत्याग्रही निर्भय होकर सत्य और अहिंसाका पालन करेगा; उदाहरणार्थ वह कभी कोई गलत-बयानी नहीं करेगा और कभी किसीका जी नहीं दुखायेगा। स्वयंसेवकोंको लोगोंके मनमें आग्रहपूर्वक

१. देखिए महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५।



यह बात उतारनी चाहिए कि हस्ताक्षर करनेसे पहले सत्य और अहिंसाके पालनमें निहित दायित्वोंको भली-भाँति समझ लेना जरूरी है। उन्हें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो स्वयं उनकी समझमें न आती हो; उन्हें किसीको झूठी आशाएँ भी नहीं बँधानी चाहिए। यदि वे कोई बात समझानेमें अपने-आपको असमर्थ पायें तो या तो उन्हें खुद समितिसे पूछना चाहिए या स्वयं हस्ताक्षरकर्त्ताको ही समितिके पास जाकर बातको समझ लेनेके लिए कहना चाहिए। अहिंसामें अद्वेष तो आ ही जाता है, इसलिए अनजाने भी स्वयंसेवक किसीकी निन्दा या बदनामी हरगिज नहीं करेगा। यदि अपना काम करनेमें उनके सम्मुख पुलिस या और किसी व्यक्तिकी तरफसे रुकावट आती हो, तो उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने विरोधीको वे शिष्टतापूर्वक अपना कर्त्तव्य समझा दें; उन्हें बतायें कि वे किसी भी परिस्थितिमें उसका पालन-करनेको कृतसंकल्प हैं।

### सामान्य हिदायतें

१. हस्ताक्षर करानेके लिए निकलनेवाले हर स्वयंसेवकको समझ रखना चाहिए कि सत्याग्रहका एक भी सजग समर्थक, अपने दायित्वोंको समझे बिना हस्ताक्षर करनेवाले सौ व्यक्तियोंसे अच्छा है। इसलिए स्वयंसेवक हस्ताक्षरकर्त्ताओंकी संख्यामात्र बढ़ानेका लक्ष्य कभी न रखें।

२. स्वयंसेवकोंको सभा द्वारा प्रकाशित रौलट-विधेयकोंका सार<sup>१</sup> सावधानीसे पढ़ और समझ लेना चाहिए और जिन्होंने मूल विधेयक या उनका अनुवाद नहीं पढ़ा है, उसे ऐसे भावी हस्ताक्षरकर्त्ताओंको समझा देना चाहिए।

३. प्रतिज्ञाको समझाते समय स्वयंसेवकोंको इस बातपर उचित ढंगसे जोर देना चाहिए कि सत्याग्रहकी सच्ची परीक्षा और असली शक्ति सत्याग्रहीकी कष्ट-सहनकी क्षमतामें है। उन्हें हस्ताक्षरकर्त्ताओंको चेतावनी दे देनी चाहिए कि सत्याग्रह करनेके कारण उन्हें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा जमीन-जायदाद गँवानी पड़ सकती है; वे तभी प्रतिज्ञा पर दस्तखत करें जब इतना त्याग करनेके लिए तैयार हों, इतना करनेके बाद अगर स्वयंसेवकको विश्वास हो जाये कि जो व्यक्ति हस्ताक्षर करने जा रहा है, उसने अपने मनमें संकल्प कर लिया है, तो वह उससे हस्ताक्षर करा ले।

४. स्वयंसेवक १८ वर्षसे कम आयुके लोगों तथा विद्यार्थियोंसे हस्ताक्षर न करायें। और १८ सालसे अधिक उम्रके लोगोंसे भी वे हस्ताक्षर तभी करायें जब उन्हें पूरा विश्वास हो जाये कि उन्होंने सावधानीके साथ सोच-विचार लेनेपर हस्ताक्षर करनेका निर्णय किया है। स्वयंसेवक ऐसे किसी व्यक्तिको हस्ताक्षर करनेके लिए प्रेरित न करें, जिसकी कमाई उसके परिवारके लोगोंके भरण-पोषणका एकमात्र साधन हो।

५. हस्ताक्षर ले लेनेके बाद स्वयंसेवक स्वयं हरएक आदमीका पूरा नाम-पता और धन्धा साफ और आसानीसे पढ़ने लायक अक्षरोंमें लिख ले। जिस आदमीके हस्ताक्षर पढ़े न जा सकें, उसके हस्ताक्षरके नीचे शुद्ध, साफ अक्षरोंमें उसका

१. देखिए पिछला शीर्षक।



नाम लिख दिया जाये। जिस तारीखको हस्ताक्षर लिये जायें वह तारीख भी लिख लेनी चाहिए।

६. स्वयंसेवक खुद ही हरएक हस्ताक्षरकी तसदीक करे।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-३-१९१९

यंग इंडिया, १२-३-१९१९

## १२६. पत्र : अखबारोंको

[ फरवरी २६, १९१९ ]

रौलट-विधेयकोंके विरुद्ध किये जानेवाले सत्याग्रहकी प्रतिज्ञाका मसविदा साथमें भेज रहा हूँ। जो कदम उठाया गया है, वह हिन्दुस्तानके इतिहासमें, शायद सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह किसी जल्दबाजीमें नहीं किया गया है। खुद मैंने इसपर विचार करते हुए कई रातें जागकर बिताई हैं। मैंने इस कार्रवाईके परिणामोंपर भी अच्छी तरह विचार किया है; साथ ही सरकारकी स्थितिको समझनेका भी समुचित प्रयास किया है। परन्तु इन विचित्र विधेयकोंका मुझे कोई भी औचित्य समझमें नहीं आया। मैंने रौलट-समितिकी रिपोर्ट भी पढ़ी है; उसमें घटनाओंका जो विवरण दिया गया है, वह तो मुझे ठीक लगा। परन्तु उसे पढ़नेके बाद मैं जिन निष्कर्षों पर पहुँचा हूँ, वे समितिके निष्कर्षोंके सर्वथा प्रतिकूल हैं। इस रिपोर्टसे मैं तो यही निष्कर्ष निकालूँगा कि प्रच्छन्न हिंसात्मक कार्रवाइयाँ भारतमें छुट-पुट ही हुई हैं, और उनका आपसमें कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त उनमें हाथ भी बहुत थोड़े लोगोंका है। फिर भी, मैं यह मानता हूँ कि ऐसे थोड़े लोगोंका होना भी सचमुच समाजके लिए खतरनाक है। परन्तु समस्त भारत और भारतीय जनतापर लागू किये जानेवाले इन विधेयकोंके पास होनेसे सरकारको इतने अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जितने अधिकारोंकी, वर्तमान परिस्थितियोंका सामना करनेके लिए, कोई आवश्यकता नहीं है, और वास्तवमें यह स्थिति हिंसात्मक कार्रवाई करनेवाले उक्त थोड़ेसे लोगोंकी अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है। समितिने इतिहासके इस तथ्यकी विलकुल उपेक्षा कर दी है कि भारतीय जनता स्वभावसे ही संसारकी सबसे अधिक नम्र और सुशील जाति है।

अब हम विधेयकोंकी रचनापर विचार करें। जब ये विधेयक पेश किये गये, उसी समय वाइसरायने सिविल सर्विस तथा ब्रिटिश व्यापारिक हितोंके सम्बन्धमें कुछ आश्वासन भी दिये थे। हममें से बहुतोंको वाइसरायके इस भाषणसे बड़ी गम्भीर आशंकाएँ उत्पन्न होती हैं। मैं निस्संकोच होकर स्वीकार करता हूँ कि इन आश्वासनोंका पूरा आशय-उद्देश्य मेरी समझमें नहीं आता। अगर उसका अर्थ यह हो कि सिविल सर्विस और ब्रिटिश व्यापारिक हितोंको भारत तथा इसकी राजनैतिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओंसे अधिक महत्त्व दिया जायेगा, तो कोई भी भारतीय इस सिद्धान्तको स्वीकार नहीं कर सकता।

१. तारीखका निर्णय महादेवभाईकी डायरी, खण्ड १ के आधार पर किया गया है।



परिणाम एक ही हो सकता है — साम्राज्यके भीतर भाई-भाईके बीच घातक संघर्ष । मॉण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड रिपोर्टके अनुसार सुधार हों या न हों, इस समय हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम इस महत्वपूर्ण प्रश्नके बारेमें सही और न्यायोचित निश्चयपर पहुँचें । पैबन्द लगानेकी नीतिसे सच्चा सन्तोष नहीं मिलनेका । इस वैभवशाली सिविल-सर्विस संगठनको समझ लेना है कि वह भारत में भारतका, नाममात्रका नहीं, वास्तविक न्यासी और सेवक बनकर ही रह सकता है । और उसी तरह बड़ी-बड़ी अंग्रेजी व्यापारिक पेढियाँ भी यह बात मनमें दृढ़ कर लें कि भारतमें उसके कला-कौशल, उद्योग-धन्धेको ध्वस्त करनेके लिए नहीं, बल्कि उसकी जरूरतोंको पूरा करनेके लिए ही उनका रहना सम्भव है । इन विधेयकोंके बदले उक्त दो तरीकोंसे काम करनेमें ही समाधान है । मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि इन दो उपायोंसे राज्य-विरोधी षड्यंत्रोंका मुकाबला सफलतापूर्वक किया जा सकेगा । सर जॉर्ज लाउण्डेज़ने लोकमतका अनादर करके आगमें घी ही डाला है । उन्होंने अपना भारतीय इतिहासका ज्ञान भुला दिया है, अन्यथा उन्हें यह पता होता कि वे जिस सरकारके प्रतिनिधि हैं, उसे इसके पहले भी अपने सुनिश्चित मत बदलने पड़े हैं ।

अब यह समझना आसान हो गया होगा कि क्यों मैं इन विधेयकोंको शासन-तन्त्रमें गहरे पैठे हुए रोगका स्पष्ट लक्षण मानता हूँ । स्पष्ट है कि इसका कोई कड़ा इलाज किया जाना चाहिए । ये विधेयक जिस भावनासे और जिन परिस्थितियोंमें प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनके कारण हमारे जो उतावले और उग्रप्रकृति युवक अन्ततः अपना धैर्य खो बैठेंगे, वे इसके इलाजमें गुप्त हिंसात्मक कार्रवाईका रास्ता अस्तित्थार करेंगे । राज्यके प्रति घृणा और विद्वेषका भाव तो इन विधेयकोंसे बढ़ेगा ही । ये हिंसात्मक कार्रवाइयाँ उसीके स्पष्ट प्रमाण हैं । लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध भारतीय अपने कष्टसहनके संकल्पके द्वारा सरकारसे, जिसके प्रति उनके मनमें कोई विद्वेषभाव नहीं है, न्याय देनेका अनुरोध करते हैं । यह अनुरोध किसी प्रकार भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अपने इसी संकल्पके द्वारा वे शिकायतोंको दूर करानेके लिए हिंसाकी कार्यसाधकतामें विश्वास रखनेवाले लोगोंके सामने एक अचूक अस्त्र पेश करते हैं । यह अस्त्र इसे काममें लानेवालोंके साथ-साथ जिसके विरुद्ध यह काममें लाया जाता है, उसके लिए भी वरदान स्वरूप है । यदि प्रतिज्ञाबद्ध भारतीय इस अस्त्रका उपयोग करना ठीकसे जानते हों तो मुझे इससे किसी प्रकारके बुरे परिणामकी कोई आशंका है ही नहीं । और कोई कारण नहीं कि मैं उनकी योग्यतामें सन्देह करूँ । अलबत्ता पहले यह मालूम कर लेना ठीक है कि रोगने क्या सचमुच इतना भयंकर रूप धारण कर लिया है कि यह कड़ा इलाज करना जरूरी हो गया है; और क्या सारे नरम इलाजोंको आजमाकर देख लिया गया है । लेकिन उन्हें इस बातका पूरा विश्वास हो गया है कि रोग बड़ा गम्भीर है; और नरम इलाज कामयाब नहीं हो पाये हैं । शेष ईश्वराधीन है ।

आपका,

महादेव देसाईके अक्षरोंमें और गांधीजी द्वारा संशोधित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६४४०) की फोटो-नकल तथा बॉम्बे क्रॉनिकल, १-३-१९१९ से ।



## १२७. पत्र : 'इंडियन सोशल रिफॉर्मर' को

आश्रम

साबरमती

फरवरी २६, १९१९

सेवामें

सम्पादक

'इंडियन सोशल रिफॉर्मर'

महोदय,

मैंने आपके इस मासकी २३ तारीखके अंकमें 'पटेल विवाह-विधेयक [पटेल मैरिज बिल] पर लिखा अनुच्छेद पढ़ा है। मैंने अभीतक इस विधेयकके बारेमें किसीको कोई भेंट नहीं दी, और उन विचारोंको मेरा कहना आंशिक रूपसे ही ठीक हो सकता है। बीमार होनेके कारण मैंने इस विधेयकके सम्बन्धमें विचार नहीं किया था। किन्तु जब बहुत से लोगोंने मुझसे कहा कि मैं विधेयकके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट करूँ तब मैंने विधेयकका अध्ययन प्रारम्भ किया। जैसी कि मेरी आदत है, मैंने सर्वप्रथम विधेयकके प्रवर्तककी स्थितिको समझनेका प्रयास किया। माननीय पटेलने बताया कि विधेयकके बारेमें अपने विचार निश्चित करनेमें मुझे जल्दी करनेकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि विधेयकपर सितम्बरसे पहले विचार होनेकी सम्भावना नहीं है। उन्होंने विधेयकके अध्ययनमें मेरी सहायताके लिए श्री दफ्तरीको मेरे पास भेजा। श्री दफ्तरीने मुझे इस विषयपर एक लम्बा और विस्तृत स्मरण-पत्र दिया है। मैं अभीतक इसका अध्ययन नहीं कर सका हूँ, और इस समय मेरे सामने जो कार्यक्रम है उसे देखते हुए मैं कह

१. इंडियन सोशल रिफॉर्मरने इस अंकमें बाँम्बे क्रॉनिकलके अहमदाबाद-स्थित संवाददाताके खरीतेको उद्धृत किया था। उसमें संवाददाताने लिखा था: "उन्हें (श्री गांधीको) ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा शुद्ध समाजोंकी उपजातियोंके पारस्परिक विवाह सम्बन्धमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। उनका विचार है कि यदि राजपूतों, भाटियों, लोहानों तथा पाटीदारोंके बीच परस्पर विवाह अधिक संख्यामें होने लगे तो वर्तमान अधःपतित राजपूतोंमें नई शक्तिका संचार हो जाये। विचारकी दृष्टिसे मोठ और श्रीमाली बनिषा-समाजोंके बीच पारस्परिक विवाह होनेमें भी कोई हानि नहीं है, ये विवाह श्वका-दुक्का न होकर नियमित रूपसे होने चाहिए। परन्तु वर्तमान चार वर्णोंको किसी प्रकार भी भंग नहीं करना चाहिए। यह वांछनीय है कि चार मुख्य वर्णोंको जिनमें २२ करोड़ हिन्दू आ जाते हैं संयुक्त कर दिया जाये। इसके लिए आवश्यक है कि केन्द्रसे दूर करनेवाली जो प्रवृत्तियाँ इस समय विभिन्न उपजातियोंको मुख्य जातिसे अलग कर रही हैं, उन्हें समाप्त किया जाये। श्री गांधीने बताया कि अन्तर्जातीय विवाहके शाही परिषद्में प्रवर समितिके पास भेजे जानेपर पंडित मदनमोहन मालवीयने उपर्युक्त संशोधनकी शर्तपर सम्पूर्ण हृदयसे इसके समर्थनका वचन दिया है। अन्तमें महात्मा गांधीने ब्राह्मणों और छेड़ोंके बीच जो चौड़ी खाई है उसे स्पष्ट करते हुए प्रगतिके लिए कोई छोटा मार्ग अपनानेके विरुद्ध विवाह-प्रथामें सुधारके लिए व्याकुल सज्जनोंको चेतावनी दी।"



नहीं सकता कि इस स्मरण-पत्रका अध्ययन कब कर सकूंगा। इसके लिए पुराने कानूनी मामले देखने होंगे। मैं उक्त अध्ययनके बिना इतना ही कह सकता हूँ कि : मेरे विचारमें इस सम्बन्धमें ब्राह्मणों और ढेढ़ोंके बीच सम्बन्धका प्रश्न तो बिलकुल ही नहीं उठता। ब्राह्मणोंके साथ उनका वही सम्बन्ध है जो क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रोंका। विधेयकसे उनकी विशिष्ट अयोग्यतापर किसी प्रकार भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि विधेयक वर्णाश्रम धर्मपर आघात करनेके लिए बनाया गया है तो वर्णाश्रम धर्ममें विश्वास करनेके नाते मुझे इसका विरोध करना चाहिए। मेरे धर्मनिष्ठ मित्रोंने मुझे बताया है कि यह निश्चित रूपसे इस प्रकारका आघात करता है। विधेयकके समर्थकोंने मुझे बताया कि विधेयक वर्णाश्रम धर्ममें बिलकुल हस्तक्षेप नहीं करता; बल्कि वह तो केवल यह माँग करता है कि हिन्दू कानून जिस स्थितिमें ब्रिटिश कालके पूर्व था उसी स्थितिमें उसे प्रतिष्ठित कर दिया जाये। [ ब्रिटिश कालमें ] न्यायाधीशोंने उसकी गलत व्याख्या की है। चूँकि वे उसके बारेमें कुछ जानते नहीं थे, इसलिए पक्षपाती या भ्रष्ट पण्डितोंने उन्हें जो बताया वैसा ही उन्होंने किया। दोनों पक्षोंके पास बड़े योग्य वकील हैं। किसी भी पक्षमें निर्णय दिये बिना मैंने सुझाव दिया है कि विधेयकके प्रभावको उपजातिके पारस्परिक विवाहों तक ही सीमित रखा जाये। कमसे-कम प्रथम उपायके रूपमें अत्यधिक उत्साही सुधारकोंको इससे सन्तोष हो सकता है, और इससे माननीय पंडित मालवीय जैसे व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त हो सकेगा।

आपका,

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन सोशल रिफॉर्मर, २-३-१९१९

## १२८. पत्र : अखबारोंको

सत्याग्रह आश्रम

माघ कृष्ण एकादशी, संवत् १९७५

[ फरवरी २६, १९१९ ]

सम्पादक महोदय,

आपके पाठक-वर्गको यह तो विदित ही होगा कि सत्याग्रह आश्रमके भीतर पिछले दो वर्षोंसे राष्ट्रीय शाला चलाई जा रही है। आजकल इसमें नये विद्यार्थियोंको लेना बन्द कर दिया गया है; इसका मुख्य कारण यह है कि शालामें इस समय जो शिक्षक हैं वे राष्ट्रीय शालाके शिक्षणका स्वरूप पूरा-पूरा समझनेके लिए तैयारी करना चाहते हैं। दूसरे वे संख्यामें [ भी ] कम हैं। इस समय इस शालामें कमसे-कम पाँच नये शिक्षकोंकी आवश्यकता है। यहाँ समस्त शिक्षा गुजरातीके माध्यमसे दी जाती है। इसलिए यदि उन्हें केवल गुजरातीका ही उच्च ज्ञान हो तो भी काम चलेगा। लेकिन चूँकि ऊँची



शिक्षा तो केवल अंग्रेजी द्वारा ही दी जाती है; इसलिए जबतक गुजरातीके माध्यमसे ऊँची शिक्षा देनेवाले शिक्षक तैयार नहीं हो जाते तबतक अंग्रेजी जाननेवालोंकी जरूरत तो पड़ेगी ही। लेकिन शालामें फिलहाल जो शिक्षक हैं उन्हें अंग्रेजीका अच्छा ज्ञान है इसलिए [केवल] गुजरातीका ऊँचा ज्ञान रखनेवाले शिक्षकोंको इस शालामें लिया जा सकता है और वह ऐसे शिक्षकोंको प्रोत्साहन भी देना चाहती है।


शालाके सम्बन्धमें दो शब्द लिखे देता हूँ। उसमें तीन स्नातक [ग्रेजुएट] हैं और एक प्रवीण संगीत-शास्त्री है, तथा एक वैसा ही कुशल संस्कृत शास्त्री है। आश्रम और शाला साबरमतीके किनारे रमणीय स्थानपर हैं। वहाँ शिक्षकोंके लिए मकान बनाये गये हैं। शिक्षकोंको [जितने वेतनसे] उनका ठीक-ठीक निर्वाह हो सके उतना वेतन मिलता है। दो शिक्षक तनखाहकी जरूरत न होनेके कारण तनखाह नहीं लेते। और बाकी तीन में से सबसे ज्यादा पानेवालेको ७५ रुपये मिलते हैं। योग्य शिक्षकको [हम] अधिकसे-अधिक इतने रुपये देनेकी ही स्थितिमें हैं। मेरा विश्वास है कि इस शालामें काम करनेवाले लोग इस समय छोटे लगनेवाले परन्तु आगे जाकर अधिक बड़ा फल देनेवाले प्रयोगमें भाग लेंगे। प्रयत्नकी कमीके कारण प्रयोग निष्फल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जिन्हें अध्यापनसे प्रेम है और जो अध्यापन-कार्यके माध्यमसे आजीविका कमानेपर भी अध्यापनको मुख्य और आजीविकाको गौण मानते हैं, वैसे शिक्षक इस शालाकी मददके लिए आगे आयेंगे।

उम्मीदवारोंका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए क्योंकि उन्हें सिखानेके साथ-साथ स्वयं भी सीखना है। उन्हें खेतीका ज्ञान होना चाहिए जो भारतकी ८० प्रतिशत जनताकी आजीविकाका साधन है, और बुनाईका काम, जिससे लाखों व्यक्ति अपनी रोजी कमाते थे, भी आना ही चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा देनेवालोंको हिन्दी भाषाके ज्ञानकी भी आवश्यकता है। मेरी विनम्र राय है कि कॉलेजसे निकलनेवाला युवक-समुदाय भी अपने दीर्घकालीन आर्थिक हितोंको ध्यानमें रखते हुए राष्ट्रीय शालाके इस प्रयोगमें कूद पड़ेगा और इससे उसे कोई हानि नहीं होगी बल्कि सम्भव है, इससे उसे कुछ प्राप्ति ही हो।

मोहनदास क० गांधी

मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ६४३०) की फोटो-नकलसे।





## १२९. तार : सैयद हुसैनको

मार्च २, १९१९

प्रतिज्ञाके वर्तमान रूपपर ही हस्ताक्षर करायें। इसमें भरपूर गुंजाइश रहती है। कानूनोंकी व्याख्या करनेसे क्षेत्र सीमित हो जायेगा। इसलिए पहलेसे व्याख्या करना असम्भव। जल्दीमें वैयक्तिक निर्णयोंसे बचनेके लिए समिति नियुक्त। आन्दोलनकी प्रगति देखकर समय समयपर भंग किये जानेवाले कानून सूचित किये जाते रहेंगे। आपकी समिति या तो यहाँ की समितिका, जिसे कि केन्द्रीय समिति कह सकते हैं, अंग हो, या चाहें तो आप अपनी स्वतन्त्र समिति स्थापित कर सकते हैं। गांधी कल दिल्ली जा रहे हैं। यदि आवश्यकता हो तो कोई उनसे वहाँ मिल ले।

अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६४४१) की फोटो-नकलसे।

## १३०. पत्र : देवदास गांधीको'

[दिल्ली

मार्च ५, १९१९ या उसके आसपास]'

लड़ाई शुरू होनेके बादसे मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख सका हूँ। उसके बाद मुझे तनिक भी फुरसत नहीं रही। लड़ाईके ऊपर तुम खूब विचार कर रहे होगे और तुम्हारा मन इसमें शामिल होनेको ललचाया होगा। लेकिन यह आवश्यक है, तुम अपना हिन्दी पढ़ानेका काम चालू रखो।

मैं वाइसरायसे मिला हूँ। बातचीत बहुत ही विनयपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरणमें हुई है। मुझे ऐसा आभास हुआ कि हम दोनों एक दूसरेको समझते हैं; लेकिन एक-दूसरेको समझा नहीं सके। अंग्रेजोंका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे तर्कके वश नहीं, [परिस्थितियोंसे फलित] अनुभवके वश होते हैं। वह परिणामकी चिन्ता नहीं करता और सिरपर आई आपत्तिको झेल लेता है। जो होना होगा सो होगा, यह जानकर निश्चिन्त रहता है और मनमें जो निश्चय कर लिया है उसका पालन जहाँ तक हो सके दृढ़तापूर्वक करता चला जाता है। उसे अपने शरीर-बल और शस्त्र-बलका

१. पत्र देवदास गांधीको लिखा गया था, इस बातका अंदाजा पत्रमें उल्लिखित हिन्दी पढ़ानेकी बातसे लगाया गया है; क्योंकि १९१९ में मद्रासमें इस कामका दायित्व देवदास गांधीपर ही था।

२. सत्याग्रह फरवरी १९१९ को आरम्भ हुआ था। गांधीजी ५ मार्च १९१९ को वाइसरायसे मिले थे।



बहुत मोह होता है और इन दोनोंपर उसे गर्व [भी] होता है। वह तुरन्त ऐसे बलके अधीन हो जाता है और उसका आदर करता है। लेकिन वह आत्मिक-बलको भी पहचानता है और जाने-अनजाने अपनी इच्छाके विरुद्ध भी वह उस बलके अधीन हो जाता है। हम इसी बलको आजमा रहे हैं और यदि वह शुद्ध आत्मिक बल होगा तो हम अवश्य जीतेंगे।

गुजराती पत्र (एस० एन० ६४५८) की फोटो-नकलसे।

### १३१. भाषण : रौलट विधेयकोंके सम्बन्धमें

दिल्ली

मार्च ७, १९१९

गांधीजी कमजोरीके कारण स्वयं भाषण नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने श्री महा-देव देसाईसे अपने भाषणको पढ़ सुनानेके लिए कहा। भाषणमें उन्होंने कहा, मैं इन विधेयकोंके सम्बन्धमें कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं समझता। इन विधेयकोंपर समा-चारपत्रोंमें कटु आलोचना हो ही रही है। मैं तो रौलट बिलोंके रूपमें प्रकट होनेवाली बीमारीको दूर करनेके उपायके बारेमें कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। यह उपाय सत्या-ग्रह आन्दोलन है जो बम्बईमें पहले ही शुरू हो चुका है। अनेक प्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओंने प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये हैं। सत्याग्रह एक सरल, किन्तु अचूक उपाय है। अलबत्ता उसकी एक शर्त है : सत्याग्रह अपनानेवाले व्यक्तियोंमें योद्धाओंकी वीरतासे भिन्न एक उच्चतर कोटिकी वीरता होना जरूरी है। यह सच है कि सैनिक मरनेके लिए सदैव तैयार रहता है, परन्तु साथ ही वह शत्रुको मारनेकी इच्छा भी रखता है। सत्याग्रही संसारके सामने अपने उद्देश्यकी शुद्धता और अपनी माँगकी न्याय्यता सिद्ध करनेके लिए कष्ट झेलने, यहाँ तक कि प्राण उत्सर्ग करनेको भी, सदा तैयार रहता है। ईश्वरमें बृद्ध विश्वास ही सत्याग्रहीका शस्त्र है, और उसका जीवन और सारे कर्म उसी विश्वासपर आधारित हैं। ईश्वरके प्रति इस आस्थामें हत्या या हिंसा अथवा असत्यके लिए कोई स्थान नहीं है। केवल इसी शस्त्र द्वारा भारत इन रौलट बिलोंसे छुटकारा पा सकेगा। मैं सरकारके इस कथनसे सहमत नहीं हूँ कि अराजकतासे निपटनेके लिए ये विधेयक जरूरी हैं। मेरी निश्चित धारणा है कि इन विधेयकोंके परिणामस्वरूप अराजकतामें और वृद्धि होगी। यह निश्चित है कि जनता सरकारके कुछ कामोंको नापसन्द किये बिना नहीं रह सकती। उनको दूर करानेके लिए विरोध-सभाएँ करने और सरकारके पास प्रार्थनापत्र भेजनेका सामान्य उपाय काममें लाया गया। इससे कोई परिणाम निकलते न देख, जैसा कि बंगालके अपरिपक्व बुद्धिवाले नौजवानोंने किया, जनतान हिंसाका सहारा लिया था और यह हिंसा देशके लिए अत्यन्त घातक है। स्वयं इन



विधेयकोंकी उत्पत्ति ही हिंसासे हुई है। केवल एक ही विकल्प है : और वह है सत्याग्रह अथवा सरकारी कानूनोंकी अवज्ञा करना, और, ऐसी अवज्ञाके फलस्वरूप होनेवाले सभी कष्टोंको झेलना। सत्याग्रहके द्वारा ही भारत हिंसासे अपना पीछा छुड़ा सकेगा। धैर्य-पूर्वक कष्ट-सहनके आगे शक्तिशालीसे-शक्तिशाली सत्ता भी झुककर रहेगी। मैं आशा करता हूँ और ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि आध्यात्मिक शस्त्रकी सहायतासे भारत समस्त संसारको प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यताओंमें जो जबरदस्त अन्तर है उसे दिखा सके। मैं आप लोगोंको जल्दबाजीमें कोई काम न करनेके लिए सावधान करता हूँ। रौलट विधेयकोंका अर्थ क्या है, या सत्याग्रह-शपथ क्या है और उसके परिणामस्वरूप क्या-क्या कष्ट उठाने होंगे इसे अच्छी तरह समझे बिना किसीको भी प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

अमृतबाजार पत्रिका, १३-३-१९१९

## १३२. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

[ दिल्ली ]

मार्च ८, १९१९

मैं आज शामको इलाहाबादके लिए रवाना हो रहा हूँ; वहाँसे बम्बई जाऊँगा। यदि मैं स्वस्थ होता तो अवश्य ही उन व्यक्तियोंमें से अधिकांश लोगोंसे भेंट करता जिन्होंने रौलट बिलके खिलाफ प्रारम्भ किये गये सत्याग्रहके विरोधमें प्रकाशित ज्ञापनपर<sup>१</sup> हस्ताक्षर किये हैं। मैं कल सर जेम्स डुबाउलेसे<sup>२</sup> मुलाकातके लिए जाते समय आशा कर रहा था कि उनसे मिलनेके बाद आपके पास आऊँगा, परन्तु ६ बजे शामके बाद तक उनसे बातचीत होती रही; फिर भोजन करना था इसलिए वहाँसे मैं सीधा श्री रुद्रके घर चला गया। मैं एक बात कल आपसे कहना चाहता था; आज कह पा रहा हूँ: आप कृपया हस्ताक्षरकर्त्ताओंको बता दें कि मैं उनके समक्ष अपनी स्थिति अखबारोंके जरिये जितनी स्पष्ट की जा सकती है उससे अधिक स्पष्ट करना चाहता था; और ऊपर जो कारण मैंने बताये हैं, यदि वे न होते तो मैं मिलकर उसे स्पष्ट भी करता। मैं यह भी कहना चाहूँगा, हालाँकि यह अनावश्यक ही है कि हस्ताक्षरकर्त्ताओंमें से जिनसे मैं परिचित हूँ उनके प्रति मेरे आदरभावमें इस ज्ञापनके कारण जरा भी अन्तर नहीं पड़ा है। मैं उन सज्जनोंकी रायकी कद्र करता हूँ; यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनकी

१. यह ज्ञापन सर डी० ई० वाछा, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, श्री श्रीनिवास शास्त्री तथा अन्य नरमदलीय नेताओंके हस्ताक्षरोंसे २ मार्चको प्रकाशित किया गया था।

२. भारत सरकारके गृहसचिव।



सहमति प्राप्त न कर सका। फिर भी मुझे आशा बनी हुई है कि ज्यों-ज्यों संघर्ष जोर पकड़ता जायेगा, उन्हें उसका उज्ज्वल पहलू नजर आने लगेगा। और वे मेरे इस विचारसे सहमत होते जायेंगे कि हमारे देशके महत्वाकांक्षी और साहसी नवयुवकोंको, उनके सामने अन्य कोई बेहतर तरीका न होनेके कारण, आपत्तिजनक गतिविधियोंमें प्रवृत्त होनेसे रोकनेका एकमात्र तरीका यही है कि कोई ऊर्जस्वी आन्दोलन किया जाये—और सत्याग्रह एक ऐसा ही ऊर्जस्वी आन्दोलन है।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

एस० एन० ६४४६ की फोटो-नकलसे।

### १३३. भाषण : लखनऊमें सत्याग्रहपर

लखनऊ

मार्च ११, १९१९

श्री गांधीका भाषण सुननेके लिए सत्याग्रहके समर्थकोंकी एक सार्वजनिक सभा सुबह ८.३० बजे रिफा-ए-आम हॉलमें हुई। . . .

इसके बाद गांधीजीने, जो बहुत अधिक कमजोरीके कारण अधिक बोलनेमें असमर्थ थे, थोड़ेसे शब्दोंमें सत्याग्रहके आधारभूत सिद्धान्तोंके बारेमें बताया और श्रोताओंसे कहा कि वे 'शेम-शेम' [ शर्म-शर्म ] न चिल्लाएँ, क्योंकि ऐसा व्यवहार सत्याग्रहके विपरीत है। इसके अलावा सभी लोगोंसे यह आशा भी नहीं की जा सकती कि वे आन्दोलनका समर्थन करें या उसमें शामिल हों।

. . . [ सभाके ] अध्यक्ष सहित कुल मिलाकर ग्यारह लोगोंने प्रतिज्ञा ली . . .।

[ अंग्रेजीसे ]

लीडर, १३-३-१९१९



### १३४. तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

लखनऊसे आते हुए गाड़ीमें  
मार्च ११, १९१९

मैं अपनी यात्राओंमें जनताकी भावनाको जितना जान पाया हूँ, उसके आधारपर कह सकता हूँ कि वह बहुत तीव्र है। सार्वजनिक हितके लिए स्वार्थत्याग करनेकी आदत न होनेके कारण वे अकर्मण्य भले दिखाई दें, परन्तु यदि [रौलट] विधेयक पास करनेका प्रयत्न जारी रहा तो कटुताका प्याला लबालब भर जायेगा। यद्यपि विरोधके तरीकोंपर हममें मतभेद है, फिर भी आशा है, आप इन विधेयकोंके पास किये जानेका विरोध करके जनताकी भावना व्यक्त करेंगे।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६४५१) की फोटो-नकलसे।

### १३५. तार : वाइसरायके निजी सचिवको

द्वारा पं० मोतीलाल नेहरू  
इलाहाबाद  
मार्च ११, १९१९

मैं इस अंतिम क्षणमें फिर परमश्रेष्ठ तथा उनकी सरकारसे सादर निवेदन करता हूँ कि वे रौलट विधेयकोंको पास करनेके पहले थोड़ा रुककर विचार करें। इस कानूनके बारेमें जनताकी राय उचित हो या अनुचित, पर उसकी प्रबलताके बारेमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है। मुझे यकीन है कि सरकार वर्तमान कटुतापूर्ण स्थितिको और अधिक कटु नहीं बनाना चाहती। कुछ विलम्ब होनेसे सरकारकी कोई हानि नहीं होगी, बल्कि यदि वह लोकमतके सामने स्पष्ट रूपसे झुक गई तो कटुता मिटेगी और उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मैं कल जबलपुर मेलसे बम्बईके लिए रवाना हो रहा हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल-ए : मार्च १९१९, सं० २५०



## १३६. पत्र : जे० एल० मैफीको'

लखनऊसे आते हुए गाड़ीमें  
मार्च ११, १९१९

प्रिय श्री मैफी,

मैंने अभी-अभी जो तार आपको भेजा है उसकी प्रतिलिपि साथमें नत्थी कर रहा हूँ। एक बिलकुल ही व्यक्तिगत बातके अतिरिक्त मैं उसमें और कुछ जोड़ना नहीं चाहता। दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रहके दौरान मैंने जनरल स्मट्सको जितने भी पत्र भेजे वे सब मैं उनके निजी सचिव श्री लेनकी मारफत ही लिखा करता था। जब संघर्षने जोर पकड़ा उस समय सरकारके प्रतिनिधि जनरल स्मट्स, और विदेशी लोगोंका प्रतिनिधि मैं— इन दोनोंके बीच श्री लेन सच्चे अर्थोंमें सद्भाव पैदा करनेवाले देवदूतकी तरह काम करते रहे। उनके सरल स्वभाव और सौजन्यके बिना कदाचित् संघर्षका जो सन्तोषजनक परिणाम निकला वह न निकल पाता। क्या मैं आपसे भी वैसे ही सहयोगकी आशा कर सकता हूँ? इसका कारण यह है कि जिस प्रकार दक्षिण आफ्रिकामें [ मैं श्री लेनको कष्ट दिया करता था ] उसी प्रकार यहाँ भारतमें भी यदि दुर्भाग्यसे संघर्ष लम्बे अर्से तक चला तो मुझे आपको प्रायः कष्ट देना पड़ेगा। और मैं सरकार तथा उन लोगोंको, जिनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, परस्पर निकट लानेका कोई भी अवसर हाथसे न जाने दूंगा।

मैं इस १३ ता० को बम्बईमें होऊँगा। मेरा स्थायी पता साबरमती तो है ही, परन्तु फिलहाल यदि मुझे लेबर्नम (रोड), चौपाटी, बंबई, के पतेसे पत्र भेजे जायें तो एक दिन पहले मिल जायेंगे।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि श्री शास्त्रियरसे मेरी बहुत देर तक बातचीत हुई है। पर इस मामलेमें उनके और मेरे बीच आदर्शोंका भेद है और मुझे हम दोनोंके बीच मतैक्यकी कोई गुंजाइश नहीं मिली।

आशा करता हूँ कि अबतक लॉर्ड चैम्सफोर्डका ज्वर चला गया होगा और उसके सभी प्रभावोंसे वे मुक्त हो चुके होंगे।

इस प्रकारका व्यक्तिगत पत्र मुझे अपने हाथसे ही लिखना चाहिए था, परन्तु अपनी हालकी बीमारीके कारण मैं कई दृष्टियोंसे अशक्त बन गया हूँ। जब मैं लिखता हूँ तब मेरा हाथ कांपने लगता है और बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए मुझे अत्यन्त निजी पत्र-व्यवहारके लिए भी पत्र बोलकर लिखवाने पड़ रहे हैं।<sup>१</sup>

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६४४९) की फोटो-नकलसे।

१. नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडियामें संग्रहीत इस पत्रमें “इलाहाबाद, १२ मार्च, १९१९” लिखा है।

२. पत्रका अन्तिम अनुच्छेद गांधीजीके हाथका लिखा हुआ है।



## १३७. भाषण : सत्याग्रहपर<sup>१</sup>

इलाहाबाद

मार्च ११, १९१९

मुझे खेद है कि मैं आपके सामने स्वयं बोल सकनेमें असमर्थ हूँ। इस सभाके दूसरे छोर तक मेरी आवाजका पहुँचना नितान्त असम्भव है। इसलिए मुझे इसीसे सन्तोष कर लेना होगा कि मैंने जो कुछ पंक्तियाँ लिख ली हैं मेरी ओर से वे आपको सुनाई जायेंगी।

जो व्यक्ति सत्याग्रहकी शपथ लेना चाहता है, उचित है कि वह शपथ लेनेके पूर्व उसपर सांगोपांग सोच-विचार ले। सत्याग्रहके सिद्धान्तोंको समझनेके लिए रौलट विधेयकोंकी मुख्य-मुख्य बातोंको समझना और यह तसल्ली कर लेना भी जरूरी है कि ये विधेयक वास्तवमें इतने आपत्तिजनक हैं कि उनके विरुद्ध सत्याग्रह-जैसी अत्यन्त प्रबल शक्तिका उपयोग किया जाना उचित है। साथ ही यह पक्का विश्वास होना भी आवश्यक है कि अन्तर्मनको मुक्त करने तथा किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थाके प्रति पूर्ण निर्भयता प्राप्त करनेके लिए हर प्रकारका शारीरिक कष्ट सहन करनेकी क्षमता मुझमें आ गई है। उसमें एकबार शामिल हो जानेपर पीछे मुड़ना हो ही नहीं सकता। अतएव, सत्याग्रहमें पराजयकी कल्पना ही नहीं है। सत्याग्रही मरते दम तक संघर्ष करता रहता है। इसलिए हरएक आदमी इसमें आसानीसे शामिल नहीं हो सकता।

इसलिए सत्याग्रहीको उचित है कि अपने साथ शरीक न होनेवालोंके प्रति सहन-शीलतासे काम ले। सत्याग्रह-सभाओंके कार्य-विवरणोंको पढ़नेपर मैंने प्रायः देखा है कि हमारे इस आन्दोलनमें सम्मिलित न होनेवालोंका उपहास किया जाता है। यह हरकत सत्याग्रह-शपथकी मूल भावनाके बिलकुल विपरीत बैठती है। सत्याग्रहमें हम आत्म-बलिदान, अर्थात् प्रेमके द्वारा अपने विरोधियोंको जीतनेकी आशा रखते हैं। जिस कार्य-प्रणालीके द्वारा हम अपने ध्येय तक पहुँचनेकी उम्मीद करते हैं वह यह है कि हम अपना बरताव इस प्रकारका रखें कि धीरे-धीरे तथा अव्यक्त रूपसे विरोधीका सब विरोध जाता रहे। दो परस्पर विरोधी व्यक्ति या दल स्वभावतः एक-दूसरेसे दुष्ट व्यवहार और यदि उभय पक्ष समान बलशाली हों तो हिंसाकी अपेक्षा करते हैं। परन्तु जब सत्याग्रहका अवलम्ब लिया जाता है, तब उस पक्षके मनमें, जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है, वह अपेक्षा एक सुखद आश्चर्यके रूपमें परिवर्तित हो जाती है। अन्तमें उसका मन पसीजता है और वह अपना कदम वापस ले लेता है, जिसके कारण सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया था। मैं आप लोगोंको विश्वास दिलाता

१. इलाहाबादकी एक सार्वजनिक सभामें यह भाषण अंग्रेजीमें सभाके अध्यक्ष श्री सैयद हुसैन द्वारा तथा हिन्दीमें गांधीजीके निजी सचिव महादेव देसाई द्वारा पढ़कर सुनाया गया था।



हूँ कि यदि हम दिन-प्रतिदिन अपनी शपथका पालन करते रहेंगे तो हमारे आसपासका वातावरण शुद्ध हो जायेगा। और जिन लोगोंका हमसे शुद्ध उद्देश्यके कारण मतभेद है—मेरा यह पक्का ख्याल है कि ऐसा ही है—वे यह समझने लग जायेंगे कि उनकी आशंका निर्मूल थी। हिंसा-मार्गके समर्थक कहीं भी हों, उनकी समझमें यह आने लगेगा कि सुधारोंको प्राप्त करनेके लिए गुप्त अथवा प्रकट हिंसाकी अपेक्षा सत्याग्रह कहीं अधिक समर्थ साधन है। उनको यह भी भासित हो जायेगा कि सत्याग्रहमें उनकी अपार कार्य-शक्तिका उपयोग करनेके लिए काफी काम मौजूद है। यदि हमारे कामोंकी बदौलत हिंसा-नीति प्रत्यक्ष रूपसे कम हो जायेगी—भले ही वह पूरी तौरपर समाप्त न हो—तो सरकारके पास अपनी कार्रवाइयोंके पक्षमें कहनेको कुछ भी शेष न रहेगा। इसलिए, मैं आशा करता हूँ कि सत्याग्रह-सभाओंमें हम 'शर्म शर्म' के नारे नहीं लगायेंगे और सरकारके खिलाफ अथवा अपने उन देशवासियोंके विरुद्ध जो हमसे मतभेद रखते हैं और जिनमें से कुछ लोग देशके काममें यथाशक्ति योग देते आये हैं ऐसे शब्दोंका प्रयोग नहीं करेंगे जिनसे हमारी असहिष्णुता या अधीरता प्रकट हो।

[ अंग्रेजीसे ]

लीडर, १३-३-१९१९

### १३८. सत्याग्रह सभाकी नियमावली<sup>१</sup>

सत्याग्रह सभाकी नियमावलीका मसविदा नीचे दिया जा रहा है।

#### अध्याय १ : परिचयात्मक

१. इस संघका नाम सत्याग्रह सभा होगा।
२. इसका प्रधान कार्यालय बम्बईमें होगा।
३. इस सभाका उद्देश्य उन विधेयकोंका, जिनको जनता रौलट कानूनों (१९१९ के अधिनियम १ और २) के नामसे जानती है, विरोध तबतक करते रहना है जबतक वे हटा न दिये जायें। कार्य-प्रणाली यह होगी—  
(क) प्रतिज्ञापत्र,<sup>२</sup> जो यहाँ अनुसूची "अ" के रूपमें संलग्न है, की शर्तोंके अनुसार सत्याग्रह किया जाये, और साथ ही अन्य ऐसे सभी वैध साधनोंका सहारा लिया जाये जो सत्याग्रहके प्रतिकूल नहीं बैठते।
४. सभाका कार्य सभाके सदस्यों तथा अन्य लोगों द्वारा स्वेच्छासे दिये गये चंदेसे चलाया जायेगा।
५. नियम ६ के अन्तर्गत कही गई शर्तको पूरा करनेवाला कोई भी व्यक्ति सभाका सदस्य बन सकता है।

१. कदाचित् यह मसविदा गांधीजीने तैयार किया था।

२. देखिए "सत्याग्रह प्रतिज्ञा", २४-२-१९१९।



अध्याय २ : विधान

६. ऐसा कोई भी व्यक्ति सभाका सदस्य बन सकता है जिसने सत्याग्रहके प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर कर दिये हैं, (संलग्न अनुसूची "अ") जिसकी उम्र १८ साल हो चुकी है, जो किसी स्कूल या कॉलेजका विद्यार्थी नहीं है और जिसकी शिनाख्त सभाके एक ऐसे सदस्य द्वारा करा ली गई है, जिसको कार्यकारिणी समितिने इस कामके लिए अधिकृत किया है।
७. सभाका एक अध्यक्ष, अधिकसे-अधिक तीन उपाध्यक्ष, तीन अवैतनिक मन्त्री तथा दो अवैतनिक कोषाध्यक्ष होंगे। इन सबकी नियुक्ति चुनाव द्वारा होगी।
८. सभाका अध्यक्ष कार्यकारिणी समितिका पदेन सभापति होगा। कार्यकारिणी समिति अपना उपसभापति स्वयं नियुक्त करेगी।
९. कार्यकारिणी समितिमें ५० से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इनमें सभापति तथा उपसभापति, जिनकी संख्या तीनसे अधिक नहीं होगी, भी शामिल होंगे। सभाके पदाधिकारी कार्यकारिणी समितिके पदेन सदस्य होंगे।
१०. सभाके अवैतनिक मन्त्री कार्यकारिणी समितिके पदेन मन्त्री होंगे।

अध्याय ३ : कार्यकारिणी समितिके अधिकार और कर्तव्य

११. सभाकी सब पुस्तकें, फाइलें, रजिस्टर इत्यादि इस समितिके अधिकारमें रहेंगे। सभाका सब धन भी उसके अधिकारमें होगा।
१२. इस समितिको समय-समयपर इस बातपर विचार तथा निर्णय करनेका अधिकार होगा कि प्रतिज्ञापत्र (अनुसूची "अ") को कार्यान्वित करनेके लिए कौन-कौनसे कदम उठाने चाहिए।<sup>१</sup>
१३. कार्यकारिणी समितिको सभाके उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए जो भी काम आवश्यक हो वह करनेका अधिकार होगा।
१४. समितिको पूरे बम्बई प्रान्तमें सभाकी शाखाएँ खोलने तथा उन्हें मान्यता देनेका अधिकार होगा। वह भारतके अन्य भागोंमें स्थापित सत्याग्रह समितियों और सत्याग्रह संघोंके साथ जिनके उद्देश्य इस समितिके उद्देश्योंसे मिलते-जुलते हों, सहयोग कर सकती है।
१५. समितिकी बैठकें सप्ताहमें कमसे-कम एक बार अवश्य हुआ करेंगी, किन्तु यदि अवैतनिक मन्त्री आवश्यक बैठकके रूपमें बुलायें तो ज्यादा बैठकें भी हो सकती हैं। अगर समितिके तीन या तीनसे अधिक सदस्य माँग पेश करें और विशेष बैठक बुलानेका मतलब सूचित करें तो भी समितिकी खास बैठक बुलाई जा सकती है।

१. डॉम्बे क्रॉनिकल, २८-३-१९१९ में इतना और लिखा हुआ है: "और प्रतिज्ञापत्रमें जिस समितिका उल्लेख है, वह समिति यही होगी।"

२. २८-३-१९१९ के डॉम्बे क्रॉनिकलमें इस स्थलपर यह लिखा है: "कमसे-कम तीन दिनका सूचनापर" उसमें अनुच्छेद १५ की टिप्पणीका शेषांश छोड़ दिया गया है।



१६. कार्यकारिणी समिति अपने कुल सदस्योंके दो-तिहाई बहुमतसे किसी भी सदस्य या सदस्योंको, कारण बताये बिना, सभाकी सदस्यतासे च्युत कर सकती है।
१७. कार्यकारिणी समितिकी कार्रवाईके लिए बैठकमें कमसे-कम ८ सदस्यों और साधारण सभाकी कार्रवाईके लिए कमसे-कम २५ सदस्योंकी उपस्थिति अनिवार्य होगी।
१८. उपर्युक्त नियमोंमें ऐसे परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन किये जा सकते हैं जिन्हें कार्यकारिणी समिति समय-समयपर करना ठीक समझेगी और जिन्हें सभा स्वीकार कर लेगी।
१९. सभाके सदस्योंकी साधारण बैठक माहमें कमसे-कम एक बार अवश्य हुआ करेगी। बैठक कार्यकारिणी समितिके सुझावपर अथवा और मन्त्रियोंके नाम प्रेषित कमसे-कम दस सदस्योंकी लिखित माँगपर कभी भी बुलाई जा सकती है, बशर्ते कि सूचना कमसे-कम तीन दिन पूर्व सदस्योंको भेज दी जाये।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १२-३-१९१९

बॉम्बे क्रॉनिकल, २८-३-१९१९

## १३९. पत्र : सर जेम्स डुबाउलेको

मार्च १२, १९१९

अली भाइयोंके बारेमें मैं आपसे केवल दो शब्द कहना चाहता हूँ। आपसे मुलाकात<sup>१</sup> करनेके पश्चात् मैं लखनऊके मौलाना अब्दुल बारी साहबसे मिल आया हूँ। अली भाई उनके शिष्य हैं। मैं यह जतलाना अपना फर्ज समझता हूँ कि सरकारका अली भाइयोंको और अधिक समय तक जेलमें डाले रखना अन्याय-पर-अन्याय करना माना जायेगा। मैं शासनकलासे अनभिज्ञ हूँ। परन्तु समस्त संसारमें उसका जो-कुछ रूप देखा है, उससे मेरे मनमें उसके प्रति कोई अच्छा खयाल पैदा नहीं हुआ है। परन्तु यह बहुत अनोखी-सी बात जान पड़ती है कि सरकार उस तथ्यकी ओरसे अपनी आँख मूंद रही है जो बाकी सब लोगोंको साफ नजर आ रहा है अर्थात् सरकारने दमन रूपी राखके नीचे जो आग ढक रखी है वह निरन्तर जोर पकड़ती जा रही है। क्या योग्यता, ईमानदारी और धर्म-सम्बन्धी दृढ़ विचार रखनेवालोंको कारागारमें डाले रखनेवाली सरकार अच्छी सरकार कही जा सकती है? कितना अच्छा होता कि मैं आपसे मनवा सकता कि अली भाइयोंको रिहा कर देना बहुत जरूरी है, और फिर आप सरकारको यही बात समझा सकते।

१. यह मुलाकात मार्च ७, १९१९ को दिल्लीमें हुई थी। देखिए "पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको", ८-३-१९१९।



मैं आज बम्बईके लिए रवाना हो रहा हूँ । मेरा स्थायी पता साबरमती, अहमदाबाद है, परन्तु अभी कुछ दिनोंके लिए मेरा पता लेबर्नम रोड, गामदेवी, बम्बई रहेगा ।

[ अंग्रेजीसे ]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल-ए : जुलाई १९१९, संख्या १ व के० डब्ल्यू० ।

### १४०. तार : एच० एस० एल० पोलकको

बम्बई

मार्च १२, १९१९

हेनरी पोलक

[ लन्दन ]

एल० सी० ओ० कॅलोफ', स्ट्रैंड, लन्दन

रौलट विधेयक पास हो रहे हैं। नब्बे प्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओंने उन कानूनों की सविनय अवज्ञा करनेकी घोषणा की है जिन्हें उनकी समिति चुनेगी। कदम खूब सोच-विचारके बाद लिया गया है। वाइसरायको सूचना भेज दी गई है। सिविल सर्विस और ब्रिटिश व्यापारके बारेमें वाइसरायके आश्वासन चिन्ताजनक हैं। ये बातें स्पष्ट रूपसे बतलाई जानी चाहिए। आशा है ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें आप सचेष्ट हैं।

गांधी

मूल अंग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० १११७) से

सौजन्य : एच० एस० एल० पोलक



## १४१. भाषण : रौलट विधेयकोंपर,

बम्बई

मार्च १४, १९१९

१४ मार्च, १९१९को रौलट विधेयकोंके विरोधमें बम्बईमें एक सार्वजनिक सभा हुई। गांधीजीका भाषण गुजरातीमें लिखा हुआ था, उसे उनके सचिवने पढ़कर सुनाया। भाषण निम्नलिखित है :

मुझे दुःख है कि अस्वस्थ होनेके कारण मैं स्वयं भाषण देनेमें असमर्थ हूँ और मुझे अपने विचार दूसरेसे पढ़वानेके लिए विवश होना पड़ा है। आप लोगोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज इस सभामें संन्यासी श्रद्धानन्दजी पधारे हुए हैं। वे हमारे बीच गुरुकुलके प्रशासक महात्मा मुंशीरामके नामसे अधिक परिचित हैं। हमारी सेनामें उनका सम्मिलित होना हमारे लिए प्रेरणाका स्रोत बन गया है। कदाचित् आपमें से बहुत-से सज्जन वाइसरायकी परिषद्की कार्रवाइयोंको बड़ी दिलचस्पीसे पढ़ रहे होंगे; विधेयक संख्या २ सरकारी बहुमतकी बदौलत सभी गैर-सरकारी सदस्योंके घोर-विरोधके बावजूद भी धुँआधार गतिसे पास किया जा रहा है। मैं इसे गैर-सरकारी सदस्योंका, और उनके साथ समस्त भारतका अपमान समझता हूँ। विधिवत् व्यक्त किये गये लोकमतके प्रति आदर-भाव सुनिश्चित करानेके लिए भी इन शरारतपूर्ण विधेयकोंको खत्म कराना आवश्यक हो गया है। जैसा कि मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, सत्याग्रहमें पराजय-जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, किन्तु मेरे कथनका यह अर्थ न लगा लेना चाहिए कि सत्याग्रहियोंको संघर्ष किये बिना ही, अर्थात् कष्ट झेले बिना ही, विजय प्राप्त हो सकती है। सत्याग्रहियोंके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस अद्वितीय शक्तिका प्रयोग अपेक्षाकृत एक नई बात है। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध एक ही चीज नहीं हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध वह शस्त्र माना गया है जिसे बहुत दृढसंकल्प व्यक्ति ही कुशलतापूर्वक चला सकते हैं। विश्वास कीजिए कि इस प्रान्तमें रहनेवाले ६०० पुरुषों और स्त्रियोंने प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर कर दिये हैं। अगर अपने उद्देश्यके प्रति उनकी श्रद्धा अटल है और वे दृढसंकल्प हैं तो हमारे लक्ष्यकी सिद्धिके लिए यह संख्या पर्याप्त है। यह भी सच मानिए कि सत्यमें असत्यपर विजयी होनेकी क्षमता होती है। सत्याग्रहियोंका विश्वास है कि ये विधेयक असत्यके ही स्वरूप हैं। मैं यहाँ असत्यको उसके व्यापकसे-व्यापक अर्थमें लेता हूँ। जैसा कि सर विलियम विन्सेंट पहले कह भी चुके हैं, हमसे यह प्रायः कहा जायेगा कि सरकार निष्क्रिय प्रतिरोधकी धमकीके आगे झुकने-वाली नहीं है। सत्याग्रह कोई धमकी नहीं है, वह तो यथार्थ है। अगर हम लोग अपनी प्रतिज्ञापर दृढ बने रहे तो भारत-सरकार जैसी शक्तिशाली सरकारको भी घुटने टेकने पड़ेंगे। यह शपथ कोई छोटी चीज नहीं है। इस शपथको लेनेका मतलब हृदय-परिवर्तन है। राजनीतिमें धार्मिकताका समावेश करनेका वह एक प्रयास है। हम अब 'जैसेको



तैसा' वाले सिद्धान्तको भुला दें, हमें अब घृणाका जवाब घृणासे और हिंसाका हिंसासे नहीं देना है। और न बदीका जवाब बदीसे देना है। किन्तु इतना ही काफी नहीं है। हमें तो अब बदीका बदला नेकीसे देनेका सतत प्रयत्न करना है। मेरा इन भावोंको व्यक्त करना कोई महत्त्व नहीं रखता। प्रत्येक सत्याग्रहीको उसे अपने आचरणमें उतारना है। यह काम कठिन अवश्य है, परन्तु ईश्वरकी कृपा हो तो असंभव कोई चीज नहीं है। (जोरकी तालियाँ)

[ अंग्रेजीसे ]

महात्मा गांधी : हिज लाइफ़, राइटिंग्ज़ एंड स्पीचेज़

## १४२. पत्र : मगनलाल गांधीको

लेबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

फाल्गुन सुदी १५ [ मार्च १६, १९१९ ]

चि० मगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला है। अभी तुम मेरी ओरसे लम्बे पत्रकी आशा बिलकुल मत रखो। सन्तोक अब वहाँ आ जायेगी और तुम्हारा बोझ कुछ हलका हो जायेगा। और चूँकि वह राजकोटसे सफल होकर आयेगी इसलिए उल्लास भी कुछ ज्यादा रहेगा। महात्मा मुंशीरामजी १९ तारीखको रातकी गाड़ीसे सूरतसे रवाना होकर [दूसरे दिन] सवेरे अहमदाबाद पहुँचेंगे। यह ट्रेन वहाँ सवेरे छः बजे पहुँचती है। वे आश्रममें ही ठहरेंगे। २० और २१ तारीख तक रहेंगे। ये दो दिन, तुम अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसे वे जानते हों, उनकी सेवामें रहना। वे जहाँ जायें वहाँ साथ जाना। अहमदाबादमें जहाँ हाथकरघेका अच्छा काम होता है वहाँ उन्हें ले जाना। आश्रमकी सब प्रवृत्तियोंसे तो तुम उन्हें परिचित कराओगे ही। यह आवश्यक है कि शिक्षकोंके साथ उनकी अलगसे बैठक हो और वे सब-कुछ समझें। इनके ऊपर प्रेमकी वर्षा करना। २० तारीखकी साँझको मजदूरोंका वार्षिक उत्सव है, वे उसमें जायेंगे। २१ वीं तारीखको वे सार्वजनिक सभामें भाषण करेंगे। और उसी दिन शामको अजमेर अथवा सूरतकी ओर रवाना हो जायेंगे। मोटरका बन्दोबस्त अनसूयाबेन करेंगी। लेकिन यदि भूल जायें तो तुम ही कर लेना। अहमदाबादसे आश्रममें मोटरमें ले जाना। इन्हें आश्रमके कपड़ेके कुछ नमूने भी उपहारस्वरूप भेंट करना। जब जायेंगे... तुम्हारे ऊपर...

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७७३) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

१. पत्रका बाकी भाग उपलब्ध नहीं है।



## १४३. भाषण : मद्रासमें सत्याग्रहपर<sup>१</sup>

मार्च १८, १९१९

मैं कुर्सीपर बैठे-बैठे ही आपसे दो शब्द कहना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरा हृदय कुछ कमजोर हो गया है, इसलिए डॉक्टरोंकी हिदायत है कि मैं विशेष शारीरिक श्रम न करूँ। मजबूरन मुझे अपनी बातें आपको एक सहायकके जरिये पढ़कर सुनानी पड़ेंगी। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर देना चाहता हूँ। वह यह कि आप प्रतिज्ञा-पर हस्ताक्षर करनेसे पहले खूब सोच-विचार लीजिए। लेकिन जब एक बार उसपर हस्ताक्षर कर दें तो आपको ध्यान रखना होगा कि वह टूटने न पाये। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको भी और मुझे भी इस प्रतिज्ञाका निर्वाह करनेकी शक्ति दे।

[ फिर महादेवभाईने प्रस्तावना-स्वरूप दो शब्द कहनेके बाद गांधीजीका निम्न-लिखित भाषण पढ़कर सुनाया : ]

मुझे खेद है कि दिलकी कमजोरीके कारण मैं स्वयं आपके सामने बोलनेमें असमर्थ हूँ। यों आप बहुत-सी सभाओंमें शामिल हुए होंगे, लेकिन जिन सभाओंमें जानेका अवसर आजकल मिल रहा है, वे कुछ अलग ढंगकी हैं। इन सभाओंमें आपसे शीघ्र ही कोई ठोस और सुनिश्चित बलिदान करनेकी माँग की जाती है ताकि हमपर रौलट विधेयकोंके रूपमें जो भयंकर विपदा आन पड़ी है, उसे दूर किया जा सके। इनमें से विधेयक संख्या १ में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं और उसपर आगे विचार करना मुलतवी कर दिया गया है। किन्तु, इन परिवर्तनोंके बावजूद वह विधेयक इतना शरारत-भरा है कि उसका विरोध करना ही होगा। दूसरा विधेयक परिषद्में इसी समय अन्तिम रूपसे, शायद पास हो गया है — “शायद” इसलिए कि जब-कभी गैर-सरकारी सदस्योंने एक स्वरसे कड़े शब्दोंमें इसका विरोध किया हो तब यह कहना कठिन है कि उस पवित्र सदनने विधेयक पास कर दिया है। इन विधेयकोंके विरोधकी आवश्यकता सिर्फ इसीलिए नहीं है कि ये बहुत बुरे हैं। ये इस कारण भी विरोधके पात्र हैं कि जिस सरकारने इन्हें पेश किया है उसने निःसंकोच जनमतकी लगभग उपेक्षा की है। और उसके कुछ कर्त्ता-धर्ता तो इस प्रकार जनमतकी उपेक्षा करनेमें गर्वका अनुभव करते हैं। यहाँतक तो देशकी सभी विचारधाराओंके बीच मतैक्य है। किन्तु, मैंने बहुत शुद्ध मनसे विचार करने और सरकारके दृष्टिकोणको ध्यानपूर्वक जाँचने-परखनेके बाद इस विधेयकके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी प्रतिज्ञा की है और जो भाई और बहन मेरी तरह सोचते हों, मेरी तरह अनुभव करते हों उन सभीको ऐसी ही प्रतिज्ञा लेनेको आमन्त्रित किया है। हमारे कुछ देशभाइयोंने इस सम्बन्धमें लोगोंको आगाह किया है और यहाँतक कह डाला है कि सत्याग्रह आन्दोलन देशके हितोंके विरुद्ध है। इन लोगोंमें हमारे कुछ बड़े-बड़े नेता भी शामिल हैं। उनके और उनके विचारोंके प्रति मेरी असीम श्रद्धा है। इनमें से

१. सभा ‘ट्रिप्लिकेन बीच’ पर हुई थी और अध्यक्षता एस० कस्तूरी रंगा आयंगरने की थी।



कुछके निर्देशनमें मैंने काम भी किया है। जब सर दिनशा वाछा और बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इस देशके मान्य नेताओंकी पंक्तिमें स्थान पा चुके थे, उस समय मैं बिलबुल बच्चा था। श्री शास्त्रियर एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने देशके हित अपना सब-कुछ अर्पित कर दिया है। उनकी ईमानदारी, उनकी सचाई तो बस उनकी ही है। देश-प्रेममें वे किसीसे कम नहीं हैं। मैं उनके साथ एक पुनीत और अक्षर-बन्धनसे बँधा हुआ हूँ। मेरा जीवन कुछ ऐसा बीता है कि मैं इन दो घोषणापत्रोंके<sup>१</sup> हस्ताक्षरकर्त्ताओंके प्रति सहज ही आकर्षणका अनुभव करता हूँ। इसलिए इनकी इच्छाओंके विरुद्ध खड़ा होते हुए मुझे बड़े दुःखका अनुभव हुआ है और घोर हृदय-मन्थनके बाद ही मैं ऐसा कर पाया हूँ। किन्तु, जीवनमें कभी-कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जब हमें उस आवाजके निर्देशका पालन करना पड़ता है जो सबसे ऊपर है। वह आवाज है अन्तरात्माकी आवाज, और इसके निर्देशोंके पालनमें यदि हमें दुःखके आँसू बहाने पड़ें — नहीं, इतना ही क्यों, यदि बन्धु-बान्धवों, जन्म-भूमि और जिन्हें हमने प्राणोंके समान प्यारा समझा है, उन सबका विछोह सहना पड़े, तब भी उनका पालन करना ही होता है। क्योंकि इन निर्देशोंका पालन हमारा जीवन-धर्म है। मुझे अपने इस आचरणका औचित्य सिद्ध करनेके लिए इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। घोषणापत्रके हस्ताक्षरकर्त्ताओंके प्रति मेरी श्रद्धा अक्षुण्ण है, और सत्याग्रहकी सक्षमतामें मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मुझे लगता है, यदि प्रतिज्ञा लेनेवाले लोग अडिग रहे तो हम संघर्षके अन्तमें उन्हें दिखा देंगे कि चिन्ता अथवा आशंकाका कोई कारण ही नहीं था। मुझे मालूम है कि घोषणापत्रोंपर कुछ सत्याग्रहियोंके मनमें भी किंचित् क्षोभ है। किन्तु मैं उन्हें बता दूँ कि ऐसी कोई बात सत्याग्रहकी भावनाके विरुद्ध है। वैसे मैं व्यक्तिशः किसी भी सदाशयतापूर्ण मतभेदका स्वागत करता हूँ, और विशेषकर तब जब कि वह किसी मित्रके द्वारा प्रकट किया गया हो; क्योंकि इस प्रकार हमें सावधानी बरतनेकी प्रेरणा मिलती है। हमारे सार्वजनिक जीवनमें आरोप-प्रत्यारोप, व्यंग-आक्षेपका बड़ा जबरदस्त बोलबाला है, और यदि सत्याग्रह आन्दोलन इन बुराइयोंको दूर करनेमें सहायक सिद्ध होता है — जैसा कि इसे होना भी चाहिए — तो यह इसका एक और वांछनीय परिणाम होगा। मैं सत्याग्रहियोंको इतना और बता देना चाहता हूँ कि उक्त दोनों घोषणापत्रोंके प्रति किसी प्रकारकी क्षोभकी भावना हमारी दुर्बलताकी निशानी होगी। हर आन्दोलनको अपनी अन्तर्भूत शक्तियोंपर निर्भर रहना चाहिए, न कि अपने आलोचकोंकी दुर्बलता तथा मौनपर। यह बात सबसे अधिक सत्याग्रहपर ही लागू होती है।

अतः, अब हम विचार करें कि सत्याग्रहकी शक्तिका रहस्य क्या है। जैसा कि नामसे ही स्पष्ट है, सत्यपर आग्रह रखना सत्याग्रह है और व्यावहारिक रूपमें इसका अर्थ होता है प्यार। और प्यारका नियम यह नहीं सिखाता कि हम घृणाका जवाब घृणासे दें और हिंसाका जवाब हिंसा से। उसकी सीख तो यह है कि बुराईका जवाब अच्छाईसे

१. ये घोषणापत्र सर डी० ई० वाछा, सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, माननीय वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री तथा अन्य नरमदलीय नेताओंकी ओरसे २ मार्चको एवं मद्रास प्रान्तके नरमदलकी ओरमें १८ मार्चको जारी किये गये थे।



दिया जाये। जैसा कि आपको कल सरोजिनी देवीने बताया, सच्ची धर्मनिष्ठा और तदनुसृत आचरणमें इसकी शक्तिका रहस्य छिपा हुआ है, और जब एक बार आप राजनीतिमें धर्मके तत्त्वोंका समावेश कर देंगे तो आपका पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण ही बदल जायेगा। फिर आप जो भी सुधार लाना चाहेंगे वह उसके विरोधियोंको कष्ट देकर नहीं बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर लायेंगे। इस प्रकार हम इस आन्दोलनमें घोर कष्ट-सहनके द्वारा सरकारके इन आपत्तिजनक विधेयकोंको वापस न लेनेके संकल्पको परिवर्तित करवानेकी आशा करते हैं, लेकिन कुछ लोगोंका कहना है कि सरकार इन मुट्ठीभर सत्याग्रहियोंको अछूता छोड़ देगी और उन्हें शहादतका मौका ही नहीं देगी। मेरी नम्र सम्मतिमें, यह तर्क तो बहुत कमजोर है। यहाँ एक बातकी निराधार कल्पना कर ली गई है। यदि सत्याग्रहियोंको अछूता छोड़ दिया जाता है तब तो यही माना जायेगा कि वे पूरी तरह विजयी हो गये, क्योंकि उनके अछूते छोड़ दिये जानेका मतलब यह होगा कि वे रौलट विधेयकों तथा देशके अन्य कानूनोंकी भी उपेक्षा करनेमें सफल हो गये हैं, और इस प्रकार यह भी दिखा दिया है कि किसी भी सरकारके प्रति सविनय अवज्ञासे कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। फिर, मैं उक्त कथनको निराधार कल्पना इसलिए मानता हूँ कि इसमें आन्दोलनके मुट्ठी-भर स्त्रियों और पुरुषों तक सीमित रह जानेकी बात कही गई है। सत्याग्रहका मुझे जो-कुछ अनुभव है, उसके आधारपर मेरी मान्यता तो यह है कि इसमें कुछ ऐसी प्रबल शक्ति है कि एक बार प्रारम्भ कर दिये जानेपर यह निरन्तर फैलता ही चला जाता है, और अन्ततः जिस समाजमें इसका प्रयोग किया जाता है उसमें इसका प्रभाव सर्वोपरि हो जाता है; और यदि यह इस प्रकार फैल गया तब तो कोई भी सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। फिर उसे या तो इसके सामने झुकना है, या इस आन्दोलनके कार्यकर्त्ताओंको जेलोंमें बन्द करना है। लेकिन मैं बहस नहीं करना चाहता। कहावत है कि हाथ कंगनको आरसी क्या। अब चाहे यह अच्छा हो या बुरा, आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया है। हमारी कीमत हमारी कथनीसे नहीं, करनीसे आँकी जायेगी। इसलिए, हमारा प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर कर देना ही काफी नहीं है। यह तो केवल इस बातकी पूर्वसूचना है कि हम उसके अनुसार आचरण करनेको कृतसंकल्प हैं। और यदि प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनेवाले सभी लोग तदनुसार आचरण भी करेंगे तो मैं आपको यह वचन देनेका साहस करता हूँ कि हम विधेयकोंको वापस करवा कर रहेंगे और फिर हमारे विरुद्ध न सरकार एक शब्द कह सकेगी और न हमारे आलोचकगण। उद्देश्य महान् है, और हमने जो उपाय अपनाया है, वह भी महान् है। आइए, अब हम अपने-आपको उनके उपयुक्त सिद्ध करें।

[ अंग्रेजीसे ]

महात्मा गांधी : हिज़ लाइफ़, राइटिंग्ज़ ऐंड स्पीचेज़,



## १४४. भाषण : मद्रास मजदूर-संघमें<sup>१</sup>

मार्च १९, १९१९

मुझे आजकी शाम आप लोगोंसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपसे तमिलमें बात करना पसन्द करता, परन्तु दुर्भाग्यसे अबतक तमिल सीखनेके मेरे सारे प्रयत्न असफल रहे हैं। इसलिए यदि मैं आपके सम्मुख आपकी मातृभाषामें नहीं बोल पाया हूँ तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अपने सामनेके चेहरोंमें से अनेक मुझे उन चेहरोंसे मिलते-जुलते जान पड़ते हैं जिन्हें मैं दक्षिण आफ्रिकामें देखा करता था। मैंने वहाँ तमिल-भाइयोंके साथ काम किया है, उनके साथ रहा हूँ और उनके साथ खाया-पिया है। आप लोगोंका साथ मेरे मनको उन दिनोंकी याद दिलाता है जो मैंने उनके साथ बिताये हैं।

आप जानते हैं कि बिना श्रमके धनसे कुछ नहीं बन सकता और न बिना धनके श्रमसे कुछ हो सकता है। आपके मालिक आपके श्रमसे धन अर्जित करते हैं; उसका कुछ अंश आप लोगोंमें बाँट दिया जाता है। इस प्रकार आपको भी लाभ होता है। लाभकी इस स्थितिकी प्राप्तिके साथ कुछ जिम्मेदारियाँ जुड़ी हैं, और उनमें से कुछ मैं आपको बताऊँगा।

प्रथम और सबसे मुख्य बात यह है कि आपको सच्चा होना चाहिए, क्योंकि बिना सचाईका मनुष्य एक खोटे सिक्केकी तरह निकम्मा होता है। आपकी वह सचाई निखरे, इसके लिए आपको शिक्षित होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि श्री वाडियाने मेहरबानी करके आप लोगोंके लिए एक पुस्तकालय और एक वाचनालय खोल दिया है, और मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि आप उनसे कहें तो वे आपके लिए शिक्षकोंका प्रबन्ध भी कर सकते हैं। शिक्षा किसी भी उम्रमें ली जा सकती है और यदि आप उचित शिक्षा लेंगे और अध्ययन करने योग्य पुस्तकोंका अध्ययन करेंगे तो आपकी उन्नति होगी। तब आप अपने अधिकारों और कर्तव्योंको अधिक अच्छी तरह समझेंगे। आप चाहें तो अपना समय और धन शराब पीने तथा जुआ खेलनेमें बरबाद कर सकते हैं और चाहें तो उनका सदुपयोग अपनेको तथा अपने बच्चोंको शिक्षित करनेमें कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आज जो थोड़ेसे शब्द आपसे कहे हैं आप उन्हें याद रखेंगे और मैंने जैसा कहा है उसके अनुसार आचरण करनेकी कोशिश करेंगे। आप लोगोंसे मुझे यहाँ मिलनेका अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरी कामना है, भगवान् आपको और आपके परिजनोंको सुखी रखे और आप भारतके अच्छे नागरिक बनें।

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६४६२) की फोटो-नकलसे।

१. इस भाषणका तमिल अनुवाद दण्डपाणि पिल्लैने किया था। अध्यक्ष-पदपर वी० पी० वाडिया थे।



## १४५. भाषण : मद्रासमें सत्याग्रहपर<sup>१</sup>

मार्च २०, १९१९

आज इस अपराह्नमें मैं उन आपत्तियोंमें से कुछ-एकपर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो सत्याग्रहके विरुद्ध उठाई गई हैं। सर विलियम विन्सेंटने विधेयक सं० २ पर बहस करते हुए कहा कि यह खेदका विषय है कि मेरे जैसे व्यक्तियोंने यह आन्दोलन आरम्भ किया है। इसके बाद बहसका समापन करते हुए उन्होंने यह भी कहा :

... हम केवल यह आशा करनेके सिवा और क्या कर सकते हैं कि इस सत्याग्रहपर अमल नहीं किया जायेगा। श्री गांधी कदाचित् कार्य करते हुए बड़ा आत्म-संयम बरत सकते हैं परन्तु आन्दोलनमें उग्र स्वभावके युवक भी होंगे। सम्भव है वे हिंसा कर बैठें। और फिर उसका विनाशकारी परिणाम निकले। कुछ भी हो, इस धमकीके सामने झुकनेका अर्थ सपरिषद् गवर्नर जनरलकी सत्ताको समाप्त कर देना ही है।

यदि सर विलियमकी हिंसा-सम्बन्धी आशंका सच निकले तो निःसन्देह वह एक विनाशकारी बात होगी। प्रत्येक सत्याग्रहीको इस खतरेसे बचना है। मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं है क्योंकि हमारा धर्म हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम हर तरहकी हिंसाको त्याग दें और अपने शस्त्रागारमें केवल सत्य और अहिंसाके ही शस्त्र रखें एवं उन्हींका उपयोग करें। निःसन्देह सत्याग्रह आन्दोलन अन्य बातोंके साथ-साथ उन लोगोंको भी हमारे साथ आने और कष्टोंके निवारणार्थ ईमानदारीसे हमारे तरीकोंका अनुसरण करनेका आमन्त्रण है, जो हिंसाकी क्षमतामें विश्वास करते हैं। मैंने अन्यत्र यह बताया है कि रौलट बिलोंका उद्देश्य क्या है। मुझे पक्का विश्वास है कि वे इस उद्देश्यको पूरा करनेमें असफल होंगे। किन्तु सत्याग्रहमें बिलकुल उसी उद्देश्यको पूरा करनेकी पूरी क्षमता है। हमें आशा है कि हम हिंसाकारी दलके सामने सत्याग्रहकी अचूक शक्तिका प्रदर्शन करके और उसे अपनी अटूट शक्तिके उपयोगका काफी मौका देकर उसको भी धीरे-धीरे हिंसाके आत्मघाती तरीकोंसे विरत कर सकेंगे। हम बिलकुल स्पष्ट तौरपर कह रहे हैं कि सुधारके लिए हिंसा कदापि आवश्यक नहीं है, और इसके साथ ही हम उसे अमल करके दिखा भी रहे हैं, फिर भला इससे अधिक प्रभावकारी बात

१. यह सभा 'ट्रिप्लिकेन बीच' पर हुई थी और इसकी अध्यक्षता सी० विजयराघवाचारीने की थी। गांधीजीका भाषण उनकी अस्वस्थताके कारण महादेव देसाईने पढ़ा था।

अध्यक्ष द्वारा रखा हुआ निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास हुआ था :

“यह देखते हुए कि भारतमें रौलट विधेयकोंका सर्वसम्मति विरोध किया गया है और एक भी गैर-सरकारी सदस्यने इन बिलोंपर सरकारके साथ मत नहीं दिया, यह आम सभा परमश्रेष्ठ वाइसरायसे अपील करती है कि वे इस अधिनियमपर अपनी स्वीकृति न देकर उसे गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ऐक्टके खण्ड ६८ के अधीन महामहिम सम्राट्की मंजूरी या नामंजूरीके लिये रोक लें।”



और क्या हो सकती है? सर विलियम कहते हैं कि इस आन्दोलनसे अहितकी बहुत सम्भावना है। कहा जाता है कि माननीय पंडित मदनमोहन मालवीयने तत्काल इसका यह उत्तर दिया था कि "हितकी भी है।" मैं इस उत्तरमें इतना सुधार करना चाहूँगा, "केवल हितकी ही।" यह राजनीतिमें क्रान्ति करने और नैतिक शक्तिको उसकी पूर्व प्रतिष्ठा देनेका प्रस्ताव है। आखिर सरकार तो शरीर-बलके पूर्ण त्यागमें विश्वास नहीं करती। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति विलसनने शान्ति-सम्मेलनमें राष्ट्रसंघके संविधानको प्रस्तुत करते हुए जो भाषण दिया था, उसमें पश्चिमका, जिसका भारत सरकार प्रतिनिधित्व करती है, सन्देश संक्षेपमें इस प्रकार दिया है :

इस कार्यक्रममें, सैन्य-बल पृष्ठभूमिमें है; परन्तु वह पृष्ठभूमिमें है अवश्य और यदि संसारका नीतिबल पर्याप्त न ठहरा तो सैन्य-बल पर्याप्त होगा।

आशा है, हम इस परिपाटीको उलट देंगे और अपने कामसे यह दिखला देंगे कि नीतिबलके मुकाबलेमें शरीरबल कुछ भी नहीं है और नीतिबल कभी असफल नहीं होता। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आधुनिक सभ्यता तथा प्राचीन सभ्यतामें, और मेरा दावा है कि अपने इन गये-गुजरे दिनोंमें भी भारत उसका जीवन्त प्रतिनिधि है, यही मौलिक अन्तर है। लगता है हम, उसके पढ़े-लिखे सपूत नीतिबलकी श्रेष्ठतामें विश्वास खो बैठे हैं। लेकिन ब्रिटिश-साम्राज्यको यह हमारी एक अमूल्य देन हो सकती है और इसके बलपर हम जो सुधार चाहते हैं और जिनके शायद हम हकदार हैं, उन्हें अवश्य ले सकेंगे। जब इस तरहके विचारोंमें मेरी श्रद्धा है तब मेरे लिए सर विलियमकी, सपरिषद् गवर्नर जनरलकी सत्ताके पूर्णतः समाप्त होनेकी दूसरी आशंकाका उत्तर देना कठिन नहीं है। निःसन्देह इस आन्दोलनकी योजना ऐसी है कि उससे सरकारके सम्मुख कारगर तरीकेसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि उसकी सत्ता अन्तिम रूपसे जनताकी इच्छा-पर निर्भर है, न कि शस्त्रबल पर; विशेषतः तब जब यह इच्छा सत्याग्रहके रूपमें व्यक्त की जाती हो और फिर शुद्ध नीतिबलके सामने झुकनेसे झुकनेवालेका सम्मान और गौरव बढ़ता ही है।

हमने इस प्रकारके इस आन्दोलनमें शामिल होनेके लिए इस महान् देशके प्रत्येक नर-नारीको आमन्त्रण दिया है; परन्तु जिस आन्दोलनका उद्देश्य दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करना हो और जिसकी सफलता इसमें शामिल होनेवाले लोगोंकी पवित्रतापर और आत्मकष्ट-सहनकी शक्तिपर निर्भर हो, लोग अपना हृदय टटोलकर और नम्रतापूर्वक आत्म-परीक्षण कर लेनेके बाद ही सम्मिलित हो सकते हैं। मैं सत्याग्रह-सम्बन्धी सभाओं में यह चेतावनी देता रहा हूँ कि हरएक व्यक्तिको इसमें आनेसे पहले हजार बार सोचना चाहिए। परन्तु एक बार इसमें आ जानेके बाद उसे इसपर दृढ़ ही रहना चाहिए, फिर चाहे उसे इसका कुछ भी मूल्य क्यों न देना पड़े और यह चेतावनी जितनी बार दी जाये कम है। एक मित्रने कल मेरे पास आकर कहा कि आपने कुछ सत्याग्रही मित्रोंकी सभामें इस आन्दोलनका जो अर्थ स्पष्ट किया है, वह उन्हें मालूम नहीं था; अतः अब वे उससे हटना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा कि यदि उन्होंने प्रतिज्ञापत्रपर प्रतिज्ञाके परिणामोंको पूरी तरह समझे बिना दस्तखत किये हैं तो वे अवश्य हट सकते हैं और मैं प्रत्येक



ऐसे व्यक्तिसे, जिसने प्रतिज्ञाका वह अर्थ नहीं समझा है जो मैंने विभिन्न सभाओंमें बताया है, यही कहना चाहता हूँ कि वह इसी व्यक्तिका अनुकरण करे। सत्याग्रहियों की संख्यापर हमारा उतना जोर नहीं है जितना उनकी उत्कृष्टतापर है। अतएव सत्याग्रहीमें क्या गुण होने चाहिए मैं यह स्पष्ट कर रहा हूँ। हर कीमतपर और हर हालतमें उसे सत्यका पालन करना चाहिए। उसे निरन्तर अपने विरोधियोंको प्यार करनेका प्रयत्न करना चाहिए। उसे हर प्रकारके कष्ट सहनेके लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वे कष्ट उसपर सरकारने — जिसका वह फिलहाल शिष्टतासे विरोध कर रहा है — डाले हों, और चाहे उन लोगोंने जो उससे मतभेद रखते हैं। इस प्रकार यह आन्दोलन आत्म-शुद्धि और प्रायश्चित्तकी एक प्रक्रिया है। विश्वास कीजिए कि यदि हम सही भावनासे इस प्रक्रियामें से गुजरते हैं तो वे सब आशंकाएँ जो सरकार और हमारे कुछ मित्रोंने व्यक्त की हैं, निराधार साबित होंगी और हम देखेंगे रौलट विधेयक तो वापस ले ही लिये जायेंगे, साथ ही देश सत्याग्रहको जायज शिकायतोंको दूर कराने और सुधार उपलब्ध करनेका एक शक्तिपूर्ण और धर्म-संगत अस्त्र मान लेगा।

[ अंग्रेजीसे ]

न्यू इंडिया, २१-३-१९१९

## १४६. भाषण : मद्रासमें ट्रामवे कर्मचारियोंकी सभामें

मार्च २१, १९१९

आज सुबह ८ बजे लगभग १५० हड़ताली सेंट जॉर्ज्स कैथिड्रल रोडपर मकान संख्या २में महात्मा गांधीसे मिलने और उनकी सलाह लेनेके लिए जमा हुए। श्री गांधी अंग्रेजीमें बोले और श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उनके भाषणका तमिल अनुवाद करके सुनाते गये।

सबसे पहले श्री गांधीने एक हड़तालीसे पूछा, क्या आप अबतक हड़तालसे तंग नहीं आ गये हैं? आप इसे कबतक जारी रख सकते हैं? उसने जवाब दिया, मैं हड़तालसे तंग नहीं आया हूँ और मैं उसे दस या पन्द्रह दिन और जारी रख सकता हूँ। गांधीजीने उससे फिर पूछा यदि हड़ताल इससे अधिक समय तक चलती रही तो आप क्या करेंगे? उसने उत्तर दिया, मैं उसके बाद १० दिन और भी इसी प्रकार निकालना चाहूँगा।

इसके बाद श्री गांधीने कहा :

मैंने आपकी हड़तालके बारेमें कुछ बातें सुनी हैं। आपकी माँगें क्या हैं यह मैं मोटे तौरपर जानता हूँ। परन्तु मैं अभी पूरे मामलेमें गहराईसे नहीं पैठा हूँ। मैं कम्पनीका पक्ष भी पूरी तरह नहीं जानता हूँ। अतएव मैं कह नहीं सकता कि आपकी माँगें हर तरह उचित हैं अथवा नहीं। परन्तु आपकी माँगोंको उचित मानते हुए, पूरा विश्वास किये लेता हूँ कि आपका हड़तालकी घोषणा करना नितान्त न्यायसंगत है। जब कभी



कर्मचारियोंका एक समुदाय अपनी जायज शिकायतें अपने मालिकोंके सामने ले जाता है और मालिक उसकी सुनवाई नहीं करते तो उसके सम्मुख एकमात्र निर्दोष हथियार हड़ताल ही रह जाता है। इसलिए एक अच्छी और सफल हड़तालके लिए पहली जरूरी चीज यह होनी चाहिए कि उसका उद्देश्य अच्छा और न्यायसंगत हो। दूसरी बात यह है कि हड़तालियोंको कभी हिंसाका आश्रय नहीं लेना चाहिए। कहनेका मतलब यह है कि आप अपने मालिकोंको नुकसान न पहुँचायें और न उनको नुकसान पहुँचायें जो हड़तालमें आपके साथ न हों। आपको चाहे जितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ें, फिर भी हमेशा सत्यपर दृढ़ रहना चाहिए। और हड़ताल करते समय आपको चाहे जैसी कठिनाइयों, यहाँ तक कि अन्न और वस्त्रके अभाव तकके लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी हड़ताल इसी तरह चला रहे हैं। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप सबमें पूर्ण सहयोग है और एक भी कर्मचारी इस समय कामपर नहीं जा रहा है। मुझे इसकी भी खुशी है कि आप बहुत ही अनुशासनपूर्ण ढंग बरत रहे हैं। चूँकि आप इतना आगे बढ़ गये हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी हड़ताल माँगें पूरी होने तक जारी रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप एक सावधानी यह बरतें कि अपनी माँगोंको लिख डालें और आपमें से हरेक जाने कि आपकी माँगें क्या हैं। साथ ही जब समझौतेका समय आये, आप अपनी माँगें न बढ़ायें। यदि समय-समयपर अपनी माँगें बढ़ायेंगे या बदलेंगे तो वह अनुचित होगा। यदि उन लोगोंके द्वारा, जिनपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, पंच फैसलेका सुझाव दिया जाये, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप उस पंच फैसलेके लिए राजी हो जायें; क्योंकि पंच आपसे, कम्पनीसे और संसारसे यह कह सकेंगे कि आपकी माँगें उचित हैं अथवा नहीं। यह मानते हुए कि आपकी माँगें उचित हैं और आप उन शर्तोंको पूरा कर रहे हैं जो मैंने रखी हैं, मैं अन्तमें यह प्रश्न पूछना ठीक समझता हूँ कि यदि हड़ताल लम्बी हो जाये तो आप क्या करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप सब लोगोंके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अनिश्चित अवधि तक हड़ताल चलनेपर अपना गुजारा करते रह सकें। आप मजदूर हैं, और हट्टे-कट्टे आदमी हैं; इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अपने गुजारेके लिए जनताकी सहायतापर निर्भर न रहें। जिसके हाथ-पैरोंमें शक्ति है उस मनुष्यका अपने गुजारेके लिए जनताकी सहायतापर निर्भर रहना अप्रतिष्ठाकी बात है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप गुजारेके लिए कोई अस्थायी काम ढूँढ़ लें। इस धरतीपर किसी भी मनुष्यके लिए ईमानदारीका कोई भी काम हेय नहीं है। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं चाहे जितने दिनों तक धरती खोदनेका काम हाथमें ले लेता। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको अहमदाबादकी हालकी हड़तालका<sup>१</sup> इतिहास सुनाऊँ। वहाँ मजदूरोंने अपनी हड़ताल २३ दिन तक जारी रखी। आप किसी मित्रसे पूछ लें कि वह हड़ताल क्या थी। परन्तु उस हड़तालके बारेमें मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ४० रुपये प्रति माह कमाते थे उन्होंने फावड़े चलाने और डलियोंमें मिट्टी भरकर सिरपर उठाकर एक जगहसे दूसरी जगह ले



जानेमें बुराई नहीं मानी। इस प्रकार वे चार आने रोजमें अपना गुजारा कर सके। परिणाम यह हुआ कि जो १०,००० मजदूर उसमें लगे थे, पूरी तरह कामयाब रहे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी माँगें उचित हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप उस तरीकेसे व्यवहार करेंगे जिसकी मैंने आप लोगोंको राय दी है। उस दशामें, आप भरोसा कर सकते हैं कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप इतनी दूरसे मुझसे मिलने आये, मैं आप लोगोंको इस बातके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान् आपका कल्याण करे।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २१-३-१९१९

### १४७. पत्र : अखबारोंको'

मद्रास

मार्च २३, १९१९

जैसा कि मैंने बहुत-सी सभाओंमें समझानेका यत्न किया है, सत्याग्रह तत्त्वतः एक धार्मिक आन्दोलन है। वह शुद्धि और तपकी प्रक्रिया है। उसके उद्देश्य स्वयं कष्ट सहकर दुःखोंका निवारण और सुधार करवाना है। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि १९१९ की विधेयक संख्या २ पर वाइसरायकी स्वीकृतिके प्रकाशनके बाद दूसरा रविवार (छः अप्रैल) मानभंग-दिवस और प्रार्थना-दिवसके रूपमें मनाया जाये। चूँकि इस अवसरके अनुरूप कोई प्रभावकारी सार्वजनिक प्रदर्शन होना आवश्यक है, इसलिए मैं नीचे लिखी सलाह देता हूँ :

(१) पहली रातके खानेके बाद चौबीस घंटे तक सभी वयस्क लोगोंको उपवास करना चाहिए, बशर्ते कि इसमें स्वास्थ्य या धर्मके कारण कोई बाधा न हो। इस उपवास को किसी भी तरह भूख-हड़ताल न माना जाये और न इसका उद्देश्य सरकारपर किसी भी प्रकारका दबाव डालना समझा जाये। सत्याग्रहियोंके लिए तो इसे, उनकी प्रतिज्ञामें जिस सविनय अवज्ञाकी अपेक्षा की गई है, उसके अनुरूप एक आवश्यक मानसिक एवं नैतिक शिक्षण मानना चाहिए; शेष सबके लिए इसे उनकी आहत भावनाकी गहराईका एक छोटा-सा प्रतीक मानना चाहिए।

(२) उस दिन सार्वजनिक हितके लिए जरूरी कामोंके सिवा बाकी सब काम बन्द रखे जायें। बाजार और रोजगार-धन्धेके दूसरे संस्थान भी बन्द रखे जायें, जिन मजदूरोंको रविवारको भी काम करना पड़ता हो, वे पहलेसे छुट्टी लेकर काम बन्द कर सकते हैं।

मुझे सरकारी नौकरोंसे भी उपर्युक्त दो सुझावोंका पालन करनेका अनुरोध करनेमें कोई संकोच नहीं है। क्योंकि यद्यपि निःसन्देह उनके लिए सही चीज यही है कि वे

१. सत्याग्रह आन्दोलनके सम्बन्धमें लिखा गया यह पत्र एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया द्वारा प्रचारित किया गया था, और २५-३-१९१९ की अमृतबाजार पत्रिकामें भी प्रकाशित हुआ था।



राजनैतिक सभाओं और चर्चाओंमें भाग न लें, फिर भी मेरी रायमें उन्हें महत्त्वपूर्ण मामलोंमें, जैसा मैंने सुझाया है वैसे मर्यादित ढंगसे, अपनी भावना प्रकट करनेका पूरा अधिकार है।

(३) उस दिन भारतके सभी भागोंमें, देहातोंमें भी, सार्वजनिक सभाएँ करके उनमें इन कानूनोंको रद्द करनेकी प्रार्थना करते हुए प्रस्ताव पास किये जायें।

अगर मेरी सलाह मानने योग्य समझी जाये, तो इस सम्बन्धमें व्यवस्था करनेका मुख्य दायित्व विभिन्न सत्याग्रही संगठनोंपर रहेगा। लेकिन साथ ही मैं उम्मीद रखता हूँ कि अन्य सार्वजनिक संगठन भी इस प्रदर्शनको सफल बनानेमें सहायता देंगे।

मो० क० गांधी

हिन्दू, २४-३-१९१९; तथा हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६४६९) की फोटो-नकलसे।

### १४८. पत्र : एनी बेसेंटको

२, कैथिड्रल स्ट्रीट

[ मद्रास ]

मार्च २३, १९१९

प्रिय श्रीमती बेसेंट,

कलके 'न्यू इंडिया' में . . . द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र प्रकाशित हुआ है। संवाददाताने सत्याग्रहियोंकी एक निजी बैठककी कार्रवाईके बारेमें कुछ खबर दी है। भविष्यमें आपके मार्गदर्शनके लिए क्या मैं यह कह सकता हूँ कि सभा या उसकी समिति की कार्रवाईको तबतक गुप्त माना जाये जबतक उसके प्रकाशनकी अनुमति अधिकृत रूपसे न दी जाये। मुझे विश्वास है कि आप समितिकी इच्छाका खयाल रखेंगी।<sup>१</sup>

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६४६४) की फोटो-नकलसे।

१. मसविदेमें नाम नहीं दिया गया है।

२. श्रीमती बेसेंटने इसका उत्तर यह दिया था: "निश्चय ही; मुझे उक्त पत्र आपके ही एक आदमीसे प्राप्त हुआ और मैंने उसे एक साधारण समाचार मानकर प्रकाशित कर दिया था।"



## १४९. पत्र : सर एस० सुब्रह्मण्यम् अय्यरको<sup>१</sup>

मार्च २३, १९१९

आपके स्पष्ट पत्रके<sup>२</sup> लिए मैं आपका अतिशय आभारी हूँ। मैं अवश्य आपकी इच्छाओंके अनुसार काम करूँगा। मुझे गलतफहमी नहीं हो सकती और मुझे विश्वास है कि जो मित्र इस काममें मेरे साथ हैं उन्हें भी गलतफहमी नहीं होगी।

क्या आप कृपया श्रीमती बेसेंटको यह बतायेंगे कि यह आन्दोलन किसी दल-विशेषका आन्दोलन नहीं है। और जो लोग किसी दल-विशेषके सदस्य हैं, वे आन्दोलन में शरीक होते ही उस दल-विशेषके सदस्य नहीं रह जाते। श्रीमती बेसेंट देखेंगी कि आन्दोलनकी प्रगतिके साथ सत्याग्रही अपनी स्वभावगत कटुता और कर्तव्यके प्रति उपेक्षा को भी मिटानेकी कोशिश करेंगे। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि हम उनसे चाहे जितना मतभेद रखें, फिर भी उनकी भारतके प्रति की गई गौरवास्पद सेवाओंके लिए कोई भी भारतीय उनका आभार अनुभव किये बिना नहीं रह सकता।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ६४६६) की फोटो-नकलसे।

## १५०. महादेव देसाईके लिए हुए नोट

[ मद्रास

मार्च २३, १९१९ ]<sup>३</sup>

आगेके कामपर चर्चा करनेके लिए आपसमें मिले।

बम्बईने क्या किया है : समिति। महत्त्वपूर्ण साहित्यका प्रकाशन। बाजारोंका बन्द किया जाना।

पहले राजनैतिक कानून-भंगको ले लें।

१. निर्दोष, निषिद्ध साहित्यका मुद्रण और प्रकाशन।

१. मद्रास उच्च न्यायालयके अवकाशप्राप्त न्यायाधीश; ऑल इंडिया होमरूल लीगके अवैतनिक अध्यक्ष और एक पुराने कांग्रेसी; उन्होंने १९१७ में श्रीमती बेसेंट और उनके साथी कार्यकर्ताओंकी गिरफ्तारीके विरोधमें 'नाइट' की उपाधि त्याग दी थी और राष्ट्रपति विल्सनको एक पत्र लिखा था। उसी वर्ष उन्होंने एक प्रतिज्ञापत्रका मसविदा तैयार किया था और उसपर हस्ताक्षर किये थे। उसमें उन्होंने दमनकारी कानूनोंके विरुद्ध सत्याग्रह करनेपर जोर दिया था; देखिए बी० पट्टाभी सीतारामैया कृत कांग्रेसका इतिहास (अंग्रेजी संस्करण), खण्ड १, पृष्ठ १३३।

२. इसमें उन्होंने सत्याग्रह सभाका उपाध्यक्ष बननेका सुझाव अस्वीकार किया था।

३. ये नोट सुब्रह्मण्यम् अय्यरको लिखे गये उपर्युक्त पत्रके पीछेकी तरफ लिखे मिले हैं।



२. बिना लाइसेंसका एक लिखित समाचारपत्र ।

मैंने सोच-विचारकर ही बम्बई समितिसे यह कहा है कि वह जनताके सामने इससे कुछ और अधिक रखे। फिलहाल मैं इसे बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं समझता कि घटनाएँ क्या मोड़ लेती हैं, यह जाने बिना अभी से पूरा कार्यक्रम जनताके सामने रख दिया जाये। मेरे कार्यक्रममें अन्य कानून भी हैं जैसे कि एल० आर० कानून, नमक कानून और राजस्व कानून। सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रत्येक प्रान्तमें अपना पृथक स्वतन्त्र संगठन हो और वे सभी विभिन्न संगठन सहयोग करें।

अखिल भारतीय केन्द्रीय समितिकी कठिनाइयाँ।

आपसमें मिलने-जुलनेकी कठिनाइयाँ।

प्रतिनिधित्वका प्रश्न।

मैं निश्चय ही यह सुझाव देना चाहता हूँ कि चूँकि हममें से जो लोग मार्गदर्शक हैं उन्हें सबसे पहले जाना होगा, इसलिए उस कामको दृष्टिमें रखकर आप अपना पत्र बन्द कर सकते हैं।

सत्याग्रहियोंको कार्यक्षेत्रमें ही रहना चाहिए। सत्याग्रही अपने व्यवसायको गौण स्थान दे। हम अपने आपको एक ऐसी सेना समझें जो विनाशकारी नहीं अपितु निर्माणकारी होती है; और यदि आवश्यक हो तो अपना विनाश स्वीकार करनेवाली होती है। ऐसी सेनापर जो नियम लागू होते हैं, उन सबको हम अपनी सभापर लागू करें।

महादेव ह० देसाई

निश्चित ही बुधवार<sup>१</sup> तक इस प्रेसीडेंसीमें शायद इतवार<sup>२</sup> तक भी।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६४६७) की फोटो-नकलसे।

## १५१ भाषण : सत्याग्रह आन्दोलनपर<sup>३</sup>

तंजौर<sup>४</sup>

मार्च २४, १९१९

नये फौजदारी कानूनोंका देश द्वारा स्वीकार किया जाना देशके लिए अधःपतन और अपमानकी बात है। जब कोई राष्ट्र यह अनुभव करे कि कोई कानून राष्ट्रके लिए अपमानजनक है तो उसको एक स्पष्ट कर्त्तव्य पूरा करना होता है। पश्चिमी देशोंमें जब शासक कोई अन्याय करते हैं तो वहाँ खूनखराबी हो जाती है। इसके विपरीत भारतमें लोग हिंसाके सिद्धान्तको सहजतः नापसन्द ही करते हैं। इसलिए हम

१. मार्च २६ ।

२. मार्च ३० ।

३. इस सभाकी अध्यक्षता वी० पी० माधवरावने की थी।

४. अब इसे तंजावरु कहने लगे हैं।



यह खोजना पड़ता है कि किस तरीकेसे हम सरकारसे अपनी इच्छा मनवा सकते हैं। हमें यह मालूम हो गया है कि आम सभाओंमें भाषण देने और विधान-परिषदोंके प्रस्ताव पास करनेसे कोई लाभ नहीं होता। सरकारी बहुमतने निर्वाचित सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई राष्ट्रीय इच्छाको ठुकरा दिया है। ऐसी परिस्थितियोंमें और किन अन्य तरीकोंसे हम अपनी इच्छा सरकारसे मनवा सकते हैं? प्रह्लादने अपने पिता हिरण्यकशिपुके साथ जो किया वही हमें सरकारके साथ करना चाहिए। हिरण्यकशिपुने अपने बेटेको एक ऐसा हुक्म दिया जो उसकी अन्तरात्माकी आवाजके विरुद्ध था। एक अनुशासित अन्तरात्माकी आवाज ईश्वरकी आवाज होती है और कोई भी मनुष्य जो उसे सुननेसे इनकार करता है, मानवीय प्रतिष्ठाको घटाता है। मेरी अन्तरात्माकी आवाज मुझे कहती है कि जैसे प्रह्लादने अपने पिताकी आज्ञाके विरुद्ध आचरण किया था वैसे ही हमें भी करना चाहिए; और यदि हमारी अन्तरात्माकी आवाज भी वैसा ही कहे तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। प्रह्लादने अपने पिताकी आज्ञाका उल्लंघन उनके प्रति बिना किसी अनादर-भाव या दुर्भाव या अप्रीतिके किया था। वह अपने पिताकी आज्ञाका उल्लंघन करते हुए भी उनसे प्रेम करता रहा और पिताके प्रति अपने इसी प्रेमके कारण उसने उन्हें उनकी वह गलती बताई जिसका उसने अपने अन्तरात्माके आदेश-पर कर्त्तव्य मानकर विरोध किया। यही सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह कहा जाता है जिसका अर्थ है सत्यका बल, आत्माका बल। यदि हम सत्याग्रहको स्वीकार कर लें तो हम शारीरिक हिंसाके सिद्धान्तका त्याग कर देंगे। मुझे आशा है कि आप, जो प्रह्लाद के वंशज हैं, मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। मुझे अभी एक तार मिला है कि वाइसरायने विधेयक संख्या २ पर अपनी स्वीकृति दे दी है। हमारे सम्मुख आत्मबलका प्रयोग आरम्भ करनेके लिए आत्मानुशासनकी कोई कड़ी कार्रवाई करनेसे अधिक अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। मैंने समाचारपत्रोंको एक पत्र भेजकर सुझाव दिया है कि वाइसराय विधेयकोंपर अपनी स्वीकृति दे दें उसके बाद एक इतवार छोड़कर दूसरे इतवारको, जो ६ अप्रैलको पड़ेगा, प्रत्येक वयस्क, स्त्री-पुरुष, जो उपवास कर सकता हो उपवास करे। हमें इस उपवासकी तुलना इंग्लैंडकी उन भूखहड़तालोंसे नहीं करनी चाहिए जो स्त्री-मताधिकारके सम्बन्धमें की गई थीं। यह तो दुःखकी एक अभिव्यक्ति, आत्म-संयमका एक कृत्य और आत्मशुद्धिकी एक प्रक्रिया मात्र है। इससे सत्याग्रहीको सविनय अवज्ञा शुरू करने और निबाहनेका प्रशिक्षण मिलता है। उस दिन आपको समस्त व्यापारिक कामकाज बन्द रखना चाहिए। मैंने तो यह सुझाव भी दिया है कि सरकारी कर्मचारी भी इस आम उपवासमें भाग ले सकते हैं। मैं इस सिद्धांतको पूरी तरह मानता हूँ कि सरकारी कर्मचारियोंको राजनीतिमें भाग नहीं लेना चाहिए; परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अपनी अन्तरात्माकी आवाजको और राष्ट्रके दुःख या खुशीमें हिस्सा बँटानेकी अपनी स्वतंत्रताको ही दबा दें। आम सभाएँ करनेमें या उनमें भाषण देते समय हमें सरकार और उसके कानूनोंके बारेमें बोलते वक्त अत्यन्त



आदरसूचक और शालीन भाषाका प्रयोग करना चाहिए। हमें शोभास्पद भाषामें वाइस-राय और भारत-मन्त्रीसे अपील करनी चाहिए कि वे उक्त नये कानूनोंको वापस ले लें। आपको प्रतिज्ञा लेते समय यह समझ लेना चाहिए कि आपको किसीके जान-मालको नुकसान नहीं पहुँचाना है, वरन् सबके साथ शान्तिपूर्वक और सद्भावपूर्वक काम करना है। सत्याग्रहसे वह काम हो सकेगा जो इस कानूनसे नहीं हो सका। अर्थात् इससे देश हिंसासे मुक्त हो जायेगा। मुझे आशा है कि आप लोग इस सत्याग्रहको स्वीकार करनेका फैसला करेंगे और स्वीकार कर लेनेपर एक बार प्रतिज्ञा ले चुकनेके बाद उससे कभी पीछे न हटेंगे। आपको सभामें ही प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनेकी जरूरत नहीं है, बल्कि आप इस विषयपर शान्तिसे एक या दो बार नहीं, पचास बार यह विचार करनेका समय ले सकते हैं कि आपसे जो आशा की जाती है उसको पूरा करनेकी क्षमता आपमें है या नहीं है और उतना अनुशासन और त्याग भी आपमें है या नहीं। आपको याद रखना चाहिए कि यह एक पवित्र प्रतिज्ञा है और कोई भी भारतीय इसे मनमाने ढंगसे तोड़ नहीं सकता। यदि आप इसे अभी नहीं मानते तो आपको जल्दी ही इस बातपर पछताना पड़ेगा कि आप आन्दोलनमें शरीक नहीं हुए। यदि आप कमजोरी या किसी अन्य कारणसे संघर्षमें पूरी तरह हाथ नहीं बँटा सकते तो कमसे-कम सीमा तक अवश्य बँटा सकते हैं और उसके अनेक कामोंमें कई तरीकोंसे, सहयोग दे सकते हैं। मुझे आशा है कि भगवान्ने आपको पर्याप्त शक्ति और बुद्धि दी है कि आप इस नाजुक समयमें यह प्रतिज्ञा लें और ईमानदारीसे देशके प्रति उसके संकटमें अपना फर्ज अदा करें।<sup>१</sup>

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २६-३-१९१९

१५२. तार : सत्याग्रह सभा, बम्बईको

टेप्पाकुलम

त्रिची

[ मार्च २५, १९१९ ]

इससे अगले इतवारको उपवास करने, कामपर न जाने और आम सभाओंका सुझाव दिया है। रौलट कानूनोंको वापस लेनेकी प्रार्थना कर रहा हूँ। आशा है समिति अनुमोदन करेगी। सलाहको मान लेगी। देखनेके बाद सोमवारको

१. गांधीजीके भाषणका तमिलमें अनुवाद एस० एस० राजन्ने किया था। लगभग पचास लोगोंने सभामें प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर किये।



कानून तोड़ना शुरू करेंगे। आज त्रिचीमें। कल मदुरामें। बृहस्पतिवार तूती-कोरिनमें। शनिवार नागापट्टनममें। बुधवारको वहाँ पहुँच रहा हूँ।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

एस० एन० ६४७६ की फोटो-नकलसे।

### १५३. एक तार<sup>१</sup>

[मार्च २५, १९१९]

उत्तर न दे सकनेके लिए क्षमा करें। कार्यवश स्थगित। आज लिख रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]

एस० एन० ६४७६ की फोटो-नकलसे।

### १५४. पत्र : ओ० एस० घाटेको

त्रिचिनापल्ली

[मार्च २५, १९१९]

प्रिय श्री घाटे,

मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं इससे पहले आपके पत्रका उत्तर नहीं दे पाया। मद्रासमें आकर मैं सत्याग्रहके काममें इतना डूब गया कि मैं किसी भी पत्रका कोई उत्तर नहीं दे सका। आपके जरूरी पत्रका उत्तर देनेमें इतना विलम्ब हो जानेपर मैं लज्जित हूँ। आशा है आप मुझे इस देरके लिए क्षमा कर देंगे।

सर जेम्स डुबाउले और मेरे बीच जो बातचीत हुई उसे संक्षेपमें दे रहा हूँ : उन्होंने कहा कि सरकार किसी फैसलेपर नहीं पहुँच सकी है, वह विचार कर रही है। उन्होंने मुझे समितिकी रिपोर्ट तो नहीं देखने दी; किन्तु वे खुद भी उससे सन्तुष्ट नहीं थे। भेंटकी समाप्तिपर मैंने देखा कि हमारे मित्र<sup>२</sup> उन्हीं गुणोंके कारण नजरबन्द रखे जा रहे हैं जो मैंने अपने पत्रमें बताये हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लखनऊमें था वहाँ बातचीत करनेके बाद, तथा दिल्लीमें भी मित्रोंके साथ बातचीत करनेके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आपको अली बन्धुओंकी रिहाईके लिए अलग सत्याग्रह करके लोगोंको भ्रमित नहीं करना चाहिए; इससे मुख्य प्रश्नमें उलझाव पैदा होता है। वर्तमान आन्दोलनमें अप्रत्यक्ष रूपसे यह प्रश्न आ ही जाता है; और मैं इसकी चर्चा कुछ

१. यह तार स्पष्टतः ओ० एस० घाटेको भेजा गया था। देखिये अगला शीर्षक।

२. अली बन्धु।



दिनों संघर्ष चल चुकनेके बाद करना चाहता हूँ। मुझे अब भी आशा है कि वे शायद रिहा कर दिये जायेंगे। ऐसा मत सोचिए कि उनके फिलहाल भारतसे चले जानेके सुझावसे या सचमुच चले जानेसे समस्याके समाधानमें कुछ सहायता मिलेगी। जब समय आयेगा, यदि आया तो, मेरी दृढ़ सलाह यह होगी कि उन्हें नजरबन्दीकी आज्ञाका अनादर और जेलका आह्वान करना चाहिए; परन्तु यह वे मेरे साथ-साथ ही करें। यदि वे क्या करना है, यह निश्चित कर लें तो मैं खुद छिदवाड़ा जाऊँगा। तब फिर वे मेरे साथ कानूनकी अवज्ञा करें। परन्तु अब चूँकि हमारा रौलट कानून सम्बन्धी आन्दोलन चल रहा है, इसलिए हमें अपने इन मित्रोंके मामलेमें और भी धैर्य रखना चाहिए। यह न सोचिए कि सरकार और मेरे बीचका पत्र-व्यवहार प्रकाशित किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार जैसा है। जब मुझे सार्वजनिक रूपसे प्रश्नकी चर्चा करनी होगी तब मैं सारे तथ्य प्रकाशित करूँगा। परन्तु जबतक कोई इतना ही सबल हेतु न हो, तबतक मैं समझता हूँ कि यह पत्र-व्यवहार प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। धार्मिक प्रश्नके बारेमें अली बन्धु जो लिखना चाहें, लिखें। परन्तु मैं चाहता हूँ कि उनके प्रतिवेदनमें तर्क-वितर्क या नफरत नहीं होनी चाहिए। दलीलोंसे युक्त प्रतिवेदनकी अपेक्षा सादा प्रतिवेदन जिसमें शुद्ध तथ्य रखे गये हों, असीम रूपसे शक्तिशाली होगा। मैं मानता हूँ कि बारी साहबसे मेरी जो बातचीत हुई थी उसकी पूरी जानकारी हमारे दोस्तोंको है।

हृदयसे आपका,

हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६४७८) की फोटो-नकलसे।

## १५५. भाषण : सत्याग्रह आन्दोलनपर<sup>१</sup>

त्रिचिनापल्ली

मार्च २५, १९१९

मित्रो,

खड़े होकर न बोल सकनेके लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा शरीर इतना निर्बल है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता। आपसे तमिलके बजाय अंग्रेजीमें बोलनेके लिए भी आप मुझे क्षमा करें। मैं आपसे हिन्दीमें बोल सकता तो मुझे खुशी होती, लेकिन यह दुर्भाग्यकी बात है कि आपने अभीतक राष्ट्रभाषाका अध्ययन शुरू नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, अब आपको हिन्दीका निःशुल्क अध्ययन कर सकनेका अवसर प्राप्त हो गया है, और मुझे आशा है कि आपमें से ज्यादासे-ज्यादा लोग इस अवसरका लाभ उठायेंगे। फिलहाल आज तो मैं दूसरे ही सिलसिलेमें आया हूँ।

१. गांधीजीके इस भाषणका सभामें अंग्रेजीसे तमिलमें डॉ० टी० एस० एस० राजन्ने अनुवाद किया।



कल मैंने तंजौरके लोगोंको एक निमन्त्रण दिया जो आज मैं आप लोगोंको भी देना चाहता हूँ; लेकिन वैसा करनेसे पहले आपने मुझे जो सुन्दर अभिनन्दन, सुन्दर मंजूषा और तमिलमें अभिनन्दनपत्र दिया है, उसके लिए हृदयसे आपको धन्यवाद देता हूँ। चूँकि मैं बहुमूल्य उपहार स्वीकार नहीं करता, इसलिए यह सुन्दर मंजूषा उस ट्रस्ट-को सौंप दी जायेगी जो मुझे आजकल मिलनेवाले सभी बहुमूल्य उपहारोंको रखनेके लिए बनाया गया है। वहाँ इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसका किसी राष्ट्रीय कार्यमें उपयोग किया जायेगा।

अपने अंग्रेजीके अभिनन्दनमें आपने कहा है कि ट्रान्सवाल या दक्षिण आफ्रिकामें आत्माकी अनात्मापर विजयके दर्शन हुए थे। आत्माकी अनात्मापर विजय सम्बन्धी आपके स्वयंके विश्वासकी शीघ्र ही परीक्षा होगी। मेरा निमन्त्रण आपको ऐसी परीक्षाका निश्चय ही वैसा अवसर देगा। रौलट विधेयकोंके सम्बन्धमें आप भी शायद उतना जानते हैं जितना कि मैं। उनके बारेमें समझानेकी जरूरत नहीं है। आप चाहेंगे कि ये विधेयक वापस ले लिये जायें। शाही परिषद्के भारतीय सदस्योंने भरसक कोशिश की कि ये विधेयक वापस ले लिये जायें, पर वे असफल रहे। ये विधेयक तो बुरे हैं ही। लेकिन भारतीय सदस्योंकी सर्वसम्मत रायकी जो उपेक्षा की गई, वह तो और भी बुरी चीज है, और इस अन्यायको हटाना हमारा और आपका दायित्व है क्योंकि परिषद्के वे सदस्य हमारे प्रतिनिधि हैं। इसे कैसे हटाया जा सकता है? इतिहास हमें बताता है कि जब किसी देशके शासकोंने शासित जनताके साथ कोई घोर अन्याय किया तब जनताने हिंसाका सहारा लिया है। इसमें उसे कभी-कभी ऊपरी तौरपर सफलता भी मिली है, लेकिन अक्सर वह पराजित हुई है। लेकिन हिंसाका परिणाम हिंसा ही हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अन्धकारमें थोड़ा अन्धकार और मिला देनेपर वह अधिक घना हो जाता है। हिंसाका सिद्धान्त लौकिक, पार्थिव, शुद्ध भौतिक है तथा उस मानवका मार्गदर्शन नहीं कर सकता जिसे आत्माके अस्तित्वमें विश्वास हो। यदि आप हिंसाके सिद्धान्तको अस्वीकार कर दें, जैसा कि मुझे विश्वास है आप करते हैं, तब आपको अपनी शिकायतें दूर करानेके लिए अन्य साधनोंपर विचार करना होगा। और यदि उसका अनुवाद करूँ तो कहूँगा 'शठम् प्रति शाठ्यम्।' इसका एक दृष्टान्त आपको प्रह्लादके उदाहरणमें मिलता है जिसका जिक्र आज किया गया। शायद आप लोगोंमें से कुछ लोग सोचें कि प्रह्लाद कोई ऐतिहासिक व्यक्ति तो है नहीं। वह तो एक कहानी-भर है। इसलिए आज मैं आपको एक जिन्दा उदाहरण दूँगा, जिन्दा इस अर्थमें कि यह घटना हमारे देखते घटी है। इस घटनाकी नायिका जीवित नहीं है। इस वीरांगनाका नाम वलिअम्मा<sup>१</sup> है। भारतीय माता-पिताकी इस सन्तानका जन्म दक्षिण आफ्रिकामें हुआ था। दक्षिण आफ्रिकाकी अनेक भारतीय नारियोंके साथ ही वह भी उस समय चल रहे सत्याग्रह संघर्षमें शामिल हो गई। यह संघर्ष आठ वर्षसे अधिक समय तक चला। उस बालिकाको अनात्मापर आत्माकी विजय होनेका अत्यन्त प्रबल विश्वास था। इतना विश्वास शायद मुझमें या आपमें नहीं है। उस

१. वलिअम्मा आर० मुन्नुस्वामी मुदल्लियार। जेलसे रिहा होनेके कुछ ही दिनोंके अन्दर, फरवरी २२, १९१४को ज्वरसे उसका प्राणान्त हो गया।



देशके जिन कानूनोंका हम विरोध कर रहे थे, उनकी बारीकियाँ वह बिलकुल नहीं समझती थी। उसके लिए इतना ही पर्याप्त था कि उसके देशके हजारों स्त्री-पुरुष किसी ऐसी चीजके लिए कष्ट सहन कर रहे थे जिसे वह नहीं समझती थी, लेकिन वह यह बात जानती थी, उसे सहज ही यह बात समझमें आ गई थी कि आत्म-पीड़ामें से राष्ट्रका जन्म होता है और इसीलिए उसने दक्षिण आफ्रिकामें कैदी बनकर स्वेच्छासे कष्ट भोगे। उसकी अवस्था १८ वर्षकी थी। उसके दुर्बल शरीरमें अपराजेय आत्मबल था। जेलमें उसे मोतीझरा (टाइफाइड) के कारण रोज ज्वर हो जाता था। उसके जेलके साथियोंने उससे कहा कि वह जुर्माना अदा कर दे। वह जुर्माना अदा करके रिहाई पा सकती थी। लेकिन उसने दृढ़तापूर्वक जुर्माना भरनेसे इनकार कर दिया। उसे जेलमें मर जाना स्वीकार था किन्तु वह वहाँ नहीं मरी। उसे जेलसे रुग्णावस्थामें छोड़ा गया। सजाकी पूरी अवधि भोग चुकनेके बाद ही उसे रिहा किया गया था। छूटनेके कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, और जैसे कोई वीरांगना मरी हो, उसकी शहादतपर दक्षिण आफ्रिकाके सम्पूर्ण भारतीय समाजने शोक किया। जेलके दरवाजेके अन्दर पैर रखनेसे पहले वह महज एक अज्ञात गरीब बालिका थी। आज वह अपने राष्ट्रके श्रेष्ठतम व्यक्तियोंकी श्रेणीमें पहुँच चुकी है। मैं आपको इस सुन्दर बालिका वलिअम्माका अनुकरण करनेका निमन्त्रण देने यहाँ आया हूँ ताकि आप सफलतापूर्वक रौलट कानूनका विरोध कर सकें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वलिअम्मामें जैसी विश्वास-शक्ति थी, उसका यदि थोड़ा भी अंश मनमें लेकर आप इस प्रश्नका सामना करेंगे, तो आप देखेंगे कि थोड़े ही समयमें ये कानून नष्ट हो जायेंगे।

इन विधेयकोंने राष्ट्रीय आत्मापर प्रहार किया है, और जो आदेश आत्माको चोट पहुँचायें उनका विरोध करना हमारा पवित्र और सुखद कर्तव्य है। हम अपने शासकके केवल इसी कानून या इसी आदेशका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस विरोधके द्वारा हम अपना यह कर्तव्य, यह अधिकार प्रकट कर रहे हैं कि जो आदेश नैतिक न हों हम उसके उन सभी आदेशोंका प्रतिरोध कर सकते हैं। और जब हम इन शासकोंकी अनुचित बातोंकी सविनय अवज्ञा करते हैं, तब हम वैसा करके न केवल शासकोंकी, बल्कि समूचे राष्ट्रकी सेवा करते हैं। जहाँ कहीं मैं गया, मुझसे पूछा गया है कि कौनसे कानून, दूसरे कौनसे कानूनोंकी अवज्ञा की जानी चाहिए। आज मैं आपको सिर्फ यही उत्तर दे सकता हूँ कि जिनको भंग करनेमें नैतिक बाधा न हो, ऐसे सभी कानूनोंकी अवज्ञा हम कर सकते हैं। ऐसी स्थितिमें आपके लिए यह जाननेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम किन कानूनोंकी अवज्ञा करें। सत्याग्रही व्यक्तिका उद्देश्य तो यह है कि वह अपने सिरपर जितने कष्टोंका बोझ सँभाल सके सो सब स्वेच्छासे स्वीकार करे। इसलिए आप लोगोंमें से जो लोग रौलट कानूनको गलत मानते हैं, और जिन्हें सत्याग्रहकी शक्तिमें विश्वास है, उन सबको मैं निमन्त्रित करने आया हूँ कि आप इस प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करें। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनेसे पहले आप हजार बार विचार कर लें। आप [ रौलट ] कानूनको गलत नहीं मानते, अथवा आपमें आत्मबल या इच्छाशक्ति नहीं है, इस कारण यदि आप प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर न करें तो यह कोई असम्मानकी बात नहीं है, और आपके हस्ताक्षर न करनेपर किसी सत्याग्रहीको रोष करनेका अधिकार भी नहीं है; किन्तु यदि एक बार आप हस्ताक्षर कर देते हैं, तो



याद रखें कि जिस प्रकार इस गरीब वलिअम्माने अपनी बीमारीके बावजूद कैदकी पूरी सजा काटी थी, उसी प्रकार आप भी अपनी प्रतिज्ञासे नहीं डिगेंगे।

यहाँ आनेवाले आजके समाचारपत्रोंमें आपने देखा होगा कि मैंने अखबारोंमें अपनी एक चिट्ठी छपवाई है जिसमें कुछ सुझाव दिये गये हैं। फिर भी, मैं उन्हें यहाँ एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। मेरा पहला सुझाव है कि अगले रविवार (अर्थात् अप्रैलकी छठी तारीख) को हम सब लोग २४ घंटेका उपवास रखेंगे। कानूनोंकी अवज्ञा प्रारम्भ करनेसे पहले सत्याग्रहीके लिए उपवास तो एक योग्य तैयारीके समान ही होगा। अन्य सब लोगोंके लिए यह सरकार द्वारा किये गये अन्यायपर शोक की अभिव्यक्ति होगा। मैंने इस आन्दोलनको शुद्ध धार्मिक आन्दोलन माना है, और उपवास हमारे यहाँकी एक प्राचीन प्रथा है। आप इसे भूख-हड़ताल न समझ बैठें (हँसी) और न इसे सरकारपर दबाव डालनेका तरीका मानें। यह आत्मानुशासनका एक तरीका, आत्माकी वेदनाकी अभिव्यक्ति है; और आत्माको पीड़ा पहुँचती है तब वह दुर्जेय हो जाती है। मुझे आशा है कि धार्मिक आपत्ति या शारीरिक दुर्बलताके कारण जो उपवास न कर सकें उन्हें छोड़ कर शेष सारे वयस्क व्यक्ति उपवास करेंगे। मैंने सुझाव दिया है कि उस रविवारको सब कारोबार बन्द रहे, सारे बाजार और व्यापारिक संस्थान बन्द रहें। इन दोनों कार्योंका आध्यात्मिक महत्त्व तो है ही। इसके अलावा जनताको प्रशिक्षित करनेकी दृष्टिसे भी इनका बहुत महत्त्व होगा। मैंने अपने सुझावोंमें सरकारी कर्मचारियोंको भी शामिल करनेका दुस्साहस किया है, क्योंकि हमें मानना चाहिए कि आत्मा उनके भी है, साथ ही यह भी कि जिस अन्यायके विरुद्ध राष्ट्र अपना रोष व्यक्त करना चाहता है उसी अन्यायमें सहयोग देनेकी उनमें क्षमता है, वैसे करनेका उनका अधिकार है, और उसके लिए वे स्वतन्त्र हैं। यह उचित ही है कि वे राजनीतिक सभाओं और राजनीतिक चर्चामें भाग न लें, लेकिन उनकी निजी आन्तरिक भावनाओंकी स्वच्छन्दता तो होनी ही चाहिए। मेरा तीसरा सुझाव जिसमें सरकारी कर्मचारी चाहें तो भाग न लें, यह है यदि सम्भव हो तो हम हर बस्तीमें जायें और सभाएँ करके प्रस्ताव पास करें जिसमें भारत-मन्त्रीसे माँग की जाये कि वे इस कानूनको रद्द कर दें। एक खास कारण न होता तो मैं आपसे सभाएँ करने और प्रस्ताव पास करनेको न कहता, वह कारण यह है कि इन सभाओं और प्रस्तावोंके पीछे राष्ट्रीय इच्छाको कार्यरूप देनेकी सत्याग्रहकी शक्ति निहित है। आप सत्याग्रही हों अथवा नहीं, लेकिन अगर आप रौलट कानूनको गलत मानते हैं तो इन तीनों सुझावोंमें आप सब शामिल हो सकते हैं, और मुझे आशा है कि सम्पूर्ण भारतमें मेरे आह्वानका ऐसा व्यापक उत्तर मिलेगा कि जो सरकारको यह माननेपर विवश कर देगा कि हमारे बीच जो कुछ हो रहा है उसके प्रति हम जागरूक हैं।

आपने जिस धैर्यके साथ मेरी बातें सुनीं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जिन विविध तरीकोंसे आपने मुझपर अपने स्नेहकी वर्षाकी है उसके लिए भी सहस्र धन्यवाद। किन्तु मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने इस व्यक्तिगत स्नेहको वास्तविक कार्यमें परिणत करें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग इस आन्दोलनमें शामिल होंगे वे उसमें तपनेके



बाद और खरे होकर निकलेंगे। इसमें मुझे राई-भर सन्देह नहीं है। अन्तमें, कृपया याद रखें कि इस विशाल श्रोतृमण्डलीमें जो लोग सत्याग्रही हैं यदि वे दूसरोंको अपने पंथमें शामिल करना चाहते हैं तो उसका सर्वोत्तम तरीका दूसरोंके प्रति तनिक भी दुर्भावना न रखना ही नहीं बल्कि अपने स्वभावकी मधुरता, नम्रता और प्रेमकी भावनासे उनका मन जीतना है। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २७-३-१९१९

## १५६. भाषण : सत्याग्रह आन्दोलनपर

मद्राई

मार्च २६, १९१९

अध्यक्ष महोदय और सज्जनो,

खड़े होकर न बोलनेके लिए आप मुझे क्षमा करें; क्योंकि मेरा शरीर अभी-तक बहुत कमजोर है। तमिलमें आपके सामने न बोल सकनेके लिए भी मैं आपसे बहुत-बहुत माफी चाहता हूँ। लेकिन मुझे आपसे अंग्रेजीमें बोलना पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारीसे मैं आपको भी पूरी तरह बरी नहीं कर सकता। आपमें से जिन लोगोंको पर्याप्त शिक्षा प्राप्त हुई है वे यदि यह समझ लेते कि हिन्दी, और केवल हिन्दी ही भारतकी राष्ट्रभाषा बन सकती है तो आप इस समय तक इसे किसी-न-किसी तरह सीख लेते। लेकिन हम अपनी गलतियाँ अब भी सुधार सकते हैं। अब आपको मद्रास तथा कुछ अन्य स्थानोंपर हिन्दी सीखनेका सुअवसर उपलब्ध कर दिया गया है। संसारकी सारी भाषाओंकी तुलनामें इस भाषाका सीखना सबसे सरल है। मुझे तमिल भाषाका कुछ ज्ञान है; यह अत्यन्त सुन्दर और सुमधुर भाषा है, लेकिन इसका व्याकरण सीखना बहुत मुश्किल है। हिन्दीका व्याकरण सीखना तो बच्चोंका खेल है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो अवसर आपको मिला है उसका आप सब लोग लाभ उठायेंगे। लेकिन मैं हिन्दीके बारेमें आपसे ज्यादा कुछ न कहकर असली विषयपर आता हूँ।

जैसा कि आप जानते हैं, मैं तंजौर और तिरुचिनापल्लीसे होकर आपको यहाँ भी वही निमंत्रण देने आया हूँ जो मैंने उक्त दोनों जगहोंके लोगोंको दिया है। मैं आपसे सत्याग्रहकी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनेके लिए कहने आया हूँ। प्रतिज्ञापत्रमें क्या है सो आपको मालूम है। इसे रौलट कानूनका प्रतिरोध करनेके उद्देश्यसे लिखा गया है। कानूनके क्या असर होंगे, यह बताना जरूरी नहीं है! अखबारोंके जरिये और वक्ताओंसे, कानूनमें क्या है और उसके दूरव्यापी प्रभाव क्या हैं, सो आप जान ही चुके हैं। मेरे लिए इतना कहना ही काफी है कि यह कानून ऐसा है कि जिसे कोई स्वाभिमानी राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता। जिस राष्ट्रके विरुद्ध इसको लागू किया जायेगा उसे अपमानित करना ही इसका लक्ष्य है। हमारी ओरसे हमारे प्रतिनिधियोंने एकमतसे इसका प्रबल विरोध किया, लेकिन इसे पास कर दिया गया। सरकारने



दोहरा अन्याय किया है, और यह आपका, मेरा कर्त्तव्य है, इस देशके प्रत्येक स्त्री और पुरुषका कर्त्तव्य है कि उसके पास जितने भी वैध उपाय हों उन सबके साथ इसका विरोध करे। इसे समाप्त करानेके जितने भी प्रचलित तरीके थे, सबको आज-माया जा चुका है। हमने प्रस्ताव पास किये हैं; हमने प्रार्थनापत्र भेजे हैं; [शाही] परिषद्में हमारे प्रतिनिधियोंने इसे वापस करानेकी भी पूरी कोशिश की; किन्तु हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं। फिर भी हमें किसी-न-किसी प्रकार इस अन्यायका प्रतिकार तो करना ही है, क्योंकि यह ऐसे विषके समान है जो हमारे राजनीतिक जीवनको अन्दर-ही-अन्दर खाये जा रहा है। जब राष्ट्रीय चेतनाको ठेस पहुँचती है, तब वैसी दशामें ठेस खानेवाली जनता या तो हिंसात्मक तरीकोंसे अन्यायका प्रतिकार करती है, अथवा उन तरीकोंका सहारा लेती है जिन्हें मैंने सत्याग्रहका नाम दिया है। मेरा मत है कि हिंसात्मक तरीके अन्तमें बिलकुल असफल सिद्ध होते हैं। फिर वे हमारी जनताके स्वभावसे बिलकुल मेल नहीं खाते। हिंसात्मक तरीके मानवीय गरिमाके अनुकूल भी नहीं हैं। यह कहना कि आज यूरोपमें पशु-बलका ही बोलबाला है, कोई जवाब नहीं है। सच्चा पौरुष, सच्ची वीरता अपने अन्दरके पशुको निकाल बाहर करनेमें है, और तभी, केवल तभी, आपकी आत्मिक शक्ति, पूर्णतया खुलकर खेलेगी। यह दूसरी शक्ति, जिसे मैंने विभिन्न स्थानोंपर सत्याग्रह, आत्मशक्ति या प्रेम-शक्ति कहकर समझाया है, प्रह्लादकी कथामें सबसे अच्छे ढंगसे देखी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रह्लादने स्वयं अपने पिताके कानूनों और आज्ञाओंकी सविनय अवज्ञा की थी। उसने हिंसाका सहारा नहीं लिया। अपने कार्यकी सचाईमें उसकी अडिग आस्था थी। अपने पिताके कानूनोंकी अवज्ञा करके उसने उससे भी बड़े एक कानूनका पालन किया। और इस आन्दोलनमें सत्याग्रहका प्रयोग करते समय हम प्रह्लादके उज्ज्वल और शाश्वत उदाहरणका अनुकरण करेंगे। लेकिन आज हम अनास्थाके युगमें रह रहे हैं। अपने प्राचीन इतिहासके सम्बन्धमें हमारा दृष्टिकोण सन्देहका है और सम्भव है आपमें से बहुतसे लोग प्रह्लादकी कहानीको कोरा किस्सा ही मानते हों। इसलिए आज शाम मैं आपको दो दृष्टान्त ऐसे दूंगा जो लगभग आपके सामनेके हैं। इनमें से एक घटनाका जिक्र मैंने कल शाम किया था, जिसका सम्बन्ध एक सुन्दर तमिल बालिकासे है। उसकी आयु १८ वर्षकी थी, और एक सत्याग्रही बालिकाके रूपमें उसकी मृत्यु हुई। वह दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रह आन्दोलनमें शामिल हो गई थी। यह आन्दोलन आठ वर्ष तक चला। उसे आन्दोलनके दौरान गिरफ्तार करके जेलमें बन्द कर दिया गया। जेलमें उसे मोतीझरा (टाइफाइड) हो गया, और इसी रोगमें वह चल बसी। दक्षिण आफ्रिकामें जो राहतें प्राप्त हुईं उनके बारेमें आप जानते ही हैं। ये राहतें दिलानेका श्रेय उसे और उसके साथी सत्याग्रहियोंको है। फिर वलिअम्माकी ही आयुका एक बालक था जिसका नाम था नागप्पन।<sup>१</sup> उसे भी

१. सामी नागप्पन, सत्याग्रही बालक; जिसे जून २१, १९०९ को १० दिनकी कड़ी कैदकी सजा दी गई थी। उसे मरणासन्न अवस्थामें जून ३० को रिहा किया गया। जुलाई ६, १९०९ को उसकी मृत्यु हो गई। देखिए खण्ड ९, पृष्ठ २९७-९८।



उसी संघर्षके दौरान जेल भोगनी पड़ी। उसने यह बहस नहीं की कि वह संघर्षमें क्यों शामिल हो। उसे संघर्षके सही होनेका सहज विश्वास था। वह जानता था कि जो उपाय अपनाया गया है वही सच्चा और प्रभावकारी उपाय है।

दक्षिण आफ्रिकाकी जलवायु उतनी लाभकारी नहीं है जितनी भारतके मैदानी क्षेत्रोंकी। दक्षिण आफ्रिकाकी सर्दी कठोर होती है, और वह सर्दीका ही मौसम था जब नागप्पनको जेलमें डाला गया। उसे तम्बुओंमें रखा गया इसलिए मौसमकी कठोरताएँ उसे सहनी पड़ीं। कैदीके रूपमें उसे फावड़ा चलाना पड़ता था। उसके सामने यह विकल्प था कि जब चाहे जुर्माना भर दे और मुक्त हो जाये। लेकिन उसने जुर्माना देना स्वीकार नहीं किया। उसका विश्वास था, जेलके दरवाजेसे गुजरकर ही स्वतन्त्रताके महाद्वारमें प्रवेश किया जा सकता है। नतीजा यह हुआ कि जेल-जीवनमें ही ठंड और बुखारका शिकार होकर उसकी मृत्यु हो गई। नागप्पन एक अशिक्षित बालक था जिसके माता-पिता गिरमिटिया मजदूर थे। लेकिन उसका हृदय एक वीरका हृदय था। और आज मैं आप सब स्त्री-पुरुषोंसे कहने आया हूँ कि यदि आप रौलट कानूनको गलत मानते हैं तो प्रह्लाद नहीं, बलिअम्मा और नागप्पनके उदाहरणका अनुकरण करें। लेकिन एक और शर्त है; यही काफी नहीं है कि आप रौलट कानूनको गलत समझते हों। आपको इस [सत्याग्रहके] उपायके प्रभावकारी गुणमें आस्था होनी चाहिए और इसमें जो कष्ट उठाने पड़ें उन्हें झेलनेकी क्षमता होनी चाहिए। लेकिन निश्चय ही आप मुझसे सहमत होंगे कि बिना कष्ट उठाये कोई राष्ट्र आजतक महान् नहीं बना है, चाहे वह दूसरोंके प्रति हिंसा करके हो और चाहे सत्याग्रह द्वारा। सत्याग्रह बुनियादी तौरपर एक धार्मिक शक्ति है। जबतक हमें आत्माकी अखण्ड और अजेय शक्तिमें आस्था नहीं होगी, तबतक हमारे संघर्षकी सफल परिणति नहीं होगी। तब इसमें गलती, आन्दोलनकी या उस शक्तिकी नहीं होगी जिसका वर्णन मैंने अभी किया है। इसकी जिम्मेदारी हमारी आन्तरिक दुर्बलतापर होगी। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप सावधानीसे इस प्रश्नपर विचार करें। लेकिन एक बार प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर कर देनेके बाद आप अपने कंधोंपर जो भारी दायित्व लेंगे उसे ठीकसे निभायें और विचलित न हों। सत्याग्रहकी प्रतिज्ञामें यह शर्त निहित है कि प्रतिज्ञा करनेवाले लोग उन लोगोंके प्रति अनादरका भाव नहीं रखेंगे जो प्रतिज्ञा करनेमें असमर्थ हों। यदि वे प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर नहीं करते तो या तो वे कानूनोंको ठीक समझते हैं, या इस संघर्षमें उन्हें विश्वास नहीं है और या फिर वे कमजोर लोग हैं। समय बीतनेके साथ-साथ हम उन्हें भी अपने संघर्षके पक्षमें कर लेनेकी आशा रखते हैं। अखबारोंके नाम मेरी चिट्ठी आपने देखी होगी। उसमें मैंने सुझाया है कि आगामी रविवारको 'अपमान-दिवस' के रूपमें मनायें। मैंने उसमें तीन सुझाव रखे हैं। मैंने कहा है कि उपवास रखा जाये, सारे बाजार, व्यापारिक संस्थाएँ और अन्य सब कारोबार बिलकुल बन्द रहें, तथा समस्त भारतमें सभाएँ करके प्रस्ताव पास किये जायें। प्रस्तावित उपवास भूख-हड़ताल नहीं होगी, बल्कि वह आत्म-निषेधका प्रतीक होगा। इन तीनों चीजोंमें सत्याग्रही हों या नहीं, सभी लोग भाग ले सकते हैं। मुझे आशा है कि इस पवित्र मदुरई नगरमें सारी आबादी इस पवित्र उपवासमें भाग लेगी। मैंने अभीतक सत्या-



ग्रह आन्दोलनका स्वरूप-भर बताया है। इस आन्दोलनके एक और सम्भावित परिणामकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। सरकारका कहना है कि रौलट कानूनसे देशमें अराजकतावादी आन्दोलन सदाके लिए समाप्त हो जायेगा। जैसा कि अन्यत्र भी कहा गया है, इस कानूनसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे यह कहनेका साहस करता हूँ कि सत्याग्रहके इस आन्दोलनसे अराजकतावादी तत्त्वोंकी अपरिमित शक्तिको एक रास्ता मिलेगा। यह आन्दोलन उनके स्वभावमें ही परिवर्तन उत्पन्न करके शिकायतें दूर करानेके शुद्ध उपायोंका अवलम्बी बना देगा। इन परिस्थितियोंमें मुझे भरोसा है कि आन्दोलनके प्रति सबका आदरभाव होगा और इसे सबका समर्थन प्राप्त होगा। आपने मेरी बातें इतने धैर्यके साथ सुनीं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है, आज देशमें जो-कुछ हो रहा है उसपर आप विचार करेंगे और जो अपना कर्तव्य लगे वह करेंगे। ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि वह आपको अपना मार्ग समझनेकी सद्बुद्धि दे। एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २९-३-१९१९

### १५७. भाषण : सत्याग्रह आन्दोलनपर तूतीकोरिनमें

मार्च २८, १९१९

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

मैं कमजोरीके कारण खड़े होकर नहीं बोल सकता, इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ। आपसे तमिलमें न बोल सकनेकी भी माफी चाहता हूँ। जब आप भारतकी राष्ट्रभाषा अर्थात् हिन्दी सीख लेंगे तो आपके सामने हिन्दीमें भाषण करनेमें मुझे बहुत खुशी होगी। यह आपके ऊपर है कि चाहें तो मद्रास और अन्य स्थानोंपर हिन्दी सीखनेकी जो सुविधा उपलब्ध है उसका लाभ उठायें। जबतक आप हिन्दी नहीं सीखते तबतक आप शेष भारतसे अपनेको बिलकुल अलग रखेंगे। आपने मुझे यह अभिनन्दन दिया इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज शाम मैं आपके पास एक निमन्त्रण देने आया हूँ। यह स्थान भारतका धुर दक्षिणी प्रदेश है। मद्राससे यहाँ तक की अपनी यात्रामें इन क्षेत्रोंमें व्याप्त धार्मिक भावना और धार्मिक तत्त्वोंकी बहुलताने मेरा ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट किया। भारतका यह दक्षिणी भाग जिस तरह मंदिरोंसे भरा पड़ा है, वैसा भारतका कोई दूसरा भाग नहीं है। वास्तुकलाके इन अद्भुत नमूनोंपर अपार धन व्यय किया गया है। किसी भी अन्य चीजकी अपेक्षा ये मन्दिर मेरे लिए इस बातके प्रमाण हैं कि हम लोग अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्तिके लोग हैं, और भारतकी जनताके मनको छूनेके लिए धर्म ही सर्वोत्तम साधन है। मैं आपसे एक धार्मिक बात कहने आया हूँ। हममें से बहुत लोग सोचते हैं राजनीतिमें धर्मको खींचना कतई आवश्यक नहीं है। कुछ लोग यहाँतक कहते हैं कि राजनीतिका धर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। हमारा



प्राचीन इतिहास बताता है कि इस सिद्धान्तको हमने अस्वीकार कर दिया है, और हमारे सब कार्योंके पीछे धार्मिक भावना रहती है। आप सब जानते हैं, या जानना चाहिए कि रौलट कानून क्या है। इसलिए इस कानूनका इतिहास बतानेमें मैं आपका समय नहीं लूंगा। यह सम्पूर्ण भारतके लिए समान रूपसे चिन्ताकी बात है कि यदि यह कानून विधि-पुस्तिकामें बना रहा तो सारे देशके लिए कलंककी बात होगी। हमने अपने शासकोंसे कहा कि वे इस कानूनको पास न करें। लेकिन उन्होंने हमारी प्रार्थना बिलकुल अनसुनी कर दी है। इस तरह उन्होंने सारे राष्ट्रके प्रति दोहरा अन्याय किया है। हमने देखा है कि हमारी तमाम सभाओं, हमारे तमाम प्रस्तावों, और केन्द्रीय विधान-परिषद्में हमारे प्रतिनिधियोंके तमाम भाषणोंका कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसी परिस्थितिमें हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमें इस कानूनको किसी-न-किसी तरह हटवाना चाहिए। हमारे सामने दो, और सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला तरीका अन्याय करनेवालेपर हिंसा करनेका आधुनिक या पश्चिमी तरीका है। मेरा मत है कि भारत इस तरीकेको अस्वीकार कर देगा। भारतके विशाल जन-समुदायको हिंसा करनेकी शिक्षा हमारे धर्म-गुरुओंने कभी नहीं दी। दूसरा तरीका वह है जिससे हम प्राचीन कालसे परिचित हैं। वह है शासकोंकी गलत बातोंकी अवज्ञा करके अवज्ञाके परिणामोंको सहन करनेका। इस प्रकार कष्ट-सहनका तरीका ही सत्याग्रह है। यह प्रह्लादका तरीका है और मैं नम्रतापूर्वक यह कहनेका साहस करता हूँ कि हमारे सामने यही एक रास्ता है जो हम अपना सकते हैं। इसमें पराजय होती ही नहीं क्योंकि हम तबतक संघर्ष करते हैं जबतक मर नहीं जाते या हमें विजय नहीं मिल जाती। लेकिन आज हमारे मनमें शंकाकी भावना घर कर गई है। हममें से बहुत लोग प्रह्लादकी कहानीको कोरा किस्सा कहकर टाल देंगे।

इसलिए आज मैं यथासम्भव संक्षेपमें आधुनिक ऐतिहासिक सत्याग्रहियोंकी कहानी बताऊँगा। मैंने उन्हींको चुना है जो मर चुके हैं। इनमें से तीन लोग तमिल थे, और एक बम्बई प्रेसीडेन्सीका एक मुसलमान था। तमिलोंमें एक अठारह वर्षीय सुन्दर बालिका थी जिसका नाम वलिअम्मा था। उन दो लड़कोंकी भाँति ही, जिनके नाम मैं अभी आपको बताऊँगा, वह भी दक्षिण आफ्रिकामें पैदा हुई थी। उसे जेल भेजा गया जहाँ उसे मोतीझरा (टाइफाइड) हो गया लेकिन उसने रिहा होनेसे इनकार कर दिया। जेलमें ही इसीके कारण उसकी मृत्यु हो गई।<sup>१</sup> अन्य दोमें से एककी आयु १८ और दूसरेकी १७ वर्ष थी, और ये दोनों जेलसे रिहा होनेके बाद मरे। ये तीनों ही गिरमिटिया मजदूरोंकी सन्तान थे। हममें से बहुतोंको जैसी शिक्षा प्राप्त हुई, वह उन्हें नहीं मिली थी। 'रामायण' और 'महाभारत'की उन्हें धुंधली जानकारी-भर थी। दक्षिण आफ्रिकामें धर्मकी शिक्षा देनेवाला कोई नहीं था जो उनके मनपर प्रह्लादके अदम्य कार्योंकी छाप डालता। लेकिन आज वे अपना नाम वीरों और वीरांगनाओंके साथ लिखा हुआ पाते हैं। चौथे वीरका नाम था अहमद मुहम्मद काछलिया। वह वीरोंमें वीर था। मैंने

१. यह संवाददाताकी भूल जान पड़ती है; वलिअम्माकी मृत्यु वास्तवमें जेलसे रिहा होनेके कुछ दिन बाद हुई थी। देखिए "भाषण: तिरुचिनापल्लीमें", १५-३-१९१९ की पादटिप्पणी १।



बहुत कम वैसे सच्चे लोग देखे हैं। वह बहुत ही सम्पन्न व्यापारी था। जब सत्याग्रहकी लड़ाई दक्षिण आफ्रिकामें तेजीपर थी तब वह उसमें पूरी तरह जुझ रहे थे। वह ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष थे। वह न केवल जेल ही गये, बल्कि उन्हें बिलकुल कंगाली ओढ़नी पड़ी। उन्होंने अपनी मातृभूमिके सम्मानकी खातिर जो-कुछ सम्पत्ति थी सब बलिदान कर दी। वह सत्याग्रहकी शक्ति जानते थे। अभी कुछ महीने हुए उनकी मृत्यु हो गई। सारे दक्षिण आफ्रिकामें उनके लिए शोक प्रकट किया गया। वह भी प्रचलित अर्थोंमें बिलकुल अशिक्षित थे, लेकिन उनका सहज ज्ञान ऐसा था जो साधारण आदमियोंमें आपको नहीं मिलेगा। और उन्होंने सहज ज्ञानसे ही यह बात समझ ली थी कि मुक्तिका मार्ग हिंसा नहीं, आत्मपीड़नमें है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो चीज वलिअम्मा, नागप्पन, नारायण-सामी<sup>१</sup> और अहमद मुहम्मदके लिए सम्भव थी वह आज आपमें से प्रत्येकके लिए सम्भव है। इन आधुनिक सत्याग्रहियोंके नामपर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इनके पद चिह्नोंपर चलें, सत्याग्रहकी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करें और [रौलट] कानूनको रद्द कर दें। यह प्रतिज्ञा सर्व-शक्तिमान् ईश्वरके नामपर किया गया एक पवित्र कार्य है। इसलिए जहाँ मैं प्रत्येक स्त्री और पुरुषको प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनेका निमन्त्रण देता हूँ, वहीं यह निवेदन भी करता हूँ कि हस्ताक्षर करनेसे पहले वे खूब अच्छी तरह बार-बार विचार कर लें। लेकिन यदि आप प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनेका निर्णय करें तो कृपया इस बातका ध्यान रखें कि वलिअम्मा और अहमद मुहम्मदकी भाँति प्राणोंकी बलि देकर भी इसकी रक्षा करें। सत्याग्रही जब प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करता है तो अपना स्वभाव तक बदल डालता है। वह एकमात्र सत्यपर भरोसा करता है जो प्रेमका ही दूसरा नाम है। प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनेसे पहले सम्भव है कि जिनसे उसका मतभेद हो, उनके विरुद्ध वह झुंझला जाता हो। लेकिन हस्ताक्षर करनेके बाद ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें उम्मीद है, ज्यों-ज्यों संघर्ष आगे बढ़ेगा, धीरे-धीरे सब लोग हमारे साथ-आते जायेंगे। इसमें हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम उनके प्रति कटुता न रखें बल्कि उनके प्रति प्रेम और आदरकी भावना रखेंगे। आपने अखबारोंमें देखा होगा कि अपना आन्दोलन आरम्भ करनेके लिए मैंने तीन निश्चित सुझाव रखे हैं। मेरे सुझावोंको स्वीकार करनेसे आन्दोलनका धार्मिक स्वरूप भी स्पष्ट हो जायेगा। पहला सुझाव यह है कि ६ अप्रैलको रविवार है और उस दिन हमें उपवास रखना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि उस दिन हमें अपना सामान्य कारोबार बिलकुल बन्द रखना चाहिए। जो लोग नौकरी करते हैं, यदि उन्हें रविवारके दिन भी कामपर बुलाया जाये तो उन्हें चाहिए कि अफसर या मालिकसे अनुमति लेकर उस दिन काम रोक दें। ये दोनों सुझाव सभी लोग अपना सकते हैं, और सरकारी कर्मचारी भी इनपर अमल कर

१. नारायण सामी एक तमिल सत्याग्रही था जिसे ट्रान्सवालसे निर्वासित करके भारत भेज दिया गया था, और लौटनेपर जहाजसे उतरने नहीं दिया गया। जहाजपर दो महीने तक रहनेके बाद अक्टूबर १६, १९१० को उसकी मृत्यु हो गई। देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ३५९-६१।



सकते हैं। तीसरा सुझाव यह है कि उस दिन सम्पूर्ण भारतके गाँव-गाँवमें रौलट कानूनका विरोध करते हुए सभाएँ की जायें और भारत-मन्त्रीसे माँग की जाये कि वे इस कानूनको रद्द कर दें। इन तीनों सुझावोंका उद्देश्य आत्म-निषेध, आत्मानुशासन और लोगोंको शिक्षित करना है। उपवासमें हमें उम्मीद है कि हमारी महिलाएँ, हमारे नौकर-चाकर तथा सभी लोग सम्मिलित होंगे। यदि आप मेरे नम्र सुझावोंको स्वीकार करते हैं, तो मुझे आशा है कि आप उनपर उसी भावनाके साथ अमल करेंगे जिस भावनाके साथ मैंने उन्हें आपके सामने रखा है। आपने मेरे स्वास्थ्यका ध्यान रखते हुए कृपापूर्वक तालियाँ नहीं पीटीं, सीटियाँ नहीं बजाई और मेरे भाषणके दौरान किसी प्रकारका शोरपूर्ण प्रदर्शन नहीं किया। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ऐसा ही आदरभाव आप सभी सत्याग्रहियोंके प्रति रखें। यदि आप ताली बजाकर, या 'शर्म, शर्म' या 'वाह-वाह' चिल्लाकर अपना ध्यान इधर-उधर नहीं भटकायेंगे तो आपके सामने जो बात कही जा रही है उसपर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दे सकेंगे। यही नहीं, बोलनेवालेके विचारोंका सिलसिला भी भंग नहीं होगा। मैं तो यहाँ तक सुझाव दूँगा कि हमारी सभी सभाओंमें, चाहे वह सत्याग्रहियोंकी सभा हो या कोई और, आधुनिक प्रदर्शनका यह तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन मेरी सलाहको सभी सभाओंके लिए ठीक मानें या नहीं, मुझे आशा है कि सत्याग्रहकी सभाओंके मामलेमें आप इसे मानेंगे। हमारे पास एकमात्र शस्त्र यही है कि हम सत्य और आत्म-बलिदानका सहारा लें। मैं आशा करता हूँ कि आप सदैव इसी और केवल इसी शस्त्रका सहारा लेंगे। आपने जिस धैर्यके साथ मेरी बातें सुनीं, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि हमने जो पवित्र काम हाथमें लिया है उसे पूरा करनेकी आपको शक्ति दे।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २-४-१९१९

## १५८. भाषण : नागापट्टनममें

मार्च २९, १९१९

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

मैं आपसे फिर एक बार माफी माँगता हूँ कि मैं कमजोरीके कारण खड़े रहकर नहीं बोल सकता। मुझे इस बातका भी दुःख है कि आपसे अत्यन्त सुन्दर तमिल भाषामें नहीं बोल सकता। मुझे इस बातका खेद है कि आपमें से अधिकांश लोग हिन्दी नहीं जानते और इस कारण मैं आपसे राष्ट्रभाषामें भी नहीं बोल सकता। आपने आज मुझे जो सुन्दर अभिनन्दन भेंट किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यदि आपका अभिनन्दन तमिलमें लिखा होता तो मैं और अधिक आभारी होता। आप उसके साथ उसका हिन्दी या अंग्रेजीमें अनुवाद दे सकते थे, और न



भी देते तो मैं उसका अनुवाद करवा ही लेता। मुझे आशा है कि अब अगली बार अवसर आनेपर, आपका सम्माननीय अतिथि कोई क्यों न हो, आप अपनी मातृभाषा-की गरिमाको मान्यता देंगे।

### पूँजी और श्रम

मैं यहाँ विशेष रूपसे 'श्रमिक संघ' [लेबर्स यूनियन] के निमन्त्रणपर आया हूँ। मैं समझता हूँ कि इस सभामें ज्यादातर लोग श्रमिक हैं। इसलिए विशेष रूपमें श्रमिकोंसे मैं जो चन्द बातें कहूँगा उसके लिए अन्य लोग मुझे क्षमा करें। मेरी लगभग तमाम जिन्दगी ही श्रमिकोंके बीच गुजरी है। मैं श्रमिकोंकी समस्याओंके बारेमें थोड़ा-बहुत जानता हूँ। मेरा विश्वास है कि मैं श्रमकी गरिमाको पूरी तरह समझता हूँ। मैं यह भी आशा करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण युद्धके दौरान जो लोग इस विशाल श्रमिक आन्दोलनका नेतृत्व कर रहे हैं वे श्रमिकोंको श्रमकी गरिमाकी अनुभूतिका अवसर देंगे। भारतके नागरिकोंमें श्रमिकोंका स्थान तनिक भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर श्रमिकोंमें हम खेतिहरों और किसानोंको शामिल कर लें तब तो हिन्दुस्तानकी आबादीमें बहुत बड़ा बहुमत उन्हींका होगा। यह कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारतका भविष्य, और भारत ही क्या, किसी भी देशका भविष्य उच्च वर्गीय लोगोंपर नहीं, बल्कि साधारण जनताके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए यह जरूरी है कि श्रमिक लोग समाजमें अपना महत्वपूर्ण दरजा स्वयं पहचानें।

यह भी जरूरी है कि ऊँचे वर्गके लोग, जो साधारण जनताके मार्गदर्शक हैं, जनताके प्रति अपने दायित्वोंको समझें। यही नहीं, अपने यहाँकी प्रणालीमें हम अनेक दोष पाते हैं, और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि पश्चिममें श्रमिकों और पूँजीपतियोंके बीच अस्तित्वका जो संघर्ष चल रहा है वैसा संघर्ष हमारे यहाँकी प्रणालीमें सम्भव नहीं हो पायेगा। पश्चिमी देशोंमें श्रमिक-वर्ग और पूँजीपतियोंके स्वार्थ एक-दूसरेके लगभग विपरीत हैं। इन दोनोंमें एक-दूसरेके प्रति अविश्वास है। प्राचीन भारतमें ऐसा नहीं था, और मुझे खुशी है कि हमारे यहाँके श्रमिक नेताओंने श्रम और पूँजीके बीच संघर्षका पश्चिमी तरीका नहीं अपनाया। उन्हें मजदूरोंको यह बताना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार पूँजीके गुलाम नहीं हैं; उन्हें सिखाना चाहिए कि वे शानके साथ तनकर खड़े हो सकें। उन्हें श्रमिकोंको बताना चाहिए कि वे समझें और अनुभव करें कि अन्ततः वे ही प्रधान शक्ति और उद्योगमें प्रधान सहयोगी हैं। उन्हें अपनी शक्ति अनुभव करनी चाहिए। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि पूँजीके बिना श्रम बिलकुल व्यर्थ है। [उन्हें यह भी समझना चाहिए] कि भारतमें बिना पर्याप्त पूँजीके बड़े औद्योगिक संगठन सर्वथा असम्भव-सी चीज होंगे। इसलिए पूँजीके प्रति अपने दायित्वोंका भी ध्यान रखना चाहिए। भविष्यमें मजदूर लोग बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले हैं। भारतमें, इतना ही काफी नहीं है कि वे अपने संघोंका सुचारु और सन्तोषजनक रूपसे कार्य चलायें। उन्हें अपने संघोंके अलावा दूसरी चीजोंकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्हें समझना चाहिये कि वे एक और बड़ी इकाईके अंग हैं। यह समझ लेनेसे कि वे साम्राज्यके सदस्य



और नागरिक हैं, उनकी गरिमामें वृद्धि होगी। यदि वे ऐसा करेंगे तो वे राष्ट्रीय गतिविधियोंको भी समझने लगेंगे।

### रौलट विधेयक

आज शाम मैं ऐसी ही एक गतिविधिकी संक्षेपमें चर्चा करूँगा। आपको शायद मालूम हो कि सरकारने अभी हालमें एक ऐसा कानून बनानेका इरादा किया है जिसके बारेमें मेरा और सारे देशका यह मत है कि वह राष्ट्रके लिए अत्यन्त घातक है। हममें से प्रत्येकका, चाहे वह किसी वर्गका सदस्य हो, स्त्री हो या पुरुष, यह कर्त्तव्य है कि सरकार जिस कानूनको पास करनेवाली है, उसे समझे। यह अत्यन्त स्वाभाविक है और जरूरी भी है कि यह अपमानकारी कानून समाप्त किया जाये। अतः हमें इस प्रकार कार्य करना है कि हम उसे समाप्त करवानेमें सफल हो सकें। हमने सारे भारतमें सभाएँ की हैं, हमने प्रस्ताव पास किये हैं और वाइसरायसे अपील की है कि वे इस कानूनको वापस करा दें। लेकिन इन सारे प्रयत्नोंकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे शासकोंने हमपर दो अन्याय किये हैं। पहला तो यह कि वे एक अत्यन्त हानिकर कानून बनाने जा रहे हैं, और दूसरे यह कि उन्होंने जनमतकी घोर उपेक्षा की है। जब जनताको चोट पहुँचती है और वह क्रुद्ध हो जाती है और यदि वह ईश्वरमें विश्वास नहीं रखती तो वह शस्त्र लेकर अन्यायीसे संघर्ष करती है। यह हिंसाका सिद्धान्त है। कुल मिलाकर भारतने इस सिद्धान्तको स्वीकार नहीं किया है। इसलिए भारतने आत्माकी सुनिश्चित विजयमें विश्वास रखा है। भारतने ईश्वरमें और उसके न्यायमें आस्था रखी है, और इसलिए परीक्षाकी इस घड़ीमें हमने ईश्वरपर भरोसा किया है। जब कोई अन्यायी हमारे ऊपर अन्यायपूर्ण चीजें थोपता है, उस समय उसकी अवज्ञा करना हमारा धर्म है। लेकिन हमें यह विरोध उसी रूपमें करना चाहिए जिस रूपमें प्रह्लादने अवज्ञाके दण्ड-स्वरूप कष्ट-सहन करके भी विरोध किया था। उसी प्रकार हमें भी इस मामलेमें करना है, और ऐसे तरीकोंसे विरोध करना है जो हिंसाके तरीकोंसे भिन्न हों। इसीको "सत्याग्रह" कहते हैं।

यह स्वयं कष्ट-सहनका सिद्धान्त है अतः इसमें पराजय होती ही नहीं। दक्षिण आफ्रिकामें हमारे देशवासियोंने अन्यायोंके विरुद्ध ऐसे ही उदाहरणोंका अनुकरण किया और आप शायद जानते ही हैं कि उन्हें सफलता मिली। उस आन्दोलनमें सभीने हाथ बँटाया, लेकिन उनमें ज्यादातर साधारण लोग ही थे। दक्षिण आफ्रिकामें दो अत्यन्त सुन्दर बालक और एक सुन्दर बालिका थी, जिन्होंने अपने राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षाके लिए अपने प्राण दे दिये। आपको उनके पवित्र नाम जान लेने चाहिए, क्योंकि जबतक यह संघर्ष चलेगा और उसके बाद भी उनके नाम रोज याद किये जायेंगे। बालिकाका नाम है वलिअम्मा, और बालकोंके नाम हैं नागप्पन और नारायण सामी। ये तीनों करीब १५ वर्षके रहे होंगे और तीनों ही श्रमिकवर्गमें पैदा हुए थे। न तो उन्हें ढंगकी कोई शिक्षा मिली थी और न उन्होंने 'रामायण' और 'महाभारत'की प्रेरक कहानियाँ ही पढ़ी थीं। किन्तु उनकी रगोंमें भारतीय रक्त बहता था। कष्ट सहनका नियम उनके दिलमें अंकित था, और मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्तिसे अनुरोध करता हूँ कि वे इन दोनों वीर



बालकों और उस वीरांगना बालिकाका अनुकरण करें। यदि आप और मैं कष्ट पा रहे हों, यदि हमारी सम्पत्ति हमसे छीन ली जाये तो कोई चिन्ताकी बात नहीं; क्योंकि हम अपनी शान और राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षा कर रहे हैं। आप इस संघर्षके बारेमें यहाँके नेताओंसे और भी बातें सुनेंगे। चूँकि यह एक शुद्ध धार्मिक लड़ाई है अतः हमने रविवार, अप्रैल ६ के दिन इसे आरम्भ करनेका निश्चय किया है। मैंने सुझाव दिया है कि उस दिन सब पुरुष, स्त्रियाँ, श्रमिक और धनवान, मतलब कि वह हर नर-नारी जिनकी धमनियोंमें भारतीय रक्त है, २४ घंटेका उपवास करें। हम अपना सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करेंगे और यह पूरी तरह एक धार्मिक आन्दोलन है। यह उपवास कोई दिखावा नहीं है, बल्कि सर्व-शक्तिमान्से सच्ची प्रार्थना है कि वह हमें इन संघर्षोंसे गुजरते समय पर्याप्त और समुचित शक्ति तथा सद्बुद्धि प्रदान करे। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि उस दिन हम कोई काम या कारोबार न करें। मुझे आशा है कि हमारे व्यापारी मित्र भी इस योजनामें हाथ बँटायेंगे। यदि उस रविवारको किन्हीं मजदूरोंको कामपर बुलाया जाये तो वे तभी काम रोकें जब उन्हें अपने मालिकोंसे उसकी अनुमति प्राप्त हो जाये। अपने मालिकोंके उचित आदेशोंकी अवज्ञा करना सविनय अवज्ञा आन्दोलनका ध्येय नहीं है। उस दिन हमें सभाएँ करनी चाहिए और इस आपत्तिजनक कानूनको रद्द करानेके लिए [सभाकी] कार्रवाइयोंकी रिपोर्ट वाइसराय और भारत सचिवको भेजनी चाहिए। हमारी प्रार्थना साधारण प्रार्थना-मात्र नहीं होगी; उसके पीछे सत्याग्रहकी शक्ति होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हममें से बहुत सारे लोग उपयुक्त और सच्ची भावनाके साथ इस संघर्षमें भाग लेंगे तो हम थोड़े ही समयमें इस कानूनको खत्म करवा देंगे।

### निष्कर्ष

नागापट्टनममें आपने मुझे निमन्त्रित किया, इसके लिए मैं हृदयसे आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी बातें धैर्यपूर्वक सुननेके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मद्रास प्रेसीडेंसी-भरमें मुझपर जो गहरी स्नेहवर्षा की गई है उसका वर्णन करनेके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। भारतीयोंमें अगाध विश्वास रखना मैंने दक्षिण आफ्रिकामें सीखा। भारतके अन्य भागोंकी अपेक्षा आप लोगोंने भारतीय परम्पराको ज्यादा अच्छे रूपमें संरक्षित रखा है। आपको ईश्वरमें भी कहीं ज्यादा आस्था है। आप लोगोंको देखकर मुझे अपने महान् ऋषियोंकी याद आती है। मुझे विश्वास है कि वे लोग आपसे ज्यादा सादा जीवन नहीं व्यतीत करते रहे होंगे। लेकिन एक बात सरल है। जीवनके जिस बाह्य स्वरूपको आपने इतने सुन्दर ढंगसे सँजोकर रखा है, उसमें ऋषियों-जैसी आत्मा फूँकिए। तब आप इस देशमें एक शक्तिशाली लोग होंगे और देशकी गरिमाकी रक्षा करते हुए आप उसके भविष्यका निर्माण करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर आपको ऐसा कर सकनेकी शक्ति प्रदान करेगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ३-४-१९१९



## १५९. सन्देश : मद्रासकी सभाके लिए

मार्च ३०, १९१९

प्रिय श्री रंगास्वामी,<sup>१</sup>

मुझे दुःख है कि आज शामकी सभामें शरीक नहीं हो पाऊँगा। मैंने आन्ध्रके भाइयोंको समय दे दिया है और उसके लिए मुझे बेजवाड़ा जानेवाली रेलगाड़ी पकड़नी होगी। मैंने अभी इस प्रान्तके दक्षिण भागका दौरा समाप्त किया है, और चाहता हूँ कि उसकी मेरे मनपर जो छाप पड़ी है, उसे लिख डालूँ और कुछ-एक भाइयोंकी कतिपय आलोचनाओं और शंकाओंका उत्तर भी दे दूँ।

मैंने तंजौर, तिरुचिनापल्ली, मदुरा,<sup>२</sup> तूतीकोरिन और नागापट्टनम आदि स्थानोंका दौरा किया है; और कम-से-कम कहूँ, तो इस दौरेमें मैं तीस हजार लोगोंके सामने तो अवश्य बोला होऊँगा। जिन लोगोंको हमें चेतावनी देने और दुःशंकाएँ व्यक्त करनेका अधिकार है और जिन्हें मातृभूमिसे उतना ही प्रेम है जितने प्रेमका दावा हम करते हैं, उन्होंने यह अन्देशा जाहिर किया है कि हमारी नीयत चाहे कितनी भी अच्छी हो और हिंसासे बचनेके लिए हम कितने भी सावधान क्यों न हों लेकिन यह खतरा तो मौजूद है ही कि उत्साहितरेकमें इस आन्दोलनमें शामिल होनेवाले लोग पर्याप्त आत्म-संयम न रख पायें और हिंसापर उतर आयें। परिणामस्वरूप अनावश्यक खून-खराबी, और उससे भी बढ़कर, राष्ट्रहितकी हानि होगी। आन्दोलन छेड़नेके बाद दिल्लीसे मैंने सभाओंमें भाषण देना आरम्भ किया। फिर मैं लखनऊ, इलाहाबाद और बम्बई होकर मद्रास आया। इन सब स्थानोंकी सभाओंके अनुभवसे मुझे मालूम हुआ है कि सत्याग्रहके प्रारम्भ होते ही तत्सम्बन्धी सभाओंमें शरीक होनेवालोंकी वृत्तिमें भारी परिवर्तन हो गया है। लखनऊकी बात है कि वहाँ सभापतिने एक घोषणापत्रके सम्बन्धमें बड़े निश्छल ढंगसे दो-चार बातें कह दी थीं। यह घोषणापत्र शाही परिषद्के कुछ सदस्योंके हस्ताक्षरसे जारी किया गया था और उसमें हमारे आन्दोलनसे असहमति प्रकट की गई थी। किन्तु, सभापतिकी बात सुनते ही श्रोता-समूहने बड़े जोरोंसे “शर्म, शर्म!” की आवाज लगानी शुरू की। इसपर मैंने उन्हें बताया कि सत्याग्रहियोंको और सत्याग्रह-सम्बन्धी सभाओंमें जानेवाले लोगोंको ऐसे शब्दोंका प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमारी सभाओंमें दिये जानेवाले भाषणोंके बीच पसन्दगी या नापसन्दगी प्रकट करनेवाली ऐसी आवाज नहीं लगानी चाहिए। श्रोताओंने मेरे कथनका आशय तुरन्त समझ लिया और उसके बाद फिर कभी अपनी सम्मतिका प्रदर्शन नहीं किया। और यद्यपि यह सत्य है कि अन्य स्थानोंकी भाँति इस प्रान्तके शहरोंमें भी लोग मेरे

१. के० वी० रंगास्वामी आद्यंगार, जो मद्रास सत्याग्रह सभाके तत्त्वावधानमें ट्रिप्लिकेन-तटपर की गई सार्वजनिक सभाके अध्यक्ष थे।

२. अब इसे मदुरई कहने लगे हैं।



स्वास्थ्यके खयालसे शोरगुल करनेसे मुँह मोड़ रहे हैं; किन्तु साथ ही वे यह भी समझते हैं कि उन्हें कुछ उच्चतर कारणोंसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आन्दोलनके नेता भी आत्म-संयमकी आवश्यकताको भली-भाँति समझ गये हैं। इन अनुभवोंसे मुझे भविष्यके लिए भारी आशाएँ बँधती हैं। हमारे मित्रोंको जिन जोखिमोंका डर है, उनका डर मुझे नहीं है; और मैंने जिन अनेक सभाओंका उल्लेख किया है, उनसे मेरी इस आशावादिताकी पुष्टि होती है। इसके अलावा, मैं यह कहनेका साहस भी करूँगा कि उस खतरेको टालनेके लिए मनुष्यके लिए जितनी सावधानी रखना सम्भव है, उतनी रखी जा रही है और रखी जायेगी। यही कारण है कि हमारी प्रतिज्ञामें हस्ताक्षरकर्त्ताओंके लिए यह बन्धन रखा गया है कि जिन कानूनोंको सत्याग्रहियोंकी समिति चुनेगी, केवल उन्हीं कानूनोंकी सविनय अवज्ञा की जायेगी।<sup>१</sup> और मुझे इस बातसे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे सिन्धी भाइयोंने प्रतिज्ञाको अच्छी तरह समझा है, और हैदराबादके पुलिस-कमिश्नरने उनके शान्तिपूर्ण जुलूसको रोकनेका जो हुक्म जारी किया था, उस हुक्मको उन्होंने मान लिया है; क्योंकि वर्तमान आन्दोलनमें यह बात शामिल नहीं है कि देशके उन सभी कानूनोंको तोड़ा जाये जिनको तोड़ना सत्याग्रहियोंकी प्रतिज्ञाके प्रतिकूल नहीं पड़ता। जिसकी सहज वृत्ति कानूनका पालन करनेकी न हो, वह सत्याग्रही किसी कामका नहीं और कानून पालन करनेकी उसकी वृत्ति ही उससे सर्वोच्च कानूनका, अर्थात् अन्तरात्माकी आवाजका, जो सब कानूनोंसे ऊपर है, पालन कराती है। वह कुछ कानूनोंकी सविनय अवज्ञा करता है, परन्तु वह भी केवल जाहिरा अवज्ञा ही है। हरएक कानून लोगोंको एक विकल्प देता है, अर्थात् यह कि वे या तो उसका पालन करें या उसकी अवज्ञाके फलस्वरूप उन्हें जो दण्ड दिया जाये उसे स्वीकार करें। और मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि सत्याग्रही उसके दूसरे बन्धनको सहर्ष स्वीकार करके कानूनका पालन ही करते हैं। उनका आचरण उन साधारण अपराधियोंसे भिन्न है जो देशके कानूनोंकी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, अवज्ञा ही नहीं करते, बल्कि उस अवज्ञाके परिणामोंसे भी बचना चाहते हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि किसी भी अवांछनीय परिणामको टालनेके लिए बुद्धिसंगत सभी तरहकी सावधानी बरती गई है।

कुछ भाई कहते हैं कि आप रौलट-कानूनोंको भंग करें, यह तो समझमें आता है, हालाँकि उनमें भी सत्याग्रहीकी हैसियतसे आपके लिए भंग करनेकी कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे कानूनोंको, जिन्हें आप अबतक मानते आये हैं और जो अच्छे भी हो सकते हैं, आप कैसे भंग कर सकते हैं? जहाँतक अच्छे कानूनोंका, यानी नैतिक सिद्धान्तोंका निर्धारण करनेवाले कानूनोंका सम्बन्ध है, सत्याग्रही उन्हें न तो तोड़ सकते हैं, और न उनको तोड़नेकी बात प्रतिज्ञामें सोची ही गई है। किन्तु कुछ ऐसे कानून भी हैं, जो न अच्छे हैं और न बुरे—न नैतिक हैं और न अनैतिक। ऐसे कानून उपयोगी भी हो सकते हैं और हानिकर भी। इनका पालन लोग उस चीजको ध्यानमें रखकर करते हैं जिसे देशका सुशासन कहा जाता है। ऐसे कानून या तो राजस्व-सम्बन्धी

१. देखिए “वक्तव्य: सत्याग्रह सभाकी ओरसे”, ७-४-१९१९।



उद्देश्योंसे बनाये जाते हैं या ये ऐसे राजनीतिक कानून होते हैं जिनमें विधानकी दृष्टिसे अपराधोंका निरूपण किया जाता है। इन्हीं कानूनोंके बलपर सरकार अपनी सत्ता कायम रखती है। इसलिए जब सरकार इतनी बुरी हो जाये कि वह राष्ट्रीय-जीवनको आघात पहुँचाये, जैसा कि वह रौलट कानूनोंकी रूसे कर रही है, तो लोगोंको हक हो जाता है, बल्कि यह उनका धर्म बन जाता है कि वे सरकारको राष्ट्रकी इच्छाके सामने झुकानेके लिए जहाँतक आवश्यक हो वहाँतक ऐसे कानूनोंकी अवज्ञा करें।

मेरी यात्राके दरम्यान एक और शंका उठाई गई है, और यही शंका कुछ भाइयों-ने पत्र लिखकर उठाई है। पूछा गया है कि कानून-भंगके लिए कानून चुननेका काम एक समितिको सौंपना सत्याग्रहके सिद्धान्तके अनुसार कहाँतक ठीक है। उनका तर्क है कि ऐसे चुनावका सवाल दूसरोंके हाथोंमें सौंपकर हम अपनी अन्तरात्मापर दूसरोंको काबिज हो जाने देते हैं। किन्तु, इस शंकासे प्रतिज्ञाके बारेमें गलतफहमी लक्षित होती है। प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनेवाला व्यक्ति तो यह संकल्प करता है कि वह आवश्यकता होनेपर उन सभी कानूनोंको भंग करेगा जिन्हें भंग करना सत्याग्रहीके लिए उचित है। परन्तु उसपर यह बन्धन नहीं है कि उसे ऐसे सभी कानून भंग करने ही चाहिए। इसलिए अपनी अन्तरात्माके निर्देशका पूरी तरह पालन करते हुए भी इस निर्णयको कि कौन-से कानून भंग किये जायें उन लोगोंके विवेकपर छोड़ दिया जा सकता है जो इन मामलोंमें विशेषज्ञ हैं और खुद भी प्रतिज्ञाकी मर्यादाओंसे निश्चित रूपसे बँधे हुए हैं। यह सम्भव है कि वह चुनाव किसी हस्ताक्षरकर्त्ताकी दृष्टिसे ऐसा न हो जिसमें तोड़ने योग्य सभी नियम आ गये हों।

मुझसे यह भी कहा गया है कि देशके जीवनमें सबसे अधिक महत्त्व रखनेवाली एक ही बात है—आगामी सुधार; और मैं उस ओरसे भी लोगोंका ध्यान हटा रहा हूँ। किन्तु, मेरे विचारसे तो रौलट कानून प्रगतिके पूरे ही मार्गमें—और इस प्रकार किसी भी ठोस सुधारके मार्गमें—बाधा बनकर खड़े हैं; प्रवर समितिने ठीक ही कहा है कि उनमें जो संशोधन किये गये हैं उनसे उनके सिद्धान्तोंमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं समझता हूँ पहली आवश्यक बात इस सिद्धान्तको खुले तौरपर पूरी-पूरी मान्यता देना है कि उचित रूपसे व्यक्त लोकमतका सरकारको आदर करना चाहिए। मैं इस सिद्धान्तमें विश्वास नहीं करता कि कोई सत्ता एक ही साथ लोगोंपर विश्वास भी रखे और उनका अविश्वास भी करे; उन्हें स्वतन्त्रता भी दे और उनका दमन भी करे। मुझे यह अधिकार है कि जो सुधार होनेवाले हैं, उनकी व्याख्या मैं रौलट कानूनोंके प्रकाशमें करूँ; और मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि यदि हम अपने मार्गमें से रौलट कानून रूपी महाविघ्नको दूर करने लायक जोर नहीं लगायेंगे, तो ये सारे सुधार ऊपरी ताम-झाम ही साबित होंगे।

अभी एक और आपत्तिका उत्तर देना शेष है। कुछ भाइयोंका कहना है कि 'हमें बोल्शेविज्मके आक्रमणका जो भय बना हुआ है, वह आपके सत्याग्रह-आन्दोलनसे बढ़ जाता है।' परन्तु हकीकत यह है कि हमारे देशपर इस आफतके टूट पड़नेको यदि कोई चीज रोक सकती है तो वह सत्याग्रह ही है। बोल्शेविज्म आधुनिक भौतिकता-वादी सभ्यताका आवश्यक परिणाम है। भौतिकताकी अन्ध उपासनाके परिणामस्वरूप



एक ऐसी विचारधाराका जन्म हुआ है, जिसके पोषकोंको भौतिक समृद्धिको ही अपना लक्ष्य माननेकी सीख दी गई है, और जीवनके सुन्दरतर उपादानोंसे उनका सम्बन्ध बिल्कुल टूट गया है। बोल्शेविज्मका ध्येय भोगविलास है; सत्याग्रहका ध्येय आत्मसंयम है। यदि मैं राष्ट्रको सत्याग्रह स्वीकार करने — भले ही उसे जीवनके, चाहे वह सामाजिक जीवन हो या राजनीतिक, एक प्रमुख तत्त्वके रूपमें ही स्वीकार करने — की प्रेरणा दे सकूँ, तो हमें बोल्शेविकोंके प्रचारसे डरनेकी कोई जरूरत नहीं है। फिर राष्ट्रसे सत्याग्रहको स्वीकार करनेका अनुरोध करके मैं उससे अपने जीवनमें कोई नई चीज दाखिल करनेके लिए नहीं कह रहा हूँ; मैंने एक प्राचीन नियमको, जो अबतक हमारे जीवनका मुख्य नियामक तत्त्व रहा है, यह नया नाम दिया है, और मैं यह भविष्यवाणी करता हूँ कि यदि हम जड़-तत्त्वके आगे आत्माकी और पशु-बलके आगे सत्य और प्रेमकी प्रमुखताके नियमकी अवज्ञा करेंगे तो चन्द वर्षोंमें ही इस देशमें, ऐसे देशमें जो किसी समय इतना पवित्र था, बोल्शेविज्मका ताण्डव देखनेको मिलेगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

टाइप किये हुए मूल अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ६४८३) की फोटो-नकलसे।

### १६०. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रूजको

सिकन्दराबाद  
अप्रैल १, १९१९

प्रिय चार्ली,

लगता है कि यह पत्र — जिसे मैं बोलकर लिखवा रहा हूँ — एक जमानेके बाद भेज रहा हूँ। और अगर हम लोगोंकी यात्रामें एक अप्रत्याशित घटना न हो गई होती तो आज भी न भेज पाता। हुआ ऐसा कि आज सुबह सूर्योदयसे पूर्व हम लोग बेज-वाड़ासे रवाना हुए; आशा थी कि वाडी जंकशनपर बाँम्बे मेल मिल जायेगी। लेकिन सिकन्दराबादसे वाडी जंकशन तक ले जानेवाली स्पेशल सवारी गाड़ी हमारे सिकन्दराबाद स्टेशनपर पहुँचनेसे पूर्व ही छूट चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि हमें यहाँ पूरे चौबीस घंटे भीषण गरमीमें काटने पड़ रहे हैं। सिकन्दराबाद आवेकी तरह दहक रहा है। परन्तु इस खीझ पैदा करनेवाली देरीका एक सुखद स्वरूप<sup>१</sup> भी है। (मैंने जो शब्द प्रयुक्त किया है वह मेरे अर्थको व्यक्त कर रहा है या नहीं सो मैं नहीं जानता। क्या यह शब्द वह भाव व्यक्त करता है जो 'उज्ज्वल पहलू'<sup>२</sup> शब्दसे ध्वनित होता है?) इस समयका उपयोग मैं तुम्हें पत्र लिखनेमें और ऐसा पत्र लिखनेमें कर पा रहा हूँ जो शायद प्रेम-पत्र बन जाये — यह कोई छोटी बात नहीं है।

१. मूलमें 'एमेन्टीज'।

२. मूलमें 'रिलीविंग फीचर्स'।



गुरुदेवके स्वास्थ्यके बारेमें तुमने जो समाचार भेजा है उससे मेरा मन दुःखित हुआ है। उन्हें क्या तकलीफ है? मुझे पूरा यकीन है अब वे पहलेसे काफी अच्छे होंगे। मैं गुरुवार ता० ३ अप्रैलको बम्बई पहुँच रहा हूँ। इस माहमें मैं २२ तारीख तक ऐसा समझो कि बम्बई और अहमदाबादके बीच चक्कर लगाता रहूँगा। इन दिनोंमें तुमसे मिलना हो जाता तो उत्तम होता। इस बीच मैं तुम्हें यह तो बता ही दूँ कि प्रतिज्ञासे मेरा क्या तात्पर्य है। मुझे यह देखकर कुछ आश्चर्य हो रहा है कि तुम उसका सीधा-सा अर्थ समझ नहीं पाये। हस्ताक्षरकर्ता इस बातके लिए वचन-बद्ध होता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह चिरस्थायी सत्यांका विधान करनेवाले कानूनोंको छोड़कर बाकी सब कानूनोंको तोड़ेगा। परन्तु कोई सत्याग्रही मनमानी न करने लगे इसलिए तोड़े जानेवाले कानूनोंके चुनावका और उन्हें किस क्रममें तोड़ना चाहिए— इस बातका निर्णय स्वयं न करके विशेषज्ञोंके हाथमें सौंपता है। निश्चय ही यह मामला अन्तरात्मासे सम्बन्ध नहीं रखता। यदि समितिसे जो उसी प्रतिज्ञाके द्वारा बँधी हुई है जिससे कि सत्याग्रही बँधा हुआ है, कोई भूल होती है और वह तोड़नेके लिए ऐसे कानूनोंको चुनती है जो सत्याग्रहसे असंगत बैठते हैं तो स्वभावतः वह हस्ताक्षरकर्ता सत्याग्रही जिसकी अन्तरात्मा कानून भंगको सत्याग्रहसे असंगत मानती है उस कानूनको नहीं तोड़ेगा। सत्याग्रहके प्रत्येक संगठनमें यह अन्तिम स्वतन्त्रता मान ली गई है। क्या मैं अपना मतलब साफ तौरपर नहीं व्यक्त कर पाया हूँ? तोड़े जानेवाले कानूनोंको चुननेका उत्तरदायित्व समितिको सौंपा जाना प्रतिज्ञाका सबसे सुन्दर अंग है। अगर ऐसा न किया गया होता तो गड़बड़ीका ठिकाना न रहता। सिन्धकी घटनाको ही ले लीजिये। वहाँ पुलिस-अधीक्षकने एक निर्दोष जुलूसका निकाला जाना निषिद्ध किया था। सत्याग्रहियोंने आदेशका पालन इसलिए किया कि वे सत्याग्रह-समितिकी अनुमतिके बगैर किसी भी अवस्थामें सत्याग्रह न करनेके लिए वचनबद्ध थे। उनकी पहली इच्छा तो यही होती कि उस प्रतिबन्धकी अवहेलना की जाये। इस प्रकारकी जल्दबाजीका परिणाम आगे चलकर गम्भीर हो सकता था। दक्षिण आफ्रिकामें इस बातका निर्णय कि कौन-कौनसे कानून तोड़े जायें और कब तोड़ जायें मेरे विवेकपर छोड़ दिया गया था। यहाँ समितिका विचार मेरे सुझावपर ही किया गया था। परन्तु ऐसी प्रत्येक समितिका अध्यक्ष मैं हूँ। जिन कतरनोंको मैं तुम्हारे पास भेजता रहा हूँ— आशा है तुम उन्हें यथावकाश पढ़ लेते होंगे। अब पत्र समाप्त करता हूँ; मिलनेवाले प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मैं गुरुदेवका तथा तुम्हारा कोई लेख, अगर तुम भेज सको, प्रकाशित करनेका बहुत इच्छुक हूँ।

सस्नेह,

तुम्हारा,

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ६४८९) की फोटो-नकलसे।



## १६१. पत्र : एस्थर फेरिंगको

सिकन्दराबाद  
अप्रैल १, १९१९

मेरी प्यारी बन्ची,

मेरा हाथ अभी तक इतना कांपता है कि मैं जमाकर और लगातार नहीं लिख सकता। किन्तु लगता है कि मुझे तुमको कुछ-न-कुछ अपने हाथका ही लिखा भेजनेकी कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें स्टेशनपर<sup>१</sup> नहीं देख सका, इसलिए मन बड़ा दुःखी हुआ। मुझे तुम्हारा और बेचारे महादेवका बहुत खयाल आया। तुम दोनों बड़े भावुक हो — दोनों लगभग एक ही साँचेमें ढले हुए हो। जब गाड़ी चली, तब मैं भय और आशंकासे काँपते हुए खिड़कीसे बाहर झाँक रहा था। क्योंकि मुझे लगा कि गाड़ी पकड़नेके लिए महादेव इतना बेतहाशा दौड़ेगा कि कहीं थककर गिर न जाये। इसलिए जब मैंने उसे बेजवाड़ामें देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई।

तुमने कलक्टरको पत्र लिखना स्वीकार किया था। आशा है, तदनुसार पत्र लिख दिया होगा। मुझे बताना कि उन्होंने कोई जवाब दिया या नहीं।

लड़कियोंसे<sup>२</sup> कहना कि उन्होंने मुझे जो कम्बल दिया था, उसे मैं रोज इस्ते-माल करूँगा। परन्तु उनसे मैं यह आशा रखता हूँ कि वे जल्दी ही हाथ-कते सूतसे कपड़ा बुनना सीख लेंगी और खुद कातने भी लगेंगी। चरखेका स्वर मेरे जानते किसी भी दूसरे संगीतसे अधिक मधुर है, क्योंकि आखिरकार यही वह संगीत है जिससे नंगोंको ढका जा सकता है। जब मशीनोंमें बेकार पड़े-पड़े जंग लग जायेगी (क्योंकि मनुष्य किसी दिन मशीनोंकी बेहद तेज गतिसे ऊबकर उसका त्याग करेगा ही) तब भी लोगोंको कपड़ेकी जरूरत तो होगी ही और उस समय हाथके कते सूतके कपड़ेका ही प्रचलन होगा। मैं मगनलालको लिख रहा हूँ कि वह तुम्हें थोड़ा-सा हाथकता सूत भेज दे।

हमारी गाड़ी देरसे पहुँची, इसलिए हमें जो गाड़ी पकड़नी थी, वह निकल गई। अतएव हम आज यहीं पड़े हैं — बिना किसी काम-काजके। इसी कारण तुम्हें यह पत्र लिख सका हूँ।

मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्कूलमें हिन्दी जारी करो। इस सम्बन्धमें सुपरिन्टेंडेंटसे

१. मद्रासमें।

२. एस्थर फेरिंग जिस डेनिश मिशन बोर्डिंग स्कूलमें काम करती थी, वहाँकी लड़कियोंसे तात्पर्य है।



सलाह कर सकती हो। मैंने हिन्दी अपनानेकी आवश्यकता समझाते हुए जो-कुछ कहा है, उसे पढ़ा है या नहीं?

अत्यन्त स्नेह-सहित,

तुम्हारा,

बापू

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे ।

सौजन्य : नारायण देसाई

१६२. तार : एस० कस्तूरी रंगा आयंगारको

[ बम्बई

अप्रैल ३, १९१९ ]

कस्तूरी रंगा आयंगार<sup>१</sup>

'हिन्दू'

मद्रास

अभी-अभी<sup>२</sup> पहुँचा हूँ। सिकन्दराबादमें गाड़ी छूट गई थी। दिल्लीमें बैठक<sup>३</sup> बुलानेकी बात सोच रहा हूँ। आशा है दिल्लीकी दुखान्त<sup>४</sup> घटनासे सत्याग्रहियोंका निश्चय और कठोर हो जायेगा और दुल-मुल लोग अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे। मेरे मनमें किंचित् मात्र सन्देह नहीं कि अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ बने रहनेसे हम रौलट कानून वापस करवा सकेंगे; इतना ही नहीं बल्कि उसके पीछे विद्यमान आतंकवादकी भावनाको भी समाप्त कर देंगे। आशा है रविवारको<sup>५</sup> दिये जानेवाले भाषण रोष अथवा अशोभनीय जोशसे मुक्त होंगे। हमारा अनुष्ठान इतना बड़ा और पुनीत है कि रोष अथवा जोशके प्रदर्शनसे उसे धक्का न पहुँचने दिया जाये। स्वेच्छासे ओढ़ी हुई मुसीबतोंके आ पड़ने पर रोने चीखनेका अधिकार हमें नहीं है। निश्चय ही कामकाजको बन्द करवानेमें जबरदस्ती न की जाये। और न उपवास करनेके लिए ही किसी पर दबाव डाला जाये। आप इस तारको प्रकाशित कर सकते हैं।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६४९६) की फोटो-नकलसे ।

१. हिन्दू के संपादक; सत्याग्रह-सभा, मद्रासके उप-प्रधान ।
२. न्यू इंडियामें " बेजवाडासे यहाँ " छपा है ।
३. न्यू इंडियामें " अखिल भारतीय सत्याग्रह सम्मेलन दिल्ली " छपा है ।
४. मार्च ३० को पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी ।
५. ६ अप्रैल ।

१५-१२



## १६३. तार : स्वामी श्रद्धानन्दको

अप्रैल ३, १९१९

संन्यासी स्वामी श्रद्धानन्दजी  
आर्यसमाज  
दिल्ली

मद्रास प्रान्तके भ्रमणसे अभी लौटा हूँ, कल उस दुर्घटनाके बारेमें कुछ अघूरे-से समाचार रेलमें बैठे-बैठे पढ़े। आपने समाचारपत्रोंको जो जोरदार वक्तव्य दिया है उसे भी पढ़ा है। उसपर मुझे गर्व है। रौलट कानूनका विरोध करनेमें आपने तथा दिल्लीके लोगोंने जिस अनुकरणीय धैर्यसे काम लिया है उसके लिए मैं आपको तथा दिल्लीके लोगोंको साधुवाद देता हूँ। हम उसके पीछे निहित दमनकी भावनाका विरोध कर रहे हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। दिल्लीके निर्दोष व्यक्तियोंने गत रविवारको जिस प्रकार अपना रक्त बहाया है उसी प्रकार और भी बहुतेरा निर्दोष रक्त हमें बहाना होगा। सत्याग्रहियोंके लिए तो यह घटना इस बातका एक और आह्वान है कि वे अधिक-से-अधिक बलिदान करें। यदि सम्भव हो तो आजतक घायल हुए या मृत्युको प्राप्त हुए हिन्दुओं और मुसलमानोंकी ठीक संख्या तार द्वारा सूचित करें। आगामी रविवारको दिल्लीके लोगोंके लिए पुनः उपवास करना जरूरी नहीं है।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६४९४) की फोटो-नकल तथा हिन्दू, ५-४-१९१९ से।

## १६४. तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

अप्रैल ३, १९१९

माननीय श्रीनिवास शास्त्रियर  
रायपेटा  
मद्रास

क्या दिल्लीकी दुर्घटनासे आपके तथा अन्य सज्जनोंके लिए यह अनिवार्य नहीं हो गया है कि आप लोग स्पष्ट रूपसे अपने विचार प्रकट करें सत्याग्रहके बारेमें [हमारे] मतभेदका अर्थ दिल्ली पुलिस द्वारा बरते गये उपायोंके बारेमें मतभेद नहीं होना चाहिए। रौलट विधेयकोंके



तार: मदनमोहन मालवीयको

१७९

खिलाफ हमारी लड़ाई उनके पीछे छिपी हुई दमनकी भावनाके खिलाफ है।

गांधी

अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६४९३) की फोटो-नकलसे।

१६५. तार : डॉक्टर एम० ए० अंसारीको

अप्रैल ३, १९१९

डॉक्टर अंसारी<sup>१</sup>  
दिल्ली

अभी अभी भ्रमणसे लौटनेपर आपका खत पढ़ा। आप इंग्लैंड अवश्य जायें। खाना होनेकी तारीख तार द्वारा सूचित कीजिए।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६४९७) की फोटो-नकलसे।

१६६. तार : राजेन्द्रप्रसादको

अप्रैल ३, १९१९

यहाँ<sup>२</sup> मैं कमसे-कम एक सप्ताह तक रहूँगा।

गांधी

अंग्रेजी तार (एस० एन० ६४९८) की फोटो-नकलसे।

१६७. तार : मदनमोहन मालवीयको

लैबर्नम रोड  
बम्बई

[अप्रैल ३, १९१९ या उसके पश्चात्]

माननीय पंडित मालवीयजी  
भारती भवन  
इलाहाबाद

दिल्लीमें जो कुछ हुआ है वह निर्दोष व्यक्तियोंका कत्ल ही माना जा सकता है; उसे देखते हुए मेरी रायमें आप आन्दोलनमें शरीक

१. (१८८०-१९३६); एम० डी०, एल० आर० सी० पी०, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष, १९२७।

२. बम्बईमें।



हों चाहे न हों, परन्तु खामोशी अख्यितार नहीं कर सकते। आशा है आप तथा अन्य नेतागण अपने विचार स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त किये बिना न रहेंगे। रौलट विधेयकोंका विरोध करनेमें सत्याग्रही लोग उस कानूनके पीछे निहित दमनकी भावनाका विरोध कर रहे हैं। बेगुनाह लोगोंके खूनके कारण सत्याग्रहियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। मेरे मनमें इस बातके बारेमें सन्देह नहीं है कि वे अपना कर्तव्य निभायेंगे। कृपया इस तारको पंडित नेहरू तथा अन्य सज्जनोंको दिखा दें।

गांधी

गांधीजी द्वारा संशोधित हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६४९५) की फोटो-नकलसे।

### १६८. पत्र : अखबारोंको

बम्बई

अप्रैल ३, १९१९

सम्पादक,  
'बॉम्बे क्रॉनिकल'  
बम्बई  
महोदय,

मैं दिल्लीकी दुःखद घटनाके सम्बन्धमें कुछ कहना चाहता हूँ। आशा है, आप उसे अपने पत्रके स्तम्भोंमें कुछ स्थान देकर अनुगृहीत करेंगे। दिल्लीके जो लोग रेलवे-स्टेशनके सामने इकट्ठे हुए थे, उनपर ये आरोप लगाये जाते हैं :

१. कुछ लोग मिठाई बेचनेवालोंसे अपनी दूकानें बन्द करनेके लिए जबरदस्ती कर रहे थे।
२. कुछ ऐसे थे जो लोगोंको ट्रामों और दूसरी सवारियोंमें बैठनेसे जबरदस्ती रोक रहे थे।
३. कुछ लोगोंने पत्थर फेंके थे।
४. उस सारी भीड़ने, जो स्टेशनपर गई थी, उन लोगोंको छोड़ देनेकी माँग की थी, जिन्हें जबरदस्ती करनेके आरोपमें रेलवे-अधिकारियोंके अनुरोधपर पकड़ा गया था।
५. मजिस्ट्रेटने जब भीड़को तितर-बितर हो जानेका हुक्म दिया, तब भीड़ने तितर-बितर होनेसे इनकार कर दिया।

१. मोतीलाल नेहरू।



मैंने इस दुःखद घटनाका संन्यासी स्वामी श्रद्धानन्दजीका दिया हुआ विवरण पढ़ा है। उसे मैं तबतक सही मानूंगा ही, जबतक अधिकृत रूपसे उसे गलत न साबित कर दिया जाये। उनका विवरण पहले तीन आरोपोंको अमान्य करता मालूम होता है। परन्तु सारे आरोपोंको सच्चा मान लें, तब भी मुझे ऐसा ही लगता है कि स्थानीय अधिकारियोंने मक्खीको मारनेके लिए विशाल घनका इस्तेमाल किया है। किन्तु उन्होंने भीड़पर गोली चलानेकी जो कार्रवाई की है, उसके बारेमें ज्यादा फिर कभी कहूँगा।

यह पत्र लिखनेमें तो मेरा हेतु सभी सत्याग्रहियोंको एक चेतावनी दे देना है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि १ से ४ तकके आरोपोंमें कही गई बातें यदि सही हों, तो लोगोंका यह आचरण सत्याग्रहकी प्रतिज्ञासे असंगत होगा। पूर्वे आरोपमें जैसा कहा गया है वैसा व्यवहार प्रतिज्ञासे संगत हो सकता है; परन्तु यदि आरोप सत्य हो, तो कहना होगा कि वह असमय किया गया, क्योंकि प्रतिज्ञामें जिस समितिकी बात कही गई है उसने दंगा-सम्बन्धी कानूनके अन्तर्गत दिये गये मजिस्ट्रेटके हुक्मका अनादर करनेका निर्णय नहीं किया है। मैं यह बात भरसक स्पष्टतासे कह देना चाहता हूँ कि इस आन्दोलनमें जो लोग हमारा परामर्श और सुझाव स्वीकार करना न चाहते हों, उनपर हम जरा भी दबाव नहीं डाल सकते। यह आन्दोलन मूलतः सभी लोगोंको अधिकसे-अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करनेके उद्देश्यसे किया जा रहा है। इसलिए जो लोग सही या गलत तौरपर पकड़े गये हैं, उन्हें छोड़ देनेकी माँग सत्याग्रही बलपूर्वक नहीं कर सकते। हमारी प्रतिज्ञाका तत्त्व यह है कि हम स्वयं जेल जानेका उपक्रम करें, और जबतक समिति दंगा-कानूनको तोड़नेका निर्णय न करे, तबतक सत्याग्रहियोंका फर्ज है कि वे कोई टंटा-बखेड़ा किये बिना भीड़के तितर-बितर होने आदिसे सम्बन्धित मजिस्ट्रेटकी आज्ञाका पालन करें और इस प्रकार यह बता दें कि वे स्वभावतः कानून-पालक हैं। मैं आशा करता हूँ कि आगामी रविवारको सत्याग्रह-सभाओंमें जो भी भाषण दिये जायेंगे वे आवेश, क्रोध या रोषसे रहित होंगे। इस आन्दोलनकी विजय पूर्ण शान्ति, आत्मसंयम, सत्यपालन तथा कष्टसहनकी असीम क्षमतापर निर्भर है।

इस पत्रको समाप्त करनेसे पूर्व मैं यह कह देना चाहता हूँ कि सत्याग्रही रौलट कानूनोंका विरोध करके शासकीय आतंकवादकी उस भावनाका विरोध कर रहे हैं जो उनके पीछे निहित है और जिसका ये कानून अन्यन्त स्पष्ट लक्षण हैं। दिल्लीकी दुःखद घटनाके कारण सत्याग्रहियोंकी यह जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है कि वे अपने दिलोंको मजबूत कर लें और तबतक इस संघर्षको जारी रखें जबतक रौलट कानून वापस नहीं ले लिये जाते।

आपका,

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ४-४-१९१९



## १६९. पत्र : डॉक्टर एम० बी० वेलकरको

अप्रैल ३, १९१९

प्रिय डॉक्टर वेलकर,

आपके तथा श्री मांडलिकके<sup>१</sup> स्पष्ट पत्रके लिए धन्यवाद। मेरा खयाल था कि बम्बईमें हम लोगोंकी जो पहली बैठक हुई थी उसमें मैंने सत्याग्रहका अर्थ यथासम्भव पूर्ण रूपसे समझा दिया था। मुझे याद पड़ता है कि मैंने उसमें कहा था कि सत्याग्रह राजनीतिमें धार्मिकताका समावेश करनेका एक प्रयत्न है। परन्तु आपकी स्थितिको मैंने समझ लिया है। यदि आप जेल-यात्राको स्वतन्त्रताका साधन नहीं मानते हैं तो मुझे जरा भी शक नहीं कि आप आन्दोलनमें भाग नहीं ले सकते। मेरी यह राय आज बनी हो सो बात नहीं है। मैंने इस विचारको कई साल पहले 'हिन्द स्वराज्य'<sup>२</sup> [इंडियन होमरूल] नामक अपनी पुस्तिकामें व्यक्त किया था कि सत्याग्रहके साथ बायकाटका मेल नहीं बैठता। राजनैतिक क्षेत्रमें सत्याग्रह किसी परिवारके सदस्योंको संचालित करनेवाले नीति-धर्मका ही बढ़ा हुआ रूप है। परन्तु चिट्ठीमें सत्याग्रहके पक्ष और विपक्षके सब पहलुओंपर प्रकाश डालना मेरे लिए असम्भव है। यदि आप मुझेसे मिलनेका कष्ट उठायें तो आपके साथ इस विषयपर वार्तालाप करनेमें मुझे प्रसन्नता ही होगी। कुछ भी हो, कृपया अपने अन्तिम निर्णयसे मुझे अवगत करायें।

हृदयसे आपका,

[ अंग्रेजीसे ]

एस० एन० ६४९२ की फोटो-नकलसे।

## १७०. खूनी रविवार\*

खूनी कानूनके खिलाफ महान् सार्वजनिक प्रदर्शन

आगामी रविवारके लिए प्रदर्शनोंका निर्धारित कार्यक्रम नीचे लिखे अनुसार है :

रविवार, ६ अप्रैल, १९१९

समुद्रस्नान सुबह ७ बजेसे ८ बजे तक, चौपाटीपर

जुलूस ८-१५ से १० बजे तक

चौपाटी समुद्र-तट

गिरगाँव बैंक रोड

१. डॉ० एम० बी० वेलकर; इंडियन होमरूल लीग, बम्बईके मन्त्री और सत्याग्रह-सभाकी कार्यकारिणी समितिके सदस्य।

२. आर० एन० मांडलिक; सत्याग्रह-सभा, बम्बईकी कार्यकारिणी समितिके सदस्य।

३. जनवरी १९१० में प्रकाशित; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६-६९।

४. कदाचित् इसका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था।



सैंडहर्स्ट ब्रिज

सी० पी० टैंक रोड

सैंडहर्स्ट रोड

माधव बाग

३-३० बजे स्त्रियोंकी सभा: चीनाबाग।

श्रीमती जयकर अध्यक्षता करेंगी।

श्रीमती सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी भाषण देंगे।

६-३० बजे शामको सार्वजनिक सभा: फ्रेंच ब्रिजपर।

अगर आप अपनी आजादीको मूल्यवान मानते हैं तो अवश्य सम्मिलित हों।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ४-४-१९१९

## १७१. प्रदर्शनकर्त्ताओंको हिदायतें<sup>१</sup>

अप्रैल ५, १९१९

सत्याग्रह-सभाके मन्त्रियोंने हमारे पास निम्नलिखित पत्र भेजा है:—

याद रखा जाये कि दिल्ली-दुर्घटनाको ध्यानमें रखते हुए हमें कलका दिन अपमानकी याद तथा प्रार्थना और शोक-दिवसके रूपमें मनाना है। इसलिए यह निहायत जरूरी है कि जब प्रदर्शनकारी लोग स्नानके लिए रवाना हों और जुलूसके रूपमें चलने लगे तब वे शोरगुल या आपसमें बातचीत आदि नहीं करेंगे। वे पूर्ण शान्तिके साथ जुलूसमें चलेंगे और उसकी समाप्तिपर इसी प्रकार अपने-अपने घर जायेंगे।

जहाँ भी सभाएँ की जायें वहाँ तालियों द्वारा अथवा शाबाशीकी या सम्मति-असम्मतिकी पुकारों द्वारा किसी प्रकारका कोई कोलाहलपूर्ण प्रदर्शन न किया जाये। शोक मनानेवालोंका व्यवहार अवसरके अनुकूल गम्भीर होना चाहिए।

प्रदर्शनकर्त्ताओंको स्वयंसेवकोंकी हिदायतोंपर पूरा अमल करना चाहिए।

जो लोग उपवास न करें या कामकाज बन्द न करें या जो लोग इस राष्ट्रीय शोक अथवा प्रदर्शनोंमें सम्मिलित न होना चाहें उन सबको बिलकुल न छोड़ा जाये।

प्रदर्शनकारियोंको चाहिए कि वे पुलिस द्वारा जारी की गई सब हिदायतोंको मानें और उनपर अमल करें क्योंकि सत्याग्रह-संघों द्वारा आयोजित प्रदर्शनों और जुलूसोंके सम्बन्धमें दी गई पुलिस-आज्ञाओंकी सविनय अवज्ञा की जाये, यह बात अभी हमारे आन्दोलनका हिस्सा नहीं है।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ५-४-१९१९

१. सम्भवतः इसका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था।



## १७२. तार : राजेन्द्रप्रसादको

[बम्बई]

अप्रैल ५, १९१९

राजेन्द्रप्रसाद

पटना

धन्यवाद। तुम्हारे निर्णयसे राहत मिली। हक<sup>१</sup> ब्रजकिशोर<sup>२</sup> आदिके क्या समाचार हैं?

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५०३) की फोटो-नकलसे।

## १७३. तार : स्वामी श्रद्धानन्दको

[बम्बई]

अप्रैल ५, १९१९

श्रद्धानन्दजी

दिल्ली

आपका तार<sup>१</sup> मिला। कृपया तार द्वारा सूचित कीजिए कि क्या मृतकों और सख्त घायल हुए लोगोंके आश्रितोंको आर्थिक सहायता की जरूरत है। यदि है तो क्या आपने उनको देनेके लिए पर्याप्त धन एकत्रित कर लिया है?

गांधी

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५०२) की फोटो-नकलसे।

१. मजहरूल हक (१८६६-१९३०); बिहारके राष्ट्रीय नेता; मुस्लिम लीगके जन्मदाताओंमें से एक, बादमें उसके सभापति। चम्पारनमें गांधीजीके मददगार। असहयोग आन्दोलनमें भी उनके समर्थक।

२. ब्रजकिशोर प्रसाद।

३. यह तार गांधीजीके ३ अप्रैलवाले तारके उत्तरमें आया था। उसमें दिल्लीकी घटनाओंका विवरण था।



## १७४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

[ बम्बई ]

अप्रैल ५, १९१९

प्रिय चार्ली,

दिल्लीकी दुःखद घटनाके बारेमें २४ घंटे तक तो मैं बेहद गमगीन रहा। अब उस बारेमें बेहद खुश हूँ। दिल्लीमें जो खून बहाया गया है, वह निर्दोषोंका था। सम्भव है, दिल्लीमें सत्याग्रहियोंने भूलें की हों। परन्तु कुल मिलाकर उन्होंने अतुलित यश कमाया है। बलिदानके बिना उद्धार नहीं। और इस विचारसे मेरा मन पुलकित हो रहा है कि पहले ही दिन भरपूर आहुति दी गई और वह भी शैतानी हुकूमतके केन्द्र-स्थानमें। मैं चाहता हूँ, यदि हो सके तो अपनी इस प्रसन्नतामें तुम्हें भी सहभागी बनाऊँ।

आशा है, तुम्हें अपनी शंकाओंके उत्तरमें मेरे पत्र मिल गये होंगे। मैंने तुम्हारे खिलाफ एक अपील दायर की है, जिसकी नकल साथ भेज रहा हूँ। इसका जो करना हो सो करो; परन्तु मुझे गुरुदेवकी सम्मति अवश्य मिलनी चाहिए।

अत्यन्त स्नेह-सहित,

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## १७५. पत्र : रवीन्द्रनाथ ठाकुरको

[ बम्बई ]

अप्रैल ५, १९१९

प्रिय गुरुदेव,

मेरी यह अपील चार्ली एन्ड्र्यूजके विरुद्ध है जो हम दोनों के ही मित्र हैं। मैं उनसे बहुत दिनोंसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस लड़ाईके सिलसिलेमें प्रकाशनार्थ आपका कोई एक सन्देश भिजवायें— जो यों तो बस एक ही कानूनको लक्ष्यमें रखकर चलाई जा रही है, किन्तु वास्तवमें किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्रके उपयुक्त स्वातंत्र्य-संघर्ष है। मैंने बहुत धीरज रखा है और बड़ी प्रतीक्षा की है। चार्लीने मुझे आपकी बीमारीके सम्बन्धमें जो-कुछ लिखा, उसके कारण मुझे आपको सीधा पत्र लिखनेमें

१. देखिए अगला शीर्षक।



संकोच हो रहा था। आपका स्वास्थ्य राष्ट्रकी निधि है और चार्लीकी आपके प्रति भक्ति लोकोत्तर और दिव्य है। मैं जानता हूँ कि उनका वश चले, तो वे किसी भी व्यक्तिको, पत्र द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर, आपकी शान्ति और विश्रान्तिमें बाधा न डालने दें। मैंने आपको हर प्रकारकी तकलीफसे बचानेकी उनकी इस उच्च अभिलाषाका आदर किया है। परन्तु मुझे अब पता चला है कि आप तो बनारसमें भाषण दे रहे हैं। चार्लीने तो आपके स्वास्थ्यका जो हाल बताया था, उससे मैं कुछ घबरा-सा गया था। लेकिन आपके भाषण देनेवाली बातकी जानकारी मिलनेपर उस सम्बन्धमें मेरा खयाल बदल गया है, और अब आपसे सन्देश माँगनेका साहस कर रहा हूँ—ऐसा सन्देश जिससे जिन्हें इस आगसे गुजरना है, उनको आशा और उत्साह मिले। जब मैंने इस लड़ाईको आरम्भ किया था, तब आपने मुझे आशीर्वाद भेजनेकी कृपा की थी; इसी बातसे प्रेरित होकर आपसे सन्देश माँग रहा हूँ। आप जानते हैं कि मेरे विरुद्ध बहुत बड़ी शक्तियाँ लगी हुई हैं। मुझे उनका जरा भी डर नहीं, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि वे सब असत्यका समर्थन कर रही हैं, और अगर हमारी सत्यमें पर्याप्त श्रद्धा होगी, तो हम उस श्रद्धाके बलसे इन शक्तियोंको अवश्य जीत लेंगे। किन्तु ये सारी शक्तियाँ मनुष्यके माध्यमसे काम करती हैं। इसलिए मैं इस महान् संघर्षमें, जो इसका समर्थन करते हैं, उनकी पावन सहायता प्राप्त करनेको उत्सुक हूँ। जबतक देशके राज-नैतिक जीवनको विशुद्ध बनानेके इस प्रयत्नके बारेमें आपकी विचारपूर्ण सम्मति<sup>१</sup> न मिलेगी, तबतक मुझे सन्तोष नहीं होगा। इस सम्बन्धमें किसी बातसे आपकी पहली सम्मतिमें कोई फर्क पड़ा हो, तो आप मुझे उसे भी बता देनेमें कोई संकोच न करें। मित्रोंकी सम्मतियाँ विरुद्ध हों, तो भी मैं उनका आदर करता हूँ, क्योंकि भले ही उनसे मेरा मार्ग बदले नहीं, लेकिन वे अनेक ज्योति-स्तम्भों [लाइट हाउसेज] के समान हैं, जो हमें जीवनके तूफानी मार्गमें आनेवाले खतरोंके विरुद्ध सावधान करते हैं। चार्लीकी मित्रता मेरे लिए इसी कारण अमूल्य निधि बन गई है, क्योंकि वे मुझे अपने उन मतभेदोंको बतानेमें भी नहीं झिझकते जिनपर पूरी तरह विचार करके वे अभी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं। मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। बड़ी कृपा हो, यदि इस नाजुक घड़ीमें मुझे वही सौभाग्य आप भी प्रदान करें।

आशा है, आप अच्छे होंगे और मद्रास अहातेकी थकानेवाली यात्राके असरसे पूरी तरह मुक्त होकर ताजे और तन्दुरुस्त हो गये होंगे।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गां०

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. गुरुदेवके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट १।



## १७६. सन्देश : मद्रास-निवासियोंको

[बम्बई]

अप्रैल ६, १९१९

मुझे पूर्ण आशा है कि बलिअम्मा, नागप्पन, नारायणसामी तथा अन्य वीरात्माओंको, जिनके साथ मुझे दक्षिण आफ्रिकामें काम करनेका सौभाग्य मिला था; जन्म देनेवाला आपका महाप्रान्त आज जब कि हम सब लोगोंसे बलिदान मांगा जा रहा है पीठ न दिखायेगा। मुझे निश्चय है कि जबतक हमारे भावी हिस्सेदार हमारी इज्जत नहीं करते तबतक ये सुधार किसी कामके नहीं होंगे। और हमें मालूम है कि वे केवल उन्हींकी इज्जत करते हैं जो आदर्शोंके लिए उन्हींकी भाँति बलिदान करनेकी क्षमता रखते हैं। देखिए गत महायुद्धके अवसरपर उन्होंने किस प्रकार निस्संकोच होकर अपना रक्त और धन उँडेल दिया था। हमारा उद्देश्य तो उच्चतर है और हमारे साधन अपेक्षाकृत कहीं अधिक अच्छे हैं, क्योंकि हम अपना रक्त तो बहा सकते हैं परन्तु दूसरोंका कभी नहीं।

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५००) की फोटो-नकलसे।

## १७७. तार : स्वामी श्रद्धानन्दको

[बम्बई]

अप्रैल ६, १९१९

श्रद्धानन्दजी  
दिल्ली

दिल्लीके लिए मंगलवारको<sup>३</sup> रवाना होनेकी आशा करता हूँ। क्या यह पर्याप्त होगा ?

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५०४) की फोटो-नकलसे।

१. यह संदेश मद्राससे भेजे गये इस तारके उत्तरमें दिया गया था “ सत्याग्रह-दिवसके लिए तार द्वारा संदेश भेजनेकी कृपा कीजिये। संदेशका अनुवाद यहाँकी देशी भाषाओंमें करानेकी व्यवस्था की जा रही है — रंगास्वामी ” (एस० एन० ६५००)।

२. अप्रैल ८।



## १७८. पत्र : बी० जी० हॉर्निमैनको

[ बम्बई ]

अप्रैल ६, १९१९

प्रिय हॉर्निमैन,

इसके साथ एक महत्त्वपूर्ण पत्र<sup>१</sup> भेज रहा हूँ। आप द्विजेन्द्रबाबूको तो जानते ही हैं। ये सर रवीन्द्रनाथ ठाकुरके सबसे बड़े भाई हैं और अपने स्व० पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुरकी तरह लगभग संन्यासीका जीवन बिता रहे हैं। मेरे अनुमानसे उनकी उम्र अस्सी बरससे ऊपर ही है। इसलिए मेरे खयालसे यह पत्र छापने लायक है। मैं तो इस पत्रको उसकी फोटो-प्रतिकृतिके रूपमें भी छापनेको कहूँगा। परन्तु मैं यह चिन्ता सिर्फ संलग्न पत्रको भेजनेके उद्देश्यसे ही नहीं लिख रहा हूँ। यदि अनुमति दें तो एक निवेदन यह भी करना है कि आप 'क्रॉनिकल' में कलका अग्रलेख लेखनीको प्रेमकी स्याहीमें डुबोकर लिखें। मैं अब आपको इतनी अच्छी तरह तो जानता ही हूँ कि आपमें ऐसा लेख लिखनेकी पूरी क्षमता है। और यदि मेरा सुझाव आपको स्वीकार हो, तो मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अग्रलेख आपके हस्ताक्षरोंसे प्रकाशित हो।

हृदयसे आपका,

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. पत्र अंग्रेजीमें था; और उसका हिन्दी रूपान्तर यह है :

मार्च ३१, १९१९

परम आदरणीय भाईश्री गांधी,

मैं हृदयसे चाहता हूँ कि आप हमारे भ्रमित लोगोंको भलाईसे बुराईपर विजय पानेमें सहायता देनेके काममें निरन्तर आगे बढ़ते जायें। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे तपस्या और उपवास आदिकी जो ताकीद करते हैं वह नितान्त आवश्यक नहीं है और इसलिए उन्हें छोड़ा जा सकता है। किन्तु पीछे सोचनेपर मैं देखता हूँ कि हम अपने दृष्टिकोणसे इस मामलेमें ठीक निर्णय करनेके योग्य हैं ही नहीं। आपको जो प्रेरणा मिल रही है वह इतने उच्च स्रोतसे मिल रही है कि आपके कथन और कार्योंके औचित्यपर शंका करनेके बजाय हमें कृतज्ञतापूर्वक यह मानना चाहिए कि उनके रूपमें हमें उस परम पिताका दिव्य ज्ञान और शक्तिसे पूर्ण आह्वान ही मिल रहा है।

मेरी कामना है कि सर्वशक्तिमान् और दयालु परमात्मा इस भयंकर संकटमें आपकी रक्षा करे और आपको शक्ति दें।

तुम्हारा स्नेही,

बड़ोदादा द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर



## १७९. भाषण : चौपाटी, बम्बईकी सभामें<sup>१</sup>

अप्रैल ६, १९१९

ठीक आठ बजे गांधीजीका भाषण आरम्भ हुआ; चूँकि वे अस्वस्थ थे, उनका भाषण श्री जमनादास द्वारकादासने पढ़कर सुनाया।

### स्वदेशी-व्रत

लिखित भाषण सुनाये जानेके पूर्व गांधीजीने कहा : जो लोग स्वदेशी-व्रत लेना चाहते हैं वे रामनवमीके दिन प्रातःकाल स्नान करनेके पश्चात् लें। आजकी यह सभा स्वदेशी-व्रतके लिए उपयुक्त अवसर नहीं है। यदि कुछ लोग यहाँ ऐसे हों जो यह व्रत लेना चाहते हों तो वे ले सकते हैं। स्वदेशी और बायकाटमें जमीन आसमानका अन्तर है, क्योंकि बायकाट एक प्रकारका दण्ड है और स्वदेशी-व्रत एक धार्मिक कृत्य है। अगर आप लोग स्वदेशी-व्रत लेनेके इच्छुक हैं तो आप पहले पर्याप्त सोच-विचार कर लें तब लें। मैं स्वयं एक पक्का स्वदेशी-व्रतधारी हूँ—और कदाचित् उसका सबसे अधिक सख्तीसे पालन करनेवाला। परन्तु यदि लोग इस विषयमें कदम उठाना चाहते हैं तो उन्हें सब बातोंपर अच्छी तरह गौर करनेके बाद ही ऐसा करना चाहिए। रामनवमीके दिन, यदि चाहें तो आप सब लोग स्वदेशी-व्रत ले सकते हैं।

श्री जमनादासने, गांधीजीके आदेशानुसार उनका प्रत्येक वाक्य क्रमशः दोहराया। तदुपरान्त उन्होंने गांधीजीका भाषण पढ़ना आरम्भ किया।

गांधीजीने अपने भाषणमें कहा :—

इस अवसरपर मैं यथासम्भव कमसे-कम बोलना चाहता हूँ। यह अवसर हममें से अधिकांशके जीवनमें कदाचित् सबसे ज्यादा गम्भीर अवसर है। मैं जानता हूँ कि अगर भाषण बिलकुल दिये ही न जायें तो आजके इस महान् प्रदर्शनको और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। परन्तु भारतकी राजधानीमें गत रविवारको जो दुःखद घटना घटित हुई है, उसे दृष्टिसे ओझल नहीं किया जा सकता।

हमारे पास उस घटनाके दो अधिकृत विवरण हैं, एक तो जनताकी ओरसे स्वामी श्रद्धानन्दजीका और दूसरा स्थानीय अधिकारियोंकी ओरसे सरकारका। दोनों विवरणोंमें अन्तर है। कुछ मुख्य मुद्दोंके बारेमें एक कुछ कहता है; दूसरा कुछ। निष्पक्ष आलोचक

१. रौल्ट बिल पास हो जानेके परिणामस्वरूप यह दिन ईश्वर-प्रार्थना और शोक-दिवसके रूपमें मनाया गया था। समस्त बम्बईमें मातम छाया हुआ था। सूर्योदयसे पहले ही चौपाटीपर चहल-पहल शुरू हो गई थी, लोग बहुत बड़ी संख्यामें एकत्रित हो रहे थे। चौपाटीपर समुद्र-स्नान और सभा उस दिनके कार्यक्रमका पहला अंग था। गांधीजी ६-३० बजे सुबह चौपाटीपर आ गये थे। लगभग सौ सत्याग्रही उनके साथ थे। सभामें मुसलमान, हिन्दू तथा पारसी सभी जातियोंके लोग शामिल थे, एक अंग्रेज भी था।



उन दोनोंको दलीय वक्तव्य मानेगा। मैं चूँकि जनताके पक्षका आदमी हूँ इसलिए आलोचनाकी खातिर माने लेता हूँ कि सरकारकी ओरसे प्रकाशित किया गया विवरण सत्य है। परन्तु उसमें अनेक आवश्यक बातोंका उल्लेख नहीं है जिसका अर्थ यह होता है कि संन्यासी श्रद्धानन्दजीके द्वारा स्थानीय अधिकारियोंपर लगाये गये कुछ आरोपोंका उत्तर देना टाला गया है। याद रहे कि संन्यासीजीका विवरण जनताके सामने सबसे पहले आया था। श्रद्धानन्दजी पहली बार गोलियाँ चलनेके बाद ही घटना-स्थलपर जा पहुँचे थे। वे कहते हैं कि “मैं कुछ यूरोपीयोंके पास, जिनमें से एक सिटी मजिस्ट्रेट श्री कारी थे, गया। मैंने उनसे ठीक क्या हुआ था, यह बतानेको कहा। उन लोगोंने मेरी बातपर कोई ध्यान न दिया, श्री कारीने तो मेरी ओरसे मुँह ही फेर लिया। मैंने उन्हें सूचित किया कि यद्यपि अभी समय नहीं हुआ है, मैं लोगोंको सभा-स्थलपर लिये जा रहा हूँ। आपको यह उचित नहीं है कि आप मशीनगनों और फौजी प्रदर्शन द्वारा लोगोंके दिलोंमें डर पैदा करें।”

मेरी विनम्र सम्मतिके अनुसार सरकारको इस आरोपके विषयमें अपने विवरणमें कुछ कहना चाहिए था। श्री कारी संन्यासी श्रद्धानन्दजीको जरूर जानते रहे होंगे — जानना तो चाहिए था। वे कोई अज्ञातनाम नवयुवक तो हैं नहीं। भारतीय जनतामें उनका एक जाना-माना स्थान है और जिस वक्त यह घटना घटी थी, उस समय इस बातका सभी लोगोंको पता था कि वे दिल्ली सत्याग्रह आन्दोलनके एक प्रमुख नेता हैं। तब सवाल उठता है कि क्या श्री कारीने श्रद्धानन्दजीकी उपेक्षा की? गोरखे सिपाहियोंने जनताको जो धमकियाँ दी थीं, संन्यासीजीने उसका बड़ा सुस्पष्ट वर्णन किया है। मैं पूछता हूँ कि क्या गोरखोंने संन्यासीजीके सामने बन्दूकें तानी थीं? क्या अशिष्टताके साथ उनसे यह कहा गया था कि “तुमको छेद देंगे?” क्या इन गोरखोंमें से एकने संन्यासीजीके सामने अपनी नंगी खुखरी घुमाई थी? उनके इस विवरणको पढ़कर यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि अधिकारी जनतापर उसके स्वाभाविक नेताओं द्वारा नियन्त्रण पानेका प्रयत्न करते तो फौजी शक्तिके प्रदर्शन अथवा प्रयोगकी जरूरत ही न रह जाती। परन्तु गत रविवारको अधिकारियोंने नेताओंकी परवाह न करने और लोगोंमें डर पैदा करनेकी अपनी पुरानी परम्परा ही निवाही। यदि सरकारी वक्तव्यकी प्रत्येक बात सच मान ली जाये, तो [भी] जैसा कि मैं समाचारपत्रोंको भेजे गये अपने बयानमें कह चुका हूँ, निर्दोष जनतापर गोली चलानेका कोई कारण न था। आखिर, लोग कुछ करते तो बहुतसे-बहुत क्या कर पाते? यह प्रत्यक्ष है कि लोगोंके पास किसी प्रकारके भी हथियार न थे। भारतको छोड़कर संसार-भरमें कोई अन्य देश ऐसा नहीं है जहाँ जनताकी भीड़को तितर-बितर करना इतना आसान हो। किसी अन्य देशमें दिल्लीकी जैसी स्थितिपर काबू पानेके लिए पुलिसको काफी माना जाता है। पुलिस भी कैसी? — हथियारोंसे लैस नहीं, हाथोंमें केवल डंडे लिए हुए।

#### डर्बनकी एक घटना

मुझे एक घटनाकी याद आ रही है। ६,००० यूरोपीयोंकी एक भीड़, जिसे उनके नेताओंने बहकाकर बहुत उत्तेजित कर दिया था, एक निरपराध व्यक्तिपर टूट पड़ना चाहती थी और उसका काम तमाम कर डालना चाहती थी। आक्रमणकारियोंने



उस व्यक्तिका बहुत पीछा किया और आखिर वह एक मित्रके घरमें जा छिपा जो उसीमें रहता था और अपनी दुकान भी चलाता था। तीसरे पहर यूरोपीयोंकी वह भीड़ दृढ़तापूर्वक उस मकानकी ओर बढ़ी और उसने माँगकी कि हमारा शिकार हमारे हवाले किया जाये वरना दुकानमें आग लगा दी जायेगी। लगभग बीस व्यक्तियोंकी — पुरुषों, स्त्रियों और बालकोंकी — जानें खतरेमें थीं। बीस हजार पाँडका माल जला दिया गया होता। यदि फौजको बुलाना कभी उचित माना जा सकता तो यह वैसा ही अवसर था। परन्तु डर्बनके पुलिस अधीक्षकने फौजकी सहायता न माँगी। वह एक दर्जन पुलिसके जवानोंको अपने साथ लेकर भीड़के भीतर जा घुसा; उसने उन संकटग्रस्त व्यक्तियों और उस सम्पत्तिकी हिफाजत की और उन लोगोंसे तीन घंटे जूझनेके पश्चात् वह उस छिपे हुए व्यक्तिको चुपकेसे बाहर निकाल ले गया और उसे थानेमें पहुँचा दिया तथा आक्रमणकारियोंकी भीड़को भंग करनेमें भी सफल हो गया। यह घटना १३ जनवरी, १८९७ की है और डर्बनमें 'हुई थी। डर्बनकी उत्तेजित भीड़ कुछ ठाने बैठी थी, दिल्लीकी भीड़के मनमें तो कुछ था ही नहीं। उसने किसी प्रकारकी धमकी नहीं दे रखी थी; सरकारी वक्तव्यके अनुसार बात फकत इतनी थी कि उसने तितर-बितर होनेसे इनकार किया था।

अधिकारी निश्चय ही फौजकी सहायता लिये बिना स्टेशनकी रक्षा कर सकते थे और बादमें भीड़को यों ही छोड़ दे सकते थे। परन्तु दुर्भाग्यवश, समूचे भारतवर्षमें यह प्रथा चल पड़ी है कि छोटी-छोटी बातोंके लिए फौज बुला ली जाती है। मैं इस बातको और अधिक विस्तारसे कहना नहीं चाहता। हम लोगोंके लिए इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि भीड़के किसी भी भाग द्वारा किसीका कोई नुकसान नहीं किया गया था और भीड़ इस अवसरपर न तो आतंकित थी और न क्रोधित। वह न केवल दृढ़ और शान्त बनी रही, बल्कि इस घातक गोलीकाण्डके तुरन्त बाद उसने एक सार्वजनिक सभाका आयोजन किया जिसमें कहा जाता है, ४० हजार लोग शरीक हुए थे। हम कह सकते हैं कि भीड़का व्यवहार सर्वथा स्तुत्य था और यह ऐसी घटना है जिसके बारेमें समय आने पर भारत गर्व करेगा। संन्यासी श्रद्धानन्दजी और हकीम अजमलखाँ अपनी कारगर और बहादुराना लीडरीके लिए हमारे आदरके पात्र हैं। पिछले कुछ दिनोंमें मैंने यह कई बार कहा है कि संघर्षमें भाग लेनेवाले लोगोंके द्वारा अशान्ति या हिंसा की जानेका जरा भी अंदेशा मेरे मनमें नहीं है। जो-कुछ दिल्लीमें हुआ उससे मेरे आशावादको पुष्टि मिलती है। मैंने यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि सत्याग्रहियों और उनके सहयोगियोंको कभी अपना रक्त बहाना ही नहीं पड़ेगा। अलबत्ता, मैं स्वीकार करता हूँ कि दिल्लीके अधिकारियों द्वारा बरती गई "सख्त कार्रवाई" मेरे लिए अप्रत्याशित थी। लेकिन सत्याग्रहियोंको तो इसका स्वागत ही करना चाहिए। इतना ही नहीं, कार्रवाई जितनी ज्यादा सख्त हो उतना ही अच्छा, क्योंकि सत्याग्रहियोंने तो मृत्युका भी स्वागत करनेकी प्रतिज्ञा की है। इसलिए जो मुसीबत हम लोगों पर बरपा की गई है उसके खिलाफ कुछ भी कहनेका हमें हक नहीं है।



### बलिदानके बिना कभी किसी देशका उत्थान नहीं हुआ

श्रद्धानन्दजीका एक तार आया है। उसमें कहा गया है कि अभी तक चार हिन्दुओं और पाँच मुसलमानोंके शव मिल पाये हैं। उनकी अन्त्येष्टि उनके धर्मोंकी प्रथाके अनुसार कर दी गई है। श्रद्धानन्दजीने यह भी सूचित किया है कि लगभग २० व्यक्ति लापता हैं, तेरहको सख्त चोटें लगी हैं और उनका अस्पतालमें इलाज किया जा रहा है। यह शुरूआत कोई खराब शुरूआत नहीं कही जा सकती। बलिदानके बिना न तो कभी किसी देशका उत्थान हुआ है, न निर्माण। और हम लोग किसी भी प्रकार की हिंसाका सहारा लिए बिना, आत्मबलिदानके द्वारा, अपने राष्ट्रको गढ़नेका प्रयत्न कर रहे हैं। इसका नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रहके शुद्ध रूपको सामने रखते हुए दिल्लीमें हम एक बातमें चूक कर गये हैं। वहाँ एकत्रित भीड़ने निश्चय ही, अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किये गये लोगोंकी रिहाईकी माँग की थी। और यह भी कहा गया था कि जबतक पकड़े गये व्यक्तियोंको छोड़ा न जायेगा तबतक हम यहाँसे नहीं हटेंगे। ये दोनों ही काम गलत थे। गिरफ्तार लोगोंकी रिहाईकी माँग करना ठीक न था। सविनय अवज्ञाके द्वारा हम गिरफ्तारी और जेलकी सजा ही तो चाहते हैं। इसलिए इन दोनों बातोंमें से किसी भी बातके सम्बन्धमें रोष प्रकट करना अशोभनीय है। और वहाँसे न हटनेका हठ करना भी अनुचित था। इस आन्दोलनमें सत्याग्रही केवल उन्हीं कानूनोंको तोड़ सकता है जिन्हें प्रतिज्ञापत्रमें उल्लिखित समिति तोड़नेके लिए चुने।<sup>१</sup> जब हम अनुशासन, आत्म-नियन्त्रण नेतृत्व और आज्ञाकारिताके गुणोंका विकास कर लेंगे तब हम सामूहिक सत्याग्रह अधिक अच्छे ढंगसे करनेके योग्य बन जायेंगे। जबतक ऐसा नहीं हुआ है मैंने यह सलाह दी है कि हम अवज्ञाके लिए वे ही कानून चुनें जिन्हें लोग व्यक्तिगत रूपसे तोड़ सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जबतक हममें पर्याप्त अनुशासन नहीं आया है और जबतक सत्याग्रहका तत्त्व पुरुष व स्त्रियाँ हजारोंकी तादादमें हृदयंगम न कर लें तबतक हम जुलूसों और सभाओंसे सम्बन्धित सभी कानूनोंका पालन करते रहें। जब हम कुछ चुने हुए कानूनोंका उल्लंघन करते हैं तब हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम अन्य सब कानूनोंका पालन करके अपनी कानूनका पालन करनेकी वृत्तिका परिचय दें। जब हम चाहिए जितना उतना ज्ञान और अनुशासन प्राप्त कर लेंगे तब हम देखेंगे कि मशीनगर्ने तथा अन्य सब प्रकारके शस्त्रादि, यहाँ तक कि विनाशकारी हवाई जहाज भी, हमें आतंकित न कर सकेंगे।

### पावन कर्त्तव्य

अब मुझे आपके समक्ष आपकी स्वीकृतिके लिए दो प्रस्ताव रखने हैं। पहला प्रस्ताव पास करना हमारा पवित्र कर्त्तव्य है। इसमें उन लोगोंके प्रति गहरी सहानुभूति प्रदर्शित की गई है जिनके प्रियजन मौतके घाट उतार दिये गये हैं और साथ ही दिल्लीके लोगों तथा प्रदर्शनके आयोजकोंको आदर्श संयमके लिए बधाई दी गई है। श्रद्धानन्दजीको तार भेजा गया है जिसमें उनसे पूछा गया है कि जो लोग मारे गये हैं उनके परिवारोंकी

१. देखिए “वक्तव्य : सत्याग्रह सभाकी ओरसे”, ७-४-१९१९।



आर्थिक स्थिति कैसी है और यह कि अगर उन परिवारोंको आर्थिक सहायता देनेकी जरूरत पड़ी तो क्या दिल्ली उसके लिए पर्याप्त साधन जुटा लेगी। मृत-बन्धुओंकी स्मृतिमें हमारा कमसे-कम इतना फर्ज तो है ही कि जहाँतक आवश्यक हो वहाँतक उनके आश्रितोंका पालन-पोषण किया जाये। मेरे मनमें जरा भी सन्देह नहीं है कि अगर मदद माँगी गई तो बम्बईके धनाढ्य व्यक्ति दान देनेमें संकोच न करेंगे।

### साधारण प्रार्थना

दूसरे प्रस्तावमें भारत-सचिवसे यह सामान्य प्रार्थना की गई है कि वे कृपा करके सम्राट्को यह सलाह दें कि क्रांति और अराजकतागत अपराधोंसे सम्बन्धित कानून [रिवोल्यूशनरी ऐंड अनार्किकल क्राइम्स ऐक्ट] अस्वीकृत कर दिया जाये और ऐसी ही एक प्रार्थना परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयसे की गई है कि वे कृपा करके रौलट अधिनियम सं० १ को वापस ले लें। इस प्रार्थनाके हमराह उसके प्रभावमें वृद्धि करनेवाली दो अन्य वस्तुएँ भी रहेंगी; एक तो दिल्लीके निर्दोष व्यक्तियोंका रक्त और दूसरे हमारा यह संकल्प कि जबतक शासकोंके हृदय नहीं पिघलते और जबतक वे इस सिद्धान्तको मान्यता प्रदान नहीं करते कि प्रबुद्ध व्यक्तियोंके द्वारा सर्वसम्मतिसे व्यक्त की गई सार्वजनिक रायकी अवगणना, जैसी कि रौलट अधिनियमके बारेमें की गई है, न करेंगे तबतक हम सत्याग्रह करते हुए कण्ठोंको झेलते रहेंगे।

### प्रस्ताव

इसके उपरान्त शान्तिके गम्भीर वातावरणमें दो प्रस्ताव पास किये गये :—

(१) बम्बईके नागरिकोंकी यह सभा दिल्लीके लोगोंको अत्यन्त कठिन परिस्थितिमें आदर्श आत्म-नियन्त्रण दिखानेके लिए और संन्यासी स्वामी श्री श्रद्धानन्दजी तथा हकीम अजमलखाँको उनके प्रशंसनीय नेतृत्वके लिए साधुवाद देती है और उन निर्दोष पुरुषोंके परिवारोंके प्रति जिन्होंने स्थानीय अधिकारियोंके हुक्मसे चलाई गई गोलियोंसे अपने प्राण गँवाये, सम्मानपूर्वक अपनी समवेदना प्रकट करती है।

(२) बम्बईके नागरिकोंकी यह सभा परम माननीय भारत-सचिवसे सादर निवेदन करती है कि वे महामहिम सम्राट्को यह सलाह दें कि वे १९१९के क्रांति और अराजकतागत अपराधोंसे सम्बन्धित कानूनको अपनी स्वीकृति न देते हुए रद्द कर दें क्योंकि एक तो वह अपने-आपमें दूषित और नितान्त अनावश्यक है और दूसरे, वह एकमतसे प्रकट की गई सार्वजनिक सम्मतिका तिरस्कार करते हुए पास किया गया था। यह सभा आदरपूर्वक वाइसराय महोदयसे प्रार्थना करती है कि वे १९१९के भारतीय दण्ड विधि संशोधन विधेयक सं० १ (क्रिमिनल लॉ एमंडमेंट्स बिल सं० १)को वापस ले लें।

भाषण समाप्त हो जानेपर श्री गांधीने घोषणा की कि सब लोग एक जुलूसके-रूपमें माधव बाग मन्दिर चलेंगे और वहाँ प्रार्थना करेंगे। श्रीमती नायडू बीमार हैं; वे गाड़ीमें बैठकर घर जायेंगी।



तदनन्तर जुलूस बनाया गया। किंचित् भी अतिशयोक्ति न करते हुए यह कहा जा सकता है कि समुद्रतटसे माधव बागतक जुलूस क्या था नर-नारियोंका अपार समूह था; जिसमें बीच-बीचमें और लोग भी आकर शामिल होते जाते थे। सड़कोंके दोनों ओर स्थित मकान असंख्य पुरुषों, स्त्रियों और बालकोंसे भरे हुए थे।

नेताओंके चारों ओर स्वयंसेवकोंने घेरा बना लिया था, क्योंकि भीड़भाड़ बहुत ज्यादा थी। जुलूस धीरे-धीरे माधव बागकी ओर बढ़ा। श्री हॉर्निमैन अस्वस्थ थे; वे कठिनाईसे चल पा रहे थे। बहुत अधिक भीड़ हो जानेके कारण जुलूस माधव बाग बहुत देरीसे पहुँचा। माधव बाग पहुँचनेपर लोग खुलेमें फैल गये और मन्दिरका पूरा अहाता खचाखच भर गया। श्री गांधी आये। उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थनाके उपरान्त उन्होंने लोगोंसे शान्तिपूर्वक अपने-अपने स्थानको वापस जानेको कहा और लोगोंने ऐसा ही किया।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ७-४-१९१९

## १८०. भाषण : हिन्दू-मुस्लिम मैत्रीपर

बम्बई

अप्रैल ६, १९१९

माधव बागमें प्रार्थना हो चुकनेपर श्री जमनादास द्वारकादासने एकत्रित लोगोंको बताया कि हमारे मुसलमान भाई ग्रान्ट रोडपर सभा करने जा रहे हैं; आप लोग उनके प्रति मैत्रीभाव प्रदर्शित करनेके खयालसे वहाँ जाइये . . . उस सभामें उपस्थित मुसलमानोंकी संख्या पाँच हजारसे कम न थी। यह सभा मस्जिदके सामनेवाले मैदानमें की गई थी। जब हिन्दू लोग सभा-स्थलपर पहुँचे तब सभामें उपस्थित मुसलमानोंका वह बड़ा समुदाय उठ खड़ा हुआ और उसने अपने हिन्दू भाइयोंका हार्दिक स्वागत किया . . . महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री जमनादास द्वारकादास तथा अन्य नेताओंको मस्जिदके छज्जेपर ले जाया गया और उन्हें वहाँ बैठाया गया। लोगोंमें बहुत उत्साह दीख पड़ रहा था।

महात्मा गांधीने सभाके इस असाधारण दृश्यकी भी चर्चा की। उन्होंने मुसलमानोंसे अनुरोध किया कि आप लोग बहुत बड़ी संख्यामें सत्याग्रहमें सम्मिलित हो जायें। उन्होंने कहा, सत्याग्रह बरगदके वृक्षके समान है, जिसकी जड़ें और शाखाएँ नीचे दूर तक फैली हुई हैं। आगे चलकर यह वृक्ष इतना विशाल हो जायेगा कि फिर संसारका कोई भी व्यक्ति उसको उखाड़ नहीं सकेगा। सत्याग्रह मनुष्यके जीवनका और आचरणका सारतत्त्व है। मुझे पूरा यकीन है कि भारतकी इन दो बड़ी जातियोंमें एकता



और किसी उपायसे वैसी नहीं हो सकती जैसी कि इस आन्दोलनसे। हिन्दू और मुसलमान आपसमें एक-दूसरेको अपना सगा भाई समझें। हिन्दुओंका कर्तव्य है कि वे अपने मुसलमान भाइयोंकी मुसीबतमें उनके साथ हमदर्दी जाहिर करें। मुसलमानोंको भी ऐसा ही करना उचित है। उन्हें चाहिए कि पारस्परिक मैत्री बढ़ानेका प्रत्येक सम्भव उपाय आजमायें और अपने मतभेदके कारणोंको निःशेष कर दें। मैं यह नहीं मानता कि आज जो मैत्रीभाव यहाँ देखनेमें आ रहा है और जो भाईचारा अभी हालमें दिल्लीमें दृष्टि-गोचर हुआ है उसका यह अर्थ है कि देशभरमें हिन्दू और मुसलमान मित्र बन गये हैं। आज दोनों जातियोंके बीच जो मैत्रीकी भावना पैदा हुई है, उसे मजबूत बनानेके लिए आप लोग निकट भविष्यमें किसी मस्जिदमें अथवा किसी अन्य धार्मिक स्थानमें एकत्रित होकर कभी न टूटनेवाली मित्रताकी शपथ लें। गांधीजीने अपने भाषणको समाप्त करनेके पूर्व मुसलमान भाइयोंसे कहा कि आप लोग धन्यवादके पात्र हैं, क्योंकि आप लोगोंने आज हिन्दुओंको अपनेसे मिलने और अपना मैत्रीभाव दिखानेका अवसर दिया है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ७-४-१९१९

## १८१. भाषण : महिलाओंकी विरोध-सभामें<sup>१</sup>

बम्बई

अप्रैल ६, १९१९

महात्मा गांधीने सभाको सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं तो आपके समक्ष काफी-कुछ विस्तारसे कहना चाहता था, लेकिन एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यके सिलसिलेमें उसी समय प्राप्त एक फौरी सन्देशके कारण मैं लम्बा भाषण नहीं दे पाऊँगा; मुझे इसका खेद है। मैंने अभी-अभी सुना कि मार्केटके<sup>२</sup> निकट एक कोई अशोभनीय-सी घटना हो गई है। शायद पुलिसने कोई गलती की है; या हो सकता है जनताने ही गलती की हो। लेकिन सभा छोड़नेसे पहले मैं भारतीय महिलाओंसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे रौलट विधेयकोंके विरुद्ध चलनेवाले संवैधानिक संघर्षमें पुरुषोंका हाथ बँटायें। जिस प्रकार कि सभी साधनोंका आधार, शरीर, निष्क्रिय होनेपर कोई भी आदमी ठीक ढंगसे काम नहीं कर सकता, इसी तरह यदि भारतीय महिलाएँ निष्क्रिय बनी रहें और देशका अर्द्धांग निष्क्रिय रहा, तो देश ठीक ढंगसे कोई काम नहीं कर

१. सभी वर्गों और सम्प्रदायोंकी महिलाओंने विधेयकोंके प्रति अपना विरोध प्रकट करनेके लिए चीना बागमें एक सभा की थी। श्रीमती जयकरने अध्यक्षता की।

२. देखिए "पत्र : सर इब्राहीम रहीमतुल्लाको", ८-४-१९१९।



सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय बहनोंको एक बड़ी संख्यामें सत्याग्रह आन्दोलनमें भाग लेना चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ७-४-१९१९

## १८२. 'सत्याग्रही' - १

बम्बई

अप्रैल ७, १९१९

महात्मा गांधीने भारतीय प्रेस अधिनियमकी अवज्ञा करके सोमवारको जो अपंजीकृत अखबार 'सत्याग्रही' निकाला था, उसकी सामग्री इस प्रकार है :

(कृपया इसे पढ़ें, इसकी नकल कर लें और अपने मित्रोंमें प्रचारित करें; और उनसे भी इसकी नकल करने और उसे प्रचारित करनेकी प्रार्थना करें।)

अंक - १

मूल्य एक पैसा

### सत्याग्रही

(सम्पादक : मोहनदास करमचन्द गांधी, लैबर्नम रोड, गामदेवी, बम्बई)

हर सोमवारको सुबह १० बजे प्रकाशित

बम्बई, ७ अप्रैल, १९१९

### ग्राहकोंको सूचना

यह पत्र कानूनके अनुसार पंजीकृत नहीं कराया गया है। इसलिए इसका वार्षिक चन्दा नहीं लिया जा सकता। यह गारंटी भी नहीं दी जा सकती कि पत्र बिना किसी रुकावटके छपता रहेगा। सम्पादक किसी भी क्षण गिरफ्तार किया जा सकता है। अतः जबतक हमारा देश इस स्थितिमें न आ जायेगा कि जो सम्पादक पकड़ा जाये, उसका स्थान लेनेके लिए नये सम्पादक बराबर तैयार रहें, तबतक यह भरोसा दिलाना भी असम्भव है कि यह पत्र नियमित रूपमें प्रकाशित होता रहेगा। वैसे हम इस बातके लिए कुछ भी उठा नहीं रखेंगे कि एकके-बाद-एक सम्पादक बराबर मिलते रहें।

हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम समाचारपत्र-सम्बन्धी कानूनको सदा तोड़ते ही रहेंगे। इसलिए यह पत्र जबतक रौलट-कानून रद नहीं किये जाते, तभी-तक जारी रहेगा।

### हमारा परिचय

'सत्याग्रही' क्या करेगा? इस प्रश्नके उत्तरमें हमारा परिचय अच्छी तरह आ जाता है। रौलट-कानून रद करानेके उद्देश्यसे ही 'सत्याग्रही' ने जन्म लिया है। इसलिए इसका काम लोगोंको ऐसे उपाय बताना है जिनसे वे सत्याग्रहके सिद्धान्तोंके अनुसार आचरण करके ये कानून रद करा सकें। सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा हस्ताक्षरकर्त्ताओंपर यह



बन्धन लगाती है कि वे कुछ कानूनोंका सविनय उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा करें और इस प्रकार जेल जायें। इसलिए एक दृष्टिसे यह पत्र इसका उत्तम मार्ग बता सकता है, और वह इस तरह कि इसके प्रकाशनमें ही सविनय अवज्ञा निहित है। अन्य प्रकारके सार्वजनिक कार्योंमें वक्ता जो काम करनेके लिए कहते हैं उन कामोंको करनेके लिए स्वयं बँधे नहीं होते। यह विसंगति एक भारी दोष है, और हमारा उद्देश्य इस दोषकी ओर ध्यान दिलाना है। सार्वजनिक काम करनेका यह तरीका गलत है। सत्याग्रहकी रीति अनोखी है। उसमें आचरण ही उद्देश्य होता है। इसलिए इसमें जो-कुछ कहा जा रहा है, वह अपने अनुभवकी कसौटीपर कसकर देखा हुआ होगा, और इस प्रकार अनुभवकी कसौटीपर कसकर जो भी उपाय बताये जायेंगे वे अच्छी तरह आजमाकर देखी हुई दवा-जैसे होंगे। अतएव, हम आशा करते हैं कि पाठकगण हमारी सलाहको स्वीकार करनेमें न हिचकिचायेंगे, क्योंकि वह अनुभवपर आधारित होगी।

#### खबर

कल बहुत-सी बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटित हुईं। परन्तु सत्याग्रहियोंके अनवरत प्रयाससे मिल-मजदूरोंने अपनी-अपनी मिलोंमें कामपर रहकर—क्योंकि मालिकोंकी तरफसे उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकी थी—जिस ढंगसे राष्ट्रीय दिवस मनाया, वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-४-१९१९

### १८३. सत्याग्रहियोंको हिदायतें'

[ बम्बई

अप्रैल ७, १९१९ ]

अब हमें किसी भी क्षण पकड़े जानेकी आशा रखनी चाहिए। इसलिए यह ध्यानमें रखना चाहिए कि यदि किसीको गिरफ्तार किया जाये, तो वह कोई भी कठिनाई खड़ी किये बिना गिरफ्तार हो जाये और यदि उसपर अदालतमें हाजिर होनेका सम्मन तामील किया जाये तो वह अदालतमें हाजिर हो जाये। उसे अपने मुकदमेमें किसी वकीलको नहीं रखना चाहिए और न कोई सफाई ही देनी चाहिए। अगर जुर्माना किया जाये और जुर्माना न देनेपर बदलेमें कैद की सजा दी गई हो, तो कैद की सजा स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर केवल जुर्माना ही किया गया हो, तो जुर्माना नहीं देना चाहिए और उसके बदलेमें, यदि उसके पास कोई सम्पत्ति हो, तो उसे विक्रि जाने देना चाहिए। सत्याग्रहियोंको अपने साथीके पकड़े जाने या कैदकी सजा दिये जानेपर शोकका या

१. यह परचा सत्याग्रही नामक अपंजीकृत साप्ताहिकके प्रथम अंक ( ७-४-१९१९ ) के साथ प्रकाशित हुआ था।



और किसी तरहका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बार-बार यह कहनेकी जरूरत है कि हम कैदको निमन्त्रित करते हैं, और इसलिए जब हमें कैदकी सजा मिले, तो हम उसकी शिकायत न करें। एक बार जेलमें जानेपर हमें जेलके सभी नियमोंका पालन करना है, क्योंकि फिलहाल जेलमें सुधार कराना हमारी इस लड़ाईका भाग नहीं है। दूसरे मामूली कैदी जैसी गुप्त कार्रवाइयाँ करनेके अपराधी पाये जाते हैं, वैसी किसी भी किस्मकी गुप्त कार्रवाइका आश्रय सत्याग्रही हरगिज न लें। सत्याग्रही जो-कुछ कर सकता है वह खुल्लम-खुल्ला ही कर सकता है, और उसे ऐसा ही करना चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-४-१९१९

### १८४. वक्तव्य : सत्याग्रह-सभाकी ओरसे

[ अप्रैल ७, १९१९ ]

सत्याग्रह-सभाने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया है :

सत्याग्रह-प्रतिज्ञाके अनुसार स्थापित समितिका परामर्श है कि फिलहाल निषिद्ध साहित्य और समाचारपत्र-पंजीयन सम्बन्धी कानूनोंकी सविनय अवज्ञा की जाये।

समितिने निषिद्ध साहित्यके सिलसिलेमें निम्नलिखित निषिद्ध रचनाओंको<sup>१</sup> प्रचारके लिए चुना है :

‘हिन्द स्वराज्य’— मो० क० गांधी।

‘सर्वोदय’ या ‘युनीवर्सल डॉन’— मो० क० गांधी। (‘अन्टु दिस लास्ट’का भाषान्तर)।

‘द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही’— मो० क० गांधी। (प्लेटो कृत ‘द डिफैस ऐंड डैथ ऑफ सॉक्रेटीज’ का भाषान्तर)।

‘द लाइफ ऐंड एड्रेस ऑफ मुस्तफा कमाल पाशा’ (इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित)।

समितिने यह चुनाव इन बातोंको ध्यानमें रखते हुए किया है :

(१) शासकों और शासितोंमें यथासम्भव कमसे-कम गड़बड़ी हो;

(२) जबतक सत्याग्रही नाजुक और संगठित आन्दोलनोंका भार सँभालने लायक परिपक्व, अनुशासित और समर्थ नहीं बन जाते, तबतक केवल उन कानूनोंको चुना जाये जिनकी अवज्ञा व्यक्तिगत ढंगसे की जा सकती हो।

(३) प्रारम्भमें ऐसे कानूनोंको चुना जाये जिनके प्रति जनताने अपनी असहमति जाहिर की है और सत्याग्रहकी दृष्टिसे जिनपर सबसे अधिक आपत्तिकी जा सकती है।

१. बम्बई सरकारने मार्च, १९१० में इन प्रकाशनोंको “राजद्रोहपूर्ण सामग्री” करार देकर निषिद्ध कर दिया था; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ २६१।



(४) कानून ऐसे चुने जायें जिनकी सविनय अवज्ञा करके जनताको कुछ शिक्षण प्राप्त हो और उसे एक ईमानदार सार्वजनिक कार्यकर्ताके मार्गमें पड़नेवाली कठिनाइयोंसे बाहर निकालनेका एक स्पष्ट मार्ग बताया जा सके;

(५) निषिद्ध साहित्यके सिलसिलेमें ऐसी पुस्तकों और पुस्तिकाओंका चुनाव किया जाये जो सत्याग्रहके अनुरूप हों, और जो इसीलिए ऐसे निर्दोष प्रकारकी हों, जिनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूपमें हिंसाको कोई बढ़ावा न मिल सके।

### सविनय अवज्ञा कैसे की जाये

सत्याग्रहियोंको निषिद्ध साहित्यकी प्रतियाँ बाँटनेके लिए मिलनी चाहिए। सत्याग्रह-सभाके मन्त्रियोंसे ये प्रतियाँ एक सीमित संख्यामें प्राप्त की जा सकती हैं। सत्याग्रहियोंको यथासम्भव विक्रेताके रूपमें अपना नाम व पता भी उनपर लिख देना चाहिए ताकि सरकार जब चाहे मुकदमा चलानेके लिए आसानीसे उनका पता लगा सके। जाहिर है कि इस साहित्यको चोरीसे बेचनेका कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। साथ ही, इस साहित्यके विक्रयका अनावश्यक प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए।

सत्याग्रही चाहें तो इस प्रकारका साहित्य पढ़कर भी सुना सकते हैं और इसके लिए श्रोताओंके छोटे-छोटे दल बना सकते हैं। चुने हुए निषिद्ध साहित्यका मन्शा केवल सम्बन्धित कानूनको विनयपूर्वक भंग ही करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि उच्चतर नैतिक मूल्योंका उत्तम साहित्य जनताके लिए सुलभ कर दिया जाये। सरकारसे इस साहित्यको जब्त कर लेनेकी ही अपेक्षा है। सत्याग्रह आर्थिक दृष्टिसे यथासम्भव आत्मनिर्भर होता है, होना चाहिए। इसलिए सत्याग्रहियोंको चाहिए कि प्रतियोंके जब्त कर लिए जानेपर वे या तो खुद या इच्छुक मित्रोंकी सहायता लेकर निषिद्ध साहित्यकी प्रतिलिपियाँ तैयार करें और उनके जब्त होनेतक उनमें से जनताको पढ़कर सुनायें। सरकारका कहना है कि उसे इस प्रकार पढ़कर सुनाना निषिद्ध साहित्यके प्रचारके बराबर ही होगा। और सभी प्रतियाँ जब्त हो जाने या जनतामें बँट जानेपर, सत्याग्रही उपलब्ध पुस्तकोंके कुछ उद्धरण अपने हाथसे लिख-लिखकर जनतामें बाँट सकते हैं और इस प्रकार अपना सविनय अवज्ञा आन्दोलन जारी रख सकते हैं।

समाचारपत्रोंके प्रकाशनसे सम्बन्धित कानूनको सविनय भंग करनेके लिए प्रत्येक सत्याग्रह-केन्द्रसे पंजीयन कराये बिना एक हस्तलिखित समाचारपत्र निकाला जाये। उसका आकार आधे फूलस्केप कागजसे बड़ा होना जरूरी नहीं है। ऐसे समाचारपत्रका सम्पादन करते समय पता चलेगा कि आधे पृष्ठको भरना भी कितना कठिन है। सभी जानते हैं कि अधिकांश समाचारपत्रोंमें भरतीकी सामग्री बहुत रहती है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत ही सख्त कानूनके आतंकके सायेमें लिखे जानेवाले समाचारपत्रोंके लेख दो अर्थी होते हैं।<sup>१</sup> कानून-भंग करनेके दण्डके हर प्रकारके भयसे मुक्त सत्याग्रही तो एक अपंजीयत समाचारपत्रमें ही, अपने अन्तःकरणकी आवाजके अतिरिक्त अन्य किसी भी विचारसे सर्वथा परे होकर अपने

१. समाचारपत्रोंका क्या उद्देश्य है - इस सम्बन्धमें गांधीजीके विचारोंके लिए देखिए खण्ड १४, "समाचारपत्र", १४-११-१९१७ से पूर्व।



विचार और अपने मत व्यक्त कर सकता है। इसलिए उसका पत्र यदि सुसम्पादित हो तो वह संक्षिप्त शैलीमें अपने शुद्ध विचारोंको व्यक्त करनेका एक सर्वाधिक प्रभावशाली साधन बन सकता है। और हस्तलिखित समाचारपत्रको परिचालित करनेकी असमर्थताकी भी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली प्रतियाँ पानेवालोंका यह कर्तव्य होगा कि वे उसकी प्रतिलिपियाँ तैयार करते जायें और इस प्रकार वे हाथों-हाथ, आवश्यक हो तो भारतकी समूची जनता तक पहुँच जायें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ भारतमें मौखिक उपदेशोंके द्वारा ज्ञानका प्रचार करनेकी परम्परा बनी हुई है।

मो० क० गांधी

अध्यक्ष, सत्याग्रह सभा

डी० डी० साठे

उमर सोबानी

शंकरलाल घेलाभाई<sup>१</sup>

मन्त्रिगण

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ८-४-१९१९

१८५. तार : डॉ० सत्यपालको

[ बम्बई ]

अप्रैल ७, १९१९

डॉ० सत्यपाल,<sup>२</sup>

दिल्ली

बुधवारको<sup>३</sup> पंजाबमेलसे दिल्ली पहुँचूंगा। कृपया मिलिये।

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५०८) की फोटो-नकलसे।

१. बैंकर।

२. पंजाबके चिकित्सक और कांग्रेसी नेता।

३. ९ अप्रैल।



१८६. तार : एस० के० रुद्रको

[ बम्बई ]

अप्रैल ७, १९१९

रुद्र  
सेंट स्टीफेंस कॉलेज  
दिल्ली  
बुधवार पंजाबमेलसे पहुँच रहा हूँ।

गांधी

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५०८) की फोटो-नकलसे।

१८७. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

अप्रैल ७, १९१९

प्रिय श्री ग्रिफिथ<sup>१</sup>,

आज ही मेरे द्वारा प्रकाशित अपंजीयित समाचारपत्रकी एक प्रति, उसके सम्पादकके नाते, मैं आपके पास भेजनेकी इजाजत चाहता हूँ।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्रसे : बाँम्बे गवर्नमेंट रेकर्ड्स — सी० पी०  
फाइल संख्या २००१/एच/१९

१. बम्बईके पुलिस कमिश्नर।



## १८८. स्वदेशी-व्रत - १

[अप्रैल ८, १९१९]

आज लोगोंकी एक बहुत-बड़ी संख्या स्वदेशी-व्रत लेनेकी भावनासे भरी हुई है, और यह बात वास्तवमें हर प्रकारसे प्रशंसनीय है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस व्रतके पालनमें जो कठिनाइयाँ हैं, उन्हें वे पूरी तरह नहीं समझते। कोई व्रत ऐसे कार्योंको पूरा करनेके लिए ही लिया जाता है जिसे पूरा करना अन्यथा कठिन होता है। बहुत प्रयत्न करनेपर भी जब हमें किसी कार्यमें सफलता प्राप्त नहीं होती, तब हम उसे करनेका व्रत लेकर अपने-आपको इस प्रकार बाँध लेते हैं कि जिसमें से छूट ही न सकें और इस तरह असफलताकी कोई गुंजाइश नहीं रहने देते। ऐसे दृढ़ निश्चयसे कम किसी निश्चयको व्रत ही नहीं माना जा सकता। यदि कोई यह कहे कि जहाँतक हो सकेगा, अमुक कार्य करेंगे, तो यह प्रतिज्ञा या व्रत लेना नहीं कहा जा सकता। यथाशक्ति स्वदेशी चीजें ही काममें लेंगे, यह कहनेसे यदि हम, स्वदेशी-व्रतधारी कहला सकते हों, तब तो वाइसरायसे लेकर मजदूर तक ऐसे थोड़े ही आदमी होंगे, जिनके बारेमें यह कहा जायेगा कि उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली है। किन्तु हम इस घेरेसे बाहर निकलकर एक बहुत ही उच्चतर लक्ष्यकी ओर बढ़ना चाहते हैं। और हमारा जो करनेका इरादा है उसमें और उपर्युक्त कामोंमें उतना ही अन्तर है, जितना समकोण और अन्य कोणोंमें होता है। यदि हम स्वदेशी-व्रत इसी भावनासे लेनेका विचार करें, तो यह स्पष्ट है कि अभी सब चीजोंके सम्बन्धमें ऐसा व्रत लेना लगभग असम्भव ही है।

मैंने तो बहुत वर्षोंके गहरे विचारके बाद यह स्पष्ट देख लिया है कि हम यह व्रत पूरी तरह सिर्फ अपने वस्त्रोंके सम्बन्धमें ही ले सकते हैं चाहे वे सूती हों या रेशमी अथवा ऊनी। हमें इतना व्रत पालनेमें भी शुरूमें तो बहुत-सी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी और यह उचित ही है। विदेशी वस्त्रोंको प्रश्रय देकर हमने घोर पाप किया है। हमने एक ऐसे धन्धेकी उपेक्षा की है, जिसका महत्त्व कृषिके बाद सबसे अधिक है। जिस पेशेके लोगोंके घर कबीरका जन्म हुआ और जिसे उन्होंने स्वयं भी गौरवान्वित किया, आज हमारे सामने उसी धन्धेकी समाप्तिकी स्थिति उपस्थित हो गई है। मैंने जो स्वदेशी-व्रत सुझाया है उसका एक मतलब यह है कि इसे अपनाकर हम अपने पापोंका प्रायश्चित्त करना चाहते हैं, हाथ-बुनाईकी दम तोड़ती कलाका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, और इस बातके लिए कृतसंकल्प हैं कि विदेशी कपड़ोंके बदले प्रतिवर्ष देशसे जो करोड़ों रुपये बाहर जाते हैं, उनकी अपने देश हिन्दुस्तानके लिए बचत

एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाकी बम्बईसे ८ अप्रैलको भेजी गई रिपोर्टमें कहा गया था: “श्री गांधी दिल्लीके लिए रवाना हो गये हैं। उनकी अनुपस्थितिमें स्वदेशी शपथ-ग्रहण समारोह, जो आजके लिए तय था, स्थगित कर दिया गया है। जानेसे पहले श्री गांधीने व्रत लेनेके इच्छुक सज्जनोंके लिए दिये गये सन्देशमें स्वदेशी और बहिष्कारके अन्तरका स्पष्टीकरण किया था।”



करेंगे। इतने महत्त्वपूर्ण परिणामोंकी प्राप्ति बिना कठिनाईके नहीं हो सकती; मार्गमें बाधाएँ आयेंगी ही। आसानीसे हासिल की गई चीजोंकी लगभग कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन इस व्रतका पालन करना चाहे जितना भी कठिन हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश पूर्ण विकासको प्राप्त हो तो आज या कल हमें इस कठिनाईको झेलना ही पड़ेगा। और इस व्रतको हम तभी पूरा कर सकेंगे जब इस बातको अपना धार्मिक कर्तव्य समझने लगेंगे कि हमें ऐसे कपड़े ही पहनने हैं जो पूरी तरह हमारे देशमें तैयार किये गये हैं और अन्य सभी तरहके कपड़ेका उपयोग बन्द कर देना है।

### अविचारपूर्ण निष्कर्ष

मित्र लोग कहते हैं कि अभी हमारे पास इतना काफी देशी कपड़ा नहीं है कि हमारी सारी जरूरत पूरी हो सके और जो मिलें अभी मौजूद हैं, वे इस दृष्टिसे बहुत कम पड़ती हैं। मुझे तो लगता है कि यह निष्कर्ष बिना सोचे-विचारे जल्दीमें निकाला गया है। हम ऐसी सौभाग्यपूर्ण स्थितिकी अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि तीस करोड़ मनुष्य एक ही साथ यह व्रत ले लें। अत्यन्त आशावादी व्यक्ति भी अभी तो लाखोंकी संख्याकी ही अपेक्षा रख सकता है, और मुझे उनके लिए पूरा कपड़ा जुटानेमें कठिनाई नहीं दीखती। परन्तु यह तो अलग बात हुई। जहाँ सवाल धर्मका हो, वहाँ कठिनाइयोंके बारेमें सोचनेकी गुंजाइश नहीं रहती। भारतकी सामान्य जलवायु ऐसी है कि उसमें हम बहुत कम कपड़ोंसे गुजर कर सकते हैं। यह कहनेमें अत्युक्ति नहीं है कि हममें मध्यम वर्गके तीन-चौथाई लोग बहुत सारे कपड़ोंका अनावश्यक उपयोग करते हैं। फिर जब बहुत-से लोग यह व्रत ले लेंगे, तब बहुतसे चरखे और करघे चलने लगेंगे। भारतमें असंख्य बुनकर तैयार किये जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ समुचित प्रोत्साहन देनेकी देर है। मुख्यतः दो चीजोंकी ही जरूरत है, त्यागकी और ईमानदारीकी। यह तो स्वयंसिद्ध बात है कि व्रत लेनेवालोंमें ये दोनों गुण होने ही चाहिए। परन्तु एक ऐसे महान् व्रतका पालन लोग अपेक्षाकृत आसानीसे कर सकें, इसके लिए व्यवसायियोंमें भी इन गुणोंका होना जरूरी है। ईमानदार और त्यागी व्यवसायी केवल देशकी रूईका ही सूत कतवायेंगे और उसीसे कपड़ा बुनवायेंगे। रंग भी वही काममें लायेंगे जो भारतमें तैयार होते हैं। जब मनुष्य कोई काम न करना तय कर लेता है तो वह अपने मार्गकी कठिनाइयोंको दूर करनेकी योग्यता भी अपनेमें विकसित कर ही लेता है।

### विदेशी वस्त्रोंको नष्ट कर दो

यही काफी नहीं है कि जरूरत पड़नेपर हम कमसे-कम कपड़ोंसे काम चला लें। इस व्रतका पूरी तरह पालन करनेके लिए यह भी जरूरी है कि हमारे पास जितने विदेशी कपड़े हों, सबको नष्ट कर दें। यदि हमें यह विश्वास हो गया हो कि हमने विदेशी वस्त्रोंका उपयोग करके अपराध किया है, भारतकी अपार हानि की है, जुलाहोंके पूरे वर्गका नाश किया है, तो ऐसे पापसे सने कपड़े नष्ट करने लायक ही हैं। इस सम्बन्धमें हमें स्वदेशी और बहिष्कारका भेद समझ लेनेकी आवश्यकता है। स्वदेशी एक धार्मिक विचार है। यह प्रत्येक मनुष्यका स्वाभाविक कर्तव्य है। उसपर लोक-कल्याणकी बात निर्भर करती है और इसलिए स्वदेशी-व्रत बदलेकी भावना या सजा देनेके इरादेसे लिया ही नहीं



जा सकता। स्वदेशी-व्रत किसी बाहरी शक्ति या घटनाक्रमका परिणाम नहीं है। किन्तु बहिष्कार केवल दुनियादारीका और राजनैतिक हथियार है। उसकी जड़ विद्वेषके पंक्तमें है और उसके पीछे दण्ड देनेकी वृत्ति होती है। और मुझे तो जो राष्ट्र बहिष्कारका सहारा लेता है उसके लिए अन्ततः हानि ही दिखाई देती है। जो सदा सत्याग्रही ही रहना चाहता है, वह किसी बहिष्कार-आन्दोलनमें भाग नहीं ले सकता, और स्वदेशीके बिना सतत सत्याग्रह असम्भव है। मैंने बहिष्कारका अर्थ यही माना है। यह सुझाव दिया गया है कि जबतक रौलट कानून रद्द न हो जाये, तबतक हम ब्रिटिश मालका बहिष्कार करें और जब ये कानून रद्द हो जायें, तब वह बहिष्कार बन्द कर दें। बहिष्कारकी ऐसी योजनामें हमें इस बातकी स्वतंत्रता है कि हम चाहें तो जापानी या दूसरे विदेशी माल, वे चाहे कितने ही बुरे और सड़े-गले हों, ले सकते हैं। यदि विदेशी माल ही लेना उचित है तब तो अंग्रेजोंके साथ राज्य-सम्बन्ध के कारण मैं अंग्रेजी माल ही लूंगा और उस आचरणको उचित समझूंगा।

अगर हम अंग्रेजी मालके बहिष्कार करनेकी घोषणा करते हैं तो यह अपने आपको इस स्थितिमें डाल देना होगा कि लोग हमपर यह आरोप लगायें कि हम अंग्रेजोंको दण्डित करना चाहते हैं। किन्तु उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा तो अधिकारी-वर्गसे है। और सत्याग्रहके नियमके अनुसार तो हम अधिकारी-वर्गके प्रति भी वैरभाव नहीं रख सकते; और चूंकि हम किसीके प्रति वैर-भाव नहीं रख सकते इसलिए बहिष्कारको अंगीकार करना मुझे तो किसी भी प्रकार उचित नहीं जान पड़ता।

#### स्वदेशी-व्रत

उपर्युक्त सीमित स्वदेशी-व्रतका पूरी तरह पालन करनेके लिए मैं यह प्रतिज्ञा लेनेकी सलाह दूंगा : “ ईश्वरको साक्षी मानकर मैं गम्भीरतापूर्वक घोषित करता हूँ कि आजसे मैं अपनी व्यक्तिगत जरूरतोंके लिए भारतकी रुई, रेशम या ऊनसे बने हुए कपड़ेका ही उपयोग करूंगा; और मैं विदेशी कपड़ेका सर्वथा त्याग कर दूंगा तथा मेरे पास जो विदेशी कपड़े होंगे, उन्हें नष्ट कर दूंगा। ”

मुझे आशा है इस प्रतिज्ञाको लेनेके लिए बहुतसे स्त्री-पुरुष तैयार हो जायेंगे; और जब बहुत-से स्त्री-पुरुष तैयार होंगे, तभी इस प्रतिज्ञाको सार्वजनिक रूपसे लेना वांछनीय होगा। थोड़े-से स्त्री-पुरुष भी इस प्रतिज्ञाको सार्वजनिक रूपमें ले सकते हैं; मगर स्वदेशीको राष्ट्रीय आन्दोलनका रूप देनेके लिए यह आवश्यक है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हों। जो लोग इस प्रस्तावित आन्दोलनको पसन्द करते हों उन्हें मेरे विचारसे, इसे प्रारम्भ करनेके लिए तत्काल कोई कारगर कदम उठाना चाहिए। व्यवसायियोंसे मिलकर बातचीत करना जरूरी है। साथ ही अनावश्यक जल्दबाजी करनेकी जरूरत भी नहीं है। स्वदेशीकी नींव अच्छी तरह ठोस आधारोंपर डाली जाये। यह इसके लिए बिलकुल उपयुक्त अवसर है; क्योंकि मैंने देखा है कि जब सत्याग्रह जैसा कोई पावन आन्दोलन चल रहा होता है तो ऐसे सम्बद्ध प्रयासोंकी सफलताकी अधिक सम्भावना होती है।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-४-१९१९

न्यू इंडिया, १९-४-१९१९



## १८९. स्वदेशी-व्रत - २

[ अप्रैल ८, १९१९ ]

स्वदेशीकी प्रतिज्ञाका पूरा पाठ इस प्रकार है :

“ ईश्वरको साक्षी मानकर मैं गम्भीरतापूर्वक घोषित करता हूँ कि आज से मैं अपनी व्यक्तिगत जरूरतोंके लिए भारतकी रुई, रेशम या ऊनसे बने हुए कपड़ोंका ही उपयोग करूँगा, और मैं विदेशी कपड़ेका सर्वथा त्याग कर दूँगा तथा मेरे पास जो विदेशी कपड़े होंगे, उन्हें नष्ट कर दूँगा।”

इस प्रतिज्ञाका ठीक-ठीक पालन करनेके लिए वास्तवमें यह जरूरी है कि हम हाथसे कते हुए सूतके, हाथसे बुने हुए कपड़े ही इस्तेमाल करें। वह कपड़ा स्वदेशी नहीं है जो देशमें बुना गया है, लेकिन जिसका सूत विलायतसे आया है; चाहे वह सूत हिन्दुस्तानकी ही रुईका कता हुआ क्यों न हो। हम इस दृष्टिसे पूर्णता तभी प्राप्त करेंगे जब हमारे देशकी रुई देशी चरखोंपर काती जाये और यह कता हुआ सूत देशी करघोंसे ही बुना जाये। लेकिन ऊपर दी हुई प्रतिज्ञाके लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि हम वह कपड़ा इस्तेमाल करें जो हिन्दुस्तानमें देशी रुईसे काते गये सूतसे बुना गया हो, भले ही उसकी कताई और बुनाई विदेशसे आई मशीनों पर ही क्यों न हुई हो।

मैं यह भी कह दूँ कि हमने यहाँ जिस सीमित स्वदेशीका उल्लेख किया है, उसका व्रत लेनेवाले लोग स्वदेशी वस्त्रोंके उपयोगसे ही सन्तुष्ट नहीं रहेंगे। वे इस व्रतको यथासम्भव अधिकसे-अधिक चीजोंपर लागू करेंगे।

### अंग्रेज मालिकोंकी मिलें

मैंने सुना है कि भारतमें अंग्रेज मालिकोंकी ऐसी मिलें हैं, जिनमें हिन्दुस्तानी साझेदार नहीं हो सकते। अगर यह बात सच है तो मैं ऐसी मिलोंमें बने हुए कपड़ेको विदेशी समझता हूँ। इसके अतिरिक्त ऐसा कपड़ा द्वेष-भावसे दूषित है। ऐसे कपड़ेका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न बना हो। अधिकांश लोग ऐसी बातोंपर ध्यान नहीं देते। सब लोगोंसे इस बातका विचार करनेकी आशा नहीं करनी चाहिए कि उनके कामसे देश-हितको उत्तेजन मिलता है या उसके मार्गमें कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन जो लोग पढ़े-लिखे हैं, जो विचारशील हैं, जिनकी बुद्धि परिष्कृत है, या जो अपने देशकी सेवा करनेकी इच्छा रखते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे अपने हर कामको — चाहे वह काम व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक — ऊपर बताई गई कसौटीपर कसकर देखें। और जब वे आदर्श, जो राष्ट्रीय महत्त्वके जान पड़ते हों और जिन्हें व्यावहारिक अनुभवकी कसौटीपर कसकर देख लिया गया हो, जनताके सामने रखे जायेंगे तो, जैसा कि ‘गीता’ में कहा है, “जन-साधारण श्रेष्ठ



जनोंके उन कार्योंका अनुसरण करेगा।” आम तौरसे विचारशील पुरुषों और स्त्रियोंने भी अभी तक ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार आत्म-निरीक्षण नहीं किया है। इस तरहकी उनकी इस उपेक्षासे राष्ट्रको नुकसान पहुँचा है। और मेरे विचारसे, ऐसा आत्म-निरीक्षण उसी आदमीके लिए सम्भव है जिसे धर्मका बोध हो।

हजारों लोगोंका खयाल यह है कि हिन्दुस्तानकी मिलोंमें बने हुए कपड़ेका इस्तेमाल करके वे स्वदेशी-व्रतका पालन कर रहे हैं। सचार्थ यह है कि बहुत बढ़िया कपड़ा विदेशी रुईसे विदेशोंमें कते सूतसे बनाया जाता है। इसलिए ऐसे कपड़ेका इस्तेमाल करनेमें सन्तोष केवल इतना ही हो सकता है कि वह हिन्दुस्तानका बुना हुआ है। करघोंपर भी बहुत बढ़िया कपड़ा बुननेके लिए विदेशी सूत ही काममें लाया जाता है। ऐसे कपड़ेका इस्तेमाल करनेमें स्वदेशी-व्रतका पालन नहीं होता; और यह कहना कि ऐसा करके हम स्वदेशीका पालन कर रहे हैं, अपने आपको धोखा देना है। स्वदेशीमें भी सत्याग्रह अर्थात् सत्यपर आग्रह आवश्यक है। जब पुरुष यह कहेंगे कि ‘हम शुद्ध स्वदेशी कपड़ा ही पहनेंगे, चाहे हमको एक ही धोतीसे सन्तुष्ट रहना पड़े’ और जब स्त्रियाँ दृढ़तापूर्वक यह कहेंगी कि ‘हम शुद्ध स्वदेशी-व्रतका पालन करेंगी, चाहे हमको सिर्फ इतना ही कपड़ा मिल सके जिससे हम मुश्किलसे अपनी लज्जा-निवारण कर सकें,’ तभी हम अपने महान् स्वदेशी-व्रतके पालनमें सफल होंगे। अगर कुछ-एक हजार स्त्री और पुरुष इस भावको रखते हुए स्वदेशी-व्रत ले लें तो दूसरे भी यथाशक्ति उनका अनुकरण करनेकी चेष्टा करेंगे। तब वे यह देखेंगे कि उनके तोशाखानेमें जो वस्त्र हैं, उनसे स्वदेशीका पालन कहाँतक होता है। और मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगोंको मजा-मौज और व्यक्तिगत साज-सजावटसे कोई लगाव नहीं है, वे स्वदेशीको बड़ा प्रोत्साहन दे सकते हैं।

### आर्थिक उद्धारकी कुंजी

आम तौरपर देखा जाये तो भारतमें ऐसे बहुत कम गाँव हैं, जिनमें जुलाहे न हों। स्मरणातीत कालसे हमारे गाँवोंमें किसान, जुलाहे, बढई, चमार, लुहार इत्यादि रहते आये हैं, किन्तु हमारे किसानोंको दरिद्रताने घेर लिया है और हमारे जुलाहोंका व्यापार केवल गरीब लोगोंके ही सहारे चलता है। इन्हें अगर हम हिन्दुस्तानकी रुईसे हिन्दुस्तानमें कता सूत दे दिया करें तो हम इनसे अपनी जरूरतका कपड़ा बुनवा सकते हैं। शुरूमें मुमकिन है कि वह कपड़ा मोटा हो; किन्तु लगातार कोशिश करते रहनेसे हम उन्हें इस लायक बना लेंगे कि वे अच्छे सूतसे भी बुनाई कर सकें। ऐसा करके हम अपने जुलाहोंकी दशा सुधारेंगे और अगर एक कदम और आगे बढ़ें तो हम अपने मार्गकी अपरिमित कठिनाइयोंको सहज ही दूर कर सकते हैं। हम आसानीसे अपनी स्त्रियों और बच्चोंको सूत कातना और कपड़ा बुनना सिखा सकते हैं, और अपने घरोंमें बने हुए कपड़ोंसे अधिक शुद्ध और कौन-सा वस्त्र हो सकता है? मैं अपने अनुभवसे कहता हूँ कि इस तरह काम करनेसे हम बहुत-सारी



परेशानियोंसे बच सकेंगे, अपनी बहुत-सी जरूरतोंको कम कर लेंगे और हमारा जीवन सुख और सौन्दर्यका समन्वय बन जायेगा। मेरे कानोंमें हमेशा यह दिव्य वाणी गूँजती रहती है कि किसी समय भारतमें ऐसा जीवन एक वास्तविकता थी, लेकिन अगर इस प्रकारका प्राचीन भारत कवियोंकी कल्पना-मात्र हो, तो भी कुछ हर्ज नहीं। क्या अब वैसे भारतका निर्माण करना आवश्यक नहीं है, क्या इसीमें हमारा पुरुषार्थ निहित नहीं है? मैं हिन्दुस्तान-भरमें सफर करता रहा हूँ। मुझसे गरीबोंकी हृदय-विदारक आहें नहीं सुनी जातीं। बूढ़े और जवान, सभी मुझसे कहते हैं कि “हमें सस्ता कपड़ा नहीं मिलता, महँगा खरीदनेकी हमारी हैसियत नहीं। अनाज, कपड़ा सभी कुछ महँगा है—हम क्या करें?” वे निराश होकर उसाँसें भरते हैं। मेरा धर्म है कि मैं उन्हें कुछ सन्तोषजनक उत्तर दूँ। देशके प्रत्येक सेवकका यही धर्म है। किन्तु मैं उन्हें सन्तोषजनक उत्तर देनेमें असमर्थ हूँ। हर विचारशील भारतीयके लिए यह बात असहनीय होनी चाहिए कि हमारे देशका कच्चा माल यूरोप भेज दिया जाये और हमें उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़े। इसका अब्वल और आखिरी इलाज स्वदेशी ही है। हम अपनी रुई किसीके हाथ बेचनेके लिए मजबूर नहीं हैं, और जब हिन्दुस्तानमें स्वदेशीकी ध्वनि गूँज उठेगी तो कोई भी रुई-उत्पादक दूसरे मुल्कमें कपड़ा बनानेके लिए अपना माल न बेचेगा। जब स्वदेशीका मन्त्र देश-भरमें व्याप्त हो जायेगा तब हरएक आदमी यह सोचने लगेगा कि जिस देशमें रुई पैदा होती है उसकी ओटाई-तुनाई, कताई-बुनाई उसी देशमें क्यों न की जाये? और जब स्वदेशीका मन्त्र हरएक कानमें पहुँच जायेगा, तो भारतके आर्थिक उद्धारकी कुंजी करोड़ों आदमियोंके हाथोंमें पहुँच जायेगी। इस बातको सीखनेके लिए हमें सैकड़ों वर्षोंका समय नहीं चाहिए। जब धर्मका बोध जाग उठता है तो लोगोंके विचार क्षण-भरमें बदल जाते हैं। इसकी केवल एक अनिवार्य शर्त है—निःस्वार्थ त्याग। त्याग और बलिदानका भाव इस समय भारतमें व्याप्त है। यदि हमने इस उत्तम अवसरपर स्वदेशीका प्रचार न किया तो निराशामें ही हाथ मलते रह जायेंगे। ऐसे प्रत्येक हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई और यहूदीसे जो भारतको अपना देश समझता है मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह स्वदेशीका व्रत ले और दूसरोंसे भी लेनेको कहे। मेरे नम्र विचारमें, अगर हम अपने देशके लिए इतना भी नहीं कर सकते तो हमारा यहाँ जन्म लेना व्यर्थ है। जो लोग अच्छी तरह सोच सकते हैं वे देख सकेंगे कि ऐसी स्वदेशीमें ही विशुद्ध अर्थनीति निहित है। मुझे आशा है कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष मेरे इस नम्र निवेदनपर गम्भीरताके साथ विचार करेगा। अंग्रेजी आर्थिक व्यवस्थाकी नकल करनेका परिणाम हमारे लिए विनाशकारी होगा।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १८-४-१९१९

न्यू इंडिया, २२-४-१९१९



## १९०. हिन्दू-मुस्लिम एकताका व्रत'

अप्रैल ८, १९१९

पिछले रविवारको सोनापुरी मस्जिदके आँगनमें हिन्दू-मुसलमानोंकी एक विराट् सभा हुई थी। जैसे चौपाटीकी सभामें स्वदेशी-व्रतकी सूचना दी गई थी, वैसे ही यहाँ इस सभामें हिन्दू-मुस्लिम एकताका व्रत लेनेकी सूचना दी गई और जैसे स्वदेशी-व्रतके विषयमें मुझे चेतावनी देनी पड़ी थी, वैसे ही मैंने इस सम्बन्धमें भी किया। अमुक अवसरपर हम हर्षावेशमें आकर बहुतसे काम करनेको तैयार हो जाते हैं और बादमें कभी-कभी पछताना पड़ता है। व्रत धार्मिक वस्तु है और कोई भी व्रत हम आवेशमें हरगिज नहीं ले सकते। मनको शुद्ध करके, चित्तको शान्त करके, ईश्वरको साक्षी रखकर ही व्रत लिए जा सकते हैं। स्वदेशी-व्रतके बारेमें लिखते हुए मैंने जो स्पष्टीकरण किया है, वह वहाँ भी लागू होता है। जो काम हम साधारण संयम रखकर लगातार नहीं कर सकते, उसे करनेमें मदद प्राप्त करनेके लिए व्रतरूपी महासंयमका पालन करते हैं। इसीलिए व्रतके विषयमें ऐसी कल्पना है कि मनुष्य व्रत लेकर और पालन करके ही बनते हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियाँ आपसमें मित्रता रखें और ऐसा ही बरताव करें, जैसा माँके जाये भाई करते हैं, ऐसी स्थिति तो अलौकिक कहलायेगी। ऐसी स्थिति भारतमें पैदा होनेसे पहले दोनों जातियोंको बहुत त्याग करना पड़ेगा और अपने आजतक के विचारोंमें काफी परिवर्तन करने होंगे। दोनों जातियाँ एक-दूसरेके सम्बन्धमें अपनी बातचीतमें बहुत कड़ी कहावतें काममें लाती हैं जिनका भाव एक-दूसरेके बीच मौजूद विरोध-भावको प्रकट करने और बढ़ानेवाला होता है। केवल हिन्दुओंकी मण्डलीमें हम अक्सर मुसलमानोंकी बात करते समय कठोर शब्द इस्तेमाल करनेमें नहीं हिचकिचाते और वैसे ही मुसलमान मण्डलीमें होता है। बहुत-से तो यही मानते हैं कि हिन्दू-मुसलमानोंमें जन्मजात वैर है और वह किसी भी तरह नहीं मिट सकता। कई जगह हम देखते हैं कि दोनोंमें परस्पर अविश्वास होता है। मुसलमानोंको हिन्दुओंकी तरफसे डर है, हिन्दुओंको मुसलमानोंका भय लगता है। इसमें शक नहीं कि इस विषम और हीन स्थितिमें दिन-दिन सुधार होता जा रहा है। समय अपना काम करता ही रहता है। हम चाहें या न चाहें, तो भी हमें इकट्ठे होकर रहना पड़ता है। परन्तु व्रत लेनेका अर्थ यह है कि कालके प्रभावसे जिस चीजमें घट-बढ़ होनेकी सम्भावना है, उसे हम महासंयम रखकर जल्दी अस्तित्वमें ले आयें। यह कैसे हो सकता है? हिन्दुओं अर्थात् कट्टर हिन्दुओंकी

१. मूलके अनुसार यह गांधीजी द्वारा स्वीकृत उनके हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी पत्रकका स्वतन्त्र अनुवाद है। यह 'सत्याग्रह माला - २' प्रतीत होता है। 'सत्याग्रह माला - १' के लिए देखिए परिशिष्ट १।

२. देखिए महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५।



सभा होनी चाहिए और उन्हें इस बारेमें गहरा विचार करना चाहिए। हिन्दुओंकी मुसलमान भाइयोंके प्रति हमेशा एक शिकायत रहा करती है कि वे गोमांसका भक्षण करते हैं और खास तौरपर बकर-ईदके दिन गायका बलिदान करते हैं। जबतक गायको बचानेके लिए बहुत-से हिन्दू मुसलमानोंको मारनेकी हद तक जानेको तैयार रहते हैं, तबतक मुसलमानों और हिन्दुओंमें सच्ची एकता होना असम्भव ही दिखता है। हमारी हिंसावृत्तिसे विवश होकर हमारे मुसलमान भाई गोवधका त्याग कर देंगे, इसे मैं व्यर्थकी आशा मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि गोरक्षिणी सभाओंके प्रयासोंसे गोवधकी संख्यामें कुछ भी कमी हुई हो। ऐसा माननेका मुझे एक भी कारण नहीं मिला। मैं अपने-आपको कट्टर हिन्दू मानता हूँ। मेरा यह खयाल है कि अत्यन्त शुद्ध रूपमें हिन्दू-धर्मका पालन करनेवाला गायको बचानेके लिए गोवध करनेवालेकी हत्या करनेकी बात नहीं सोच सकता। हिन्दुओंके पास गायको बचानेका एक ही उपाय है और वह यह है कि वे गायका वध न देख सकें तो अपना बलिदान दे दें। इस प्रकार योग्य अधिकारी हिन्दू थोड़ेसे भी बलिदान दे दें तो मुझे विश्वास है कि असंख्य मुसलमान भाई गोवधका त्याग कर देंगे। परन्तु यह तो सत्याग्रह हुआ, यह तो विनय हुई। जैसे मैं अपने भाईसे कुछ भी इन्साफ चाहूँ, तो अपने पर कष्ट झेलकर ही चाह सकता हूँ। अपने भाईको दुःख देकर नहीं माँग सकता। हकसे तो कुछ माँगा ही नहीं जा सकता। अपने भाईके विरुद्ध मुझे एक ही हक है और वह यह है कि मैं मर मिटूँ। जब हिन्दुओंके हृदयोंमें ऐसा शुद्ध प्रेमभाव स्फुरित हो उठे, तभी हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आशा रखी जा सकती है। जैसे मैं हिन्दू भाइयोंके साथ इस तरह बातचीत कर सकता हूँ वैसे ही मुसलमान भाइयोंके साथ बातचीत कर सकना चाहिए। उन्हें जान लेना चाहिए कि हिन्दुओंके प्रति उनका क्या कर्त्तव्य है। दोनोंमें जब त्यागवृत्ति ही रहे, दोनों अपने हकोंके लिए कोशिश न करें और फर्ज अदा करनेका ही प्रयत्न करें, तभी बहुत वर्षोंसे चले आ रहे भेद-भाव मिट सकते हैं। दोनोंके मनमें एक-दूसरेके धर्मके लिए आदर होना चाहिए। कोई एक-दूसरेका बुरा एकान्तमें भी न चाहे और कोई कड़े शब्द काममें ले, तो हम उसे ऐसा करनेसे रोकनेके लिए विनयपूर्वक समझायें। इस प्रकार महान् प्रयत्न हो, तभी भेदभाव मिट सकता है। जब वैसा करनेको बहुतसे हिन्दू और बहुतसे मुसलमान तैयार हो जायेंगे, तब हमारा लिया हुआ व्रत सुशोभित होगा। मैंने जो कहा है उससे अब इस व्रतकी महत्ता और कठिनाई आसानीसे समझमें आ सकती है। मुझे आशा है कि इस शुभ अवसरपर और जिस समय देशमें सत्यका बड़ा आग्रह चल रहा है, वह अवसर शुभ ही है — ऐसे अवसरपर मैं चाहता हूँ कि हम यह एकताका व्रत लें। इसके लिए प्रमुख मुसलमान भाई और प्रमुख हिन्दू भाई शुरूमें मिलकर खूब विचार करें। बादमें इकट्ठे होकर वे एक निश्चयपर पहुँच सकेंगे, तो मैं अवश्य व्रत लेनेकी सलाह दूँगा। और ऐसा प्रयत्न जो अभी हो रहा है, यदि जारी रहा, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़े ही दिनोंमें हम उसका फल देख लेंगे। व्यक्तिगत रूपमें तो व्रत आज भी लिया जा सकता है और मैं चाहता हूँ कि बहुत-से हिन्दू-मुसलमान सदा यह व्रत लेते रहें। परन्तु मेरी चेतावनी





तो केवल बड़े समूहोंसे व्रत लिवानेके बारेमें ही है। हम व्रत लें, तो मेरी रायके अनुसार वह इस प्रकार होना चाहिए :

“हम ईश्वर—खुदाको हाजिर जानकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरेको सगे भाइयोंकी तरह मानकर दोनोंमें जरा भी भेदभाव नहीं रखेंगे, एक-दूसरेके दुःखमें दुःखी होंगे और उसमें अपनी शक्तके अनुसार पूरा भाग लेंगे। हम एक-दूसरेके धर्मका किसी भी प्रकार विरोध न करेंगे, एक-दूसरेकी धार्मिक भावनाओंको नहीं दुखायेंगे, एक-दूसरेके धर्मके पालनमें दखल नहीं देंगे और एक-दूसरेके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करेंगे और धर्मके बहाने कभी एक-दूसरेकी हत्या नहीं करेंगे।”

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## १९१. तार : सी० आर० दासको

[ बम्बई ]

अप्रैल ८, १९१९

सी० आर० दास<sup>१</sup>

कलकत्ता

आगेकी गतिविधि बाह्य परिस्थितिपर निर्भर है। पन्द्रह तारीखको उपस्थित होनेका प्रयास करूँगा। अखबारोंमें समाचार है रविवारको प्रदर्शनकारी किसी बातपर उत्तेजित होकर ब्रिस्टल होटलकी तरफ झपटे और पत्थर फेंककर खिड़कियोंके शीशे तोड़ डाले, शामको कोमटोलामें भीड़ने उड़िया अभियुक्तको पुलिसकी हिरासतसे छुड़ा लिया और पुलिसपर जोरका हमला किया। कृपया तार द्वारा सही स्थिति बतलाइये। बतलानेकी जरूरत नहीं कि सत्याग्रहको खतरा बाहरसे नहीं हमेशा अन्दरसे ही रहता है। जबरदस्त प्रलोभन और उत्तेजनाकी परिस्थितिमें पड़कर सत्य और अहिंसाके पथसे डिगनेसे सारा आन्दोलन विफल हो जायेगा। जबतक काबू न कर सकें जुलूसों और बड़े-बड़े मजमोंसे अनिवार्यतः दूर रहें इस परम विश्वासके साथ कि सत्याग्रहियोंका छोटेसे-छोटा दल भी विजय प्राप्त करेगा। सत्याग्रह,

१. देशबन्धु चित्तरंजन दास (१८७०-१९२५); १९२२ में गया कांग्रेसके अध्यक्ष; १९२३ में स्वराज्य पार्टीकी स्थापना की।



तार : राजेन्द्रप्रसादको

२११

सत्यके आग्रहमें जरा भी ढिलाई बरदाश्त नहीं करता। कृपया एक्सप्रेस डाक द्वारा उत्तर दीजिये।'

मो० क० गांधी

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५०९)की फोटो-नकलसे।

१९२. तार : स्वामी श्रद्धानन्दको

अप्रैल ८, १९१९

कल शाम वहाँ पहुँच रहा हूँ। कृपया मेरे आनेकी बात अपने तक ही रखें। किसी प्रकारका प्रदर्शन नहीं चाहता।

[ अंग्रेजीसे ]

एविडेंस टेकन बिफोर डिसेम्बर १ इन्क्वायरी कमेटी; खंड १, पृष्ठ १९१।

१९३. तार : राजेन्द्रप्रसादको

[ बम्बई ]

अप्रैल ८, १९१९

राजेन्द्रबाबू

पटना

कल दिल्ली पहुँचूंगा। उसके बाद आगेका कार्यक्रम तारसे भेजूंगा।

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५०१) की फोटो-नकलसे।

१. सी० आर० दासने उत्तर दिया था : "समाचारपत्रोंका विवरण भ्रामक। यहाँ रविवारको सत्याग्रह बिल्कुल शान्तिपूर्वक हुआ। सभी दुकानें और बाजार बन्द, व्यापार ठप्प। प्रार्थना और उपवासके बाद मैदानमें दो लाखसे अधिककी सार्वजनिक सभा। जुलूस व्यवस्थित रहा, जनता शान्तिपूर्वक घरोंको लौटी। मित्र और विरोधी सभी समाचारपत्रोंने प्रदर्शनको शान्तिपूर्ण और व्यवस्थित बतलाया। त्रिस्टल होटलकी घटनाको बहुत अतिरंजित ढंगसे पेश किया गया है। सभाके विसर्जनके बाद घर लौटती हुई एक संकीर्तन मंडलीपर कुछ यूरोपियोंने त्रिस्टल होटलसे कुछ गन्दी चीजें और ईंटोंके टुकड़े फेंके, जिससे कुछ लोग उत्तेजित हो गये पर दूसरोंने उनके पैरों पड़कर उनको रोक लिया। आंग्ल-भारतीय पत्रोंने भी घटनाको छोटी-मोटी और गैर-महत्त्वपूर्ण बतलाया है। बन्दिमोंको हिरासतसे छुड़ानेकी तथाकथित घटना अप्रामाणिक और हमारे प्रदर्शनसे असंबद्ध है।"



## १९४. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको

बम्बई

अप्रैल ८, १९१९

प्रिय श्री ग्रिफिथ,

उस स्वयंस्फूर्त जुलूसमें भाग लेनेवाले मुख्य-मुख्य व्यक्तियोंके बयान अब मेरे सामने हैं। उनके बयानकी एक नकल मैं इसके साथ भेज रहा हूँ। आप उसमें देखेंगे कि :

- (१) वे ट्रामें रोकनेके बारेमें लगाये गये आरोपसे दृढ़तासे इनकार करते हैं।
- (२) वे इस बातसे भी इनकार करते हैं कि वहाँ इकट्ठे लोगोंने तितर-बितर होनेसे इनकार किया था, या श्री हार्करके आदेशका उल्लंघन करके आगे बढ़ते जानेकी धमकी दी; इसके विपरीत उन्होंने तुरन्त ही बिना किसी आनाकानीके उनके आदेशोंका पालन किया।
- (३) उनका कहना है कि लठैत रंगरूट और सशस्त्र पुलिस अकारण ही जन-समूहपर टूट पड़ी और बड़ी मुश्किलसे श्री हार्करके रोकनेपर मारना बन्द किया।

ऊपर जिस हमलेकी बात कही गई है, उसमें घायल हुए लोगोंमें से जिन दोसे मैं मिला हूँ, उनके सिरोंपर काफी गहरी चोटें थीं। एकसे तो मैंने रविवारको उसीके घर मुलाकात की थी, और दूसरेको लोग कल सुबह मेरे घर ले आये थे। यदि आपका जैसा खयाल है, उस मजमेमें ज्यादातर बदमाश लोग थे तो यह बहुत ही विचित्र लगता है कि वे बदलेकी कोई भी कार्रवाई किये बिना कैसे लौट गये; और यदि उसमें ज्यादातर मध्यमवर्गके प्रतिष्ठित लोग थे, जो मुझे लगता है कि सही है, तो यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि आपने जिस तरहसे मुझे बतलाया है, उस तरहसे उन्होंने सचमुच ट्रामें रोकी होंगी।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५१०)की फोटो-नकलसे।

१. यहाँ नहीं दिया गया है।



## १९५. पत्र : सर इब्राहीम रहीमतुल्लाको

[ बम्बई  
अप्रैल ८, १९१९ ]

प्रिय सर इब्राहीम रहीमतुल्ला,<sup>१</sup>

मेरे खयालसे यह कहा जा सकता है कि इतवारको सब-कुछ बहुत अच्छी तरह निपट गया। काफर्ड मार्केटके पास हिन्दू-मुसलमानोंका एक मिला-जुला जुलूस निकला। जुलूसमें भाग लेनेवाले कुछ लोगोंपर हमला हुआ और उनको चोटें आईं। घटना यों गम्भीर नहीं है; फिर भी मेरा खयाल है कि जुलूसके किसी भी आदमीका कोई दोष नहीं था; हालाँकि पुलिस कमिश्नरका कहना है कि लोगोंने डिप्टी कमिश्नरके आदेशका पालन नहीं किया था। मैंने जिन सम्माननीय सज्जनसे घटनाका विवरण सुना वे जुलूसमें भाग लेनेवालोंको सर्वथा निर्दोष ठहराते हैं। मैं ग्रिफिथके नाम अपने पत्रकी एक प्रति और उस पत्रके साथ भेजी गई प्रमुख व्यक्तियोंके बयानकी प्रतिकी भी एक नकल आपके पास भेज रहा हूँ। आप उससे खुद समझ लेंगे कि यदि इन सज्जनों द्वारा बतलाये गये तथ्य सही हैं तो पुलिसका कुछ-न-कुछ दोष तो अवश्य है।

मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे वहाँसे लौटनेमें कुछ दिन लग जायेंगे, इसलिए यदि आप कुछ और जानकारी हासिल करना जरूरी समझेंगे तो मैं लौटनेपर ही उसे मुहैया कर सकूंगा। उक्त पत्र लिखने और नेताओंसे जानकारी इकट्ठी करनेका मेरा मकसद यह है कि जब शिकायतकी बिलकुल गुंजाइश न हो तब दोष लोगोंके सिरपर नहीं मढ़ा जाना चाहिए। और 'चोरी तिसपर सीनाजोरी' वाली बात चरितार्थ नहीं होनी चाहिए।

यदि आप चाहें तो यह पत्र गवर्नर महोदयको दिखला सकते हैं। मैं इस कष्टके लिए आपसे क्षमा-प्रार्थी हूँ।

गुजराती पत्र (एस० एन० ६५०७)की फोटो-नकलसे।

## १९६. तार : ओ० एस० घाटेको

अप्रैल ९, १९१९

ओ० एस० घाटे

छिन्दवाड़ा

कार्याधिक्यके कारण लिखनेका समय नहीं। दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँसे ब्यौरेवार रायके साथ महत्त्वपूर्ण पत्र भेजूंगा।

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५११) की फोटो-नकलसे।

१. गवर्नरकी कार्यकारिणी परिषद्, बम्बईके सदस्य।



## १९७. सन्देश : देशभाइयोंके नाम

अप्रैल ९, १९१९

महात्मा गांधीके सचिव श्री देसाई लिखते हैं :

महात्मा गांधीको दिल्ली जाते हुए मार्गमें कोसीमें यह हुक्म दिया गया कि वे पंजाबमें प्रवेश न करें, दिल्लीमें प्रवेश न करें और बम्बईमें ही रहें। जिस अधिकारीने उनपर हुक्म तामील किया, उसने बहुत ही शिष्ट व्यवहार किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि उन्होंने इस हुक्मको न माननेका निर्णय किया तो उसे बड़े दुःखके साथ उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, किन्तु इस कारण उनके बीच कोई दुर्भाव उत्पन्न न होगा। श्री गांधीने मुसकराते हुए कहा कि मुझे तो इस हुक्मको माननेसे इनकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मेरा कर्त्तव्य है, लेकिन आपको भी प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्त्तव्यका पालन करना चाहिए। हमें इस बीच जो चन्द मिनटोंका समय मिला उसमें गांधीजीने मुझे निम्न सन्देश लिखाया। अपने लिखित सन्देशकी ही तरह उन्होंने मुझे जो मौखिक सन्देश दिया था, उसमें भी इस बातपर बहुत जोर दिया कि उनकी गिरफ्तारीपर किसीको नाराज नहीं होना चाहिए, और न कोई ऐसा काम ही करना चाहिए जिसमें असत्य और हिंसा हो, क्योंकि ऐसा करनेसे यह पवित्र उद्देश्य कलंकित होगा।

उनका सन्देश यह है :

मेरे लिए यह अत्यन्त संतोषकी बात है और आपके लिए भी होनी चाहिए कि मुझे पंजाब सरकारकी ओरसे यह आदेश<sup>१</sup> मिला है कि मैं उस प्रान्तकी सीमामें प्रवेश न करूँ और दूसरा आदेश दिल्ली सरकारकी ओरसे मिला है कि मैं दिल्लीके इलाकेमें पाँव न रखूँ। इसके सिवा इसके बाद ही भारत-सरकारकी तरफसे यह हुक्म मिला है कि मैं बम्बई प्रान्तकी हद्द न छोड़ूँ। जिस अफसरने मुझपर

१. यह अनुच्छेद १२-४-१९१९ के लीडरसे लिया गया है।

२. लाहौरसे ९ अप्रैलको जारी किया गया हुक्म इस प्रकार था : “चूँकि स्थानीय सरकारकी रायमें यह विश्वास करनेके उचित कारण हैं कि मोहनदास करमचन्द गांधी, सुपुत्र — ने, जो बम्बई अहातेके अन्तर्गत काठियावाडमें राजकोटके निवासी हैं, सार्वजनिक सुरक्षाके विरुद्ध काम किया है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर-जनरलकी कौंसिलकी पूर्वानुमतिसे आदेश देते हैं कि उक्त मोहनदास करमचन्द गांधी तुरन्त बम्बई लौट जाये और जबतक कोई नया हुक्म नहीं मिल जाता तबतक बम्बई अहातेकी सीमामें ही रहें।

पंजाबके माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नरकी आज्ञासे

अशागर अली

संयुक्त सचिव”



यह हुकम तामील किया, उससे मैंने बेहिचक कह दिया कि मैं इस हुकमकी उदूली करनेको अपनी प्रतिज्ञासे बँधा हूँ। मैंने यह हुकम-उदूली कर भी दी है, अब यद्यपि मैं तुरन्त सरकारी हिरासतमें ले लिया जाऊँगा, किन्तु मैं मन और आत्मासे एक स्वतन्त्र व्यक्ति बन जाऊँगा। ऐसी हालतमें, जब रौलट-कानून हमारे देशकी विधि-संहिताको विरूपित कर रहे हों, बाहर मुक्त रहना मेरे लिए घोर अपमानकी बात थी। गिरफ्तार होकर मैं स्वतन्त्र हो गया हूँ। अब आप सबको सत्याग्रहका अपना कर्त्तव्य निभाना है— जो कि सत्याग्रहकी प्रतिज्ञामें स्पष्ट बता दिया गया है। आप उसका पालन करें, और तुरन्त आपको पता चल जायेगा कि वह कामधेनुरूप है।

मैं आशा करता हूँ कि मेरी गिरफ्तारीसे आप क्षुब्ध नहीं होंगे। मैं जो-कुछ चाहता था, मुझे मिल गया है— मैं यही तो चाहता था कि या तो रौलट-कानून रद्द कर दिये जायें या मैं कैद कर लिया जाऊँ। सत्यसे रंच-मात्र भी डिगनेसे या किसीके विरुद्ध, चाहे वह अंग्रेज हो या हिन्दुस्तानी, हिंसा करनेसे उस महान् उद्देश्यकी बड़ी हानि होगी, जिसे लेकर सत्याग्रही चल रहे हैं। मुझे आशा है कि हिन्दू-मुस्लिम एकता, जिसकी जड़ें लोगोंमें इस समय अच्छी तरह जमी हुई दिखाई देती हैं, वास्तविकता बन जायेगी, और मुझे विश्वास है कि मैंने अखबारोंमें जो सुझाव दिये हैं, उनपर अच्छी तरह अमल किया जाये; तभी ऐसा हो सकता है। इस मामलेमें मुसलमानोंसे हिन्दुओंकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि मुस्लिम जाति अल्पसंख्यक है। मैं आशा रखता हूँ, हिन्दू अपनी जिम्मेदारी देशके गौरवके अनुरूप ढंगसे निभायेंगे। मैंने प्रस्तावित स्वदेशी-व्रतके बारेमें कुछ सुझाव दिये हैं। मेरा अनुरोध है कि आप उनपर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दीजिए। आपके सत्याग्रह-सम्बन्धी विचार ज्यों-ज्यों परिपक्व होते जायेंगे, त्यों-त्यों आपको मालूम होता जायेगा कि हिन्दू-मुस्लिम एकता सत्याग्रहका ही अंग है।

और अन्तमें मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम मुक्ति पायेंगे तो केवल अपने कष्ट-सहनसे, न कि इंग्लैंडसे टपक पड़नेवाले सुधारोंके जरिये, भले ही वे कितने ही खुले दिलसे दिये जायें। अंग्रेज जाति महान् है, परन्तु यदि कमजोर लोग उसके सम्पर्कमें आते हैं, तो उन्हें दबना भी पड़ता है। अंग्रेज लोग खुद बड़े बहादुर हैं और वे स्वयं असीम कष्ट झेल चुके हैं, इसलिए वे बहादुरी और कष्ट-सहनकी ही कद्र करते हैं; और उनके साथ हम बराबरीके साझेदार तभी बन सकेंगे जब हम अपने भीतर अदम्य उत्साह और कष्ट-सहनकी असीमित क्षमता विकसित कर लेंगे। उनकी और हमारी संस्कृतिमें एक बुनियादी फर्क है। उनके लिए किसी भी बातमें अन्तिम निर्णायक तत्त्व हिंसा या पशुबल है। किन्तु अपनी संस्कृतिके विषयमें मेरा विचार यह है कि हमसे अन्तिम निर्णायक तत्त्वके रूपमें आत्मबल या नैतिक-बलमें विश्वास रखनेकी आशा की जाती है और यही है सत्याग्रह। आज हम ऐसे कष्टोंसे पीड़ित हैं, जिनसे अगर हमारा बस होता तो हम छुटकारा पाना चाहते; और इस दुःखका कारण यह है कि हमारी प्राचीन संस्कृतिने हमें जो मार्ग बताया है, उस मार्गसे हम विचलित हो गये हैं।



मैं आशा रखता हूँ कि हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी और दूसरे सभी लोग, जिन्होंने हिन्दुस्तानमें जन्म लिया है और जिन्होंने भारतको स्वदेशके रूपमें अपना लिया है, इन राष्ट्रीय व्रतोंमें पूरी तरह भाग लेंगे; और मुझे यह भी आशा है कि इसमें स्त्रियाँ पुरुषोंसे जरा भी पीछे नहीं रहेंगी।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, १०-४-१९१९

### १९८. पंजाब सरकारकी पाबन्दीका उत्तर<sup>१</sup>

अप्रैल १०, १९१९

मुझे खेदके साथ कहना पड़ता है कि मैं आपके उपर्युक्त आदेशका पालन नहीं कर सकूंगा।

मोहनदास करमचन्द गांधी

मूल अंग्रेजी आदेश (एस० एन० ६५१३)की फोटो-नकलसे।

### १९९. पत्र : एस्थर फैरिंगको

गिरफ्तारीकी हालतमें बम्बई जाते हुए

अप्रैल १०, १९१९

मेरी प्यारी बच्ची,

तुम्हारा बैंक-नोट मुझे मिल गया है। आशा है कि तुम अपने-आपको आवश्यक वस्तुओंसे वंचित नहीं कर रही हो। तुम्हारा बैंक-नोट मैं आश्रमको दे रहा हूँ। ठीक है न?

मुझे कल रात दिल्ली जाते हुए पंजाबमें प्रवेश न करनेका एक आदेश मिला। मैंने वहीं और उसी समय उसकी अवज्ञा की और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद मुझे दो आदेश और दिये गये — एक तो दिल्ली प्रान्तमें प्रवेश न करने और दूसरा बम्बईकी सीमामें ही रहनेका था। अब वे मुझे बम्बई ले जा रहे हैं। यदि वे मुझे छोड़ देंगे तो मैं तुरन्त ही नजरबन्दीके आदेशका उल्लंघन करूंगा। आज मैं शायद संसारका सबसे सुखी जीव हूँ। पिछले दो महीनोंके दौरान मुझे अपार स्नेह मिला है। और अब देख रहा हूँ कि हालाँकि मेरे मनमें किसीके भी प्रति दुर्भाव नहीं है और भारतमें शान्ति बनाये रखनेमें जितना मैं सफल हो सकता हूँ उतना अन्य कोई नहीं हो सकता,

१. गांधीजीने उसी आदेशपर अपने हाथसे यह उत्तर लिख दिया था। आदेशके पाठके लिए देखिए पाद-टिप्पणी २, पृष्ठ २१४।



फिर भी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे जेलमें भेजनेसे लोगोंके सामने गलत काम करनेवालेका सच्चा रूप ही प्रकट होगा। मेरी आत्मा शान्त और अविचलित है, इसलिए इससे मुझे कोई हानि नहीं पहुँच सकती।

तुमको इस बातकी प्रसन्नता होगी कि तुम्हारा एक मित्र ऐसा है जिसे ईश्वरने उन लोगोंको भी प्यार करनेकी शक्ति दी है जो अपनेको उसका शत्रु बतलाते हैं और जो कष्ट-सहन करनेमें खुशी मनाता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी सम्भावित जेल-यात्रापर अपना मन दुःखी करो। मेरे ऊपर निगरानी रखनेवाला अफसर बड़ा ममतालु है और मेरा बड़ा खयाल रखता है।

महादेव यदि अभी कुछ दिनों तक जेलसे बाहर रहा तो तुमको विस्तारसे लिखेगा।

सस्नेह,

सदा तुम्हारा,  
बापू

[ पुनश्च: ]

मैंने मद्राससे बम्बई जाते हुए तुमको बेजवाड़ा या अन्य किसी स्थानसे पत्र लिखा था। क्या तुमको वह मिल गया है?

बापू

[ अंग्रेजीसे ]

माई डियर चाइल्ड

२००. तार : स्वामी श्रद्धानन्दको


अप्रैल ११, १९१९

हिरासतसे छूटकर अभी-अभी आया हूँ।<sup>१</sup> . . . और बातें बादमें। कुछ जगहों पर जानें गईं, इसका अफसोस। लोगोंका अपने पर नियन्त्रण रखना और हिंसासे बचना बिलकुल जरूरी। यह बात लाहौर अमृतसर इत्यादिमें कहें।

गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

पंजाब अनरैस्ट - बिफोर ऐंड आफ्टर



१. सिकन्दराबाद, देखिए " पत्र : एस्थर फैरिंगको ", १-४-१९१९

२. बम्बईमें।





## २०१. सत्याग्रह माला - ३<sup>१</sup>

११-४-१९१९

सत्याग्रहियों और हमदर्दोंको महात्मा गांधीकी चेतावनी

शुक्रवार, १२ अप्रैल,<sup>१</sup> १९१९को महात्मा गांधीने चौपाटी समुद्र-तटपर हुई विराट् सार्वजनिक सभामें एकत्र सत्याग्रहियों और हमदर्दोंको निम्न चेतावनी दी :

भाइयो और बहनो,

यह अवसर अभी कुछ समय पीछेकी बातोंपर विचार करनेका नहीं है। लेकिन जो बात अभी-अभी हुई है, उसकी चर्चा मुझे करनी ही चाहिए। आप देखते हैं कि सरकारने मुझे छोड़ दिया है। मैं दो दिन कैदमें रहा, लेकिन वह मेरे लिए कैद नहीं थी स्वर्ग-समान थी। मैं जिन अधिकारियोंके जिम्मे था, उन्होंने मेरी सुविधाओंका अत्यधिक ध्यान रखा, मेरे प्रति बहुत सज्जनताका व्यवहार किया। मैंने जो-कुछ चाहा, सब-कुछ मुहैया कर दिया गया और मैं बाहर जितनी सुख-सुविधाओंका आदी हूँ उससे बहुत अधिक सुख-सुविधाएँ मुझे दी गईं। इसलिए मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मेरी नजरबन्दीपर इतनी उत्तेजना क्यों दिखाई गई, इतनी अशान्ति क्यों फैली। यह सत्याग्रह नहीं है। यह तो दुराग्रहसे भी बुरा है।

जो सत्याग्रहमें शरीक होते हैं उन्हें हर हालतमें हिंसासे अलग रहना है। ईंट-पत्थर नहीं फेंकने हैं और न किसीको किसी अन्य प्रकारसे चोट पहुँचानी है। लेकिन बम्बईमें तो हमने ईंट-पत्थर फेंके, और रास्तेमें आड़-अटकाव खड़ा करके ट्रामोंका आना-जाना रोका। यह सत्याग्रह नहीं है।

हमने हिंसाके अपराधमें गिरफ्तार किये गये लगभग ५० आदमियोंको छोड़ देनेकी माँग की। हमारा कर्तव्य तो यह है कि हम गिरफ्तारीको चुपचाप स्वीकार कर लें। जिन लोगोंने हिंसात्मक कार्रवाई की है, उन्हें छोड़वानेकी कोशिश करना धर्म<sup>२</sup> या कर्तव्यसे विमुख होना है। इसलिए पकड़े हुए लोगोंको छोड़नेकी माँग तो हम किसी भी तरह कर ही नहीं सकते।

मुझसे पूछा गया है कि सत्याग्रही सत्याग्रह आन्दोलनसे उत्पन्न परिणामोंके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं। मैंने उत्तर दिया है कि वे जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ कि अगर हम इस लड़ाईको हिंसासे बिलकुल अलग रहकर नहीं चला सकते हों, तो लड़ाई बन्द कर देनी पड़ सकती है या उसे दूसरा ही तथा और भी अधिक

१. मूलमें “सत्याग्रह सीरीज : सं० ३” है। ‘सत्याग्रह माला—१’के लिए देखिए परिशिष्ट २ और ‘सत्याग्रह माला—२’के लिए देखिए “हिन्दू-मुस्लिम एकताकी प्रतिज्ञा”, ८-४-१९१९।

२. यहाँ तारीख ११ अप्रैलके बजाय १२ अप्रैल भूलसे हो गई है। शुक्रवार ११ तारीखको पड़ा था।

३. मूलमें ये वाक्य रेखांकित है।



संकुचित स्वरूप देना पड़ सकता है। ऐसा समय भी आ सकता है जब मुझे अपनोंके विरुद्ध ही सत्याग्रह करना पड़े।<sup>१</sup>

यदि हमें इसमें मरना पड़ता है तो मैं उसे बुरा नहीं मानूंगा। किसी सत्याग्रहीकी मृत्युका समाचार सुनकर मुझे दुःख जरूर होगा; किन्तु इसे मैं लड़ाईके सिलसिलेमें दिया गया उचित बलिदान मानूंगा। लेकिन जो सत्याग्रही नहीं हैं, जो इस आन्दोलनमें शरीक नहीं हैं, अथवा जो इसके विरुद्ध भी हैं, यदि उन्हें कोई क्षति पहुँचेगी तो इसका पाप हर एक सत्याग्रहीको लगेगा। और मेरी जिम्मेदारी तो करोड़ गुना अधिक होगी। मैं अपनी इस जिम्मेदारीको समझकर लड़ाईमें पड़ा हूँ।

मैंने अभी सुना है कि कुछ अंग्रेज भाइयोंको भी चोटें आई हैं। इस चोटके कारण शायद, कुछकी मृत्यु भी हो गई हो। यदि ऐसा है तो, यह सत्याग्रहपर एक जबरदस्त लांछन है। मेरे लिए तो अंग्रेज भी अपने भाई के समान हैं। मुझे उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं हो सकती; और ऊपर मैंने जिन पापोंका जिक्र किया है, वे मेरे लिए तो असह्य हैं।

किन्तु मुझे मालूम है कि जैसे शासकोंके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है वैसे ही मैं अपनोंके विरुद्ध कैसा सत्याग्रह कर सकता हूँ। ऐसे पापोंके लिए मैं कैसा प्रायश्चित्त कर सकता हूँ? यह सत्याग्रह और प्रायश्चित्त एक ही हो सकता है। वह यह है कि मैं अनशन व्रत ले लूँ और जरूरत जान पड़े तो इस प्रकार इस शरीरको बलिदान करके सत्याग्रहके सत्यको सिद्ध करूँ।<sup>२</sup>

मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अब आप चुपचाप अपने-अपने घर चले जायें और शान्ति बनायें रखें, तथा आयन्दा ऐसा कोई काम न करें, जिससे बम्बईके लोगोंका नाम कलंकित हो।

हमें पुलिसके आचरणपर विचार नहीं करना है, और न यह उसके लिए उपयुक्त अवसर ही है। हम सबको इस बातके लिए परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदय तथा पुलिसका आभार मानना चाहिए कि राइफल या बन्दूकका उपयोग नहीं किया गया। परन्तु इस अवसरपर यही एक बात याद रखनी है कि 'हम पूरी तरह शान्ति रखना और ज्ञानपूर्वक दुःख झेलना सीखें। इसके बिना सत्याग्रह हो ही नहीं सकता।'<sup>३</sup>

सत्याग्रह सभा,  
अपोलो स्ट्रीट

गांधी स्मारक निधिमें सुरक्षित हिन्दुस्तान प्रेस, फोर्ट, बम्बई द्वारा मुद्रित मूल अंग्रेजी पत्रकसे।

सौजन्य : एच० एस० एल० पोलक

१ व २. मूलमें ये वाक्य रेखांकित हैं।

३. उद्धरणमें दिया गया वाक्य मूलमें रेखांकित है।



## २०२. बम्बईके मुसलमानोंसे बातचीत

अप्रैल ११, १९१९

शुक्रवारके दिन हुई गिरफ्तारियोंके सिलसिलेमें उसी दिन कई मुसलमान श्री गांधीके निवासपर पहुँचे। महात्मा गांधीने उनको सत्याग्रहका वास्तविक अर्थ समझाया और कहा कि यदि वे लोग दुराग्रह करते हुए गिरफ्तार हों तो वे सहानुभूतिके पात्र नहीं हो सकते, लेकिन यदि उनको सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार किया जाये तो उनको जेल जाना अपना कर्त्तव्य मानना चाहिए। इस तरह किसी भी तरह गिरफ्तार हुए लोगोंकी रिहाईकी माँगको उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके पश्चात् महात्माने हिन्दू-मुस्लिम एकताकी परम आवश्यकता समझाई।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १४-४-१९१९

## २०३. सत्याग्रहके सम्बन्धमें हिदायतें

[ अप्रैल १२, १९१९ ]

मेरी विनम्र राय है कि सत्याग्रहको पूर्ण विकसित करने और आम जनतामें उसकी पैठ करानेके लिए नीचेकी हिदायतोंका सख्तीसे पालन किया जाना चाहिए। बादमें इनमें से कुछको बदलनेकी जरूरत भी पड़ सकती है। शेष सभी सत्याग्रहके अनुल्लंघनीय सिद्धान्त हैं।

जुलूस न निकलें।

संगठित प्रदर्शन न हों।

पहलेसे समितिका आदेश प्राप्त किये बिना किसी भी कारण कोई हड़ताल न हो। हिंसा न हो।

पथराव न हो।

द्रामोंके चलने या यातायातमें कोई बाधा न डाली जाये।

किसीपर किसी भी किस्मका दबाव न डाला जाये।

सार्वजनिक सभाओंमें

तालियाँ न बजाई जायें।

अनुमोदन या विरोधका प्रदर्शन न किया जाये।

‘शर्म’ ‘शर्म’ की आवाजें न कसी जायें।



हर्ष-ध्वनि न की जाये ।

पूर्णतया शांति रहे ।

मोहनदास क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

बाँम्बे क्रॉनिकल, १४-४-१९१९

## २०४. भेंट : समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे

अप्रैल १२, १९१९

समाचार है कि महात्मा गांधीने समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे एक भेंटके दौरान कहा कि उन्होंने दिल्ली जाने या न जानेके बारेमें अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है । उन्होंने जनतासे एकबार फिर अपील की कि रौलट विधेयकोंके विरुद्ध सत्याग्रहकी सच्ची भावनाके अनुरूप संघर्ष चलाया जाये और हिंसापूर्ण कार्योंसे बचा जाये । सत्याग्रह संघर्षके दौरान गिरफ्तार होनेवालोंके प्रति सभीको सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन उनकी रिहाईकी माँग नहीं की जानी चाहिए; क्योंकि जेल जाना तो सच्चे सत्याग्रहियोंका कर्त्तव्य है । उन्होंने कहा कि दुराग्रहियोंके प्रति मुझे कोई सहानुभूति नहीं है । उनको गलत कामोंके लिए दण्डित किया जाना चाहिए और उनको जनतासे सहानुभूतिकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए । साथ में उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि जनता सत्याग्रहकी सच्ची भावनाके अनुरूप हिंसापूर्ण कार्योंसे दूर रहते हुए संघर्ष चलाये तो रौलट विधेयक शीघ्र ही विधान संहितासे हट जायेंगे । सारी परिस्थितियोंको देखते हुए हो सकता है कि सत्याग्रह-आन्दोलनको एक सर्वथा भिन्न और सीमित-सा रूप देना पड़े । सत्याग्रह-संघर्ष तो शान्त मनसे और शान्तिपूर्ण ढंगसे सत्याग्रहकी सच्ची भावनाके अनुरूप ही चलाया जाना चाहिए । अन्तमें उन्होंने एकबार फिर जनतासे जोरदार अपील की कि लोगोंको शान्तिपूर्ण ढंगसे, हिंसापूर्ण कार्योंसे दूर रहते हुए, काम करना चाहिए ।

[ अंग्रेजीसे ]

बाँम्बे क्रॉनिकल, १४-४-१९१९



## २०५. भाषण : वस्त्र-विक्रेताओंकी सभामें

बम्बई

अप्रैल १२, १९१९

देशमें पिछले हफ्ते कई स्थानोंपर होनेवाले उपद्रवोंके समाचार से महात्मा गांधीको काफी क्षोभ हुआ था। उन्होंने अहमदाबादके लिए रवाना होनेसे पहले अपनी ओरसे ही बुलाई गई वस्त्र-विक्रेताओंकी एक सभामें भाग लिया था और उसमें जनतासे बड़ी सच्ची भावनासे हिंसापूर्ण कार्योंसे दूर रहनेकी अपील की थी। साथमें, उन्होंने कहा कि उपद्रवोंके समाचारसे उनको बहुत पीड़ा पहुँची है। यह तो नहीं है कि उनकी गिरफ्तारीसे सत्याग्रहका काम बन्द हो जाता; जनताको उपद्रव नहीं करने चाहिए थे। यदि वे दिल्ली रवाना हों और उनको फिरसे गिरफ्तार भी कर लिया जाये तो कोई उपद्रव नहीं होने चाहिए। लोगोंको सत्याग्रहकी सच्ची भावनाके अनुरूप कष्ट-सहनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कहीं हड़ताल भी हो, तो हड़तालमें शामिल न होनेवालों पर कोई जोर या दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। सभी लोगोंके प्रति सद्भावनाकी दृष्टि रखनी चाहिए।

श्री गांधीके सुझावपर प्रमुख व्यक्तियोंकी एक समिति नियुक्त की गई, जो कपड़ा-बाजार और आसपासके हल्कोंमें व्यवस्था बनाये रखनेमें सहायता करनेके लिए स्वयंसेवक भरती करेगी।

इसके पश्चात् महात्मा गांधी कई अन्य संस्थाओंमें गये और उन्होंने वहाँ भी रौलट विधेयकोंके विरुद्ध संघर्षको सत्याग्रहकी सच्ची भावनाके अनुरूप चलानेकी बात पर जोर दिया। उन्होंने मारवाड़ी संघमें आयोजित एक और सभामें भी भाग लिया। वहाँ अहमदाबादमें हुए उपद्रवोंका समाचार सुनकर वे बहुत ही विचलित हो गये और उनसे कुछ कहते भी नहीं बना। अगले दिन उन्होंने भोजन तक नहीं किया। उनको उसी रात मोरारजी गोकुलदास हॉलमें भी एक सभामें भाषण करना था, लेकिन बम्बई से अहमदाबादके लिए चल पड़नेके कारण वे वहाँ नहीं जा पाये। उनकी अनुपस्थितिमें श्री जमनादास द्वारकादासने ही शान्तिपूर्ण और व्यवस्थित ढंगसे संघर्ष चलानेके बारेमें सभाके समक्ष गांधीजीके सुझाव पेश किये।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १५-४-१९१९



## २०६. सन्देश : अहमदाबादकी जनताको

अप्रैल १३, १९१९

बाई अनसूयाबेन और मैं आज ही सुबह अहमदाबाद पहुँचे हैं। बाई अनसूयाबेनको गिरफ्तार किया ही नहीं गया था। मैं भी शुक्रवारके दिन तक बिलकुल स्वतन्त्र था और बम्बई गया था। हिरासतके अर्सेमें मुझे किसी किस्मकी कोई तकलीफ नहीं हुई; स्वयं मेरी दशा तो ऐसी थी जैसे मुझे स्वर्गिक आनन्द मिल रहा हो। रिहाईके बाद ही अहमदाबादकी घटनाओंकी बात सुनकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। बेनका तो कलेजा मुँहको आ गया। हम दोनोंको बड़ी शर्म मालूम हुई। अब हम दोनों आप लोगोंसे मिलने आये हैं। आपसे एक-दो बातें करना जरूरी है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। मैं यह भी चाहता हूँ, और आप सब भी चाहते होंगे कि मार्शल लाँ तुरन्त ही हटा दिया जाये। उसे हटवाना हमारे ही हाथ है। मैं आपको इसका रास्ता बतलाना चाहता हूँ। आपमें से जो भी आ सकें उनको सोमवारकी शामको चार बजे आश्रममें पहुँचना चाहिए। आश्रम आनेके लिए ऐसे मार्ग चुनिये जहाँ सेनाके दस्ते तैनात न हों। एक साथ दो या तीन व्यक्तियोंसे अधिक नहीं आने चाहिए। पुलिसके सभी आदेशोंका पालन किया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आप सड़कोंपर किसी भी तरहका शोर न मचायें और यदि आप आश्रममें भी पूरी शान्ति रखेंगे तो मैं अपनी बात ज्यादा अच्छी तरह समझा सकूँगा। बहुत ही अच्छा हो यदि सभी दूकानदार अपनी दूकानें खोल लें और सभी मिल-मजदूर कामपर चले जायें। मैं अन्तमें यही कहना चाहता हूँ कि सत्याग्रहपर मुझे इतना अधिक भरोसा है कि यदि यहाँ और अन्य स्थानोंपर जो गलतियाँ की गई हैं वे न की गई होतीं, तो आज रौलट विधेयक रद्द हो चुका होता। ईश्वर आपको सुबुद्धि और शान्ति दे।

[अंग्रेजीसे]

सोर्स मैटेरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड २ (१८८५-१९२०), पृ० ७६३, ७६६-६७।



## २०७. सत्याग्रही - २<sup>१</sup>

अंक - २

अप्रैल १४, १९१९

कीमत एक पैसा

(सम्पादक : मोहनदास करमचन्द गांधी  
लैबर्नम रोड, गामदेवी,  
बम्बई)

### आत्म-परीक्षण

एक सप्ताहके इस थोड़ेसे समयमें ही सत्याग्रह काफी तेजीसे बढ़ गया है। परन्तु यह विचार करना आवश्यक है कि आन्दोलन सही दिशामें बढ़ रहा है या नहीं। कई बड़ी खेदजनक और अशोभनीय घटनाएँ हो गई हैं।

सत्याग्रहियोंको भली प्रकार समझा दिया गया है कि सत्याग्रहका अस्त्र इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं है। सत्याग्रहियोंसे बहुधा यह प्रश्न किया गया है कि इस संघर्षके विभिन्न परिणामोंके लिए वे अपनेको उत्तरदायी मानते हैं या नहीं। हमने इस प्रश्नके उत्तरमें सदा अपना उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। सत्याग्रही सदा सत्यका पालन करेंगे और मन, वाणी, कर्मसे किसीको हानि नहीं पहुँचायेंगे। वे अपना संघर्ष इतने आत्म-संयम और अनुशासनके साथ चलायेंगे कि जिस जनतासे वे सहानुभूति और सहयोग पानेकी आकांक्षा रखते हैं और जिसमें उनको एक बड़ी हदतक सफलता मिल चुकी है, उसे वे पक्की तौरपर नियन्त्रित कर लेंगे। पिछले सप्ताहके अनुभवने यह स्पष्ट दिखा दिया है कि सत्याग्रही अभीतक जनतापर नियन्त्रण करनेकी स्थितिमें नहीं हैं। जनतामें अभीतक सत्याग्रहकी सच्ची भावना व्याप्त नहीं हो पाई है। नतीजा यह है कि वे सत्याग्रहके योग्य ढंगसे अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं कर पाते। निःसन्देह, इससे सत्याग्रहपर लांछन आता है।

पर इससे सत्याग्रहीका उत्साह मन्द नहीं पड़ेगा। वह तो तभी दम लेगा, जब रौलट विधेयक वापस ले लिया जायेगा या वह सत्यकी वेदीपर बलि चढ़ जायेगा। संघर्षके दौरान वह अपने नित्यके अनुभवसे सीखता चलेगा तथा जनताको सार्वजनिक और व्यक्तिगत तौरपर सत्याग्रहका मर्म समझाकर शिक्षित बनाता चलेगा। वह उनको समझायेगा कि बुराईके बदले बुराई न करके कष्ट-सहन करने, सत्यपर दृढ़ बने रहने और आत्मत्याग करनेसे कितना अकथ-अपार आनन्द मिल सकता है। वह प्रेमसे उनके हृदय जीतेगा और उनको दिखायेगा कि शत्रुओंको भी प्रेमसे किस प्रकार जीता जा सकता है।

१. सत्याग्रह स्थगित हो जानेके कारण फिर अंक नहीं निकले; देखिए बाँम्बे क्रॉनिकल, २२-४-१९१९, जिसमें छपा था : "सत्याग्रह सभा" ने हमें सूचित किया है कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन कुछ समयके लिए स्थगित कर दिये जानेके कारण साप्ताहिक सत्याग्रहीका प्रकाशन बन्द कर दिया जायेगा और स्थगन कालके दौरान अपंजीयित छापाखाना भी बन्द कर दिया जायेगा।"



सत्याग्रहीके मार्गमें अनेक बड़ी विकट कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन सच्चे सत्याग्रहमें निराशा या पराजय-जैसी कोई चीज नहीं होती। चूँकि सत्य सर्वशक्तिमान् है, इसलिए सत्याग्रह कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। भारत एक विशाल देश है और यद्यपि सत्याग्रहका प्राचीन नियम हमारे देवशवासियोंको आज नया मालूम पड़ता है, फिर भी हम इससे पीछे नहीं हट सकते। सत्याग्रही जनताको इसमें दीक्षित करनेके लिए दिन-रात मेहनत करेंगे और दिखा देंगे कि सच्चा सत्याग्रह हमारी कामधेनु बन सकती है। यदि जनता उसकी बातपर कान नहीं देगी तो सत्याग्रही जनतासे भी सत्याग्रह करेगा और आमरण अनशन करके अपने देशवासियोंको इस धर्म-युद्धमें शामिल होनेके लिए प्रेरित करेगा, जिसका अन्त विजयमें ही होगा।

#### समाचार

#### महात्मा गांधी

महात्मा गांधीको, पंजाब और दिल्लीमें प्रवेश करनेसे रोकनेकी निषेधाज्ञाका पालन करनेसे मना करनेके कारण, दिल्लीके रास्तेमें गिरफ्तार करके हिरासतमें बम्बई वापस पहुँचाकर रिहा कर दिया गया था। अब वे अहमदाबाद चले गये हैं।

#### पंजाबसे निर्वासन

डॉ० किचलू और डॉ० सत्यपालको पंजाबसे निष्कासित कर देनेके कारण लाहौर और अमृतसरमें भीषण उपद्रव हुए हैं।

#### बम्बईमें आन्दोलन

बम्बईमें निषिद्ध साहित्यकी बिक्री चल रही है। मुसलमान जनता भी आन्दोलनमें दिलचस्पी लेने लगी है।

‘सत्याग्रह प्रेस’ नामक एक नया छापाखाना खोला गया है। अब यह समाचार-पत्र वहीँसे मुद्रित हुआ करेगा।

#### बिहारमें सत्याग्रह

माननीय मजहूरल हक और बम्बईमें कांग्रेसके विशेष अधिवेशनोंके अध्यक्ष श्री हसन इमामने सत्याग्रह प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

#### शाही परिषद्से इस्तीफा

मध्यप्रदेशके जमींदारोंके प्रतिनिधि, माननीय श्री बी० एन० शुक्लने रौलट विधेयकोंके विरोधमें शाही परिषद्से इस्तीफा दे दिया है।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १५-४-१९१९



## २०८. पत्र : जी० ई० चैटफील्डको

आश्रम

साबरमती

अप्रैल १४, [१९१९]

प्रिय श्री चैटफील्ड,<sup>१</sup>

मैंने कल कई लोगोंसे सुना कि फौजने एक-दो स्त्रियाँ और कुछ आदमी मार डाले हैं, और सो भी बिना किसी उचित कारणके। क्या आप मुझे कृपया सही तथ्य बतायेंगे? मैं इस बातके लिए भी बहुत ही चिन्तित हूँ कि आज कोई ऐसी अशोभनीय घटना न हो; मैं जानता हूँ कि मेरी तरह आप भी चिन्तित होंगे।

हृदयसे आपका,

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५३१) की फोटो-नकलसे।

## २०९. पत्र : जे० एल० मैफीको

आश्रम

साबरमती

अप्रैल १४, १९१९

प्रिय श्री मैफी,

मैंने आपके पिछले पत्रकी प्राप्ति स्वीकार नहीं की; आशा है, आप इसे मेरी अशिष्टता न समझेंगे। सच तो यह है कि मैंने उस पत्रको आपके और अपनी उस मैत्रीके अनुरूप मानकर सँभालकर रखा है जो मैं आशा करता हूँ कि हमारे एक राय न होने और हमारे बीच दृष्टिकोणका भेद होते हुए भी हमेशा बनी रहेगी। मैं आपको पत्रकी पहुँच-मात्र नहीं भेजना चाहता था। मैं चाहता था कि आपको पुनः लिखनेसे पूर्व मैं एक निश्चित स्थितिमें पहुँच जाऊँ और अब मैं पूर्णतः एक निश्चित स्थितिमें पहुँच गया हूँ और मैंने अपने रहनेके लिए जो जगह चुनी है वहाँ असीम अराजकता है, लगभग बोल्शेविज्म-जैसी। अंग्रेज स्त्री-पुरुषोंको अपने बँगले छोड़कर कुछ सुरक्षित घरोंमें जा रहना जरूरी ही मालूम हुआ है। यह मेरे लिए गहरे अपमान और खेदका विषय है। मैं देखता हूँ कि मैंने जनतामें सत्याग्रहकी समझको अनुचित रूपसे ऊँचा और घृणा और विद्वेषकी शक्तको कम आँक लिया था। सत्याग्रहमें मेरा विश्वास यथावत् है।

१. अहमदाबादके कलक्टर।



परन्तु मैं एक सामान्य प्राणी हूँ और किसी भी अन्य प्राणीकी भाँति भूल कर सकता हूँ। मैं अपनी भूलको सुधार रहा हूँ। मैंने फिलहाल अपना कदम कुछ पीछे हटा लिया है। जबतक मुझे यह भरोसा नहीं हो जाता कि मेरे सहयोगी भीड़को संभाल सकते हैं और उसे संयत रख सकते हैं तबतक मैं वादा करता हूँ कि मैं दिल्ली या पंजाबके अन्य हिस्सोंमें नहीं जाऊँगा। इसलिए इस समय मेरा सत्याग्रह मेरे अपने ही देशभाइयोंके विरुद्ध होगा। फिर भी मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि मुझपर उन हुकमोंको तामील करना भारत-सरकारकी भयानक भूल थी। निश्चय ही वह मुझे इतनी अच्छी तरह तो जानती ही थी कि उसे ऐसी भूल नहीं करनी थी। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता था और मैं दिल्ली या पंजाब उपद्रव कराने नहीं जा रहा था। जहाँ-कहीं भी मैं गया हूँ वहाँ प्रत्यक्षतः मेरी उपस्थितिका प्रभाव, संयतकारी और शामक हुआ है। मैं दिल्ली, लाहौर और अमृतसर शान्ति स्थापित करनेके उद्देश्यसे जा रहा था। और मैं दिल्ली और लाहौर तभी जाता जब मेरी कुछ शर्तें पूरी हो जातीं। यद्यपि अमृतसरकी घटनाएँ जहाँतक मैं देख पाता हूँ, सत्याग्रहसे और मेरी गिरफ्तारीसे सम्बद्ध नहीं है; फिर भी मुझे विश्वास है कि यदि मैं इन जगहोंमें पहुँच पाता तो वहाँ ये भयंकर घटनाएँ न घटतीं; और मैं समझता हूँ कि आप मेरे इस कथनसे सहमत होंगे कि यदि मुझपर वे हुकम तामील न किये गये होते तो अहमदाबादमें जो उन्मादपूर्ण विस्फोट हुआ वह कभी न होता। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूँ कि उन हुकमोंको अब वापस ले लिया जाये। सही या गलत, ऐसा लगता है कि इस समय मुझे सारे भारतमें लोगोंका असीम स्नेह और आदर प्राप्त है। इन हुकमोंको वापस न लेनेसे उनमें रोष उत्पन्न होगा। मैं चाहता था कि मेरे किसी वक्तव्य आदिसे उनका यह रोष और न बढ़े, अतः मैं इससे बचा हूँ और मैंने यह भी नहीं बताया है कि ये हुकम कैसे थे और मुझपर किस तरह तामील किये गये थे। मैंने उन गलत बातोंका भी, जो समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हुई हैं, खण्डन नहीं किया और उन्हें नहीं सुधारा है। ये गलतबयानियाँ मेरी गिरफ्तारीका प्रभाव कम करनेके लिए की गई थीं।

इन हुकमोंके सम्बन्धमें इतना ही कहना है। मैं जानता हूँ कि आप मेरा यह आश्वासन स्वीकार कर लेंगे कि जबसे मैं बम्बई लाया गया हूँ और वहाँ रिहा किया गया हूँ तबसे मैंने पहले बम्बईमें और फिर अहमदाबादमें व्यवस्था स्थापित करनेमें मदद ही की है। यहाँतक कि जब मैं यह पत्र लिखवा रहा हूँ तब भी मेरे बुलाये हुए लोग आश्रममें आ जा रहे हैं। यदि इस पत्रके साथ नहीं तो अलग लिफाफेमें दूसरी डाकसे, मैं आपको बम्बईकी सभामें दिये गये अपने भाषणका पाठ<sup>१</sup> और आज यहाँ होनेवाली सभामें दिये जानेवाले भाषणका पाठ भेजनेकी आशा करता हूँ।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि परिस्थितिके सम्बन्धमें मेरा क्या विचार है। मुसलमानोंमें जो जोश उमड़ रहा है वह हमेशाके लिए रोका नहीं जा सकता। वह किसी भी क्षण प्रचंड प्रवाहकी तरह फूट पड़ सकता है। और उनके इस आत्यंतिक असंतोषके परिणाम वर्तमान उपद्रवोंके मूलमें देखे जा सकते हैं। यह असंतोष कुछ वर्गों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बिलकुल निश्चितरूपसे आम लोगोंमें व्याप्त है। मैं निवेदन करना

१. देखिए “सत्याग्रह माला” — ३, ११-४-१९१९।



चाहता हूँ कि यदि राष्ट्रसंघने इस्लाम सम्बन्धी प्रश्नोंको शिक्षित मुसलमानोंके मतानुसार तय न किया तो उसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी होगा। मेरा सुझाव है कि अली बन्धु अपनी राय देनेके लिए आमन्त्रित किये जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि अली बन्धु लंदन बुलाये जायें और उनकी सलाहका लाभ इंग्लैंडकी सरकारको दिया जाये। वे निहायत सच्चे मुसलमान हैं। वे स्वतन्त्र और योग्य हैं। अन्तमें उनकी राय और ऐसे अन्य मुसलमानोंकी राय ही आम मुस्लिम आबादीके बहुत बड़े हिस्सेपर असर डालेगी। मैं जिन मुसलमानोंसे मिला हूँ उन्हें यह बतानेमें हिचकिचाया नहीं हूँ कि मनमें असंतोष, दुर्भाव और अन्तमें घृणा रखकर हिंसाके तरीकोंका सहारा लेनेकी अपेक्षा सत्याग्रहके शान्तिपूर्ण और सही रास्तेपर चलना उनके लिए अधिक लाभप्रद रहेगा। सत्याग्रहमें मेरी श्रद्धा इतनी अधिक है कि मुझे आशा है मैं उसे एक ओर भारतके सभी वर्गों और जातियोंसे तथा दूसरी ओर सरकारसे अवश्य मनवा लूँगा; क्योंकि मेरे लिए सत्याग्रह जीवनका एक ऐसा नियम है जिसे हम सभी थोड़ा या बहुत, जाने या अनजाने, अपनी इच्छाके विरुद्ध भी आचरणमें लाते हैं।

मुझे अंतिम बात यह कहनी है कि रौलट कानून अब उस स्थितिसे निकल चुका है जिसमें उसके गुणावगुणपर विचार किया जा सकता था। मेरी रायमें आज भारतमें जो-कुछ हो रहा है उस सबको देखते हुए यही वांछनीय लगता है कि ये कानून वापस ले लिये जायें। यदि सरकार भारतीयोंकी रायका, जो इतने स्पष्ट रूपसे व्यक्त की जा चुकी है, खयाल करते हुए उन कानूनोंको वापस लेनेकी स्पष्ट घोषणा कर देगी तो उससे उसकी प्रतिष्ठा केवल बढ़ेगी ही। मैंने सोचा कि मुझे ये विचार आपतक पहुँचा देने चाहिए, फिर आप उनका जो चाहेंगे उपयोग करेंगे ही।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५३४) की फोटो-नकलसे।

## २१०. भाषण : अहमदाबादकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

अप्रैल १४, १९१९

भाइयो,

आज मैं विशेष रूपसे आप लोगोंसे ही कुछ कहना चाहता हूँ। अहमदाबादमें जो घटनाएँ पिछले पाँच दिनोंमें हुई हैं, उनसे अहमदाबादकी बड़ी बदनामी हुई है। वे घटनाएँ मेरे नामपर हुई हैं, इसलिए मैं लज्जित हूँ। जो घटनाएँ हुई, उनसे उनमें भाग लेनेवालोंने मेरा सम्मान नहीं, बल्कि मेरा अपमान किया है। ऐसा करनेके बजाय यदि वे मुझे खंजर भोंककर मार देते, तो मुझे इससे ज्यादा कष्ट न हुआ

१. साबरमती आश्रममें हुई इस सभामें गांधीजीके इस गुजराती भाषणकी हजारों प्रतियाँ वितरित की गई थीं।



होता। मैं सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि सत्याग्रहमें मारपीट नहीं की जा सकती, किसीपर जोर-जुल्म नहीं किया जा सकता, किसीके मालको नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता, आगजनी नहीं की जा सकती। परन्तु हमने तो सत्याग्रहके नामपर मकान जलाये, जोर-जुल्म कर हथियार ले लिये, जबरन रुपया ऐंठा, जबरदस्ती करके गाड़ियाँ बन्द कर दीं, तार तोड़ डाले, निर्दोष मनुष्योंको मारा, दूकानें और मकान लूट लिये। ऐसे कामोंसे मैं कैदसे तो क्या, फाँसीसे छूटता होऊँ तो भी ऐसे छुटकारेको पसन्द नहीं करूँगा। मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि मेरा छुटकारा ऐसे रक्तपातसे नहीं हुआ। फिर यह निर्दय अफवाह भी अहमदाबादमें उड़ी कि पूज्य अनसूयाबेन गिरफ्तार कर ली गई हैं। इससे लोग और भी बिगड़े और उन्होंने ज्यादा उत्पात किया। ऐसा होनेसे पूज्य बहनका भी अपमान हुआ है। उनकी गिरफ्तारीके बहाने घोर कर्म हुए हैं।

इन कामोंसे लोगोंका कोई लाभ नहीं हुआ। उनसे हानि ही हुई है। जो सम्पत्ति जलाई गई, वह हमारी ही थी; ये मकान आदि हमारे ही खर्चसे फिर बनेंगे। इस समय दूकानें बन्द रहती हैं, इससे जो नुकसान हो रहा है, वह भी हमारा ही हो रहा है। शहरमें मार्शल लॉ जारी है, इसके कारण जो आतंक फैला हुआ है, वह इसी रक्तपातका परिणाम है। मार्शल लॉ जब-जब लागू होता है, तभी कुछ निर्दोष मनुष्योंके प्राण जाते हैं। ऐसा ही इस बार भी हुआ बताते हैं। ऐसा हुआ हो, तो उसका दोष भी उन घटनाओं-पर ही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अहमदाबादमें हुई घटनाओंसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, इतना ही नहीं, सत्याग्रहको भारी नुकसान पहुँचा है। यदि मेरे पकड़े जानेके बाद लोगोंने केवल शांति रखकर आन्दोलन किया होता, तो अबतक या तो रौलट कानून उड़ गये होते अथवा उड़नेके करीब होते। अब यदि इन कानूनोंके रद्द होनेमें देर हो, तो जरा भी आश्चर्यकी बात न होगी। शुक्रवारके दिन जब मैं छूटा, तब मेरा यह इरादा था कि मैं रविवारको वापस दिल्लीकी तरफ चल दूँ और गिरफ्तार होनेका प्रयत्न करूँ। इससे सत्याग्रहको अधिक बल मिलता। अब तो दिल्ली जानेके बजाय मेरा सत्याग्रह अपने ही लोगोंके विरुद्ध होगा और जैसे रौलट कानून रद्द करानेके लिए सत्याग्रह करके मृत्यु-पर्यन्त भी लड़नेका मेरा निश्चय है, वैसे ही जो रक्तपात हुआ, उसके सम्बन्धमें मुझे अपने ही लोगोंके विरुद्ध सत्याग्रह करनेका अवसर आ गया है। और यदि हम पूरी तरह शान्ति नहीं रख सकते, जान-मालकी हानि करना बन्द नहीं कर देते, तो मुझे अपने शरीरका बलिदान देकर भी अपनोंके विरुद्ध सत्याग्रह करना होगा। जबतक मुझे इतमीनान नहीं हो जाता कि अहमदाबादमें लोग फिर ऐसी भूल नहीं करेंगे, तबतक मैं जेल-यात्रा कैसे कर सकता हूँ? जिन्हें सत्याग्रहमें शरीक होना है, अथवा शरीक न होकर भी जिन्हें सत्याग्रहमें मदद देनी है, उन्हें हिंसात्मक कार्योंसे सर्वथा अलग रहना चाहिए। मैं दुबारा पकड़ा जाऊँ या मेरा कुछ भी हो जाये, तो भी सत्याग्रह करनेवाले या सत्याग्रहकी सहायता करनेवाले किसीकी जान-मालको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इस समय हमारे ऊपरसे विश्वास उठ जानेके कारण अंग्रेज स्त्री-पुरुष अपने-अपने बँगले छोड़कर शाही बागमें रहते हैं। हम विचार करें, तो यह हमारे लिए बड़ा लज्जास्पद है। यह स्थिति जितनी जल्दी समाप्त



हो सके, कर देनी चाहिए। हमें अंग्रेजोंको भी अपना भाई समझकर अभयदान देना ही चाहिए। इसके बिना सत्याग्रह दुराग्रह है।

इसमें आपके और मेरे दो स्पष्ट कर्तव्य हैं। एक कर्तव्य तो यह है कि हम आइन्दा कोई दुष्ट कार्य न करनेका संकल्प करें और दूसरा, जो हो गये हैं, उनके लिए पश्चात्ताप, प्रायश्चित्त करें। जबतक हम पश्चात्ताप नहीं करते, अपनी भूल महसूस नहीं करते और उसे सार्वजनिक रूपमें स्वीकार नहीं करते, तबतक हम अपने आचरणमें सुधार न कर सकेंगे। पहला प्रायश्चित्त तो यह है कि जिन्होंने जबरन हथियार छीने हैं, वे सब हथियार वापस दे दें। यदि आप सबको सचमुच पश्चात्ताप हुआ हो, तो आप सब कमसे-कम आठ आने और अधिकसे-अधिक जितना देना हो, यहाँ जमा करा दें। इस रुपयेका उपयोग उन लोगोंके परिवारोंके सहायतार्थ होगा, जो हमारे दुष्कृत्योंसे मारे गये हैं। इसमें हम कितना भी रुपया क्यों न दे दें, हमने जिस द्वेष और बैरका परिचय दिया है, उसका मार्जन नहीं हो सकता। फिर भी थोड़ा-बहुत भी चन्दा देना हमारे पश्चात्ताप प्रकट करनेकी निशानी होगी। मेरी यह आशा और प्रार्थना है कि यह कहकर कि मैंने इस घोर कर्ममें भाग नहीं लिया, एक भी आदमी रुपया देनेसे बच नहीं निकलेगा, क्योंकि जिन्होंने इस कार्यमें भाग नहीं लिया, वे सब यदि हिम्मत और बहादुरीसे उसे बन्द करनेको निकल पड़ते, तो रक्तपात करनेवालोंकी हिम्मत टूट जाती और उन्हें अपने घोर कर्मका तुरन्त भान हो जाता। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हमने डरके मारे जो रुपया दिया, वह न दिया होता और मौतका भय छोड़कर हम मकानोंका बचाव करनेमें लग जाते और निर्दोष मनुष्योंकी रक्षामें जुट जाते, तो हम वैसा कर सकते थे। मैं स्त्री-पुरुष दोनोंमें ऐसा साहस देखना चाहता हूँ। जबतक ऐसा साहस नहीं आ जाता, तबतक दुष्ट मनुष्य हमें हमेशा अपनी दुष्टतासे डराकर अपनी दुष्टतामें भाग लेनेके लिए बाध्य करते रहेंगे। इसमें तो हम वीर्यहीन अर्थात् धर्महीन भी बन जाते हैं। वीरताके बिना अपने धर्मकी रक्षा हो ही नहीं सकती। इसलिए जो पाप हुए हैं, उनमें हम सब अपनेको हिस्सेदार मानें और सभी स्वल्प प्रायश्चित्तके रूपमें कुछ-न-कुछ चन्दा दें। सभी जातियाँ अपना-अपना चन्दा वसूल करके इन एक-दो दिनोंके भीतर अपनी-अपनी जातिके मुखियोंकी मारफत यहाँ भेज सकती हैं। मेरी यह भी सलाह है कि यदि आप कर सकें, तो इस महान् पापके लिए चौबीस घंटेका उपवास भी रखें। यह उपवास सब व्यक्तिगत रूपमें रखें। इसके लिए झुण्ड बनाकर स्नानादि करनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि फिलहाल सामूहिक रूपमें लोगोंका निकलना उचित नहीं होगा।

यह तो मैंने आप सब लोगोंको सलाह दी, यह सुझाया कि आप क्या प्रायश्चित्त करें। परन्तु मैं, जिसपर आपसे करोड़गुनी अधिक जिम्मेदारी है, क्या प्रायश्चित्त करूँ? सत्याग्रह सुझानेवाला मैं आप लोगोंके बीच यहाँ चार सालसे रहता हूँ। मैंने अहमदाबादकी सेवामें कुछ विशिष्ट भाग लिया है। अहमदाबादके लोग मेरे विचारोंसे बिलकुल अपरिचित नहीं हैं। मुझपर जो आरोप है कि मैंने बिना विचारे सत्याग्रहकी लड़ाईमें हजारों मनुष्योंको डाल दिया, वह कुछ हद तक — अलबत्ता, कुछ हद तक ही — सही माना जायेगा। यह आलोचना हो सकती है कि लड़ाई न हुई होती, तो यह मारकाट न होती। ऐसे दोषोंके लिए एक प्रायश्चित्त तो, जो मेरे जैसेके



लिए असह्य लगता है, मैं कर चुका हूँ। अर्थात् फिलहाल मुझे दिल्ली जाना स्थगित कर देना पड़ा है और सत्याग्रहका स्वरूप सीमित करनेकी सलाह देनी पड़ी है। यह मुझे घावसे भी ज्यादा दुःखद प्रतीत हुआ है। फिर भी यह प्रायश्चित्त काफी नहीं है। इसलिए मैंने तीन दिनका अर्थात् बहत्तर घंटेका उपवास करनेका निश्चय किया है। मैं चाहता हूँ कि इस निश्चयसे किसीको दुःख न हो। आपके लिए चौबीस घंटेका उपवास जितना कठिन है, उससे मेरे लिए बहत्तर घंटेका कम कठिन है। मैंने उतना ही प्रायश्चित्त लिया है, जितना मुझसे सहन हो सकता है। मैं इतना कष्ट उठाऊँगा, इसपर यदि आपको जरा भी दया आती हो, तो उस दयाका एक ही परिणाम मैं मानता हूँ और वह यह कि आइन्दा ऐसे घोर कार्यमें कोई भी अहमदाबादी भाग न ले। सच मानिये कि रक्तपात करके, मनुष्योंको सताकर, हम स्वराज्य नहीं ले सकेंगे, भारत का कोई लाभ नहीं कर सकेंगे। मैं स्वयं तो इस रायका हूँ कि यदि भारतको मारकाटसे [ही] स्वराज्य मिलनेवाला हो, यदि अंग्रेजोंसे द्वेष रखकर, उनकी हत्या करके ही हम अपने दुःखका निवारण कर सकते हों, तो मैं खुद तो इस प्रकार मिलनेवाला स्वराज्य नहीं चाहता और जो भी दुःख हो, उसे सहन कर लेना चाहता हूँ।

सत्यके नामपर अहमदाबाद मारकाट करे, ऐसी स्थितिमें जीना मैं कैसे चाहूँगा? गुजरातको कविने 'गर्वीला गुजरात' विशेषण दिया है। उस गुजरातकी राजधानी अहमदाबाद है। वहाँ धार्मिक हिन्दू और मुसलमान रहते हैं। उस राजधानीमें घोर कर्म हों, यह तो समुद्रमें आग लगने जैसा हुआ। उसे कौन बुझा सकता है? इस आगमें मेरे जैसेको तो भस्म हो जानेकी जरूरत है। इसलिए आप सबसे अनुनयपूर्वक माँग करता हूँ कि अपने तीन दिनोंके उपवासके मैं जो परिणाम चाहता हूँ, उनमें आप सहायक बनिये। जिस प्रेमके कारण आपने होश भूलकर अकार्य किये हैं, वही अब आपको [अपने कर्त्तव्यके प्रति] जगाये। और यदि वह प्रेम कायम रहे, तो यह सावधानी रखिये कि कहीं ऐसा उपवास करनेकी नौबत न आने पाये, जिससे मेरा देहपात हो जाये।

मुझे लगता है कि जो काम अहमदाबादमें हुए, वे युक्तिपूर्वक हुए हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनके पीछे कोई योजना रही है। इसलिए मैं निश्चित मानता हूँ कि उनमें किसी पढ़े-लिखे आदमी या आदमियोंका हाथ होना चाहिए। मैं साहसपूर्वक कहूँगा कि वे पढ़े हुए भले ही हों, परन्तु उन्होंने विचार करना नहीं सीखा है। उनकी बातोंमें आकर हमने अकार्य किये हैं। मैं सलाह देता हूँ कि भविष्यमें इस तरह बातोंमें मत आना। मैं तो जो ऐसे आदमी हों, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वे बार-बार विचार करें। उनसे और आप सबसे मैं अपना 'हिन्द स्वराज्य' पढ़नेकी सिफारिश करता हूँ। अब तो मुझे पता लगा है कि हम 'हिन्द स्वराज्य' छाप सकते हैं; उसमें कानूनका कोई भंग नहीं होता।

मिलोंके कताई-विभागके मजदूर कुछ दिनसे हड़ताल किये हुए हैं। उन्हें मैं सलाह देता हूँ कि वे तुरन्त कामपर चले जायें। कामपर चले जानेके बाद जो भी माँग करनी हो सो की जाये और न्यायके तरीकेसे जो वृद्धि प्राप्त की जा सके, सो की जाये। मालिकोंपर जोर-जुल्म करके वृद्धि कराना चाहोगे, तो अपने पैरोंपर



कुल्हाड़ी मारनेके समान होगा। सारी मिलोंके मजदूरोंको मेरी खास तौरपर सलाह है कि वे दंगोंसे बिलकुल अलग रहें। यही उनका फर्ज है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा करनेका उन्होंने पूज्य अनसूयाबेनको और मुझे वचन दिया है।

मेरी सबसे प्रार्थना है कि सब अपने-अपने कामोंमें लग जायें।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

### २११. पत्र : जी० ई० चैटफील्डको

आश्रम साबरमती

अप्रैल १५, १९१९

प्रिय श्री चैटफील्ड,

क्या आप कृपया मुझे उस साजँटका नाम बतायेंगे, जो उन दुःखद घटनाओंमें मारा गया है। मुझे मालूम हुआ है कि केवल एक अंग्रेज ही मारा गया है। यदि कोई अन्य अंग्रेज मरे या घायल हुए हों तो मैं उनके परिजनोंके नाम तथा पते जानना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं, कल मैंने मृतकोंके परिवारोंके पोषणार्थ चन्देकी अपील की थी और मैं जानता हूँ कि धनदाता, उन अंग्रेज परिवारोंको आर्थिक सहायता देना चाहते हैं जो इन उपद्रवियोंकी मनमानीमें मारे गये हैं या गम्भीर रूपसे घायल होकर काम करने योग्य नहीं रहे हैं।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५३५) की फोटो-नकलसे।

### २१२. पत्र : जे० एल० मैफीको

साबरमती

अप्रैल १५, १९१९

कलके वायदेके अनुसार मैं इस पत्रके साथ, सेवामें बम्बई और अहमदाबादमें दिये गये अपने भाषणोंकी नकलें भेज रहा हूँ।

दोनों ही देशीय भाषासे अनूदित हैं और इनका अनुवाद या तो स्वयं मैंने किया है या मेरी निगरानीमें दूसरोंने किया है। मैं अपने कलके पत्रकी एक नकल भी भेज रहा हूँ। ये सभी रजिस्ट्रीसे भेजे जा रहे हैं; क्योंकि ऐसा पता चला है कि हालमें बहुतसे-पत्र खो गये थे।

[ अंग्रेजीसे ]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल—ए : मई १९१९, सं० ४५५-७२



## २१३. पत्र : सर इब्राहीम रहीमतुल्लाको

आश्रम

साबरमती

अप्रैल १५, १९१९

प्रिय सर इब्राहीम रहीमतुल्ला,

अपने स्वभावके विपरीत मैं यह पत्र आपको अंग्रेजीमें लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे परमश्रेष्ठको ध्यानपूर्वक पढ़ने और विचार करनेके लिए दे दें। शायद आप जानते हैं कि मैं अनसूयाबेनके साथ इतवारको अहमदाबाद पहुँच गया था। सत्याग्रह आश्रम यद्यपि शहरसे बहुत दूर है, फिर भी कल वहाँ एक बहुत बड़ी सभा हुई। अनुमान किया जाता है कि उसमें १० हजारसे लेकर १५ हजार तक लोग जरूर आये होंगे। अहमदाबादमें फिर पूरी शान्ति हो गई है और यद्यपि यह बात मुझे अपने बारेमें कहनी पड़ रही है, फिर भी मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि यह आकस्मिक शान्ति, पूरी तरह नहीं तो अधिकतर, अनसूयाबेन और मेरी उपस्थितिके कारण हुई है। मैं इस पत्रके साथ अपने गुजराती भाषणकी नकल और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी, जो मेरी देखरेखमें तैयार किया गया है, भेज रहा हूँ। मेरी अपीलके जवाबमें धन आने लगा है और हजारों लोगोंने उपवास रखा है। मैंने कलक्टरको पत्र<sup>१</sup> लिखा है जिसमें मैंने उनसे उन अंग्रेजोंके नाम व उनके परिवारोंका पता पूछा है, उपद्रवियोंके अत्याचारसे जिनकी जानें गई हैं या जो अपंग हो गये हैं। मुझे पता चला है कि ऐसे लोग २ या ३ से ज्यादा नहीं हैं। यह प्रसन्नताकी बात है। किन्तु इस पत्रको लिखनेका मेरा मुख्य उद्देश्य यह सुझाव देना है कि अब आगे कोई दण्डात्मक कार्रवाई न की जाये और इस दुःखद घटनाके सम्बन्धमें कोई भी मुकदमे न चलाये जायें। गिरफ्तारियाँ करने और मुकदमे चलाने से फिर उत्तेजना ही पैदा होगी। मेरी नम्र राय यह है कि जब उपद्रव समस्त भीड़ने किये थे तब केवल कुछ लोगोंके मत्थे तमाम दोष मढ़कर उन्हें सजाएँ देना हृद दर्जेकी राजनीतिक अदूरदर्शिता और अबुद्धिमत्ता होगी। मैंने आज सरकारी अस्पतालमें भरती तमाम आहत जनोंको देख आनेका दर्दनाक कर्त्तव्य पूरा किया; मैं वहाँ छोटे-छोटे बच्चोंके पास भी गया। मुझे पता चला है कि कमसे-कम २२ आहत व्यक्ति जख्मोंके कारण मरे हैं; परन्तु मार्शल लाँ [की अवधि] में मारे गये, लोगोंकी ठीक-ठीक संख्या शायद कभी नहीं मालूम हो सकेगी, क्योंकि मुझे बताया गया है कि कुछ शव तो वास्तवमें अहमदाबादकी पोलोंमें<sup>२</sup> जला दिये गये थे। मैं कहना केवल यही चाहता हूँ कि अहमदाबादको पर्याप्त कठोर दण्ड दिया जा चुका है।

१. देखिए “पत्र : जी० ई० चैटफील्डको”, १५-४-१९१९।

२. सँकरी गलियों।



मैं सरकारसे इस बातपर विश्वास करनेके लिए कहता हूँ कि यह उत्तेजनापूर्ण विस्फोट किसी भी प्रकार सत्याग्रहका परिणाम नहीं था। वह उन कारणोंका परिणाम था जो सत्याग्रह आन्दोलनके प्रारम्भसे पूर्व ही पैदा हो चुके थे। यह उस भयानक भूलका परिणाम भी था जो शान्तिपूर्ण उद्देश्यसे दिल्ली जाते वक्त मुझे गिरफ्तार करके की गई थी। मुझे अपने सार्वजनिक कार्यके दौरान ऐसा एक भी अवसर याद नहीं आता, जब उपद्रवी तत्त्वोंपर मेरी उपस्थितिका शामक प्रभावके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकारका प्रभाव हुआ हो। मेरी गिरफ्तारीसे सभी असन्तुष्ट शक्तियोंको इकट्ठा होनेका अवसर मिल गया और जो लोग मेरे प्रति व्यक्तिगत स्नेहके कारण मेरी गिरफ्तारीपर हृदयसे शोक कर रहे थे, वे भी अनजाने उन गैरकानूनी कार्रवाइयोंमें खिंच आये। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि लगभग वे सभी लोग जो सत्याग्रही माने जाते हैं, अपने जीवनको खतरेमें डालकर यह कोशिश कर रहे थे कि भीड़का उन्मादपूर्ण रोष किसी हद तक दब जाये। उन्हींके कामसे शायद यह हुआ कि भीड़ने और अधिक ज्यादाती नहीं की; यद्यपि जो-कुछ हुआ है, वह बहुत बुरा है। सम्भव है मेरा यह निष्कर्ष गलत हो; परन्तु इसके बारेमें कोई सन्देह नहीं है कि सत्याग्रहियोंने यथाशक्ति पूरा प्रयत्न किया था कि वह दुःखजनक घटना न होने पाये। परन्तु हम लोग अभी मुट्ठी-भर ही तो हैं। समय आनेपर ही यह बात सिद्ध होगी कि भारतको और संसारको भी सत्याग्रहसे अधिक संयमित करनेवाली और कानून तथा व्यवस्थाको कायम रखनेमें सहायक कोई दूसरी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। केवल सविनय अवज्ञासे ही सच्चा और मानवोचित कानून पालनेका भाव जग सकता है। एक सत्याग्रहीके नाते मेरा कर्तव्य इस समय यह है कि मैं ऐसा कोई भी काम न करूँ जो आगमें ईंधनका काम करे। इसलिए मैंने अहमदाबादकी दुःखद घटनाका सच्चा विश्लेषण तक नहीं किया है। भारतके अन्य हिस्सोंकी घटनाओंके बारेमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने जिन अन्य कारणोंका उल्लेख किया है वे तीन हैं। पहला और सबसे प्रमुख कारण है मुसलमानोंमें गहरा असन्तोष। उन्हें यह आशंका है कि शान्ति-सम्मेलनमें इस्लाम सम्बन्धी प्रश्नोंका ठीक निपटारा नहीं किया जायेगा। मैं इस विषयपर कुछ अधिकारपूर्वक कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने मुसलमानोंकी भावनाओंको निश्चित रूपसे जाननेकी बहुत कोशिश की है। मैं लगभग सारे भारतमें ऊँचे और नीचे तबकेके मुसलमानोंके बीच गया हूँ और एक हिन्दूके नाते मैंने इसे अपना कर्तव्य माना है कि उनकी स्थितिको समझूँ और उनके दुःखोंमें उनका साथ दूँ। दूसरा कारण है यह आशंका, अलबत्ता धुंधली, कि जो सुधार मिलनेवाले हैं, वे नाममात्रके होंगे। और तीसरा कारण है, जनताने एक होकर जो मत व्यक्त किया, उसको चुनौती देते हुए जबरदस्ती रौलट कानून पास करनेके कारण उत्पन्न तीव्र रोष।

मैं मानता हूँ कि लापरवाह, अनजान और गैरजिम्मेदार वक्ताओंने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बातें कीं, किन्तु मेरा सार्वजनिक जीवनका २५ वर्षका अनुभव है, और मैं जानता हूँ कि यदि अतिशयोक्तियोंके पीछे कोई बड़ा कष्ट न हो तो उनसे ऐसा रोषपूर्ण विस्फोट नहीं होता जैसा हमने अहमदाबादमें देखा।



मैंने महसूस किया कि सरकारके प्रति मेरा कर्तव्य है कि मैं वस्तुस्थिति जैसी मुझे मालूम हुई, उसके विचारार्थ निवेदित कर दूँ। पिछले शुक्रवारको बम्बईमें गोली बिलकुल न चलानेके लिए अपना आभार व्यक्त किये बिना मैं यह पत्र समाप्त नहीं कर सकता।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५३४) की फोटो-नकलसे।

## २१४. पत्र : सर स्टैनली रीडको

आश्रम

अप्रैल १५, १९१९

प्रिय सर स्टैनली रीड,

मेरे सामान्य ढंगके अनुसार मेरे लिए अब वह समय आ पहुँचा है जब कि आपके सम्मुख मैं वे बातें रख दूँ जिन्हें मैं सार्वजनिक शान्तिके हितमें समाचारपत्रोंमें प्रकाशित नहीं कराना चाहता। वातावरण अविश्वास, असन्तोष और द्वेषसे इतना बोझिल है कि कोई ऐसी बात कहकर, जिसे सार्वजनिक रूपसे कहनेके लिए मैं बाध्य नहीं हूँ और परोक्ष रूपमें ही सही जिसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, मैं अकल्याण-कर शक्तियोंमें वृद्धि नहीं करना चाहता।

यद्यपि बात छोटी-सी ही है, फिर भी मैं आपके संवाददाताकी भूलको सुधार देना चाहता हूँ। उनका कहना है कि मैं वास्तवमें गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन वास्तवमें जो हुआ सो यह : एक अफसर पलवल स्टेशनपर ट्रेनमें सवार हुआ और अपने हाथोंको मेरे शरीरपर रखता हुआ बोला : "श्री गांधी, मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ"। उसके बाद तुरन्त ही मैं एक भारतीय सिपाहीके सुपुर्द कर दिया गया। मेरा अनुमान है सिपाही भारतीय ही था; वह मेरी बांह पकड़कर मुझे गाड़ीसे बाहर ले गया। पलवल स्टेशनके प्लेटफॉर्मपर जिस खाटपर मैं लेटा हुआ था उसके चारों ओर चार सिपाही तैनात थे; ये चारों मेरी निगरानी करते रहे। मुझे मेरी ही प्रार्थनापर प्रतीक्षागृहसे बाहर प्लेटफॉर्मपर लाया गया था। एक बार मैं थूकने-खखारनेके लिए एक सिपाहीसे लगभग दो फीट आगे बढ़ा कि पकड़कर मुझे तेजीसे पीछे खींच लिया गया। मैं रातमें मथुरा पहुँचाया गया और मेरे डिब्बेमें, जो कि दूसरे दर्जेका डिब्बा था, एक सिपाही तैनात किया गया। मथुरामें हम लोगोंको दूसरी गाड़ीके लिए इन्तजार करना था। बड़े सवेरे मुझे फिर एक दूसरे दर्जेके डिब्बेमें बिठाया गया। एक सिपाहीकी निगरानीमें मैं वहाँसे सवाई माधोपुर लाया गया। वहाँ हम डाकगाड़ीकी प्रतीक्षा करने लगे और उसके आने पर लाहौरके श्री बौरिंगको मेरा जिम्मा दिया गया। उन्होंने मुझे अपने साथ एक पहले दर्जेके डिब्बेमें बिठाया; परन्तु उस डिब्बेमें भी एक सिपाही पूरी रात पहरेदारी करता रहा।



में और श्री बौरिंग दोनों सोते रहे। मेरे साथ क्या गुजरी, मैं इसकी शिकायत नहीं करना चाहता; मैं तो केवल तथ्योंको उनके सही रूपमें प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि मैं यह प्रमाणित कर सकूँ कि मैं गिरफ्तार हो चुका था। यदि मैं गिरफ्तार न किया गया होता तो मैं वापस लौटनेसे इनकार कर देता जैसा कि मैंने वास्तवमें उस अफसरको बता दिया था जिसने मुझे पहला आज्ञापत्र दिखाया था। कुछ और घटनाएँ हैं जिन्हें मैं छोड़े दे रहा हूँ। जिन तीन अधिकारियोंने मेरे ऊपर हुक्म तामील किया और जिनका सम्बन्ध मेरी गिरफ्तारी और निर्वासनसे रहा उनके सद्ब्यवहारको मैं सार्वजनिक रूपसे स्वीकार कर चुका हूँ, अतः मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ मैंने जो कुछ भी कहा उसमें मेरा इरादा अपने उन शब्दोंको मर्यादित करने या उनके अर्थको कम करनेका नहीं है।

मैं अनसूयाबेनके साथ शीघ्रतासे अहमदाबाद गया ताकि लोगोंको शान्त किया जा सके। और मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि जनतापर हमारे आनेका जादू जैसा असर हुआ। मैंने अपने-आपको पूरी तरह अधिकारियोंके आदेश-पालनके लिए प्रस्तुत कर दिया। आपने गौर किया होगा कि मैं सोमवारकी सभामें बहुत ही सतर्क रहकर बोला था। मैं चाहता हूँ कि मेरा वह भाषण जो आपके पास प्रकाशनार्थ भेजा गया है, आप पूरा-पूरा पढ़ जायें। मार्शल लॉके अन्तर्गत फौजके लोगोंने जो-जो काम किये थे उनका वर्णन मैंने उसमें जान-बूझकर नहीं किया है। निस्सन्देह बिना जरूरत अनेक लोग मारे गये। मैंने घायलोंको सिविल अस्पतालमें देखा है। मैंने उनमें से प्रत्येकसे बात की। सबने मुझे सच्चे-सच्चे बयान दिये। बहुतोंने स्वीकार किया कि वे एक बड़ी भीड़में शामिल थे; उस भीड़का उद्देश्य बुरा नहीं था। उन लोगोंको जारी किये गये कानूनका पता न था। वे कानूनकी घोषणा होनेपर फौरन ही यह नहीं समझ पाये कि वह क्या चाहता है। मैं जानता हूँ कि यद्यपि उत्सुक भीड़ मेरा भाषण सुननेके लिए मेरे चारों ओर इकट्ठी हो गई थी और यद्यपि मैंने २५ हजार प्रतियाँ छपवा ली थीं फिर भी वे सबको नहीं मिल पाई थीं। तब मार्शल लॉके नोटिसोंके मजमूनसे, जो क्षुब्ध जनतामें लापरवाहीके साथ वितरित कर दिये गये थे ज्यादातर लोग कैसे परिचित हो सकते थे? इसलिए भीड़ जमा होती चली गई। मैं यह तो समझता हूँ कि उन्हें पर्याप्त सूचना देनेके बाद उनपर गोली चलाई गई थी। परन्तु आशा है मेरे इस कथनसे आप सहमत होंगे कि उनमें से सबके-सब यह नहीं समझ पाये थे कि यह नोटिस अपने-अपने घर चले जानेका आदेश है। अस्पताल में मैंने कुछ १०-१०, ११-११ वर्षके बच्चे देखे। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि हम खेलनेके लिए बाहर गये हुए थे। एक दम्पतिको उनके घर ही में गोलियाँ आ लगी थीं। पत्नी तो जख्मोंके कारण चल बसी, पति जिसने घटनाके बारेमें बताया यह नहीं कहता कि जानबूझकर उनपर गोली चलाई गई थी, बल्कि गोलियाँ झन्नाते हुए घरमें आ गईं और उन्हें लग गईं। कुछ लोगोंने कहा कि हम लोग अकेले [दससे कम] थे। हुक्म था कि अगर दस व्यक्ति एक साथ पाये जायेंगे तो उनपर गोली चलाई जा सकती है। एक मामलेमें, मुझे बताया गया कि एक आदमीने विशेष सावधानी बरती। उसने पहले पहरेदारोंके बीचसे गुजरनेकी अनुमति माँगी। वह उसे मिल गयी तब वह अपने दोस्तोंके साथ उनके बीचसे होकर गुजरा; परन्तु जैसे ही वे लोग कुछ कदम आगे बढ़े कि गोलियोंसे घायल हो गये। जिसने इजाजत माँगी थी वह चल बसा



और पृथ्वीपर गिर पड़ा; एक दूसरेके प्राण खतरेमें हैं। वह बहुत ज्यादा जखमी है। किन्तु फिर भी मेरी समझमें, अहमदाबादके लोगोंको, जिस नृशंसताके साथ भीड़ने सम्पत्तिको नष्ट किया, सार्जेंट फ्रेजरको काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया और अन्य अनेकों ज्यादातियाँ कीं, उसके बाद इन दुःखद घटनाओंके बारेमें शिकायत करनेका कोई अधिकार नहीं है। इस बातकी काफी सम्भावना है कि वे अंग्रेज लड़के—मैं उन्हें लड़के ही कहता हूँ क्योंकि वे लड़के-जैसे दिखाई देते थे—जो मार्शल लाँ के दौरान पिकेटोंकी हैसियतसे तैनात थे, मौकेपर यह समझकर आये हों कि बम्बईसे आई हुई सेनाको, जिसके वे सदस्य हैं, मार डालनेके लिए एक कुचक्र रचा जा चुका है। मेरा इशारा नडियादके पास रेलको पटरीसे उतार देनेकी घटनाकी ओर है। अहमदाबादके लोगोंसे बदला लेनेकी धुनमें सही-गलतकी पहचान न करते हुए मुमकिन है उन्होंने बहुत खुलकर अपनी राइफलोंका प्रयोग किया हो। मैं इस गोली काण्डका जिक्र यह साफ करनेके लिए ही कर रहा हूँ कि अहमदाबादके लोगोंको पर्याप्त दण्ड मिल चुका है। अब आगे और दण्डात्मक कार्रवाई न की जाये और कोई अभियोग न लगाये जायें

अब मैं इस अशान्तिके कारणोंपर आता हूँ। मैंने १०० से ऊपर लोगोंसे खुद बातचीत की है। सत्याग्रह आश्रममें रहनेवाले मेरे सहयोगियों और शहरमें निवास करनेवाले मेरे साथियोंमें से प्रत्येक, अधिक नहीं तो इतने ही लोगोंसे, बात कर चुका हूँ और मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि इन ज्यादातियोंसे सत्याग्रहका जरा भी सम्बन्ध न था। अर्थात् जनताके बिगड़ उठने और मारकाट मचानेका कारण, जैसा कि आरोप है, लोगोंमें अवज्ञा-भावनाका भरा जाना नहीं था। इन सात सप्ताहोंमें, जिस अवधिमें सत्याग्रह आन्दोलन चलता रहा है, किसी भी अंग्रेज व्यक्तिके प्रति दुर्भावको प्रोत्साहन देनेवाला एक भी शब्द नहीं कहा गया और मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि जब कभी मैंने लोगोंके बीच भाषण दिया, जनतामें गम्भीरताका संचार हुआ और अंग्रेजोंके प्रति उनके रुखमें तथा उन भारतीय नेताओंके प्रति भी जिनकी नीति वे पसन्द नहीं किया करते थे, परिवर्तन हुआ। परन्तु मेरा मुख्य काम तो उन लोगोंके साथ निजी बातचीत करके सम्पन्न होता है, जो मैं जहाँ जाता हूँ, वहाँ मुझसे मिलने आया करते हैं। ब्रिटिश प्रशासनके विरुद्ध लोगोंके दिलोंमें भरी हुई रोषपूर्ण भावनाएँ तो मेरी नजरमें जरूर आई हैं। मैंने यह भी देखा है कि ये रोषपूर्ण भावनाएँ सामान्य शासनके प्रति न रहकर ब्रिटिश-प्रशासकोंके प्रति हो गई हैं। गम्भीर रूपसे सवाल करते हुए मैंने देखा कि वे अपनी भूल कुबूल करने लगे हैं। कुछ ऐसी घटनाएँ याद आ रही हैं कि जिनमें लोग बद्दुआएँ देने आये थे किन्तु जब लौटे तो ओठोंपर दुआएँ न सही, मनमें अंग्रेजोंके प्रति कोई वैर-भावना लेकर नहीं गये। वैसे मैंने देखा कि लोगोंके दिलोंमें विद्रोह तो सर्वत्र समाया हुआ है—और मुझे यह समझानेमें बहुत ही कठिनाई हुई कि कानून व अनुशासनकी लगातार अवहेलना करते रहनेकी आदतको वशमें करके उसके स्थानपर ऐसे अनुशासनपूर्ण और ईमानदारीसे भरी हुई सविनय अवज्ञाको लानेकी जरूरत है जिसका परिणाम स्वयं कष्ट-सहन तक सीमित रहना होता है, कानून बनानेवालों या अन्य किसीकी जान या जायदादको नष्ट करना नहीं। अतः कानून



विहीनताकी भावना तो वहाँ पहले ही थी। सत्याग्रहकी भावनाको, अर्थात् आत्मसंयमकी भावनाको, इतना समय नहीं मिल पाया था कि वह लोगोंपर अपना प्रभाव डाल सकती; और इतनेमें ही भारत-सरकारने मुझपर वह हुक्म जारी करके मुझे गिरफ्तार कर लिया; यह भयंकर भूल वह कर बैठी। असन्तोषकी शक्तियाँ कदापि दुर्बल न थीं। वे इस प्रकार हैं : (१) इस्लामपर प्रभाव डालनेवाले प्रश्नोंके सम्बन्धमें प्रत्येक मुसलमानका दिल कटुतासे भरा हुआ है और वह इस मामलेमें इंग्लैंडपर बिलकुल विश्वास नहीं करता। प्रत्येक श्रेणीके मुसलमानोंका हिन्दुओंके सम्पर्कमें आना महत्त्वपूर्ण है और उपद्रव जहाँ-कहीं भी हुए हैं, उनके पीछे जैसा कि पूरी तरह स्पष्ट है, मुसलमानोंकी मदद रही है। (२) लोगोंको सिखाया गया है कि आनेवाले सुधारोंके प्रति अभीसे अविश्वासकी भावना रखने लगे। जनता अब मूढ़ नहीं रही है, वह परिस्थितिकी सामान्य जानकारी रखती है। (३) रौलट कानून द्वारा उत्पन्न आतंक और जनताकी रायको पूरी तरहसे ठुकरा दिया गया है। मैं खुले दिलसे स्वीकार करता हूँ कि रौलट अधिनियमकी सम्भावनाओंके बारेमें अज्ञानसे और कहीं-कहीं जानबूझकर बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति की गई है। परन्तु सब बातोंपर गौर कर लेनेके पश्चात् यह बात माननी ही होगी कि लोगोंके दिलोंमें एक ऐसी बात घर किये हुए है कि जो मेरी रायमें रौलट कानूनको स्वीकार्य बनाना असम्भव कर रही है। क्या आपके ध्यानमें यह कभी नहीं आया कि कानूनके परिचय स्वरूप लिखी गई भूमिकामें संशोधन करना तनिक भी महत्त्वपूर्ण नहीं है? सर विलियम विन्सेंटने यह ठीक ही कहा कि कानूनकी भावना यह है कि वह केवल उन्हीं मामलोंमें अमलमें लाया जाये जहाँ अराजकतापूर्ण अपराध किये जा रहे हों। मगर अमुक काम अराजकतापूर्ण अपराध है, इसका निर्णायक कौन हो? निर्णायक होगी कार्यकारी सरकार और क्या कार्यवाहक अफसरोंने हमेशा ऐसे मामलोंपर निर्णय करनेमें यही तरीका नहीं अपनाया है कि खुफिया पुलिसका एक अदना-सा अधिकारी अपनेसे बड़े अधिकारीको इस आशयकी एक रिपोर्ट पेश करता है कि अमुक स्थानपर अराजकतापूर्ण अपराधका अस्तित्व है और वह अधिकारी उसकी तसदीक कर देता है। तब सी० आई० डी० का मुख्य अधिकारी इसके आधारपर अपनी रिपोर्ट बनाता है और असाधारण रूपसे निर्भीक, शायद ही कोई ऐसा होम मेम्बर होगा जो सी० आई० डी० के बड़े अफसरकी रिपोर्टको गलत ठहराये। इसलिए स्वाभाविक है कि वह तथाकथित अराजकतापूर्ण उपद्रवोंके क्षेत्रमें कानूनके अमलकी विज्ञप्ति प्रकाशित करनेका आदेश दे देता है। कानूनका स्वरूप उग्र है, इस बातपर किसीने आपत्ति नहीं की। परन्तु मैं इस मुद्देको अधिक तूल देकर पत्रको अधिक लम्बा नहीं बनाऊँगा। ये ऐसे कारण हैं जिनके परिणामस्वरूप हिंसाके उग्र कार्य हुए बिना नहीं रह सकते थे। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि सत्याग्रहने उनपर रोक-थाम की; फिर वह बहुत थोड़ी ही क्यों न रही हो। यह स्पष्ट है कि अहमदाबाद और वीरमगाँवकी दुःखद घटना हरगिज न होने पाती, यदि मुझपर वे हुक्म जारी न किये गये होते, और फिर उनके आधारपर मेरी गिरफ्तारी न की गई होती। बड़े पैमानेपर प्रदर्शन इसलिए नहीं हुए कि सत्याग्रह आन्दोलन खतरेमें था वरन् इसलिए हुए कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मैं था — मेरे प्रति लोगोंका प्रेम इतना अन्धा है।



इसलिए मेरे सुझाव ये हैं : सरकारको चाहिए कि वह सत्याग्रहको सुधारकके शस्त्रा-गारका एक मूल्यवान अस्त्र माने। उसे सर्वश्री मुहम्मद अली और शौकत अलीका सहयोग प्राप्त करना चाहिए जो जहाँतक मैं जानता हूँ जितने योग्य हैं, उतने ही ईमानदार एवं अनुभवी हैं; उनके सहयोगसे इस्लामके प्रश्नोंको इस प्रकार सुलझाना चाहिए कि समस्त समझदार मुसलमान जनताको सन्तोष हो सके। सुधारोंके बारेमें कोई आश्वासन देनेवाली घोषणा होनी चाहिए और रौलट कानून वापस ले लिये जाने चाहिए। जबतक कि ये बातें नहीं की जातीं, मैं मानता हूँ कि भारतमें किसी प्रकारकी शान्ति सम्भव नहीं है। आज भारतमें भावनाके बैरोमीटरका संकेत-चिह्न थोड़ेसे भी वातावरणके दबाव या राजनीतिक क्षेत्रमें फेरफारसे चढ़ता-उतरता रहता है। यदि कहीं आप मेरे सुझावोंको मान जायें, तो मुझे विश्वास है कि आप उनको मनवानेके लिए यथासम्भव अपने खास ढंगसे प्रयत्न करेंगे ही। मैं इतना और कह दूँ कि इनमें से अधिकतर सुझाव मैंने वाइसरायके पास पहुँचा दिये हैं और जो स्थानीय तौरपर काममें लाये जा सकते हैं उन्हें बम्बईके गवर्नरके पास भेज दिया है।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५३४) की फोटो-नकलसे।

## २१५. सत्याग्रह माला-४

[अप्रैल १६, १९१९]

भाइयो और बहनो,

सोमवारको सत्याग्रह-आश्रममें मैंने आपके सामने जो भाषण दिया था उसमें उस समय मैं अपनी बात अधिक विस्तारसे नहीं कह सका था। परन्तु थोड़ी-सी पत्रिकाओं द्वारा मैं अपने विचार लोगोंके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। पहले तो आपको हिसाब देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा सुझाये गये कोषमें, कलतक मेरे पास ७७०) आ चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि इस चन्देके बारेमें जरा भी ढिलाई न होनी चाहिए और अहमदाबादमें किसीको भी अपने कर्तव्यमें चूकना नहीं चाहिए। इस कोषकी स्थापना तो प्रायश्चित्तके विचारसे हुई है। परन्तु यह कोष प्रायश्चित्तके लिए जितना इष्ट है, उतना ही लोको-पयोगके लिए जरूरी है। कल मैं पूज्य अनसूयाबेन तथा भाई कृष्णलाल देसाईके<sup>१</sup> साथ अस्पतालमें सब पीड़ितोंसे मिल आया। सबके साथ बातचीत की। और मैं देखता हूँ कि हमें बहुत-से घायल हुए मनुष्योंके परिवारोंकी सहायता करनी पड़ेगी। मृत्युको प्राप्त हुए बाईस मनुष्योंका पता तक नहीं लगा। इनके सिवा और मौतें भी तो हुई हैं। इसलिए नागरिकके नाते हमारा स्पष्ट दायित्व है कि हम मृत व्यक्तियोंके परिवारोंको ढूँढ़ निकालें

१. देखिए महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५।

२. अहमदाबाद उच्च-न्यायालयके वकील।



और उन्हें यथाशक्ति सहायता दें। मुझे पूछा गया है कि यह रुपया किन लोगोंके काम आयेगा। जिन लोगोंको माली नुकसान हुआ है, ऐसा लगता है कि उनके नुकसानकी भरपाई तो हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम मृत और घायल हुए लोगोंके परिवारोंको थोड़ी-बहुत मदद देंगे। उनमें दो-तीन अंग्रेज भाई हैं, उनके कुटुम्बोंकी सहायता करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि उनकी मृत्यु हमारे हाथों हुई है। ऐसा करनेके लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं था। ये मौतें केवल वैर-भावसे ही हुई हैं। अब यदि हमें सच्चा पश्चात्ताप हो, तो हमारा फर्ज है कि हम उनके परिवारोंकी सहायता करें। यह तो हमारा छोटेसे-छोटा प्रायश्चित्त है। हमारे जो भाई मारे गये हैं उनमें से अधिकांश बिलकुल निर्दोष थे, यह मैं देख सका हूँ। घायल होनेवालोंमें मैंने कुछ दस-बारह बरसके लड़के देखे। इन सबको मदद देना हमारा दूसरा कर्तव्य है। वीरमगाँवसे मेरे पास एक मनुष्य आया, उसने अपने दो भाइयोंकी मृत्युकी बात कही। ऐसे शायद और भी मामले आयें। यदि वीरमगाँवके लोग चन्दा दें, तो हम इन लोगोंकी सहायता भी कर सकते हैं। न दें, तो ऐसा लगता है कि हम मदद करनेमें असमर्थ होंगे।

कुछ भाइयोंकी यह मान्यता है कि इस प्रकार आतंक फैलाकर, सम्पत्ति आदिको जलाकर, मनुष्योंको सताकर हम अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सत्याग्रहमें तो यह माना जाता है कि ऐसा करनेसे हक मिलें भी तो उनका त्याग करना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि जिस समय दोनों पक्ष पशुबलको माननेवाले होते हैं, तब जो ज्यादा जोर लगा सकता है, वह कुछ हद तक अपने सोचे हुए ध्येयको प्राप्त कर सकता है। मेरा तीस वर्षका अनुभव यह बताता है कि इस तरीकेसे उद्देश्यकी प्राप्ति करने वाले व्यक्तिको अन्तमें कभी लाभ नहीं होता। परन्तु इस विषयमें भले ही दो मत हों, लेकिन इसमें तो दो मत हरगिज नहीं हैं कि पशुबलमें हम सरकारसे बहुत कम हैं। उनके शस्त्रबलके सामने हमारे पशुबलकी कुछ भी बिसात नहीं। इसलिए मैं साहसपूर्वक कहना चाहता हूँ कि जो हमें ऐसा बल-प्रयोग करनेकी सलाह देते हैं वे भूल करते हैं और उनकी सलाह हमें कभी नहीं माननी चाहिए। इस प्रकार लौकिक दृष्टिसे विचार करते हुए हमारे पास एक ही वस्तु है और वह है सत्याग्रह अर्थात् धर्मबल। धर्मबल केवल सहनशक्तिसे ही आ सकता है। दूसरेको दुःख देकर, पीड़ित करके, मारकर धर्मवृद्धि नहीं हो सकती। यदि हममें सचमुचमें धर्मवृत्ति होती, तो अहमदाबादमें हुई घटनाएँ कभी घटित ही न होतीं। ऊधमी व्यक्ति दंगा-फसाद करें, तो उन्हें रोकना भी हमारा काम है। अहमदाबादके स्त्री-पुरुषोंमें वीरता आ जाये, तो दंगाई भी शान्त हो जाये। दंगाइयोंको पशुबलसे वशमें करनेकी अपेक्षा धर्मबल अर्थात् सत्याग्रह द्वारा काबूमें करना स्पष्टतः बहुत बड़ी बात है। अहमदाबादके उपद्रवसे लाभ तो बिलकुल नहीं हुआ, यह भी हमने देख लिया। अपनी रिहाईके सम्बन्धमें मैं कह चुका हूँ कि उसका इन उपद्रवोंसे कोई सम्बन्ध नहीं। उपद्रव १० तारीखको शुरू हुए। मुझे बम्बईमें रिहा करनेका निश्चय ९ तारीखको हुआ। इसलिए उस निश्चयका उपद्रवोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। फिर जिनका सत्याग्रहमें विश्वास है, वे तो मुझे रिहा करवानेके लिए ऐसा उपद्रव कर ही नहीं सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपद्रवसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ।



अब उससे हुई विशेष हानियोंपर विचार करें। [जो] दफ्तर जलाये गये, वे भी हमारे थे, यह मैं सोमवारको याद दिला चुका हूँ। परन्तु उनपर हमारा अप्रत्यक्ष स्वामित्व है और उन्हें फिरसे बनानेके लिए भी हमें खास तौरपर रुपया नहीं देना पड़ता, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ? तार-घर बन्द हो जानेसे हमारे व्यापारको नुकसान पहुँचा है, उसका भी कदाचित् हमारे मनपर असर न हो। परन्तु विद्यार्थियोंका मण्डप<sup>१</sup> जला दिया, इसका क्या अर्थ, यह जरा देखें। मैं यह सुनता हूँ कि इसे किसी ठेकेदारने बनवाया था। वह सम्पत्ति उस ठेकेदारकी थी। उसका मूल्य लगभग १८,०००) था। यह रुपया ठेकेदारको कौन दे? जरा सोचिए, उसे कैसा लग रहा होगा? उसे रुपया चुकानेका, जलानेवालोंने तो विचार किया ही न होगा। मुझे खबर मिली है कि बहुत-सा जेवर सबूती मालके रूपमें अदालतकी तिजोरीमें था। उसकी कीमतका अन्दाज कोई ५०,०००) लगाता है, कोई इससे भी ज्यादा लगाता है। उस जेवरके सभी मालिकोंका हमें पता नहीं है। वे यह जेवर खो बैठे हैं। सरकार तो वापस नहीं देगी, और देगी भी तो हमारे रुपयेसे ही देगी। गरीब निर्दोष लोग जो अपने जेवर गँवा बैठे हैं, वे तो कदाचित् सरकारके पास जायेंगे भी नहीं। रा० ब० बुलाकीदासका माल उनके घरसे चुन-चुनकर निकाला गया और उसे जला दिया गया। यह कैसा इनसाफ? मुझसे यह कहा गया है कि राय बहादुरकी कारगुजारियाँ अच्छी नहीं, वे लोगोंको सताते हैं। मुमकिन है ऐसा हो। परन्तु क्या इसलिए ऐसे अधिकारियोंकी सम्पत्ति हम जला डालें? इस प्रकार लोग अपने हाथमें न्याय ले लें, तो शान्ति और सुरक्षाका वातावरण नष्ट हो जायेगा और लोग सदाके लिए केवल भय और आशंकाकी स्थितिमें ही रहेंगे। किसी भी व्यक्तिको किसी भी अधिकारीका कार्य अत्याचारपूर्ण लगे और इससे उसे उक्त अधिकारीके जान-मालको नुकसान पहुँचानेका हक प्राप्त हो जाये, तो एक भी अधिकारी सही-सलामत नहीं रह सकता। जिस देशकी ऐसी स्थिति हो, वह देश सुधरा हुआ नहीं कहलाता और उसमें सभी लोग भयभीत दशामें रहते हैं। वीरमगाँवमें अब्बल कारकुनको जिन्दा जला दिया गया, यह कितना अधम कार्य है। उसने क्या अपराध किया था? अथवा किया था, तो उसे नौकरीसे अलग करानेकी हमारी हिम्मत क्यों न हुई? निरपराध अंग्रेज साजेंट फ्रेजर एक भारतीयके घरमें शरण लिए हुए था। उसे वहाँसे बाहर निकाला गया और उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये। इससे भारतको क्या फायदा हो सकता है? [इसका] इतना परिणाम तो सामने आ ही चुका है कि हमारे और अंग्रेजोंके बीच वैरभाव बढ़ गया है, और कुछ निर्दोष व्यक्तियोंकी जानें चली गई हैं। उपद्रवी लोगोंकी संगति करके, उनकी मदद लेकर हक हासिल करनेकी कोशिशका एक ही नतीजा हो सकता है; वह यह कि प्रयत्न सफल हो जाये तो जो अधिकार प्राप्त हों, उन अधिकारोंको हम उपद्रवी लोगोंकी शर्तपर ही रख सकते हैं। इस प्रकार मिले हुए हक, हक नहीं, परन्तु हमारी गुलामीकी निशानी हैं। अहमदाबाद और वीरमगाँवमें जो

१. इसी पत्रके अंग्रेजी संस्करणसे मालूम होता है कि यह कॉलेजोंके विद्यार्थियोंकी परीक्षाके लिए बनाया गया पण्डाल था।



हुआ, वह हमारी बहादुरीका सूचक नहीं है। उससे किसी भी प्रकार हमारी मर्दानगी साबित नहीं हो सकती। उससे तो हमें केवल शर्मिन्दा होना पड़ा है। जनताके कार्यको धक्का पहुँचा है। सत्याग्रहको सीमित करना पड़ा है। इस चित्रको ठीक वैसा ही चित्रित करनेमें मेरा हेतु यही बतानेका है कि किस तरह सहस्रों मनुष्य, जो ऐसा रक्तपात कभी पसन्द नहीं करते, वे विवश हो दीन बनकर बैठे रहे और इस उपद्रवको सहन करते रहे। इससे यह विदित होता है कि हममें इस समय धर्म और सत्यका सच्चा बल नहीं रहा और इसलिए मैंने कहा है, सत्याग्रहके सिवा भारतका कभी छुटकारा नहीं होगा। यह सत्याग्रह क्या है, इसे मैं दूसरी पत्रिकाओंमें यथाशक्ति बतानेका प्रयत्न करूँगा। मैं प्रत्येक भाई और बहनसे अपेक्षा करता हूँ कि वे इन पत्रिकाओंको खूब ध्यानसे पढ़ेंगे, समझेंगे, समय-समयपर विचार करेंगे और उनमें दिये गए सुझावोंपर अमल करेंगे।

मो० क० गांधी

गांधी स्मारक निधिमें सुरक्षित कर्नाटक प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई द्वारा मुद्रित और एस० जी० बैंकर, ७२, अपोलो स्ट्रीट, बम्बई द्वारा प्रकाशित मूल अंग्रेजी पत्रकसे।

सौजन्य : एच० एस० एल० पोलक

## २१६. पत्र : जी० ई० चैटफील्डको

आश्रम

अप्रैल १६, १९१९

प्रिय श्री चैटफील्ड,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। उसके अन्तिम अनुच्छेदमें<sup>१</sup> आपने जो कहा है उसमें वजन है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही किया जायेगा।

मो० क० गा०

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५४२) की फोटो-नकलसे।

१. १६-४-१९१९ के पत्रका अन्तिम अनुच्छेद इस प्रकार था : “जैसा कि आपके दूसरे पत्रसे मुझे ज्ञात हुआ है लोगोंको कुछ शिकायतें हैं। यदि ऐसा है तो क्या आप कृपया उन्हें सीधा मेरे पास भेजनेको कहेंगे? मैं इतना अधिक व्यस्त हूँ कि सीधी भेजी हुई शिकायतोंके अलावा, कमसे-कम उन स्थितियोंमें जिनमें लोग स्वयं शिकायत कर सकते हैं, अन्य शिकायतोंपर ध्यान देना मेरे लिए सम्भव नहीं।”



## २१७. पत्र : जी० ई० चैटफील्डको

आश्रम

साबरमती

अप्रैल १६, १९१९

प्रिय श्री चैटफील्ड,

मुझे पता चला है कि शाहपुरमें कुछ बदमाश हैं जिन्होंने इन दुःखद घटनाओंके दौरान खूब लूटमार की है और वे अब भी वहाँके समीपवर्ती क्षेत्रमें शान्तिपूर्ण निवासियोंकी नाकमें दम किये हुए हैं। बदमाश लोग लूटमार न मचायें, इस भयसे निवासियोंको रातभर जागते रहना पड़ता है। क्या वहाँ थोड़ी-सी पुलिस तैनात नहीं की जा सकती ?

यद्यपि सरकार, अगर मैं श्री प्रैटकी<sup>१</sup> बात सही-सही समझ सका हूँ, मेरी सेवाएँ न तो माँग रही है और न मेरी अयाचित सेवाओंको चाहती ही है फिर भी जैसा कि मैं श्री प्रैटसे कह चुका हूँ राज्यकी जो भी सेवा मैं कर सकता हूँ वह मुझे अपनी समझके अनुसार करते रहना चाहिए। सभामें मैंने जो विचार प्रस्तुत किये थे उन्हें और अच्छी तरह लोकप्रिय बनानेके उद्देश्यसे मैं उसे गलीकूचोंमें पुरुषों और स्त्रियोंके छोटे-छोटे दलोंके समक्ष पढ़वा रहा हूँ और यदि लोग उसपर सम्मतियाँ देना चाहें तो मैं उनसे उनकी सम्मतियाँ माँगता भी हूँ।

हृदयसे आपका,

हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५४३) की फोटो-नकलसे।

## २१८. पत्र : एफ० जी० प्रैटको

आश्रम

साबरमती

अप्रैल १६, १९१९

प्रिय श्री प्रैट,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। इस समय मेरा कार्यक्रम इस प्रकार है : मैं कल अहमदाबादसे हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी बैठकोंमें भाग लेनेके लिए जो १९, २० और २१ अप्रैलको होने जा रही हैं, बम्बई रवाना होऊँगा। २२ को या अधिकसे-अधिक २३ को लौटनेकी आशा करता हूँ। यदि मैं २३को लौटा, तो मेरा इरादा नडियादमें करीब दो घंटे रुकनेका है। अपनी वापसीके बाद मैं अहमदाबादमें संगठनके कार्यको उस ढंगसे जारी रखना चाहता हूँ जिसकी सूचना मैं श्री चैटफील्डको दे चुका हूँ।

१. एफ० जी० प्रैट; बम्बई श्लोकेके उत्तरी विभागके कमिश्नर।



इसके पूर्व कि मैं वह कार्य प्रारम्भ करूँ जिसे “धावा” कहा जा सकता है, मैं इस बातके लिए उत्सुक हूँ कि लोग सत्याग्रहके नितान्त शान्तिपूर्ण-स्वरूपसे पूरी तरह परिचित हो जायें। यदि मेरे कार्यक्रमके सम्बन्धमें आप अपनी कोई इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं तो मेरी यह उम्मीद जरूर है कि आप ऐसा करनेमें—यदि आवश्यकता समझी जाये तो, खानगी ढंगसे ही सही—संकोच न करेंगे। यह कहना जरूरी नहीं है कि मैं उसे पूरी करनेकी भरसक कोशिश करूँगा। सरकार मेरा सहयोग भले न चाहे तो भी एक सत्याग्रहीके नाते मेरा यह कर्तव्य होगा कि मैं सहयोगात्मक कार्य करूँ और व्यवस्था कायम कराने तथा लोगोंके दिलोंमें पैठी हुई हिंसाकी हवस मिटानेमें सरकारकी सहायता करूँ।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गां०

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५४०) की फोटो-नकलसे।

## २१९. सत्याग्रह माला-५<sup>१</sup>

[अप्रैल १७, १९१९]<sup>२</sup>

“महात्मा गांधीनो सत्याग्रह” (महात्मा गांधीका सत्याग्रह) और “महात्मा गांधीना उद्गार” (महात्मा गांधीके उद्गार) शीर्षकसे गुजरातीमें दो कविताएँ प्रकाशित हुई हैं। उनपर लाभशंकर हरजीवनदास दीहोरकरका नाम दिया है। इन कविताओंमें जो विचार प्रकट किये गये हैं, वे मेरे उद्गार नहीं हैं। उनमें कुछ बातें बहुत द्वेष-पूर्ण हैं, वैर बढ़ानेवाली हैं और गलत उत्तेजना फैलानेवाली हैं; इसलिए सत्याग्रहके विरुद्ध हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कोई भी भाई या बहन किसी भी तहरीरको, जिसपर मेरे हस्ताक्षर न हों, मेरी लिखी न मानें। यह समय ऐसा नाजुक है कि प्रत्येक स्त्री-पुरुषको बड़ी सावधानी बरतनेकी जरूरत है। किसीकी भी बातोंमें नहीं आना चाहिए।

मेरे लेखोंमें द्वेष नहीं हो सकता, क्रोध नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा विशिष्ट धार्मिक विश्वास है कि हम शासकोंके प्रति या किसीके प्रति द्वेष बढ़ाकर अपना सच्चा हित-साधन नहीं कर सकते। मेरे लेखोंमें असत्यके लिए गुंजाइश हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा अटल विश्वास है कि सत्यके सिवा कोई और धर्म है ही नहीं। मैं मानता हूँ कि असत्य द्वारा आर्थिक या कोई-और भी लाभ प्राप्त हो सकता हो, तो उसे अस्वीकार करनेकी मुझमें शक्ति है। मेरे लेखमें किसी भी व्यक्तिका तिरस्कार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा खयाल है कि यह पृथ्वी प्रेमके बलपर ही टिकी हुई

१. प्रकाशित पत्रकमें इसका शीर्षक था: ‘महात्मा गांधीके लेखोंकी विशेषताएँ’।

२. देखिए महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५।



है। जहाँ प्रेम है, वहीं जीवन है, प्रेम-रहित जीवन मृत्युके समान है। प्रेम उसी सिक्केका दूसरा पहलू है, जिसका पहला पहलू सत्य है। मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरा चालीस वर्षका अनुभव है कि सत्य और प्रेमसे सारा संसार जीता जा सकता है। मैं यह मानता हूँ कि शासकोंकी भूलोंको भी हम सत्य और प्रेमके द्वारा दूर कर सकते हैं। और इसी-लिए मेरे लेखोंमें रक्तपात करने या किसीका माल-असबाब जला देनेकी अनुमति हो ही नहीं सकती। स्पष्ट है कि सारे लेख, जो मेरे नामसे लिखे और छापे जाते हैं, मैं पढ़ नहीं सकता। इसलिए मेरे नामसे प्रकाशित होनेवाले सभी लेखादिको उपर्युक्त कसौटीपर कस लेनेकी सब भाइयोंसे मेरी प्रार्थना है। जिन लेखोंमें असत्य, द्वेष, वैर-भाव, हिंसा आदिका सुझाव हो, उनका सब भाई त्याग करें, यह मैं चाहता हूँ और यही मेरी प्रार्थना है। उक्त कविताओंके रचयिता लाभशंकर हरजीवन दीहोरकरको मैं नहीं जानता, परन्तु वे यह पत्रिका देखें, तो उन्हें भी मेरी सलाह है कि किसी मनुष्यपर कुछ उद्गारोंका आरोपण करनेसे पहले उस व्यक्तिको वे उद्गार दिखा देना और प्रकाशित करनेसे पहले उसकी अनुमति ले लेना जरूरी है। यह विवेक और मर्यादाकी प्रथम माँग है।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## २२०. पत्र : स्वामी श्रद्धानन्दको

आश्रम

साबरमती

अप्रैल १७, १९१९

प्रिय श्रद्धानन्दजी,

मैं यह पत्र अंग्रेजीमें लिख रहा हूँ; श्री शुएब चाहते हैं कि जिन लोगोंके सामने यह पढ़ा जायेगा उनकी खातिर मुझे अंग्रेजीमें ही लिखना चाहिए। जिन प्रश्नोंके<sup>१</sup> उत्तर मुझसे माँगे गये हैं वे सम्भवतः आपके सामने होंगे। इसलिए यहाँ मैं उनकी क्रम-संख्या ही दूँगा।

प्रश्न सं० १ के सम्बन्धमें मेरा उत्तर इस प्रकार है : सत्याग्रहियोंके अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति प्रदर्शनोंमें भाग लेते हैं उन्हें उस अवसरपर सत्याग्रहके नियमोंका पालन अवश्य करना चाहिए। इसलिए वे बड़ीसे-बड़ी उत्तेजनात्मक कार्रवाई किये जानेपर भी बदला न लेनेके लिए बाध्य हैं। जिस अवसरपर अ-सत्याग्रही जनता भी यदि आन्दोलनमें भाग ले रही हो तो उस समय उनके तथा सत्याग्रहियोंके बीच कोई अन्तर नहीं रखा जा सकता। अ-सत्याग्रही भाग तभी ले सकते हैं जब वे वचन दें कि सहयोग माँगा जानेपर वे हमारे सिद्धान्तको अंगीकार करेंगे। इसलिए मेरा खयाल

१. देखिए परिशिष्ट ३; ये प्रश्न “सत्याग्रह माला - ३” पर आधारित थे।



है कि जिस समय अ-सत्याग्रही हमारे साथ काम कर रहे हैं उस समय हम भी उनके कामोंके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि खुद अपने कामोंके लिए। मेरा खयाल है कि यह बात आपको स्पष्ट हो जायेगी कि इस आपसी सद्भावके बिना सत्याग्रह को असत्याग्रह द्वारा आसानीसे प्रभावहीन या व्यर्थ किया जा सकता है। आप परस्पर विरोधी वस्तुओंको मिलायें और विस्फोट न हो ऐसा हो ही नहीं सकता।

प्रश्न सं० २के लिए मेरा जो जवाब है वह वास्तवमें उपर्युक्त बातोंसे ही निकल आता है। मैं समझता हूँ कि हमें कानूनके सामान्य नियमोंका अधिक सख्तीसे पालन करना चाहिए, क्योंकि हम सत्याग्रही हैं। जो परिणाम औचित्यपूर्वक किसी व्यक्तिके आचरणसे निष्पन्न परिणाम सिद्ध किये जा सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है कि उन परिणामोंको झेलनेका उसका इरादा जरूर रहा होगा। मेरा खयाल है कि कमसे-कम मुझे तो कुछ परिणामोंकी पूर्व कल्पना कर लेनी चाहिए थी, खास तौरपर यह देखते हुए कि मेरे उन मित्रों द्वारा मुझे पूरी तरह चेता दिया गया था जिनकी सम्पत्ति मैं सदा मूल्यवान समझकर माँगता आया हूँ। परन्तु मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं जड़-मति हूँ। मैं यह मजाकमें नहीं कह रहा हूँ। कितने ही मित्रोंने मुझे बताया है कि मैं अन्य लोगोंके अनुभवोंसे लाभ उठा ही नहीं पाता और हर मामलेमें खुद आगसे होकर गुजरने और कटु अनुभवके बाद ही कुछ सीखता हूँ। इस आरोपमें अतिशयोक्ति तो है, परन्तु इसमें सत्यका पुट भी है। किन्तु मेरी यह जड़ता, मेरी दुर्बलता भी है और मेरा गुण भी है। यदि मैंने अपने भीतर इस हठपूर्ण प्रतिरोधको विकसित न होने दिया होता तो मैं सत्यका आग्रह भी न रख पाता। प्रतिरोधका यह गुण बुद्धिसे नहीं अनुभवसे ही प्राप्त हो सकता है। सत्यकी खोज बेशक खतरनाक धन्धा है और खासकर उस समय जब आपको आज जैसे किसी ऐसे वातावरणमें काम करना पड़े, जो असत्यसे और उससे उत्पन्न होनेवाले सभी दोषोंसे परिपूर्ण हो। अब आप समझ गये होंगे कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ कि दिल्ली और बम्बईकी घटनाओंके लिए जो हमारे दृष्टिकोणके अनुसार बहुत गम्भीर नहीं हैं, और अहमदाबाद तथा वीरमगाँवकी बहुत गम्भीर एवं भर्त्सनाके योग्य घटनाओंके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। दिल्लीसे बाहर पंजाबमें जो हुआ उसके लिए मैं अपनेको तथा साथियोंको सारे दोषसे बरी ठहराता हूँ। यदि किसी अन्य मौकेपर डॉक्टर सत्यपाल और डॉ० किचलू गिरफ्तार किये जाते तो ये बातें सत्याग्रहके न होते हुए भी हो सकती थीं। फिर भी मैं इतना और कहूँगा कि पंजाबकी घटनाएँ हमें इसका संकेत देती हैं कि हमारी आगेकी कार्यप्रणाली कैसी हो।

प्रश्न सं० ३ का मेरा उत्तर सं० १के उत्तरमें ही आ जाता है। वैसे तो मेरे उत्तर आन्दोलनमें ही अन्तर्निहित हैं। सत्याग्रहका अर्थ वह सब है जो मैंने कहा है, इससे कम रत्तीभर भी नहीं। मेरी बताई परिस्थितिको छोड़कर और किसी स्थितिमें सफलता प्राप्त होना असम्भव है।

प्रश्न सं० ४का उत्तर: क्या आपको मेरे भाषणका पूरा पाठ मिल गया है? उससे आपको मालूम हो जायेगा कि सत्याग्रह आन्दोलनको बन्द कर देनेकी सम्भावनाके विषयमें मैंने जो लिखा है उसका क्या अभिप्राय है। आपने जो अर्थ लगाया है उस अर्थमें आन्दोलनका त्याग कभी नहीं किया जा सकता। परन्तु हमारे सत्याग्रहको शायद



ऐसा मोड़ लेना पड़े, जैसा उसने पहले अहमदाबादमें लिया था; और उसे साधारण भाषामें परित्याग ही माना जायेगा। परन्तु हम कभी नैतिक या राजनीतिक आत्महत्या करनेके भागी नहीं बनेंगे। आपने जो करनेकी सलाह दी है वह हम यहाँ शुरू कर ही चुके हैं। अभी तक तो हमने सत्याग्रह-समिति द्वारा चुने हुए सभी कानूनोंका तोड़ना मुलतवी नहीं किया है; परन्तु दिल्लीमें प्रवेश करनेकी कोशिश करके अपनेको पुनः गिरफ्तार करानेकी कोशिश मुलतवी कर दी गई है। अब हम अत्यन्त सक्रिय रूपसे, खुले तौरपर ही, बम्बई और अहमदाबाद दोनों स्थानोंमें सत्याग्रहका प्रशिक्षण दे रहे हैं। और कार्यकर्त्तागण आशा कर रहे हैं कि वे थोड़े ही समयमें आम जनताको अनुशासन और नियन्त्रणमें रख सकेंगे। मैंने आज जो-कुछ सुना है, उसके कारण शायद एक कदम और आगे बढ़कर सभी कानूनोंका तबतक के लिए तोड़ा जाना मुलतवी रखना पड़े जबतक हमें एक ऐसा वातावरण बन चुकनेका भरोसा न हो जाये जिसमें हम काम कर सकते हों। आशा है कि मैं बम्बई पहुँचते ही एक वक्तव्य प्रकाशनार्थ भेजूंगा। यह शायद कल (शुक्रवार)को बम्बईसे एक गम्भीर समाचार मिला है। श्री जमनादासने अपने पत्रमें लिखा है कि उनकी सूचनानुसार मुसलमान भाइयोंकी एक सभामें, जिसमें मैं बोलनेको था लेकिन अचानक अहमदाबाद बुला लिये जानेके कारण नहीं बोल सका था, मुसलमान मित्रोंने सत्याग्रहको कमजोर लोगोंका अस्त्र माना है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मौका हाथ लगेगा, वे निश्चय ही हिंसाका उपयोग करनेसे नहीं चूकेंगे। मेरे खयालमें यह एक खतरनाक रुख है। राजनीति ही की दृष्टिसे सत्याग्रहकी दृष्टिसे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी हिंसापूर्ण आन्दोलन, इस्लामको फिरसे उसे उसका हक दिलानेमें सफल नहीं हो सकता। जब कि सच्चा सत्याग्रह यदि आम जनतामें प्रविष्ट हो जाये तो वह यह काम एक दिनमें करके दिखा सकता है; यह मेरा अटल विश्वास है।

सं० ५ : मैं समझता हूँ कि इस प्रश्नका उत्तर प्रकारान्तरसे उपर्युक्त अनुच्छेदोंमें आ गया है।

कल आपको एक पत्र भेजा गया था जिसमें कल ही प्राप्त आपके पत्रकी बातोंके पूरे-पूरे उत्तर दिये गये थे। उस पत्रमें दी गई रायको मैं यहाँ संक्षेपमें इस तरह व्यक्त किये देता हूँ कि सत्याग्रह तबतक के लिए बन्द रखिए जबतक आपकी समितिकी रायमें उसे शुरू करनेका समय न आ जाये; और जनताके बीच लगातार काम करते रहिए तथा सभी प्रकारकी सेवा द्वारा उनमें सत्याग्रहके प्रति निष्ठा भरते रहिए।

हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५४६) की फोटो-नकलसे।



## २२१. भाषण : हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी बैठकमें<sup>१</sup>

बम्बई

[अप्रैल १८, १९१९से पूर्व]

आज हम जिस कार्यके लिए एकत्रित हुए हैं उसकी दृष्टिसे मुझे हिन्दीमें बोलना चाहिए। लेकिन इस समय मैं जानबूझकर हिन्दीमें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस भाषाकी खूबियाँ आपको समझाना चाहता हूँ, ये खूबियाँ मैं आपको गुजरातीमें समझाऊँगा। मेरा खयाल है कि गुजराती भाषामें इन्हें बता सकनेकी मुझमें विशेष शक्ति है। हिन्दुस्तानमें इस समय जो सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा है, हिन्दी भाषाका आग्रह भी उसमें आ जाता है। सत्यका आग्रह करना, सत्याग्रहकी मुख्य बात है। और यदि हम सत्यपर विचार करने बैठें तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इस विचारसे राष्ट्रीय भाषाके रूपमें हमें हिन्दीमें ही बोलना पड़ेगा। ऐसी एक भी अन्य देशी भाषा नहीं है जो हिन्दीके साथ स्पर्धा कर सके।

हिन्दी भाषा क्या है, हमें इस बातपर थोड़ा विचार करना होगा। मैं यह नहीं मानता कि हिन्दी अर्थात् वह भाषा जिसमें संस्कृतके शब्द आते हैं, कृत्रिम भाषा है। इसी तरह उर्दू भी, जिसमें फारसीके शब्द आते हैं, हिन्दी नहीं है। हम राष्ट्रीय भाषाके रूपमें जिस भाषाको बोलना चाहते हैं वह हिन्दी और उर्दूका मिला-जुला रूप है। बहुत करके यह भाषा इस समय बिहार, दिल्ली तथा पंजाबमें बोली जाती है। हिन्दू और मुसलमान दोनों एक नहीं हैं, जब यह भावना लोगोंके दिलोंमें घर करने लगी और जब दोनोंके बीच द्वेष-भाव उत्पन्न हुआ तब इन दोनों भाषाओंमें रस्साकशी होने लगी। कुछ-एक लोगोंने, जिसमें संस्कृतके शब्द होते हैं उस भाषाको ही हिन्दी कहा तथा कुछने फारसी और अरबी भाषाके शब्दोंसे युक्त भाषाको ही उर्दू कहा। लेकिन सामान्य हिन्दू और मुसलमान जो बोलते हैं, वह भाषा तो ऐसी नहीं है। हम चाहे जिस जगह जायें और हिन्दू-मुसलमानोंको बोलते हुए सुनें तो देखेंगे कि उसमें संस्कृत, फारसी तथा अरबीके शब्द आते हैं; और हिन्दू हो अथवा मुसलमान, कोई भी इनका त्याग नहीं करते। ऐसी मिश्रित भाषाको स्वीकार करनेसे हम हिन्दू और मुसलमानोंका हृदय स्वच्छ हो जायेगा। इस तरहकी जिस भाषाकी मैं चर्चा कर रहा हूँ उसे उत्तर अथवा दक्षिणका प्रत्येक मुसलमान भाई समझ सकता है; हालाँकि उसे अपने प्रान्तकी भाषा आती है। [भारतके] मानचित्रपर दृष्टिपात करते समय [आप देखेंगे कि]

१. यह भाषण हिन्दी साहित्य सम्मेलनके नवें अधिवेशनकी तैयारीके सिलसिलेमें आयोजित एक बैठकमें दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता गांधीजीने की थी; लेकिन उनके अस्वस्थ होनेके कारण उनका लिखित गुजराती भाषण उनकी ओरसे किसी दूसरेने पढ़ सुनाया था। भाषणकी इस रिपोर्टमें, जैसा कि मूल गुजराती रिपोर्टके प्राक्कथनमें बताया गया है, उसके मुख्य अंशोंका ही समावेश हुआ है। इस भाषणकी एक संक्षिप्त हिन्दी रिपोर्ट भी उपलब्ध है; उसमें प्राप्त अतिरिक्त अंशोंको यहाँ पाद-टिप्पणियोंमें दिया जा रहा है।



मद्रासके थोड़ेसे हिस्सेको छोड़कर शेष भागोंके हिन्दू भी इस भाषाको समझते हैं। और फिर, उनको भी यदि भागोंमें विभाजित करने बैठें तो महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और सिन्धके अलावा दूसरे अन्य प्रान्तोंमें यह भाषा बोली जाती है। गुजरात आदि प्रान्तोंमें भी मौलवी और हिन्दू धर्मगुरुओंने, दोनों भाषाओंका प्रचार किया है। तुलसीकृत 'रामायण' से कदाचित् ही कोई अनभिज्ञ होगा। हिन्दी कहिए अथवा उर्दू दोनोंका व्याकरण एक ही है। हिन्दुस्तानमें यदि कोई भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है तो वह यही हिन्दी-उर्दू है। इससे किसीको यह अर्थ नहीं लगाना है कि हम अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाएँ भुला दें। राष्ट्रीय उद्देश्यके लिए हमें ऐसी भाषा निश्चित करनी चाहिए कि जिसका अन्तर्प्रान्तीय उपयोग हो सके। इसलिए हिन्दी-उर्दू मिश्रित जिस भाषाकी मैंने चर्चा की है उस भाषाको हमारे शिक्षित-वर्गको तो सीख ही लेना चाहिए। मैं अपनी अल्प-बुद्धिके अनुसार इस बातसे अवगत हूँ कि इस देशमें बड़े-बड़े विद्वान् यह मानते हैं कि [अन्तर्प्रान्तीय उपयोगके योग्य भाषा तो] अंग्रेजी भाषा ही है। लेकिन वह भाषा कदापि राष्ट्रभाषा नहीं हुई है। क्योंकि उसमें और हिन्दी भाषामें किसी प्रकारकी भी समानता नहीं है। राष्ट्रभाषा ऐसी सहल होनी चाहिए कि जिसे कोई भी सीख सके। यदि हम पराधीनतासे ग्रस्त न हों तो हम आसानीसे समझ सकते हैं कि ऐसी सामान्य भाषाकी आवश्यकता है। अंग्रेजी सीखनेके पीछे लाखों रुपया खर्च करनेके बावजूद गिने-चुने लोग ही इस भाषाको सीख सके हैं; और ऐसा होनेपर भी उस भाषापर पूर्ण अधिकार रखनेवाले लोग तो इक्के-दुक्के ही होते हैं। इस भाषाको सीखनेके लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है उसे देखता हूँ तो मुझे तो ऐसी प्रतीति होती है कि उससे देशका तेज क्षीण होता जा रहा है।

इस प्रश्नके भीतर भारतकी उन्नतिके बीज निहित हैं। जिस राष्ट्रने अपनी भाषाका अनादर किया है उस राष्ट्रके लोग अपनी राष्ट्रीयता खो बैठते हैं। हममें से अधिकांश लोगोंकी यही हालत हो गई है। पृथ्वीपर हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ माँ-बाप अपने बच्चोंके साथ मातृभाषामें न बोलकर . . .<sup>१</sup> मैं अंग्रेजीसे द्वेष नहीं करता। मुझे यह भी लगता है कि कुछ कामोंके लिए कुछ लोगोंको अंग्रेजी सीखनी है। हम लोगोंमें दुभाषियेका काम करनेके लिए [कुछ लोगोंको] अंग्रेजी सीखनी चाहिए। और मैं इस बातको स्वीकार करता हूँ कि इसके लिए अंग्रेजीका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हमारे अन्य कार्योंके लिए, अदालतों और केन्द्रीय विधानसभामें राष्ट्रभाषाके रूपमें हिन्दी होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी भाषामें कामकाज चलानेसे राष्ट्रको नुकसान पहुँचता है। जबतक हम इस तत्त्वको ग्रहण नहीं कर लेते तबतक हमारी सारी मेहनत बेकार जायेगी। इसीसे मैंने पिछले वर्ष<sup>२</sup> यह कहा था कि हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन बम्बईमें किया गया होता तो अच्छा होता। हम देखते

१. गुजराती रिपोर्ट इस स्थानपर दोषपूर्ण है। भाषणकी हिन्दी रिपोर्टके अनुसार यहाँ यह लिखा हुआ है: "अपने बच्चोंको अपनी मातृभाषाके बदले अंग्रेजीमें लिखना पसन्द करेंगे।"

२. सम्भवतः २९-३-१९१८ को इन्दौरमें हुए हिन्दी साहित्य सम्मेलनके आठवें अधिवेशनपर, जिसकी अध्यक्षता गांधीजीने की थी। देखिए खण्ड १४।



हैं कि ऐसा किया गया है। अधिवेशन इस मासकी १८, १९ और २०<sup>१</sup> तारीखको होगा। पंडित मालवीयजीने अधिवेशनकी अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। इसलिए आप लोग अधिवेशनकी मदद करें।<sup>२</sup> मन्त्रियोंने बताया है कि इस अधिवेशनपर १०,००० रुपया खर्च होगा। इसमें आप जितनी सहायता देंगे वह सम्मेलनको दी गई सहायता मानी जायेगी। वैसे यह कोई ऊँचे दर्जेकी सहायता नहीं है। ऊँचे दर्जेकी मदद तो वह कही जायेगी कि जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वे जल्दी ही इस भाषाको सीख लें। रातको एक-एक घंटे किसी शिक्षकके पास बैठकर सीखनेसे [कुछ ही समयमें] यह भाषा सीखी जा सकती है। मैं अब अधिक समय नहीं लेना चाहता।

मुझे उम्मीद है कि आप मेरे विचारोंपर मनन करेंगे और उचित जान पड़नेपर उनपर अमल करेंगे। अनेक बार यह देखनेमें आता है कि हम कोई बात सुनते और पसन्द तो करते हैं परन्तु उसपर अमल नहीं करते। पसन्द की हुई वस्तुके सम्बन्धमें तुरन्त कार्रवाई करनेका परिणाम अच्छा होता है। ऐसा करनेसे हम आगे बढ़ेंगे।

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, २०-४-१९१९

### २२२. तार : जी० ए० नटेसनको<sup>३</sup>

बम्बई

अप्रैल १८, १९१९

जो संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है उसके कारण कुछ समयके लिए सत्याग्रह स्थगित करनेका निश्चय। आन्दोलनके सही-सही अमली रूप अर्थात् सत्य और अहिंसाके पालनका प्रशिक्षण जारी। मेरा समाचार-पत्रोंको भेजा गया वक्तव्य पढ़कर आपको प्रसन्नता होगी।

गांधी

प्राप्त अंग्रेजी तार (जी० एन० २२३२) की फोटो-नकलसे।

१. हिन्दी रिपोर्टमें कहा गया है : “ १९, २० और २१ वीं तारीखको । ”

२. हिन्दी रिपोर्टमें यह भी है : “ करवीर पीठके स्वामी शंकराचार्यने कृपा करके स्वागत-समितिकी अध्यक्षता करना स्वीकार कर लिया है । ”

३. नटेसनके १४ अप्रैलके उस तारके जवाबमें जिसमें दंगोंके कारण सत्याग्रह स्थगित करनेका आग्रह था। इस जवाबी तारकी एक नकल मद्रासकी सत्याग्रह-सभाके मन्त्री सी० राजगोपालाचारीको भी भेजी गई थी। देखिए हिन्दू, १९-४-१९१९।



## २२३. वक्तव्य : अखबारोंको<sup>१</sup>

बम्बई

अप्रैल १८, १९१९

बड़े दुःखके साथ मैं सविनय अवज्ञा आन्दोलनको अस्थायी रूपसे स्थगित रखनेकी सलाह देनेको बाध्य हुआ हूँ। मैं यह सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि उसकी सफलतामें अब मेरा विश्वास कुछ कम हो गया है; परन्तु इसलिए कि इसमें मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ है। सत्याग्रह-सिद्धान्तके मेरे बोधने ही मुझे ऐसा करनेको विवश किया है। मुझे खेद है कि जब मैंने सार्वजनिक आन्दोलन आरम्भ किया उस समय मैंने अमंगलकारी शक्तियोंके प्रभावको कम कृता था। इसलिए अब मुझे रुककर यह विचार करना है कि परिस्थितिका सामना भली-भाँति कैसे किया जा सकता है। परन्तु ऐसा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अहमदाबाद और वीरमगाँवकी शोकजनक घटनाओंकी सावधानीपूर्वक जाँच करनेसे मुझे यह विश्वास हो गया है कि भीड़ द्वारा की गई हिंसासे सत्याग्रहका कोई सम्बन्ध नहीं था। उपद्रवी भीड़के झंडेके नीचे ज्यादातर लोग इसलिए इकट्ठे हो गये थे कि अनसूयाबाई और मेरे प्रति उनका अत्यन्त प्रेम है। यदि सरकार अदूरदर्शितापूर्वक दिल्लीमें प्रवेश करनेसे रोककर मुझे सरकारी आज्ञाओंका उल्लंघन करनेपर बाध्य न करती तो मुझे पूरा विश्वास है कि अहमदाबाद और वीरमगाँवमें गत सप्ताह जो भयंकर कांड हुए वे न होते। दूसरे शब्दोंमें इन उपद्रवोंका कारण सत्याग्रह नहीं है। इसके विपरीत सत्याग्रह तो पहले ही से मौजूद उपद्रवी तत्त्वोंको नियंत्रित करनेमें — यह नियंत्रण कितना भी कम क्यों न रहा हो — सहायक ही हुआ है। जहाँतक पंजाबकी घटनाओंका सम्बन्ध है यह स्वीकार किया गया है कि सत्याग्रहके आन्दोलनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

### दक्षिण आफ्रिकाकी मिसाल

दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रहकी लड़ाईके दौरान कई हजार गिरमिटिया भारतीयोंने हड़ताल कर दी थी। वह हड़ताल सत्याग्रहसे प्रेरित थी, इसलिए उसका स्वरूप बिल्कुल ऐच्छिक और शान्तिपूर्ण रहा। जब यह हड़ताल जारी थी, उसी समय यूरोपीय खान मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों आदिने भी हड़ताल कर दी। उस समय मुझसे अनुरोध किया गया था कि मैं उनके साथ हो जाऊँ। एक सत्याग्रहीकी भाँति मुझे ऐसा न करनेका निर्णय करनेमें एक क्षणकी भी देर न लगी। मैं इतना ही करके चुप नहीं रह गया, परन्तु इस डरसे कि हमारी हड़ताल भी यूरोपियोंकी उस हड़तालकी श्रेणीकी

१. गांधीजीने सविनय अवज्ञा आन्दोलनको स्थगित करनेके सम्बन्धमें उक्त वक्तव्य एक पत्रके रूपमें बम्बईकी सत्याग्रह-सभाके मन्त्रियोंके साथ-साथ प्रेसमें भी प्रकाशनार्थ भेजा था। देखिए “तार : जी० ए० नटेशनको”, १८-४-१९१९।



ही न मान ली जाये, जिसमें कि हिंसा और शस्त्र-प्रयोगको काफी प्रमुख स्थान प्राप्त था, हम लोगोंकी हड़ताल स्थगित कर दी गई। उस समयसे दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंने सत्याग्रहको सम्मानास्पद और सच्चा आन्दोलन, जनरल स्मट्सके शब्दोंमें 'वैध आन्दोलन' मान लिया। इस नाजुक समयमें मैं उससे कम कोई चीज नहीं कर सकता। यदि मैं अपने किसी कार्यसे सत्याग्रह-आन्दोलनका उपयोग हिंसाकी आग और भड़काने तथा अंग्रेज और भारतवासियोंके सम्बन्धोंको कटु करनेके लिए होने दूँ तो मैं सत्याग्रहके प्रति सच्चा नहीं होऊँगा। इसलिए इस समय हमारे लिए सत्याग्रहका अर्थ यही होना चाहिए कि हम सत्याग्रही होनेके नाते शान्ति स्थापित करने और गैर-कानूनी कामोंको रोकनेके लिए सब तरहसे और अविश्रान्त भावसे अधिकारियोंको सहायता दें। यदि हम जनतासे सत्याग्रहके बुनियादी सिद्धान्तोंपर अमल करानेमें समर्थ हुए तो आज जो दुःखद घटनाएँ हमारी आँखोंके सामने हो रही हैं, उनका कुछ सदुपयोग हो जायेगा। सत्याग्रह तो सहस्रों शाखाओंवाले बरगदके वृक्षके समान है। सविनय अवज्ञा तो उसकी एक शाखा-मात्र है। सत्य और अहिंसा इस वृक्षका तना है जिसमें से सब शाखाएँ फूटती हैं। कटु अनुभवसे हमने देखा है कि अराजकताके वातावरणमें सविनय अवज्ञाको तो तुरन्त अपना लिया जाता है किन्तु सत्य और अहिंसाके प्रति कुछ भी सम्मान नहीं दिखाया जाता जब कि सच्ची सविनय अवज्ञा तो सत्य और अहिंसाकी नींवपर ही खड़ी हो सकती है। इसलिए हमारा कर्तव्य बहुत विकट है। परन्तु हम इससे मुख नहीं मोड़ेंगे। हमें निर्भयतासे सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तोंका प्रचार करना चाहिए; तब और केवल तभी हम लोग व्यापक रूपसे सार्वजनिक सत्याग्रह आन्दोलन कर सकेंगे।

### रौलट कानून

रौलट कानूनके प्रति मेरा भाव पहले जैसा ही है। वास्तवमें मैं अन्य बहुतसे कारणोंमें वर्तमान अशान्तिका एक कारण रौलट कानूनको भी मानता हूँ, परन्तु इस उत्तेजनापूर्ण वातावरणमें मैं उन कारणोंपर सविस्तार विचार नहीं करूँगा। इस पत्रका प्रधान और एकमात्र उद्देश्य सभी सत्याग्रहियोंको यह सलाह देना है कि वे कुछ समयके लिए सविनय अवज्ञा स्थगित कर दें, सुव्यवस्था स्थापित करनेमें सरकारके साथ सक्रिय सहयोग करें, और अपने वचन और आचरणसे [सत्याग्रहके] उपर्युक्त बुनियादी सिद्धान्तोंमें जनताकी आस्था पैदा करें।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २१-४-१९१९



## २२४. प्रस्ताव : हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें

बम्बई

अप्रैल १९, १९१९

मैं माननीय मदनमोहन मालवीयको इस सम्मेलनका सभापति निर्वाचित करनेका प्रस्ताव करता हूँ। भारतवर्षमें ऐसा कौन है, जो पंडितजीको नहीं जानता? पंडितजी भारतके एक बड़े भारी नेता हैं। आपने अपने देशकी बहुत भारी सेवा की है। राष्ट्रीय-भाषाकी सेवामें भी आप सबसे आगे बड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ, आपके हाथमें सेवाकी जो शक्ति है, वह दूसरेके हाथमें नहीं है। उत्तर भारतके बाहर सम्मेलनका यह पहला अधिवेशन है। इस अधिवेशनका सभापतित्व माननीय पंडितजीको ही देना चाहिए, इससे कार्यमें पूर्ण सफलता होगी।

नवम हिन्दी साहित्य सम्मेलनका कार्य-विवरण — भाग १

## २२५. अपील : हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें चन्देके लिए

बम्बई

अप्रैल २०, १९१९

हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी प्रवृत्तियाँ अनेक हैं। मुख्य प्रवृत्ति साहित्यका प्रचार, हिन्दी-साहित्यमें परीक्षा लेना और उपाधियाँ देना, और उत्तर हिन्दुस्तान व बाहर हिन्दीका प्रचार करना है। इन कार्योंमें धनकी आवश्यकता रहती है। गत अधिवेशनमें इन्दौरमें प्रायः रुपये ३०,००० तीस हजार भरे गये थे। मेरी उम्मीद है कि बम्बई भी इस बड़े कार्यमें हिस्सा लेगा। बम्बईमें बड़े धनिक आदमी रहते हैं। मेरी उम्मीद है, बम्बईके भाई लोग इस राष्ट्रीय कार्यमें पूरा हिस्सा लेंगे।

नवम हिन्दी साहित्य सम्मेलनका कार्य-विवरण — भाग १



## २२६. तार : वाइसरायके निजी-सचिवको

बम्बई

अप्रैल २१, १९१९

अभी-अभी एसोसिएटेड प्रेसका १९ तारीखका तार पढ़ा जिससे पता चला है कि मार्शल लॉके मातहत जारी किये गये हुकमोंकी तामील न करनेके कारण गिरफ्तार किये गए लोगोंको आम सड़कोंपर कोड़े लगाये जा रहे हैं। ज्ञात हुआ है कि इन हुकमोंका सम्बन्ध दुकानें खोलनेसे था। यदि उपर्युक्त तारका कथन सही है तो, सादर निवेदन है कि कोड़ोंकी इस प्रकारकी मार बहुत ही ज्यादा रोष-भावना जाग्रत करेगी। आशा है कि आपसे कोई ऐसा वक्तव्य प्राप्त होगा जिससे चिन्ताके सब कारण दूर होंगे। हर हालतमें मैं तो इस सम्बन्धमें आश्वस्त ही होना चाहूँगा कि मार्शल लॉ कार्रवाईके जनरल आफिसर-कमांडिंगको इस बातका कोई अधिकार नहीं दिया गया था कि ऊपर बताये गये अपराधोंके सम्बन्धमें लोगोंको सबके सामने या अकेलेमें कोड़े लगाये जायें।

[ अंग्रेजीसे ]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल : (डिपॉजिट) : मई —  
१९१९ : संख्या ४

## २२७. पत्र : जी० ई० चैटफील्डको

अप्रैल २१, १९१९

प्रिय श्री चैटफील्ड,

अभी एक मित्रने मेरा ध्यान इस बातकी ओर दिलाया है कि इस करके आरोपणके परिणामस्वरूप मिल-कर्मचारियोंको दुहरी क्षति होगी। वेतनमें होनेवाली कटौतीके रूपमें एक बार उनसे वसूली कर ही ली गई है। अब, जैसा कि मुझे बताया गया है, पानीके करके द्वारा भी उनसे पैसा वसूल किया जायेगा क्योंकि यदि किसी किरायेदारका वेतन सात रुपये माहवारसे अधिक है तो प्रत्येक छोटेसे घरके लिए भी कर चुकाना होगा। इस प्रकार लगभग सभी मिल-कर्मचारियोंको दूना कर अदा करना होगा। शायद आपने इस मुद्देपर ध्यान नहीं दिया है। आपको माफी देनेका अधिकार है। यदि मेरा निवेदन सही है तो क्या आप मिल-कर्मचारियोंको दुहरे करसे मुक्त करनेकी कृपा करेंगे?

हृदयसे आपका,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५५५) की फोटो-नकलसे।



## २२८. पत्र : गिलिस्पीको

आश्रम

अप्रैल २२, १९१९

प्रिय श्री गिलिस्पी,<sup>१</sup>

मैं यहाँ कल पहुँचा। आपका कृपापूर्ण पत्र मिला। आप देखेंगे कि जो राय आपने दी है उसे मैंने पहले ही भाँप लिया था। मेरा खयाल है कि आपने वह लोक-घोषणा पढ़ ली होगी जिसमें सत्याग्रहको थोड़े समयके लिए स्थगित करनेकी सूचना दी गई है। मैं आपकी राय और आलोचनाकी, जब भी आप देना जरूरी समझें, कद्र करूँगा। मैं नहीं जानता कि स्वदेशीपर जो दो लेख मैंने लिखे हैं, वे आपने पढ़ लिये हैं या नहीं। हममें से कुछ व्यक्ति अन्तिम कदम उठाना चाहते हैं। मैं निश्चय ही मानूँगा कि अंग्रेज मित्र आन्दोलनमें मेरे समर्थक और साथी बनें और उसे प्रोत्साहन दें। मेरी रायमें स्वदेशीके बिना कोई भी देश सम्मानपूर्वक नहीं रह सकता।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गां०

दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५५८) की फोटो-नकलसे।

## २२९. पत्र : जी० ई० चैटफील्डको

आश्रम

अप्रैल २४, १९१९

प्रिय श्री चैटफील्ड,

मेरे १४ तारीखके भाषणके पश्चात् प्रकाशित होनेवाले पत्रकोंको<sup>२</sup> प्रेषित करनेके सम्बन्धमें मैंने निश्चित आदेश नहीं दिये थे—यह भूल मुझे अभी-अभी मालूम हुई है। उन पत्रकोंकी प्रतियाँ इस पत्रके साथ अवलोकनार्थ भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गां०

दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५६३) की फोटो-नकलसे।

१. अहमदाबादवाले।

२. संख्या ४ और ५।



## २३०. पत्र : एफ० जी० प्रैटको

[ साबरमती  
अप्रैल २४, १९१९ ]<sup>१</sup>

प्रिय श्री प्रैट,

मैं देखता हूँ कि मेरी किसी असावधानीके कारण पिछले तीन पत्रकोंकी प्रतियाँ आपको नहीं मिलीं। मैं जानता हूँ कि मेरी इस अनजाने की गई भूलके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। शायद आप उन्हें पहले ही देख चुके हैं। मैं आपको प्रत्येक पत्रककी कुछ प्रतियाँ इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। आज मैं बम्बई जा रहा हूँ। सोमवारको लौटनेकी आशा करता हूँ। बम्बई जाते समय बीचमें कुछ घंटोंके लिए नडियाद रुकूँगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५६३) की फोटो-नकलसे।

## २३१. सत्याग्रह माला - ६

[ अप्रैल २५, १९१९ ]<sup>२</sup>

सत्याग्रह क्या है ?

पहली पत्रिकामें<sup>३</sup> मैं सूचित कर चुका हूँ कि हम किसी पत्रिकामें इसका विचार करेंगे कि सत्याग्रह क्या है। 'सत्याग्रह' नया शब्द है, परन्तु वह जिस तत्त्वका सूचक है, वह अनादि है। सत्याग्रहका शब्दार्थ तो इतना ही है : सत्यका आग्रह और इस आग्रहसे उत्पन्न बल। इस समय [हम] सत्याग्रहका एक शक्तिके रूपमें प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात् सत्यका आग्रह करनेसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिका हम रौलट कानून रूपी संकटका निवारण करनेके लिए प्रयोग कर रहे हैं। सत्य ही धर्म है, यह एक सिद्धान्त है। प्रेम ही धर्म है, यह दूसरा सिद्धान्त है। धर्म कोई दो नहीं होते। इसलिए सत्य ही प्रेम और प्रेम ही सत्य है। अधिक विचार करने बैठें, तो हमें मालूम हो जायेगा कि प्रेमके बिना सत्यका आचरण असम्भव है, इसलिए सत्यकी शक्ति प्रेमकी ही शक्ति

१. "पत्र : जी० ई० चैटफील्डको", २४-४-१९१९ तथा इस पत्रका विषय एक होनेसे लगाता है कि दोनों पत्र एक ही दिन लिखे गये थे।

२. इंडियन रिव्यूके अनुसार यह पत्रिका २५ अप्रैलको प्रकाशित हुई थी।

३. देखिए "सत्याग्रह माला-४", १६-४-१९१९।



है। गरज यह कि हम वैरभाव रखकर दुःखोंका निवारण नहीं कर सकते। यह बात गूढ़ नहीं, बल्कि समझनेमें बिलकुल आसान है। अपने हजारों कामोंके बारेमें हम देखते हैं कि वे सत्य और प्रेमसे युक्त होते हैं। बाप-बेटेका सम्बन्ध, पति-पत्नीका सम्बन्ध, गरज यह कि सभी कौटुम्बिक सम्बन्धोंमें हम अधिकतर सत्य अथवा प्रेमकी ही शक्तिको काम करते देखते हैं। इस प्रकार हम जाने-अनजाने भी सत्याग्रही होते हैं। अपनी खुदकी जिन्दगीपर निगाह डाल जायें तो हम देखेंगे कि अपने सगे-सम्बन्धियोंके साथके व्यवहारमें हजारमें नौ सौ निन्यानवे बार तो हम सत्य और प्रेमके ही वश रहते हैं। मनुष्य सदा सुबह उठकर सोने तक अपने सारे कामोंमें झूठ ही बोलता है, झूठा ही आचरण करता है, वैरभावसे ही भरा रहता है, ऐसी बात तो हरगिज नहीं है। जब परस्पर विरोधी स्वार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, तभी सत्याग्रहके, प्रेमके कानूनमें खलल पड़ता है, क्योंकि परस्पर विरोधी स्वार्थोंका जो संघर्ष होता है, उससे रोष, द्वेष आदि असत्यकी प्रजा उत्पन्न होती है, और उनसे केवल जहरकी ही वर्षा होती है। हम जरा सोचेंगे तो जो तरीका हम कौटुम्बिक सम्बन्धोंमें लागू करते हैं, वही हमें अपने आपसके, एक-दूसरेके, सगे-सम्बन्धियोंसे लेकर राजा-प्रजाके सम्बन्धों तक और अन्तमें सारी दुनियाके सम्बन्धमें लागू करना चाहिए। जिन स्त्रियों या पुरुषोंको पारिवारिक सम्बन्धकी पहचान नहीं है — जो उसे मानते ही नहीं, वे मनुष्य-शरीरधारी होते हुए भी पशुके समान अथवा जंगली माने जाते हैं। उन्होंने सत्याग्रहका कानून जाना ही नहीं। जो पारिवारिक सम्बन्ध [और उसके दायित्वों] को जानते हैं, वे उस पशु-जीवनसे कुछ हदतक मुक्त हो गये हैं। लेकिन उन्होंने यह मान लिया है कि पारिवारिक स्वार्थोंकी रक्षा करनेमें यदि सारा संसार डूब जाये, तो भी क्या? इसलिए उनके सत्याग्रहका स्वरूप समुद्रमें रहनेवाली एक बूँदसे भी कम है।

इससे ऊँची पंक्तिके मनुष्य अपने गाँववालोंको अपना समझेंगे और उनके बीच सत्याग्रहके कानूनपर अमल करेंगे और जैसे एक कुटुम्बके लोग एक-दूसरेके साथ हमेशा झगड़नेके बजाय प्रेमके वश होकर स्वार्थत्याग करेंगे, वैसा ही एक गाँवके आदमी करेंगे। इससे आगे बढ़कर प्रान्तीय जीवनमें सत्याग्रहका प्रवेश करके प्रान्तके सारे लोगोंको अपने भाई-बहन समझकर मनुष्य आपसमें प्रेमशक्तिसे अपना व्यवहार चलायेंगे। इससे आगे बढ़े हुए लोग, जैसे कि भारतके, अलग-अलग प्रान्तोंके लोगोंको भी अपने भाई-बहनके समान मानकर पारस्परिक व्यवहारमें सत्याग्रहका कानून लागू करेंगे।

इस जमानेमें आम तौरपर इससे आगे पृथ्वीके किसी भागके लोग नहीं गये हैं। परन्तु सच पूछा जाये, तो एक देशके लोगोंका दूसरे देशके लोगोंसे विरोध होनेका जरा भी कारण नहीं होना चाहिए। यदि हमारा जीवन साधारणतः विचारहीन न हो और यदि हम प्रचलित रूढ़ियों और प्रचलित विचारोंको चालू सिक्केकी तरह जाँच किये बिना स्वीकार न कर लें, तो हम अवश्य देख सकेंगे कि जिस हदतक हम दूसरे देशके लोगोंके साथ द्वेष रखते हैं, जीव-मात्रसे द्वेष रखते हैं, उस हदतक हम सत्याग्रहके कानूनसे विमुख रहते और उस हदतक हम पशुकी स्थितिसे मुक्त नहीं हुए हैं। मनुष्य-मात्रका पुरुषार्थ अर्थात् स्त्री-पुरुष दोनोंका पुरुषार्थ पशुतासे मुक्त होनेमें ही है। जगत्में इससे भिन्न कोई दूसरा धर्म नहीं है। सम्प्रदाय, दल, मन्दिर, हवेलियाँ आदि हमें इस



सत्याग्रहके मार्गपर रखें, तभी और उसी हदतक साधनके रूपमें कामकी हैं। भारतमें हमें यह चीज पुरातन कालसे ही सिखा दी गई है। इसलिए हमें यह महावाक्य पढ़ाया गया है कि वसुधा अर्थात् जगत्-मात्र कुटुम्ब है। और मैं अनुभवपूर्वक कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक राष्ट्र अपना राष्ट्रीय जीवन पूरी तरह सत्याग्रहके अनुसार चला सकता है। इतना ही नहीं, सत्याग्रहके अनुसार चले बिना राष्ट्रीय जीवनकी पूर्णता असम्भव है। सत्याग्रहपर आधारित ऐसा जीवन ही सच्चा धार्मिक जीवन है। जो जाति दूसरी जातिके साथ लड़ाई करती है, वह थोड़ी-बहुत हद तक धार्मिक जीवनका त्याग करती है। मैं अपना यह विश्वास कभी नहीं छोड़ सकूंगा कि भारत यह सत्य सारे संसारको देनेकी योग्यता रखता है। मैं चाहता हूँ कि इस अडिग श्रद्धामें सभी हिन्दुस्तानी—स्त्री-पुरुष, हिन्दू-मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी सभी मेरे हिस्सेदार बनें।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

### २३२. भाषण : बम्बईमें

अप्रैल २५, १९१९

लोगोंको सच्चे सत्याग्रहकी आत्माके विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। अहमदाबादकी घटनाओंसे सबको सबक लेना है। वहाँके झगड़ोंका क्या परिणाम निकला? अनुमानतः ढाई सौ व्यक्ति घायल हुए और ५० से भी अधिक व्यक्ति मृत्युको प्राप्त हुए। इसके लिए मैं सरकारको दोषी नहीं मानता। इसके लिए तो हम ही उत्तरदायी हैं। मैं चाहता हूँ कि यह पाठ आप सब सीख लें। सत्याग्रहकी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। उसे केवल थोड़े अर्सेके लिए मुलतवी कर दिया गया है और उसको तभी पुनः प्रारम्भ किया जायेगा जब मुझे विश्वास हो जायेगा कि लोग सत्याग्रहके मर्मको समझ गये हैं।

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, ४-५-१९१९

### २३३. पत्र : चन्द्रशंकर पंड्याको

अप्रैल २६, १९१९

के आसपास

तुम्हारा पत्र पढ़कर तो बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं यह जाननेको उत्सुक था कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। ऐसा ज्यादा तुम्हें क्या रोग है कि तुम अभी तक अच्छे नहीं हो रहे हो? आगरेमें 'कूने'-स्नान करानेवाली एक संस्था है। पण्डित हृदयनाथ कुँजरू मुझसे उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। तुम आगरेमें ही हो, इसलिए वहाँ जाकर थोड़े कूने-स्नान लोगे तो कदाचित् ठीक हो जाओगे।



तुम्हारी कविताको संशोधनार्थ वापस भेज रहा हूँ। उसमें मुझे अपने प्रति तुम्हारा गहन प्रेम दिखाई देता है। परन्तु तुमसे और उसपर भी बीमारसे मैं अधिककी आशा रखता हूँ। कानूनके लिए 'काला' विशेषण निकालकर कोई दूसरा रखो। भले ही 'कड़ा' रखो। 'काला' तो क्रोधसूचक है। भाषा भी तो सत्याग्रहको शोभा देनेवाली ही होनी चाहिए न? 'अंग्रेजोंपर भरोसा ही रखा' यह विचार सत्याग्रहके वर्णनमें अनुपयुक्त है। हमने अंग्रेजोंपर भरोसा रखकर कोई भूल नहीं की। भूल यह की है कि हमें स्वयं अपनेपर विश्वास नहीं रहा। जो अपनी मदद आप करता है, उसीको ईश्वर सहायता देता है। यही हाल अंग्रेजोंका है। अंग्रेज क्या ईश्वरसे बढ़ जायेंगे? चुपचाप मार सहन करना यह तो सत्याग्रहीका मन्त्र है; परन्तु वह दुःखका निवारण करनेकी खातिर। सत्याग्रहके बारेमें कविता लिखते समय उसकी तुलनामें मैं नरम-दलवालों आदिको नहीं लाना चाहूँगा। अपनी नवीनतम पत्रिका भेज रहा हूँ। इसे पढ़ लेना और तब सत्य-अहिंसाकी अपार शक्ति बतानेवाली, सविनय अवज्ञा और अज्ञानमय उद्धत अवज्ञाके बीचका भेद दिखानेवाली पंक्तियाँ तुम्हें यदि सरस्वती देवी सुझाये और तुम दे सको तो देना, यह मेरी इच्छा है।

तुम्हारा पत्र दुबारा पढ़नेपर देखता हूँ कि तुम्हें अपनी कविताके विरुद्ध भी सत्याग्रहका डर बना हुआ था। डर तो लगभग सच ही निकला। खैर! सत्याग्रही बेचारा क्या करे? मेरे हाथ मुझे पूरा काम नहीं दे सकते, नहीं तो यह पत्र मैं अपने हाथसे ही लिखता। दूसरी कविता भेजनेमें जल्दी करनेकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी तबीयत सँभालकर ही लिखना। "ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जाँय फॉर एवर" (सौन्दर्यपूर्ण कृति शाश्वत आनन्द है) यह अमर वाक्य लिखनेसे पहले कीट्सको कितना अधिक समय लगा था?

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## २३४. सत्याग्रह माला-७

[ अप्रैल २६, १९१९ ]<sup>१</sup>

भाइयो और बहनो,

अत्यन्त खेदके साथ और उतने ही आनन्दके साथ मैं आपको बताता हूँ कि भाई हॉर्निमैनको सरकारने बम्बईसे निर्वासित कर दिया है और आज<sup>२</sup> उन्हें विलायत जानेवाले किसी जहाजपर चढ़ा दिया गया है। भाई हॉर्निमैन एक अत्यन्त बहादुर और उदारहृदय अंग्रेज हैं और उन्होंने भारतकी जनताको स्वतन्त्रताका मन्त्र देकर जहाँ-जहाँ अन्याय देखा, वहीं उसपर निर्भयतापूर्वक आलोचना करके अपनी अंग्रेजियतको सुशोभित

१. देखिए महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५ ।

२. बी० जी० हॉर्निमैनको २६ अप्रैल, १९१९ को निर्वासित किया गया था ।



किया है तथा अंग्रेज जातिकी महान् सेवा की है। भारतकी सेवा की है, यह तो सारा भारत जानता है। मुझे इस घटनापर दुःख इसलिए होता है कि एक बहादुर सत्याग्रहीको देश-निकाला मिला है और मैं मुक्त बैठा हूँ। मुझे आनन्द भी हो रहा है क्योंकि भाई हॉनिमैनको अपनी सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा पूरी करनेका अवसर मिला।

‘क्रॉनिकल’ पत्रका प्रकाशन भी फिलहाल तो बन्द रहेगा, क्योंकि सरकारकी अनुचित माँगोंको पत्रके व्यवस्थापकोंने बुद्धिमत्तापूर्वक अस्वीकार कर दिया है। परन्तु सच पूछा जाये तो भाई हॉनिमैनके बिना ‘क्रॉनिकल’का प्रकाशित होना मैं तो आत्माके बिना शरीरको बनाये रखनेके समान मानता हूँ।

यह स्थिति सचमुच विषम है। सत्याग्रहकी भारी परीक्षा हो रही है। सत्याग्रहका शुद्धतम और अजेय स्वरूप प्रकट करनेका यह सुन्दर अवसर है। इस अवसरसे लाभ उठाना सत्याग्रहियों एवं अन्य प्रजाजनोंके हाथमें है। मैं समझ सकता हूँ कि सत्याग्रहियोंके लिए अपने एक प्यारे साथीका वियोग बड़ा दुःखदायी होगा। जनताको निरन्तर स्वतन्त्रताका प्याला पिलानेवाले मनुष्यका वियोग तो अवश्य खटकेगा। ऐसे समय सत्याग्रही और दूसरे भाई-बहन, मेरी रायमें, शान्ति रखकर ही अपना शुद्ध प्रेम सिद्ध कर सकेंगे। इस समय हमारा शान्ति-भंग करना केवल विचारहीन कार्य होगा।

आधुनिक सभ्यताका प्राचीन सभ्यतासे संघर्ष हो रहा है। इस समय प्राचीन संस्कृतिकी शिक्षाके अनुसार ही सत्याग्रहको भारतकी जनताके सम्मुख रखा गया है। यदि भारत इस तरीकेको स्वीकार करेगा, तो प्राचीन सभ्यताका गौरव प्रकट होगा और आधुनिक सभ्यता क्या चीज है, यह भी संसार देखेगा तथा आधुनिक सभ्यताके हिमायती अपनी भूल अवश्य सुधारेंगे।

मेरी व्यावहारिक सूचनाएँ इस प्रकार हैं : भारतमें कहीं भी शोक प्रकट करनेके लिए हड़ताल न की जानी चाहिए; बड़ी सार्वजनिक सभाएँ न की जायें; जुलूस न निकाले जायें; जरा भी हुल्लड़ न किया जाये। कोई हुल्लड़ करना चाहे, तो उसे रोका जाये।

जो सत्याग्रही हैं अथवा सत्याग्रहके समर्थक हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे सत्याग्रहपर से अपनी श्रद्धा जरा भी न खोयें और यह अटल विश्वास रखें कि सत्याग्रहकी प्रतिज्ञाका अवश्य पालन होगा।

शेष फिर।

मोहनदास करमचन्द गांधी

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५



## २३५. भाषण : मारवाड़ियोंकी सभामें'

बम्बई

अप्रैल २७, १९१९

मुझे बहुत दुःख है कि मैं सभामें निश्चित समयपर नहीं आ सका। किन्तु मैं जिस काममें लगा था वह भी आपका ही काम था<sup>१</sup>, और उसे एकदम खत्म करके निकलना सम्भव नहीं था। हम आज यहाँ मिलेंगे, मुझे कल इसकी कोई कल्पना नहीं थी। अर्थात् जब मुझे बम्बई आनेका निमन्त्रण मिला था तब मुझे इस बातका कोई अन्दाज नहीं था कि भाई हॉर्निमैनको देशनिकाला दे दिया जायेगा। यदि हमारी स्थिति इस समय विषम न हो गई होती तो मैंने जो सलाह अपनी पत्रिकामें दी है उससे भिन्न सलाह देता। मैंने यह अनुभव कर लिया है कि लोग अभी सत्याग्रहके मन्त्रको पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाये हैं। हमें इस बातकी ठीक प्रतीति नहीं है कि सत्याग्रहका आधार आत्मबल ही है। मैं अब यह बात समझ गया हूँ। यदि मैंने यह कमी महसूस न की होती तो मैंने भाई हॉर्निमैनके विछोहपर दूसरी ही तरहका कदम उठाया होता। किन्तु जबतक सत्याग्रहकी शुद्ध नींवको लोगोंने समझा और अनुभव नहीं किया है तबतक शुद्ध सत्याग्रहका भवन खड़ा करना असम्भव है। इसलिए मुझे तो यह सलाह देनी पड़ी है कि भाई हॉर्निमैन-जैसे महान् लोक-सेवकसे अलग होने पर भी हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

किन्तु हम कोई कार्रवाई न करें उसका अर्थ यह है कि हम फिलहाल कोई बाहरी कार्रवाई नहीं कर सकते। हम अपनी दूकानें बन्द नहीं कर सकते और न अपना काम-काज ही रोक सकते हैं। क्योंकि हमने यह देखा है कि इससे देशमें उपद्रव हो जाते हैं। हमने यह भी देखा है कि उससे खून-खराबी हो जाती है।

और खून-खराबी किसी भी अवसरपर सत्याग्रहका अंग नहीं हो सकती। सत्याग्रहका आधार सत्य और अहिंसा है। जिन्होंने मेरी पत्रिका पढ़ी होगी उन्होंने यह देखा होगा। जो मनुष्य सत्यका पालन करता है और किसी भी पुरुष या स्त्रीको या उसकी जमीन-जायदादको नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता वही सत्याग्रहकी बात समझ सकता है। हम रौलट कानूनके विरुद्ध सत्याग्रह करना चाहते हैं, यह बात आप सब भाई और बहन जानते हैं। हमने अपनी प्रतिज्ञामें बताया है कि हम रौलट कानूनको नहीं मानेंगे; इतना ही नहीं बल्कि अन्य कई कानूनोंको भी, जिन्हें हमारी समिति तोड़नेका निश्चय करेगी, हम सविनय तोड़ेंगे। कानूनोंका ऐसा सविनय भंग वे ही

१. यह सभा कालवादेवीके नर-नारायण मन्दिरमें सायं ५-३० बजे हुई थी। गांधीजी सभामें खड़े होकर भाषण नहीं दे सके, अतः उनका लिखित भाषण जमनादास द्वारकादासने पढ़ा।

२. सम्भवतः पुलिस अफसरने ही मूल पाठमें यह टिप्पणी दे दी थी: "गांधीजी मुझसे बातचीत करनेमें व्यस्त थे।"



स्त्री-पुरुष कर सकते हैं, जो उक्त सिद्धान्तोंका पालन कर सकते हों। उन सिद्धान्तोंका पालन किये बिना कानूनका भंग करना तो अनाड़ीपन ही कहा जा सकता है। इस प्रकारके कानून-भंगसे लोगोंका कोई हित-साधन नहीं किया जा सकता।

इसका अर्थ यह है कि इस समय सत्याग्रहका सबसे बड़ा काम यही है कि जहाँ-तक सम्भव हो लोगोंके सम्मुख सत्य और अहिंसाके सिद्धान्त पहुँचाये जायें और जब हमें यह विश्वास हो जाये कि लोगोंने सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तोंको ग्रहण कर लिया है, उस समय हम फिर सविनय कानून भंग करें। इसी कारण इस पत्रिकामें दूसरी प्रतिज्ञा लोगोंके सम्मुख रखी गई है। इस प्रतिज्ञाका नाम सहायक-प्रतिज्ञा है। जो स्त्री या पुरुष इस प्रतिज्ञाको ले उसे यह समझ लेना चाहिए कि उसने सत्य और अहिंसाका पालन करना स्वीकार किया है। यदि हमें सत्य और अहिंसामें विश्वास हो जाये तो मैं यहाँतक कह सकता हूँ कि उस हालतमें हमें शायद कानूनका भंग करनेकी जरूरत ही न रहे। आप सबको प्रह्लादके उदाहरणका स्मरण तो होगा ही। जिस तरहकी सविनय अवज्ञा प्रह्लादने की थी, वैसी ही हमें करनी है। जैसे प्रह्लादने अपने पिताकी आज्ञाका सविनय भंग करते हुए सत्यको नहीं छोड़ा, वैसे ही हम भी सत्यको नहीं छोड़ सकते। प्रह्लादने अपने पिताको कोई कष्ट देनेका तनिक भी खयाल नहीं किया, वैसा ही व्यवहार हमारा भी होना चाहिए। सत्य और अहिंसाके बिना कानूनका भंग करना धर्म नहीं, बल्कि अधर्म है। हमने अपनी इस लड़ाईको धार्मिक लड़ाई माना है। भाई हॉर्निमैनके सम्बन्धमें निकाली गई अपनी आजकी पत्रिकामें मैंने इस सम्बन्धमें प्रकाश डाला है।

अब मैं आधुनिक सभ्यताके सम्बन्धमें दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने संसारके इतिहासमें यह कहीं नहीं पढ़ा कि किसी देशने अपना समस्त समय केवल शस्त्र-बलके प्रशिक्षणमें लगाया हो। यह तो हम इस जमानेमें यूरोपमें ही देख रहे हैं। भारतके हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों, और यहूदियोंसे मेरा इतना ही निवेदन है कि उन्हें यूरोपीय सभ्यताके प्रवाहमें डूबकर मर नहीं जाना चाहिए। फिर भी मैं यह देख रहा हूँ कि भारतमें इस सभ्यताका बड़ा जोर चल रहा है। यदि ऐसा न होता तो हमने जो खून-खराबी देखी, वह कभी न होती। मैं इसके गुण-दोषोंकी आलोचना करना नहीं चाहता। मेरा कर्तव्य तो केवल यह बताना है कि हम खून-खराबीमें विश्वास करके भारतका त्राण कदापि नहीं कर सकते। हम खून-खराबी करके भारतको कोई लाभ नहीं पहुँचा सकते। हमें जबतक इस बातका पूरा विश्वास नहीं हो जाता तबतक हम वास्तविक अर्थोंमें सत्याग्रह नहीं कर सकते। मैं विभिन्न धर्मोंका अध्ययन करके यही समझ सका हूँ कि जो लोग पशुबल अर्थात् शस्त्रबलपर निर्भर हैं, वे तो अधर्मको ही प्रवर्तित करते हैं और जिनका विश्वास आत्मबलमें है वे धर्मको। सत्याग्रह आत्मबलपर विश्वास रखनेके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इसलिए बहनों और भाइयोंसे मेरा निवेदन यही है कि हमने जो कार्य हाथमें लिया है उसकी पूर्तिके निमित्त जो कुछ कहा गया है उसको ध्यानमें रखें और फिर उसमें सहायक हों।

अब यदि मैं कोई व्यावहारिक सलाह दूँ तो मुझे इतना ही कहना है कि मैंने जो सिद्धान्त अभी सामने रखे हैं, वे यदि आपको पसन्द हों तो आप अन्य स्त्री-



पुरुषोंमें उनका प्रचार करें और उसके लिए जितना समय दे सकें उतना दें। ऐसा करते हुए हम कुछ समयमें ही लोगोंको इन सिद्धान्तोंसे परिचित करा सकेंगे। किसीको यह नहीं समझना चाहिए कि मैंने जो बात कही है, उसे अमलमें लानेमें एक जमाना लग जायेगा। मेरा विश्वास है कि हम अपना कार्य शीघ्रतासे कर सकते हैं। केवल लोगोंमें इतनी ही सन्मति उत्पन्न होनेकी जरूरत है कि जो भारतीय इस प्रवृत्तिमें योग दे वह खून-खराबीमें भाग न ले।

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, ४-५-१९१९

### २३६. सत्याग्रह माला - ८

बम्बई

अप्रैल २८, १९१९

बम्बईको श्री हॉर्निमैनका असह्य वियोग सहना पड़ा है फिर भी वहाँ शान्ति बनी हुई है, इसे मैं सत्याग्रहके लिए शुभ लक्षण मानता हूँ। इसी प्रकार जब सरकार हमारे दूसरे साथियोंको पकड़ ले, मुझे भी पकड़ ले, उस समय भी मैं चाहता हूँ कि सब पूरी तरह शान्ति रखें। सरकारको जिसपर सन्देह हो, उसे पकड़नेका उसे अधिकार है। इसके सिवा हमारी इस लड़ाईमें, अपनी आत्माके समक्ष हम निर्दोष हों, तो भी, पकड़ा जाना और जेल जाना तो हमारा स्वीकृत सिद्धान्त है। इसलिए किसी भी सत्याग्रहीकी गिरफ्तारीके समय हम क्रोध कैसे कर सकते हैं? हमें तो यह जानना चाहिए कि जितनी ही जल्दी निर्दोष मनुष्योंकी धरपकड़ होगी, उतनी ही जल्दी लड़ाईका अन्त आयेगा।

कुछ लोगोंको मैंने यह कहते सुना है कि सत्याग्रहमें भी अन्तमें तो रक्तपातसे ही छुटकारा होता है। वे कहते हैं कि सत्याग्रहियोंके पकड़े जानेसे लोग उत्तेजित होते हैं, मारपीट करते हैं और ऐसा करके न्याय प्राप्त करते हैं। यह तो केवल भयंकर अन्धविश्वास है। सच बात तो इससे उलटी है। सत्याग्रहियोंके पकड़े जानेसे अहमदाबादमें जो हिंसात्मक घटनाएँ हुईं, उसका परिणाम हम देख चुके। वहाँके लोग आतंकसे दबा दिये गये हैं। जिस गुजरातमें कभी सेना नहीं रहती थी, वहाँ अब वह पाई जाती है। मेरा निश्चित विश्वास है कि सत्याग्रहकी विजय शुद्ध सत्यके पालनसे ही, किसीको भी हानि पहुँचाये बिना और स्वयं दुःख उठाकर ही, प्राप्त हो सकती है। दक्षिण आफ्रिका, खेड़ा, चम्पारन आदिका मेरा अनुभव इस बातको अच्छी तरह साबित कर देता है। जबतक हम यह सत्य न समझ लें, तबतक हम सत्याग्रह करनेके जरा भी योग्य नहीं बन सकते। प्रश्न उठता है: "तब हम अब क्या करें? श्री हॉर्निमैन निर्वासित हो गये और तब भी क्या हम चुपचाप हाथपर-हाथ धरे बैठे

१. अप्रैल २७; देखिए महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५।



रहें?" मेरा जवाब यह है कि भाई हॉर्निमैनके वियोगका दुःख हम अपनी इस शान्तिके द्वारा ही व्यक्त कर रहे हैं। हमारी यह शान्ति ही हमारी एक बड़ी हलचल है। इसके द्वारा ही हम अपनी मुराद पूरी करेंगे और शीघ्र ही अपने बीच भाई हॉर्निमैनका स्वागत करेंगे। हिन्दुस्तान जब इस सत्याग्रहकी लड़ाईमें केवल सत्य और अहिंसापर ही आधार रखनेका आदी हो जाये, तब हम सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, "भारतको सत्य और अहिंसाका मन्त्र अपनातेमें तो वर्षों लगेंगे इसलिए क्या हमारी लड़ाईको भी सफलतापूर्वक समाप्त होनेमें वर्षों लगेंगे?" मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब सत्य और अहिंसाकी शक्ति प्रकट होती है, तब उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि उसे करोड़ों व्यक्तियोंमें व्याप्त होते देर नहीं लगती। ऐसा होनेके लिए जो जरूरत है, वह इतनी ही है कि लोगोंके हृदयपर सत्य और अहिंसाकी छाप पड़ जाये और उन्हें सत्य और अहिंसाकी शक्तिपर विश्वास हो जाये। यदि सत्याग्रही सच्चे हों, तो इसमें हमें महीने दो महीनेसे ज्यादा कभी नहीं लगने चाहिए।

ऊपर कहे अनुसार सत्य और अहिंसाका प्रसार अत्यन्त वेगसे हो सके, इसके लिए मैं नम्रतापूर्वक निम्नलिखित सलाह देता हूँ। प्रत्येक देशके महान् आन्दोलन अपनी सफलताके लिए मुख्यतः व्यापारी-वर्गपर निर्भर करते हैं। बम्बई व्यापारके क्षेत्रमें हिन्दुस्तान ही नहीं संसारमें महान् स्थान रखता है। बम्बईके व्यापारी असत्य और असत्यसे उत्पन्न होनेवाले दोष दूर करके, भले ही थोड़ा लाभ हो या हानि हो तो उसे भी सहन करके अपने व्यापारमें ईमानदारी दाखिल कर दें, तो सत्यको कितना वेग मिल जाये। इसके बराबर सम्मान श्री हॉर्निमैनका हम क्या कर सकते हैं? हमारी जीतका पासा सत्यपर निर्भर है, इसलिए व्यापारमें ही सत्य प्रवेश करे, तो असत्यके दूसरे किले सर करना तो बायें हाथका खेल रह जाये। मुझे विश्वास है कि बम्बईके व्यापारियोंके लिए, जिनके मनमें श्री हॉर्निमैनके प्रति बहुत आदरभाव है, मेरी सलाहके अनुसार चलना कठिन नहीं है। यदि हम सरकारपर अपनी सचाईकी छाप डाल सकें और अहिंसाका पालन करके उसे अभयदान दे सकें, तो मेरा विश्वास है कि हमें कानूनोंकी सविनय अवज्ञा करनेकी भी झंझट नहीं करनी पड़ेगी।

मो० क० गांधी

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५



## २३७. सत्याग्रह माला - ९

बम्बई

अप्रैल २८, १९१९

भाइयो और बहनो,

मैं मित्रोंसे बराबर सुनता रहता हूँ कि लोगोंका खयाल है कि श्री हॉर्निमैनके निर्वासनके प्रति लोकभावना प्रकट करनेके लिए कुछ-न-कुछ रास्ता ढूँढना ही चाहिए। यह इच्छा बहुत स्वाभाविक है। परन्तु मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमने जो शान्ति रखी, उसीके द्वारा यह भावना खूब स्पष्ट रूपसे बता दी है। और लोग इस चीजको समझ भी गये हैं। मेरी खास राय है कि जहाँ सत्याग्रह चल रहा हो, वहीं इतनी शान्ति रखी जा सकती है। मेरी मान्यता है कि सत्ताधारी भी नगरमें व्याप्त गम्भीर शान्ति देखकर आश्चर्य-चकित हो रहे हैं; होंगे ही। सरकार समझती है कि श्री हॉर्निमैनके प्रति लोगोंकी भावना बहुत तीव्र है। यह भावना कहीं उमड़कर टेढ़े रास्ते न चली जाये, इसलिए सरकारने सेनाका जबरदस्त इन्तजाम कर रखा है। इस सेनाको कुछ काम नहीं करना पड़ा है, यह बम्बईके लिए बड़े श्रेयकी बात है, सत्याग्रहकी बहुत बड़ी विजय है। लोग प्रत्येक अवसरपर इसी प्रकार अपनी शान्तिका परिचय देते रहें, तो मुझे जरा भी शक नहीं कि देश बहुत प्रगति कर सकता है। कोई यह न मान ले कि हम श्री हॉर्निमैनको वापस लानेके उपाय नहीं कर रहे हैं अथवा आगे नहीं करेंगे। सब उपायोंमें बड़ा उपाय अभी जो शान्ति हम रख रहे हैं, वह है। इतनेपर भी मैं लोगोंको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जिन्हें हड़ताल करना अत्यन्त प्रिय हो, वे अपना एक दिनका नफा सार्वजनिक कार्यके लिए दें, यह हड़तालके बराबर ही है।

किन्तु इस पत्रिकामें जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ, वह यह है: अबतक जो आन्दोलन हुए हैं, उनमें और सत्याग्रहमें उतना ही बड़ा फर्क है, जितना उत्तर और दक्षिणमें है। इतना ध्यान रखनेसे लोगोंकी कितनी ही गुत्थियाँ अपने-आप सुलझ जायेंगी। हम देख चुके हैं कि साधारण सभाओं और सत्याग्रही सभाओंमें बड़ा अन्तर है। सत्याग्रह धर्मपर आधारित है, इसलिए उसमें केवल सत्य, शान्ति, गम्भीरता, धीरज, दृढ़ता, निर्भयता आदि गुणोंके ही दर्शन होने चाहिए। सत्याग्रही-हड़ताल मामूली हड़तालोंसे भिन्न ही होगी। मैं उस मौकेकी चर्चा कर चुका हूँ, जब कि एक साधारण हड़तालकी घोषणा होनेपर हमें सत्याग्रही हड़ताल बन्द कर देनी पड़ी थी। साधारण आन्दोलनोंमें बड़े नारे लगाकर हम जो चीज प्राप्त करनेकी आशा रखते हैं, वह सत्याग्रह आन्दोलनमें कई बार केवल खामोश रहकर प्राप्त कर लेते हैं। सत्याग्रहमें अन्तःकरणकी शान्त, गम्भीर आवाज जितनी दूर तक सुनाई देती है, उतनी दूर तक

१. देखिए "सत्याग्रह माला-८"।



साधारण आवाज पहुँच ही नहीं सकती। सत्याग्रहके ऐसे असंख्य अनोखे दृष्टान्त सब भाई-बहन अपने लिए स्वयं सोच सकते हैं और देख सकते हैं। सत्याग्रह दूसरी ही तरहकी चीज होनेसे इस आन्दोलनमें असामान्य अनुभव हों, तो उनसे लोगोंको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए सबोंसे मेरा अनुरोध है कि श्री हॉनिमैनके निर्वासनके बारेमें कोई प्रकट आन्दोलन दिखाई न देनेके कारण वे घबरायें नहीं। मेरा अनुरोध है कि लोग धीरज रखें और विश्वास रखें कि सत्याग्रहके पथपर चलकर हम अपने भाईसे और भी जल्दी मिलेंगे।

मो० क० गांधी

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

### २३८. तार : पुण्डलीकको

बम्बई

अप्रैल २८, १९१९

पुण्डलीक

द्वारा गोरखप्रसाद

मोतीहारी

सत्यसे विचलित हुए बगैर सर्वथा शान्तिसे बोलो बरतो।

गांधी

प्राप्त अंग्रेजी तार (जी० एन० ५२२२) की फोटो-नकलसे।

### २३९. पत्र : 'टाइम्स ऑफ इंडिया'को

बम्बई

अप्रैल २८, १९१९

सम्पादक

'टाइम्स ऑफ इंडिया'

महोदय,

सोमवार, १४ तारीखको अहमदाबादकी सभामें दिये भाषणमें मैंने संगठित हिंसात्मक कार्रवाईकी जो चर्चा की थी, देखता हूँ, उसको समझनेमें भ्रम हुआ है और उसका सम्बन्ध अन्यत्र किये गये हिंसापूर्ण कार्योंके साथ जोड़ दिया गया। किन्तु मैंने



तो केवल अहमदाबादमें की गई ऐसी कार्रवाइयोंका उल्लेख किया था। मूल भाषण गुजरातीमें<sup>१</sup> दिया गया था, उसके अनुवादकी भाषा यह है :

मुझे लगता है कि जो काम (अर्थात् अहमदाबादमें की गई हिंसात्मक कार्रवाइयाँ) अहमदाबादमें हुए, वे युक्तिपूर्वक हुए हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनके पीछे कोई योजना रही है। इसलिए मैं निश्चित मानता हूँ कि उनमें किसी पढ़े-लिखे आदमी या आदमियोंका हाथ होना चाहिए।

मेरा कथन इतना निश्चित और स्पष्ट है कि वह भारतके किसी अन्य भागमें की गई हिंसात्मक कार्रवाइयोंपर लागू हो ही नहीं सकता। सीधी बात तो यह है कि मैं इस सन्दर्भमें अन्य भागोंका उल्लेख ही नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय उनके सम्बन्धमें मेरी सारी जानकारी, मैंने अखबारोंमें इधर-उधर जो-कुछ पढ़ा था, उसीपर आधारित थी, और सचाई यह है कि अभीतक उसमें कोई वृद्धि नहीं हो पाई है। दरअसल मेरा कथन वीरमगाँवपर भी लागू नहीं होता था, क्योंकि तबतक मुझे वहाँ की गई हिंसात्मक कार्रवाइयोंका भी बहुत कम ज्ञान था।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

टाइम्स ऑफ इंडिया, ३०-४-१९१९

## २४०. पत्र : जे० क्रिररको

बम्बई

अप्रैल २९, १९१९

प्रिय श्री क्रिरर,<sup>१</sup>

कदाचित् सरकार और इस नगरके अपने सहकारियोंके प्रति यह मेरा कर्तव्य है कि श्री हॉर्निमैनके निर्वासित कर दिये जाने तथा समाचार-नियन्त्रण-आदेशोंके परिणाम-स्वरूप 'बॉम्बे क्रॉनिकल' का प्रकाशन बन्द हो जानेसे जो विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे परमश्रेष्ठकी सेवामें प्रस्तुत कर दूँ। मेरी नम्र सम्मतिमें श्री हॉर्निमैनका निर्वासन नितान्त अनुचित और उनके निर्वासनके बाद समाचार-नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश बिलकुल अनावश्यक है और जमानतको जन्त करके तो, मानो आगमें घी ही डाल दिया गया है। यह सब तब किया जा रहा है जब सविनय अवज्ञा बिलकुल बन्द कर दी गई है। सत्याग्रही शान्ति-स्थापनाके लिए हर तरहके उपायोंका सहारा लेकर भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। धृष्टता न मानें तो, कहूँ कि सत्याग्रहियोंने निरन्तर उद्योग

१. गुजरातीसे किये गये हिन्दी अनुवादके लिए देखिए "भाषण : अहमदाबादकी सार्वजनिक सभामें", अप्रैल १४, १९१९ का अनुच्छेद ६।

२. बम्बई सरकारके न्याय विभागके सचिव।



न किया होता तो फौजी एहतियातके बावजूद बहुत उत्तेजनापूर्ण प्रदर्शन किये जाते। मैंने निर्वासनके सम्बन्धमें कोई प्रदर्शन न करनेकी जो सलाह दी, उसके विरुद्ध अधिकाधिक शिकायतें आती चली जा रही हैं। मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि सत्याग्रह-सभा पूरी तरहसे प्रदर्शन रोकनेमें सफल हो सकेगी या नहीं। इसलिए मेरा नम्र सुझाव है कि सरकार एक वक्तव्य निकालकर जनताको यह विश्वास दिलाये कि निर्वासनका आदेश जल्दी ही वापस ले लिया जायेगा; और समाचार-नियन्त्रण तथा जब्तीके आदेशोंके सम्बन्धमें तो मेरा निवेदन है कि उन्हें बिलकुल रद्द ही कर दिया जाये। मुझे मालूम हुआ है कि सरकार बम्बईमें जल्दी ही कुछ और प्रमुख सत्याग्रहियोंको गिरफ्तार करने-वाली है। मैं आशा करता हूँ कि मुझे दी गई यह जानकारी ठीक नहीं निकलेगी। आज सविनय अवज्ञा बन्द है; लेकिन अगर फिर भी और गिरफ्तारियाँ होती हैं तो सार्वजनिक दृष्टिसे यह बहुत बुरा होगा। मेरा खयाल है कि उस हालतमें, लोगोंके भीतर ही भीतर जो रोष सुलग रहा है उसे नियमित करनेके मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ जायेंगे; और यदि इन गिरफ्तारियोंका कोई अशोभन परिणाम हुआ तो मैं (नैतिक अथवा किसी अन्य दृष्टिसे ही) अपने-आपको या इस आन्दोलनको उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानूँगा।

श्रीमती नायडूको सिन्धसे एक पत्र मिला है। इसमें उन्हें वहाँकी वस्तुस्थितिकी जानकारी दी गई है। कराचीमें जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनका वहाँके लोगोंके मनपर गहरा असर हुआ जान पड़ता है।

शान्तिके हितमें मेरा निवेदन है कि जबतक सविनय अवज्ञा स्थगित है, तबतक सहिष्णुतासे ही काम लिया जाय।

हृदयसे आपका,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५७४) की फोटो-नकलसे।

## २४१. सत्याग्रह माला - १०

बम्बई

अप्रैल ३०, १९१९

भाइयो और बहनो,

मुझे श्री हॉर्निमैनके दो पत्र मिले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी उनको पढ़ना चाहेंगे। एक पत्र, जो उन्होंने मुझे लिखा है, इस तरह है:

प्रियवर महात्माजी,

तो आखिर वे मुझे यहाँसे ले जा रहे हैं— बिना किसी पूर्व सूचनाके, उतावली मचाते हुए। यह पत्र तो अलविदा कहने और आपका आशिष लेनेके लिए लिख रहा हूँ। भारतीयोंके लिए आप जो काम कर रहे हैं, ईश्वर उसमें आपको सफलता प्रदान करे।



मैं जहाँ भी रहूँगा, जो-कुछ बन पड़ेगा, अवश्य करूँगा।

आपका सतत स्नेहपात्र,  
बी० जी० हॉर्निमैन

श्री जमनादासको लिखा गया पत्र इस प्रकार है :

प्रिय जमनादास,

मैं आशा करता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, बम्बई नगर शान्त रहेगा।

मैं नहीं जानता, यह पत्र आपको मिलेगा या नहीं, किन्तु यदि मिल जाये तो सबसे मेरा स्नेहाभिवादन कहें। इस बीच मैं जहाँ-कहीं रहूँगा, भारतका काम करता रहूँगा।

सदा आपका ही,  
बी० जी० हॉर्निमैन

ये दोनों पत्र उन्होंने 'टकाडा' जहाजसे लिखे हैं। आगे समाचार यह है कि उनका स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है। उनकी देख-भाल भली-भाँति की जा रही है और अधिकारियोंने उनसे पूर्ण शिष्टताका व्यवहार किया है। निर्वासनके आदेशका अर्थ यह है कि श्री हॉर्निमैन इंग्लैंड पहुँचनेपर सर्वथा मुक्त होंगे और वहाँ उनकी स्वतन्त्रता-पर कोई प्रतिबन्ध न रहेगा। और चूँकि वे जहाँ भी हो भारतके लिए काम करनेको कृतसंकल्प हैं, इसलिए ऐसी सम्भावना है कि वे इंग्लैंडमें रहते हुए भारतकी बहुत बड़ी सेवा करेंगे। किन्तु इससे लोगोंको सन्तोष नहीं हो सकता। वास्तविक सन्तोष तो उन्हें तभी होगा जब उनके निर्वासनका आदेश वापस ले लिया जायेगा। जबतक वे हमारे बीच वापस नहीं आ जाते, तबतक हम चुप नहीं बैठ सकते। हम जानते हैं कि वे फिर कैसे हमारे बीच आ सकते हैं। पहली और सर्वोपरि बात यह है कि हम आत्मसंयमसे काम लें और शान्ति रखना सीखें। यदि हम शान्ति भंग करेंगे तो उससे श्री हॉर्निमैनकी वापसीमें देर लगेगी और उन्हें दुःख भी होगा।

मो० क० गांधी

गांधी स्मारक निधिमें सुरक्षित कर्नाटक प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई द्वारा मुद्रित मूल अंग्रेजी पत्रकसे।

सौजन्य : एच० एस० एल० पोलक



## २४२. पत्र : सर स्टैनली रीडको

लैबर्नम रोड

बम्बई

अप्रैल ३०, १९१९

प्रिय सर स्टैनली रीड,

साथमें स्वदेशीकी प्रतिज्ञाका प्रारूप भेज रहा हूँ। यदि सम्भव हो तो मैं इसके अंग्रेज समर्थक प्राप्त करनेका उत्सुक हूँ—खास तौरसे इस समय उद्देश्य इस तथ्यको ठोस रूपमें सामने रखना है कि स्वदेशीको लोग किसी वैर या प्रतिशोधके भावसे प्रेरित होकर नहीं, बल्कि इस भावसे अपना रहे हैं कि यह भारतके कल्याणके लिए आवश्यक है। यदि आप इस प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर कर सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी, और यदि इससे आप सहमत हों, तो मैं आपसे और भी अंग्रेजोंके हस्ताक्षर लेनेका अनुरोध करूँगा।<sup>१</sup>

मो० क० गां०

दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५७५) की फोटो-नकलसे।

## २४३. पत्र : एन० पी० काँवीको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

अप्रैल ३०, १९१९

प्रिय श्री काँवी,<sup>२</sup>

साथमें परमश्रेष्ठके अवलोकनार्थ स्वदेशीकी प्रतिज्ञाका प्रारूप भेज रहा हूँ। यह वितरणके लिए तैयार है। यदि परमश्रेष्ठ इस प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर कर सकें तो मैं इसे बहुत महत्त्वपूर्ण समझूँगा। लेकिन यदि इसमें उनके पदकी स्थिति बाधक हो तब तो कोई बात ही नहीं उठती। उनके स्वदेशी-समर्थनसे इस तथ्यको बहुत बल मिलेगा कि स्वदेशीकी प्रतिज्ञा वैरकी भावनासे नहीं ली जा रही है, बल्कि यह एक ऐसी आर्थिक आवश्यकता है जिसकी ओर बहुत पहले ही ध्यान देना चाहिए था।

हृदयसे आपका,

हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५७६) की फोटो-नकलसे।

१. श्री रीडके जवाबके लिए देखिए परिशिष्ट ४।

२. बम्बई-गवर्नरके निजी सचिव।



## २४४. पत्र : सिन्धके सत्याग्रहियोंके नाम

बम्बई

अप्रैल ३०, १९१९

प्यारे भाइयो और बहनो,

सिन्धमें जो-कुछ हो रहा है, उसके बारेमें मैं काफी सुन और पढ़ चुका हूँ। देखता हूँ, वहाँ कुछ लोग गिरफ्तार किये गये हैं। यदि ये गिरफ्तारियाँ सत्याग्रहके कारण की गई हैं तो सत्याग्रहियोंके लिए इससे अधिक अच्छी या शुभ बात दूसरी नहीं हो सकती। इस प्रकार गिरफ्तार किये गये सत्याग्रहियोंको सजा दी जाये तो वे प्रसन्नतासे जेल जायें और जो बाहर रह जायें वे पूरी तरह शान्त और निरुद्विग्न रहकर उनके कष्टमें हिस्सा बटायें। किन्तु, यदि वे सत्याग्रहके नियमोंके विरुद्ध कोई काम करनेके कारण — अर्थात्, जिन कानूनोंके पीछे नैतिकताका भी बल है, उन कानूनोंको तोड़नेके जुर्ममें — गिरफ्तार किये गये हों और किसी निष्पक्ष अदालत द्वारा अपराधी ठहराये गये हों तो उन्हें जो भी दण्ड दिया जायेगा, वे उसके पात्र होंगे। इसलिए दोनों ही स्थितियोंमें हमारे लिए शिकायतका कोई कारण नहीं हो सकता। किन्तु मुझे पता चला है कि इन गिरफ्तारियोंसे कितने ही लोग उत्तेजित हो गये हैं। इनसे मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने सत्याग्रहके नियमको नहीं समझा है। हम जो-कुछ भी कहें या करें, उसमें केवल सत्यका ही व्यवहार होना चाहिए। हम यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तोंपर आचरण करते हुए हम किसी भी व्यक्ति या उसकी सम्पत्तिको नुकसान न पहुँचायेंगे। यदि हम संकटमें फँस जायें तो जो लोग हमारे साथ हैं, उन्हें शिकायत करनेका या असन्तोष प्रकट करनेका कोई कारण नहीं होना चाहिए। सत्याग्रहका निचोड़ यह है कि, हमें चाहे कितना भी उत्तेजित किया जाये, हम हिंसापर नहीं उतरेंगे। यदि हम किसी भी तरहकी हिंसा करते हैं तो यह संघर्ष उसी क्षण विफल हो जाता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि चाहे कितने ही मुकदमे चलाये जायें, सब लोग शान्त और निरुद्विग्न रहेंगे।

हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५७७) की फोटो-नकलसे।



## २४५. पत्र : केरको

[ अप्रैल, १९१९ ]

प्रिय श्री केर,

मुझे आशा थी कि सोमवारको मेरी नडियादमें उपस्थिति सम्भव हो जायेगी, परन्तु यहाँकी संकटपूर्ण स्थितिके कारण मुझे बम्बईमें रुकना पड़ गया है। नडियादसे कुछ सज्जन यहाँ आये हुए हैं और वे मुझे बताते हैं कि विजलीके तारोंको काटनेमें जिन लोगोंका हाथ था वे बातको पूर्ण रूपसे कबूल कर लेनेको तैयार हैं; परन्तु वे चाहते हैं कि जब वे ऐसा करें तब मैं नडियादमें होऊँ। मैं नहीं जानता कि मुझे इसका अवकाश कब मिलेगा। फिर भी, मुझे आशा है कि सम्बद्ध लोगोंकी यह इच्छा पूरी करनेमें मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी।

महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (जी० एन० ८२२७) की फोटो-नकलसे।

## २४६. सत्याग्रह माला - ११

मई १, १९१९

भाइयो और बहनो,

भाई हॉर्निमैनके सम्बन्धमें पत्र आते रहते हैं और उनमें अनेक प्रकारके नारे होते हैं। इनमें अधिकतर पत्र गुमनाम हैं। उनमें से एक पत्रमें यह कहा गया है कि हम सभाएँ वगैरह करें और ऐसा करनेमें कदाचित् रक्तपात हो जाये तो भी परवाह न करें। उसमें कहा गया है कि बिना हिंसा किये हमें कुछ नहीं मिलेगा; उसके बिना हम श्री हॉर्निमैनको वापस नहीं ला सकेंगे।

सत्याग्रहकी दृष्टिसे तो इस पत्रका जवाब देना अत्यन्त सरल है। रक्तपातके द्वारा ही श्री हॉर्निमैन हिन्दुस्तान लौट सकते हों, तो सत्याग्रहियोंको उनका वियोग सहन कर लेना चाहिए। परन्तु वास्तवमें ऐसी कोई बात नहीं है। सत्याग्रह द्वारा हम उन्हें निश्चित ही भारतमें वापस ला सकते हैं। सच तो यह है कि उन्हें जल्दीसे-जल्दी भारत लानेका उपाय केवल सत्याग्रह ही है। सत्याग्रह कभी कानून तोड़कर और कभी कानूनका पालन करके किया जा सकता है। कभी हड़ताल करके, सभाएँ करके, जुलूस निकालकर सत्याग्रह किया जा सकता है, और कभी हड़तालें न करके,

१. बुद्धिप्रकाशमें प्रकाशित तारीखवार जीवन-वृत्तान्त और पत्रकी विषय वस्तुसे यह अप्रैल १९१९ में लिखा गया जान पड़ता है।

२. खेड़ाके कलक्टर।



सभाएँ न करके, जुलूस न निकालकर किया जा सकता है। सत्याग्रहमें ऐसा एक भी काम नहीं हो सकता, जिसके द्वारा रक्तपात हो अथवा उसे प्रोत्साहन मिले। ऐसे समय जब लोग व्याकुल हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, बड़ी-बड़ी सभाएँ करनेसे, जुलूस निकालनेसे, हड़तालें करनेसे लोगोंका और उत्तेजित हो उठना सम्भव है। इससे रक्तपात होनेमें देर नहीं लगेगी। जनता और पुलिस दोनोंसे भूल हो सकती है। एकसे भी भूल हो जाये, तो परिणाम दोनोंको भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार हम साफ देख सकते हैं कि ऐसे अवांछनीय परिणामकी सम्भावनाको सत्याग्रहीको हर कोशिशसे रोकना ही चाहिए। इसे रोकनेमें ही उसका सत्याग्रह है। उसे रोकनेमें उसे जो मेहनत करनी पड़ेगी, जिस अनुशासनका पालन करना पड़ेगा, जो आत्मबल काममें लाना पड़ेगा, उससे राष्ट्र ऊँचा उठता है। जब लोग शान्त रहना सीख लें, क्रोधपर काबू कर सकें, संयम बरतते हुए जुलूस निकाल सकें, किसीपर दबाव डाले बिना शान्तिपूर्वक हड़ताल कर सकें, जब ऐसे कसे हुए स्वयंसेवक तैयार हो जायें जिनकी बात लोग सुनें और उसपर चलें, तब हम सभाएँ कर सकते हैं और हड़ताल कर सकते हैं। जो लोग इतना करने लग जायें, उनकी वाजिब माँगका विरोध कोई नहीं कर सकता, यह आसानीसे देखा जा सकता है। लोग ऐसा करना सीखें, इसीके लिए वर्तमान आन्दोलन हो रहा है। जिनके हाथमें यह पत्रिका आये और जो इस कार्यमें सहायक हो सकते हैं, उन सबसे मैं सत्याग्रह-सभाके कार्यालयमें नाम लिखानेका अनुरोध करता हूँ।

अब जरा सत्याग्रहकी दृष्टिसे नहीं, परन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे इस बातपर विचार करें कि क्या हम रक्तपात द्वारा श्री हॉर्निमैनको जल्दी ला सकते हैं या अपने दूसरे लक्ष्य सिद्ध कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि दूसरे देशोंमें जो-कुछ भी सम्भव हो, किन्तु यह माननेका कारण नहीं कि वह भारतमें भी सम्भव होगा। प्राचीन कालसे भारतकी शिक्षा भिन्न रही है। भारतमें ऐसा समय कभी नहीं आया जब यहाँके समस्त लोग पशुबलका प्रयोग करते दिखाई पड़ें। मेरी अपनी मान्यता तो यह है कि भारतने जान-बूझकर सार्वजनिक पैमानेपर पशु-बलके प्रयोगका त्याग किया है। पंजाबमें हिंसाके क्या परिणाम हुए सो हमने देखा है। अहमदाबाद अभी तक उसके परिणाम भुगत रहा है। हिंसाके कितने भयंकर परिणाम हुए हैं, यह अभी हम आगे देख सकेंगे। सत्याग्रहियोंको कानूनकी सविनय अवज्ञा स्थगित करनी पड़ी है। यह भी उसीका एक दुस्सह परिणाम है। इसलिए हमें यह खयाल बिलकुल गलत मानना चाहिए कि रक्तपात द्वारा हम श्री हॉर्निमैनको जल्दी वापस ला सकते हैं अथवा अन्य लक्ष्य पूरे कर सकते हैं।

एक अन्य पत्रमें यह दलील दी गई है कि सत्याग्रही स्वयं भले ही सभा आदि न करें परन्तु उन्हें दूसरोंको तो ऐसी सलाह देनेका कोई अधिकार नहीं है। इस समय भारतमें हम देखते हैं कि कानूनकी सविनय अवज्ञाके अतिरिक्त अन्य सब सत्याग्रही कार्यक्रमोंमें अधिकांश भारतवासी हिंसा लेना चाहते हैं। यह स्थिति जितनी आनन्द उत्पन्न करनेवाली है, उतनी ही चिन्ता पैदा करती है। इससे सत्याग्रहियोंपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और उसमें से एक यह है: यदि लोगोंको सत्याग्रहमें रस आता हो, यदि लोग सत्याग्रहकी चमत्कारी शक्तिका अनुभव करना चाहते हों



तो सत्याग्रहियोंका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इस प्रकार आचरण करें कि लोग सत्याग्रहके सिद्धान्तके अनुसार ही इस आन्दोलनमें भाग लें। सत्याग्रहका सबसे बड़ा सिद्धान्त यह है कि सत्यपर डटे रहें और किसीको या किसीके मालको हानि न पहुँचाई जाये। जब लोग इस सिद्धान्तको स्वीकार कर लेंगे, तब सारा संसार सत्याग्रहकी महिमाको देख सकेगा।

मो० क० गांधी

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

### २४७. : सत्याग्रह माला - १२

मई २, १९१९

सत्याग्रह पुनः कब आरम्भ होगा ?

बहुत-से लोग मुझसे पूछते हैं कि सत्याग्रह फिर कब शुरू होगा ? इसके दो उत्तर हैं। एक तो यह कि सत्याग्रह बन्द तो हुआ ही नहीं है। जबतक हम सत्यका पालन करते हैं और दूसरोंको वैसा ही करनेको कहते हैं, तबतक सत्याग्रह कभी बन्द हुआ नहीं कहलायेगा। यदि सभी सत्यका पालन करें और किसीके जान-मालका नुकसान करनेसे परहेज रखें, तो हम जो माँगते हैं, वह तुरन्त मिल जाये। परन्तु जब सभी ऐसा करनेको तैयार नहीं हैं और जब सत्याग्रही लोग मुट्ठी-भर ही हैं, तब हमें सत्याग्रहके सिद्धान्तसे फलित हो सकनेवाले दूसरे उपाय ढूँढने पड़ते हैं। ऐसा एक उपाय कानूनकी 'सविनय अवज्ञा' है। मैंने यह पहले ही समझा दिया है कि हमने थोड़े समयके लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन क्यों स्थगित किया है। जबतक हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनसे दंगे और हिंसाके छिड़ जानेकी बहुत सम्भावना है, बल्कि लगभग निश्चय है, तबतक कानूनका पालन न करना सविनय अवज्ञा नहीं कहला सकता। बल्कि ऐसी अवज्ञा तो विचारहीन, विनयहीन और सत्यरहित कहलायेगी। सत्याग्रही कानूनकी ऐसी अवज्ञा कभी नहीं करेगा। इतने पर भी सत्याग्रही अपना कर्त्तव्य-पालन पूरी तरह करने लगे, तो वे सविनय अवज्ञा आन्दोलन जल्दी आरम्भ करनेमें सहायक हो सकते हैं।

सत्याग्रहियोंके प्रति मेरा विश्वास मुझे यह माननेको प्रेरित करता है कि हम लगभग दो महीनेमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिर आरम्भ करनेके योग्य हो जायेंगे। अर्थात् यदि इस बीच रौलट कानून रद न हुआ, तो हम जुलाईके आरम्भमें कानूनकी सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे। फिलहाल यह मीयाद तय करनेमें मैं नीचे लिखे कारणोंसे प्रेरित हुआ हूँ : एक तो यह है कि इस अवधिमें हम अपना यह सन्देश देश-भरमें फैला चुकेगे कि जबतक सविनय अवज्ञा स्थगित है, तबतक कोई भी मनुष्य सत्याग्रहकी आड़में या सत्याग्रहकी सहायता करनेके बहाने दंगा या मारकाट न करे। आशा रखी



जाती है कि जब लोगोंको यह विश्वास हो जायेगा कि देशका सच्चा हित-साधन इस सन्देशका पालन करनेसे ही हो सकेगा, तब वे शान्ति रखेंगे। इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक रखी गई शान्ति भारतकी प्रगतिमें बहुत बड़ा हाथ बँटायेगी। परन्तु यह हो सकता है कि भारत इस हृदयक सत्याग्रहका रहस्य न समझ सके। वैसी दशामें हिंसाको फूट निकलनेसे रोकनेकी एक और आशा है। हाँ, जिस शर्तपर यह आशा आधारित है, वह हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक है। फिर भी इस शर्तसे भी सत्याग्रही लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी परिस्थितिमें सत्याग्रह शुरू करना सत्याग्रहियोंका फर्ज हो जाता है। इस समय जो सैनिक व्यवस्था कायम हो गई है, उससे स्वाभाविक रूपमें ही हिंसाका फूट निकलना, जो कि देशके लिए बहुत हानिकारक है, असम्भव हो गया है। हाल ही में फूट पड़नेवाले दंगे इतने अचानक हुए थे कि सरकार तुरन्त उनसे निपट सकनेके लिए तैयार नहीं थी। परन्तु इन दो महीनोंमें सरकारकी तैयारी पूरी हो जानेकी आशा है। इसलिए सार्वजनिक शान्ति-भंगका भय और सत्याग्रहका जानबूझकर या अनजानेमें दुरुपयोग करना लगभग असम्भव हो जायेगा। ऐसी परिस्थितिमें सत्याग्रही दंगोंके किसी डरके बिना सविनय अवज्ञा कर सकते हैं और ऐसा करके यह दिखा सकते हैं कि हिंसासे नहीं, बल्कि केवल सत्याग्रहसे ही न्याय प्राप्त किया जा सकता है।

मो० क० गांधी

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## २४८. सत्याग्रह माला - १३

मई ३, १९१९

### सत्याग्रह-आन्दोलन

भाइयो और बहनो,

सत्याग्रहके विषयमें दो बातें अच्छी तरह समझ ली जायें, तो हमारी बहुत-सी शंकाएँ अपने-आप हल हो जाती हैं। एक बात यह है कि सत्याग्रही बाहरी डरसे कुछ नहीं करता। वह केवल ईश्वरसे ही डरता है। हम यह बात ध्यानमें रखेंगे, तो स्पष्ट हो जायेगा कि हमने सविनय कानून-अवज्ञा किस लिए स्थगित की है, हॉनिमैनको देश-निकाला मिलनेपर भी हड़ताल क्यों नहीं की गई, या बड़ी-बड़ी सभाएँ क्यों नहीं की गई और जुलूस क्यों नहीं निकाले गये। यदि हम सच्चे सत्याग्रही हैं, तो हमने अपने ऊपर ऐसी रोक किसी भयके कारण नहीं लगाई है, बल्कि शुद्ध कर्तव्य-बुद्धिसे ही ऐसा किया है। सत्याग्रही जैसे-जैसे अपने कर्तव्यका अधिक पालन करने लगता है, वैसे-वैसे वह विजयको अधिक निकट लाता जाता है। दूसरी बात याद रखनेकी यह है — और वह शायद मौजूदा हालतमें और भी महत्वपूर्ण है — कि सत्याग्रही अपने



विरोधीके प्रति दुर्भावना अथवा द्वेष-भाव रखकर अथवा इन भावनाओंको और बढ़ाकर अपने ध्येय तक पहुँचनेकी कभी इच्छा नहीं रखता। वह तो अपने विरोधीको भी मित्र समझता है। उसके प्रति द्वेष रखे बिना उसके किये हुए अपकृत्योंका विरोध करता है। हम ऐसा आचरण रखें, जो सत्याग्रहीको शोभा दे। इससे दुश्मनी फैलनेके कारण कम होते हैं, दोनों पक्ष अपनी भूलें स्वीकार करने लगते हैं और उन्हें मिटानेका प्रयत्न करते हैं। हम जानते हैं कि रौलट कानून बिलकुल खराब है। परन्तु इस कारण हम सरकारके विरुद्ध द्वेष रखें, तो यह ठीक नहीं। द्वेष करनेसे हम किसी भी तरह उन खराब कानूनोंकी खराबी अधिक न समझ सकेंगे और न उनके विरुद्ध आन्दोलनमें ही ज्यादा प्रगति कर सकेंगे। उलटे, ऐसे द्वेषसे तो हमारे आन्दोलनकी हानि ही होगी, क्योंकि द्वेषसे भरे होनेके कारण विरोधीकी दलील समझने अथवा उसे पूरा महत्त्व देनेसे हम इनकार करते हैं। ऐसा करके, हमें विरोधीपर जो असर डालना चाहिए, वह डालनेमें हम असमर्थ हो जाते हैं और इस हदतक हम अपनी विजयको असम्भव न सही, ठेलकर दूर अवश्य कर देते हैं। हम जानते हैं कि रौलट कानूनसे हिन्दू, मुसलमान तथा दूसरे लोगोंका जी जितना दुखा है, उससे ज्यादा तुर्की आदिके प्रश्नसे हमारे मुसलमान भाइयोंका जी दुखा है। परन्तु वे अपने दुःखका निवारण द्वेष करके नहीं कर सकेंगे। इन मुसीबतोंका समाधान तो पक्का विचार करने, अपनी माँगें अच्छी तरह तैयार करके घोषित करने और उनपर दृढ़तापूर्वक डटे रहनेसे ही हो सकता है। ऐसा करके ही वे हिन्दू, पारसी और ईसाइयों या सारी दुनियासे मदद ले सकेंगे और अपनी माँगोंको ऐसा बना सकेंगे, जिनका विरोध किया ही न जा सके। रौलट कानूनके कारण या इस्लामके अथवा अन्य किसी प्रश्नके कारण हम सरकारके प्रति क्रोध करें अथवा द्वेष-बुद्धि रखें और ऐसा करके हिंसाका आश्रय लें, तो संसारके लोकमतकी बात तो अलग रही, भारतीय लोकमतको संगठित करनेकी शक्ति भी हममें नहीं रहेगी। अंग्रेजोंके और हमारे बीचका अन्तर और बढ़ेगा और हम अपने ध्येयसे दूर चले जायेंगे। हिंसासे प्राप्त की हुई विजय पराजय जैसी ही है, क्योंकि वह थोड़े समय ही टिकती है। उससे दोनों पक्षोंमें द्वेषकी ही वृद्धि होती है। दोनों पक्ष एक-दूसरेसे लड़नेकी ही तैयारी करते रहते हैं। सत्याग्रहका अन्त इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता। सत्याग्रही तो अपने सिद्धान्तोंकी खातिर कष्ट-सहन करके सारी दुनियाकी हमदर्दी अपनी तरफ खींचता है और अपने कथित शत्रुके हृदयपर भी असर डालता है। अहमदाबाद और वीरमगाँवमें हमने भूलें न की होतीं, तो आन्दोलनका इतिहास और ही होता। अंग्रेजोंके और हमारे बीच द्वेषभावमें वृद्धि न हुई होती। हमारे आसपास जो सैनिक-व्यवस्था दिखाई दे रही है, वह न दीखती और इतने पर भी रौलट कानून हटवानेका हमारा संकल्प उतना ही दृढ़ रहा होता। उसके विरुद्ध हमारा आन्दोलन बहुत आगे बढ़ गया होता और कदाचित् अबतक तो हम विजय-सम्पादन करके भी बैठ गये होते। साथ-ही-साथ यह परिणाम भी आया होता कि हमारे और अंग्रेजोंके बीचकी खाई पट जाती। फिर भी अभी कोई देर नहीं हुई है। हम अपनी भूलें सुधार सकते हैं। भूलें सुधारनेका अर्थ है, क्रोधपर काबू पा लेना, अंग्रेजोंके प्रति द्वेष-बुद्धि निर्मूल करनेका प्रयत्न करना



और हिंसाका त्याग करना। वास्तवमें देखा जाये, तो रौलट कानून पास करनेकी भूल अंग्रेज-जातिकी भूल नहीं है और न भारतमें रहनेवाले अंग्रेजोंकी है। वह तो केवल सत्ताधारियोंकी भूल है। जनताके नामपर जो काम किये जाते हैं उनका पता अक्सर जनताको होता ही नहीं। फिर सत्ताधारी भी जानबूझकर भूलें नहीं करते। वे तो जो उन्हें सही जँचे, सो करते हैं। परन्तु इससे लोगोंकी कुछ कम हानि नहीं होती। इसलिए हमें सत्ताधारियोंके प्रति जरा भी द्वेष नहीं रखना चाहिए, लेकिन साथ ही उनसे हुई भूलें सुधरवानेके कारगर उपाय करनेमें जरा भी कचाई नहीं रखनी चाहिए। उनकी भूलको भूल ही मानना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा करके हम हिंसाका त्याग करेंगे और अपने कष्ट-सहनसे ये कानून रद्द करायेंगे।

मो० क० गांधी

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## २४९. पत्र : जे० एम० विल्सनको

मई ३, १९१९

बिहार बागान-मालिक संघ [प्लान्टर्स एसोसिएशन]ने सरकारको जो ज्ञापन<sup>१</sup> दिया है, उसे मैंने पढ़ लिया है। आपके संघने अपने और मेरे, दोनोंके प्रति घोर अन्याय किया है। किन्तु मैं आपके संघके आरोपका उत्तर नहीं देना चाहता। समय मेरे पक्षमें है और वह आपको बतायेगा कि आपने जल्दीमें जो मत व्यक्त किया है, वह गलत है।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६५७८) की फोटो-नकलसे।

१. अप्रैल २६, १९१९ को बिहार बागान-मालिक संघके मन्त्री जे० एम० विल्सनकी ओरसे भारत-सरकारके गृह-विभागके सचिवको भेजा गया ज्ञापन (एस० एन० ६५७८), जिसमें गांधीजीकी कार्रवाइयोंकी आलोचना की गई थी।



जबतक द्वेष-भाव है तबतक सत्याग्रह असम्भव है

भाइयो और बहनो,

हम पिछली पत्रिकामें देख चुके हैं कि सत्याग्रहीके कार्योंपर किसी बाह्य शक्तिके भयका कोई असर नहीं होता। वह तो भीतरकी आवाजपर ही चलता है। सत्याग्रही अपने विरोधीके प्रति कभी द्वेष-भाव न रखे बल्कि उसे अपने प्रेमसे जीत ले। मैं देखता हूँ कि दूसरी बात स्वीकार करना बहुतोंको कठिन प्रतीत होता है। वे दलील देते हैं: "दुष्कृत्य करनेवालेके प्रति क्रोध उत्पन्न हुए बगैर कैसे रहे? ऐसोंके प्रति क्रोध न करना तो मनुष्य-स्वभावके विरुद्ध है। दुष्कृत्य करनेवाला और दुष्कृत्य, दोनोंको हम अलग कैसे कर सकते हैं? दुष्कृत्य करनेवालेके प्रति क्रोध किये बिना केवल दुष्कृत्यके प्रति क्रोध करना कैसे सम्भव है?" पिता अपने पुत्रके प्रति क्रोध किये बिना कई बार उसके किये हुए दुष्कृत्योंके प्रति अपनी नाराजी खुद कण्ठ-सहन करके जाहिर करता है। आपसमें इस प्रकारके व्यवहारसे ही पिता और पुत्रके बीचका प्रेम-सम्बन्ध बना रहना सम्भव होता है। ऐसा व्यवहार न रखा जाये, तो वह सम्बन्ध टूट जाये। इस प्रकारके अनुभव हमारे दैनिक जीवनमें होते ही रहते हैं। इसीसे यह कहावत चली है कि 'झगड़ेका मुंह काला करो।' अपने पारिवारिक जीवनका यह नियम हम सरकारके साथ अपने सम्बन्धपर लागू करेंगे, तभी हम शान्तिसे रह सकेंगे और भयपूर्ण स्थितिसे मुक्त होंगे। यहाँ यह शंका नहीं उठानी चाहिए कि पारिवारिक कानून सरकारके साथके सम्बन्धपर कैसे लागू किया जा सकता है, या प्रेमके कानूनपर तभी अमल हो सकता है, यदि सामनेसे उसका जवाब मिले। परन्तु सत्याग्रहमें दोनों पक्षोंका सत्याग्रही होना जरूरी नहीं। जहाँ दोनों पक्ष सत्याग्रही हों, वहाँ तो सत्याग्रह करने या प्रेमकी परीक्षा करनेकी गुंजाइश ही नहीं रहती। सत्यका आग्रह करनेकी जरूरत तभी पैदा होती है, जब एक पक्ष असत्यका अथवा अन्यायका आचरण करता है। ऐसे मौकेपर ही प्रेमकी परीक्षा होती है। सच्ची मित्रताकी परीक्षा तभी होती है, जब एक पक्ष मित्रताके कर्तव्योंका पालन न करता हो। सरकारके विरुद्ध हम क्रोध करेंगे, तो इसमें हम घाटेमें रहेंगे। ऐसा करनेसे एक-दूसरेके प्रति अविश्वास और द्वेषभाव बढ़ता है। परन्तु सरकारसे जरा भी क्रुद्ध हुए बिना और साथ ही उसके सैनिक-बलसे जरा भी डरे बिना तथा जिसे हम उसका अन्याय मानते हों उसके सामने झुके बिना हम अपना व्यवहार करें, तो सरकारका अन्याय अपने-आप दूर हो जायेगा और उसके साथ बराबरीका दर्जा प्राप्त करनेका जो हमारा ध्येय है, उसे हम सहज ही प्राप्त कर लेंगे। इस बराबरीका आधार उसके पशुबलका जवाब पशुबलसे देनेकी हमारी शक्तिपर नहीं, बल्कि



पशुबलका डर न रखकर उसके सामने अटल खड़े रहनेकी हमारी क्षमतापर है। सच्ची निर्भयता प्रेमके बिना सम्भव नहीं। जबतक हममें द्वेषभाव है, तबतक सत्याग्रहकी सच्ची विजय सम्भव नहीं। जो अपनेको कमजोर समझते हैं, वे प्रेम नहीं कर सकते। तब प्रतिदिन प्रातः हमारा पहला काम यह हो कि उस दिनके लिए हम यह संकल्प करें: "मैं पृथ्वीपर किसीसे नहीं डरूँगा। मैं केवल ईश्वरका भय मानूँगा। मैं किसीके प्रति द्वेषभाव नहीं रखूँगा। मैं किसीके अन्यायके आगे नहीं झुकूँगा। मैं असत्यपर सत्य द्वारा विजय प्राप्त करूँगा और असत्यका प्रतिकार करनेमें जो कष्ट उठाने पड़ेंगे, उन्हें सहन करूँगा।"

मो० क० गांधी

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

२५१. पत्र : सी० एफ० एण्ड्र्यूजको

बम्बई

[ मई ४, १९१९ ]

प्रिय चार्ली,

मेरे पास तुम्हें पूरी पोथी लिख भेजनेका समय नहीं है, और केवल पत्र लिखनेसे सन्तोष नहीं होता। मुझे इसमें रत्ती-भर शंका नहीं कि मैं व्रतके बारेमें तुम्हारे विचारोंको भ्रमपूर्ण सिद्ध कर सकता हूँ। रामके आचरणका तुम जो अर्थ लगा रहे हो, इससे जाहिर होता है कि तुमने उसे अच्छी तरह नहीं समझा है। और तुमने बाइबिलसे जो उद्धरण दिया है, उसमें 'स्वीन'का क्या अर्थ होता है? क्या इस उद्धरणका भी तुम्हारा किया हुआ अर्थ गलत नहीं हो सकता? मेरा खयाल तो यह है कि ईसाका सारा जीवन ही एक सरल सादा व्रत था, जिससे दुनियाकी कोई सत्ता उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। तुमने अपने पत्रमें जिन दो व्रतोंका उल्लेख किया है, सो तो व्रतोंकी विडम्बना है। ऐसी बातोंके व्रत लिए ही नहीं जा सकते। मनुष्य अपने सिरजनहारके सामने खड़ा होकर यह क्यों नहीं कह सकता कि 'हे प्रभो, मेरी मदद करो कि मैं कभी झूठ न बोलूँ?' फिर भी वह अपने सिरजनहारके सामने खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि 'अमुक-अमुक समाज या संस्थाको मैं कभी नहीं छोड़ूँगा।' सम्भव है, मैं अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट न कर सका होऊँ, परन्तु तुम स्वीकार करोगे कि मैंने बात साफ दिलसे की है। फिर जहाँ प्रेम है, वहाँ और हो ही क्या सकता है?

तुमने पक्का मालूम कर लिया कि कोड़े किस लिए लगाये गये थे? मैं जानना चाहता हूँ।



लेखोंको पहलेसे सेंसर [जाँच] करनेकी आज्ञाके कारण 'क्रॉनिकल'<sup>१</sup> बन्द कर दिया गया है। इसलिए अब 'यंग इंडिया' हफ्तेमें दो बार निकाला जायेगा। आगे चलकर इसे दैनिक भी किया जा सकता है। वह मेरी देखरेखमें छपेगा। उसमें लिखनेको समय निकाल सकोगे? तुम स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम एकता, सत्याग्रह, रौलट कानून आदि विषयोंपर लिख सकते हो।

तुम्हारी सुझाई गई इस शर्तपर भी हम रौलट कानून स्वीकार करनेको तैयार नहीं हैं, कि पहलेसे विधान-मण्डलकी मंजूरी लिए बिना उसपर अमल नहीं किया जायेगा। हमारी आपत्ति केवल यही नहीं है कि उसका नाजायज प्रयोग किया जायेगा; हम तो उस स्वेच्छाचारी पद्धतिके विरुद्ध भी हैं, जो इसमें उल्लिखित अपराधोंके मुकदमे चलानेके लिए रखी गई है। कल्पित अराजकतावादियोंके मामलेकी सरसरी [समरी] सुनवाई या इन्साफ मिलनेकी सावधानीके लिए रखे गये अंकुश हटाकर खास ढंगसे मुकदमोंका चलाया जाना या साधारण कानूनके अनुसार भी असाधारण अधिकार देकर मुकदमोंका चलाया जाना — मैं तो इन सभी बातोंके विरुद्ध हूँ। अपवादस्वरूप परिस्थितिके लिए अपवादस्वरूप अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं। परन्तु पहलेसे ही यह मानकर कि ऐसी परिस्थिति पैदा होगी, उसका सामना करनेके लिए कार्यपालिकाके अधिकारियोंको विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए।

मेरा आग्रह है कि जबतक जरूरत हो, तबतक तुम्हें श्रद्धानन्दजीके साथ रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वहाँसे छुट्टी पानेपर तुम यहाँ आओ, ताकि हम सारी स्थितिका सिंहावलोकन कर सकें।

यह रक्तपात, यह जोर-जुल्म, यह फौजी कानून, ये सैनिक ढंगकी सजाएँ — इन सबके बीच प्रेमका कानून पूरी तरह काम कर रहा है। उसके अपार प्रमाण मिलते रहते हैं।

तुम्हें और स्वामीजीको प्यार सहित,

सदा तुम्हारा,  
मोहन

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई



## २५२. पत्र : मौलाना अब्दुल बारीको

[ बम्बई  
मई ४, १९१९ ]

मौलाना अब्दुल बारी,

मेरा खयाल है कि इस्लामी सवालोंपर मुस्लिम मत अच्छी तरह संगठित नहीं है। हर एककी भावना तो अत्यन्त तीव्र है, पर कोई तर्कपूर्ण और सर्वसम्मत वक्तव्य नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि उलेमाओंकी ओरसे कोई वक्तव्य निकले। वह उर्दू या अरबी भाषामें हो, तो कोई हर्ज नहीं। उसका सही अनुवाद आसानीसे हो सकता है। दोनों जातियोंके बीचके झगड़ोंके कारणोंकी जाँच करने और दोनोंके बीच स्थायी एकता स्थापित करनेके उपाय सुझानेके लिए हिन्दू-मुसलमानोंका एक मिला-जुला आयोग मुकर्रर करनेका आपका विचार मुझे बहुत पसन्द है। किन्तु मेरा खयाल है कि उसके लिए यह ठीक अवसर नहीं है। अभी तो सबकी शक्ति रौलट कानून, इस्लामी प्रश्नों और राजनैतिक सुधारोंपर केन्द्रित हो गई है और यही ठीक है। सारे हिन्दुस्तानके लिए सन्तोषप्रद ढंगसे इन प्रश्नोंका निपटारा करानेकी क्रियामें ही हम सबका नजदीक आना सम्भव है। इन सवालोंका फैसला हो जानेके बाद आपका सुझाया हुआ आयोग ज्यादा कारगर हो सकेगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## २५३. सत्याग्रह माला - १५

मई ५, १९१९

अगले रविवारको सत्याग्रह-हड़ताल  
प्रत्येक परिवारमें २४ घंटेका उपवास तथा धार्मिक प्रार्थना

भाइयो और बहनो,

बम्बईने श्री हॉर्निमैनका वियोग बड़ी शान्तिसे सहन किया है। असह्य परिस्थितिमें भी बम्बईने इतने लम्बे समय तक शान्ति रखी है, इससे उसकी आत्मसंयमकी शक्ति प्रमाणित होती है। परन्तु सत्याग्रह-सभाकी बैठकोंमें हुई चर्चासे और लोगोंमें होनेवाली चर्चाओंके जो विवरण आते हैं, उनसे मालूम होता है कि लोगोंके हृदय शान्त नहीं



हुए। वे अपने शोक और अपनी भावनाको किसी-न-किसी रूपमें सार्वजनिक ढंगसे व्यक्त करनेकी इच्छा रखते हैं। यह इच्छा दबाई नहीं जा सकती और दबानी चाहिए भी नहीं। श्री हॉर्निमैनने लोगोंके लिए जो-कुछ किया है, उसे वे कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने लोगोंमें नया जीवन भरा है और नवीन आशाओंका संचार किया है। इसमें शक नहीं कि लोग जो शान्त रहे हैं, सो इसी आशासे कि उन्हें श्री हॉर्निमैनके प्रति अपना शुद्ध प्रेम सार्वजनिक रूपमें व्यक्त करनेका अवसर दिया जायेगा। गम्भीर विचारके बाद सत्याग्रह-सभाने कल रातको तय किया है कि अगला रविवार ता० ११ का दिन हड़ताल करके और पहले दिन शामसे बराबर २४ घंटेका उपवास करके और प्रत्येक घरमें खानगी तौरपर प्रार्थना करके मनाया जाये।

पहला सुझाव यानी हड़ताल सम्बन्धी सुझाव बम्बई शहरपर लागू होता है। हम इस समय अशान्तिके कालसे गुजर रहे हैं। ऐसे समय सर्वत्र हड़ताल घोषित करना ठीक नहीं मालूम होता। दूसरे स्थानोंपर हड़ताल न करना वहाँके लोगोंके लिए आत्मसंयमका काम होगा। बम्बई शहरमें भी हड़ताल स्वतन्त्र धन्धेवाले लोगों तक ही सीमित रहेगी। जो सरकारी अथवा खानगी दफ्तरोंमें काम करते हैं, उन्हें छुट्टी मिले, तभी वे कामपर न जायें। काम बन्द करनेके लिए किसीपर कोई दबाव न डाला जाये, किसीके विरुद्ध जरा भी बलप्रयोग न किया जाये, क्योंकि जबरदस्ती काम बन्द कराना सचमुच काम बन्द करना हरगिज नहीं कहलाता। किसीपर जबर करके हम उसे कामपर जानेसे रोकें, तब तो वह उसी कामका खयाल करता रहता है। इसलिए जिस व्यापारीको अपनी दूकान खोलनेकी इच्छा हो अथवा जिस गाड़ीवालेको गाड़ी चलानेकी इच्छा हो, उसपर दबाव न डालनेको हम बँधे हुए हैं। इतना ही नहीं, उसकी रक्षा करनेको भी बँधे हुए हैं। मैं आशा रखता हूँ कि बम्बईमें और अन्यत्र जिन स्त्री-पुरुषोंको धार्मिक अथवा स्वास्थ्य-सम्बन्धी कारणोंसे कोई आपत्ति न हो, वे उपवास करेंगे और दिन-भर धार्मिक चिन्तनमें और अपने धर्म-शास्त्रोंमें से सत्याग्रहके उदाहरण याद करके यह समझनेके प्रयत्नमें बितायेंगे कि सत्याग्रहका सच्चा स्वरूप क्या है। राष्ट्रीय प्रगतिमें एक सहायताके रूपमें, राष्ट्रीय आदर्शोंके विकासके लिए तथा भूख आदि हमारी वासनाओंपर अंकुश रखनेके लिए उपवासकी शक्तिका विचार हम आगे करेंगे। अभी तो इतना ही पर्याप्त है कि बम्बई शहरमें हम अगले रविवारको पूरी तरह ऐच्छिक रूपसे सत्याग्रहवाली हड़ताल रखें और दूसरे सब स्थानोंमें भी उपवास रखें और शान्ति और प्रेमपूर्वक खानगी तौरपर प्रार्थना और चिन्तन करें। ऐसा करनेसे हम अपनी इज्जत बढ़ायेंगे और श्री हॉर्निमैनको जल्दी ला सकेंगे।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५



## २५४. पत्र : जे० एल० मैफीको

लैबर्नम रोड

बम्बई

मई ५, १९१९

प्रिय श्री मैफी,

आपके दोनों पत्रों और तारके लिए धन्यवाद। आपके आश्वासनसे मुझे बड़ी सान्त्वना मिली है। यह जानकर दुःख हुआ कि वाइसराय महोदयको हमारे कारण छुट्टीके दिन भी काम करना पड़ा। आशा है, इस कठिन श्रमका उनके स्वास्थ्यपर कोई बुरा असर न पड़ा होगा।

साथमें मैं अपने अभी हालके कुछ पत्रक भेज रहा हूँ। यदि आपको कुछ क्षणका भी समय मिले तो आप उन्हें देख लेंगे।

देखता हूँ, मौलवी रफीउद्दीन अहमदने सुझाव दिया है कि इस्लामी प्रश्नोंके सम्बन्धमें कोई निश्चित विश्वास-वर्धक घोषणा की जाये। यदि वास्तविक सन्तोष उत्पन्न न हो तो शक्तिके जोरपर शान्ति बनाये रखनेसे क्या लाभ, और वास्तविक सन्तोष तबतक नहीं उत्पन्न हो सकता जबतक कि मुसलमानोंकी भावनाको तुष्ट नहीं किया जाता और रौलट कानून वापस नहीं ले लिया जाता। शायद आप जानते होंगे कि खिलाफत, फिलिस्तीन और मक्का शरीफके सवालोंने मुसलमान स्त्री-बच्चे भी गहरी दिलचस्पी लेते हैं।

रौलट कानूनोंके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है कि आन्दोलनकारियोंने जनताका मस्तिष्क दूषित कर दिया है; किन्तु यह बात सही हो या न हो, तथ्य यह है कि जनता उस कानूनको बिलकुल अविश्वासकी नजरसे देखती है और आप ऐसे प्रबल लोकमतके सामने कैसे टिक सकते हैं? आज भारतमें आप जो-कुछ देख रहे हैं वह कोई विप्लवी षड्यंत्र नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि भारतमें ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसके मनमें विप्लवके पागलपन-भरे विचार नहीं हैं। किन्तु मैं यह अवश्य कहूँगा कि जिन बहुत सारे लोगोंने हिंसात्मक कार्योंमें भाग लिया है, उन्होंने उग्र और क्रुद्ध रूपसे अपनी दमित भावनाको ही व्यक्त किया है; और यह उनका रोषपूर्ण विरोध-भर है, अधिक कुछ नहीं। यहाँ अभी विप्लववाद [बोल्शेविज्म] नहीं आया है। किन्तु मैं चाहता हूँ, आप इस बातपर विचार करें कि क्या आप सत्याग्रहके सिद्धान्तका समर्थन किये बिना इसका आना या इन रोषपूर्ण हिंसात्मक कार्रवाइयोंका होना रोक सकते हैं। मैं तो मानता हूँ, और आपसे भी ऐसा ही माननेका अनुरोध करूँगा, कि लोगोंको संयत रखनेमें जितना बड़ा हाथ सत्याग्रहका है, उतना इस तथ्यका नहीं कि सेनाको यत्र-तत्र तैनात कर दिया गया है। मेरा खयाल है, इस बातको सभी लोग स्वीकार करते हैं कि जब श्री हॉर्निमैनको निर्वासित किया गया, उस समय यदि लोगोंने



सत्याग्रहके कारण संयम और शान्तिसे काम न लिया होता तो सारी फौजी एहति-यातोंके बावजूद हिंसा अवश्य होती।

अब मैं एक कम पेचीदा विषयपर आता हूँ। यह शायद ऐसा विषय है, जिसपर हम एकमत हो सकते हैं। मैं इसके साथ स्वदेशीकी प्रतिज्ञाका प्रारूप भेज रहा हूँ। यदि वाइसराय यह प्रतिज्ञा लें तो यह कितनी बड़ी बात होगी। आप देखेंगे कि इसे अंग्रेज भी उतनी ही आसानीसे ले सकते हैं जितनी आसानीसे भारतीय। जब भी परमश्रेष्ठके पास इसे देखनेके लिए समय हो आप उनके सामने इसे अवश्य रखें। यदि वाइसराय महोदय यह प्रतिज्ञा न भी ले सकें, किन्तु इस योजनासे अपनी सहमति व्यक्त कर दें तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रकाशनार्थ उस आशयका एक पत्र अलगसे भेज दें।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५८९) की फोटो-नकलसे।

### २५५. पत्र : जे० ए० गाइडरको

लैबर्नम रोड  
बम्बई  
मई ५, १९१९

प्रिय श्री गाइडर,<sup>१</sup>

श्रीमती अफवाहका कहना है कि आप इस बातपर अपने कर्मचारियोंसे नाराज हो गये हैं कि अहमदाबादकी दुःखजनक घटनाके पीछे जिस शिक्षित व्यक्तिका हाथ है उसका पता मैंने तो लगा लिया है, लेकिन वे न लगा सके। उन्हीं महिलाके सौजन्यसे यह भी जाना कि आप “शिक्षित भारतीयों” का अर्थ केवल वकील, बैरिस्टर और डॉक्टर आदि लगाते हैं। इसलिए मित्रगण और कुछ अन्य लोग भी मुझे नोचे डाल रहे हैं कि मैंने ऐसी असंयत भाषाका प्रयोग करके इतना फसाद, यह अनावश्यक परेशानी क्यों पैदा की। स्वभावतः मुझे अपने कार्योंकी तरह ही अपने शब्दोंके परिणाम भी झेलने चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैंने जो अफवाहें सुनी हैं, वे कहाँ तक सच हैं; किन्तु मैं यह कहूँगा कि मूल भाषणमें मैंने जिस शब्दका प्रयोग किया है वह है “भणेला”; और “भणेला” का अर्थ किसी भी तरह “उच्च-शिक्षा प्राप्त” नहीं होता। मेरे विचारसे “भणेला” शब्दका अर्थ है, ऐसे सभी लोग जिन्होंने किसी-न-किसी ढंगकी थोड़ी या बहुत शिक्षा, अंग्रेजी या देशी भाषाओंके माध्यमसे पाई हो। उदाहरणार्थ, अभी हालमें मैंने किसी अज्ञात कवि द्वारा लिखी एक जोशीली कविता पढ़ी है; और मैं तो निःसन्देह उस कविको ‘भणेला’ यानी शिक्षित मानूँगा। मैंने अपने भाषणके

१. अहमदाबादके जिला मजिस्ट्रेट।



अनुवादमें “ऐज्यूकेटेड” शब्दका प्रयोग बिलकुल इसी अर्थमें किया है। सच तो यह है कि यदि मुझे इसमें उच्च शिक्षाप्राप्त लोगोंके सम्मिलित होनेका प्रमाण मिला होता तो मैं ऐसी भाषाका प्रयोग करनेमें तनिक भी संकोच नहीं करता जिससे ध्वनित होता कि मेरा आशय उन्हीं लोगोंसे है। मेरा ध्यान, श्री प्रैटने कल अहमदाबादमें जो भाषण दिया था, उसकी ओर भी दिलाया गया है। इसमें उन्होंने भी शिक्षित नेताओंके सम्मिलित होनेकी बात कही है। मैं यह माने लेता हूँ कि उन्होंने यह बात मेरे भाषणको ध्यानमें रखकर नहीं कही।

मैं यह भी बता दूँ कि “संगठित तरीकेसे” और “योजना” शब्दोंसे मेरा आशय क्या था। अपनी शिकायतें दूर करवानेके लिए हिंसाकी उपयोगितामें विश्वास रखनेवाले किसी पढ़े-लिखे आदमी या आदमियोंने शुक्रवारको भीड़को रोषमें देखा और तुरन्त उस स्थितिका लाभ उठाकर गिरोहोंके अगुओंके द्वारा कार्रवाई आरम्भ कर दी; अपने सामने मौजूद प्रमाणोंके आधारपर मैं जो-कुछ जानता हूँ उसके अनुसार तो उस दुर्दिनमें यही हुआ था। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इन लोगोंका बिलकुल अज्ञात रह सकना सम्भव है।

हृदयसे आपका,

हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५९०)की फोटो-नकलसे।

## २५६. पत्र : मगनलाल गांधीको

मई ५, १९१९

स्वदेशी आन्दोलन बहुत जोर पकड़ेगा; परन्तु हम तैयार नहीं, इस बातसे [मुझे] बड़ी व्यथा होती रहती है। सर फजलभाईके साथ बात करनेके बाद एक बात मेरे मनमें जम गई है। वह यह कि बड़ेसे बड़ा स्वदेशी आन्दोलन स्वदेशी कपड़ा तैयार करनेमें है। इसलिए मैं तो अपनी पहली स्थितिपर आकर खड़ा हो गया हूँ। हमें घर-घर रुई कातने और कपड़ा बुनने लग जाना चाहिए। मेरी सलाह है कि सन्तोक बीजापुर जाकर सूत कातना सीख जाये। हाथसे कता हुआ जितना सूत मौजूद हो, वह जल्दीसे बुनवा डालो। जितना दूसरा कपड़ा मिलके सूतका अहमदाबादमें बुनवा सकते हो, बुनवा लो। [जो] दक्षिणी साड़ियाँ वहाँ बनाई जाती हैं, उनमें मुख्यतः विलायती सूत और विलायती रेशम काममें लाया जाता है। क्या देशी सूतकी दक्षिणी साड़ियाँ नहीं बनाई जा सकतीं? अवन्तिका<sup>१</sup> बहनने मुझसे कहा है कि [ये साड़ियाँ] मोटी होगी, तो भी मराठी बहनें पहन लेंगी। हमारी स्थिति ऐसी विषम है कि हम स्त्रियोंके लिए तो बिलकुल तैयार नहीं हैं।

इस सम्बन्धमें तुमसे जो विचार हो सके, करना। इसे काका वगैरहको पढ़वा देना। मेरे लिए तुम्हें अपने हाथके काते हुए सूतकी धोतियाँ समयपर तैयार करवा ही लेनी

१. अवन्तिकावेन गोखले ।



चाहिए। आश्रममें सूत कातनेका काम अवश्य होना चाहिए। मैं फिलहाल वहाँ आ सकूँगा, यह सम्भव नहीं जान पड़ता।

अपनी सेहतका ध्यान रखना।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## २५७. पत्र : हरिलाल गांधीको

मई ५, १९१९

[ चि० हरिलाल, ]

तुम्हारा चैत्र बदी १० का पत्र मिला है; मेरा स्वास्थ्य अब कुछ लड़खड़ाने लगा है। दिमागपर बहुत भार रहता है। ईश्वरको जबतक इस शरीरसे काम लेना होगा, तबतक वह इसको निभा लेगा। 'इंग्लिशमैन' मेरे पढ़नेमें नहीं आया और न आता ही है। मुझे वहाँकी कतरनें भेजते रहो, तो अच्छा हो।

श्रीमती बेसेंटकी स्थिति दयनीय है। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं कि वे कौनसा मार्ग अपनायें।

क्या सरकार सचमुच रौलट विधेयक<sup>१</sup> नामंजूर कर देगी? तुम यह सवाल पूछ ही कैसे सकते हो? जबतक सत्याग्रही जीवित हैं, तबतक रौलट विधेयक कैसे टिक सकते हैं? मैं तो मानता हूँ कि यदि खून-खराबी तनिक भी न हो, तो थोड़े समयमें ही रौलट विधेयक रद्द हो जायेंगे। यह खबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझे कुछ मालूम है, परन्तु सत्याग्रहके प्रति अपने अटल विश्वासके कारण देता हूँ।

भाई प्रागजीको मैंने रोका नहीं; मैंने उन्हें खुद उन्हीं [की मरजी] पर छोड़ दिया है। अब तो वे मद्रास जानेके निश्चयपर पहुँच गये जान पड़ते हैं? पार्वतीको भी मद्रास ले जानेका निश्चय किया है, इसमें भी मैं बीचमें नहीं पड़ता हूँ।

तुम्हारा दक्षिण आफ्रिका जाना मुझे तो उचित नहीं जान पड़ता। मैं तो यह चाहता हूँ कि चूँकि तुम सबने सत्याग्रहीका नाम धारण किया है, इसलिए तुम कम लाभसे सन्तोष करके केवल स्वदेशी व्यापार करो।

बच्चे मौज करते हैं। राजकोट या कलकत्तेको बहुत याद करते हों, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। उन्हें आबोहवा अनुकूल आ गई मालूम पड़ती है। यह मुख्य सन्तोषकी बात है। ऐसा लगता है, रामी ठीक होती जा रही है। यहाँसे अच्छीसे-अच्छी किस्मका 'जीवन'<sup>२</sup> उसके लिए भेजा है।

माधवदासने तुम्हारी पैसेकी कठिनाईकी बात कही है। उसने मेरी सलाह मान ली। मैंने यह सलाह दी है कि तुम किसी भी व्यक्तिके पैसेकी मददके बिना उन्नति करो,

१. पेश किये गये दो विधेयकोंमें से एक वापस ले लिया गया था और दूसरा मार्च १८, १९१८को पास कर दिया गया था।

२. च्यवनप्राशका प्रचलित गुजराती नाम।



यही मेरी इच्छा है। मेड चंचल वृत्तिका व्यक्ति है। इसलिए वह बिना विचारे काम कर बैठता है, वह लम्बे-चौड़े वादे कर डालता है; तुम ठहरे साहसी, बड़ी जल्दी बहुत रुपया कमानेका लोभ रखते हो। प्रागजीसे सार्वजनिक आन्दोलनोंमें पड़े बिना रहा ही नहीं जायेगा। ऐसी हालतमें तुम्हें मुसीबतमें पड़ते देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं हमेशा यही चाहूँगा कि तुम किसीके रुपयेपर भरोसा मत रखो। इसके अलावा, मुझे तो किसी भी समय निर्वासित कर दें या जेलमें भेज दें। उस समय तुम व्यापारमें लगे नहीं रह सकते, इसका मुझे विश्वास हो गया है। इसलिए तुम पराये धनको [व्यापारमें] कैसे लगा सकते हो? जिस देशमें अन्याय हो रहा हो, वहाँ गरीबीमें ही कुलीनता है; आजकी स्थितिमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे अन्यायमें भाग लिये बिना धन-संग्रह करना असम्भव है।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## २५८. सत्याग्रह माला - १६

मई ६, १९१९

रविवारकी हड़ताल : उसका धार्मिक स्वरूप

भाइयो और बहनो,

हड़ताल घोषित करना कोई खेलकी बात नहीं है। उसके समर्थनमें मजबूत कारण चाहिए। इस पत्रिकामें उन कारणोंका विचार करेंगे। बम्बईके नागरिक श्री हॉर्निमैनके प्रति अपने गहरे प्रेमका बाह्य प्रमाण देनेके लिए अधीर हो उठे हैं। हड़ताल द्वारा वे कारगर रूपमें उक्त प्रमाण दे सकते हैं। सबकी भावनाओंकी उसमें परीक्षा हो जायेगी। फिर, हड़ताल राष्ट्रव्यापी शोक प्रदर्शित करनेके लिए भारतका पुराना साधन है। इसलिए हॉर्निमैनके निर्वासनसे हुए दुःखको हम हड़तालके जरिये जाहिर कर सकते हैं। सरकारके कृत्यके प्रति सख्त नाराजगी प्रदर्शित करनेका भी हड़ताल ही सबसे उत्तम उपाय है। मत प्रकट करनेके लिए विराट सभाओंकी अपेक्षा हड़ताल कहीं अधिक जबरदस्त साधन है। इस हड़तालसे हम तीन उद्देश्य पूरे कर सकते हैं। प्रत्येक उद्देश्य इतना महान् है कि हमपर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि हड़ताल घोषित करनेमें हमने अति की है।

मगर इतना साफ है कि यदि लोगोंकी नाराजगीका डर दिखाकर अथवा शारीरिक जोर-जबरदस्तीसे काम बन्द कराया गया तो उपर्युक्त हेतुओंमें से एक भी सिद्ध नहीं होगा। यदि हमने आतंक जमाकर काम बन्द कराया और यह श्री हॉर्निमैनको मालूम हुआ, तो इससे वे नाखुश और दुःखी हुए बिना नहीं रहेंगे। साथ ही ऐसी बनावटी हड़तालसे सरकारपर हम कुछ भी असर न डाल सकेंगे। जबरन कराई गई हड़ताल सत्याग्रही हड़ताल कहला ही नहीं सकती। कोई भी वस्तु सत्याग्रहसे प्रेरित तभी कही जा सकती है, जब उसमें हेतुकी, साधनों और साध्यकी शुद्धता हो। इसलिए मैं आशा रखता हूँ कि



यदि कोई भाई या बहन काम बन्द करनेको अनिच्छुक हो, तो उसके काममें कोई हस्तक्षेप न करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि उसे किसी भी प्रकारके हस्तक्षेप अथवा हानिके विरुद्ध आश्वासन दिया जायेगा। 'एक भी मनुष्यको काम बन्द रखनेको मजबूर किया जाये, इसके बजाय तो मैं यह चाहूँगा कि बम्बई शहरमें रविवारको लोग अपना काम बन्द न रखें और [हड़तालके] संयोजक हँसीके पात्र न बनें।' बम्बईमें रविवारको किसी भी प्रकारके ऊधम न होने देनेके लिए ही सार्वजनिक सभाका विचार छोड़ दिया गया है और सबको अपने-अपने घरोंमें रहनेकी सलाह दी गई है। सारे सत्याग्रही कार्य धार्मिक वृत्तिसे चलने चाहिए इसीलिए मैंने चौबीस घंटेका उपवास करने और सारा दिन धार्मिक चिन्तनमें बितानेका सुझाव दिया है। मैंने आशा रखी है कि परिवारके सभी आदमी, बच्चे और नौकर तक इस धर्म-कार्यमें हिस्सा लेंगे। हिन्दू लोग 'भगवद्गीता' का पाठ सुनें। स्पष्ट उच्चारणके साथ सारी गीता पढ़नेमें चार घंटे लगते हैं। उसके बजाय अथवा अलावा अन्य हिन्दू धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ी जा सकती हैं। मुसलमानों और दूसरे लोगोंको अपने-अपने धार्मिक ग्रन्थोंका पाठ करवाना और सुनना चाहिए। वह दिन प्रह्लाद, हरिश्चन्द्र, मीराबाई, इमाम हसन तथा हुसेन, सुकरात और दूसरे महान् सत्याग्रहियोंकी कथाएँ पढ़ने और सोचनेमें बिताया जाये। श्री हॉर्निमैन किस प्रकार हमारे प्रेमपात्र हैं, यह भी एकत्र कुटुम्बीजनोंको समझाना उचित होगा। मुख्य बात यह याद रखनी है कि अगला रविवार हम ताश या चौपड़ खेलनेमें, जुआ खेलनेमें अथवा केवल आलस्यमें न गँवा दें, परन्तु इस प्रकार बितायें, जिससे राष्ट्र-सेवा करनेकी हमारी योग्यता बढ़े। मैं आशा रखता हूँ कि अच्छी स्थिति-वाले अमीर परिवार अपने गरीब, अज्ञानी अथवा अकेले रहनेवाले पड़ोसियोंको इस धार्मिक क्रियामें भाग लेनेके लिए निमन्त्रित करेंगे। भाईचारेकी वृत्ति जबानसे कहनेसे नहीं, परन्तु ऐसे काम करनेसे विकसित होती है।

कालबादेवी रोडके एक भाई श्री मोतीलाल डाह्याभाई झवेरी अभी-अभी मेरे पास आकर मुझसे कहते हैं कि अगले रविवारकी हड़तालकी घोषणाका समाचार प्रकाशित होनेसे पहले उन्होंने अपने यहाँ विवाह-समारोहके निमन्त्रण जारी कर दिये हैं। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उस दिन शहरमें बहुत-से विवाह-समारोह होंगे। भाई मोतीलालकी बहुत इच्छा है कि वे खुद और उनके मित्र इस राष्ट्रीय दिवसके मनानेमें भाग लें। ऐसे लोगोंको मेरी सलाह है कि विवाह-विधिका जो धार्मिक भाग है, वह भले ही निपटा लिया जाये, परन्तु भोजन समारोह और दूसरे जलसे सोमवारके लिए स्थगित रखे जायें। श्री हॉर्निमैनके प्रति भाई मोतीलालका देशभक्तिपूर्ण प्रेम इतना है कि उन्होंने मेरी यह सलाह एकदम मान ली है। उस सलाहको मैं उनकी जैसी स्थितिवाले सभीके सामने स्वीकार करनेके लिए रख रहा हूँ।

मो० क० गांधी

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५



## २५९. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको

बम्बई  
मई ६, १९१९

प्रिय श्री ग्रिफिथ,

आशा है, आप रोज-ब-रोज जो पत्रक निकल रहे हैं उन्हें देख रहे होंगे; किन्तु मैं आपका ध्यान मुख्यतः कलके पत्रककी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें रविवार-को हड़ताल करनेकी घोषणा की गई है। मुझे आशा है, सब-कुछ ठीक ही होगा।

हृदयसे आपका,

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६५९२) की फोटो-नकलसे।

## २६०. पत्र : निर्मलाको

मई ६, १९१९

चि० निर्मला,<sup>१</sup>

अभी तो सच्ची लड़ाई शुरू नहीं की है। परन्तु अब होगी जरूर। रविवारको सब उपवास रखनेवाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी रखो। भाई हॉर्निमैनके निमित्त यह उपवास करना है। उनमें बहुत गुण थे और उन्होंने हिन्दुस्तानकी बड़ी भारी सेवा की है। मकानोंको सुधरवानेमें मेरी तरफसे तो अभी कोई मदद नहीं मिल सकती। यह काम चि० शामलदासका<sup>२</sup> और चि० काकूका है। घरपर मैंने कोई दावा नहीं रखा है।

पूज्य बहन<sup>३</sup> और तुम दोनों आश्रममें रहो, और मेरे कार्यमें सहायता करो, तो इससे ज्यादा प्रिय मेरे लिए और क्या होगा? पूज्य बहनने तो स्वयं अनुभव कर लिया है कि आश्रममें सब उन्हें हाथों-हाथ लिये फिरते थे, सब आदर करते थे। और मैं स्वयं तो सदा सुबह उनके दर्शन करके अपनी माताजीका चेहरा याद कर लेता था, अपने पिताजीका चेहरा भी याद कर लेता था और अपनेको पवित्र हुआ मानता था। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों जितनी हो सके उतनी जल्दी आश्रममें आ जाओ। तुम खुद बुननेका काम, सूत कातनेका काम अच्छी तरह सीख लो, यह मेरी तीव्र इच्छा है। इस कामको मैं धार्मिक और पवित्र मानता हूँ। अन्नदान और वस्त्रदान तो हमारे यहाँ श्रेष्ठ दान माना

१. गांधीजीके भतीजे, गोकुलदासकी विधवा।

२. गांधीजीके बड़े भाई, लक्ष्मीदासके पुत्र।

३. रलियात बेन।



जाता है। मुझे विश्वास है कि जो स्त्रियाँ या पुरुष लोगोंके लिए वस्त्र पैदा करते हैं, उन्हें अत्यन्त पुण्य होता है। . . .

[बापूके आशीर्वाद]

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## २६१. भाषण : बम्बईकी सभामें<sup>१</sup>

मई ६, १९१९

भाइयो,

लगता है कि अब और लोगोंके आनेकी राह देखनेकी आवश्यकता नहीं है। जब और लोग आयें तब मैं जो कह रहा हूँ, वह आप उन्हें बता देना।

हमें रविवारको जो कार्य करना है वह बड़ा महत्त्वपूर्ण है और उसके साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ जुड़ी हुई हैं। बम्बईके लोगोंने अभी तक बहुत ही शान्तिका परिचय दिया है। मुझे अब उस शान्तिका अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए। मेरे पास कुछ गुमनाम पत्र आये हैं। उनमें मुझपर भाई हॉर्निमैनके सम्बन्धमें अभी तक कुछ न करनेके कारण, विवेक-बुद्धिका त्याग करके सख्त प्रहार किये गये हैं। इससे मुझे कोई दुःख नहीं हुआ। लेकिन मैं यह देख सकता हूँ कि भाई हॉर्निमैनके प्रति लोगोंका कितना प्रेम है; और मुझे लगा कि अब मुझे चाहिए कि लोगोंकी भावनाओंको व्यक्त करूँ। जिस दिन भाई हॉर्निमैनको गिर-फ्तार किया गया, उस दिन रातको, दूसरे दिन हड़ताल किये जानेके लिए भारी हलचल हो रही थी। लेकिन कुछ लोगोंकी भारी मेहनतके परिणामस्वरूप शान्ति बनी रही। मैंने इन लोगोंको उत्तर दिया था कि जब मुझे विश्वास हो जायेगा तब मैं अपनी अनुमति दे दूँगा। मेरी पत्रिकाएँ आप अवश्य देखते होंगे। उसमें मैंने किसीको निराशाका कारण नहीं दिया। पिछले १० दिनोंमें हमने बहुत काम किया है। हमने इतने दिनों तक शान्ति बनाई रखी; और इसमें हमने अपने दिलोंपर बहुत काबू रखा। इसके लिए बम्बईके लोग बधाईके पात्र हैं। कुछ लोग ऐसा आक्षेप भी लगाते हैं कि भाई हॉर्निमैनके अंग्रेज होनेके कारण हिन्दुस्तानी कोई हलचल नहीं करते। लेकिन ऐसा आक्षेप लगानेवालोंको यह जान लेना चाहिए कि यदि बम्बईके लोगोंके मनमें भाई हॉर्निमैनके प्रति भावनाएँ होंगी तो वे समय आनेपर उन्हें अवश्य प्रकट करेंगे। जो व्यक्ति स्वतन्त्रताकी सलाह देता रहा है उसे हिन्दुस्तान भूल जाये, यह सम्भव ही कैसे हो सकता है? और जैसा कि मैंने कहा था वह समय अब आया है। मैं फिर कहता हूँ कि रविवारको हमें जो कार्य करना है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसमें हमारी भारी कसौटी होगी। हमें देखना यह है कि हम

१. यह सभा मोरारजी गोकुलदास मार्केटमें, गांधीजीकी ओरसे बुलाई गई थी। इसमें गांधीजीने लोगोंको बताया कि वे हॉर्निमैनके सम्मानमें रविवार, मई ११ का दिन किस तरह व्यतीत करें।



जो-कुछ भी करें उसमें किस तरहसे शान्ति बनाई रखी जा सकती है। मुझे उम्मीद है, जिस व्यक्तिके मनमें भाई हॉर्निमैनके प्रति आदरका भाव होगा वह अयोग्य काम कदापि नहीं करेगा। हम यदि जोर-जबरदस्तीसे किसी व्यक्तिकी दुकान बन्द करवायें तो इसका यह अर्थ होगा कि हम भाई हॉर्निमैनका पर्याप्त आदर नहीं करते। दरअसल हरएक व्यक्तिको अपना काम-काज खुद अपनी ओरसे ही बन्द कर देना चाहिए। तभी यह कहा जा सकता है कि हमारे मनमें भाई हॉर्निमैनके प्रति आदरका भाव है।

हम भाई हॉर्निमैनके प्रति आदरका भाव रखते हैं, यह बतानेके लिए हमें अपना सन्देश शहरके कोने-कोनेमें पहुँचाना चाहिए। रविवारके दिन भाई हॉर्निमैनके सम्मानमें हरएक कौमको अपना कामकाज खुशीसे बन्द रखना चाहिए। किसीके ऊपर जुल्म नहीं किया जाना चाहिए। मुझे यह भय बना रहता है कि कहीं कोई व्यक्ति अपने अन्धे प्रेमके वशीभूत होकर किसीपर बलप्रयोग न करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके मनमें भाई हॉर्निमैनके प्रति आदर भाव है। होना ऐसा चाहिए कि गाड़ीवाले अपनी मरजीसे गाड़ियाँ न चलायें, गरीबसे-गरीब दुकानदार अपनी रोजी खोकर उस दिन खुशीसे अपनी दुकान बन्द करे। हमें ट्राम नहीं रोकनी और न बैठे हुए लोगोंको उसमें से उतारनेकी ही आवश्यकता है।

मेरी ऐसी राय है कि रविवारको हमें अपना काम-काज बन्द कर देना चाहिए और दूसरोंको इसकी सूचना देनी चाहिए कि हरएक व्यक्तिको यह काम पूरे उत्साहके साथ करना है। हाँ, जिन्होंने भाई हॉर्निमैनका नाम तक नहीं सुना उनसे कहना चाहिए कि “भाई, क्या आपने भाई हॉर्निमैनका नाम सुना है? वे बम्बईके ही नहीं भारतके लोगोंकी स्वदेशके प्रति भावनाओंको जाग्रत रखते थे और हिन्दके सच्चे सेवक थे। उन्हें सरकारने देश-निकाला दिया है और उनके समाचारपत्रके प्रकाशनको बन्द कर दिया है; उसके समाचारोंपर नियन्त्रण [सेन्सर] लगा दिया है जो उसे बन्द करनेके समान ही है। इसके अलावा उनकी २,००० रुपयेकी जमानत भी जब्त कर ली गई है। यदि आपके मनमें ऐसे व्यक्तिके प्रति आदर है तो आजका अपना काम आपको अपनी खुशीसे बन्द रखना चाहिए।” यदि इन शब्दोंका उनपर असर नहीं होता तो हमें उनकी इच्छाके विरुद्ध जबरदस्ती काम-काज बन्द करवानेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि डरके मारे कोई ऐसा करे भी तो हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा।

अब हमें दूसरी बात यह करनी है कि उस दिन हम उपवास रखें। इस सम्बन्धमें मैं कल एक पुस्तिका प्रकाशित करनेवाला हूँ। उसे ध्यानसे पढ़ना। जिन्हें समझमें न आये उन्हें भी समझाना। इस समय मैं वक्त बरबाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी हालकी अन्य पत्रिकाओंको भी पढ़ जानेकी सलाह देता हूँ। यदि हम सारा दिन अपने कर्तव्यका विचार करते रहें तो हमारे मनमें क्रोध प्रवेश कर ही नहीं सकता। हिन्दुओंको मैंने यह सलाह दी है कि उस दिन ‘गीता’ का अध्ययन करें। जो स्वयं उसे समझ न पाते हों वे दूसरोंसे ‘गीता’ को समझें। ‘गीताजी’-जैसी सरल पुस्तकसे लोगोंको बहुत लाभ हो सकता है। बहुत सारे लोगोंने ‘गीताजी’ के सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न व्याख्या की है। मैंने भी अध्ययन करके उसका कुछ रहस्य समझा है। और उसे एक



दिन आपको बतानेकी मेरी इच्छा है। जिन्हें अध्ययन करनेकी तीव्र इच्छा होगी वे तो अध्ययन करेंगे ही। स्वयं संस्कृत नहीं जाननेपर किसी शास्त्रीको बुलाकर भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। यदि कोई यह कहे कि मैं स्वयं कुछ समझता नहीं हूँ और मुझ गरीबके यहाँ शास्त्री भी कैसे आये तो समर्थ लोगोंको उसकी मदद करनी चाहिए। उन्हें ऐसे लोगोंसे कहना चाहिए “भाइयो, आप हमारे घर आइयेगा; हम साथ-साथ उसे समझेंगे।” जब ऐसा भ्रातृभाव आपमें आयेगा तब किसीकी हिम्मत नहीं है कि वह हिन्दुस्तानपर आँख उठा सके। निष्ठापूर्वक रविवारका दिन व्यतीत करनेके लिए आप ध्यानपूर्वक ‘गीता’ का अध्ययन करें। अनेक बार ऐसा होता है कि कथा-वाचक कथा बाँचता है और बाकीके लोग बातचीत करते हैं। लेकिन इस रविवारको आप ध्यानपूर्वक ‘गीता’ ही सुनियेगा। घरके मुखियाको इस बातकी सावधानी रखनी चाहिए कि दूसरे सुननेवाले ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यदि आपने इन बातोंको ध्यानपूर्वक नहीं सुना तो आप किसी भी दिन भाई हॉर्निमैनका कुछ भला नहीं कर पायेंगे और इससे यह भी प्रकट नहीं होगा कि आप उनको मान देते हैं।

प्रत्येक मनुष्यको अपना फर्ज जानना चाहिए। हरएकको इस बातकी प्रतीति होनी चाहिए कि उसका जन्म हिन्दुस्तानमें हुआ है और इसलिए उसे जानना चाहिए कि हिन्दुस्तानके प्रति उसका क्या कर्तव्य है और किस तरह उस कर्तव्यका पालन किया जाना चाहिए? यदि मैं बम्बईमें पैदा हुआ हूँ तो उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? मैं सत्याग्रही हूँ तो किस लिए? मुझे सत्याग्रहके रूपमें क्या कर्तव्य करना है? आदि।

सारे बम्बई शहरके लोग यदि इस रविवारको इस तरीकेसे निष्ठापूर्वक मनन करते हुए अपना दिन व्यतीत करें तो कितना अधिक लाभ हो? मेरी धारणा है कि आपमें से कोई भी यह नहीं मानता कि सरकारने सोच-समझकर रौलट जैसे विधेयकको पारित किया है। और यदि कोई ऐसा सोचता है तो यह उसकी भूल है। सरकारको हमने कोई कारण ही नहीं दिया कि वह ऐसा करती तो फिर हम यह धारणा कैसे बना सकते हैं?

वातावरणके भीतर जब कोई बड़ा विचार व्याप्त हो जाता है तब उसका गुरु-गम्भीर प्रभाव होता है। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है और यह अनुभव मैंने दक्षिण आफ्रिकाकी आठ वर्षकी लड़ाईसे प्राप्त किया है। उस महाद्वीपके लोगोंमें एक चमत्कार ही व्याप्त हो गया था। वहाँ थोड़े व्यक्ति जेल गये, इसलिए दूसरोंने भी अपनी खुशीसे काम-काज छोड़कर जेल जाना पसन्द किया और उसका जो फल निकला सो आप जानते हैं। वहाँ के लोगोंमें उपर्युक्त भावना फैल गई थी। हिन्दुस्तानमें भी वैसी ही भावनाकी जरूरत है। सत्याग्रही ऐसी प्रबल [भावना] ही देंगे। मैं स्वीकार करता हूँ कि उनमें भी अभी कुछ कमी है। लेकिन हम चाहे कितने ही अपूर्ण क्यों न हों यदि हमारी भावना मधुर और उत्तम हो तो ईश्वर हमारी सहायता करता है। उनकी इस कमीको जनसमाज पूरा कर देगा।

इसलिए आनेवाला रविवार, हमें धर्मका पालन करते हुए पूर्ण शान्तिके साथ बिताना है। बहुतसे व्यक्ति कहते हैं कि “इस सम्बन्धमें हम अपना क्रोध कैसे दबायें, इस परिस्थितिमें हम मार-धाड़ किये बिना कैसे रह सकते हैं?” सच बात तो यह है कि



आज जो वातावरण विद्यमान है उसमें अनेक लोगोंके मनमें ऐसे विचारोंका आना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी जो अपने मनपर नियन्त्रण रखकर अहिंसाके नियमोंपर विचार करेंगे उनकी शंकाका सहज ही समाधान हो जायेगा और उनके विचार तुरन्त बदल जायेंगे। हमें आनेवाले रविवारके दिन बम्बईके नामको उज्ज्वल बनानेके साथ लोगोंपर नियन्त्रण भी रखना है। क्योंकि सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती। यदि कोई बलपूर्वक दुकान बन्द करवानेका प्रयत्न करे, कोई ट्राम रोकनेका प्रयत्न करे तो उनके पास जाकर विनयपूर्वक हमें कहना चाहिए कि “भाई, क्या आप हॉर्निमैनको मान देते हैं? यदि हाँ तो हम उनके नामपर आपसे ऐसा न करनेका अनुरोध करते हैं।” इस तरह सिपहगरी करते हुए हमें शान्ति बनाये रखना है। स्वयंसेवकोंसे भी अपना काम अच्छी तरहसे करनेके लिए कहना है। ऐसे कई व्यक्ति जो यहाँ नहीं आ सके हैं उन्हें आपको यह सब-कुछ समझाना चाहिए; यह आपका कर्त्तव्य है।<sup>१</sup>

इच्छा [तो] मेरी भी ऐसी ही थी; लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। अभी हमारे लाखों देशभाइयोंने तालीम नहीं ली है और वे पढ़े-लिखे नहीं हैं। इस सभामें उपस्थित लोगोंपर हम जो नियन्त्रण रख पा रहे हैं वह लाखों मनुष्योंपर वहाँ नहीं रखा जा सकेगा। किसी-किसीकी बुद्धि ही विपरीत होती है और उसे उपद्रव करना अच्छा लगता है। इसलिए फिलहाल इस विचारको छोड़ देना ही ठीक है।

बम्बईमें बड़ी सभाएँ आयोजित करनेका काम इन दिनों सहल हो गया है। क्योंकि बम्बईकी जनतामें अभी बहुत उत्साह व्याप्त है। लेकिन फिलहाल वैसी सभाएँ आयोजित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले नेतागण प्रजाका नेतृत्व करते थे। अब समय ऐसा है कि यदि नेता आलस करके बैठा रहे तो जनता तुरन्त उसे टोककर कहेगी कि “भाई, आगे बढ़ो; नहीं तो तुम्हारी परवाह किये बिना हम आगे बढ़ेंगे।”

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, ११-५-१९१९

१. गांधीजीने तब सभामें उपस्थित लोगोंसे अनुरोध किया कि यदि उनके मनमें किसी प्रकारका सन्देह है अथवा उन्होंने अफवाहें सुनी हों तो उस सम्बन्धमें वे उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। नीचे दिया गया अंश एक गृहस्थ द्वारा पूछे गये इस प्रश्नके उत्तरमें है कि : “यदि हम रविवारको स्नान करके धर्मस्थानमें अथवा चौपाटीपर बैठकर धर्मका ध्यान करें तो क्या बुरा है?”



रविवारकी हड़ताल और उपवास

भाइयो और बहनो,

अगले रविवारको हड़ताल, उपवास और प्रार्थना करके लोग सत्याग्रही ढंगसे सरकारको यह बता देना चाहते हैं कि सरकार अपने सैनिक-बलसे देशमें सच्चा सन्तोष स्थापित नहीं कर सकेगी। जबतक रौलट कानून रद्द नहीं कर दिये जाते, जबतक श्री हॉर्निमैन जैसे लोगोंको, जो सरकारके ऐसे कृत्योंका निर्दोष विवेचन कर रहे थे, दबा देनेकी सरकार कोशिश करती रहेगी, तबतक उसके प्रति सच्ची प्रीति सम्भव नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि अप्रीति और बढ़ेगी। दुनिया-भरमें सच्ची शांतिका आधार तोप-बन्दूक नहीं, बल्कि शुद्ध न्याय ही होता है। सरकार एक ओर तो अन्याय करे और दूसरी ओर अपने शस्त्रबलसे उसका बचाव करे, तब सरकारके ये कृत्य उसका क्रोध सूचित करते हैं। इससे तो उसके अन्यायमें वृद्धि ही होती रहती है। लोग भी सरकारकी ऐसी करतूतोंसे क्रोधमें आकर हिंसाका आश्रय लें, तो परिणाम दोनोंके लिए बुरा होता है और परस्पर द्वेषभावमें वृद्धि होती है। परन्तु जब-जब सरकारके कुछ कृत्य लोगोंको अन्यायपूर्ण प्रतीत हों, तभी उसके विरुद्ध वे अपने कण्ठसहन द्वारा अपनी सख्त नाराजगी जाहिर करें, तो सरकारको झुकना ही पड़ेगा। यह सत्याग्रहका तरीका है। अगले रविवारको अपनी इस प्रकारकी नाराजगी शुद्ध रूपमें जाहिर करनेका बम्बईके लोगोंको अवसर मिलेगा।

स्वेच्छासे और किसी दबावके बिना की गई हड़ताल लोगोंकी नाराजगी प्रकट करनेका एक सबल साधन है। परन्तु उपवास उससे भी ज्यादा बलवान साधन है। लोग जब धार्मिक वृत्तिसे उपवास करते हैं और अपने दुःखकी पुकार ईश्वरके सामने रखते हैं, तब उन्हें उसका जवाब निश्चय ही मिलता है। कठोरसे-कठोर हृदयपर भी उसका असर होता है। सभी धर्मोंमें उपवासको महासंयम माना गया है। जो स्वेच्छासे उपवास करते हैं, वे उससे नम्र बनते हैं और शुद्ध होते हैं। शुद्ध उपवास बड़ी कारगर प्रार्थना है। लाखों मनुष्योंका स्वेच्छापूर्वक निराहार रहना कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसा उपवास ही सत्याग्रही उपवास है। इससे व्यक्ति और राष्ट्र दोनों ऊपर उठते हैं। इसमें सरकारपर अनुचित दबाव डालनेका इरादा जरा भी नहीं होना चाहिए। परन्तु हम देखते हैं कि कभी-कभी बहुत-से अच्छे कामोंकी तरह इस उपवासका भी दुरुपयोग होता है। हमारे देशमें देखा जाता है कि भिखारियोंको जबतक उनका मांगा न मिल जाये, तबतक वे उपवास करनेकी धमकी देते हैं, उपवास करते भी हैं अथवा उपवास करनेका ढोंग करते हैं। यह दुराग्रही उपवास कहलाता है। इस प्रकारका उपवास करनेवाले लोग अपने-आपको नीचे गिराते हैं। ऐसे आदमियोंको



उपवास करने देना ही उत्तम मार्ग है। ऐसे उपवासोंसे दबकर किसी माँगको स्वीकार करना झूठी दया है। अन्यथा अनुचित माँगें मनवानेके लिए भी लोग उपवास करेंगे। कोई काम न्यायपूर्ण है या नहीं, इसका निर्णय करनेका प्रश्न उपस्थित होने पर अन्तरात्माकी आवाजसे नियन्त्रित हुई बुद्धिके सिवा और कोई साधन नहीं है। इसलिए यह न समझा जाये कि अगले रविवारके उपवासका हेतु किसी भी तरहसे सरकारपर दबाव डालना है।

मो० क० गांधी

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

### २६३. अपील : बम्बईके नागरिकोंसे

बम्बई

मई ७, १९१९

आगामी रविवार, इसी महीनेकी ११ तारीखको श्री हॉर्निमैनके सम्मानमें,

१. नागरिकोंको हड़ताल करनी चाहिए।
२. सबको २४ घंटेका उपवास करना चाहिए।
३. लोगोंको घरोंमें रहना चाहिए और अपना समय धर्मोपासनामें बिताना चाहिए।

किन्तु

१. काम बन्द करवानेके लिए किसीपर दबाव न डाला जाये।
  २. ट्राम गाड़ियों और अन्य सवारियोंके आने-जानेमें रुकावट न डाली जाये।
  ३. यात्रियोंको किसी भी तरह न छोड़ा जाये।
  ४. सड़कोंपर बड़ी-बड़ी भीड़ें इकट्ठी न हों।
  ५. सड़कोंपर कोई प्रदर्शन न किया जाये।
  ६. पुलिसके आदेशों और स्वयंसेवकोंकी हिदायतोंका पूरी तरह पालन किया जाये।
- श्री हॉर्निमैनका असली सम्मान इसीमें है कि पूरी शान्ति रखी जाये और उनका जल्दी वापस आना भी इसीपर निर्भर है।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, ७-५-१९१९



## २६४. पत्र : रावको

लैबर्नम रोड

बम्बई

मई ७, १९१९

प्रिय श्री राव,

मुझे स्वर्गीय सार्जेंट फ्रेजरके सम्बन्धमें आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। क्या आप मुझे कृपा करके मृत व्यक्तिके सम्बन्धमें कुछ और अधिक ब्यौरा देंगे? क्या वे अनाथ थे? क्या वे अपने माँ-बापके इकलौते बेटे थे? उनके माता-पिता क्या करते थे? श्रीमती रावने उन्हें कैसे गोद लिया था? जब वे मारे गये, उस समय उनकी उम्र क्या थी? आपके नामसे तो मुझे लगता है कि आप भारतीय हैं। क्या आपकी पत्नी भी भारतीय हैं? मुझे विश्वास है, आप इस पूछताछके लिए मुझे क्षमा करेंगे। मैं तो केवल मृत व्यक्तिका पूरा इतिहास जानना चाहता हूँ—और किसी बातके लिए न सही तो इसके लिए ही कि मैं उसे अपनी स्मृतिमें सहेजकर रख सकूँ।<sup>१</sup>

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६५९५) की फोटो-नकलसे।

## २६५. सत्याग्रह माला - १८

मई ८, १९१९

रविवारकी हड़ताल

“भगवद्गीता”की शिक्षाका सच्चा अर्थ

भाइयो और बहनो,

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’को सामान्यतः निष्पक्ष पत्र माना जाता है, लेकिन इस बार तो उसने आगामी हड़तालका उपहास और उपवासके धार्मिक रूपमें अविश्वास करते हुए कोई संकोच नहीं किया है। इस उपहास और अविश्वासको धैर्यसे सहन करना हमारा कर्त्तव्य है। हम अपने कार्योंसे—अर्थात् सच्ची सत्याग्रही भावनासे की गई हड़ताल और धर्मोपासना द्वारा—उसे इस उपहास और अविश्वासके लिए पश्चात्ताप करने पर मजबूर

१. श्रीमती ई० सी० रावने पत्रका उत्तर देते हुए लिखा था: “मेरे पतिने अगर तुम्हें पत्र लिखा है तो उन्होंने अपने जीवनकी सबसे बड़ी भूल की. . . हम लोग कतई भारतीय नहीं हैं।”



कर सकते हैं। किन्तु इस प्रसिद्ध पत्रकी सबसे अधिक दुःखदायी आलोचना तो यह है कि उसने हमारी शान्तिवृत्तिका गलत अर्थ लगाकर उससे निष्कर्ष निकाला है कि श्री हॉर्निमैनके विछोहसे हमें कोई दुःख नहीं हुआ है। हम रविवारको शान्तिपूर्ण तरीकेसे पूरी हड़ताल रखकर और पूरा दिन सच्चे हृदयसे धार्मिक चिन्तन-मननमें बिताकर 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को उसकी भूल बता सकते हैं।

अब मैं अत्यन्त विनम्र भावसे उस शंकापर विचार करूँगा जो 'भगवद्गीता' के अभिप्रायके सम्बन्धमें कुछ हिन्दू भाइयोंने उठाई है। उनका कहना है कि श्रीकृष्णने 'भगवद्गीता' में अर्जुनको अपने सगे-सम्बन्धियोंको मारनेका उपदेश दिया है। इस प्रकार उस ग्रन्थमें हिंसाकी अनुमति दी गई है और उसमें सत्याग्रह बिलकुल नहीं है। अस्तु, 'गीता' कोई ऐतिहासिक कृति नहीं है, वह तो एक महान् धर्म-ग्रन्थ है, जिसमें समस्त धर्मोंकी शिक्षाएँ सार-रूपमें दी गई हैं। कविने कुरुक्षेत्रमें पाण्डवों और कौरवोंके युद्धके अवसरका उपयोग करके हमारे भीतर अच्छाई (पाण्डव) और बुराई (कौरव) के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसकी ओर ध्यान दिलाया है। फिर उसने यह दिखाया है कि बुराईको नष्ट कर देना चाहिए और बुराईकी शक्तियोंको अज्ञानवश अच्छाई समझकर उसके विरुद्ध संघर्ष करनेमें किसी प्रकारकी शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। इस्लाम, ईसाइयत और यहूदी-धर्ममें इसे खुदा और शैतानकी लड़ाई कहा गया है और जरथुस्ती धर्ममें अहुरमज्द और अहरमनकी। इस सर्वमान्य आध्यात्मिक युद्धको एक क्षणिक सांसारिक संघर्षसे मिलाकर देखना पवित्रको अपवित्र कहने जैसा है। हम लोग, जो 'गीता' की सीखमें सराबोर हैं, किन्तु किसी विशेष आध्यात्मिक उपलब्धिका दावा नहीं करते, अपने सगे-सम्बन्धियोंके अन्याय करने पर उनके विरुद्ध तलवार खींचकर खड़े नहीं हो जाते, बल्कि उन्हें अपने प्रेमसे जीतते हैं। यदि 'गीता' का उक्त स्थूल अर्थ ठीक हो तो हम अपने जिन सगे-सम्बन्धियोंके बारेमें यह मानते हैं कि उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, उन्हें शारीरिक दण्ड न देकर हम 'गीता' के प्रति अपराध करते हैं। उस दिव्य काव्यमें अर्जुनको दिये गये इस उपदेशका स्वर हम सर्वत्र पाते हैं: 'अर्जुन, तू क्रोध रहित होकर लड़, काम और क्रोध-रूपी दोनों महान् शत्रुओंको जीत, मित्र और शत्रु सबके प्रति समदृष्टि रख, सांसारिक भोग सुख और दुःख मूलक हैं, वे अस्थायी हैं; तू इन द्वन्द्वोंको सहन कर।'" सभीका यह अनुभव है कि कोई भी अपने शत्रुको अमर्षके विना नहीं मार सकता। कोई अर्जुन ही अपने भीतरके असुरको मारकर रागरहित होकर जी सकता है। स्वामी रामदासका लालन-पालन 'गीता' के संस्कारोंके बीच हुआ था। इसलिए उन्होंने एक अन्यायीके प्रहार ही नहीं सहे, बल्कि उसे जागीर भी दिलवाई। गुजरातके प्रथम कवि और परम वैष्णव नरसिंह मेहता भी 'भगवद्गीता' के उपदेशोंमें दीक्षित हुए थे। उन्होंने अपने शत्रुओंको केवल प्रेमसे जीता और अपने एक अनुपम पदमें अपने वैष्णव बन्धुओंके आचरणके लिए सूत्र प्रस्तुत कर दिया। 'भगवद्गीता' से हिंसाकी प्रेरणा लेनेका तो एक ही अर्थ निकल सकता है कि घोर कलियुग आ गया है। यह बिलकुल सच है

१. मूलमें ये पंक्तियाँ रेखांकित हैं।



कि हम जो-कुछ पढ़ते और देखते हैं, उसमें अपनी ही भावनाओंकी प्रतिच्छाया पाते हैं। यदि यह सच है कि ईश्वरने मनुष्यको अपने जैसा ही बनाया है तो यह भी उतना ही सच है कि मनुष्य भी जैसा स्वयं होता है, अपने लिए वैसा ही ईश्वर बना लेता है। मुझे तो 'भगवद्गीता' के प्रत्येक पृष्ठमें प्रेमके अतिरिक्त कुछ नहीं मिला और मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ कि रविवारको अन्य सारे लोगोंको भी ऐसा ही दिखाई देगा।

मो० क० गांधी

गांधी स्मारक निधिमें सुरक्षित 'सांझ वर्तमान' प्रेस, फोर्ट, बम्बई द्वारा मुद्रित मूल अंग्रेजी पत्रकसे।

सौजन्य : एच० एस० एल० पोलक

## २६६. पत्र : ओ० एस० घाटेको

लैबर्नम रोड

बम्बई

मई ८, १९१९

प्रिय श्री घाटे,

मैंने सरकारके नाम [अली] बन्धुओंका प्रार्थनापत्र देखा है। यदि यह अभी भेजा न गया हो तो मैं चाहता हूँ कि यह भेजा ही न जाये। वह हमारे गौरवके अनुरूप नहीं है। उसकी भाषा असंयत है और उसमें मामला बढ़ा-चढ़ाकर रखा गया है। मुसलमानोंकी मांगमें युद्ध-पूर्वके प्रश्न भी शामिल कर लिये गये हैं। निश्चय ही यह मांग बहुत ज्यादा है। मैं तो यह चाहता हूँ कि वे अपनी न्यूनतम मांगोंकी एक विवृत्ति तैयार करें। हिजराके प्रश्नपर मैंने जिन मित्रोंसे भी बातचीत की सबने इस विचारसे असहमति प्रकट की और मौलाना साहबने भी इसे अस्वीकार कर दिया। मैं सबसे अधिक पसन्द यह करूँगा कि इस्लामकी न्यूनतम मांगोंकी एक युक्ति-युक्त और प्रामाणिक विवृत्ति तैयार की जाये। अफगानिस्तानमें जो-कुछ हो रहा है<sup>३</sup> उसके सम्बन्धमें मैं अपने मित्रोंका विचार जानना चाहूँगा। शायद ऐसा समय आ गया हो जब हम अतीव दूरदर्शिता और विवेकशीलताके बलपर ही इस आगसे बाहर निकल सकते हैं।

हृदयसे आपका,

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६५९८) की फोटो-नकलसे।

१. भारतसे।

२. अफगान युद्ध।



## २६७. भाषण : बम्बईकी महिला-सभामें

मई ८, १९१९

प्यारी बहनो,

मेरी तबीयत ठीक नहीं है; इसलिए मैं बैठे-बैठे ही बोलूंगा। जो बहनें शिक्षित हैं उन्होंने स्वदेशी-व्रतके सम्बन्धमें समाचारपत्रोंमें पढ़ा होगा। जबसे मैं दक्षिण आफ्रिका से आया हूँ, तबसे मैं जिस एक ही वस्तुके विषयमें कहता आया हूँ वह यही है। हिन्दुस्तानमें जिस हदतक पुरुष सांसारिक, धार्मिक और राजनैतिक मामलोंमें भाग लेते हैं, जबतक स्त्रियाँ उस हदतक भाग नहीं लेंगी तबतक हमें भारतके भाग्योदयके दर्शन नहीं हो सकेंगे। जिन्हें पक्षाघात हो जाता है वे लोग कुछ-भी काम नहीं कर सकते। उसी तरह स्त्रियाँ पुरुषोंके कार्यमें भाग न लेंगी तो देश कंगाल ही रहेगा। जिस देशमें स्त्रियाँ अपने पुरुषोंके सुख-दुःखके बारेमें भी नहीं जानतीं उस देशकी क्या हालत हो सकती है? मेरा [आपसे] सब-कुछ कह डालनेका मन होता है, लेकिन फुरसत न होनेके कारण मैं सारी बातें नहीं कह पाऊँगा। इसलिए, मैं यह चाहता हूँ कि आज मैं जिस विषयकी आपसे चर्चा कर रहा हूँ, उसमें आप पूरा-पूरा योगदान दें। मुझे इतना ही कहना है कि इस समय देशमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें स्त्रियोंको अपना अंशदान देना चाहिए। उसके लिए अक्षर-ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है। यह कहना गलत है कि अक्षर-ज्ञानके बिना देशके कार्यमें भाग नहीं लिया जा सकता। स्त्रियाँ घरका काम-काज अच्छी तरह चला सकती हैं। मुझे खुद किसानों और बुनकरोंके बीच काम करना है। हम जितना उत्साह शिक्षित-वर्गमें पैदा कर सकते हैं उससे कहीं अधिक उत्साह हम इस वर्गमें उत्पन्न कर सकते हैं। खेड़ा जिलेमें जब सत्याग्रह-आन्दोलन हुआ तब उसमें पुरुषोंने जितना कार्य किया बहनोंने भी उतनी ही मदद दी। लेकिन यदि वे सहायता न देतीं, डर जातीं अथवा पुरुषोंको रोक देतीं, तो हमारा क्या होता?

मेरी ऐसी मान्यता है कि स्वदेशी-व्रतमें भी जबतक स्त्रियोंकी सहायता प्राप्त न हो तबतक स्वदेशी-व्रत पूरी तरहसे नहीं निभ सकता और उसमें केवल पुरुष सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पुरुषोंका बच्चोंपर नियन्त्रण नहीं रहता। यह अधिकार स्त्रियों का है। बच्चोंकी परवरिश करना और उन्हें पहनाना-उढ़ाना माताओंके अधिकार हैं। इसलिए स्त्रियोंको स्वदेशीकी धुन लगनी चाहिए। जबतक उन्हें यह धुन नहीं लगती तबतक पुरुष इस व्रतका पालन नहीं कर सकेंगे। स्त्री गृहिणी है और राज्य करती है। उसमें यदि परिवर्तन न हो तो पुरुष क्या कर सकता है? पुरुषोंके वस्त्रोंकी अपेक्षा स्त्रियोंके वस्त्रोंका मूल्य अधिक पड़ता है और सदा यही होगा। हिन्दुस्तानसे [प्रतिवर्ष] हमारे ६० करोड़ रुपये बाहर विदेशोंमें चले जाते हैं। रेशमी वस्त्रोंपर तीन-चार करोड़ रुपये और शेष ५६ करोड़ रुपये हम सूती वस्त्रोंके बदले दे डालते हैं। हिन्दुस्तानमें तीस



करोड़की आबादी है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति औसतन [प्रतिवर्ष] अपने दो रुपये विदेशी कपड़ेपर फेंक देता है। हिन्दुस्तानमें तीन करोड़ व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन्हें एक ही वक्त खानेको मिलता है। मेरी समझमें पहले यह स्थिति न थी, और कारण यही है कि पहले हमारे घरोंमें हमारी माताएँ और बहनें सूत कातती थीं। उससे हिन्दकी लाज और मानकी रक्षा होती थी। लेकिन अब यह काम मिलें करती हैं। बम्बई क्षेत्रके बाहर तो स्त्रियाँ इस समय स्वदेशी-व्रतका पालन कर रही हैं। मद्रास, बंगाल और अन्य प्रदेशोंमें स्त्रियोंके वस्त्र देशी बुनकरोंके तैयार किये होते हैं। किन्तु बम्बई क्षेत्रमें स्त्रियाँ अधिकतर विदेशके बने हुए महँगे वस्त्र पहनती हैं। इसके लिए पुरुष ही दोषी हैं। पुरुष स्त्रियोंको विदेशी मालके विषयमें बताते हैं और वह पहनने लायक है, ऐसा समझाते हैं। इसीसे स्त्रियोंने यह भूल अपना ली है। लेकिन अब अपनी भूल सुधारी जानी चाहिए। विदेशी कलाकी खातिर हमें अपनी कलाको फेंक नहीं देना चाहिए। इस सबके बुरे परिणाम निकले हैं। अब हिन्दुस्तानको इन परिणामोंसे मुक्त करनेकी आवश्यकता है। हमारे देशकी आबोहवा चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, हम कुछ इस कारणसे उसे छोड़कर नहीं चले जाते। देशमें तैयार किया गया कपड़ा चाहे कितना ही मोटा क्यों न हो, हमें उसे प्रेमपूर्वक पहनना चाहिए। धीरे-धीरे हमारी आँखें उसे देखनेकी अभ्यस्त हो जायेंगी। हमें अपनी आत्माको सुन्दर बनाना है; बाहरका ठाठबाट नहीं चाहिए।

इसके अतिरिक्त हमारा देश कंगाल है। देशमें समय-समयपर अकाल पड़ता है। प्लेग और हैजा तो बने ही रहते हैं। हमारा देश जब सचमुच समृद्ध हो और तब हम समृद्धिका उपभोग करें तो वह उचित माना जायेगा। लेकिन फिलहाल कुछ लोगोंको तन ढाँकने-भरको भी वस्त्र नहीं मिल सकते। याद रखिये कि यदि अभी हम [स्वेच्छासे] यह कार्य प्रारम्भ नहीं करेंगे तो हमें भविष्यमें विवश होकर इसे करना पड़ेगा। यदि हम अपने कर्त्तव्यसे विमुख होंगे तो हमारी आनेवाली पीढ़ियाँ इसपर अफसोस प्रकट करेंगी। हमारा देश और भी गरीब हो जायेगा। इसलिए यदि हम यह न चाहते हों कि देश और गरीब हो जाये तो चाहे कितना ही मोटा वस्त्र क्यों न हो, आप स्वदेशी-व्रतका पालन करते हुए उसी वस्त्रको पहनें। हिन्दुस्तानमें, एक समय ढाकाकी मलमल [का थान] एक डिवियामें समा जाता था, और इतना पतला होनेपर भी वह तन ढाँकनेमें समर्थ होता था। कहाँ हैं वैसे काम करनेवाले और बुननेवाले? यह मलमल किसी मशीनसे नहीं बनती थी। फिर वे कारीगर आज असमर्थ कैसे हो गये हैं? आज तो वे बचे ही नहीं हैं। अब जो विदेशी शीने वस्त्र मिलते हैं वे नाम-मात्रके वस्त्र हैं। उनसे तन नहीं ढका जा सकता। सब लोगोंके स्वदेशी-व्रत लेनेपर हम फिरसे वैसी मलमल बना सकेंगे। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो स्त्रियोंके वशमें हैं। यह मेरा अनुभव है और सभी लोगोंका है। लेकिन मैं स्त्रियोंमें दृढ़ता, धर्मवृत्ति और देशप्रेमका आकांक्षी हूँ। दक्षिण आफ्रिकामें लड़ाईके समय बोअर स्त्रियोंने अनुपम उत्साहका परिचय दिया था। इस समय मैं जो माँग कर रहा हूँ, वह बहुत ही छोटी है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने विदेशी वस्त्रोंको फेंक दें अथवा जिन्होंने स्वदेशी-व्रत धारण न किया हो उन्हें दे दें। मैं चाहता हूँ कि सभी बहनें ऐसा करें। आज इसी समय सब अथवा कुछ बहनें इस व्रतकी ले लें, ऐसा



कहूँ तो मुश्किल होगा। लेकिन [आप] कलसे व्रत लेनेका विचार करें और मैं भगवान्से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको ऐसे विचारोंकी प्रेरणा दे।<sup>१</sup>

इस व्रतकी प्रतिज्ञा आप कल ले सकती हैं। लेकिन उसका निश्चय तो आज ही कर लेना चाहिए। यदि आप अपने सारे कपड़ोंके फट जानेकी बाट देखें तब तो बहुत देर हो जायेगी। एक-दो साड़ियाँ हों तो बात दूसरी है; किन्तु अगर साड़ियोंका ढेर लगा हो तो देशकी उन्नतिके लिए आपको यह त्याग करना ही चाहिए। अगर आपके ये सब कपड़े चोरी चले जायें तो आप क्या करेंगी? मान लीजिये कि वे चोरी चले गये हैं। देशके लिए यह बलिदान किया ही जाना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये कपड़े आपके पास बने रहें तो आपके मनमें उनके पड़े रहनेका कलक होगा और कभी-कभी उन्हें पहननेको जी करेगा। तो आप वे सारे कपड़े मुझे सौंप दें। मैं उनका कोई ठीक उपयोग करूँगा। जो यह व्रत न ले सकें वे अंशतः स्वदेशीका व्रत लें; किन्तु जहाँतक बने पूरी तरह स्वदेशीके उपयोगका व्रत लिया जाना चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

खेड़ा वर्तमान, २१-५-१९१९

## २६८. सत्याग्रह माला - १९

मई ९, १९१९

### रविवारको बम्बईकी कसौटी

भाइयो और बहनो,

रविवारको बम्बईकी कसौटी होगी। समझदार लोगोंके लिए हड़ताल, उपवास और ध्यान-पूजा बहुत सुगम हैं, और रविवारको बम्बई अपनी समझदारी सिद्ध करेगी। ब्रिटेनमें मुख्यतः स्कॉटलैंडमें प्रत्येक रविवारको धार्मिक कारणोंसे काम-काज बन्द रखा जाता है। उस दिन रेलगाड़ियाँ भी बहुत कम चलती हैं। भारतमें भी सरकारी दफ्तर रविवारको बन्द रखे जाते हैं। इसलिए हड़तालके बारेमें सामान्यतः चिन्ताकी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमारी हड़तालके बारेमें थोड़ी चिन्ता इसलिए है कि इस समय जरा क्षोभ फैला हुआ है, जब कि हमें हड़तालमें शोक और सम्मानका प्रदर्शन करना है। विभिन्न क्षेत्रोंसे जो खबरें मिली हैं और रविवारके अनुष्ठानके कारण बतानेके लिए आयोजित सभाओंसे जैसी धारणा बनती है, उससे पूरी आशा बँधती है कि बम्बई रविवारको पूर्ण शान्ति कायम रखकर अपना और भारतका नाम उजागर करेगी।

१. इसके बाद गांधीजीने कहा यदि कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछे। एकने कहा कि उनके पास जो विदेशी कपड़ा है वह काफी कीमती है और इसलिए भविष्यमें न खरीदनेकी प्रतिज्ञा लेकर इसका उपयोग कर लेना ठीक होगा। एकने कहा कि नई पोशाक बनवानेके लिए उन्हें ८ दिनकी मुहलत दी जानी चाहिए। आगेका अनुच्छेद शर्ही बातोंका जवाब है।



हमारी इच्छा है कि हर मन्दिर, मस्जिद और गिरजेमें तथा प्रत्येक समाज-गोष्ठीमें आनेवाले लोगोंसे काम-काज बन्द रखनेके लिए कहा जाये और उन्हें उपवास करने, पूरा दिन धार्मिक ध्यान-पूजामें बिताने एवं शान्ति कायम रखनेकी सलाह दी जाये।

मैं हड़ताल-सम्बन्धी पहले पत्रकमें<sup>१</sup> बता चुका हूँ कि कर्मचारी अपने मालिकोंसे अनुमति मिल जानेपर ही काम बन्द करें। किन्तु जो लोग अस्पतालोंमें या शहरकी सफाईसे सम्बन्धित कामोंमें लगे हों या जो मजदूर बन्दरगाहोंपर अकाल-पीड़ित क्षेत्रोंमें भोजनेके लिए अनाज लादने-उतारनेका काम कर रहे हों, उन्हें अपना काम बिलकुल बन्द नहीं करना चाहिए। सत्याग्रही हड़तालमें हमें सबसे पहले जनताके हितका — मुख्यतः गरीबोंकी आवश्यकताओंका — ध्यान रखना पड़ेगा। और जब हम अपने सब कार्योंमें विवेक-बुद्धिका पूरा उपयोग करेंगे तो हमारी कठिनाइयाँ वैसे ही दूर हो जायेंगी जैसे प्रातःकालीन सूर्यके सामनेसे कुहरा दूर हो जाता है।

मो० क० गांधी

गांधी स्मारक निधिमें सुरक्षित वर्तमान प्रेस, फोर्ट, बम्बई द्वारा मुद्रित मूल अंग्रेजी पत्रकसे।

सौजन्य : एच० एस० एल० पोलक

## २६९. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको

लैबर्नम रोड

बम्बई

मई ९, १९१९

प्रिय श्री ग्रिफिथ,

मिल-मजदूरोंके सम्बन्धमें मुझे मालूम हुआ है कि वे अपना सामान वेतनके दिन ही खरीद लेते हैं, और इस बार भी उन्होंने गत ३ तारीखको यह काम निबटा लिया है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि कुछ मजदूरोंने इस बातको बहुत बुरा माना है कि केवल उन्हींके लिए दुकानें खुली रखी जायें। फिर भी, यह समझा जा सकता है कि यदि दुकानें खुली रखी गईं तो उनमें से बहुतसे कुछ फुटकर सामान खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे उत्तरी बम्बईमें वर्तमान स्थितिको ज्यों-का-त्यों छोड़नेमें जितना खतरा है, उससे कहीं अधिक खतरा वहाँके सभी दुकानदारोंको अपनी दुकानें खुली रखनेकी सलाह देनेमें दिखाई देता है। इसलिए मैं इस मामलेमें किसी अशोभनीय घटनाकी सम्भावना टालनेके लिए जितनी एहतियात बरती जा सकती है उतनी बरत रहा हूँ, और कुछ नहीं।



कल काफी रात गये आपका सन्देश मिला; उसके लिए धन्यवाद। मैं एक पत्रक जारी कर रहा हूँ, जिसकी एक प्रति साथमें भेजी जा रही है। आप देखेंगे कि मैंने परमश्रेष्ठकी इच्छाका पूरा पालन किया है।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गां०

हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६५९९) को फोटो-नकलसे।

### २७०. पत्र : डॉ० पाँवेलको

लैबर्नम रोड  
बम्बई  
मई ९, १९१९

प्रिय डॉ० पाँवेल,<sup>१</sup>

पत्रके<sup>२</sup> लिए धन्यवाद। मैं अनन्तराम राधाकृष्णसे केवल एक बार ही मिला हूँ। उन्होंने मुझे कोई कार-वार भेंट नहीं की है। मुझे उनकी माल-मिलकियतका कोई अन्दाजा नहीं है, और न मेरे पास उनकी दी हुई कोई रकम ही है। मैं नहीं समझता कि सत्याग्रहके कारण उनका सिर फिर गया है। लेकिन, यह हो सकता है कि हमारी सूचीमें एकाधिक सिर-फिरे लोगोंके नाम हों।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गां०

हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६००) की फोटो-नकलसे।

### २७१. भाषण : खिलाफतके सम्बन्धमें<sup>३</sup>

बम्बई  
मई ९, १९१९

अध्यक्ष महोदयने मेरे सम्बन्धमें जो बात कही है वह ठीक है। मुझे अपने बचपनमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके भेदभाव दूर करनेका विचार आता रहता था।

१. पुलिस सर्जन, बम्बई।

२. ९ मईका।

३. यह भाषण अंजुमन जियाउल इस्लामकी ओरसे श्री एम० टो० कादरभाई बैरिस्टरकी अध्यक्षतामें खिलाफतके प्रश्नपर विचार करनेके लिए हुई सभामें दिया गया था। इसमें मुसलमान बहुत-बड़ी संख्यामें उपस्थित थे। सर्वश्री गांधी, जमनादास द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर विशेष रूपसे निमन्त्रित थे। इनमें श्री कादरभाईने गांधीजीका परिचय देते हुए कहा था : गांधीजी जीवन-भर हिन्दुओं और मुसलमानोंके मत-भेदोंको दूर करनेमें लगे रहे हैं। उन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें जो सत्याग्रह किया था वह मुख्यतः मुसलमानोंके लिए ही किया था क्योंकि दक्षिण आफ्रिकामें तीन चौथाई व्यापार मुसलमानोंके हाथोंमें है। हिन्दू-मुस्लिम मेलकी दिशामें अंग्रेजी शासन बरसोंमें जो कुछ नहीं कर सका, वह उन्होंने एक दिनमें कर दिखाया है।



फिर दक्षिण आफ्रिकामें जाकर मैंने देखा कि मुझे अपना ज्यादा वक्त मुसलमान भाइयोंके साथ ही बिताना है। मैं वहाँ एक मुसलमान भाईके मुकदमेके सिलसिलेमें ही गया भी था, इसलिए मैं उनकी आकांक्षाएँ और अभिरुचियाँ जानने लगा। उसके बाद मुझे इंग्लैंड जानेका अवसर मिला। मैं वहाँ ६ अगस्त [१९१४] को पहुँचा और वहाँ पहुँचनेपर खबर मिली कि मित्र राष्ट्रों और जर्मनीके बीच लड़ाई शुरू हो गई है। उसके बाद मैंने 'लन्दन टाइम्स' में एक लेखमाला पढ़ी कि टर्की क्या करेगा। यही सवाल लन्दनमें रहनेवाले मुसलमान भाइयोंके मनमें भी उठता रहता था। उसके बाद यह खबर आई कि टर्की जर्मनीसे मिल गया है और लड़ाईमें आ गया है। उस समय मेरे पास टर्कीकी कार्रवाईपर विचार करनेके योग्य समय नहीं था; किन्तु मैं भारतकी रक्षाके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करता रहा। और जिस समय ट्रिपोलीकी लड़ाई चल रही थी, उस समय दक्षिण आफ्रिकामें मेरे पास बहुतसे मुसलमान आते और हाल-चाल पूछते। इससे मुझे मुसलमान भाइयोंकी भावनाका अन्दाज लगता रहता था। उससे मैं [स्थितिकी कल्पना करके] काँप जाता था। मैं जब भारत लौटा तब भी मेरे दिमागमें दक्षिण आफ्रिकाकी बात घूमती रहती थी। मैं उसीको लेकर यहाँ भी हिन्दुओं और मुसलमानोंको एक करनेके सम्बन्धमें सोचता रहता था। मैं यह चाहता हूँ कि यदि मेरी मृत्यु हो तो हिन्दुओं और मुसलमानोंको एक करनेके प्रयत्नमें ही हो। मुझे अपने जीवनमें दो काम सम्पन्न करनेकी अति प्रबल इच्छा है — इनमें से एक है हिन्दुओं और मुसलमानोंकी एकता और दूसरा है सत्याग्रह। दूसरे कार्यमें हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न आ जाता है। यदि कोई जाति सत्याग्रहपर आरूढ़ रहती है तो उसमें एकताके मन्त्रको समझनेकी शक्ति अपने आप आ जाती है। अब मेरा मुख्य विषय तो यह है कि आज हम जिस मामलेको लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जब भारतमें वापस आया, मैंने यहाँ सच्चे मुसलमान भाइयोंकी खोज की। मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। उतरनेके बाद मुझे तुरन्त दिल्ली जाना पड़ा। मैं पहले भाई शौकत अली और मुहम्मद अलीसे परिचित नहीं था। किन्तु वे जब मुझसे मिले तो मुझे ऐसा लगा मानो मैं उन्हें दीर्घकालसे जानता होऊँ। उन्हें भी मेरे सम्बन्धमें ऐसा ही लगा। उसके बाद हमारे सम्बन्ध घनिष्ठ होते गये। तभी मैं डॉ० अन्सारीसे भी मिला। उसी तरह उनकी मारफत दूसरे मुसलमानोंसे मिलनेके अवसर आते गये। इनमें लखनऊके अब्दुल बारी साहब मुख्य थे। मैंने उनके साथ बातचीत की और मैं यह अनुभव करता हूँ कि यह प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण रीलट कानूनको रद्द करानेसे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे करोड़ों मुसलमानोंकी धार्मिक भावनाको चोट पहुँची है। यह बात ध्यान देने योग्य है, किन्तु है सत्य, कि इस प्रश्नमें मुसलमान स्त्रियों और बच्चों तककी दिलचस्पी है। इस समय मुसलमानोंके मनोमें एक गहरा सन्देह घर किये हुए है और वह है इस प्रश्नके सम्बन्धमें सम्राट्-सरकारकी नीयतके बारेमें। यद्यपि वाइसरायको इस स्थितिका खयाल है; किन्तु मैं यह अनुभव करता हूँ कि मुस्लिम भावनाको शान्त करनेके लिए ब्रिटेनकी नीतिकी घोषणा की जानी चाहिए। मैंने अपने मुसलमान भाइयोंसे यह चर्चा की है कि मैं उनके दुःखी हृदयोंको



सान्त्वना देनेके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं इस बीच इस विषयमें निष्क्रिय नहीं था। मैं सरकारसे पत्र-व्यवहार कर रहा था और वाइसरायको एक खुली चिट्ठी लिखी थी। आप मुझसे पूछेंगे कि आप तो हिन्दू हैं और आपको इस प्रश्नसे परेशान होनेकी क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि मुझे अपना जीवन आपके सहवासमें और पड़ोसमें बिताना है। यदि आपको दुःख होगा तो उसमें मेरा भाग भी है। और सुख होगा तो उसमें भी। इसलिए भाइयो, आपके दुःखोंके सम्बन्धमें भी मुझे बहुत चिन्ता है। मुसलमान भाइयोंपर जो मुसीबत आई है वह दूसरी मुसीबतोंकी तुलनामें असह्य है।

खिलाफतके मामलेमें तीन मुख्य प्रश्न आते हैं: १. खिलाफत (खलीफाके पद) का प्रश्न, २. मक्का शरीफ और मदीना शरीफका प्रश्न और ३. फिलिस्तीनका मामला। और इनके सम्बन्धमें ऐसा होना चाहिए कि टर्कीके यूरोपीय विभागके लोग जो-कुछ चाहते हैं वे वैसा न कर सकें। शायद शस्त्र-बलसे तो वे वैसा कर ही नहीं सकते; किन्तु चूँकि पाँच करोड़ मुसलमानोंकी भावनाको ठेस पहुँचती है, अतः यों इसका भी खयाल किया जाना चाहिए। पाँच करोड़ मुसलमानोंका दिल दुखता है, इसका अर्थ मैं यह समझता हूँ कि तीस करोड़ लोगोंका दिल दुखता है। अब मक्का और मदीनाके सवालके बारेमें मुझे यह कहना है कि ये मुस्लिम तीर्थ किसी दूसरी हुकूमतमें नहीं रह सकते; क्योंकि मैं हरएक धर्मके बारेमें कुछ समझता हूँ। फिलिस्तीन भी मुसलमानोंके हाथोंमें ही रहना चाहिए। लड़ाईसे पहले था भी उन्हींके हाथोंमें। यदि कोई जाति किसीके धर्म-स्थानोंपर बलात् अधिकार करनेके लिए आये तो ब्रिटिश सरकारको बीचमें पड़कर उनकी रक्षा करनी चाहिए। जो चीजें लड़ाईमें चली गईं, मुसलमानोंको उनको अंग्रेजोंसे माँगनेका हक है। इसके लिए हिन्दुओं और मुसलमानोंकी भावना एक होनी चाहिए। खासतौरसे इस समय हिन्दुओं और मुसलमानोंमें मेल होनेकी जरूरत है। हम सब जब इसी भारतमातासे उत्पन्न हुए हैं तो हममें भेदभाव क्यों होने चाहिए?

आज मुझे आपको एक और बात यह बतानी है कि आप एक अर्जी तैयार करके अपनी माँगें यथासम्भव शीघ्र सरकारके सामने प्रस्तुत कर दें। हिन्दू आपकी सहायता करनेके लिए तैयार रहेंगे, किन्तु पहले माँग तो आपको ही करनी चाहिए। मैंने अभी चार-पाँच दिन पहले 'टाइम्स' [ऑफ इंडिया] में इसी सम्बन्धमें एक टिप्पणी पढ़ी थी। उसमें कहा गया है कि मुसलमानोंकी माँग क्या है, यह सरकारको मालूम ही नहीं है। यद्यपि मुसलमान नेताओंके भाषणोंमें इस प्रश्नकी खासी चर्चा की जा चुकी है, किन्तु फिर भी सभी नेताओंको मिलकर सरकारके सामने अपनी माँग रखनी चाहिए। सब मुसलमान भाइयोंको समझ लेना चाहिए कि ऐसी अर्जी सरकार और जनताके सम्मुख रखना, उनका ही कर्तव्य है। इसमें आपको मेरी सहायताकी आवश्यकता हो तो मैं इतनी ही सहायता दे सकता हूँ कि मैं इन माँगोंके सम्बन्धमें आपको पत्र लिखूँ। मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। इसमें विलम्ब न करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी दलीलें सबकी समझमें आ सकें इस



रूपमें प्रस्तुत करें। यह किये बिना यदि बादमें आप कोई बेचैनी दिखायेंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। इससे आप यह समझ गये होंगे कि इस बारेमें प्रथम कर्तव्य हर हालतमें मुसलमान भाइयोंका ही है।

अब प्रश्न उठता है कि यदि आपकी माँगोंका कोई उचित उत्तर न दिया गया तो आप क्या करेंगे? इसका उत्तर मैं तो यही दे सकता हूँ कि इसका “सत्याग्रह” से कोई अच्छा उपाय हमारे पास नहीं है। यदि हम लड़ें तो उससे खून-खराबी होगी। और मुझे यह रास्ता जंगलीपनका लगता है। किसी अन्यको “मैं मारूँगा” यह सोचनेके बजाय हमें ‘मैं मरूँगा’ यह निश्चय कर लेना चाहिए। हम अपने हकके लिए मर जायेंगे; किन्तु हक लेनेके लिए किसीको मारेंगे नहीं। ‘कुरान शरीफ’ में भी यही लिखा है — ए इन्सान, अगर तू सब्र करेगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। यह रहमका कानून है, प्रेमका कानून है और ऐसा करना इन्सानका फर्ज है। सत्याग्रह क्या है, यह आप इस बातसे समझ सकते हैं। इसका आश्रय लेनेसे आपको किसी दूसरे उपायका आश्रय न लेना पड़ेगा। खून-खराबी करनेकी बात मुझे तो ठीक नहीं लगती। और इसके साथ-साथ यह भी सोचना चाहिए कि उसका नतीजा क्या होगा। इसीलिए यदि आप इन दोनों बातोंको समझते हों तो आप इस तरहसे उनको जल्दीसे पूरा करें कि उनमें कोई भी बाधा न आ सके।

आप व्यावहारिक दृष्टिसे देखें तो आप आसानीसे देख सकेंगे कि हिंसासे कोई लाभ न होगा, उससे असीम हानि ही होगी जैसा हम वीरमगाँव और अहमदाबादमें देख चुके हैं। आप इतवारको इसका और सबूत देख सकेंगे। उस दिन मैंने एक सत्याग्रही हड़ताल करनेकी सलाह दी है और उसके साथ उपवास और प्रार्थनाका कार्यक्रम सुझाया है। मुझे आशा है, आप सब उस सम्मान, शोक और आपत्तिके महान् प्रदर्शनमें सम्मिलित होंगे। यह सम्मान उस अंग्रेजका है जिसने भारतकी सच्चे हृदयसे इतनी सच्ची सेवा की है, शोक उसको निर्वासित करने पर है और आपत्ति सरकारकी अनुचित कार्रवाईके विरुद्ध है। इन सबमें हम सब एक मत हैं और मुझे आशा है कि आप इस प्रदर्शनमें पूरा हिस्सा लेंगे। तभी यह सफल होगा। जब उसमें स्वेच्छासे पूरी शान्ति रखी जाये और यदि हमने ऐसा किया तो हमें न पुलिसकी जरूरत होगी और न सेनाकी। जब भारत सत्याग्रहको पूरी तरह स्वीकार कर लेगा तो हमें हवाई जहाजोंका डर न रहेगा और हम कोलाबा एवं अन्य स्थानोंकी तरह मशीनगनोंके प्रयोगका मौका न देंगे। तब उनको मिट्टीमें दबा दिया जायेगा, उनके ऊपर घास उग आयेगी और उनपर हमारे बच्चे खेलेंगे।<sup>१</sup>

इसके बाद श्री गांधीने कहा — मैंने आपका बहुत समय लिया। मेरी यह इच्छा बहुत दिनसे थी कि मैं अपने मुसलमान भाइयोंके सामने अपने विचार खुलकर प्रकट कर सकूँ और इसका अवसर मुझे आज मिला है।

इसके बाद मौलवी अब्दुर्रफने [यह] प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसे पास करनेके बाद सभा विसर्जित हुई।

१. यह पूरा अनुच्छेद यंग इंडिया से लिया गया है।



निश्चय किया कि वाइसराय और भारतके गवर्नर जनरलसे भारत-मन्त्री और प्रधान मन्त्रीकी सलाहसे ब्रिटेनकी नीतिकी घोषणा करनेकी प्रार्थना की जाये जिसे ब्रिटिश प्रतिनिधि शान्ति-सम्मेलनमें रखें। इसका उद्देश्य यह हो—  
 (१) खिलाफतका प्रश्न भारतके मुसलमानोंकी इच्छाके अनुसार तय किया जाये;  
 (२) मक्का, मदीना, यरूसलेम, नजफ, कर्बला, केक्सोमिना, बगदाद आदि पवित्र स्थान खलीफतुल मुसलमानोंके संरक्षणमें दे दिये जायें; (३) टर्की साम्राज्यका प्रस्तावित विघटन न होने दिया जाये; (४) कुस्तुनतुनिया, जो ४०० सालसे खलीफाओंकी राजधानी रही है और जिसमें मुख्यतः तुर्क प्रजातिके मुसलमान रहते हैं, टर्की साम्राज्यकी राजधानी रहे। यह भी निश्चय किया कि उन माँगोंकी पूर्तिसे भारतके मुसलमानोंकी भावनाएँ शान्त हो जायेंगी और उनका वर्तमान भयंकर असन्तोष और क्षोभ मिट जायेगा। इसलिए यह सभा हार्दिक प्रार्थना करती है कि ब्रिटिश सरकार जल्दी ही भारतमें इस प्रश्नपर एक घोषणा जारी करवाये, क्योंकि भारतमें ऐसी घोषणासे ही शान्तिका युग आरम्भ होगा जो देशके अच्छे और व्यवस्थित शासनके लिए अत्यन्त आवश्यक है।<sup>१</sup>

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, ११-५-१९१९

## २७२. सत्याग्रह माला - २०

मई १०, १९१९

घृणा सदा मारती है, प्रेम सदा मरता है

भाइयो और बहनो,

हिन्दुओं, मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों और यहूदियोंसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि हम अपने कलके आचरणसे सरकारको यह दिखा दें कि हमारे इरादे ऐसे हैं जिनसे किसी प्रकारके अनिष्टकी आशंका नहीं है और बम्बईमें कोई भी शान्ति-भंग करना नहीं चाहता। हम धीरज तथा निरुद्विग्न भावसे बड़ीसे-बड़ी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी सिद्ध कर देना चाहिए कि हममें पूर्ण एकतासे कार्य करनेका सामर्थ्य है और हमने अपने प्रिय उद्देश्यको पूरा करनेका दृढ़ निश्चय कर लिया है। किन्तु हम सरकारके विरुद्ध मनमें दुर्भाव रखकर नहीं, बल्कि सद्भावसे न्याय प्राप्त करना चाहते हैं। घृणा हमें बराबर मारना सिखाती है और प्रेम मरना। इतना बड़ा अन्तर है दोनोंमें? जो-कुछ प्रेमसे मिलता है वह नित्य रहता है। जो-कुछ घृणासे मिलता है वह वस्तुतः भार सिद्ध होता है, क्योंकि इससे घृणाका भाव बढ़ता चला जाता है। मनुष्यका कर्तव्य घृणाका उपशमन करना और प्रेमको उत्तेजन

१. प्रस्तावका उपर्युक्त मसविदा अंग्रेजी (यंग इंडिया) से अनूदित है।



देना है। मेरी यही कामना है कि बम्बईके लोग पूरी हड़ताल करेंगे तथा उपवास रखकर ईश्वरसे प्रार्थना करेंगे — और यह सब आप प्रेमभावसे करेंगे।

मो० क० गांधी

गांधी स्मारक निधिमें सुरक्षित 'सांझ वर्तमान' प्रेस, फोर्ट, बम्बई द्वारा मुद्रित मूल अंग्रेजी पत्रकसे।

सौजन्य : एच० एस० एल० पोलक

### २७३. तार : एस० के० रुद्रको

बम्बई

मई १०, १९१९

प्रिंसिपल रुद्र  
स्टीफेंस कॉलेज  
दिल्ली

चार्लीको वर्तमान परिस्थितियोंमें बिना [सरकारी] अनुमतिके लाहौर न जानेकी सख्त हिदायत।

[अंग्रेजीसे]

बाँम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स, १९१९, पृष्ठ ४१६

### २७४. पत्र : एनी बेसेंटको

बम्बई

मई १०, १९१९

प्रिय श्रीमती बेसेंट,

पत्रके लिए धन्यवाद। जहाँतक मैं जानता हूँ, डॉ० सुब्रह्मण्यम्पर<sup>१</sup> किसीने कोई नाजायज़ दबाव नहीं डाला था। वे अपनी सत्याग्रह सम्बन्धी भेंटका हाल तो मुझसे मिलनेसे पहले ही प्रकाशित करवा चुके थे। उन्होंने प्रतिज्ञा भी बिलकुल अपनी इच्छासे ली थी और कहा था कि मैं तो जन्म-भर सत्याग्रही रहा हूँ। मुझे वह अवसर भली भाँति स्मरण है जब आपकी नजरबन्दीके दिनोंमें मैं उनसे उनके बँगलेपर ही मिला था। उस समय वहाँ आपके कई अनुयायी मौजूद थे और जब मैंने उनके सामने अपनी योजना रखी तो उनमें से एक-एक करके सभीने उसपर अपनी स्वीकृति दी थी।

१. सर एस० सुब्रह्मण्यम् अय्यर।



तब तो मुझे उन सभीसे यही मालूम हुआ था कि आप सत्याग्रहका पूरा समर्थन करती हैं और आपकी ऐसी सलाह है कि यह आन्दोलन मेरे नेतृत्वमें चलाया जाये।

किन्तु, आपके लेखोंको पढ़नेके बाद बड़े दुःखके साथ यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि श्रीमती बेसेंट बिलकुल बदल गई हैं; अब वे वह पहलेवाली श्रीमती बेसेंट नहीं रह गई हैं, जिन्होंने समस्त मानवीय नियमोंकी चाहे वे सामाजिक रहे हों या राजनीतिक — उपेक्षा करके सत्यकी खातिर संसारको चुनौती दी थी। अब आप अपनी ही शिक्षाकी ओरसे मुँह फेर लें और मुझपर “ऐसे प्रमुख नौजवानोंको, जो स्वभावसे बड़े ही नेक और विवेकशील हैं, अपनी गम्भीरतम प्रतिज्ञाएँ तोड़नेकी प्रेरणा देने” का आरोप लगायें, यह सोचकर सचमुच मन काँप उठता है। मैं यह आरोप स्वीकार करनेको तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं निश्चय ही हर आदमीको अपनी ऐसी सारी प्रतिज्ञाएँ तोड़ देनेकी सलाह दूँगा जो सत्यके विरुद्ध हों। आप जब कभी किसी व्यक्ति और उसकी अन्तरात्माके बीच कोई बाहरी आदमी — चाहे उसकी आध्यात्मिक उपलब्धि कितनी ही ऊँची क्यों न लगती हो — ला खड़ा करती हैं, तभी आप उसे समस्त मानवीय गरिमासे वंचित कर देती हैं। आपके जो अनुयायी आपके निर्देशोंको भी एक किनारे रखकर अपनी अन्तरात्माके आदेशका पालन करते हैं वे उसी प्रकार आपके वफादार हैं जिस प्रकार प्रह्लाद अपने पिताका था।

किन्तु, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। मैं तो उन्हीं श्रीमती बेसेंटको याद रखूँगा जिनको मैं अपनी युवावस्थासे ही निर्भीकता, साहस और सत्यकी जीवन्त प्रतिमूर्ति मानता आया हूँ।

आपने अपना पत्र बड़े दुःखके साथ लिखा है। लेकिन आप नहीं जानतीं कि जो लोग भारतके प्रति आपकी सेवाओंसे परिचित हैं और उन्हींके कारण आपको प्यार करते हैं, उन्हें आप इसकी तुलनामें कितना अधिक दुःख पहुँचा रही हैं।

यदि आप मुझसे मिलना चाहें तो स्वागत है। आज तो समय नहीं है। १० बजे रातके बाद ही फुरसत मिलेगी। कल सुबह खाली हूँ।

हृदयसे आपका,

हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६०५) की फोटो-नकलसे।



## २७५. तार : जे० ए० गाइडरको

बम्बई

मई ११, १९१९<sup>१</sup>

आश्रमवासियोंने मुझसे इस सवालपर सलाह मांगी है कि जिन लोगोंको वे आग लगानेसे रोकनेका प्रयत्न कर रहे थे, उनकी शिनाख्त करें या नहीं। आशा है आप शिनाख्त करनेके लिए उनपर दबाव न डालेंगे। वे आश्रमके सिद्धान्तोंके अनुसार लोगोंके विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते।<sup>२</sup> हमारा काम शासकों और प्रजावर्गमें सौहार्दकी वृद्धि करना और जहाँ कहीं भी हिंसा होती नजर आये वहाँ उसे रोकना है। हम जिन कैदियोंको अपराध करनेसे रोक रहे थे उनके विरुद्ध गवाही दें तो यह हमें प्राप्त असाधारण अधिकारका दुरुपयोग कहलायेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस मामलेमें जोर देकर जनताका ध्यान हमारे सिद्धान्तकी ओर न खीचें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे उदाहरणका अनुकरण ऐसे लोग करें जो हमारी समूची जीवन-योजनापर तो नहीं चल सके किन्तु उसे सिर्फ अपराधियोंको छिपानेके लिए एक बहानेकी तरह काममें लायें।

[ अंग्रेजीसे ]

नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल — ए : अगस्त, १९१९ : सं० २६१-२७२ और के० डब्ल्यू० ।

## २७६. तार : सत्याग्रह आश्रम साबरमतीको

बम्बई

मई ११, १९१९

यदि अन्तःकरणकी आवाज बाधक न हो तो जो व्यक्ति चाहे शिनाख्त कर सकता है। मेरी अपनी राय यह है कि जो आश्रमके सिद्धान्तोंपर चलते हैं वे जिन्हें वे, अपराध करनेसे रोकना चाहते हैं, उन्हें दोषी ठहराते हुए गवाही न दें। श्री गाइडरको पूरा तार भेजकर

१. साधन-सूत्रमें यहाँ १२ तारीख है; किन्तु अगला शीर्षक देखें ।

२. देखिए परिशिष्ट ५ ।



अनुरोध किया है कि आप सबपर दबाव न डालें। शिनाख्त करनेसे इनकार करनेवालोंपर कैदका खतरा है।

[ अंग्रेजीसे ]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल — ए : अगस्त १९१९ : सं० २६१-२७२ और के० डब्ल्यू० ।

२७७. पत्र : जे० एल० मैफीको

बम्बई

मई ११, १९१९

प्रिय श्री मैफी,

आपका पत्र<sup>१</sup> आज सुबह मिला। वह अहमदाबादसे होकर यहाँ पहुँचा। पत्रके लिए आपको धन्यवाद। उत्तरमें मैंने आपको निम्नलिखित तार भेजा है :

भारतमें घटनाचक्र बड़े वेगसे घूम रहा है। हम बारूदके ऊपर बैठे हुए हैं, जो किसी भी क्षण भड़क सकती है। मौजूदा उलझनें अफगानिस्तानवाली खबरसे और भी पेचीदा हो गई हैं। ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि परमश्रेष्ठको यह भारी बोझ वहन करनेकी शक्ति दे।

आपका पत्र पानेसे पहले ही मैंने अपने तरीकेसे भारतकी सीमाके अन्दर शान्तिमय वातावरण उत्पन्न करनेकी दिशामें काम करना शुरू कर दिया था। मैं स्वीकार करता हूँ यह स्थिति नाजुक है। देशमें शान्ति बनाये रखनेमें मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूँगा, इस बातका विश्वास दिलाना आवश्यक नहीं है। मुझे कमसे-कम इतनी अपेक्षा रखनेका हक वाइसराय महोदयको अवश्य है। परन्तु यदि मुझे सरकार कोई मदद नहीं पहुँचाती तो मेरा बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे जो सहायता चाहिए वह है मुसलमानोंके प्रश्नके बारेमें सन्तोषजनक घोषणा और रौलट कानूनोंका वापस ले लिया जाना। यदि यह सहायता दी जा सकती हो तो मेरा खयाल है कि भारत निश्चय

१. ७ मईको गांधीजीके नाम लिखे गये वाइसरायके निजी सचिवके पत्रमें लिखा था :—

“अफगानिस्तानके बारेमें जो समाचार आये हैं उनसे आपको आश्चर्य होगा। भारतमें अव्यवस्थाकी बहुत ही अतिरंजित खबरें पाकर उग्र और अनुभवहीन अमानुल्लाने निश्चय किया है कि ‘अफगानिस्तानकी तलवार भारतमें चमके।’ यह एक नई उलझन पैदा हुई है। सैनिक-दृष्टिसे यह समस्या हमारे लिए कोई गम्भीर समस्या नहीं है। हम लोग इस आवेशोन्मत्त नवयुवकके प्रति यथासंभव संयमसे काम ले रहे हैं।

“... क्या हम आपसे सहायताकी उम्मीद रखें? मेरा खयाल है कि आप भारतीय लोकमत बनानेमें बहुत-कुछ कर सकते हैं। मैं यह पत्र अपनी ओरसे ही लिख रहा हूँ। अलबत्ता मैं इसे वाइसराय महोदयको दिखा अवश्य दूँगा। आशा है आप सकुशल होंगे।”



ही सन्तुष्ट हो जायेगा। आशा करता हूँ कि इन दो मुद्दोंका उल्लेख करनेसे आप नाराज नहीं होंगे। यदि मेरा सुझाव स्वीकृत हो जाये तो मैं पंजाब जानेको भी तैयार हूँ। यदि आप व्यक्तिगत वार्तालाप आवश्यक समझते हैं तो तार द्वारा सूचित करनेमें संकोच न करें।

हृदयसे आपका,

हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६०६) की फोटो-नकलसे।

## २७८. सत्याग्रह माला - २१

मई १२, १९१९

शान्तिपूर्ण हड़ताल : बम्बईका आदर्श

भाइयो और बहनो,

कल पूर्णतः शान्ति रखकर बम्बईने बड़ा यश अर्जित किया है। शान्तिपूर्ण हड़ताल रखकर नागरिकोंने बता दिया है कि सत्याग्रहका इतना भाग वे समझ गये हैं। उन्होंने श्री हॉर्निमैनका सच्चा आदर किया है और सरकारको दिखा दिया है कि उनके निर्वासनकी वे निन्दा करते हैं। बम्बईने सारे भारतके लिए अच्छा उदाहरण पेश किया है। कल कुछ दुकानें खुली हुई थीं, यह सत्याग्रहकी दृष्टिसे बम्बईके लिए गर्व करनेकी बात है। इससे साबित होता है कि हड़ताल स्वेच्छापूर्वक हुई थी। इस अद्भुत प्रयोगकी सफलताके कई कारण हैं। परन्तु श्री विठ्ठलदास जेराजाणीके नेतृत्वमें स्वयंसेवकों द्वारा अपने कर्तव्यका समुचित पालन उनमें मुख्य कारण है। हड़तालका विचार शुरू हुआ, तभीसे उन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया था। उनके प्रयत्नोंका परिणाम हमने कल देख लिया। पुलिसका भी हमें आभार मानना चाहिए। यदि विरोधी स्वरूपका सैनिक प्रदर्शन किया जाता तो लोग उत्तेजित होते और शान्ति कायम रखनेका काम बड़ा कठिन हो जाता।

जो लोग स्वराज्य भोग रहे हैं या स्वराज्यका उपभोग करना चाहते हैं, उनमें नीचे दिये चार गुण होने चाहिए :

- (१) आत्मरक्षाके लिए उन्हें पुलिसकी सहायताकी कमसे-कम जरूरत होनी चाहिए और पुलिस और लोगोंमें मेल होना चाहिए।
- (२) जेलमें कैदियोंकी संख्या कमसे-कम हो।
- (३) अस्पतालोंमें बीमारोंकी संख्या कमसे-कम हो।
- (४) कानूनी अदालतोंमें कमसे-कम काम हो।

जहाँ लोग मारकाट करते हैं, अपराध करते हैं और अपनी इन्द्रियोंपर काबू नहीं रखते और कुदरतके नियमोंको भंग करके रोगी बनते हैं और आपसमें झगड़े करके अदालतोंमें जाते हैं, वहाँ लोग मुक्त नहीं, परन्तु बन्धनमें हैं। जब भारत बम्बईके



इस प्रयोगको जीवनकी एक स्थायी वस्तुके रूपमें स्वीकार करेगा, तब स्वराज्य और स्वातन्त्र्यका पहला पाठ सीखेगा।

मो० क० गांधी

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## २७९. पत्र : रेवरेंड एम० वेल्स ब्रांचको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

मई १२, १९१९

प्रिय रेवरेंड ब्रांच,<sup>१</sup>

आपके पत्रके<sup>२</sup> लिए धन्यवाद। मेरा खयाल है कि ईसाई धर्मके कुछ सिद्धान्त भारतके भावी विकासपर अपनी छाप अवश्य ही छोड़ेंगे।

यदि आधुनिक आन्दोलनसे आपका तात्पर्य सुधारोंके लिए किये गये आन्दोलनसे है तो वह आधुनिक संस्कृति और आधुनिक शिक्षाका परिणाम है। परन्तु यदि आधुनिक आन्दोलनसे आपका अभिप्राय सत्याग्रहसे है तो वह प्राचीन शिक्षाका अधिक विस्तृत उपयोग है। मैं नहीं समझता कि इन दोनों बातोंमें से किसीका भी ईसाई धर्मकी शिक्षासे कोई सम्बन्ध है।

मेरी धारणा है कि ईसामसीह संसारके महानतम शिक्षकोंमें से एक थे। अवतार शब्दके हिन्दू अर्थमें मैं उन्हें अवतार मानता हूँ। जिस अर्थमें कट्टर ईसाई धर्म उन्हें संसारका त्राता समझता है उस अर्थमें मैं उन्हें संसारका त्राता नहीं मानता। परन्तु वे उस अर्थमें एक त्राता अवश्य थे, जिसमें बुद्ध, जरथुस्त, मुहम्मद तथा अन्य अनेक महान् व्यक्ति थे। दूसरे शब्दोंमें मैं यह नहीं मानता कि संसार-भरमें केवल ईसा ही देवत्वसे विभूषित थे। मैंने जब 'सर्मन ऑन द माउंट' [पर्वतीय उपदेश] पढ़ा तब मेरे मनपर उसका बहुत गहरा असर पड़ा। मैं आपके इस विचारसे सहमत हूँ कि ईसामसीहके उपदेशोंका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका प्रचार-प्रसार भारत द्वारा ही होगा। मैं लाखों भारतीयोंके बीच घूमा फिरा हूँ। परन्तु मुझे ईसामसीहका कोई भी गुप्त अनुयायी नहीं मिला। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतमें ईसामसीहके गुप्त अनुयायी हैं ही नहीं। होंगे तो जरूर परन्तु बहुत नहीं। अस्तु, मैं आपकी इस रायसे पूर्णतया सहमत

१. प्रबन्धक, लखनऊ स्कूल ऑफ कॉमर्स, लखनऊ।

२. तारीख ९-५-१९१९ का, जिसमें तीन प्रश्न पूछे गये हैं। देखिए एम० एन० ६६०८।



हूँ कि ऐसे अनुयायियोंको उचित है कि वे छिपे न रहकर सामने आयें और अपनी निष्ठाकी घोषणा करें।

हृदयसे आपका,

हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६०८) की फोटो-नकलसे।

## २८०. स्वदेशी-व्रत<sup>१</sup>

मई १३,<sup>२</sup> १९१९

शुद्ध और मिश्र व्रत क्या है  
व्रतपर हस्ताक्षरकर्त्ता<sup>३</sup>

स्वदेशी-व्रत लेनेकी पहली चर्चा छः तारीखको, जब हजारों पुरुष और कुछ स्त्रियाँ समुद्र-तटपर एकत्र हुए, उस समय हुई थी; परन्तु उस समय व्रत नहीं लिया गया। अब स्वदेशीकी चर्चा खूब हो चुकी है और हमें दिशा भी मालूम हो गई है। स्वदेशी-व्रत लेना हमारा धर्म है। भारतकी सच्ची खुशहाली इसीमें है। भारतमें उत्पन्न होने और बननेवाली चीजोंका उपयोग छोड़कर भारतसे बाहरकी चीजोंका इस्तेमाल करना भारतके साथ घात करनेके बराबर है, अनुचित विलासिता है। जो वस्तु हमारे देशमें पैदा हो सकती हो, वह हमें पसन्द न आये और इसलिए हम विदेशी वस्तु काममें लें, यह तो विदेशी बन जानेके बराबर है। दूसरे देशकी आबोहवा और जमीनकी अपेक्षा हमारे देशकी आबोहवा और हमारे देशकी जमीन घटिया होनेपर भी जैसे हम उनका त्याग नहीं कर सकते, वैसे ही साफ है कि हम अपने देशकी बनी वस्तुओंका भी त्याग नहीं कर सकते। सन् १९१७-१८ में लगभग सत्तावन करोड़ रुपयेका विदेशी सूती माल भारतमें आया था और चार करोड़से ऊपरका रेशम आया था। हमारी आबादी तीस करोड़ है, जिसका मतलब हुआ कि हमने उस वर्ष प्रति व्यक्ति दो रुपये बाहर भेज दिये। इसका परिणाम देशके लिए भुखमरी ही है। तीन करोड़से ज्यादा आदमियोंको हिन्दुस्तानमें मुश्किलसे एक जून खानेको मिलता है। जब भारतमें घर-घर रुईकी कटाईका काम होता था और हजारों मनुष्य कपड़ा बुनते थे, उस समय ऐसी भुखमरी असम्भव रही होगी। किन्तु लोग जब अपने धर्ममें चूकें, उस समय यदि भुखमरी आदि संकट पैदा हों, तो इसमें क्या आश्चर्य! इन बुराइयोंका एक इलाज स्वदेशी-व्रत ही हो सकता है, इसलिए नीचे बताया हुआ व्रत तैयार किया

१. स्वदेशीके विषयपर प्रकाशित होनेवाली यह पहली पुस्तिका थी। देखिए “स्वदेशी-व्रत”, १६-६-१९१९।

२. महादेवभाईनी डायरीमें १४ तारीख है।

३. हस्ताक्षरकर्त्ताओंमें पहला और दूसरा नाम क्रमशः गांधीजी और कस्तूरबाका था। अन्य हस्ताक्षरकर्त्ताओंमें विनोबा भावे भी शामिल थे।



गया है। उसमें दो प्रकारके व्रत बताये गये हैं। पहला व्रत अधिक शुद्ध स्वदेशी-व्रत है। परन्तु सबसे शुद्ध व्रत तो वही है, जिसमें इस व्रतको लेनेवाले हाथ कते सूतके, हाथसे बुने हुए कपड़े ही पहनें। बुनाईका धन्धा अस्तव्यस्त हो जानेसे इस समय यह व्रत लेना लगभग असम्भव है, परन्तु पहला व्रत लेनेवाले लोग स्वदेशीको अपना लक्ष्य बना लेंगे तो थोड़े ही समयके भीतर हम पर्याप्त मात्रामें हाथ-बुना कपड़ा प्राप्त कर सकेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्वदेशी और विदेशीके बहिष्कारमें बहुत बड़ा अन्तर है।<sup>१</sup> मुझे तो विश्वास है कि बहिष्कारसे भारतका कोई लाभ नहीं होगा। वह तो नाककी मक्खी उड़ानेके लिए अपनी नाक काट डालनेके समान है। क्या हम रौलट विधेयक रूपी बुराईको मिटानेके लिए अंग्रेजी मालका बहिष्कार करके जापानके लिए अपने द्वार खोल देंगे? हकीकत तो यही है कि स्वदेशीका रौलट कानूनके विरुद्ध आन्दोलनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। जब सत्याग्रह जैसा बड़ा आन्दोलन चलता है तब लोग अपने कर्त्तव्यका विचार करने लग जाते हैं। यही बात स्वदेशीके बारेमें हुई है। रौलट कानून मिट जायेंगे, भारत ब्रिटिश साम्राज्यमें एक प्रतिष्ठित हिस्सेदारकी स्थिति-का उपभोग करने लगेगा, तब भी हमें स्वदेशी-व्रतका पालन तो करना ही पड़ेगा। उस समय हमारा स्वदेशी-व्रत आज जैसा सीमित नहीं होगा, बल्कि और अधिक व्यापक होगा, क्योंकि तब हम अपनी बहुत-सी जरूरतें भारतमें ही पूरी कर लेनेकी शक्ति रख सकेंगे। इस स्वदेशी-व्रतमें हम अंग्रेज-भाइयोंसे भी शरीक होनेका अनुरोध करेंगे।<sup>२</sup>

लाखों स्त्री और पुरुष स्वदेशी-व्रतका पालन कर सकें, इसके लिए व्यापारिक ईमान-दारीकी पूरी तरह जरूरत होगी। मिल-मालिकोंको स्वदेशीपर प्रीति रखकर अपने भाव तय करने होंगे। बड़े या छोटे सभी व्यापारियोंको ईमानदारी बरतनी होगी। छोटे-छोटे दुकानदार जिनसे करोड़ों गरीब लोग कपड़ा खरीदते हैं, जबतक ईमानदार नहीं बनेंगे, तबतक स्वदेशी-व्रत आगे बढ़ ही नहीं सकता, इसमें हमें जरा भी शक नहीं है। देशमें व्यापारियोंको भी स्वदेशाभिमानका जोश आ गया है और वे देशके कल्याणके लिए अपने व्यवहारमें गरीबोंपर दया करके सचाई रखेंगे, इस विश्वासपर ही स्वदेशी-आन्दोलन संगठित करनेवालोंने यह व्रत लोगोंके सामने रखनेका निश्चय किया है।

जिनके पास अभी विदेशी कपड़े हैं, उन्हें व्रत लेनेमें संकोच होता दिखाई पड़ता है। यह बात वैसे तो स्वाभाविक है, किन्तु दुःखद भी है। स्वदेशी-व्रतके हम बड़े परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। वे परिणाम त्याग किये बिना हरगिज प्राप्त नहीं हो सकते। यह आशा भी रखी जाती है कि स्वदेशी-व्रतके साथ-साथ सादगीकी भावना भी उत्पन्न होगी। सादे और अधिक टिकाऊ कपड़े खरीदकर लोग रुपयेकी बचत करेंगे और विदेशी कपड़ोंके त्यागसे होनेवाले घाटेको थोड़े ही असेंमें पूरा कर सकेंगे।

यह चेतावनी दे देनेकी जरूरत है कि कोई स्वदेशी कपड़ोंका भण्डार एकदम न भर ले। भारतमें इतना कपड़ा तो तैयार नहीं है कि हम सब, चार-चार, पाँच-

१. देखिए “स्वदेशी व्रत-१”, ८-४-१९१९।

२. देखिए “पत्र: सर स्टैनली रीडको”, ३०-४-१९१९ और “पत्र: जे० एल० मैफीको”,

५-५-१९१९।



पाँच साल तक चल सकने योग्य कपड़ा अभीसे रख सकें। जब स्वदेशीको काममें लेने-वाले बहुत-से मनुष्य हो जायेंगे, तब व्यापारी हर जगह स्वदेशी कपड़ा बेचेंगे और दिन-दिन अधिक कपड़ा बुना जाने लगेगा। स्वदेशी-व्रत लेनेवालोंको यह विश्वास रखना चाहिए कि उनकी जरूरतें पूरी होने लायक कपड़ा चाहनेपर मिल सकेगा। इतना ही नहीं, असलमें देखा जाये, तो हर एक मनुष्यका यह निश्चय होना चाहिए कि वह अपना कपड़ा अपने ही घरमें बुन लेगा—और जो ऐसा न कर सकें, वे जुलाहोंसे अपना कपड़ा तैयार करा लेंगे। इसमें कुछ भी धोखेकी गुंजाइश नहीं रहेगी और सब अपने-अपने लिए टिकाऊ और शुद्ध कपड़े तैयार करा लेंगे। यह हमारी पुरानी प्रथा है।

स्वदेशीका आधार बहनोंपर है। मुझे आशा है कि हजारों बहनों अपने पासके विदेशी कपड़ोंका त्याग करके स्वदेशीका व्रत लेंगी। हमने अबतक जो भूलें की हैं उसके प्रायश्चित्त-स्वरूप कुछ-न-कुछ असुविधाएँ भुगतनी ही चाहिए। जो विदेशी कपड़े हों, उनका दूसरा उपयोग किया जा सकता है। उन्हें विदेशोंमें बिकनेको भी भेजा जा सकता है। देशको बहनोंसे यह भी उम्मीद रखनेका अधिकार है कि वे अपने बच्चोंको स्वदेशी कपड़े पहनाने लगेंगी।

मो० क० गांधी

#### शुद्ध स्वदेशी-व्रत

मैं गम्भीरतापूर्वक घोषित करता हूँ, अबसे हिन्दुस्तानमें मैं भारतमें कते हुए भारतीय रुई, रेशम या ऊनके भारतमें ही बने हुए कपड़ेके अलावा अन्य कोई कपड़ा नहीं पहनूंगा।

मैं इस व्रतका आजीवन/वर्षों तक पालन करूँगा।

#### मिश्र स्वदेशी-व्रत

मैं दृढ़तापूर्वक घोषित करता हूँ कि अबसे मैं हिन्दुस्तानमें केवल वही वस्त्र पहनूंगा जो भारतीय या विदेशी सूत, रेशम या उनसे भारतमें ही बुना गया हो।

मैं इस व्रतका आजीवन/वर्षों तक पालन करूँगा।

स्वदेशीका सच्चा आदर्श केवल उसे हाथके बुने कपड़ेका इस्तेमाल करना है जो हाथसे कते सूतका हो; लेकिन आज बड़ी संख्यामें लोगोंको ऐसा कपड़ा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। किन्तु ऐसी आशा की जाती है कि स्वदेशी और सच्ची कलाके प्रेमी थोड़ी असुविधा उठाकर भी न केवल स्वयं हाथ-कता और हाथ-बुना कपड़ा पहनेंगे बल्कि जितने ज्यादा चरखे और हाथ-करघे चलवाना सम्भव होगा, चलवायेंगे।

१. यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि इस आन्दोलनका रौलट कानूनको रद्द करवानेके उद्देश्यसे चलनेवाले आन्दोलनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। उस कानूनके रद्द होनेसे या अन्य सुविधाएँ और सुधार प्रदान किये जानेसे स्वदेशी-व्रतपर या स्वदेशी-के प्रसार आन्दोलनमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।



२. इस व्रतपर हस्ताक्षर करनेवालोंके पास जो विदेशी कपड़े हों, उन्हें नष्ट करनेका सुझाव बिलकुल छोड़ दिया गया है, क्योंकि इस सुझावके ऐसे गलत अर्थ लगाये जा सकते हैं जिससे यूरोपीयोंके प्रति दुर्भावना पैदा हो सकती है या बढ़ सकती है, जब कि वर्तमान स्वदेशी-आन्दोलनके संयोजकोंके लिए किसीके प्रति दुर्भावना की कल्पना भी असम्भव है। लेकिन यह व्रत हस्ताक्षरकर्ताको, व्रत लेते समय यदि उसके पास विदेशी कपड़ा हो तो उसे आगे पहननेकी मनाही करता है।

३. स्वदेशी-व्रत लेनेवाले मुसलमान, पारसी, ईसाई और यहूदी लोगोंको ऐसा विदेशी वस्त्र धारण कर सकनेकी अनुमति है जिसका कोई धार्मिक महत्त्व हो।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १७-५-१९१९

## २८१. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको

लैबर्नम रोड

बम्बई

मई १४, १९१९

प्रिय श्री ग्रिफिथ,

'मुस्तफा कमाल पाशाका जीवन-चरित्र' के विक्रेताका नाम सूचित करनेके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखता हूँ कि यह पुस्तक वजित पुस्तकोंमें से किसीका पुनर्मुद्रित संस्करण नहीं है। इसे भूलसे मुस्तफा कमाल पाशाका भाषण समझकर पुनर्मुद्रित किया गया है और भाषण वजित पुस्तकोंकी सूचीमें है। इसलिए मैं उक्त पुस्तककी विक्रीको रोकनेके लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा हूँ; हाँ, यदि आप इसके प्रतिकूल कुछ कहना चाहें तो बात अलग है। उस पुस्तककी एक प्रति आपके अवलोकनार्थ भेज रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि आप मेरी इस रायसे सहमत होंगे कि पुस्तक बिलकुल निर्दोष है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरी जिन-जिन पुस्तकोंपर रोक लग चुकी है उनके संदर्भमें पहली मुलाकातके अवसरपर आपसे बातचीत होनेके बाद मैंने कानूनी स्थितिकी जाँच फिरसे कराई थी। तब मुझे यह मालूम पड़ा कि सरकारके कानूनी सलाहकारोंकी राय यह थी कि उक्त पुनर्मुद्रित पुस्तकें जव्तीसे सम्बन्धित आज्ञाओंके अन्तर्गत नहीं आतीं। उनकी यह राय तत्सम्बन्धी मेरी रायके मुकाबलेमें अधिक सही थी। चूँकि हम लोग इन पुस्तकोंकी विक्री सत्याग्रह चलानेकी खातिर शुरू कर चुके थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जबतक जनतामें फैली हुई रोषकी लहर समाप्त नहीं होती तबतक इस किताबकी विक्रीको न्यायोचित ठहरानेके लिए जनताके समक्ष लम्बी-चौड़ी सफाई पेश न करना ही हितकर होगा।

१. देखिए "वक्तव्य : सत्याग्रह समाकी ओरसे", ७-४-१९१९।





आपने देखा होगा कि सूरत अथवा अन्य जगहोंमें कोई हड़ताल नहीं हुई थी। डॉक्टर होराको मैंने सत्याग्रही समझ लिया था। मैं नहीं जानता था कि वे सत्याग्रही नहीं हैं।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गां०

[ अंग्रेजी ]

मूल पत्र (एस० एन० ६६११) की फोटो-नकलसे।

२८२. पत्र : डॉक्टर एस० सुब्रह्मण्यम् अय्यरको

लैबर्नम रोड

बम्बई

मई १४, १९१९

प्रिय डॉक्टर सुब्रह्मण्यम्,

श्रीमती बेसेंटने जो पत्र आपकी ओरसे मुझे लिखा है और मैंने उसका जो उत्तर<sup>१</sup> दिया है, उनकी नकलें इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। पत्रमें उन्होंने जो बातें कही हैं उनपर विश्वास करना मुझे कठिन मालूम हुआ है। विशेष अनुनय किये जाने के बारेमें मुझे कुछ मालूम नहीं है। न मुझे यह विश्वास है कि आप किसी महान् ऋषिके आदेशपर भी — कभी सच्चे रास्तेसे विचलित हो सकते हैं। क्या कोई शपथ किसी व्यक्तिको सत्यका अनुसरण करनेसे रोक सकती है? खैर, आप बतायेंगे कि जिन वक्तव्योंको मेरा कहा जा रहा है वे सही हैं या नहीं। मेरे लेखे तो सत्याग्रहकी आज जैसी दीप्ति कभी नहीं रही। उसने पहले सरकारी दमनकी आँधीके थपेड़े झेले हैं और अब उसे उन लोगोंके विरोधकी आँधीका सामना करना पड़ रहा है जो अपनी हिंसावृत्तिको छिपानेके निमित्त सविनय अवज्ञा आन्दोलन छोड़ना चाहते हैं। यह सत्याग्रहकी ही बदौलत था कि दंगे एक छोटेसे दायरेमें सीमित रह गये और लोगोंके दिलोंमें श्री हॉर्निमैनके देश-निकालेसे उत्पन्न होनेवाले तीव्रतम सार्वजनिक सन्तापके रहते हुए भी बम्बई आश्चर्यजनक आत्मनियन्त्रणसे काम ले सकी। आशा है आप सकुशल होंगे।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गां०

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६०५) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए “पत्र : एनी बेसेंटको”, १०-५-१९१९



## २८३. सत्याग्रहपर टिप्पणी

[मई १५, १९१९]<sup>१</sup>

जिस प्रकार आपके साथ शान्तिपूर्वक रहनेकी मेरी उत्कट इच्छा है ठीक उसी प्रकार अंग्रेजोंके साथ भी; या यों कह लीजिए कि समस्त संसारके साथ। परन्तु मैं सम्मानके साथ शान्ति चाहता हूँ—और स्पष्टतया ऐसी शान्ति, सुगमतासे केवल सत्याग्रहके द्वारा ही मिल सकती है।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६१२) की फोटो-नकलसे।

## २८४. तार : वाइसरायके निजी सचिवको

बम्बई

मई १५, १९१९

निजी सचिव

वाइसराय

शिमला

१२ मईके 'हिन्दू' से पता चलता है कि लाहौरके श्री गोवर्धनदास मद्रासमें उक्त तिथिको गिरफ्तार कर लिये गये। उनकी गिरफ्तारी लाहौरके फौजी अधिकारी [मिलिट्री कमान्डेंट] के आदेशानुसार हुई थी। कहा जाता है कि उनके वकीलको [गिरफ्तारीका] हुक्मनामा देखनेकी अनुमति नहीं दी गई। हमारी जानकारीके मुताबिक गोवर्धनदासको भी अपनी गिरफ्तारीके कारण नहीं मालूम। उनके वकीलने पुलिस कमिश्नरके नाम इस आशयकी अर्जी दी थी कि गोवर्धनदासको अपराध सूचित किये बिना जेल न भेजा जाये; किन्तु वह अस्वीकृत कर दी गई। जमानत भी मंजूर नहीं की गई। अनुमान है कि गोवर्धनदासकी गिरफ्तारी पंजाबसे सम्बन्धित उनके बम्बई तथा दूसरी जगहोंमें दिये गये वक्तव्योंके कारण हुई है। आज सुबह यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि श्री नॉर्टन तथा रायको 'ट्रिब्यून' के सम्पादककी पुरबी करनेकी इजाजत नहीं दी गई। इससे लोगोंको गोवर्धनदासके प्रति पंजाब सरकार द्वारा उचित व्यवहार अथवा न्यायकी आशा नहीं बची

१. ये पंक्तिशै वाइसरायके निजी सचिवको प्रेषित ता० १५-५-१९१९ का तार (एस० एन० ६६१३) जहाँ प्राप्त हुआ है उसके पिछले पन्नेपर मिली हैं।



है। कृपया सूचित करें कि गोवर्धनदासका अपराध क्या है और वे पंजाबसे बाहरके किसी वकीलको लगा सकते हैं या नहीं। और श्री नॉर्टन और रायको 'ट्रिब्यून' के सम्पादककी पैरवी क्यों नहीं करने दी गई।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६१३) की फोटो-नकलसे।

### २८५. पत्र : जे० एल० मैफीको

बम्बई

मई १६, १९१९

प्रिय श्री मैफी,

इसके साथ मैं उस तारकी नकल भेज रहा हूँ जो मैंने कल आपको भेजा था। मैंने पंजाबकी घटनाओंके बारेमें एक भी शब्द नहीं कहा है। इसका कारण यह नहीं है कि मैंने उनके बारेमें सोचा-विचारा नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि मैं जान नहीं पाया कि क्या सच माना जाये और क्या झूठ। यहाँतक कि सरकारी वक्तव्य भी बहुत अधिक खरे और स्पष्ट नहीं हैं। मुझे आशा थी, और अब भी है, कि दंगोंके कारणों तथा उन्हें दबानेके लिए की गई सरकारी कार्रवाइयोंके सम्बन्धमें शीघ्र ही पूर्ण रूपसे जाँच की जायेगी।

श्री गोवर्धनदासकी गिरफ्तारी और सहवर्ती घटनाओं तथा 'ट्रिब्यून' के सम्पादकके वकीलों, सर्वश्री नॉर्टन और रायके नाम जारी की गई निषेधाज्ञासे भी मुझे वैसा ही सदमा पहुँचा है जैसा कि कोड़े मारनेके समाचारसे पहुँचा था।

मैं इस अवसरपर आपको जो कष्ट दे रहा हूँ उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। परन्तु मैं जानता हूँ कि आप मेरे इस विशेष आग्रहको समझेंगे।

मेरी समझमें अफगानिस्तानसे उठा तूफान<sup>१</sup> लगभग शान्त हो गया है।

हृदयसे आपका,

मो० क० गां०

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६१५) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र : जे० एल० मैफीको", ११-५-१९१९की पाद-टिप्पणी १।



## २८६. पत्र : साकरलाल दवेको

बम्बई जाते हुए रेलगाड़ीमें,  
मई १९, १९१९

भाई श्री साकरलाल,

मैं आपको पत्र जितनी जल्दी लिखना चाहता था उतनी जल्दी नहीं लिख सका। मैं भाई अमृतलालकी तलाशमें हूँ। मुझे यह भरोसा है कि जून मासमें मामा वहाँ पहुँच जायेंगे और वे ठीक तरह काम करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। इस पाठशालाको अच्छी तरहसे चलानेकी शक्ति हममें आनी ही चाहिए।

आपने जो व्याकरण-दोष बताये हैं, उनसे तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इस बारेमें भाई महादेव आपको और अधिक लिखेंगे। मैं शुद्ध भाषा लिखनेका खूब प्रयत्न तो करता हूँ परन्तु दोषोंका रह जाना सर्वथा संभव है। क्योंकि गुजरातीपर मुझे थोड़ा-बहुत जो अधिकार प्राप्त है वह केवल प्रेमसे प्राप्त किया हुआ है। मुझे भाषा-ज्ञानके विकासका तो अवसर ही नहीं मिला। 'शक्' धातुका प्रयोग जान-बूझकर किया गया प्रयोग है। 'निर्भय' आदि शब्दोंके प्रयोग जान-बूझकर नहीं किये गये हैं, परन्तु भाई महादेव उन प्रयोगोंका समर्थन करते जान पड़ते हैं। आप दोनों जिस निर्णयपर पहुँचेंगे, उसे मानकर मैं सुधार कर लूँगा। जहाँ आप दोनोंके बीच मतभेद होगा, वहाँ जबतक मुझे अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जायेगा, तबतक आपका निर्णय मानूँगा, क्योंकि मेरे खयालसे आपके निर्णयमें अधिक तटस्थता होगी। आप मेरी भाषामें सुधार सुझाते रहिये; इसे मैं [अपने प्रति आपके] निर्मल प्रेमकी निशानी समझूँगा।

अब 'भगवद्गीता' के बारेमें : मैंने उसका जो अर्थ किया है, वह मैंने उसमें स्वतंत्र रूपमें न पाया होता तो मैं जरूर यह कहता कि यद्यपि 'भगवद्गीता' सत्याग्रहके सिद्धान्तके विरुद्ध है, फिर भी वही सिद्धान्त सच्चा है। 'भगवद्गीता' का बहुत ही दुरुपयोग किया जाता है, इसीलिए मैंने कुछ वर्षोंसे जो अर्थ स्वीकार कर रखा है, उस अर्थको उपयुक्त समय आनेपर अब मैं लोगोंके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आनन्दशंकर भाईकी रायकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। तथापि यदि वे भी मेरे मतके विरुद्ध हों, तो भी मैं अपने परखे हुए मतको हरगिज नहीं छोड़ूँगा। फलकी आसक्ति रखे बिना कर्म करते रहना 'भगवद्गीता' का आशय जरूर है। मैं उसीमें से सत्याग्रह निकाल लेता हूँ। जो फलपर आसक्ति नहीं रखता, वह दूसरेकी हत्या नहीं करेगा, अपनी आहुति दे देगा। दूसरेकी हत्यामें अधीरता है और अधीरतामें आसक्ति होती है। यह तो मैंने अपनी दलीलों [के धाराप्रवाह] में से आपको एक बूँद-मात्र ही दी है। मगर दलीलोसे मैं आपको या किसीको भी समझाना नहीं चाहता। चाहूँ भी तो मुझमें वह शक्ति है, यह मैं नहीं मानता। मेरे पास इससे कहीं अधिक प्रबल शक्ति है, और वह अनुभवकी है। सन् १८८९ में मैंने 'गीता' का प्रथम अनुभव प्राप्त

१. साकरलाल अमृतलाल दवे, एक गुजराती शिक्षाविद् ।



किया, तभी मैंने उसमें सत्याग्रहकी झाँकी देखी और ज्यों-ज्यों मैं 'गीता' को अधिक पढ़ता गया, त्यों-त्यों झाँकीके स्थानपर मुझे उसमें सत्याग्रहके स्पष्ट दर्शन हुए। स्थूल अर्जुनको समझानेके लिए कृष्ण-जैसा चतुर मनुष्य 'गीता' का ज्ञान बहा दे, यह तो चमड़ेकी रस्सीके लिए भैंस मारनेके समान होगा। यह मान्यता, यदि कृष्ण परमात्मा हैं तो उन्हें लाञ्छित करनेवाली है और अर्जुन यदि अनुभवी और विवेकी योद्धा हो तो उसके प्रति अन्याय करनेवाली है।

आप इन विचारोंको सहज ही दरगुजर नहीं करेंगे इसका तो मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इनपर विचार करें और इनका विकास करें। यह तो आप सहज ही स्वीकार करेंगे कि विद्वत्तापूर्ण आलोचनाका मूल्य अनुभवके आगे — भले ही वह अनुभव किसी अल्पबुद्धि व्यक्तिका भी क्यों न हो — बहुत ही थोड़ा है।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## २८७. पत्र : मणिबेन परीखको

बम्बई जाते हुए रेलगाड़ीमें

मई १९, १९१९

प्रिय मणिबेन,

आपके पिताजीका स्वर्गवास हो गया, यह मैंने कल सुना; परन्तु आपको दिलासा देने न आ सका। प्रियजनोंका वियोग तो सदा दुःखदायी होता ही है। कारण कि "देहीके स्नेही सकल स्वार्थी, अन्त साथ ना आयेंगे" ऐसा हमारे एक कविने गाया है। उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ। गहराईमें उतरकर देखें, तो दुःख देनेवाली चीज हमारा प्रेम नहीं, बल्कि स्वार्थ है। यदि ऐसा न हो, तब तो जैसे जीर्ण हुए मकानको छोड़कर नये मकानमें जाते समय हमें आनन्द होता है, वैसे ही जीर्ण शरीरको छोड़कर एक मित्र-आत्माके नई देह धारण करनेमें क्या शोक हो सकता है? यह बात छोटी या बड़ी उम्रमें मरनेवाले सभीपर लागू होती है। कोई शरीर कब निकम्मा हो जाता है, यह तो उसे बनानेवाला ही जाने; यह जाननेका हमें अधिकार नहीं है। परन्तु मेरा आपसे ये सब बातें कहनेका विचार नहीं था। इस समय मेरा मन दूसरी ही दिशामें बह रहा है, इसलिए इतना लिख गया। मुझे कहना तो यह है: जैसी भव्य मृत्यु आपके पिताजीकी हुई है, वैसी सभीकी हो, यह हमारे लिए कामना करने योग्य बात है। किसीसे भी सेवा कराये बिना, स्वयं दुःख भोगे बिना, अनायास ही मृत्युको प्राप्त होनेवाले मनुष्य कम ही देखनेमें आते हैं। ऐसे लोगोंमें आपके पिताजीकी सदा गिनती होगी। यों तो किसी भी मृत्युका शोक करना बेकार है। पर ऐसी मृत्युका शोक तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको सान्त्वना नहीं, बधाई देता हूँ।

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५



## २८८. पत्र : सूरतके सत्याग्रहियोंको

बम्बई

मई २०, १९१९

आपका पत्र भटकता हुआ मेरे हाथ तो आज ही आया है। मैं समझता हूँ कि [आपके लिए] मेरे हस्ताक्षरोंका लोभ रखना अनुचित है। मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि मैं सब पत्रोंपर दस्तखत नहीं कर सकता और सब पत्र लिखवा भी नहीं सकता।

जबतक हिन्दुस्तान सत्याग्रहके सच्चे स्वरूपको नहीं समझता, तबतक आपके द्वारा उठाई हुई शंकाएँ उठती ही रहेंगी और आपको धीरज भी रखना ही पड़ेगा।

सत्याग्रह शुरू होनेके बाद ध्येय तक पहुँचकर ही समाप्त होता है। कितनी ही बार उसके समाप्त होनेका आभास होता है, परन्तु वास्तवमें तो वह बन्द होता ही नहीं। जिस समय सत्याग्रहके दुराग्रहमें परिवर्तित हो जानेकी सम्भावना हो, उस समय सत्याग्रह बन्द कर देनेपर ही सच्चा सत्याग्रह चालू होता है। सत्याग्रह ऐसी सूक्ष्म वस्तु है कि बार-बार संशोधन और अनुभव करनेपर ही कुछ अंशोंमें उसका ज्ञान होता है। मैं इस वक्त जैसे हालात देख रहा हूँ, उनके आधारपर कानून-भंगरूपी सत्याग्रहके जुलाईमें शुरू होनेकी सम्भावना है। इससे पहले भी शुरू होनेके अवसर आ सकते हैं।

सत्याग्रहके कुछ स्वरूपोंको बार-बार मुलतवी करना पड़े, यह सम्भव है। उपवासादि धार्मिक क्रियाओंमें कितना बल है, आपको यह बात समझाना, ऐसा लगता है कि किसी हदतक अशक्य-सा है क्योंकि उपवासादि तो आप बरसोंसे करते ही आये हैं। ये आपने किये होंगे। किन्तु उनके पीछे यदि सत्याग्रहकी भावना होती, तो जो-कुछ आपको लिखना पड़ा है, उसे लिखनेकी आवश्यकता ही न रहती। आपने पहले जो उपवास किये हों, उनमें और हॉर्निमैनके लिए रविवारको जो उपवास किया, उसमें अगर आपको कुछ भी फर्क न दिखाई दिया हो तो मुझे कहना चाहिए कि आपने अपने-आपको धोखा दिया है। मेरा प्रबल विश्वास है कि हममें जिस हदतक सत्याग्रहकी न्यूनता है, उस हदतक हमारी लड़ाई लम्बी होती जाती है। वैराग्यहीन त्याग, त्याग नहीं है। आपमें से जिन्होंने नौकरी वगैरह सब कुछ खो दिया है, उन्होंने अगर खोनेमें कुछ पाया नहीं, तो वह खोना निरर्थक है। जो नौकरी छोड़े बिना रह ही नहीं सकते हों, उनके नौकरी छोड़नेको ही नौकरी छोड़ना कहा जा सकता है। [नौकरी] छोड़नेमें दुःख होनेके बदले रस आना चाहिए था। मैं देख रहा हूँ कि छोड़नेवालोंको वह नहीं आया। इसीलिए आप अपनी दशा त्रिशंकु-जैसी मान रहे हैं।

सत्याग्रहका मौका देनेवाला मैं कौन ? सत्याग्रही सदा ही स्वतन्त्र हैं। मुझसे आप सलाह-मशविरा कर सकते हैं। यह सही है कि जहाँ सामूहिक सत्याग्रह हो रहा हो, वहाँ किसी एक व्यक्तिके अधीन रहकर काम करना चाहिए। किन्तु सत्याग्रही बन जानेके बाद सत्याग्रह करनेका अवसर तो सबको सदा अपने-आप मिलता ही रहता है। जो शंका-



शील और चिन्तामय अवस्थामें हों, उन्हें सत्याग्रही कैसे माना जाये? सत्याग्रही होना तलवारकी धारपर चलनेके बराबर है।

इतना लिखनेपर भी अगर मैं आपकी शंकाओंका समाधान नहीं कर सका होऊँ, तो उस हालतमें मैं तो आपको धीरज रखनेकी ही सलाह दे सकता हूँ। अगर सत्याग्रहका सही अर्थ आप किसी भी प्रकार जेल जाना ही करते हों, तो किसी भी कानूनको तोड़कर जेल जाया जा सकता है। अगर इसी तरह सत्याग्रह किया जा सकता हो, तो हर कैदी सत्याग्रही है।

जिन कानूनोंको तोड़नेमें नीति भंग न होती हो, उनकी सकारण सविनय अवज्ञा ही सत्याग्रह हो सकती है। अगर ऐसे ही अवज्ञाके सम्बन्धमें आपको बता सकूँ, तब तो मैं खुद ही कर डालूँ।

मोहनदास गांधी

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

## २८९. सत्याग्रहियोंके सम्मेलनके बारेमें परिपत्र<sup>१</sup>

लैबर्नम रोड

बम्बई

मई २१, १९१९

प्रिय श्री,

यदि आवश्यक हुआ तो पंजाबकी घटनाओंके सम्बन्धमें भी सत्याग्रह शुरू किये जानेके बारेमें विचार किया जायेगा। सुझाव है कि भिन्न-भिन्न केन्द्रोंके सत्याग्रही बुलाये जायें और उनका छोटा-सा अनौपचारिक खानगी सम्मेलन किया जाये। सम्मेलन इस माह बुधवार, २८ तारीखको बम्बईमें हो। क्या आप इस सम्मेलनके लिए अपने प्रान्तसे एक या एकसे अधिक प्रतिनिधि भेज सकेंगे? सभाका स्थान व समय बादमें सूचित किया जायेगा।

[ सेवामें ]

श्रद्धानन्दजी

हुसैन इमाम

सुन्दरलाल

कस्तूरी रंगा आयंगार

जयरामदास

वल्लभभाई

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६१८) की फोटो-नकलसे।

१. मूल परिपत्रपर दी गई टिप्पणीके अनुसार यह समाचारपत्रोंमें प्रकाशनार्थ नहीं था।



## २९०. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको

बम्बई  
मई २३, [१९१९]

प्रिय श्री ग्रिफिथ,

क्या आप मुझे भारत-रक्षा कानून [डिफेंस ऑफ इंडिया ऐक्ट] के अन्तर्गत दिये गये विनियमोंकी एक प्रति भेज सकेंगे या कहींसे भिजवा सकेंगे? मैं उसे आज शामको ही लौटा दूंगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त तथा महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्रसे; बॉम्बे गवर्नमेंट रेकॉर्ड्स : बॉम्बे पुलिस कमिश्नरकी फाइल सं० ३००१/एच/१९, पृष्ठ १२९।

## २९१. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको

बम्बई  
मई २३, [१९१९]

प्रिय श्री ग्रिफिथ,

आपने मेरे लिए भा० र० वि०' की एक प्रति प्राप्त करनेके लिए जो कष्ट उठाया, उसके लिए अनेक धन्यवाद।

मुझे आपका यह सन्देश भी मिला कि आप मुझसे कल मुलाकात करना चाहेंगे। परन्तु मैं एक पूर्व निश्चित कामके सिलसिलेमें आज रातको डाक गाड़ीसे अहमदाबाद रवाना हो रहा हूँ। आज साढ़े चार बजेसे पाँच बजेके बीच अथवा फिर मंगलवारको जिस समय भी आप चाहें मैं आपसे मिल सकता हूँ; क्योंकि अहमदाबादसे मैं मंगलको सुबह ही वापस आ जाऊँगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त तथा महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्रसे : बॉम्बे गवर्नमेंट रेकॉर्ड्स : बॉम्बे पुलिस कमिश्नरकी फाइल सं० ३००१/एच/१९, पृष्ठ १२५।

१. भारत-रक्षा विनियम ( डिफेन्स ऑफ इंडिया रेग्युलेशन्स ) ।



## २९२. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको

लैबनम रोड

बम्बई

मई २३, [१९१९]

प्रिय श्री ग्रिफिथ,

पत्र मिला। धन्यवाद। मंगलवारको २ बजे दिनसे ४ बजे तक का समय मेरे लिए बिलकुल अनुकूल रहेगा।

मैं इस पत्रके साथ "लेजिस्लेशन ऐंड ऑर्डर्स रिलेटिंग टु द वॉर" जिसमें भारत-रक्षा विनियम भी हैं वापस भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त तथा महादेव देसाईके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्रसे : बॉम्बे गवर्नमेंट रेकर्ड्स : बॉम्बे पुलिस कमिश्नरकी फाइल संख्या ३००१/एच/१९, पृष्ठ १२७।

## २९३. पत्र : अली भाइयोंको

लैबनम रोड

गामदेवी

बम्बई

मई २३, १९१९

प्रिय मित्रो,

मैं कुछ बातोंमें आप लोगोंसे सहमत नहीं हो पाया हूँ और इसलिए दुःखी मनसे यह पत्र लिख रहा हूँ, आपको भी इससे दुःख होना अनिवार्य है। मैंने श्री घाटेकी मारफत आप लोगोंको जो पत्र लिखा था, पता नहीं वह पत्र आपको मिला या नहीं; यह भी नहीं मालूम कि यदि मिल गया था तो आप तक पहुँचा या नहीं। वाइसरायके नाम आपके अभ्यावेदनके बारेमें मेरे विचार उस पत्रसे स्पष्ट हो जाते हैं। मैं वे बातें ही संक्षेपमें दुबारा स्पष्ट करनेकी चेष्टा करूँगा, क्योंकि आपका उत्तर न पानेसे मुझे लग रहा है कि मेरा वह पत्र आपको नहीं मिला है।



मेरी समझमें आप जिस उद्देश्यके लिये प्रयत्नशील हैं और मेरी दृष्टिमें मुख्य रूपसे आप जिसकी प्रतिमूर्ति हैं और जिसके लिये आप वर्षोंसे चुपचाप कण्ट झेल रहे हैं, उसे देखते हुए आपका अभ्यावेदन अशोभनीय था। उस अभ्यावेदनमें प्रयुक्त भाषा उत्तेजनापूर्ण थी और उसमें लच्छेदार शब्दोंकी जैसी भरमार थी उसे एक अभ्यावेदनके योग्य नहीं कहा जा सकता। आपने उसमें मुसलमानोंकी ओरसे जो मांगे रखी हैं उन्हें होना तो ऐसा चाहिए था कि उनमें से कुछ भी कम न किया जा सके, मगर वे जरूरतसे ज्यादा हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन समस्याओंसे सम्बन्धित प्रश्नोंको फिरसे नहीं उठाना चाहते जिन्हें, सही अथवा गलत ढंगसे, महायुद्धसे पहले हल किया जा चुका है। अलबत्ता आपको यह हक जरूर है कि आप महायुद्धके प्रारम्भ होनेके समय इस्लाम धर्मको जो धर्मोत्तर राजनैतिक पद प्राप्त था उसकी पुनर्प्रतिष्ठाकी मांग करें। कुछ देरी तो हो गई है; किन्तु मैं चाहता हूँ कि आप फिरसे अपना अभ्यावेदन लिखें। उसे ऐसे तर्कबद्ध सुसंगत ढंगसे प्रस्तुत करें कि वह बरबस संसारका ध्यान आकृष्ट कर ले। यह तो ठीक है कि किसी भी अनुष्ठानकी सफलता अन्ततोगत्वा ईश्वरकी इच्छापर निर्भर रहती है; परन्तु ईश्वरेच्छापर बहुत हदतक उस सर्वशक्तिमान्के निकट जानेवाले बन्देके आचरणोंका असर पड़ता है और वहाँ तो विनय और संयमसे पवित्र अनासक्त ठंडे दिमागके सिवा और कुछ कारगर नहीं होता। मैं तो इस नये अभ्यावेदनमें व्यक्तिगत कण्टोंका कतई जिक्र न करूँ। आपका जीवन्त आत्मबलिदान सामने है और स्वयं बोलता है। यदि आपको मेरा सुझाव मान्य है तो मैं आपके अभ्यावेदनको फिरसे लिख डालनेके लिए तैयार हूँ।

दो अन्य बातें जिनपर मेरा आपसे मतभेद है, आपके वे दो पत्र हैं जिन्हें आपने समाचारपत्रोंमें प्रकाशनार्थ भेजा था। अब आप समझ गये होंगे कि मैंने आपके पहले पत्रका प्रकाशन क्यों रोक दिया। दूसरे पत्रको भी, जो अभी-अभी मिला है, उन्हीं कारणोंसे रोक लिया है। इस पत्रको प्रकाशित न करनेका एक कारण यह भी है कि उसमें आपके द्वारा की गई श्री नाज़िमकी सिफारिश बेजा है। जब परीक्षाका समय आया तब उन्होंने सत्यका नहीं, असत्यका साथ दिया। मुझे उनसे सहानुभूति है, परन्तु मैं आपके इस विचारसे सहमत नहीं हूँ कि अधिकारियोंने जो कदम उठाया वह अनुचित था। उनपर आरोप लगाया गया तब उन्होंने जान-बूझकर झूठा वक्तव्य दिया। उनका कर्त्तव्य था कि वे सही वक्तव्य देते। इस दुखद घटनाकी पूरी तफसीलमें जाकर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता।

मुझे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि नजरबन्दीके हुक्मकी आपकी आधी अवज्ञा मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे मालूम नहीं कि बम्बईमें मेरी रिहाईपर मैंने जो सन्देश आपके लिए भेजा था वह आपको मिला या नहीं। मैंने कहा था कि आप नजरबन्दीके हुक्मकी अवज्ञा न करें। मैं चाहूँगा कि अगर आपसे बने तो हुक्मउदूली सम्बन्धी अपनी सूचना वापस ले लें और वाइसरायसे कहें कि और गहराईसे सोचने-पर और उस लक्ष्यके हितको देखते हुए, जिसको लेकर आप चले हैं, आपने फिलहाल आज्ञाको भंग न करनेका निश्चय किया है।



शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि जो गोपनीय पत्र मैंने अभी हालमें वाइसराय तथा बम्बईके गवर्नरको लिखे हैं उनमें मैंने निश्चयपूर्वक मुस्लिम प्रश्नको उठाया है, और उसे खिलाफत तथा पवित्र स्थानोंतक ही सीमित रखा है। कृपया अमन साहबसे मेरा नमस्कार कहें और चिरंजीव बच्चोंसे — मैं उनके नाम भूल गया हूँ — कहें कि मुझे पहलेकी भाँति पत्र लिखा करें।

हृदयसे आपका,

मूल अंग्रेजी पत्रकी प्रतिलिपि (एस० एन० ६६२२) की फोटो-नकलसे।

### २९४. पत्र : एन० पी० काँवीकी

[बम्बई]

मई २५, १९१९

प्रिय श्री काँवी,

मुझे मालूम हुआ है कि काठियावाड़के कोई श्री मणिलाल यादवजी व्यास और वहीके डॉक्टर पोपटलालको, जो कि कराचीमें रहते थे, १८६४ के अधिनियम ३के अन्तर्गत ब्रिटिश भारत छोड़कर चले जानेका हुक्म मिला है, क्योंकि उस अधिनियमकी रूसे वे विदेशी माने गये हैं। इस हुक्मके परिणामस्वरूप उन्होंने सिन्ध छोड़ दिया है और इस समय वे काठियावाड़में हैं। मेरी रायमें देशी रियासतोंकी प्रजाको कराचीसे निर्वासित करनेके लिए उन्हें 'विदेशी' कहना कराचीके स्थानीय अधिकारियोंकी ज्यादाती है। १८६४ के अधिनियम ३, खण्ड १ के संशोधनको पढ़नेपर कानूनकी दृष्टिसे मेरी बातकी पुष्टि होती है। मुझे ऐसा लगता है कि सिन्धके अधिकारियोंको इस अधिनियममें हाल ही में किये गये संशोधनका पता न था। मैं देखता हूँ कि वह अधिनियम १९१४ में इस प्रकार संशोधित किया गया था :

१८६४ के फॉरेनर्स ऐक्टके खण्ड १में, "विलियम चतुर्थके अध्याय ८५, खण्ड ८१के कानून ३ और ४के निहित अर्थमें साम्राज्यका देशजात प्रजाजन न हो और न ब्रिटिश भारतका निवासी", के स्थानपर निम्नलिखित शब्द होंगे :

"(क) जो ब्रिटिश नेशनैलिटी ऐंड स्टेट्स ऑफ एलियन्स ऐक्ट, १९१४" के खण्ड १के उपखण्ड १ और २में दी गई परिभाषाके अनुसार देशजात ब्रिटिश प्रजाजन न हो, या

(ख) जिसे ब्रिटिश भारतमें इस समय प्रचलित किसी भी कानूनके अन्तर्गत ब्रिटिश प्रजाजनके रूपमें नागरिकताका प्रमाणपत्र न मिला हो;

किन्तु यदि कोई ब्रिटिश प्रजाजन ब्रिटिश भारतमें फिलहाल प्रचलित किसी भी कानूनके अन्तर्गत ब्रिटिश प्रजा कहलानेका अधिकार खो देता है, विदेशी माना जायगा।"

१. अन्य देशीयोंके ब्रिटिश राष्ट्रिकत्व और दर्जेसे सम्बन्धित अधिनियम।



पत्र : कर्नल ट्यूकको

३२९

ब्रिटिश नेशनैलिटी ऐंड एलियन्स ऐक्ट खण्ड १ का प्रवर्ती भाग जिसका उल्लेख ऊपर कहे हुए संशोधनमें किया जा चुका है— इस प्रकार है :

(१) नीचे लिखे व्यक्ति देशजात ब्रिटिश प्रजा कहलायेंगे :

(क) कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म सम्राट्के राज्यों अथवा अधिकार क्षेत्रोंमें से किसीमें हुआ हो ।

(ख) किसी भी ब्रिटिश प्रजाजनकी सन्तान— फिर वह सन्तान चाहे उस अधिनियमके पास होनेके पहले पैदा हुई हो या बादमें— यदि उसका जन्म ऐसे स्थानपर हुआ है जहाँ सुलहनामे, समध्यर्पण अनुदान, प्रथा, स्वीकृति अथवा अन्य किसी वैध रूपमें ब्रिटिश प्रजाजनोंपर सम्राट् अधिकारारूढ़ है, सम्राट्के मातहत देशमें पैदा हुई मानी जायेगी ।

यह बात बिलकुल साफ है कि इन दोनों देशी रियासतोंके प्रजाजनोंको विदेशी मानना अनुचित था, उनकी पैदाइश ब्रिटिश डोमीनियनोंमें अथवा सम्राट्के मातहत अन्य देशोंमें हुई है इसके आधारपर वे देशजात ब्रिटिश प्रजाजन हैं । इसलिए मैं यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि इन और यदि इन्हीं जैसे अन्य निर्वासित हों तो उन्हें अपने रहने और कारबार चलानेकी जगह, सिन्धमें लौट सकनेका अधिकार है । इसलिए मुझे विश्वास है कि परमश्रेष्ठ उपरोक्त आदेशोंको रद्द कर देनेकी कृपा करेंगे ।

हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६२४) की फोटो-नकलसे ।

२९५. पत्र : कर्नल ट्यूकको

आश्रम

मई २५, १९१९

प्रिय कर्नल ट्यूक,

आपका इसी २४ ता० का पत्र मिला, धन्यवाद । अभी हालके उपद्रवोंको दबानेके लिए की गयी फौजी कार्रवाइयोंके अवसरपर जो लोग घायल हुए थे उनके सम्बन्धमें आप यदि सम्भव हो तो यह सूचित करें कि अनुमानतः कितना रुपया खर्च होगा । मुझे यह भय तो नहीं है कि रकमको जुटानेमें कठिनाई होगी परन्तु जरूरत कितनेकी है यह जान लेना अच्छा होगा । कृपा करके उत्तर श्री वल्लभभाई पटेल, भद्रा (बम्बई) के पतेसे भेजियेगा । वे इस मामलेमें उचित कार्रवाई करेंगे । मैं आज रातको बम्बई जा रहा हूँ ।

हृदयसे आपका,

दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६२५) की फोटो-नकलसे ।



## २९६. पत्र : मगनलाल गांधीको

सूरत

मई २६, १९१९

चि० मगनलाल,

तुम्हें छोड़नेके बाद मेरे मनमें बुनाईके कामके सम्बन्धमें बहुतसे विचार आये हैं। मुझे लगता है जनताकी संयमकी प्रवृत्तिमें यदि हम चार कदम आगे चलते रहें तभी हम अपने जीवनको शोभा प्रदान कर सकते हैं। शुद्ध स्वदेशी-व्रतका<sup>१</sup> पालन करनेमें प्रजाको हमारी सेवाओंकी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। कारण जिन्होंने व्रत लिया है वे जैसे-तैसे देशी मिलोंका सूत लेकर, और उसे बुनवाकर, अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन शुद्ध स्वदेशी-व्रतका जो आदर्श रूप है इसके पालनमें तो फिलहाल केवल आश्रम ही उनकी मदद कर सकता है। इसलिये [जनतासे] पहले व्रतका पालन करवानेकी ओर हमारा प्रयत्न कम होना चाहिए। लेकिन विशुद्ध स्वदेशीके पालनमें बहुत सारे स्त्री-पुरुष जल्दी सफल हो सकें, इसके लिए हमें भगीरथ प्रयत्न करना होगा और उस प्रयत्नकी दिशामें पहला कदम तो यह है कि हमें सूत कातना और बुनना शुरू कर देना चाहिए। सन्तोक न जा सके तो भले दुर्गा ही अकेली जाये। वह भी यदि न जाये तो किसी पुरुषको भेजो। तुम्हें बिना विलम्बके बीजापुर पहुँचना ही चाहिए। जगन्नाथ और छोटालालको केवल बुनाईके कामपर ही लगाना चाहिए। भुंवरजीके साथ सलाह-मशविरा करके रसोईके कामकी व्यवस्था करो। गोकुलबेनको लिखो। चाहे जो मरजी करो लेकिन जगन्नाथ और छोटालालको किसी अन्य काममें लगाना पाप समझो। आश्रमके लिये कुछ मँगवाना हो तो उसके लिए रेवाशंकर अथवा किसी औरको लगाओ; उनसे कुछ भूल हो तो सहन करो। लेकिन जो काम एक पाईसे हो सकता हो उसपर रुपया मत खर्च करो। इमाम साहबकी तबीयत ठीक हो जाये तो [कुछ हदतक] उन्हें भी बुनाईके काममें लगाना। जब तुम सूत कातना आरम्भ करोगे तब सबकी सेवाओंका आसानीसे उपयोग किया जा सकेगा। तुम भी अपने समयका अधिकांश इस शुद्ध स्वदेशीका विस्तार करनेके विचारमें और उसके अनुरूप कार्य करनेमें व्यतीत करो।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७७४) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

१. शुद्ध स्वदेशी-व्रतका अर्थ तो यही था कि हाथ-कते और हाथ-बुने कपड़ेका उपयोग किया जाये किन्तु यह मानकर कि ऐसा कपड़ा पर्याप्त मात्रामें मिलना संभव नहीं होगा शुद्ध स्वदेशी-व्रतकी प्रतिष्ठा ऐसी रखी थी कि उसमें देशी मिलोंके कपड़ेका निषेध नहीं होता था। गांधीजीका यह वाक्य इसी बातको ध्यानमें रखकर लिखा गया है।



## २९७. भाषण : महिलाओंकी सभामें

सूरत

मई २६, १९१९

बहनो,

आप मेहरबानी करके मुझे क्षमा करेंगी कि मैं खड़ा होकर भाषण नहीं दे पाऊँगा। मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं खड़ा होकर बोल सकूँ। खड़ा होता हूँ तो सारा शरीर कांपता है, इसलिए मुझे आपसे जो दो शब्द कहने हैं वे मैं बैठे-बैठे ही कहूँगा। आप सबका दर्शन पाकर मैं अपनेको भाग्यशाली मानता हूँ। यह समय सिर्फ बात करते हुए चुपचाप बैठे रहनेका नहीं है। हिन्दुस्तानके लिए यह ऐसा समय है जब प्रत्येक स्त्री-पुरुषको जो कार्य आता है सो अच्छी तरह किये बिना छुटकारा नहीं है। भाषण देना, गीत गाना और तरह-तरहके नारे लगाना, यह सब आवश्यक है; लेकिन वह सिर्फ इसलिए कि हम मुख्य कार्यके प्रति सतर्क रहें। जब हम मुख्य कार्यको जान गये हैं, तब यदि हम केवल बोलकर अथवा सुनकर सन्तोष प्राप्त करके बैठ रहेंगे तो अधोगतिको प्राप्त होंगे, इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है। फिलहाल तो हमें चुपचाप काम करना चाहिए; अगर बोलना है तो हमारा काम ही बोले। समस्त हिन्दुस्तानके लोगोंके सम्मुख जब मैंने सत्याग्रहका कार्यक्रम रखा तब मुझे लोगोंके सच्चे स्वरूपकी खबर न थी, इस कारण आज उसने दूसरा ही रूप धारण कर लिया है। मैं सबको सत्याग्रहका अर्थ बतलाना चाहता हूँ। सत्याग्रह दो तरहसे किया जा सकता है, लेकिन उसका मन्त्र तो एक ही है और वह यह कि हम सत्यको इतनी दृढ़तासे पकड़े रखें कि भले ही हमारे हाथ टूट जायें लेकिन हम उसे न छोड़ें। हम इस मन्त्रको अपने अन्तःकरणमें इस सीमा तक अंकित कर लें कि उसके अलावा मनमें किसी और वस्तुका विचार आये ही नहीं। जिन बहनोंने सत्याग्रहका अर्थ विनयपूर्वक सरकारी कानूनको तोड़ना ही समझा है, वे उसके अर्थको नहीं समझ सकीं हैं। सत्यकी खातिर कई बार सरकारी कानूनोंको भंग भी करना पड़ता है। ऐसा अवसर रौलट विधेयकके समय आया था। उस समय मैंने बताया था कि कानून कौन भंग कर सकता है और कब कर सकता है, इसपर लोगोंको विचार करना चाहिए। लेकिन लोग उस बातको नहीं समझे। वैसे भाइयोंकी अपेक्षा बहनोंने उसे अधिक समझा। अगर कोई कहे कि बहनें और कर भी क्या सकती हैं, तो मैं ऐसा कहनेवालोंकी परवाह नहीं करूँगा। पुरुषकी अपेक्षा स्त्रीजातिको अधिक सहना पड़ता है। अधिकार तो दोनोंके एक समान हैं। मैं स्वयं तो यहाँतक मानता हूँ कि पुरुषोंकी बनिस्बत स्त्रियोंके पास कष्ट सहन करनेका एक अधिकार ज्यादा है। दुनियामें स्त्रियोंके समान पुरुषोंने सहन नहीं किया। स्त्रियोंने नम्रताका जितना परिचय दिया है उतना पुरुषोंने नहीं दिया। किन्तु इस समय तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रौलट



विधेयकसे सम्बन्धित सत्याग्रह बन्द नहीं हुआ है। [सत्याग्रह प्रतिज्ञापर] हस्ताक्षर करनेवालोंकी संख्या सूरत अथवा दूसरे स्थानोंमें कम है लेकिन लोगोंने उसका नारा पकड़ लिया है और इसीसे कुछ कसर आ गई। यह नारा जिस हदतक [वातावरणमें] व्याप्त हो गया उस हदतक उसकी परीक्षा नहीं हुई। फिर भी जिस व्यक्तिने वह प्रतिज्ञा ली है, वह इसे समझा है या नहीं, वह इस प्रतिज्ञासे मुक्त नहीं हो सकता। कानून कब तोड़ा जा सकता है और किस समय सरकारी कानूनोंका पालन करनेमें सत्याग्रह है, इनपर भी हमें विचार करना चाहिए। इस समय तो हम इन दोनोंमें से एकको भी नहीं समझते। परिस्थितिके अनुसार राजा अथवा प्रजा दोनोंके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाना चाहिए। जिस समय देशमें सत्याग्रह चल रहा हो उस समय कोई भी खून-खराबी न करे, इस कथनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। लोग पूछते हैं कि सारा देश इस बातको कैसे मान सकता है। मैं कहता हूँ मान सकता है। जनता सत्याग्रहपर ऐसी श्रद्धा रखती हो अथवा न रखती हो, तो भी किसी व्यक्तिकी जान अथवा मालको हानि न पहुँचाना — सत्याग्रहका मूल सिद्धान्त है। हिन्दुस्तान इस सिद्धान्तको समझ गया है। यदि एकाध जगहके लोग इसे नहीं समझ सके हैं तो हमें चाहिए कि हम उन भूले हुआओंको फिरसे समझायें। इस समय हम जनताको बता रहे हैं कि यदि किसी भी व्यक्तिके जान-मालको नुकसान न पहुँचानेमें लोगोंकी श्रद्धा दृढ़ नहीं हो जाती तो हम सत्याग्रहको आरम्भ नहीं कर सकते। मैं ज्यादा गहराईमें तो नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर कहूँगा कि किसीके मनमें यह सन्देह नहीं होना चाहिए कि सत्याग्रह तो बन्द हो गया है। सत्याग्रह शुरू होनेके बाद बन्द हो ही नहीं सकता। मैं ये शब्द सोद्देश्य कह रहा हूँ। सत्याग्रह बन्द नहीं हुआ है, यह तो, जिस समय सरकार रौलट विधेयकोंको वापस ले लेगी, तभी बन्द हो सकता है।

इसके बाद मुझे एक और बात आपसे करनी है। यह सत्याग्रह जितनी ही महत्त्वपूर्ण है। यह सत्याग्रहसे उत्पन्न होती है लेकिन रौलट विधेयकोंसे नहीं। जब सत्याग्रह चालू होता है तब स्त्री और पुरुष सत्यके सम्बन्धमें विचार करने लगते हैं। यदि हमने सत्यका तनिक भी पालन किया हो तो हमें अपनी तथा अपने आसपासकी अपूर्णताको दूर करनेकी बात सूझती है। ऐसी एक अपूर्णता स्वदेशी [के सिद्धान्त]को भंग करनेकी है। स्वदेशी-व्रतका क्या मतलब हुआ? कौन इसका पालन करे? इसका अर्थ यह हुआ कि हमें हिन्दुस्तानसे बाहरके देशोंमें बनी हुई वस्तुओंका तबतक उपयोग नहीं करना चाहिए जबतक वे अच्छी-बुरी मगर यहींकी बनी मिलती हैं। जो विदेशी वस्तुएँ हमारी दैनिक आवश्यकताके लिए जरूरी न हों उनका तो हमें त्याग ही कर देना चाहिए। आवश्यक वस्तुएँ, जैसे यदि फसल अच्छी न हुई हो तो हम अनाजका आयात कर सकते हैं। लाज ढाँकनेके लिए आवश्यक पहननेके वस्त्र न मिलें तो उस हालतमें हम, निःसन्देह, उन्हें भी बाहरसे मँगवा सकते हैं। मगर हिन्दुस्तान ऐसा देश है कि जहाँ जरूरतकी सब वस्तुएँ मिलती हैं। जिसने दाँत दिये हैं वह खानेको भी देगा। हिन्दुस्तानमें हमारी सब जरूरतें पूरी होने योग्य वस्तुएँ मिल सकती हैं। गुजरात प्रदेशकी भूमि इतनी उपजाऊ है कि वहाँ अकाल कभी नहीं पड़ता। यहाँ थोड़ी ही कोशिशसे



अनाज उत्पन्न किया जा सकता है, इस कारण हम भुखमरीकी पूरी कल्पना नहीं कर सकते; लेकिन गुजरात ही हिन्दुस्तान नहीं है। हिन्दुस्तान-भरमें बहुत-से स्त्री-पुरुषोंको एक ही वक्त खानेको मिलता है और जो मिलता है वह भी दाल-भात तथा घीके साथ सम्पूर्ण भोजन नहीं होता और-तो-और उसके साथ ढंगके मसाले आदि भी नहीं, सिर्फ मैला-सा नमक ही उन्हें मिल पाता है। हिन्दुस्तानमें एक समय ऐसा था कि जब भुखमरी नहीं होती थी। हमारे महान् नेता सर शंकरन नायरने<sup>१</sup> एक लेखमें लिखा है कि एक सौ वर्ष पहले इस देशमें आजके समान भुखमरी नहीं थी। वह दशा तो अब हुई है।

इसका कारण हमारा स्वदेशीके व्रतको न पालना ही है। हमारे अपने मजदूर और कारीगर भूखे मरते हैं और हम विदेशी वस्तुएँ मँगवाते हैं। इस पापका फल भुखमरी न हो तो और क्या हो? इस पापको दूर करनेके लिए मैंने हिन्दुस्तानकी जनताके सम्मुख स्वदेशी-व्रत रखा है। यह कोई ऐसा कठिन व्रत नहीं है जिसका पालन किया ही नहीं जा सकता। हिन्दुस्तानमें अनाजके बाद बड़ीसे-बड़ी जरूरतकी चीज कपड़ा है। इसके लिए गतवर्ष हमने साठ करोड़ रुपया विदेशोंको भेज दिया। यदि इसपर विचार करें तो बड़ी शर्मकी बात है। अहमदाबादके पास बावला नामका एक गाँव है। वहाँ आजकल अकाल है; किन्तु अकालसे पीड़ित वहाँके लोग अनाज मुफ्तमें नहीं लेते। वे सूत कातकर उसकी मजूरीके बदलेमें [अनाज] लेते हैं, और इस प्रकार लोगों-पर भार नहीं बनते।

हिन्दुस्तानमें कमी अनाजकी नहीं अपितु पैसेकी है। [बावलाके] इन लोगोंने कौनसी मजदूरी की? सड़क बनानेकी नहीं; सड़क बनानेकी अपेक्षा अनाज पैदा करना अधिक आवश्यक काम है। यह वास्तवमें पहला काम है और फिर कपड़ा तैयार करना दूसरा काम है। उन लोगोंने सूत काता और मजूरीके द्वारा अपने लिये अनाज प्राप्त किया तथा दूसरोंको वस्त्र दिये; यह दोहरा लाभ हुआ। जब आप भी ऐसा करेंगी तब हिन्दुस्तानकी शोभा होगी। यह शोभा इंग्लैंड और जापानकी साड़ियोंसे प्राप्त नहीं हो सकती। आप इन साड़ियोंसे अपने धर्मकी रक्षा नहीं कर सकतीं। आप धर्मका नहीं बल्कि अधर्मका पोषण करती हैं। मैं बहनोंसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप अधर्म छोड़ दें। कुछ बहनें कहती हैं कि हम क्या करें? हम तो पराधीन हैं। और पुरुषोंका कहना यह है कि स्त्रियाँ ठाट-बाट नहीं छोड़ सकतीं, इसलिए हम लाचार हैं। हमारा तीन-चौथाई पैसा तो उनके वस्त्रोंमें ही चला जाता है, इसलिए पहले आप स्त्रियोंको समझाइये। मैं बहुत बहनोंसे मिला हूँ। मैंने घर-गृहस्थी भी चलाई है। मुझे बराबर लगता रहा है कि अपनी पत्नीकी अपेक्षा तो मैं अधिक पराधीन हूँ। आश्रममें दूदाभाईको रखा, उस समय मुझे अपनी पराधीनताका अनुभव हुआ। मैं उन्हें अपने साथ नहीं रख सका। आप स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हैं। यदि आपको भोजनालय अथवा होटलसे भोजन लानेके लिए कहा जाये तो आप इसे पसन्द नहीं करतीं।

१. (१८५७-१९३४); मद्रास उच्च-न्यायालयके न्यायाधीश तथा १८९७ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष ।



आपको यह अपनी मान-हानिके समान प्रतीत होता है। इसी तरह आपको चाहिए कि आप अपनी साड़ी स्वयं बनायें, अपने बच्चोंके कपड़े भी आप खुद तैयार करें। सारी स्त्रियाँ ऐसा न कर सकें तो आप जिस तरह अपने-अपने धोबी और नाई रखती हैं उसी तरह अपने-अपने बुनकर रखें। हम कितने नासमझ हैं; हिन्दुस्तानके प्रति कैसा विश्वासघात किया कि ६० करोड़ रुपया बाहर भेज दिया! एक समय ऐसा था और उसे बहुत वर्ष नहीं हुए—क्योंकि १०० वर्ष राष्ट्रके जीवनमें अधिक नहीं कहे जा सकते—जब भारत अपने लिए तो वस्त्र तैयार करता ही था, बाहर भी भेजता था। आज ऐसी स्थिति है कि अपनी जरूरतका एक चौथाई भाग ही हम तैयार कर पाते हैं। इससे अधिक लज्जाकी बात और क्या हो सकती है? उस समय हमारी सभी गरीब और अमीर बहनें अपने-अपने घरोंमें चरखेका मधुर गीत सुनती हुई सूत कातती थीं। उससे रेशम-जैसी महीन साड़ियाँ बनती थीं। आजकल बहनें अच्छे-अच्छे भोजन बनानेमें अपना समय गँवाती हैं। और यदि उससे समय मिलता है तो बातोंमें नष्ट करती हैं। मैं अत्यन्त विनयपूर्वक आपसे यह कहनेके लिए आया हूँ कि हम खानेके लिए नहीं जीते; जीनेके लिए थोड़ा-सा भोजन मिलता रहे तो हमें उससे सन्तोष मानना चाहिए।

वर्तमान कालमें हिन्दुस्तानके लोग कमजोर होते जा रहे हैं। बालक हृष्ट-पुष्ट होनेके बजाय एकदम अशक्त दिखाई पड़ते हैं। हमारा ऐशो-आराम इसका कारण है। हमें उतने ही आरामका उपभोग करना चाहिए और ऐसा ही भोजन लेना चाहिए जिससे शरीरको नुकसान न हो और हम जिससे शक्तिशाली बनें। यदि आप तरह-तरहके भोजन बनान तथा बातोंसे समय निकालकर घरोंमें चरखे ले आयें और उनपर सूत कातें तो आप बड़ी-बड़ी मिलोंसे होड़ करने लगेंगी। आप खड्डूसे कपड़ा तैयार करेंगी तो भारतके मुक्त होनेकी अवधि समीप आ जायेगी। तब हिन्दमें धर्मका प्रवेश होगा, हिन्दुस्तानसे भुखमरी दूर होगी। अपने बुनकरोंकी बुनी हुई साड़ी यदि आपको पसन्द न आये तो पहले-पहल उससे गुजारा कर लीजिए और उन्हें अपनी कलामें सुधार करनेके लिए कहिए। मेरे वस्त्र किसने बनाकर दिये हैं? गंगाबहनने; गंगाबहन बीजापुरमें रहती हैं। उन्होंने पहले मुझे मोटी खादी दी। मैंने तो ग्रीष्म ऋतुके लिए महीन खादीकी माँग नहीं की, फिर भी बहनको भाईपर दया आई। उन्होंने विनती करके अन्य बहनोंसे उत्तम सूत तैयार करवाया। इस प्रकार हम परस्पर मिल-जुलकर काम कर सकते हैं। इसमें प्रेम समाया हुआ है, सत्याग्रह समाया हुआ है। सूरतके बुनकरोंके घर आप पैसेसे भर दीजिये। उनसे कहिए कि वे विलायती अथवा जापानी सूतके नहीं, बल्कि आप जो सूत दें उसके ही वस्त्र बुनें। तभी माना जायेगा कि स्वदेशी-व्रतका पालन हुआ। आपके पास स्वदेशी-व्रतकी प्रति आ गई है। उसमें जो पहला व्रत लिखा हुआ है, उसका हम पालन कर सकें, तो अच्छा हो। यह व्रत सारे जीवनके लिए भी है और किसी एक निश्चित अवधिके लिए भी। हम इतने कंगाल हैं कि मिलके अलावा और कहींसे सूत प्राप्त नहीं कर सकते। सौमें से पचहत्तरसे भी अधिक बहनोंकी साड़ियाँ मिलकी बनी हुई हैं, यह मैं यहीं देख रहा हूँ। यह शर्मिन्दा होने लायक बात है। हमारा कारीगर-वर्ग मशीनोंके सम्मुख जड़वत् खड़ा रहे,



यह हम नहीं चाहते। जिसमें वे अपनी कलाका प्रदर्शन करते हैं, जिसमें अपनी आत्माको उडेल देते हैं, उन साड़ियोंको पहननेमें धर्म निहित है। आप शुभ दिन ढूँढ़कर इस प्रतिज्ञा-पर हस्ताक्षर कीजिए। हमारे शास्त्रोंका तो यह कहना है कि शुभ दिन, शुभ घड़ी और शुभ क्षण वही है जब हमें अच्छा काम करनेकी बात सूझे। इसके लिए ज्योतिषीके पास जानेकी जरूरत नहीं है। बुरा काम करनेके लिए ज्योतिषीके पास जायें, तब ऐसा ज्योतिषी ढूँढ़ेंगे जो उसके लिए कोई भी घड़ी नियत न करे। हिन्दुस्तानकी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अथवा दूसरे लोग भाषण करें और आप सुनती रहें। हमें तो इस समय काम करना है। आपमें से जब कुछ बहनें सूत कातने और वस्त्र बुनने लगेंगी तो मैं अपनेको कृतार्थ मानूँगा।

[ गुजरातीसे ]

गुजरात मित्र अने गुजरात दर्पण, १-६-१९१९

## २९८. भाषण : सूरतकी सार्वजनिक सभामें

मई २६, १९१९

मुझे अत्यन्त खेद है कि मुझे बैठे-बैठे बोलना पड़ रहा है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सारे हिन्दुस्तानसे मेरे पास समाचार आ रहे हैं और मुझसे कहा जा रहा है कि देशमें सत्याग्रह बन्द हो गया है। यह बात केवल इसलिए कही जा रही है कि लोग सत्याग्रह क्या है, यह बात समझे नहीं हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि जब हिन्दुस्तानमें सत्याग्रही भी पूरी तरहसे इसे नहीं समझ पाये हैं, तब फिर ज्यादातर जनता जिसने सत्याग्रहका अभ्यास नहीं किया, सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा नहीं ली, इसे कैसे समझ सकती है। जनता इसे समझ सकेगी या नहीं, यह बात मुझे पहले ही देख लेनी चाहिए थी। मैंने नहीं देखी और उस हदतक भूल की यह बात मैं स्वीकार कर ही चुका हूँ। लेकिन इस भूलके कारण कोई यह अर्थ न लगाये कि सत्याग्रह एक क्षणके लिए भी बन्द हो सकता है। जिन्होंने सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा ली है और जो उसके अर्थको ठीक-ठीक समझ सके हैं, वे अनुभव करेंगे कि सत्याग्रह पल-भरके लिए भी बन्द नहीं हुआ। मैं अपनी इस बातका अर्थ समझानेका प्रयत्न करूँगा। सत्याग्रहकी प्रतिज्ञामें ही यह कहा गया है कि जबतक रौलट विधेयक रद्द नहीं हो जाते तबतक समिति जो निश्चित करे उसके आधार-पर उन विधेयकोंकी सविनय-अवज्ञा की जाये। लेकिन यह तो हमारी प्रतिज्ञाका एक ही भाग है और वह भी एक छोटा भाग। इसके अलावा, इससे पहले कि सत्याग्रही इन विधेयकोंकी सविनय अवज्ञा कर सके, उसमें कुछ गुण होने जरूरी हैं।

हमें सबसे पहले इस बातपर विचार करना चाहिए कि सत्याग्रहमें सबसे महत्त्वपूर्ण चीज क्या है। और जबतक हम उस महत्त्वपूर्ण बातपर विचार नहीं करते, उसपर अमल नहीं करते तबतक विधेयकोंकी अवज्ञा करना निरर्थक है। इन विधेयकोंको हमेशाके



लिए रद करवानेका जो आन्दोलन चल रहा है, उसके अन्तर्गत हमें सत्याग्रहका ही प्रयोग करना चाहिए, यह पहली बात हुई; दूसरी बात यह है कि हम जान और मालको नुकसान नहीं पहुँचायेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सत्याग्रही भी इन दो बातोंका शुद्ध रूपसे पालन नहीं कर सके। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तानके भिन्न-भिन्न भागोंमें जो दो हजारसे भी अधिक सत्याग्रही रहते हैं, यदि उन्होंने इन व्रतोंका पालन किया होता तो जो घटनाएँ घटित हुई हैं वे न होतीं। इनसे सत्याग्रहका समस्त हिन्दुस्तानपर इतना अधिक प्रभाव पड़ता कि सारे भारतीय इसके अर्थको ठीक-ठीक समझ गये होते। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि ऐसे सत्याग्रहको निबाहना कठिन है। जान-मालको चोट न पहुँचानेका अर्थ तो यह हुआ कि किसीके प्रति हमारे मनमें भी वैरभाव उत्पन्न न हो। इसके लिए तपश्चर्याकी आवश्यकता है। अन्यायका सर्वथा विरोध करते हुए भी अन्यायीके प्रति वैरभाव न रखना, सत्याग्रहका मूल लक्षण है। जगत्में निर्बल मनुष्य वैरभाव रखते हैं; सबल मनुष्य अपने "वैरभाव" का त्याग कर सकते हैं। सबल अर्थात् शरीर-बल रखनेवाले मनुष्य नहीं। सबल पुरुष और सबल स्त्री वही हैं जिन्हें मरना आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें सत्यका पालन करते हुए निर्भयता-पूर्वक मृत्युका वरण करना चाहिए और मरते-मरते भी जिसके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं उसके प्रति वैर अथवा क्रोध न करना चाहिए।

सत्याग्रहके सम्बन्धमें हमने जो दूसरी प्रतिज्ञा प्रकाशित की है उसके लिए हम लोगोंसे कह रहे हैं कि वे उसपर हस्ताक्षर करें और सत्याग्रह-आन्दोलनकी अवधि तक उसके प्रति श्रद्धा रखें। साधारण लोग इन व्रतोंसे मुकरें तो भले ही मुकर जायें, परन्तु ऐसे सत्याग्रहीको दिवालिया नहीं हो जाना चाहिए। उसका भण्डार तो अक्षय है। सत्याग्रहीकी कोशिशें तो उसके मरनेपर ही बन्द होती हैं। जिस समय प्रजा इन व्रतोंसे विमुख हो जाये उस समय दूसरे उपायोंकी खोज करनी चाहिए। मुझे जुलूस पसन्द नहीं हैं। उससे मुझे जरा-भी खुशी नहीं होती। फिर भी आज जो जुलूस निकला है, उससे जनताकी वृत्ति सूचित होती है, उसके प्रेमका पता चलता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जनता सत्याग्रहियोंके साथ है। यदि जनता समय-समयपर इस भावनाका परिचय देती रहे कि वह सत्याग्रहियोंके साथ है तो [सत्याग्रहीको] उसकी ओरसे यह आशा रखनेका अधिकार है कि जिस समय सत्याग्रह चल रहा है उस समय वह खून-खराबी नहीं करेगी। यदि उसके लिए यह सम्भव न हो तो जनताको चाहिए कि वह सत्याग्रहियोंका और मेरा त्याग कर दे। सत्याग्रह तो इसके बाद भी नहीं रुक सकता। जब जनता सत्याग्रह-आन्दोलनमें इस तरह सहायता देगी अथवा उससे इस तरह विमुख होगी तब किसी दूसरे रूपमें सत्याग्रह चालू रह सकता है।

मैं प्रजाको बताना चाहता हूँ—श्रद्धापूर्वक बताना चाहता हूँ—कि यदि प्रजा, मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार करके दिखा सके तो निःसन्देह सरकार यह समझ जायेगी कि इन लोगोंको कदापि रौलट विधेयककी आवश्यकता नहीं है। हम जरा इन विधेयकोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें विचार करें। इसके बीज प्रजाके प्रति अविश्वासमें निहित हैं और कभी-कभी लोगोंकी ओरसे ऐसा अविश्वास करनेके कारण भी दिये गये हैं। इतना होने पर भी, मैंने अनेक बार कहा है कि ये कारण, इतने सबल नहीं हैं कि जिससे सरकारको



रौलट विधेयकों-जैसे भयंकर कानून बनाने पड़ें। मैंने तो यहाँतक कहा है कि कारण चाहे कितने ही सबल क्यों न हों, जो सरकार ऐसे भयंकर कानून बनायेगी उसका चलना अत्यन्त कठिन हो जायेगा। इस समय हमें जो हालात दिखाई दे रहे हैं उनमें भी यदि कोई प्रजा यह बता सके कि हम [ सरकारके प्रति ] क्रोध अथवा वैरभाव नहीं रखते तो उसका सरकारपर कितना प्रभाव पड़ सकता है, इसे त्रैराशिकके उदाहरणके समान आसानीसे समझा जा सकता है। हमें सत्याग्रहके इस अर्थको समझ लेनेपर कानून-भंग करनेका अधिकार प्राप्त हो जायेगा। लेकिन इससे ऐसी आशंका करनेकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है कि तब तो हमें सहस्रों वर्ष रुकना पड़ेगा। मुझे स्वयं तो सत्याग्रहकी क्षमताके सम्बन्धमें यह विश्वास है कि यह शुद्ध रूपसे शुरू-भर हो जाये। फिर इसे हिन्दुस्तानमें फैलते देर नहीं लगेगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम जुलाईकी पहली तारीखको रौलट विधेयकोंके सम्बन्धमें सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ कर सकेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं अपने इस विचारसे टल जाऊँ। इतना ही नहीं बल्कि मुझे जो-जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं उनके आधारपर मैं तो यह मानता हूँ कि हिन्दुस्तान सत्याग्रह [ के मर्म ] को समझ गया है। मैं आपसे यह नहीं मनवाना चाहता कि हिन्दुस्तान सत्याग्रहका पालन करनेके लिए तैयार हो रहा है। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि जब सत्याग्रही इन विधेयकोंकी सविनय-अवज्ञा करना आरम्भ करेंगे तब हिन्दुस्तानके लोग शान्ति बनाये रखेंगे और मौन साध लेंगे। साथ ही मुझे उम्मीद है, कि अब यह जो सवा महीनेका समय रह गया है उसमें हम सरकारको इतना प्रभावित कर सकते हैं कि इन रौलट विधेयकोंको रद्द करवानेके लिए हमें सत्याग्रह-आन्दोलन आरम्भ करनेकी जरूरत ही न पड़े।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सत्याग्रह शुरू हो जानेपर सत्याग्रह-आन्दोलन केवल कानूनोंको भंग करने तक ही सीमित नहीं रहता। सत्याग्रहके व्यापक स्वरूपमें अनेक बातोंका समावेश हो जाता है और उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु स्वदेशी है। रौलट विधेयकोंके विरोधमें की जानेवाली सविनय-अवज्ञासे भी यह अधिक महत्त्वकी वस्तु है। इसका उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इन व्रतोंको सब भाइयोंने समझ लिया होगा। ये व्रत दो तरहके हैं। उनमें से एक ही अधिक मूल्यवान है। दूसरा अपेक्षाकृत कम मूल्यवान माना जायेगा। पहला व्रत यह है कि हम हिन्दुस्तानमें ही हाथसे कते-बुने सूती, ऊनी अथवा रेशमी वस्त्रोंका उपयोग करें। इसका पालन करना हमारा धर्म है। इसका पालन न कर सकें, तो दूसरा व्रत है कि हम कमसे-कम हिन्दुस्तानकी मिलों द्वारा बने कपड़ेका उपयोग करें; लेकिन यह हमारी दुर्बलताकी निशानी है। यदि हम पहले व्रतका पालन करते हैं तो उसमें से एक कर्त्तव्य उत्पन्न होता है। पहले हम हिन्दुस्तानकी आवश्यकताके लिए कपड़ा तैयार करते थे और उसका निर्यात भी कर सकते थे। और हम आज भी अपनी आवश्यकताका एक चौथाई माल ही तैयार करते हैं; अर्थात् हम अपना तीन चौथाई कर्त्तव्य नहीं निवाहते। परिणाम-स्वरूप तीन करोड़से भी अधिक व्यक्ति भूखों मरते हैं। इसके और भी कारण हैं, यह मैं जानता हूँ। लेकिन इस भुखमरीका बड़ेसे-बड़ा कारण, हमारा स्वदेशीके व्रतको भंग करना ही है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमें इस पापका प्रायश्चित्त करना चाहिए। आज हिन्दुस्तानमें अच्छा कपड़ा नहीं बनता और केवल [ मोटी ] खादी ही तैयार होती है, तो यह हमारी भूलके



कारण ही है और प्रायश्चित्त स्वरूप हमें यही खादी पहननी चाहिए। [मोटी] खादीके अलावा और कपड़ा भी मिलता है। लेकिन हमारी भावना यह होनी चाहिए कि केवल [मोटी] खादीसे भी हम निभा लें। यह हमारा प्रायश्चित्त है और अबसे स्वदेशी-व्रतका पालन करना हमारा निश्चित कर्तव्य है। ऐसा करके हम १९१७-१८ में जो ६० करोड़ रुपया विदेशोंको गया, इस वर्ष उसे जानेसे रोक सकेंगे। जिस हदतक स्वदेशी-व्रतका पालन करेंगे उस हदतक देशका पैसा देशमें ही रह सकेगा। सत्याग्रह करनेमें, कानून-भंग करनेमें खतरा हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन स्वदेशी-व्रतका पालन करनेमें खतरा है ही नहीं। छोटेसे-छोटा बच्चा भी इसका पालन कर सकता है और हम स्वदेशी-व्रतका पालन करें, यह हमारा कर्तव्य है। इस विषयमें दो मत हो ही नहीं सकते। ऐसे विचार हम ही व्यक्त करते हैं, सो बात नहीं। अनेक अंग्रेज भी ऐसे विचार प्रकट करते हैं और थोड़े समयमें हम अनेक अंग्रेजोंको इस सम्बन्धमें हमारी सहायता करते देख सकेंगे। मेरा तो यहाँतक विश्वास है कि यदि हम शुद्ध स्वदेशी-व्रतका पालन करेंगे और यदि उसमें बहिष्कारका अंश न हो तो खुद वाइसरायसे इसका पालन करवा सकेंगे। स्वदेशी-व्रतका यह एक भाग हुआ।

दूसरे भागपर आगे विचार करें। हमारी जरूरतका एक चौथाई कपड़ा ही देशमें मिल सकता है। तो फिर इतने अधिक मनुष्योंकी जरूरतके लिए हम किस तरहसे कपड़ा तैयार करें? फिलहाल जो कपड़ा तैयार होता है उसपर यदि हम अधिकार कर लें तो हम गरीबोंका नुकसान करते हैं। हम यह न करें। स्वदेशीका व्रत लेनेवाले समझ सकते हैं कि अपने उपयोगके लिए आवश्यक कपड़ा उन्हें खुद ही तैयार करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि घर-घरमें हमें सूत कातना चाहिए और खड़ी चलानी भी शुरू कर देनी चाहिए। जितने बुननेवाले हैं उनसे अनुरोध करके, उन्हें संरक्षण देकर, उनके धन्धेका जीर्णोद्धार करवाया जा सकता है। पहले असंख्य महिलाएँ अपने घरोंमें सूत काता करती थीं। ऐसी बहुत-सी महिलाएँ अभी भी जीवित हैं; उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप अपना यह उत्तम कार्य फिरसे शुरू कीजिए। यदि ऐसा हुआ तो स्वदेशी-व्रतकी प्रतिष्ठा होगी और इसके बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

मैं आपका इससे अधिक समय नहीं लेना चाहता। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपसे जो प्रार्थना की है आप उसपर गौर करेंगे। एक तो सत्याग्रह क्या है आप इसे समझेंगे और दूसरोंको समझायेंगे और दूसरे स्वदेशी-व्रतकी प्रतिज्ञा लेंगे तथा दूसरोंको भी प्रतिज्ञा लेनेका महत्त्व समझायेंगे और उसका पालन करवायेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हम स्वयं कपड़ा तैयार करेंगे अथवा करवायेंगे। ऐसा करते हुए हम किसीको नुकसान नहीं पहुँचायेंगे। आपने इतने धीरज और शान्तिसे मेरी इस दीन प्रार्थनाको सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये बातें आपको सच्ची लगी हों और इस-लिए यदि आप इनपर अमल करेंगे तो मैं आपका विशेष रूपसे आभारी होऊँगा।

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, १-६-१९१९



## २९९. प्राक्कथन : 'हिन्द स्वराज्य' के लिए<sup>१</sup>

बम्बई

मई २८, १९१९

मैं इस पुस्तिकाको एकाधिक बार पढ़ गया हूँ। इस समय इसका ज्योंका-त्यों छाप दिया जाना ही ठीक है। परन्तु यदि मैं इसमें संशोधन करना ही चाहूँ तो उसमें एक ही शब्द बदलना चाहूँगा क्योंकि मैं इस बातका वचन अपने एक अंग्रेज मित्रको दे चुका हूँ। उन्होंने संसदके सम्बन्धमें मेरे द्वारा प्रयुक्त "वेश्या" शब्दपर आपत्ति की थी। यह शब्द उन्हें सुरचिपूर्ण नहीं जान पड़ा। पाठकोंको मैं फिर याद दिला दूँ कि प्रस्तुत पुस्तिका मूल गुजराती पुस्तिकाका रूपान्तर है।

जो विचार इन पृष्ठोंमें व्यक्त किये गये हैं उनको अनेक वर्षों तक आचरणमें उतारनेका प्रयत्न करते रहकर जान पड़ता है कि उसमें दिखाया गया मार्ग ही स्वराज्यका सच्चा मार्ग है। सत्याग्रह अर्थात् प्रेम-धर्म ही जीवनका धर्म है। उससे च्युत होना विनाशकी ओर तथा उसपर आरूढ़ रहना नवजीवनकी ओर ले जाता है।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन होमरूल, चतुर्थ संस्करण, गणेश एंड क०, मद्रास।

## ३००. पत्र : एस्थर फेरिंगको

बम्बई

बुधवार [ मई २८, १९१९ ]

प्रिय बेटी,

महादेव अपनी जिदके कारण बीमार हो गये हैं। जिद्दी मित्र, भाई, लड़का अथवा मन्त्री अक्सर ऐन वक्तपर धोखा दे जाते हैं। महादेव तो एक-साथ यह सब कुछ है। पहले तो मैंने विचार किया कि मैं प्रतिकार स्वरूप स्वयं उपवास करूँ, बदला लूँ। परन्तु ऐसा करता, तो तुम 'बाइबिल' का वह अद्भुत वचन कि 'प्रतिकारका स्वत्व मुझको ही है' लेकर मुझपर टूट पड़तीं। इसलिए मैंने कम कड़ा कदम उठाया है, और सब पत्र स्वयं ही लिखने लगा हूँ। लगातार चाहे जितनी देर तक लिखनेका काम करनेमें मुझे तो मजा आता है। हाथ काफी ठीक काम देने लगा है।

मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तुम प्यार करती हो, उनके दुःखमें शरीक न हो सकने पर तुम अपना मन इतना दुःखी मत किया करो। अपना करार<sup>२</sup> पूरा करना ही तुम्हारे

१. सबसे पहले १९१० में प्रकाशित; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६-६९।

२. मिशनके साथ।



लिए एक बड़ी तपस्या है; और वह बिलकुल जरूरी है। तुममें सच्चा प्रेम हो — मैं जानता हूँ कि तुममें वह अवश्य है — तो उसका तुम्हारे वर्तमान वातावरणपर मूक, किन्तु अचूक असर पड़े बिना नहीं रहेगा। 'भगवद्गीता' का कथन है कि एक भी विचार, एक भी कार्य निष्फल नहीं जाता। इसलिए अपना मौजूदा काम धीरजके साथ और सच्चे दिलसे करनेमें तुम्हारा कर्त्तव्य पूरा हो जाता है। पहाड़पर जानेसे तुम्हें जो नई शक्ति मिलेगी, उसका उपयोग भी तुम्हारे कामके लिए ही होनेवाला है। फिर चिन्ता किसलिए करती हो?

स्वदेशी-व्रत अपने निजी कपड़ों तक ही सीमित है। प्रियजनोंसे उपहारमें मिली हुई डेनमार्ककी चीजोंको काममें न लेनेके लिए तो मैं कह ही नहीं सकता। इतना काफी है कि भविष्यमें तुम केवल स्वदेशी वस्तुएँ ही खरीदो और तुम्हारी दूसरी चीजें भी यथाशक्ति स्वदेशी हों। अधिक परिवर्तन करनेकी बात जब हम मिलेंगे, तब कर लेंगे।

श्री एन्ड्र्यूज थोड़े दिन मेरे साथ रह गये। आजकल वे दिल्लीमें हैं। सुन्दरम्से कहना कि उसकी बीमारीकी बात सुनकर मुझे दुःख हुआ है। उसे तन्दुरुस्त और सशक्त बनना चाहिए।

सस्नेह,

तुम्हारा,  
बापू

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

### ३०१. पत्र : वालजी देसाईको

बम्बई

बुधवार [ मई २८, १९१९ ]

भाईश्री वालजी,

आपको लिखनेका विचार कर रहा था, आज ही लिख पा रहा हूँ। मेरी कामना है कि आपका विवाहित जीवन सुखी हो और देशके लिए लाभदायक सिद्ध हो। आपका विवाह किसके साथ हुआ है, सो बताना। [ उम्मीद है ] आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। मैं यह चाहता हूँ, आप 'यंग इंडिया'के लिए कुछ लिखें।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१६४)की फोटो-नकलसे।

सौजन्य : वी० जी० देसाई

१. तारीख डाककी मुहरसे दी गई है।

२. प्रो० वालजी गोविन्दजी देसाई; गुजरात कॉलेज, अहमदाबादमें कुछ कालतक अंग्रेजीके प्राध्यापक; नौकरीसे त्यागपत्र देकर गांधीजीके साथ शामिल हो गये। गांधीजी वृत्त दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहको इतिहास और अन्य रचनाओंके अनुवादक।



## ३०२. अनौपचारिक सत्याग्रह सम्मेलनपर टिप्पणी<sup>१</sup>

बम्बई

मई ३०, १९१९

यह सम्मेलन इस माहकी २८ तारीखको बम्बईमें हुआ था। इसमें सिन्ध, अहमदाबाद, इलाहाबाद और लखनऊसे प्रतिनिधि आये थे।

श्री गांधीने पंजाबकी स्थितिपर प्रकाश डालते हुए कहा— 'मार्शल लॉ' शीघ्र ही रद्द किया जानेवाला है, इसलिए स्थितिपर सत्याग्रहके दृष्टिकोणसे विचार करनेका समय आ गया है। उन्होंने कहा, कि यदि रौलट अधिनियमके सम्बन्धमें ली गई सत्याग्रह-शपथके शब्दोंका ही विचार करें तो आन्दोलन चलानेकी बात उसके अन्तर्गत नहीं आती। इसलिए प्रत्येक सत्याग्रहीको पंजाबकी समस्यापर रौलट अधिनियमसे सम्बन्धित शपथको अलग रखकर विचार करना है। उन्होंने कहा, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं इस सुझावके बारेमें उनकी राय चाहता हूँ कि पंजाबके दंगोंके कारणकी जाँचके लिए, मार्शल लॉको किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है इसे मालूम करनेके लिए और फौजी अदालत (मार्शल लॉ ट्राइब्यूनल)के द्वारा सुनाई गयी सजाओंमें रद्दोबदल करनेके लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच-समितिकी नियुक्तिके सम्बन्धमें मैं वाइसरायसे मिलूँ या नहीं। साथ ही आप लोग इस बातपर भी परामर्श दीजिए कि अगर उपरोक्त समितिकी नियुक्तिकी बात न मानी गई तो भारत-मन्त्रीकी सेवामें सार्वजनिक अपील भेजनेके बाद सत्याग्रह शुरू कर दिया जाय या नहीं। श्री गांधीने कहा कि पंजाबकी बाबत या रौलट अधिनियमके (प्रश्नपर) सत्याग्रह छोड़े जानेपर लोग हिंसापर उतारू हो जायेंगे, ऐसा मुझे तो बिलकुल नहीं लगता। हर हालतमें मेरी सलाह तो यही है कि फिलहाल सत्याग्रह केवल बम्बई प्रान्तके सत्याग्रहियों तक ही सीमित रखा जाये। आन्दोलनके सिलसिलेमें कोई भी हड़ताल नहीं की जानी चाहिए, यहाँतक कि सविनय अवज्ञा करनेपर प्रमुख सत्याग्रही गिरफ्तार हो जायें तो भी नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा हिंसा करनेका लेशमात्र भी अन्देश मालूम हो तो किसी भी प्रकारका प्रदर्शन न किया जाये। इस प्रकारके प्रदर्शन-विहीन सत्याग्रहका स्वरूप लगभग शुद्धतम होगा। इस प्रकारका सत्याग्रह करनेकी क्षमता तभी सम्भव है जब सत्याग्रहियोंके हृदयोंमें मौनभावसे कष्ट-सहनकी प्रभावकारितामें पक्का विश्वास हो। उन्होंने कहा कि रौलट अधिनियमके विरुद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन दुबारा छोड़नेमें मुझे कोई कठिनाई प्रतीत नहीं हो रही है। एक प्रश्नके उत्तरमें श्री गांधीने कहा कि सम्भव है कि पंजाबके मामलेमें अधिकसे-अधिक दो सप्ताह बाद सत्याग्रह छोड़ना पड़े। परन्तु मैंने इस बातकी उम्मीद नहीं छोड़ी है कि

१. गांधीजी द्वारा हस्ताक्षरित इस टिप्पणीपर तारीख "मई ३०" पड़ी हुई थी और उसपर लिखा था "प्रकाशनार्थ नहीं"।



जाँच-समितिकी नियुक्तिके सम्बन्धमें की गयी प्रार्थना वाइसराय महोदय स्वीकार कर लेंगे। कुछ वाद-विवादके पश्चात् श्री जमनादासको छोड़कर शेष सभी उपस्थित व्यक्तियोंने गांधीजीके प्रस्तावका समर्थन किया। श्री जमनादासने गांधीजीके विचारको तो पसन्द किया परन्तु उनके प्रस्तावको नहीं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि श्री गांधीकी अथवा अन्य किसी प्रमुख सत्याग्रहीकी गिरफ्तारीके पश्चात् हिंसा हुए बिना न रहेगी।<sup>१</sup>

संन्यासी स्वामी श्रद्धानन्दका एक पत्र पढ़कर सुनाया गया जिसमें लिखा था कि मैं इस आन्दोलनसे अपने हाथ खींच ले रहा हूँ। उस पत्रमें यह भी लिखा था कि दिल्ली समिति लगभग एक माह हुआ तोड़ी जा चुकी है। श्री हसन इमामका पत्र भी पढ़कर सुनाया गया जिसमें लिखा था कि श्री गांधी जो भी निर्णय करेंगे, वे उसे मानने तथा उसके अनुसार अमल करनेको तैयार हैं, परन्तु पिछली घटनाओंको देखते हुए यह बुद्धिमत्ता-पूर्ण होगा कि सत्याग्रहका विचार त्याग दिया जाये।

श्री गांधीने परमश्रेष्ठके निजी सचिवको एक पत्र लिखा है।

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ६६२८) की फोटो-नकलसे।

### ३०३. पत्र : एस० आर० हिगनेलको

लैबर्नम रोड

बम्बई

मई ३०, १९१९

प्रिय श्री हिगनेल,<sup>२</sup>

मैंने पंजाबकी घटनाओंके बारेमें किसी प्रकारकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की, यह बात परमश्रेष्ठको मालूम है। देशवासियोंके दिलोंमें अपने विषयमें गलतफहमी पैदा हो जानेका खतरा तक मोल लेकर भी मैंने सार्वजनिक रूपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि राय स्थिर करनेके लिए मेरे पास विश्वसनीय सामग्री न थी। मैं मार्शल लॉकी अकारण भर्त्सना नहीं करना चाहता था और ऐसा कोई काम भी नहीं करना चाहता था जिससे अनावश्यक ही स्थानीय अधिकारीगण चिढ़ जाते। और फिर मैं यह भी नहीं चाहता था कि सर माइकेल ओ'डायर<sup>३</sup> द्वारा शान्तिपूर्ण दिनोंमें किये गये कथित कठोर शासनसे इस निष्कर्षपर पहुँचें कि उन्होंने मार्शल लॉके अन्तर्गत भी जरूरतसे ज्यादा कड़े कदम उठाये होंगे।

परन्तु गत अप्रैलमें जनता द्वारा की गयी हिंसाके परिणामस्वरूप पंजाबमें जिस हद तक मार्शल लॉ लगाया गया था, जाहिरा तौरपर तो वह उस हद तक उठा लिया गया है और इसलिए अब उसके प्रशासनपर बिना किसी अनौचित्यके विचार किया

१. श्री जमनादासने इस मतभेदके कारण सत्याग्रह-सभासे त्यागपत्र दे दिया था।

२. वाइसरायके निजी सचिव।

३. पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नर, १९१३-९।



जा सकता है। यह भी मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए कि लोगोंपर कोड़ोंकी मार, पंजाबके बाहर रहनेवाले वकीलोंके विरुद्ध निषेधाज्ञा तथा 'सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ट'में प्रकाशित इस निषेधाज्ञाका [उच्चाधिकारियोंके] संकेतपर किये गये समर्थनसे मेरे मनमें बड़ी गहरी आशंकाएँ उत्पन्न हो गई हैं। सरकारी विज्ञप्तियाँ जितनी होनी चाहिए उतनी प्रामाणिक नहीं हैं। कुछमें अगर बहुत-सी बातें स्वीकार की गई हैं, तो बहुत-सी छोड़ भी दी गई हैं। पंजाबकी घटनाओंके बारेमें बरती गई पोशीदगीकी तीव्र आलोचना प्रारम्भ हो गई है। भारतीय समाचारपत्रोंका मुँह एकमद बन्द कर देनेके परिणामस्वरूप अत्यधिक रोष उत्पन्न हुआ है। और अभियुक्तोंको लम्बी-लम्बी सजाएँ दिये जानेके कारण जनता आतंकित हो गई है।

इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि हुकूमतको खास-खास परिस्थितियोंमें मार्शल लॉ घोषित करनेका अधिकार है। सरकार भी यह मानेगी कि मार्शल लॉके अन्तर्गत उठाये गये कदमोंका औचित्य जनताके सामने सिद्ध किया जाये — खास तौर पर उपरोक्त परिस्थितियोंमें। इसलिए मैं समाचारपत्रों द्वारा की गई इस प्रार्थनासे अपनी सहमति प्रकट करता हूँ कि पंजाबके दंगोंके कारणों, पंजाबमें मार्शल लॉके कार्यान्वित करनेके तरीकों और फौजी अदालत (मार्शल लॉ ट्राइब्यूनल) द्वारा दी गई सजाओंके सम्बन्धमें तथ्य हासिल करनेके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच-समिति नियुक्त की जाये। मुझे विश्वास है कि यदि इस प्रकारकी समिति नियुक्त की गयी तो जनसाधारणका रोष कुछ शान्त होगा और सरकारकी नेकनीयतीके बारेमें विश्वास (जो पंजाबकी घटनाओंके कारण लगभग ड़ाँवाडोल हो गया है) वापस लौटने लगेगा। यदि इस प्रकारकी जाँच-समिति नियुक्त करनेके सिद्धान्तको मान लिया जाये — आशा तो है कि मान लिया जायेगा — तो मुझे यकीन है कि जिस समितिकी नियुक्ति की जानेवाली है उसमें ऐसे सरकारी और गैरसरकारी सदस्य रखे जायेंगे जिनपर लोगोंको भरोसा हो।

क्या आप कृपा करके यह पत्र परमश्रेष्ठके पास पहुँचा देंगे? और क्या आप इसका उत्तर शीघ्र भेजनेका कष्ट उठायेंगे?

हृदयसे आपका,

हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६२९) की फोटो-नकलसे।



## ३०४. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको

लैबर्नम रोड

बम्बई

मई ३०, १९१९

प्रिय हेनरी,

आजकल मैं तुम्हारे बारेमें जो-कुछ भी जान पाता हूँ सो केवल 'इंडिया' में प्रकाशित तुम्हारे कार्यके विवरणसे ही। मुझे मिलीका<sup>१</sup> एक मधुर पत्र प्राप्त हुआ था। उस पत्रका उत्तर फिलहाल अलगसे देना संभव नहीं है। दिलकी कमजोरीसे हाथ काँपते रहते हैं। मेरे शरीरमें अब संघर्ष चलाने-भरकी शक्ति है। आशा है तुम भरण-पोषणके लिए पर्याप्त कमा लेते होगे और तुम सब लोग सानन्द होगे। कृपया पिताजी, माताजी, माँड और सैलीसे कहना कि मुझे उनका और उनकी अनेक मेहरबानियोंका प्रायः खयाल आया करता है। आश्रमका काम ठीक चल रहा है, राष्ट्रीय पाठशाला भी प्रगति कर रही है।

अब कामकी बातपर आएँ।

इस पत्रके साथ मैं वाइसरायको लिखे पत्रकी<sup>२</sup> प्रतिलिपि तथा सत्याग्रह-सम्मेलनके बारेमें टिप्पणियाँ भेज रहा हूँ। इनमें से प्रकाशनके लिए एक भी नहीं है।

वहाँ कुछ ही दिनोंमें श्रीमती नायडू स्वास्थ्य लाभके लिए पहुँच रही हैं। वे बहुत ही अच्छी महिला हैं। उनसे अवश्य मेलजोल बढ़ाना।

मैं देख रहा हूँ कि श्री मॉण्टेग्युने एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने रौलट अधिनियमकी हिमायत की है। वे चाहे जितनी हिमायत करें, यह [रौलट अधिनियम] खत्म हुए बिना नहीं रह सकता। वर्तमान संघर्ष दक्षिण आफ्रिकाके संघर्षकी आश्चर्यजनक पुनरावृत्ति है। इस अधिनियमको रद्द करानेके प्रयत्नमें भी कुछ लोग अपने प्राण गँवानेको तैयार हैं। सरकार दिखाना चाहती है कि वह जनताकी रायको आसानीसे ठुकरा सकती है; लेकिन हमें यह दिखला देना है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। 'आत्मबल बनाम पशुबल'के संघर्षका एक ही परिणाम हो सकता है। बात केवल इतनी ही है कि आत्मबल बहुत बिखरा हुआ है तथा निष्ठारहित है; और पशुबल सुसंगठित और सुनियंत्रित है। इसलिए, यद्यपि परिणामका स्वरूप निश्चित है, तथापि संघर्षका लम्बे असें तक चलते रहना स्वाभाविक है।

सम्भव है कि शिष्टमण्डलके सदस्योंकी जो फौज वहाँ जा रही है श्री मॉण्टेग्यु उससे रौलट अधिनियमको रद्द कराने या सुधारनेमें से एकको चुननेकी बात कहें।

१. श्री पोलककी धर्मपत्नी।

२. देखिए "पत्र : जे० एल० मैफीको", १६-५-१९१९।



आशा है तुम चुनाव करनेमें उनका मार्गदर्शन कर सकोगे। जबतक नौकरशाही झुकती नहीं है तबतक किसी भी सुधारका कोई मूल्य नहीं है।

सोचता हूँ, अगर श्री हॉनिमैन तुमसे न मिल पाये हों तो तुमने उनका पता लगाकर अवश्य ही उनसे भेंट कर ली होगी। यहाँ जो-कुछ हो रहा है इस सबसे उन्हें अवगत कराते रहना। महादेव उन्हें तथा श्री शास्त्रियरको प्रति सप्ताह पत्र भेजा करता है। वह अस्वस्थ है और मैं इतना अधिक थक गया हूँ कि इस समय और पत्र लिखनेकी सामर्थ्य नहीं है।

सस्नेह,

तुम्हारा,  
भाई

हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६२७) की फोटो-नकलसे।

### ३०५. बाल गंगाधर तिलकका अभिनन्दन

बम्बई

मई ३१, १९१९

श्री गांधीकी अध्यक्षतामें शनिवारको शामके समय शान्तारामकी चाल, गिरगाँव, बम्बईमें एक सार्वजनिक सभा हुई। सभाका उद्देश्य था श्री तिलक द्वारा की गई भारतकी सेवाओंके लिए आभार प्रकट करना और सर वलेंटाइन शिरोलके खिलाफ दायर किये गये मुकदमेमें श्री तिलकको जो रुपया खर्च करना पड़ा उसके लिए देशवासियोंसे चन्देकी अपील करना। श्री गांधीने गुजरातीमें अपना भाषण दिया था जिसका भाषान्तर<sup>१</sup> निम्नलिखित है :

सभाकी अध्यक्षताके आमन्त्रणके लिए मैं आयोजकोंको धन्यवाद देता हूँ। प्रत्येक विचारवान् भारतीयका लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए; अलबत्ता उसे पानेके लिए अलग-अलग तरीकोंका सहारा लिया जा सकता है। यह सभी जानते हैं कि मेरे तरीकोंका श्री तिलकके तरीकोंसे मेल नहीं है। फिर भी देशके प्रति उनकी महान् सेवाओं, उनके आत्मत्याग तथा विद्वत्ताकी प्रशंसाके अवसर प्राप्त होनेपर मैं हर्षपूर्वक उसमें भाग लेना चाहूँगा; आजकी सभामें भाग लेते हुए मुझे विशेष रूपसे प्रसन्नता हो रही है। सर वलेंटाइन शिरोलके खिलाफ मुकदमेमें उनकी हारसे उनके प्रति देशके आदरभावमें रत्ती-भर कमी नहीं हुई है बल्कि इससे उस आदरमें वृद्धि ही हुई है और आजकी यह सभा उसी आदरभावका प्रतीक है। मैं यहाँ उनके अभिनन्दनमें अपना हार्दिक योग देने आया हूँ।

सच कहा जाये तो मैं अदालतोंमें मुकदमे ले जानेके पक्षमें नहीं हूँ। वहाँकी जीत आपके मामलेकी सचाईपर निर्भर नहीं करती। कोई भी अनुभवी वकील मेरी इस

१. मूल गुजराती भाषण उपलब्ध नहीं है।



बातका समर्थन करेगा कि मुकदमेमें जीतना ज्यादातर न्यायाधीश, वकील और अदालत तथा [ घटनास्थल ]के स्थानपर निर्भर करता है। अंग्रेजीमें एक कहावत है कि अदालतोंमें वही जीतता है जिसके पास सबसे लम्बी थैली होती है। इस कहावतमें यदि अतिरंजना है तो बहुत-कुछ सचाई भी है। इसलिए लोकमान्यके मुकदमा हार जानेपर मेरे मनमें यही आया कि वे मेरी तरह सत्याग्रही होते तो कितना अच्छा होता, ताकि वे मुकदमेमें जीत-हारकी झंझटसे बच जाते। किन्तु जब मैंने यह भी देखा कि हारके कारण उन्होंने अपना साहस नहीं खोया और निराश होनेकी जगह उन्होंने शान्तभावसे तटस्थ वृत्ति रखते हुए अंग्रेज जनताके सामने अपने विचारोंको निडरतासे व्यक्त किया तब मुझे उनपर गर्व हुआ। उन्हें 'गीता'का जो आदेश मुख्य प्रतीत हुआ, उसीपर वे अपने पूरे जीवनमें निष्ठाके साथ आचरण करते रहे हैं। वे जिस कार्यको अपना कर्म समझते हैं उसके करनेमें पूरी तौरसे जुट जाते हैं और उसका फल ईश्वरपर छोड़ देते हैं। ऐसे महान् व्यक्तिके लिए किसके हृदयमें आदर नहीं पैदा होगा?

मैं मानता हूँ कि उनके उस मुकदमेमें खर्च हुई रकमकी पूर्तिके लिए चन्दा देना हमारा कर्तव्य है। निश्चय ही वे अपने निजी स्वार्थके लिए मुकदमा नहीं लड़े थे, बल्कि सार्वजनिक हितके लिए लड़े थे। इसलिए मुझे यकीन है कि श्री तिलकके मुकदमेके खर्चकी रकम चन्दे द्वारा खड़ी करने तथा उनकी देशसेवाओंके लिए आभार प्रकट करनेके बारेमें जो प्रस्ताव आज शामको आपके सामने पेश होने जा रहा है, उसे आप स्वीकृत करेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, ७-६-१९१९

### ३०६. पत्र : रामदास गांधीको

आश्रम

जून १, १९१९

चि० रामदास,

तुम्हारा पत्र मिला है। तुम्हें पत्र तो मैं लिखवाता ही रहता हूँ। बिना पत्र पूरा एक महीना बीत जाये, ऐसा शायद ही होता हो। तुम भाई मोहनलालके यहाँ रहे, यह तुमने ठीक किया। यह तो मैं जानता ही हूँ कि उनकी जिस उदारता, जिस भलमनसाहत और जिस प्रेमका तुमने चित्रण किया है, उसका तुम्हारे हाथों दुरुपयोग

१. श्रीमती सरोजिनी नायडूने निम्नलिखित प्रस्ताव अंग्रेजीमें पढ़कर सुनाया: “यह सभा लोकमान्य तिलक द्वारा अपने जीवनके गत ४० वर्षोंमें मातृभूमिके लिए की गई निष्ठायुक्त और निःस्वार्थ सेवाके प्रति अपनी सराहना व्यक्त करती है और देशवासियोंसे निवेदन करती है कि जो मुकदमा केवल सार्वजनिक हितको सामने रखते हुए लोकमान्य तिलकने चलाया था उसका खर्चा पूरा करनेके लिए खोले गये कोष, 'तिलक पर्स फंड' में वे मुक्त हस्तसे चन्दा देनेकी कृपा करें।”



होगा ही नहीं। परन्तु [ इसके अलावा ] मैं यह चाहता हूँ कि तुम ऐसी जगह दुगुनी मेहनत करके, दुगुनी सावधानी बरतते हुए इस प्रेमका कुछ प्रतिदान दो। सम्बन्धी या मित्रके यहाँ नौकरी करनेमें जितना लाभ है उतना ही अलाभ। लाभ तो यह है कि वहाँ हम कुछ सुविधाएँ भोग सकते हैं, जो हमें परायोंकी नौकरीमें नहीं मिल सकतीं। हानि यह है कि उनकी सरलताके कारण हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं और कामसे जी चुरानेके लालचमें फँस सकते हैं। मेरी इच्छा है कि तुम अत्यन्त सावधानीसे रहो। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे बारेमें कोई डर नहीं है। मैंने अनुभव किया है कि तुम प्रेमपात्र हो और मुझे विश्वास है कि तुम्हें वहाँ यश ही मिलेगा। दुकानका सारा काम अपना समझकर करना। जो न आये, उसे तुरन्त पूछ लेना। शर्मके मारे अपने अज्ञानको जरा भी न छिपाना। जब मैं दक्षिण आफ्रिकामें पहले-पहल पहुँचा, तब यह नहीं जानता था कि पी० नोट क्या है। दो-चार दिन तो मैंने अपने अज्ञानको छिपाया, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गये वैसे मेरी घबराहट बढ़ती चली गई। और मैंने देखा कि जबतक यह न जान लूँ कि पी० नोट क्या होता है, तबतक मैं दादा अब्दुल्ला सेठका मामला नहीं जान सकता। इसलिए मैंने अपने तद्विषयक अज्ञानको तुरन्त प्रकट कर दिया और यह जानकर कि पी० नोटका मतलब प्रॉमिसरी नोट है, तो मैं खिलखिलाकर हँस पड़ा— अपने अज्ञानपर नहीं, बल्कि अपनी झूठी शर्मपर; क्योंकि पी० नोट शब्द तो मुझे शब्दकोशमें भी नहीं मिल सकता था। इसलिए हमारे लिए राजमार्ग एक ही है कि जिस बातका हमें पता न हो, उसके बारेमें तुरन्त पूछ लें। हम मूर्ख माने जायें, इसमें हर्ज नहीं किन्तु अपने अज्ञानसे हम भूल करें, यह सचमुच आपत्तिजनक है। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तुम वहाँ शान्तिसे रहना और ईमानदारीसे जो-कुछ कमा सको, कमाना। अपने विचार और अपनी इच्छाएँ मुझे बताना। बा मुझे कई बार कहती है कि रामदास अब बड़ा हो गया, उसे बुलवाकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। मैंने तुम्हें बुलानेसे साफ इनकार कर दिया है और बासे यह कहा है कि अगर तुम्हारी शादी करनेकी इच्छा होगी, तो तुम मुझसे साफ-साफ कह दोगे। मैंने बाको यह भी बता दिया है कि इस सम्बन्धमें मैंने तुमसे जो-कुछ कहना चाहो, स्पष्ट कहनेको कहा है। इससे वह शान्त हो गई है। इस महाकठिन कालमें हिन्दुस्तानकी ऐसी विपन्न और विपरीत दशामें किसी भी भारतीयको विवाह करनेका विचार नहीं करना चाहिए, यह [ आजकी स्थितिमें ] उसका एक विशेष धर्म या आपत्कालीन धर्म है; ऐसा मैं कई बार कह चुका हूँ। इसलिए साधारणतः मैं तुम्हारे लिए यही चाहूँगा कि तुम संयमका पालन करो और जीवनपर्यन्त अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करो। ज्यों-ज्यों दिन बीतेंगे, त्यों-त्यों विषयवृत्ति क्षीण होगी, तुम्हारा शरीर-बल और मनोबल बढ़ेगा तथा तुम विवाह करनेकी बात भूल जाओगे। परन्तु यह तो मैंने अपने पैमानेसे तुम्हें मापा है। मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मेरे विचार चाहे कुछ भी हों, फिर भी यदि तुम शादीका विचार करोगे, तो मुझसे जितनी बन सकेगी, तुम्हारी सहायता करूँगा। इसलिए तुम निर्भयतापूर्वक मुझपर विश्वास करते हुए तुम्हारी इच्छा विवाह करनेकी हो तो जाहिर कर देना। इस मामलेमें तुम यह भूल जाना कि मैं तुम्हारा पिता हूँ; मुझे अपना एक भला मित्र-मात्र समझना और मित्रकी परीक्षा लेना।



मेरी तन्दुरुस्ती मेरे काम लायक ठीक रहती है। दो वक्त बकरीका दूध और तीन बार फल खाता हूँ। शारीरिक शक्ति कम है, परन्तु मानसिक शक्तिमें जरा भी कमजोरी आयी हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। सुबहके छः बजेसे रातके दस बजेतक किसी-न-किसी काममें लगा ही रहता हूँ। दिनमें ३०-४० मिनिट सोये बिना अब काम नहीं चलता। इतना काम करनेपर भी [रातके] १० बजे जितनी चाहिए, उससे ज्यादा थकावट दिमागको महसूस नहीं होती। लड़ाई छिड़ी हुई है। कानून-भंग कुछ समय बाद फिर शुरू होगा। अनुभव कुछ नये और कुछ पुराने ज्योंके-त्यों मिलते रहते हैं। आशा-निराशाका हिसाब लगभग बराबर रहा है।

तुम्हारे पत्र तो प्रायः आते रहते हैं, परन्तु मणिलाल आलस्य दिखा रहा है। उसके मुकदमेका तो उसने या तुमने कोई समाचार ही नहीं दिया। इस मुकदमेमें मणिलालने स्वयं क्या सफाई दी, यह जाननेकी उत्सुकता है। यद्यपि मणिलालको पत्र लिखना चाहता हूँ, फिर भी शायद रह जाये, इसलिए यह पत्र तो उसे भेज ही देना। तुम दोनों भाइयोंके चित्र भेज दो, तो अच्छा। कुछ पढ़ते हो? प्रातःस्मरण करते हो? न करते हो, तो फिर याद दिलाता हूँ कि अवश्य करना, क्योंकि मेरा विश्वास है कि वह बहुत ही श्रेयस्कर है। इसका मूल्य तुम्हें संकट पड़नेपर मालूम होगा तथा विचारपूर्वक किये गये प्रातःस्मरण और संध्यादिकी कीमत तो दिन-प्रतिदिन लगाई जा सकती है। यह तो अपनी आत्माको भोजन देना है। जैसे शरीर भोजनके बिना सूख जाता है, वैसे ही आत्मा भी यदि उसे उचित भोजन न मिले तो मुरझा जाती है।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

### ३०७. पत्र : मगनलाल गांधीको

अहमदाबाद

जून १, १९१९

चि० मगनलाल,

तुम्हारे बीजापुर जानेका समाचार मैंने यहाँ आनेपर सुना। यह ठीक हुआ। हालाँकि मैं तुमसे मिलनेको उत्सुक था। सूतके बारेमें मेरी आलोचना तुम्हें उलाहना देनेके लिए नहीं थी। तुम्हें उलाहना मैं कैसे दे सकता हूँ; वह तो तुम्हें अधिक सचेत करनेके लिए थी। वह इसलिए थी कि सूत कातनेका जो मूल्य मैंने लगाया है, वही तुम लगाओ। मेरे कहनेका आशय यह था और अब भी है, दूसरे जो भी काम कम किये जा सकें, उन्हें कम करनेकी कोशिश की जाये। कौन-सा काम कौन कम कर सकता है, यह तो तुम ही विचार करके कह सकते हो। स्वदेशी सूतके खूब कपड़े बनवाकर तैयार कराओ, मेरी यह माँग पहले थी अवश्य। पर मैं तो



समझता था कि उसे मैंने सूतके पत्रसे सुधार लिया है। अधिक विचार करनेपर मैंने देखा कि मेरी पहली माँग भूलभरी थी। जिन कार्योंके बारेमें हमें ऐसा लगे कि उन्हें दूसरे लोग सँभाल लेंगे तो उन कार्योंको हमें छोड़ते चले जाना चाहिए अथवा कम कर देना चाहिए और जिनमें दूसरोंका विश्वास न हो या थोड़ा हो किन्तु जिनकी जरूरत भी जान पड़े उन कार्योंको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। सूत कातनेका काम ऐसा ही है। साथ ही मैं ज्यों-ज्यों अधिक अनुभव प्राप्त करता जाता हूँ, त्यों-त्यों समझता जाता हूँ कि मशीन हमें सदाके लिए गुलाम बना देगी और मुझे इस बातका अनुभव भी हो रहा है। मशीनोंके बारेमें मैंने जो मत 'हिन्द स्वराज्य' में प्रकट किया है—वह अक्षरशः सही है। सत्याग्रहकी भी मैं और छान-बीन कर रहा हूँ। मैं यह देख रहा हूँ कि सत्याग्रह कमजोरसे-कमजोर और सबलसे-सबल दोनों तरहके मनुष्योंके लिए शुद्धतम हथियार है। मिलके बने हुए स्वदेशी सूतसे बहुतसे व्यापारी अपने-आप कपड़ा बुनवा लेंगे। औरोंसे मैं यह काम जल्दी करा सकूँगा। परन्तु सूत कातनेका काम तो केवल हम ही शुरू कर सकते हैं। परसों मेरे पास कुछ पंजाबी आये थे। उन्होंने कहा कि पंजाबकी ऊँचे और नीचे घरानोंकी सभी महिलाएँ घरपर सूत कातकर अपने कपड़े जुलाहेसे बुनवाती हैं। इसलिए सूत रुईके भाव पड़ जाता है। यह बात खूब मनन करने लायक है। तुम केशूको ले गये, सो ठीक किया। केशू वहाँसे रुई कातना सीख आयेगा, तो यहाँ सिखा सकेगा। हमारा कोई भी एक आदमी वहाँसे सीख ले, तो हमारा काम चल जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५

### ३०८. पत्र : मगनलाल गांधीको

बम्बई

[ जून १, १९१९ के बाद ]

चि० मगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने वहाँसे बीजापुरके पतेपर तुम्हें जो दो पत्र लिखे थे, उम्मीद है, वे तुम्हें मिल गये होंगे। उनमें तुम्हारे प्रश्नका उत्तर आ जाता है। फिलहाल तुम्हारा काम मुख्य रूपसे बुनाई और खेतीकी देखभाल करना है। मेरा निश्चित मत है कि तुम्हें अपना कुछ समय बुनाईके कामके लिए जरूर देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मैंने जो परिवर्तन किये हैं वे यदि तुम्हें उचित लगेंगे तो बुनाईके काममें बहुत सुधार हो

१. इस पत्रमें गांधीजीने जिन दो पत्रोंका उल्लेख किया है उनमें से एक जून १, १९१९को अहमदाबादसे लिखा गया था। देखिए पिछला शीर्षक।



जायेगा। अगर हम इसे संजीवन दे सके तो समझो कि हमने एक महान् कार्य सिद्ध कर लिया।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७३२९) की फोटो-नकलसे।

### ३०९. पत्र : सोंजा श्लेसिनको

जून २, १९१९

प्रिय कुमारी श्लेसिन,

रामदासने मुझे खबर दी है कि तुम अपनी शिक्षकीय परीक्षामें कुछ सम्मानके साथ उत्तीर्ण हुई हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बधाईकी अपेक्षा नहीं रखतीं। मुझे तो इतनी ही उत्सुकता है कि तुम जल्दीसे-जल्दी अपनी अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण कर लो, क्योंकि मैं तुमसे निकट भविष्यमें भारत आकर अपना काम सँभालनेकी आशा रखता हूँ। यहाँ गरमी सख्त होती है, परन्तु जाड़ेमें उसकी काफी ठीक भरपाई हो जाती है। मेरा खयाल है बिना किसी दिक्कतके तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाती होंगी। और जरूरत पड़े तो मुझसे कहनेमें संकोच न करना।

सत्याग्रह अच्छी तरह चल रहा है। थोड़े ही समयमें सविनय अवज्ञा शुरू होनेकी आशा है। अनेक कारणोंसे मैं बार-बार यह चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो। परन्तु मुझे अपनी मंजिल अकेले ही तय करनी है। जब दक्षिण आफ्रिकाके अपने साथियोंकी याद आती है, अकसर उदास हो जाता हूँ। यहाँ मेरे पास न डोक हैं न कैलेनबैंक, यह भी नहीं जानता, इस समय कैलेनबैंक कहाँ हैं। पोलक इंग्लैण्डमें हैं। काछलिया और सोराबजीकी जगह लेनेवाला भी कोई नहीं है। रुस्तमजी-सा दूसरा व्यक्ति मिलना तो असम्भव ही है। यह कुछ विचित्र-सा लग सकता है, मगर दक्षिण आफ्रिकासे मुझे यहाँ ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ मुझे साथी नहीं मिले। परन्तु उनमें से बहुतोंके और मेरे बीच ऐसा पूरा आन्तरिक सम्बन्ध नहीं बना जैसा कि दक्षिण आफ्रिकाके साथियोंके साथ बन गया था। आप सबके साथ जो सुरक्षाकी भावनामें अनुभव कर सकता था, वह यहाँ नहीं कर सकता। यहाँ लोगोंको मैं नहीं पहचानता, वे मुझे नहीं पहचानते। यदि यही सब सोचता रहूँ तो उदास हो जाऊँ। परन्तु मैं ऐसी चिन्ता नहीं करता। इसकी मुझे फुरसत ही नहीं है। अभी जरा समय मिल गया, तो लिख डाला। रामदासके पत्रसे मुझे स्मरण हुआ कि तुम दक्षिण आफ्रिकामें हो और मैं अपने अन्तरकी गहराईमें पड़े हुए विचारोंको तुमसे कहकर सुखी हो गया। परन्तु बस अब इतना ही।

[ अंग्रेजीसे ]

मूल पत्र (एस० एन० ६६३५) की फोटो-नकलसे।



## ३१०. भाषण : स्वदेशी-व्रतके सम्बन्धमें

[ बम्बई ]

जून ४, १९१९

गांधीजीने ४ जून, १९१९ को बम्बईके मोरारजी गोकुलदास भवनमें ' हिन्दी वस्त्र-प्रसारक मण्डली ' के उद्घाटन-समारोहकी अध्यक्षता की।

श्री जी० पी० रामस्वामी अय्यरने<sup>१</sup> अपने अंग्रेजीके भाषणमें जो-कुछ कहा था उसको अंग्रेजी न जाननेवालोंके लाभार्थ श्री गांधीने थोड़ेसे शब्दोंमें स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जबतक आपमें से प्रत्येक -- केवल स्वदेशी वस्तुओंका ही प्रयोग करनेकी प्रतिज्ञा न लेगा तबतक आप देशके उत्थानकी आशा नहीं कर सकते। आप स्वदेशीकी प्रतिज्ञा ले सकें तो वह सबसे अच्छी बात होगी। किन्तु यदि आप यह प्रतिज्ञा न ले सकें, तो आप यथासम्भव स्वदेशी वस्तुओंके प्रयोगका दृढ़ निश्चय कर लें। आप भारतमें बने सूती कपड़ेके प्रयोगका निश्चय भी करें, जिससे भारतके जुलाहोंको ही नहीं, बल्कि उनके स्त्री-बच्चोंको भी काम मिल सके। मुझे आशा है कि आप सब, श्री अय्यरने आज सायं जो-कुछ कहा है उसे पूरी तरह हृदयंगम कर लेंगे और उसपर आचरण करेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ५-६-१९१९

## ३११. पत्र : अली बन्धुओंको

बम्बई

जन ५, १९१९

मुझे आपके पत्र मिले; उन्हें पाकर बड़ी खुशी हुई। आश्चर्य है कि श्री घाटेको मेरा पत्र<sup>२</sup> नहीं मिला। मैं आपसे बिलकुल सहमत हूँ कि जबतक मैं आपको न समझा सकूँ तबतक आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करना चाहिए। मैं जो-कुछ कह चुका हूँ उसके आगे मुझे यही कहना है कि वाइसरायके नाम आपके पत्रके मजमूनपर मैंने कई मित्रोंसे बातचीत की है और प्रायः वे सभी इस बातको मानते हैं कि आपने जो माँगें रखी हैं वे ऐसी नहीं हैं जिनमें से कुछ कम किया ही न जा सके; और आपका भारतसे हिजरत करनेका प्रस्ताव भी व्यावहारिक कदम नहीं है। यदि आप अनुमति दें तो आपने भारतसे

१. (१८७९); त्रावणकोरके दीवान तथा हिन्दू विश्व-विद्यालय, बनारसके उप-कुलपति।

२. देखिए "पत्र : ओ० एस० घाटेको", ८-५-१९१९।



हिजरत करनेके अपने प्रस्तावके समर्थनमें कुरानका जो उदाहरण दिया है उसके सम्बन्धमें कुछ कहनेकी धृष्टता करूँगा। पैगम्बर साहबने जिन स्थितियोंमें हिजरत की, वे उन स्थितियोंसे भिन्न थीं जिनमें आप इस कार्रवाईको करनेका विचार करते हैं। वे अपने साथ समस्त मुसलमानोंको मदीना शरीफ ले गये थे। यह मक्का शरीफके काफिरोंके विरुद्ध उनका सत्याग्रह था। उस समय इस्लामका पौधा बहुत कोमल था और उसको आन्तरिक और बाह्य तूफानोंसे बचानेकी जरूरत थी। उस समय वहाँ उनके छोटे-से दलके नष्ट हो जानेकी सम्भावना थी। वह खतरा मोल लेनेकी बजाय मक्काके काफिरोंका अज्ञान-जनित क्रोध ठंडा पड़ जानेतक के लिए वे अपने अनुगामियोंके साथ एक सुरक्षित स्थानमें चले गये। मुझे आपके और नबीके मामलोंमें कोई साम्य दिखाई नहीं देता। किन्तु मुझे आपकी मेहरबानीका बेजा फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे कुरानकी व्याख्याके आधारपर आपके साथ धर्म-सम्बन्धी चर्चामें उतरनेका अधिकार नहीं है। उसकी सीखोंसे जैसा परिचय आपका है — और होना ही चाहिए — वैसा परिचय रखनेका दावा मैं नहीं कर सकता। मैंने जितना-कुछ कहा है, वह कहनेका साहस इसी बलपर किया है कि मेरी व्याख्याको कुछ ऐसे लोग स्वीकार करते हैं, जो हम दोनोंके मित्र हैं। फिर भी मेरा अनुरोध है कि आप इस मामलेपर प्रार्थनापूर्ण मनसे तनिक और विचार करें। मुझे आपको यह आश्वासन देनेकी आवश्यकता नहीं है कि मैंने वाइसरायको लिखे अपने पत्रमें<sup>१</sup> मुसलमानोंकी जो मांगें रखी हैं उनको मैं स्वीकार करवानेका समुचित प्रयत्न करूँगा। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि सभी प्रमुख मुसलमान अपनी मांग मिल-जुलकर उचित भाषामें प्रस्तुत करें, तो उनके पक्षमें दुनिया-भरमें एक ऐसा लोकमत तैयार होगा कि 'लीग' [ऑफ नेशन्स] से उसका विरोध करते नहीं बनेगा और इंग्लैंड भी निश्चय ही उसके सामने इसे अवश्य जोर देकर रखेगा।

आशा है, आप सब स्वस्थ होंगे।

सभीको मेरा प्यार।

[अंग्रेजीसे]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल : सितम्बर १९१९, सं० ४०६-४२८-ए (गोपनीय)।

१. देखिए "पत्र : जे० एल० मैफीको", ५-५-१९१९।



## ३१२. पत्र : एन० पी० काँवीको

बम्बई

जून ५, [१९१९]

प्रिय श्री काँवी,

सिन्धके अधिकारियों द्वारा काठियावाड़के राज्योंके कुछ लोगोंके विरुद्ध पास किये गये हुक्मोंके बारेमें मैं आपको अपने . . . पत्रकी याद दिलाना चाहता हूँ, बड़ी कृपा हो, यदि उत्तर जल्द दें।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६६३६) की फोटो-नकलसे।

## ३१३. पत्र : बी० जी० हॉर्निमैनको

[बम्बई]

जून ६, १९१९

प्रिय श्री हॉर्निमैन,

आप वहाँ अच्छी तरह पहुँच गये यह जानकर चिन्ता मिटी। श्री मॉण्टेग्युने आपके बारेमें जो-कुछ कहा है, उसे पढ़कर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो कहूँगा, आपने जो किया वह ठीक ही था। इस बारेमें 'यंग इंडिया' में मैंने जो लिखा है, उसे आप देख लें।

यहाँका सारा हाल तो श्रीमती नायडू आपको बतायेंगी। जबतक रौलट कानून रद्द न हो जाये तबतक हिन्दुस्तानमें शान्ति नहीं हो सकती। मुसलमानोंकी भावनाको अवश्य ही सन्तुष्ट किया जाना चाहिए और पंजाबकी सजाओंमें परिवर्तन होना ही चाहिए। 'यंग इंडिया' में कुछ लिखेंगे ?

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. देखिए "पत्र : एन० पी० काँवीको", २५-५-१९१९।

२. देखिए "श्री हॉर्निमैन", ७-६-१९१९।



लैबर्नम रोड

बम्बई

[ जून ६, १९१९ ]

प्रिय हेनरी,

मैं देख रहा हूँ कि तुम काँटनके साथ जूझ रहे हो। मेरे खयालसे तुम्हें उसने 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया' से सम्बन्धित उद्धरण पेश करके धराशायी कर दिया है; फिर भी कन्धे हम दोनोंके अभी नहीं लगे हैं। मेरे ऊपर कष्टका जो पहाड़ टूट पड़ा है, उसमें मुझे [मानो] एक आनन्द आ रहा है। श्रद्धानन्दजी चले गये, जमनादास छोड़ गये। कुछ और भी जायेंगे। किन्तु मैं इससे इतना नहीं घबराता जितना कि जनताको हिंसाकी ओर बढ़ते देखकर घबराता हूँ। पहली जुलाईकी विश्वासपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सरकार हर परिस्थितिका सामना करनेके लिए तैयार है। मैं हर प्रकारके प्रदर्शनसे बचनेकी कोशिश करूँगा। सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें इस बार गहराई अधिक होगी, हालाँकि उसका विस्तार इतना अधिक नहीं होगा। श्री मॉण्टेग्युसे साफ-साफ कह देना कि जबतक रौलट कानून वापस नहीं ले लिये जायेंगे, तबतक हिन्दुस्तानमें शान्ति नहीं होगी। यहाँके स्थायी अधिकारियोंने उनको सही चीज नहीं बतलाई है। श्री हॉर्निमैनके मामलेमें कितनी भयंकर गलतबयानी की गई है। उन्हें निर्वासित करनेका असली कारण शायद कभी नहीं बताया जायेगा। 'यंग इंडिया' ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना। अग्रलेख ज्यादातर मेरे ही होते हैं।<sup>१</sup> सच पूछो तो मैं ही उसका सम्पादक हूँ। सिन्ध-सम्बन्धी लेख देखना।<sup>२</sup> अभी तो और अधिक बातें सामने आयेंगी। मिस्टर मॉण्टेग्युको न्याय करना हो तो उन्हें चाहिए कि वे अधिकारियोंकी आँखोंसे देखना बन्द कर दें। ये लोग तो उस पद्धतिको बरकरार रखना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत उनको मौजूदा सत्ता मिली है; इसलिए यहाँकी परिस्थितिका निष्पक्ष विवरण इन लोगोंसे नहीं मिल सकता। रौलट कानून रद्द होना ही चाहिए, मुसलमानोंको सन्तुष्ट करना और ठोस सुधार मंजूर किये जाने चाहिए। पंजाबके दुःखद काण्डकी जाँच करनेके लिए एक ऐसी निष्पक्ष समिति बनाना नितान्त आवश्यक है, जो सुनाई गई सजाओंमें रद्दोबदल कर सके। ये चार बातें की जायें, तभी इस दुःखी देशमें शान्ति हो सकती है। जबतक ब्रिटेनके लाभके लिए हिन्दुस्तानका शोषण जारी है, तबतक इस देशमें सम्पन्नता नहीं आ सकती। मुद्रा-विनिमयकी दरमें दुबारा वृद्धि कर दी गई है। इसका परिणाम यह होगा कि बदलेमें कुछ भी लाभ

१. इस खण्डमें केवल वे लेख उद्धृत किये गये हैं जिनपर गांधीजीके हस्ताक्षर हैं या जो किसी अन्य साक्ष्यके आधारपर उनके लिखे माने गये हैं।

२. देखिए "सिन्धमें गैरकानूनी कार्रवाई", (सिन्ध इल्लीगैलिटी) यंग इंडिया, २८-५-१९१९।



हुए बिना हिन्दुस्तानको करोड़ों रुपयेका नुकसान होगा। इसका तो यह अर्थ हुआ कि तुम लंकाशायर और सिविलियन अफसरोंको बोनस दे रहे हो। यदि ऊपर बताई हुई बातोंकी राहत देकर लोगोंका मन शान्त कर दिया जाये तो इन सब बातोंपर समझौता हो सकता है। रौलट कानूनोंका अर्थ यही होता है कि सरकारने लोकमतको ठुकरानेका निश्चय कर लिया है। जिस समय सुधारोंकी बातचीत चल रही है, उस समय सरकारका ऐसा रवैया असह्य है।

यह पत्र तुम्हें श्रीमती नायडू देंगी। ये अद्भुत महिला हैं। मैंने इनकी मीराबाईसे तुलना की है। अपनी इस रायमें परिवर्तन करनेका मुझे कोई कारण नहीं मिला। वे तुम्हें और तुम्हारा कुटुम्बको मेरा प्रेम-सन्देश देंगी।

तुम्हारा,  
भाई

[पुनश्च:]

‘यंग इंडिया’ के लिए कुछ लिखोगे? मैं चाहता हूँ कि कुछ लिखो।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

३१५. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

[बम्बई]

जून ६, १९१९

भाई श्री शास्त्रियर,

मेरी प्रार्थना है कि ‘यंग इंडिया’ के अग्रलेखोंपर आप दृष्टिपात करते रहें। अधिकांश अग्रलेख मेरे लिखे हुए होते हैं या मेरी देखरेखमें लिखे जाते हैं। उसमें लिखी गई सभी बातोंकी सच्चाईके बारेमें मैं विश्वास दिला सकता हूँ। उसमें जो स्थिति बतलाई जाती है, वह अधिकारियोंके रवैयेकी वास्तविकता प्रकट कर देती है। रौलट कानून उसका मूर्त-रूप है। इसलिए उसके विरुद्ध मेरा विरोध अटल है। क्रान्तिकारी अपराधोंका उन्मूलन करनेके लिए सरकारको इस कानूनकी जरूरत नहीं। लोगोंको तंग करनेके लिए ही उसे इस कानूनकी जरूरत है। भारत-रक्षा कानूनपर जिस तरह अमल हुआ, उससे साबित होता है कि लोगोंको किस हदतक तंग किया जा सकता है। ये कानून जबतक रद न हो जायें, तबतक भारतमें शान्ति नहीं हो सकती, नहीं होगी। मिस्टर माँण्टेग्युकी सफाई सिद्ध नहीं हो सकती। श्री हॉर्निमैनके सम्बन्धमें उन्होंने जो बातें कहीं हैं वे अन्यायपूर्ण और गलत हैं। पंजाबके अत्याचारोंने कविको क्रोधसे तिलमिलाकर एक पत्र लिखनेको विवश कर दिया। मेरी अपनी राय यह है कि यह पत्र समयसे पहले लिखा गया है। परन्तु इसके

१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा ‘सर’ का खिताब वापस करते हुए वाशरायको लिखा गया पत्र जो यंग इंडिया में ७-६-१९१९ को प्रकाशित हुआ था।



लिए कविको दोष नहीं दिया जा सकता। असन्तोषके जो सच्चे कारण हैं, जबतक उन्हें दूर करके लोगोंको सन्तुष्ट न किया जायगा, तबतक आप और दूसरे मित्र सुधार स्वीकार करनेसे इनकार करेंगे, क्या मैं ऐसी आशा रखूँ ?

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[पुनश्चः]

मुझे उम्मीद है कि सफरसे आपको लाभ हुआ होगा।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

### ३१६. पत्र : मगनलाल गांधीको

बम्बई

शुक्रवार [जून ६, १९१९]

चि० मगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें बीजापुरके पतेपर लिखे दो पत्र मिल गये होंगे। स्त्रियों अथवा पुरुषोंको घबराना नहीं चाहिए। हम आश्रममें हाथके कते सूतके कपड़े बुनेंगे। लेकिन जबतक उसमें से पहनने योग्य धोतियाँ अथवा साड़ियाँ नहीं बना सकते तबतक हम उन्हें मिलके बने सूतसे बाहरसे बुनवा लिया करेंगे। उद्देश्य यह है कि आश्रमवासी अपना समय मिलके बने सूतको बुननेमें खर्च न करें। हम पहननेके वस्त्रमें भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हाथके बने सूतका उपयोग करने लगे — हमारी यह इच्छा ऊपर जो कहा गया है उसे करनेपर ही सफल होगी।

यह तो मैं लिख ही चुका हूँ कि हम बुआजीको घरकी मरम्मत करवानेके लिए पैसा नहीं दे सकते।

बच्चे अपने नन्हें-नन्हें हाथोंसे अच्छेसे-अच्छा सूत कात सकेंगे, इसमें मुझे तो तनिक भी शंका नहीं। इस बातकी ओर ध्यान देना कि सब कोई इसे जल्दसे-जल्द सीख ले। मैं तो यही कहूँगा कि अगर रणछोड़भाईको एक निश्चित वेतन मिलने लगे तो फिर उन्हें कमीशन नहीं लेना चाहिए। अभी तक [इस सम्बन्धमें] वे क्या मानते रहे हैं, यह मैं तो कुछ जानता नहीं। इस सवालको निपटानेके लिए तुम्हें जो उचित जान पड़े, सो करना। इसके बाद अब यदि वे ऊपर लिखे अनुसार न करें तो मुझे लगता है कि उन्हें वहाँका काम छोड़ना पड़ेगा। मेरी दृढ़ धारणा है कि यदि रणछोड़भाई व्यापारिक दृष्टिसे काम करते हैं तो हम [उसमें] सार्वजनिक पैसेका उपयोग नहीं कर सकते। यदि उन्हें आजीविकाके सिवा कुछ पैसा कमाना हो तो वे स्वतन्त्र रूपसे काम करें। हम अपनी जरूरतका

१. लगता है यह “पत्र : मगनलाल गांधीको”, १-६-१९१९ में उल्लिखित मगनलालकी बीजापुर-यात्राके कुछ दिनों बाद लिखा गया होगा।



सूत खरीद लेंगे। गंगाबेनके साथ क्या बात हुई है? गंगाबेनके साथ मैंने ऐसी कोई बात की हो — ऐसा मुझे तो याद नहीं आता। वे तो केवल परोपकारकी भावनासे काम करती हैं। यह मैं जरूर चाहता हूँ कि वे अपनी गुजर करने-भरका पैसा उसमें से लें। लेकिन वे उतना भी करती हैं या नहीं, सो मैं नहीं जानता।

भाई मावजीका वेतन अकाल-समितिसे लेना ठीक लगता है। इस सम्बन्धमें वल्लभभाई अथवा भाई इन्दुलाल जो कहें सो करना।

ऐसी व्यवस्था करना जिससे छोटालाल और जगन्नाथ तुरन्त कातना सीख लें। इन दोनोंको तथा मावजीको बुनाईके काममें ही लगाना चाहिए।

खेतीमें से तुम आश्रमका खर्च निकालनेकी इच्छा रखते हो। तो उसके लिए [खेती-कार्य] जितना आवश्यक हो उतना ही करना; उससे अधिक नहीं। फिलहाल कातने-बुननेमें ही अधिकसे-अधिक समय देना अपना कर्तव्य मानना। क्योंकि खेतीसे करोड़ों रुपये बाहर नहीं जाते, बुनाईका नाश होनेके कारण ही जाते हैं। बुनाई-कामके नष्ट हो जानेके कारण केवल गत वर्ष ही सात करोड़ रुपये विदेशोंको गये। हम खेतीके धन्धेको निकाल बाहर नहीं करना चाहते, इतना ही नहीं; हम उसका सुधार और विकास भी करना चाहते हैं। लेकिन दो काम एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए इस समय उसे करना ही ठीक है जो ज्यादा जरूरी है। फिर भी, हमें नुकसान न हो इस सीमाके भीतर मजदूरोंको रखकर जितनी खेती करवायी जा सकती है उतनी जरूर करो। उसके लिए बच्चोंका थोड़ा समय लो। उम्मीद है, तुम मेरी बातको समझ गये होगे। हमें पैसेकी भी दिक्कत रहेगी। अल्प प्रयाससे जितना मिल सके, मैं उतना ही पैसा मांग सकता हूँ। मुझे तो बुनाईके काममें हमने जो परिवर्तन किये हैं वे बहुत अच्छे लगते हैं। इससे हम काफी हदतक पैसेकी खटपटसे भी छूट जायेंगे।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७३२६) की फोटो-नकलसे।

### ३१७. श्री एन्ड्र्यूजकी अपील<sup>१</sup>

जून ७, १९१९

श्री एन्ड्र्यूजने पंजाबके कैदियोंकी ओरसे जो अपील की है उसपर यदि जनता कुछ करना चाहे तो स्पष्ट ही उसमें कुछ बाधाएँ हैं। मार्शल लॉ की अदालतोंके फैसलोंके विरुद्ध सामान्यतः प्रिवी कौंसिलमें अपील नहीं की जा सकती। हमें एक प्रमुख वकीलसे मालूम हुआ है कि ऐसी अदालतसे सजा पानेवाला कैदी सपरिषद् बादशाहसे अपील कर सकता है। और बादशाह प्रिवी कौंसिलकी न्याय-समितिको मार्शल लॉ अदालतकी कार्रवाईपर पुनः विचार करनेके लिए कह सकता है। बादशाहको मन्त्री ही सलाह देते हैं। इसलिए पहली

१. यह ७-६-१९१९ के यंग इंडियामें एक सम्पादकीय टिप्पणीके रूपमें छपा था।



कार्रवाईका रूप राजनैतिक ही होना है; दूसरे शब्दोंमें, सपरिषद् बादशाहके फैसलेपर, पहले तो जो-कुछ वाइसराय कहेगा उसीका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयसे ऐसी जाँच-समिति नियुक्त करनेके लिए अनुरोध करना ज्यादा अच्छा है, जिसे मार्शल लॉ की अदालत द्वारा दी गई सजाओंको बदलनेका हक हो। सम्बन्धित कैदी ही सपरिषद् बादशाहको अर्जी दे सकते हैं और जनता वाइसरायको अपील भेज सकती है। इसलिए यह दूसरी कार्रवाई अपेक्षाकृत हर तरहसे जल्दी भी की जा सकती है और वह अधिक प्रभावकारी भी होगी; हालाँकि पहली कार्रवाई सफल हो जाये तो निःसन्देह अधिक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस हालतमें जो संस्था मामलोंकी जाँच करेगी वह बहुत गरिमामय संस्था है और उसकी अपनी विशिष्ट परम्पराएँ हैं। चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाये, इस कठिनाईका कोई हल निकालना और मार्शल लॉ के अन्तर्गत किये गये कार्योंकी उचित रूपसे जाँच-पड़ताल कराना सभीके हितकी बात है। श्री मॉण्टेग्युने भी, लगता है, ऐसा करनेका वचन दिया है। जनताको यह ध्यान रखना है कि जो-कुछ दिया जाये, वह वस्तुतः एक निष्पक्ष और प्रातिनिधिक जाँच-समिति हो, न कि ऐसे लोगोंसे बनी हुई लीपापोती करनेवाली समिति, जिसमें जनताका विश्वास न हो।

अंग्रेजी (एस० एन० ६७२४) की फोटो-नकलसे।

### ३१८. श्री हॉनिमैन

पिछले अंकमें हमने कहा था कि केन्द्रसे न्याय पाना कठिन है और यह भी कहा था कि इस कठिनाईका कारण यह है कि वास्तवमें पेश किये जानेवाले मामलेके एक ही पक्षका वहाँ प्रतिनिधित्व हो पाता है। श्री मॉण्टेग्युने श्री हॉनिमैनके बारेमें जो बातें कहीं हैं उनसे हमारे कथनकी सचाई सिद्ध होती है। श्री मॉण्टेग्युने कुछ उक्तियोंको सच मानकर उनके आधारपर, श्री हॉनिमैनके निर्वासनका औचित्य सिद्ध किया है; किन्तु वे उक्तियाँ वस्तुतः सत्य नहीं हैं।

जब श्री हॉनिमैनने दंगेकी अवधिमें अपने पत्रका उपयोग आगको भड़कानेकी दिशामें करना प्रारम्भ किया और इस आशयका आरोप प्रकाशित किया कि ब्रिटिश फौजने दिल्लीमें 'मुलायम नोंककी गोलियाँ' चलाई हैं और जब उनका पत्र बम्बईमें ब्रिटिश सैनिकोंमें अनुशासनहीनता फैलानेकी आशासे मुफ्त बाँटा गया तब उनका भारतसे निर्वासन बहुत जरूरी हो गया। यदि सामान्य समय होता तो उनपर मुकदमा चलाया जाता; किन्तु दंगोंका खयाल करके व्यवस्था कायम करनेके लिए तत्काल और त्वरित कार्रवाई करना आवश्यक था।

१. देखिए "दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय" (इंडियन्स इन साउथ आफ्रिका) शीर्षक अग्रलेख, जो यंग इंडियाके ४-६-१९१९ के अंकमें प्रकाशित हुआ था।



श्री मॉण्टेग्युने इन दो वाक्योंमें जितनी गलतबयानियाँ भर दी हैं, उनसे अधिक तो दो वाक्योंमें भरी ही नहीं जा सकती थीं। बम्बईमें कोई दंगा नहीं हुआ, उन्होंने कभी आग नहीं भड़काई, बल्कि जब सविनय अवज्ञाके विवेकशून्य ढंगसे प्रयोग किये जानेका खतरा आया तब उन्होंने उसे बन्द कर देनेकी सलाह दी। और जैसा कि श्री मॉण्टेग्युको भेजे श्री जिन्नाके तारसे स्पष्ट है, 'मुलायम नोंककी गोलियाँ'वाली खबर भी वापस ले ली जाती, यदि भूल-सुधारके लिए जो तार भेजा गया था उसे सेंसर भेजने या बिना देरदार किये पहुँचा देनेमें रुकावट न डालता। अन्तमें, 'क्रॉनिकल'की प्रतियाँ मुफ्त तो क्या, किसी तरह ब्रिटिश सैनिकोंके बीच नहीं बँटवाई गईं और उनसे अनुशासनहीनता फैला सकनेकी आशा करनेका प्रश्न ही नहीं उठता। यदि यह कहा जाये कि श्री मॉण्टेग्युने जब ये गलत बातें कहीं तब वे नहीं जानते थे कि ये बातें गलत हैं, तो भी श्री हॉर्निमैन और बम्बईकी जनताको दी गई सजाकी सख्ती कम नहीं होती। श्री मॉण्टेग्युको अनजाने ही जो घोर असत्य बातें कहनी पड़ी हैं, उनमें परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदय, कमसे-कम सुधार तो करवा ही सकते हैं, और हमें आशा है कि वे वैसा अवश्य करायेंगे। बम्बईकी जनताका यह स्पष्ट कर्त्तव्य है कि उसके साथ जो अन्याय किया गया है उसका और श्री हॉर्निमैनके विरुद्ध जारी किये गये हुक्मको वापस लेकर जबतक उसका निराकरण नहीं कर दिया जाता तबतक वह सन्तुष्ट होकर नहीं बैठेगी।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, ७-६-१९१९

### ३१९. पत्र : एक युवा पत्रकारको

बम्बई

जून ७, १९१९

मुझे 'पूज्य पिताजी' कहना खतरनाक है; यह तुम्हें अभी-अभी मालूम हो जायेगा। तुम्हारे आवारापनमें मुझे जरा भी शक नहीं। तुम्हारी अव्यवस्थित लिखावट उसका जीता-जागता सबूत है। पत्र जैसे-तैसे घसीट दिया गया है; उसे दुबारा नहीं देखा गया और पंक्तियाँकी पंक्तियाँ कटी हुई हैं; ऐसा पत्र अपने मान्य किये हुए 'पूज्य पिताजी'को कोई आवारा बेटा ही लिख सकता है। लड़का सचमुच आज्ञापालक हो तो जान-बूझकर स्वीकार किये हुए पिताको जब पत्र लिखेगा, तब खूब ध्यानपूर्वक यथासम्भव सुन्दरसे-सुन्दर अक्षरोंमें लिखेगा और विशेषण लगानेमें कंजूसी करेगा। उसके पास अधिक समय नहीं होगा, तो वह एक लकीर ही लिखेगा, परन्तु लिखेगा बहुत सफाईसे।

श्री जमनादासके बारेमें तुम्हारा लिखा हुआ लेख जल्दीमें लिखा हुआ और अविचारपूर्ण है। 'यंग इंडिया'में तो वह छापा ही नहीं जा सकता पर वह और किसी पत्रमें भी छापने लायक नहीं है। इस प्रकारके पत्र लिखकर तुम श्री जमनादासको



नहीं सुधार सकते; साथ ही उससे लोगोंका भी कोई लाभ नहीं हो सकता। तुम्हारा दूसरा लेख भी वैसा ही है। . . . अपने शब्दाडम्बरमें तुम अपने-आपको फँसा लेंते हो। बातका बतंगड़ बनानेके बजाय तुम विचारपर ध्यान दो, तो पढ़ने योग्य चीज पैदा कर सकते हो।

तुमने अपने प्रमाणपत्र मेरे पास किस लिए भेजे हैं? मुझपर वे क्या असर डाल सकेंगे? तुम्हें तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें मैं 'बहुश्रुत' अथवा 'ओजस्वी' लेखक नहीं मानता। अगर श्री मेनन सचमुच ही यह समझते हों कि तुम पत्रकारके रूपमें चमक उठोगे, तो पत्रकार कैसा होना चाहिए, इसका उन्हें बहुत थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अब तुम समझ सकोगे कि मुझे रिज्ञाना कितना कठिन काम है। फिर भी यदि भविष्यमें तुम अच्छी तरह मेहनत करनेको तैयार हो जाओ, तो मुझे रिज्ञाना बहुत आसान भी है। तुम्हारी इतनी अधिक त्रुटियाँ होनेपर भी तुम अहमदाबादकी अपनी जिम्मेदारीसे मुक्त हो जाओ, तो तुम्हें 'यंग इंडिया'में एक सहायकके रूपमें ले सकता हूँ। मेरा खयाल है कि श्री चटर्जी और ए० पी० (एसोसिएटेड प्रेस)के प्रति तुम्हारा यह फर्ज है कि इस समय तुम्हारे पास जो काम है, उसे पूरा करो। अहमदाबादमें रहते हुए भी तुम, जो मुकदमे वहाँ चल रहे हैं, उनपर सुन्दर और यथातथ्य टिप्पणियाँ भेजकर, मेरी मदद कर सकते हो। परन्तु वह सरकार या स्थानीय वकीलोंके ऐब देखनेवाली आलोचनाओंसे मुक्त होनी चाहिए। तुम्हें व्यक्तियों और उनकी रीति-नीतिके शब्द-चित्र देनेका प्रयत्न करना चाहिए। मुकदमोंकी कार्रवाईसे सम्बन्ध रखनेवाले विनोद-प्रसंग तुम जरूर दे सकते हो। किन्तु मेरा खयाल है कि इस समय ऐसा कुछ भी लिखनेका समय तुम शायद ही निकाल सको।

हृदयसे तुम्हारा,

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

### ३२०. पत्र : छगनलाल गांधीको

बम्बई

जून ७, १९१९

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरी धारणा तो यह है कि कलकत्ता वगैरहसे कोई भी हमारी खादी मँगवानेवाला नहीं है, इक्के-दुक्के मँगानेवाले बम्बई या अहमदाबादसे शायद मँगवा लें। हमारा ५ फी सदी दाम बढ़ाना मुझे तो हरगिज ठीक नहीं लगता। हमें अपनी मेहनत मुफ्त ही देनी चाहिए, तभी हम स्वदेशी-स्टोरसे ५ प्रतिशत मुनाफा लेकर संतुष्ट होनेके लिए कह सकेंगे। नई वस्तुका प्रचार करनेमें हम मुनाफा कैसे लें? हमें खानेको मिल ही रहा है। बम्बई माल न भेजा हो, तो जबतक मैं न लिखूँ न भेजना।



विठ्ठलदासके साथ बातचीत कर लूँ, उसके बाद ही भेजो, तो ठीक होगा। मैंने यहाँ सुना है कि पुराने स्वदेशी-स्टोरमें अब हमारी खादीको कोई छूता भी नहीं है। ऐसा हो, तो हमें विचार करना पड़ेगा। तुम चाहे किसी भी मनुष्यकी सेवाओंका उपयोग कर लेना; परन्तु मैं उम्मीद रखता हूँ कि छोटालाल और जगन्नाथकी सेवाओंका तुम जरा भी उपयोग नहीं करोगे। स्वदेशी-स्टोरवालोंकी तरफसे [दिये गये मालकी] एवजमें रकम न मिले, तो मुझे लिखना, जिससे मैं कुछ बन्दोबस्त करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (एस० एन० ६६३८) की फोटो-नकलसे।

### ३२१. पत्र : मगनलाल गांधीको

बम्बई

शनिवार [जून ७, १९१९]'

चि० मगनलाल,

तुम्हें कल पत्र नहीं लिख सका। आज बाका पत्र आया है जिसमें वह कहती है कि केशु फिर बीमार पड़ गया है और रुखीको भी चोट आई है। इस बीमारीका [कुछ-न-कुछ] कारण तो होना ही चाहिए। उसकी खोज तुम ही कर सकते हो। बच्चे समय-समयपर बीमार पड़ें तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? वहाँके पानीमें कुछ खराबी होना सम्भव है। यह देखा जा सकता है कि पानी आदिके ये दोष जो केवल शारीरिक काम करनेवालेको नुकसान नहीं करते, मानसिक कार्य करनेवालोंको नुकसान करते हैं। अस्वच्छ जल, अनुचित अथवा अतिशय आहारके अलावा बीमारीका अन्य कोई कारण होनेकी सम्भावना कम ही है।

चि० सामलदासने वहाँ आनेका निश्चय किया है। शान्ति भी आयेगी। उद्देश्य यह है कि सामलदासको कपड़ेके काममें कुशल बन जाना चाहिए। वह करघेके सम्बन्धमें आवश्यक ज्ञान प्राप्त करेगा। वह अपनी माँको थोड़े दिनोंमें जाकर ले आयेगा। मियाँ खाँके बँगलेमें यदि तुम उसके लिए भाड़ेपर कुछ कमरोंका प्रबन्ध करा सको तो करा देना। अथवा इस मुहल्लेमें कोई दूसरी जगह मिल जाये तो सामलदासको आराम रहेगा। शान्ति भी आयेगी। सबकी ठीक व्यवस्था हो जाये तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो। सामलदास काम कर सकेगा ऐसा लगता तो है।

एक चन्द्रशंकर नामके सज्जन हैं, वे भी वहाँ हमारा बुनाई-घर देखने आयेंगे। उन्होंने ही पैसा देकर अबतक यहाँ रुई कतवाई है। मुझे लगता है यहाँका काम तेजीसे हुआ है, लेकिन सन्तोषजनक नहीं हुआ है। जिस व्यक्तितने उसे हाथमें लिया है,

१. स्पष्ट ही यह पत्र, मगनलालको लिखे १२ और १५ जूनके पत्रोंसे पहले लिखा गया होगा। उन दोनों पत्रोंमें गांधीजीने सामलदासकी आश्रममें काम करनेकी योजनाकी चर्चा की है।



उसमें लगन है लेकिन वह अनजान है। उसने अज्ञानमें पैसा उड़ा दिया है। जो सूत काता गया है, वह काममें आ सकता है सो नहीं जान पड़ता। बुनाईका काम हाथमें लेनेमें अभी समय लगेगा। हमारे पास बहुत सारे देशी करघे होने चाहिए। काठियावाड़में तो बहुत होंगे। उमरेठमें भी हैं, यह मैं जानता हूँ। उमरेठके सभी करघे चालू नहीं हुए हैं। वहाँ जो भी काम होता है भाई चन्द्रशंकरको सब बताना। सूत कैसे काता जाता है, यह भी बताना। बादमें बीजापुरका काम देखनेके लिए भेजना। वहाँ देखनेके बाद वे कोटा जायेंगे। मैंने उनको ज्ञान प्राप्त करनेके बाद ही अधिक पैसा खर्च करनेकी सलाह दी है।

पुराने स्वदेशी भण्डारमें भेजी गई खादी नयेमें ले जाई गई है। उसके लिए यहाँ नकद पैसा दे दिया जायेगा। इसके सिवा दूसरा पैसा भी चुका दिया जायेगा। सब मिलाकर १०,००० रुपया भर दिया जायेगा। जो माल अभी वहाँ पड़ा है उसे बाँधकर एक तरफ रख दोगे तो चलेगा। वे कहते हैं कि यहाँके भण्डारमें सारा माल रखनेकी व्यवस्था नहीं है इसलिए वहीं सहेजकर रखो। कितना माल है और क्या-क्या है, उसका बीजक बनाकर मुझे भेज देना। वह मैं भाई विठ्ठलदासको दे दूंगा। इस मालको बादमें तुम बेच नहीं सकोगे। हाथके कते हुए सूतका और हाथका बुना हुआ, सं० १; हाथके कते सूतका बाना और मिलका ताना, सं० २; तथा मिलका ही बाना और ताना, सं० ३ — इस तरह पंचियाँ चिपकाकर, और कौन कितने गज है, इत्यादि लिखकर मालकी गाँठ तैयार करना। जितना माल हम तैयार करेंगे, उतना सब वे ले लेंगे। मैं समझता हूँ कि सं० ३का माल तो अब हमें नया तैयार करवाना ही नहीं चाहिए। जिस भाव हम देंगे, भाई विठ्ठलदास उसी भाव बेचनेको तैयार हैं। वे उसके ऊपर एक पाई भी मुनाफा नहीं कमाना चाहते। दूसरे मालपर भी सिर्फ पाँच प्रतिशत मुनाफा लेंगे। हमें भी [कीमतमें] मुनाफा बिलकुल नहीं जोड़ना चाहिए। इसी तरह हम शुद्ध स्वदेशीका प्रचार कर सकेंगे। भाई विठ्ठलदासकी यह भी इच्छा है कि चोलियोंके लिए भी कुछ खादी रँगायी जाये। यह सब व्यवस्था होनेके बावजूद क्या तुम वहाँसे सीधे माल बेचनेकी आवश्यकता महसूस करते हो? भाई विठ्ठलदासने पुरानी दुकानके व्यवस्थापकसे यह बात कहनेकी जिम्मेदारी अपने सिरपर ली है कि वे खादीके अलावा अन्य मालके पैसे [तुम्हें] सीधे भेज दें।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (एस० एन० ७०२१) की फोटो-नकलसे।



## ३२२. पत्र : छगनलाल गांधीको

बम्बई

[जून ७, १९१९के बाद]<sup>१</sup>

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। यह उचित ही है कि छोटालाल तथा जगन्नाथ बुनाईके काममें लगे हुए हैं—यह मुझे ठीक लगता है। तुम कान्तिलाल तथा रामनन्दनको तैयार कर रहे हो, यह भी ठीक है। जो माल इकट्ठा हो गया है उसका प्रबन्ध मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं तो कान्तिलाल और रामनन्दनको भी बुनाई-काममें जुटा हुआ देखना चाहता हूँ। इस कामके लिए यदि बाहरके व्यक्तिकी नियुक्ति की जाये तो मुझे और भी प्रसन्नता होगी। अब तो तुम बाहरका माल भी जो हाथके कते सूतका और हाथसे बुना हुआ न हो, मत लो। इस सम्बन्धमें उमरेठके लोगोंके लिए अपवाद करनेकी जरूरत मालूम हो तो करना।

स्वदेशी भण्डारके पास जो पैसा है उसके लिए योग्य व्यवस्था करवा रहा हूँ।

मावजी जेतानीने उस कामको करनेका जिम्मा लिया था, उसका क्या हुआ? और यदि वे पूरा नहीं कर सके हों तो उस विषयमें तुम क्या करना चाहते हो?

मेघाणीको जो माल भेजा गया है, क्या उसका पैसा मिल गया है? जहाँतक बने माल उधार न भेजनेका रिवाज अच्छा है। थोक विक्रेतासे सीधा लेनदेन करनेके सम्बन्धमें मैं तुम्हें लिख चुका हूँ। इस काममें आश्रमके व्यक्तियोंको बहुत रोके बिना काम चल सके तो चलाना।

उपवास कोषके<sup>२</sup> रुपये इस समय जहाँ पड़े हैं, भले वहीं पड़े रहें। उनसे व्याज तो मिलता ही होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (एस० एन० ७३२५) की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें जगन्नाथ, छोटालाल तथा स्वदेशी भंडारके बारेमें जो कुछ कहा गया है उससे लगता है कि यह ७-६-१९१९ को लिखे गये "पत्र : छगनलाल गांधीको" के बाद लिखा गया होगा।

२. इसके सम्बन्धमें कुछ जानकारी नहीं है।



## ३२३. पत्र : एस० अर० हिगनेलको

लैबर्नम रोड

बम्बई

जून ९, १९१९

प्रिय श्री हिगनेल,

मैंने पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें एक जाँच-समिति नियुक्त करनेका सुझाव देते हुए जो पत्र<sup>१</sup> लिखा था, उसके उत्तरमें भेजे गये आपके पत्रोंके लिए धन्यवाद। आपने मेरे स्वास्थ्यका हाल पूछा है, उसके लिए भी आभारी हूँ। कहना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक ही है।

मैं इस समय लाहौरके 'ट्रिब्यून' पत्रके सम्पादक बाबू कालीनाथ रायके मामलेका अध्ययन कर रहा था। मैंने उनके वे लेख पढ़ लिये हैं जो उनके विरुद्ध भारतीय दण्डसंहिता की धारा १२४के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमेका आधार, एकमात्र आधार हैं। मामलेका अध्ययन करनेके बाद मेरा खयाल यह बना है कि बाबू कालीनाथ रायके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। पहली अप्रैलसे लेकर 'ट्रिब्यून'की फाइल देखनेके बाद मैं इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि कोई भी पत्र अपनी बात इससे अधिक संतुलित और संयत ढंगसे पेश नहीं करता। मैं इस मामलेपर परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयसे बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करनेका अनुरोध करता हूँ। यह स्पष्ट अन्याय है और ऐसे अन्यायको बिना समाधानके नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि श्री रायको रिहा करनेका कोई मार्ग अवश्य निकाला जायेगा और वह भी जल्दी ही। फैसलेमें कहा गया है कि श्री रायने खेद-प्रकाश भी किया। मैंने सम्बन्धित लेखोंमें ऐसा एक भी वाक्य नहीं देखा है जिसके लिए खेद-प्रकाशकी जरूरत हो। किन्तु यह अत्यन्त दुःखजनक बात है कि एक सज्जन व्यक्तिके खेद-प्रकाशकी भी उपेक्षा कर दी गई। मुझे आशा है कि आप इस पत्रको परमश्रेष्ठके सम्मुख यथासम्भव शीघ्र ही प्रस्तुत कर देंगे। साथमें परमश्रेष्ठके अवलोकनार्थ 'यंग इंडिया'का वह अंश, जिसमें श्री रायके मामलेका उल्लेख है, भेज रहा हूँ।<sup>२</sup>

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६६४०) की फोटो-नकलसे।

१. ३०-५-१९१९ का पत्र।

२. अन्तिम वाक्य गांधीजीके स्वाक्षरोंमें है।



## ३२४. पत्र : एन० पी० काँवीको

बम्बई

[जून ९, १९१९को या उसके बाद]

प्रिय श्री काँवी,

इसी ९ तारीखके पत्रके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। (मैं श्री मणिलाल व्यासको अपना मामला स्वयं वाइसराय महोदयके सम्मुख रखनेके लिए कह रहा हूँ।) किन्तु मैं परमश्रेष्ठका ध्यान इस तथ्यकी ओर खींचता हूँ कि मैंने केवल व्यक्तिगत राहत देनेके लिए नहीं लिखा था। मैंने इस मामलेकी ओर परमश्रेष्ठका ध्यान इसलिए खींचा था कि इसका सम्बन्ध एक महत्त्वपूर्ण व्यापक सिद्धान्तसे है। किन्तु आपके पत्रसे ऐसा ध्वनित होता है कि आपको ऐसे मामलोंमें भी किसी लोक-सेवी व्यक्ति द्वारा राहत पानेकी प्रार्थनाके औचित्यके बारेमें शंका है। लोकसेवियोंपर, जिस ढंगकी पाबन्दियाँ मुझपर लगा दी गई जान पड़ती हैं, उस ढंगकी पाबन्दियाँ लगानेसे उन्हें जो कठिनाई होती है वह इस मामलेमें भी स्पष्ट है। यद्यपि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूपसे नहीं जानता, किन्तु चूँकि मुझे संयोगसे श्री मणिलाल व्यासका पता मालूम है, इसलिए मैंने उन्हें पत्र लिखकर सुझाया है कि राहत पानेके लिए क्या करना चाहिए। जैसा मैं अपने पहले पत्रमें लिख चुका हूँ, मैंने कुछ दूसरे मामलोंके बारेमें सुना है, किन्तु मैं उन समस्त सम्बन्धित लोगोंके नाम नहीं जानता। स्वयं श्री मणिलाल व्यासका भी मामला तय होनेमें समय लगेगा। तबतक इन लोगोंको कष्ट सहन करना ही होगा, चाहे अन्तमें यही सिद्ध हो कि उन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। इसलिए मैं अब भी सादर अनुरोध करता हूँ कि सरकार १८६१के अधिनियम ३के अन्तर्गत देशी राज्योंके निवासियोंको विदेशी समझनेकी नीतिपर पुनः विचार करे और उसमें संशोधन कर दे। वह इसके लिए सिन्धके अधिकारियोंके हुक्मोंसे प्रभावित लोगोंकी अर्जियोंकी राह न देखे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६५४) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए “पत्र : एन० पी० काँवीको”, २५-५-१९१९।



## ३२५. पत्र : एन० पी० काँवीको

[ जून ९, १९१९के बाद ]

प्रिय श्री काँवी,

श्री मणिलाल व्यासके सम्बन्धमें मैंने जो पत्र लिखा था, उसके सिलसिलेमें मुझे उनसे मालूम हुआ है कि वे अपने मामलेपर दरखास्त भेज चुके हैं। मुझे पूरी आशा है कि उसपर परमश्रेष्ठ जल्दी ही अनुकूल विचार करेंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६५५) की फोटो-नकलसे।

## ३२६. बाबू कालीनाथ राय

‘यंग इंडिया’ सिंडीकेटके सौजन्यसे, जिसके अधिकांश सदस्य सत्याग्रही ही हैं, श्री हॉर्निमैनके निर्वासनके बाद, इस पत्रके सम्पादनकी देख-रेख करनेकी अनुमति मुझे मिल गई है। इस तरहकी देख-रेखकी यह अनुमति मैंने इसलिए माँगी कि मैं नहीं चाहता कि इस पत्रमें कोई ऐसी बात छपे जो सत्याग्रहके सामान्य सिद्धान्तों, यानी सत्य और किसी व्यक्ति अथवा किसीकी सम्पत्तिको क्षति न पहुँचानेकी नीतिसे मेल न खाती हो। इस योजनाके अनुसार मैं अबतक सामान्य सम्पादकीयोंके रूपमें कुछ अग्रलेख भी लिख चुका हूँ। लेकिन इस अंकमें, ‘ट्रिब्यून’ नामक जिस पत्रका प्रकाशन बन्द हो गया है, उसके सम्पादक बाबू कालीनाथ रायके सम्बन्धमें जो-कुछ भी दिया जा रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी—अगर कोई जिम्मेदारी हो तो—मैं अपने ऊपर लेता हूँ। व्यक्तिशः मैं तो यही समझता हूँ कि मैं जो-कुछ कहने जा रहा हूँ उसमें अधिकारियोंकी दृष्टिसे भी कोई बात गलत या अनुचित नहीं है। किन्तु सम्भव है, वे अन्यथा ही सोचें। अतः जनता और यंग इंडिया सिंडीकेट, दोनोंको इसके लेखकके नामकी जानकारी दे देना अपेक्षित था।

पंजाबके दंगोंके सम्बन्धमें मेरे मौनके कारण बहुत-से मित्रोंने मुझे गलत समझा है, और अब यह एक सर्वविदित बात है कि मुझे संन्यासी स्वामी श्री श्रद्धानन्दजी जैसे अनेक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध नेताओंके सहयोगसे वंचित होना पड़ा है, यद्यपि मेरे प्रति उनका मैत्री-भाव ज्योंका-त्यों बना हुआ है। लेकिन मैं अब भी यही मानता हूँ कि मौनपर आग्रह रखकर मैंने ठीक ही किया; क्योंकि मुझे तथ्योंकी कोई ऐसी निश्चित जानकारी नहीं थी कि उनके आधारपर मैं कुछ कहता। मेरी किसी भी सार्वजनिक घोषणाका अधिकारियोंकी कार्रवाईपर कोई अच्छा प्रभाव न पड़ता। किन्तु



बाबू कालीनाथ रायके मामलेसे स्थिति बहुत अलग है। मेरी नम्र सम्मतिमें 'यंग इंडिया' स्पष्ट ही एक निर्भय अन्यायके मामलेको लोगोंके सामने उपस्थित कर रहा है। मुझे बाबू कालीनाथ रायको व्यक्तिशः जाननेका सौभाग्य प्राप्त नहीं है, जब मैंने [ उनके मामलेके ] फैसलेका अध्ययन प्रारम्भ किया तब यही सोचा था कि अभियुक्तके विरुद्ध उसके लेखनके छुट-पुट अंशोंके आधारपर कोई ऐसा मामला तो अवश्य तैयार किया ही गया होगा जो कमसे-कम ऊपरी तौरपर सही मालूम हो। लेकिन जैसे-जैसे मैं फैसलोंको पढ़ता गया, वैसे-वैसे मैं इस निष्कर्षपर पहुँचता गया कि यह तो एक अभियोग और उसपर दी गई कड़ी सजाको सिद्ध करनेके लिए रखी गई एक खास किस्मकी दलील भी है। इस खयालसे कि हो सकता है, मेरा सोचना गलत हो, मैंने 'ट्रिव्यून'के उन अंकोंको देखा जिनका फैसलेमें उल्लेख किया गया था और जिनके आधार-पर भारतीय दण्ड-विधानके खण्ड १२४ (क) के अन्तर्गत बाबू कालीनाथ रायपर यह गम्भीर आरोप लगाया गया था। लेकिन 'ट्रिव्यून'के एक-एक सम्बन्धित लेखको ध्यानसे पढ़नेका परिणाम सिर्फ यह हुआ कि फैसलेको देखकर मैंने जो धारणा बनाई थी, वह बिलकुल पक्की हो गई। और अन्तमें मुझे यह मानना पड़ा कि सैनिक कानूनके अन्तर्गत स्थापित न्यायालयने, जिस सन्देह और अविश्वासके वातावरणसे वह घिरा हुआ है, उससे प्रभावित होकर ही निर्णय दिया है। मैं जो-कुछ कह रहा हूँ उसको सिद्ध करनेवाले सबसे अच्छे प्रमाण तो स्वयं यह निर्णय और वे लेख हैं, जिनपर यह आधारित है। अतः उन्हें इस अंकमें पूराका-पूरा प्रकाशित किया जा रहा है। मैंने, निर्णय और 'ट्रिव्यून'में प्रकाशित जिन लेखोंको अपराध माना गया है, उन लेखोंसे पहले दूसरे अंकोंके सम्बन्धित वे अंश भी दे दिये हैं, जिनसे दिल्लीके काण्डके शीघ्र बाद अप्रैल महीनेसे ऐसे लेखनका जो सिलसिला आरम्भ हुआ उसकी प्रवृत्ति और ध्वनि स्पष्ट हो जाती है। वे ऐसे अंश नहीं हैं, जिन्हें सन्दर्भमें से अलग करके रखा गया है। वास्तवमें वे पिछले ३० मार्चके बादसे प्रकाशित 'ट्रिव्यून'के सभी अंकोंकी सम्बन्धित सामग्रीका एक सच्चा चित्र प्रस्तुत करते हैं। सभी अंकोंमें प्रमुख स्वर यही है कि रौलट कानूनोंके विरुद्ध जो आन्दोलन किया जा रहा है उसे संयम, सत्य और अहिंसासे चलाया जाय। मैं उनमें कहीं भी वैर-विद्वेषके भावका चिह्न नहीं देख पाया — चाहे वह वैर-विद्वेष सामान्य रूपसे अंग्रेजोंके विरुद्ध हो या विशिष्ट रूपसे अंग्रेज सरकारके विरुद्ध। सच तो यह है कि दिल्ली-काण्डके परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थितिमें 'ट्रिव्यून'ने जिस शान्ति और आत्म-संयमसे काम लिया उससे अधिक शान्ति और आत्म-संयम कोई मुश्किलसे ही दिखा सकता है।

इस विशेष अदालतने अपने मार्ग-दर्शनके लिए जो कसौटी सामने रखी है, वह यह है :

आपको देखना होगा कि जो घटनाएँ घटित हुई हैं उनपर इस प्रकाशित सामग्रीमें शान्तिपूर्ण और संयमित ढंगसे विचार किया गया है या नहीं। जनताको जिन बातोंकी शिकायत हो उनके सम्बन्धमें विचार-विमर्श करनेका उसे अधिकार है; लेकिन उसे इतना ध्यान तो रखना ही है कि वह इस ढंगसे



विचार-विमर्श न करे कि उससे उपद्रव फैले। आप सरकारको उनकी गलतियाँ बता सकते हैं। . . .

सवाल बराबर तरीकेका ही है और देखना यह है कि उन (लेखों) का उद्देश्य क्या जान पड़ता है—लोगोंके सद्बिवेकको जगाकर उन्हें सही स्थितिसे अवगत कराना या उन्हें राजद्रोहपर उतर आनेके लिए क्षुब्ध और उत्तेजित करना। दूसरे शब्दोंमें, उनमें लोगोंकी बुद्धिको झकझोरनेकी कोशिश की गई है या जोशको उभारनेकी।

अदालतके सामने जो कसौटी थी, उसकी दृष्टिसे देखनेपर ज्ञात होता है कि जिन लेखोंके विरुद्ध शिकायत की गई, वे दिये गये दण्डका औचित्य सिद्ध नहीं करते। उनसे उपद्रव फैलनेका सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि लेखक तो एक अत्यन्त तनावपूर्ण अवधिमें भी पाठकोंसे रोज-रोज यही कह रहा है कि हिंसासे हाथ समेटे रहिए, फसाद होनेसे आपके उद्देश्यकी सिर्फ हानि ही हो सकती है। लेखक पाठकोंसे यह कहता है कि पहलेसे ही मामलेके बारेमें कोई धारणा न बना लीजिए, मामलेकी जाँचके परिणामोंको तो सामने आने दीजिए; और वह ऐसी जाँचके लिए [सरकारसे] बार-बार आग्रह भी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं उसने लगातार अपने पाठकोंके सद्बिवेकको ही जगानेकी कोशिश की है। इन लेखों और लेखांशोंपर अदालतने जो तर्क और विचार प्रस्तुत किये हैं, वे उसके निर्णयका औचित्य सिद्ध नहीं करते। अदालतने ६ और ८ अप्रैलके अंकोंमें प्रयुक्त “दिल्लीके शहीद” शब्दोंपर नाराजगी प्रकट की है। मगर आप शीर्षकोंके नीचे दी सामग्रीको पढ़ें तो देखेंगे कि एकका सम्बन्ध जामा मस्जिदमें की गई एक इबादतसे है और दूसरेका एक सहायता और स्मारक-कोषसे। अदालतके शब्दोंमें अपराध यह था कि “अभियुक्तने ज्यादा जोर सहायतापर न देकर शहीदोंका स्मारक बनानेकी बातपर दिया।” आगे अदालत कहती है कि “इससे जो निष्कर्ष निकलता है वह स्पष्ट है।” इससे स्पष्ट निष्कर्ष यह निकलता है कि जिस किसीने यह शीर्षक दिया, उसे ऐसा लगा कि जिन लोगोंको दिल्लीमें गोलियोंका शिकार बनाया गया, उनके साथ यह व्यवहार बिना किसी पर्याप्त कारणके ही किया गया। अब इस निष्कर्षको राजद्रोहात्मक क्यों माना जाये, यह बात तो समझमें नहीं आती। और यदि ऐसे निष्कर्षसे यह प्रकट होता हो, जैसा कि इस मामलेमें निःसन्देह होता है, कि जिस मजिस्ट्रेटने गोली चलानेका हुक्म दिया उसने गलत किया तो क्या यह कोई ऐसा निष्कर्ष है जिसके लिए इस निष्कर्षपर पहुँचनेवालेको सजा दी जानी चाहिए। अदालत कहती है कि कोई चाहे तो सरकारकी गलतियाँ बता सकता है। मेरी नम्र सम्मति है कि श्री रायने एक स्थानीय अधिकारीकी गलती बताकर बिलकुल ठीक किया। (प्रसंगवश मैं यह बता दूँ कि फैसलेमें उल्लिखित “दिल्लीके शहीदोंका स्मारक” शीर्षकसे कोई भी सम्पादकीय प्रकाशित नहीं हुआ।) दूसरा अभियोग यह है कि सम्पादकने कुछ अवैतनिक मजिस्ट्रेटों और म्यूनिसिपल कमिश्नरोंके बारेमें जिन्होंने दुकानदारोंको दुकानें बन्द करनेसे मना किया था, “उल्लू बनाना”



शब्दका प्रयोग किया। जिस लेखमें ६ अप्रैलके प्रदर्शनका वर्णन किया गया था, उसमें कहा गया था कि :

भारतकी जनता बेवकूफ नहीं है। . . . उसे “उल्लू नहीं बनाया जा सकता” -- यह बात तो उन कुछ एक म्यूनिसिपल कमिश्नरों, अवैतनिक मजिस्ट्रेटों और कुछ दूसरे लोगोंकी शर्मनाक नाकामीसे ही साफ हो जाती है, जिन्होंने दुकानदारोंको अपनी दुकानें खुली रखनेकी बात समझाते हुए सारे नगरका चक्कर लगा डाला था।

यह तो अभियुक्त, जिस रूपमें तथ्यको जानता था, उसकी विवृत्तिमात्र है। इसके बाद उन लेखोंपर विचार किया गया है जिनके आधारपर सम्पादकपर मुख्य रूपसे यह आरोप लगाया गया है कि उसने कहा कि पंजाब सरकारकी कार्रवाई “अन्यायपूर्ण भी थी और अनावश्यक भी”, और “उसने अपने-आपको जनमतकी कड़ीसे-कड़ी आलोचनाका पात्र बना” लिया है। यहाँ भी सम्पादकने अपने पाठकोंको तर्क देकर उसी निष्कर्षपर लानेकी कोशिश की है जिसपर वह स्वयं पहुँचा है। यह प्रक्रिया, स्वयं अदालतने अपने सामने जो कसौटी स्वीकार की है, उसके आधारपर बिलकुल उचित ठहरती है। बात सचमुच अनुचित तब होती, जब सम्पादकने तथ्योंको गलत रूपमें पेश किया होता। लेकिन, जैसा कि इस अंकमें उद्धृत किये गये लेखोंसे स्पष्ट होगा, लेखकने हर मामलेमें, जिन बातोंको वह तथ्य समझता है, उनका सहारा लेकर अपनी स्थिति पूरी तरह सुदृढ़ रखी है, और जहाँतक फैसलेको देखनेसे ज्ञात होता है, उसमें उन तथ्योंका खण्डन भी नहीं किया गया है। अदालतने इनके अतिरिक्त जिन दो लेखोंका उल्लेख किया है, वे हैं ९ तारीखके अंकमें प्रकाशित “दिल्लीकी दुःखद घटना” और १० अप्रैलके अंकमें छपा “घोर विवेकहीनता”। “दिल्लीकी दुःखद घटना”में ३० मार्चकी दुःखद घटना निष्पक्ष दृष्टिसे विवेचित है, और अन्तमें भारत-सरकारसे मामलेकी खुली जाँच करनेकी माँग की गई है। “घोर विवेकहीनता,” निःसन्देह सर माइकेल ओ’डायरपर, पंजाब विधान परिषद्के समक्ष उन्होंने जो भाषण दिया, उसको लेकर लगाया गया एक आरोप है। सम्बन्धित लेखमें जिस भाषणपर विचार किया गया है, वह निश्चय ही “घोर विवेकहीनता”से भी बढ़कर है। सच तो यह है कि कालीनाथ रायके बजाय मुजरिमके कठघरेमें सर माइकेल ओ’डायरको खड़ा किया जाना चाहिए था। अगर उन्होंने उत्तेजनात्मक और क्षोभकारी भाषण न दिये होते, यदि उन्होंने नेताओंका अपमान न किया होता, यदि उन्होंने बड़ी ही बेरहमीसे लोकमतका तिरस्कार न किया होता और अगर उन्होंने डॉ० किचलू और डॉ० सत्यपालको गिरफ्तार न किया होता तो पिछले दो महीनोंका इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन, मेरा उद्देश्य सर माइकेल ओ’डायरको दोषी सिद्ध करना नहीं है। मैं तो सिर्फ बाबू कालीनाथ रायकी पूर्ण निर्दोषिता साबित करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि ब्रिटिश न्यायके नामपर उन्हें एक घोर अन्याय सहना पड़ा है, और जैसे मैं अपने देशभाइयोंसे अनुरोध करता हूँ, वैसे ही बिना किसी संकोचके अंग्रेजोंसे भी कहता हूँ कि वे मेरे साथ मिलकर बाबू कालीनाथ रायकी तत्काल रिहाईके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करें। जैसा कि



श्री नॉर्टनने, और अभी हालमें सर पी० एस० शिवस्वामीने भी, दिखा दिया है, मार्शल लॉ अदालतके बारेमें ऐसा नहीं सोचा गया था कि उसमें ऐसे मामलोंकी सुनवाई होगी जिनका सम्बन्ध सामान्य कानूनोंके कठिन खण्डोंकी बहुत ही नाजुक व्याख्यासे हो। ऐसी अदालतें तो केवल उन लोगोंके मामलोंको औचित्यपूर्ण फौरी तौरपर निबटा देनेके लिए स्थापित की जाती हैं जिन्हें ऐसे द्रोहात्मक अथवा अपराधपूर्ण कार्य करते हुए मौकेपर ही पकड़ लिया गया हो, और जिन्हें यदि रोका न जाये तो समाजमें घोर अव्यवस्था फैल जाये।

अब एक और बात विचार करनेके लिए बच रहती है। जब इस बातकी बहुत अधिक सम्भावना है कि पंजाबमें मार्शल लॉके अमलकी पूरी जाँच-पड़ताल करने और इस नियमके अन्तर्गत स्थापित अदालतों द्वारा दी गई सजाओंपर पुनः विचार करनेके लिए एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष समिति नियुक्ति की जायेगी तब फिर इस एक मामलेको ही अलगसे निबटानेके लिए क्यों चुन लिया गया था? मेरा उत्तर यह है कि श्री रायके मामलेमें किसी प्रकारके भ्रमकी गुंजाइश है ही नहीं। यह मामला ऐसा है जिसपर सरकारको तत्काल विचार करना चाहिए और जिन लेखोंके आधारपर श्री रायके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, वे यदि राजद्रोहात्मक न पाये जायें—और मेरा ख्याल है, वे ऐसे कदापि सिद्ध नहीं होंगे—तो उन्हें तुरन्त रिहा कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस मामलेमें समयका भी बड़ा महत्त्व है, क्योंकि जैसा श्री एन्ड्र्यूजने बताया है, श्री राय शरीरसे बड़े दुर्बल व्यक्ति हैं।

गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, ११-६-१९१९

### ३२७. ज्ञापन : वाइसरायको'

बम्बई

[ जून ११, १९१९ ]

हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले बम्बई अहातेके नागरिक परमश्रेष्ठसे विनीत प्रार्थना करते हैं कि परमश्रेष्ठ कृपा करके अपने विशेषाधिकारका प्रयोग करें और लाहौरके 'ट्रिब्यून' पत्रके भूतपूर्व सम्पादक बाबू कालीनाथ रायको, जिन्हें मार्शल लॉ कमीशनने राजद्रोहात्मक लेख लिखनेके अपराधमें भारतीय दण्ड-संहिताकी धारा १२४के अन्तर्गत

१. बम्बईके नागरिकोंकी ओरसे प्रस्तुत इस ज्ञापनपर हस्ताक्षर करनेवालोंमें अन्य लोगोंके अतिरिक्त गांधीजी, सर नारायण जी० चन्दावरकर, सर दिनशा वाछा, जी० के० पारेख, के० नटराजन् तथा कुछ अन्य लोगोंके हस्ताक्षर थे। गांधीजीने यह वाइसरायको २७ जून, १९१९ को भेजा था। देखिए "पत्र: एस० आर० डिगनेलको", २७-६-१९१९।



दो वर्षकी कड़ी कैद एवं १,००० रुपये जुर्मानेकी या जुर्माना न देनेपर छः मासकी अतिरिक्त कड़ी कैदकी सजा दी है, जेलसे रिहा करनेका निर्देश दें।

प्रार्थी अपनी इस प्रार्थनामें इस मामलेपर कमीशनके फैसलेके कानूनी गुणाव-गुणोंकी चर्चा करना नहीं चाहते। हाँ, वे उन कारणोंको अवश्य प्रस्तुत कर रहे हैं जो विशेषाधिकारके प्रयोगकी प्रार्थनासे सर्वथा समुचित रूपसे सम्बद्ध हैं।

पहला कारण यह है कि 'ट्रिब्यून' के उन लेखोंमें जो राजद्रोहात्मक बताये गये हैं और जिन्हें कमीशनने भी ऐसा माना है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे अभक्ति प्रकट होती हो या जिससे हिंसा, अराजकता या विद्रोहको बढ़ावा मिलता हो। उनमें पंजाब सरकारके कुछ कार्योंकी आलोचना-भर की गई है; इस आलोचनाका उद्देश्य स्पष्टतः सरकार द्वारा मामलेकी निष्पक्ष जाँच कराना था। इसलिए कमीशन द्वारा इन लेखोंके राजद्रोहात्मक माने जानेका एकमात्र औचित्य राजद्रोहसे सम्बन्धित कानूनके इस विधानमें ही मिल सकता है कि कोई शब्द या रचना इतनी राजद्रोहात्मक है या नहीं कि उससे शान्तिको खतरा पैदा हो सकता है—यह बात उस समयकी परिस्थितियोंपर निर्भर करती है जिस समय ऐसे शब्द या रचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं। राजद्रोह-कानून (कुछ प्रमुख अंग्रेज विधि-शास्त्रियों और वकीलोंके कथनानुसार) इस कानूनी सिद्धान्तसे इतना अनिश्चित हो जाता है कि उसमें निर्दोष पत्रकार भी फँस सकते हैं और सरकारके कार्य-विशेषकी उचित या अनुचित आलोचना तथा उसपर जान-बूझकर ऐसे प्रहार करनेमें, जिनसे शान्ति खतरेमें पड़ जाये, जो भेद है, वह भेद समाप्त हो जाता है।

इस कारण वे प्रार्थीगण श्री रायके पक्षमें इतना और कहना चाहते हैं कि (१) वे अपने सम्पादन-कालमें 'ट्रिब्यून' में आम तौरपर संयत लेख लिखते रहे हैं; (२) उनकी तन्दुरुस्ती बहुत खराब है और उसपर उनकी लम्बी कैदका असर बुरा हो सकता है और (३) वे अपने मुकदमेसे पहले आयोगके सम्मुख खेद-प्रकाश भी कर चुके हैं।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, २५-६-१९१९



## ३२८. ज्ञापन : लॉर्ड चैम्सफोर्डको<sup>१</sup>

बम्बई

[जून ११, १९१९]<sup>२</sup>

सेवामें

परमश्रेष्ठ परममाननीय लॉर्ड चैम्सफोर्ड

पी० सी०, जी० एम० एस० आई०, जी० सी० एम० जी०, जी० एम० आई० ई०,  
जी० सी० बी० ई०

सपरिषद् वाइसराय और गवर्नर जनरल

शिमला

परमश्रेष्ठसे सादर निवेदन है कि,

१. हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्ति, बम्बई अहातेके पत्रकारोंके प्रतिनिधियोंके रूपमें निवेदन करते हैं कि हमने पंजाब मार्शल लॉ अदालतका फैसला ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और 'ट्रिब्यून'के जिन लेखोंके आधारपर यह फैसला दिया गया है, वे लेख भी देख लिये हैं।
२. हमारी नम्र सम्मतिमें इन समस्त लेखोंका बखूबी ऐसा अर्थ किया जा सकता है जिससे सिद्ध हो जाये कि इसमें कोई अपराध नहीं है, और परमश्रेष्ठसे हमारा सादर निवेदन है कि श्री रायके सम्पादन-कालमें 'ट्रिब्यून'में बराबर जैसे संयत लेख आते रहे हैं, उसे ध्यानमें रखते हुए यह सर्वथा उचित और न्यायसंगत है कि इनका सहज और उदारतापूर्ण अर्थ लगाया जाय।
३. हमें मालूम हुआ है कि बाबू कालीनाथ रायकी तन्दुरुस्ती बहुत खराब है और हमें भय है कि उनको लगातार जेलमें रखनेसे उनकी शारीरिक अवस्था सदाके लिए बिगड़ सकती है।
४. इन परिस्थितियों और इस बातको ध्यानमें रखते हुए कि उन्होंने जहाँतक इन लेखोंका सम्बन्ध है, क्षमा-याचनाकी आवश्यकता न होनेपर भी क्षमा-याचना कर ली थी, हम सादर प्रार्थना करते हैं कि न्यायकी दृष्टिसे बाबू कालीनाथ राय जेलसे छोड़ दिये जायें।

नकलें श्री सुब्रह्मण्यम् अय्यर, रंगास्वामी आयंगार, जॉर्ज अरुण्डेल और चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको भी भेजी गईं।<sup>३</sup>

अंग्रेजी (एस० एन० ६६४२) की फोटो-नकलसे।

१. इस ज्ञापनका मसविदा अनुमानतः गांधीजीने तैयार किया था।
२. देखिए अगला शीर्षक।
३. ये शब्द गांधीजीके स्वाक्षरोंमें हैं।



## ३२९. कालीनाथ रायके मामलेके सम्बन्धमें परिपत्र

जून ११, १९१९

प्रिय महोदय,

मैं इसके साथ 'यंग इंडिया'का वह अंश भेज रहा हूँ, जिसमें बाबू कालीनाथ रायके मामलेके फैसलेका पूरा पाठ, जिनके आधारपर यह फैसला दिया गया है वे सारे लेख और फैसलेके सम्बन्धमें मेरी टिप्पणियाँ ये सब चीजें आ गई हैं। मेरी रायमें बाबू कालीनाथ रायको विशुद्ध न्यायके आधारपर रिहा करनेके लिए देश-भरमें तत्काल ही व्यापक आन्दोलन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्धमें मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि बाबू कालीनाथ रायकी रिहाईका अनुरोध करते हुए परमश्रेष्ठकी सेवामें (१) स्थानीय वकीलोंकी ओरसे एक ज्ञापन; (२) स्थानीय सम्पादकोंकी ओरसे एक दूसरा ज्ञापन, और (३) सार्वजनिक सभाओंमें स्वीकृत प्रस्ताव भिजवाये जायें। वकीलोंके ज्ञापनमें यह दिखाया जाये कि यह सजा एक कानूनी अन्याय है। सम्पादकोंके ज्ञापनमें यह बताया जाये कि जो-कुछ श्री रायने लिखा है, वे भी उससे कुछ कम न लिखते और सार्वजनिक सभाओंमें ऐसे प्रस्ताव पास किये जायें जिनमें न्यायके आधारपर बाबू कालीनाथ रायकी रिहाईकी प्रार्थना की गई हो। यदि आप मेरे सुझावसे सहमत हों तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप व्यापारियोंसे भी ऐसे ही ज्ञापन और सभाओंमें स्वीकृत प्रस्ताव भेजनेको कहें। हमें अंग्रेजोंको भी, अगर वे राजी हों तो, इस स्पष्ट अन्यायको दूर करवानेमें हमारा साथ देनेको आमन्त्रित करना चाहिए।

इस मामलेमें समयका बड़ा महत्त्व है। जो भी करना हो, तुरन्त करना चाहिए। यदि इस अन्यायको कायम रखना सरकारके लिए लज्जाकी बात है तो जनताको भी, एक माने हुए अन्यायके अस्तित्वकी जानकारी होनेके बाद उसे दूर किये बिना चुपचाप सन्तुष्ट-भावसे बैठे रहना, उतना ही लज्जास्पद है।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६६४६) की फोटो-नकलसे।



### ३३०. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रूजको

जून ११, १९१९

अभी तो किसी वकीलने यह उम्मीद नहीं बँधाई है कि प्रिवी कौंसिलमें सफलता मिल जायेगी। हम उचित ढंगसे लोकमत तैयार करके काली बाबूको रिहा करा सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप कलकत्ता और अन्य स्थानोंमें जाकर, दयाके आधारपर नहीं, बल्कि न्याय, केवल न्यायके आधारपर उनकी रिहाईके आन्दोलनके समर्थनमें लोगोंसे हस्ताक्षर माँगें और उनसे सार्वजनिक सभा आदि करनेको कहें। मेरी तो यह सलाह भी है कि आप कलकत्ताके बिशप और अन्य अंग्रेजोंसे मिलकर उनसे भी इसमें शामिल होनेका अनुरोध करें। मैं नहीं चाहता कि आप स्थानीय लोगोंमें—चाहे वे अधिकारी-वर्गके हों या आम लोग—अपना विश्वास खो दें। दूसरे आन्दोलन चाहे जैसे चलाये जाते हों, इस प्रकारके आन्दोलनको चलानेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि प्रिवी कौंसिलका फैसला हमारे खिलाफ भी निकले तो क्या होता है? जो लोग मेन्ब्रुके दुष्कर्मोंसे सहमत नहीं थे वे मामलेको प्रिवी कौंसिलमें नहीं ले गये; बल्कि उन्होंने अपने पक्षमें प्रबल लोकमत तैयार करके गृहमन्त्रीको कार्रवाईके लिए बाध्य किया।

तुम्हारा,  
मोहन

[पुनश्चः]

सुझाव रुद्रके पत्रमें दिये गये हैं।

अंग्रेजी (एस० एन० ६६४५) की फोटो-नकलसे।

### ३३१. पत्र : एन० पी० काँवीको

अहमदाबाद

[जून ११, १९१९के बाद]

प्रिय श्री काँवी,

मैं परमश्रेष्ठको अपने गत २० अप्रैलके स्वदेशी सम्बन्धी पत्रकी याद दिलानेकी धृष्टता कर रहा हूँ। उसके बादसे इस आन्दोलनमें बहुत प्रगति हुई है और यदि परमश्रेष्ठसे सहानुभूतिके दो शब्द मिल जायें तो वह इस आन्दोलनको बढ़ानेमें अत्यन्त मूल्यवान सिद्ध होंगे। इस सिलसिलेमें मैं परमश्रेष्ठका ध्यान मुझे भेजे गए सर स्टैनली रीडके पत्रकी ओर भी खींचना चाहूँगा। यह ११ जून, १९१९के 'यंग इंडिया' में छपा है।

१. देखिए परिशिष्ट ४।



पत्र : सत्याग्रह-समितिके मन्त्रियोंको

३७५

मैं अहमदाबादसे पत्र लिख रहा हूँ, इसलिए इस समय मेरे पास उसकी नकल नहीं है, कि उसे भेज सकूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६७०३) की फोटो-नकलसे।

### ३३२. पत्र : गिलिस्पीको

अहमदाबाद

[जून ११, १९१९के बाद]

प्रिय श्री गिलिस्पी,

आपका पत्र पाकर खुशी हुई। असल बात तो यह है कि मैं स्वयं ही स्वदेशीके सम्बन्धमें सहायताकी प्रार्थना करनेके लिए आपको पत्र लिखनेका विचार कर रहा था। मैं व्यावसायिक ईमानदारी रखनेकी आवश्यकताके सम्बन्धमें आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। मैं इस आन्दोलनको ठीक मार्गपर चलानेका यथासम्भव पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ।

बड़ा अच्छा हो, अगर आप प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करें या वैसा ही करें जैसा सर स्टैनली रीडने किया है। इसके साथ 'यंग इंडिया' का वह अंक भेज रहा हूँ, जिसमें उनका पत्र दिया गया है।

सत्याग्रहकी बात और भी कठिन है। मैं रविवारको अहमदाबादमें ही रहूँगा और यदि आप आश्रममें आ सकें तो आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता होगी।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६८३ ए०) की फोटो-नकलसे।

### ३३३. पत्र : सत्याग्रह-समितिके मन्त्रियोंको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

जून १२, १९१९

प्रिय मन्त्रियो,

मैं चाहता हूँ कि कार्यकारिणी समिति सविनय अवज्ञाको फिरसे शुरू करनेके प्रश्नपर विचार करे और निर्णय करे। मैं यह भी चाहता हूँ कि वह अगली जुलाईके प्रारम्भमें शुरू हो। इस पुनरारम्भके विरुद्ध जितनी भी बातें कही गई हैं, उनपर सावधानीसे विचार करनेके बाद मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि सत्याग्रहकी शपथके अनुरूप,

१. तारीख ११-६-१९१९ का।



जहाँतक मैं देख सकता हूँ आज कोई भी चीज नहीं है जो और अधिक रुके रहनेका औचित्य सिद्ध करती हो। अप्रैलके महीनेमें जो कारण स्थगनके पक्षमें उत्पन्न हुए थे, आज नहीं बचे। लोग जानते हैं कि उनसे क्या आशा की जाती है। स्वयं सरकारका कहना है कि अब वह किसी भी संकटकी स्थितिके लिए पूरी तरह तैयार है। सत्याग्रह जैसा आन्दोलन, जहाँतक सुधारोंको लानेके तरीकेका सम्बन्ध है समाजमें एक नैतिक क्रान्ति पैदा करनेकी दृष्टिसे हाथमें लिया गया है। ऐसे आन्दोलनको आशंकाके कारण रोका नहीं जा सकता कि अनाचारी या अज्ञानी लोग कहीं इसका दुरुपयोग न करें। साथ ही हमें ऐसे किसी भी दुरुपयोगको रोकनेके लिए यथासम्भव सावधान रहना चाहिए। इसलिए मैं सभामें प्रस्ताव रखूंगा कि सविनय अवज्ञा कब शुरू की जाये, कौन-कौन व्यक्ति उसमें भाग लेंगे, और वे किस तरीकेसे सविनय अवज्ञा करेंगे, इसका फैसला करनेका अधिकार मुझे दिया जाना चाहिए। मैं सविनय अवज्ञाको कुछ क्षेत्रों तथा लोगोंतक सीमित रखनेकी बात सोचता हूँ। अन्य सत्याग्रही भी आन्दोलनमें अपना योगदान दिये गये दूसरे काम करके देंगे।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६६४९) की फोटो-नकलसे।

### ३३४. पत्र : एस० टी० शैपर्डको

लैबर्नम रोड

बम्बई

जून १२, १९१९

प्रिय श्री शैपर्ड,<sup>१</sup>

मैं इस पत्रके साथ 'यंग इंडिया' का वह अंश भेज रहा हूँ जिसमें बाबू कालीनाथ रायके मुकदमेका उल्लेख है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पढ़नेका समय निकाल लेंगे और यदि आप मेरे इस विचारसे सहमत हैं कि श्री रायके साथ घोर अन्याय किया गया है तो आप उनकी रिहाईके आन्दोलनमें शामिल होंगे। मैं उनकी मददके लिए बम्बईसे बाहरके कुछ मित्रोंको लिखे गये पत्रकी<sup>२</sup> नकल भी इसीके साथ भेज रहा हूँ। उक्त पत्रसे यह ज्ञात हो जायेगा कि श्री रायकी रिहाईके लिए आन्दोलन किस तरीकेसे चलाया जाये।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६६४७) की फोटो-नकलसे।

१. टाइम्स ऑफ इंडिया, बम्बईके सम्पादक।

२. देखिए "कालीनाथ रायके मामलेके सम्बन्धमें परिपत्र", ११-६-१९१९।



## ३३५. पत्र : मगनलाल गांधीको

बम्बई

बृहस्पतिवार [ जून १२, १९१९ ]<sup>१</sup>

चि० मगनलाल,

तुम्हारा दूसरा पत्र मिला है।

चि० सामलदास वहाँ आयेगा। आज राजकोट जा रहा है। वहाँ दो दिन रुककर आश्रम आयेगा। उसका वेतन निश्चित नहीं किया है। उसे अभी तो काम सौंपना, एक दूसरेका अनुभव लेना और फिर उसका वेतन नियत करना। छोटे-मोटे दूसरे बहुतसे काम वहाँ हैं, यह मैं जानता हूँ। उनमें से निकलकर मुख्य वस्तुको पहचान लेना — इसीको मैं सच्ची लगन कहता हूँ। वह [ किसीके ] देनेसे नहीं आती। जिस व्यक्तिको एक बार लगन लग जाती है उसे फिर कुछ और सूझता ही नहीं है।

भाई नरहरिने अनुवाद करनेसे इनकार किया, सो ठीक ही किया। करघेके पीछे जब हम पागल हो जायेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। अनुवादके लिए वहाँ भेजनेकी बात मैंने ही कही थी लेकिन सूत [ कातने और बुनने ] के पीछे वे भले ही दूसरे सब काम न करें।

इमाम साहबकी सार-सँभाल कौन करेगा? दुर्गाबहनकी कमरमें फिरसे दर्द होने लगा है। उसका इलाज कूने-स्नान और सादा भोजनसे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं है। मैं उन्हें मथुरा भेजनेका बन्दोबस्त करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७७०) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

१. यह पत्र स्पष्टतः “पत्र : मगनलालको”, १५-६-१९१९ के पहले लिखा गया था, क्योंकि उसमें गांधीजीने उसी तारीखको सामलदासके अहमदाबाद पहुँचनेकी चर्चा की है।



### ३३६. पत्र : ई० डब्ल्यू० फ्रिचलीको

लैबर्नम रोड

बम्बई

जून १३, १९१९

प्रिय श्री फ्रिचली,<sup>१</sup>

मैं इस पत्रके साथ 'यंग इंडिया' का एक अंश जिसमें बाबू कालीनाथ रायके मुकदमेका उल्लेख है, और एक सामान्य पत्रकी प्रति भी जो मैंने इस मामलेमें लिखा है, भेज रहा हूँ। मेरी आकांक्षा है कि मैं इस मामलेमें आपकी दिलचस्पी पैदा कर सकता। मैं समझता हूँ कि आप मुझसे सहमत होंगे कि इस मामलेमें स्पष्ट ही अन्याय हुआ है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६५०) की फोटो-नकलसे।

### ३३७. पत्र : ई० एस० माँण्टेग्युको

लैबर्नम रोड

बम्बई

जून १४, १९१९

प्रिय श्री माँण्टेग्यु,

मैंने सर प्रभाशंकर पट्टणीके<sup>२</sup> जरिये आपको सन्देश भेजते समय उनसे यह कहा था कि शायद मैं उन विषयोंपर जिनपर मैंने उनसे बातचीत की थी, आपको लिखूंगा। परन्तु चूँकि आपको अनेक प्रकारकी जिम्मेदारियोंके बीच यथासम्भव और अधिक तंग करनेकी मेरी बिलकुल इच्छा नहीं थी, मैं अभी तक रुका रहा। मैंने एक दूसरा सन्देश श्री शास्त्रियर तथा डॉक्टर सर स्टैनली रीडके जरिये भी आपके पास भेजा था।

अब आपने चूँकि कृपापूर्वक उसका उल्लेख किया है तथा आशा व्यक्त की है कि मैं भविष्यमें अधिक समझदारीसे काम करूँगा, मेरा आपको पत्र लिखना जरूरी हो जाता है। आप और हम दोनों जिस साम्राज्यमें रहते हैं, उसमें हमारी एक-सी दिलचस्पी होनेके कारण मैं आपसे इस पत्रके लिए कुछ क्षण निकालनेकी माँग करता हूँ।

१. फोर्ट, बम्बईके एक वास्तुकार।

२. (१८६२-१९३७); भावनगर रियासतके दीवान। भारतीय परिषद्के सदस्य, १९१७-९।



मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैंने काम अधिकसे-अधिक विचार और उत्तरदायित्वकी उचित भावनासे किया है। मुझे इस बातका कोई अन्दाज ही नहीं था कि सरकारके विरुद्ध क्रोध इतना विस्तृत और गम्भीर रूप धारण कर चुका है। रविवारके प्रदर्शन और उपवासका सुझाव देते समय मैंने सोचा था कि अधिकतर लोग पागल समझकर मुझपर हँसेंगे। परन्तु क्रुद्ध जनता की धार्मिक कल्पनापर इस विचारका असर पड़ा। उसने सोचा कि उद्धार किसी ऐसे प्रदर्शनात्मक और पवित्र कार्य द्वारा ही होगा। मैंने इस सार्वभौमिक अनुकूल प्रतिक्रियाकी आशा नहीं की थी, उसी तरह जैसे मैंने दिल्लीमें गोलीबारी (जो मेरी रायमें सर्वथा अनावश्यक थी) और उससे भी ज्यादा अपनी गिरफ्तारी और निर्वासन और नजरबन्दी आदिके हुकमोंकी आशा नहीं की थी। मैं सविनय अवज्ञा करनेके इरादेसे दिल्ली नहीं जा रहा था; बल्कि दिल्लीके नेताओंके बुलानेपर वहाँकी आम जनताको शान्त करनेके लिए जा रहा था; और वहाँसे इसी कामके लिए मुझे पंजाब जाना था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलूकी गिरफ्तारी भयानक भूल थी। मेरे पास पंजाब सरकारको इतना पागल अथवा भारत सरकारको इतना कमजोर माननेका कोई कारण नहीं था, कि मैं सोचता कि ऐसे कदम उठाये जायेंगे। पागलपन या कमजोरीके सिवा इन कदमोंके उठाये जानेका कोई सबब ही नहीं हो सकता। दोनों ही सरकारें जानती थीं कि मैं शांति स्थापनाके उद्देश्यसे जा रहा था और दोनोंको ज्ञात होना चाहिए था कि उक्त दोनों डॉक्टरोंकी और मेरी गिरफ्तारी जरूर उस जनताको उत्तेजित करेगी जो कि दिल्ली और अमृतसरमें अधिकारियोंके कामोंसे पहले ही से क्षुब्ध है। आप विश्वास करें, यदि ये भारी भूलें न हुई होतीं तो जनताकी भीड़ने जो भयानक कृत्य किये, वे न हुए होते। अहमदाबादकी उत्तेजनाका कारण मुख्यतः व्यक्तिगत था। लोग मेरी और अनसूयाबेन की गिरफ्तारीकी अफवाह सुनकर अपनेको जब्त नहीं कर सके।

जो भी हो, मैंने लोगोंके जघन्य कुकृत्योंकी मुनासिब जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। परन्तु अपने मत और उसका प्रचार करनेके बारेमें मुझे कोई पश्चात्ताप नहीं है। जब कहीं कोई गलत चीज होती दिखाई दे और हम उसे अन्य तरीकेसे सुधारनेमें असमर्थ हो जायें तो उसकी किसी-न-किसी ढंगकी अवज्ञा करना मानवका अधिकार और कर्त्तव्य है। ऐसे मामलोंमें लोग ज्यादातर हिंसात्मक अवज्ञाका सहारा लेते हैं। इसे मैं हर परिस्थितिमें गलत समझता हूँ। मैंने पिछले १२ वर्षोंमें निरन्तर प्रयत्न किया है कि सुधार करानेके उपायकी तरह हिंसात्मक अवज्ञाके स्थानपर सविनय अवज्ञाका तरीका अपनाया जाये। और यदि यह सिद्धान्त, पर्याप्त रूपसे जनतामें रूढ़ हो जाता तो किसी भी हालतमें, जनता द्वारा हिंसा कदापि नहीं होती। सत्याग्रहके प्रादुर्भावके कारण ही दंगे कुछ स्थानोंतक ही सीमित रहे और इससे कानून और अनुशासनको बनाये रखनेमें बहुत सहयोग मिला।

मैं विनम्रतापूर्वक आपको यह इतमीनान दिला देना चाहता हूँ कि जबतक रौलट कानून रद्द नहीं होता और मुस्लिम भावनाओंको सन्तुष्ट नहीं किया जाता, तबतक



भारतमें शान्ति नहीं रह सकती। मैं यह भी सुझाव देता हूँ कि आप जो जाँच करानेका विचार कर रहे हैं, उसमें पंजाबकी फौजी अदालतोंने जो दण्ड दिये हैं उनपर भी पुनर्विचार करना शामिल होना चाहिए।

सार्वभौम प्रतिरोधके बीच भी रौलट कानूनको बनाये रखना राष्ट्रके लिए एक चुनौती है। इसका रद्द किया जाना राष्ट्रीय आत्मसम्मानको सन्तुष्ट करनेके लिए और मुसलमानोंसे सुलहनामा करना उनकी धार्मिक-भावनाको सन्तुष्ट करनेके लिए जरूरी है। इन दो मुद्दोंपर सुधारोंके पहले या साथ-साथ घोषणा किये बिना सुधार असफल हो जायेंगे।

अन्तमें, मैं आपको विधेयकके द्वितीय वाचनपर आपके महत्त्वपूर्ण और उदार भाषणके लिए बधाई देना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि सारा भारत प्रसन्न होकर इसका स्वागत करेगा। मैं आशा करता हूँ कि विधेयक और विनियम आपके भाषणके स्तरके अनुरूप ही होंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी ( एस० एन० ६६५८ ) की फोटो-नकलसे।

### ३३८. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको

लैबर्नम रोड

बम्बई

जून १४, १९१९

प्रिय हेनरी,

मैं तुम्हारा थोड़ा बोझ बढ़ा रहा हूँ। इस सप्ताहके 'यंग इंडिया' के दोनों अंक पढ़ जाना और इनपर गौर करना :

१. दक्षिण आफ्रिकाकी स्थिति।
२. रौलट-कानून।
३. देशी रियासतोंके प्रजाजनोंका दर्जा ('यंग इंडिया' में प्रकाशित व्यासका मुकदमा<sup>१</sup>)।
४. पंजाबकी जाँच, सजाओंमें रद्दोबदल करनेके अधिकार सहित।
५. कालीनाथ रायकी रिहाई।

फिलहाल अन्तिम बात सबसे अधिक आवश्यक है। काली बाबू बीमार हैं और कारावासके कष्टको झेल सकनेकी हालतमें नहीं हैं; व्यासका मुकदमा एक बहुत ही अहम मसला खड़ा करता है। सर प्रभाशंकर पट्टणीसे मिलिए। यदि रौलट अधिनियम जुलाई तक वापस नहीं ले लिया जाता तो मैं जुलाईमें सत्याग्रह शुरू करनेका इरादा

१. देखिए "पत्र : एन० पी० कौवीको", २५-५-१९१९।



रखता हूँ। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मैं हिंसाके भड़कनेके खिलाफ पूरी सावधानी रखूंगा। अधिक फिर।

सस्नेह,

आपका,  
भाई

[पुनश्च :]

पत्रके साथ श्री मॉण्टेग्युके नाम मेरे पत्रकी एक नकल है जो सार्वजनिक उपयोगके लिए नहीं है।

अंग्रेजी (जी० एन० ३७९३) की फोटो-नकलसे।

### ३३९. पत्र : मगनलाल गांधीको

बम्बई

जून १५, १९१९

चि० मगनलाल,

चि० सामलदास सम्भवतः आज पहुँचेगा यह बात मैंने तुम्हें अपने कलके पत्रमें लिखी थी। सामलदासके साथ मेरी यह शर्त है कि वह जरूरत जितना बुनाईका काम सीख लेगा और उसके सिलसिलेमें जो भी काम करना आवश्यक होगा करेगा। इस सम्बन्धमें जहाँ जाना आवश्यक होगा, वहाँ जायगा। मेरी इच्छा यह है कि सामलदास सारे भारतके कारीगरों [बुनकरों] से परिचय प्राप्त करे, उनसे काम ले और योग्य व्यक्तियोंको तथा स्त्रियोंमें जो बुननेका काम करती हों उन्हें ढूँढ़ निकाले। मैं मानता हूँ, उसमें यह सब करनेकी शक्ति है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वह शान्तिको आश्रममें लायेगा। शान्ति तो आश्रममें रहना सम्भवतः स्वीकार कर भी ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नन्दकोर भाभी<sup>१</sup> आश्रममें आकर रहेगी। सामलदासका भी यही विचार है। मैं मुक्त रहूँ और उन्हें प्रसन्न करके तथा आश्रममें केवल धर्म-प्रवृत्ति है, यह समझाकर ला सकूँ—यह अलग बात है। लेकिन इस बीच सामलदासको तो नन्दकोर भाभीके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मियाँखाँके बँगलेमें जो अलग कमरे हैं उन्हें सामलदास किरायेपर ले सकेगा। अनसूयाबेनका कहना है कि इसके अलावा दूसरा मकान भी मिल सकेगा। इस सम्बन्धमें उपर्युक्त व्यवस्था करना। सामलदासका खयाल है, नन्दकोर भाभी १५-२० दिनोंमें वहाँ आनेके लिए तैयार हो जायेंगी। सामलदासके साथ मेरी शर्त यह है कि मैं उसे प्रतिमास ८०-९० रुपये दूँगा। तदनुसार उसे यह रकम देना और बही-खातेमें दर्ज कर लेना। मुझे विश्वास है कि इतनी रकम मैं डाक्टर मेहतासे ले सकूँगा। ऐसा

१. लक्ष्मीदास गांधीकी विधवा।



प्रबन्ध करना, जिससे सामलदास आश्रमकी प्रवृत्तिमें पूरी तरह रम जाये। यह तुम्हारे, छगनलालके और स्वयं सामलदासके हाथमें है। मेरे पाससे जो मदद लेनेकी जरूरत जान पड़े, सो माँगना। तीनों भाई मेरे काममें ही लग जायें; यह मेरी तीव्र इच्छा है। रणछोड़का बहुत सुन्दर पत्र आया है। रणछोड़ लिखता है कि उसे परीक्षा देनेका बहुत मोह है, इसलिए मैं उसे ऐसा करनेकी अनुमति दे दूँ। लेकिन बी० ए० की परीक्षा पास करनेके बाद तो वह मेरे पास आ ही जायेगा, ऐसा उसे विश्वास है। मेरी सारी प्रवृत्तियाँ उसे पसन्द हैं, इस विषयमें उसे तनिक भी सन्देह नहीं है। रणछोड़की भाषा बहुत सुन्दर है; इससे मैं देखता हूँ कि उसने अपनी गुजराती सुधार ली है।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ६६६१) की फोटो-नकलसे।

### ३४०. पत्र : गंगाबेनको

मणिभवन

लैबर्नम रोड

गामदेवी, बम्बई

रविवार, जेठ बदी २ [जून १५, १९१९]

प्यारी बेन,

आजसे यहाँ कातना सिखानेकी पाठशाला शुरू हुई है। हमेशा बारहसे तीन बजे तक चला करेगी। आप यहाँ आयेंगी, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। बेन रामीबाईने मुझे हाथका बुना हुआ कपड़ा दिखाया है — वह बहुत सुन्दर है।

मोहनदास गांधीके वन्देमारतम्

बेन गंगाबाई मेघजी

कानजी करसनदास बिल्डिंग

होली चकला,

फोर्ट, बम्बई

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७३६) से।

सौजन्य : गंगाबेन वैद्य



## ३४१. पत्र : जफरुल्मुल्क अलवीको<sup>१</sup>

[ जून १५, १९१९ के बाद ]

आपके १५ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। कृपया सैयद फजलुलरहमानकी सजाके विरुद्ध की गई अपीलकी कार्रवाइयोंकी खबरें मुझे अवश्य देते रहें।

आपने लखनऊकी जो तसवीर प्रस्तुत की है वह भारतके लगभग अन्य सभी भागोंके बारेमें मिलनेवाली तसवीर जैसी है; लेकिन मैं इससे निराश नहीं होता, क्योंकि अब हमें परिस्थितिका सही अन्दाज हो गया है। यदि आप मुझसे यह कहना चाहते हैं कि वहाँ आपको अकेले ही सामाजिक और राजनैतिक मलबा हटाना पड़ रहा है तो आप बम्बई चले आइये और यहाँ जिस रचनात्मक कार्यक्रमकी तैयारी हो रही है उसमें भाग लीजिए। रमजान शीघ्र ही समाप्त होनेवाला है और मैं समझता हूँ कि उसके बाद आप आसानीसे लखनऊके बाहर जा सकेंगे।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ पुनश्च : ]

आप जो साहित्य चाहते हैं उसे आपके पास भेजनेकी व्यवस्था करा दूंगा। क्या आपको 'यंग इंडिया' मिलता है?

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे सीक्रेट ऐन्स्ट्रैक्ट्स, १९१९, पृष्ठ ६०१-२।

सौजन्य : महाराष्ट्र स्टेट कमेटी फॉर द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया

## ३४२. स्वदेशी-व्रत<sup>२</sup>

सोमवार, जून १६, १९१९

हमने इतने दिनोंतक इस पर्चेका प्रकाशन जानबूझकर स्थगित कर रखा था। कारण यह था कि जो व्यक्ति शपथपर हस्ताक्षर करनेका विचार रखते थे हम उनके लिए, शपथका और व्यापक प्रचार करनेके पूर्व, कपड़ा मुहैया करनेकी कोई व्यवस्था करना आवश्यक समझते थे।

श्री नारणजी पुरुषोत्तमने यहाँके स्वदेशी कोआपरेटिव स्टोर्सके भूतपूर्व व्यवस्थापक श्री विट्ठलदास जेराजाणीका सहयोग प्राप्त कर लिया है। नारणजीने अपनी निजी पूंजीसे एक शुद्ध स्वदेशी वस्त्र-भण्डार खोलना निश्चित किया है। इस भण्डारका उद्घाटन-

१. सम्पादक, अलूनज़ीर।

२. यह दूसरा पत्रक था। पहले पत्रकके लिए देखिए "स्वदेशी-व्रत", १३-५-१९१९।



समारोह अगले बुधवारको होगा। यहाँसे कोई भी व्यक्ति देशी रुई, ऊन या रेशमके कते हुए सूतसे बुना शुद्ध स्वदेशी कपड़ा खरीद सकेगा। सर्वश्री नारणदास और जेराजाणीने शपथ ली है कि वे लागतपर ५ प्रतिशतसे अधिक मुनाफा नहीं लेंगे। वस्तुएँ निश्चित किये हुए दामोंपर ही बेची जाया करेंगी। इन सज्जनोंने यह भी शपथ ली है कि हाथके कते सूतसे हाथ-करघेपर बुने कपड़ेपर मुनाफेके रूपमें कुछ भी न लिया जायेगा।

हमारी शपथकी व्याख्याके अन्तर्गत आनेवाला वह कपड़ा केवल जिसे शुद्ध स्वदेशी कहा जा सकता है, और जो अनेक शपथ लेनेवालोंको पर्याप्त मात्रामें अभीतक सुलभ नहीं था, इस भण्डारमें अगले बृहस्पतिवारसे बिकने लगेगा। चूँकि यह भण्डार केवल देश-प्रेमकी भावनासे प्रेरित होकर— न कि व्यापारिक दृष्टिसे— चलाया जानेवाला है, इसलिए उस कपड़ेको छोड़कर जो शपथ सं० १ और सं० २ के लिए जरूरी है, यहाँ दूसरा कोई कपड़ा नहीं बेचा जायेगा। इसी पद्धतिके अनुसार चलाई जानेवाली दुकानोंसे तथा उन दुकानोंके प्रति जनताके आर्थिक सहयोगसे ही स्वदेशीकी ठोस उन्नति सम्भव है। हम आशा करते हैं कि अन्य उदारमना व्यापारी श्री नारणजी पुरुषोत्तमकी तरह भण्डार खोलेंगे और स्वदेशीकी शपथ लेनेवालोंके मार्गमें सुविधाएँ प्रस्तुत करेंगे।

परन्तु यह बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि स्वदेशीके उद्देश्योंकी पूर्ति स्वदेशी-भण्डारोंके खोलनेसे ही कभी पूरी न होगी। स्वदेशी-प्रचारका एक बड़ा मकसद यह है कि देशका धन देशके बाहर जानेसे रोका जाये। और यह सिर्फ तभी सम्भव होगा जब विदेशी कपड़ेका आयात बन्द हो और देशमें अधिक कपड़ेका उत्पादन किया जाये। इस सम्बन्धमें जो बात ध्यान रखने योग्य है वह यह नहीं कि देशमें तैयार किया गया स्वदेशी कपड़ा खरीददारोंके अभावमें बिना बिके पड़ा रह जाता है; तथ्य तो यह है कि हम अपनी जरूरतें पूरी करने-भरका कपड़ा तैयार ही नहीं कर पाते। इसलिए स्वदेशीकी शपथ लेनेवाले प्रत्येक नर-नारीको अपने सामने एक उद्देश्य रखना चाहिए और वह यह कि शपथ लेनेवाला व्यक्ति अपनी आवश्यकता-भरका कपड़ा स्वयं तैयार कर लिया करे अथवा अन्य किसी व्यक्तिसे तैयार करा लिया करे। यदि लाखों पुरुष एवं स्त्रियाँ ऐसा करने लगे तो हमारे देशसे बाहर जानेवाली बहुत-सी रकम देशमें ही रह जाये और हमारे गरीब लोगोंको कपड़ेका जो बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, वह भी बच जाये। इन बातोंको ध्यानमें रखते हुए यह स्पष्ट है कि वह व्यक्ति जो अधिक स्वदेशी कपड़ेका उत्पादन करता है या करनेमें मदद देता है, स्वदेशीकी अधिक सहायता करता है बनिस्वत उस व्यक्तिके जो स्वदेशी कपड़ेका इस्तेमाल करके ही सन्तुष्ट हो जाता है।

देशमें कपड़ेका उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है अब हम इसपर विचार कर लें। इसके ३ तरीके हैं: (१) कारखाने खोलकर, (२) विदेशी सूत खरीदकर और उसे करघोंपर बुनकर तथा (३) खुदके कते हुए या अपने ही देशमें अन्य किसी व्यक्तिसे कतवाये गये सूतसे कपड़ा बुनकर या दूसरेसे बुनवाकर।

मशीनके बने कपड़ोंके विरुद्ध मेरे क्या विचार हैं उसकी बात छोड़ दें तो भी यह बात विचारणीय है कि जितनी जल्दी हम चाहें उतनी जल्दी मिलें खोलना हमारे लिए आसान नहीं है। मिलके लिए इमारतें बनानेमें, बाहरसे मशीनें मँगवानेमें और मजदूर



मुहैया करनेमें कुछ समय जरूर लगता है। इसलिए कुछ देरके लिए यह मानकर भी कि पूंजी पानेमें कोई कठिनाई नहीं होगी, नई मिलोंको खोलकर भी अपने कपड़ेका भण्डार बढ़ा सकना हमारे लिए सम्भव नहीं है।

निःसन्देह बाहरसे सूत मँगवाकर कपड़ा बुनना सम्भव है और दूसरी स्वदेशी शपथ इसी विचारसे रखी गई है कि विदेशी सूतसे देशमें ही बुने कपड़ेका इस्तेमाल करना और इस तरह कमसे-कम कुछ धन देशसे बाहर न जाने देना। यह स्वदेशी कपड़ा बिलकुल ही न इस्तेमाल किये जानेकी अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छा है।

परन्तु जितना ही ज्यादा विचार करता हूँ मुझे इसमें उतने ही अधिक खतरे नजर आते हैं। लाखों आदमियोंकी जरूरतको पूरा करनेके लिए पर्याप्त कपड़ा तैयार करनेके निमित्त हम यदि तदनुसार विदेशी सूतकी माँग करेंगे तो विदेशी सूतके दाम बहुत अधिक बढ़ जानेकी सम्भावना है; यहाँतक कि दामोंकी वह बढ़ोतरी उस मजदूरीके बराबर पहुँच जायेगी जो हमें यहाँके कारीगरोंको देनी पड़ती है। इसका अर्थ यह होगा कि हम मुँहके बल गिरनेके लिए ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए यदि हम इससे बचनेका कोई रास्ता निकाल सकें तो हमें विदेशी सूतका मुहताज न रहना पड़े।

यह हमें तीसरे रास्तेपर ला खड़ा करता है अर्थात् सूत यहीं कतवाया जाये और उसे करघोंपर बुनवाया जाये। यह राजमार्ग है और हमारे लक्ष्य तक पहुँचा देनेवाला सबसे अधिक विश्वसनीय मार्ग है। यदि लोग यह रास्ता अपना लें तो उद्देश्यकी प्राप्ति यथा-सम्भव कमसे-कम परिश्रमसे और थोड़ेसे-थोड़े समयमें हो जायेगी। इससे हजारों लोगोंको एक स्वतन्त्र व्यवसाय भी मिल जायेगा। और लाखों गरीब औरतों और विधवाओंके लिए जीविकोपार्जनका एक ऐसा साधन निकल आयेगा जिससे वे घर बैठे कमाई कर लिया करेंगी। इस प्रयोगके लिए कोई बहुत बड़ी पूंजीकी जरूरत नहीं है, परन्तु इसकी सफलताके लिए सदा दो चीजोंकी जरूरत अवश्य होगी। अब्बल तो एक निश्चित संख्यामें स्वयंसेवकोंकी। यह जरूरी नहीं कि वे उच्च-शिक्षा प्राप्त या बहुत ही बुद्धिमान हों। उनमें ईमानदारी और अध्यवसायका होना अनिवार्य होगा। शिक्षा और बुद्धि इच्छा करते ही सुलभ नहीं हो सकती, परन्तु यदि कोई ईमानदारी और अध्यवसाय, इन गुणोंको अर्जित करनेकी ठान ले तो वह उन्हें पा सकता है। स्वयंसेवक दो तरहसे उपयोगी हो सकते हैं : (१) वे सूत कातना और कपड़ा बुनना सीख सकते हैं। यदि दोनों सम्भव न हों तो सूत कातना या बुनना — दोनों से एक ही — सीख सकते हैं तथा अपनी मेहनतके कुछ घंटे देशको अर्पित कर सकते हैं (२) या वे ऐसे लोगोंको ढूँढ़ निकालें जो कातना और बुनना जानते हों और उनको जनताके बीच लाकर बिठा दें। यदि ऐसे अनेक स्वयंसेवक आगे आयें तो हम बहुत ही थोड़े समयमें हजारों रुपये मूल्यका कपड़ा तैयार कर लेंगे।

परन्तु स्वयंसेवकोंसे भी ज्यादा महत्त्वकी चीज है विशुद्ध देश-प्रेम और उस देश-प्रेमके तकाजेके रूपमें कुछ आरामदेह चीजोंका त्याग। निःसन्देह कातनेकी कलाको उसके मूल स्तरपर लाया जा सके और बढ़िया मलमल बनाने योग्य बारीक सूत तैयार किया जा सके, इसके लिए बहुत समय लगेगा। इस वक्त तो, प्रारम्भ करनेके लिए ही अनेक स्त्री-पुरुष कातना सीख सकते हैं। अच्छा सूत कातना तो अभ्यास और सावधानीसे किये गये प्रयत्नपर निर्भर है। इस बीच तो लोगोंको हाथसे कते सूतसे तैयार किया गया जैसा भी



कपड़ा मिल सके, उसीसे सन्तोष करना होगा। यदि हम इतने छोटेसे त्यागके लिए भी तैयार नहीं हैं, तो स्वदेशी-जैसी महान् शपथ निभाना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा। हम अपने अगले पर्वमें अपने कपड़ेका भण्डार बढ़ानेके इस तीसरे मार्गके सम्बन्धमें कुछ अधिक विस्तारसे विचार करनेकी आशा करते हैं।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १८-६-१९१९

### ३४३. डॉक्टर किचलूके मुकदमेके सम्बन्धमें गवाही

बम्बई

जून १६, १९१९

डॉ० किचलूके मुकदमेके सम्बन्धमें जो लाहौरमें मार्शल लॉ कमीशनके सामने चल रहा है, महात्मा गांधीसे बम्बईके चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट श्री ऐस्टनकी अदालतमें गत सोमवारको हाजिर होकर गवाही देनेके लिए कहा गया था।

व्यवसायके बारेमें पूछे जानेपर श्री गांधीने बताया कि वे एक किसान और बुनकर हैं।

इसपर श्री ऐस्टन मुस्कराये और बोले, “आपको तलब तो एक बैरिस्टरकी तरह किया गया है।”

श्री गांधी : मैं बैरिस्टर था, परन्तु आजकल बैरिस्टरी नहीं कर रहा हूँ।

श्री ऐस्टनने कहा कि मैं आपको एक किसान, बुनकर और बैरिस्टर जो आजकल बैरिस्टरी नहीं कर रहा है, ऐसा दर्ज करूँगा।

इसके बाद श्री गांधीसे प्रश्न किया गया कि क्या आप डॉ० किचलूको जानते हैं? इसके उत्तरमें उन्होंने यह कहा कि मैं व्यक्तिगत रूपसे डॉ० किचलूसे परिचित नहीं हूँ, केवल समाचारोंके आधारपर परिचित हूँ। यह पूछे जानेपर कि रौलट कानूनसे सत्याग्रहका कोई सम्बन्ध है या नहीं। श्री गांधीने कहा “हाँ, है”। तब उनसे यह पूछा गया कि आपकी जानकारीके मुताबिक डॉ० किचलू कानूनके पाबन्द व्यक्ति हैं या नहीं। श्री गांधीने कहा कि “मैं नहीं बतला सकता। मुझे यह मालूम नहीं है।”

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-६-१९१९



## ३४४. भाषण : बम्बईमें स्वदेशीके सम्बन्धमें<sup>१</sup>

जून १७, १९१९

में स्वदेशीके सम्बन्धमें जिन विचारोंको यदा-कदा १९०० में लोगोंके सम्मुख रखता रहता था, वे अब भारतमें रहते हुए जो अनुभव हुआ है उससे पुष्ट हो गये हैं। जबतक हम शुद्ध व्रतका पालन नहीं करेंगे तबतक हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने भारतका इतिहास पढ़ा है उन्हें तुरन्त याद आ जायेगा कि भारतमें डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग व्यापार करनेके उद्देश्यसे ही आये थे। उस समय हमारे पास नौसेना नहीं थी; परन्तु व्यापारियोंका काफिला तो था ही। हमारी धर्मवृत्तिसे यह सिद्ध होता है कि भारतीयोंने अपने व्यापारकी रक्षा अपने कला-कौशलसे ही की थी। उन दिनों भारतमें जितना महीन कपड़ा बनता था, उतना महीन कपड़ा दूसरे देशोंमें नहीं बनता था। और उसके कारण ही विदेशी व्यापारी यहाँ आते थे। पहले यहाँ चिकनका काम जितना बढ़िया और कलापूर्ण होता था उतना अन्य किसी देशमें नहीं होता था। जैसे-जैसे नवीन खोजें होती जाती हैं वैसे-वैसे यूरोपीय विद्वान् इस बातकी साक्षी देते हैं कि जिस मार्गसे हमारा व्यापार होता था उसी मार्गसे हमारे शास्त्र और धर्मशास्त्र भी [विदेशोंमें] गये। तीनों देशोंके व्यापारियोंकी आँखें इसपर पड़ीं, इसीलिए वे भारतसे अपने जहाजोंमें अनोखी-अनोखी चीजें भरकर अपने देशोंमें ले गये। उस समय भारतमें ऐसी-ऐसी अनोखी वस्तुएँ थीं कि उन्हें उन वस्तुओंको जहाजोंमें भरकर ले जानेकी आवश्यकता जान पड़ी। इनके अतिरिक्त वे भारतसे मसाले और वैसे ही जड़ी-बूटियाँ भी अपने देशोंको ले जाते थे। जो भारत ऐसा वैभव-सम्पन्न और व्यापारमें उन्नत देश समझा जाता था, उसी भारतकी आज ऐसी हालत हो गई है कि उसे जिन-जिन चीजोंकी जरूरत होती है, वे उसे बाहरसे मँगानी पड़ती हैं। ऐसी बुरी हालत किसी दूसरे देशकी न होगी।

इस अधोगतिका मुख्य कारण मुझे तो लगता है कि जो स्वदेशी वस्तुओंको भूल बैठे हैं वह है। और यदि आप भी इसपर विचार करेंगे तो आपको भी यही जान पड़ेगा; क्योंकि संसारमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जो स्वदेशी वस्तुओंका त्याग करके उन्नति कर सका हो। इंग्लैंडमें अबाध व्यापारको शुरू हुए अभी सैकड़ों वर्ष नहीं हुए हैं, फिर भी आज हमारी जो स्थिति है उस विषम स्थितिमें उसने कभी भी अपनेको नहीं पड़ने दिया है। मुझे आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण आफ्रिकाका अनुभव है। इन देशोंके लोग स्वदेशी वस्तुओंका पूरा उपयोग करते हैं और आयात की गई वस्तुओंपर मनमाना कर लगा सकते हैं, क्योंकि उनको विदेशी चीजोंपर निर्भर रहनेकी जरूरत नहीं होती। हमारे देशके लोगोंने अपने राज्यको भी स्वदेशीका त्याग करके खोया है। मुगल बादशाहोंका

१. गांधीजीकी अध्यक्षतामें यह सभा कारनाक बन्दरके समीप हुई थी।



राज्य एक तरहसे विदेशी राज्य माना जाता है; किन्तु जैसी दुर्दशा भारतकी आज है वैसी मुगल बादशाहोंके जमानेमें कभी नहीं रही। इसका कारण यह है कि उस समय भारतका अपना व्यापार और उद्योग था तथा मुगल बादशाह भी अपने सुखोपभोगके लिए जिन-जिन साधनोंका उपयोग करते थे उनका निर्माण हमारे देशके कारीगर ही करते थे। जिससे इस देशका धन इस देशमें ही रहता था। हम ताजमहल और कुतुबमीनार-जैसी भव्य पुरानी इमारतें देखते हैं। वे कलाके नमूने हैं। उनको देखकर हमें अपने गौरवकी याद आये बिना नहीं रहेगी। जब हम स्वदेशी धर्मका पूरी तरहसे पालन करेंगे तब ब्रिटिश राज्य भी विदेशी न रहकर स्वदेशी हो जायेगा। जब भारतके लोग कोई विदेशी माल बाहरसे नहीं मँगायेंगे तब हमारा और दूसरे देशोंके लोगोंका सम्बन्ध स्वार्थका सम्बन्ध न रह जायेगा; बल्कि परमार्थका हो जायेगा। यदि दुनियाके देशोंका कल्याण एक परिवारके रूपमें रहनेसे होता हो तो ही अंग्रेज लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार कर सकते हैं। हम तो अपने स्वदेशी-धर्मका पालन भी नहीं कर सकते तो फिर अंग्रेजोंसे बराबरी कैसे कर सकते हैं? स्वदेशी हमारा मुख्य धर्म है। इसके बिना भारतकी उन्नतिकी आकांक्षा आकाश-कुसुमवत् है।

जब बंगालमें स्वदेशी-धर्मका प्रचार हुआ तब बंगालके लोग उसके लिए तैयार न थे। व्यापारी भी तैयार न थे। उस समय बंगालके नेताओंने स्वदेशी वस्तुओंके प्रचारका काम अपने हाथोंमें लिया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया था, इसलिए वे सब-कुछ खो बैठे। हम २०० वर्षोंसे जिन वस्तुओंका त्याग कर चुके हैं उन्हें अब हमें फिरसे ग्रहण करना चाहिए। यदि हम समस्त स्वदेशी वस्तुओंके व्रतका पालन एक साथ शुरू कर देंगे तो उसका अर्थ यही होगा कि हम किसी एक भी स्वदेशी वस्तुका उपयोग नहीं कर पायेंगे। मैं लोगोंके सम्मुख ऐसी चीज रख रहा हूँ जिसे वे पचा सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। यदि हम अपनी पोशाक भी स्वदेशी ही रखें तो कपड़ेके लिए जो ७ करोड़ रुपया विदेशोंको जाता है, उसे हम बाहर जानेसे रोक सकते हैं। यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है।

शुद्धतम स्वदेशी-व्रत तो यह है कि हम अपनी पत्तियों, बहनों और बच्चोंके हाथसे कते सूतका कपड़ा पहनें।

मिलका कपड़ा भी शुद्ध स्वदेशी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें काममें लाये जानेवाले सूतको विदेशोंमें कीमती मशीनोंपर रगड़ा-माँजा जाता है और इस प्रकार वह विदेशियोंके कौशलका प्रमाण है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें [मिलके कपड़ेके लिए] पूर्णतः विदेशियोंपर ही निर्भर रहना पड़ता है।

गुरुवारके दिन आप नारणदासकी दुकानपर स्वदेशी कपड़ेका भण्डार देख सकेंगे जो शुद्ध स्वदेशी-व्रतका पालन करनेवालोंको उनकी जरूरतका कपड़ा मुहैया करेगा। हम अभी तक आलसी बने हुए हैं। हमें अपने देशसे प्रेम नहीं है। इसी कारण हमारी ऐसी दुर्दशा हुई है। हमारे देशमें एक समय ऐसे उत्कृष्ट यन्त्रोंसे काम किया जाता था जिन्हें एक सामान्य बड़ई भी एक दिनमें तैयार कर सकता है।



भाई नारणदास और विट्ठलदास शुद्ध स्वदेशी भण्डारको चलायेंगे और उसका समस्त देशमें प्रचार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस शुद्ध स्वदेशी भण्डारसे लाभ उठायेंगे।

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, २२-६-१९१९

### ३४५. पत्र : एस० आर० हिगनेलको

लैबर्नम रोड

बम्बई

जून १८, १९१९

प्रिय श्री हिगनेल,

सम्भवतः इस पत्रसे परमश्रेष्ठको पीड़ा पहुँचेगी। परन्तु परमश्रेष्ठको खेदपूर्वक यह सूचित करना मेरा कर्त्तव्य है कि यदि परिस्थितियाँ मेरी योजना न बदल दें तो मेरा विचार आगामी जुलाईमें फिरसे सविनय अवज्ञा शुरू करनेका है।

पिछले ढाई महीनोंके दुःखद अनुभवोंके परिणामस्वरूप यह स्पष्ट हो गया है कि सत्याग्रहके सिवा, सविनय अवज्ञा जिसका अभिन्न अंग है, और कोई चीज भारतको बोल-शेविज्म और उससे भी बदतर किसी दुर्भाग्यसे बचा नहीं सकती। सम्भव है कि ऊपरी तौरपर देखनेवालेको इसके विपरीत लक्षण दिखाई दें, फिर भी केवल सत्याग्रह ही एक ऐसा साधन है जो अंग्रेजों और भारतीयोंके सम्बन्ध सुधार सकता है। मैं चाहूँगा कि परमश्रेष्ठ मेरी तरह इस बातपर विश्वास करें कि अप्रैलके दूसरे सप्ताहमें अंग्रेजोंके विरुद्ध भावनाका जो प्रदर्शन हुआ था उसका कारण सत्याग्रहका प्रादुर्भाव नहीं था — सत्याग्रहका उद्देश्य तो यह है कि वह अन्य बातोंके साथ-साथ साम्राज्यके दो सदस्योंके बीचके मनोमालिन्यको दूर कर दे। उस प्रदर्शनके कारण तो पहलेसे वर्तमान थे। परमश्रेष्ठ इस बातपर भी विश्वास करें (और यह अधिक महत्त्वपूर्ण बात है) कि उस उच्छृंखल कृत्यके इस बड़े महाद्वीपके कुछ हिस्सोंमें ही सीमित रहनेका कारण भी यह था कि सत्याग्रहका प्रादुर्भाव हो चुका था और वह उस संकटपूर्ण अवधिमें कुशलतापूर्वक बिना शोरगुल मचाये अपना प्रभाव डाल रहा था। मैं यह माननेसे इनकार नहीं करूँगा कि भारतके अन्य भागोंमें शान्ति बनाये रखनेमें फौजी तैयारियोंका भी कुछ हाथ रहा; परन्तु मेरा कथन यह है कि अपेक्षाकृत सत्याग्रहको इसका अधिक श्रेय जाता है।

जो भी हो, चूँकि सत्याग्रह और उसके प्रभावके बारेमें मेरी ऐसी धारणा है इसलिए अब सविनय अवज्ञाको अधिक दिनों तक स्थगित रखना मेरे लिए उचित नहीं होगा। क्या ही अच्छा होता कि वाइसराय महोदयको मैं इतना समझा पाता कि वे रौलट कानूनके बारेमें मुझसे सहमत हो जाते। यह एक ऐसा कानून है, जिसे गुण-दोषोंके बावजूद मार्च तथा अप्रैलके महीनोंमें प्रतिकूल जनमत प्रदर्शनके बाद नहीं रहना चाहिए था। निःसन्देह



पिछले अप्रैलकी ६ तारीखको बड़े पैमानेपर किये गये प्रदर्शनके पक्षमें अनेक बातें काम कर रही थीं। परन्तु रौलट कानून उन सब बातोंकी जड़में था। मैं विश्वास करता हूँ कि परमश्रेष्ठ इस रौलट कानूनको वापस लेनेकी व्यवस्था करेंगे।

एक जाँच-समितिकी नियुक्तिके बारेमें मेरा पत्र तथा बाबू कालीनाथ रायकी रिहाईकी प्रार्थनासे सम्बन्धित मेरा पत्र परमश्रेष्ठके पास पहले ही से है। ये दोनों ही नितान्त महत्वपूर्ण मामले हैं। और रौलट कानूनवाले आन्दोलनसे इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी दोनों प्रार्थनाओंपर परमश्रेष्ठ उदारतापूर्वक विचार करेंगे।

मुझे इतना और निवेदन करना है कि यदि सविनय अवज्ञा फिरसे शुरू करनी जरूरी हो गई तो वह केवल मुझ तक ही सीमित रहेगी, अन्य सत्याग्रही शान्ति बनाये रखनेमें मदद देकर तथा ऊँचा उठानेवाली अन्य सेवाएँ करके अपनेको नागरिक अवज्ञा करने योग्य बनायेंगे। देशकी मौजूदा परिस्थितियोंमें मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि सविनय अवज्ञाको छोटेसे-छोटे क्षेत्र तक सीमित रखूँ। फिलहाल तो हड़ताल आदि सभी प्रकारके प्रदर्शनोंको टालनेकी बात है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६६६) की फोटो-नकलसे।

### ३४६. भाषण : बम्बईमें<sup>३</sup>

जून १८, १९१९

श्री गांधीने भाषण देते हुए कहा कि सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस भण्डारके संचालकोंका इरादा धनोपार्जन बिलकुल नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है चीजोंको यथासम्भव कम दरपर बेचते हुए जनताकी आवश्यकताओंको पूरा करना। यह भण्डार आपकी सक्रिय सहानुभूति एवं सहायताका पात्र है और इसका प्रमाण केवल तभी मिल सकता है जब अनेक धनाढ्य व्यापारी, बम्बईमें ही नहीं, भारतके अन्य भागोंमें भी ऐसे ही अनेकों भण्डार खोलें।

इसके बाद श्री गांधीने श्री जमनादासका एक पत्र पढ़ा जिसमें उन्होंने समारोहमें सम्मिलित हो सकनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। उनको उस दिन पूनामें उपस्थित रहना था। उन्होंने पत्रमें अपनी यह अभिलाषा भी व्यक्त की थी कि बम्बईमें उनके अनेकों भाई श्री नारणदासका अनुकरण करेंगे।

१. देखिए “ पत्र : जे० एल० मैफीको ”, १६-५-१९१९ ।

२. देखिए “ पत्र : एस० आर० हिगनेलको ”, ९-६-१९१९ ।

३. मोरारजी गोकुलदास क्लाय मार्केटमें, शुद्ध स्वदेशी वस्तु-भण्डारके उद्घाटनपर ।

४. भण्डारके मालिकोंमें से एक !



आगे चलकर श्री गांधीने कहा कि स्वदेशीके महत्त्वके सम्बन्धमें दो मत नहीं हैं। वह हवा, पानी और खुराककी तरह ही दैनिक जीवनकी एक आवश्यकता है। इस कथनकी सत्यताका अनुभव उसी हालतमें किया जा सकता है जब स्वदेशीको धार्मिक भावनासे देखा जाये। संसारका कोई भी राष्ट्र स्वदेशीको जीवन-सिद्धान्तकी तरह अपनाये बिना ऊँचा नहीं उठा। स्वदेशीकी आवश्यकता तथा उसके महत्त्वपर और अधिक कहना हमारे प्रयोजनसे परे है। मैं तो इस सम्बन्धमें कि स्वदेशीकी भावना किस तरहसे कार्यान्वित की जा सकती है और वह कैसे प्रगति कर सकती है कुछ सुझाव ही देना चाहता हूँ।

पहला सुझाव तो यह है कि व्यक्तिको अपनी सीमाएँ समझ लेनी चाहिए। देशकी वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण परतन्त्रताकी अवस्थामें इस सिद्धान्तको केवल वस्त्रोंतक ही सीमित रखा जा सकता है। भारतमें तन ढकनेके लिए आवश्यक कपड़ेका केवल २५ प्रतिशत उत्पादन होता है। इसलिए हमारा मुख्य कर्त्तव्य अधिक कपड़ेका उत्पादन करना है। व्यापारी वर्गके सभी उपस्थित सदस्योंसे मैं अधिकसे-अधिक जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि शुद्ध स्वदेशी कपड़ेका पर्याप्त मात्रामें उत्पादन किये बिना आपका निस्तार सम्भव नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जिनके पास धन है और जिनके पास विशिष्ट ज्ञान है, वे अपना धन और ज्ञान देशके कामके लिए अर्पित करेंगे।

उन्होंने उपस्थित लोगोंसे उस गुजरे हुए जमानेकी बात सोचनेको कहा जब बिना किसी प्रयत्नके स्वदेशीका प्रचलन था, उतना ही अनायास जैसे कोई साँस लेता या पानी पीता है। गांधीजीने श्रोताओंसे फिर इसे सम्भव बनानेपर विचार करनेको कहा कि यह एक बहुत ही सादे और अत्यन्त सफल यन्त्र, करघेसे सम्भव है। उन्होंने कहा कि मैं कदापि यह नहीं मान सकता कि प्रतिभा और साहसपूर्ण कार्योंका इजारा यूरोपका ही है। जब अन्य देश बिलकुल ही आदिम ढंगकी जिन्दगी बसर कर रहे थे, जब उन्हें पेड़ोंकी छालों या जानवरोंकी खालोंसे बेहतर कुछ पहरावा नसीब नहीं था, तब भारतीयोंने कपासकी उपज करके रुईसे सूत कातने और फिर उसका कपड़ा बनानेकी कलाका आविष्कार कर लिया था। मेरा विश्वास है कि जिस व्यक्तिके सादे चरखे और करघेका निर्माण किया था उसकी प्रतिभा उस व्यक्तिके कहीं अधिक थी जिसने शक्ति-संचालित तकुओं और करघोंका निर्माण किया है।

गांधीजीने कहा कि मुझे आपसे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि पंजाबमें आज भी हजारों औरतें, ऊँचे-ऊँचे घरानोंकी औरतें भी अपने-अपने घरोंमें सूत कातती हैं। मुझे स्वयं एक ऐसी पंजाबी महिलाकी स्वेच्छया सेवा प्राप्त हो गई है और वे बम्बईमें अपने ही निवास-स्थानपर एक कताई की कक्षा चला रही हैं। उन्होंने प्रभावकारी ढंगसे चरखेकी मनोहर गुनगुनाहटका उल्लेख करते हुए कहा कि आजकल मुझे चरखेका यह गान सुनने का सौभाग्य प्राप्त है। आप लोग भी इसका रसास्वादन कीजिए और इस बातकी यथार्थताका अनुभव कीजिए कि कहाँ चरखेका यह सधुर गान और कहाँ आधुनिक कारखानोंके



तक़ुओं और करघोंसे निकलनेवाला कर्कश स्वर। उन्होंने दुःखसे बताया कि भारतमें ५६,००,००० साधु हैं जो केवल भीख माँगकर अपना पेट भर रहे हैं। आपका यह स्पष्ट कर्त्तव्य है कि आप इन साधुओंको आलस्यपूर्ण जीवनसे बाहर खींचकर उन्हें कातने और बुननेमें प्रवृत्त करें। इन साधुओंके अलावा अनेकों विधवाएँ हैं जिनका अधिकांश समय मंदिरोंमें और व्यर्थके पूजापाठमें जाता है। मैं इनसे और अमीर परिवारोंकी अन्य महिलाओंसे जिनके पास कोई काम नहीं रहता, हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि वे कातना-बुनना शुरू करके अपने श्रमके कुछ घंटे देशको अर्पित किया करें।

उन्होंने यह भी कहा कि यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि विदेशी कपड़ेसे स्वदेशी कपड़ा कहीं अधिक टिकाऊ होता है क्योंकि यह तो प्रत्येक व्यक्तिके अनुभवमें आ ही रहा है।

इसके बाद श्री गांधीने कहा कि श्रीमती रामीबाई कामदार तथा अन्य लोगोंसे कुछ सलाह और वार्तालाप करनेके अनन्तर मैंने एक तीसरी शपथ तैयार की है। लोगोंके पास शपथ लेनेके पूर्व जो विलायती वस्त्र थे वे उन्हें पहनना जारी रख सकते हैं। यह मैंने कुछ महिलाओंकी हार्दिक इच्छाको ध्यानमें रखकर किया है और मुझे पक्का यकीन नहीं है कि इस शपथमें कोई खतरा नहीं है। उन्होंने इस बातपर जोर दिया कि जो लोग तीसरी शपथ लें, वे भी पहलीको ही अपना लक्ष्य मानें और अपने पासके विदेशी कपड़ोंको यथासम्भव शीघ्रतासे चाहे रोज-रोज इस्तेमालमें लाकर, समाप्त कर दें और तबतक भी महत्त्वपूर्ण रस्मी अवसरोंपर शुद्ध स्वदेशी कपड़े पहनें।

श्री गांधीने श्रोताओंसे जोर देकर कहा कि वे व्यापार-सम्बन्धी नैतिकताका महत्त्व समझें।

उन्होंने इस तथ्यपर विशेष जोर दिया कि जबतक बम्बईमें सट्टेबाजी जारी रहेगी, तबतक स्वदेशीकी सफलताके मार्गमें अवश्य ही बहुत बड़ी बाधा पहुँचती रहेगी। उससे वृद्धतापूर्वक अलग रहनेका निश्चय कर लेनेका समय आ गया है। जापानके धनिकोंने अपने अधिकार और अपनी धन-दौलत अपने देशको अर्पित कर दिये थे। भारतके धनी लोग भी वैसा ही कर सकते हैं और इस प्रकार देशकी स्थायी सेवा कर सकते हैं। मानवता और ईमानदारी उनके जीवनके सिद्धान्त होने चाहिए और सच्ची देश-भक्तिको ही, जो एकमात्र प्रभावकारी प्रेरणाशक्ति है, पथ-प्रदर्शक समझना चाहिए। अन्तमें उन्होंने कहा कि स्वदेशी उन थोड़ी-सी बातोंमें से एक है जिसपर किसी तरहका कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे सभी लोग जो किसी भी रूपमें देशके भाग्यके निर्माणसे सम्बन्धित हैं उसे अच्छी तरह समझ लेंगे और उसकी उन्नतिकी दिशामें सक्रिय रूपसे कदम उठायेंगे, क्योंकि केवल स्वदेशी ही लोगोंको गरीबीसे छुटकारा दिला सकती है।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, २१-६-१९१९

१. देखिए “ स्वदेशी सभाके नियम”, १-७-१९१९ के पूर्व।



## ३४७. पत्र : दक्षिण आफ्रिकाकी एक महिला मित्रको

[जून १८, १९१९ के बाद]<sup>१</sup>

घटनाचक्र जिस तीव्र गतिसे घूम रहा है उसे देखते हुए किसी आन्दोलनको ठीक-ठीक अंजाम दे सकना कठिन जान पड़ता है। संसारकी मौजूदा हालतको उत्पन्न करनेमें आर्थिक संकट, राजनैतिक दमन और विशेष रूपसे जनतामें आई हुई जागृतिका बहुत बड़ा हाथ है। भिन्न-भिन्न देशोंकी स्थितिका अध्ययन करनेपर पता चलता है कि आज संसारके प्रत्येक देशमें घोर अशांति छाई हुई है। अमेरिकामें वर्ग-संघर्ष है, इंग्लैंडके मजदूरोंमें अशान्ति है, रूसमें बोल्शेविज्मका बोलबाला है और भारतमें दमन, अकाल इत्यादि कारणोंसे सर्वत्र हलचल मची है। इस समय पाश्चात्य देशोंको जिस परिस्थितिका सामना करना पड़ रहा है वह अनिवार्य थी; क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता, जो पशुबलके सिद्धान्तको आधार बनाकर खड़ी है और जो उसीको अपना मार्गदर्शक मानकर पथ चुनती है, अन्ततोगत्वा पारस्परिक विनाशकी ओर ही ले जानेवाली वस्तु है। परन्तु भारतमें अब भी बाधाओंके बावजूद हमारी प्राचीन सभ्यताके उच्च सिद्धान्तोंका जनसाधारणपर गहरा प्रभाव बना हुआ है और यदि यह इष्ट है कि बोल्शेविज्मको, जो यूरोपमें बड़ी तेजीके साथ एकके-बाद-एक देशको अपने प्रभावके अन्तर्गत लेता चला आ रहा है, भारतमें फैलनेसे सफलतापूर्वक रोका जाये और यदि उसके अनुकूल वातावरण पैदा होनेकी किंचित् मात्र सम्भावनाको भी न पनपने दिया जाये तो यह आवश्यक है कि भारतके लोगोंको उनकी संस्कृति तथा सभ्यताकी विरासतका, जो कि एक शब्दमें "सत्याग्रह" है, स्मरण कराया जाये। सत्याग्रहसे बढ़कर और कोई मंत्र अभीतक देखनेमें नहीं आया है।

जनवरी, सन् १९१९ के अन्तिम सप्ताहमें भारत-सरकारने दो विधेयकोंका पाठ प्रकाशित किया। आज हम उन्हें रौलट विधेयकोंके नामसे जानते हैं। भारत सरकारके हाथमें महायुद्धके दौरान तथा युद्धकी समाप्तिके छः माह पश्चात् तक की अवधिके लिए पास किये गये भारत रक्षा कानून [डिफेंस ऑफ इंडिया ऐक्ट]के अन्तर्गत मनमाने अधिकार थे, वे ही मनमाने अधिकार इस अधिनियम द्वारा भारत सरकारने पुनः प्राप्त कर लिये हैं। परन्तु जो वस्तु युद्धके दिनोंमें बरदाश्त की जा सकती थी वह शान्ति-कालमें सहन नहीं की जा सकती। युद्धकी समाप्तिपर तो सरकारको अपना पूरा ध्यान रचनात्मक कार्यकी ओर लगाना चाहिए न कि उसके स्थानपर शांति-व्यवस्थाके लिए जरूरी बताकर मनमाने तथा अमर्यादित अधिकारोंका आग्रह करना चाहिए। ऐसे समय जब कि स्वयं ब्रिटिश संसदने भारतके प्रशासन-तन्त्रके भारतीयकरणकी आवश्यकताका अनुभव कर लिया है और जब मॉण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड सुधार-योजना

१. जिस स्वदेशी स्टोरका उल्लेख इस पत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें आया है वह जून १८, १९१९ को खोला गया था।



जनताके समक्ष आलोचनार्थ प्रस्तुत है और जब कि सिविल-सर्विसके अधिकारीगण तथा आंग्ल-भारतीय पूंजीपति इस भयसे कि अबतक भारतीय जनताके हितोंको कुचलते हुए जो उत्तम जगहें उनके हाथमें थीं वे अब कहीं निकल न जायें, उचित और अनुचित सभी प्रकारके उपाय काम में ला रहे हैं ताकि सुधार-योजनाकी हितकारिता नष्ट हो जाये, और ऐसे समयमें जब कि भारतका सर्वोच्च अधिकारी वाइसराय शाही परिषद्में एक घोषणाके द्वारा उन्हें स्पष्ट रूपसे तरह दे रहा है— जो कि निहित स्वार्थके शोरगुलके सामने घुटना टेकनेके तुल्य है— कोई भी भारतीय, रौलट विधेयकके विधान संहितामें रहते हुए भारतके भावी राजनैतिक जीवनके बारेमें स्थिर चित्तसे कुछ भी नहीं सोच सकता। इस देशमें रौलट विधेयकोंका विरोध जिस सर्व-सम्मतिके साथ किया जा रहा है वह बेमिसाल है। और जब १८ मार्चको शाही परिषद्में विधेयक संख्या १ पास होकर कानून बना उस समय परिषद्के एक भी भारतीय सदस्यने उसके पक्षमें वोट नहीं दिया था। इस विधेयकके सख्त विरोधके कारण रौलट अधिनियम १ की अवधि केवल तीन बरस रखी गई और उसे क्रांति और अराजकतागत अपराधोंसे सम्बन्धित कानून [द रेवोल्यूशनरी ऐंड अनार्किकल क्राइम्स ऐक्ट] नाम विशेषतया दिया गया था। परन्तु ये रियायतें व्यवहारतः शून्यवत् थीं।

इस सब परिस्थितियोंपर विचार करनेके बाद मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि रौलट अधिनियमके विरोधमें 'सत्याग्रह' प्रारम्भ किया जाय। फरवरी, १९१९ के अन्तमें मैंने तथा अन्य नेताओंने सत्याग्रह-शपथ ली। जनतासे भी निवेदन किया गया कि वह भी शपथ ले। प्रतिज्ञापत्रमें कहा गया है कि रौलट अधिनियम अन्यायपूर्ण है इस तथ्यको समझके साथ मानते हुए हस्ताक्षरकर्त्ता सत्याग्रह करेंगे और सत्यको अपनाने तथा हिंसा न करनेके लिए वचनबद्ध होंगे। मैंने भारतका दौरा किया, सर्वत्र सत्याग्रहके सिद्धान्त लोगोंको समझाये। जब रौलट विधेयक सं० १ अधिनियम बन गया तब प्रारम्भिक कदमके रूपमें मैंने यह सुझाया कि उसके निमित्त लोग हड़ताल और २२ घंटेका उपवास करें। इसके लिए तारीख ३० मार्च, १९१९ नियतकी गई। बादको यह तारीख बदलकर ६ अप्रैल कर दी गई, परन्तु कुछ जगहोंमें यह काम ३० मार्चको ही किया गया। उस दिन दिल्लीमें अधिकारियों द्वारा किसी-न-किसी बहाने जनताकी भीड़पर गोलियाँ चलाई गईं। परिणाम-स्वरूप कुछ मरे, बहुतसे घायल हुए। इस घटनासे देश-भरमें जोशकी ऐसी लहर दौड़ी कि ६ अप्रैलको होनेवाले प्रदर्शनमें बहुत बड़ी संख्यामें लोग आये; हमारे आंग्ल-भारतीय आलोचकोंतक को यह मानना पड़ा कि वह प्रदर्शन अभूतपूर्व था। अप्रैल ७ को स्वयंसेवकों द्वारा ज्वल-शुदा साहित्य, जिसमें 'हिन्द-स्वराज्य' पुस्तक भी थी, सब केन्द्रोंमें बेचा गया। आठवीं अप्रैलकी शामको मैं दिल्लीके हालातसे अपनेको अवगत करानेके लिए वहाँके लिए रवाना हुआ। पंजाब सरकारने मेरे नाम हुक्मनामा भेजा कि मैं पंजाबके इलाकेमें प्रवेश न करूँ और भारत-सरकारने यह आदेश दिया कि मैं बम्बई प्रान्तके अन्दर ही रहूँ। सत्याग्रहीकी हैसियतसे मैं इस हुक्मकी तामील न कर सका। मेरे पंजाबमें प्रविष्ट होते ही मैं गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे अपनी इस गिरफ्तारीपर बहुत हर्ष हुआ क्योंकि शरीरकी रक्षाका भार सरकारने उठा लिया और मेरी अन्तरात्मा



स्वच्छन्द हो गई। मैंने अपन देशवासियोंको इस आशयका सन्देश भेजा कि इस घटनाको शुभ समाचार मानें और उत्सव मनायें। परन्तु मुझे जेलके अन्दर बन्द न रखकर बम्बई प्रान्तमें पहुँचा दिया गया और वहाँ मुझे छोड़ दिया गया। मैंने बम्बई पहुँचनेपर देखा कि शहरमें सर्वत्र हुड़दंग मचा हुआ है। उसी दिन शामके समय मैंने समुद्र तटपर एक विशाल सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। मैंने लोगोंकी गलत गतिविधियोंपर घोर निराशा व्यक्त करते हुए उनके कृत्यको 'दुराग्रह' कहा। मैंने उन्हें सचेत किया कि वे अगर फिर 'दुराग्रहियों' की भाँति व्यवहार करते हुए अपनेपर किये गये विश्वासका हनन करेंगे तो मेरे सामने केवल एक ही मार्ग रह जायेगा; वह यह कि उनके विरुद्ध सत्याग्रह करके अपना 'धर्म' पालन करूँ और पिछला सत्याग्रह शुरू करने तथा सत्याग्रह तथा सत्याग्रहियोंके सुसंचालनकी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी ओढ़ लेनेके कारण प्रायश्चित्तके रूपमें अपना शरीर त्याग दूँ। परन्तु पंजाबके अन्तर्गत लाहौर और अमृतसर तथा अन्य जगहोंमें और अहमदाबादमें भी, जिसके समीप मेरा आश्रम स्थित है, भयानक दंगे हुए, फलतः फौजी कानून जारी कर दिया गया। जान और मालकी बहुत भारी क्षति हुई। पंजाबके दंगोंका कारण सत्याग्रह आन्दोलन नहीं है। किन्तु बम्बई और अहमदाबादके दंगोंसे मेरी समझमें आ गया कि अब सच्चा सत्याग्रह यह होगा कि सत्याग्रह-कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाये और अहिंसाके सिद्धांत क्या हैं, यह जनताको समझाया जाये। इसलिए सत्याग्रह-सभाओंने २० अप्रैलको सत्याग्रह बन्द कर दिया और इस घटनाके बाद ही 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के निर्भीक सम्पादक तथा उदारमना अंग्रेज श्री वी० जी० हॉर्निमैनको देशनिकाला दे दिया गया। इस दैनिक पत्रकी जमानत जब्त करनेका हुक्म दे दिया गया और इस आशयका आज्ञापत्र भी जारी कर दिया गया कि प्रकाशित होनेके पहले सरकार इसकी टिप्पणियों इत्यादिकी जाँच किया करेगी। पिछले १५ दिनोंसे 'क्रॉनिकल' उपरोक्त आदेशके कारण बिना टिप्पणीके निकल रहा है। अभी हाल ही में इस पत्रपर निरीक्षण-सम्बन्धी जो आदेश जारी हुआ वह हटा लिया गया है। समाचारपत्रके मालिकों द्वारा कानूनन जितनी ली जा सकती थी उतनी अर्थात् दस हजार रुपयोंकी जमानत, जमा करवा दी गई है। २० अप्रैलसे अबतक इन छः हफ्तोंमें पंजाबमें जो घटनाएँ घटी हैं वे क्रूरतामें अभूतपूर्व हैं। अनेक क्षेत्रोंमें मार्शल लाँ घोषित कर दिया गया था; उसे वापस लिये अभी एक या दो सप्ताह ही हुए हैं। बम बरसानेके लिए हवाई जहाज काममें लाये गये हैं, मशीनगनों भी प्रयुक्त की गई हैं। सम्राट्के विरुद्ध संग्राम छेड़नेके गम्भीर आरोपमें नेतागण गिरफ्तार कर लिये गये हैं। उनके मुकदमोंकी सुनवाई फौजी कानून आयोगके द्वारा की जा रही है। 'ट्रिब्यून'के सम्पादक, श्री कालीनाथ रायपर राज-द्रोही लेख लिखनेका अभियोग लगाया गया है; उनका मुकदमा एक विशेष न्यायाधिकरणमें चलाया गया। उन्हें अपनी पसन्दका वकील करनेकी अनुमति नहीं दी गई। फौजी अदालत (ट्राइब्यूनल)ने उन्हें दो वर्षकी सख्त सजा दे दी है। सम्बन्धित कागजातको देखनेपर मेरे मनमें यह पक्का यकीन हो गया है कि श्री कालीनाथ रायके मामलेमें कानूनका बुरी तरह हनन किया गया है। दंगोंके दिनोंमें लोगोंने भी अशोभनीय और अतिनिन्द्य कृत्य किये हैं।



जिन परिस्थितियोंके कारण सत्याग्रह बन्द किया गया था वे अब नहीं रही हैं और इस बातकी सावधानी पर्याप्त रूपसे बरतते हुए कि सत्याग्रही लोग शान्ति बनाये रखनेके लिए अपने कर्तव्यका पालन करते रहें, सत्याग्रह अब बेखटके फिरसे शुरू किया जा सकता है।

लोगोंको पूर्ण रूपसे व्यस्त रखने तथा उन्हें यह सिखानेके उद्देश्यसे कि सत्याग्रहके सिद्धान्तोंके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करनेका सबसे अच्छा रास्ता यह है कि उनपर अमल किया जाये, मैंने सक्रिय स्वदेशी अभियान शुरू किया है। ६ हफ्तोंकी छोटी-सी अवधिमें उसका प्रसार बहुत तेजीसे हुआ है। अनेक भारतीय बहनोंने आन्दोलनमें भाग लेनेवालोंकी सूचीमें अपने नाम लिखाकर बहादुरीका परिचय दिया है। उन्होंने भारतमें कते सूतसे बुने गये, भारतमें तैयार किये गये कपड़े इस्तेमाल करके स्वयं स्वदेशी-व्रतका पालन किया है — इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने हथकरघे लगाये हैं और उनपर काम करनेके लिए आदमियोंकी भी खोज कर ली है। स्वदेशी-आन्दोलनके साथ सच्ची सहानुभूति रखनेवालेका कर्तव्य केवल यही नहीं है कि वह स्वदेशी कपड़े पहना करे, बल्कि उनको तैयार करानेमें भी सहायक हो। बम्बईमें शुद्ध स्वदेशी स्टोर खोले जा चुके हैं और अन्य केन्द्रोंमें भी इस प्रकारके स्टोर शीघ्र खोले जानेवाले हैं। शुद्ध स्वदेशी तभी माना जायेगा जब हाथके कते सूतसे बुने कपड़े पहने जायेंगे। हाँ, यह जरूर है कि इस प्रारम्भिक अवस्थामें बढ़िया स्वदेशी कपड़ेका मिलना सम्भव न होगा; परन्तु इसकी परवाह न करनी चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९१९

### ३४८. बी० जी० हॉर्निमैनका अभिनन्दन

बम्बई

जून १९, १९१९

श्री हॉर्निमैनके बारेमें मैं कह सकता हूँ कि मैं उनके बारेमें जितना अधिक जानता गया उतना ही अधिक उनके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता गया। जिस निर्भीकता और आत्मविश्वासके साथ उन्होंने पत्रकारिताके क्षेत्रमें सेवाकार्य किया है और उसके द्वारा भारतकी सेवा की है उतनी निर्भीकता तथा आत्मविश्वासके साथ किसी और अंग्रेजने शायद ही की हो। यद्यपि मैंने प्रायः उनकी कड़ी शब्दावली और दुर्मुखतापूर्ण शैलीकी — जिसके वह माहिर ही थे — निन्दा की है, तथापि मैं उनकी इतनी तारीफ तो कर ही सकता हूँ।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १९-६-१९१९



३४९. पत्र : ई० एल० सेलको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

जून १९, १९१९

प्रिय महोदय,

भिन्न-भिन्न विषयोंके अध्ययनके लिए मैंने कुछ नवयुवक नियुक्त कर दिये हैं। श्री एस० पी० पटवर्धन, एम० ए० उनमें से एक हैं। उन्हें नमक-करका अध्ययन सौंपा गया है। सार्वजनिक पुस्तकालयोंमें इस विषयका प्रकाशित समस्त साहित्य नहीं मिलता। आशा करता हूँ कि आपके कार्यालयके पुस्तकालयमें कुछ ऐसी पुस्तकें मिल जायेंगी जो अन्य स्थानीय पुस्तकालयोंमें सुलभ नहीं हैं। आपकी इच्छाके अनुसार श्री पटवर्धन आपके ही कार्यालयमें पुस्तकें पढ़ेंगे और यदि पुस्तकें बाहर ले जाई जाने दी जायेंगी तो वे उन पुस्तकोंको घर ले जाया करेंगे। श्री पटवर्धन खास तौरपर १८७१-७२के लगभग प्रकाशित कैप्टन पोद्दारकी रिपोर्ट और बम्बई सरकार द्वारा १९०५के लगभग नियुक्त किये गये आयोगकी रिपोर्ट चाहते हैं।

आपका विश्वस्त,

सेवामें

श्री ई० एल० सेल

कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, साल्ट ऐंड एक्साइज

अंग्रेजी (एस० एन० ६६६७) की फोटो-नकलसे।

३५०. भाषण : स्वदेशी-सभामें

बम्बई

जून १९, १९१९

गत गुरुवारकी शामको 'स्वदेशी'पर व्याख्यान करानेके हेतुसे स्वदेशी सभाके तत्त्वावधानमें मोरारजी गोकुलदास हॉलमें एक सार्वजनिक सभा हुई; सभा भवन खचाखच भरा हुआ था। सभाकी अध्यक्षता गांधीजीने की थी...

अध्यक्षने सभाकी कार्रवाई समाप्त करनेके पूर्व भाषण देते हुए कहा कि श्री जेराजाणीके कथनानुसार शुद्ध स्वदेशी भण्डारकी बिक्री पहले ही दिन १,८०० रुपयेसे अधिक हुई है। इससे सूचित होता है कि भविष्य उज्ज्वल है। आशा इससे बहुत कम की थी। खरीद करनेवालोंमें हिन्दू-स्त्रियोंकी संख्या बहुत बढ़ी थी; पारसी महिलाएँ



भी लगभग उतनी ही थीं। बहुतेरे मुसलमान भी ईदके त्यौहारके लिए, जो पास आ गया है, खासतौरसे स्वदेशी वस्त्र खरीदने आये थे। बेचनेवाले कर्मचारी दिन-भर व्यस्त रहे। मुझे आशा है कि जिन्होंने अभीतक स्वदेशी-व्रत नहीं लिया है वे स्वदेशी सभामें पहुँचकर ले लेंगे। श्री गांधीने यह सूचित करते हुए कि श्री जमनादास निकट भविष्यमें इंग्लैंडके लिए रवाना होनेवाले हैं, कहा कि आप लोग मेरे साथ यह कामना करें कि उनकी यात्रा सकुशल समाप्त हो और उनका उद्देश्य फलीभूत हो। मेरे पास इस आशयके पत्र आये हैं कि जमनादासजीने सत्याग्रह-सभासे त्यागपत्र देकर अनुचित काम किया है। जमनादासजीका मुझसे जो मतभेद है वह भी शुद्ध भावनापर ही आधारित है। उनके दिलमें बहुत बड़ी आशंका यह है कि शीघ्र ही फिरसे प्रारम्भ किये जानेवाले सत्याग्रहके परिणामस्वरूप हिंसापूर्ण घटनाएँ घटित होंगी। मेरे खयालसे ऐसा नहीं होगा। परन्तु जमनादासजी अपने उन विचारोंके कारण सत्याग्रह-सभा छोड़नेका अधिकार रखते हैं। वे सत्याग्रही नहीं रहे यह आरोप उनपर कदापि नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि वे सभासे त्यागपत्र दे चुके हैं, मेरे दिलमें उनके प्रति उतना ही आदर बना हुआ है जितना पहले था। मैं सब भाषण देनेवालों [सर्वश्री खाडिलकर, देवजी द्वारकादास, चिनाय और जमनादास द्वारकादास] को स्वदेशी-सभाके निमन्त्रणपर यहाँ आने और भाषण करने, तथा श्रोताओंको शान्तिपूर्वक भाषण सुननेके लिए धन्यवाद देता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-६-१९१९

### ३५१. पत्र : सादिक अली खाँको

[जून २३, १९१९]<sup>१</sup>

प्रिय सादिक अली खाँ,

आपका पत्र मिला। यह जानकर खुशी हुई कि दादीजी तथा सब बच्चे वहाँ सकुशल पहुँच गये। यह सुनकर भी हर्ष हुआ कि बेगम साहिबाको अली भाइयोंको देखनेका अवसर मिल गया। जेलमें उनकी हरएक सुविधाका खयाल रखा जायेगा, मेरे मनमें इसे लेकर कोई शक नहीं था। मैं सरकारी विज्ञप्तिमें लगाये गये आरोपका बिलकुल सही जवाब पानेके लिए बहुत उत्सुक हूँ; जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ हमें फिलहाल अली भाइयोंके सम्बन्धमें समाचारपत्रोंके जरिये आन्दोलन करनेसे बचना चाहिए। मैं ठीक नहीं कह सकता कि भारत-सरकारके खिलाफ क्या-कुछ कदम उठाये जा सकते हैं; लेकिन अभी तो मैं इस आरोपके बारेमें और अधिक जानना चाहूँगा।

२. यह तारीख सोमवारके बादके सप्ताहमें सत्याग्रह पुनः आरम्भ करनेके आधारपर दी गई है



सत्याग्रह अब किसी भी दिन प्रारम्भ कर दिया जा सकता है; परन्तु अगले सोमवारसे पहले नहीं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि सत्याग्रह मैं ही प्रारम्भ करूँ; अन्य कोई नहीं; अर्थात् मेरे जेल भेज दिये जानेके दिनसे एक माह तक कोई सत्याग्रह न करे। कुछ हिदायतें छपवाई जा रही हैं। उनकी एक प्रति आपके पास भेजूंगा। आप उन्हें अजीमुद्दीन खाँको समझा दें। कृपया बेगम साहिबा तथा अन्य मित्रोंसे मेरा यथायोग्य कहें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६५६) की फोटो-नकल से।

### ३५२. तार : ई० एस० माँण्टेग्युको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

जून २४, १९१९<sup>१</sup>

परममाननीय ई० एस० माँण्टेग्यु,

मुझे लगता है कि आपको यह बता देना मेरा कर्तव्य है कि यदि परिस्थितियों वश हालत बदल न गई तो मैं जुलाईके प्रारम्भमें फिरसे सविनय अवज्ञा शुरू करनेका इरादा रखता हूँ। मेरे लेखे सत्याग्रह तो मेरा धर्म है। सुख-समृद्धि, न्यायसंगत कानून और न्यायपूर्ण प्रशासनसे अपराधपूर्ण अवज्ञा बहुत हदतक एक जाती है; किन्तु मेरा अटल विश्वास है कि सत्याग्रहके सिवा, जिसमें सत्य और अहिंसाका पालन अनिवार्य रूपसे किया जाता है, और कोई चीज अपराधमय अवज्ञा और बोल्शेविज्मको बन्द नहीं कर सकती। सरकारोंसे चाहे वे विदेशी हों या देशी कभी-कभी भयंकर भूलें हो जाया करती हैं—यहाँतक कि वे जनताकी रायकी भी अवहेलना कर बैठती हैं, जैसा कि रौलट अधिनियमसे हुआ है। ऐसी स्थितिमें असन्तोष या तो अपराधमय अवज्ञा और क्रान्तिकारी अपराधका रूप ले लेता है या उसे सत्याग्रह द्वारा—जो कि सत्याग्रहियों द्वारा मनमें रोष या द्वेष लाये बिना, व्यवस्थित ढंगसे, सरकारको सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूपसे समर्थन न देना मात्र है—स्वास्थ्यकर मार्गपर लाया जा सकता है—लाया जाना बिलकुल सम्भव भी है। परन्तु मेरी इच्छा तो यही है कि रौलट अधिनियम वापस ले लिया जाये और पंजाबकी घटनाओंके कारणोंकी छानबीन मार्शल लॉके प्रशासनपर दृष्टिपात

१. देखिए “सत्याग्रहियोंको हिदायतें”, ३०-६-१९१९।

२. यह तार वस्तुतः २७ जूनको भेजा गया था। देखिए “पत्र : एच० एस० एल० पोलकको”, २७-६-१९१९।



— जिसमें उसके अन्तर्गत दी गई सजाओंपर पुनर्विचार करनेका अधिकार भी शामिल हो— इन बातोंके लिए जाँच-समिति नियुक्त की जाये; साथ ही 'ट्रिब्यून'के सम्पादक श्री कालीनाथ रायको रिहा किया जाये। उपरोक्त राहतके सम्बन्धमें प्रार्थना करते हुए मैं वाइसराय महोदयकी सेवामें पत्र भेज चुका हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६६७५ आर) की फोटो-नकलसे।

### ३५३. भाषण : सत्याग्रह-सभामें

बम्बई

जून २४, १९१९

२४ जून, १९१९ को मोरारजी गोकुलदास हॉलमें सत्याग्रह-सभा [बम्बई] के तत्त्वावधानमें रौलट अधिनियमके लागू किये जाने तथा श्री बी० जी० हॉर्निमैनको देशनिकाला दिये जानेका विरोध करनेके उद्देश्यसे एक सार्वजनिक सभा हुई। गांधीजीने अध्यक्षता की।

श्री गांधीने सभामें देरसे पहुँचनेपर क्षमा माँगनेके बाद कहा, आज रातकी इस महत्त्वपूर्ण सभाको आयोजित करनेके अनेक महत्त्वपूर्ण कारण हैं। उनमें से एक कारण है रौलट अधिनियम तथा विधेयक। आप लोगोंको इनके विरोधमें एक प्रस्ताव पास करना है। दूसरा कारण है श्री हॉर्निमैनका देशनिकाला; उसका विरोध करना। चूँकि यह सभा सत्याग्रह-सभाके तत्त्वावधानमें बुलाई गई है, इसलिए सब भाषणकर्त्ताओंसे प्रार्थना है कि आप लोग इस ढंगसे भाषण दें जो सत्याग्रहियोंको शोभा दें। इस प्रकारकी सत्याग्रह सभाओंमें वांछनीय है कि भाषण देनेवाले सब सज्जन सत्याग्रही हों, परन्तु इस सम्बन्धमें अभी कोई निश्चय नहीं हो पाया है। इसके अनन्तर गांधीजीने श्री जमनादास एम० मेहतासे निवेदन किया कि वे प्रथम प्रस्ताव पेश करें। . . .

श्री गांधीने श्री हॉर्निमैनके सम्बन्धमें श्री वी० जेराजाणीके प्रस्तावको मतदानके लिए उपस्थित करते हुए कहा, कि इस प्रस्तावको श्री हॉर्निमैनके प्रति आदर प्रदर्शित करनेके हेतु सब लोग खड़े होकर और मौन रहकर पास करें।

तदनन्तर श्री गांधीने कहा कि यदि आज जैसी सभाएँ समस्त भारतमें आयोजितकी जा सकें और उनमें इसी प्रकारकी सुव्यवस्था हो जैसी आज यहाँ देखनेमें आ रही है तो सरकारको श्री हॉर्निमैनके खिलाफ जारी किया गया हुक्म वापस लेना ही पड़ेगा। जनता अपना कर्त्तव्य निबाहती जाये तो सरकारको भी अपने



कर्तव्यका पालन करना होगा। हमें सभाएँ करनी चाहिए और उनमें इसी प्रकारके प्रस्ताव पास करने चाहिए। ऐसा करनेपर हमारे उद्देश्य सुगमतासे पूरे हो जायेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २५-६-१९१९

### ३५४. पत्र : जी० ए० नटेशनको

बम्बई

जून २५, १९१९

प्रिय मित्र,

इस प्रान्तके लिए जारी की गई ये हिदायतें<sup>१</sup> संलग्न हैं। आप देखेंगे कि मैंने इन्हें कार्य समितिके<sup>२</sup> द्वारा दिये गये अधिकारके बलपर जारी किया है। मेरा सुझाव यह है कि यही चीज, आवश्यक परिवर्तनोंके साथ मद्रास प्रान्तमें भी की जाये। मैं तो वहाँ मद्रासके सिवा केवल दो ही केन्द्र जानता हूँ — तिरुचिनापल्ली और मदुरा। आपको मेरी अपेक्षा अधिक जानकारी है। इसलिए अपने प्रान्तके लिए आप जो ठीक समझें वह करें। मैं सब-कुछ आपपर छोड़ रहा हूँ। अगर अन्य कोई सत्याग्रही जेल जानेको तैयार न हुआ तो इसमें दुःखकी कोई भी बात न होगी। जो मैं प्रायः कहता रहा हूँ उसे याद रखें “विजयके लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी है।” यह बात रोज-बरोज मेरे दिमागमें साफ होती जा रही है। जिस प्रकार खरा सिक्का पूरे दामों पर जाता है उसी प्रकार खरा सत्याग्रही अपने पूरे मूल्यको लाता है अर्थात् मनोवांछित फलको प्राप्त करता है। खरे सिक्कोंमें मिलकर खोटे या घटिया सिक्के खरोकी कीमत कुछ समयके लिए घटा देते हैं। उसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि सत्याग्रह संघ (सभा) सब प्रकारके सत्याग्रहियोंकी एक मिश्रित संस्था है इसलिए शुद्ध सत्याग्रहकी दृष्टिसे त्रुटिपूर्ण है। मैं इस संस्थाके मिश्रित रूपपर दुःखी नहीं हूँ; मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि गत अप्रैलमें हमें कुछ दिनोंके लिए जो पीछे हटना पड़ा था उसका आध्यात्मिक कारण क्या था। खराबीसे भी अच्छाई निकला करती है। सत्याग्रहमें तो यह सदा हुआ करता है। परन्तु अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। आज सुबह जो विचार मेरे मनमें उठे थे उनसे आपको अवगत करानेके लिए मैंने इतना लिख दिया। (इस समय सुबहके साढ़े छः बजे हैं) आपको यह-सब लिखनेका कारण यह है कि आप तथा अन्य कुछ इने-गिने लोगोंके कंधोंपर सत्याग्रहका बोझ रहेगा। श्री माँण्टेग्युको जो तार भेजा जा रहा है उसकी नकल भी इस पत्रके साथ नत्थी है।

१. देखिए “सत्याग्रहियोंको हिदायतें”, ३०-६-१९१९। प्रतीत होता है कि पत्रके साथ इन्हींका मसविदा भेजा गया था। इन हिदायतोंपर गांधीजीकी गिरफ्तारीके पश्चात् अमल किया जाना था। देखिए “पत्र : एच० एस० एल० पोलकको”, २७-६-१९१९।

२. जून १५, १९१९ का सत्याग्रह सभाका प्रस्ताव यहाँ नहीं दिया जा रहा है।



आप इस पत्रकी नकलें अन्य साथी सत्याग्रहियोंके पास भेज सकते हैं। यह पत्र देवदासको दिखानेकी कृपा करें।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६६८१) की फोटो-नकलसे।

### ३५५. पत्र : वाइसरायके निजी सचिवको

सत्याग्रह-सभा,  
७२, अपोलो स्ट्रीट  
फोर्ट, बम्बई  
जून २६, १९१९

निजी सचिव  
परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदय  
शिमला  
महोदय,

इसी माह गत २४ तारीखको सत्याग्रह-सभाके तत्वावधानमें आयोजित सार्व-जनिक सभामें सर्वसम्मतिसे पास किया गया प्रस्ताव आपकी सेवामें भेज रहा हूँ; वह निम्नलिखित है :—

सत्याग्रह-सभाके तत्वाधानमें की गई यह सभा परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयसे प्रार्थना करती है कि वे 'बॉम्बे क्रॉनिकल'के भूतपूर्व सम्पादक बेंजामिन गार्ड हॉर्निमैनपर जो देश-निकालेका हुक्म जारी किया गया था उसे वापस ले लें, विशेषतया इस तथ्यपर ध्यान देते हुए कि भारत-मन्त्रीने उस हुक्मनामेको उचित ठहराते हुए जो कारण बताये हैं वे निराधार पाये गये हैं; यह तथ्य भी विचारणीय है कि बम्बई प्रान्तमें सर्वत्र पूर्ण शान्ति है।

एक और प्रार्थना है कि आप इस प्रस्तावको भारत-सचिवके पास भेजनेकी कृपा करें।

आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६८५) की फोटो-नकलसे।



## ३५६. पत्र : एस० आर० हिगनेलको

[बम्बई]

जून २६, १९१९

प्रिय श्री हिगनेल,

इस पत्रके साथ मैं बाबू कालीनाथ रायकी रिहाईके सम्बन्धमें परमश्रेष्ठके समक्ष प्रस्तुत किये जानेके लिए उनके नाम आवेदनपत्र भेज रहा हूँ। उसमें उनसे श्री रायको रिहा कर देनेकी प्रार्थना की गई है। सर नारायण चन्दावरकर द्वारा तारसे आपको भेजी गई सूचनाके अनुसार इस तारको गत सोमवारको ही भेज दिया जाना चाहिए था। उसे भेजनेका काम मेरे सचिवके सुपुर्द था; परन्तु वह बीमार पड़ गया और इस समय अहमदाबादमें है। हस्ताक्षर करानेका काम दूसरोंके सुपुर्द था और जो तार आपको भेजा गया था उसके मजमूनका मुझे आज सबेरे तक कुछ भी पता न था—आज सुबह सर नारायण आ पहुँचे और मुझसे पूछ बैठे कि आवेदनपत्र भेज दिया गया या नहीं। जब मैंने उनसे यह कहा कि चूँकि हस्ताक्षर लेनेका काम अभी चालू है इसलिए उसे नहीं भेजा जा सका है, तब उन्हें स्वभावतः दुःख हुआ। जिस प्रतिपर सर नारायण, सर दिनशा वाछा तथा अन्य लोगोंके हस्ताक्षर हैं मैं उसे इस समय भी आपके पास भेजनेमें असमर्थ हूँ। आशा है वह कल मेरे पास आ जायेगी और कल ही मैं उसे आपके पास भेज सकूँगा। विलम्बके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। परन्तु मुझे मालूम है कि परमश्रेष्ठ प्रार्थनापत्रपर समुचित ध्यान देंगे, वह इसका पात्र है और फिर उसपर सर नारायण चन्दावरकर-जैसे उच्च कोटिके विधिवेत्ताके हस्ताक्षर मौजूद होनेके कारण उसका वजन और भी बढ़ गया है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६८६) की फोटो-नकलसे।



## ३५७. पत्र : सर एन० जी० चन्दावरकरको

[ बम्बई  
जून २६, १९१९ ]

प्रिय सर नारायण,

कालीनाथ रायसे सम्बन्धित आवेदनपत्र भेजनेमें अक्षम्य विलम्ब हो जानेकी बात-पर आज सुबह आपको बड़ा कष्ट पहुँचा और उससे मुझे बहुत दुःख हुआ। मेरे पास काम इतना अधिक रहा करता है कि जब मैं कोई काम अपने किसी सहयोगीके सुपुर्द कर देता हूँ तो मैं उसके विषयमें निश्चिन्त हो जाता हूँ और आगे छानबीन नहीं करता। जो तार शिमला भेजा गया है यदि उसके मजमूनके बारेमें मुझे पता होता तो उस मामलेपर मैं स्वयं ध्यान देता। आशा है आप उस घटनाको भूल जायेंगे।

वाइसरायके निजी सचिवको मैंने जो पत्र लिखा है उसकी नकल आपको भेज रहा हूँ। मेरा उनका काफी अच्छा सम्बन्ध है और हम लोग एक दूसरेको बेतकल्लुफीके साथ पत्र लिखा करते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जो प्रतियाँ हस्ताक्षरके लिए घुमाई गई थीं उनपर बहुत लोगोंने हस्ताक्षर किये हैं। यह भी आशा है कि कल सुबह आप 'क्रॉनिकल'में उन हस्ताक्षरोंको देख सकेंगे। जैसा कि मैंने श्री हिगनेलको अपने एक पत्रमें लिखा है, ये प्रतियाँ यहाँसे कल अवश्य भेज दी जायेंगी। दुःखके साथ कहना पड़ता है कि सर दिनशा पेटिटने<sup>१</sup> आवेदनपत्रपर हस्ताक्षर करनेसे इनकार कर दिया है। सर चिमनलालके<sup>२</sup> हस्ताक्षर मिलनेकी आशा है।

चूँकि आप जल्दीमें थे, और दिये हुए वचनको पूरा न करनेके कारण श्री देसाई-पर बहुत क्षुब्ध थे इसलिए उस समय मैंने श्रीमती चन्दावरकरके स्वास्थ्यके बारेमें आपसे कुछ नहीं पूछा। आशा है कि वे अच्छी तरह हैं।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६८३) की फोटो-नकलसे।

१. (१८७३-१९३३); मिल-मालिक तथा व्यापारी; बम्बई विधान परिषद्के सदस्य।

२. डॉ० सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड; बम्बईके एक प्रमुख वकील, बम्बई विश्वविद्यालयके उप-कुलपति।



## ३५८. तार: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

[ बम्बई ]

जून २७, १९१९

शास्त्रियर,  
द्वारा इंडिया ऑफिस  
लन्दन  
कैलोफ<sup>१</sup>  
एस्ट्रैंड  
लन्दन

मैंने मॉण्टेग्युको तार द्वारा सूचित कर दिया है कि यदि रौलट अधिनियम वापस न लिये गये तो आगामी जुलाईके पहले हफ्तेमें मुझे सविनय अवज्ञा फिरसे प्रारम्भ करनी ही होगी। उस तारमें मैंने यह मांग भी की है कि पंजाबकी दुर्घटनाओंपर जांच समिति बैठे जिसे सजाओंपर पुनर्विचारका और कालीनाथ रायको रिहा करनेका अधिकार भी हो।

अंग्रेजी (एस० एन० ६६९१) की फोटो-नकलसे।

## ३५९. तार: मदनमोहन मालवीयको

[ बम्बई ]

जून २७, १९१९

माननीय पंडित मालवीयजी  
रॉक हाउस, शिमला  
दूसरा तार लाहौर

महिलाओंने [आधारशिला] समारोह रविवारको<sup>२</sup> रखा है। आपकी ओरसे मैं जा रहा हूँ। कृपया सन्देश यहींके पतेसे भेजिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६६९२) की फोटो-नकलसे।

१. एच० एस० एल० पोलकका तारका पता।

२. अहमदाबादमें वनिता विश्राम नामक लड़कियोंके एक स्कूलकी आधारशिला रखनेका आयोजन २९ जूनको किया गया था। देखिए "भाषण: अहमदाबादमें", २९-६-१९१९।



### ३६०. पत्र : एस० आर० हिगनेलको

लैबर्नम रोड

[बम्बई]

जून २७, १९१९

प्रिय श्री हिगनेल,

इस समय मैं घरकी आग — उसे और क्या कहूँ — से होकर गुजर रहा हूँ। मुझे अपनेपर लज्जा आ रही है; परन्तु कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ खड़ी होती हैं जिनपर किसीका बस नहीं चलता। अभी मालूम हुआ कि जिस प्रतिके बारेमें मैं समझता था कि कल आपको भेजी जा चुकी है, वह मेरे निजी सचिवकी भूलके कारण भेजी नहीं गई और मैं उसे अब भेज रहा हूँ, और उस प्रतिको भी जिसपर सर नारायण चन्दावरकर तथा अन्य लोगोंके हस्ताक्षर हैं; तीसरी प्रतिपर लोगोंके हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं। वह एक दिन बाद आपतक पहुँच जायेगी।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६६८७) की फोटो-नकलसे।

### ३६१. पत्र : एस्थर फेरिंगको

लैबर्नम रोड

बम्बई

जून २७, १९१९

प्यारी बेटि,

तुम्हारा पत्र अभी-अभी मिला; पढ़कर बड़ा दुःख हुआ। देशसे तुम्हारे निकाल दिये जानेकी सम्भावना मेरे लिए अकल्पनीय है। फिर भी यदि वे ऐसा कर गुजरें तो तुम्हें हर्षपूर्वक सहन कर लेना चाहिए। यदि तुम चाहो कि मैं सरकारको लिखूँ तो खुशीसे वैसा किया जा सकता है। सम्भव है उससे कुछ न बने। लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरी सलाह है कि यदि वे कुछ शर्तोंपर तुम्हारा यहाँ बना रहना सम्भव मानें और वे अपमानजनक न हों तो उन्हें अंगीकार कर लेना।

शायद अगले हफ्ते मैं अपना व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ कर दूँ। इसलिए फिलहाल हमारा मिलना सम्भव नहीं है।



स्वदेशीके सम्बन्धमें मेरी राय यह है कि जो-कुछ तुम घरसे लाई हो, उसका त्याग मत करो; तुम्हारे लिए इतना काफी है कि अपनी वर्तमान आवश्यकताएँ स्वदेशी वस्तुओंसे ही पूरी किया करो। शपथ अपने निजी वस्त्रोंतक ही सीमित है।

यदि तुम्हारे निकायकी<sup>१</sup> अनुमति मिल सके तो अपने स्कूलमें चरखा जारी करना।

तुम्हारे बारेमें मेरा यह कहना है कि तुम श्री बिटमैनसे राय लो और जैसा वे कहें वैसा करो। मैं उन्हें लिखूँ? मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी या गुस्सेमें आकर कोई कदम उठाओ। फल तो वैसे अच्छा ही होगा। पत्र लिख दिया करो।

हार्दिक स्नेहके साथ,

जल्दीमें लिखा; दुहराया नहीं।

तुम्हारा,  
बापू

[ अंग्रेजीसे ]

माई डियर चाइल्ड

### ३६२. पत्र : गिलिस्पीको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

जून २७, १९१९

प्रिय श्री गिलिस्पी,

आपका पत्र मिला; धन्यवाद। जानता हूँ कि किसी रविवारको आश्रम आनेमें आपको बड़ी तकलीफ होगी, फिर भी मैं आपसे बातचीत करनेके लिए इतना उत्सुक हूँ कि न आनेकी बात भी कहते नहीं बनती। आपने स्वदेशीके सम्बन्धमें जो मुद्दे उठाये हैं, उनपर ही बातचीत करनी है। यह तो मुझे मालूम ही न था कि आपका जन्म उस नगरमें<sup>२</sup> हुआ था जहाँ मेरे पिता कई वर्षों तक दीवान रहे और जहाँ उन्होंने अपने जीवनके अन्तिम दिन गुजारे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६९३) की फोटो-नकलसे।

१. डेनिश मिशनरी सोसाइटीका निकाय।

२. पोरबन्दर।



### ३६३. पत्र : मुकर्जीको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

जून २७, १९१९

प्रिय श्री मुकर्जी,

आपका इसी २४ तारीखका पत्र, जिसके साथ परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयके नाम लिखा हुआ आवेदनपत्र भी संलग्न था, मिला; अनेक धन्यवाद। मैं उस आवेदनपत्रको 'यंग इंडिया'में पूराका-पूरा छाप रहा हूँ। आपने अपने पत्रमें श्री कालीनाथ रायके स्वास्थ्यके सम्बन्धमें जो छोटा-सा समाचार भेजा है उसे भी 'यंग इंडिया'में प्रकाशित कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि हमारे ये मित्र शीघ्र ही रिहा कर दिये जायेंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६९४) की फोटो-नकलसे।

### ३६४. पत्र : एस० टी० शैपर्डको

जून २७, १९१९

प्रिय श्री शैपर्ड,

पत्र और विशेषतया उस असंगतिकी ओर मेरा ध्यान दिलानेके लिए धन्यवाद, जो आपको व्यापारिक अनुच्छेद और विधेयकके बीच दिखाई दी है। प्रस्तुत खण्डके प्रभावको अतिरंजित रूपमें पेश करनेका मेरा मंशा कदापि न था। यदि आप कम्पनीके कामोंमें भारतीयोंको निमन्त्रणके अधिकारसे वंचित करते हैं तो मेरी रायमें आप उन्हें ट्रान्सवालमें वैध रूपसे पंजीकृत कम्पनीके हिस्सेदारोंकी हैसियतसे अचल सम्पत्तिके स्वामी बननेसे रोकते हैं। विधेयकको जहाँतक मैंने समझा है, उसके अन्तर्गत अधिकांश हिस्सेदार भारतीय नहीं हो सकते। आज ऐसी अधिकांशतः सभी कम्पनियोंमें भारतीय हिस्सेदार बन सकते हैं और वस्तुतः हैं भी। अधिनियमका उद्देश्य यह है कि वर्तमान प्रथाको अवैध रूप दे दिया जाये और उसको खत्म भी कर दिया जाये।

कानूनकी जिस पुस्तकको आपने माँगा है उसे मैं मँगवा रहा हूँ। आशा है उसे शीघ्र आपके पास भेज सकूँगा।

हृदयसे आपका,

[ अंग्रेजीसे ]

माइक्रोफिल्म (एस० एन० ६४८४ बी) से।



## ३६५. भाषण : सत्याग्रह-सभामें

बम्बई

जून २७, १९१९

रौलट विधेयकोंका तथा श्री बी० जी० हॉर्निमैनके देशनिकालेका विरोध करनेके लिए शान्ताराम चाल, बम्बईमें २७ जून, १९१९ को सत्याग्रह-सभाके तत्त्वावधानमें एक सार्वजनिक सभा हुई। गांधीजी अध्यक्ष थे।

गांधीजीने कहा कि वर्षाके कारण सभामें उपस्थिति बहुत ही कम है; मेरा खयाल है कि जो नहीं आये हैं वे खरे सत्याग्रही नहीं हैं। यहाँ जो दो प्रस्ताव पास किये जानेको हैं उनका उद्देश्य रौलट विधेयकोंके लागू किये जाने तथा श्री हॉर्निमैनको देशनिकाला दिये जानेका विरोध करना है। भाषणकर्त्ताओंसे प्रार्थना है कि वे यथासम्भव कम शब्दोंमें अपने विचार व्यक्त करें।

गांधीजीने प्रस्तावपर मतदान कराया और वह सर्वसम्मतिसे पास कर दिया गया।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २८-६-१९१९

## ३६६. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

जून २७, १९१९

प्रिय हेनरी,

यह पत्र ११ बजे रात्रिके पश्चात् लिखवा रहा हूँ। इसलिए बड़ेसे पत्रकी उम्मीद मत करना। आशा है कि तुम्हें मेरा तार वक्तसे मिल गया होगा। श्री मॉण्टेग्युके नाम भेजे गये तारकी<sup>१</sup> नकल इस पत्रके साथ नत्थी है। मैंने उसे चार रोज तक रोक रखा था। मेरे जेल चले जानेके पश्चात् जिन हिदायतोंपर<sup>२</sup> अमल किया जाना है, उनकी एक प्रति साथमें नत्थी कर रहा हूँ। तुम्हारे पास पत्रके पहुँचने तक यहाँ बहुत-कुछ हो चुकेगा। इसलिए तुमसे केवल एक ही बात कहनेकी जरूरत समझता हूँ, और वह यह कि मेरे लिए रौलट अधिनियमके विधानसंहितामें मौजूद रहते, बाहर

१. देखिए “ तार : ई० एस० मॉण्टेग्युको ”, २४-६-१९१९ ।

२. देखिए “ सत्याग्रहियोंको हिदायतें ”, ३०-६-१९१९ ।



बने रहनेकी वेदना और अधिक समय तक सह सकना सम्भव नहीं रह गया है; इसलिए मैं सत्याग्रह शुरू करने जा रहा हूँ और फिर इसमें पंजाबकी दुःखद घटनाओंको, फौजी कानूनकी कार्रवाइयोंको, लम्बी-लम्बी सजाओंको और बाबू कालीनाथ रायको अन्याय-पूर्ण रीतिसे जेल भेजे जानेकी बातोंको जोड़िए। सत्याग्रह करनेसे मुझे रोकनेवाली केवल एक ही वस्तु है— हिंसापूर्ण क्रृत्योंका फिरसे घटित होना। इसी भयके कारण सत्याग्रह मैंने केवल अपने तक ही सीमित कर लिया है। दूसरोंको जेल भेजता तो कम खलबली मचती, परन्तु उसे सत्याग्रहके नामसे नहीं पुकारा जा सकता था। इस विषयमें मैं जितना सोचता हूँ उतने ही अधिक स्पष्ट रूपसे मेरे पिछले वक्तव्यकी खूबी और मजबूती अंकित होने लगती है। मैंने कहा था कि सत्याग्रही केवल एक ही हो, मगर सच्चा और दृढ़ हो तो जीतके लिए वह अकेला ही पर्याप्त है।

इस पत्रको श्री शास्त्रियरको दिखा दें; जैसा तुम्हें भेजा था वैसा ही तार उनको भी मैंने भेजा है।

वहाँ सब लोगोंको मेरा यथायोग्य कहना। तुम्हें और मिलीको मेरा प्रेम। ट्रान्स-वाल विधेयक<sup>१</sup> बिलकुल बेहूदा चीज है। मैंने वाइसरायके नाम पत्र भेजा है। वह विधेयक इतना कठोर है कि उसके लिए कोई शब्द ढूँढे नहीं मिलता।

अंग्रेजी (एस० एन० ६६९०) की फोटो-नकलसे।

### ३६७. पत्र : एस० आर० हिगनेलको

लैबर्नम रोड  
गामदेवी  
बम्बई

जून २८, १९१९

प्रिय श्री हिगनेल,

आपका ता० २५ का पत्र मिला, धन्यवाद। बहुत-कुछ सोचकर मैंने श्री मॉण्टेग्युको तार भेजना तय किया।<sup>२</sup> और कल भेज भी दिया। उसकी नकल इस पत्रके साथ संलग्न है।

आपका पत्र अप्रत्याशित नहीं था। वाइसरायको खेद हुआ है; मुझे भी हुआ है; परन्तु जीवनमें व्यक्तिको कभी-कभी कर्तव्यसे प्रेरित होकर कुछ काम करने पड़ते हैं। और उन्हें उस लाचारीपर अफसोस होता है। तो क्या मैं परमश्रेष्ठका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकृष्ट कर सकता हूँ कि गत अप्रैलमें घटित होनेवाली दुःखद घटनाएँ सत्याग्रहके किसी भी प्रकारके प्रदर्शनके कारण निष्पन्न नहीं हुईं। सरकारको अच्छी तरह मालूम था कि मैं सत्याग्रह छोड़नेकी दृष्टिसे नहीं, केवल शान्ति स्थापित करनेके

१. एशियाटिक लैंड ऐंड ट्रेडिंग अमेण्डमेंट बिल।

२. देखिए “तार : ६० एस० मॉण्टेग्युको”, २४-६-१९१९।



उद्देश्यसे दिल्ली जा रहा था। अप्रैलके उन दुर्दिनोंकी याद आते ही मनमें यह बात आये बिना नहीं रह सकती कि अगर सरकारने मुझपर वे नोटिस तामील करवानेकी भूल न की होती तो उस माहका इतिहास कुछ और ही शब्दोंमें लिखा गया होता। इसके अतिरिक्त मुझे गिरफ्तार कर लिये जाने तथा मुझे जेल भेज दिये जानेके पश्चात् जनतामें जिस उत्तेजनाके फैलनेकी सम्भावना है, उसे रोकनेके लिए मैं असाधारण सतर्कतासे काम ले रहा हूँ। अपने साथी सत्याग्रहियोंके नाम मैं जो हिदायतें जारी कर रहा हूँ उसकी प्रूफ-प्रतिलिपिको पढ़नेपर आप जान जायेंगे कि फिलहाल सत्याग्रह केवल मुझतक ही सीमित रहेगा और जबतक इस बातका पक्का विश्वास न हो जायेगा कि हिंसा न होगी तबतक दूसरे लोग सत्याग्रह शुरू न करेंगे।

अन्तमें, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह अनिवार्य है कि प्रजा हमेशा गलतीपर हो और सरकार जो-कुछ करे वह सब सही ही हो? क्या किसी सरकारके लिए यह उचित न होगा कि वह अपनी साफ-साफ गलतियोंको कबूल करके अपना कदम पीछे हटा ले? मैं सादर निवेदन करता हूँ कि सरकारके लिए रौलट अधिनियमके बारेमें स्थितिपर पुनर्विचार करनेका उपयुक्त समय यही है।

आपने पत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें जो आश्वासन आपने दिया है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ और आशा करता हूँ कि निकट भविष्यमें बनाई जानेवाली समिति स्वतन्त्र होगी और उसमें सभी पक्षोंके प्रतिनिधि रखे जायेंगे; और वह मार्शल लॉके अन्तर्गत दी गई सजाओंपर पुनर्विचार भी कर सकेगी। यह भी आशा है कि श्री राय शीघ्र रिहा कर दिये जायेंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६९७) की फोटो-नकलसे।

### ३६८. पत्र : एम० ए० जिन्नाको

बम्बई

जून २८, १९१९

प्रिय श्री जिन्ना,<sup>१</sup>

आपका पत्र पाकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे निश्चय ही आपको अवगत कराता रहूँगा। सुधार विधेयक [रिफॉर्म्स बिल] के बारेमें कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। मैंने उसे गौरसे पढ़ा भी नहीं है। मैं आजकल रौलट अधिनियमके सम्बन्धमें व्यस्त रहा करता हूँ। उसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे पंजाबकी घटनाएँ, कालीनाथ रायकी गिरफ्तारी, ट्रान्सवाल और स्वदेशीका काम; इस तरह गट्टर

१. मुहम्मद अली जिन्ना (१८७६-१९४८); मुस्लिम नेता; पाकिस्तानके संस्थापक तथा उसके प्रथम गवर्नर जनरल।



जितना उठा सकता हूँ उससे बड़ा हो गया है। अगर रौलट अधिनियम रद्द न हुआ, पंजाबके मामलोंकी जाँचके लिए तथा स्पष्ट रूपसे बहुत सख्त सजाओंपर पुनर्विचार करानेके लिए एक मजबूत समितिकी नियुक्ति न की गई, अगर कालीनाथ रायके प्रति किया गया स्पष्ट अन्याय सुधारा न गया, अगर ट्रान्सवालके भारतीयोंकी स्वतंत्रताका भविष्यमें छीना जाना रोका न गया तथा अगर भारतने स्वदेशीके कामको हाथमें नहीं लिया और उसकी कद्र नहीं की तो हमें मिलनेवाले सुधार व्यवहारतः किसी कामके न होंगे। इनमें से प्रथम चारकी जरूरत इसलिए है कि उनसे हमारी शक्तकी परीक्षा हो जाती है, और इसलिए भी कि अंग्रेजोंकी सद्भावनाकी गहराईका भी पता चल जाता है। और हम देशके प्रति प्रेम रखते हैं या नहीं, इसका प्रमाण पाँचवी बात अर्थात् स्वदेशीसे मिल जाता है। इसीलिए आजकल मैं अपनी सम्पूर्ण शक्ति इन चीजोंपर केन्द्रित कर रहा हूँ। और चूँकि मैं सत्याग्रहके अलावा प्रतिरोध करनेके और किसी रूपकी कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे, यदि ईश्वरने चाहा, अगले सप्ताह आरम्भ कर रहा हूँ। हिंसाके फिरसे भड़क उठनेके सम्बन्धमें जितनी सावधानी बरतनी सम्भव थी, उतनी बरत चुका हूँ। मैंने अधिकारियोंको सूचित कर दिया है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और श्री मॉण्टेग्यूके पास भी तार भेज दिया है।

जेल जानेके पश्चात् मैं जो हिदायतें छोड़ जाना चाहता हूँ उनकी एक प्रूफ-प्रतिलिपि आपके पास इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। जो अन्य जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वह भी आपको इन्हीं हिदायतोंमें मिल जायेगी।

कृपया श्रीमती जिन्नासे कहें कि मैं आशा कर रहा हूँ कि जब वे वापस आयेंगी तब वे चरखा-वर्गमें भरती हो जायेंगी। इस वर्गको श्रीमती बैंकर सीनियर और श्रीमती रमाबाई, एक पंजाबी महिला, चला रही हैं। मुझसे आप वादा कर ही चुके हैं कि आप जल्दीसे-जल्दी हिन्दी व गुजराती सीख लेंगे। तो क्या मैं यह सुझाव दूँ कि मैकॉलेकी तरह आप वापसी यात्रामें यह काम कर डालें? आपको जहाजकी यात्रामें मैकॉलेकी तरह छः महीनेका समय तो नहीं मिलेगा परन्तु आपको उस कठिनाईका भी सामना न करना होगा जिसका उन्हें करना पड़ा था। आशा है आप दोनों विलायतमें जितने दिन ठहरेंगे, स्वस्थ रहेंगे।

अगर आपको अवकाश मिले तो सरसरी तौरसे 'यंग इंडिया' पढ़ जाइयगा। यह अखबार अलगसे भेजा जा रहा है। उसकी छपाई भद्दी है क्योंकि अभी तक मुझे प्रशिक्षित सहायक नहीं मिल पाये हैं। इस बीच उदारमना ग्राहकोंको असुविधा जरूर हो रही है, फिर भी मैं कुछ सहायक तैयार कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६६९८) की फोटो-नकलसे।



## ३६९. भाषण : बम्बईमें स्वदेशीपर'

जून २८, १९१९

स्वदेशीका विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और उसमें देशकी धार्मिक उन्नति निहित है। जो देश स्वदेशीका त्याग करता है, उस देशके लोग स्वदेशाभिमानी नहीं कहे जा सकते और वे किसी तरह भी अपने धर्मका पालन नहीं कर सकते। हमें यह बात अपने धर्मशास्त्रों में नहीं दिखाई देती और इसके विपरीत यह निष्कर्ष भी निकाला जाता है कि धर्म-पालनमें देशभक्ति भी बाधा रूप हो सकती है। किन्तु यह बात बिलकुल बेतुकी है और भ्रान्तिमें डालनेवाली है। प्रत्येक व्यक्तिको अपने कर्त्तव्यका खयाल करना चाहिए और उसका खयाल न करनेसे कर्म-पथमें गड़बड़ी होती है। श्रावक-धर्ममें अन्य किसी भी धर्मकी अपेक्षा कर्म-पथका स्वरूप बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे समझाया गया है और यहाँ जो भाई इकट्ठे हुए हैं, उनको उसे समझानेकी आवश्यकता नहीं है। जिनका जन्म भारत-भूमिमें हुआ है, उनके लिए इसका कोई कारण तो होना चाहिए। इस कारणसे हमें यह समझना चाहिए कि हमारा विशेष कर्त्तव्य क्या है। स्वदेशी एक विशेष कर्त्तव्य है और वह धर्मके अन्तर्गत आता है। जैन धर्ममें जीव-दया और अहिंसाकी शिक्षा दी गई है; इतना ही नहीं उसमें यह शिक्षा भी दी गई है कि [ विपैले ] कीटाणुओंसे हिंसक प्राणियोंकी भी रक्षा करनी चाहिए। किन्तु इससे हमें मनुष्योंके प्रति अहिंसा-भाव भुला देनेकी जरूरत नहीं है। यदि हमारे पड़ोसी किसी कष्टसे पीड़ित हों या संकटग्रस्त हों तो उनके दुःखमें भाग लेकर उनकी सहायता करना हमारा कर्त्तव्य है। समस्त संसारमें धर्मकी भावना इतनी गौण हो गई है कि धर्मके नामपर अधर्म फैल रहा है और मनुष्य स्वयं अपनी अन्तरात्माको ठग रहा है। कहनेमें आता है कि हम धर्मका पालन करते हैं, जब कि प्रवृत्ति अधर्ममें होती है। अधर्मसे रुपया कमाकर उसे धर्म-कार्यमें दान करनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि धर्मका पालन हो गया। यहाँ बहुतसे व्यापारी-वृत्तिके लोग इकट्ठे हुए हैं। हमें यह कहा जाता है कि व्यापारमें बेईमानी किये बिना काम चल ही नहीं सकता। मैं स्पष्ट शब्दोंमें कहता हूँ कि यदि बेईमानीके बिना व्यापार नहीं किया जा सकता तो आप उसे छोड़ दें। हमारा धर्म तो यह है कि हम चाहे भूखों मर जायें, किन्तु धर्मका त्याग न करें और जबतक हम ऐसा नहीं करते तबतक धर्म हमारे जीवनका आधार नहीं हो सकता।

मेरे लिए एक दुखदायी बात कहना आवश्यक हो गया है। और वह यह है कि हमारे धर्मगुरु जिनका कर्त्तव्य ज्ञान आदि देना है, अपना कर्त्तव्य भुला बैठे हैं। यह बात चाहे कितनी ही दुःखदायी क्यों न हो फिर भी सत्य है। धर्म-गुरु अपने आचरणसे अपने अनुयायियोंका मार्गदर्शन कर सकते हैं। केवल उपदेश देनेसे श्रोताओंपर प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुओंको भी स्वदेशी-धर्मपर आचरण करना चाहिए। उन्हें तो खाली समय बहुत मिलता

१. यह सभा कच्छी जैन-मण्डलके तस्वावधानमें लालबागके जैन उपाश्रयमें की गई थी।



है। इसलिए उन्हें भी चरखा लेकर सूत कातना चाहिए और इस प्रकार अपने अनुयायियोंके सम्मुख आदर्श रखना चाहिए। माला लेकर रामनाम जपनेकी अपेक्षा चरखेकी गूँजमें आत्माकी सुन्दर वाणी प्रस्फुटित होगी।

स्वदेशी हमारी मुख्य प्रवृत्ति है, क्योंकि वह स्वाभाविक है। हम अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति भूल गये हैं। स्वदेशीके त्यागसे लोग बर्बाद हो गये हैं। भारतके तीन करोड़ लोग अर्थात् उसकी आबादीका दसवाँ भाग एक ही वक्त रूखी-सूखी रोटी पाता है। हर साल करोड़ों रुपये विदेशोंमें जाते हैं। यदि यह करोड़ों रुपया हमारे देशमें रहे तो हम भूखसे मरते अपने भाइयोंको बचा सकते हैं। इसमें हमारी आर्थिक उन्नति भी समाई हुई है। और स्वदेशीके पालनमें जीव-दया भी है। फिर स्वदेशी कपड़ा विदेशी कपड़ेसे सस्ता पड़ सकता है। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना कपड़ा स्वयं हाथसे बनाकर या बनवाकर पहनें। स्वदेशीके पालनका व्रत कठिन नहीं है। हम इससे अपने भाइयोंका कष्ट दूर कर सकेंगे। यदि हम आठ घंटे चरखा चलायें तो एक रतल सूत कात सकते हैं। भारतमें इस समय जो कपड़ा बनता है वह केवल आबादीके चौथाई भाग तक पहुँच सकता है; इसलिए हमें बाकी तीन चौथाई भागको कपड़ा पहुँचाने लायक माल तैयार करना चाहिए। और यदि इस प्रकार चरखा चलने लगे तो उससे शुद्ध स्वदेशी-व्रतका ही पालन नहीं होगा; बल्कि हम बहुत-सा कपड़ा तैयार कर सकते हैं।

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, ६-७-१९१९

### ३७०. भाषण : बम्बईकी सभामें स्वदेशीपर<sup>१</sup>

जून २८, १९१९

हमें पहले शुद्ध स्वदेशीका व्रत लेना चाहिए और हमेशाके लिए स्वदेशी-व्रतका पालन करना चाहिए। जो मनुष्य व्रतधारी है, उसे अपने व्रतको निबाहनेके लिए सारे उपाय करने चाहिए, नहीं तो भविष्यमें व्रत टूटनेके अवसर आनेकी सम्भावना बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक व्रतधारीको दूरदर्शितापूर्वक इस व्रतका पालन करनेके लिए हर सम्भव उपाय करना चाहिए। हमें हाथके बुने हुए कपड़े और सूतका उत्पादन बढ़ानेकी दिशामें प्रयास करना चाहिए जिससे हम व्रतको निभा सकें। आज मैं साढ़े चार बजे महिलाओंकी सभामें गया था। मैंने उनसे जो विनती की है उसके परिणामस्वरूप उनमें से बहुत सारी स्त्रियाँ चरखा चलाना आरम्भ करेंगी। यदि स्त्री और पुरुष दोनों स्वदेशी-आन्दोलनमें शामिल हो जायें तो हमारा आन्दोलन बहुत ही अच्छे ढंगसे चलने लगेगा और हम अपने स्वदेशी-व्रतका पालन अच्छी तरह कर सकेंगे। स्वदेशीका बहिष्कारके साथ सम्बन्ध नहीं है। स्वदेशी-व्रतको अपना कर्तव्य और धर्मका अंश समझकर ही मैंने उसे जनताके सम्मुख

१. सभामें गंगाधरराव देशपांडेने भाषण दिया था। इसकी अध्यक्षता गांधीजीने की थी।



रखा है। मैं अपने देशबन्धुओंसे यह प्रार्थना करूँगा कि वे स्वदेशी-आन्दोलनको बहिष्कार-के साथ न मिलायें।

[ गुजरातीसे ]

गुजरात मित्र अने गुजरात दर्पण, ६-७-१९१९

### ३७१. कपास-उद्योगपर प्रश्न'

[ जून २९, १९१९ से पूर्व ]

महात्मा मो० क० गांधी द्वारा माँगी गई जानकारी

कपास-उद्योग

प्रश्न

- |  |   |
|--|---|
| १. भारतमें उगाई जानेवाली कपासकी विभिन्न किस्में और उनके नाम। | देखिए बयान 'क'                                    |
| २. वे किस्में कहाँ-कहाँ पैदा होती हैं और औसत उपज कितनी है।   | देखिए बयान 'ख'                                    |
| ३. औसत दरें।   | देखिए बयान 'ग' तथा परिशिष्ट 'ख'के पृष्ठ २६ तथा २८ |

१. यह निम्नलिखित पत्रके साथ संलग्न था :

इंडियन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस  
अवैतनिक संयुक्त मन्त्रीका कार्यालय  
२३, चर्च गेट स्ट्रीट  
फोर्ट, बम्बई  
२९ जून, १९१९

महात्मा मो० क० गांधी  
बम्बई

प्रिय महोदय,

आपकी इच्छाके अनुसार मैंने कार्यालयमें उपलब्ध सूत्रोंके आधारपर यथासम्भव आपके प्रश्नोंके उत्तर देनेका प्रयत्न किया है।

कुछ प्रश्न अभी विचाराधीन हैं; उनके बारेमें पूरी जानकारी मिलते ही उत्तर आपके पास भेज दिये जायेंगे।

विलम्बके लिए क्षमाप्रार्थी,

आपका विश्वस्त,

एम० बी० संत

सहायक मन्त्री, वास्ते अवैतनिक संयुक्त मन्त्री

२. यह और इसके बाद जिन परिशिष्टों तथा बयानोंका हवाला दिया गया है उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है।



४. जिसमें ये किस्में बोई जाती हैं उस जमीनका कुल क्षेत्रफल। कुल उपज।
५. अन्य देशोंकी कपासकी किस्मोंको यहाँ दाखिल करनेसे सम्बन्ध रखने-वाले प्रयोगोंके परिणाम; असफलता के कारण।
६. कॉटन कमीशनके निष्कर्ष।
७. वे स्थान और पेढियाँ जहाँ हाथकरघे तैयार किये जाते हैं।
८. सूत कातनेकी मशीनोंकी भिन्न-भिन्न किस्में: वे कहाँ बनाई जाती हैं, उनके मूल्य क्या हैं?
९. कपास ओटनेकी मशीनोंकी किस्में, उनके निर्माता, तथा मूल्य।
१०. सूतको बुननेकी मजदूरी फी पौंडके हिसाबसे।
११. मिलोंके और हाथकते सूतके मूल्योंका अन्तर।
१२. देशमें कुल कितना सूती कपड़ा तैयार किया जाता है
१३. देशमें कुल कितना सूत तैयार किया जाता है।
१४. तैयार किये गये कपड़े तथा सूतका कुल आयात और निर्यात।
१५. भारतमें सूत तैयार करनेवाली मिलों की संख्या।
१६. भारतमें कपड़ा बुननेवाली मिलोंकी संख्या।

१ करोड़ ४० लाख एकड़। चार-चार सौ पौंडकी ४० लाख गाँठें

देखिए कॉटन कमेटीकी रिपोर्टका पृष्ठ १९ तथा इंडस्ट्रियल कमीशनकी रिपोर्टके परिशिष्ट 'ख' के पृष्ठ ३१ से ३३।

देखिए प्रश्न ५ का उत्तर।

(१) शोलापुरके श्री टिकेकर।

(२) सालवेशन जिनिंग लूम फैक्टरी, बम्बई।

(३) श्री शिवाजी मेटल फैक्टरी, शोलापुर। बड़ौदामें भी सयाजी लूम वर्क्स नामक हाथ-करघा निर्माण करनेवाला एक कारखाना था। आप बड़ौदाके राव-बहादुर रावजीभाई पटेलसे पत्र-व्यवहार करें।

— वही —

८५ लाख हंडरवेट रुईका निर्यात किया जाता है। [मूलके अनुसार]

पूछताछ हो रही है।

३८ करोड़ १० लाख पौंड (रतल)।

१ अरब ६१ करोड़ ४० लाख गज।

६५ लाख पौंड और उनकी मात्रा ६० नं० तक (बयान) 'ड'।

देखिए बयान 'घ'। भारतीय बुनकरोंको उपलब्ध मिलका सूत २५ करोड़ २० लाख पौंड।

कुल २६३ मिलें, ६० लाख तकुए, ११४,६२१ करघे।



१७. कपड़ा बुननेकी मिल चालू करनेमें कमसे-कम कितने मूलधनकी आवश्यकता होती है । लगभग १० लाख रुपयोंकी ।
१८. कताई मिल चालू करनेके लिए कमसे-कम कितनी लागत चाहिए । -वही
१९. कताई तथा बुनाई-मिलके लिए मजदूरोंकी औसत संख्या । फी मिल १,२०० ।
२०. कताई और बुनाई मिलकी-मशीनों व इमारतोंकी लागत । जांच हो रही है ।
२१. नई कताई और बुनाई-मिलें स्थापित करनेके लिए कौन-से स्थान उपयुक्त हैं । देखिए काँटन कमेटीकी रिपोर्ट, पृष्ठ २२३ ।
२२. धोतियाँ, तौलिये अथवा अन्य जरूरी चीजें तैयार करनेकी औसत लागत । पूरे आँकड़े देना सम्भव नहीं क्योंकि तौलियों कपड़ों आदिके पनहे, लम्बाई और किस्में कई तरहकी हैं ।
- समस्त देशमें वस्त्र-उद्योगमें काम करनेवाले कतैयों और बुनकरों आदिकी कुल संख्या । ३२ लाख ।
- भारतीय कपड़ेपर उत्पादन-कर । ७९ लाख रुपये ।
- अंग्रेजी (एस० एन० ६७००) की फोटो-नकलसे ।

३७२. पत्र : मुहम्मद अलीको

लैबर्नम रोड

बम्बई

जून २९, १९१९

प्रिय मित्र,

आपके बैतूल जेल बदले जानेके बादसे मैं आपके बारेमें सभी जानकारी लेता रहा हूँ । आपके स्मृति-पत्रके सम्बन्धमें मैंने पहले जो राय कायम की थी वही अब भी बनी हुई है । खैर, जो भी हो, अगर आपको पत्र लिखनेकी अनुमति हो तो जेल भेजनेके हुक्मोंको न्यायसंगत ठहराते हुए जो सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, उसके बारेमें आपके विचार जानना चाहता हूँ । मैंने मित्रोंसे कह रखा है कि आपके बारेमें बिलकुल मौन धारण किये रहें, क्योंकि मैं इस बातके लिए बहुत चिन्तित हूँ कि कोई भी गलत कदम न उठाया जाये । सुना है आपका स्वास्थ्य अच्छा है और यह भी मालूम हुआ है कि जेलमें जितना सम्भव है आपका उतना खयाल रखा जा रहा है । आपके पत्रका इन्तजार रहेगा । यह

१५-२७



कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यद्यपि प्रत्यक्ष मिलन कुछ कालके लिए सम्भव नहीं है तथापि आप मेरे मनसे कभी भी अलग नहीं होते।

मुस्लिम प्रश्नके सम्बन्धमें सार्वजनिक कार्यकर्ताओं तथा अधिकारियों — दोनोंके साथ निकट सम्पर्क बनाये हुए हूँ।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल : सितम्बर १९१९: संख्या ४०६-२८ ए (गोपनीय)।

### ३७३. भाषण : अहमदाबादमें स्वदेशीपर<sup>१</sup>

जून २९, १९१९

लॉर्ड कर्जनके शासनकालमें जब बंग-भंग हुआ उस समय स्वदेशीका प्रचार बड़े पैमानेपर किया गया था। किन्तु मैं जैसा बहुतसे स्थानोंपर बता चुका हूँ उसमें कई दोष रह गये थे। किसी भी नवीन आन्दोलनमें त्रुटियाँ होना सम्भव है। मेरा उद्देश्य इन दोषोंकी आलोचना करना नहीं है; किन्तु हम इस दृष्टिसे यह विचार करते हैं कि अब हमारे काममें ऐसे दोष न रहने पायें। उस समयके आन्दोलनमें दोष थे तो उत्साह भी बहुत था और गुण भी अनेक थे।

हममें से जिन लोगोंको ठोस और अच्छा काम करना हो अथवा जो अच्छी शिक्षा लेना चाहते हों, उन्हें इन अनुभूत दोषोंका अवलोकन करना चाहिए और उन दोषोंको निकालकर शुद्ध विवरण तैयार करना चाहिए।

पिछले आन्दोलनमें मुझे जो दोष दिखाई दिया है, वह यह है कि तब स्वदेशीकी प्रवृत्ति एक साथ बहुत व्यापक आधारपर चलाई गई थी। यह तो स्पष्ट है कि सब वस्तुएँ एक साथ स्वदेशी नहीं मिल सकतीं। प्रतिज्ञा तो उसीको कहा जा सकता है जिसे सामर्थ्यके अनुसार ठीक मात्रामें पाला जा सके। इस बातको समकोणके दृष्टान्तसे ठीक-ठीक समझा जा सकेगा। हमें अपनी जरूरतकी सब स्वदेशी चीजें एक साथ और बढ़िया नहीं मिल सकतीं। और यदि हम इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करें तो उसका परिणाम अधरा ही निकलेगा। लेकिन यदि मन ऐसे धार्मिक उत्साहसे भरा हुआ हो तो सम्पूर्ण स्वदेशीकी प्रतिज्ञा लेकर — जो वस्तु हमें स्वदेशी नहीं मिलेगी हम उसके बिना ही काम चला लेंगे — ऐसा निश्चय करें तो इस दृढ़ताके परिणामस्वरूप हमें भविष्यमें अपेक्षित फलकी प्राप्ति होगी।

१. स्वदेशी सभाकी ओरसे बुलाई गई सभामें अध्यक्ष-पदसे दिया गया भाषण। इसका सार यंग इंडिया, २-७-१९१९ में छपा था।



सन् १९०८ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए किये जानेवाले प्रयोगका श्री गणेश कपड़ेसे ही कर सकेंगे। एक समय ऐसा था कि भारत संसारके सभी देशोंसे अधिक उन्नत था। उस समय भारतमें किस प्रकारकी व्यवस्था थी, यदि हम इसपर ठीक-ठीक विचार करें तो इस प्रयोगके अन्तमें इस लक्ष्यकी प्राप्तिका मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

भारतकी आबादी मोटे तौरपर दो भागोंमें बँटी हुई थी — कुछ लोग खेती करते थे और कुछ बुनाईका काम करते थे। इससे भी आगे बढ़ें तो कह सकते हैं कि खेतीका काम करनेवाले लोग भी उससे अवकाश पानेपर बुनाईके काममें लगे रहते थे। मैं यह बात बहनोंको सम्बोधित करके कहता हूँ क्योंकि इस धन्धेकी उन्नति उन्हींपर निर्भर है। आप डॉ० हैरॉल्ड मैनसे<sup>१</sup> अपरिचित नहीं हैं। उन्होंने पूनाके आसपासके गाँवों [की अवस्था]का अध्ययन करके दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं। अपने पर्यवेक्षणके आधारपर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि किसान लोग आषाढ़से मार्गशीर्ष तक छः महीनेका समय व्यर्थ खोते हैं। उस फालतू समयमें ये किसान लोग ही बुनाईका काम अपने हाथमें ले सकते हैं। बुनाईका धन्धा मिट जानेसे ८० प्रतिशत लोग निरुद्यमी हो जाते हैं और उनमें आलस्य बढ़ता जाता है। किन्तु लोग स्वयं ही आलस्यमें पड़े रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्हें ऐसे धन्धे करनेका अवसर ही नहीं दिया जाता। यदि यह कहा जाये कि किसानोंपर पहलेकी अपेक्षा लगान बहुत बढ़ा दिया गया है तो मैं इस बातको स्वीकार करूँगा किन्तु इससे उनका बेकार बैठे रहना तो उचित नहीं ठहरता।

१९१७-१८ के दौरान भारतमें विदेशोंसे ७ करोड़ रुपयेके कपड़ोंका आयात किया गया था। यह हालत उस देशकी है जो किसी समय वैभव सम्पन्न था और बहुत बड़े पैमानेपर विदेशोंको माल निर्यात किया करता था। ६० करोड़ रुपयेका माल तो यहाँ १९१७-१८ में आया, किन्तु यदि लड़ाई न चल रही होती और जहाजोंका आना-जाना जारी रहता तो ६० करोड़की इस संख्यामें कितनी वृद्धि हो जाती; यह बात विचारणीय है।

आज तो लोगोंको अँगरखा, बंडी, साफा या धोती-जैसे अत्यन्त जरूरी कपड़ोंसे वंचित रहना पड़ता है और वे तीन या चार कपड़ोंकी जगह केवल एक ही से काम चला लेते हैं। मैंने एक ऐसे ही आदमीसे इसका कारण पूछा तो उसने कहा: “इसके लिए पाँच या सात रुपये खर्चनेके लिए कहाँसे लायें?” यह विदेशी कपड़ोंको काममें लानेका ही नतीजा है।

नष्टप्रायः धन्धोंको पुनरुज्जीवित करना इस संस्थाका लक्ष्य है और उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये तजुर्बेके तौरपर इसकी शुरुआत वस्त्र-उत्पादनके आन्दोलनसे की गई है। और कपड़ोंसे ही आरम्भ किया भी जा सकता है। उसके बाद एक बात यह रखी गई कि लोगोंको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। अनुकूलताकी दृष्टिसे इस प्रतिज्ञाके तीन भाग किये गये हैं। एक शुद्ध, दूसरा मिश्रित और तीसरा यह है कि भविष्यमें जो भी नया कपड़ा खरीदा जाये वह स्वदेशी हो। सत्य तो यह है कि प्रतिज्ञा लेनेके बाद विदेशी

१. पूना कृषि कॉलेजके; लैंड एंड लेबर इन ए डेकन विलेज पुस्तकके लेखक।



कपड़ेका सर्वथा त्याग करना चाहिए। किन्तु रामीबाई कामदारने यह आपत्ति की है कि कीमती साड़ियों और अन्य वस्त्रोंको फेंक देनेसे भारी हानि उठानी पड़ेगी; इसलिए [वे कहती हैं कि] उनका उपयोग कर लेनेके बाद जो भी नया कपड़ा खरीदा जाये वह स्वदेशी ही होना चाहिए तो ठीक होगा। इस कारण यह तीसरा रूप रखा गया है। यदि प्रतिज्ञा करनेके बाद उसका पालन न किया जाये तो हमारी उतनी ही बदनामी होगी जितनी व्रत लेनेसे पहले हुई थी।

जिस समय भारतीय यह दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि स्वदेशी कपड़ा न मिले तो हम लंगोटीसे ही गुजारा कर लेंगे तब भारत निस्सन्देह बहुत ऊंचा उठ जायेगा। मैं आपसे अभीसे तो ऐसी आशा नहीं कर सकता। इसी कारण ये भाग करने पड़े हैं।

इस कार्यको शुरू हुआ जानकर जो हमारे मित्र हैं, यदि वे अपनी हमदर्दी दिखायेंगे अथवा हमारा अभिनन्दन करेंगे तो उससे हमें सन्तोष अथवा आनन्दकी ही प्राप्ति होगी। किन्तु यदि आपको अपनी आरम्भिक प्रवृत्तिसे कुछ शिक्षा लेनी हो तो आपको अपने आलोचकोंके पास जाना चाहिए और वे क्या कहते हैं, यह सुनना चाहिए। वे हमें हमारे दोष ढूँढ़कर दिखायेंगे और हम उन दोषोंको दूर करनेके लिए तैयार हो सकेंगे और इस प्रकार हम अपने प्रयोगको निर्दोष बना सकेंगे। मैं बम्बईमें श्री वाड़िया और श्री फजलभाई करीमभाईसे मिला था। श्री फजलभाईने मुझे चेतावनी देते हुए पूछा, आप लोगोंसे प्रतिज्ञा लेकर क्या कराना चाहते हैं। हम इतना कपड़ा ही तैयार नहीं कर सके हैं जिससे लोगोंकी माँगोंकी पूर्ति हो सके। उसके लिए अभी ५० वर्ष चाहिए। भाई वाड़ियाका दृष्टिकोण अतिरेकपूर्ण था। उन्होंने कहा कि लोगोंको जैसा कपड़ा चाहिए हमें वैसा ही कपड़ा जुटाना चाहिए। किन्तु उनका यह विचार भी उनके अतिरेकपूर्ण दृष्टिकोणका परिचायक था। मैंने उन्हें यह उत्तर तो दिया था कि जैसे आप लाखों रुपये अपने व्यवसायको बढ़ानेमें खर्च करना जानते हैं वैसे ही आप जनरुचिके पोषण और स्वदेशीके अबाध प्रचारमें करोड़ों रुपये खर्च करें और उसके लिए साधन जुटायें; लेकिन इतने उत्तरसे आत्मसन्तोष नहीं हो सकता। देशमें मलमल और अतलस आदि वस्तुएँ अब भी अच्छी बनती हैं। दूसरी चीजें भी बनाई जा सकती हैं; किन्तु कारीगर नहीं हैं। उसी प्रकार इस धन्धेको जन्म देनेवाले और इसे उत्तेजन देनेवाले लोगोंकी भी कमी जान पड़ती है।<sup>१</sup>

स्वदेशीकी प्रतिज्ञाका प्रभाव ऐसा है कि उसको लेनेसे ही बल मिलेगा और बल मिलनेसे यह उद्योग विकसित हो सकेगा। बम्बईमें इस उद्योगको आरम्भ कर दिया गया है और अन्य स्थानोंमें भी आरम्भ किया जा रहा है। यह बात मैंने तब महसूस की जब बम्बईमें चरखोंसे रुई कातनेके तीन केन्द्र खोले गये। मैं स्वयं एक घंटा कातने बैठा तब मुझे मालूम हुआ कि उसमें कितनी कला है। यह काम मुझे बहुत ही सही जान पड़ा है।

शंकरलाल बैंकरकी माँ और रमाबाई ये दोनों खास तौरसे इस क्षेत्रमें काम करने लगी हैं। ये बहनें सूत कातकर दूसरी बहनोंको दिखाती हैं। अच्छी तरह चरखा

१. इसके बाद गांधीजीने लीडरमें छपे एक तर्कका उत्तर दिया। किन्तु उनके भाषणका वह अंश उपलब्ध नहीं है।



चलाना और सूत कातना सीखनेमें छः महीनेसे ज्यादा वक्त नहीं लगता। सीखनेकी कोई फीस नहीं देनी पड़ती। मैं तो यही चाहता हूँ कि जापानकी प्रचलित औद्योगिक प्रवृत्तिकी पृष्ठभूमिमें उसका लोकमत जैसा तैयार हो रहा जान पड़ता है वैसी प्रवृत्ति और वैसे आदर्शोंको भारतके लोग ग्रहण न करें। औद्योगिक आयोग बैठते हैं और उनके विवरण प्रकाशित होते हैं। किन्तु उनका ढंग दूसरा है, मेरा ढंग [उनसे] जुदा है। मैं वर्षोंतक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। पूरी तरह विचार करनेके बाद हमारे ऋषि-मुनियोंने यह पता लगाया था कि हमें सूत कातना चाहिए, क्योंकि जीवन-निर्वाहके लिए अन्नके बाद दूसरी आवश्यक वस्तु अगर कोई है तो वह अंग ढकनेके लिए वस्त्र ही है।

सत्याग्रह आश्रममें एक वर्षसे इस धन्धेकी प्रवृत्ति चल रही है। इस असेमें वहाँ बीस हजार रुपयेका कपड़ा तैयार हुआ है। मैं आपका ध्यान अकाल-निवारण समितिकी ओर आकर्षित करता हूँ। समितिने लोगोंको मुफ्त सहायता देनेके बजाय उनसे कपड़ा बुनवानेका काम लेकर सहायता देनेकी परम्पराको अपनाया। ऐसा करनेसे अनेक लोग भिखारी बननेके बजाय धन्धेवाले बन गये। मैं आपसे यह नहीं कहता कि यदि आपके पास पहलेसे कोई धन्धा हो तो आप उसे छोड़ दें और बिलकुल इसी काममें लग जायें। यदि आप फालतू समयमें इस कामको करते रहेंगे तो भी हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने घरोंमें चरखा चलवायें। पुरुष और यदि पुरुष नहीं तो स्त्रियाँ ही सूत कातना सिखायें।

यदि समस्त देशमें से सिर्फ १० लाख स्त्रियाँ एक-एक घंटा रोज सूत कातनेमें लगायें तो यह काम कितना बढ़ जाये। एक घंटेमें दो तोला सूत कातता है। यह तो एक प्रयोगकी बात है। बादमें जब लोगोंको इससे अच्छा लाभ होता दीख पड़ेगा तो वे अगणित संख्यामें इसमें लग जायेंगे और इसे अपना धन्धा बना सकेंगे।

स्वदेशी सभाकी एक शाखा अहमदाबादमें भाई चमनलाल चिनाईके मस्कती बाजार स्थित कार्यालयमें खोली गई है। सेवक लोग वहाँ जाकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और वहाँसे आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वयंसेवक स्वयं रुई कातकर, दूसरे कातनेवालोंको तैयार करके और लोकमत प्रशिक्षित करके विविध प्रकारसे सेवा कर सकते हैं।

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, १३-७-१९१९



## ३७४. भाषण : अहमदाबादमें<sup>१</sup>

जून २९, १९१९

मैं जानता हूँ कि परम देशभक्त भारत-भूषण पं० मदनमोहन मालवीयके, जो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, आज यहाँ न आ सकनेके कारण आपको निराशा हुई होगी। किन्तु मुझे आपकी अपेक्षा कहीं अधिक निराशा हुई है। यह कार्य उन्हींके हाथोंसे सम्पन्न होना था। ऐसा नहीं हो सका, इससे हम समझ सकते हैं कि सुलोचना बहन और रुक्मिणी बहनको कितना दुःख हुआ होगा। पंडितजी सम्भवतः कुछ समय पहले यहाँ आ सकते थे। वे बम्बईमें आये थे; लेकिन उस समय जो घटनाएँ हुईं और जिनपर हम अंकुश नहीं रख सके उनके कारण यह कार्य स्थगित कर दिया गया। फिर भी मेरी इच्छा थी कि इस कार्यको मालवीयजी ही सम्पन्न करें; किन्तु अब उन्हें लाहौर जाना पड़ा है और स्वयं मालवीयजीका आदेश यह है कि इस कार्यको मैं सम्पन्न करूँ। इसलिये उनके प्रतिनिधिके रूपमें मैं इस कार्यको सम्पन्न करता हूँ। उनके विचार ध्यानमें रखने योग्य हैं। पुरुष स्त्रियोंके कितने ऋणी हैं, इस बारेमें उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे सहमत हूँ।

मैं १९१५ से भारतके विभिन्न स्थानोंमें भ्रमण कर रहा हूँ और इस बीच यह कहता आया हूँ कि जबतक स्त्री पुरुषके साथ खड़ी रहकर अपना हक नहीं माँगती तबतक उसकी उन्नति नहीं होगी। तबतक हमारी प्रगति होना भी असम्भव है। यदि गाड़ीका एक पहिया चालू रहे और दूसरा टूट जाये तो वह गाड़ी ठीक-ठीक नहीं चल सकती। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले बहनोंने इस आशयका जो गीत आया है, वह ठीक ही है। 'मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना' होती है। अतः इस सम्बन्धमें भी वैसी ही बात हो सकती है। प्रत्येक मनुष्यकी जेबमें मानो पहलेसे गढ़ी हुई चित्र-विचित्र योजनाएँ पड़ी रहती हैं और वे स्त्रियोंकी शिक्षाके सम्बन्धमें एक दूसरेसे भिन्न सुझाव प्रस्तुत करते हैं। मुझे तो वे यहाँ हवाई जहाजसे फेंके गये पत्रकोंके समान ही लगते हैं। किन्तु इससे वनिता-विश्रामके संस्थापकोंको घबरानेकी आवश्यकता नहीं है। शान्तिसे और प्रयोगोंसे ही कार्य सधेगा। हमें भूल करनेसे डरना नहीं चाहिए और प्रयोगोंसे घबराना नहीं चाहिए। यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे रह जायेंगे। इसलिए व्यवस्थापकोंको अपने नियमोंका पालन करते हुए प्रयोग करते रहना चाहिए। हमसे भूलें होंगी और यदि हम उन्हें सुधारेंगे तो उससे हमें अपने लक्ष्यकी प्राप्ति होगी।

इस वनिता-विश्रामकी रिपोर्ट देखनेसे पता चलता है कि सुलोचनाबहनने अपने वैधव्यको कीर्तिमान कर दिया है। यदि हममें सचमुच अनुभव करनेकी शक्ति हो तो हमें वैधव्यमें सौन्दर्य दिखाई देगा। वैधव्यके सम्बन्धमें [पमस्पर विरोधी] दो मत प्रसिद्ध हैं;

१. गांधीजीने वनिता-विश्राम कन्या पाठशालाके भवनका शिलान्यास किया था। यह भाषण उसी अवसरपर दिया गया था।



फिर भी यह तो सच ही है कि जिन लोगोंमें जितनी शक्ति और आत्मिक उच्चता होती है वे उतना ही अधिक अपना और अन्य लोगोंका हित-साधन कर सकते हैं। प्रत्येक विधवा अपनी शक्ति और आत्मा— इन दो चीजोंको जन्म-भूमिकी भेंट करे, यह उसका विशेष धर्म है। यदि हम चाहें तो नरसिंह मेहताके शब्दोंमें कह सकते हैं कि बहन सुलोचनाने वैधव्यको प्राप्त होनेके बाद सब भारोंसे मुक्त हो जाने पर भी जननी-जन्मभूमिको वर लिया है। उनके अथक परिश्रमके फलस्वरूप ही यह संस्था आज अच्छा काम कर रही है।

इस महान् कार्यमें भाई सोमनाथके दानसे बड़ी सहायता मिली है। अभी यहाँ दानके सम्बन्धमें जो-कुछ कहा गया है, उसके बारेमें मैं यह कहूँगा कि यदि काम करनेके पीछे भावना शुद्ध हो तो धन अपने-आप आ जाता है। जब रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी, मुझे कुछ निराशा-भरे शब्द सुनाई पड़े। इस छोटी-सी संस्थाको धनके लिए 'भिक्षां देहि' कहते हुए आफ्रिका जाना पड़े, यह व्यवस्थापकोंके लिए खेदजनक और अहमदाबादके लिए लज्जाजनक बात है। अहमदाबादके लोगोंको तो यह कहना चाहिए, जबतक हम जीवित हैं, तबतक धन माँगनेके लिए हम तुम्हें हरगिज बाहर नहीं जाने देंगे। यह अभय-दान देना उनका काम है। मेरे खयालसे इस संस्थाके संस्थापकोंको दक्षिण आफ्रिका जानेकी जरूरत नहीं है। उन्हें इस शहरके लोगोंसे ही धन प्राप्त करना चाहिए और यदि वे न दें तो उनके सामने सत्याग्रह करना चाहिए। मुझे लगता है कि व्यवस्थापक प्रौढ़ नहीं हैं; उनमें सब-कुछ है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। उन्हें आत्म-विश्वास रखकर शहरके लोगोंका मन द्रवित करके उनसे ही रुपया लेना चाहिए।

इस संस्थाको धनकी जितनी जरूरत है, व्यवस्थाके लिए जितनी जरूरत विधवा बहनोंकी है, उतनी ही विद्वानोंकी भी है। इसका अर्थ यह है कि हमें विद्वान् अध्यापक चाहिए। मैं कितनी देरसे अपने सम्मुख लिखा हुआ एक सूत्र वाक्य देख रहा हूँ। 'विद्या धर्मेण शोभते'। यह वाक्य सत्य है। धर्मके बिना विद्या या शिक्षाका परिणाम शून्य ही होता है; यह बात मैं भारत-भ्रमण करते समय स्पष्ट देख सका हूँ। इससे प्रश्न यह उठता है कि सच्ची शिक्षा क्या है? इसका उत्तर मैंने अनेक बार दिया है। शिक्षा किस प्रकारकी दी जाये; इसका झगड़ा पीछे तय कर लिया जायेगा। किन्तु इस समय तो हमें किसी निश्चित पद्धतिके अनुसार शिक्षा देनी चाहिए और उसमें धर्मके तत्त्वका समावेश करना चाहिए। धर्म विचारका नहीं, आचरणका विषय है। यह भी भलीभाँति ध्यानमें रखना चाहिए कि वह भाषाका विषय भी नहीं है। शिक्षा तो शिक्षक अपने आचरणसे ही देता है। ऐसे शिक्षक गुजरातको स्वयं ही पैदा करने चाहिए। उनको ढूँढ़ने बाहर जाना तो लज्जाजनक है।

यहाँ यह शिकायत की जाती है कि अहमदाबादमें वणिक-बुद्धि बहुत है, किन्तु मुझे इससे दुःख नहीं होता। अलबत्ता वणिक-बुद्धिके साथ-साथ साहस, ज्ञान और सेवा अर्थात् क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र-बुद्धि होनी चाहिए। देशके लिए सही अर्थोंमें धन देनेवाला भी वणिक ही है। फिर शुद्ध वणिक तो अपने व्यापारको देशहितके लिए समर्पित कर देता है; उसे अपना व्यापार इसी भावनासे चलाना चाहिए। और देश-हितकी भावना शुद्ध धार्मिक भावनाके बिना नहीं आती। जिस समभावके सम्बन्धमें



‘गीता’ में शिक्षा दी गई है उसका अर्थ मैं तो यही करता हूँ कि हमारे आसपास जो दुखी मनुष्य दिखाई दें हमें उनके दुःख दूर करनेके लिए अपना तन, मन और धन उत्सर्गकर देना चाहिए।

गुजरात ऐसा प्रान्त है जहाँ हम कोई भी संस्था आदि खोलनेका प्रयोग कर सकते हैं। मेरी ईश्वरसे आज यही प्रार्थना है, इस संस्थाने जो काम करनेका बीड़ा उठाया है वह ऐसे सद्कार्योंमें शिरोमणि सिद्ध हो तथा ऐसे ही अन्य और कार्य गुजरातके दूसरे स्थानोंपर भी शुरू किये जायें।

मेरी यह विशेष इच्छा है कि इस संस्था तथा ऐसी अनेक संस्थाओंके कार्योंके लिए गुजरातके विद्वानों और शिक्षित समुदायकी सेवाओंका उपयोग किया जाना चाहिए। गुजरातके वणिक-वृत्ति रखनेवाले सज्जन भी अपने संचित धनका उपयोग अच्छे उद्देश्योंके लिए करें, यह भी वांछनीय है।

जो विद्यार्थी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आपको जैसी शिक्षा मिल रही है, आप उसके पात्र बनें। आप जब गृहस्थ बनें, तब आप अपनी शिक्षासे अपने परिवार और देशका गौरव बढ़ायें।

जो विधवा बहनें इस आश्रमका लाभ उठा रही हैं उन्हें तो अपना तन और उपार्जित ज्ञान भी देश-सेवाके निमित्त अर्पित कर देना चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, १३-७-१९१९

### ३७५. सत्याग्रहियोंको हिदायतें

प्रकाशनार्थ नहीं

बम्बई

जून ३०, १९१९

सत्याग्रहियोंके लिए हिदायतें

सत्याग्रही सभकी समिति द्वारा १५ जून, १९१९ को पारित प्रस्तावकी रूसे  
(गुजरातीसे अनूदित<sup>१</sup>)

(१) चूँकि सत्याग्रहियोंका यह विश्वास है या होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा करनेके लिए सबसे ज्यादा योग्य वे ही हैं जो क्रोध, असत्य और दुर्भाव या द्वेषसे मुक्त हों और चूँकि इस दृष्टिसे मैं अपनेको सत्याग्रहियोंमें सबसे ज्यादा योग्य मानता हूँ इसलिए मैंने निश्चय किया है कि सविनय अवज्ञा करनेवाला सबसे पहला सत्याग्रही मैं ही होऊँगा।

१. मूल गुजराती पाठ उपलब्ध नहीं है।



(२) उसके स्वरूपके विषयमें मेरा विचार यह है कि मैं उसे जुलाईके आरम्भमें किसी समय, मेरे खिलाफ अमुक प्रदेश [बम्बई]में ही रहने और अमुक प्रदेश [दिल्ली और पंजाब] में प्रवेश न करनेके जो आदेश हैं, उनकी अवज्ञा करके करूँगा।

(३) मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी सफलता इस बातमें है कि मुझे जेलकी सजा होनेपर सजा जिस समय दी जाये, उस समय, उसके बाद और मेरे जेल-निवासके दरम्यान देशकी जनता पूरी शान्ति और आत्म-संयमका पालन करे। रौलट कानूनको रद्द करानेका यही सर्वोत्तम उपाय होगा।

(४) इसलिए मेरा अनुरोध है कि मुझे जेलकी सजा होनेपर किसी भी तरहका प्रदर्शन, हड़ताल या सार्वजनिक सभायें आदि नहीं होनी चाहिए।

(५) मेरा यह अनुरोध भी है कि दूसरे लोग मुझे जेलकी सजा होनेके दिनसे कमसे-कम एक माह तक [कानूनकी] सविनय अवज्ञा न करें। यह एक माह सजा होनेके दिनसे गिना जाये, न कि गिरफ्तारीके या सरकार द्वारा [मेरे सम्बन्धमें] ऐसे ही किसी अन्य अन्तिम निर्णयके दिनसे।

(६) यह एक माह सविनय अवज्ञाके लिए आवश्यक तालीम हासिल करने और तैयारी करनेका काल माना जाये और उसका उपयोग निम्नलिखित रचनात्मक कार्योंके लिए किया जाये। यह सलाह देते हुए मैंने यह मान लिया है कि मुझे जेलकी सजा होनेके बाद दंगा-फसाद आदि नहीं होंगे।

(क) लोगोंको सत्याग्रहके बुनियादी सिद्धान्तों — सत्य और अहिंसाके कठोर, त्रुटिहीन पालनकी और इन्हीं सिद्धान्तोंसे निष्पन्न सविनय अवज्ञाके कर्तव्यके पालनकी और विनयहीन अवज्ञाके वर्जनकी शिक्षा दी जाये। जितना महत्त्व सविनय अवज्ञाके पालनका है उतना ही महत्त्व विनयहीन अवज्ञाके वर्जनका है। इस दृष्टिसे लोगोंमें उपयुक्त साहित्यका, जैसे मेरी लिखी हुई थोरो-कृत 'सिविल डिजाओबिडियन्स', 'हिन्द स्वराज्य' और 'डिफेंस ऑफ सॉक्रेटिस' आदि पुस्तिकाओंका, टॉल्स्टॉयकी 'लेटर टू रशियन लिबरलज' और रस्किनकी 'सर्वोदय', (अन्टु दिस लास्ट) नामक पुस्तकका, व्यापक प्रचार किया जाये। यह सही है कि सविनय अवज्ञाकी योजनाके एक हिस्सेकी तरह हमने ऐसा कुछ साहित्य पहले बेचा था। लेकिन अब हमें पता लगा है कि सरकारको बताया गया है कि निषिद्ध साहित्यको दुबारा छापना और बेचना उसी हालतमें अपराध है जब कि ऐसा साहित्य या कोई भी दूसरा साहित्य खण्ड १२४ (अ)के दायरेमें आता हो; अन्यथा वह अपराध नहीं है। इसलिए अब हम इस साहित्यकी विक्री अपने प्रचार-अभियानके एक अंगके रूपमें करेंगे; ऐसे कार्यके रूपमें नहीं जिससे हमें कानून-भंगके अपराधमें सजाका भागी होना पड़े।

(ख) स्वदेशीके सिद्धान्तका तीव्र और साथ ही व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। उसका सन्देश यथासम्भव सारे भारतमें पहुँचा दिया जाना चाहिए। हमारे इस प्रचार-कार्यमें किसी प्रकारकी कटुता नहीं होनी चाहिए और न ऐसा लगना चाहिए कि उसके बहाने बायकाटका प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि स्वदेशीका सिद्धान्त हमारे लिए एक चिरस्थायी आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ-



तक कि धार्मिक आवश्यकता है। इस प्रचार-कार्यमें हमें दोनों चीजोंको समान महत्त्व देना चाहिए—हमें लोगोंके सामने उनकी स्वीकृतिके लिए स्वदेशीसे सम्बन्धित प्रतिज्ञाएँ रखनी चाहिए और साथ ही सूती कपड़ेके नये उत्पादनके लिए भी उद्योग करना चाहिए। सूती कपड़ेका यह नया उत्पादन हम मुख्यतः हाथ-कताई और हाथ-बुनाईको प्रोत्साहन देकर करायें। यदि फिलहाल इसमें कुछ नुकसान होता दिखे तो उसकी परवाह न की जाये।

(ग) हिन्दू-मुस्लिम एकताका प्रचार किया जाये—सार्वजनिक भाषणोंके द्वारा नहीं बल्कि दया और सेवाके ठोस कार्योंके द्वारा। हिन्दू लोग मुसलमानोंकी सेवा करें और मुसलमान हिन्दुओंकी। मुसलमान यह चाहते हैं कि टर्की एक सम्पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न मुस्लिम राज्यके रूपमें कायम रहे तथा खिलाफतकी संस्था और उनके धार्मिक स्थानोंके प्रति उनकी भावनाओंका पूरा-पूरा आदर किया जाये। चूँकि हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए दोनोंको एक-दूसरेकी सहायता करनी है अतः यह स्वाभाविक ही है कि हिन्दू उनके इन उचित दावोंके सम्बन्धमें मुसलमानोंको अपना हार्दिक समर्थन प्रदान करेंगे।

(घ) सभाएँ की जायें और उनमें रौलट कानून रद्द करने तथा एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष जाँच-समितिकी नियुक्तिकी माँग करते हुए प्रस्ताव पास किये जायें। इस जाँच-समितिको पंजाबमें हुए उपद्रवोंके कारणोंकी तथा फौजी शासनकी जाँच करनेका और फौजी अदालत द्वारा दी गई सजाओंको बदलनेका अधिकार होना चाहिए। ऐसे ही प्रस्ताव बिना किसी जाँच-पड़तालके बाबू कालीनाथ रायकी मुक्तिके लिए और श्री हॉर्निमैनके खिलाफ जारी किये गये निर्वासनके आदेशको रद्द करानेके लिए भी पास किये जायें।

(७) अनुच्छेद ३में व्यक्त की गई आशाके अनुसार यदि एक माह तक पूरी शान्ति रहती है और इस बातका निश्चय हो जाता है कि लोगोंने सत्याग्रहके सिद्धान्तको हृदयंगम कर लिया है तो हम मानेंगे कि सविनय अवज्ञा पुनः शुरू करनेका समय आ पहुँचा है। अलबत्ता यदि इस बीचमें रौलट-कानून रद्द कर दिया जाये तब यह सवाल नहीं उठता।

(८) सविनय अवज्ञा उक्त परिस्थितिमें उन लोगोंके द्वारा की जायेगी जो अनुच्छेद १५में नियुक्त नेताओं द्वारा निर्वाचित किये जायें। लेकिन मेरी सलाह है कि किसी एक जगहसे एक ही समयमें दो से ज्यादा व्यक्ति सविनय अवज्ञा न करें और यह भी कि सब स्थानोंमें सविनय अवज्ञाका यह आन्दोलन एक ही साथ न छेड़ा जाये। पहले उसे एक या दो स्थानोंमें ही शुरू किया जाये और लोकमानसपर उसका क्या प्रभाव होता है, यह देखा जाये। उसके बाद ही दूसरे स्थानोंमें शुरू किया जाये।

(९) किन कानूनोंकी सविनय अवज्ञा की जाये—इस बातकी सलाह देनेका काम बहुत मुश्किल है। देशकी आजकी हालतमें, जब कि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि लोगोंमें सविनय अवज्ञाकी भावनाको पूरी तरह हृदयंगम कर लिया है और सविनय अवज्ञाकी भावना एकदम निःशेष हो गई है, मैं नमक-कर और भूमि-कर जैसे माल-वसूलीसे सम्बन्धित कानूनोंका और जंगल-महकमेके कानूनोंका उल्लंघन



करनेकी सलाह नहीं दे सकता। इसी तरह मुझे लगता है कि सत्याग्रही जुलूसों या सभाओं आदिके बारेमें जारी किये गये सरकारी आदेशोंका उल्लंघन भी न करें।

(१०) सविनय अवज्ञाके लिए आयकरको चुना जा सकता है। आयकर चुकानेसे इनकार करनेमें किसी तरहके हिंसक उपद्रव होनेकी आशंका नहीं है और इसलिए वह व्यावहारिक मालूम होता है। किन्तु जो लोग आयकर चुकाते हैं उनमें से कोई हमारी सलाहको मानेगा या नहीं इसमें मुझे बड़ा सन्देह है। फिर भी यदि कोई सत्याग्रही इस करको न चुकाकर सत्याग्रह करना चाहता हो तो अपने नेताकी अनुज्ञा लेकर और उससे होनेवाली हानिको सहनेकी तैयारी करके वह ऐसा कर सकता है। इसलिए सविनय अवज्ञाके लिए केवल राजनैतिक कानून बच जाते हैं और उनमें भी जिनका उपयोग सविनय अवज्ञाके लिए किया जा सके ऐसे तो केवल प्रेस-कानून और मुद्रण-कार्यसे सम्बन्धित कानून ही हैं। इन कानूनोंमें भी सविनय अवज्ञा करनेका एक ही सम्भव तरीका है : अनुमतिपत्र लिये बिना छापाखाना खोला जाये या अखबार निकाला जाये और अपने नेताकी स्वीकृति लेकर यह कार्य अपनी ही जिम्मेदारी-पर किया जाये।

(११) इसलिए मैं यही सलाह दे सकता हूँ कि जब किसी सत्याग्रहीको स्थान बन्धनका आदेश मिले या जब उसे ऐसी कोई चीज बोलने या प्रकाशित करनेकी मनाही की जाये जिसे सरकार बुरा मानती हो किन्तु जो सत्याग्रहकी दृष्टिसे निर्दोष हो तो ऐसे आदेशोंकी अवगणना की जाये।

(१२) बहुत सम्भव है कि सरकार सविनय अवज्ञाके सिद्धान्तके प्रचार और निषिद्ध साहित्यके मुद्रण और प्रसारणके प्रति, यद्यपि ऐसा साहित्य नीतिकी अर्थात् सत्याग्रहकी दृष्टिसे सर्वथा अहानिकर है, उदासीन न रहे। ऐसा हो तो सविनय अवज्ञाके हमारे कर्तव्यका निर्वाह इसीमें हो जाता है और बहुत आसानीसे तथा शालीनताके साथ हो जाता है। लेकिन नेता लोग सविनय अवज्ञाके योग्य ऐसे दूसरे कानूनोंको खोजकर जिनकी ओर मेरा ध्यान न गया हो ऊपर [सविनय अवज्ञाके] जिन तरीकोंका उल्लेख हुआ है उनमें वृद्धि कर सकते हैं।

किन्तु यदि वे ऊपरके अनुच्छेदोंमें उल्लिखित सीमाओंके ही भीतर रहें तो उनका ऐसा करना गलत नहीं होगा। हाँ, यदि वे ऐसे कानून चुनेंगे जो सविनय अवज्ञाके योग्य नहीं है या जिनके सविनय भंगसे अविनय भंगकी परिस्थिति पैदा होनेकी सम्भावना हो तो अवश्य वे गम्भीर अविवेकके दोषी माने जायेंगे।

(१३) सविनय अवज्ञा करनेके कारण मुकदमा चलनेपर सत्याग्रहीको, यदि उसने वैसा किया है तो, अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई बचाव पेश नहीं करना चाहिए और कठिनतम दंडकी माँग करनी चाहिए। यदि उसने सविनय अवज्ञा न की हो और उसपर उसका झूठा आरोप लगाया गया हो तो उसे अपने वक्तव्यमें यह बात बता देनी चाहिए, लेकिन इसके आगे और कोई बचाव पेश नहीं करना चाहिए और जो भी दण्ड दिया जाये स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि उसपर कानूनके अपराधात्मक भंगका आरोप लगाया जाये, उदाहरणके लिए ऐसा कहा जाये कि उसने राजद्रोहपूर्ण बात कही है या कि लोगोंको राजद्रोहके लिए भड़काया है, तो उसे



अपराध अस्वीकार करते हुए बयान देना चाहिए और अपने पक्षमें गवाही पेश करनी चाहिए। उसकी इच्छा हो तो वह वकील भी लगाये लेकिन [सत्याग्रह] सभा या दूसरे सत्याग्रही इसमें उसकी मददके लिए निधि इकट्ठी करेंगे, ऐसी अपेक्षा नहीं है। यह उनके कर्तव्यका हिस्सा नहीं है क्योंकि सत्याग्रहका तो मर्म ही यह है कि सत्याग्रही जानबूझकर सविनय अवज्ञा करके दण्डको न्यौता दे और चूँकि वह कैदकी परवाह नहीं करता इसलिए सजाको तब भी स्वीकार कर ले जब कि उसपर कानूनके अपराधात्मक भंगका झूठा आरोप लगाया गया हो। सजा जब उसकी बुलाई हुई होती है तब वह उसमें गौरवका अनुभव करता है और जब वह उसे झूठा और द्वेषमूलक आरोप लगाकर दी जाती है वह उसका प्रतिकार नहीं करता, उसे सह लेता है। सत्याग्रहीको इस बातकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि अच्छा वकील लगानेका प्रयत्न न करनेके कारण सम्भव है कि उसे न केवल न्यायालय दोषी घोषित करे बल्कि लोग भी ऐसा ही समझ लें। उसका न्यायालय तो संयम-शुद्ध अन्तरात्माकी आवाज ही है।

(१४) मैं इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि अच्छा हो, बम्बई प्रान्तको कई स्वतन्त्र और आत्म-निर्भर केन्द्रोंमें बाँट दिया जाये — हर केन्द्र दूसरोसे सलाह-मशविरा करके उनका सहयोग प्राप्त करे लेकिन कोई भी किसी दूसरेके आदेशके अधीन न हो; और मैं ऐसे केन्द्रोंके रूपमें बम्बई, सूरत, भड़ौच, नडियाद और अहमदाबादको चुनता हूँ। मैं अन्य प्रान्तोंमें ऐसा कोई चुनाव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बम्बई सभाका अधिकार-क्षेत्र बम्बई प्रान्ततक ही सीमित है और मुझे जिन प्रस्तावोंके द्वारा ये विस्तृत अधिकार दिये गये हैं उनका सम्बन्ध केवल इस प्रान्तसे ही हो सकता है।

(१५) इसलिए मेरा इरादा इसे आधार बनाकर, इस प्रान्तसे बाहरके केन्द्रोंके लिए, अलग-अलग कुछ संक्षिप्त निर्देश देनेका है। इस अनुच्छेदके अन्तर्गत निर्धारित केन्द्रोंमें से प्रत्येक अपने जिलेके लिए जिम्मेदार होगा; उदाहरणार्थ, नडियाद पूरे खेड़ा जिलेके लिए जिम्मेदार होगा। बम्बईके लिए मैं बारी-बारीसे श्रीमती नायडू, श्री उमर सोभानी, शंकरलाल जी० बैंकर, और इ० क० याज्ञिकको नेता चुनता हूँ। हाँ, श्रीमती नायडूके साथ शर्त यह है कि वे समयपर लौट आयें और श्री याज्ञिकके साथ यह कि उन्हें अहमदाबादसे फुरसत मिल जाये। सूरतके लिए सर्वश्री दयालजी मनुभाई देसाई और कल्याणजी विठ्ठलभाई मेहताको चुनता हूँ। इसी प्रकार, भड़ौचके लिए श्री हरिभाई झवेरभाई अमीन, नडियादके लिए सर्वश्री फूलचन्द बापूजी शाह और मोहनलाल के० पंड्या, और अहमदाबादके लिए, बम्बईकी तरह ही बारी-बारीसे, सर्वश्री वल्लभभाई जे० पटेल, बलवन्तराय नरसिंहप्रसाद कानूगा और इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिकको नेता नियुक्त करता हूँ। नेताओंको मेरी सलाह है कि वे छोटी-छोटी समितियाँ बना लें और अपने मार्ग-दर्शनके लिए ऐसी समितियों तथा अन्य साथी सत्याग्रहियोंसे परामर्श करें।

(१६) मैं तो बराबर यही मानता रहा हूँ कि कोई दंगा-फसाद बगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर अघटित हो ही जाये और कुछ दंगा-फसाद हो तो सम्बन्धित केन्द्रमें रहनेवाले प्रत्येक सत्याग्रहीसे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह लोगोंकी जान



बचानेके लिए—चाहे वे लोग अंग्रेज हों या भारतीय—अपने प्राणतक उत्सर्ग कर दे। इतना ही खतरा उठाकर वह धन-सम्पत्तिको क्षति पहुँचाना भी रोकेगा और अगर उसे यह लगे कि निर्दोष लोगोंपर गोलियाँ चलाई जा रही हैं तो वह खुद गोली खानेके लिए भी सामने आ जाये।

(१७) इस प्रान्तके भीतर या बाहर, जहाँ-कहीं भी ऐसे सत्याग्रही हों जो योग्यता अथवा आत्म-विश्वासके अभावमें या अन्य किसी कारणसे अपने-अपने स्थानोंमें रहनेमें असमर्थ हों, वहाँ उन्हें इस बातकी पूरी छूट है कि वे बम्बई या अन्य किसी क्रियाशील केन्द्रमें जाकर फिलहाल वहाँके नेताके निर्देशनमें काम करें—वैसे इस बातके लिए बम्बई जानेको प्राथमिकता देनी चाहिए।

(१८) उपर्युक्त निर्देश सामान्य मार्ग-दर्शनके लिए दिये गये हैं, लेकिन जरूरत पड़नेपर प्रत्येक नेता इन निर्देशोंसे हटकर चलनेको स्वतन्त्र है, लेकिन तब इसकी जिम्मेदारी स्वयं उसपर होगी। इस सम्बन्धमें अनुच्छेद ११ पढ़ लिया जाये।

(१९) कार्यरूपमें सत्याग्रह कुछ अर्थोंमें शस्त्र-युद्ध-जैसा ही है। उदाहरणार्थ, अनुशासन-सम्बन्धी नियम सत्याग्रही (आध्यात्मिक) लड़ाई और हथियारवाली लड़ाई, दोनोंमें बिलकुल समान रूपसे लागू होते हैं। अतएव, सत्याग्रहियोंसे चुपचाप, कारण आदि जाननेकी कोई कोशिश किये बिना, अपने नेताके निर्देशोंका पालन करनेकी अपेक्षा की जाती है। उसे पहले निर्देशोंका पालन करना चाहिए और फिर वह चाहे तो कार्य-विशेषके औचित्यके सम्बन्धमें नेतासे जिज्ञासा करे, लेकिन शस्त्र-युद्धके विपरीत, बहुत महत्त्वपूर्ण सवालोंके सम्बन्धमें सत्याग्रही अन्तिम निर्णयकी स्वतन्त्रता अवश्य रखता है। अतः ऐसे बड़े मतभेद हो जानेपर एक सच्चे सत्याग्रहीकी हैसियतसे वह यह मानते हुए कि निर्णयकी इस स्वतन्त्रताका अधिकार नेताको भी है, बिना किसी नाराजगीके उसके हाथोंमें अपना त्यागपत्र रख देगा। लेकिन ध्यान रहे कि अधिकांशतः मतभेद महत्त्वपूर्ण सवालोंपर न होकर सर्वथा महत्त्वहीन सवालोंपर ही हुआ करते हैं। अतः सत्याग्रही ऐसी भूल न कर बैठे कि वह शैतानकी आवाजको अन्तरात्माकी आवाज समझकर जो बात बिलकुल महत्त्वहीन है उसे अनावश्यक महत्त्व दे दे और इस प्रकार मतभेदको आमन्त्रित करे। मेरा अनुभव तो यह है कि जिसने नौ सौ निन्यानवे बातोंमें आज्ञा-पालन किया हो उसीको हजारवीं बात शायद ऐसी लग सकती है जिसमें सचमुच मतभेदकी गुंजाइश हो। उसके लिए तो सबका हित, सबका मत पहले है, स्वयं उसका हित, उसका मत बादमें।

मो० क० गांधी

मुद्रित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६६६२) से।



## ३७६. सन्देश

[जून २०, १९१९ के लगभग]<sup>१</sup>

चूँकि मैं अचानक ही गिरफ्तार किया जा सकता हूँ इसलिए मैं निम्नलिखित पंक्तियाँ सन्देशके रूपमें छोड़ रहा हूँ :

मैं समस्त भारतके लिए अपने सभी देशवासी पुरुषों और स्त्रियोंसे सविनय निवेदन कर रहा हूँ कि वे पूर्ण रूपसे शान्त रहें और किसीके जान-मालके प्रति कदापि किसी भी प्रकारकी हिंसा न करें। मेरे प्रति जो सबसे बड़ा अन्याय किया जा सकता है वह है मेरी गिरफ्तारीके पश्चात् और मेरी खातिर हिंसात्मक कृत्य कर बैठना। जो लोग मेरे प्रति स्नेहभाव रखते हैं वे अपना सच्चा स्नेह सत्याग्रही अर्थात् सत्य और अहिंसामें आस्था रखनेवाले तथा अपने कष्टोंके निवारणके लिए आत्मत्याग और दुःख सहनको ही एकमात्र साधन माननेवाले व्यक्ति बनकर ही प्रदर्शित कर सकते हैं। भारत-सरकारसे मेरा यही सादर निवेदन है कि वह वर्तमान असन्तोषके कारणोंकी ओरसे आँखें मूँदकर भारतमें शान्ति कदापि स्थापित नहीं कर सकती। सत्याग्रहसे अराजकता और हिंसाका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। वह प्राणमयी शक्ति है और निश्चय ही उसके कारण वह संकटमय स्थिति, जो अनिवार्य थी, अपेक्षाकृत शीघ्र उपस्थित हो गई है। परन्तु सत्याग्रहने रोकथाम करनेवाली अव्वल दर्जेकी शक्तिका भी काम किया है। सरकार तथा जनता दोनोंको यह बात जान लेनी चाहिए और उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। सत्याग्रहके परिष्कारक एवं शान्तिप्रदायक प्रभावके बिना जितनी हुई उससे कहीं ज्यादा हिंसा हुई होती क्योंकि आपसमें एक दूसरेसे बदला लेते चले जानेकी प्रवृत्तिका परिणाम अशान्तिके सिवा और कुछ न होता। टर्की, फिलिस्तीन और मक्का शरीफके प्रश्नपर इंग्लैंडके रुखकी जो छाप मुसलमानोंके दिलमें बैठी हुई है, उससे उन्हें बहुत ज्यादा रोष है। भावी सुधारोंके प्रति इंग्लैंडकी जो मनोवृत्ति है उससे भारत-वासियोंके दिलोंसे इंग्लैंडपर से एतबार उठ गया है। वे चाहते हैं कि रौलट अधिनियम रद्द कर दिया जाये। दमन चाहे जितना किया जाये, उससे देशमें लेशमात्र भी शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। कहने योग्य शान्ति तो मुसलमानोंकी भावनाओंको सन्तुष्ट करने और सुधारोंको उदार तथा विश्वासशील मनोवृत्तिसे देनेके द्वारा ही स्थापित की जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गीय सर हेनरी कैम्बेल बैनरमैनने दक्षिण आफ्रिकाके मामलेमें किया था; शान्ति-स्थापनाका दूसरा उपाय रौलट अधिनियमको अविलम्ब रद्द करके जनताकी रायकी पवित्रताको अंगीकार करना है। जनता जो-कुछ कहती है वह उसकी आन्तरिक इच्छा है, ब्रिटिश सरकार हमेशा इसका सबूत माँगती आई है। आन्तरिक इच्छाको जाहिर करनेका यूरोपीय तरीका हिंसाके द्वारा अशान्ति उत्पन्न करना रहा है। [भारतमें] सरकारने इस तरीकेका मुँह-तोड़ उत्तर दिया है।

१. लगता है कि इसकी तारीख वही है जो पिछले शीर्षक की है।



वह यूरोपमें भले पनपे और फले-फूले परन्तु भारतमें ऐसा नहीं होगा। [साथ ही] सत्याग्रहको शान्त करनेका तरीका — सत्याग्रहका जवाब — सत्याग्रहियोंकी मांगें मंजूर कर लेना ही हो सकता है। किसी देशमें सरकार तभी चल सकती है जब लोग कर अदा करके, सार्वजनिक पदोंपर नियुक्ति लेकर तथा अन्य ऐसे काम करके जिनसे यह प्रकट होता हो कि जनता सरकारसे सहमत है, उसका समर्थन करे। जब सरकार न्याय करती है — अर्थात् जब वह जनताकी सम्मतिके प्रति सहानुभूतिका भाव रखती है, तब, अस्थायी रूपसे विपरीत व्यवहार हो तो भी, समर्थन कर्त्तव्य बन जाता है। परन्तु जब सरकार अपना शासन जनताकी रायको ठुकराते हुए ही चलाती है, तब उसे अपने उस समर्थनसे पूर्णतया या आंशिक रूपसे वंचित करना भी कर्त्तव्य हो जाता है। और इस प्रकार समर्थनसे हाथ खींचनेको शुद्ध सत्याग्रह उस सूरतमें कहते हैं जब उसमें किसी भी प्रकारकी कोई हिंसा नहीं रहती और जब उसमें असत्यका लेशमात्र भी पुट नहीं रहने पाता। इसलिए सत्याग्रही लोग सत्याग्रहकी पवित्रता और अमोघताको जानते हुए कभी हिंसात्मक अथवा असत्यपूर्ण कार्य करनेकी भूल न करेंगे और तबतक कानूनोंकी सविनय अवज्ञा न करेंगे, जबतक उन्हें इस बातका विश्वास नहीं हो जाता कि जनताकी ओरसे किसी प्रकारकी हिंसा न होगी। फिर चाहे उस परिस्थितिके उपस्थित होनेका कारण लोगों द्वारा सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तका पूर्ण सहमतिसे अपनाया जाना हो अथवा सरकारकी सैनिक प्रवृत्तियाँ। पहली दशामें समस्त भारत प्रसन्नतापूर्वक सत्याग्रहमें भाग लेगा और संसारको उसका पदार्थपाठ देगा। दूसरी दशामें सरकारकी समझमें यह आने लगेगा कि शरीरबल चाहे जितना क्यों न प्रयुक्त किया जाये, सत्याग्रहियोंके साहसको कदापि नहीं तोड़ सकता।

अंग्रेजी (एस० एन० ६७१३) की फोटो-नकलसे।

### ३७७. पत्र : डी० हीलीको

आश्रम

जून ३०, १९१९

प्रिय श्री हीली,<sup>१</sup>

आपकी सूचनाके लिए धन्यवाद। मैं आज रातको बम्बई जा रहा हूँ। रविवारको वापस आनेकी आशा करता हूँ। यदि आपकी पूछताछ प्रस्तावित सविनय अवज्ञाके सम्बन्धमें है तो निवेदन है कि मैं अभी इस पूरे हफ्ते इसे शुरू नहीं करूँगा। विचार होनेपर स्थानीय अधिकारियोंको काफी पहले सूचित कर दूँगा। आशा करता हूँ कि मैं अपना पूरा कार्यक्रम सरकारको बता सकूँगा। यदि और कोई जानकारी हासिल

१. अहमदाबादके डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट।



करना जरूरी हो तो आप श्री प्रैटको विश्वास दिला दें कि मैं उस जानकारीको प्रस्तुत करनेका पूरा प्रयत्न करूँगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६७०५) की फोटो-नकलसे।

### ३७८. तार<sup>१</sup>

जून, १९१९

गुजराँवाला षड्यंत्र केसके सिलसिलेमें दूसरी सजाओंके साथ प्राणदण्डकी दो सजाओंका समाचार अभी-अभी नजरसे गुजरा। सजाओंको गलत या कठोर नहीं कहता। मुझे आशा है जाँच-समिति नियुक्त की जायेगी। उसकी रिपोर्ट मिलने तक प्राणदण्ड दिया जाना रोकनेकी नम्र प्रार्थना करता हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६७०६) की फोटो-नकलसे।

### ३७९. पत्र : ई० डब्ल्यू० फ्रिचलीको

जून, १९१९

प्रिय श्री फ्रिचली,

आपका विस्तृत पत्र पाकर खुश हुआ। उसके अनुसार मैंने आशा की थी कि लैबर्नम रोड स्थित मेरे निवास-स्थानपर आपसे मिलनेका शुभ अवसर प्राप्त होगा। मैं गत मंगलवारको बम्बई वापस आ गया था। आशा है कि इस सप्ताहमें आप किसी दिन मेरे निवासस्थानपर आनेकी कृपा करेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री ई० डब्ल्यू० फ्रिचली  
वास्तुकार  
फोर्ट [बम्बई]

अंग्रेजी (एस० एन० ६७०२) की फोटो-नकलसे।

१. सम्भवतः वाइसरायको।



## ३८०. 'नवजीवन' साप्ताहिक

जिस समय हॉर्निमैनको देश-निकाला दिया गया उस समय 'यंग इंडिया' प्रति सप्ताह अंग्रेजीमें बम्बईसे प्रकाशित होता था। भाई हॉर्निमैन निर्वासित हुए उसी समय [बाम्ब्रे] 'क्रॉनिकल'के समाचारोंपर नियन्त्रण [सेंसरशिप] का आदेश भी जारी कर दिया गया।

इस पत्रके व्यवस्थापकोंने ऐसी परिस्थितिमें 'क्रॉनिकल'का प्रकाशन बन्द रखा। इससे कुछ हदतक 'क्रॉनिकल' के उद्देश्यकी पूर्ति हो सके इस विचारसे 'यंग इंडिया' के व्यवस्थापकोंने उसे सप्ताहमें दो बार प्रकाशित करनेका निश्चय किया और उसकी विषय-वस्तुकी व्यवस्थाका भार मुझे सौंपा। और हालाँकि अब 'क्रॉनिकल' अपने मूल रूपमें यथावत् प्रकाशित होने लगा है, तब भी 'यंग इंडिया' उपर्युक्त व्यवस्थाके अनुसार ही प्रकाशित होता जा रहा है। कुछ मित्रोंने मुझसे यह प्रश्न पूछा है, मैं यदि एक अंग्रेजी समाचारपत्रकी देखरेखका भार अपने ऊपर लिए हुए हूँ तो क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं हो जाता कि मैं एक गुजराती समाचारपत्रका प्रकाशन भी करूँ? मेरे मनमें भी ऐसा सवाल उठा। मैं मानता हूँ कि मुझे हिन्दुस्तानको कुछ सन्देश देकर उसकी सेवा करनी है। मेरे मनमें जो कुछ विचार आये हैं वे कल्याणकारी हैं। मैं इन सब विचारोंको आपको समझानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। समयकी कमीके कारण तथा अनुकूल परिस्थितियोंके अभावमें मुझे इस काममें इतनी सफलता नहीं मिली है जितनी कि मैं चाहता था। उदाहरणके तौरपर मैं देखता हूँ, सत्याग्रहके सम्बन्धमें भी लोगोंमें काफी भ्रान्ति फैली हुई है। मेरा विश्वास है कि मैं हिन्दुस्तानको इससे सुन्दर भेंट कदापि नहीं दे सकता। यह अमूल्य वस्तु तथा कुछ अन्य वस्तुओंको जनसमाजको दे देनेका लोभ तो मुझे सदासे ही रहा है। ऐसा करनेका सबसे बड़ा आधुनिक साधन समाचारपत्र है। 'नवजीवन' अने 'सत्य' के संस्थापकोंने उनकी देखरेखका कार्य मुझे सौंपने और ये पत्र हर सप्ताह प्रकाशित हो सकें ऐसी व्यवस्था करनेका जिम्मा मैं अपने ऊपर लिया है। भाई इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक गुजरातके सार्वजनिक जीवनमें बड़ा भाग ले रहे हैं। फिर भी उन्होंने 'नवजीवन' को अपना प्रमुख काम समझने और उसमें पूरी-पूरी मदद देनेकी प्रतिज्ञा ली है। ये संयोग आकस्मिक नहीं कहे जा सकते। यदि मैं इनका स्वागत न करूँ तो यह लज्जाकी बात होगी। और इसलिए हालाँकि एक वर्ष पहले मेरी शारीरिक अवस्था जैसी थी वैसी अब नहीं है; तो भी मैंने 'नवजीवन' चलानेके कामका बीड़ा उठाया है। मैं इस कार्यमें गुजरातकी जनताका आशीर्वाद चाहता हूँ और विद्वानोंसे इस पत्रमें अपने लेखादि भेजने [का आग्रह करता हूँ] तथा इसका प्रसार करनेमें और सब लोगोंकी मदद माँगता हूँ और इस बातका मुझे पूरा विश्वास है कि वह अवश्य मिलेगी।

'नवजीवन' हर रविवारको प्रकाशित होगा, और ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिससे यह पत्र रविवारके ही दिन गुजरातमें बहुत-सी जगहोंपर मिल सके।



व्यवस्थापक इस पत्रको लाभकी दृष्टिसे नहीं चलाना चाहते। इसलिए सदस्यताके लिए चन्देकी दर कमसे-कम, यहाँतक कि डाकखर्च मिलाकर भी प्रतिवर्ष तीन रुपये आठ आने रखनेका निश्चय हुआ है। इतना ही चन्दा 'नवजीवन' मासिकके लिए भी जुलाई महीनेसे उसके आकारमें वृद्धि करके लेना निश्चय किया गया है। [साप्ताहिक] 'नवजीवन' की एक प्रतिकी कीमत एक आना होगी और पहला अंक रविवार ७ सितम्बरको प्रकाशित होगा।

उपर्युक्त रकम चन्देके लिहाजसे कमसे-कम मानी गई है उसका मुख्य कारण यह है कि इस साप्ताहिकमें विज्ञापन बिलकुल नहीं लिये जायेंगे। दक्षिण आफ्रिकामें बहुत वर्षों तक 'इंडियन ओपिनियन' चलानेके कारण मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि विज्ञापनोंसे जनताको कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। विज्ञापनोंका खर्च भी तो अन्ततः जनता ही देती है और नीति-अनीतिमय तथा अनेक प्रकारके विज्ञापन उसकी निगाहमें पड़ते हैं। इसलिए 'इंडियन ओपिनियन' अनेक वर्षोंसे बिना विज्ञापनके चल रहा है। अभी फिलहाल तो 'नवजीवन'के फुलस्केपके आकारके आठ पृष्ठ दिये जायेंगे। सदस्य संख्याके बढ़नेपर तथा सुचारु रूपसे व्यवस्था होनेपर इसके आकारमें भी वृद्धि कर दी जायेगी।

'नवजीवन' मासिकके ग्राहक होनेके साथ जो इसके सदस्य बनना चाहते हों उन्हें, व्यवस्थापकोंके नाम अहमदाबादके पतेपर, अपने नाम भेज देने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि 'नवजीवन'के बहुत सदस्य बनेंगे।

मोहनदास क० गांधी

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन अने सत्य, जुलाई, १९१९

### ३८१. स्वदेशी सभाके नियम<sup>१</sup>

[ जुलाई १, १९१९के पूर्व ]<sup>२</sup>

१. इस संघका नाम स्वदेशी सभा होगा।
२. स्वदेशी सभाका मुख्य कार्यालय बम्बईमें होगा।
३. इसके उद्देश्य हैं :
  - (क) लोगोंको स्वदेशीकी प्रतिज्ञा और उसका महत्त्व समझाकर जिस रूपमें संलग्न अनुसूचीमें प्रतिज्ञा दी गई है, उस रूपमें उसका प्रचार करना;
  - (ख) रेशमी, ऊनी और सूती स्वदेशी कपड़ोंके अधिकाधिक उत्पादनके उपाय सोचना और उन्हें कार्यान्वित करनेके सारे प्रयास करना;
  - (ग) कपड़ोंके अलावा अन्य उपयोगी चीजोंमें भी स्वदेशी दाखिल करनेकी कोशिश करना और देशमें ऐसी सभी चीजोंके उत्पादनके प्रयत्न करना।

१. अनुमानतः शकका मसविदा गांधीजीने तैयार किया।

२. केन्द्रीय स्वदेशी सभाका उद्घाटन बम्बईमें जुलाई १, १९१९ को किया गया था।



४. ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसने नियम ३ में उल्लिखित शुद्ध या मिश्रित स्वदेशीकी प्रतिज्ञा ली हो, सालाना रु० २५, रु० १२, रु० ६ और रु० १ चन्दा देनेपर क्रमशः क, ख, ग और घ श्रेणीका सदस्य बन सकता है। चन्दा पूरे कार्यकारी वर्षके लिए देना होगा। सभी श्रेणियोंके सदस्योंके अधिकार और सुविधायें समान होंगी।

५. ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसने नियम ३ में उल्लिखित शुद्ध या मिश्रित स्वदेशीकी प्रतिज्ञा ली हो, सभाको ५०० या इससे अधिक रुपये देकर इसका आजीवन सदस्य बन सकता है।

६. अगर स्वदेशीके किसी हमदर्दने स्वदेशीकी प्रतिज्ञा न ली हो लेकिन वह अनुदान देना चाहता हो तो उसे स्वीकार किया जायेगा।

७. अठारह सालसे कम उम्रके लोगों तथा स्कूल और कॉलेजके विद्यार्थियोंको सभाकी सदस्यता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन वे स्वदेशीकी प्रतिज्ञा ले सकते हैं।

८. सभाके पदाधिकारी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, तीन मन्त्री और दो कोषाध्यक्ष होंगे।

९. सभाकी प्रबन्ध-समितिमें पदाधिकारियों सहित ३० सदस्य होंगे।

१०. त्यागपत्र देने अथवा किसी और बातके कारण प्रबन्ध-समितिके सदस्यों, पदाधिकारियों और लेखा-परीक्षकोंके बीच कोई भी स्थान रिक्त होनेपर उसे भरना समितिका काम होगा।

११. सभाकी सारी पुस्तकों और सारे कागजपत्रोंपर प्रबन्ध-समितिका स्वत्व होगा और इसके कोषपर भी समितिका पूरा अधिकार होगा।

१२. सभाके उद्देश्योंको सफल बनानेके लिए प्रबन्ध-समितिको हर आवश्यक कार्रवाई करनेका अधिकार होगा।

१३. प्रबन्ध-समिति बम्बई प्रदेशमें सभाकी नई शाखाएँ खोल सकती है या शाखाओंको मान्यता दे सकती है। हर शाखामें कमसे-कम दस सदस्य होने चाहिए। प्रबन्ध-समितिको विभिन्न शाखाओंके कामका पुनरीक्षण और उनके हिसाब-किताबकी जाँच करनेका अधिकार होगा, लेकिन उनके कर्जके लिए वह जिम्मेदार नहीं होगी।

१४. पखवाड़ेमें कमसे-कम एक बार प्रबन्ध-समितिकी बैठक अवश्य होगी।

१५. प्रबन्ध-समितिके चार या इससे अधिक सदस्योंका लिखित अनुरोध प्राप्त होनेके तीन दिनोंके भीतर समितिकी विशेष बैठक बुलाना आवश्यक होगा।

१६. प्रबन्ध-समितिकी सभी बैठकोंमें कोरम पूरा करनेके लिए पाँच सदस्योंकी उपस्थिति आवश्यक होगी। सर्वसामान्य बैठकोंमें इसके लिए १२ सदस्योंकी उपस्थिति आवश्यक होगी। कोरम पूरा न होनेके कारण बैठक स्थगित करनेके बाद बुलाई जानेवाली बैठकके लिए किसी कोरमकी जरूरत नहीं होगी।

१७. महीनेमें कमसे-कम एक बार सभाकी सर्वसामान्य बैठक बुलाना आवश्यक होगा। विशेष बैठक प्रबन्ध-समितिके सुझावपर या कमसे-कम दस सदस्योंके लिखित अनुरोधपर, ऐसा अनुरोध प्राप्त होनेके आठ दिनोंके भीतर, बुलाई जायेगी।

१८. सभाका कार्यकारी-वर्ष १ जूनसे प्रारम्भ होगा।



१९. सभाकी वार्षिक सर्वसामान्य बैठक अगस्त महीनेमें होगी और उसके काम होंगे :

- (क) वार्षिक रिपोर्ट और हिसाब-किताबका जाँचा हुआ विवरण प्राप्त और स्वीकार करना;
- (ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तीन मन्त्रियों, दो कोषाध्यक्षों, दो लेखा-परीक्षकों और प्रबन्ध-समितिका चुनाव करना;
- (ग) ऐसे अन्य कार्योंको निबटाना जिनके विषयमें पहले ही सूचना दी जा चुकी हो।

२०. मन्त्रिगण पतों सहित सदस्योंके नामकी एक सूची अपने पास रखेंगे; वे ऐसे लोगोंके नाम और पतोंकी सूची भी अपने पास रखेंगे जो सभामें तो शामिल नहीं हुए हों लेकिन जिन्होंने स्वदेशीकी प्रतिज्ञा ली हो।

२१. मन्त्रिगण प्रबन्ध-समितिकी सभी बैठकों और सभाकी सर्वसामान्य बैठकोंकी कार्रवाईका विवरण लिखेंगे।

२२. कोषाध्यक्षगण चन्दा एकत्र करेंगे, प्रबन्ध-समितिके निर्देशोंके अधीन सभाके कोषकी देख-रेख करेंगे, नियमित रूपसे हिसाब-किताब रखेंगे और हर तीन महीनेके बाद हिसाबका लेखा पेश करेंगे, और उसमें अगर किसीने सभाका देयक न दिया हो तो उसकी ओर प्रबन्ध-समितिका ध्यान दिलायेंगे।

२३. प्रबन्ध-समिति बिना कोई कारण बताये अपने कुल सदस्योंके दो-तिहाई बहुमतकी सहमतिसे सभाके किसी भी सदस्यको निष्कासित कर सकती है।

२४. सभी सदस्योंको सभामें दाखिल होनेके तीन महीनेके भीतर चन्देकी सारी रकम दे देनी होगी और उसके बादसे ये रकमें सभाके कार्यकारी वर्षके प्रारम्भ होनेके तीन महीनेके भीतर चुकानी होंगी। अगर किसी सदस्यपर चन्देकी रकम बकाया रह जाये तो मन्त्रिगण उसे अदायगी करनेका नोटिस देंगे और अगर वह ऐसा नोटिस प्राप्त मोनेके एक महीनेके भीतर चन्दा नहीं दे देता तो प्रबन्ध समिति उसका नाम सदस्योंकी सूचीसे अलग कर देगी।

२५. उपरोक्त नियमोंमें सभाकी इच्छानुसार परिवर्तन और परिवर्धन किया जा सकेगा।

#### अनुसूची

स्वदेशीकी प्रतिज्ञा

शुद्ध स्वदेशीकी प्रतिज्ञा<sup>१</sup>

मिश्रित स्वदेशीकी प्रतिज्ञा<sup>२</sup>

तीसरी प्रतिज्ञा

मैं गम्भीरतापूर्वक घोषित करता हूँ कि आजसे अपने उपयोगके लिए ऐसे कपड़े ही खरीदूंगा जो भारतीय या विदेशी रुई, ऊन या रेशमसे भारत और विदेशोंमें काते गये सूतसे भारतमें बुना गया हो।

१. व २, देखिए “स्वदेशी-व्रत”, १३-५-१९१९।



स्पष्टीकरण :— जो लोग केवल शुद्ध स्वदेशी कपड़े ही खरीदना चाहें वे या “विदेशी” तथा “और विदेशों” इन शब्दोंको प्रतिज्ञासे निकाल दें।

टिप्पणी :—यह प्रतिज्ञा उन लोगोंकी सुविधाका खयाल करके तैयार की गई है जो अपने पास पहलेसे ही मौजूद विदेशी कपड़ोंको छोड़ना नहीं चाहते या छोड़ नहीं सकते। लेकिन, आशा यह की जाती है कि जो लोग यह प्रतिज्ञा लेंगे वे यथासाध्य शीघ्र ही विदेशी कपड़ोंको त्याग देंगे और सभी शुभ अवसरोंपर केवल स्वदेशी वस्त्रोंका ही उपयोग करेंगे।

इंडियन नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स, ३०६, बोरा बाजार, फोर्ट, बम्बई।

हस्ताक्षर . . . . .  
 पूरा नाम . . . . .  
 पता . . . . .  
 प्रतिज्ञा . . . . .  
 प्रतिज्ञा लेनेकी तारीख . . . . .  
 अवधि . . . . .  
 हस्ताक्षर करनेकी तिथि . . . . .  
 स्वयंसेवक . . . . .

मुद्रित अंग्रेजी पत्रक (एस० एन० ६४८५) से।

### ३८२. भावी योजनाओंके सम्बन्धमें लिखित वक्तव्य<sup>१</sup>

बम्बई

जुलाई १, १९१९

मेरी योजनाओंके सम्बन्धमें भारत-सरकारकी ओरसे श्री रॉबर्टसन<sup>२</sup> द्वारा कृपापूर्वक भेजा गया सन्देश मुझे मिल गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी फिरसे सविनय अवज्ञा आरम्भ करूँगा उसकी सूचना स्थानीय अधिकारियोंको अवश्य दे दूँगा। सविनय अवज्ञा केवल मैं ही करूँगा और मेरे साथी कार्यकर्ता मेरे जेल जानेके बाद एक महीनेके पहले इसमें शामिल नहीं होंगे। हाँ, अगर वे इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेनेको तैयार हों तो

१. ये बातें गांधीजीने १ जुलाई, १९१९ को बम्बईके पुलिस कमिश्नर श्री ग्रिफिथको दी गई मुलाकातके दौरान कही थीं। भेंटकी, श्री ग्रिफिथने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया है कि “अन्तमें श्री गांधीने एक वक्तव्य दिया जिसे लिख भी लिया गया। उस वक्तव्यकी एक प्रति संलग्न है। उस वक्तव्यमें उनकी भावी योजनाका तफसीलवार विवरण दिया गया है।” देखिए सोर्स मेटरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड २, पृष्ठ ७९३।

२. एल०, रॉबर्टसन बम्बई प्रान्तके पुलिस इंस्पेक्टर जनरल।



बात दूसरी है। मैंने परमश्रेष्ठ वाइसरायको एक पत्र<sup>१</sup> लिखा है। मैं उसके उत्तरकी राह देख रहा हूँ। मैंने श्री मॉण्टेग्युको<sup>२</sup> भी एक तार भेजा है। अतः मंगलवार तक इन दोनोंके उत्तरकी प्रतीक्षा करूँगा। तबतक मैं सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करना नहीं चाहता। मेरा सविनय अवज्ञाका तरीका यह होगा कि किसी स्थानपर बम्बई प्रान्तकी सीमा पार करके बाहर निकल जाऊँगा। फिलहाल तो मैं जहाँतक सोचता हूँ, उसके अनुसार मेरा इरादा यह नहीं है कि मैं पंजाब जानेकी कोशिशमें सीमा पार करूँ; क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो उससे पंजाबमें जो शान्तिका वातावरण तैयार हो रहा है, उसमें व्यर्थ ही विघ्न उपस्थित हो जायेगा, और स्थानीय अधिकारियोंका मन क्षुब्ध होगा। अगर भारत-सरकार या स्थानीय सरकारने यह चाहा कि मैं किसी विशेष स्थानसे ही सीमा पार करूँ तो मैं सहर्ष वैसा करूँगा। मेरी मंगलवार तक की गतिविधि इस प्रकार है :

शनिवारकी शामको मैं गुजरात मेलसे चलकर रविवारकी सुबह नडियाद पहुँचना चाहता हूँ और फिर रविवारको लगभग दिन-भर खेड़ा जिलेमें बिताना चाहता हूँ। अगर सम्भव हुआ तो उस बीचमें स्वदेशीपर भाषण देने कठलाल भी जाना चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो रविवारको मैं नडियादसे अहमदाबादके लिए शामकी गाड़ी पकड़ूँगा और अहमदाबाद पहुँचकर सोमवारका पूरा दिन वहीं बिताऊँगा। फिर लौटती गुजरात मेलसे मैं अहमदाबादसे बम्बईके लिए प्रस्थान करूँगा और इस प्रकार मंगलवारको आठ बजे सुबह बम्बई पहुँच जाऊँगा। अहमदाबादमें मैं अपने मित्रोंसे बातचीत करते हुए दिन बिताना चाहता हूँ और इस बातचीतका विषय यह होगा कि मेरे सविनय अवज्ञा प्रारम्भकर देनेपर शान्ति कैसे कायम रखी जाये। उसी दिन मैं अहमदाबादकी महिलाओंकी एक सभामें स्वदेशी-पर भाषण भी देना चाहता हूँ।

मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहूँगा कि अगर सरकार चाहती हो कि मैं एक अनतिदीर्घ निश्चित अवधिके लिए पुनः सविनय अवज्ञा प्रारम्भ न करूँ तो उसकी इस इच्छाका आदर करना मेरा कर्तव्य होगा, क्योंकि मैं भी इस बातके लिए बहुत चिन्तित हूँ कि मुझे ऐसा कोई भी काम न करना पड़े जिससे सरकारको कोई परेशानी हो। हाँ, सरकारने रौलट विधेयकोंको वापस लेनेसे इनकार करके जो स्थिति उत्पन्न कर दी है, उसके परिणामस्वरूप की जानेवाली सविनय अवज्ञाके कारण उसे जो परेशानी होगी वह तो अनिवार्य है। मैंने सुना है, और जिस सूत्रसे सुना है उसे मैं विश्वसनीय ही मानता हूँ कि भारत-सरकार और भारत-मन्त्री दोनों रौलट विधेयकोंके बारेमें अपने रुखमें परिवर्तन करना चाहते हैं और कोई उपयुक्त समय देकर जल्द ही रौलट अधिनियम वापस लेना चाहते हैं। यह भी सुना है कि उन्होंने उक्त अधिनियमसे सम्बन्धित विधेयक पास करानेका इरादा छोड़ दिया है। अगर मेरी जानकारी सही हो और अगर सरकार वर्तमान स्थितिको देखते हुए, जिस हदतक सम्भव हो, वह इस बातका आश्वासन दे दे कि

१. देखिए “ पत्र : एस० आर० व्हिगनेलको ”, २८-६-१९१९ ।

२. देखिए “ तार : ई० एस० मॉण्टेग्युको ”, २४-६-१९१९ ।



वास्तवमें यदि उसका यही इरादा है तो मैं सविनय अवज्ञा अनिश्चित कालके लिए मुलतवी कर दूंगा। यह आश्वासन प्रकाशनार्थ नहीं होगा।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

सोर्स मेटरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड २, (१८८५-१९२०) पृष्ठ ७९४-५

### ३८३. पत्र : एस० टी० शैपर्डको

[ बम्बई ]

जुलाई २, १९१९

आपने दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नपर जिस तत्परतासे ध्यान दिया और आजके 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में जो शानदार अग्रलेख लिखा उसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बहुत लाभ होगा और भारतमें जनमत तैयार करनेमें बड़ी मदद मिलेगी।

कानून सम्बन्धी पुस्तक<sup>१</sup> मुझे यथासमय मिल गई।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६४८४ बी) की फोटो-नकलसे।

### ३८४. पत्र : सर जहाँगीर पेटिटको

लैबर्नम रोड

[ बम्बई ]

जुलाई २ [ १९१९ ]

मेहरवान भाई जहाँगीरजी,

मैंने आपको जो सन्देश भिजवाया था उसे आपने सौजन्यके साथ सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने दक्षिण आफ्रिकाके विषयमें कुछ भी नहीं किया, इससे मुझे बहुत दुःख हुआ है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के सम्पादकको मैंने चार दिन पहले पत्र लिखा था; उसने तुरन्त साहित्य मँगवाया, उसे पढ़ा और आज एक सुन्दर लेख प्रकाशित कर दिया। कहाँ उसका उत्साह और कहाँ आपकी लापरवाही? आपसे तो मुझे बड़ी आशा

१. ट्रान्सवाल्के कानूनोंकी पुस्तक।



थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अब भी आप इस सम्बन्धमें आलस्य छोड़कर अपना कर्तव्य निभायें।

यह हुई एक बात और यह ठीक ही है। मगर अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मेरी प्रवृत्तियोंके लिए कतिपय मित्र मुझे कुछ पैसा देते रहते हैं और उससे खर्च निभ जाता है। लेकिन आपने अकारण ही इतने दिनों तक श्रीमती पोलकको दी जानेवाली रकम मेरे पास नहीं भेजी, क्या यह आपको अनुचित नहीं लगता?

दक्षिण आफ्रिकासे सम्बन्धित कामोंपर कुछ रकम मैं पहले ही खर्च कर चुका हूँ। आज उन्हें एक लम्बा तार भेजना चाहता हूँ। इसपर जो खर्च आयेगा उसे आपने उठानेके लिए कहा है, लेकिन आपकी लापरवाहीसे मैं घबरा गया हूँ। जिस खर्चकी रकम साम्राज्यीय नागरिक संघ (इम्पीरियल सिटिजनशिप एसोसिएशन) की ओरसे ही मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं दूसरी जगहसे भिक्षा कैसे मागूँ? इसलिए यदि आपको उचित जान पड़े कि एसोसिएशनकी ओरसे पैसा दिया जाना चाहिए, तो इस खर्चके लिए आपको मुझे १,००० रुपया भेजना जरूरी है। मैं इस रकमका हिसाब दूँगा। काफी तार जाने हैं।

आपका,  
मोहनदास गांधी

गुजराती पत्र (एस० एन० ६४८४) की फोटो-नकलसे।

### ३८५. पत्र : अखबारोंको दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नपर<sup>१</sup>

[बम्बई  
जुलाई ३, १९१९]<sup>२</sup>

सेवामें

सम्पादक

‘बॉम्बे क्रॉनिकल’

महोदय,

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ ने यह स्पष्ट करनेमें कि यद्यपि हमारे बीच, यानी अंग्रेजों और भारतीयोंके बीच, बड़े गहरे मतभेद हैं, फिर भी कुछ ऐसी समान बातें भी हैं जिनके सम्बन्धमें दोनों मिल-जुलकर काम कर सकते हैं, मार्गदर्शन किया है। दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंका प्रश्न एक ऐसी ही बात है। हम लाख व्यस्त रहें लेकिन हमें इस प्रश्नको कभी भूलना नहीं चाहिए, भूलनेकी हिम्मत ही नहीं कर सकते।

१. यह ४-७-१९१९के न्यू इंडिया, ५-७-१९१९के यंग इंडिया और ७-७-१९१९के हिन्दूमें भी प्रकाशित हुआ था।

२. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाने इसे ३ जुलाईको बम्बईसे प्रकाशनार्थ जारी किया था।



जब बीकानेरके महाराजा डोमिनियनोंके राजनयिकोंसे अनुरोध और आशा कर रहे थे कि उपनिवेशोंमें बसे भारतीयोंके साथ उचित और उदार व्यवहार किया जायेगा, ठीक उसी समय दक्षिण आफ्रिकाके अधिकारीगण १९१४ के समझौतेको, जिसमें अगर स्वयं भारत सरकार शामिल नहीं थी तो उसकी साक्षी तो थी ही, तोड़कर ट्रान्सवालके भारतीयोंको उनके निहित अधिकारोंसे वंचित करनेकी योजना तैयार कर रहे थे।

अब जिस विधेयककी अखबारोंमें चर्चा हो रही है और जो ताजे समाचारोंके अनुसार समिति-स्तरको पार कर चुका है, वह ट्रान्सवालके उन भारतीयोंको, जो अबतक कानूनी तौरपर अचल सम्पत्तिपर स्वामित्व कायम रखनेमें सफल हुए हैं, इस अधिकारसे उसी प्रकार वंचित करता है जिस प्रकार कम्पनियोंके साझेदारों और रेहनदारोंको। इसके अतिरिक्त यह विधेयक उनसे ट्रान्सवाल-भरमें नये व्यापारिक परवाने प्राप्त करनेका अधिकार भी छीन लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अब भारतीय बाशिन्दोंको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती तो उनकी योग्यता चाहे जो हो, वे घरेलू नौकर बनकर रह जायेंगे। प्रवासपर कड़ेसे-कड़े प्रतिबन्ध लगाकर नये लोगोंका आना लगभग बन्द कर देना ही काफी बुरा था; लेकिन जिन प्रवासियोंकी कानूनी स्थिति यहाँ स्वीकार कर ली गई है, उन्हें और उनकी सन्तानोंको व्यापार-धंधे और जायदाद सम्बन्धी अधिकारोंसे वंचित करके तो स्थिति असह्य ही बना दी गई है।

मेरी नम्र सम्मतिमें भारतीयों और भारतमें रहनेवाले अंग्रेजोंका कर्त्तव्य स्पष्ट है। हम इतना प्रबल लोकमत तैयार कर सकते हैं कि मारे शर्मके दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंको सही आचरण करनेपर मजबूर हो जाना पड़े। भारत-सरकार ट्रान्सवालमें बसे भारतीयोंके न्यासीके रूपमें उन्हें आसन्न विनाशसे बचानेके लिए जो प्रयत्न करेगी, इसमें हम भी अपना सम्मिलित विरोध प्रकट करके उसके हाथ मजबूत कर सकते हैं।

आपका,

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ४-७-१९१९

३८६. पत्र : सर जॉर्ज बार्न्जको

लैबर्नम रोड

बम्बई

जुलाई ३, १९१९

प्रिय सर जॉर्ज बार्न्ज,

कुछ महीने पहले आपने मुझे यह लिखनेकी कृपा की थी कि आप दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें पता लगा रहे हैं। तबसे वह बदसे बदतर होती गई है। संलग्न कतरनोंसे आप इसका अनुमान लगा सकेंगे। यदि संलग्न कतरनोंमें

१. वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्के सदस्य, जो उद्योग और वाणिज्य विभागके लिए जिम्मेदार थे।



उल्लिखित विधेयक कानून बन जाता है तो संक्षेपमें, स्थिति यह होगी कि भारतीय ट्रान्सवालमें व्यापार नहीं कर सकेंगे और न अचल सम्पत्ति ही रख सकेंगे। हालांकि अबतक वे कानूनन इन दोनों अधिकारोंका उपभोग करते रहे हैं। यह १९१४ के समझौतेका स्पष्ट और प्रत्यक्ष उल्लंघन है— उस समझौतेका उल्लंघन जिसमें भारत-सरकार यदि एक पक्ष नहीं तो साक्षी तो थी ही। हमारी सरकार उसमें एक पक्ष हो या न हो, लेकिन क्या वह एक क्षणको भी यह बरदाश्त कर सकती है कि भारतीयोंके राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि आर्थिक और भौतिक अधिकार उनसे छीन लिये जायें? प्रवासको रोक देना या उसपर प्रतिबन्ध लगाना एक बात है और जिन प्रवासियोंको कानूनी तौरपर यहाँ स्वीकार कर लिया गया है उन्हें ईमानदारी और सम्मानसे जीविका कमानेके अधिकारसे वंचित कर देना दूसरी। मैं जानता हूँ कि आप इस दिशामें प्रयत्न करेंगे और जल्दी करेंगे। हो सकता है, अबतक विधेयक सभी स्थितियोंसे गुजर भी चुका हो। मुझे भरोसा है कि आप तार करेंगे और पता लगायेंगे।

आशा है, स्थान-परिवर्तनसे आपको लाभ हुआ होगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६४८४ बी) की फोटो-नकलसे।

### ३८७. पत्र : आर० बी० यूबैंकको

बम्बई

जुलाई ३, १९१९

प्रिय श्री यूबैंक,<sup>१</sup>

बहुत दिनोंसे आपको लिखनेकी सोच रहा हूँ, लेकिन बीच-बीचमें कुछ-न-कुछ ऐसा होता रहा कि लिख न सका।

स्वदेशीके सम्बन्धमें इस प्रान्तमें जो प्रचार चल रहा है, उसको आप शायद ध्यानसे देखते रहे होंगे। साथमें स्वदेशीके नियम और प्रतिज्ञाएँ भेज रहा हूँ। क्या आप इस आन्दोलनमें दिलचस्पी ले सकेंगे?

इस देशमें किसी उपयोगी कार्यके अभावमें कृषक-वर्गके लोग लगभग आधे बरस बेकार ही रह जाते हैं; इसके अलावा ऐसे हजारों लाखों स्त्री-पुरुष हैं जिनके पास काफी समय है, लेकिन जो लाभदायक और इज्जतका कोई काम न करना चाहते हैं और न करेंगे। मेरी इच्छा इन लोगोंके बीच हाथसे कातने और बुननेके कामका प्रचार करनेकी है। अगर आपको यह विचार पसन्द हो और आपका सहयोग मिल

१. बम्बईकी सहकारी समितियोंके पंजीयक।



सके तो आन्दोलनको बड़ा बल मिलेगा। यदि आप आन्दोलनमें शामिल हो सकें तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कार्यके इसी पहलूमें मदद दें। इस कामका राजनीतिसे कुछ लेना-देना नहीं है, और अगर आप इन प्रतिज्ञाओंमें से कोई प्रतिज्ञा लें, अथवा ऐसा नहीं करनेपर इसके सहयोगी ही बन जायें तो इसको मैं बहुत बड़ी चीज मानूंगा। साथमें आपके देखनेके लिए सर स्टैनली रीडका<sup>१</sup> एक पत्र भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६७१७) की फोटो-नकलसे।

### ३८८. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको<sup>१</sup>

जुलाई ३, १९१९

कालीनाथ रायके प्रश्नके साथ आपको दक्षिण आफ्रिकाका प्रश्न अवश्य जोड़ देना चाहिए और श्री नटेसन, दीवान बहादुर तथा भिन्न-भिन्न संस्थाओंके प्रतिनिधियोंको आपको पुनः इकट्ठा करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि हमें सत्याग्रहके कार्यक्षेत्रका विस्तार करना होगा और उसमें जीवनके सभी क्षेत्रों और अन्य सभी प्रश्नोंका समावेश करना होगा। [सत्याग्रह] सभाका विधान बदलने और उसे स्थायी संस्था बनानेकी बात मैं गम्भीरतापूर्वक सोच रहा हूँ। [अभी तो] सारी चीज बहुत अस्पष्ट है। दक्षिण आफ्रिकाके प्रश्नके कारण हमारा ध्यान अपने आन्दोलनके इस पहलूकी तरफ बरबस आकृष्ट हुआ है। हम किसी दलसे बँधे नहीं हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जहाँ-जहाँ सम्भव हो, और जिन प्रश्नोंके बारेमें मतभेद न हो अथवा उत्पन्न न हो सकता हो, वहाँ-वहाँ सब दलों अथवा संस्थाओंको एक ही मंचपर लायें।

दक्षिण आफ्रिकाके प्रश्नपर अखबारोंको मैंने जो पत्र लिखा है, उसे आप देखेंगे ही। हमें सभाएँ करनी चाहिए और सरकारसे अपना कर्तव्य-पालन करनेका आग्रह करनेवाले प्रस्ताव पास करने चाहिए। भारत-मन्त्रीके नाम भी तार देने चाहिए। आप देखेंगे कि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' हमारी तरफ आ गया है। इस विषयमें आपको उधरके अंग्रेजोंको अपने पक्षमें करनेकी कोशिश करनी चाहिए। मैं रौलट कानूनके बारेमें अब भी वाइसरायके साथ पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ; इसी कारण सविनय अवज्ञा शुरू करनेमें विलम्ब हुआ है। पंजाब जानेके लिए प्रयत्न करनेका मेरा विचार नहीं है, किसी अन्य स्थानसे बम्बई प्रान्तकी हद पार करूँगा। पंजाबके मामलेमें [सरकारको] औपचारिक रूपसे मुकदमा चलानेकी चुनौती देना मुझे उचित नहीं

१. देखिए परिशिष्ट ४।

२. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (जन्म १८७९- ), प्राक्-स्वातन्त्र्य युगमें कांग्रेसके वरिष्ठ नेताओंमें से एक; गांधीजीके सहयोगी; भारतके प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल।



लगता। यदि मेरी स्थितिके बारेमें [ किसीको ] कोई सन्देह होता तो ऐसा करना उचित भी था। कहनेका अभिप्राय यह है कि इस किस्मकी कोई चुनौती देना नाटकीय प्रतीत होगा और ऐसा नाटकीय प्रदर्शन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे षड्यंत्री बताते हुए भी स्वतन्त्र रहने देकर, पंजाब सरकारने काफी मूर्खता प्रकट की है। अब अगर उससे मैं, यह जानते हुए कि वह न तो मुझपर मुकदमा चलाना चाहती है और न ऐसा करनेकी उसकी हिम्मत ही है, यह कहनेकी मूर्खता करूँ कि 'तुम मुझपर मुकदमा क्यों नहीं चलाते', तो मैं अपने हाथों ही यह सारा असर धो बहाऊँगा। मेरी दलील आपकी समझमें आ रही है न? मैं आपके दिलमें यह पैठा देना चाहना हूँ कि आपका सुझाव स्वीकार करना सही न होगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गां०

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।  
सौजन्य : नारायण देसाई

### ३८९. पत्र : छगनलाल गांधीको

बृहस्पतिवार, आपाढ़ १९७५ [ जुलाई ३, १९१९ ]<sup>१</sup>

चि० छगनलाल,

मैं यह कहना भूल गया था कि बगासरासे जो आदमी आया है उससे सिर्फ पढ़ानेका काम ही नहीं, बुननेका काम भी लेना।

भाई शंकरलालकी बराबर देखभाल करना। उन्हें कामके बारेमें सब जानकारी दे देना। मैंने बासे कहा है कि खाने-पीनेमें उन्हें हरी शाक-सब्जी आदि मिलती रहनी चाहिए।

भाई किशोरलालसे कहना कि मैंने उनके पास आज सुरेन्द्रके लिए एक रोटी भेजी है। बालुभाई शायद तुरन्त न भेज सकें, यह मानकर आज एक भिजवाई है। जरूरत हुई तो फिर भी भेज सकूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (एस० एन० ६७१६) की फोटो-नकलसे।

१. पहले वाक्यसे यह प्रतीत होता है कि गांधीजीने यह पत्र अहमदाबादसे रवाना होनेके तुरन्त बाद लिखा था। वे ३० जूनको रवाना हुए थे। ३ जुलाई बृहस्पतिवारको पढ़ी थी।



## ३९०. भाषण : बम्बईमें स्वदेशीपर<sup>१</sup>

जुलाई ४, १९१९

श्री जराजाणीने हमारे सम्मुख भाषण करके हमें बताया है कि भारत ऐसा देश नहीं है जो कारीगरी और उद्योगमें पिछड़ा हुआ हो। उन्होंने तथा भाई नारणदासने स्वदेशी-भण्डार खोलकर बहुत अच्छा काम किया है। अब मुझे हरएक सभामें यह पूछना पड़ेगा कि कितने लोगोंने [स्वदेशीके तीन व्रतोंमें से] एक तरहका भी स्वदेशी-व्रत लिया है। तीसरे प्रकारका व्रत इतना सरल है कि उसे व्रतोंमें शामिल करते हुए मुझे शर्म आई थी; कारण, जिसमें कष्ट न सहना पड़ता हो उसे व्रत कह ही नहीं सकते। तो फिर ऐसा सरल व्रत भी आजतक बहुत सारे लोगोंने क्यों नहीं लिया, यह मैं नहीं समझ सकता। बम्बईमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने तीनों व्रतोंमें से एक भी व्रत न लिया हो। यदि जनताका अधिकांश व्रतधारी हो जाये तो उसमें से कुछके मनमें यह विचार उठेगा कि हम यह माल कैसे प्राप्त कर सकेंगे तथा इसके फलस्वरूप या तो वे स्वयं उद्यम करेंगे अथवा दूसरोंसे करवानेका प्रयत्न करेंगे। इसलिए जिन भाइयोंने व्रत न लिया हो वे कल स्वदेशी-सभाके कार्यालयमें जाकर ये व्रत ले लें। लेकिन व्रत लेनेवालेको मनसे यह निश्चय करना चाहिए कि मैं स्वयं सूत कात लूंगा अथवा कतवा लूंगा, बुन लूंगा अथवा किसीसे बुनवा लूंगा। यदि ऐसी भावना उसके मनमें न हो तो व्रत लेना बेकार है। श्रीमन्तोंको यह नहीं सोचना चाहिए कि वे पैसा देकर अपनी जरूरतका कपड़ा बना-बनाया खरीद लेंगे। बल्कि ऊपर बताई हुई भावना तो उन्हें भी रखनी है। यदि हम आलस्यमें डूबे रहेंगे तो हमारा देश और भी कंगाल होता चला जायेगा। अन्तमें इतना ही कहूंगा कि आपको जैसे बने वैसे और अपनी सामर्थ्यके अनुसार जल्दी ही स्वदेशीका व्रत लेना चाहिए और उसका दृढ़तासे पालन करना चाहिए। समझे बिना कोई व्रत लेना और फिर उसका पालन न कर सकना—इससे तो अच्छा है कि व्रत लिया ही न जाये।

[ गुजरातीसे ]

गुजरात मित्र अने गुजरात दर्पण, १३-७-१९१९

१. यह सभा, स्वदेशी-सभाके तत्वावधानमें आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता गांधीजीने की थी।



## ३९१. स्मट्स-गांधी समझौता

जबतक मुझे 'यंग इंडिया' सिंडीकेटकी ओरसे इस पत्रकी सामग्री और नीतिकी देख-रेख करनेकी अनुमति मिली हुई है तबतक मैं इसके माध्यमसे देशके सामने एक ऐसे कार्यकी योजना प्रस्तुत करते रहना चाहता हूँ जिसे मैं बुनियादी महत्वकी चीज मानता हूँ और जिसका मुझे विशेष ज्ञान भी है। साथ ही मैं इस पत्रके स्तम्भोंका उपयोग, जहाँ-कहीं आवश्यक होगा, सरकारकी कार्रवाइयोंकी आलोचना करनेके लिए भी करता रहूँगा। यह आलोचना अक्सर लाभदायक ही हुआ करेगी; लेकिन कभी-कभी, जब सरकार कोई ऐसा काम करना चाहेगी जो वास्तवमें देशके लिए आम तौरपर अहितकर होगा, तो यह उसके मार्गमें अस्थायी तौरपर बाधाएँ भी पहुँचायेगा।

मुझे भरोसा है कि 'यंग इंडिया' के पाठक अगर अभी कुछ समयके लिए इसके पृष्ठोंको दक्षिण आफ्रिकामें बसे अपने देशभाइयोंकी स्थितिके उल्लेखोंसे भरा देखें तो वे इस पर नाराज नहीं होंगे। इसके स्तम्भोंमें ऐसी सामग्री जिसका न लेखकोंको और न मुझे ही कोई विशेष ज्ञान हो, या जिसमें न उनकी विशेष अभिरुचि हो और न मेरी, देनेसे कुछ उपयोगी, प्रामाणिक और जिसपर तत्काल ध्यान देनेकी आवश्यकता हो, ऐसी ही चीजोंका दिया जाना अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं कि पत्रको इस प्रकार चलानेका विचार सामने रखकर मैं अन्य लोगोंकी तुलनामें अपने-आपको कुछ श्रेष्ठ मान रहा हूँ। मैं तो अभी इतना ही बता रहा हूँ कि कुछ कालके लिए इस पत्रका उद्देश्य क्या रहेगा। लेकिन मैं यह अवश्य मानता हूँ कि किसी भी सुसंचालित पत्रमें गैर-जिम्मेदार और गलत सूचनाओंपर आधारित आलोचना नहीं होनी चाहिए, और न उसमें ऐसी बातोंको ही उठाना चाहिए जिसके सम्बन्धमें उसके संचालकोंको कोई पर्याप्त जानकारी न हो।

दक्षिण आफ्रिकामें हमारे देशभाइयोंकी स्थितिका यह सवाल कोई कम महत्वकी चीज नहीं है। हममें स्वशासनकी कितनी क्षमता है, इसका सही मापदण्ड यही है कि हम अपने दलितसे-दलित भाइयोंके लिए कितनी सहानुभूतिका अनुभव करते हैं। यह उद्देश्य उचित है और इस मामलेमें जो अन्याय किया जा रहा है, वह भी स्पष्ट है; इसलिए जब हमें यह मालूम हो कि यह उद्देश्य दीनों और असहायोंका उद्देश्य है तो हमें इसके लिए काम करनेको और अधिक तत्पर रहना चाहिए। ध्यान अन्यायके गुरुत्वकी ओर देना है, न कि लोगोंके उच्च अथवा निम्न स्थानकी ओर। उपर्युक्त कसौटीके अनुसार दक्षिण आफ्रिकामें हमारे देशभाइयोंकी स्थितिके इस सवालपर सुधारोंके उस सवालसे भी ज्यादा जल्दी ध्यान देनेकी जरूरत है, जिसकी ओर आज सभीकी दृष्टि लगी हुई है। इस प्रश्नके हलके लिए सारे सुधारोंको लागू कर देने तक नहीं रुका जा सकता। इसका हल या तो अभी निकालना होगा; या फिर वह कभी नहीं निकाला जा सकेगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि भारतमें फिरसे वही



आन्दोलन चलाया जायेगा जिसे १९१३ में स्वर्गीय श्री गोखलेने प्रारम्भ किया था और जिसकी निष्पत्ति १९१४ के समझौतेके रूपमें हुई थी।

तो फिर, यह स्मट्स-गांधी समझौता क्या चीज है? यह बात कुछ अजीब-सी तो लगेगी लेकिन है सत्य कि ट्रान्सवालके भारतीयोंकी स्थितिमें जब कभी कोई सुधार किया गया है, आगे चलकर उनके विरोधियोंने अकसर सफलतापूर्वक उसका उपयोग उन्हें कुछ और अधिकारोंसे वंचित कर देनेके लिए किया है। अतः भारतीय प्रवासी अपनी स्वतन्त्रतापर इन विरोधियों द्वारा हाथ डालनेका बराबर विरोध करते रहे हैं। इस प्रकार उनकी उन्नति निषेधात्मक ढंगकी ही रही है। यह समझौता ३० जून, १९१४ के दो पत्रोंमें दिया गया है। इनमें से एक जनरल स्मट्सने मुझे लिखा और दूसरा उसके उत्तरमें मैंने लिखा। एक दूसरा पत्र भी है, जो मैंने तत्कालीन गृह-सचिव श्री जॉर्जको लिखा था, और जिसमें मैंने “निहित स्वार्थों” शब्द-समुच्चयकी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की थी। अगर कोई चाहे तो स्वयं ही देख सकता है कि ३० जूनका पत्र मैंने समाजके प्रतिनिधिकी हैसियतसे लिखा था और ७ जुलाईका पत्र निजी तौरपर। इस दूसरे पत्रमें मैंने यह दिखाया था कि स्वर्ण-कानून और बस्ती-संशोधन अधिनियमके सन्दर्भमें मैं “निहित स्वार्थों” का क्या अर्थ लगाता हूँ। हम इस पत्र-व्यवहारको अन्यत्र छाप रहे हैं और जिन पाठकोंको उत्सुकता हो वे उसे स्वयं देख सकते हैं। उसे समझनेमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रातिनिधिक तौरपर लिखे गये पत्रमें मैं निहित स्वार्थोंकी परिभाषाको शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई परिभाषा देनेसे मेरे देशभाइयों द्वारा आगे कोई कार्रवाई करनेपर प्रतिबन्ध लग सकता है; किन्तु मेरे पत्रका उपयोग हमारे अधिकारोंको कम करनेके लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने जो परिभाषा दी, उससे वैसे भी मौजूदा अधिकारोंमें कोई कमी नहीं आती। सन् १९१४ में और उससे पहले भी मेरे ७ जुलाई, १९१४ के पत्रमें उल्लिखित दोनों कानूनोंकी ऐसी व्याख्या करनेका प्रयत्न किया जा रहा था जिससे स्वर्ण-क्षेत्रमें रहनेवाले भारतीयोंके अधिकारोंपर बुरा असर पड़े। इसलिए मैंने कहा कि समझौतेकी शर्तोंकी यह अपेक्षा है कि इन दोनों कानूनोंकी रचनाके समय भारतीय जिन अधिकारोंका उपभोग कर रहे थे वे उनसे छीने नहीं जा सकते, भले ही इन दोनों कानूनोंकी व्याख्या हमारे देशभाइयोंके विरुद्ध ही क्यों न जाय। अपने कथनके समर्थनमें मैंने स्वयं श्री जॉर्ज डी'विलियर्स उस वक्तव्यका हवाला दिया, जिसे उन्होंने साम्राज्य-सरकारके लिए तैयार किया था। इसलिए अगर मेरा यह पत्र समझौतेका हिस्सा माना जाये तो इसका एकमात्र उपयोग भारतीयोंकी स्वतन्त्रताको कानूनी तौरपर छीने जानेसे रोकना ही हो सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं। कोई कानूनी प्रतिबन्ध लगानेके लिए तो इस पत्रका उपयोग विधान सभाकी समिति भी नहीं कर सकी, हालाँकि इस समय किया ऐसा ही जा रहा है। श्री डंकनने इसकी जो व्याख्या की है उसे देना ऊपरकी बातको दुहराना ही होगा।



उन्हें गांधी-स्मट्स समझौतेमें ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दी कि आजकी तारीखसे किसी भी भारतीयको कोई नया व्यापारिक परवाना न दिया जाये। यह समझौता रक्षणात्मक ढंगका था जिसके अन्तर्गत यह वचन दिया गया कि कानूनपर अमल करते समय निहित स्वार्थोंका उचित ध्यान रखा जायेगा और स्वर्ण-कानूनका प्रयोग भारतीय समाजके विरुद्ध नहीं किया जायेगा।

मेरे पत्र या समस्त समझौतेका चाहे जो भी अर्थ लगाया जाये, भारतके सामने — भारत सरकार और भारतीय जनताके सामने — आज एक ही सवाल है,; वह यह कि “क्या ट्रान्सवालके भारतीयोंको, जिन्होंने साम्राज्यकी सेवा उतनी ही वफादारीसे की है जितनी वफादारीसे दक्षिण आफ्रिकामें बसे अन्य लोगोंने, वहाँ रहने, स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने और अचल सम्पत्ति रखनेके इतने अधिकारसे भी वंचित कर दिया जायेगा जितने का कि वे आजतक उपभोग करते रहे हैं?” भारत सरकार और भारतीय जनता इसका केवल एक ही उत्तर दे सकती है, और मुझे आशा है कि इस सप्ताहकी समाप्तिके पूर्व ही भारत अपने सपूतोंके नाम, जो अत्यन्त विपरीत परिस्थितियोंमें जूझ रहे हैं, आशाका सन्देश भेजेगा।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, ५-७-१९१९

### ३९२. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको

लैबर्नम रोड

[ बम्बई ]

जुलाई ५, १९१९

प्रिय श्री ग्रिफिथ,

आपका पत्र अभी-अभी मिला तदर्थ धन्यवाद। आपने क्रिररका सन्देश सूचित करते हुए जो पत्र भेजा था वह कल ही मिल गया था, और आपको उसकी प्राप्ति सूचित करनेके लिए लिखने ही जा रहा था कि यह दूसरा पत्र मिला। यह मानते हुए कि गाड़ी समयपर पहुँचेगी, मैं मंगलवारको १२ बजेके बाद जितनी जल्दी हो सकेगा, आपके पास पहुँच जाऊँगा। तभी परमश्रेष्ठसे मिलनेका समय आसानीसे निश्चित किया जा सकेगा। वैसे यह कह दूँ कि अगर परमश्रेष्ठको एक दिन बाद मिलना अधिक सुविधाजनक हो तो इतनी देरीके कारण मेरे लिए कोई खास फर्क नहीं होगा।

खान साहबको आपने ऐसी मुस्तैदीसे मेरे पास भेज दिया इसके लिए धन्यवाद। उन्होंने मुझे बहुत आशा दिलाई है और अगर यह आशा फलीभूत हुई, और आप अन्यथा न मानें तो बेचारी फातिमाको छोड़ दें, विशेषकर तब जब कि यह सुखद

१. ८ जुलाई।



बात ऐसे समयमें हो जिस समयमें भारत रक्षा कानूनके अन्तर्गत किसी जगह जेलमें बन्द होऊँ।

हृदयसे आपका,

(अंग्रेजीसे एस० एन० ६७२५) की फोटो-नकलसे।

### ३९३. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको

जुलाई ५, [१९१९]

प्रिय हेनरी,

तुम्हारा गोपनीय पत्र मिला। कहना पड़ेगा कि मुझे यह अच्छा नहीं लगा। इस बातको पूरी तरह जानते हुए कि प्रशासनिक कार्रवाई करके सभी व्यापारिक परवाने छीन लिये जायेंगे, हम सिर्फ औपचारिक ढंगकी कानूनी समानता स्वीकार नहीं कर सकते। व्यापार और अचल सम्पत्तिके प्रश्नपर हमें बहुत सख्त रुख अपनाना चाहिए। कमसे-कम मौजूदा कानून और वर्तमान चलन और जहाँतक यह चलन हमारे पक्षमें है, उसे किसी भी तरह बरकरार रखा जाना चाहिए, और जहाँ वर्तमान चलनपर मौजूदा कानूनका असर हमारे हकमें नुकसानदेह होता हो — जैसा कि दादा [उस्मान] के मामलेमें है — वहाँ कानूनमें वर्तमान चलनके अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। मैं यहाँ इसी दिशामें काम करनेका प्रयास कर रहा हूँ।

‘यंग इंडिया’ देखनेसे तुम्हें मालूम हो जायेगा कि क्या-कुछ किया जा रहा है। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के श्री शेपर्डने भी इस मामलेमें हमारे पक्षमें लिखा है।

और जहाँतक सविनय अवज्ञाकी बात है, मैं तुमसे कुछ खबर पानेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ : वाइसरायको लिखे अपने पत्रके उत्तरकी भी प्रतीक्षा है। मणिलाल व्यासको ब्रिटिश भारतसे निकल जानेका जो आदेश दिया गया है, तुमने ‘यंग इंडिया’ में उसके बारेमें उनका प्रार्थनापत्र देखा होगा। पिछले फरवरी माहके मध्यमें मैंने श्री जहाँगीर पेटिटको दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नपर विचार करनेके लिए लिखा था। उसीसे प्रेरित होकर आज वे साम्राज्यीय नागरिकता संघकी समितिकी एक बैठक कर रहे हैं। इस सम्बन्धमें तुम्हारा क्या विचार है?

कृपया संलग्न कागजोंको, उनपर दिये गये अलग-अलग पतोंपर भेज दें।

अंग्रेजी (एस० एन० ६४८४ बी) की फोटो-नकलसे।



## ३९४. सत्याग्रहियोंका कर्तव्य

नडियाद

जुलाई ६, १९१९

ऊपर दिया गया शीर्षक स्वयं श्री गांधीने पिछले रविवारको नडियादमें आयोजित एक सभामें किये गये अपने भाषणके लिए चुना था। सभाकी अध्यक्षता नडियाद नगर-पालिकाके अध्यक्ष गोकुलदास डी० तलाटीने की। कोई दो-तीन हजार लोग इकट्ठे हुए थे। श्री गांधीके भाषणका सारांश नीचे दिया जा रहा है, जिसे उन्होंने खुद ही संशोधित किया है :

श्री गांधीने कहा कि आम तौरसे सारे खेड़ा जिलेके लोगोंपर और खास तौरसे नडियादके लोगोंपर मेरा कुछ विशेष अधिकार है। मैं आप लोगोंके बीच बहुत अधिक दिनोंतक रह चुका हूँ और आपके स्नेह और कृपाके रससे शराबोर रहा हूँ। मैंने अपने सबसे बड़े प्रयोग खेड़ामें ही किये। अमन और कानूनको पसन्द करनेवाले लोगोंके लिए लगान देना बन्द कर देना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने आपको वैसा करनेकी सलाह देकर अपने सिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन प्रयोगके व्यावहारिक रूपको देखनेपर, सबने देख लिया कि वैसी सलाह देना गलत नहीं था। सम्बन्धित अधिकारियोंने भी यह स्वीकार किया कि आप लोगोंने अपनी शिकायतोंको अत्यन्त शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित और शोभनीय ढंगसे सामने रखा। सविनय अवज्ञाकी इसी उदाहरणीय और सफल पद्धतिसे प्रेरित होकर मैं पिछले अप्रैल माहमें कुछ भ्रममें पड़ गया। और फिर बादमें, उस समय मैंने उस भूलको विध्याचल के आकारकी तरह बड़ी भूल माना; किन्तु आज अधिक अनुभव होनेके बाद मैं उसे हिमालयके समान विशाल एक भयंकर भूल मानने लगा हूँ। फिर भी खेड़ाके लोगोंसे मेरी अपेक्षाका आधार सिर्फ लगान-सम्बन्धी लड़ाई ही नहीं, बल्कि फौजी भरतीका अभियान भी है।

श्री गांधीने आगे कहा :

पहला संघर्ष तो लोगोंकी पसन्दका था; किन्तु दीर्घकालसे शस्त्रास्त्र चलानेका कोई प्रशिक्षण न मिलने और सरकारके प्रति वास्तविक सद्भाव न होनेके कारण आपके मनमें फौजमें भरती होनेके लिए कोई आकर्षण या रुचि नहीं थी। फिर भी, मैं मानता हूँ कि आप लोग बड़े ही शानदार ढंगसे आगे आये, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर युद्ध और अधिक दिनोंतक चलता तो खेड़ाने स्वेच्छासे मध्यम-वर्गके लोगोंमें से १,००० जवान दे दिये होते। अतः मैंने आशा की थी, और आज भी यही आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय पुनरुत्थानमें खेड़ा कोई मामूली भूमिका नहीं निभायेगा और मातृभूमिकी मैं जो सेवा करूँगा वह आप लोगों या अगर अधिक ठीक कहूँ तो गुजरातके लोगोंके माध्यमसे ही करूँगा। और इसी खयालसे कि मुझे शायद जल्दी ही सविनय अवज्ञा शुरू



करनी पड़े मैंने आज आपके सामने सत्याग्रहियोंके कर्तव्यपर बोलना तय किया है। सत्याग्रहके अर्थको ठीकसे ग्रहण किये बिना इस कर्तव्यको समझना असम्भव ही है। इसकी परिभाषा तो मैं पहले ही कर चुका हूँ लेकिन कभी-कभी सिर्फ परिभाषासे सही अर्थका बोध नहीं हो पाता। दुर्भाग्यवश, आम लोग सत्याग्रहका सीधा-सादा अर्थ सविनय अवज्ञा ही करते हैं। कुछ लोग इसका अर्थ अविनयपूर्ण अवज्ञा भी न लगा लेते हों, तो इसे गनीमत समझिए। जैसा कि आप जानते हैं, यह दूसरे ढंगकी अवज्ञा सत्याग्रहसे ठीक उलटी चीज है। सविनय अवज्ञा, निस्सन्देह सत्याग्रहकी एक महत्त्वपूर्ण शाखा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर हालतमें यह सत्याग्रहका मुख्य अंग ही हुआ करती है। उदाहरणके लिए, आज रौलट विधेयकोंके सवालपर सविनय अवज्ञाका महत्त्व गौण हो गया है। चूँकि राजनीतिक क्षेत्रमें बड़े पैमानेपर सत्याग्रहका प्रयोग पहले-पहल किया जा रहा है, इसलिए इसे एक परीक्षात्मक स्थिति ही कहेंगे। और इसलिए इस परीक्षणमें मुझे बराबर नये-नये अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। मैंने लोगोंपर सविनय अवज्ञाको एकाएक हावी कर देनेकी कोशिश करके जो भूल की वह मुझे हिमालय-जैसी विशाल इसीलिए लगी कि मैंने देखा कि सविनय अवज्ञा करनेका सामर्थ्य और अधिकार केवल उसी व्यक्तिको है जिसने यह सीखा हो कि जिस राज्यमें वह रहता है उसके कानूनोंका स्वेच्छासे और जानबूझकर कैसे पालन किया जाये। ऐसे कानूनोंका स्वेच्छासे हजार बार पालन कर लेनेपर ही चन्द कानूनोंकी सविनय अवज्ञा करनेका योग्य अवसर आ सकता है। स्वेच्छासे किसी कानूनके पालनके लिए यह भी जरूरी नहीं है कि वह कानून अच्छा ही हो। ऐसे बहुतसे अन्यायपूर्ण कानून हैं, जिनका अच्छे नागरिक पालन करते हैं, बशर्ते ये कानून उनके आत्म-सम्मान या उनकी नैतिकताको ठेस न पहुँचाते हों। और जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवनपर दृष्टिपात करता हूँ तो मुझे ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जब मैंने किसी कानूनका, चाहे वह समाजका हो या राज्यका, सजाके भयके कारण पालन किया हो। मैंने समाज और राज्य दोनोंके बुरे कानूनोंका पालन किया है और सिर्फ इसी भावनासे कि यह बात, मैं जिस राज्य या समाजमें रहता हूँ, उसके और मेरे दोनोंके लिए हितकर है। मुझे लगता है कि नियमित और अनुशासित ढंगसे वर्षोत्क ऐसा करनेके बाद मेरे लिए समाजका कानून तोड़नेकी घड़ी १८८८ में इंग्लैंड जानेके रूपमें आई; और राज्यका कानून तोड़नेका अवसर दक्षिण आफ्रिकामें ट्रान्सवाल सरकार द्वारा एशियाई पंजीयन अधिनियम पास किये जानेपर आया। इसलिए मैं इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि यदि सविनय अवज्ञा पुनः प्रारम्भ करनी है तो पहले केवल मैं ही ऐसा करूँगा, क्योंकि मैं इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूँ। और फिलहाल साथी सत्याग्रहियोंका काम है कि वे, मैंने अभी सविनय अवज्ञाके जिस प्रथम अपरिहार्य तत्त्वका उल्लेख किया है, उस तत्त्वको ग्रहण करें। मैंने जो हिदायतें तैयार की हैं, उनमें सुझाया है कि मेरे जेल चले जानेके बाद कमसे-कम एक महीने तक कोई भी सविनय अवज्ञा न करे। और उसके बाद भी एक-दो चुने हुए सत्याग्रही — उसी अर्थमें जो मैंने ऊपर बताया है — ही सविनय अवज्ञा करें और सो भी तभी जब यह देख लिया गया हो कि मेरे जेल जानेके बाद जिन्हें हम सत्याग्रही कहते हैं उन्होंने या उनके साथ काम करनेवाले लोगोंने कोई हिंसात्मक कार्य नहीं किया



है इसके बाद शेष सत्याग्रहियोंका कर्तव्य स्वयं पूर्ण शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना और ऐसा प्रयत्न करना होगा जिससे दूसरे भी वही रास्ता अपनायें। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मैं सविनय अवज्ञा करूँ तो उसके बाद कोई हड़ताल या सार्वजनिक सभा न की जाये, और न कोई ऐसा प्रदर्शन ही किया जाये जिससे उत्तेजना फैले। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेरे जेल जानेके बाद पूर्ण शान्ति रखी गई तो केवल इसी एक बातके बलपर रौलट विधेयक-मात्र समाप्त हो जायेंगे। लेकिन, सम्भव है कि सरकार अपनी जिदपर अड़ी रहे। उस हालतमें, सत्याग्रहियोंको, मैं जो शर्तें बता चुका हूँ, उनके अनुसार सविनय अवज्ञा करनेकी पूरी स्वतंत्रता होगी; और वे तबतक ऐसा करते रह सकेंगे जबतक एक-एक सत्याग्रही अपना खरापन सिद्ध नहीं कर देता।

इस बीच जो थोड़ा-बहुत समय गुजरेगा उसके लिए मैंने हिदायतोंमें कुछ रचनात्मक कार्योंकी योजना रखी है। इस सम्बन्धमें मैंने जो एक बात सुझाई है, वह है स्वदेशीका आन्दोलन — बिलकुल धार्मिक और सच्ची भावनासे भरी हुई स्वदेशी, जिसमें बहिष्कारके विचारका लेश भी न हो; ऐसी स्वदेशी जिसमें वाइसरायसे लेकर तुच्छसे-तुच्छ रैंयत-तक भाग ले सके। अगर कमसे-कम आँका जाये तो भारतकी आबादीका ८० प्रतिशत हिस्सा कृषक है। इस हिसाबसे किसानोंकी संख्या २४ करोड़ आती है। यह सर्व-विदित है कि आधे वर्षतक आबादीका यह हिस्सा लगभग बेकार ही रहता है या बहुत सँभालकर कहें तो कह सकते हैं कि इसके पास ऐसा बहुतसा समय बच रहता है, जिसका उपयोग ये किन्हीं उपयोगी कार्योंमें कर सकते हैं। अगर इस आबादीके लिए कोई अच्छा-खासा और लाभदायक धंधा आसानीसे सुलभ करा दिया जाये तो हमारी एक बड़ी आर्थिक समस्याका हल निकल आये। मेरी नम्र सम्मतिमें हाथसे कटाई करना एक ऐसा ही काम है। इसे हर आदमी आसानीसे सीख सकता है, और मेरे विचारमें, यह राष्ट्रके खाली समयका उपयोग करनेका सबसे उपयुक्त तरीका है। स्वदेशीका सम्बन्ध मुख्यतः वस्तुओंका उत्पादन करने, उन्हें बनाने से है। हम जितना अधिक सामान तैयार करेंगे, देशमें उतना ही अधिक स्वदेशीका प्रसार होगा। प्रतिज्ञाएँ तो उत्पादकोंको एक प्रेरणा और प्रोत्साहन देनेके लिए तैयार की गई हैं। इस कार्यके लिए बहुत बड़ी संख्यामें स्वयंसेवकोंकी जरूरत है, जिनकी एकमात्र आवश्यक योग्यता है, पूरी-पूरी ईमानदारी और देश-प्रेम। मैं तो चाहूँगा कि भारतका एक-एक पुरुष, एक-एक स्त्री पूरे मन-प्राणसे इस काममें जुट जाये। मुझे इस बातमें कोई सन्देह नहीं है कि हम इस प्रकार आकर्षकसे-आकर्षक रूप-रंगके, अच्छेसे-अच्छे कपड़े बुननेकी लुप्त-प्राय कलामें फिरसे इतनी जल्दी पहले जैसा जीवन फूँक देंगे कि लोगोंको आश्चर्य होगा।

एक और विषय रह जाता है, जिसपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले अप्रैल महीनेमें अहमदाबाद और वीरमगाँवमें उन्मत्त भीड़ने जो-कुछ किया उसके परिणाम तो भयंकर सिद्ध हुए ही, लेकिन अगर आप सम्भावनाओंपर विचार करें तो आप समझ जायेंगे कि खेड़ामें की गई कार्रवाइयाँ अपेक्षाकृत रूपसे और भी भयंकर सिद्ध हो सकती थीं। मेरा मतलब है तार काटने और रेलकी पटरियाँ



उखाड़नेकी कार्रवाईसे। अहमदाबादमें भीड़ने जो-कुछ किया वह क्रोधके आवेशमें, लेकिन खेड़ामें जो-कुछ किया गया वह जान-बूझकर। ये कार्रवाइयाँ भी क्रोधमें ही की गई थीं, किन्तु क्रोधमें भी एक ऐसी स्थिति होती है जब आदमी विचारशून्य हो जाता है और दूसरी ऐसी होती है जब उसमें विचार करनेकी क्षमता रहती है। खेड़ाके अपराध परिणामकी दृष्टिसे यद्यपि अहमदाबादके लोगोंके अपराधोंसे कम घातक सिद्ध हुए, लेकिन अगर अपराधका भी कोई औचित्य सिद्ध किया जा सकता हो तो वे अहमदाबादकी घटनाओंसे अधिक अनुचित थे। मेरा खयाल है कि जो लोग अप्रैलके दुष्कृत्योंके लिए जिम्मेदार हैं उन सभीने सामने आकर अपना अपराध स्वीकार करनेका साहस नहीं दिखाया है। यह बड़े दुःखकी बात है कि जिस खेड़ाका व्यवहार लगान-आन्दोलनके समयमें इतना शानदार हुआ वह अप्रैलमें अपने गौरव और मर्यादाको भूल गया। लेकिन उससे भी अधिक दुःखकी बात तो यह है कि अब अपराधी लोग अपनेको छिपानेकी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर सत्याग्रहियोंमें से कोई भी इन अपराधोंके लिए किसी प्रकार जिम्मेदार हो तो उसका सीधा-सादा कर्त्तव्य यह है कि वह सामने आकर अपना अपराध स्वीकार करे और अगर ऐसे अन्य लोगोंको जानता हो तो उन्हें भी इसे स्वीकार करनेपर राजी करे। रेलकी पटरियाँ तोड़कर, शान्ति-सुव्यवस्था कायम करनेके लिए आनेवाले सिपाहियोंकी जानको खतरेमें डालना ही कायरताका बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन उससे भी बड़ी कायरता है अपना अपराध स्वीकार करनेको आगे न आना। छिपा हुआ पाप जहरके समान है जो सारे शरीरको दूषित कर देता है। यह जहर जितनी जल्दी निकाल दिया जाये, समाजके लिए उतना ही अच्छा है। जैसे संखिया मिले दूधमें शुद्ध दूध मिला देनेसे संखियाका कुप्रभाव कम नहीं हो जायेगा, वैसे ही किसी समाजमें अगर किसी पापका प्रायश्चित्त न किया जाये तो फिर उसमें चाहे जितने सुकर्म क्यों न किये जायें; वे उस पापके प्रभावको दूर नहीं कर सकते। मुझे आशा है कि आप उन लोगोंको ढूँढ़ निकालनेके लिए कुछ भी नहीं उठा रखेंगे जिन्होंने अपने दुःखके अतिरेकमें अक्षम्य अपराध किये हैं। साथ ही आप उनसे अपने अपराधोंको मर्दोंकी तरह सामने आकर स्वीकार करने और इस प्रकार इस जिलेके सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक वातावरणको पवित्र बनानेका अनुरोध करेंगे।

(मैंने भाषणको बहुत संक्षिप्त कर दिया है, लेकिन कहीं-कहीं अर्थको पूरा करने या अधिक स्पष्ट करनेके खयालसे एक-दो वाक्य जोड़ भी दिये हैं।

मो० क० गां०

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, ९-७-१९१९



## ३९५. भाषण : नडियादकी महिला-सभामें स्वदेशीपर

[ जुलाई ६, १९१९ ]

बहनो,

आज यहाँ नडियादकी बहुत-सी बहनोंके आनेसे मैं खुश हुआ। आप सब बहनें यहाँ आईं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं जितनी जोरसे बोल सकूँगा उतनी जोरसे बोलूँगा। किन्तु यदि आप शान्त न रहें तो मैं बोलना जारी नहीं रख सकूँगा। मैं भाषण करने नहीं, बल्कि आपको समझाने आया हूँ। मुझे जो बात कहनी है उसके यद्यपि आर्थिक और राजनैतिक पहलू भी हैं; लेकिन इस समय मैं धार्मिक दृष्टिकोणसे उसकी बात करूँगा अर्थात् आपके सामने यह रखना चाहता हूँ कि स्वदेशीका पालन धार्मिक दृष्टिसे करनेका क्या अर्थ है। मैं भाषण दे डालूँ और आप उसे न समझें तो वह व्यर्थ ही होगा। यह भी स्पष्ट है कि आप जबतक ध्यानपूर्वक न सुनें तबतक आप उसे समझ नहीं सकतीं।

हिन्दुस्तानमें एक समय ऐसा था और हम मानते थे कि हमें हिन्दुओंके घरोंके अलावा, इतना ही नहीं यदि वे भी सजातीय न हों तो, दूसरी जगह पानी नहीं पीना चाहिए। हरिद्वारके मेलेमें अगर ब्राह्मणोंके पास पानी होता तो मुसलमान ब्राह्मणोंसे पानी ले लेते थे लेकिन मुसलमान द्वारा लाये गये पानीको कोई हिन्दू हाथ नहीं लगाता था। सख्त धूपमें भी प्यास सहन कर लेते थे, मगर वे ऐसे विश्वास और तदनुकूल आचरणको अपना धर्म मानते थे और इसलिए वे मुसलमानके हाथका पानी नहीं पीते थे।

जिस स्थानपर रामचन्द्रजीका जन्म हुआ और जहाँ सीताजी खेलीं— उस बिहार-प्रदेशमें और उसके आसपासके प्रान्तोंमें मैं रह आया हूँ। वहाँ ऐसे बहुतसे व्यक्ति मौजूद हैं जो गाड़ीमें सफर करते समय कुछ नहीं खाते, उपवास रखते हैं। ट्रेनमें कुछ न खायें, ऐसी धार्मिक भावना मूल्यवान है। इसमें संयम है। संयम अर्थात् अमुक वस्तुका समझ-बूझकर त्याग करना। इसमें किसी भी व्यक्तिपर, किसी भी व्यक्ति द्वारा दबाव नहीं डाला जाता।

इससे आत्मबल दृढ़तर होता है। खाने योग्य वस्तुको न खानेमें, पीने लायक चीजको न पीनेमें संयम है। मगर किसीका निरादर करें तो हम पापमें पड़ते हैं। खानेकी वस्तु मिले या न मिले, [ मैं नहीं खाऊँगा ]— इस कारण नहीं, बल्कि अमुक व्यक्तिके हाथका बना हुआ नहीं खाना चाहिए— इस मान्यतासे कोई न खाये तो मैं मानता हूँ कि उसमें अधर्म है।

प्राचीनकालमें स्त्री और पुरुष हाथके बने हुए वस्त्र पहनते थे। शास्त्रियोंने शास्त्रसे मुझे जो अवतरण भेजे हैं उनमें मैं देखता हूँ कि विवाहके समय पत्नीको

१. मूल रिपोर्टमें यहाँ 'धर्म' शब्द है, जो स्पष्टतः छापेकी भूल है।



वस्त्र देते हुए पति इस आशयके कुछ शब्द बोलता था : “ये वस्त्र कुलदेवीने काते हैं; मैं तुम्हें देता हूँ और तुम तथा मैं इन्हें पहनकर सुखी हों।” शास्त्रोंमें ऐसे श्लोक हैं; लेकिन उनकी अभी यहाँ आवश्यकता नहीं है।

पंजाबमें हमारी बहनें हैं। जो बहनें यह मानती हैं कि गुजरात और नडियाद ही पूरा देश नहीं बल्कि पूरा देश तो हिन्दुस्तान है। और इस तरह जो पंजाबको भी देशके अन्तर्गत मानती हैं— उनके लिए पंजाब भी स्वदेश है। वहाँ हाथसे सूत काता जाता है, बुना जाता है और ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं। वस्तुतः समस्त हिन्दुस्तानमें ऐसा ही होता था। अच्छे-बड़े घरानेकी धनवान स्त्रियाँ सूत कातती थीं। सारे वर्णोंके लोग सूत कातते थे। हमारे पूर्वजोंने यह बात समझ ली थी कि करोड़ों मनुष्योंको वस्त्र पहनने हों तो उन्हें सूत कातना सीखना चाहिए। खानेके बिना काम नहीं चल सकता इसलिए स्त्रियोंको भोजन बनाना आना चाहिए। सारे संसारमें ऐसा ही है। वस्त्र बिना गुजारा नहीं हो सकता, इस कारण सबको बुनना आना चाहिए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति इसी आधार-पर विकसित हुई है। हिन्दुस्तानके पूर्वजोंके मनमें यह विचार नहीं आया कि यहाँ बाहरसे वस्त्र मँगवाकर पहनेंगे। ऐसा करनेवाला राष्ट्र नष्ट हो जाता है।

यदि राष्ट्र अपना-अपना कपड़ा आप न बनायें तो राष्ट्रोंकी आपसमें लड़ाई ठन जाये। अहमदाबादके कपड़ेके लिए उसके साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाने चाहिए। एक राष्ट्रको दूसरे राष्ट्रसे अपनी जरूरतकी चीजोंके लिए सम्बन्ध रखते हुए मित्र-भावसे व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो युद्ध छिड़ जाता है। पृथ्वीपर लड़ाईका मूल कारण व्यापार है। हमारे बड़े-बूढ़ोंने इसे दृष्टिमें रखकर दूरन्देशी दिखाई और इस बातका निर्णय किया कि हिन्दुस्तानमें दो बातें होनी चाहिए। अनाज और वस्त्र; ये दो वस्तुएँ मिलती रहें तो जीवन सुखमय हो जाये। ये दो वस्तुएँ हिन्दुस्तानमें मिलनी चाहिए। उन्होंने खोज की और रुई की खेती की तथा कातने और बुननेके लिए सादे यन्त्रोंका आविष्कार किया— और इस तरह इनके द्वारा हमें सादे कपड़े मिलने लगे।

डेढ़ सौ वर्ष पहले अर्थात् लगभग चार-पाँच पीढ़ियों पहले हम इस देशमें उगे हुए कपाससे कते सूतके, बुनकरों द्वारा बुने कपड़े पहनते थे। जो वस्त्र आप आजकल पहनते हैं उनकी तुलनामें पहलेके वस्त्र अमूल्य थे। उनके आत्मा होती थी। आज परिस्थिति ऐसी है कि आप मुझे ईर्ष्या कर सकती हैं। आपकी मेरे जैसे वस्त्र पहननेकी इच्छा होनी चाहिए। यदि आप यह कहें कि आपके वस्त्र बारीक और खूबसूरत हैं तो आप धोखेमें हैं। यदि आप मुझे अपने वस्त्र दें तो मैं तो उन्हें जला डालूँ। मेरे वस्त्रोंके पीछे धर्मकी भावना है और आपके वस्त्रोंके पीछे अधर्मकी।

डेढ़ सौ वर्षसे विदेशी वस्त्र पहननेसे धर्मका, नीतिका उल्लंघन हुआ और उद्योग जाता रहा। धर्म दयामें है। तुलसी दयाको धर्मका मूल कहते हैं। हिन्दके स्त्री-पुरुषोंके मनमें हिन्दके प्रति दया हो तो वे बाहरसे वस्त्र न लायें। यदि मैं आपका पड़ोसी होऊँ, कपड़े बुनता होऊँ और अपने बुने वस्त्र लेनेके लिए आपसे कहूँ, तो सम्भव है आप मुझे गाली देकर निकाल दें। अथवा यदि आप विनयशील हों तो कहें कि हमें तो चीनी वस्त्र चाहिए, आपके नहीं। इसे आप दया कहेंगे कि क्रूरता? शायद आप मुझे बुननेके



लिए मना करें, लेकिन मुझे तो बुननेका ही काम आता है और इस कारण मैं केवल वही कर सकता हूँ। इसलिए परिणाम यह हुआ कि आपके पड़ोसी बुनकरका नाश हो गया, आपकी बहनें कातनेसे जो कमाती थीं, वह कमाई गई। कैसी कमाई? पहले हम हाथसे जो कातते थे, वह कमाई। बाहरसे कतवायें तो हमें उनको कुछ-न-कुछ देना पड़ेगा। लेकिन यदि हाथसे कातें तो सूत रुईके भाव पड़े और फिर यदि हम अपने हाथसे बुनें तो रुईके भाव कपड़ा पड़ेगा। डेढ़ सौ वर्ष पहले लोग इस सीधे न्यायपर चलते थे। स्वदेशीमें अर्थ और धर्म है। देशमें पैसा रहे। यह अर्थ है तथा पड़ोसीकी शक्तिके अनुरूप उससे काम करवाना यह धर्म-कार्य है। आप अपने पड़ोसीकी अवहेलना करके दूसरोंसे काम करवायें, यह न्याय नहीं है। इससे पड़ोसी धर्मभ्रष्ट होता है और आप भी उसी दशामें जा पहुँचते हैं। आप स्वदेशीका त्याग करें, यह धर्मकी जड़को खोद फेंकनेके बराबर है। आपका स्वदेशी [वस्त्र] का उपयोग तो करोड़ों व्यक्तियोंका धन्धा है। खेड़ाके किसान और पाटीदारोंके पास खेत हैं और वे उनमें खेती करते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि उन्होंने बुद्धिभ्रष्ट होकर यह धन्धा छोड़ दिया है और पंजाबसे अनाज मँगवाया है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि “इनके दिन लद गये” अपने घर बाजरा आदिकी फसल पैदा हो सकती हो और फिर भी कोई पंजाबसे उसे मँगवाये तो यह कहाँतक ठीक हो सकता है। [यदि सच्चे] धर्म-गुरु हों तो इतने सख्त प्रहार करें कि लोग उन्हें सहन न कर सकें। जैसा खेड़ा जिलेके लोगोंका खेती छोड़ना ठीक नहीं है वैसे ही सारे हिन्दुस्तानके लोगोंका स्वयं अपने वस्त्र बनानेका काम छोड़ देना ठीक नहीं है। नगनावस्थामें रह सकें तो बात अलग है। जबतक हमें अपना तन ढकना है तबतक अपने सूतसे हाथके बने हुए कपड़े पहनना हमारा धर्म है। जैसे माँ-बाप बदसूरत बच्चे या पति बदसूरत स्त्रीका त्याग नहीं करते — कारण कि ईश्वरने उनके हृदयोंमें प्रेम भर दिया है — वैसे ही अपने धन्धेके सम्बन्धमें होना चाहिए। यदि कोई अघोरी अपने बच्चेका बलिदान दे तो वह क्रूरता ही कहलाती है। विदेशी वस्त्रोंसे प्रजा कंगाल होती है। आपने अच्छे वस्त्र पहने हैं, किन्तु आप हिन्दुस्तानमें भ्रमण नहीं करतीं इसलिए आपको नहीं मालूम कि हमारे देशमें भुखमरी फैली है और देश विपन्नावस्थामें है। सम्पन्न गाँवोंमें अच्छे-अच्छे घर खण्डहर हो गये हैं। घरोंमें नई कड़ियाँ नहीं लगाई जातीं। पिछली बार खेड़ाके भ्रमणके समय मैंने देखा किसानोंकी कोठियोंमें अनाज नहीं था। वह अकालकी निशानी है। जो घूमता है वह यह देख सकता है कि कंगालीकी ऐसी दशा डेढ़ सौ वर्ष पहले हुई होती, तो इसे सहन न किया जाता। कपड़ेके ऊपर औसतन प्रतिव्यक्तिके हिसाबसे प्रतिवर्ष दो रुपये बाहर जाते हैं। अर्थात् डेढ़ सौ वर्षमें प्रति व्यक्ति तीन सौ रुपये बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार समूची जनताके करोड़ों रुपये बाहर चले गये और वह चौपट हो गई।

इस तरह राष्ट्र धीरे-धीरे नष्ट हो गया। योग्य कारोबारके अभावमें स्त्री-पुरुषोंमें दारिद्र्य छा गया। खेतिहर स्त्री-पुरुष फाल्गुन आदि तीन महीनोंमें, एक कुटुम्बके निर्वाह योग्य सूत कात सकते हैं। यदि आप अपने हाथसे कातें तो सूत रुईके भाव पड़े। और फिर यदि खुद बुनें तो वस्त्र भी रुईके भाव ही पड़े। आप अगर दूसरेको पैसा देते हैं तो वह सम्पन्न होता है; यदि वही पैसा आपके पास रह जाये यानी आप स्वयं अपने हाथसे वह बुनें तो



आप अपने लगानसे अधिक कमा लें। सम्भव है आप तीन वर्षके लगानके बराबर एक ही वर्षमें पैदा कर लें। यह सीधा हिसाब तो छोटी-छोटी लड़कियाँ भी समझ सकती हैं।

यदि आप अपने बच्चोंके लिए सुन्दर भविष्य चाहती हैं तो आप उनके लिए विरासतमें यह विश्वास उनके पास छोड़ जायें कि बाहरसे अपनी जरूरतकी चीजोंको मँगवाना अधर्म है। उन्हें ऐसा लगे कि वस्त्र तो यहींके बने हुए पहनने चाहिए।

वस्त्रोंमें आप अंग्रेजोंका अनुकरण न करें। यदि पति उन जैसे वस्त्र पसन्द करके ले आयें और कहें कि जंगली बनो तो आपको उनसे कहना चाहिए कि हमें ऐसे पति-प्रेमकी आवश्यकता नहीं है। अन्य वस्त्रोंकी तरह आपकी साड़ी भी यहींकी होनी चाहिए। यह प्रश्न उठेगा, ऐसी महीन साड़ियाँ यहाँ कैसे बनें। यदि आप सचमुच ऐसी साड़ी चाहती हैं तो वैसी साड़ी भी बन सकेगी। एक बहन मेरे पास आई— वह पैसा माँगती थी। मैंने पूछा कि तुम्हारा लहँगा काहेका बना हुआ है? उसने बताया, मेरे बिस्तरकी चादरका [बना हुआ] है। कमसे-कम वह इतनी समझदार तो थी।

आप नडियादमें बना हुआ वस्त्र पहनें। उसे ज्यादा भारी न समझें। मोटा हो तो उसमें सुधार करानेकी कोशिश कीजिए। आप बीमार बच्चेकी दवा करेंगी उसे छोड़ नहीं देंगी। यह बात भी आपको उसी तरह स्वीकार करनी चाहिए और बादमें वैद्य रूपी बुनकरसे उसमें सुधार करवाना चाहिए। हमारे बुनकर जो वस्त्र बुनें वही वस्त्र आपको पहनने चाहिए। आपके पास जो वस्त्र हैं भले उनका त्याग न करें, उन्हें पहन डालें। लेकिन भविष्यमें आप जो नये वस्त्र लें वे स्वदेशी होने चाहिए। स्वदेशीका उपयोग कीजिए और उसे बढ़ावा दीजिए। स्वदेशी साड़ियाँ बनवाइये। अपने पतियोंको मनाइये; एक दूसरे की मददकरके स्वतन्त्र होइए। यदि आप बहनें इस बातको बराबर समझकर उसपर अमल करें तो दो वर्षमें आप स्वयं कहेंगी कि गांधीने ठीक कहा था।

परसों भीम-एकादशी है। इस दिन हम सब चतुर्मासका व्रत लेते हैं। इस एकादशीको आप क्या व्रत लेंगी। यही कि आप जो कपड़े भारतमें नहीं बने हैं, उन्हें नहीं पहनेंगी, ऐसे जो कपड़े आपके पास हैं उन्हें आप पहन डालेंगी और नये विदेशी वस्त्र नहीं खरीदेंगी; आपको चतुर्मास-व्रत ऐसी प्रतिज्ञाके साथ रखना चाहिए। आप स्वयं नडियादके वस्त्र पहननेकी प्रतिज्ञा लें, मुझे इतनेसे ही सन्तोष नहीं होगा। आप दूसरी बहनोंको भी यह समझाइये, उन्हें नडियादके वस्त्र पहननेके लिए कहिए। यदि सभी ऐसी प्रतिज्ञा ले लें तो हिन्दुस्तान कितना खुशहाल हो जाये; मैं इसका अन्दाज भी नहीं लगा सकता; और सो भी एक दो वर्षमें ही।

आप सब बहनें सूत कातना सीखें। यह काम आसान है। मैंने काता है, इसलिए मैं जानता हूँ। मेरे इस ओर गंगाबहन और उस ओर अनसूयाबेन बैठी हैं, इन्हें भी इसका अनुभव है।

कुछ बहनें जैसा करती हैं, आप सभी वैसा करें। आपके पास दो-तीन घंटे फाजिल समय रहता है। परन्तु आप व्यर्थ ही उसे मन्दिरोंमें बैठकर नष्ट कर देती हैं। मन्दिरमें माला जपना धर्म हो सकता है; लेकिन आजकल तो वस्त्रका उत्पादन ही सच्ची भक्ति है। परोपकारकी भावनासे खेत जोतकर जनताको देना और हिन्दुस्तानके हितको ध्यानमें



रखकर घरमें बैठकर सूत कातना, वह भी पैसेके लिए नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। जो थोड़ा बहुत भी ऐसा करते हैं वे उस अंशतक धर्मका पालन करते हैं। पैसा लेकर कातनेवाले भी धर्म-पालन करते हैं। मालदार स्त्रियोंको हर रोज दो-तीन घंटे सूत कातना चाहिए और उसे यहाँ भण्डारमें पहुँचा देना चाहिए। यहाँ जिन भाइयोंने यह साहसका कार्य उठाया है उसमें यह सूत उपहारस्वरूप दे देना चाहिए। इससे कपड़ा बहुत सस्ता हो जायेगा। जब यहाँ सस्ता हो जाये तो खेड़ा जिलेको अपना सूत दे दीजिये। लेकिन पहले नडियादमें खपाएँ, उसके बाद ही बाहर भेजिए। ईश्वरने जैसे आपको नडियादमें पैदा किया उसी प्रकार आपका नडियादके लोगोंकी सेवा करना हिन्दुस्तानकी सेवा है। आपको ऐसा [काम] करना चाहिए जिससे नडियाद विदेशों या अन्य भागोंपर भारस्वरूप न हो जाये। यह आपका धर्म है।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि धनवान स्त्रियाँ मुफ्त सूत कातकर दें। जो कोई पैसा लेकर कातेगा उसे [सूतके] सेरके तीन आने दिये जायेंगे। जो पैसा मिल जाये वही उपयोगी होगा। इससे आप अपनी जरूरतकी चीजें ले सकती हैं। आपको दवा आदिकी जरूरत हो तो वह भी खरीदी जा सकती है। आप जितना श्रम करें उतना लाभ है। यह रोजगार सुन्दर है। मेहनत कम है, यन्त्र साधारण हैं। चरखेकी कीमत दो रुपये आठ आने है। इससे [यह धन्धा शुरू करना] सस्ता पड़ता है। यदि आप इतने पैसे न खर्च कर सकें तो आपको यहाँकी योजनाके अधीन चरखा दिया जायेगा। हर महीने चार आने काटनेसे मूल्य अदा हो जायेगा और यह ठीक भी कहलायेगा।

यह स्वदेशी [धर्म] महान् धर्म है। इससे ही हिन्दुस्तान खुशहाल होगा। बाकी सब उपाय थोथे हैं। यही स्वराज्य है। जहाँ धर्म है वहाँ अन्य सब बातें उसमें आ जाती हैं, यह 'गीता' का उपदेश है। धार्मिकतापूर्वक स्वदेशीका पालन करनेमें ही हमारा उद्धार है। हमें करोड़पति नहीं बनना है। वह तो अन्यायसे सम्भव होता है। तीस करोड़की आबादी करोड़पति नहीं हो सकती। लेकिन निःसन्देह सुखके साथ सभी रह सकते हैं। मैं आज आपको यही बात समझानेके लिए आया था।

आपने ध्यानपूर्वक मेरा भाषण सुना, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। यदि आप इसे समझ पायें, तो हृदयंगम कर लीजिएगा। जो इसे हृदयंगम कर लें, ऐसी बहनें आगे आयें, यह मेरी इच्छा है। दिनके चौबीस घंटोंमें से आपको चरखेके पीछे थोड़ासा समय अवश्य देना चाहिए। अड़ोसी-पड़ोसी तथा अपने पतियोंको चरखा कातनेके लिए कहिए। लोगोंके घरोंमें जैसे चक्की होती है, वैसे चरखा भी होना चाहिए। ऐसा हो तो नडियादमें जरूरतका कपड़ा बनने लगे। भुखमरी समाप्त हो। समय बितानेके लिए स्वदेशी ही [सच्चा] धर्म है। स्वदेशीका उपयोग कीजिए, उसका उत्पादन कीजिए। फिलहाल जितना चाहिए उतना कपड़ा नहीं है। अगर हम स्वदेशीका पालन करें, [सूत कातें, बुने] तो हो सकता है। सब स्त्री-पुरुष इसे अपनायें तो ११ दिनमें विदेशी वस्त्र अदृश्य हो सकते हैं। बात मनसे उत्पन्न हो यह आसान रास्ता है। अभी बाहरसे आता है, इससे हमें ७५ प्रतिशत तो तैयार करना ही पड़ेगा। सब महिलाएँ इस धर्मको अंगीकार करें तो पन्द्रह दिनमें ही यह समझमें आयेगा कि उद्धार समीप आ गया।



आप ऐसे धर्मको स्वीकार करें, यही मेरी प्रार्थना है। ईश्वरसे भी प्रार्थना है कि वह सबको ऐसी बुद्धि दे और इस कार्यकी ओर प्रवृत्त करे।

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, २०-७-१९१९

### ३९६. पत्र : बम्बईके गवर्नरके निजी सचिवको

[ जुलाई ८, १९१९ या उसके बाद ]

पत्रके<sup>१</sup> लिए धन्यवाद। मैं परमश्रेष्ठसे शनिवार १२ तारीखको तीसरे पहर ३ बजे नियत समयपर मिलूंगा। श्री ग्रिफिथसे यह जानकर दुःख हुआ कि परमश्रेष्ठकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन पूरी आशा है कि अबतक वे बिलकुल स्वस्थ हो गये होंगे।

अंग्रेजी (एस० एन० ६७३२) की फोटो-नकलसे।

### ३९७. लाला राधाकृष्णका मुकदमा

जब इन स्तम्भोंमें बाबू कालीनाथ रायके मुकदमेकी चर्चा शुरू हुई तो बहुत-से पंजाबी भाइयोंने मुझेसे कहा कि मैं लाला राधाकृष्णके<sup>२</sup> मामलेको भी क्यों नहीं उठाता; उनका मामला बाबू कालीनाथ रायके मामलेसे अधिक नहीं तो कम जोरदार भी नहीं है। मैंने उन भाइयोंसे नम्रतापूर्वक कहा कि लाला राधाकृष्णके मामलेके बारेमें मुझे जानकारी नहीं है और यदि मुझे उनसे सम्बन्धित कागजात भेजे जायें तो मैं प्रसन्नतापूर्वक उन्हें देखूंगा। अब मुझे वे कागजात, यानी अभियोग, बचावकी दलीलें, फैसला, लाला राधाकृष्णके आवेदनपत्र और 'प्रताप' के उन अंशोंका अनुवाद जिनसे अभियोग-पत्रमें दिये गये उद्धरण लिये गये हैं; मिल गये हैं। ये सभी इस अंकमें प्रकाशित हैं। इस प्रकार अब पाठकोंके सामने किसी निश्चित निष्कर्षपर पहुँचनेके लिए पूरे तथ्य मौजूद हैं।

मेरी नम्र सम्मतिमें यह निर्णय भी न्यायका मजाक है। बल्कि यह मामला कुछ अंशोंमें बाबू कालीनाथ रायवाले मामलेसे भी बुरा है! 'ट्रिव्यून' की तरह 'प्रताप' में कोई उत्तेजनात्मक शीर्षक नहीं दिया गया था। अभियुक्तको भारतीय दण्ड-विधानकी धाराके अन्तर्गत नहीं बल्कि युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्योंके लिए बनाये गये एक अस्थायी नियमके अधीन सजा दी गई है। इस नियमको देखनेपर पाठकगण मेरा मतलब समझ जायेंगे। यहाँ

१. ८ जुलाईका पत्र, जिसमें यह सूचना दी गई थी कि गवर्नर गांधीजीसे पूनामें शनिवारको मिलना चाहते हैं।

२. प्रतापके सम्पादक।



यह बतला दूँ कि यह नियम विधान परिषद् ने नहीं बनाया है। इसे भारत रक्षा कानूनके अधीन प्राप्त अधिकारोंकी रू से सरकारने लागू किया है। नीचे यह नियम पूरा-का-पूरा दिया जा रहा है :

(१) जो-कोई भी लिखे या बोले गये शब्दों, या किन्हीं संकेतों, अथवा दृश्य चित्रण या अन्य किन्हीं दृश्य विधियोंसे कोई ऐसा वक्तव्य, अफवाह या समाचार प्रकाशित या प्रचारित करेगा :—

(क) जो झूठा है और जिसे सच माननेका उसके सामने कोई उचित कारण नहीं है, और जिसका उद्देश्य जनता या जनताके किसी हिस्सेमें भय या आतंक पैदा करना है या जिससे ऐसा भय या आतंक पैदा होनेकी सम्भावना है; या

(ख) जिसका उद्देश्य समुद्रमें या जमीनपर महामहिमकी सेनाओंकी सफलता अथवा महामहिमकी सरकारके किसी मित्र राष्ट्रकी सेनाओंकी सफलताके मार्गमें बाधा पहुँचाना हो या जिससे ऐसी बाधा पहुँचनेकी सम्भावना है; या

(ग) जिसका उद्देश्य विदेशी शक्तियोंके साथ महामहिमके सम्बन्धोंको बिगाड़ना है या जिससे उनके बिगाड़नेकी सम्भावना है; या

(घ) जिसका उद्देश्य महामहिमकी प्रजाके विभिन्न वर्गोंके बीच वैर और विद्वेषके भावको बढ़ावा देना हो या जिससे ऐसे भावको बढ़ावा मिलनेकी सम्भावना हो : वह तीन साल तक की सख्त या सादी कैदकी सजाका भागी होगा; और वह जुर्मनिका भी भागी होगा, या अगर यह सिद्ध हो जाता है कि उसने उपर्युक्त कार्रवाई सम्राट्के शत्रुओंको सहायता देनेके लिए की है तो उसे मृत्यु-दण्ड, आजीवन देश-निकाला या दस साल तककी कैदकी सजा दी जायेगी।

(२) इस नियमके विरुद्ध किये गये किसी अपराधके मामलेमें कोई भी अदालत अपने न्यायिक अधिकारका प्रयोग तबतक नहीं करेगी जबतक कि गवर्नर जनरलकी परिषद् या स्थानीय सरकार या इस सम्बन्धमें गवर्नर-जनरलकी परिषद् द्वारा अधिकृत किसी अधिकारीके आदेशसे, या उससे प्राप्त सत्ताके अधीन, शिकायत न की जाये।

तो पाठक देख सकते हैं कि यह नियम इतना कड़ा है कि [खुद इस नियमके ही अनुसार] इसके विरुद्ध किये गये किसी अपराधके मामलेमें तबतक कोई भी अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती जबतक कि सरकार या इस सम्बन्धमें उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी विशेष आदेश न दे।

अब जो आरोप लगाया गया है, हम उसपर विचार करें। यह तो मानी हुई बात है कि किसी आरोपपत्रमें कोई परिहार्य गलतबयानी या व्यंग्योक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन, हम देखते हैं कि इस आरोपपत्रमें कुछ बहुत भारी गलतबयानियाँ हैं। वादीने [अभियुक्तके] जिन तीन विधानोंको गलत बताया है, उनमें से एक यह है कि अभियुक्तने अपने पत्रमें कहा कि “उनपर [भीड़ पर] बिना किसी कारणके गोलियाँ चलाई गईं।” यह एक बहुत खतरनाक गलतबयानी है। दरअसल वह अंश इस प्रकार है : “उनपर, कमसे-



कम उनके विचारसे,<sup>१</sup> बिना किसी कारणके गोलियाँ चलाई गईं।” आरोपपत्रसे रेखांकित शब्दोंको निकालकर लेखकके अर्थका अनर्थ कर दिया गया है। तीसरे उद्धरणसे भी उस अंशको निकाल दिया गया है जिसके कारण उसका ऐसा अर्थ हो जाता है जो अभियुक्तके पक्षमें जाता है। इस तीसरे उद्धरणके अन्तमें ये शब्द आये हैं: “लोगोंने ईंट-पत्थर तब फेंके, जब अधिकारी इस दिशामें कदम उठा चुके थे।” जिस लेखसे उक्त वाक्य लिया गया है उसमें इसी वाक्यसे सम्बद्ध दो वाक्य ऐसे भी थे जो इसके स्वरको मर्यादित करते हैं: “लेकिन यह सम्भव है कि पुलिस अधिकारियोंने गोली चलाई, उसके पहले ही इस जबरदस्त भीड़में से किसी व्यक्तिने उनपर ईंट पत्थर फेंके हों<sup>२</sup> इसे सत्य भी मान लिया जाये तो हमारा कहना है कि अधिकारियोंकी बुद्धिमानी और चतुराई इसीमें थी कि हुल्लड़बाजीको रोकनेके लिए वे गोलियाँ चलानेके बदले कोई और उपाय अपनाते।” यहाँ हम फिर देखते हैं कि रेखांकित अंश-सहित ये दो वाक्य उद्धरणके पूरे अर्थको बदल देते हैं। यदि ऐसे किसी तथ्यका जिक्र प्रतिवादी द्वारा छोड़ दिया जाता तो इसे सत्यको छिपानेका प्रयास माना जाता और वह अदालतमें अपनी बातकी सुनवाईके अधिकारसे वंचित हो जाता; लेकिन जब वादीने ऐसा किया तो इसे स्वीकार कर लिया गया। किन्तु वास्तवमें यह प्रतिवादी द्वारा तथ्यको छिपानेके प्रयत्नकी तुलनामें बहुत अधिक खतरनाक बात है। सरकार जान-बूझकर या अनजाने किसी महत्त्वपूर्ण तथ्यको पेश न करे तो परिणाम यह होगा कि वह किसीको अन्यायपूर्ण ढंगसे सजा दिला सकती है — जैसा कि लगता है, उसने इस मामलेमें किया है।

आरोपके अन्तिम अनुच्छेदमें एक अक्षम्य वक्रोक्ति है:

अभियुक्तने बहुत-सारे राजद्रोहात्मक और उत्तेजनात्मक लेख प्रकाशित किये हैं, लेकिन सरकारने तब भी नियम २५ के अन्तर्गत ही कार्रवाई करना पसन्द किया है।

अभियुक्त ने बहुत-से “राजद्रोहात्मक और उत्तेजनात्मक” लेख लिखे, इस उक्तिका उद्देश्य तो मात्र प्रतिवादीके पक्षको कमजोर करना ही हो सकता था। इतना ढीला और इतना विवादास्पद अभियोगपत्र मैंने कभी नहीं देखा। यदि धृष्टता न मानी जाये तो कहूँ कि मेरे विचारसे समुचित विधिके अनुसार गठित किसी भी न्यायालयमें, इसे अमान्य कर दिया जाता और अभियुक्तको बचाव पेश किये बिना ही मुक्त कर दिया जाता।

और दुःखके साथ कहना पड़ता है कि इस निर्णयकी भी हमारे मनपर वैसी ही छाप पड़ती है जैसी अभियोगपत्रकी पड़ती है—यानी कि यह पूर्वग्रहग्रस्त है और इसमें जल्दबाजी की गई है। निर्णयमें कहा गया है: “वादीने यह भी सिद्ध कर दिया है कि इनमें से प्रत्येक कथन झूठा है।” आशा है, ऊपर मैंने जो-कुछ कहा है उससे स्पष्ट होगा कि अभियोगपत्रमें दिये गये उक्त दो कथनोंको तो झूठा साबित किया नहीं जा सकता, क्योंकि उनका उल्लेख उन्हें उनके “सन्दर्भसे विच्छिन्न करके और अपूर्ण रूपमें किया गया है।”<sup>३</sup> इन अपूर्ण कथनोंको झूठा सिद्ध करनेके लिए चाहे जितने प्रमाण दिये जाते, उनके कारण अभियुक्तकी हानि नहीं होने दी जा सकती। अब केवल दो कथन और रह जाते हैं,

१. मूलमें ये शब्द रेखांकित हैं।

२. मूलमें यह वाक्य रेखांकित है।

३. मूलमें ये शब्द रेखांकित हैं।



जिनपर विचार करना शेष है। इनमें से पहला है, “३१ मार्चकी शाम तक चालीस हिन्दू और मुसलमान मारे जा चुके थे।” इसके बारेमें हमारा कहना यह है कि जो इस निर्णयको ध्यानसे देखेगा उसके सामने यह बात बिलकुल स्पष्ट होगी कि यह तो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है कि वास्तवमें कितने लोग मारे गये। मेरा कहना यह है कि उक्त कथनकी सचाई या झुठाईकी जाँच करनेमें निर्णायक तथ्य यह नहीं है कि कितने लोग मारे गये, बल्कि यह कि सचमुच कोई मारा गया या नहीं। तब जिस बातसे लोगोंमें आतंक पैदा हो सकता था वह बात मृतकोंकी संख्या नहीं थी, बल्कि यह कि पुलिसने गोलियाँ चलाई। और गोलियाँ चलाई गईं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जहाँतक मृतकोंकी संख्याकी बात है, सभी अखबार, जिनमें आंग्ल-भारतीय अखबार भी शामिल हैं, अलग-अलग बात कहते हैं। विद्वान् न्यायाधीशने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अन्य प्रतिष्ठित अखबारोंमें भी लगभग वैसी ही बातें कही जाती रहीं जैसी ‘प्रताप’में। मेरी नम्र सम्मतिमें प्रतिवादी की प्रामाणिकता सिद्ध करनेके लिए यह एक बहुत संगत तर्क था; इससे प्रकट होता है कि उसने जो वक्तव्य प्रकाशित किये उन्हें सच माननेके लिए उसके पास समुचित कारण थे। अभियुक्त द्वारा प्रकाशित उक्त दूसरा वक्तव्य यह है: “इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि हताहतोंमें अधिकांश निर्दोष लोग ही थे।” लाला राधाकृष्णने अपनी अर्जीमें ठीक ही कहा है कि “दिल्लीके अधिका-रियोंका भी हताहतोंके बारेमें यही खयाल था और फलतः दंगेके निर्दोष भुक्तभोगियोंके लिए उन्होंने एक कोष की स्थापना की।” अब मैं यहाँ इतना और कह दूँ कि सरकारकी ओरसे यह दिखानेका कोई प्रयास नहीं किया गया कि मृत या घायल लोगोंमें से एक भी किसी हिंसात्मक कार्रवाईका अपराधी था। लगता है, अदालतने [अपने निर्णयके लिए] केवल इस बातको आधार मान लिया है कि मारे गये लोग “हिंसापर उतारू एक खतरनाक भीड़में शामिल थे।” लेकिन इससे यह अनिवार्य रूपमें तो सिद्ध नहीं होता कि जो लोग मारे गये वे हिंसात्मक आचरणके अपराधी थे। फिर, अभियुक्तने भी अपने लेखोंमें ऐसी शिकायत नहीं की है कि दोषी लोगोंके साथ-साथ निर्दोषोंको भी भोगना पड़ा। उसकी शिकायत तो स्वभावतः यही थी गोलियाँ चलाई ही क्यों गईं।

अब जिस नियमके अन्तर्गत अभियुक्तपर आरोप लगाया गया है उसपर विचार करना आवश्यक है। लाला राधाकृष्णपर नियम २५ के उपखण्ड १ की उपधारा (क) के अन्तर्गत आरोप लगाया गया है। अभियुक्तको अपराधी सिद्ध करनेके लिए यह साबित करना जरूरी है कि

- (क) वक्तव्य झूठा है;
- (ख) अभियुक्तके पास “उसे सच माननेका कोई उचित कारण नहीं है”;
- (ग) इसके प्रकाशनका “उद्देश्य जनतामें भय या आतंक पैदा करना है” या इससे “ऐसा भय या आतंक पैदा होनेकी सम्भावना है।”

ऊपर यह पर्याप्त रूपसे स्पष्ट किया जा चुका है कि वक्तव्योंको झूठा नहीं सिद्ध किया गया है, और यदि किया भी गया हो तो यह नहीं सिद्ध किया गया है कि अभियुक्तके पास “उसे सच माननेका कोई उचित कारण नहीं था।” उलटे, प्रतिवादीकी ओरसे दिये गये बयानमें यह बहुत स्पष्ट बता दिया गया है कि उसने प्रकाशित वक्तव्योंको



किस आधारपर सच माना है। और अन्तमें, वादीने यह भी सिद्ध नहीं किया कि इसका उद्देश्य भय या आतंक पैदा करना था, या यह कि इससे जनतामें भय या आतंक पैदा होनेकी सम्भावना थी, और हमें पूरा विश्वास है कि इन झूठे वक्तव्योंको प्रचारित करनेसे सचमुच जनतामें भय और आतंक फैला। इस सम्बन्धमें लाला राधाकृष्ण कहते हैं, “वादी पक्षके गवाह इस बातका कोई निश्चित उदाहरण पेश नहीं कर पाये कि सम्बन्धित लेखोंके कारण ऐसा कोई आतंक फैला।”

निर्णयमें लाला राधाकृष्णके पूर्व-चरित्रकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न इस तथ्यका ही खयाल किया गया है कि यद्यपि उन्होंने जो-कुछ लिखा था उसपर खेद-प्रकाशका कोई कारण नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने अदालती बयानमें यह कहा कि यदि अनजाने ही कोई अतिशयोक्ति हो गई हो तो, उसके लिए मुझे खेद है। इसी प्रकार इस महत्वपूर्ण तथ्यका भी कोई खयाल नहीं किया गया कि मृत व्यक्तियोंकी संख्याके सम्बन्धमें जो गलती — यदि इसे गलती कहा जाये तो — हुई थी उसे उन्होंने सरकारी वक्तव्यके प्रकाशित होते ही सुधार दिया और ‘सिविल ऐंड मिलिट्री गजट’ में दिया गया विवरण भी प्रकाशित कर दिया। यह तो साफ अन्याय जान पड़ता है। ऐसा सुना है कि अपनी रिहाईके लिए लाला राधाकृष्णने जो अर्जी दी है उसपर पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय अब भी विचार कर रहे हैं। आशा है, सारे भारतवर्षकी जनता और अखबार न्यायकी इस प्रार्थनाको अपने समर्थनका बल देंगे और वह समर्थन व्यर्थ नहीं जायेगा।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १२-७-१९१९

### ३९८. पत्र : पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नरके निजी सचिवको

[ जुलाई १२, १९१९ ]

सेवामें

निजी सचिव

माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय

लाहौर

प्रिय महोदय,

इस पत्रके साथ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयकी सेवामें ‘यंग इंडिया’ की वह प्रति भेज रहा हूँ, जिसमें ‘प्रताप’ के सम्पादक लाला राधाकृष्णका मामला दिया गया है। मुझे मालूम हुआ है कि यह मामला फिलहाल माननीय महोदयके विचाराधीन है। क्या मैं आशा करूँ कि लाला राधाकृष्णकी सजा माफ कर दी जायेगी ?

आपका विश्वस्त,

अंग्रेजी (एस० एन० ६७६५) की फोटो-नकलसे।

१. तात्पर्य जुलाई १२, १९१९के अंकसे है।



## ३९९. पत्र : सुन्दरलालको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

जुलाई १२, १९१९

इसके साथ मैं 'यंग इंडिया' का वह अंक भेज रहा हूँ जिसमें लाला राधाकृष्णके मामलेकी चर्चा है। मेरी सम्मति में यह मामला अधिक नहीं तो बाबू कालीनाथ रायके मामले जितना बुरा तो अवश्य ही है और मेरा खयाल है चूँकि लाला राधाकृष्ण श्री रायके बराबर प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए आपको उनके मामलेमें और भी शीघ्रता करनी चाहिए। मेरे खयालसे श्री रायके मामलेमें जो तरीका अपनाया गया है, वही इस मामलेमें भी अपनाया जाना चाहिए। इस मामलेमें वकील, सम्पादक और आम जनता अलग-अलग ज्ञापन न देकर संयुक्त रूपसे एक ही ज्ञापन दें, कदाचित् इससे काम चल जायेगा। चूँकि मामला अब भी पंजाब सरकारके विचाराधीन है, अतः सभाएँ निश्चय ही की जायें। सार्वजनिक सभाओंमें प्रस्ताव पास करके वाइसराय और लेफ्टिनेंट गवर्नरको भेजे जा सकते हैं। मुझे यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि तत्काल राहत हासिल करनेके लिए तत्परता दिखाना आवश्यक है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६७४१) की फोटो-नकलसे।

## ४००. भाषण : स्वदेशीपर<sup>१</sup>

जुलाई १२, १९१९

गांधीजीने छात्रोंके सामने हिन्दीमें भाषण देते हुए कहा कि स्वदेशीके प्रश्नमें भाषाका प्रश्न भी शामिल है, इसलिए मैं आपके सम्मुख अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दीमें भाषण देना चाहता हूँ, अंग्रेजीमें नहीं; किन्तु मेरा विषय होगा कपड़ोंसे सम्बन्धित स्वदेशी।

डॉ० हैरॉल्ड मैन्ने पूनाके पास एक दक्षिणी गाँवकी स्थितिकी जाँच की है और यह देखा है कि आबादीका एक बड़ा हिस्सा हर साल काफी समयतक बेकार रहता है और उसे एक-एक रोजकी मजदूरी जैसे गाँवोंसे दूध लेकर पूना पहुँचाना, गोला-बारूदके

१. फिलार्सोफिकल क्लबके तत्वावधानमें आयोजित यह सभा फर्ग्युसन कॉलेज, पूनामें हुई थी। सभाकी अध्यक्षता कॉलेजके प्रिंसिपल श्री आर० पी० परांजपेने की थी।



कारखानेमें काम करना आदि पर गुजारा करना पड़ता है और इसमें भी ज्यादातर मर्दोंको ही काम मिल पाता है। तब स्त्रियाँ क्या करती हैं? या तो वे बेकार रहती हैं या वे ऐसे काममें लगी रहती हैं, जिससे कोई लाभ नहीं होता। समस्त भारतकी हालत ऐसी ही है। सर दिनशा वाछाने अनुमान लगाया है कि लड़ाईके दिनोंमें लोगोंको लड़ाईसे पहलेके पाँच वर्षोंकी अपेक्षा पहनने और ओढ़नेके लिए कम कपड़ा मिला है। कपड़ेकी यह जो कमी रहती है, उसको पूरा करनेके लिए क्या हमें नई मिलें खुलनेकी राह देखनी चाहिए? अगर हम इस कठिनाईसे छुटकारा पानेके लिए मिलोंके भरोसे बैठे रहे तो उसमें तो सालों लग जायेंगे। हमारी कपड़ेकी माँगकी पूर्तिमें जो भी कमी रह जाती है उसको जल्दी पूरा करनेका कारगर तरीका सिर्फ स्वदेशी है। सर विलियम हंटरने अनुमान लगाया है कि हमारे देशमें दस प्रतिशत लोगोंको दिनमें केवल एक वक्तका भोजन भी मुश्किलसे ही मिल पाता है। मैंने चम्पारनमें किसानोंकी जो हालत देखी है, उससे सर हंटरके इस अनुमानकी पुष्टि होती है। मैं कह सकता हूँ कि चम्पारनमें ज्यादातर किसानोंको बहुत कम खाकर सन्तोष करना पड़ता है। मेरी पत्नी स्वयं चम्पारन जिलेके गाँवमें घूमि है; और अपने इस अनुभवके आधारपर उन्होंने मुझे यह दुःखद तथ्य बताया है कि वहाँ अनेक स्त्रियोंके पास तन ढँकनेतक के लिए काफी कपड़ा नहीं है, और कुछके पास तो जो मैला कपड़ा वे पहने होती हैं, उसके अलावा और कोई कपड़ा ही नहीं होता कि वे नहाकर उसे बदल सकें,; जिसका नतीजा यह होता है कि वे लगातार कई दिनों तक नहा नहीं पातीं और उनके अपने तनके मैले कपड़ेको धोना भी उनके लिए कठिन होता है। हजारों किसान जाड़ेके दिनोंमें तापनेके लिए गोबरका अपना कीमती खाद जला देते हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास गर्म कपड़ा खरीदने लायक पैसे नहीं होते। और इस समस्त दुरवस्थाका कारण क्या है? डेढ़ सौ साल पहले वे स्वयं कपास पैदा करते थे, उससे सूत कातते थे और अपने लिए कपड़ा बना लेते थे। किन्तु आज उन्हें विदेशी बाजारोंपर निर्भर रहना पड़ता है। अतीत कालमें हमारी दस्तकारीका विनाश कैसे हुआ यह बताना मेरे लिए कष्टकर होगा और यह सब सुनकर आपको भी बड़ी वेदना होगी। हमारा भविष्य आप विद्यार्थियोंपर ही निर्भर है; अतः आपका कर्तव्य है कि किसानोंकी अवस्था की जाँच करें और उसे सुधारनेके उपाय सोचें एवं अपने जीवनसे उनके सम्मुख उदाहरण उपस्थित करें। आप चाहें तो थोड़े ही दिनोंमें कातना और बुनना सीख सकते हैं, और फिर आप गाँव-गाँव घूमकर किसानोंके बीच स्वदेशीका प्रचार कर सकते हैं तथा उन्हें यह बता सकते हैं कि वे किस प्रकार अपने खाली वक्तका उपयोग सूत कातने और कपड़ा बुननेमें करके

१. (१८४०-१९००); भारतमें २५ वर्ष तक राजकीय सेवा की। इंडियन एम्पायर तथा अनेक पुस्तकें लिखीं। १४ खंडोंमें इम्पीरियल गैज़ेटियर ऑफ इंडियाका संकलन किया। वाइसरायकी परिषद्के सदस्य (१८८१-८७)। अवकाश प्राप्त करनेके बाद कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटीके सदस्य बने और १८९० से भारतीय मामलोंपर लंदन टाइम्समें लिखते रहे।



भुखमरी और दुष्कालोंका सामना कर सकते हैं। यदि किसी देशके किसानोंको सालमें छः महीने बेकार रहना पड़ता हो, तो यह सचमुच, उसके लिए बड़ी चिन्ताकी बात है।

इसके बाद श्री गांधीने जनताके सामने प्रस्तुत अपनी तीन प्रतिज्ञाओंको समझाया और कहा कि सबसे विशुद्ध स्वदेशी तो हाथ कते सूतसे करघेपर बुने गये कपड़ेके उपयोगमें ही निहित है। कपड़ोंके मशीनोंसे बने रहनेकी बात छोड़ दें तो भी इसमें शक नहीं है कि मैं जो कपड़ा पहने हूँ वह आपके कपड़ेसे ज्यादा कलापूर्ण है। कलाका मतलब तो ऐसी वस्तु बनाना है जिसकी हबहू नकल नहीं की जा सके, जिसपर किसी आदर्शकी छाप लगी हो, संक्षेपमें, जिसमें कलाकारकी आत्मा बसी हुई हो। मशीनोंसे बने कपड़ेमें आत्माका सौरभ नहीं होता। और हाथका बना कपड़ा ज्यादा मजबूत होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। किन्तु यदि आप मेरे कला-सम्बन्धी विचारोंसे सहमत न भी हों तो आप देशी मिलोंके कपड़ेका सहारा ले सकते हैं, और किसान अपने घरोंमें अपने लिए स्वयं ही कात और बुन सकते हैं।

यदि हम इस नष्ट कलाके जीर्णोद्धार, मातृभूमिकी सेवा और किसानोंकी रक्षाकी दृष्टिसे सोचें तो हम देखेंगे कि स्वदेशी ऐसी चीज है कि उसके बिना इनमें से एक भी बातका होना सम्भव नहीं है। कुछ समय तक तो आपको मोटे सूतके बने कपड़ेसे ही सन्तोष करना होगा, किन्तु इसमें जो बड़े-बड़े प्रश्न आते हैं उनको देखते हुए आपका यह त्याग बहुत कम कहलाएगा।

उन्होंने विशेष जोर देकर कहा कि मैं हाथकरघोंको शक्तिचालित करघोंकी होड़में ला रहा हूँ। उद्देश्य यह नहीं है कि ये शक्तिचालित करघोंका स्थान पूरी तरह ले लें; बल्कि यह है कि हाथकरघे शक्तिचालित करघोंकी कमी पूरी करें। मेरे कहनेका आशय यह है कि हमारी मिलें चाहे जितनी उन्नति कर लें, उससे किसानोंकी हालत कदापि नहीं सुधर सकती। उनकी आर्थिक मुक्ति तो गृह-उद्योगोंको — कताई और बुनाईको — पुनरुज्जीवित करनेसे ही सम्भव है। मुझे आशा है कि आप इस समस्त प्रश्नपर अपने प्राध्यापकोंके साथ विचार-विमर्श करेंगे और आप भी तथा प्राध्यापकगण भी जैसा उचित जान पड़ेगा, वैसे मार्गका अवलम्बन करके धार्मिक भावनासे स्वदेशीका समर्थन करेंगे।

प्रिसिपल परांजपेने श्री गांधीको धन्यवाद देते हुए कहा कि श्री गांधीने अपना भाषण हिन्दीमें दिया है; अतः मैं उसे पूरी तरह नहीं समझ सका हूँ। मुझे उनके कथनका सार-मात्र मिल सका है। किन्तु मैं बाकीके बारेमें अनुमान लगा सकता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मेरे खयालसे श्री गांधीने जो जिहाद छोड़ा है वह अव्यावहारिक है, और साथ ही उन्होंने ऐसा माननेके कुछ कारण भी बताए। फिर उन्होंने कहा कि डेढ़ सौ साल पहले हम सम्भव है अपना कपड़ा स्वयं ही बनाते होंगे। इसी प्रकार हम बहुत पुरानी किस्मकी बैलगाड़ियोंपर बैठकर दूर-दूरकी मंजिलें तय करते थे, और हमारे कारवाँ भी इसी पुराने ढंगसे देशका माल बाहर ले जाते थे और बाहरका माल यहाँ देशमें लाते थे। फिर यहाँ रेलें आ गईं और उन्होंने इन गाड़ीवानोंके धन्धेको नष्ट कर दिया। क्या श्री गांधी



यह चाहते हैं कि अब रेल-व्यवस्थाको समाप्त करके उसके स्थानपर फिर वाणिज्य-व्यवसायके उसी आदिम साधनको कायम कर दिया जाये ? मेरे खयालसे काल-प्रवाहको बदलने और किसी आर्थिक समस्याका भावनात्मक हल ढूंढनेका प्रयास व्यर्थ है। इसी प्रकार यह कहना भी असंगत होगा कि पुराने जमानेके लिपिकोंका स्थान ले लेनेवाले छापाखानोंको बन्द कर दिया जाये और उनकी जगह हम फिर लिपिकोंसे अपना लिखाईका काम कराने लें। इस सम्बन्धमें अभी तो मैंने अपना विचार स्थिर नहीं किया है; किन्तु श्री गांधीके भाषणसे मेरी शंकाकी निवृत्ति नहीं होती।<sup>१</sup>

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १६-७-१९१९

### ४०१. भाषण : पूनाकी सभामें स्वदेशीपर

जुलाई १२, १९१९

श्री गांधीने सभामें श्री खाडिलकर द्वारा अपना परिचय दिये जानेके बाद हिन्दीमें भाषण देते हुए कहा कि मैं प्रारम्भमें स्वदेशीपर राजनीतिक दृष्टिकोणसे नहीं, बल्कि आर्थिक और धार्मिक दृष्टिकोणसे विचार करना चाहता हूँ। स्वदेशीको जिस रूपमें मैं समझता हूँ उस रूपमें वह कुछ ऐसे विशेष आर्थिक और धार्मिक सिद्धान्तोंपर आधारित है जिनके अनुसार वाइसरायसे लेकर उनका चपरासी तक सभी उसे स्वीकार कर सकते हैं। इसके उपासकोंमें नरमदल और गरमदल-जैसा कोई भेद नहीं होता और यह ऐसा आन्दोलन है कि उसके प्रभावके अन्तर्गत सभी प्रजातियों, जातियों और धर्मोंके लोगोंको लाना सम्भव है। इस प्रकार, इसमें बहिष्कारकी कोई गुंजाइश नहीं है। यह कुछ साल पहले स्वदेशीका मुख्य तत्त्व था; या यों कहें कि व्यवहारतः बहिष्कार ही स्वदेशी था। इसलिए मैं आपसे साग्रह अनुरोध करता हूँ कि आप स्वदेशीका खयाल करते वक्त अपने मस्तिष्कसे बहिष्कारकी बात बिलकुल निकाल दें।

मुझे याद है जब दक्षिण आफ्रिकासे लौटनेके कुछ दिन बाद मैं पूना आया था तब यहाँ मैंने भाषण देते हुए कहा था कि पूना जो बात आज सोचेगा, वही बात कल सारा देश सोचेगा। मेरी राय अब भी यही है। मेरी धारणा है कि भारतका कोई भी नगर शिक्षा और त्यागवृत्तिमें पूनाका मुकाबला नहीं कर सकता, और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि पूनामें मेरी स्वदेशीकी बात मान ली जाये तो मेरा आधा काम हो चुकेगा। मेरी रायमें पूनामें जो कमी है वह है केवल श्रद्धा और आत्मविश्वासकी। मेरे खयालसे पूनाके लोग अब भी यही मानते हैं कि पश्चिमके रंगमें रंगे बिना हमारा

१. अपने भाषणकी इस रिपोर्टको छापते हुए इसके आगे गांधीजीने यंग इंडियामें सम्पादकीय टिप्पणी भी दी। देखिए “आचार्य परांजपेकी आलोचनापर टिप्पणी” १६-७-१९१९।

२. देखिए खण्ड १३।



उद्धार नहीं है। इस मान्यताका त्याग करके ही पूना देशको वर्तमान निराशापूर्ण स्थितिसे निकालनेमें सच्ची सहायता दे सकेगा।

स्वदेशीकी व्याख्या करते हुए श्री गांधीने एक घरेलू उपमा दी। उन्होंने कहा, मान लीजिए किसी आदमीके पास काफी खाद्य सामग्री है और तरह-तरहके सुस्वादु व्यंजन बनानेके लिए गृहिणी भी घरमें है; किन्तु फिर भी वह अपने लिए किसी होटलसे भोजन मँगाये तो उसे आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे न कि उसका दिमाग दुरुस्त नहीं है। उसी प्रकार यदि कोई राष्ट्र इस मनुष्य-जैसा आचरण करे तो उसके बारेमें भी यही कहा जा सकता है कि उसका दिमाग दुरुस्त नहीं है; और भारत इसका एक उदाहरण है। आजसे डेढ़ सौ साल पहले वह अपनी जरूरतके लिए खुद ही कपड़ा तैयार करता था। और चाहे सूती हो या रेशमी, इसके द्वारा तैयार किये गये कपड़ेकी बुनाई इतनी अच्छी होती थी कि संसारके किसी भी देशका कपड़ा उसकी होड़ नहीं कर सकता था। लेकिन आज वह अपनी जरूरतके कपड़ेमें से ज्यादातर बाहरके देशोंसे मँगाता है। उदाहरणके लिए पिछले साल भारतने बाहरसे कपड़े मँगाकर ६० करोड़ रुपये विदेशोंको दे दिये। यह परावलम्बन मूर्खता भी है और पाप भी। यदि हम अपने लिए कपड़ा बनानेका अपना पुराना धंधा छोड़कर किसी अधिक लाभप्रद काममें लग गये होते तो मुझे कोई आपत्ति न होती। किन्तु तथ्य यह है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे देशके किसान, जिनकी संख्या चौबीस करोड़ है, सालमें छः महीने बेकाम रहते हैं। मैं खेड़ा और चम्पारनके किसानोंके बीच रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वे सालके आधे हिस्से बेकार रहते हैं। ये लोग जबतक स्वावलम्बी नहीं हो जाते, अर्थात् जबतक अपनी आजीविका खुद नहीं कमाने लगते और अपने हाथसे कात-बुनकर अपना कपड़ा खुद नहीं बनाते, तबतक इन लोगोंकी हालत नहीं सुधारी जा सकती। इसके बाद उन्होंने अहमदाबादके निकट स्थित बीजापुर नामक एक गाँवका उदाहरण देते हुए कहा कि इस गाँवमें परम देशभक्त और आत्मत्यागी विधवा श्रीमती गंगाबाई मजमूदारके अथक प्रयत्नोंसे चार सौ मुस्लिम स्त्रियाँ, जिनके पास पहले कोई धंधा नहीं था और जो परदेके कारण बाहर नहीं निकल सकती थीं, अपने घरोंमें चरखे चलाने लगी हैं और इससे उनकी आमदनी बढ़ गई है। इन बेरोजगारोंको रोजगार देनेका श्रेय गंगाबाईको ही है और उनके उदाहरणका सर्वत्र अनुकरण किया जाना चाहिए। आप जर्मनी और इंग्लैंडकी बात सोचिए कि उन्होंने युद्ध-कालमें अपनी खाद्य-समस्या कैसे हल की, कैसे उन्होंने बंजर भूमिको तोड़कर छः महीनेमें उसमें आलू उपजाना शुरू कर दिया। निश्चय ही सूत कातना और अपनी जरूरतके कपड़े खुद बुनना, आलू उपजानेसे कम कठिन काम है। किन्तु यह तो प्रश्नका आर्थिक पहलू है। अभी इस प्रश्नको धार्मिक दृष्टिसे पेश करना तो शेष ही है। स्वदेशीकी परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी आवश्यकताओंके लिए दूरके स्थानोंका नहीं, बल्कि आसपासके स्थानोंका उपयोग करना चाहिए और उन्हींकी सेवा भी करनी चाहिए। मेरे खयालसे लोग अपने पड़ोसकी उपेक्षा करके दूरके क्षेत्रोंका ही ध्यान रखें तो



यह दया नहीं है और दयाको महान् तुलसीदासने सब धर्मोंका मूल बताया है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि मनुष्यका पहला और सर्वोच्च कर्त्तव्य अपने पड़ोसकी वस्तुओंका उपयोग करना और अपने पड़ोसियोंकी ही सेवा करना है। यदि वह अपनी जरूरतकी चीजों और सेवा करनेके लिए दूर जाये तो उसका अर्थ यह है कि वह दूसरोंकी अपेक्षा अपना ही खयाल अधिक करता है। श्री गांधीने कहा :

अबतक हमने अपने कीमती खाली वक्तका खासा हिस्सा बरबाद किया है और अब हमारे लिए ठीक यही है कि हम उसका सदुपयोग करनेका प्रयत्न करें और अपना श्रम अपनी जन्म-भूमिकी सेवाके लिए अर्पित करें।

इसके बाद उन्होंने स्वदेशीकी तीन प्रतिज्ञाओंको समझाया और कहा कि मेरा विचार है कि कारखानोंमें बने कपड़ोंकी अपेक्षा हाथकते सूत द्वारा हाथके बुने कपड़ोंमें ज्यादा कला है। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे इस विचारसे सहमत हो सकें। यदि हम यह भी मान लें कि भारतमें कभी इतनी मिलें हो जायेंगी कि उनसे हमारी आवश्यकताका पूरा कपड़ा बन सकेगा, तब भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें देशकी स्त्रियाँ अपने समयका इससे अधिक अच्छा उपयोग कर सकें या जिससे वे लोग, जिनके पास आजीविकाके सम्मानपूर्ण साधन नहीं हैं, कताई और बुनाईसे अधिक सम्मानपूर्ण साधन प्राप्त कर सकें। स्वदेशीकी प्रवृत्तिका मुख्य अंग यथासम्भव अधिकसे-अधिक वस्त्रका उत्पादन करना है और इसकी कितनी जरूरत है, इसके बारेमें तो जितना कहा जाये कम होगा। हमारे कार्यक्रमकी सफलताके लिए धैर्य, देशप्रेम और आत्म-त्याग अत्यन्त आवश्यक हैं और मुझे आशा है कि पूनाके लोग मेरे आह्वानका सोत्साह उत्तर देंगे तथा अपनी गौरवमय परम्पराओंको सत्य सिद्ध करेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १६-७-१९१९

## ४०२. पत्र : छगनलाल गांधीको

गामदेवी

बम्बई

रविवार, आषाढ वदी १ [ जुलाई १३, १९१९ ]

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। पूनासे मैं आज सुबह ही आया। गवर्नर महोदयके साथ लगभग दो घंटे बातचीत हुई। परिणाम स्वरूप लड़ाई फिलहाल मुलतवी रहेगी। मुझे वाइसरायके पत्रकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि वे चाहें कि फिलहाल मुझे लड़ाई स्थगित रखनी चाहिए तो मैं वैसा करनेको तैयार हूँ, यह मैं उनसे कह आया हूँ। आज-कलमें पता चलेगा कि मुझे

१. देखिए “ स्वदेशी सभाके नियम”, १-७-१९१९।



क्या करना होगा। जैसा ट्रान्सवालमें हुआ था, यहाँ भी वैसा ही होने लगा है। २,५०० रुपयेकी जो रकम आई है, उसे सत्याग्रहके खातेमें चढ़ा लेना। उसका उपयोग मेरी इच्छानुसार लड़ाईके कामोंमें किया जायेगा। चि० मगनलाल जहाँ हो वहाँ उसे लिखना कि वह कमसे-कम एक दिन गोंडलमें व्यतीत करके आये। रणछोड़भाईसे मिले, और बातचीत करे। यदि वे रू-बरू की इस बातचीतके बाद योग्य समझें तो कुछ काम तो तुरन्त कर सकते हैं। खड्डी आदिके सम्बन्धमें भी सहायता कर सकते हैं। मेरी समझमें हमें बहुत सारी खड्डियोंकी जरूरत पड़ेगी।

अनसूयाबेनका यह कहना मुझे याद है कि अम्बालाल भाईकी ओरसे तुम्हें कुछ पैसे दिये गये हैं। सोमनाथ रूपजीके सम्बन्धमें गिरजाशंकरसे मिलना। वे जैसा कहें वैसा करना।

आशा है, तुम दोनोंकी तबीयत ठीक होगी।

मुझे ऐसा लगता है कि इस सप्ताह में वहाँ नहीं आ सकूंगा। मेरी समझमें मुझे बम्बईमें उपस्थित रहना चाहिए। बहुत करके मैं आगामी शनिवारको निकलकर वहाँ आ सकूंगा।

लड़ाईकी खबर आश्रममें सबको देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (एस० एन० ६७४३) की फोटो-नकलसे।

### ४०३. भाषण : बम्बईमें दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंपर<sup>१</sup>

जुलाई १३, १९१९

आज जिस प्रश्नपर विचार करनेके लिए हम इकट्ठे हुए हैं वह बहुत ही महत्त्वका है। साथ ही — उस सम्बन्धमें जल्दी निर्णय करनेकी भी आवश्यकता है। यदि हम किसी भारतीयके दुःखमें भाग लेनेको तैयार न हों तो यह कहा जा सकता है कि हम लोग स्वतन्त्र होनेके योग्य नहीं हैं। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी कठिनाइयोंको वे ही जान सकते हैं जिन्होंने वहाँ रहकर उन कठिनाइयोंको भोगा है। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय बहुत वर्ष पहले ही चले गये थे। उस कालमें मोरक्कोके रास्ते से आना-जाना होता था। चालीस वर्षसे बहुत-से भारतीयोंने शर्तबन्द होकर गिरमिटियोंके रूपमें वहाँ जाना शुरू कर दिया था। बादमें वे वहाँ अपनी गिरमिटकी अवधि समाप्त होनेपर स्वतन्त्र व्यक्तियोंकी तरह बसने लगे। और इनकी जरूरतका सामान मुहैया करनेके लिए हमारे यहाँसे कुछ भारतीय — मेमन भाई व्यापारके उद्देश्यसे वहाँ गये।

जिस समय ट्रान्सवालमें सोनेकी खानें मिलीं उस समय आसपाससे बहुत सारे अंग्रेजों-ने आकर परिस्थितिका लाभ उठाया और मन-माना कमाया भी। कुछ भारतीयोंने भी

१. होमरूल लीगके तत्वावधानमें आयोजित इस सभाकी अध्यक्षता श्री फैज० बी० तैयबजीने की थी।



थोड़ा-बहुत कमाया। बादमें कुछ गोरोंने भारतीयोंको ट्रान्सवालसे निकाल बाहर करनेके लिए राष्ट्रपति क्रूगरको सुझाव दिया। उस समय राष्ट्रपति क्रूगर भारतीयोंको नहीं निकाल सके, लेकिन उसके बाद १८८५ में ऐसा कानून बनाया गया कि जिससे वहाँ हमारे भारतीय भाइयोंके सामने बहुत परेशानियाँ आ खड़ी हुईं। इस कानूनमें दो मुख्य व्यवस्थाएँ थीं। एकके द्वारा कोई भी “भारतीय” ट्रान्सवाल में स्थावर सम्पत्तिका स्वामी नहीं हो सकता था। दूसरी व्यवस्था, भारतीयोंको व्यापार करनेके लिए तीन पाँडका परवाना लेनेकी थी। उसके बाद एक और कानून बनाया गया जिसे “स्वर्ण-कानून” के नामसे पुकारा जाता है। इस कानूनसे सभी भारतीयोंके अधिकारोंमें रूकावट आने लगी।

१९१४में एक समझौता हुआ, किन्तु उसके द्वारा भारतीयोंकी सारी कठिनाइयाँ दूर न हो सकीं। भारतीयोंके विरुद्ध सरकारने जो नये कानून पास किये थे; उन्हें रद्द कर दिया गया। इन कानूनोंमें पंजीयनसे सम्बन्धित एक कानून था, जिसके विरुद्ध सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ी गई थी। १९१४ में मेरे और जनरल स्मट्सके बीच हुए समझौतेमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि भारतीय जनता इस समय जो अधिकार भोग रही है उन्हें ज्योंका-त्यों रहने दिया जायेगा। इस व्यवस्थाका भारतीय जनता एक अर्थ करती है और ट्रान्सवालके अधिकारी दूसरा। सन् १९१३ में भारतके तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंगने सर बेंजामिन रॉबर्टसनको उस समय दक्षिण आफ्रिका भेजा था जिस समय मैं वहाँ रहने-वाले भारतीयोंको कूच करते हुए ट्रान्सवाल ले जानेके लिए तैयारी कर रहा था। उस समय यहाँ भी सबको लगता था कि इसका अनुकूल परिणाम निकलेगा। फिर मेरे और श्री स्मट्सके बीच पत्र-व्यवहार हुआ और उससे कुछ स्पष्टीकरण हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ गोरोंने भारतीयोंको ‘स्वर्ण-क्षेत्र’ की सीमामें परवाना-तक न देनेका सुझाव दिया था। १८८५ के कानूनको, जो भारतीयोंकी स्थावर सम्पत्तिके प्रश्नसे सम्बन्धित है, आजतक कोई दूर नहीं करवा सका। लेकिन मैं वकीलके रूपमें लोगोंको यह विधिसम्मत सलाह देता था कि हम अपनी जमीन [किसी गोरेके पास] गिरवी रखकर उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अनुसार हमारे अनेक भारतीय भाइयोंने वहाँ भूमि दूसरोंके नाम कर दी थी। इसी तरह, यदि दो-चार व्यक्ति मिलकर कम्पनी स्थापित करें तो वे स्वयं अपने नामपर जमीन ले सकते हैं; इस छूटके कारण कार्पोरेशनके रूपमें भी हमारे भारतीय भाइयोंके पास वहाँ जमीनें हैं।

लेकिन अब ये अधिकार भी छीन लिये गये हैं। यह तो स्वीकार करता हूँ कि उसमें एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार जिन भारतीयोंके पास पहलेसे ही जमीन और स्थावर सम्पत्ति है उनपर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी; किन्तु उनके अलावा अन्य भारतीय अबसे इस तरह जमीनें कम्पनीके रूपमें भी नहीं ले सकेंगे। यह बहुत ही अनुचित है।

अभी हाल ही में ऐसा कानून बनाया गया है जिसके अनुसार ३१ मईके बाद कोई भारतीय व्यापार भी नहीं कर सकता। इस तरह उनसे व्यापार करनेके वर्षोंसे प्राप्त अधिकार जबरदस्ती छीन लिये गये हैं। भारतीयोंके रूपमें हमें, एक स्वरसे, ऐसी विषम स्थितिकी ओर भारत-सरकारका ध्यान खींचना चाहिए। हमारी यह लड़ाई कोई भारत सरकारके साथ नहीं है, बल्कि उसके हाथ मजबूत करनेके लिए है। इससे भारत



सरकारको कुछ नुकसान होनेकी बात बिलकुल ही नहीं है। लेकिन यदि कदाचित् ब्रिटिश सरकार इस काममें दक्षिण आफ्रिकी सरकारकी मदद कर रही हो तो हम यहाँ उसका ऐसा कड़ा विरोध करेंगे कि उसे मजबूरन हमारा पक्ष लेना पड़ेगा। दक्षिण आफ्रिकाकी सरकारने मेरे इस तर्कको स्वीकार किया था कि दक्षिण आफ्रिकामें स्थायी वास करनेके लिए आनेवाले लोगोंसे सम्बन्धित [आव्रजन] विधेयकमें रंगभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वहाँकी गोरी प्रजा हमारे ये अधिकार छीन लेनेके लिए तुली हुई है।

दुर्भाग्यसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके लिए जी-तोड़कर काम करनेवाले योग्य पुरुष आज वहाँ नहीं हैं। इनमें से एक श्री सोराबजी शापुरजी अडजानिया थे जिनका दैवयोगसे स्वर्गवास हो गया है। दूसरे श्री अहमद मुहम्मद काछलिया थे, इनका भी देहान्त हो गया है और तीसरे श्री पोलक थे किन्तु वे दक्षिण आफ्रिकामें न रहकर आजकल लन्दनमें रहते हैं। एक व्यक्ति अभी वहाँ है, लेकिन वे अपना काम करनेके बाद ही दूसरा काम हाथमें लेंगे।

संक्षेपमें, मैं इतना ही कहूँगा कि जब हम यह देखें कि दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले भारतीय भाइयोंके अधिकार ऐसे अनुचित ढंगसे छीने जा रहे हैं तो हमें अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इन प्रस्तावोंका समर्थन करेंगे।

(१) यह सभा, दक्षिण आफ्रिकी संघ-संसद द्वारा पास किये गये एशियाई भूमि और व्यापार संशोधन विधेयकके विरुद्ध कड़ा विरोध प्रदर्शित करती है; क्योंकि उससे सन् १९१४ में श्री गांधी और श्री स्मट्सके बीच हुआ समझौता भंग होता है तथा वह ट्रान्सवालमें कानूनन रहनेवाले भारतीयोंके अधिकारोंमें खलल डालता है। इसलिए भारत-सरकारको साम्राज्यीय सरकारसे इस विधेयकको रद्द करवाना चाहिए।

(२) यह सभा, ट्रान्सवालमें बसनेवाले अपने भारतीय नागरिकोंके प्रति, सम्राट्के नागरिकोंके रूपमें मिलनेवाले जिनके आवास सम्बन्धी अधिकारोंपर अनुचित और बिना कारण प्रहार होता है और जो वीरतापूर्वक उसके विरुद्ध लड़ाई चला रहे हैं, अपनी सहानुभूति प्रकट करती है और उनका समर्थन करती है।<sup>१</sup>

[ गुजरातीसे ]

गुजराती, २०-७-१९१९

१. इन प्रस्तावोंको न्यू इंडियामें प्रकाशित प्रस्तावोंसे मिला लिया गया है।



४०४. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको

बम्बई  
जुलाई १४, १९१९

प्रिय श्री ग्रिफिथ,

मुझे आपकी भेजी सूचना<sup>१</sup> मिली। मैंने अखबारोंको कोई वक्तव्य नहीं दिया है और जबतक खबर नहीं मिलती, निश्चय ही दूंगा भी नहीं। ए० प्रे० का<sup>२</sup> जो तार पत्रोंमें आज छपा है, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ६७४६) की फोटो-नकलसे।

१. यह इस प्रकार थी :

प्रधान पुलिस कार्यालय  
बम्बई  
१४-७-१९१९

आवश्यक

प्रिय श्री गांधी,

मुझे अभी-अभी श्री क्रिररका निम्नलिखित तार मिला है :

“कृपया श्री गांधीको सूचित करें कि परमश्रेष्ठ यह मान रहे हैं कि वे अगला पत्र मिलने तक शनिवारकी भेंटके सम्बन्धमें कोई वक्तव्य न देंगे। यह पत्र उन्हें जल्दी ही भेजा जायेगा।”

हृदयसे आपका,  
एफ० सी० ग्रिफिथ

पुनश्च :

क्या आप पत्रवाहकके हाथ इस पत्रकी पहुँच सूचित करनेकी कृपा करेंगे ?

२. एसोसिएटेड प्रेस।



## ४०५. पत्र : आर० पी० परांजपेको

[ बम्बई  
जुलाई १४, १९१९ ]

प्रिय प्रो० परांजपे,

हमारे आदर्शोंमें अन्तर होनेपर भी अपने छात्रोंके सम्मुख भाषण देनेकी अनुमति देकर आपने सचमुच मुझपर बड़ी कृपा की। इसलिए मुझे इस बातसे बहुत दुःख हुआ कि मेरी बातोंकी जब आपने आलोचना की तो छात्रोंने सीटी बजाकर अपना असन्तोष प्रकट किया। मुझे अपने छात्रोंके सम्मुख बोलनेकी अनुमति देनेके बाद आपने जो-कुछ किया, उससे अधिक किसी बातकी अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी, और मैं चाहता हूँ आप उन्हें इस सम्बन्धमें मेरी भावनासे अवगत करा दें। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि तालियाँ पीटना या सीटी बजाना तालीमका कोई हिस्सा नहीं है; अध्ययन-कालमें छात्रोंका मन ऐसा शान्त रहना चाहिए कि भावना या जोशको उभारनेवाली दलीलोंका उसपर कोई अनुकूल या विपरीत प्रभाव न हो। उनका कर्तव्य यह है कि वे हर बातपर विनीत भावसे विचार करें, उसे तोलें और जो बात उनके आवेगशून्य विवेकको उचित जान पड़े उसे अपने जीवनमें पिरोयें।

और अब दो शब्द आपकी आलोचनाके उत्तरमें; चूँकि आप मशीनोंके सम्बन्धमें मेरे विचारोंसे अवगत हैं, इसलिए आपने यह अनुमान लगा लिया कि भाषणमें क्या-कुछ बोल रहा हूँ और फिर आपने मेरी आलोचना उसी अनुमानके आधारपर की, न कि मैंने सचमुच जो-कुछ कहा<sup>१</sup> उसके आधारपर। इस सम्बन्धमें मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं स्वदेशीके प्रचारको अपने मशीन-सम्बन्धी विचारोंसे बिलकुल अलग रख रहा हूँ और अगर आप, मैंने स्वदेशीके सम्बन्धमें जो विभिन्न प्रतिज्ञापत्र तैयार किये हैं, उन्हें देखें तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी। इसलिए गाड़ीवानों या लिपिकोंके भाग्यका इस आन्दोलनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इन दोनों वर्गोंके लोगोंको दूसरे धन्धे मिल गये हैं। स्वदेशीके बारेमें मेरा तर्क यह है कि हमारे किसानोंने, जिनकी पत्नियाँ पहले सूत कातती थीं और जो स्वयं उसे बुनते थे, अन्य कोई धन्धा पाये बिना इस धन्धेको बन्द कर दिया है। मैं राष्ट्रके इस खाली समयका उपयोग<sup>२</sup> करना चाहता हूँ— ठीक वैसे ही जैसे कोई हाइड्रॉलिक इंजीनियर बड़े-बड़े जलप्रपातोंका उपयोग करता है। अगर आपको मशीनोंके बने अच्छे और सस्ते कचौड़ी-समोसे मिल जायें तब भी आप निश्चय ही उस समय तक नहीं चाहेंगे कि हमारी स्त्रियाँ कचौड़ी-समोसे बनाना बन्द कर दें जबतक कि आप, इस प्रकार उनके श्रमकी जो बचत होगी, उसे किसी उच्चतर

१. देखिए “ भाषण : स्वदेशीपर ”, १२-७-१९१९ ।



उद्देश्यमें लगानेका उपाय न ढूँढ़ लें। आपके और मेरे सामने आज समस्या यह है कि भारतके २४ करोड़ किसान हर साल जो छः महीनेका समय लगभग बिना किसी कामके बिताते हैं, उसका क्या उपयोग किया जाये। मेरे विचारसे यह मजबूरन बेकारी जन-साधारणकी बढ़ती हुई गरीबीके लिए अगर प्रमुख रूप नहीं तो उतनी जिम्मेदार तो है ही, जितना कि करोंका भारी बोझ। आप कहते हैं कि अगर स्वदेशीके अनुयायी हमारी मिलोंमें बने कपड़ेका उपयोग करने लगेंगे तो गरीब लोग तकलीफमें पड़ जायेंगे। मेरा खयाल है, आपकी इस आपत्तिका पूरा निराकरण मैंने जो योजना सुझाई है, उसमें कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत मिलोंमें बने कपड़ेका उपयोग २० प्रतिशत लोग ही करेंगे और ये २० प्रतिशत लोग वे होंगे जिन्हें, सम्भव है, हाथ-कते सूतके मोटे किन्तु कलापूर्ण कपड़ोंसे सन्तोष न हो।

अगर इतनेसे बात साफ नहीं हो पाई है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया दस-पाँच मिनट देकर इन तकोंकी काटमें जो-कुछ कहना चाहें लिख भेजें। आप जानते हैं कि मैं आपकी आलोचनाकी बहुत कद्र करता हूँ। आप जैसे मंत्री-पूर्ण स्वरमें ज्ञान-भरी आलोचना करते हैं, उससे मैं बहुत-कुछ सीखूँगा। और कहनेकी जरूरत नहीं कि अगर आपने मुझे मेरी कोई गलती दिखा दी तो मैं उसे स्वीकार करने और सुधारनेमें तनिक भी आगा-पीछा नहीं करूँगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६७४७) की फोटो-नकलसे।

## ४०६. पत्र : डी० एन० नगरकट्टीको

जुलाई १४, १९१९

प्रिय महोदय,

यदि यह सूचित कर सकें कि निजामके राज्यमें हाथसे सूत कातनेका उद्योग अभी चल रहा है या नहीं और यदि चल रहा है तो किन-किन नम्बरोंका सूत काता जाता है और इस तरह हर साल कुल कितना काता जाता है, तो बड़ी कृपा हो। मुझे यह भी बतानेकी कृपा करें कि महाविभव निजामके राज्यमें कितने हाथ करघे चल रहे हैं और उनसे हर साल कितना और कितने मूल्यका कपड़ा तैयार किया जाता है।

हृदयसे आपका,

डी० एन० नगरकट्टी  
सहायक उद्योग-निदेशक  
हैदराबाद, दक्खिन

अंग्रेजी (एस० एन० ६७४८) की फोटो-नकलसे।

१. नगरकट्टीने गांधीजीको इसका उत्तर १०-८-१९१९ को दिया था; देखिए एस० एन० ६७९५।



## ४०७. पत्र : छगनलाल गांधीको

[ बम्बई  
जुलाई १४, १९१९ ]

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला ।

तुमने जो १०० रुपयेका चेक भेजा, वह रेवाशंकर भाईके पतेपर मिला है । तुम्हें उसकी ओरसे इसकी प्राप्ति रसीद मिल गई होगी । इसके अलावा पोलकके हिसाबमें ४,००० रुपयेका और दक्षिण आफ्रिका सम्बन्धी खर्चके लिए १,००० रुपयेका चेक भी मिला है । वह भी यहीं जमा कराया गया है । इसे तुमने तत्सम्बन्धी खातेमें दर्ज कर लिया होगा । स्वदेशी-स्टोरके आँकड़ोंके सम्बन्धमें कुछ उपाय कर रहा हूँ ।

वाइसरायकी ओरसे अन्तिम पत्रकी राह देख रहा हूँ । उसके आने तक कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता । मेरा विचार शनिवारको रवाना होकर वहाँ आनेका है । आज लेडी टाटा, लेडी पेटिट और श्रीमती जहाँगीर पेटिट [ कातना ] सीखने आई थीं । वे एक-एक चरखा भी ले जायेंगी । कौन जाने क्या खूबी है, लेकिन मछली जैसे पानी पसन्द कर लेती है वैसे ही स्त्रियोंने भी चरखेको अपना लिया है ।

बापूके आशीर्वाद

[ पुनश्च : ]

कामका तुमपर कितना-क्या बोझ है ? रेवाशंकर कैसा काम करता है ?

गुजराती पत्र (एस० एन० ६७४५) की फोटो-नकलसे ।

## ४०८. पत्र : मामा फडकेको

बम्बई  
मंगलवार, जुलाई १५, १९१९

भाईश्री मामा,

आपका पत्र मिला । ऐसा लगता है, मैं वहाँ आगामी सप्ताह आऊँगा । वर्तमान स्थितिको देखते हुए मैं मंगल अथवा बुधवारको वहाँ पहुँचूँगा । भाई वामनरावको भी

१. यह पत्र “पत्र : छगनलाल गांधीको”, जुलाई १३, १९१९के बाद, लेकिन “पत्र : मामा फडकेको”, जुलाई १५, १९१९ से पहले लिखा गया जान पड़ता है ! जिसमें गांधीजी कहते हैं कि वे आगामी सप्ताह मंगलवार अथवा बुधवारके दिन अहमदाबादमें होंगे ।

२. बड़ौदाके गंगानाथ विद्यालयके अध्यापक; बादमें गांधीजीके सहयोगी ।



यह समाचार दे देना। वैसे इस सबका आधार गवर्नर महोदयकी ओरसे मेरे नाम आने-वाले पत्रपर निर्भर करता है।

आपका काम कैसा चल रहा है? तबीयत कैसी रहती है?

मोहनदासके वंदेमातरम्

गुजराती पत्र (जी० एन० ३८०८) को फोटो-नकलसे।

## ४०९. आचार्य परांजपेकी आलोचनापर टिप्पणी'

[जुलाई १६, १९१९]

यह स्पष्ट है कि फर्ग्युसन कालेजके विद्वान् और लोकप्रिय आचार्य, जैसा कि उन्होंने स्वीकार भी किया, श्री गांधीके भाषणकी सब बातें नहीं समझ सके। जाहिर है, उन्होंने यह समझा कि श्री गांधी स्वदेशीके प्रचारमें यंत्र-सम्बन्धी अपने सुविदित विचारोंको दाखिल करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। सच तो यह है कि वे प्रयासपूर्वक इस बातसे बचकर बोले थे। उन्होंने स्वदेशीके सम्बन्धमें जो तीन प्रतिज्ञाएँ तैयार की हैं, उनमें मिलोंके बने कपड़ेके उपयोगको मान्यता दी गई है। उन्होंने अपने भाषणमें यह कहा था कि शहरोंके लोग मिलोंके कपड़ेका इस्तेमाल केवल तभी कर सकते हैं, जब किसान लोग हाथसे मोटा कपड़ा बनायें और उसे काममें लें। गाड़ीवानों और लिपिकोंसे इन प्रश्नोंका कोई सम्बन्ध नहीं है। इन दोनों वर्गोंके लोगोंने अन्य धन्धे ढूँढ़ लिये हैं, जब कि कृषक-वर्गके लोग खासतौरसे गाँवोंकी स्त्रियाँ, घरमें काम न होनेसे बहुत-कुछ बेकार रहते हैं। श्री गांधीने हाथसे कताई और बुनाई करनेका काम उन लाखों करोड़ों लोगोंके लिए सुझाया है, जिन्हें सालका लगभग आधा समय मजबूरन बेकार रहकर बिताना पड़ता है। सर दिनशा वाछाने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को कपड़ेकी कमीके बारेमें एक पत्र लिखा है और यह चेतावनी दी है कि "मिलोंमें अतिरिक्त तकुए और कस्बे लगानेकी कठिनाईको देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारतीय मिलोंकी उत्पादन क्षमतामें बहुत अधिक वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार इस स्थितिसे छुटकारा मिल जायेगा।" सर वाछाके कथनका उल्लेख करते हुए, 'मॉडर्न रिव्यू' लिखता है "क्या हाथ करघे और देशी चरखेसे जितना उत्पादन इस समय किया जाता है उससे अधिक उत्पादन करके इस दिशामें थोड़ी-और सहायता नहीं दी जा सकती? हमारा खयाल है दी जा सकती है।"

संपादक,  
यंग इंडिया

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-७-१९१९

१. यह १२ जुलाईको फिलॉसोफिकल क्लबके तत्त्वावधानमें फर्ग्युसन कॉलेज, पूनामें किये गये समारोहकी रिपोर्टके साथ सम्पादकीय लेखके रूपमें प्रकाशित की गई थी। इस समारोहमें गांधीजीके बोलनेके बाद आर० पी० परांजपेने अध्यक्षीय भाषणमें गांधीजीके भाषणकी आलोचना की थी। देखिए "भाषण : स्वदेशी पर", १२-७-१९१९।



## ४१०. पत्र : मगनलाल गांधीको

बुधवार

[जुलाई १६, १९१९]

चि० मगनलाल,

इस पत्रके लानेवाले भाई वेंकट कृष्णम्मा हैं। इन्हें प्रख्यात सत्याग्रही राजगोपालाचारीने भेजा है। इनका विचार मेहनत-मजदूरी करने का है। इनका कहना है कि ये हमें प्रति मास दस रुपये दे सकेंगे। वे यह भी कहते हैं कि उन्हें बरामदेमें ही जगह मिल जाये तो [भी] काफी होगी और ये हर तरहका काम करनेके लिए तैयार हैं। इनकी इच्छा करघेका काम सीखनेकी है। इन्हें शारीरिक मेहनतका जो काम देना चाहो देना, और साथ ही कातनेका काम भी शुरू करवाना। यदि ये ठीक काम करेंगे तो रहेंगे; इनको माफिक न आये तो ये जा सकते हैं। इस तरह जो व्यक्ति मुझे योग्य लगेगा उसे मैं भेजता रहूँगा। उसमें तुम्हें जब कुछ असुविधा हो तो मुझे लिख देना।

मैं शुक्रवारको गवर्नरसे मिलनेवाला हूँ। उस दिन ज्यादा ठीक पता चलेगा कि मेरी क्या स्थिति है। उम्मीद है, तुम सामलदासके लिए घरका बन्दोबस्त कर रहे होगे।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७७१) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

## ४११. पत्र : ए० एच० वेस्टको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

जुलाई १७, १९१९

प्रिय वेस्ट,

डबर्नसे लिखा हुआ तुम्हारा बिना तारीखका पत्र मिला, जिसमें तुमने मेरा कोई पत्र न मिलनेके कारण बहुत निराश होनेकी बात लिखी है। बात मेरी समझमें बिलकुल ही नहीं आई। यह सच है कि मैंने तुम्हें, श्रीमती वेस्टको तथा देवीको बहुत पत्र नहीं लिखे परन्तु इतने तो जरूर लिखे हैं कि तुम लोगोंको यह अन्दाज लग जाये कि मैं तुमको कभी नहीं भूल पाता। मैंने अपने एक पत्रमें अपनी कठिनाइयोंकी चर्चा की थी और यह

१. गवर्नरसे भेंट १९ जुलाई तक होनेवाली थी। देखिए “पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको”, १८-७-१९१९।



लिखा था कि अगर तुम मेरे पास होते तो मैं कितना खुश होता। कामकाज सम्बन्धी तुम्हारा एक भी पत्र अनुत्तरित नहीं रहा — लगभग मृत्यु-शय्यापर रहते हुए भी मैंने उत्तर दिये हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने तुम्हारा पत्र पाकर रुस्तमजीको लिख दिया था कि उन्होंने तुम्हें जो-कुछ दिया हो वह सब मेरे नाम डाल दें। मुझे यह भी स्मरण आ रहा है कि तुमने अपने एक पत्रमें रुपयोंके बारेमें रुस्तमजीको तार देनेके लिए लिखा था। परन्तु मैंने तार नहीं किया, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया तो लगा कि रुस्तमजीको उस समयतक मेरा पत्र मिल ही चुका होगा और महादेव देसाईने मेरे इस अन्दाजको ठीक भी बताया। सम्भव है, मेरे पत्र बीचमें खो जाते हों, यह भी मुमकिन है कि जिस स्वयं-सेवकको डाक डालनेका काम सौंपा गया है उसने कुछ पत्र लापरवाहीके कारण गिरा या खो दिये हों। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमसे ही नहीं पोलक, रामदास तथा अन्य लोगोंसे भी ऐसी ही शिकायतें सुननेको मिली हैं। जो-कुछ मैंने दूसरोंको लिखा है वही तुम्हें लिखा रहा हूँ कि वे मुझे क्षमा करें और यह कभी न सोचें कि मैं पत्रोत्तर देनेमें लापरवाही किया करता हूँ। क्या ही अच्छा होता कि मेरे पास और अवकाश होता ताकि मैं जितना और जब-जब लिखना चाहता, लिखा करता। परन्तु आज यह मेरे भाग्यमें नहीं बदा है। मैं रुस्तमजीको आज फिर उस ७० पौंडके बारेमें लिख रहा हूँ।

अभी हाल ही मैंने मणिलालको 'इंडियन ओपिनियन' के विषयमें पत्र लिखा है। उसने मुझे लिखा था कि या तो धनकी व्यवस्था कीजिए या विज्ञापन छापने और बाहरका काम लेनेकी अनुमति दीजिए। जब मैं वहाँ था तब मैंने जो राय दी थी वही राय मेरी आज भी है। यहाँ जो स्वार्थाचरण देखनेमें आ रहा है और अच्छे-बुरेका विचार छोड़कर जिस अंधाधुंध ढंगसे विज्ञापन लिए जाते हैं उसपर जितना अधिक सोचता हूँ और जितना अधिक मेरा खयाल इस बातपर जाता है कि ये विज्ञापनादि परोक्ष रूपसे चालाकीके साथ लिये गये ऐच्छिक कर के अलावा और कुछ नहीं हैं, और ये सब चीजें पत्रकारिताको किस प्रकार दूषित कर देती हैं और किस प्रकार उसे मुख्यतः एक व्यवसायका रूप दे देती हैं, उतना ही मुझे अपनी रायके सही होनेका विश्वास होता जाता है। कुछ भी हो, दो विसंगत कार्य एक साथ करना हरगिज उचित नहीं है। या तो 'इंडियन ओपिनियन' को धनोपार्जनका एक व्यवसाय मान लीजिए, और तब जनतासे यह आशा करना छोड़ दीजिए कि वह इस अखबारको देश-भक्ति, परोपकार या लोक-कल्याणका काम माने, या इस अखबारको दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले भारतीयोंकी आकांक्षाओंका मुख्य प्रतिनिधि पत्र मानकर जनताकी शुभ कामना, सदाशयता और सहायतापर पूर्ण रूपसे निर्भर रहिए। मैंने मणिलालको इस बातके लिए राजी कर लिया है कि 'इंडियन ओपिनियन' को व्यवसाय या धन्धेके रूपमें न चलाया जाये। मैंने उसे वहाँ इसलिए नहीं भेजा है कि वह वहाँ व्यापार करे बल्कि मैंने उसे वहाँ सार्वजनिक सेवाके लिए भेजा है। मुझे लगता है कि 'इंडियन ओपिनियन' ने आंशिक रूपमें ही सही, हमारे उद्देश्यकी पूर्ति की है। उसकी बदौलत अनेक भारतीय छापाखाने खुल गये और अनेक भारतीय समाचारपत्र निकलने लगे हैं। वे सब जनताकी कुछ-न-कुछ सेवा करते ही हैं। मणिलालमें नेतृत्व करने और मौलिक काम कर दिखानेकी योग्यता नहीं है, और इसमें उसका कोई दोष भी नहीं है। इसलिए उसके काम दूसरोंपर कोई छाप नहीं डाल पाते।



इसी कारण मैंने उसे यह सलाह दी है कि वह तुमसे और हस्तमजीसे परामर्श करे और चन्दा दे चुकनेवाले ग्राहकोंके हितोंका खयाल रखते हुए 'इंडियन ओपिनियन' बन्द कर दे तथा फीनिक्सकी उचित व्यवस्था करे। तुम छापाखानेको जैसा बनाना चाहते हो वैसा बनाओ और तुम लोग जिस ढंगको सर्वाधिक उचित समझो उस ढंगसे जमीनको बाँट दो। उसकी आमदनीका जो उचित समझो उपयोग करो, और वह अधिकांश किताबें लेकर अगर उनका और अच्छा उपयोग वहाँ न हो, यहाँ चला आये। रामदास तो वहाँ मुख्यतः व्यापारके लिए ही गया है। उसका काम जम गया है, ऐसा प्रतीत होता है। उसकी सुविधाओंका वहाँ पूरा खयाल रखा जा रहा है और वह यह सोचकर अपनेको सुखी मान रहा है कि 'मैं अन्तरात्माकी अवहेलना किये बिना कुछ-न-कुछ कमा लेता हूँ'। वह वहाँ जबतक रहना चाहे रहे।

मेरा खयाल है कि मैंने मणिलालको अपने किसी पत्रमें, एक सुझाव अबतक नहीं दिया है — वह बात शायद उसे पत्र लिख चुकनेके बाद सूझी थी। सुझाव यह है कि अगर तुम लोग अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हो तो 'इंडियन ओपिनियन' में फेरफार करके ऐसा किया जा सकता है। शायद इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम गुजराती अंश बन्द कर दो। केवल अंग्रेजी अंश छापो। इस प्रकार तुम उसे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय क्या कर रहे हैं और उनपर क्या-क्या नियोग्यतायें लदी हुई हैं — इस सबका प्रामाणिक विवरण भारत और इंग्लैंड भेजनेका, एक अच्छा साधन बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि उसे केवल व्यवसायकी तरह चलानेकी बातपर गौर करो। अगर मेरा सुझाव ठीक या व्यावहारिक जँचे तो उसकी विस्तृत योजना बना डालो, परन्तु यदि तुम्हें ऐसा लगे कि व्यवसायकी तरह वह लाभप्रद नहीं हो सकता तो फिर उसे बिलकुल भूल जाओ।

ट्रान्सवालके व्यापार तथा भूमि विधेयकके मामलेमें न्याय पानेका भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ परन्तु पूरी जानकारी न होनेके कारण अड़चन होती है। रिचने<sup>१</sup> मुझे पत्र लिखे हैं; नायडूने केवल एक बार लिखा था। अस्वातका एक तार<sup>२</sup> आया था। उसके अनुसार मैंने कार्रवाई तो तुरन्त कर दी थी। परन्तु लगभग १५ रोज हो गये मेरे तारका<sup>३</sup> कोई उत्तर नहीं मिला है। विधेयकके बारेमें ताजे समाचार जानना चाहता हूँ। तुम सारी जानकारी प्राप्त करके मुझे भेज सको तो अच्छा हो; नहीं तो सम्बन्धित सज्जनोंसे कहना कि वे मुझे उसके बारेमें ताजे समाचार लिख भेजें। यहाँ जो-कुछ हो रहा है उसे तुम 'यंग इंडिया' से जान सकते हो। यह अखबार लगभग मेरे ही हाथोंमें है। पता नहीं तुम उसे देखते हो या नहीं। उसकी प्रतियाँ फीनिक्स भेजी जाती हैं। देवीको यह अवश्य लिख देना कि मैं उसे पत्र<sup>४</sup> बराबर भेजा

१. एल० डब्ल्यू० रिच, दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीके कार्यालयमें काम करनेवाले एक मुंशी तथा दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति, लन्दनके मन्त्री।

२. देखिए "पत्र: अखबारोंको", २५-२-१९१९।

३. देखिए "पत्र: सर जहाँगीर पेट्टिको", २-७-१९१९; इसमें भी गांधीजीने लिखा था: "मैं आज उन्हें एक लम्बा तार भेजना चाहता हूँ।" यह तार उपलब्ध नहीं है।

४. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।



करता हूँ। वह कैसी है? क्या वह मैरिट्सबर्गमें है? श्रीमती डोक<sup>१</sup> आजकल कहाँ रहती हैं? और फिलिप्स<sup>२</sup>? पार्वतीसे कहना कि उसने मुझे पत्र लिखनेका वचन तो दिया था परन्तु उसने कोई पत्र नहीं लिखा। कुछ महीने पहले मैंने उसे पत्र<sup>३</sup> लिखा था; वह उसे मिला या नहीं सो भी नहीं मालूम। मेरा खयाल है कि मैं जब पिछली बार चम्पारन गया हुआ था तब मैंने उसे लिखा था। मणिलालका तुम्हारे प्रति व्यवहार पहलेसे कुछ अच्छा है या नहीं? हिल्डा<sup>४</sup> तो अब सयानी हो गई होगी। वह मुझे क्यों नहीं लिखती? ग्रैनीसे<sup>५</sup> मेरा यथायोग्य कहना। श्रीमती वेस्ट और सेमसे<sup>६</sup> भी मेरा यथायोग्य कहना। कभी-कभी सोचता हूँ कि उनकी बन्दूकबाजी चलती है या नहीं।

तुम्हारा,  
मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४४३१) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य : ए० एच० वेस्ट

### ४१२. पत्र : एफ० सी० ग्रिफिथको

[ बम्बई ]

जुलाई १८, १९१९

प्रिय श्री ग्रिफिथ,

जब मैं पूनामें था तब परमश्रेष्ठने मुझसे कहा था कि वे मुझसे अधिकसे-अधिक शनिवारको, अर्थात् कल अवश्य मिल लेंगे। उन्होंने मुझसे सूचनार्थ आपको बम्बई छोड़नेकी तिथि बता देनेके लिए भी कहा था। आशा थी कि परमश्रेष्ठ मुझे पत्र भेजेंगे। परन्तु आश्चर्य है अभीतक उनका कोई पत्र नहीं आया। इसलिए मैं बम्बईसे बाहर जानेका कार्यक्रम बनानेके बारेमें कुछ असमंजसमें पड़ा हुआ हूँ। यदि सम्भव हो तो मैं कल अहमदाबाद जाना चाहता हूँ। कृपा करके परमश्रेष्ठको यह सूचित कर दें और यह भी मालूम कर लें कि निकट भविष्यमें उन्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी या नहीं?

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६७५८) की फोटो-नकलसे।

१. रेवरेंड जोसेफ जे० डोक (१८६१-१९१३); जोहानिसबर्गके बैप्टिस्ट चर्चके बड़े पादरीकी पत्नी।
२. रेवरेंड चार्ल्स फिलिप्स, कैथलिक पादरी।
३. उपलब्ध नहीं है।
- ४ व ५. क्रमशः ए० एच० वेस्टकी कन्या और सास।
६. गोविन्दस्वामी, इन्टरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्समें मशीन-फोरमैन।



## ४१३. पत्र : छगनलाल गांधीको

बम्बई

शुक्रवार [जुलाई १८, १९१९]

चि० छगनलाल,

गंगाबहनको पैसे भिजवानेका निर्णय जब में वहाँ आऊँगा तब करूँगा। में गंगाबहनको लिख रहा हूँ।

ऐसा हो सकता है कि में सम्भवतः कल भी खाना न हो सकूँ। गवर्नर महोदयसे मुलाकात शायद रविवारको हो।

चाहो तो दुर्गाबहनवाली कोठरी सामलदासको दे दो। लेकिन सामलदासको उसका किराया देना चाहिए, इस बातका ध्यान रखना। मेरी समझमें दुर्गाबहन फिलहाल तो यहीं रहेगी। 'यंग इंडिया' से जमानत लेनेकी मजिस्ट्रेटकी हिम्मत ही न पड़ी। यदि माँगी जाती तो हम जमानत नहीं देते। हम तो यह सोचकर ही बैठे हुए थे कि [वह] जमानतकी माँग करेगा; और सोचा था कि महादेव मुक्त हो जायेगा। लेकिन होता तो वही है जो मालिकको मंजूर हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (एस० एन० ६७८४) की फोटो-नकलसे।

## ४१४. भाषण : गांधी-स्मट्स समझौतेपर

बम्बई

जुलाई १८, १९१९

साम्राज्यीय भारतीय नागरिक संघके तत्वावधानमें १८ जुलाई, १९१९ को एक्सेलिसियर थियेटर, बम्बईमें एक सार्वजनिक सभा दक्षिण आफ्रिकाकी संघ-सरकार द्वारा हालमें पास किये एशियाई भूमि तथा व्यापार संशोधन अधिनियमका विरोध करनेके उद्देश्यसे आयोजित की गई। माननीय सर दिनशा एम० पेटिट, बार-एट-लॉ इस सभाके अध्यक्ष थे।

महात्मा गांधीने सर एन० जी० चन्दावरकर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम प्रस्तावका अनुमोदन करते हुए कहा कि कुछ साल पहले जब बोअर युद्ध छिड़ा था सम्राट्के एक मन्त्री, लॉर्ड लैंसडाउन ने यह घोषणा की थी कि इस युद्धके कारणोंमें ट्रान्सवालमें बसे हुए भारतीयोंके साथ वहाँकी सरकार द्वारा किया गया दुर्व्यवहार भी एक कारण था। लॉर्ड महोदयने यह भी कहा था कि उन्हें ट्रान्सवाल सरकार द्वारा भारतीयोंको दी गई

१. गांधीजीने अपने "पत्र : छगनलाल गांधीको", जुलाई १३, १९१९ में लिखा था कि वे अगले शनिवार अर्थात् १९-७-१९१९ को अहमदाबादके लिए खाना होंगे। स्पष्टतः यह पत्र शुक्रवार १८ जुलाईको लिखा गया था।



मुसीबतोंका स्मरण करके जो दुःख होता है वैसा किसी और बातपर कभी नहीं हुआ। यह बात उन्होंने १८९९ में कही थी। श्री गांधीने कहा, दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले हमारे देशवासियोंकी दशा १८९९ की अपेक्षा बदतर तो हरगिज नहीं होने देनी चाहिए। उनकी दशा युद्धके पूर्व जैसी थी, होनी तो उससे अच्छी ही चाहिए थी परन्तु इसके बिलकुल विपरीत, हम देखते यह है कि ट्रान्सवालके भारतीयोंकी स्थिति इस नये अधिनियमके फलस्वरूप भूमिस्वामित्व अथवा व्यापारका अधिकार प्राप्त करनेके सम्बन्धमें और भी ज्यादा खराब हो गई है। उस देशमें १८९९ के पूर्व वे ब्रिटिश एजेंटकी सहायतासे उन अधिकारोंका उपभोग करते थे। उस समय वे स्वतन्त्रतापूर्वक अपना व्यापार कर सकते थे, जमीनें गिरवी रख सकते थे और भूमिके स्वामी भी बन सकते थे। परन्तु इस कानूनका मंशा तो उन्हें उक्त दोनों अधिकारोंसे वंचित कर देना है।

जनरल स्मट्स तथा मेरे बीच जो समझौता हुआ था उसकी शुद्ध कानूनी व्याख्यापर आग्रह किये जानेके प्रश्नपर मुझे स्वर्गीय हेनरी कैम्बेल बैनरमैनका स्मरण हो रहा है जिन्होंने लॉर्ड किचनरसे बोअर लोगोंके साथ सुलह करनेके विषयमें कहा था कि समझौतेका अर्थ कमजोर पक्षके दृष्टिकोणसे लगाया जाना चाहिए। श्री गांधीने कहा, मेरा निवेदन है कि इस समझौतेका अर्थ भी उसी उदारतापूर्ण भावनासे अर्थात् भारतीयोंके, दृष्टिकोणको सामने रखकर किया जाना चाहिए। क्योंकि इस मामलेमें उनका पक्ष कमजोरोंका है।

आगे बोलते हुए श्री गांधीने कहा, परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदय भारतीयोंके पक्षमें यथासम्भव पूरा जोर लगा रहे हैं। इस विषयमें उन्होंने सम्राटकी सरकारको जोरदार पत्र भेजा है। समस्त भारतका यह कर्तव्य है कि वह परमश्रेष्ठका समर्थन करे। आशा है कि परमश्रेष्ठ शीघ्र ही एक वक्तव्य द्वारा सूचित करेंगे कि वे कौन-कौनसे कदम उठा चुके हैं और आगे क्या उठायेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १९-७-१९१९

## ४१५. पत्र : अखबारोंको

लैबर्नम रोड

बम्बई

जुलाई २१, १९१९

भारत-सरकारने बम्बईके गवर्नर महोदयकी मारफत मुझे गम्भीर चेतावनी दी है कि सविनय कानून-भंग फिरसे शुरू करनेका परिणाम सार्वजनिक सुरक्षाके लिए भयंकर

१. सत्याग्रह स्थगित करनेके सम्बन्धमें; यह पत्र २२-७-१९१९ के न्यू इंडिया तथा उसी तारीखके बॉम्बे क्रॉनिकलमें भी प्रकाशित हुआ था।

२. यह पत्र नीचे दिया जाता है :

प्रिय श्री गांधी,

आपको यह सूचित करना मेरा कर्तव्य है कि भारत-सरकारने बम्बईके गवर्नर महोदयसे कहा है कि वे आपको इस बातसे आगाह कर दें कि फिरसे कानूनकी अवज्ञा अथवा उसके प्रचारकी दिशामें



हो सकता है। बम्बईके गवर्नर महोदयने एकाधिक बार मुझे मिलनेको बुलाकर, इन मुलाकातोंके दरम्यान इस चेतावनीको दुहराया है। इस चेतावनीका खयाल करते हुए तथा दीवान बहादुर गोविन्द राघव अय्यर, सर नारायण चन्दावरकर तथा अनेक पत्र-सम्पादकोंने मुझसे सार्वजनिक रूपसे जो अनुरोध किया है उसका आदर करते हुए खूब विचार करनेके बाद फिलहाल मैंने सविनय कानून-भंग स्थगित रखनेका निश्चय किया है। यहाँ मैं इतना और कह दूँ कि जिसे गरम दल कहा जाता है उस पक्षके बहुत-से प्रमुख मित्रोंने भी मुझे ऐसी ही सलाह दी है; और वह इसी एक आधारपर कि जो लोग सविनय कानून-भंगके सिद्धान्तको समझ न पाये हों, उनकी ओरसे हिंसाके पुनः फूट पड़नेका उन्हें भय है। दूसरे साथी सत्याग्रहियोंके साथ परामर्श करनेके बाद जब मैं इस फैसले-पर पहुँचा कि सत्याग्रहके सविनय कानून-भंगवाले अंगको कार्यान्वित करनेका समय आ पहुँचा है, तब अपने इस निर्णयकी सूचना देते हुए मैंने वाइसराय महोदयको एक विनयपूर्ण पत्र लिखा। उस पत्रमें मैंने आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि रौलट अधिनियम रद्द कर दिया जाये, पंजाबके अत्याचारोंकी जाँच करनेके लिए एक ऐसी निष्पक्ष और मजबूत कमेटी मुकर्रर की जाये, जिसे लोगोंको दी गई सजाओंमें परिवर्तन करनेका अधिकार हो और बाबू कालीनाथ रायको, जिनके मुकदमेके कागजातसे यह साबित किया जा सकता है कि उन्हें बेजा तौरपर सजा दी गई है, छोड़ दिया जाये। श्री रायके मामलेमें भारत-सरकारने जो फैसला दिया है, उसके लिए वह बधाईकी पात्र है। यद्यपि श्री रायके साथ पूरा न्याय नहीं किया गया है, फिर भी उनकी सजामें भारी कमी कर दी गई है, इसलिए कहा जा सकता है कि उन्हें पर्याप्त न्याय मिल गया है। मुझे विश्वास दिलाया गया है कि जिस प्रकारकी जाँच-कमेटीके लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ, उसे नियुक्त करनेका विचार किया जा रहा है। सद्भावके इतने चिह्नोंके मिल जानेके बाद सरकारकी चेतावनीकी उपेक्षा करना मेरे लिए समझदारीकी बात न होगी। निःसन्देह सरकारकी सलाह स्वीकार करके मैं सविनय कानून-भंगके सच्चे स्वरूपका और अधिक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत्याग्रही सरकारको कभी कठिनाईमें नहीं डालना चाहता। वह प्रायः उसके साथ सहयोग करता है। परन्तु जब विरोध करना उसका फर्ज हो जाता है, तब नम्रतापूर्वक विरोध करनेमें वह हिचकिचाता भी नहीं है। वह अपना लक्ष्य विरोधी

कदम उठानेके कुछ अनिवार्य परिणाम अपेक्षित हैं और इन परिणामोंके लिए नैतिक रूपसे वे लोग जिम्मेदार होंगे जो ऐसे कदम उठानेकी सलाह देंगे या उसे मानेंगे।

साथ ही यह सूचित करना भी मेरा कर्तव्य है कि गवर्नर महोदय आपको यह चेतावनी भी दे देना चाहते हैं कि इस प्रदेशकी स्थितिको देखते हुए ऐसी कार्रवाईके परिणाम जन-सुरक्षाकी दृष्टिसे भयंकरतम हो सकते हैं। इसके विपरीत कोई धारणा बनाना एकदम निर्मूल कल्पना करने जैसा होगा।

वास्ते — सरकारके राजनीतिक सचिव

“सोर्स मेटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया”, खण्ड २ (१८८५-१९२०), पृष्ठ ८०१ (बम्बई सरकार)।

३. देखिए “पत्र: एस० आर० द्विगनेलको”, १८-६-१९१९।

४. सपरिषद् गवर्नर जनरलने ६ जुलाईको कालीनाथ रायकी सजा ३ वर्षसे घटाकर ३ माह कर दी थी।



पक्षमें सद्भाव पैदा करके प्राप्त करता है और मानता है कि सरकारके कृत्य अन्यायपूर्ण होनेके बावजूद उसके प्रति अविचल रूपसे सद्भाव प्रदर्शित करते रहनेके परिणामस्वरूप सरकार भी अन्ततोगत्वा सद्भाव प्रदर्शित करने लगेगी। इसलिए सविनय कानून-भंगको फिरसे स्थगित करना सत्याग्रहके व्यावहारिक प्रयोगके सिवा और कुछ नहीं है।

फिर भी जबतक रौलट कानून हमारी विधान-पुस्तकको कलंकित कर रहे हैं, तबतक सविनय कानून-भंगको एक दिनके लिए भी स्थगित करना पड़े, यह मेरे लिए कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। लाहौर<sup>१</sup> और अमृतसरमें दी गई सजाएँ सत्याग्रहके इस विलम्बनको और भी कठिन बना देती हैं। मैंने इन मुकदमोंके फैसले सर्वथा तटस्थ वृत्तिसे पढ़े हैं और मेरे मनपर यह अमिट छाप पड़ी है कि पंजाबके अधिकांश नेताओंको पर्याप्त प्रमाणके बिना ही सजाएँ दे दी गई हैं। और यह भी कि उनकी सजाएँ अमानुषिक एवं अत्याचारपूर्ण हैं। इन फैसलोंसे ऐसा प्रमाणित होता है कि उन नेताओंको और किसी कारणसे नहीं, महज इसलिए सजाएँ दी गई हैं कि वे रौलट कानूनके विरुद्ध किये गये प्रबल आन्दोलनके साथ सम्बन्ध रखते थे। इसलिए यदि मैं अपनी इच्छाका अनुसरण कर सकता तो मैं उस मर्यादित स्वतन्त्रताके स्थानपर, जो भारत-सरकार मुझे दिये हुए है, जेल जाना अधिक पसन्द करता। परन्तु सत्याग्रहीको बहुत-से कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। और सत्याग्रहका यह विलम्बन भी एक ऐसा ही कड़वा घूंट है। मेरा खयाल है कि सविनय कानून-भंग फिलहाल मुलतवी करके देशकी, सरकारकी और पंजाबके उन नेताओंकी, जिन्हें मेरे मतानुसार अनुचित रूपसे दोषी ठहराया गया है और जिन्हें निर्दयतापूर्ण सजाएँ सुनाई गई हैं, अधिक अच्छी सेवा कर सकूंगा।

सत्याग्रहको मुलतवी कर देनेसे, हिंसाके फूट पड़नेकी सम्भावनाके कारण मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी आती थी वह तो हलकी हो जाती है, किन्तु उससे सरकारकी और उन प्रसिद्ध नेताओंकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जो मुझे उसे मुलतवी करनेकी सलाह दे रहे थे। अब यह देखना उनका कर्तव्य हो जाता है कि रौलट कानून अविलम्ब रद्द कर दिये जायें।

मुझपर यह आरोप लगाया जाता है कि मैं जहाँ-तहाँ आग सुलगा रहा हूँ। यदि मेरे द्वारा प्रसंगानुसार छोड़ा गया सविनय कानून-भंग ही सुलगाई हुई आग है, तो रौलट कानून और उसे विधि-संहितामें बनाये रखनेका सरकारका हठ सारे हिन्दुस्तानमें हजारों जगह आग लगानेके बराबर है। सविनय कानून-भंगको बन्द करानेका एक ही मार्ग है कि सरकार रौलट कानून रद्द कर दे। इन कानूनोंके समर्थनमें सरकारने जो-कुछ प्रकाशित किया है, उसकी किसी बातसे भी इनके खिलाफ भारतीय जनताके विरोध-भावमें कोई फर्क नहीं पड़ा है।

इसलिए मैंने कानूनको जल्दी रद्द करानेके लिए ही सविनय कानून-भंग मुलतवी रखा है। किन्तु यदि ये कानून साधारण उपायोंसे रद्द न कराये जा सकें तो उन्हें रद्द करानेके लिए सत्याग्रही अपने प्राणोंकी बाजी लगायेंगे। सत्याग्रहके विलम्बनका यह समय



सत्याग्रहियोंके लिए तो राज्यके कानूनोंके ज्ञान और स्वेच्छापूर्ण पालनकी और अधिक तालीम हासिल करनेका एक बढ़िया अवसर है। कानूनका सविनय भंग करनेका हक स्वेच्छापूर्वक कानून-पालनके कर्तव्यसे ही निकलता है। सत्याग्रह केवल सविनय कानून-भंगमें अथवा मुख्यतः सविनय कानून-भंगमें नहीं, दृढ़तापूर्वक सत्यका पालन करके राष्ट्र-हितका पोषण करनेमें है। साथी सत्याग्रहियोंको मैं नम्रतापूर्वक सलाह देता हूँ और छोटे-बड़े सभीसे सहयोग माँगता हूँ कि वे शुद्ध स्वदेशीका प्रचार करें और हिन्दू-मुस्लिम एकता बढ़ानेमें प्रयत्नशील हों। मेरे खयालसे स्वदेशी हमारे राष्ट्रके अस्तित्वके लिए आवश्यक वस्तु है। हमारे २० करोड़ किसानोंको वर्षमें ६ महीने जबरदस्ती बेकार रहना पड़ता है। उनका श्रम इतना बेकार चला जाता है, इसका विचार करनेपर कोई भी हिन्दुस्तानी या अंग्रेज स्वस्थ चित्त नहीं रह सकता। इस बेकार जानेवाली शक्तिका उपयोग शीघ्र ही और तत्काल हो सके, इसके लिए यही एक उपाय है कि स्त्रियोंको उनके चरखे और पुरुषोंको उनके करघे पुनः सौंप दिये जायें। इससे लंकाशायरका अस्वाभाविक स्वार्थ खतम हो जायेगा और जापानका भय भी न रहेगा। लंकाशायरके स्वाभाविक स्वार्थका निराकरण हो जानेसे हमारे साथ ब्रिटेनके सम्बन्ध शुद्ध हो जायेंगे और [दोनों देशोंमें] समानताकी स्थितिकी सम्भावना पैदा हो जायेगी। जापानका भय दूर हो जानेसे भारतका और साम्राज्यका एक बड़ा संकट टल जायेगा। भारतपर व्यापारके द्वारा जापानी पंजेके विस्तारका परिणाम या तो यह होगा कि भारतकी हालत बदतर हो जायेगी या फिर भीषण युद्ध फूट निकलेगा।

हिन्दू-मुस्लिम एकता राष्ट्र और साम्राज्य दोनोंके लिए समानरूपसे आवश्यक है। हिन्दुओं, मुसलमानों और अंग्रेजोंकी स्वेच्छापूर्ण एकता, मेरे विचारसे अभी स्थापित किये गये राष्ट्र-संघकी अपेक्षा अनन्तगुना श्रेष्ठ और विशुद्ध होगी। हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच स्थायी एकताका होना इन तीनोंकी ऐसी एकताकी शुरुआत है। खलीफा, मक्का शरीफ और इस्लामके दूसरे पवित्र स्थानोंके सम्बन्धमें मुसलमानोंकी जो बहुत न्यायपूर्ण आकांक्षाएँ हैं, उनमें समूचे दिलसे साथ देकर हिन्दू इस एकताको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं।

स्वदेशीके प्रचारके तथा हिन्दू-मुस्लिम एकताके कार्यके लिए संगठन-शक्ति, कार्यनिष्ठा, व्यापारमें प्रामाणिकता तथा उत्कट आत्मत्याग एवं आत्मसंयमकी शक्तिकी आवश्यकता है। इससे यह आसानीसे समझमें आ जायेगा कि यदि हम बिलकुल शुद्ध ढंगसे स्वदेशीका प्रचार करें और हिन्दू-मुस्लिम एकताको गति दें, तो रौलट कानून रद्द करानेके हमारे आन्दोलनपर उसका अप्रत्यक्ष किन्तु फिर भी अत्यन्त प्रबल प्रभाव पड़ेगा। इस कानूनके लिए सरकारके पास आज भी कोई उचित कारण नहीं है किन्तु तब तो उनके पास इसके लिए बिलकुल भी कारण नहीं रह जायेगा जब हम अपने व्यवहारमें ऊपर कहे हुए गुणोंका अपूर्व परिचय देंगे।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, २३-७-१९१९



## ४१६. पत्र : छोटालाल तेजपालको

साबरमती

आषाढ़ वदी १० [जुलाई २२, १९१९]<sup>१</sup>

भाईश्री छोटालाल,

आपके उत्साहकी जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। आप अपने सुधारोंका<sup>२</sup> संक्षिप्त इतिहास मुझे भेजिए तब मैं उसे प्रकाशित करने तथा उनपर अपने विचार प्रकट करनेका प्रयत्न करूँगा। आपने कब शुरू किया? उसका क्या सबूत है? पहले यदि गाड़ीका उपयोग किया जाता था तो अब [अर्थीको] कन्धा क्यों दिया जाता है? आजतक गाड़ी द्वारा कितने मुर्दे ले जाये गये हैं? गाड़ीका खर्च क्या आता है? उसे कौन चलाता है? उस सबकी व्यवस्था कैसे होती है? उसकी कोई समिति है या आप अकेले ही भार वहन करते हैं? आपका काम राजकोटमें ही है अथवा अन्य स्थानोंमें भी? तर्कमें न जाकर केवल तथ्योंकी जानकारी ही दीजिएगा।

मोहनदास गांधी

भाई छोटालाल तेजपाल

कलाकार

राजकोट

गुजराती पत्र (जी० एन० २५९०) की फोटो-नकलसे।

## ४१७. लाहौरका फैसला

कोई भी व्यक्ति जो रानीके विरुद्ध युद्ध छेड़ने या ऐसा करनेका प्रयत्न करता है अथवा उसमें सहायक बनता है उसे मौत या आजीवन निर्वासनकी सजा दी जायेगी और उसकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी।

— खण्ड १२१, भारतीय दण्ड-संहिता

लाला हरकिशनलाल बार-एट-लॉ; चौधरी रामभजदत्त वकील, श्री दुनीचन्द बार-एट-लॉ और सर्वश्री अल्लादीन और मोटारसिंहको भारतीय दण्ड-संहिता (इंडियन पिनल कोड) के खण्ड १२१ और १२१ (क) के अन्तर्गत विशेष न्यायाधिकरणोंमें से

१. इस पत्रपर डाककी मुहर जुलाई २६, १९१९ की है।

२. श्री छोटालाल तेजपालका आग्रह था कि मुर्दोंको अरथीपर ले जानेके बजाय गाड़ीमें ले जाया जाये।



एक द्वारा आजीवन देश-निकाले तथा सम्पत्तिकी जब्तीकी सजा दी गई है। क्षण-भरके लिए पाठक खण्ड १२१ (क) को भूल जायें। अभियुक्तको खण्ड १२१ के अन्तर्गत सजा दे चुकनेके बाद न्यायाधिकरणके सामने आजन्म निर्वासन तथा जब्तीकी सजा देनेके अतिरिक्त और कोई विकल्प न था। यह स्पष्ट है कि यह कमसे-कम सजा थी जो अदालत दे सकती थी; अधिकसे-अधिक सजा फाँसी थी। न्यायाधीशोंने अन्तिम दो अभियुक्तोंके बारेमें यह अनुभव किया कि उनको दिये गये दण्डकी कठोरता इतनी अधिक है कि वे यह कहनेके लिए विवश हुए :

अल्लादीन और मोटार्सहका अपराध बड़ा नहीं है; और अगर हमारे हाथमें होता तो उनको हम अपेक्षाकृत बहुत हल्की सजा सुनाते।

विद्वान् न्यायाधीशोंके अधिकारकी बात यह थी कि या तो वे किसी भी अभियुक्तको कोई सजा न देते या देते तो अन्य अभियोगोंपर देते। परन्तु उन्होंने कहा है: "हम अन्य अभियोगोंके सम्बन्धमें अपना मत अंकित करनेकी आवश्यकता नहीं समझते।"

यद्यपि फैसला फुलस्केप आकारके २७ पृष्ठोंपर लिखा हुआ है, फिर भी हम उसे 'यंग इंडिया'के पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक पाठक इस निर्णयको पूरा-पूरा पढ़ जाये। क्योंकि न्यायाधीशोंने इसे सब मुकदमोंसे अधिक महत्त्व दिया है और संसारको यह दिखा दिया है कि पंजाब और प्रसंगवश समस्त भारतवर्ष उनकी निगाहोंमें क्या वक्रत रखता है।

यदि इस फैसलेको अमृतसरके फैसलेके साथ पढ़ा जाये तो ब्रिटिश न्यायकी एक अत्यन्त निन्दनीय तसवीर सामने खड़ी हो जाती है, जिसमें न्यायाधीश-लोग न्यायशीलतासे प्रेरित होकर नहीं, बल्कि आवेश और द्वेषके वशीभूत होकर अपने निर्णय सुनाते हैं। मेरे नजदीक तो ये फैसले मेरे द्वारा व्यक्त किये गये इस विचारको प्रमाणित करते हैं कि हमें ब्रिटिश न्यायपर फिदा न होना चाहिए, और यह भी कि मूलतः ब्रिटिश न्याय अन्य किसी देशके न्यायसे बढ़कर नहीं है। हम इस मिथ्या विश्वासमें पड़कर अपनेको धोखा दिया करते हैं कि ब्रिटेनकी अदालतें स्वाधीनताके आधार-स्तम्भ हैं। ब्रिटेनकी अदालतोंमें न्याय एक खर्चीला व्यसन है। अकसर ऐसा हुआ करता है कि "जिसके पास सबसे अधिक धन होता है वही जीतता है।" किसी भी बातकी सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षा तो गाढ़े समयमें ही हुआ करती है। न्यायाधीशोंका काम तो अपने आसपासके वातावरणसे ऊपर उठना है। मेरी रायमें पंजाबका न्यायाधिकरण इस सम्बन्धमें बुरी तरह असफल हुआ है। श्री विन्स्टन चर्चिलने जब शिक्षा-सम्बन्धी जंग छोड़ी थी तब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि न्यायाधीश भी राजनीतिक पक्षपातसे मुक्त नहीं हैं। यद्यपि इसकी बहुत ही कम गुंजाइश है, फिर भी इस मामलेमें यह सम्भव तो है कि प्रीवी कौंसिल स्थितिको सँभाल ले, परन्तु वहाँ जाकर ऐसा हुआ भी तो उससे क्या होता है? कितना खर्च पड़ेगा इसमें? करोड़ों लोगोंमें कितने ऐसे हैं जो नीचेकी अदालतोंके फैसलोंसे क्षुब्ध होकर, सकारण क्षुब्ध होकर, अपील-अदालत और अन्ततोगत्वा प्रीवी कौंसिल तक जानेकी शक्ति रखते हैं। इसलिए लोगोंका अदालतबाजीमें न पड़ना एक बहुत ही वांछनीय स्थिति है। 'प्रतिद्वंद्वीसे एकदम सहमत हो जाओ' — कानून सम्बन्धी सबसे उत्तम लोकोक्ति है। परन्तु यह पूछा जा सकता है कि हम जब अदालतोंमें जानेको मजबूर हो जायें और होते



ही हैं, तब क्या करें? मैं तो कहूँगा 'बचाव मत करो'; यदि तुम गलतीपर हो तो उस सजाके तुम पात्र हो— फिर वह सजा चाहे जो हो। और अगर तुम्हें अदालतमें अन्यायपूर्वक लाकर खड़ा कर दिया गया है और तुमको सजा दे दी गई है तो अपने निर्दोष होनेके बलपर इस नाहक आये हुए कष्टको हँसकर सहन कर लो। अगर तुम अपना बचाव नहीं करते तो दोनों हालतोंमें कमसे-कम कष्ट होगा। इसके अतिरिक्त तुम्हें उन अधिकांश मनुष्योंका साथ देनेका सुख और सन्तोष भी मिलेगा जो अपना बचाव करनेमें असमर्थ हैं।

परन्तु यह विषयान्तर हुआ है। यद्यपि मैं अदालतोंके बारेमें अपनी इस रायको बिल्कुल ठीक मानता हूँ, फिर भी मैं उसे पाठकोंपर लादना नहीं चाहता। लाहौर अदालतका फैसला हमें स्पष्ट रूपसे रौलट अधिनियम तथा अभियुक्तोंको सुनाई गई सजाओंके सम्बन्धमें हमारा कर्तव्य बतला देता है। इस निर्णयका मन्शा रौलट अधिनियम विरोधी आन्दोलनको निन्द्य ठहराना ही है।

फैसलेके प्रारम्भिक अनुच्छेदोंमें थोड़े विस्तारके साथ "रौलट अधिनियमके विरोधमें सार्वजनिक आन्दोलन" का जिक्र हुआ है। उसके अनुसार आन्दोलन "४ जनवरी, १९१९ को ब्रैडला हॉलमें की गई विरोध-सभासे शुरू होता है।" इन अनुच्छेदोंमें मेरे पहली मार्चके पत्रका तथा सत्याग्रह-प्रतिज्ञाका उल्लेख है और १५ अप्रैल तककी घटनाओंका वर्णन है, जिसमें दिल्लीकी गोलीबारी, अमृतसरके दंगों और बादशाही मस्जिदमें की गई सभाओंका भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि :

ये मुख्य-मुख्य तथ्य हैं। सरकारी पक्षने इन तथ्योंको एकत्र करके तथा उनकी कड़ियाँ जोड़कर उन्हें अभियुक्तोंसे इस प्रकार सम्बद्ध करनेकी कोशिश की है कि यह जाहिर हो जाये कि रौलट अधिनियमको अपराधपूर्ण साधनों द्वारा रद्द करवानेके लिए षड्यंत्र रचा गया था।

अदालत इसके बाद दूसरे ही वाक्यमें इन अपराधपूर्ण साधनोंपर प्रकाश डालती है। बचाव पक्षने हमसे इस बातपर विश्वास करनेको कहा है कि हड़ताल करानेके निमित्त कोई संगठन नहीं किया गया था और लाहौर, मुजंग तथा भगवानपुराके प्रत्येक दुकानदारने खुद अपने ही मनसे यह निश्चय किया था कि मैं विरोध प्रदर्शित करनेके लिए अपनी दुकान जरूर बन्द रखूँगा।

उसके अनन्तर अदालतने, तथाकथित उत्तेजक पोस्टरोका उल्लेख यह सिद्ध करनेके लिए किया है कि हड़ताल संगठित थी। मुझे उनमें से किसीमें जरा भी हिंसा नहीं दीख पड़ रही है, अलबत्ता उसमें क्षुब्ध अन्तरात्माके सन्तापका दर्शन अवश्य होता है। इसे जनताका अपराध माना गया है कि हड़तालको संगठित किया गया, उसे जारी रखा गया, उस अवधिमें लंगरखाने खोले गये और सभाएँ की गईं। मेरा विश्वास है कि जब लोग अधिकारियोंके किसी कृत्यसे बहुत ही क्षुब्ध हो जाते हैं तब हड़ताल करना उनका नैसर्गिक अधिकार है। सरकारी अधिकारियोंके कामोंके खिलाफ बल-प्रयोगको साधन

१. देखिए "पत्र : अखबारोंको", २६-२-१९१९।



बनाये बिना हड़तालोंका संगठन करना हमेशासे सराहनीय और उचित माना जाता रहा है और जब उचित कामको अपराध माना जाता हो तब वह अपराध पावन कर्त्तव्य हो जाता है और उसके लिए जेल जाना, बेइज्जतीकी बात समझी जानेके बजाय ऐसी गौरवपूर्ण बात समझी जाने लगती है, जिसकी प्रत्येक नेक नागरिकको कामना करनी चाहिए। रौलट अधिनियमके खिलाफ इतना घनघोर और विकट आन्दोलन जारी रखना कि सरकार या तो उस कानूनको वापस ले ले या आन्दोलन करनेवालोंकी स्वतन्त्रता हर ले, उसका न्यूनातिन्यून कर्त्तव्य बन गया है। यदि तनावकी मौजूदा सूरतमें, मुझे हिंसाके फैल जानेका डर न होता, तो मैं निश्चय ही फिर हड़ताल करनेकी सलाह दे देता। इसमें सन्देह नहीं कि तनावका कारण सत्याग्रहका शुरू किया जाना नहीं है, बल्कि यह है कि जब मैं सोच समझकर वातावरणको शान्त करने और शान्ति स्थापित करनेके इरादेसे दिल्ली जा रहा था, और आवश्यकता होती तो लाहौर और अमृतसर भी जाता, उस समय सरकारने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उसका यह काम हिंसाको उकसाकर उसे आमन्त्रण देनेकी मूर्खता करनेके समान ही था। सरकारने डॉ० किचलू और डॉ० सत्यपालको, जो कि जनताके नेता थे, और जिनमें रौलट अधिनियमके खिलाफ जोरदार आन्दोलन चलानेके साथ-साथ लोगोंके आवेशपर अंकुश रखनेकी क्षमता भी थी, और जो पूरी तरह व्यवस्था और कानूनके समर्थक थे, गिरफ्तार करनेका विवेकहीन कृत्य करके भी हिंसाको न्यौता दिया। तनाव तो किसी-न-किसी दिन खत्म होगा ही। अगर सरकार रौलट अधिनियमको कायम रखनेकी मूर्खता नहीं छोड़ती तो उसे हड़तालों, ऐसी सुसंगठित हड़तालोंकी पुनरावृत्तिके लिए जिनमें जनता द्वारा किसी प्रकारका बल-प्रयोग न होगा और जिनमें उनके द्वारा एक बूंद भी रक्त न बहाया जायेगा, तैयार हो जाना चाहिए। जब सर्वसाधारण सत्याग्रहके सन्देशको हृदयंगम कर लेंगे तब हम चौधरी रामभजदत्त द्वारा कहे हुए मन्त्रको — जिसका अर्थ न्यायाधिकरणने दण्डनीय षड्यंत्रके अस्तित्वको सिद्ध करनेके उद्देश्यसे धमकी देना लगाया है — हजारों सभा-मंचोंसे दुहरायेंगे। वह मन्त्र है “हमारे कष्ट दूर करो अन्यथा हम अपनी दुकानें और कारोबार बन्द कर देंगे और खुद फाकाकशी करेंगे।” अलबत्ता [कुछ लोगोंने] “रौलट बिल हाय, हाय”, “जॉर्ज [पंचम] हाय, हाय”, इस प्रकारके नारे लगाकर अथवा किसी खुफिया पुलिसके इंस्पेक्टरको पीटकर या उसे सभासे निकाल बाहर करके, या ‘डंडा अखबार’ जैसे लज्जाजनक पर्चे निकालकर या सम्राट्-साम्राज्ञीके चित्रोंको नष्ट करके एक महान् और कारगर प्रदर्शनके महत्त्वको अवश्य गिरा दिया था। इन कार्योंके लिए श्री शफी इत्यादि, जो शान्ति स्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे थे, और उपरोक्त अभियुक्त किसी तरह जिम्मेवार नहीं ठहराये जा सकते। जिनके सम्बन्धमें दण्डनीय षड्यंत्र या उससे भी बदतर बात, राजाके विरुद्ध युद्ध छेड़ने जैसे कृत्योंमें भाग लेनेका कोई प्रमाण नहीं मिल सका हो और जिनका सम्पूर्ण चरित्र तथा समाजमें जिनकी प्रतिष्ठा ऐसे भड़कानेवाले कृत्योंमें उन्हें फँसने ही नहीं दे सकती, उन व्यक्तियोंके खिलाफ उक्त अभियोग लगानेका सरकारको क्या अधिकार था? “युद्ध छेड़ने” का पारिभाषिक अर्थ कुछ भी हो, किन्तु एक कष्टकर कानूनके खिलाफ जोरदार आन्दोलन चलानेको ‘युद्ध’ कहना हास्यास्पद नहीं तो क्या है? तब



तो कोई भी व्यक्ति सरकारके नौकरों द्वारा किये गये अनधिकृत कार्योंके लिए सरकारको दोषी ठहरा सकता है। अगर लाला दुनीचन्द, लाला हरकिशनलाल और उनके सह-अभियुक्तोंके कार्य 'युद्धके काम' थे तो इस देशमें किसी भी प्रकारका संगठित आन्दोलन सम्भव नहीं हो सकता। समाजमें जब प्रगतिका अवरोध होने लगता है, फिर उसका स्वरूप सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक कुछ भी क्यों न हो, तब संगठित आन्दोलन सार्वजनिक जीवनका अनिवार्य अंग हो जाता है। इसलिए लाहौर-अभियुक्तों द्वारा किये गये कामोंसे मिलते-जुलते कार्य करनेकी शकलमें युद्ध छेड़ना 'सराहनीय काम' समझा जाना चाहिए।

उक्त फैसला शुरूसे आखिरतक राजनीतिक पक्षपातसे भरा पड़ा है। न्यायाधीशोंने अभियुक्तोंके पिछले जीवनको किस तरह भुलाया है, सो देखिए :

अभियुक्तोंके बारेमें विचार शुरू करनेके पूर्व यह कहना जरूरी है कि उनमें से प्रत्येकने समाजमें अपनी-अपनी प्रतिष्ठाके अनुसार, अपनी राजभक्ति एवं अपने संयत आचारके विषयमें ऐसे लोगोंके प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये हैं जो समाजमें प्रख्यात हैं। यह ठीक है कि प्रख्यात व्यक्तियोंसे प्राप्त इन प्रमाणपत्रोंकी संख्या चाहे जितनी बढ़ाई जा सकती थी। कुछ अभियुक्तोंने यह भी प्रमाणित किया है कि अभी हालमें ही उन्होंने अंग्रेजोंकी जीतके लिए ईश्वरसे प्रार्थना तो की ही है; उन्होंने लोगोंसे लड़ाईके लिए ऋण देनेको भी कहा है, सैनिकोंकी भरतीमें सहायता दी है और अपने नातेदारोंको भारतीय सेनामें सम्मिलित कराया है या मेसोपोटामियामें मुंशीगिरी करनेके लिए भिजवाया है। ये सब प्रयास बहुत मूल्यवान नहीं समझे गये। यह बात याद रखी जानी चाहिए कि अभियुक्तोंमें से कुछका स्थान जनताकी नजरोंमें बहुत ऊंचा रहा है; और इस बातके बारेमें तो सन्देह ही नहीं है कि उन अभियुक्तोंमें से प्रत्येक, फिर वह ब्रिटिश सरकारसे चाहे जितना चिढ़ता हो, जर्मन शासनको आने देनेकी अपेक्षा ब्रिटिश शासनको अधिक पसन्द करता है। परन्तु हमारे सामने जो मामला पेश है उसपर इनमें से किसीकी बातका सचमुच कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

जब किसीका विवेक इतना मन्द पड़ जाता है जैसा कि इन न्यायाधीशोंके उपरोक्त वाक्योंसे प्रकट हो रहा है— तब निष्पक्ष निर्णयकी आशा ही नहीं की जा सकती।

इस मामलेमें जो मुद्दा उठता है, यद्यपि वह व्यक्त नहीं किया गया, फिर भी है बिलकुल साफ। हम कानूनन एक शक्तिशाली और लगातार चलनेवाले आन्दोलन को— जिसमें जुलूस, हड़तालें, उपवास इत्यादि आते हों— परन्तु जिसमें कदापि, किसी भी प्रकारकी हिंसाके लिए स्थान न हो, संचालनका हक रखते हैं या नहीं? उक्त निर्णयकी यही ध्वनि है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि सरकार इन सजाओंको कायम रखती है तो यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि उसकी और न्यायाधीशोंकी राय एक ही है। मैं स्वयं तो, उन अभियुक्तोंकी रिहाईका, किसी गौण कारणसे अथवा दयाकी भीखके रूपमें, स्वागत नहीं करूँगा। फैसलेमें ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिससे यह



प्रकट होता हो कि इन अभियुक्तोंमें से किसीने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें हिंसाको प्रोत्साहन दिया है। जहाँ हिंसा करनेका मंशा न हो वहाँ शान्तिमय संगठनको दण्डनीय षड्यंत्र कैसे कहा जा सकता है, भले ही उस संगठनमें नियन्त्रणमें न आ सकनेवाले तत्त्व आकर मिल जायें और शरारत करने लगें। इन भद्दी घटनाओंका घटित होना नेताओंके लिए चेतावनीका काम दे सकता है। फौजी कानूनकी घोषणाको न्यायसंगत ठहरानेके लिए भी इन घटनाओंको सामने रखा जा सकता है, परन्तु उनका उपयोग इस उद्देश्यसे नहीं किया जाना चाहिए कि कानूनके पाबन्द और शान्तिप्रिय नागरिकोंको अपराधी और झूठ बोलनेवाला ठहराया जाये। भारतीय जनताका कर्तव्य स्पष्ट है : एक शान्तिमय, सुदृढ़ और शक्तिशाली आन्दोलन, जिसमें हिंसा या खीझ न हो, चलाया जाये ताकि रौलट अधिनियम रद्द हो जाये और सजाएँ बदल दी जायें।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, २३-७-१९१९

### ४१८. प्रमाणपत्र : ए० वेंकटरमणको

सावरमती

जुलाई २४, १९१९

श्री ए० वेंकटरमण, बार-एट-लाँ, ऑफ किंग्ज इन्स, डब्लिन, महायुद्ध छिड़नेके ठीक बाद सन् १९१४में लन्दनमें संगठित किये गये भारतीय आहत सहायक दल (वालंटियर इंडियन एम्बुलेंस कोर)के सदस्य थे। वे उन लोगोंमें से हैं जिन्होंने इस सेवादलकी सदस्यता शुरू-शुरूमें ही स्वीकार की थी; उन्होंने स्वयंसेवकोंकी भरतीके काममें बहुत मदद की थी। वे युद्ध-कार्यालयकी स्वीकृतिसे निर्मित कार्यकारिणी समितिके सदस्य थे। उन्होंने नेटले और बार्टन -- ऑन-सीके फौजी अस्पतालोंमें नान-कमिश्ंड ऑफिसरकी हैसियतसे काम किया है। उनके अफसरोंको उनके कामसे सन्तोष था। जहाँतक मुझे मालूम है उनका चरित्र निष्कलंक है।

श्री वेंकटरमण अब मद्रास सरकारमें किसी जिम्मेदार पदपर नियुक्ति चाहते हैं। आशा है वे अपने प्रयासमें सफल होंगे।

मो० क० गांधी

अध्यक्ष

भारतीय स्वयंसेवक समिति

अंग्रेजी (एस० एन० ७१००) की फोटो-नकलसे।



## ४१९. पत्र : सर जॉर्ज बार्न्जको

बम्बई

जुलाई २६, १९१९

प्रिय सर जॉर्ज बार्न्ज,

अभी हालमें पास किये गये ट्रान्सवाल एशियाई कानूनके सम्बन्धमें गत १८ तारीखके आपके विस्तृत पत्रके लिए धन्यवाद।

आपके पत्रके अन्तिम वाक्यके आधारपर मैं उसे अपने उत्तरके साथ प्रकाशित करा रहा हूँ। आप तथा परमश्रेष्ठ इस मामलेमें समुचित कदम उठा रहे हैं इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। परन्तु दुःखके साथ कहना पड़ता है कि विधेयकके सच्चे स्वरूपके बारेमें आपको भेजी गई सामग्री भ्रमोत्पादक नहीं तो अधूरी अवश्य है। यही बात ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेके बारेमें दी गई जानकारीके बारेमें, जिसका उल्लेख आपके पत्रमें हुआ है, लागू है।

सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेके बारेमें सही स्थिति यह है कि ट्रान्सवाल प्रेशस ऐंड बेस मेटिल्स ऐक्ट, १९०८ के खण्ड १३० और १३१ केवल निवास-सम्बन्धी अधिकारोंका जिक्र करते हैं, उनमें व्यापार-सम्बन्धी अधिकारोंका कोई जिक्र नहीं है। मौजूदा ट्रान्सवाल कानूनोंकी हदतक उसी सर्वोच्च न्यायालयके दूसरे निर्णयके अनुसार उनका कभी अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अतएव, आप देखेंगे कि नये कानूनके परिणामस्वरूप भारतीय प्रवासी ट्रान्सवालमें अपने मौजूदा व्यापार सम्बन्धी अधिकारोंसे वंचित हो जाता है। १९०८ के कानूनके खण्ड १३० और १३१ द्वारा निवास-सम्बन्धी अधिकारोंको कम करनेका प्रयत्न किया गया था। नया कानून और आगे बढ़कर व्यापारके अधिकारोंको कम करता है और इस प्रकार ट्रान्सवालके स्वर्णक्षेत्रमें वैध रूपसे बसे हुए भारतीयकी बरबादीमें कोई कसर नहीं रखता। तब, संघ सरकार जोर देकर यह दावा कैसे पेश कर सकती है कि उसने १९१४ के समझौतेपर ईमानदारीके साथ अमल किया है? मैं यह और निवेदन करना चाहूँगा कि १९०८ का कानून हमेशा ट्रान्सवाल सरकार तथा भारतीय समाजके बीच झगड़ेकी जड़ रहा है। मैं कृतज्ञतापूर्वक कहता हूँ कि उस कानूनके खण्ड १३० और १३१ की धाराओंके व्यवहारतः प्रभावहीन बने रहनेका कारण सम्राटकी सरकार द्वारा हमारी खातिर किया गया कड़ा संघर्ष था। अब शायद यह बात आपकी समझमें आ

१. इस पत्रमें दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिपर विस्तारके साथ प्रकाश डाला गया था और इसपर खेद प्रकट किया गया था कि भारतके विरोधपूर्ण पत्रोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पत्रमें यह आश्वासन भी दिया गया था कि नये कानूनके पूरे पाठके सुलभ होनेपर सरकार विचार करेगी कि आगे क्या कार्रवाई की जाये।

२. “आप निःसन्देह इस पत्रका जो भी उपयोग करना चाहते हों, खुशीसे करें।”

३. ये बॉम्बे क्रॉनिकल और न्यू इंडिया, २९-७-१९१९ में भी प्रकाशित हुए थे।



जायेगी कि मेरे नाम लिखे गये जनरल स्मट्सके पत्रमें दिये गये वचनका अर्थ क्या है; वह वचन यह है—“इस बातका खयाल रखा जायेगा कि उन्हें (मौजूदा कानूनोंको) न्यायसम्मत विधिसे और निहित अधिकारोंका उचित ध्यान रखते हुए अमलमें लाया जाये।” निवाससे सम्बन्धित निहित अधिकार वे अधिकार थे जिन्हें भारतीय १९०९ के पहलेसे भोगते चले आ रहे थे, अर्थात् वे समस्त ट्रान्सवालमें पट्टोंके अन्तर्गत स्थिर जायदादके स्वामित्वका अधिकार रखते थे। एक पुरानी बात भी कहना चाहता हूँ। १८८५ का कानून संख्या ३ ही, दक्षिण आफ्रिका जनतन्त्र तथा सम्राट् सरकारके बीच लम्बी चौड़ी लिखा-पढ़ीका विषय बन गया था और यह लिखा-पढ़ी सम्राट् सरकारकी ओरसे प्रिटोरियामें रहनेवाले ब्रिटिश एजेंटके द्वारा चला करती थी; उसके पश्चात् वह मामला अन्तिम निर्णयके लिए ऑरेंज फ्री स्टेटके उस समयके मुख्य न्यायाधीशके पास भेजा गया। उस न्यायाधीशने अपना मत इन शब्दोंमें घोषित किया : सन् १८८६ के संशोधित रूपमें १८८५ के कानून संख्या ३ को छोड़कर बाकी सब कानून लन्दन-समझौतेके विपरीत हैं। इसलिए, इस निर्णयके पश्चात् पास किये गये ऐसे सभी कानून जो ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय प्रवासियोंकी स्वतन्त्रतापर और अधिक प्रतिबन्ध लगाते थे, इसके विपरीत पड़ते हैं और मेरा खयाल है कि मामलेके साम्यकी बात अलग रखते हुए इसीलिए श्री हारकोर्टने २७ जून, १९११ को संसदमें निम्नलिखित वक्तव्य दिया था :

उन कानूनों (स्वर्ण-कानून तथा बस्ती-संशोधन अधिनियम<sup>१</sup>) के खिलाफ शिकायतें भेजी गई हैं; अब उनके बारेमें दक्षिण आफ्रिकाकी संघ-सरकार जाँच-पड़ताल कर रही है। इस सरकारने अभी हालमें यह कह ही दिया है कि उस कानूनके बननेके पहलेसे भारतीय जो कारोबार करते आ रहे थे उसमें अथवा कारोबारके अधिकारका जो उपभोग करते आ रहे थे उसमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप करनेका सरकारका इरादा नहीं है।

इसी प्रकार १९१२ में श्री डी' विलियर्सने जो कि उस समय ट्रान्सवालके महा-न्यायवादी (अटर्नी जनरल) थे, कहा था : “रंगदार व्यक्तिका कोई भी अधिकार जिसे वह इस समय भोग रहा है इस नये अधिनियमके द्वारा नहीं छीना गया है।” भारतीयोंको श्री हारकोर्टके आश्वासन और इस कानूनके सम्बन्धमें श्री डी' विलियर्सकी व्याख्यापर भरोसा करनेका अधिकार था और अगर ट्रान्सवालका फैसला हमारे प्रतिकूल हुआ है तो संघ-सरकारका कर्तव्य है कि वह अब १९१४ के समझौतेकी रूसे ही नहीं बल्कि उपरोक्त आश्वासन और व्याख्याकी रूसे भी १९०८ के कानूनमें संशोधन करे और भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर और अधिक प्रतिबन्ध न लगाये। नये कानूनका मंशा प्रतिबन्ध लगाना ही है।

मैं जानता हूँ कि आपपर कामका बहुत ही ज्यादा बोझ है। मुझे केवल इस बातकी आशंका है कि चूँकि आपको अपने मातहतों द्वारा तैयार की गई टिप्पणियोंके अनुसार ही काम करना पड़ता है और चूँकि संघ-सरकार-जैसी शक्तिशाली सरकार आपको अपनी बात दक्षिण आफ्रिकाके मुट्ठी-भर ब्रिटिश भारतीयोंकी अपेक्षा कहीं ज्यादा आसानी-

१. गोल्ड लॉ तथा टाउनशिप्स एमेंडमेंट ऐक्ट ।



से मनवा सकती है, इसलिए भारतीयोंके पक्षका तथ्यों अथवा जानकारीके अभावमें अहित हो सकता है। क्या आपको मालूम है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंने दक्षिण आफ्रिकामें [लड़ाईके दिनोंमें] एक आहत-सहायक दलका संगठन किया था और उसने जनरल स्मट्सके नीचे काम भी किया था? क्या यह नया कानून उनको पारितोषिक स्वरूप दिया गया है? एक प्राथमिक अधिकारकी रक्षाको प्राप्त करनेके निमित्त, आत्मसम्मान और न्यायके खयालसे जिसके वे अधिकारी हैं, मुझे लड़ाईके दिनोंमें की गई सेवाओंका जिक्र करनेकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया संघीय संसदकी लोक-सभाकी प्रवर समितिकी रिपोर्टपर गौर करनेकी कृपा करें। यदि आपके पास उसकी कोई प्रति न हो तो मैं आपको दे सकता हूँ।

देखता हूँ कि अचल सम्पत्तिके बारेमें आपके पास पूरे तथ्य मौजूद नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी तरह आप भी इस बातपर दुःखी होंगे कि संघ सरकारने अपने उत्तरदायित्व तथा लिखित वचनको भुलाकर यह संशोधन स्वीकार कर लिया है, जिसके अनुसार

एशियाई लोग, कहीं रुपया लगानेके निमित्त वास्तविक रूपमें कर्जकी जमानतके सिवा, किसीकी जायदाद गिरवी नहीं रख सकते; और जिसमें यह व्यवस्था भी है कि यदि किसी एशियाटिक कम्पनीने इसी माहकी पहली तारीखके पश्चात् अचल सम्पत्ति प्राप्त की हो तो वह उसे दो सालके भीतर अथवा बादमें किसी अधिकारी अदालतके द्वारा नियत अवधिके भीतर बेच दे। अगर ऐसा न किया जायेगा तो वह जायदाद अदालतके हुक्मसे बेची जा सकेगी।

मैंने ये शब्द रायटरके २३ मईके तारसे उद्धृत किये हैं जिसे उसने केप टाउनसे भेजा था। आप देखेंगे कि इसके द्वारा समस्त ट्रान्सवालमें सम्पत्तिकी मिल्कियतके अधिकारोंकी जब्तीको पूरी तरह वैध कर दिया गया है। और साथ ही स्वर्ण क्षेत्रमें बसे हुए भारतीय प्रवासियोंके व्यापारी हकोंकी जब्तीको भी वैध रूप दे दिया गया है। १८८५ के कानून ३ का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा था। भारतीय उतना ही करते थे जितना कानूनन वे खुले तौरपर करनेके अधिकारी थे और उनको इसकी छूट दी ही जानी चाहिए।

मैं इस करुण-कथाको अधिक विस्तार नहीं देना चाहता। ट्रान्सवालमें बसे हुए ५,००० भारतीय प्रवासियोंके अधिकारोंकी हर हालतमें रक्षा करना भारत-सरकारका कर्तव्य है।

समस्याका समाधान मेरे विचारके अनुसार यह है— १८८५ का कानून ३ सरकारको यह अधिकार देता है कि उन स्थानों और उन सड़कोंको नियत कर दे जहाँ भारतीय अचल सम्पत्तिके मालिक बन सकते हैं। इस अधिकारकी रू से वह स्वर्णक्षेत्र, कस्बोंके हलकों और सड़कोंको एशियाइयोंके निवास और स्वामित्वके निमित्त घोषित कर सकती है और वह कर उगाहनेवाले अधिकारियोंको आदेश दे सकती है कि ये लोग वैध भारतीय प्रार्थियोंको उन हलकों और सड़कोंके सम्बन्धमें परवाने जारी कर दिया करें। यह व्यवस्था तबतक के लिए है जबतक उस आयोगकी नियुक्ति



नहीं हो जाती, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, श्री मलान जिसका वचन दे चुके हैं। भारत सरकार (एक शक्तिमान प्रतिनिधि भेजकर) इस बातका इतमीनान कर सकती है कि यह आयोग भी कहीं उसी तरह टाँय-टाँय फिस न हो जाये, जिस तरह सदनकी प्रवर समिति हो गई थी। साम्राज्यके अन्तर्गत प्रत्येक डोमिनियनको प्रवासपर नियंत्रण रखनेका अधिकार दिया जा सकता है; परन्तु अपनेको कथित सभ्य यूरोपका अंग माननेवालोंकी हैसियतसे ये राज्य कानूनके अनुसार आकर बसे हुए प्रवासियोंके धंधों तथा स्वामित्वके अधिकारोंको न कम कर सकते हैं, न छीन ही सकते हैं। प्रस्तावित आयोगके प्रयासका यह परिणाम निकलना ही चाहिए कि उपरोक्त प्रकारके प्रवासियोंके ऊपर लगे हुए सभी जाति-सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिये जायें।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, ३०-७-१९१९

### ४२०. पत्र : कल्याणजी मेहताको

बम्बई

जुलाई २६, १९१९

भाईश्री कल्याणजी,

मैं आपको पत्र लिखना बिलकुल भूल गया। मैं कल (रविवारको) खाना होकर [वहाँ] अवश्य आऊँगा।

जो सवारी गाड़ी वहाँ ६ बजे अथवा इसके आसपास पहुँचती है, उसमें आऊँगा। यदि आवश्यक न जान पड़े तो मुझे दो दिनसे अधिक न रोकिएगा। बिलकुल जरूरी हो तो रोका जा सकता है। इस बातको मैं अभी यहीं छोड़ता हूँ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (जी० एन० २६७०) की फोटो-नकलसे।



## ४२१. सत्याग्रह राजद्रोह नहीं है

[जुलाई २७, १९१९]

‘हिन्दवासी’ के मुकदमेमें सुनाये गये फैसलेका एक उद्धरण प्रकाशित करते हुए ‘मराठा’ ने यह सुझाव दिया था कि उद्धृत अनुच्छेदमें मजिस्ट्रेट द्वारा उठाये गये मुद्देके बारेमें गांधीजीको स्पष्टीकरण करना चाहिए। गांधीजीने सुझाव मान लिया और अपना उत्तर प्रकाशनार्थ ‘मराठा’ को भेजा। फैसलेका वह हिस्सा नीचे दिया जा रहा है।

सत्याग्रहके राजनीतिक रूपका एक और पहलू है जिससे स्पष्ट हो जाता है -- जैसा कि दिल्लीकी घटनाओंसे -- कि कानून-भंग सत्याग्रहका एक अन्तर्निहित अनिवार्य लक्षण है। सत्याग्रह-प्रतिज्ञाके सारसे सभी परिचित हैं। इस प्रतिज्ञाके द्वारा प्रतिज्ञा लेनेवाला सत्याग्रह-सभा जिन कानूनोंका तोड़ा जाना तय करे, उन कानूनोंकी सविनय-अवज्ञा करनेके अधिकारका दावा करता है। ‘सविनय अवज्ञा’ का क्या अर्थ है, यह तो कभी समझाया नहीं गया। यह सर्वविदित है कि बम्बईमें ‘सविनय-अवज्ञा’ ने जब्त साहित्य बेचनेका स्वरूप ग्रहण किया था जो कि भारतीय दंड-संहिताके खंड १२४ (अ) के अनुसार अपराध है। दूसरे शब्दोंमें यह कृत्य एक फौजदारी कानूनकी सक्रिय अवज्ञा है। इसके अतिरिक्त किसी ऐसे कानूनकी ‘सविनय-अवज्ञा’ करना, जो दूसरोंके हकोंकी रक्षा करता हो, प्रत्यक्षतः सभी प्रकारकी व्यवस्था और कानूनका उच्छेदन करना है और उससे सहज ही कानून तथा व्यवस्थाकी रक्षक सरकारके प्रति घृणा और तिरस्कार पैदा होता है। अर्थात् राजनैतिक सत्याग्रहका यह पहलू तात्त्विक रूपमें और परिणामकी दृष्टिसे राजद्रोहपूर्ण है।

श्री गांधीने इसके उत्तरमें कहा :

‘हिन्दवासी’ के मुकदमेके सम्बन्धमें मजिस्ट्रेटने जो फैसला सुनाया है उसमें से आपने सविनय-अवज्ञाके बारेमें उनके विचार उद्धृत करके मुझसे कहा है कि मैं इस फैसलेमें उठाये गये मुद्देका स्पष्टीकरण करूँ। मैं सहर्ष ऐसा कर रहा हूँ।

जीवनके एक भव्य सिद्धान्तके बारेमें जितनी ज्यादा गलतफहमियाँ और गलत-बयानियाँ आपके द्वारा उद्धृत इस अनुच्छेदमें हैं उतनी किसी एक ही अनुच्छेदमें भरना सचमुच बहुत मुश्किल है। इस अनुच्छेदके आरम्भमें लिखा है कि

सत्याग्रहके राजनैतिक रूपका एक और पहलू है जिससे स्पष्ट हो जाता है -- जैसा कि दिल्लीकी घटनाओंसे -- कि कानून-भंग सत्याग्रहका एक अन्तर्निहित अनिवार्य लक्षण है।

१. गांधीजीका यह लेख मराठामें इसी तारीखको प्रकाशित हुआ था।



जबतक तटस्थ परीक्षकोंकी तरफसे दिल्लीकी घटनाओंका भेद न खुले तबतक हम यह नहीं जान सकेंगे कि दिल्लीकी घटनाओंके बारेमें कुसूर किसका था। परन्तु इतना तो याद रखना ही चाहिए कि गत ३० मार्च अथवा ६ अप्रैलको सविनय कानून-भंग शुरू ही नहीं हुआ था। स्वामी श्रद्धानन्दजीका तो यह कहना है कि कानूनका भंग अधिकारियोंके द्वारा किया गया था और यह कि वहाँ जो मुट्ठीभर सत्याग्रही उपस्थित थे, उन्होंने तो अपनी जान जोखिममें डालकर भीड़ और स्थानीय अधिकारियोंके रोषको नियन्त्रित करनेकी भी कोशिश की। फँसलेमें आगे बताया गया है कि

इस प्रतिज्ञाके द्वारा प्रतिज्ञा लेनेवाला सत्याग्रह-सभा जिन कानूनोंका तोड़ा जाना तय करे, उन कानूनोंकी सविनय-अवज्ञा करनेके अधिकारका दावा करता है।

इस वाक्यमें हकीकतको गलत रूपमें पेश करने और साथ ही हकीकतको दबा देनेका दोष भरा हुआ है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करनेवालोंको सत्याग्रह-सभाके तय किये हुए किसी भी कानूनकी सविनय-अवज्ञाका नहीं, परन्तु अपनी ही नियुक्त की हुई विशेष समितिके द्वारा चुने गये कानूनोंकी सविनय-अवज्ञा करनेका अधिकार देती है। यह भेद महत्वपूर्ण है। विद्वान् मजिस्ट्रेटने यह बात नहीं कही कि कानूनकी सविनय-अवज्ञा करते वक्त सत्याग्रही सत्यपर डटे रहने और किसीके भी जान-मालको नुकसान न पहुँचानेके लिए बँधा हुआ है। यह वस्तु कम महत्वकी नहीं है। आगेवाले वाक्यमें मजिस्ट्रेट अपने जिस अज्ञानका प्रदर्शन करता है, वह न्यायाधीशके लिए तो अक्षम्य ही है। वह कहता है कि “सविनय-अवज्ञा क्या है, यह कभी समझाया ही नहीं गया।” यदि वह कानूनकी सविनय-अवज्ञाके लिए ही सजा देने बैठा था, तब उसका पूरी तरह यह समझ लेना फर्ज था कि यह वस्तु क्या है। सत्याग्रह-सम्बन्धी सभी पत्रिकाएँ, जिनमें थोरोका प्रसिद्ध लेख ‘सिविल डिसेओबिडियन्स’ भी है, उसे उपलब्ध थीं।

### सविनय-अवज्ञा क्या है ?

अब मजिस्ट्रेटके अगले वाक्योंका अनौचित्य बतानेसे पहले मैं संक्षेपमें यह समझानेकी कोशिश करूँगा कि कानूनकी सविनय-अवज्ञाका क्या अर्थ है? सविनय-अवज्ञा विनय-हीन या अनैतिक अवज्ञासे उलटी चीज है। इसलिए सविनय-अवज्ञा केवल उन्हीं कानूनोंकी हो सकती है जो नीतिसे समर्थित न हों। कानून फौजदारी और दीवानी दो प्रकारके होते हैं। कानूनकी सविनय-अवज्ञा करनेवाला भारतीय दण्ड-संहिताके खण्ड १२४ (अ) जैसे कृत्रिम फौजदारी कानून (कानून?) की सविनय-अवज्ञा करनेमें आगापीछा न करेगा। इस कानूनके अनुसार न्यायाधीशकी सनक अथवा पूर्वग्रहके अनुसार किसी भी वस्तुको राजद्रोहात्मक कहा जा सकता है। सविनय-अवज्ञा करनेवाला दूसरोंके अधिकारोंपर आक्रमण नहीं करेगा। वह किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थाके प्रति द्वेष या तिरस्कार पैदा करनेके खयालसे कोई भी काम नहीं करेगा। परन्तु वह



किसी भी व्यक्ति या संस्थाके द्वेषात्मक अथवा तिरस्कार योग्य कृत्योंका, परिणामकी परवाह किये बिना, अनादर करने या भंडाफोड़ करनेमें संकोच नहीं करेगा। ऐसा करके वह उस व्यक्ति अथवा संस्थाको उस सारी घृणा अथवा तिरस्कारसे बचा लेता है, जिसकी वह सचमुचमें पात्र नहीं है। राजद्रोहके कानूनका ऐसा अर्थ तो नहीं हो सकता कि राज्यके किसी भी जुल्म या मनमानीके आगे, भले ही उसे विधान-पुस्तकमें स्थान मिल गया हो, इस डरसे सिर झुका दिया जाये कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उस अत्याचारी राज्यके प्रति लोगोंके मनमें घृणा उत्पन्न होगी इसलिए सविनय-अवज्ञा करनेवाला हेतुओंका आरोपण नहीं करेगा, बल्कि [राज्यके] प्रत्येक कार्यकी उसके गुण-दोषोंके आधारपर ही जाँच करेगा। सविनय कानून-भंग प्रेम और भाईचारेपर आधारित है, जब कि कानूनका विनयहीन भंग द्वेष और तिरस्कारपर। प्रकाश और अन्धकारमें जितना फर्क है, उतना ही अन्तर सविनय कानून-भंग और विनयहीन कानून-भंगके बीच है। जब देशमें सविनय कानून-भंगकी भावना व्यापक हो जायेगी और मैं आशा रखता हूँ कि ऐसा शीघ्र ही हो जायेगा, तब अपराध और रक्तपात लगभग भूतकालीन घटना बन जायेंगे।

### आपत्तिका उत्तर

मित्रगण और सरकार दोनों ही यह आपत्ति पेश करते हैं कि जीवनके एक सिद्धान्तके रूपमें सविनय कानून-भंग अपने-आपमें भले ही बहुत प्रशंसनीय वस्तु हो, परन्तु नासमझ लोग सविनय कानून-भंग और विनयहीन कानून-भंगके बीच भेद न कर सकनेके कारण और पसन्द न आनेवाली वस्तुकी अवज्ञा करनेकी मनोवृत्ति रखनेके कारण प्रबुद्ध लोगोंकी कल्पनाके सविनय कानून-भंगका अर्थ किसी भी तरहका कानून-भंग करनेकी भूल कर सकते हैं और सब कानूनोंको ताकपर रखकर मनचाहा व्यवहार करने लगते हैं। यह तर्क विचारणीय अवश्य है, परन्तु इससे सविनय कानून-भंगकी आवश्यकता अथवा भव्यता अप्रमाणित नहीं हो जाती। इससे तो इतना ही साबित होता है कि मेरे-जैसे आदमीको, जो सविनय कानून-भंगका प्रयोग नये और विस्तृत क्षेत्रमें कर रहा है, बहुत सावधानी रखनेकी जरूरत है।

इस विवेचनको पढ़नेपर आपके पत्रके पाठक यह अनुमान लगा सकते हैं कि उपर्युक्त उद्धरणके अन्तिम अंशका कितना मूल्य है। अंश इस प्रकार है:

यह सर्वविदित है कि बम्बईमें सविनय अवज्ञाने जब्त साहित्य बेचनेका रूप ग्रहण किया था जो कि भारतीय दण्ड-संहिताके खण्ड १२४ (अ) के अनुसार अपराध है। दूसरे शब्दोंमें यह कृत्य एक फौजदारी कानूनकी सक्रिय अवज्ञा है।

वर्जित साहित्यकी बिक्री फौजदारी कानूनका सक्रिय भंग करनेके लिए नहीं, वरन् प्रबन्ध-विभागके अधिकारियोंकी निषेधाज्ञाको चुनौती देनेके लिए की गई थी और जैसा कि अब प्रकट हुआ है ऐसी बिक्रीमें कानूनका कोई भंग ही नहीं था, क्योंकि इससे किसी भी कानून अथवा हुक्मका उल्लंघन नहीं हुआ था। सविनय कानून-भंग करनेवालेने निषेधाज्ञाका अर्थ समझनेमें भूल (?) की थी।



उद्धरणमें आगे चलकर कहा गया है :

इसके अतिरिक्त, किसी ऐसे कानूनकी 'सविनय-अवज्ञा' करना, जो दूसरोंके हकोंकी रक्षा करता हो, प्रत्यक्षतः सभी प्रकारकी व्यवस्था और कानूनका उच्छेदन करना है और उससे सहज ही कानून और व्यवस्थाकी रक्षक सरकारके प्रति घृणा और तिरस्कार पैदा होता है। अर्थात् राजनैतिक सत्याग्रहका यह पहलू तात्त्विक रूपमें तथा परिणामकी दृष्टिसे राजद्रोहपूर्ण है।

सविनय कानून-भंगके सम्बन्धमें मेरे उपरोक्त स्पष्टीकरणके बाद इसपर और अधिक विवेचन करना अनावश्यक है। यदि श्री जेठामलको<sup>१</sup> सत्याग्रहके सिद्धान्तोंकी बिल्कुल गलत कल्पनाके आधारपर ही सजा दे दी गई हो, तो उन्हें अविलम्ब छोड़ दिया जाना चाहिए।

आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, २-८-१९१९

## ४२२. तार : पोलक आदिको

बम्बई  
जुलाई २८, १९१९

सेवामें  
क्लोफ, स्ट्रैंड,  
माननीय शास्त्री, इंडिया हाउस  
श्रीमती नायडू, लाइकम होटल, पिकैडिली  
लन्दन

वाइसराय और मित्रोंकी सलाहपर सत्याग्रह फिलहाल स्थगित। अब दूनी शक्तिसे आन्दोलन चलाकर रौलट कानूनको वापस करानेका दायित्व नेताओंपर आता है। मुनासिब अवधिके अन्दर कानून वापस न लिया गया तो सत्याग्रह फिर छिड़ना अवश्यम्भावी।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स, १९१९, पृष्ठ ६७९-८० तथा (एस० एन० ६७७०) की फोटो-नकलसे।

१. जेठामल परसराम, सम्पादक, हिन्दवासी।



## ४२३. भाषण : सूरतमें<sup>१</sup>

जुलाई २८, १९१९

दोपहरको डेढ़ बजे गांधीजीने स्थानीय सार्वजनिक कॉलेजके विद्यार्थियोंके सम्मुख भाषण दिया। उन्होंने विद्यार्थियोंको गुरुके प्रति आदर भाव रखनेकी सीख दी। माँ-बाप और गुरुको एक समान मानना चाहिये, यह कहनेके साथ-साथ उन्होंने कहा कि गुरु जब नीति-विरुद्ध और हृदयको आघात पहुँचानेवाला आदेश दे उस समय शिष्य विनयपूर्वक उसका उल्लंघन कर सकता है। लेकिन ऐसा प्रसंग हजारमें कभी एक बार ही आ सकता है। समय और वचन इन दोनोंका उपयोग कंजूसकी तरह करना चाहिए। ऐसा कहनेके बाद उन्होंने अपने विद्यार्थी-जीवनका अनुभव कह सुनाया।

ग्रेजुएट नौकरीके लिए नहीं बनना है। आजीविका कमानेका उपाय नौकरी नहीं है। आजीविका तो हमें शरीर-श्रम करके कमाना है। एक रूसी लेखकने एक सुन्दर शब्द गढ़ा है “ब्रेड लेबर”। यह आपको किसी शब्दकोषमें नहीं मिलेगा। शिक्षा मस्तिष्कका विकास करनेके लिए है और मस्तिष्कको विकसित करनेका उद्देश्य हृदयको विकसित करना है न कि यह बतलाना — जैसा कि आजकल अमेरिका और फ्रांसमें किया जाता है — चोरी कैसे करनी चाहिए तथा खून किस तरह किया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, [ विद्यार्थियोंको ] निर्भीकताका गुण अपनाना चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

गुजरात मित्र अने गुजरात दर्पण, ३-८-१९१९

## ४२४. भाषण : स्वदेशी भंडारके उद्घाटन समारोहमें

सूरत

जुलाई २८, १९१९

मैं बैठे-बैठे दो-चार शब्द कहूँगा। इस भंडारका उद्घाटन मैंने किया है। मैं चाहता हूँ, इसकी सदा उन्नति हो, किन्तु उन्नति तभी होगी जब इसके व्यवस्थापक बराबर ईमानदारी बरतें, और ऐसा मानकर इसे चलायें कि यह भंडार लोगोंकी सेवा करनेके लिए ही खोला गया है। श्री कल्याणजीने मुझे बताया है कि शुद्ध स्वदेशी व्रत पालन करनेवालोंसे कपड़ेपर सवा छः प्रतिशत तथा अन्य लोगोंसे सवा सात प्रतिशत मुनाफा लिया जायेगा। इस भंडारके खुलनेपर कपड़ेकी दूसरी दुकानोंका क्या होगा, ऐसा सोचना आवश्यक नहीं है। दूसरी दुकानें लोक-सेवामें स्पर्धा करेंगी तो

१. श्ले १-८-१९१९ को बॉम्बे क्रॉनिकलमें प्रकाशित विवरणसे मिला लिया गया है।



चलेंगी। और यदि सूरतवासियोंकी भावनाएँ खरी न हुई, उनमें सद्भावना न हुई तथा उनकी वृत्ति विदेशी वस्तुएँ लेनेकी रही, तो भी चलेंगी, फिर तो दूकानें जितना चाहें उतना दाम बढ़ाकर माल बेचें, चलेंगी। मैं ऐसी प्रार्थना करता रहूँगा कि चपरासी — और इससे आगे बढ़कर कहूँ तो भंगीसे कलक्टर आदि सब लोग विदेशी माल न लेकर स्वदेशीको प्रोत्साहन दें। आपको भी इस प्रार्थनामें शामिल होना चाहिए। शुद्ध हृदयसे प्रार्थना तो वही कर सकता है जो अपनी प्रार्थनाके अनुरूप कार्य करनेवाला हो। यदि आप इस प्रार्थनामें सम्मिलित होंगे तो आप ऐसा करनेमें समर्थ हो सकेंगे। दूसरोंके सामने सद्विचार रखिये, इस भावनाको अपने समक्ष आदर्श रूपमें रखकर उसपर आचरण कीजिए और जैसा मैंने कहा है इस जिलेका प्रत्येक व्यक्ति इस व्रतका पालन करनेवाला बने। भंगीको समझाना, यह बड़ी बात है लेकिन कलक्टरसे इस व्रतका पालन करनेके लिए कहना कोई मुश्किल काम नहीं। देशकी खुशहाली कैसे स्वदेशीपर ही निर्भर करती है, यह बात मैं अब आपको समझाऊँगा। मैंने कुछ देशोंके इतिहास पढ़े हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि यूरोप, अमेरिका आदि सब देशोंके लोग स्वदेशीका पालन करते हुए एक विशिष्ट स्थितिमें पहुँचनेके बाद ही खुशहाल हुए हैं। इस भावनाके बिना देश आर्थिक दृष्टिसे ऊँचा चढ़ ही नहीं सकता। स्वदेशी व्रतका पालन धार्मिक दृष्टिसे भी ऊँचा उठाता है। किन्तु इस अवसरपर मैं आर्थिक स्थितिके सम्बन्धमें बोलूँगा। इतिहास बताता है कि बादशाहोंकी बेगमें और राजाओंकी रानियाँ भी सूत कातती थीं। 'स्पिन्स्टर' और 'वाइफ' आपने ये दो शब्द सुने होंगे। 'स्पिन्स्टर' का अर्थ कातनेवाली है। 'वाइफ' का अर्थ पत्नी नहीं बल्कि बुननेवाली है। स्त्री कौमार्यकालमें कातती थी; लेकिन पत्नी बननेके बाद वह कातती भी थी और बुनती भी थी। शास्त्रोंमें ऐसे अर्थ मिलते हैं। जिन देशोंमें ऐसी आर्थिक स्थिति दृढ़ हुई, वे खुशहाल हो गये। भारतकी ७३ प्रतिशत आबादीका मुख्य आधार खेती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँतक बन पड़े यथातथ्य भाषाका प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग ८० प्रतिशत कहते हैं लेकिन ठीकसे गिनती करनेपर ७३ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड़ स्त्री-पुरुष खेतीपर गुजारा करते हैं। खेतीके धन्धेमें लोग चार महीने तो निठल्ले बैठे ही रहते हैं। जो जमींदार हैं उन्हें वर्षमें बारह महीने आजीविकाके साधन प्राप्त हैं। लेकिन अपनी खेती आप करनेवाले भी सारा साल काम नहीं करते और इस कारण जितना चाहिए उतना नहीं कमा पाते। यूरोपमें पत्नियोंने बुननेका और कुमारियोंने अपना धन्धा छोड़ दिया है लेकिन उनके पास दूसरे उद्योग हैं। और उन्होंने उसे छोड़ा भी इसी कारण है। उन्होंने दूसरे उद्योग अपना लिये हैं, वे अच्छे हैं कि बुरे मैं उस विषयपर विवेचन नहीं करूँगा; परन्तु भारतके राजनीतिज्ञ भी अब खोज कर रहे हैं कि खेतिहरोंको खेतीके उपरान्त क्या सहायक धन्धा दिया जा सके जिससे वे अपने पाँवोंपर खड़े हो सकें। यदि वैसा न हुआ तो थोड़े वर्षोंमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि वे अब जो लगान देते हैं वह भी नहीं दे सकेंगे। मैं विनयपूर्वक और दृढ़तापूर्वक कह रहा हूँ कि यदि आप खुशहाली चाहते हैं तो स्वदेशीका प्रचार कीजिए अर्थात् खेतिहरको कातना और बुनना सिखाइये। यह तो सानी हुई



बात है कि सब लोग भारतकी खुशहाली चाहते हैं। ऐसा कौन होगा जो खुशहाली न चाहता हो। यदि आप अपने मनमें स्वदेशी व्रतका पालन करनेका निश्चय करेंगे तो आपके मनमें यह विचार आयेगा कि कपड़ा कैसे तैयार किया जाये। मिलोंसे जो कपड़े खरीदते हैं उनके बदले हाथसे रुई कातकर सूत और फिर सूतको बुनकर कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए। इसमें बहुत मुनाफा है। सूतके भाव वस्त्र तैयार हो सकता है। स्त्रियोंके पास काफी अवकाश होता है। मैं, आप तथा जो महिलाएँ यहाँ उपस्थित हैं, वे सब इसके गवाह हैं। जैसे हम अपने लिए भोजन पकाते हैं, वैसे ही हमें अपने वस्त्र भी बनाने चाहिए। यदि आप भारतके लिए स्वराज्य और स्वाधीनता चाहते हैं तो उसका मूल आधार स्वदेशी है। अन्तमें, मैं इस भंडारकी दिनोंदिन तरक्कीकी कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस उद्योगको चलानेमें ईमानदारीसे काम लिया जायेगा तथा देश-सेवा और देशभाइयोंके हितका ध्यान रखा जायेगा।

[ गुजरातीसे ]

गुजरात मित्र अने गुजरात दर्पण, ३-८-१९१९

## ४२५. भाषण : सूरतमें स्वदेशीपर

जुलाई २८, १९१९

श्री गांधी गत सप्ताहसे पहलेके सप्ताहमें सूरत आये थे। वहाँ उन्होंने एक शुद्ध स्वदेशी वस्त्र-भंडारका उद्घाटन किया और २८ जुलाईकी शामको स्वदेशीके सिद्धान्तोंपर एक लम्बा भाषण दिया। इस विषयपर अबतक जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषण दिये गये, यह इनमें से एक था। भाषण नीचे दिया जाता है :

श्री गांधीने इस विषयको आरम्भ करनेसे पूर्व थोड़ा समय एक अन्य उपयोगी बातको दिया। उनसे पहले एक वक्ताने कहा था कि खेद है, कुछ सज्जन सत्याग्रहियोंके प्रति सहानुभूतिशून्य रुख रखते हैं और ऐसा मालूम होता है कि वे सत्याग्रहके नामसे ही डरते हैं। उनके इस कथनका उल्लेख करते हुए श्री गांधीने कहा कि अवश्य ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मनमें भयका भाव है; उनसे अधिक सौभाग्यशाली कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मनमें भय नहीं है। किन्तु जिनके मनमें भय नहीं है, उन्हें उन लोगोंसे नाराज होनेका कोई अधिकार नहीं है, जिनके मनमें भय है। यदि पहले प्रकारके लोग यह अनुभव करके कि अन्य लोगोंको भी उनकी तरह निर्भय होना चाहिए, उन्हें आशाके अनुकूल नहीं पाते और चिढ़ जाते हैं तो उन्हें उस भावनासे काम लेना चाहिए जिसकी अंग्रेजी शब्द 'चेरिटी' (उदारता) से ठीक-ठीक अभिव्यक्त हो जाती है। जो मनुष्य नाराज होता है उसे चाहिए कि वह अपनी



नाराजी अपने ही ऊपर उतारे और इस बातको समझनेका प्रयत्न करे कि मनुष्यके निर्माणमें समय, स्थान और स्थितियोंका बहुत बड़ा हाथ होता है।

#### स्वदेशीमें स्वराज्य

मुख्य विषयपर आते हुए श्री गांधीने कहा : यह कहना कि हमें स्वराज्य स्वदेशीसे ही मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। जिस देशके लोग भोजन और वस्त्रकी अपनी आवश्यकताओंकी उचित व्यवस्था नहीं कर सकते, वे स्वराज्यके कतई योग्य नहीं हैं। यह एक स्वयंसिद्ध सत्य है। इस पृथ्वीपर एक भी ऐसा देश नहीं है जो अपना भोजन और वस्त्र न जुटा सके और फिर भी वह स्वराज्यका सुख भोग रहा हो। स्वराज्यकी कैसी भी व्याख्या क्यों न की जाये, लेकिन यह बात असंदिग्ध है कि केवल वे ही स्वराज्यका उपभोग कर पाते हैं जो स्वावलम्बी हैं। यहाँतक कि दक्षिण आफ्रिकाकी असभ्य जातियाँ भी स्वराज्यका उपभोग कर रही हैं। ये नीग्रो लोग अपने लिए खाद्य सामग्री और वस्त्र स्वयं पैदा करते हैं। वे मक्का और मांस (शिकार) पर गुजारा करते हैं और जिन पशुओंको मारते हैं उनकी खालसे अपने तन ढकते हैं। जब ये लोग असभ्यसे 'सभ्य' बनने लगे और अपने भोजन-वस्त्रके लिए दूसरोंपर निर्भर रहने लगे तो उनसे वह थोड़ा-सा स्वराज्य भी, जिसका वे उपभोग कर रहे थे, छिन गया। ऐसा प्रत्येक राष्ट्र, जो अपनी इन दो मुख्य आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए दूसरोंका आश्रित हो गया, दुर्गतिको प्राप्त हुआ है।

#### जापानी खतरा

श्री गांधीने कहा, मैंने कुछ दिन पूर्व अखबारोंको एक पत्र सत्याग्रह रोके रखनेकी घोषणा करते हुए भेजा था। इसमें मैंने कहा था कि स्वदेशीके कारण लंकाशायरका अस्वाभाविक स्वार्थ समाप्त हो जायेगा और उससे अंग्रेजोंके साथ हमारे सम्बन्ध शुद्ध होनेमें सहायता मिलेगी। किन्तु मेरा खयाल है कि इसी पत्रमें मैंने एक बात इससे भी बड़ी कही है और वह यह है कि स्वदेशी हमें जापानी खतरेसे भी मुक्त कर देगा।

उन्होंने कहा, इस जापानी खतरेका हमारे लिए क्या मतलब है, अगर यह बात हम अनुभव नहीं करते तो इसका यही अर्थ है कि हमने अभी स्वराज्यका पहला पाठ भी नहीं पढ़ा है। जापान धीरे-धीरे और लगातार हमपर अपना प्रभुत्व जमा रहा है। पिछले चार सालोंमें उसका निर्यात व्यापार कई सौ गुना बढ़ गया है। हम जिस ओर भी निगाह डालते हैं हमें उसी ओर जापानी माल दिखाई देता है, जापानी दियासलाइयाँ, जापानी साड़ियाँ, जापानी साबुन, जापानी छाते और अन्य जापानी चीजें आदि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जापानका अधिकाधिक प्रभुत्व। जैसे साहूकार गरीब किसानका शोषण करता है और उसे गरीब बना देता है, वैसे ही जापान भारतका शोषण कर रहा है और उसे गरीब बना रहा है। जापान बड़ी तेजीसे भारतका साहूकार बनता जा रहा है। इंग्लैंडको या तो लड़ना पड़ेगा या जापानका प्रभुत्व मानना पड़ेगा।



चीनके साथ अफीमकी जो लड़ाई हुई वह क्या थी? यदि चीन अपने लिए स्वयं अफीम पैदा करता होता तो अफीमकी लड़ाई हुई ही न होती। इतिहासके विद्यार्थी जानते हैं कि वह लड़ाई इंग्लैंडने स्वार्थान्ध होकर लड़ी थी। जबतक इंग्लैंडका उपनिवेशोंके साथ सम्बन्ध स्वार्थपर आधारित है तबतक यह सम्बन्ध शुद्ध नहीं है। किन्तु जो उपनिवेश समय रहते चेत गये, उन्होंने स्वयं तो सीखा ही, इंग्लैंडको भी सबक सिखा दिया।

### आर्थिक स्वतन्त्रता

लोग आर्थिक स्वतन्त्रताकी बातें कर रहे हैं। मैं तो यह नहीं मानता कि यदि इंग्लैंडने आर्थिक स्वतन्त्रता यों ही दे दी तो उस आर्थिक स्वतन्त्रताका कोई मूल्य होगा। वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता तो स्वदेशी वस्तुओंको अपनानेसे ही मिलेगी। अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि आर्थिक स्वतन्त्रताके बिना स्वराज्य व्यर्थ है। किन्तु जब मेरे-जैसा कोई व्यक्ति उनके सम्मुख स्वदेशीका सुझाव रखता है, तो वे उसपर आपत्ति करते हैं। किन्तु मैं उनकी आपत्तियोंकी परवाह नहीं करता क्योंकि मेरा विश्वास है कि स्वदेशीमें विस्तृत और व्यापक आर्थिक स्वतन्त्रताका समावेश हो जाता है और यह आर्थिक स्वतन्त्रता ठीक वसी ही है जैसी हम चाहते हैं। यदि इंग्लैंड हमें आर्थिक स्वतन्त्रता दे भी दे और हम स्वदेशीके नित्य सिद्धान्तोंपर अमल न करें तो हम किसे दोष देंगे? स्वदेशी वस्तुओंको अपनाये बिना हम इंग्लैंडके फंदेसे छूटकर जापानके फंदेमें फँस जायेंगे, जिसका अर्थ होगा—कड़ाईसे निकलकर भट्टीमें गिरना। हमारे लिए जापानके प्रति इंग्लैंडके संधिगत दायित्वोंकी अवहेलना करना असम्भव होगा। हमारी सरकार हमसे कह देगी कि जापानी मालपर चुंगी न लगायें। इसका कारण वह यह बतायेगी कि यदि ऐसा न हुआ तो उससे दूसरी लड़ाई छिड़ जायेगी। यह संकट अगले पाँच वर्षोंमें आ जायेगा। हम इस संकटसे कैसे बच सकते हैं? इसका मार्ग केवल एक है और वह है—शुद्ध आर्थिक सिद्धान्तोंको भली-भाँति समझकर उनका अनुगमन करना। यदि इस पृथ्वीपर कोई ऐसा देश है जो अपने भोजन-वस्त्र स्वयं पैदा नहीं करता, तो वह इसी योग्य है कि उसे उसके हालपर छोड़ दिया जाये या उसके सम्बन्धमें स्वराज्यकी आशा ही न की जाये। यदि ऐसे देशमें स्वराज्य कायम रह सकता है तो वह निश्चय ही शैतानी स्वराज्य होगा। उस देशके लोग अपनी चालों और कूटनीतियोंसे या अपनी जोर-जबरदस्तीसे दूसरे देशोंको धोखा देंगे और उनका शोषण करेंगे और उनके भोजन-वस्त्रों अपहरण करेंगे। प्रत्येक सभ्य देश, सिवा इंग्लैंडके, अपना भोजन-वस्त्र स्वयं पैदा करता है। इंग्लैंड अपने

१. विदेशी व्यापारियों द्वारा चीनमें अफीम लानेके कारण सन् १८४० में चीन और ब्रिटेनमें लड़ाई हुई थी। इसके पन्द्रह साल बाद चीनमें चोरीसे बड़े पैमानेपर अफीम लानेके कारण दूसरी बड़ी लड़ाई हुई। उसके बाद चीनमें अफीमकी खेती करनेकी अनुमति दे दी गई और भारतसे चीनमें अफीम मँगवाना वैध कर दिया गया।



लिए खानेकी चीजें पैदा भी करता है; और बाहरसे मँगाता भी है। इसके लिए उसे एक बड़ा जहाजी बेड़ा रखना पड़ता है। इंग्लैंडको अपने जहाजी बेड़ेपर बड़ा घमण्ड है, लेकिन मेरी रायमें यह घमण्ड तो थोड़े समयका है, नश्वर है। उसे घमण्ड इसी बातका हो सकता है कि उसके पास ऐसी नौ-शक्ति रखनेकी क्षमता है, किन्तु इस बेड़ेके कारण उसे जो स्थान और महत्त्व प्राप्त हुआ है उसको कायम रखनेके लिए उसको अपने लोगोंपर भारी कर लगाना पड़ता है और अन्तर्राष्ट्रीय जल-मार्गोंपर पूरी निगरानी रखनी पड़ती है। यदि हम अंग्रेजोंसे अपना सम्बन्ध शुद्ध बनाना चाहते हैं तो हमें उसमें से अस्वाभाविक स्वार्थको दूर करना होगा और उनकी आर्थिक मान्यताएँ नष्ट करनी होंगी। मैं इंग्लैंडके बेड़ेसे कभी प्रभावित नहीं हुआ और मैंने कभी नहीं माना कि भारतके लिए किसी ऐसे बेड़ेकी आवश्यकता है। क्योंकि इंग्लैंड और स्काटलैंड छोटे टापू हैं, और वहाँ प्रचुर मात्रामें कोयला उपलब्ध है, इसलिए उनके लिए जहाजी बेड़ा रखना आसान है। इसके विपरीत भारत एक विशाल देश है। वह टापू नहीं है, बल्कि एक प्रायःद्वीप है। यहाँकी धरतीमें कोयला बहुत मात्रामें उपलब्ध नहीं है। उसपर अफगान, तातारी, चीनी और तिब्बती हमला कर सकते हैं। इसलिए भारत कोई बड़ा बेड़ा रख भी ले तो वह केवल उसीपर निर्भर नहीं रह सकता। उसे इसके अतिरिक्त एक सेना और रखनी पड़ेगी और इन दोनोंको रखनेमें उसके सारे साधन चुक जायेंगे।

#### ब्रिटेनकी अर्थ-नीति

इंग्लैंडकी अर्थ-नीतिकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा : महारानी एलिजाबेथके समयमें इंग्लैंडको भी स्वदेशीके व्यवहारपर निर्भर रहना पड़ता था; यहाँतक कि उसे कानून बनाकर स्वदेशी वस्तुओंका व्यवहार अनिवार्य कर देना पड़ा था। जितना मोटा कपड़ा मैं पहने हूँ, इससे भी मोटा कपड़ा इंग्लैंडके राजघरानोंमें पहना जाता था। मुक्त व्यापारकी नीति तो उसने अभी-अभी अपनाई है। उस नीतिको अपनातेके पीछे जो कारण थे वे निश्चय ही बुरे नहीं हैं। किन्तु उस नीतिमें जो दोष थे उनके कारण इंग्लैंडको एक विशाल जहाजी बेड़ा रखनेका भार अपने ऊपर लेना पड़ा और इस भारके नीचे इंग्लैंड दबा हुआ है। इंग्लैंडने मुक्त व्यापारकी नीति अपनाई; किन्तु अब वह फिर विपरीत दिशामें मुड़ रहा है। श्री जोसेफ चैम्बरलेन मुक्त-व्यापारकी नीतिका विरोध करते-करते मर गये और वह दिन जल्दी ही आयेगा जब इंग्लैंडको या तो इस नीतिका त्याग करना पड़ेगा या गृह-युद्धका सामना करना होगा।

यदि हम यूरोपके व्यापारका धैर्यपूर्वक अध्ययन करें तो हम यूरोपका अन्धानुकरण करनेसे बच सकते हैं। जो राष्ट्र स्वयं प्रयोग कर रहा है, उसका अनुकरण करना भारतके लिए उचित नहीं है। भारतको स्वयं अपने ढंगसे प्रयोग करना चाहिए। श्री सिगविकके शब्दोंमें कहें तो भारतको यूरोपीय सभ्यताका स्याही-सोख नहीं बनना चाहिए। उसे यूरोपकी उतरनसे अपना शृंगार नहीं करना चाहिए।



दूसरे देशोंके इतिहासको पढ़नेसे पता चलता है कि जो देश स्वदेशीकी नीति न अपनानेके कारण अपनी आर्थिक स्वतन्त्रताको कायम नहीं रख सके, उनका पतन हो गया। उसी प्रकार जो देश आर्थिक दृष्टिसे स्वाधीन रह सके वे स्वराज्य भोगते रहे। इस सम्बन्धमें हम यूरोपके छोटे देशोंका उदाहरण लें। वे आर्थिक दृष्टिसे स्वतन्त्र देश हैं; क्योंकि वे स्वदेशीके सिद्धान्तका अनुगमन करते हैं। प्रत्येक स्वतन्त्र देश अपने तरीकेसे स्वदेशीका अनुगामी है। स्विट्जरलैंड और डेनमार्क अपने-अपने लोगोंके अनुकूल धन्धोंकी रक्षा करते हैं और उनमें किसी भी विदेशीको हस्तक्षेप नहीं करने देते। भारत अपने देशमें अन्न और कपड़ा उत्पन्न करे तो वह उसका स्वदेशीपर आरुढ़ रहना होगा। जहाँ तक खाद्य-सामग्रीका सम्बन्ध है, हमें सौभाग्यसे स्वदेशीकी प्रतिज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँके लोग ज्यादातर अपनी खानेकी चीजें यहीं पैदा करते हैं। कुछ अपवाद जरूर हैं जिन्हें स्कॉच ओट्सकी जरूरत हो सकती है। हाँ, कपड़ेके सम्बन्धमें हमारी स्थिति बहुत ही खतरनाक है। जो लोग कभी बढ़ियासे-बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा तैयार करते थे, वे ही आज जापान और लंकाशायरका मुंह ताकते हैं। हमें लंकाशायरके अस्वाभाविक स्वार्थ और जापानके खतरेसे केवल स्वदेशी धर्म ही बचा सकता है।

#### संयुक्त प्रयत्न

किन्तु मैं यह आशा नहीं करता कि मैं अकेला ही कोई बड़ा काम कर सकता हूँ। अकेले काम करनेकी मेरी इच्छा भी नहीं है। मैं तो सच्चे दिलसे यह चाहता हूँ कि मुझे मेरे देशके ३१ करोड़ लोगोंका और अंग्रेजोंका भी सहयोग मिले। मैं मानता हूँ कि मुझे स्वदेशीने मतवाला बना दिया है। जिस तरह दमयन्ती नलकी खोजमें जंगलोंमें भटकती फिरती थी और मार्गस्थित पेड़ों और पत्थरोंसे भी नलका पता पूछती थी, इसी तरह मैं भी हर छोटी चीजसे जो मुझे मिलती है, पूछता हूँ, मुझे स्वदेशीका मार्ग बताओ। मैं लोगोंसे कहता हूँ कि वे कमर कसकर तैयार हो जायें, एक सालके लिए ही सही, और मैं उनसे वादा करता हूँ कि उसका जो परिणाम निकलेगा उससे संसार भौंचक्का रह जायेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हें किसी चीजके बहिष्कारकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपना माल खुद बनाने और केवल उसीको उपयोगमें लानेकी आवश्यकता है।

इस दिशामें सफलता प्राप्त करनेके लिए कई चीजोंकी आवश्यकता है। इनमें से एक है कपड़ा बनानेमें व्यापारिक ईमानदारी और दूसरी है धनी लोगोंमें अपने गरीब भाइयोंके प्रति सहानुभूति और सौहार्द। धनी लोगोंको यह अनुभव करना चाहिए कि देशमें गरीब लोग अधनंगे नहीं रहने चाहिए और उनमें उनको कपड़ा देनेकी सच्ची लगन होनी चाहिए। प्रत्येक स्त्रीको कमसे-कम एक घंटा रोज सूत कातनेमें लगाना चाहिए। यदि ईमानदारी, उद्योग, देशभक्ति और धनको समन्वित कर दिया जाये तो इसका कितना अच्छा परिणाम हो सकता है !



मेरा निवेदन है कि लोग अपने भीतरसे इस अन्धविश्वासको निकाल दें कि देशका काम कारखानोंके बिना चल ही नहीं सकता। मैं कारखानोंका विरोधी नहीं हूँ; किन्तु मैं यह मानता हूँ और सर फजलभाई भी इस बारेमें मुझसे सहमत हैं कि हमें समस्त देशके लिए पर्याप्त कपड़ा बनाने लायक मिलें खोलनेमें ५० साल लग जायेंगे। अभी तो स्थिति यह है कि देशमें मिलोंकी अपेक्षा हाथकरघोंसे अधिक कपड़ा बनाया जाता है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि देशमें सर्वत्र हाथसे सूत कातना और कपड़ा बुनना शुरू कर दिया जाये तो देश कपड़ेके मामलेमें बहुत जल्दी स्वावलम्बी हो जायेगा। भारतमें २१ करोड़ किसान हैं, यदि वे सभी अपने फुरसतके चार महीने सूत कातने और कपड़ा बुननेमें लगा दें तो बड़ी मात्रामें कपड़ा तैयार होगा। अन्तमें मैं आपको यह और बताना चाहता हूँ कि पुराने जमानेमें भारत वस्त्रके मामलेमें आत्मनिर्भर था और यदि लोग मेरे दिये हुए इन दोनों सुझावोंपर अमल करें तो वह आज भी आत्मनिर्भर बन सकता है।

अन्तमें श्री गांधीने सूरतके लोगोंसे अनुरोध किया कि वे स्वयंसेवकोंके बड़े-बड़े दल गाँवोंमें भेजें जो ग्रामीणोंमें स्वदेशीका प्रचार करें और उन्हें स्वदेशीका मर्म समझायें, ताकि गाँवोंमें चरखे और करघे फैल जायें।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १६-८-१९१९

## ४२६. जगन्नाथका मामला

मुझे बड़े दुःखके साथ जनताका ध्यान पंजाबमें होनेवाले अन्यायके एक तीसरे मामले की ओर दिलाना पड़ रहा है। यह मामला बाबू कालीनाथ राय-जैसे बड़े आदमीका या 'प्रताप' के सम्पादक लाला राधाकृष्ण-जैसे उनसे कुछ कम प्रसिद्ध व्यक्तिका नहीं है। इस व्यक्तिका नाम, जिसके कागज मुझे भेजे गये हैं, जगन्नाथ है जो एक अति साधारण आदमी है और जिसका किसी सार्वजनिक कार्यसे कोई सम्बन्ध नहीं है। उसे एक मार्शल लॉ अदालतसे भारतीय दण्ड संहिताकी धारा १२१ के अन्तर्गत बादशाहके विरुद्ध लड़ाई करनेके अभियोगमें आजन्म काले पानीकी सजा दी गई है और उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई है। उसके मामलेके तथ्य उसकी दरखास्त में, जो अन्यत्र छपी है, साफ-साफ दिये गये हैं। यह दरखास्त पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड मैकलेगनके नाम है। पाठकोंको [अन्यत्र] गुजरावालाके पन्द्रह अभियुक्तोंके, जिनमें से एक जगन्नाथ है, मामलेमें दिया गया फैसला भी मिलेगा। इस मामलेके सम्बन्धमें फैसलेका मजमून यह है:

जगन्नाथ, अभियुक्त सं० १०, ने ५ तारीखकी सभाके नोटिस लाहौरमें छपवाये थे और वह १२ और १३ तारीखकी सभाओंमें भी मौजूद था। किन्तु हमें यह माननेमें तो कोई शिश्क ही नहीं है कि वह उक्त दो सभाओंमें उपस्थित था और उसकी



सफाई निकम्मी है। इस बातके पर्याप्त प्रमाण हैं कि उसने १४ अप्रैलको दुकानें बन्द करानेमें सक्रिय भाग लिया। हमें उसके अपराधी होनेमें कोई सन्देह नहीं और हम उसे भारतीय दण्ड संहिताकी धारा १२१ के अन्तर्गत दण्ड देते हैं।

मेरा कहना है कि ५ तारीखकी सभाके नोटिस छपाना कोई गुनाह नहीं था और न सभामें जाना ही ऐसा काम था जो अपराध-जैसा हो। अदालतने ५ अप्रैलकी सभाके सम्बन्धमें यह कहा है :

यह कहा जाता है कि गुजरांवालाके लोग रौलट कानूनके बारेमें कुछ नहीं जानते थे और न उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी ही थी। ४ अप्रैलको अभियुक्तोंमें से कुछ लोगोंने देशके अन्य भागोंमें जिस तरहका आन्दोलन गांधीके निर्देशके अनुसार चलाया था, वैसा आन्दोलन आरम्भ करनेका निश्चय किया। इसके मुताबिक एक सार्वजनिक सभा ५ अप्रैलको बुलाई गई और उसमें रौलट कानूनकी निन्दा की गई।

हमें ऐसे किसी कानूनकी खबर नहीं है जिसके अन्तर्गत इन तथ्योंको अपराध माना गया हो। जजोंने स्वयं भी यह बात कही है :

किन्तु हम इस मामलेमें इस बातसे संतुष्ट नहीं हैं कि १२ अप्रैलसे पूर्व कोई ऐसा षड्यंत्र मौजूद था जो अपराधके अन्तर्गत आये; इसलिए हम उन अभियुक्तोंको बरी करनेके लिए विवश हैं जिनके बारेमें केवल यह कहा गया है कि उन्होंने उस तारीखसे पूर्वकी कार्रवाईमें भाग लिया था।

इसलिए अदालत द्वारा अभियुक्तके ५ तारीखकी सभामें मौजूद होने या नोटिस छपानेका काम करनेका उल्लेख किये जानेकी बात समझना कठिन है। अदालत फिर कहती है :

१२ तारीखको सायंकाल और १३ तारीखको दिनमें कुछ अभियुक्त भगतसे सलाह करके इस बातपर एकमत हुए कि उन्हें अमृतसरकी तरह यहाँ भी पुल जलाने और टेलीग्राफके तार काटनेका काम करना चाहिए।

अब इन तथ्योंसे निस्सन्देह षड्यंत्र सिद्ध होता है, यह स्पष्ट है; किन्तु अदालतने यह बिलकुल नहीं बताया कि कौनसा अभियुक्त उपर्युक्त अनुच्छेदमें बताये गये अपराध करनेकी बातसे सहमत हुआ। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि ऊपर उद्धृत किये गये वाक्यमें १२तारीखके सायंकालकी जिस सभाका उल्लेख है उसी दिन उससे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटीकी एक बैठक की गई थी। मेरा निवेदन है कि अदालतके लिए यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक था कि जिस बैठकमें पुल जलाने और तार काटनेका कथित फैसला किया गया उसमें अभियुक्त मौजूद था या नहीं। किन्तु अदालतके निर्णयमें १२ और १३ तारीखकी सभाओंमें अभियुक्तके मौजूद होनेके स्पष्ट उल्लेखके अतिरिक्त अन्य कोई निष्कर्ष नहीं मिलता। मैं तो कहूँगा कि यदि अभियुक्त १४ तारीखको गुजरांवालामें था और उसने दुकानोंको बन्द करानेमें सक्रिय भाग लिया था तो भी जबतक यह सिद्ध न किया जा सके



कि वह उल्लिखित अपराधपूर्ण निर्णयमें शामिल था तबतक उक्त कार्य करना अपराध नहीं है। इसलिए जहाँ फैसलेमें अभियुक्तके अपराधका कोई प्रमाण नहीं मिलता वहाँ उसने गुजराँवालासे अपनी अनुपस्थितिके जो तथ्य पेश किये हैं उनमें कई तथ्य अदालतके लिए अत्यन्त क्षतिजनक हैं और निश्चितरूपसे अभियुक्तके पक्षमें हैं। उसने कहा है कि वह गुजराँवालासे १२ अप्रैलको सायंकाल ५ बजेकी गाड़ीसे काठियावाड़ रवाना हो गया था, जहाँ उसका एक मुकदमा चल रहा था। अब मैं मानता हूँ कि अनुपस्थितिका तर्क देना जितना आसान है उतना ही कठिन उसे सिद्ध करना है। किन्तु जो भी उसकी दरखास्त पढ़ेगा वह आसानीसे इस निष्कर्षपर पहुँच सकता है कि उसकी अनुपस्थितिका तर्क पूर्णतः सिद्ध हो गया था। श्री जगन्नाथने अपने इस कथनके समर्थनमें कि वह गुजराँवालासे १२ तारीखको रवाना हो गया था, कई स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी गवाही पेश की। उसने यह दरखास्त दी कि वह १६ अप्रैलको धोराजीमें था, इस तथ्यको सिद्ध करनेके लिए गवाहोंको काठियावाड़से बुलानेके निर्देश जारी किये जायें। अदालतने यह दरखास्त नामंजूर कर दी; किन्तु जाँचकी मंजूरी दे दी, जिसके लिए आयोग (कमिशन) का खर्च २५० रुपये इस गरीबको देना पड़ा। और फिर भी आश्चर्यकी बात यह है कि अदालतने आयोगके लौटनेका इन्तजार किये बिना ही अभियुक्तके विरुद्ध फैसला दे दिया। उसने दरखास्त दी कि जाँचका उत्तर मिलने तक अदालतमें बहस स्थगित कर दी जाये। यह दरखास्त भी नामंजूर कर दी गई। एक दूसरी दरखास्तमें उसने अनुरोध किया कि अदालत जाँचके परिणामका पता तारसे लगा ले, किन्तु उस दरखास्तका भी कोई लाभ नहीं हुआ। अभियुक्तने दरखास्तमें ठीक ही कहा है कि एकमात्र इसी तथ्यके आधारपर उसे दी गई सजा गैरकानूनी सिद्ध होती है, और वह रद्द कर दी जानी चाहिए। दरखास्तमें कहा गया है कि वह १६ अप्रैलको धोराजी पहुँच गया था, यह बात धोराजीके फौजदारके रजिस्टरमें दर्ज है। अभियुक्तने १० पृथक् गवाहोंकी गवाहीसे यह भी सिद्ध किया है कि वह उस तारीखको धोराजीमें मौजूद था। उसने रेलवे टाइम टेबलसे हवाला देकर यह भी बताया है कि धोराजीसे तेजसे-तेज गाड़ीसे दिल्ली पहुँचनेमें ४४ घंटे लगते हैं और यह असंदिग्ध रूपसे सिद्ध किया है कि १३ तारीखको सायंकाल ६ बजेके बाद उसकी गुजराँवालामें उपस्थिति किसी तरह सम्भव नहीं हो सकती; यद्यपि वस्तुतः उसने दूसरी निश्चयात्मक गवाहीसे यह भी प्रमाणित किया है कि वह गुजराँवालासे १२ तारीखको रवाना हो चुका था। उसने जैतपुर (काठियावाड़) की उस अदालतकी कार्रवाई पेश की है जिसमें उसका मुकदमा था। इसलिए अभियुक्तको एक क्षण भी जेलमें रखनेका कोई कारण नहीं है। अभियुक्तने स्वयं सिद्ध किया है कि वह :

गुजराँवालाका एक छोटा दूकानदार है। वह आयकर नहीं देता, वह उर्बू और अंग्रेजी नहीं जानता और गुजराँवाला जैसे ३०,००० की आबादी वाले बड़े शहरमें उसका कोई प्रभाव नहीं है। वह बहुत छोटी हैसियतका आदमी है और उसका दर्जा बहुत छोटा है। उसने कोई शिक्षा नहीं पाई और राजनीतिमें कभी हिस्सा नहीं लिया। वह जिला कांग्रेस कमेटीका सदस्य भी नहीं है और न वह किसी अन्य राजनीतिक संस्थाका सदस्य ही है।



उसकी इस अतिसाधारण स्थितिको देखते हुए उसके साथ किया गया यह अन्याय और भी अधिक दुःखजनक हो जाता है। और उससे जनताका यह दुहरा कर्त्तव्य हो जाता है कि वह बादशाहके छोटेसे-छोटे प्रजाजनके साथ भी अन्याय न होने दे। पंजाबके माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नरने लाला राधाकृष्णके मामलोंमें जो निर्णय किया है उससे यह आशा बँधती है कि इस मामलेमें भी शीघ्र न्याय किया जायेगा। बाबू कालीनाथ राय और लाला राधाकृष्णके मामले गैर-कानूनी थे तो यह मामला सम्भवतः उनसे भी ज्यादा गैर-कानूनी है, क्योंकि इसमें मार्शल लॉके जजोंने दण्ड देनेके लिए अधीर होकर आयोगकी वापसीतक का इन्तजार नहीं किया—उस आयोगकी वापसीका, जिसकी मंजूरी स्वयं उन्होंने दी थी और जिसकी वापसीपर अभियुक्तकी स्वतन्त्रता, और सम्भवतया उसका जीवन, निर्भर करता था।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, ३०-७-१९१९

### ४२७. पत्र : लेफ्टिनेंट गवर्नरके निजी सचिवको

लैबर्नम रोड

[ जुलाई ३०, १९१९ को या उसके बाद ]<sup>१</sup>

निजी सचिव  
माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर  
लाहौर  
प्रिय महोदय,

मैं इसके साथ 'यंग इंडिया' का एक अंक भेज रहा हूँ। इसमें जगन्नाथका मामला दिया गया है। उन्हें अभी हालमें अपराधी करार दिया जाकर आजन्म कालेपानी और सम्पत्ति जब्तीकी सजा दी गई है। मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने अपने मामलेपर नजरसानी और उक्त सजाको रद्द करनेकी दरखास्त दी है जो श्रीमान्के विचाराधीन है। मेरी विनम्र सम्मतिमें इस मामलेमें बहुत ही स्पष्ट अन्याय हुआ है। मार्शल लॉ अदालतका अपने नियुक्त किये गये आयोग (कमिशन) की वापसी तक ठहरे बिना उतावलीमें सजा सुना देना स्वयं फैसलेके लिए घातक है। दरखास्तमें दिये गये तथ्य अभियुक्तकी अपराधके दिन अनुपस्थितिको पूर्णतया सिद्ध करते प्रतीत होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सजा तत्त्वतः और कानूनन दोनों दृष्टियोंसे अनुचित है। इसलिए मैं सादर विश्वास करता हूँ कि श्रीमान् इस सजाको रद्द कर देंगे और गरीब प्रार्थीको रिहा करा देंगे।

आपका विश्वस्त,

अंग्रेजी (एस० एन० ६७६६) की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें उल्लिखित यंग इंडिया का अंक ३०-७-१९१९ का था।



## अवशिष्ट सामग्री

### ४२८. गोखलेका सेवा-मंत्र

[जनवरी २७, १९१९]<sup>१</sup>

महात्मा गोखलेका गिरमिट-प्रथा सम्बन्धी कार्य उनकी तन्मयताकी जैसी झाँकी कराता है, वैसी दूसरा कोई कार्य नहीं कराता। उनका दक्षिण आफ्रिकाका प्रवास<sup>२</sup> और उसके बाद उनके द्वारा भारतमें चलाया गया आन्दोलन अपने कार्यमें तन्मय हो जानेकी उनकी शक्तिका हमें सुन्दर दर्शन कराते हैं। उनकी इस शक्तिको ध्यानमें रखकर ही मैंने अनेक बार कहा है कि हम उनके कार्योंमें छिपी हुई धर्मवृत्तिको देख सकते थे।

अब हम उनके दक्षिण आफ्रिकाके कार्यकी थोड़ी जाँच करें। जब उन्होंने दक्षिण आफ्रिका जानेका अपना इरादा जाहिर किया, तब भारत सरकारके अधिकारियोंमें खलबली मच गई। गोखले जैसे व्यक्तिका अपमान दक्षिण आफ्रिकामें हो तब तो बहुत बुरी बात होगी। दक्षिण आफ्रिका जानेका विचार वे छोड़ दें तो कितना अच्छा हो। परन्तु उनसे ऐसा कहनेका साहस कौन करे? दक्षिण आफ्रिका जाना क्या चीज है, इसका अनुभव गोखलेको इंग्लैंडमें ही हो गया था। उन्होंने अपने लिए टिकट मँगवाया, लेकिन यूनियन कैसल कम्पनीके अधिकारियोंने उनकी कोई परवाह नहीं की। यह खबर इंडिया ऑफिसमें पहुँची। इंडिया ऑफिसने यूनियन कैसल कम्पनीके मैनेजर सर ओवन ट्यूडरको कड़ी हिदायत दी कि कम्पनीको गोखलेका उनकी प्रतिष्ठाके अनुरूप मान-सम्मान करना चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि गोखले एक सम्मान्य मेहमानकी तरह स्टीमरमें प्रवास कर सके। मुझे इस घटनाकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था, “मुझे अपने व्यक्तिगत मान-सम्मानकी बिलकुल परवाह नहीं, लेकिन देशका सम्मान मुझे प्राणोंके समान प्यारा है। और इस समय मैं एक सार्वजनिक व्यक्तिके नाते जा रहा था, इसलिए मेरा अपमान हिन्दुस्तानके अपमानके बराबर है, ऐसा मानकर मैंने स्टीमरमें ऐसी सुविधाएँ प्राप्त करनेका प्रयत्न किया जिनसे मेरे सम्मानकी रक्षा हो सके।” यह घटना घटी इसलिए इंडिया ऑफिसने कलोनियल ऑफिसके मारफत ऐसी व्यवस्था की थी कि दक्षिण आफ्रिकामें भी गोखलेका पूरा सत्कार हो। इसलिए संघ सरकारने पहलेसे ही गोखलेके आदर-सत्कारका प्रबन्ध कर रखा था। उनके लिए एक विशेष रेलवे सैलून तैयार करा रखा था। और यात्रामें रसोइये आदिका भी बन्दोबस्त किया था। उनकी देखभालका काम एक सरकारी अधिकारीको सौंपा गया था। भारतीयोंने तो किसी बादशाहको भी नसीब न हो ऐसा मान उन्हें देनेका जगह-जगह प्रबन्ध कर रखा था। गोखलेने संघ सरकारकी मेहमानदारी तो केवल संघकी एक राजधानी प्रिटोरियामें ही स्वीकार की।

१. धर्मात्मा गोखले पुस्तकमें, जहाँसे यह लेख लिया गया है, लेखको इसी वर्षका माना गया है।

२. गोखले दक्षिण आफ्रिका अक्टूबर-नवम्बर १९१२ में गये थे, देखिये खण्ड ११।



बाकी सारे स्थानोंमें वे भारतीय समाजके ही मेहमान रहे। केप टाउनमें प्रवेश करते ही उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके प्रश्नका विशेष अध्ययन शुरू कर दिया। इस विषयका जो सामान्य ज्ञान प्राप्त करके वे केप टाउनमें उतरे थे, वह भी कोई ऐसा-वैसा नहीं था। परन्तु उनकी दृष्टिमें वह काफी नहीं था। दक्षिण आफ्रिकाके अपने चार सप्ताहके निवासकालमें उन्होंने वहाँके हिन्दुस्तानियोंके प्रश्नका इतना गहरा अध्ययन किया कि जो भी उनसे मिलने आते वे गोखलेके इस ज्ञानसे चकित हो जाते थे।

जब जनरल बोथा और जनरल स्मट्ससे मिलनेका समय आया, तब उन्होंने इतनी ज्यादा टिप्पणियाँ तैयार करवाईं कि मुझे लगता था कि इतना अधिक परिश्रम ये किसलिए कर रहे हैं। सारे समय उनकी तबीयत नाजुक ही रही; उन्हें बहुत ज्यादा सार-सँभालकी जरूरत थी। परन्तु ऐसी नाजुक तबीयत होते हुए भी रातके बारह-बारह बजेतक वे काम करते रहते और सवेरे फिर दो बजे या चार बजे उठकर कागज-पत्रोंकी माँग करते थे। इसके फलस्वरूप जनरल बोथा और जनरल स्मट्सके साथ हुई उनकी मुलाकातसे ही गिरमिटिया मजदूरोंपर लगनेवाले ३ पाँडो वार्षिक करके खिलाफ की गई सत्याग्रहकी लड़ाईका<sup>१</sup> जन्म हुआ। यह कर सन् १८९३ से गिरमिट-प्रथासे मुक्त हुए पुरुषों, उनकी स्त्रियों और उनके लड़कों-लड़कियोंपर लगता था। यदि गिरमिट-से मुक्त हुआ पुरुष यह कर देना स्वीकार न करे, तो संघ सरकारका कानून उसे वापिस हिन्दुस्तान लौटनेके लिए मजबूर करता था। इसलिए गिरमिटमें, सच पूछा जाये तो, गुलामीमें फँसे हुए भारतीयकी दशा बड़ी विषम हो गई थी। अपना सब-कुछ त्यागकर स्त्री-बच्चोंके साथ दक्षिण आफ्रिका आया हुआ वह हिन्दुस्तान लौटकर भला क्या करे? यहाँ तो उसके नसीबमें भुखमरी ही बदी थी। और जीवन-भर गिरमिटकी गुलामीमें भी कैसे रहा जाये? उसके आसपासके स्वतन्त्र आदमी जब महीनेके ४ पाँड, ५ पाँड या १० पाँड तक कमाते हों, तब वह महीनेमें केवल १४-१५ शिलिंग लेकर कैसे सन्तुष्ट रहे? और अगर वह गिरमिटसे मुक्त होकर स्वतन्त्र मनुष्यकी तरह जीवन बिताना चाहे और मान लीजिए कि उसके एक लड़का और एक लड़की हो, तो स्त्री-बच्चों सहित उसे प्रतिवर्ष १२ पाँडका कर देना पड़ता था, इतना भारी कर वह कैसे भरे? यह कर लागू किया गया तभीसे इसके खिलाफ भारतीय लोग जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे थे। हिन्दुस्तानमें भी इसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई थी। परन्तु अभीतक यह कर रद्द नहीं हुआ था। अनेक माँगोंमें गोखलेको यह कर रद्द करनेकी माँग भी संघ सरकारके समक्ष रखनी थी। इस अन्यायसे वे इस तरह आगबबूला हो उठे थे कि मानो अपने गरीब देशबन्धुओंपर पड़नेवाला करका बोझ खुद उन्हीं पर पड़ रहा हो। जनरल बोथाके समक्ष उन्होंने अपनी आत्माकी सम्पूर्ण शक्तिका प्रयोग किया। जनरल बोथा और जनरल स्मट्सपर उनकी बातोंका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे पिघल गये और उन्होंने यह वचन दिया कि संघ संसदकी आगामी बैठकमें यह कर रद्द हो जायेगा। गोखलेने यह खुशखबरी मुझे बड़े हर्षसे सुनाई थी। कुछ दूसरे वचन भी इन अधिकारियोंने दिये थे। परन्तु इस समय हम केवल गिरमिटके

१. देखिए खण्ड १२।



वारेमें ही विचार कर रहे हैं, इसलिए संघ सरकारके साथ उनकी मुलाकातका इतना ही भाग यहाँ देता हूँ। संसदकी बैठक हुई; उस समय गोखले दक्षिण आफ्रिकामें नहीं थे। दक्षिण आफ्रिकामें बसनेवाले भारतीयोंको पता चला कि ३ पौंडका कर रद्द नहीं होगा। जनरल स्मट्सने नेटालके सदस्योंको थोड़ा-बहुत समझानेका प्रयत्न किया था। लेकिन मेरी रायमें वह काफी नहीं था। भारतीयोंने संघ सरकारको लिखा कि ३ पौंडी कर किसी भी तरह रद्द करनेका वचन संघ सरकार गोखलेको दे चुकी है। इसलिए अगर यह कर रद्द नहीं किया गया तो १९०६ से जो सत्याग्रह चल रहा है उसके अन्दर इस करकी बात भी शामिल कर दी जायेगी। दूसरी तरफ गोखलेको तारसे इसकी सूचना दी। गोखलेने इस कदमको पसन्द किया। संघ सरकारने भारतीय समाजकी चेतावनीपर ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम सब कोई जानते हैं। गिरमिटमें रह चुके ४०,००० हिन्दुस्तानी सत्याग्रहकी लड़ाईमें शरीक हुए। उन्होंने हड़ताल की, असह्य दुःख सहन किये, बहुतेरे लोग मारे भी गये। परन्तु आखिरमें गोखलेको दिया हुआ वचन पाला गया और ३ पौंडी कर रद्द हुआ।<sup>१</sup>

[ गुजरातीसे ]

धर्मात्मा गोखले

### ४२९. पत्र : एन० पी० काँवीको

लैबर्नम रोड

बम्बई

जून २२, १९१९

प्रिय श्री काँवी,

स्व० सार्जेंट फ्रेजरकी हत्याके सम्बन्धमें चाँद नामक १५-१६ वर्षके जिस लड़केको फाँसीकी सजा दी गई है, अभी-अभी मैंने उसकी ओरसे महामहिमकी सेवामें प्रेषित की गई याचिका देखी। मेरी समझमें इस बातमें कोई सन्देह नहीं है कि उक्त निरपराध पुलिस कर्मचारीकी हत्या करनेवालोंमें यह लड़का भी एक था। इस सम्बन्धमें चाँदके वकीलके कथनसे मैं सहमत नहीं हूँ; बल्कि सरकारी वकीलके उस कथनको तसलीम करता हूँ जो उन्होंने अदालतके सामने पेश किया था और जो 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के इसी महीनेकी १२ तारीखके 'डाक एडीशन' में प्रकाशित हुआ है। मुख्य अपराधी [चाँद] के अपराधको हलका बनानेवाली अगर कोई बात है, तो वह है उसकी उम्र। फिर यह भी सच है कि जान-बूझकर हत्या करनेका इरादा न चाँदका था और न अन्य किसी व्यक्तिका। भावुकतामें पागल होकर चाँदने यह काम किया है। सारी परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए मैं यह निवेदन करनेका साहस करता हूँ कि महा-विभव अपनी दयाके अधिकारका प्रयोग करके फाँसीके सिवाय जो सजा उचित समझें, सो दें, इसीमें न्यायकी रक्षा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि चाँदकी माँ

१. सन् १९१४ के भारतीय राहत-अधिनियम द्वारा; देखिये खण्ड १२।



पत्र : आर० बी० यूबैंकको

५१५

विधवा है। मैं आशा करता हूँ कि दयाकी इस याचिकापर महाविभव कृपादृष्टि रखकर विचार करेंगे।

भवदीय,

अंग्रेजी (एस० एन० ६६७०) की फोटो-नकलसे।

४३०. पत्र : एन० पी० काँवीको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

जून २९, १९१९

प्रिय श्री काँवी,

अहमदाबादसे रवाना होते समय चाँदके विषयमें लिखा हुआ आपका पत्र मिला। अभी-अभी समाचार मिला है कि चाँदकी फाँसीकी सजा घटाकर आजन्म कैदकी सजा कर दी गई है। केवल उस लड़केका गरीब कुटुम्ब ही नहीं, वे तमाम हजारों स्त्रियाँ और पुरुष जो अदालती कार्रवाईको बड़े ध्यानसे पढ़ते-सुनते रहे हैं और जिनमें मैं अपनेको भी गिनता हूँ, इस महती कृपासे परिपूर्ण कार्यकी हृदयसे कद्र करेंगे। कृपया यह पत्र महामहिमके सामने भी रख दिया जाये।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६७०४) की फोटो-नकलसे।

४३१. पत्र : आर० बी० यूबैंकको

[जुलाई १२, १९१९ के बाद]

प्रिय श्री यूबैंक,

आपके १२ तारीखके पत्र<sup>१</sup> और स्वदेशी सभाकी समितिसे मिलनेके प्रस्तावके लिए धन्यवाद। इस विषयमें महामहिमसे मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे आपसे चर्चा करेंगे। मैं गवर्नरसे निकट भविष्यमें फिर मिलनेवाला हूँ और तब इस विषयपर उनके साथ अधिक विस्तारसे बातचीत करूँगा। आशा है कि उसके बाद समितिसे मिलनेकी कोई ऐसी तारीख मैं आपको सूचित कर सकूँगा, जो आपको सुविधाजनक हो।

स्वदेशी-व्रत न लेनेके आपने जो कारण बताये हैं, उनकी मैं कद्र करता हूँ। मैं तो इसी बातके लिए उत्सुक हूँ कि हमारे किसानों द्वारा किये गये उत्पादन कार्यमें साधारणतया आपका सक्रिय समर्थन प्राप्त होता रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जनताके अर्थाभाव

१. ३ जुलाई, १९१९ को लिखे गये गांधीजीके पत्रके उत्तरमें।



और वस्त्राभावकी हमारी वर्तमान तथा भविष्यकी कठिनाइयोंका हल भी इसी तरीकेसे आसानीके साथ हो सकता है। मगर हमें किस विषयपर चर्चा करनी है, उसका अन्दाज मैं इस पत्रमें नहीं लगाना चाहता। इस दिशामें आपने सहयोगका जो वादा किया है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं कृतज्ञ हूँ।

आपने मेरे स्वास्थ्यके विषयमें पूछा, इसके लिए भी आभारी हूँ। कुछ महीनोंसे मुझे आरामकी बड़ी जरूरत है और इन दिनों आराम लेनेकी परिस्थिति नहीं है; उसके अभावमें जितना अच्छा रह सकता हूँ, उतना अच्छा हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६७४४) की फोटो-नकलसे।

### ४३२. पत्र : एस० आर० हिगनेलको

लैबर्नम रोड

गामदेवी

बम्बई

जुलाई २१, १९१९

प्रिय श्री हिगनेल,

मैं इस पत्रके साथ लाला राधाकृष्णकी<sup>१</sup> रिहाईसे सम्बन्धित याचिका जिसपर सर नारायण चन्दावरकर, सर दिनशा वाच्छा और अन्य सज्जनोंके हस्ताक्षर हैं, संलग्न कर रहा हूँ। मेरी समझमें यह मामला बाबू कालीनाथ रायके मामलेसे भी अधिक दयनीय है। कदाचित्त मामला अभीतक पंजाब सरकारके विचाराधीन है। मैं यह आशा करनेकी धृष्टता कर रहा हूँ कि इस मामलेमें जल्दी ही न्याय किया जायेगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६७६४) की फोटो-नकलसे।

### ४३३. पत्र : एस० आर० हिगनेलको

लैबर्नम रोड

बम्बई

जुलाई २७, १९१९

प्रिय श्री हिगनेल,

जैसा कि आप जानते हैं 'यंग इंडिया' के प्रबन्ध-मण्डलके सौजन्यसे इस समाचारपत्रकी नीति और उसके संचालनका कार्यभार मुझपर है। अन्य समाचारपत्रोंकी

१. देखिए "लाला राधाकृष्णका मामला", १२-७-१९१९।



तरह 'यंग इंडिया' को भी इसी २३ तारीखको एक गोपनीय निर्देश मिला है। निर्देश इस प्रकार है :

'यंग इंडिया' द्वारा सरकारकी इच्छाका पूर्ण पालन हो इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। निर्देशको पढ़कर कुछ परेशानी भी होती है जिसे मैं परमश्रेष्ठके सामने रख देना चाहूंगा। टर्कीके समाचारोंको लेकर लोग इतने विक्षुब्ध क्यों हो उठते हैं? यदि टर्कीसे की गई सन्धिकी शर्तें सम्माननीय हैं तो उनके कारण भारतमें थोड़ी-सी भी उत्तेजना क्यों फैलनी चाहिए। कुछ प्रभावशाली मुसलमान जो इन दिनों लन्दनमें रहते हैं उन्होंने प्रधानमंत्रीको जो पत्र लिखा है, उसे पढ़कर मैं और भी विक्षुब्ध हुआ। मैं देखता हूँ कि पत्रपर हस्ताक्षर करनेवाले लोगोंमें बम्बईके प्रधान आगाखान, भूतपूर्व न्यायमूर्ति अमीर अली, सर अब्बास अली बेग तथा अन्य लोग हैं। "टर्कीको विभाजित करनेकी धमकीके समाचार और उससे मुसलमानोंमें उत्पन्न गहरी चिन्ता और बेचैनी" से सम्बन्धित इस पत्रको महामहिम अबतक देख चुके होंगे, इसमें मुझे सन्देह नहीं है। हस्ताक्षरकर्त्ताओंने यह भी कहा है कि "यदि शान्तिसभाके इस मंशाके मुताबिक अमल किया गया तो स्थिति और भी बिगड़ जायेगी।"

मैंने अपने विक्षुब्ध होनेकी बात लिखी क्योंकि मुझे रोज इस आशयके पत्र मिलते हैं और मुसलमान मित्र मुझसे आकर कहते हैं कि हम बेचे जानेवाले हैं। मैंने उन्हें आश्चस्त किया है कि महामहिम सम्राट्के मन्त्रियोंके सामने सही तसवीर रखनेकी पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोगोंको पत्रपर अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है। उन्होंने मेरी यह बात सुन तो ली लेकिन अविश्वासपूर्वक। मुझे लगता है कि यह स्थिति बहुत गम्भीर है और महामहिमका ध्यान मुझे इस ओर आकर्षित करना चाहिए। क्या आश्चस्त करनेवाली कोई निश्चित घोषणा नहीं की जा सकती? मुसलमानोंको जिस बातकी जबरदस्त आशंका है, यदि वही बात सामने आई तो फिर भारतमें शान्ति केवल शस्त्रबलसे ही कायम रखी जा सकेगी; वह वास्तविक शान्ति नहीं होगी। मुझे निश्चित रूपसे मालूम है कि टर्कीके विभाजन या उनके पवित्र स्थानोंपर कब्जा करनेसे मुसलमानोंमें जो क्षोभ उत्पन्न होगा उसके बदलेमें उदारतम सुधार देनेपर भी वह शमित नहीं किया जा सकेगा। मैं जानता हूँ कि ये सब बातें निस्सन्देह महामहिमकी निगाहमें हैं; परन्तु साम्राज्यका शुभेच्छु होनेके नाते—मैं अपनेको ऐसा ही मानता हूँ—यदि मैं, जो गम्भीर बातें मेरी निगाहमें आई हैं, उन्हें महामहिमके ध्यानमें न लाऊँ तो मैं अपने कर्त्तव्यसे च्युत हो जाऊँगा। क्या मैं आशा करूँ कि यथासम्भव किसी-न-किसी तरह टर्कीके मामलोंपर एक वक्तव्य अवश्य दिया जायेगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० ६७७७) की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें निर्देश उद्धृत नहीं किया गया।





## परिशिष्ट

### परिशिष्ट १

#### गांधीजीके नाम रवीन्द्रनाथ ठाकुरका पत्र

शान्तिनिकेतन

अप्रैल १२, १९१९

प्रिय महात्माजी,

शक्ति, चाहे किसी भी रूपमें हो विवेकहीन होती है — वह उस घोड़ेके समान है जो आंखोंपर पट्टी बांधे गाड़ी खींचता है। वहाँ नैतिक तत्त्वका प्रतिनिधित्व केवल घोड़ा हाँकनेवाला ही करता है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक ऐसी शक्ति है जिसका अपने-आपमें नैतिक होना आवश्यक नहीं है। इसका उपयोग सत्यके विरुद्ध भी किया जा सकता है और सत्यके पक्षमें भी। किसी भी तरहकी शक्तिमें अन्तर्निहित खतरा उस समय और भी प्रबल हो जाता है जब उसके सफल होनेकी सम्भावना हो क्योंकि उस परिस्थितिमें उसमें लोभ भी शामिल हो जाता है।

मैं जानता हूँ, आपकी शिक्षा शिवकी सहायतासे अशिवके विरुद्ध संघर्ष करनेकी है। किन्तु इस प्रकारका संघर्ष तो वीर ही कर सकता है। जो व्यक्ति क्षणिक आवेगके वशीभूत हो जाते हैं वे ऐसा संघर्ष नहीं कर सकते। एक पक्षकी बुराई स्वभावतः दूसरे पक्षमें बुराई उत्पन्न करती है; अन्याय हिंसाकी ओर ले जाता है और अपमान प्रतिहिंसाकी ओर। दुर्भाग्यसे एक ऐसी शक्तिको गति मिल चुकी है, हमारे अधिकारियोंने भय अथवा क्रोधके कारण हमपर वार किया और इसका स्पष्ट ही यह प्रभाव हुआ कि हममें से कुछने आक्रोशमें भरकर गुप्त मार्ग अपनाया और दूसरे बिलकुल भीगी बिल्ली होकर रह गये। इस संकटके समय आपने मानव-जातिके महान् नेताके रूपमें हमारे बीच आकर उस आदर्शके प्रति अपने उस विश्वासकी घोषणा की जिसे आप भारतका आदर्श मानते हैं। वह आदर्श गुप्त प्रतिकारकी इच्छासे उत्पन्न कायरता तथा भयसे त्रस्त होकर चुपचाप आत्मसमर्पण कर देनेवाली दोनों भावनाओंके विरुद्ध है। आपने उसी तरहकी बात कही है जैसी भगवान् बुद्धने अपने समयमें सर्वकालके लिए कही थी —

अक्रोधेन जिने कोधम् असाधुं साधुना जिने, — “अक्रोधसे क्रोधको और अशिवको शिवसे जीतो।”

शिवकी इस शक्तिको चाहिए कि वह निर्भय होकर ऐसी किसी भी सत्ताको अस्वीकार कर दे जो अपनी सफलताके लिए अपनी त्रास देनेवाली शक्तिपर निर्भर करती है और बिलकुल निहत्थे लोगोंपर विनाश करनेवाले अपने शस्त्रास्त्रोंका उपयोग करनेसे नहीं हिचकता। हमें निश्चित रूपसे समझ लेना चाहिए कि नैतिक विजय

६००८



सफलतापर निर्भर नहीं करती और न असफलता ही उसे उसके गौरव एवं महत्त्वसे वंचित करती है। जो लोग आध्यात्मिक जीवनमें विश्वास रखते हैं वे जानते हैं कि जिसके पीछे अतिशय भौतिक बल हो ऐसी बुराईका मुकाबला करना ही विजय है, — एक ऐसी विजय है जो प्रत्यक्ष रूपसे पराजित हो जानेपर भी आदर्शपर सक्रिय विश्वास रखनेसे उपलब्ध होती है।

मैंने सदैव यह अनुभव किया है और तदनुसार कहा भी है कि स्वतन्त्रताका महान् उपहार किसीको भी सेंटमेंत नहीं मिल सकता। हम उसे अपना तभी बना सकते हैं जब हमने उसे अपने बलपर हस्तगत किया हो। इसलिए जब भारत यह सिद्ध कर देगा कि वह नैतिकतामें उन लोगोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है जो अपने विजयाधिकारके कारण उसपर शासन करते हैं, तभी उसे अपनी स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेका अवसर उपलब्ध होगा। उसे सहर्ष कष्ट सहनेके लिए तत्पर हो जाना चाहिए, यह तप है और महान् पुरुषका भूषण है। उसे श्रेयमें अटल विश्वास रखकर आध्यात्मिक बलको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखनेवाले अहंकारका निडर होकर मुकाबला करना चाहिए।

और आप अपनी मातृभूमिमें ऐसे अवसरपर पधारे हैं जब उसे उसके ध्येयकी याद दिलाने, विजयके सच्चे मार्गपर ले जाने तथा उसकी वर्तमान राजनीतिको उसकी दुर्बलताओंसे मुक्त करनेकी आवश्यकता है। वर्तमान राजनीति कूटनीतिक छल-कपटकी पराई पोशाक पहनकर अकड़ दिखाती हुई ऐसा समझती है मानो उसने अपना मतलब सिद्ध कर लिया है। इसीलिए मेरी [ईश्वरसे] हार्दिक प्रार्थना है कि आपके पथमें कोई भी ऐसी बाधा न आये जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक स्वतन्त्रताके कमजोर पड़नेकी आशंका हो और सत्यके लिए किया जानेवाला बलिदान केवल शाब्दिक आग्रहका रूप कभी धारण न करे; यह शाब्दिक आग्रह पवित्रनामोंकी आड़में धीरे-धीरे आत्म-प्रवंचनाका रूप धारण कर लेता है।

ये कतिपय शब्द मैंने प्रस्तावनाके रूपमें लिखे; अब मुझे अनुमति दें कि मैं आपके उदात्त कार्योंके प्रति कविके रूपमें अपनी निम्नलिखित भावना व्यक्त करूँ —

(१)

इस विश्वासके साथ मुझे अपना मस्तक उँचा रखनेकी शक्ति दो कि तुम हमारे आश्रय हो और सभी प्रकारके भय तुम्हारे इस आश्रयके प्रति अविश्वासको प्रकट करते हैं।

मनुष्यका भय? किन्तु इस विश्वमें कौनसा मनुष्य, राजा अथवा राजाओंका राजा ऐसा है जो तुम्हारे सामने खड़ा हो सके? कौनसी है वह अन्य शक्ति जिसने मुझे सम्पूर्ण काल और समस्त वास्तविकताओंसे इस तरह बाँध रखा हो।

इस विश्वमें कौन-सी शक्ति मुझसे मेरी स्वाधीनता छीन सकती है। क्योंकि तुम्हारे विशाल हाथ क्या कालकोठरीकी दीवारोंको पार करके बन्दी तक नहीं जा पहुँचते और आत्माको निर्वन्ध मुक्ति नहीं दे देते?

कोई कंजूस जिस तरह अपनी निरर्थक धनराशिसे चिपटा रहता है क्या मैं उसी तरह मृत्युके डरसे अपनी देहसे चिपटा रहूँ? क्या मेरी आत्मा अनन्त जीवनके तुम्हारे शाश्वत समारोहमें सदैवके लिए आमन्त्रित नहीं है?



मुझे यह प्रतीति हो जाये कि पीड़ा और मृत्यु क्षणजीवी छाया-मात्र हैं; तुम्हारे सत्य और मेरे मध्य जो आसुरी शक्तियोंका प्रसार है वह सूर्योदयसे पहलेका कुहरा-मात्र है। जन्म-जन्मान्तरोके लिए तो एक तुम्हीं मेरे हो और शरीर-बलका वह गर्व जो अपनी विभीषिकामें मेरे पौरुषकी खिल्ली उड़ानेका साहस करता है, तुम्हारे सामने क्षुद्र है।

(२)

मेरी प्रार्थना है कि प्रेमके बलपर प्राप्त होनेवाला वह सर्वश्रेष्ठ साहस मुझे दो जिसे पाकर वाणी, कृति और सहनशीलतामें मैं तुम्हारी इच्छाका अनुसरण कर सकूँ; सर्वस्व त्याग सकूँ या परित्यक्त बनकर रह सकूँ।

मेरी प्रार्थना है कि मुझे प्रेमसे प्राप्त होनेवाली वह सर्वोच्च आस्था प्रदान करो जो मृत्युमें जीवन, पराजयमें विजय और सौन्दर्यकी भंगुरतामें शक्तिको अन्तर्निहित देखती है, जो व्यथामें गौरव देखती है और प्रहारको सह लेती है किन्तु बदलेमें प्रहार नहीं करती।

हृदयसे आपका,  
रवीन्द्रनाथ ठाकुर

अंग्रेजी (जी० एन० ४५८३) की फोटो-नकलसे।

## परिशिष्ट २

### सत्याग्रह पुस्तिका संख्या-१

हेनरी थोरो (मैसेच्युसैट्सके अध्यापक) द्वारा सन् १८४९ में लिखित "द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसेओबिडिएन्स"के उद्धरण :—

"कमसे-कम शासन करनेवाली सरकार सर्वोत्तम सरकार होती है", मैं इस आदर्श वाक्यको हृदयसे स्वीकार करता हूँ। और मैं इस बातके लिए उत्सुक हूँ कि अधिक तेजीके साथ और व्यवस्थापूर्वक इसपर अमल किया जाये। अमलमें लाये जानेपर अन्ततोगत्वा उसका रूप यह हो जाता है और उसके इस रूपपर भी मेरी आस्था है— "जो शासन ही नहीं करती वह सरकार सर्वोत्तम है।" और जब लोग इसके लिए तैयार हो जायेंगे तब उन्हें इस प्रकारकी सरकार मिलेगी भी। सरकार बहुत हुआ तो काम चलानेके लिए किया गया एक अस्थायी प्रबन्ध-भर है। किन्तु आमतौर पर ज्यादातर सरकारें और कभी-कभी तो सारी सरकारें इस तरह भी उपयोगी सिद्ध नहीं होतीं। स्थायी सेना रखनेके विरुद्ध बहुत-सी बातें कही जाती हैं, और वे महत्त्वपूर्ण भी हैं, तथा इस योग्य हैं कि सुनी जायें; स्थायी सरकारके विरुद्ध भी वे बातें कही जा सकती हैं। स्थायी सेना तो अस्थायी सरकारकी भुजा ही है। तब फिर सरकार भी, जो केवल एक साधन है जिसे कि लोगोंने अपनी इच्छाओंको कार्यरूपमें परिणत करनेके माध्यमके रूपमें चुना है, वैसी ही दूषित और विकृत भी हो सकती है . . . ।



क्या कोई भी नागरिक किसी भी मात्रामें एक क्षणके लिए भी अपनी विवेक-बुद्धि विधायकको सौंप सकता है? यदि यह सम्भव हो तो हर आदमीको विवेक दिया ही क्यों गया है? मेरी समझमें तो प्रत्येक व्यक्तिको मनुष्य पहले होना चाहिए और इसके बाद प्रजा। न्यायके प्रति लोगोंके मनमें सम्मान बढ़ाना वांछनीय है किन्तु कानूनके प्रति वैसा ही करना वांछनीय नहीं है। केवल एक ही दायित्व ऐसा है जिसे स्वीकार करनेका मुझे अधिकार है और वह है जिस कामको मैं उचित समझता हूँ उसे जब चाहूँ तभी कर लेना। इस कथनमें बहुत सचाई है कि संगठनों (कॉरपोरेशन) के अन्तरात्मा नहीं होती; किन्तु यदि किसी संगठनके सदस्योंका विवेक जागरूक है तो उस संगठनके भी अन्तरात्मा होगी। कानूनने कभी किसी व्यक्तिकी न्यायपरायणतामें तनिक भी वृद्धि नहीं की। कानूनके प्रति आदरभाव रखनेके कारण सत्प्रवृत्ति रखनेवाले उदार व्यक्ति भी आये दिन अन्यायके साधन बना लिये जाते हैं। कानूनके प्रति इस अनुचित और अति-शय सम्मानकी भावनाका एक आम उदाहरण लीजिए: विभिन्न श्रेणियोंके सैनिकों और उनके नायकोंको हम सुव्यवस्थित पंक्तियोंमें दल बांधकर, अपनी इच्छाके खिलाफ, अपनी बुद्धि और अपनी अन्तरात्माकी आवाजके खिलाफ, पहाड़ियाँ चढ़ते और घाटियाँ उतरते, युद्ध-यात्रापर जाते देखते हैं—यह वही तो है। चूँकि उनकी इच्छा, उनकी बुद्धि और उनकी अन्तरात्मा इस कार्यमें उनके साथ नहीं होती इसलिए यह यात्रा उनके लिए बहुत विषम सिद्ध होती है—उनका हृदय उसकी बात सोचकर धड़कता है। उन्हें इस बातमें कोई सन्देह नहीं होता कि उनका उद्दिष्ट कार्य गृहित है और उनका अपना झुकाव तो शान्तिकी ओर है। अब सवाल यह है कि ये सैनिक हैं क्या? क्या उन्हें मनुष्यकी संज्ञा दी जा सकती है? क्या यह कहना ज्यादा सही नहीं होगा कि वे मनुष्य नहीं, किसी बेईमान सत्ताधारीकी सेवासे सम्बद्ध एक तरहके जंगम दुर्ग और अस्त्रागार हैं? . . .

इस प्रकार, ज्यादातर मनुष्य राज्यकी सेवा मानवोंकी तरह [आत्मासे] नहीं बल्कि यंत्रोंकी तरह [केवल] शरीरसे करते रहते हैं। और इसी प्रकारके मनुष्योंसे निर्मित होता है हमारा देशबल—स्थायी सेना, नागरिक सेना, जेलर, पुलिसके सिपाही आदि। बहुतसे मामलोंमें न्याय अथवा नैतिक भावनाके उपयोगमें स्वतंत्रता तो रहती ही नहीं है; बल्कि लोग अपनेको लकड़ी, मिट्टी और पत्थरका बना लेते हैं। और सम्भव है कि आगे कभी काष्ठवत् ऐसे आदमी तैयार किये जा सकें जिनसे यह काम हल हो जाये। इस प्रकारके व्यक्ति भुस-भरे पुतले या गन्दगीके ढेरसे अधिक आदर पाने योग्य नहीं हैं। उनका अगर कोई मूल्य है तो वैसा ही जैसा घोड़ों और कुत्तोंका हो सकता है। फिर भी ऐसे व्यक्ति अच्छे नागरिक समझे जाते हैं। दूसरे लोग, जैसे अधिकांश विधायक, राजनीतिज्ञ, वकील, मन्त्री और राजकीय कर्मचारी आदि, मुख्यतः अपनी बुद्धि द्वारा राज्यकी सेवा करते हैं और चूँकि वे शायद ही कभी नैतिक-अनैतिकका भेद करते हैं इसलिए उनके द्वारा ईश्वरकी सेवाकी जितनी सम्भावना है उतनी ही, अनजाने ही क्यों न हो, शैतानकी सेवाकी भी है। वीरों, देशभक्तों, शहीदों और व्यापक अर्थमें सुधारकोंके रूपमें बहुत ही कम लोग राज्यकी सेवा अपनी अन्तरात्मासे भी करते हैं। किन्तु उनकी सेवा राज्यके प्रतिरोधका स्वरूप धारण किये बिना नहीं रह सकती इसलिए राज्य साधारणतया उन्हें अपना शत्रु समझता है।



सभी लोग क्रांतिके अधिकारको स्वीकार करते हैं। क्रांतिका अधिकार अर्थात् राजनिष्ठासे इनकार करने और जब सरकारकी स्वेच्छाचारिता या अयोग्यता बहुत बढ़ जाये और असह्य हो जाये तब उसका प्रतिरोध करनेका अधिकार।

\*

\*

\*

घर्षण सभी प्रकारके यंत्रोंमें होता है; और बुराईको सन्तुलित रखनेमें कदाचित् इसकी उपयोगिता भी खासी है। बहरहाल, उसे लेकर हो-हल्ला करना बहुत बुरी बात है किन्तु यदि घर्षण ही यंत्रपर हावी हो जाये और अत्याचार तथा लूटमार संगठित रूपसे चलने लगे तब तो मैं कहता हूँ, हमें ऐसा यन्त्र एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

आज ईमानदार और देश-भक्तोंका क्या हाल है? वे संकोचमें पड़े रहते हैं, खेद प्रकट करते हैं और एकाध बार दरखास्त भी दे देते हैं; किन्तु वे मन लगाकर ऐसे ढंगसे कुछ भी नहीं करते जिसका कोई असर पड़ कर रहे। वे इस बातकी प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहेंगे कि कोई भला आदमी आकर दुःखका निवारण करे ताकि उन्हें परेशानी न हो। बहुत हुआ तो वे [सत्यके पक्षमें] मतदान कर देंगे, दबी जबानसे उसका समर्थन कर देंगे और वह उन्हें उनके पाससे अपने पथपर बढ़ता हुआ दिखा तो अपनी शुभकामना व्यक्त कर देंगे। संसार-भरमें हजारमें नौ सौ निन्यानवे सत्यकी बातें करनेवाले होते हैं, उसपर आचरण करनेवाला एक होता है। [सत्यके इन तमाम] कोरे संरक्षकोंके बजाय सत्यके वास्तविक स्वामीसे सम्बन्ध बनाना अधिक आसान है।

सही चीजके लिए मतदान कर देना उसके लिए कुछ करना नहीं कहला सकता। इसका तो इतना ही अर्थ है कि आप लोगोंके सामने दुर्बलताके साथ अपनी यह इच्छा-मात्र व्यक्त करते हैं कि विजय उक्त सिद्धान्तकी होनी चाहिए। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे भवितव्यताकी दयापर नहीं छोड़ सकता।

जरूरत ऐसे आदमीकी है जो सचमुच आदमी हो — मर्द हो; मेरे पड़ोसीके शब्दोंमें 'जिसकी रीढ़में आप अपना पंजा नहीं फंसा सकते'? हमारे आँकड़े सही नहीं हैं; मनुष्य-संख्या बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है। इस देशमें प्रति हजार वर्ग मील कितने आदमी हैं? मुश्किलसे एक।

\*

\*

\*

सिद्धान्तके आधारपर व्यवहार, सही वस्तुका दर्शन और आचरण चीजोंका सारा नक्शा ही बदल देते हैं। ऐसा आचरण वस्तुतः क्रांतिकारी होता है और उसके फलस्वरूप परिस्थितियाँ जैसी थीं वैसी बिलकुल नहीं बच रहतीं। यह न केवल राज्यों और धर्म-संस्थानोंमें पक्ष-विपक्ष पैदा कर देता है बल्कि परिवारोंको विभाजित कर देता है; यहाँ तक कि स्वयं व्यक्तिकी इकाईको तोड़ देता है और उसके भीतरकी आसुरी और दैवी प्रवृत्तियोंमें द्वन्द्व प्रारम्भ हो जाता है।

\*

\*

\*

अन्यायपूर्ण कानूनोंका अस्तित्व है तो क्या हमें उनके अनुसार चलकर चुप बैठ रहना चाहिए; उन्हें सुधारनेकी कोशिश करनी चाहिए और अपनी इस कोशिशमें



सफल होने तक उनका पालन करते जाना चाहिए अथवा हमें तुरन्त उनका उल्लंघन करना चाहिए।

\*

\*

\*

लोग सोचते हैं कि यदि हम प्रतिरोध करें तो जिस बुराईका प्रतिरोध किया जायेगा यह प्रतिरोध उससे भी निकृष्ट रूप धारण कर लेगा। किन्तु प्रतिकारको बुराईसे भी अधिक बुरा बन जाने देनेमें गलती सरकारकी है। वह क्यों पहले ही से इसका अनुमान लगाकर इस बातकी गुंजाइश नहीं कर रखती कि उसमें सुधार किया जा सके?

लोग चोट करें इसके पहले ही वह चिल्लाना शुरू कर देती है और [अँगुली उठाने-वालोंका] प्रतिरोध करने लगती है। इसके बजाय वह नागरिकोंको ऐसे दोषोंके प्रति सतर्क रहनेके लिए तथा ज्यादा अच्छा कुछ करनेके लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं करती? वह ईसामसीहको सदैव शूलीपर क्यों चढ़ाती है, क्यों कोपरनिकस और लूथरको बहिष्कृत करती है, और क्यों वार्शिगटन तथा फ्रैंकलिनको गद्दार घोषित करती है?

\*

\*

\*

यदि अन्याय सरकारी यन्त्रके अनिवार्य घर्षणका अंग ही है तो इसे चलने दीजिए, चलने दीजिए; घिसते-घिसते शायद वह हमवार हो जाये — निःसन्देह, यन्त्र तो घिस ही जायेगा। यदि इस अन्यायको यन्त्रके ही किसी पुर्जे — स्प्रिंग, गरारी, रस्सी या क्रेक आदि — का सहारा मिल गया है [और इसलिए स्थायी हो गया है] तो इस बात पर विचार किया जा सकता है कि उसका प्रतिकार और बड़ी बुराईका कारण तो नहीं बन जायेगा; किन्तु यदि वह आपको दूसरेपर अन्याय करनेका एक साधन बनने पर बाध्य करे तो मैं कहता हूँ आप उस कानूनको तोड़ डालिये।

जहाँतक बुराईको दूर करनेके लिए राज्य द्वारा मुहय्या किये गये तरीकोंको अपनाने का सवाल है मैं ऐसे तरीकोंको नहीं जानता। उनमें बहुत वक्त लगता है; आदमीकी पूरी जिन्दगी उनमें ही लग जाये। मुझे दूसरे काम भी करने हैं। मैं इस दुनियामें खास तौर पर इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं इसे अच्छी तरह रहने योग्य जगह बनाऊँ, बल्कि इसलिए आया हूँ कि वह जैसी-कुछ भी है उसमें रहूँ। आदमीको सब-कुछ नहीं, कुछ करना आवश्यक होता है। और अगर वह सब-कुछ नहीं कर सकता तो यह जरूरी नहीं हो जाता कि वह कोई-न-कोई गलत काम करे। गवर्नर या विधान सभाके पास मुझे अर्जी भेजनेकी जरूरत नहीं है — उसी तरह जिस तरह गवर्नर या विधान सभाको मेरे पास भेजनेकी जरूरत नहीं। यदि मैं अर्जी दूँ और वे मेरी अर्जी न सुनें तो मुझे क्या करना चाहिए। इस सम्बन्धमें राज्यने कोई उपाय नहीं बताया। उसका संविधान स्वयं एक बुराई है। हो सकता है कि मेरी यह बात कठोर, दुराग्रहयुक्त और अमैत्रीपूर्ण लगे; किन्तु जो उसकी कद्र कर सकता है और जो उसका पात्र है उसके लिए तो यही अनुकम्पायुक्त और विचारपूर्ण है। ऐसे ही सभी परिवर्तन शरीरमें उथल-पुथल मचाने-वाले जन्म-मरणके समान अकल्याणकारी ही होते हैं।

\*

\*

\*



अमेरिकी सरकार या उसकी प्रतिनिधि राज्य-सरकारसे वर्षमें एक बार, बस एक ही बार, मेरी आँखें चार होती हैं और वह उस समय जब कर-संग्राहकके रूपमें वह मेरे पास आती है। मेरी जैसी स्थितिका व्यक्ति उससे इसी प्रकार मिल सकता है, मेरे और उसके मिलनेका कोई अन्य अवसर होता ही नहीं। उस समय वह साफ-साफ कहती है, मुझे पहचानो। आजकी हालतमें अनिवार्य रूपसे उसके साथ उस क्षण व्यवहार करनेका सबसे सीधा प्रभावकारी तथा उसके प्रति अपना असन्तोष और क्रोध प्रकट करनेका तरीका है, उसे पहचाननेसे इनकार कर देना।

मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक हजार, बल्कि एक सौ, या दस — मेरे मनके केवल दस ईमानदार आदमी, यहांतक कि केवल एक ही ईमानदार आदमी [ दास-प्रथाका विरोध करनेपर ] जेलमें बन्द कर दिया जाये तो अमेरिकामें इस प्रथाका अन्त हो जाये। प्रारम्भमें कदम चाहे कितना ही छोटा क्यों न उठाया जाये यदि वह एक बार अच्छी तरह सोच-समझकर सम्यक् रूपसे उठाया गया है तो फिर उसके परिणामोंका सिलसिला अटूट सिद्ध होता है. . .।

जो किसी भी व्यक्तिको अन्यायपूर्वक जेलमें डालती है, ऐसी सरकारके अधीन न्यायपरायण व्यक्तिके लिए वास्तविक स्थान जेल ही है। मैसेच्युसैट्सके पास अपने अपेक्षाकृत स्वतन्त्र और वीर नागरिकोंके लिए जेलके सिवा कोई दूसरा स्थान नहीं है। उन्होंने अपने सिद्धान्तोंके कारण अपने-आपको राज्यसे विलग कर लिया है। उसी तरह राज्य भी उन्हें अपनी ही कृतिके द्वारा जेलमें डालकर और ताला लगाकर अपनेसे दूर कर दे। उनके लिए यही गति ठीक है। गुलामोंकी इस बस्तीमें जेल ही एक ऐसी जगह है जहाँ आजाद आदमी इज्जतके साथ रह सकता है . . .। यही वह विच्छिन्न किन्तु अपेक्षाकृत स्वतन्त्र और प्रतिष्ठित आवास है जहाँ राज्य उन व्यक्तियोंको ला रखता है जो उसके साथ नहीं हैं बल्कि विरोधमें हैं। यदि किसीका यह खयाल हो कि यहाँ बन्द करनेपर राज्यमें उनका प्रभाव खत्म हो जायेगा, उनकी चीख-पुकार राज्यके कान नहीं खायेंगी, और वे दुर्गमें प्रविष्ट शत्रुकी तरह भयंकर सिद्ध नहीं होंगे, तो कहना पड़ेगा कि वे यह नहीं जानते कि सत्य झूठकी अपेक्षा कितना अधिक शक्तिशाली है और न वे यह जानते हैं कि जिसने अपनी आत्माका किञ्चित् भी साक्षात्कार कर लिया है वह अन्यायका मुकाबला ऐसी अवस्थामें और भी कितनी अच्छी तरह कर सकता है। . . . यदि इस वर्ष एक हजार आदमी कर न दें तो वह कार्य उतना हिंसक या क्रूर नहीं कहला सकता जितना कर देकर सरकारको हिंसा करने तथा निर्दोषोंका रक्त बहानेके लिए समर्थ बनानेमें होगा। यदि शान्तिपूर्ण क्रान्तिकी कोई परिभाषा है तो वास्तवमें वह यही है। यदि कोई कर-संग्राहक अथवा अन्य कोई सार्वजनिक अधिकारी मुझसे पूछे जैसा कि एकने पूछा भी “ किन्तु मैं क्या करूँ”, तो मेरा उत्तर होगा, “ यदि वास्तवमें तुम कुछ करना चाहते हो तो अपने कामसे इस्तीफा दे दो। ” यदि प्रजाजन राज-भक्तिसे इनकार कर दे और अधिकारी अपने पदसे त्यागपत्र दे दे तो क्रान्ति सम्पूर्ण हो जाती है। किन्तु यदि यह भी मान लें कि क्रान्तिमें रक्त बहेगा तो क्या जब किसीकी अन्तरात्मा घायल होती है तब क्या वह भी एक तरहका रक्तका बहना नहीं है? यह तो ऐसा घाव है जिससे आदमीकी आदमीयत घायल हो जाती है, उसकी आत्मा धीरे-धीरे क्षीण होती जाती



है और वह बिलकुल मिट्टीमें मिल जाता है। मैं देखता हूँ कि यह रक्त तो आज भी बह रहा है।

मैंने अपराधीके लिए उसका माल छीननेके स्थानपर कैदकी अपेक्षा की है— यद्यपि दोनोंसे उद्देश्य एक ही सिद्ध होगा— क्योंकि जो लोग विशुद्ध सत्यका आग्रह करते हैं और इसलिए जो किसी भी भ्रष्ट राज्यके लिए अत्यधिक खतरनाक होते हैं वे आम तौरपर सम्पत्तिका संग्रह करनेमें समय नष्ट नहीं करते— वे प्रायः निष्कांचन होते हैं . . . ।

मैंने छः वर्षोंतक व्यक्ति-कर नहीं दिया। इस कारण मुझे एक बार एक रातके लिए जेलमें रखा गया। मैं जब ठोस पत्थरकी दो या तीन फुट चौड़ी दीवार, लोहे और लकड़ीके एक फुट मोटे किवाड़ तथा प्रकाशको अवरुद्ध कर देनेवाली लोहेकी जालीके पीछे बन्द कर दिया गया तो मुझे उस संस्थानकी मूर्खतापर आश्चर्य हुए बिना न रहा जिसने मुझे केवल रक्त, मांस और हड्डियोंका ढांचा मानकर, कैद कर दिया था। मैं हैरान हो गया कि अन्तमें मुझे जेलमें डालनेकी अपेक्षा मेरा कोई अच्छा उपयोग उसे क्यों नहीं सूझा? और उसने कभी मेरी सेवाओंको किसी प्रकार उपयोगमें लानेकी बात क्यों नहीं सोची? मेरी समझमें आ गया कि मेरे और मेरे नगर-निवासियोंके बीच जो पत्थरकी दीवार खड़ी है, उससे भी मजबूत एक दीवार मेरे नगर-निवासियोंको घेरे है जिसे लांघना या तोड़ना उनके बसकी बात नहीं। मुझे एक क्षणके लिए भी यह नहीं लगा कि मैं कैदमें हूँ; मुझे लगा कि दीवारें केवल पत्थरों और गारे-चूनेका अपव्यय हैं। मुझे ऐसा भी प्रतीत हुआ कि मेरे नगर-निवासियोंमें से जैसे केवल मैंने ही कर चुकता किया हो। यह तो स्पष्ट है कि उन्हें मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए सो मालूम ही नहीं था। उन्होंने मेरे साथ असभ्योंकी तरह व्यवहार किया। उन्होंने मुझे जो भी धमकी दी या मेरी जो कुछ भी प्रशंसा की, भूलसे भरी हुई थी; क्योंकि उनकी समझमें जेलके बाहर रहना मेरी परम लालसा थी। बड़ी खटपट करके मेरी कोठरीमें ताला लगाकर वे समझे कि उन्होंने मेरे चिन्तन-पर ताला लगा दिया है। मुझे उनकी इस समझपर हँसी आई। किन्तु मेरा चिन्तन तो बिना किसी रुकावटके उनके पीछे लगा ही रहा; और मेरा चिन्तन ही वास्तवमें खतरनाक था। चूँकि वे मेरी आत्मातक नहीं पहुँच सकते थे, उन्होंने मेरे शरीरको पीड़ा पहुँचानेका निश्चय किया; ठीक बच्चोंके समान। बच्चे जिस व्यक्तिसे डाह रखते हैं यदि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसके कुत्तेको चोट पहुँचायेंगे। मैंने समझ लिया कि शासन सिड़ी है; वह एक धनिक विधवाके समान कायर भी है। वह यह नहीं जानता कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। इसलिए इसके प्रति मेरा रहा सहा आदर भी चला गया।

\*

\*

\*

कर का जो बिल आता है उसकी किसी खास मदके कारण मैं उसे चुकानेसे इनकार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो राज्यके प्रति भक्ति-भावसे ही इनकार करना चाहता हूँ और उससे अपनेको एकदम कारगर रूपसे अलग कर लेना चाहता



हूँ। मेरे दिये हुए पैसेका, अन्तमें जाकर वह किसी आदमीको खरीदनेके या किसी की हत्या करनेके लिए बन्दूक खरीदनेके काम आये, उसके पहले क्या-क्या होता है, इसकी छान-बीनमें, वह सम्भव हो तो भी, मैं नहीं पढ़ना चाहता। पैसा अपने-आप में तो निर्दोष है। लेकिन मैं इस बातकी खोज-खबर तो रखना चाहता हूँ कि मेरी निष्ठाका कहाँ क्या प्रभाव हो रहा है। वस्तुतः इस तरह मैं अपने ढंगसे चुपचाप राज्यके विरुद्ध युद्धकी घोषणा करता हूँ, वैसे इसके बाद भी जैसा कि ऐसे मामलोंमें होता है, मैं यह देखूँगा कि राज्यका क्या उपयोग किया जा सकता है और मैं उससे क्या लाभ उठा सकता हूँ।

यदि मुझसे माँगा जानेवाला कर राज्यके प्रति सहानुभूति रखनेके कारण दूसरे लोग दे दें तो जिस तरह अपना कर चुकाकर उन्होंने गलत काम किया है इसी तरह उनका यह काम भी गलत होगा; बल्कि यह उससे भी बुरी बात है; यह तो राज्यको, राज्य अपने अन्यायमें जितनी सहायताकी माँग करता है, उससे भी ज्यादा सहायता देना है। यदि वे किसी करदातामें अपनी गलत वैयक्तिक दिलचस्पी या उसकी सम्पत्तिकी सुरक्षा अथवा उसे जेल जानेसे बचानेके लिए कर देते हैं तो यही कहना होगा कि उन्होंने पूरी तरह इस बातपर विचार नहीं किया कि उनकी ऐसी निजी भावनाएँ सार्वजनिक हितके कहाँतक आड़े आती हैं।

तो, मेरी इस समय यह स्थिति है। किन्तु आदमीको ऐसे मामलोंमें बहुत ही अधिक सावधान रहना चाहिए; ऐसा न हो कि उसके कार्योंमें दुराग्रह अथवा दूसरे विचारोंके प्रति अनुचित आदर-भाव आ जाये। जो केवल उसका कर्तव्य है वह वही करे और युग-धर्मको पहिचाने।

\*

\*

\*

जिन लोगोंको सत्यके अपेक्षाकृत अन्य पवित्र स्रोतोंका पता नहीं है, जो उसकी धाराके ऊपर चढ़कर उसके उद्गम तक नहीं पहुँचे वे 'बाइबिल' या संविधानके तीरपर खड़े रहते हैं और ऐसा करनेमें उनकी बुद्धिमत्ता है। वे श्रद्धापूर्वक उस तीर्थोदकका पान करते हैं। किन्तु जो लोग जानते हैं कि इस सरोवर या उस तड़ागमें वह पुण्यजल संचित कहाँसे होता है, वे एक बार फिर अपनी कमर बाँधकर उस तक पहुँचनेके लिए यात्रा आरम्भ कर देते हैं।

\*

\*

\*

ऐसी सरकार भी, जिसकी सत्ताके सामने झुकनेके लिए तैयार हो जाऊँ — क्योंकि मैं खुशीसे उन लोगोंके आदेशका पालन कर सकता हूँ जो मुझसे ज्यादा जानते हों, और मुझसे ज्यादा कुशल हों; और बहुत-सी बातोंमें तो मैं उन लोगोंके आदेशका पालन भी कर सकता हूँ जो मुझसे ज्ञानमें कम और कर्ममें पीछे हैं — ऐसी सरकार भी निर्दोष नहीं होती। सही अर्थोंमें न्यायपरायण होनेके लिए उसे शासितोंकी मान्यता और स्वीकृतिका आधार प्राप्त रहना चाहिए। मेरे शरीर और मेरी सम्पत्तिपर उसे कोई विशुद्ध अधिकार नहीं हो सकता; जितना अधिकार मैं उसे दूँगा उतना ही उसे हो सकता है। सम्पूर्ण राजसत्तासे सीमित राजसत्ता, और सीमित राजसत्तासे गण-



तन्त्रकी ओर बढ़नेमें जो प्रगति है वह प्रगति व्यक्तिके व्यक्तित्वके प्रति सच्चे आदर-की दिशामें ही है। यहाँतक कि चीनी दार्शनिकने भी व्यक्तिको ही साम्राज्यका आधार माना है। क्या गणतन्त्रके इस रूपको शासन-तन्त्रमें संभाव्य सुधारकी अन्तिम सीढ़ी माना जा सकता है। क्या उस सीढ़ीसे भी एक कदम आगे बढ़कर मनुष्यके अधिकारोंकी स्वीकृति और संगठन सम्भव नहीं है? जबतक राज्य व्यक्तिको अपनेसे बड़ी तथा स्वतन्त्र शक्तिके रूपमें स्वीकार नहीं करता और उसके साथ तदनुसार व्यवहार नहीं करता तबतक राज्य वास्तवमें स्वतन्त्र और प्रबुद्ध कभी नहीं हो सकता। उसे मानना चाहिए कि उसकी शक्ति और सत्ताका स्रोत व्यक्ति ही है। मैं अवश्य ऐसे राज्यकी कल्पना करके अपना मन बहलाता हूँ, जो अन्तमें सभी व्यक्तियोंके प्रति न्यायपरायण हो सकेगा, प्रत्येक व्यक्तिके साथ पड़ोसी-जैसा आदरपूर्ण व्यवहार करेगा; यहाँतक कि वह ऐसे लोगोंको भी अपनी शान्तिमें बाधक नहीं समझेगा जो पड़ोसी और साथीकी तरह रहते हुए उससे अलग रहते हैं; जो उसमें शामिल तो नहीं होते किन्तु उसके कार्योंमें बाधक भी नहीं होते। जो राज्य इस हदतक सफल हो जाये और जो अपनी इस सफलताकी पूर्ण परिणतिपर प्राप्त फलको खुशीसे झर जाने दे, वह दुनियाको और भी अधिक पूर्ण और प्रशस्त राज्यका निर्माण करनेके लिए तैयार कर देगा। मैंने इसकी कल्पना भी की है कि वह राज्य कैसा होगा? किन्तु उसे अभीतक कहीं देखा नहीं है।

नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल — बी : फरवरी १९२० : संख्या : ३७३

### परिशिष्ट ३

#### सत्याग्रहपर प्रश्न

[अप्रैल १७, १९१९ के पूर्व]<sup>१</sup>

महोदय,

हालमें ही आपके नामसे एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। उसमें दिये गये कुछ मुद्दोंको हम पूरी तरह नहीं समझ सके। इसलिए यदि आप कृपया उनपर प्रकाश डालें तो हम आपका आभार मानेंगे।

(१) आप अपने वक्तव्यमें कहते हैं— “जो सत्याग्रहमें शरीक होते हैं उन्हें हर हालतमें हिंसासे अलग रहना है। ईट-पत्थर नहीं फेंकने हैं और न किसीको किसी अन्य प्रकारसे चोट पहुँचानी है।” हम यह जानना चाहेंगे कि “सत्याग्रहमें शरीक होनेवाले लोगोंमें” क्या आप सत्याग्रहियोंसे सहानुभूति रखनेवाले अ-सत्याग्रहियोंको भी शामिल करते हैं? जैसा कि जाहिर है, यदि ऐसा है तो दूसरे पक्ष द्वारा हिंसा प्रारम्भ करनेपर क्या वे भी सत्याग्रहियोंकी तरह चलनेके लिए बाध्य हैं? यह नहीं समझ

१. देखिए “सत्याग्रह माला-३”, ११-४-१९१९।



लेना चाहिए कि हम अपने प्रति सहानुभूति रखनेवाले लोगोंके द्वारा की जानेवाली हिंसाकी वकालत कर रहे हैं। हम उसे बर्दाश्त करनेकी बात भी नहीं कहते। हम यही चाहते हैं कि हमें यह स्पष्ट रूपसे बता दिया जाये कि जब विपक्ष हिंसाका प्रयोग करता है तब सत्याग्रहियों और अ-सत्याग्रहियोंके बीच कोई भेद होना चाहिए या नहीं। अ-सत्याग्रही, हो सकता है, हिंसामें पहल न करे; हम तो यहाँतक चाहते हैं कि अधिकारियोंकी ओरसे उत्तेजना मिलने या हिंसाका कोई कार्य किये जानेपर भी वे अपनेपर नियन्त्रण रखें; फिर भी यह प्रश्न तो उठता ही है कि क्या ऐसी हालतमें सत्याग्रही किसी प्रकार अ-सत्याग्रहियोंकी भावनाके लिए उत्तरदायी समझे जा सकते हैं। दोनोंके उत्तरदायित्वोंमें कुछ भेद जरूर होना चाहिए। आपका वक्तव्य ऐसे किसी भेदकी अपेक्षा नहीं रखता।

(२) आगे आप कहते हैं—“मुझसे पूछा गया है कि सत्याग्रही सत्याग्रह आन्दोलनसे उत्पन्न परिणामोंके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं। मैंने उत्तर दिया है कि वे जिम्मेदार हैं।” इस सम्बन्धमें हमको यह समझाया जाना चाहिए कि किन-किन परिणामोंको सत्याग्रहसे निकला हुआ कहा जा सकता है। क्या हमारे साथ हमदर्दी रखनेवाले या हमारा विरोध करनेवाले अ-सत्याग्रहियोंका गैरकानूनी या हिंसापूर्ण आचरण भी “आन्दोलनसे उत्पन्न परिणामोंमें” शामिल है? जो लोग हमारा विरोध करते हैं सो इसलिए कि अधिकारियोंके मूर्खतापूर्ण आक्रामक रुख, हिंसा अथवा अपने ही विरोधियोंके अपघाती रुखका हमारी ओरसे कोई प्रतिकार नहीं होता। यदि यह ठीक है तो सवाल उठता है क्या शान्त अ-सत्याग्रहियोंपर अधिकारियों द्वारा किये जानेवाले अत्याचारोंसे निकलनेवाले परिणामोंके लिए सत्याग्रहियोंको उत्तरदायी ठहराना न्याय-संगत है?

(३) और आगे चलकर आप कहते हैं—“इसलिए मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ कि अगर हम इस लड़ाईको हिंसासे बिल्कुल अलग रहकर न चला सकते हों... “क्या” ‘हम’ शब्दमें सत्याग्रहियोंसे सहानुभूति रखनेवाले अ-सत्याग्रही भी शामिल हैं? यदि ऐसा है तो फिर वही (१) और (२) में उठाये गये सवाल उठते हैं; और फिर क्या ‘हम’ शब्दमें संख्या (१) और (२) में वर्णित परिस्थितियोंके परिणामस्वरूप अ-सत्याग्रहियोंका सत्याग्रही आचरण भी शामिल माना जायेगा?

(४) आप संख्या (३) को जारी रखते हुए सुझाव देते हैं कि “तो लड़ाई बन्द करनी पड़ सकती है।” हम इस बातपर खासतौरसे और जितना सम्भव है उतना जोर देकर कहना चाहते हैं कि हमारा इस स्थितिमें आन्दोलनको बन्द करना नैतिक तथा राजनैतिक दृष्टिसे आत्मघात करना ही सिद्ध होगा। हम प्रारम्भमें इस बातकी कल्पना कर सकते थे और हमने की भी थी। हमारे विचारमें इसका वास्तविक प्रतिकार आन्दोलनका त्याग करना नहीं, बल्कि कुछ समयके लिए कानूनोंका तोड़ना स्थगित कर देना है। इस बीच जनताको उचित रूपसे सत्याग्रह चलानेका शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उसे तैयार करना चाहिए।

(५) “लेकिन जो... उसका पाप हरएक सत्याग्रहीको लगेगा।” संख्या (१), (२) और (३) की बातें इसके साथ भी उतनी ही अधिक लागू होती हैं और सत्या-



ग्रहके विरोधियोंके अपराधोंकी सजा सत्याग्रहियोंको दी जाये, यह तो बहुत बेजा जान पड़ता है।

अंग्रेजी (एस० एन० ६५४६) की फोटो-नकलसे।

### परिशिष्ट ४

#### गांधीजीके नाम स्वदेशीके सम्बन्धमें सर स्टैनली रोडका पत्र

यह पत्र सर स्टैनली रोडने गांधीजीको इंग्लैंड रवाना होनेसे पहले लिखा था। हमने जिन शब्दोंको अधिक महत्त्वपूर्ण माना है उन्हें उद्धरण-चिन्होंके बीच दिया गया है।

बम्बई

मई २, १९१९

प्रिय श्री गांधी,

आपका ३० अप्रैलका पत्र मिला। वैसे तो आपके किसी भी काममें सम्पूर्ण हृदयसे सहयोग देना मेरे लिए बहुत ही अधिक हर्षकी बात होगी, किन्तु स्वदेशीके सवालपर मैं अपनी स्थितिको स्पष्ट करना चाहता हूँ।

मैं अपने भारत पहुँचनेके दिनसे ही स्वदेशी आन्दोलनसे सम्बन्धित प्रत्येक वस्तुका विश्वासपूर्वक प्रबल समर्थन करता रहा हूँ। कांग्रेस तथा राजनीतिक नेतागण औद्योगिक आन्दोलनमें आम तौरपर जब बहुत दिलचस्पी नहीं ले पा रहे थे, उससे बहुत पहले ही मैं अपने यत्किंचित प्रभावका पूरा-पूरा उपयोग औद्योगिक और व्यापारिक आन्दोलनके महत्त्वपर जोर देनेकी दिशामें करता रहा। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' रुईपर लगाये गये उत्पादन करके विरुद्ध तथा भारतकी आर्थिक स्वतन्त्रताके लिए बराबर संघर्ष करता रहा है। समाचारपत्रके कामोंसे अवकाश मिलनेपर मैं उद्योगके क्षेत्रमें भारतीयोंको अधिकाधिक लानेका प्रयत्न करता रहता हूँ, "यदि भारतमें बनी हुई चीज हो तो मैं खुद यथासम्भव भारतके बाहर बनी हुई कोई वस्तु नहीं खरीदता। बहुत-से भारतीय मित्रोंकी अपेक्षा मैं कहीं अधिक स्वदेशी वस्त्र पहनता हूँ।"

लेकिन मेरा निश्चित मत है कि उद्योग और वाणिज्यके क्षेत्रमें भारतका भविष्य तभी उज्ज्वल हो सकता है, जब उसमें हमारा दृष्टिकोण मुख्यतः आर्थिक हो। स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे भारतीय मालकी माँग हम इसलिए करें कि वह कीमतकी दृष्टिसे सबसे अच्छा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेके लिए हमें शिक्षित-वर्गको समझाना होगा कि वाणिज्य और उद्योग भी उतने ही देशभक्तिपूर्ण और प्रतिष्ठाजनक पेशे हैं जितने कि वकालत, डाक्टरी आदि शिक्षा-साध्य धंधे तथा राजनीति। "हमें भारतमें व्यावसायिक नैतिकताके उच्चतम मानकपर आग्रह रखना है।"

भविष्यके सम्बन्धमें मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। भारतमें जो जबरदस्त जागृति आई है, वह तो है ही; उसके अतिरिक्त हमें एक प्राकृतिक संरक्षण भी प्राप्त है कि चीजें



बनानेके लिए अधिकांश कच्चा माल यहीं उपलब्ध है। औद्योगिक विकासमें शिक्षित समाज आज जो अभिरुचि दिखा रहा है अगर हम उसे कायम रख सकें और जो पैसा जमीनमें गाड़ दिया जाता है उसे लोगोंको उद्योग-धंधोंमें लगानेके लिए राजी कर सकें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तरोत्तर प्रगति करते रहेंगे।

हो सकता है, मैं आपके आदर्शको गलत समझ रहा होऊँ। लेकिन मेरी समझसे वह है कारखाना-प्रणालीकी बढ़तीको रोककर देशके कुटीर-उद्योगोंको सुरक्षित और विकसित करना। उस आदर्शसे “मेरी पूरी सहानुभूति है। चाहे यहाँकी बात लें या पश्चिमी दुनियाकी, जो कोई भी कारखानोंकी स्थितिका सर्वेक्षण करेगा वह उनकी विरूपता देखकर संतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता।” किन्तु यहाँ फिर मेरा विश्वास यह है कि इसका सही हल कुटीर-उद्योगोंको सहकारिताके आधारपर संगठित करना है, जिसमें कम पूँजी लगाई जाये और वितरणकी सहकारी व्यवस्था अपनाई जाये। एक वर्षतक केन्द्रीय सहकारी बैंक (सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक) के एक प्रवर्तक निदेशककी हैसियतसे इस कार्यमें कुछ थोड़ी-सी सहायता करनेका सौभाग्य मुझे भी मिला है।

इसलिए यदि मैं स्वदेशीकी प्रतिज्ञा न ले सकूँ तो मैं जानता हूँ, आप मेरे इस आश्वासनको भरोसेके साथ स्वीकार करेंगे कि इसका कारण यह नहीं है कि स्वदेशी आन्दोलनसे मेरी सहानुभूति नहीं है, क्योंकि सत्य यह है कि उसके प्रति मेरी गहरी सहानुभूति है और बहुत अधिक दिलचस्पी भी, किन्तु इसके लिए मुझे काम अपने तरीकेसे ही करना है और “यदि हाथकरघेसे बुनाई करनेवाले लोग पूँजीके रूपमें कोई सहायता चाहते हों तो वह उन्हें सुलभ करानेके लिए मैं कुछ भी उठा नहीं रखूँगा।”

हृदयसे आपका,  
स्टैनली रीड

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, ११-६-१९१९

## परिशिष्ट ५

### गांधीजीके साथ हुई भेंटपर अहमदाबादके जिलाधीशका नोट

[ मई ११, १९१९ के बाद ]

श्री गांधीने बताया कि उन्होंने अपने आश्रमके निवासियोंको दंगाइयोंकी शिनाख्तीके सम्बन्धमें गवाही देनेसे मना नहीं किया है। जिसने भी उनसे सलाह मांगी उसे उन्होंने यही सलाह दी कि वह अपनी अन्तरात्माका अनुसरण करे, किन्तु साथ ही कहा कि मेरे विचारसे, जो लोग आश्रमके नियमोंका पूरी तरह पालन करते हैं, उनका दूसरोंको किसी अभियोगमें फँसानेके लिए गवाही देना संगत बात न होगी। उन्होंने उन लोगोंको गवाही न देनेपर कानूनन दण्ड-जुर्माना झेलनेके खतरेके प्रति भी सचेत कर दिया है।



वे इसे जीवनका ऐसा नियम नहीं समझते जिसे स्वीकार करना प्रत्येकके लिए उचित हो। इसे स्वीकार करना उन्हीं लोगोंके लिए उचित है, जो गवाही देनेसे इनकार करते हुए अपराधीको अधिकारियोंके सामने अपना अपराध पूर्णरूपमें स्वीकार कर लेनेको प्रेरित करनेमें कुछ भी उठा नहीं रखेंगे; और जो स्वयं अपने मामलोंमें सिद्धान्ततः किसी प्रकारकी कानूनी सहायता नहीं लेते। श्री गांधीके ये विचार बहुत पुराने हैं— १८९७ से भी पहलेके, हालाँकि उन्होंने इसी वर्ष पहले-पहल उनपर ऐसे ढंगसे अमल किया जिससे (दक्षिण आफ्रिकाके) लोग इनसे अवगत हो पायें।

इसलिए श्री गांधीने गवाही देनेके सम्बन्धमें कोई आदेश नहीं दिया है, और न गवाही देनेसे इनकार करना आश्रमका बुनियादी नियम है। अगर कोई सदस्य गवाही दे भी तो उसे निष्कासित नहीं कर दिया जायेगा। यहाँतक कि श्री गांधी उससे सवाल-जवाब भी नहीं करेंगे। इस मामलेको पूर्णरूपसे सम्बन्धित व्यक्तिकी अन्तरात्मा-पर छोड़ दिया गया है, और श्री गांधी स्वयं अत्यन्त मनोमन्थन और प्रयत्नके बाद (१८९७ के पहले) इस नतीजेपर पहुँचे थे। यही कारण था कि १९०८ में उन्होंने वकालत छोड़ दी। यह सवाल (जो सम्बन्धित व्यक्तिकी अन्तरात्माका सवाल है) स्वयंमें तो नाजुक है ही, लेकिन साथ ही जो लोग सत्याग्रहके लिए आवश्यक संयमको पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाये हैं, श्री गांधी उनके द्वारा बिना समझे-बूझे इस सिद्धान्तको स्वीकार कर लेनेके खतरेको भी महसूस करते हैं।

श्री गांधीने स्पष्ट रूपसे बताया कि इस मामलेमें उनके विचार किसी भी तरह किसी ऐसे संकोचकी भावनासे प्रभावित नहीं हैं कि भीड़के उपद्रवोंके लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे वे ही जिम्मेदार हैं। उनके ये विचार एक सामान्य सिद्धान्तसे प्रेरित हैं, जो अहिंसाके सिद्धान्तका ही स्वाभाविक परिणाम है। उनकी इच्छा यह है कि अपराधीको सजा अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन उसे यह सजा स्वेच्छया आगे बढ़कर स्वीकार करनी चाहिए।

श्री गांधी यह स्वीकार करते हैं कि इस सिद्धान्तके अनुसार उनके और उनके अनुयायियोंके लिए तो एक नियम है और शेष दुनियाके लिए दूसरा नियम, किन्तु वे इसे इसलिए स्वीकार करते हैं कि यह अनिवार्य है।

[ अंग्रेजीसे ]

नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया : होम : पॉलिटिकल - ए : अगस्त १९१९ : संख्या २६१-२७२ और के० डब्ल्यू०



## परिशिष्ट ६

### गांधीजीके नाम रेवरेंड वेल्स ब्रांचका पत्र

रेवरेंड एम० वेल्स ब्रांच,  
मैनेजर,  
लखनऊ क्रिश्चियन स्कूल ऑफ कॉमर्स  
लखनऊ, भारत  
मई २, १९१९

श्री मो० क० गांधी,  
बम्बई

प्रिय श्री गांधी,

प्रेम और सत्यमें मनुष्यको सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिसे बिलकुल बदल देनेकी कितनी शक्ति है, इस विषयमें आपके वक्तव्य में अत्यन्त दिलचस्पीके साथ पढ़े। यह शिक्षा 'बाइबिल' की शिक्षासे इतनी अधिक मिलती-जुलती है और ईसामसीहके जीवन तथा व्यक्तित्वमें इस शिक्षाकी इतनी पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है कि मुझे आपको यह पत्र लिखकर निम्नलिखित प्रश्न पूछने ही पड़ रहे हैं:

१. आपके विचारसे भारतके भावी विकासमें ईसाइयत (यह आवश्यक नहीं कि इसका पाश्चात्य रूप ही) का क्या हाथ रहेगा?
२. क्या भारतकी आधुनिक जागृति ईसाई-शिक्षाका परिणाम है, या यह किसी और धर्मसे उद्भूत हुई है?
३. (१) शिक्षक, (२) अवतार तथा (३) संसारके त्राताके रूपमें ईसामसीहके प्रति आपकी व्यक्तिगत भावना क्या है?

मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि इन्हें प्रकाशित करूँगा। मैं तो सिर्फ अपनी इस जिज्ञासाको शान्त करना चाहता हूँ कि इनके सम्बन्धमें सचमुच आपका दृष्टिकोण क्या है। मैं भारतको प्यार करता हूँ और भारतके लोगोंको प्यार करता हूँ और मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि भारत एक दिन दुनियाको यह दिखायेगा कि ईसाइयतका प्रवर्तन जिस रूपमें हमारे त्राता ईसामसीहने किया उस असली रूपमें उसका क्या अर्थ है। मुझे लगता है कि समयकी माँग यह है कि उनके प्रच्छन्न अनुयायी, जिनमें से हजारों भारतमें भी हैं, सामने आकर उनके प्रति अपनी आस्थाकी घोषणा करें।

आपका एक ईसाई बन्धु,  
एम० वेल्स ब्रांच

अंग्रेजी (एस० एन० ६६०८) की फोटो-नकलसे।



## सामग्रीके साधन-सूत्र

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली : गांधी-साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९ ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया), नई दिल्लीमें सुरक्षित कागजात ।

साबरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय, जिसमें गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल तथा १९३३ तक के भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९ ।

‘अमृतबाजार पत्रिका’ : कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

‘इंडियन ओपिनियन’ : (१९०३-६१); दक्षिण आफ्रिकासे प्रकाशित साप्ताहिक ।

‘इंडियन रिव्यू’, मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी मासिक ।

‘इंडियन सोशल रिफॉर्मर’ : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक ।

‘खेड़ा वर्तमान’ : खेड़ासे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक ।

गुजरात मित्र अने गुजरात दर्पण’ : सूरतसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक ।

गुजराती’ : बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक ।

टाइम्स ऑफ इंडिया’ : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

‘नवजीवन अने सत्य’ : अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती मासिक ।

‘न्यू इंडिया’ : मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

‘प्रताप’ : कानपुरसे प्रकाशित हिन्दी दैनिक ।

‘प्रजाबन्धु’ : अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक ।

‘बंगाली’ : कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

‘बॉम्बे क्रॉनिकल’ : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

‘यंग इंडिया’ : (१९१९-३१) अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक ।

‘लीडर’ : इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

‘सर्वेंट ऑफ इंडिया’ : (१९१८-१९३९) भारत सेवक समाज (सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी), पूनाका अंग्रेजी मुखपत्र ।

‘हिन्दू’ : मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

नवें हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी रिपोर्ट : भाग - १ ।

बॉम्बे गवर्नमेंट रेकर्ड्स ।

बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स ।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी ।



‘इंडियन होमरूल’ (अंग्रेजी); चौथा संस्करण, गणेश ऐंड कम्पनी, मद्रास।

‘पंजाब अनरेस्ट : बिफोर ऐंड आफ्टर’ (अंग्रेजी)।

‘पाँचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद’ : काका कालेलकर; जमनालाल बजाज ट्रस्ट, वर्धा, १९५३।

‘महात्मा गांधी : हिज लाइफ, राइटिंग्ज ऐंड स्पीचेज’ (अंग्रेजी) : गणेश ऐंड कं० मद्रास।

‘महादेवभाईकी डायरी’ खण्ड १ : नरहरि द्वा० परीख, अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ प्रकाशन, काशी, १९६१।

‘महादेवभाईनी डायरी’ (गुजराती) : नरहरि द्वा० परीख, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद।

‘माई डियर चाइल्ड’ (अंग्रेजी) : एलिस एम० बार्न्ज द्वारा सम्पादित; नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, १९५६।

‘सोर्स मेटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया’ (अंग्रेजी) : खण्ड २ (१८८५-१९२०), बम्बई सरकार १९५८।

‘स्पीचेज ऐंड राइटिंग्ज ऑफ महात्मा गांधी’ (अंग्रेजी) : जी० ए० नटेसन ऐंड कं०, मद्रास।



## तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(अगस्त १, १९१८ से जुलाई ३१, १९१९)

- अगस्त १ : गांधीजीका सूरतमें भाषण, जिसमें उन्होंने सोराबजी शापुरजी अडाजानियाके परिवारके साथ समवेदना प्रकट की और लोगोंसे फौजमें भरती होनेके लिए कहा।
- अगस्त ६ : भारत तथा साम्राज्यके अन्तर्गत अन्य स्वशासित देशोंके सम्बन्धमें साम्राज्यीय सम्मेलनमें प्रस्ताव पास किया गया।
- अगस्त १० : गांधीजीने सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको मॉण्टफोर्ड-सुधारों तथा नरम और गरम दलोंके मतभेदोंके सम्बन्धमें पत्र लिखा।
- अगस्त ११ : नडियादमें सख्त बीमार।
- अगस्त १२ : मानव-दया सम्मेलनका अध्यक्ष बनना अस्वीकार करते हुए बी० जी० हॉर्निमैनको पत्र लिखा।
- अगस्त १५ : साम्राज्यीय सम्मेलनके प्रस्तावोंके फलितार्थोंके बारेमें लेख लिखा।
- अगस्त १७ : मनसुखलाल रावजीभाईको लिखा कि उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन तथा नरम दलके सम्मेलनमें उपस्थित न होनेका निश्चय किया है।  
मिल-मजदूरोंके मामलेमें किये गये पंच-निर्णयके सम्बन्धमें आनन्दशंकर ध्रुवको पत्र लिखा।
- अगस्त २० : समर्थको पत्र लिखा कि मॉण्टफोर्ड-योजनामें संशोधनकी आवश्यकता है।
- अगस्त २३ : अस्वस्थ अवस्थामें नडियादसे अहमदाबाद लाये गये। सेठ अम्बालालके घर ठहरे।
- अगस्त २५ : बी० चक्रवर्तीको पत्र लिखा कि कांग्रेस, गरमदल और नरमदलके नेताओंसे उनका क्या मतभेद है।  
बा० गं० तिलकको रंगरूटोंकी भरतीके विषयमें पत्र लिखा।
- अगस्त २९ : बम्बईमें कांग्रेसका विशेष अधिवेशन सैयद हसन इमामकी अध्यक्षतामें।  
गांधीजीने ट्रान्सवालमें भारतीयोंके प्रवासके सम्बन्धमें अखबारोंको पत्र लिखा।  
सी० एफ० एण्ड्रूजको पत्र लिखा : "मैं नहीं चाहता कि शान्तिनिकेतनके तुम्हारे कार्यमें किसी भी तरह बाधा पड़े।"
- अगस्त ३१ : राजा साहब महमूदाबादकी अध्यक्षतामें बम्बईमें मुस्लिम लीगकी बैठक।
- सितम्बर १ : कांग्रेसके विशेषाधिवेशनमें मॉण्टफोर्ड-योजनापर प्रस्ताव स्वीकृत।
- सितम्बर ४ : शाही परिषद्, शिमलामें वाइसरायका मॉण्टफोर्ड-सुधारोंपर भाषण।
- सितम्बर ८ : लन्दनमें सर रतन टाटाका स्वर्गवास।
- सितम्बर ९ : न्यायमूर्ति टी० सदाशिव अय्यरकी अध्यक्षतामें मद्रासकी सार्वजनिक सभामें गांधीजीके रोगमुक्त होनेपर ईश्वरको धन्यवाद दिया गया।  
गांधीजीने डॉक्टर प्र० चं० रायको लिखे पत्रमें दूध या दूधसे बनी कोई भी चीज न खानेके संकल्पको दुहराया।



सितम्बर १७ : गांधीजी साबरमती आश्रममें; फिर अस्वस्थ ।

सितम्बर २३ : शाही परिषद्में रौलट-कमेटीकी रिपोर्टपर विचार किया गया ।

सितम्बर २९ : गांधीजीके स्वास्थ्यमें कुछ सुधार; आश्रमकी प्रार्थनामें उपस्थित हुए ।

अक्टूबर १ : साबरमती आश्रममें जन्मदिवसके उपलक्ष्यमें मिली बधाइयोंका उत्तर दिया ।

हालत फिर गम्भीर हो गई । हरिलाल और देवदासको तार ।

अक्टूबर ७ : भारतमें विजय-दिवस मनाया गया ।

अक्टूबर २० : ब्रिटिश भारतीय संघ, ट्रान्सवालके अध्यक्ष अहमद मुहम्मद काछलियाकी मृत्यु ।

गांधीजीने श्री काछलियाकी सेवाओंकी चर्चा करते हुए अखबारोंको पत्र लिखा ।

अक्टूबर २९ : १० सितम्बरको शाही परिषद् द्वारा पास किये गये वित्तीय प्रस्तावके विरोधमें वाइसरायको गुजरात सभाका प्रस्ताव तार द्वारा भेजा ।

नवम्बर १ : बम्बईमें नरमदलका सम्मेलन ।

नवम्बर ११ : जर्मनी तथा मित्र राष्ट्रोंके बीच विराम सन्धिपर हस्ताक्षर ।

नवम्बर १३ : शान्ति सम्मेलन (पीस कान्फरेंस)में भारतकी ओरसे प्रतिनिधित्व करनेके लिए एस० पी० सिन्हाकी नियुक्ति ।

नवम्बर १४ : गुजरात स्वदेशी स्टोरके उद्घाटनके अवसरपर गांधीजीने अपने सन्देशमें कहा कि लोगोंको धार्मिक दृष्टिसे स्वदेशीका पालन करना चाहिए ।

नवम्बर १६ : नडियादमें प्रथम रेलवे सम्मेलन; गांधीजीने सन्देश भेजा ।

नवम्बर १७ : श्रीराम फ्री लाइब्रेरी, पूनामें गांधीजीके चित्रका अनावरण ।

नवम्बर १८ : गांधीजीने मुहम्मद अलीको लिखे गये एक पत्रमें कहा : “मुस्लिम प्रश्नके उचित हलमें ही स्वराज्यकी प्राप्ति है ।”

नवम्बर २२ : तिलकके भाषणों और उनके सार्वजनिक कामपर लगाये गये प्रतिबन्धोंको सरकारने उठा लिया ।

नवम्बर ३०-दिसम्बर १२ : गांधीजी माथेरान (पहाड़ी स्थानमें) रहे ।

दिसम्बर १८ : लन्दनमें युद्ध मंत्रिमंडल (वार केबिनेट) के सदस्यों और भारत तथा साम्राज्यके अन्तर्गत अन्य स्वशासित देशोंके प्रतिनिधियोंकी बैठक ।

दिसम्बर २० : ‘सर्वेंट ऑफ इंडिया’ने सूचित किया कि नरमदल कांग्रेसमें भाग लेगा ।

दिसम्बर २६ : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका २३वाँ वार्षिक अधिवेशन मदनमोहन मालवीयकी अध्यक्षतामें दिल्लीमें हुआ ।

१९१९

जनवरी १० : मगनलाल गांधीको लिखे पत्रमें गांधीजीने बताया कि किस परिस्थितिमें उन्होंने बकरीका दूध पीना प्रारम्भ किया है ।

जनवरी १८ : रौलट-विधेयक ‘गज़ट ऑफ इंडिया’में प्रकाशित ।

पेरिसमें शान्ति सम्मेलन (पीस कॉन्फरेंस) की पहली बैठक ।



- जनवरी २० : बम्बईमें डॉक्टर दलालने गांधीजीके बवासीरका आपरेशन किया।
- जनवरी २७ : बम्बईके मिल-मजदूरोंकी हड़तालकी समाप्तिकी घोषणा।  
नरहरि परीखको लिखे पत्रमें गांधीजीने दूध न पीनेकी शपथके बारेमें अपने विचार प्रकट किये।
- जनवरी ३० : अली भाइयोंके कानूनी सलाहकारको पत्र द्वारा यह विश्वास दिलाया कि उनकी रिहाईके लिए कार्रवाई की जायेगी।  
इलाहाबादके नये अंग्रेजी दैनिक 'इंडिपेंडेंट'को शुभ कामनाएँ भेजीं।
- फरवरी २ : रौलट-विधेयकोंके खिलाफ बम्बई होमरूल लीगकी विरोध सभा। शंकरलाल बेंकरके नाम गांधीजीका पत्र पढ़कर सुनाया गया।
- फरवरी ६ : दिल्लीमें वाइसरायने शाही परिषद्के सत्रका उद्घाटन किया।  
रौलट-विधेयक प्रस्तुत किये गये।  
गांधीजीने स्वामी सत्यदेवको पत्रमें लिखा कि मद्रास प्रान्तमें हिन्दी-प्रचारके लिए क्या किया जाये।
- फरवरी ७ : रौलट-विधेयकोंपर शाही परिषद्में वाद-विवाद। परिषद्के भारतीय सदस्योंके विरोध करनेपर भी विधेयक प्रवर समितिके सुपुर्द।
- फरवरी ८ : गांधीजीने पंडित मालवीयको देशव्यापी आन्दोलन चलानेका सुझाव देते हुए पत्र लिखा।
- फरवरी ९ : रौलट-विधेयकोंके विरोधमें सत्याग्रह आन्दोलनपर वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको पत्र।
- फरवरी १० : शाही परिषद्में सर डब्ल्यू० विन्सेंटने घोषित किया कि रौलट अधिनियम ३ वर्ष तक लागू रहेगा।  
दूसरा रौलट विधेयक पेश किया गया और गैर-सरकारी सदस्योंके एक स्वरसे विरोध करनेपर भी प्रवर-समितिके सुपुर्द कर दिया गया।
- फरवरी १२ : गांधीजीने सर डब्ल्यू० विन्सेंटसे यह मालूम करनेके लिए पत्र लिखा कि अली भाइयोंके बारेमें सरकारने क्या फैसला किया है।
- फरवरी १७ : आश्रमवासियोंके असंतोषके बारेमें गांधीजीका सावरमती आश्रममें भाषण।
- फरवरी २० : वाइसरायके निजी सचिवको अली भाइयोंकी रिहाईके बारेमें पत्र।  
अफगानिस्तानके अमीर हबीबुल्लाकी हत्या।
- फरवरी २३ : तिलकके मुकदमा हार जानेका समाचार।
- फरवरी २४ : सावरमती आश्रमकी सभामें गांधीजी तथा अन्य लोगोंने सत्याग्रह-प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किये।  
गांधीजीने वाइसरायके निजी सचिवको अपने सत्याग्रह सम्बन्धी निर्णयकी सूचना तार द्वारा दी।
- फरवरी २५ : पंडित मालवीयको तार द्वारा सूचित किया कि वे रौलट-विधेयकोंके कारण कांग्रेस शिष्टमण्डलके साथ इंग्लैंड नहीं जायेंगे।  
सी० एफ० एण्ड्र्यूज, के० नटराजन्, स्टैनली रीड और दिनशा वाछाको सत्याग्रह-प्रतिज्ञाके बारेमें लिखा।



- दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले भारतीयोंकी दुर्दशाके विषयम अखबारोंको पत्र ।
- फरवरी २६ : सत्याग्रह-प्रतिज्ञाके बारेमें अखबारोंको पत्र ।
- सत्याग्रह-सभाकी समितिने सत्याग्रह-प्रतिज्ञापर लोगोंसे हस्ताक्षर लेनेके सम्बन्धमें स्वयंसेवकोंके लिए गांधीजीकी हिदायत जारी कीं ।
- अन्तर्जातीय विवाहों और पटेल विवाह-विधेयकपर अपने विचार विस्तारसे व्यक्त करते हुए 'इंडियन सोशल रिफॉर्मर'को पत्र लिखा ।
- साबरमतीमें खोली गई राष्ट्रीय शालाके बारेमें समाचारपत्रोंको पत्र ।
- मार्च १ : 'सत्याग्रही' पत्रक—संख्या १ जिसमें थोरोके कुछ विचार उद्धृत थे, प्रकाशित किया गया ।
- रौलट-विधेयकोंपर तैयार की गई प्रवर-समितिकी रिपोर्ट जिसमें भारतीय सदस्योंने अपनी विमति टिप्पणी दी थी, शाही परिषद्में पेश की गई ।
- बम्बईमें, सत्याग्रह सभाके तत्वावधानमें शपथ लेनेवाले व्यक्तियोंकी एक बैठकमें, कार्यकारिणी समितिकी नियुक्ति; गांधीजी इसके अध्यक्ष बनाये गये ।
- मार्च २ : सत्याग्रह-सभाकी कार्यकारिणी समितिने कोष एकत्रित करने तथा प्रचार कार्यके निमित्त एक उपसमितिकी नियुक्ति की ।
- वाछा, बनर्जी, शास्त्री, शफी तथा अन्य सज्जनोंने अनाक्रामक प्रतिरोधके विरोधमें एक ज्ञापन प्रकाशित किया ।
- इलाहाबादमें पंडित मोतीलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें की गई एक सभामें अनेक लोगोंने सत्याग्रह-शपथ ली ।
- मार्च ४ : बंगाल राष्ट्रवादियोंके सम्मेलनमें गांधीजीका तथा सत्याग्रहका समर्थन किया गया ।
- मार्च ६ : गांधीजी दिल्लीमें । वाइसरायसे मुलाकात ।
- मार्च ७ : गांधीजी दिल्लीकी विरोध-सभामें उपस्थित हुए । महादेव देसाईने उनका भाषण पढ़ सुनाया ।
- गृह-सचिव सर जेम्स डुबाउलेसे भेंट की ।
- मार्च ८ : सर डब्ल्यू० विन्सेंटने रौलट विधेयकके दूसरे भागपर प्रवर-समितिकी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।
- गांधीजीने अपने सत्याग्रह-सम्बन्धी निर्णय तथा अन्य नेताओंसे अपने मतभेदके कारणोंके सम्बन्धमें श्रीनिवास शास्त्रीको पत्र लिखा ।
- मार्च ११ : लखनऊमें सत्याग्रहके समर्थकों द्वारा आयोजित सभामें भाषण ।
- कुछ लोगोंने प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर किये ।
- गांधीजीने वाइसरायके निजी सचिवको तार और पत्र भेजकर यह प्रार्थना की कि रौलट-विधेयक पास न किये जायें ।
- सैयद हुसेनकी अध्यक्षतामें हुई इलाहाबादकी सत्याग्रह सभामें भाग लिया; महादेव देसाईने गांधीजीका भाषण पढ़कर सुनाया ।
- मार्च १२ : रौलट-विधेयकोंपर शाही परिषद्में बहस । प्रवर-समिति द्वारा संशोधित रूपमें विधेयकपर विचार करनेका प्रस्ताव पास किया गया ।



गांधीजीने सर जेम्स डुबाउलेको अली भाइयोंकी रिहाईकी प्रार्थना करते हुए पत्र लिखा।

सत्याग्रह सभाके नियम प्रकाशित हुए।

मार्च १३ : प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूपमें रौलट विधेयकपर शाही परिषद्में वाद-विवाद। गैरसरकारी संशोधन अस्वीकृत।

मार्च १४ : गांधीजीने स्वामी श्रद्धानन्दके साथ बम्बईकी विरोध-सभामें भाग लिया। गांधीजीका भाषण पढ़कर सुनाया गया।

जनताकी राय जाननेके उद्देश्यसे द्वितीय रौलट-विधेयकको प्रकाशित करनेका प्रस्ताव शाही परिषद्में पास किया गया।

गैर-सरकारी सदस्योंके विरोधके बावजूद रौलट-विधेयक पास कर दिया गया। इसके विरोधमें बी० एन० शर्मनि त्यागपत्र दिया।

मद्रासके नरमदलने सत्याग्रहके खिलाफ ज्ञापन प्रकाशित किया।

गांधीजी मद्रास पहुँचे।

मद्रासकी विरोध सभामें भाग लिया। सभामें सत्याग्रह-प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर किये गये।

मार्च १९ : वी० पी० वाडियाकी अध्यक्षतामें मद्रास मजदूर-संघकी सभामें गांधीजीने भाषण दिया।

मार्च २० : ट्रिप्लिकेन बीच, मद्रासकी, विरोध-सभामें भाग लिया।

सभाकी अध्यक्षता सी० विजयराघवाचारीने की। गांधीजीका भाषण पढ़कर सुनाया गया।

मार्च २१ : क्रांति और अराजकतागत अपराधोंसे सम्बन्धित कानून, १९१९ (रौलट-अधिनियम) पर गवर्नर जनरलकी स्वीकृति मिली।

गांधीजीने ट्राम्वेके हड़ताली लोगोंकी सभामें भाषण दिया।

मार्च २३ : गांधीजीने समाचारपत्रोंको पत्र लिखा कि ६ अप्रैलका दिन राष्ट्रीय मान-भंग तथा प्रार्थना-दिवसके रूपमें मनाया जाये।

सर एस० सुब्रह्मण्यम् अय्यरको पत्र लिखा कि सत्याग्रह किसी दल विशेषका आन्दोलन नहीं है।

मार्च २४ : तंजौरकी सभामें गांधीजीका भाषण।

मार्च २५ : त्रिचिनापल्लीकी सभामें भाषण।

अली भाइयोंके वकीलको उनकी रिहाईके लिए सत्याग्रह करनेके सम्बन्धमें पत्र लिखा।

मार्च २६ : मदुरईकी सभामें भाषण।

मार्च २८ : तूतीकोरिनकी सभामें भाषण।

मार्च २९ : नागापट्टनममें मजदूरोंकी सभामें भाषण।

मार्च ३० : सत्याग्रह दिवस मनाया गया।

दिल्लीमें दंगा, भीड़पर गोली चलाई गई।

गांधीजी बैजवाड़ाके लिए रवाना।



ट्रिप्लिकेन बीच, मद्रासमें सत्याग्रह सभाका आयोजन। गांधीजीका भाषण पढ़कर सुनाया गया।

मार्च ३१ : दिल्लीमें शोक। शहरमें फौजी शासन।

अप्रैल १ : गांधीजी ब्रैजवाड़ासे बम्बईके लिए रवाना। सिकन्दराबादमें दिन-भर ठहरे।

अप्रैल २ : दिल्लीके दंगोंके सम्बन्धमें भारत सरकारकी विज्ञप्ति।

अप्रैल ३ : गांधीजी बम्बई पहुँचे।

दिल्ली द्वारा रौलट-अधिनियमके विरोधपर तारसे स्वामी श्रद्धानन्दको साधुवाद।

दिल्लीकी घटनाओंके सम्बन्धमें समाचारपत्रोंको पत्र।

वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको तार दिया कि रौलट विधेयकोंके खिलाफ हमारी लड़ाई उनके पीछे हुई दमनकी भावनाके खिलाफ है।

अप्रैल ५ : रौलट अधिनियमपर सरकारी विज्ञप्ति।

गांधीजीने स्वामी श्रद्धानन्दको तार भेजकर प्रार्थना की कि मृत तथा घायल लोगोंके आश्रितोंकी मदद की जाये।

आन्दोलनके सम्बन्धमें सन्देश भेजनेके लिए रवीन्द्रनाथ ठाकुरको पत्र लिखा।

अप्रैल ६ : समस्त भारतमें सत्याग्रह दिवस मनाया गया।

बम्बईमें चौपाटीपर गांधीजीकी अध्यक्षतामें सार्वजनिक सभा।

जमनादासने गांधीजीका भाषण पढ़कर सुनाया।

माधवबागमें प्रार्थना। गांधीजीने मुसलमानोंकी तथा स्त्रियोंकी सभामें भाषण दिया।

मद्रासके लोगोंको सन्देश भेजा।

पंडित मालवीयने शाही परिषद्की सदस्यतासे त्यागपत्र दिया।

अप्रैल ७ : गांधीजीके पंजीकृत पत्रक "सत्याग्रही"के प्रथम अंकका प्रकाशन; मूल्य १ पैसा।

सत्याग्रह-सभा बम्बईने निषिद्ध साहित्य तथा समाचारपत्र पंजीयन सम्बन्धी कानूनोंका उल्लंघन करनेके विषयमें वक्तव्य जारी किया।

बम्बईमें सत्याग्रहियों द्वारा निषिद्ध साहित्यकी बिक्री।

अप्रैल ८ : गांधीजीने पत्रकोंमें हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और स्वदेशी व्रतका स्पष्टीकरण किया।

सी० आर० दासको कलकत्तेमें किये गये सत्याग्रह-दिवस प्रदर्शनके सम्बन्धमें तार।

पुलिस कमिश्नर बम्बई द्वारा ट्रामगाड़ियोंको रोकनेके सम्बन्धमें लगाये गये आरोपोंका पत्र लिखकर खण्डन किया।

दिल्लीके लिए रवाना।

अप्रैल ९ : दिल्ली जाते हुए पंजाब और दिल्लीमें प्रवेश न करनेका आदेश कोसी स्टेशन-पर प्राप्त।

देशवासियोंके नाम सन्देशमें कहा कि मेरी गिरफ्तारीपर रोष और हिंसा न की जाये।

रामनवमीका उत्सव। अमृतसरमें शान्तिपूर्ण जुलूस।



- अप्रैल १० : गांधीजीने कोसीमें दिये गये निषेधात्मक आदेशका उल्लंघन किया। गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिये गये। गिरफ्तारीके विरोधमें समस्त भारतमें हड़ताल। गिरफ्तारीकी खबर पानेपर अहमदाबादमें आगजनी, दंगा और जनता द्वारा हिंसात्मक कृत्य। पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। यूरोपीय लोगोंकी हत्या, स्टेशनके माल गोदामों तथा मिलोंका जलाया जाना। डॉ० सत्यपाल और डॉ० किचलूकी गिरफ्तारी तथा उनका अमृतसरसे निष्कासन। जनता भड़क उठी, पुलिसने गोलियाँ चलाई। अनेक अंग्रेज मारे गये। लाहौरमें पुलिस द्वारा गोली चलाई गई।
- अप्रैल ११ : गांधीजी बम्बई लाये गये और रिहा कर दिये गये। बम्बईमें चौपाटीकी सार्वजनिक सभामें भाषण। सत्याग्रहियोंको चेतावनी। स्वामी श्रद्धानन्दको तार। लोगोंसे हिंसा न करनेकी अपील। देशव्यापी हड़ताल जारी। बम्बईमें गिरफ्तारियाँ। अहमदाबादमें जनता द्वारा दंगा। तारघर और कलक्टरका दफ्तर जला डाले गये।
- अप्रैल १२ : सत्याग्रहके सम्बन्धमें रवीन्द्रनाथ ठाकुरने गांधीजीको पत्र लिखा। बम्बईमें समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंकी गांधीजीसे भेंट। गांधीजी वस्त्र-विक्रेताओं और मारवाड़ी संघकी सभामें गये। अहमदाबादकी दुर्घटनाओंका समाचार सुनकर विचलित हुए। अहमदाबादके लिए रवाना। बादशाही मस्जिद, लाहौरमें सभा। फौज द्वारा गोली चलाई गई। रेलगाड़ियोंका पटरीसे उतारा जाना तथा जलाया जाना। बम्बई, वीरमगाँव, नडियाद और अमृतसरमें दंगे; कलकत्तेमें दंगा और रक्तपात।
- अप्रैल १३ : अनसूयाबेनके साथ अहमदाबाद पहुँचे। अहमदाबादके नागरिकोंके नाम सन्देशमें उनसे शान्त रहने और हुकमोंकी तामील करनेकी प्रार्थना की। अमृतसरमें जलियाँवाला बागकी सार्वजनिक सभामें कल्लेआम।
- अप्रैल १४ : हड़ताल; गुजराँवालामें बम-विस्फोट और भारी दंगे; अमृतसर, लाहौर आदिमें टेलीग्राफके तारोंका काटा जाना। पंजाबमें मार्शल लाँ जारी किया गया। सत्याग्रह आन्दोलनपर भारत सरकारकी विज्ञप्ति। गांधीजीका साबरमतीमें आयोजित सार्वजनिक सभामें भाषण। हिंसा करनेपर लोगोंकी भर्त्सना; प्रायश्चित्त स्वरूप तीन दिनके उपवासकी घोषणा। वाइसरायके निजी सचिवको दंगोंके सम्बन्धमें पत्र। 'सत्याग्रही' का दूसरा अंक प्रकाशित।
- अप्रैल १५ : गांधीजीने दंगोंमें मारे गये या घायल हुए अंग्रेजोंके नाम जाननेके लिए अहमदाबादके कलक्टरको पत्र लिखा ताकि उनके परिवारोंको आर्थिक सहायता दी जा सके।



अहमदाबाद सिविल अस्पतालमें घायलोंको देखने गये ।

सर इ० रहीमतुल्लाको पत्र द्वारा यह बताया कि दंगोंका कारण मेरी गिरफ्तारी ही थी ।

अप्रैल १६ : उत्तरी क्षेत्र (बम्बई)के कमिश्नरको पत्र द्वारा सूचित किया कि वे जरूर सरकारकी मदद करेंगे ।

गांधीजीने सत्याग्रह पत्रकमें अपील की कि मृतकों और घायलोंके परिवारोंको सहायता दी जाये ।

गुजरांवालामें गिरफ्तारियाँ । अनेक स्थानोंमें तारोंका काटा जाना और दंगे ।

अप्रैल १७ : दिल्लीमें पुलिस द्वारा गोली चलाई गई ।

पंजाबके नेताओंको देश-निकाला ।

‘अमृतबाजार पत्रिका’की जमानत जब्त ।

अप्रैल १८ : गांधीजीने सत्याग्रहको थोड़े समयके लिए स्थगित करनेका निश्चय किया ।

अप्रैल १९ : पंडित मदनमोहन मालवीयकी अध्यक्षतामें हिन्दी साहित्य सम्मेलन, बम्बईकी बैठकमें भाग लिया ।

अप्रैल २० : बम्बईमें मालवीयजीकी अध्यक्षतामें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक; गांधीजी और मिसेज बेसेंट उपस्थित ।

जनरल डायरने ‘रेंगकर चलनेका हुक्म’ जारी किया ।

अप्रैल २१ : आन्दोलनको स्थगित करनेके साथ ही ‘सत्याग्रही’का प्रकाशन बन्द ।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने पंजाबकी स्थितिपर प्रस्ताव पास किया ।

गांधीजीने वाइसरायके निजी सचिवको तार भेजा जिसमें लोगोंको सरे आम कोड़े लगानेका विरोध किया ।

अहमदाबादके कलक्टरको पत्रमें लिखा कि मिल मजदूरोंसे कर न लिया जाये । बम्बईसे अहमदाबाद आये ।

अप्रैल २४ : गांधीजी बम्बईके लिए रवाना हुए ।

पंजाबमें मार्शल लॉ आयोगने अपना काम प्रारम्भ कर दिया ।

अप्रैल २५ : गांधीजीने बम्बईमें सत्याग्रह-सभामें भाषण दिया ।

सत्याग्रहके महत्त्वके विषयमें एक पत्रक प्रकाशित किया ।

अप्रैल २६ : बी० जी० हॉर्निमैनको भारत छोड़ देनेका हुक्म मिला ।

‘बॉम्बे क्रॉनिकल’का प्रकाशन बन्द ।

गांधीजीने एक पत्रकमें हॉर्निमैनके देशनिकालेपर विचार व्यक्त करते हुए लोगोंको हिंसा और प्रदर्शन न करनेकी सलाह दी ।

अप्रैल २८ : कांग्रेसका शिष्टमण्डल विलायतके लिए रवाना ।

गांधीजीने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’को अपने अहमदाबादके भाषणकी प्रकाशित रिपोर्टमें संशोधन सूचित करते हुए पत्र लिखा ।

अप्रैल २९ : बम्बई सरकारके सचिव क्रिररको हॉर्निमैनके देशनिकाले तथा ‘बॉम्बे क्रॉनिकल’ पर लागू समाचार-नियन्त्रण आदेशके सम्बन्धमें पत्र लिखा ।



अप्रैल ३० : 'टकाडा' जहाजसे लिखे गये बी० जी० हॉर्निमैनके पत्रको एक पत्रकमें प्रकाशित किया।

सर स्टैनली रीड तथा बम्बईके गवर्नरको स्वदेशी प्रतिज्ञाका प्रारूप भेजा।

सिन्धके सत्याग्रहियोंसे प्रार्थना की कि मुकदमे आदिके बावजूद वे शान्त रहें।

कसूरके उपद्रवोंके मुकदमेका फैसला सुनाया गया।

मई २ : गांधीजीने एक सत्याग्रह पत्रकमें लिखा कि यदि रौलट-कानून रद्द न हुआ तो वे जुलाईके आरम्भमें सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे।

मई ३ : विहार बागान-मालिक संघके मन्त्रीको पत्र।

मई ४ : साम्प्रदायिक एकताके लिए हिन्दुओं और मुसलमानोंके मिश्रित आयोग सम्बन्धी विचारकी सराहना करते हुए मौलाना अब्दुल बारीको पत्र लिखा।

बम्बईकी बैठकमें सत्याग्रह सभाने हॉर्निमैनके देशनिकालेके विरोधमें ११ मईको उपवास, हड़ताल इत्यादि करनेका निश्चय किया।

मई ५ : गांधीजीने वाइसरायको स्वदेशी-प्रतिज्ञाका प्रारूप भेजा।

अहमदाबादके दंगोंके सम्बन्धमें शिक्षित पुरुषोंको लपेटनेके आरोपके बारेमें वहाँके जिलाधीशको पत्र लिखा।

मगनलाल गांधीको पत्र लिखा कि आश्रममें सूत कातनेका काम अवश्य होना चाहिए।

मई ६ : हॉर्निमैनके सम्मानार्थ हड़ताल आदिके सम्बन्धमें अपने विचार समझानेके लिए बम्बईमें सभाका आयोजन।

मई ७ : वाइसरायके निजी सचिवने गांधीजीको पत्र लिखकर अफगानिस्तानकी स्थिति-पर भारतीय लोकमत बनानेके लिए सहायता मांगी।

११ मईको हड़ताल आदि करनेके सम्बन्धमें गांधीजीका सन्देश।

'यंग इंडिया' के नये संस्करणके खण्ड १, संख्या १ का प्रकाशन। पत्र, सप्ताहमें दो बार—प्रति बुधवार और शनिवारको—गांधीजीकी देखरेखमें बम्बईसे प्रकाशित।

मई ८ : बम्बईमें स्त्रियोंकी सभामें गांधीजीका भाषण। सत्याग्रहके धार्मिक महत्त्वके सम्बन्धमें एक पत्रक प्रकाशित।

मई ९ : बम्बईमें अंजुमन जियाउल इस्लामकी एक विशेष सभामें जिसके अध्यक्ष एम० टी० कादरभाई थे, गांधीजीने खिलाफतपर भाषण दिया।

मई १० : एनी बेसेंटको पत्र लिखा जिसमें उनके द्वारा लगाये गये आरोपोंके सम्बन्धमें दुःख प्रकट किया।

मई ११ : हॉर्निमैनके सम्मानमें बम्बईमें हड़ताल।

एनी बेसेंटने होमरूल लीगकी अध्यक्षतासे त्यागपत्र दिया।

गांधीजीने वाइसरायके ७ मईके पत्रके उत्तरमें अपनी सहायताका विश्वास दिलाया।

गांधीजीने अहमदाबादके जिलाधीशको अहमदाबादके दंगोंके अभियुक्तोंकी शिनाख्तके बारेमें तार दिया।



- मई १२ : सफलतापूर्वक हड़ताल करनेपर बम्बईके नागरिकोंको बधाई दी।
- मई १३ : 'शुद्ध' और 'मिश्रित' स्वदेशी प्रतिज्ञापर प्रकाश डालते हुए 'यंग इंडिया'में लेख। स्वदेशी व्रतपर हस्ताक्षर करनेवाले ४७ व्यक्तियोंके नाम प्रकाशित। 'इंडिपेंडेंट' के दफ्तरमें पुलिसका छापा।
- मई १५ : साउथबरो कमेटीकी रिपोर्ट प्रकाशित।  
गांधीजीने वाइसरायके निजी सचिवको गोवर्धनदासकी गिरफ्तारी तथा 'ट्रिब्यून' के सम्पादककी पैरवीके सम्बन्धमें तार भेजा।
- मई १६ : वाइसरायके निजी सचिवको पत्र लिखा जिसमें पंजाबके दंगोंकी विस्तृत जांच करानेकी मांग की।
- मई २० : सूरतके सत्याग्रहियोंको सन्देश।
- मई २१ : बम्बईमें २८ मईको होनेवाले सत्याग्रहियोंके सम्मेलनके बारेमें एक परिपत्र जारी किया।
- मई २५ : बम्बईके गवर्नरके निजी सचिवको, काठियावाड़के दो निवासियोंके नाम ब्रिटिश भारत छोड़कर चले जानेके सरकारी हुक्मनामेके सम्बन्धमें पत्र लिखा और उनका ध्यान फॉरेनर्स ऐक्ट (१८६४) के १९१४ में किये गये संशोधनकी ओर आकृष्ट किया।  
साबरमतीमें।
- मई २६ : सर माइकेल ओ'डायरसे सर एडवर्ड मेकलेगनने पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नरका कार्यभार लिया।
- मई २७ : 'बॉम्बे क्रॉनिकल' से ५,००० रु० की अस्थायी जमानत तलब की गई।
- मई २८ : बम्बईमें सत्याग्रहियोंके सम्मेलनमें गांधीजीका भाषण। गांधीजीने 'हिन्द स्वराज्य' के पुनर्मुद्रित संस्करणका प्राक्कथन लिखा।
- मई २९ : ई० एस० मॉण्टेग्युने हाउस ऑफ कॉमन्समें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विधेयक प्रस्तुत किया।
- मई ३० : गांधीजीने वाइसरायके निजी सचिवको पंजाबमें मार्शल लॉके प्रशासनके सम्बन्धमें पत्र लिखा।  
रौलट-अधिनियमके सम्बन्धमें एच० एस० एल० पोलकको पत्र।
- मई ३१ : बा० गं० तिलकके सम्मानार्थ बम्बईमें आयोजित सार्वजनिक सभाकी अध्यक्षता की।  
सभाने निश्चय किया कि तिलक द्वारा सर वेलेंटाइन शिरोलके खिलाफ इंग्लैंडमें चलाये गये मुकदमेके व्ययको निभानेके लिए धन एकत्रित किया जाये।
- जून १ : रवीन्द्रनाथ ठाकुरने 'नाइट' की उपाधिका परित्याग किया।
- जून ३ : पण्डित मालवीय वाइसरायकी परिषद्के सदस्य पुनः निर्वाचित।
- जून ५ : हाउस ऑफ कॉमन्समें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विधेयकका द्वितीय वाचन।
- जून ९ : कालीनाथ रायके मुकदमेके फैसलेके बारेमें गांधीजीने वाइसरायके निजी सचिवको पत्र लिखा।  
'बॉम्बे क्रॉनिकल' से १०,००० रु० की जमानत मांगी गई।



- जून १० : रेलवेकी जमीनको छोड़कर शेष पंजाबमें मार्शल लॉकी समाप्ति ।
- जून ११ : कालीनाथ रायकी अविलम्ब रिहाईके बारेमें 'यंग इंडिया' में गांधीजीका हस्ताक्षरयुक्त सम्पादकीय प्रकाशित ।  
कालीनाथ रायकी रिहाईके समर्थनके लिए वकीलों और पत्र-सम्पादकोंके नाम अपील । सी० एफ० एन्ड्र्यूजको भी इसी सम्बन्धमें पत्र ।
- जून १२ : जुलाईमें सविनय अवज्ञा पुनः आरम्भ करनेके बारेमें सत्याग्रह सभाके मन्त्रियोंको पत्र लिखा ।  
'टाइम्स ऑफ इंडिया' के श्री एस० टी० शेपर्डको कालीनाथ रायकी रिहाईका समर्थन करनेके सम्बन्धमें पत्र ।
- जून १३ : कालीनाथ रायकी दया-याचिका पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा अस्वीकृत ।
- जून १४ : गांधीजीने रौलट अधिनियमके विरोधमें चलाये गये आन्दोलनको न्यायोचित ठहराते हुए ई० एस० मॉण्टेग्युको पत्र लिखा ।
- जून १५ : सत्याग्रह सभाकी कार्यकारिणी समितिकी बम्बईमें बैठक; जुलाईके प्रारम्भमें सत्याग्रह आन्दोलन फिरसे चलानेका निश्चय; गांधीजीको आन्दोलनके पथ-प्रदर्शनका पूर्ण अधिकार दिया गया ।  
इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता द्वारा भारत सरकारके ५ मार्चके खरीतेके विरोधमें सभा आयोजित ।
- जून १६ : स्वदेशी व्रतपर गांधीजीका दूसरा पत्रक प्रकाशित ।  
बम्बईके चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटकी अदालतमें गांधीजीने मार्शल लॉ आयोग द्वारा डॉ० किचलूपर चलाये गये मुकदमेके सम्बन्धमें गवाही दी ।
- जून १८ : जुलाईमें सत्याग्रह पुनः शुरू करनेके निश्चयकी सूचना देते हुए वाइसरायके निजी सचिवको पत्र ।  
बम्बईमें शुद्ध स्वदेशी वस्त्र-भण्डारका उद्घाटन ।
- जून १९ : बम्बईमें स्वदेशी सभा द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाकी अध्यक्षता की ।
- जून २० : 'बॉम्बे क्रॉनिकल' पर लागू समाचार-नियन्त्रण आदेश वापस ले लिया गया ।
- जून २४ : गांधीजीने भारत मन्त्रीको तार भेजा कि अगर रौलट अधिनियम वापस न ले लिया गया और यदि पंजाबकी दुर्घटनाओंके सम्बन्धमें जाँच समिति नियुक्त न की गई तो जुलाईमें पुनः सत्याग्रह छोड़ा जायेगा ।  
बम्बईमें रौलट अधिनियम और हॉर्निमैनके देश-निकालेके विरोधमें आयोजित सार्वजनिक सभाकी अध्यक्षता ।
- जून २५ : जी० ए० नटेशनको लिखे पत्रके साथ सत्याग्रह-आन्दोलनके सम्बन्धमें अपनी हिदायतें भी भेजीं ।
- जून २६ : हॉर्निमैनके देश-निकालेको भारत-मन्त्री द्वारा न्यायोचित ठहराया जानेपर वाइसरायके निजी सचिवको सत्याग्रह सभा द्वारा पास किया गया विरोध-प्रस्ताव भेजा और पत्र लिखा । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री




- तथा भारत-मन्त्रीसे तार द्वारा यह प्रार्थना की कि मार्शल लॉ आयोग द्वारा दी गई सजाओंको तबतक मुलतवी रखा जाये जबतक जांच न हो जाये।  
भारत सरकारने सजाओंको मुलतवी करनेसे इनकार कर दिया।
- जून २७ : गांधीजीने कालीनाथ रायकी रिहाईकी प्रार्थना करते हुए एक आवेदनपत्र जिस पर डी० ई० वाछा, सर ना० गो० चन्दावरकर तथा अन्य लोगोंके हस्ताक्षर थे, वाइसरायको भेजा।  
सत्याग्रह-सभाके तत्त्वावधानमें की गई बम्बईकी एक सार्वजनिक सभाकी अध्यक्षता की।  
दक्षिण आफ्रिकामें भारत विरोधी अधिनियमोंके बारेमें एस० टी० शेपर्डको पत्र।
- जून २८ : वरसाईके सुलहनामेपर हस्ताक्षर हुए।  
गांधीजीने सत्याग्रह पुनः आरम्भ करनेके सम्बन्धमें वाइसरायके निजी-सचिवके पत्रका उत्तर दिया।  
बम्बईकी एक सार्वजनिक सभामें स्वदेशीपर भाषण।
- जून २९ : मुस्लिम समस्याके बारेमें मुहम्मद अलीको पत्र लिखा।  
अहमदाबादमें वनिता विश्राम कन्या-पाठशालाकी नींव रखनेके अवसरपर भाषण।
- जून ३० : अहमदाबादके डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंटको पत्र लिखा कि मैं सत्याग्रह पुनः शुरू करनेके पूर्व अधिकारियोंको सूचित करूँगा।  
सत्याग्रह-सभा द्वारा १५ जूनको पास किये गये प्रस्तावके आधारपर सत्याग्रहियोंके लिए हिदायतें लिखीं। अश्रमसे बम्बईके लिए रवाना।
- जुलाई १ से पूर्व : स्वदेशी सभाकी नियमावलीका मसविदा तैयार किया।
- जुलाई १ : इन्स्पेक्टर जनरल तथा पुलिस कमिश्नर, बम्बईसे मुलाकात।  
एक वक्तव्यमें कहा कि मैं ८ जुलाईसे पूर्व सत्याग्रह शुरू न करूँगा और शुरू करनेसे पहले उसकी सूचना अधिकारियोंको अवश्य दूँगा।  
बम्बईमें केन्द्रीय स्वदेशी सभाका उद्घाटन किया; इसकी शाखाएँ पूरे भारतमें खोली गईं।
- जुलाई २ : प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडियाने प्रेस ऐक्टको रद्द करनेकी प्रार्थना करते हुए ब्रिटेनके प्रधान-मन्त्री तथा भारत-मन्त्रीको तार भेजा।  
गांधीजीने दक्षिण आफ्रिकाके प्रश्नपर 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित अग्र-लेखके लिए धन्यवाद देते हुए एस० टी० शेपर्डको पत्र लिखा।
- जुलाई ३ : दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंपर लगाये गये प्रतिबन्धोंकी निन्दा करते हुए समाचारपत्रोंको तथा भारत सरकारके उद्योग और वाणिज्य विभागके सदस्यको पत्र लिखे।  
स्वदेशी आन्दोलनमें दिलचस्पी लेनेका निवेदन करते हुए आर० बी० यूवेंकको पत्र लिखा।
- जुलाई ४ : बम्बईमें स्वदेशी सभाके तत्त्वावधानमें आयोजित एक सार्वजनिक सभामें भाषण।



- जुलाई ५ : भारत-मन्त्रीने बम्बईके गवर्नरको तार दिया कि वे गांधीजीसे मिलकर उन्हें सत्याग्रह शुरू न करनेपर राजी करनेका प्रयत्न करें।  
गांधीजीने 'यंग इंडिया' में गांधी-स्मट्स समझौतेके बारेमें लेख लिखा। सत्याग्रह तथा दक्षिण आफ्रिकासे सम्बन्धित मामलोंके बारेमें एच० एस० एल० पोलकको पत्र।
- जुलाई ६ : सपरिषद्-गवर्नर जनरलने कालीनाथ रायकी सजा २ वर्षसे घटाकर ३ माह कर दी।  
गांधीजीने नडियादकी सार्वजनिक सभामें सत्याग्रहियोंके कर्तव्यपर और स्त्रियोंकी सभामें स्वदेशीपर भाषण दिया।
- जुलाई ९ : मार्शल लॉ आयोगने अमृतसर षड्यन्त्र केसके बारेमें अपना फैसला सुनाया।
- जुलाई १० : समाचारपत्रोंमें लेख द्वारा सर ना० गो० चन्दावरकरने गांधीजीसे सत्याग्रह शुरू न करनेकी प्रार्थना की।
- जुलाई १२ : गांधीजी पूना पहुँचे। बम्बईके गवर्नरसे मुलाकात। आर० पी० परांजपेकी अध्यक्षतामें आयोजित फर्ग्युसन कॉलेजके विद्यार्थियोंकी एक सभामें भाषण। नागरिकोंकी सभामें स्वदेशीपर भाषण। गांधीजीकी अध्यक्षतामें स्वदेशी संघकी स्थापना। . . . बम्बई लौटे। 'प्रताप' के सम्पादकको दी गई सजाके बारेमें 'यंग इंडिया' में लेख।
- जुलाई १३ : बम्बईकी होमरूल लीग द्वारा आयोजित एक सभामें गांधीजीने ट्रान्सवालमें पास किये गये भारत विरोधी कानूनके खिलाफ एक विरोध-प्रस्ताव पेश किया।
- जुलाई १४ : आर० पी० परांजपे द्वारा की गई स्वदेशीकी आलोचनाका उत्तर देते हुए उन्हें पत्र।
- जुलाई १६ : परांजपे द्वारा की गई स्वदेशीकी आलोचनापर 'यंग इंडिया' में लेख। लाला गोवर्धनदासको विशेष न्यायाधिकरण द्वारा ३ वर्षके कठोर कारावासकी सजा।
- जुलाई १७ : गांधीजीने ए० एच० वेस्टको 'इंडियन ओपिनियन' के सम्बन्धमें पत्र लिखा।
- जुलाई १८ : साम्राज्यीय भारतीय नागरिक संघके तत्वावधानमें आयोजित एक सभामें एशियाई भूमि तथा व्यापार संशोधन अधिनियमके विरोधमें भाषण।
- जुलाई २० : कलकत्तेमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक।
- जुलाई २१ : गांधीजीने समाचारपत्रोंको पत्र लिखा कि वाइसराय तथा अन्य मित्रोंकी चेतावनीको दृष्टिमें रखते हुए सत्याग्रह स्थगित किया जा रहा है।
- जुलाई २३ : सर शंकरन् नायरने वाइसरायकी परिषदकी सदस्यतासे त्यागपत्र दे दिया। गांधीजीने लाहौरके निर्णयके विषयमें 'यंग इंडिया' में लेख लिखा।
- जुलाई २४ : अमृतसरके दंगोंके सिलसिलेमें मार्शल लॉके अन्तर्गत जिन २१ भारतीयोंको सजा दी गई थी उन्हें प्रीवी काँसिलने अपील करनेकी अनुमति दे दी।
- जुलाई २५ : पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नरने 'प्रताप' के सम्पादक लाला राधाकृष्णकी १८ मासकी सजा घटाकर २ मास कर दी।



- जुलाई २६ : गांधीजीने भारत सरकारके उद्योग और वाणिज्य विभागके सदस्यको ट्रान्स-वाल एशियाई कानूनके बारेमें पत्र लिखा।
- जुलाई २७ : 'हिन्दवासी' के मुकदमेके बारेमें न्यायाधीशकी उक्तियोंका स्पष्टीकरण करते हुए 'मराठा' में लेख।
- जुलाई २८ : सार्वजनिक कॉलेज, सूरतमें आयोजित विद्यार्थियोंकी सभामें भाषण। स्वदेशी स्टोरका उद्घाटन।
- रौलट अधिनियमके खिलाफ चलाये गये आन्दोलनके सम्बन्धमें श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री तथा सरोजिनी नायडूको तार।
- जमानतकी जब्तीके खिलाफ पेश की गई 'अमृतबाजार पत्रिका' की अपील कलकत्ता उच्च न्यायालयकी विशेष बेंच द्वारा खारिज।
- जुलाई २९ : महायुद्धके दिनोंमें भारत द्वारा किये गये सहयोगके बारेमें सर चार्ल्स मनरोका खरीता 'गज़ट' में प्रकाशित।
- जुलाई ३० : मार्शल लॉ न्यायाधिकरण द्वारा जगन्नाथको दी गई सजापर गांधीजीने 'यंग इंडिया' में लेख लिखा।





## शीर्षक-सांकेतिका

अपील, -बम्बईके नागरिकोंसे, २९५; -श्री एन्ड्र्यूजकी, ३५७-५८; -हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें चन्देके लिए, २५३  
 अभिनन्दन, -बाल गंगाधर तिलकका, ३४५-४६; -बी० जी० हॉर्निमैनका, ३९६  
 उत्तर, -आश्रममें अपने जन्म-दिवसकी बधाईका, ५५-५६; -पंजाब सरकारकी पाबन्दीका, २१६; -मॉण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड योजना सम्बन्धी प्रश्नोंके, ६८-६९  
 जापन, -लॉर्ड चैम्सफोर्डको, ३७२; -वाइसरायको, ३७०-७१  
 टिप्पणी, -अनौपचारिक सत्याग्रह सम्मेलनपर, ३४१-४२; -आचार्य परांजपेकी आलोचनापर, ४७७; -सत्याग्रहपर, ३१९  
 तार, ४३२; -ई० एस० मॉण्टेग्युको, ३९९-४००; -एच० एस० एल० पोलकको, १३९; ५००; -एस० कस्तूरी रंगा आयंगरको, १७७; -एस० के० रुद्रको, २०१, ३०८; -ओ० एस० घाटेको, १५६, २१३; -जी० ए० नटसनको, २५०; -जे० ए० गाइडरको, ३१०; -डॉ० एम० एस० अंसारीको, १७९; -डॉ० प्राणजीवन मेहताको, ५०; -डॉ० सत्यपालको, २००; -पुण्डलीकको, २६६; -मदनमोहन मालवीयको, १०६, १७९-८०, ४०५; -मद्रासके मिलमजदूरोंको, ६९; -राजेन्द्रप्रसादको, १६९, १८४, २११; -वाइसरायके निजी सचिवको, १०५-६, १३३, २५४, ३१९-२०; -वाइसरायको, ६१; -बी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको, १३३, १७८-७९, ४०५; -सत्याग्रह

आश्रम, साबरमतीको, ३१०-११; -सत्याग्रह सभा, बम्बईको, १५५-५६; -सी० आर० दासको, २१०-११; -सी० एफ० एन्ड्र्यूजको, १०७-८; -सैयद हुसैनको, १२९; -स्वामी श्रद्धानन्दको, १७८, १८४, १८७, २१२, २१७, पत्र, -अखबारोंको, १११-१३, १२४-२५, १२७-२८, १५०-५१, १८०-८१, ४८४-८७; -अखबारोंको काछलियाके निधनपर, ५८-५९; -अखबारोंको दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नपर, ४४०-४१; -अली बन्धुओंको, ३२६-२८, ३५१-५२; -आनंदशंकर ध्रुवको, २४-२५; -आर० पी० परांजपेको, ४७४-७५; -आर० बी० यूबैकको, ४४२-४३, ५१५-१६; -'इंडियन सोशल रिफॉर्मर'को, १२६-२७; -ई० एल० सेलको, ३९७; -ई० एस० मॉण्टेग्युको, ३७८-८०; -ई० डब्ल्यू० फिचलीको, ३७८, ४३२; -ए० एच० वेस्टको, ४७८-८१; -एक मित्रको, १२-१३; -एक युवा पत्रकारको, ३५९-६०; -एच० एस० एल० पोलकको, ३४४-४५, ३५४-५५, ३८०-८१, ४०९-१०, ४४९; -एन० एम० समर्थको, ३०; -एन० पी० काँवीको, २७०, ३२८-२९, ३५३, ३६५-६६, ३७४-७५, ५१४-१५; ५१५, -एनी बेसेंटको, १५१, ३०८-९; -एफ० जी० प्रैटको, २४३-४४, २५६; -एफ० सी० ग्रिफिथको, २०१, २१२, २८९, ३०२-३, ३१७-१८, ३२५, ३२६, ४४८-४९, ४७३, ४८१-८२; -एम० ए० जिन्नाको, ४११-१२; -एस० आर०



हिगनेलको, ३४२-४३, ३६४, ३८९-९०, ४०३, ४०६, ४१०-११, ५१६, ५१६-१७; -एस० टी० शैपर्डको, ३७६-७७, ४०८, ४३९; -एस्थर फॅरिंगको, ७१-७२, ७९-८०, १७६-७७, २१६-१७, ३३९-४०, ४०६७; -ओ० एस० घाटेको, ५, ८४-८५, ९३-९४, १५६-५७, २९८; -करसनदास चितलियाको, ४२; -कनॅल ट्यूकको, ३२९; -कल्याणजी मेहताको, ५५, ४९६; -के० नटराजनको, १०९; -केरको, २७२; -गांगाबेन मजमूदारको, ५७, ३८२; -गिलिस्पीको, २५५, ३७५, ४०७; -गोकुलदास पारेखको, २६; -चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको, ४४३-४४ -चन्द्रशंकर पंड्याको, २५८-५९; -चम्पारनके कलक्टरको, ७०; -छगनलाल गांधीको, ३६०-६१, ३६३, ४४४, ४६९-७०, ४७६, ४८२; छोटेालाल तेजपालको, ४८७; -जफरुलमुल्क अलवीको, ३८३ -जमनादास द्वारकादासको, २४; -जमनालाल बजाजको, ३४; -जी० ई० चैटफील्डको, २२६, २३२, २४२, २४३, २५४-५५; -जी० ए० नटेशनको, १०, ४०१-२; जी० ए० देवधरको, १०-११; -जे० ए० गाड्डरको, २८४-८५; -जे० एम० विल्सनको, २७७; -जे० एल० मैफीको, ९६-९८, १३४, २२६-२८, २३२, २८३८४, ३१-१२, ३२०; जे० क्रिररको, २६७-६८; -'टाइम्स ऑफ इंडिया'को, १४-१५, २६६-६७ -डॉ० एम० बी० वेलकरको, १८२; -डॉ० एस० सुब्रह्मण्यम् अय्यरको, ३१८; -डॉ० पावेलको, ३०३; -डॉ० प्रफुल्लचन्द्र रायको, ३३, ४५; -डॉ० प्राणजीवन मेहताको, ७-८, ५१-५२ ७३; -डी०

एन० नगरकट्टीको, ४७५; -डी० हीलीको, ४३१-३२; -दक्षिण आफ्रिकाकी एक महिला मित्रको, २९३-९६ देवको, ६; -देवदास गांधीको, २३, २९, ३६-३७, ४२, ८६-८७, १०१-३, १२९-३०; -नरहरि परीखको, ७६-७८, ८१-८२, ९२-९३; -नानूभाईको ५४; -निर्मलाको, २८९-९०; -पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नरके निजी सचिवको, ४६३; -पुण्डलीकको, ३७-३८, ३९, ५०, ६१-६२, ६५; -प्रोफेसर जेवन्सको, १६-१७; -फूलचन्द शाहको, ११-१२, १९; -बम्बईके गवर्नरके निजी सचिवको, ४५९; -बलीको, ७८-७९; बाल गंगाधर तिलकको, ३२; -बी० चक्रवर्तीको, ३१; -बी० जी० हॉर्निमैनको, १८, १८८, ३५३; -भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको, ७०; -मगनलाल गांधीको, २०७१,, ७३-७५ ८५, ८७, १४१, २८५-८६, ३३०, ३४८-४९ ३४९-५०, ३५६-५७, ३६१-६२, ३७७, ३८१-८२, ३८१-८२, ४७८; -मणिबेन पारेखको, ३२२; -मदनमोहन मालवीयको, ८९; -मनसुखलाल रावजीभाई मेहताको, २६-२७; -मामा फड़केको, ४७६-७७ -मिली ग्राहम पोलकको, ३९-४०; -मुकर्जीको, ४०८; -मुहम्मद अलीको, ६५-६६, ४१७-१८; २ मौलाना अब्दुल बारीको, २८१; -रणछोड़लाल पटवारीको, ४६-४७ -रवीन्द्रनाथ ठाकुरको, ६३, १८५-८६ -रसिकमणिको, १८-१९; -रॉबर्ट हैंडरसनको, २२-२३; २२-२३; -रामदास गांधीको, ३४६-४८; -रामनन्दनको, ८; -रावको, २९६; -रेवरेंड एम० वेल्स ब्रांचको, ३१३-१४; -रेवाशंकर सोढाको, ८२-८३; -लेफ्टिनेंट गवर्नरके निजी सचिव-



को, ५११; -वाइसरायके निजी सचिव-  
को, ४०२; -वालजी देसाईको, ३४०  
-वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको,  
६३-६४ ९०-९१, १३१-३२, ३५५-५६  
३५५-५६; -शंकरलाल बैंकरको, ९, २८,  
४४-४५; -शुएब कुरैशीको, ५३-५४;  
सत्याग्रह समितिके मन्त्रियोंको, ३७५-  
७६; -सन्तोक गांधीको, ६७; -सर  
इब्राहीम रहीमतुल्लाको, २१३, २३३-  
३५; -सर एन० जी० चन्दावरकरको,  
४०४; -सर एस० सुब्रह्मण्यम् अय्यर-  
को, १५२; -सर जहाँगीर पेटिटको,  
४३९-४०; -सर जॉर्ज बान्जर्को, ४४१-  
४२, ४९३-९६; -सर जेम्स डुबाउलेको,  
१३८-३९; -सर दिनशा वाछाको,  
११०; -सर विलियम विन्सेंटको, ९२;  
-सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको, १५-१६;  
सर स्टैनली रीडको, ११०, २३५-३९,  
२७०; -सरोजिनी नायडूको, ४९,  
६७; -साकरलाल दवेको, ३२१-२२;  
-सादिक अली खाँको, ३९८-९९;  
-सिन्धके सत्याग्रहियोंके नाम, २७१;  
-सी० एफ० एन्ड्र्यूजको, ३-४, ३५, ३८,  
४०-४१, ४३-४४, ७२-७३, ७५, १०७-  
८, १७४-७५, १८५, २७९-८०, ३७४;  
-सी० विजयराघवाचारियरको, ९८-  
९९; -सुन्दरलालको, ३२३-२४, ४६४;  
-सैयद हुसैनको, ८३-८४; -साँजा  
श्लेसिनको, ९९-१०१, ३५०; -स्वामी  
श्रद्धानन्दको, २४५-४७; -स्वामी  
सत्यदेवको, ८८; -हनुमन्तरावको, ८-  
९; -हरिलाल गांधीको, ३७, ४८-४९,  
६२-६३, ६७-६८, १०३-४, २८६-८७  
पत्रका अंश, -डॉक्टर प्राणजीवन मेहताको  
लिखे, ३५-३६; -देवदास गांधीको  
लिखे, ४७; -प्रागजी देसाईको लिखे,  
९१; -रामदास गांधीको लिखे, ७५-

७६; -विठ्ठलभाई पटेलको लिखे, ८३;  
-शंकरलाल बैंकरको लिखे, ८६  
परिपत्र, -कालीनाथ रायके मामलेके सम्ब-  
न्धमें, ३७३; -सत्याग्रहियोंके सम्मे-  
लनके बारेमें, ३२४  
प्रमाणपत्र, -ए० वेंकटरमणको, ४९२  
प्रस्ताव, -गुजरात सभा, अहमदाबाद द्वारा,  
४३; -साम्राज्यीय सम्मेलनके, २०-  
२२; -हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें,  
२५३  
प्राक्कथन; -'हिन्द स्वराज्य' के लिए, ३३९  
भाषण, -अहमदाबादकी सार्वजनिक सभामें,  
२२८-३२; -अहमदाबादमें, ४२२-  
२४; -अहमदाबादमें स्वदेशीपर, ४१८-  
२१; -खिलाफतके सम्बन्धमें, ३०३-  
७; -गांधी-स्मट्स समझौतेपर, ४८२-  
८३; -चौपाटी, बम्बईकी सभामें, १८९-  
८४; -तडियादकी महिला-सभामें  
स्वदेशीपर, ४५४-४९; -नागापट्ट-  
नममें, १६७-७०; -'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस'  
पर, ५२-५३; -पूनाकी सभामें स्वदेशी-  
पर, ४६७-६९; -बम्बईकी महिला  
सभामें, २९९-३०१; -बम्बईकी सभा-  
में, २९०-९३; -बम्बईकी सभामें  
स्वदेशीपर, ४१४-१५; -बम्बईमें,  
२९८, ३९०-९२; -बम्बईमें दक्षिण  
आफ्रिकाके भारतीयोंपर, ४७०-७२;  
-बम्बईमें स्वदेशीके सम्बन्धमें, ३८७-  
८९; -बम्बईमें स्वदेशीपर, ४१३-  
१४, ४४५; -मद्रास मजदूर-संघमें,  
१४५; -मद्रासमें ट्रामवे कर्मचारियों-  
की सभामें, १४८-५०; -मद्रासमें  
सत्याग्रहपर, १४२-४४, १४६-४८;  
-महिलाओंकी विरोध सभामें, १९५-  
९६, ३३१-३५; -मारवाड़ियोंकी सभा-  
में, २६१-६३; -रौलट विधेयकोंके  
सम्बन्धमें, १३०-३१; -रौलट विधे-



यकोंपर, १४०-४१; —लखनऊमें सत्याग्रहपर, १३२; —वस्त्र-विक्रेताओंकी सभामें, २२२; —सत्याग्रहपर, १३५-३६; —सत्याग्रह आन्दोलनपर, १५३-५५, १५७-६१, १६१-६४; —सत्याग्रह आन्दोलनपर तूतीकोरिनमें, १६४-६७; —सत्याग्रह सभामें, ४००-१, ४०९; —सूरतकी सार्वजनिक सभामें, ३३५-३८; —सूरतमें, १-३, ५०१; —सूरतमें स्वदेशीपर, ५०३-८; —स्वदेशीपर, ४६४-६७; —स्वदेशी भंडारके उद्घाटन समारोहमें, ५०१-३; —स्वदेशी व्रतके सम्बन्धमें, ३५१; —स्वदेशी सभामें, ३९७-९८; —हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी सभामें, २४७-५०; —हिन्दू-मुस्लिम मैत्रीपर, १९४-९५ भेंट, —समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे, २२१ वक्तव्य, —अखबारोंको, २५१-५२; —भावी योजनाओंके सम्बन्धमें, ४३७-३९; —सत्याग्रह-सभाका, १९८-२०० सत्याग्रह माला, [-३,] २१८-१९ [-४,] २३९-४२; [-५,] २४४-४५; [-६,] २५६-५८; [-७,] २५९-६०; [-८,] २६३-६४; [-९,] २६५-६६; [-१०,] २६८-६९; [-११,] २७२-७४; [-१२,] २७४-७५; [-१३,] २७५-७७; [-१४,] २७८-७९; [-१५,] २८१-८२; [-१६,] २८७-८८; [-१७,] २९४-९५; [-१८,] २९६-९८; [-१९,] ३०१-२; [-२०,] ३०७-८; [-२१,] ३१२-१३ 'सत्याग्रही,' [-१,] १९६-९७; [-२,] २२४-२५ सन्देश, —४३०-३१; —अहमदाबादकी जन-

ताको, २२३; —आश्रमवासियोंको, ९४-९६; —गोखले जयन्तीपर, ९६; —देशभाइयोंके नाम, २१४-१६; —प्रथम रेलवे सम्मेलनको, ६४; —मद्रासकी सभाके लिए, १७१-७४; —मद्रास-निवासियोंको, १८७; —स्वदेशी स्टोरके खुलने पर, ६४

स्वदेशी व्रत, [-१,] २०२-४; [-२,] २०५-७, ३१४-१७, ३८३-८६ हिदायतें, —प्रदर्शनकर्त्ताओंको, १८३; —सत्याग्रहके सम्बन्धमें, २२०-२१; —सत्याग्रहियोंको, १९७-९८, ४२४-२९; —स्वयंसेवकोंके लिए, १२२-२४

### विविध

कपास-उद्योगपर प्रश्न, ४१५-१७; खूनी रविवार, १८२-८३; गोखलेका सेवामंत्र, ५१२-१४; जगन्नाथका मामला, ५०८-११; डॉक्टर किचलूके मुकदमेके सम्बन्धमें गवाही, ३८६; 'नवजीवन' साप्ताहिक, ४३३-३४; बम्बईके मुसलमानोंसे बातचीत, २२०; बाबू कालीनाथ राय, ३६६-७०; भारतीय और ट्रान्सवाल, ३४; महादेव देसाईके लिए हुए नोट, १५२-५३; रौलट विधेयकोंका सार, ११३-२१; लाला राधाकृष्णका मुकदमा, ४५९-६३; लाहौरका फैसला, ४८७-९२; सत्याग्रह प्रतिज्ञा, १०४-५; सत्याग्रह राजद्रोह नहीं है, ४९७-५००; सत्याग्रह सभाकी नियमावली, १३६-३८; सत्याग्रहियोंका कर्त्तव्य, ४५०-५३; श्री हॉर्निमैन, ३५८-५९; सत्याग्रह १०६; स्मट्स-गांधी समझौता, ४४६-४८; स्वदेशी सभाके नियम, ४३४-३७; हिन्दू-मुस्लिम एकताका व्रत, २०८-१०



## सांकेतिका

अ

अंग्रेजों, — की क्षतिपूर्ति, २३२  
 अछूत, — ४६  
 अजमलखाँ, हकीम, १९१, १९३  
 अजीमुद्दीनखाँ, ३९९  
 अडाजानिया, सोराबजी शापुरजी, ४९, ५९,  
 ३५०, ३७२; —की मृत्यु, १  
 अधिनियम  
 अधिनियम, १८८५का, देखिए कानून ३,  
 १८८५का  
 एशियाई भूमि और व्यापार संशोधन अधि-  
 नियम, देखिए ट्रान्सवाल एशियाई भूमि  
 तथा व्यापार संशोधन अधिनियम  
 ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम,  
 ५८, ४५१, ४७१  
 ट्रान्सवाल एशियाई भूमि तथा व्यापार संशो-  
 धन अधिनियम, ४७१, ४८२-८३  
 ट्रान्सवाल बस्ती संशोधन अधिनियम, ४९५  
 ट्रान्सवाल महार्घ तथा अल्पार्घ धातु अधि-  
 नियम, ११२, ४९३  
 रौलट अधिनियम, —का विरोध, ४०९; —का  
 विरोध करनेके लिए शास्त्रीसे अनुरोध,  
 ११३; —का सारांश, ११३-२१; —के  
 विरुद्ध आन्दोलन, ९०-९१, ९७, १३०;  
 —के विरुद्ध सत्याग्रह १०७, १३५, १४०-  
 ४२, १४६, १४८, १५५, १५७-५८,  
 १६१, १६९-७०, १९१-९३, २२१,  
 २५२, २९४, ३३६-३७, ३९४, ५००;  
 —के विरुद्ध सत्याग्रहके विरोधमें घोषणा-  
 पत्र, १४२-४३; —के विरुद्ध सत्याग्रहके  
 सम्बन्धमें स्वयंसेवकोंको निर्देश १२२-  
 २४; —के विरुद्ध सत्याग्रह हिंसा रोकनेके

लिए, १३०; —को वापस लेनेका आग्रह  
 १०४-५, १३३, १९३, १९९, ४९०;  
 —वापस न लेनेपर पुनः सत्याग्रह  
 आरम्भ, ३८९

अनसूयाबेन, देखिए साराभाई अनसूयाबेन  
 अन्दु विस लास्ट, ४२५  
 अन्सारी, डॉ० एम० ए० १७९  
 अफगानिस्तान, ३११  
 अब्दुर्रऊफ, मौलवी, ३०६  
 अब्दुल बारी, मौलाना, १३८, १५७, ३०४  
 अब्दुल्ला, सेठ दादा, ३४७  
 अमन साहब, ३२८  
 अमीन, हरिभाई झवेरभाई, ४२८  
 अमीर अली, न्यायमूर्ति, ५१७  
 अमृतलाल, ३२१  
 अम्मी साहिबा, ६६  
 अय्यर, दीवान बहादुर गोविंद राघव, ४८४  
 अय्यर, सर एस० सुब्रह्मण्यम्, १५२, ३०८,  
 ३१८, ३७२  
 अय्यर, सर पी० एस० शिवस्वामी, ३७०  
 अरुण्डेल, जॉर्ज, ३७२  
 अर्जुन, २९७, ३२२  
 अलवी, जफरुलमुल्क, ३८३  
 अलीबन्धु, देखिए अली मुहम्मद और अली  
 शौकत  
 अली, मुहम्मद, ५३, ६५, ९२, ९७, २२८,  
 २३९, ३०४, ३५१, ४१७; —की  
 रिहाई, ५; —की रिहाईके लिए  
 आन्दोलन, ९८, १३८; —के द्वारा  
 वाइसरायको अभ्यावेदन भेजनेकी बात  
 नापसन्द, ३२६-२७; —के विरुद्ध मुक-  
 दमा, ८४, १०८, १५६; —पर लगाये  
 गये आरोपोंका खण्डन, ९७-९८



अली, शौकत, ५३, ९२, ९७, २३९, ३०४,  
३५१; —की रिहाई, ५; —की रिहाईके  
लिए आन्दोलन, ९८, १३८; —के विरुद्ध  
मुकदमा, ८४, १०८, १५६, १५६-५७;  
—द्वारा वाइसरायको अभ्यावेदन भेजनेकी  
बात नापसन्द, ३२६-२७; —पर लगाये  
गये आरोपोंका खण्डन, ९७-९८

अल्लादीन, ४८७

अवन्तिकाबेन, २०५, देखिए गोखले, अव-  
न्तिकाबेन

अस्वात, ११, ११३, ४८०

अस्वाद-व्रत, —सबसे कठिन, ३५

अहमदाबाद, ५१५; —के दंगेकी भत्सना,  
२३४, २३७, २४०

अहरमन, —और अहुरमज्द, २९७

### आ

आइस डॉ०, देखिए केलकर, डॉ०

आगाखाँ, ५१७

आयंगार, एस० कस्तूरी रंगा, १७७, ३२४

आयंगार, के० वी० रंगास्वामी, १७१, ३७२

आर्थिक स्वतन्त्रता, —और स्वराज्य, ५०५

आश्रम, —और आश्रमवासी, ५५-५६; —की  
प्रवृत्तियाँ, ११; —में बुनाईका काम,

३३०; —में मगनलाल गांधीकी सहायता,

११; —में युद्ध-परिषद्की बैठक, १००;

—वासियोंके लिए सिद्धान्त, ९४-९५

### इ

इंग्लिशमें, २८६

इंडिपेंडेंट, ८४

इंडियन ओपिनियन, ७५, ४३४, ४७९-८०

इंडियन सोशल रिफॉर्मर, १२६

इंडिया, ३४४

इंडिया ऑफिस, ५१२

इब्राहीम रहीमतुल्ला, सर, २१३, २३३

इमाम साहब, १०१, ३३०, ३७७

इमाम हसन, २२५, ३४२

इमाम हुसैन, ३२४

इसाक, मुहम्मद, ११२

इस्लाम, —के धर्म-स्थानोंका संरक्षण, ३०५

### ई

ईसा मसीह, २७९, ३१३

ईसाई-धर्म, —और भारत, ३१३

### उ

उद्धव, २५

उस्मान, दादा, ४४९

### ए

एकता, —हिन्दुओं और मुसलमानोंमें, १९४-  
९५, २१५, २२०, २८१, ३०३, ४२६,  
४८६

एन्ड्र्यूज, सी० एफ० ३, २२, ३५, ३८, ४०,  
४३, ७१-७२, ७५, १०७, १७४,  
१८५, २७९, ३०८, ३४०, ३५८,  
३७०, ३७४

एलिजाबेथ, महारानी, ५०६

### ऐ

ऐस्टन, ३८६

### ओ

ओ'डायर, सर माइकेल, ३४२, ३६९

### क

कताई, —आश्रममें, ३५६-५७

कपास उद्योग, —भारतमें, ४१५

कबीर, २०२

कमला, ८५

करीमभाई फजलभाई, ४२०

कर्जन, लॉर्ड, ४१८

कलोनियल आफिस, ५१२

कल्याणजी, ५०१



काका साहब, देखिए, कालेलकर, दत्तात्रेय बालकृष्ण

काकू, २८९

काछलिया, अहमद मुहमद, ३४, ७६, १६५, ३५०, ४७२; -द्वारा दक्षिण आफ्रिका-वासी भारतीयोंकी सहायताकी प्रशंसा, ५८-५९

काँटन, ३५४

कानूगा, बलवन्तराय नरसिंहप्रसाद, ४२८

कानून

कानून ३, १८८५का, ४७१, ४९५

'ट्रान्सवाल एशियाई कानून', ४९३

'स्वर्ण-कानून', ४४७, ४७१, ४९४

कान्तिलाल, १०२, १०४, ३६३

कामदार, रामीबाई, ३९२, ४२०

कारी, १९०

कालेलकर, दत्तात्रेय बालकृष्ण, ३७, ६२, ६५, १०२, २८५

काँवी, एन० पी० २७०, ३२८, ३५३, ३६५, ३७४, ५१४-१५

किचनर, लॉर्ड, ४८३

किचलू, डॉ०, २२५, २४६, ४९०; -का मुकदमा, ३८६; -की गिरफ्तारी, ३६९, ३७९

किचिन, ९६

किशोरलाल, ४४४

कीकी, ५७

कीट्स, २५९

कुंजरू, पण्डित हृदयनाथ, २५८

कुमी, ७८

कुरान, ३०६

कुरैशी, शुएब, ५, ५३, ९३, २४५

कृष्णस्वामी, डॉ०, १०

कृष्णा, २०

केपटाउन, ५१२

केलकर, डॉ०, १०१

केशु, २०, ३४९

कैम्ब्रेल-ब्रैनरमैन, सर हेनरी, ४३०, ४८३

कैलनबैक, हरमान, ३५०

कोड़े, -से खुले आम कैदियोंको पीटनेकी निन्दा, २५४

कौरव, २७, २९७

क्रिरर, जे०, २६७, ४४८

क्रूगर, ४७१

## ख

खरे, पण्डित, ९३ पा० टि०

खाडिलकर, ४६७

खान साहब, ४४८

खापडें, १२०

खिलाफत, -और टर्कीपर अधिकार, ३०४-६

खुदा, -और शैतान, २९७

## ग

गजट आफ इंडिया, ११४

गणपति, १०२

गन्धर्व महाविद्यालय, ९३ पा० टि०

गर्मदल, -तथा नर्मदलके लोग, १६

गर्मदलवाले, ३०-३२, ४८४

गांधी, कस्तूरबा, १८ पा० टि० २०, २३, ६३, ७३, ७९, १०२, ३४७, ४४४, ४६५

गांधी, खुशालचन्द, ११ पा० टि०

गांधी, चंचलबेन, ४८, ४८ पा० टि०, ७८, १००

गांधी, छगनलाल, ३६०, ३६३, ३८२, ४४४, ४७०, ४७६, ४८२

गांधी, देवदास, ९, २०, २३, ३६, ४१, ४७, ५६, ८८, १०१, १२९, ४०२; -का मद्रासमें हिन्दी पढ़ाना, २९, ८२

गांधी, प्रभुदास, ८५

गांधी, मगनलाल, ६ पा० टि० ११, ११, पा० टि० २०, ७२, ७३, ८२, ८५, ८७, ९४-९५, १४१, २८५, ३३०, ३४८-४९, ३५६, ३६१, ३७७, ३८१, ४७०, ४७८



- गांधी, मणिलाल, २९, ७५, ३४८, ४७९-८०
- गांधी, मोहनदास करमचन्द, —और अली-बन्धुओंका मामला, ५३; —और गर्म दलके लोग, ३०-३२; —और जिन्ना, ४११; —और दक्षिण आफ्रिका, ३५०; —और नर्मदलके लोगोंका सम्मेलन २७, ६९; —और प्राकृतिक चिकित्सा, ३०; —और युद्धके लिए भरती, १५, १८, ३०-३१, ३०८; —और श्रीमती बेसेंट, ३०८; —कांग्रेस अधिवेशनमें भाग नहीं लेंगे, १५, ४१; —का जन्मदिवस, ५५; —का दूधके सम्बन्धमें व्रत, ३३, ४५, ४७, ७४, ७६, ८१; —का पुनः सत्याग्रह प्रारम्भ करना, ४५२; —का प्रतिबन्धक आदेश माननेसे इनकार, २१४ पा० टि०; —का बवासीरका आपरेशन, ७६; —का राजनीतिक सुधारोंके लिए माँटेग्यु योजनामें फेरफारके लिए आन्दोलन करना, १६; —का वाइसरायसे रौलट विधेयक वापस ले लेनेका अनुरोध, १०५; —का सत्याग्रह पुनः आरम्भ करनेसे पहले सन्देश, ४३०; —की किचलूके मुकदमेमें अदालतमें गवाही, ३८६; —की प्रतिबन्धक आदेश हटा लेनेकी माँग, २२७; —की बीमारी, १९, २२, ३५, ३९-४०, ४६, ५७, ६६, ७०, ७१-७२, ८७, १००; —की सत्याग्रह योजना, ४३६; —के अन्तर्जातीय विवाहपर विचार, १२६-२७; —के मृत्युपर विचार, ३२२; —दिल्लीमें प्रवेश करनेसे पूर्व गिरफ्तार, २१४, २३५; —द्वारा बम्बईमें रौलट कानूनके विरुद्ध आन्दोलनका सूत्रपात, १८९-९३; —द्वारा युद्धमें ब्रिटिश साम्राज्यकी सहायता, १४-१५, ४३; —द्वारा सत्याग्रह करनेका प्रस्ताव, ४२४; —पर 'नव-जीवन'की देखरेखका दायित्व, ४३३-३४; —पर पंजाब सरकारका प्रतिबन्धक आदेश, २१४, ३९४; —'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' पर, ५२
- गांधी, रामदास, २९, ७५, ३४६, ३५०, ४७९-८०
- गांधी, लक्ष्मीदास, ३८१ पा० टि०
- गांधी, सन्तोक, ६, २०, १४१, २८५, ३३०
- गांधी-स्मट्स समझौता, —और दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय, ४८२-८३
- गांधी, हरिलाल, २९, ३७, ४८, ६२, ६७, ७८, १००-१, १०३, २८६
- गाइडर, जे० ए० ३१०
- गिरजाशंकर, ४७०
- गिरधारी, २०
- गिरमिट प्रथा, ५१२-१४
- गिरमिट मजदूर, ५१३
- गिलिस्पी, २५५, ३७५, ४०७
- गीता-रहस्य, ५२
- गुजरात सभा, —द्वारा शाही परिषद्में पारित आर्थिक प्रस्तावकी वापसीकी माँग, ६१
- गुरुदेव, देखिए, ठाकुर रवीन्द्रनाथ
- गुलबदन, ८५
- गोकीबेन, ३३०
- गोकुलदास, २८९ पा० टि०
- गोखले, अवन्तिकाबेन, २८५ पा० टि०
- गोखले, गोपालकृष्ण, ४४७; —का अपमान भारतका अपमान, ५१२; —का दक्षिण आफ्रिका निवासकाल, ५१३; —की तन्मयता, ५१२; —के भाषणोंपर गांधीजीकी प्रस्तावना, ९६ पा० टि०; —को दिया हुआ वचन, ५१३; —जयन्ती, ९६, ११२
- गोपीचन्द, ५३
- गोरखप्रसाद, ६५
- गोवध, —और हिन्दू-मुस्लिम एकता, २०९
- गोवर्धनदास, —का मामला, ३१९
- गोविन्दस्वामी, ४८१ पा० टि०



ग्रिफिथ, एफ० सी० २०१, २१२, २८९,  
३०२, ३१७, ३२५-२६, ४४८, ४५९,  
४७३, ४८१

घ

घाटे, ओ० एस०, ५, ५४, ८४, ९३, १५६,  
२१३, २९८, ३३६, ३५१  
घेलाभाई, शंकरलाल, २००

च

चक्रवर्ती, बी०, ३१  
चटर्जी, ३६०  
चन्दावरकर, श्रीमती नारायण गोपाल, ४०४  
चन्दावरकर, सर नारायण गोपाल, १०९,  
४०६, ४८२, ४८४, ५१६  
चन्द्रशंकर, ३६३  
चाँद, ५१४; —की माँ, ५१४; —की सजा  
घटाई गई, ५१५  
चंचिल, विंस्टन, ४८८  
चितलिया, करसनदास, ४२  
चिनाई, चिमनलाल, ४२१  
चैटफील्ड, जी० ई० २२६, २३२, २४२-४३,  
२५४-५५  
चैम्बरलेन, जोसेफ, ५०६  
चैम्सफोर्ड, ९७, १३४, ३७२

छ

छबलभाभी, ७८  
छोटालाल, ५६, ८५, ३३०, ३५७, ३६१

ज

जगन्नाथ, ३३०, ३५७, ३६१, ३६३; —के  
विरुद्ध मुकदमा, ५०८  
जडीबहन, १०४  
जमनादास द्वारकादास, २४, २८, ८६,  
१८९, १९४, २२२, २४७, २६९,  
३४२, ३५४, ३५९, ३९०, ३९८

जयकर, श्रीमती, १८३  
जयरामदास, ३२४  
जापानी खतरा, —स्वदेशीको, ५०४  
जॉर्ज, पंचम, ४९०  
जॉर्जेस, ४४७  
जिन्ना, मु० अ०, ३५९; —और गांधीजी  
४१२  
जिन्ना, श्रीमती, ४१२  
जेराजाणी, विट्टलदास, ३१२, ३६०-६२,  
३८३, ३८९, ३९७, ४००, ४४५  
जेवन्स, प्रो० हवर्ट स्टैनली, १६

झ

झवेरी, मोतीलाल डाह्याभाई, २८८

ट

टकाडा जहाज, २६९  
टर्की, ५१७; —को विभाजित करनेके समा-  
चारसे चिन्ता, ५१७; —से की गई  
सन्धि, ५१७  
टाइम्स ऑफ इंडिया, १४-२२, २६६, २९६,  
३०५, ४३९, ४४३, ४४९, ४७७;  
—में चाँदके बारेमें सरकारी वकीलका  
बयान, ५१४  
टाटा, रतन, ४९  
टाटा, लेडी, ४७६  
टाल्स्टाय, ४२५  
टिकेकर, ४१६  
ट्यूक, कर्नल, ३२९  
ट्यूडर, सर ओवन, ५१२  
ट्रान्सवाल, —के शिक्षित भारतीय, ३४  
ट्रिब्यून, ४५९; —के सम्पादककी रिहाईकी  
माँग, २६२-६३, ३७७, ४००, ४०३,  
४०५, ४२६, ४८४; —के सम्पादकके  
सम्बन्धमें वाइसरायको ज्ञापन, ३७०-  
७१; —के सम्पादकपर मुकदमा, ३१९-  
२०, ३६४, ३६६-६९, ३७८, ३९५



## ठ

ठाकुर, केसरीप्रसाद मणिलाल, ४२, १०५  
 ठाकुर, देवेन्द्रनाथ, १८८  
 ठाकुर, द्विजेन्द्रनाथ, ४ पा० टि०, ३८, १८८  
 ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, ४ पा० टि०, ३५, ३८,  
 ४४, ६३, १०७, १७५, १८५, ३५५

## ड

डंकन, ४४७  
 डंडा अखबार, ४९०  
 दांडी यात्रा, ९३ पा० टि०  
 डर्वन, —की घटना, १९०-९१  
 डिफेंस एन्ड डेथ ऑफ साक्रेटीज, १९८, ४२५  
 डी'विलियर्स, जॉप, ४४७, ४९४  
 डुवाउले, सर जेम्स, १३१, १३८, १५६  
 डोक, जे० जे० ३५०  
 डोक, श्रीमती जे० जे०, ४८१

## त

तलाटी, गोकुलदास, डी०, ४५०  
 तिलक, बाल गंगाधर, २७, ३२, ४१, ५२; —  
 और भारतका युद्धमें भाग लेना, ३,  
 १४-१५; —को सहायता देनेके लिए  
 कोष, ३४५  
 तिलक पर्स फण्ड, ३४६ पा० टि०  
 तीन पौंडी कर, ५१४; —के खिलाफ सत्या-  
 ग्रह, ५१३  
 तुलसीदास, ५२, २४९, ४५५, ४६९  
 तेजपाल, छोटालाल, ४८७  
 त्रिकमजी, मथुरादास, ८७  
 त्रिशंकु, ३२३

## थ

थोरो, ४२५, ४९८

## द

दक्षिण आफ्रिका, ५१२, ५१४; —और स्मट्स-  
 गांधी समझौता, ४४६, ४८२-८३; —के

संघर्षके लिए धन, ४४०; —में भार-  
 तीयोंकी शिकायतें, १०९, १११-१२,  
 ४४०-४१, ४७२, ४९४; —में सत्याग्रह,  
 २५१

दफ्तरी, १२६  
 दमयन्ती, ५०७  
 दलपत-सार, ९२ पा० टि०  
 दलाल, डॉ०, ८०  
 दवे, साकरलाल अमृतलाल, ३२१, पा० टि०  
 दास, देशबन्धु चित्तरंजन, २१०  
 दिल्ली, —की दुःखान्त घटना, १७७, १८०,  
 १८५  
 दीहोरकर, लाभशंकर हरजीवनदास, २४४  
 दुनीचन्द, ४८७, ४९१  
 दुर्गाविहन, ८७, ३३०, ३७७, ४८२  
 दूध, —की खुराक, १०१; —के बारेमें गांधी-  
 जीका व्रत, १३, ३३, ४५, ७४, ७६,  
 ८१  
 देव, ६  
 देव, डॉ० हरि श्रीकृष्ण, ६४, ७०; —की  
 सेवाओंकी प्रशंसा, ५९-६०  
 देवधर, श्रीमती, गो० कृ० ११  
 देवीबेन, देखिए, वेस्ट, एडा  
 देसाई, कृष्णलाल, २३९  
 देसाई, चन्दुलाल मणिलाल, १०५  
 देसाई, दयालजी मनुभाई, ४२८  
 देसाई, प्रागजी खण्डुभाई, ९१, २८६  
 देसाई, महादेव, ३६, ७२, ७६, ८७, ९२  
 पा० टि०, ९३, १०२, १०४, १३०,  
 १५२, १७६, २१४, २१७, ३२१,  
 ३३९, ३४५, ४०४, ४७९, ४८२  
 देसाई, वालजी, ३४०

## ध

धर्म, —और परम्परा, ४६  
 ध्रुव, आनन्दशंकर, २४, ३६, ४३, ३२१



न

नगरकट्टी, डी० एन०, ४७५  
 नटराजन, के० १०९  
 नटेशन, जी० ए०, १०, २५०, ४०१, ४४३  
 नन्द कोर, भाभी, ३८१  
 नरसी मेहता, देखिए मेहता, नरसिंह  
 नर्मदल, ३०, ३२; —और गर्मदलके लोग,  
 ६, १६; —के सम्मेलनमें गांधीजी भाग  
 नहीं लेंगे, ३१  
 नल, ५०७  
 नवजीवन, —की व्यवस्थाका भार गांधीजी-  
 पर, ४३३, ४३३-३४  
 नवजीवन अने सत्य, ४३३  
 नागप्पन, १६६, १६९, १८७; —के सत्या-  
 ग्रहकी प्रशंसा, १६२  
 नाजिम, ३२७  
 नानूभाई, ५४  
 नायडू, थम्बी, ४८०  
 नायडू, सरोजिनी, ४९, ६७, १४३, १८३,  
 १९३-९४, २६८, ३४४, ३५३, ३५५,  
 ४२८, ५००  
 नायर, सर शंकरन्, ३३३  
 नारणदास, ३८४, ३८९-९०, ४४५  
 नारायणसामी, १६६, १६९, १८७  
 नाॅटन, ३७०; —के विरुद्ध मामला, ३१९-२०  
 निर्मला, २८९  
 नेटाल, —के सदस्य, ५१४  
 नेहरू, पंडित मोतीलाल, १८०  
 न्यू टेस्टामेंट, ८०

प

पंड्या, चन्द्रशंकर, २५८  
 पंड्या, मोहनलाल, के०, ४२८  
 पटवर्धन, एस० पी०, ३९७  
 पटवारी, रणछोड़लाल, ४६  
 पटेल, रावबहादुर रावजीभाई, ४१६

पटेल, वल्लभभाई जे० १०५, ३२४, ३२९,  
 ३५७, ४२८  
 पटेल, विठ्ठलभाई जे०, २८, ८३, १२०, १२६  
 पट्टणी, प्रभाशंकर, ३७८, ३८०  
 पण्डितजी, देखिए मालवीय, मदनमोहन  
 पताका, ४६  
 परसराम, जेठामल, ५००  
 परांजपे, आर० पी०, ४६६, ४७४, ४८७  
 परीख, नरहरि, ७६, ८१, ९२, ३७७  
 पाण्डव, २७, २९७  
 पारेख, गोकुलदास, २६  
 पारेख, मणिवेन, ३२२  
 पारेख, शंकरलाल, ५७  
 पार्वती, ८५, २८६, ४८१  
 पावेल, डॉ०, ३०३  
 पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, —पर गांधीजीके विचार, ५२  
 पुण्डलीक, नारायण तमाजी कातगडे, ३७,  
 ३९, ५०, ६१, ६५, ७०, २६६  
 पुरुषोत्तम, नारणजी, ३८३  
 पूंजी, —और श्रम, १६८  
 पेटिट, जहाँगीर बोमनजी, ४३८, ४३९  
 पेटिट, लेडी, ४७६  
 पेटिट, श्रीमती जहाँगीर, ४७६  
 पेटिट, सर दिनशा एम०, ४०४, ४८२  
 पैगम्बर, ३५२  
 पोद्दार, कैप्टन, ३९७  
 पोप, जी० यू०, १०२  
 पोपटलाल, डॉ०, ३२८  
 पोलक, एच० एस० एल०, १०, ७६, ९५,  
 १३९, ३४४, ३५०, ३५४, ३८०, ४०९,  
 ४४९, ४७२, ४७६, ४७९, ५००  
 पोलक, श्रीमती मिली ग्राहम, ३९, ३४४,  
 ४४०  
 प्रताप, ५०८, —के सम्पादकपर मुकदमा,  
 ४५९  
 प्रह्लाद, ५२, १५४, १५८, १६२, १६५,  
 १६९, २६२, २८८, ३०९



प्रिटोरिया, ५१२  
 प्रैट, एफ० जी०, ३४३, ३५६, ३८५,  
 ४३२  
 प्लेटो, १९८

## फ

फजलभाई, सर, २८५, ५०८  
 फडके, मामा, ८५, ३२१, ४७६  
 फातिमा, ४४८  
 फिलिप्स, रेवरेंड, चार्ल्स, ४८१  
 फीनिक्स आश्रम, ९४  
 फैरिंग, एस्थर, ७१, ७९, १७६, २१६,  
 ३३९, ४०६  
 फिचली, ई० डब्ल्यू० ३७८, ४३२  
 फ्रेजर, सार्जेंट, २३७, २४१, २९६; —की  
 हत्या, ५१४

## ब

बजाज, जमनालाल, ३४  
 बड़ोदादा, देखिए ठाकुर द्विजेन्द्रनाथ  
 बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ, १५, २०, १४३  
 बनियन, जॉन, ५२  
 बम्बई, ५१७  
 बली, ७८  
 बाइबिल, ५२, २७९, ३३९  
 बॉम्बे क्रॉनिकल, १११, १८०, १८८, २६०,  
 २६७, २८०, ३५१, ३५९, ४०२,  
 ४०४, ४३३  
 बार्न्स, जॉर्ज, ४४१, ४९३  
 बालुभाई, ४४४  
 बिटमैन, ४०७  
 बीकानेर, —के महाराजा, ४४१  
 बीन, ए० जे०, १०३, १०३ पा० टि०  
 बुलाकीदास, राय बहादुर, २४१  
 बेसेंट, श्रीमती एनी, २७, ३१-३२, ४१,  
 १५१-५२, २८६, ३१८; —और  
 गांधीजी, ३०८-९

बैंकर, शंकरलाल, ९, २८, ४४, ८६, ११०,  
 ४२०, ४२८, ४४४

बैंकर, श्रीमती, ४१२, ४२०

बोथा, जनरल, ५८, ५१३

बोलशेविज्म, —और सत्याग्रह, ३९९; —भौति-  
 कतावादी सभ्यताका परिणाम, १७३-  
 ७४; —से केवल सत्याग्रह बचा सकता  
 है, ३८९

बौरिंग, २३५-३६

ब्रजकिशोरप्रसाद, ६५, १८४

ब्रह्म, —और माया, ६७

ब्रांच, रेवरेंड एम० वेल्स, ३१३

ब्रिटिश उपनिवेशों, —में भारतीय प्रवासपर  
 प्रस्ताव, २०

ब्रिटिश न्याय, ४८८

ब्रिटिश भारतीय संघ ट्रान्सवाल, ३४, १११

ब्रिटिश साम्राज्य, —की युद्धमें सहायता, १४-  
 १५, ४३; —की रक्षा करना स्वराज्यकी

माँगसे पहले आवश्यक, १-२

ब्रिटेन, —की अर्थनीति, ५०६

## भ

भगत, ५०९

भगवद्गीता, ५२, २८८, २९१-९२, ३२१-  
 २२, ३४०, ३४६, ४२४, ४५८; —की  
 शिक्षाका सच्चा अर्थ, २९७

भारत, —को स्वराज्य प्राप्तिके लिए युद्धमें  
 ब्रिटिश साम्राज्यकी सहायता करनेकी  
 सलाह, १-३; —ने लड़नेकी शक्ति खो  
 दी है, २; —में ईसाई-धर्म, ३१३; —में  
 कपास उद्योग, ४१५

भारत रक्षा विनियम, ३२५ पा० टि०

भारतीय आहत सहायक दल, ४९२, ४९५

भारतीय, —और स्मट्स गांधी समझौता,  
 ४४६-४८, ४८२-८३; —का ब्रिटिश  
 उपनिवेशोंमें निवासका अधिकार, २०-  
 २१; —की दक्षिण आफ्रिकामें शिकायतें,  
 १०९, १११-१२, ४४०-४१, ४७२, ४९४



भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ६९; —में गांधीजीका  
भाग न लेनेका विचार, ४१  
भारतीय समाज, —चेतावनी, ५१४  
भारतीय होमरूल, १८२, ३३९  
भुंवरजी, ३३०  
भोजन, —पर विचार, १२-१३

म

मजूमदार, गंगावेन, ५७, ३३४, ३५७, ३८२,  
४५७, ४६८, ४८२

मणिबहन, ७८

मनु, ७८

मनुबाई, १०४

मनुस्मृति, ४७

मराठा, ४९७

मलान, ४९६

महात्मा गांधी: द मैन, ३९ पा० टि०

महाभारत, ८०, १६५, १६९

महिलाएँ, —और सत्याग्रह, १९३-९४,  
३३१; —और स्वदेशी, २९९-३००,  
३३१-३२, ४५४

मांडलिक, आर० एन० १८२

माँड, ३४४

माँडर्न रिव्यू, ४७७

माँण्टेग्यु, ई० एस०, ५१, ५१ पा०

टि०, ३४४, ३५३-५५, ३५९, ३७८,  
३८१, ३९९, ४०१, ४०९-१०, ४१२

माँण्टेग्यु-चैम्सफोर्ड योजना, —का विरोध  
करनेकी आवश्यकता, १, १६; —से  
सम्बन्धित प्रश्नोंके उत्तर ६८-६९;  
—स्वीकार करनेके लिए परिवर्तनकी  
आवश्यकता, ३०-३१

माधवदास, २८६

मालवीय, मदनमोहन, ३५, ८६, ९०, १०६,  
१२०, १२७, १४७, १७९, २५०,  
२५३, ४०५, ४२२

माँलिनो, कुमारी, १०३

मावजी, जेतानी, ८७, ३५७, ३६३

मियाँखाँ, ३८१

मीराबाई, २८८, ३५५

मुकजी, ४०८

मुसलमानों, —की माँग, ३५२

मुस्तफा, कमाल पाशा, —का जीवन चरित्र,  
३१७

मेघाणी, ३६३

मेहता, कल्याणजी, विठ्ठलभाई, ५५, ४२८,  
४९६

मेहता, जमनादास एम०, ४००

मेहता, डॉ० जीवराज, ४९

मेहता, डॉ० प्राणजीवन, ७, ३५, ५०-५१,  
७४, ७७, ३८३

मेहता, नरसिंह, २९७, ४२३

मेहता, मनसुखलाल रावजीभाई, २६

मैकलेगन, सर एडवर्ड, ५०८

मैकॉले, ४१२

मैन, डॉ० हैरोल्ड, ४१९

मैफी, जे० एल०, ९६, १३४, २२६, २३२,  
२८३, ३१२, ३२०

मोटार्सिंह, ४८७

मोहनलाल, ३४६

य

यंग इंडिया, २८०, ३४०, ३५३, ३५५,  
३५९, ३६६-६७, ३७३-७४, ३७५-७६,  
३७८, ३८०, ३८३, ४०८, ४१२,  
४३३, ४४९, ४६३-६४, ४८०, ४८२,  
४८८, ५११, ५१७; —का कार्यभार,  
५१६

याज्ञिक, इन्दुलाल कन्हैयालाल, ३५७, ४२८,  
४३३

युद्ध, —में ब्रिटिश साम्राज्यकी गांधीजी  
द्वारा सहायता, १४, ३२, ४३; —में  
भारत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यकी सहा-  
यता, १



यूनियन कैसिल कम्पनी, ५१२  
यूबैंक, आर० बी०, ४४२, ५१५

र

रणछोड़भाई, ३५६, ३८२, ४७०  
रणदिवे, ६०  
रफीऊद्दीन अहमद, मौलवी, २८३  
रमाबाई, श्रीमती, ४१२, ४२०  
रलियातबेन, २८९ पा० टि०  
रसिक, १०२, १०३  
रसिकमणि, १८  
रस्किन, ४२५  
राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती, १४८, ३७२,  
४४३, ४७८  
राजेन्द्रप्रसाद, ६५, १७९, १८४, २११  
राधा, २०  
राधाकृष्ण, अनन्तराम, ३०३  
राधाकृष्ण, लाला, ४६४, ५०८, ५११; —की  
रिहाई, ५१६; —की याचिकापर चन्दा-  
वरकर और दिनशा वाछाके हस्ताक्षर,  
५१६; —पर मुकदमा, ४५९  
राँबर्टसन, एल०, ४३७  
राँबर्टसन, बेंजामिन, ४७१  
राम, २७९  
रामदास, २९७  
रामनन्दन, ८, ३६३  
रामभजदत्त, चौधरी, ४८७  
रामायण, ५२, ८०, १६५, १६९, २४९  
रामीबेन, ७८, १०२, १०४, २८६, ३८२  
राय, डॉ० प्रफुल्लचन्द्र, ३३, ४५  
राय, बाबू कालीनाथ, ३७८, ३९०, ४०८,  
४१०-११, ४४३, ४५९, ४६४, ५०८,  
५११; —की रिहाईकी माँग, ३७३,  
३७६, ४००, ४०५, ४०८, ४२६,  
४८४; —के विरुद्ध मुकदमा, ३१९-२०,  
३६४, ३६६, ३७८, ३९५; —के सम्ब-  
न्धमें वाइसरायको ज्ञापन, ३७०-७१

रायटर, ४९५  
राव, ई० सी० २९६  
राव, श्रीमती ई० सी० २९६, २९६ पा० टि०  
रावण, १०१  
राष्ट्रीय शाला, १२७  
रिच, एल० डब्ल्यू० ४८०  
रीड, सर स्टैनली, ११०, २३५, २७०,  
३७८, ४४३  
रुक्मिणी बहन, ४२२  
रुखी, ६-७, ५२, ८५, ३६१  
रुद्र, एस० के०, ३८, ४१, २०१, ३०८  
रुस्तमजी, पारसी, १००, ३५०, ४७९  
रूपजी, सोमनाथ, ४७०  
रेवाशंकर, ३३०, ४७६  
रोलट, न्यायाधीश, ८६ पा० टि०  
रोलट समिति, —की रिपोर्ट, ८६

ल

लक्ष्मीदास, २८९ पा० टि०  
लन्दन, ५१७  
लल्लूभाई, ७१  
लाइफ एंड एड्जुसेज ऑफ कमाल पाशा, १९८  
लाउण्डेज, सर जॉर्ज, ८९-९०, १०५, १२५  
लेन, १३४  
लैसडाउन, लॉर्ड, ४८२  
लेटर टू रशियन लिबरलज, ४२५

व

वलिअम्मा, १६९, १८७; —के सत्याग्रहकी  
प्रशंसा, १५८, १६२, १६६  
वाछा, सर दिनशा, ११०, १४३, ४०३,  
४६५, ४७७, ५१६  
वाडिया, १४५, ४२०  
वामनराव, ४७६  
विंटरबॉटम, कुमारी, १०  
विजयराघवाचारियर, सी०, ९८  
विद्यार्थी, —और स्वदेशी, ४६४



विधेयक

अन्तर्जातीय विवाह विधेयक, ८३ पा०  
टि०; —पर विचार, १२६  
दण्ड-विधि आपत्तिक अधिकार विधेयक  
सं० ११, १९१९, देखिए रौलट विधेयक;  
दण्ड-विधि संशोधन विधेयक, देखिए  
रौलट विधेयक  
पटेल विवाह विधेयक, —देखिए अन्तर्जा-  
तीय विवाह विधेयक  
भारतीय दण्ड विधि संशोधन विधेयक  
संख्या १, १९१९ देखिए रौलट विधेयक;  
रौलट विधेयक, —और सत्याग्रहकी  
प्रतिज्ञा, १२२; —और स्वदेशी, ३१६  
विन्सेंट, सर विलियम ५, ९०, ९२, ९७,  
१४०, १४६-४७, २३८  
विलिंग्डन लॉर्ड, ४४  
विल्सन, जे० एम०, २७७  
विल्सन, टॉमस वूड्रो, १०८, १४७  
वेंकटकृष्णम्मा, ४७८  
वेंटरमण, ४९२  
वेलकर, डॉ० एम० बी०, १८२  
वेस्ट, ए० एच०, ४७८  
वेस्ट, एडा, १००  
वेस्ट, श्रीमती, ४७८, ४८१  
व्यास, मणिलाल यादवजी, ३२८, ३६५,  
३८०, ४४९

श

शफी, एम०, १२०, ४९०  
शर्मा, रायबहादुर बी० एन०, ५१  
शान्ति, ३८१  
शान्तिनिकेतन, ३५, ४०  
शामल भट्ट, १०१  
शास्त्री, बी० एस० श्रीनिवास, ४२, ५९,  
९०, १२०-२१, १३१, १३४, १४३,  
१७८, ३४५, ३५५, ३७८, ४०५,

४१०, ५००; —से रौलट विधेयकोंका  
विरोध करनेका अनुरोध, १३३  
शाह, फूलचन्द कस्तूरचन्द, ८, ११, १९, ४२८  
शिक्षा, ५०१  
शिरोल, सर वैंलेंटाइन, ३४५  
शिशुपाल, १०३  
शुक्ल, बी० एन०, २२५  
शैतान, ४२९; —और खुदा, २९७  
शैपर्ड, एस० टी०, ३७६, ४०८, ४३८, ४४९  
श्यामजी, ८  
श्रद्धानन्द, स्वामी, (महात्मा मुन्शीराम),  
१४०, १७८, १८१, १८४-८५, १९२-  
९३, २११, २१७, २४५, २८०, ३२४,  
३४२, ३५४, ३६६, ४९८  
श्रम, —और पूंजी, १६८  
श्रीकृष्ण, २५, ५३, १०३, २९७, ३२२  
श्लेसिन, सोंजा, ३५०

स

संघ-सरकार, ५१२-१४  
सत्य, २४, ५६, २४५, २५६, २६३  
सत्यदेव परिव्राजक, स्वामी, ८८, १०१  
सत्यपाल, डॉ०, २००, २२५, २४६, ४९०;  
—की गिरफ्तारी, ३६९, ३७९  
सत्याग्रह, २२४-२५, २४५, २६१, २६३,  
२७५-७६, ३०१, ३१९, ३२३-२४,  
३३१-३२, ३३४, ३७५-७६; —अली  
बन्धुओंकी नजरबन्दीके विरोधमें, १०८;  
और द्वेष-भाव, २७८-७९; —और  
बोल्शेविज्म, ३९९; —और महिलाएँ,  
१९४, ३३१; —का महत्त्व, २५६; —की  
आलोचना और उत्तर, ४९७-५००;  
—की लड़ाईमें ४०,००० गिरमिटिया  
शामिल, ५१४; —की व्याख्या, १७२-  
७४, २७२-७४; —के सम्बन्धमें निर्देश,  
२१८; —तीन पाँड़ी वार्षिक करके  
खिलाफ, ५१३; —दक्षिण आफ्रिका-



- वासी भारतीयोंके कष्टोंको दूर करनेके लिए, १०९, २५१; -पुनः आरम्भ कब किया जाये, २७४; -में हिंसाकी निन्दा, २२१, २२६, २८३; -रौलट कानूनोंके विरोधमें १५०-५१, १५३-५४, १५७, १६१, १६४, १६९-७०, १९१-९३, २२१, २९४; -हॉर्निमैनके निर्वासनके विरोधमें, २८२-८४, २८७, २९०-९१, २९४-९५, ३१२
- सत्याग्रह प्रेस, २२५
- सत्याग्रह सभा, १५५; -का रौलट विधेयकों और हॉर्निमैनके निष्कासनपर विरोध, ४०९; -का सविनय अवज्ञाके सम्बन्धमें वक्तव्य, १९९; -की माँगें, ४००; -के नियम, १३६
- सत्याग्रह समझौता, १९१४ का, ११२
- सत्याग्रही, १९६, १९८, २२४-२५, ३२३; -का कर्तव्य, १७२, ४५३; -को निर्देश, १९९, ४२४-२८; -को सलाह, २१८
- समर्थ, एन० एम०, ३०
- सरस्वती, २५९
- समन ऑन द माउंट, ३१३
- सर्वेंट ऑफ इंडिया, ३५४
- सर्वोदय या यूनिवर्सल डॉन, १९८
- सविनय अवज्ञा, ४२५, ४५०, ५००; -अस्थायी रूपसे स्थगित, २५१; -कैसे की जाये, १९९; -को पुनः जारी करनेके लिए निर्देश, ४२५-२६; -रौलट अधिनियम रद्द न होनेपर, फिरसे जारी, ३८९-९०, ३९९, ४०५, ४५१; -स्थगित करनेका कारण, ४८४-८७
- साठे, डी० डी०, २००
- सादिक अली खाँ, ३९८
- सामलदास, २८९, ३६१, ३७७, ३८१, ४७८, ४८२
- साम्राज्यीय सम्मेलन; -और उपनिवेशोंमें प्रवास, २०
- साराभाई, अनसूयाबेन, ९ पा० टि०, ४४, १०५, १४१, २२३, २२९, २३२-३३, २३६, २३९, २५१, ३८१, ३९८, ४५७, ४७०
- साराभाई, अम्बालाल, ४७०
- सिगविक, ५०६
- सिविल ऐंड मिलिटरी गजट, ३४३, ४६३
- सीतलवाड, डॉ० सर चिमनलाल हरिलाल, ४०४ पा० टि०
- सुदामा, ५३
- सुन्दरम्, ३४०
- सुन्दरलाल, ३२४, ४६४
- सुरेन्द्रलाल, ५६, ८८, १०२, ४४४
- सुलोचना बहन, ४२२
- सेल, ई० एल० ३९७
- सैम, देखिए, गोविन्द स्वामी
- सैयद, फजलुलरहमान, ३८३
- सैली, ३४४
- सोढा, रेवाशंकर, ८२
- सोबानी, उमर, २००, ४२८
- सोमण, ६०
- सोमनाथ, ४२३
- सोराबजी शापुरजी; -देखिए अडाजानिया, सोराबजी शापुरजी
- स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही, १९८
- स्मट्स-गांधी समझौता, -और दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय, ४४६-४८
- स्मट्स, जनरल, ११३, १३४, ४४६, ४७१, ४८२, ४९४-९५, ५१३-१४; -गांधी समझौता, ४७१
- स्वदेशी, ३३७-३८, ३८४, ३८७-८९, ३९१, ४१३, ४१८, ४२०-२१, ४२५, ४५४, ४६७, ४६९, ४८६, ५०१-५, ५०८; -और जापानी-खतरा, ५०४; -और महिलाएँ, ३३१-३२, ४५४;



-और रोलट कानून, ३१६; -और  
विद्यार्थी, ४६४; -की आलोचना,  
४६६; -की आलोचनाका उत्तर, ४७४,  
४७७; -से स्वराज्य, ५०४  
स्वदेशी वस्त्र भण्डार, ३८९  
स्वदेशी व्रत, १८९, ३५१, ३८३-८४, ४३४-  
३५, ४४५; -की व्याख्या, २०२-४;  
-के पालनके लिए महिलाओंसे अनुरोध,  
२९९; -न लेनेके कारण, ५१५;  
-शुद्ध और मिश्रित, ३१४  
स्वदेशी सभा, ५१५; -के नियम, ४३५  
स्वराज्य, -और आर्थिक स्वतन्त्रता, ५०५;  
-ब्रिटिश साम्राज्यकी सहायता करनेसे  
सम्भव, १-२; -में स्वदेशी, ५०४

ह

हंटर, सर विलियम, ४६५  
हक, मजहूरल, १८४, २२५  
हनुमन्तराव, ८  
हरकिशनलाल, ४८७-८८, ४९१  
हरिश्चन्द्र, २८८  
हसन, और हुसैन, इमाम, २८८  
हॉज, रेवरेंड, एफ० जेड०, ६४  
हारकोर्ट, ४९४  
हार्कर, २१२  
हार्डिंग, लॉर्ड, ४७१  
हॉनिमैन, बी० जी०, १८, १८८, १९४,  
२६३-६४, २६८, २८३, २९०, २९७,  
३१८, ३२३, ३४५, ३५३, ३५५, ३६६,  
४३३; -का निर्वासन, ३९५; -की

सेवाओंकी प्रशंसा, २६९, २९६; -के  
निर्वासन आदेशको वापस लेनेका अनु-  
रोध, २६७-६८, ३५८-५९, ४०२; -के  
निर्वासनपर सत्याग्रह, २६०-६१, २६५,  
२७५-७७, २८३-८४, २८७, २९०-९१,  
२९४, ३१२, ४००, ४०९, ४२६

हॉस्केन, विलियम, ५८  
हिंसा; -का मार्ग भारत द्वारा अस्वीकृत,  
१६५; -के सत्याग्रहमें प्रयोगकी निन्दा,  
२२१, २२६, २८३  
हिगनेल, एस० आर०, ३४२, ३६४, ३८९,  
४०३, ४०६, ४१०, ५१६  
हिंदवासी, ४९७  
हिंद स्वराज, १८२, १९८, २३१, ३४९,  
४२५  
हिन्दी, -प्रचार मद्रासमें, २९, ९२, १६१,  
१६४; -प्रसारके लिए धन, २५३;  
-राष्ट्रभाषाके रूपमें, २४८

हिंदुस्तान ६८

हिन्दू, ३१९  
हिन्दू धर्मकी बालपोथी, ३६  
हिन्दू-मुस्लिम एकता, -और गोवध, २०९;  
-का व्रत, २०८  
हिन्दू स्त्री मण्डल, १८ पा० टि०  
हिरण्यकशिपु, १५४  
हिल्डा, ४८१  
हीली, डी०, ४३१  
हुसैन, -और हसन, इमाम, २८८  
हुसैन, सैयद, ८३, १२९  
हैंडरसन, रॉबर्ट, २२  
होरा, डॉ०, ३१८






















123 JAN 1966



Gandhi Heritage Portal